

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

धर्मशास्त्र का इतिहास



धर्मशास्त्र का इतिहास BOOKS

(प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियाँ)

[प्रथम भाग]

मूल लेखक

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे

एम० ए०, एल-एल० एम०

अनुवादक

अर्जुन चौबे काश्यप



उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
(हिन्दी समिति प्रभाग)

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

प्रकाशक :

विनोद चन्द्र पाण्डेय

निदेशक

३० प्र० हिन्दी सस्थान, लखनऊ

प्रथम संस्करण : १९६३

द्वितीय संस्करण : १९७२

तृतीय संस्करण : १९८०

चतुर्थ संस्करण : १९९२

१०,००० प्रतिपाँ

मूल्य : एक सौ धासीस रुपये



मुद्रक :

स्वतंत्रिक प्रिन्टिंग प्रेस

२७, माई की बगिया, बहा चौदगाँव,

लखनऊ

प्रकाशकीय

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरंग वामन काणे द्वारा रचित तथा अर्जुन चौबे कारयप द्वारा अनूदित "धर्मशास्त्र का इतिहास" उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान द्वारा पाँच खण्डों में प्रकाशित किया गया है। इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक विधियों का विवरण दिया गया है। प्रत्येक खण्ड अपनी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यह ग्रन्थ हिन्दी-जगत में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है।

धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग) के अभी तक तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसका चतुर्थ संस्करण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करना स्वाभाविक ही है।

विश्वास है कि इस संस्करण का भी उसी प्रकार स्वागत होगा जिस प्रकार विगत संस्करणों का स्वागत होता रहा है।

३ जून, ९२



बिनोद चन्द्र पाण्डेय
निदेशक

दो शब्द

भारतीय संस्कृति के आत्म-सत्त्व को हृदयमग्न करने के लिए हमें उसके अजस्र प्रवाह को समझना होगा। आज हम अपने ही स्वरूप, स्वभाव और स्वधर्म से इतने अपरिचित हो गये हैं कि भारतीय संस्कृति के आधारभूत व्यापक जीवनानुभव को, जिसे हिन्दू धर्म के नाम से अभिहित किया जाता है, न तो उसे परिभाषित कर सकते हैं और न उसकी उदात्त भावनाओं के साथ एक रस हो पाते हैं जबकि सत्य यह है कि अपनी परंपराओं और संस्कारों के कारण हमारा चिंतन हमें उस ओर प्रेरित करता है।

हिन्दू धर्म उपासना की पद्धति भर नहीं है। यह एक समग्र जीवन-दर्शन एवं व्यवहार-प्रक्रिया है। उसमें सकारात्मक स्वीकृतियों के साथ निवेद्यात्मक पक्षों के उन्नयन की गंभीर दृष्टि और उस पर आधारित समय-समय पर विकसित होते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के विधान हैं, जिन्हें 'शास्त्र' कहा गया है।

इन शास्त्रों का ज्ञान अब सबको सहज उपलब्ध नहीं है, साथ ही भाषा एवं समय के अन्तराल ने उन्हें दुर्लभ भी बना दिया है। इससे हम न तो अपने अतीत का ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं और न अपने इतिहास के उपयोगी बिन्दुओं को सजगता से ग्रहण कर पाते हैं।

इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सुप्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय डा० पण्डुरंग वामन काणे ने 'धर्मशास्त्र का इतिहास' नामक बृहद् ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसे उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने पाँच भागों में प्रकाशित करने का पुनीत कार्य किया। इस ग्रंथ में धर्मशास्त्र के सभी अंगों का विशद अध्ययन, उनके विश्लेषण की सूक्ष्म दृष्टि और उन्हें परंपरा में सँजोकर पाठक को उनके क्रमागत निष्कर्षों के निकट ले जाने का अवसर प्रदान करना निश्चय ही अभिनन्दनीय है। उनके इस प्रयास से हिन्दू धर्मशास्त्र की सभी परंपराएँ जीवंत रूप में पाठक के समक्ष आती हैं और अपने अतीत के चिंतन-वैभव के गौरव की अनुभूति के साथ ही आज के अपने आचमन-विचारों के मूल उत्स का परिचय भी प्राप्त होता है। हिन्दू धर्म और संस्कृति केवल अध्यात्मजीवी ही नहीं रहे हैं, उन्होंने सुनिश्चित व्यवस्थित व्यवस्थाएँ एवं मर्यादाएँ निर्धारित की हैं, यह इस ग्रंथ से सहज स्पष्ट हो जाता है। स्वात्म की ऐसी विशद अनुभूति के कारण ही यह ग्रंथ मनीषियों एवं जिज्ञासुओं में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है और अब तक इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम भाग का धतुर्प संस्करण पुनः आपकी सेवा में अर्पित किया जा रहा है। आशा है कि विद्वज्जन इसका स्वागत करेंगे। •

प्राक्कथन

'व्यवहारमयूख' के सस्करण के लिए सामग्री सङ्कलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिन प्रकार देने 'साहित्यदर्पण' के सस्करण में प्राक्कथन के रूप में "अलवार साहित्य का इतिहास" नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर 'व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण सलमन कर दूँ, जो निरवय ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण कामप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विविध है, उसे एक सक्षिप्त परिचय में आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक भाग्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैं यह निश्चय किया कि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा कि एक विद्वत् के आदि काल से अब तक के धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आनेवाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सागोपाग नहीं माना जा सकता। इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो गया। भारतीय सामाजिक षष्पाश्रों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं, चूँकि हमारे आचार्य उनके सबंध में अनीसी धारणाएँ रखते हैं, इसलिए मैं निश्चय मविष्य में इस पुस्तक का अनुवाद भातृमाया मराठी एवं संस्कृत में करने का सङ्कल्प इस आशा से करता हूँ कि उसे पढ़ने के बाद वे लोग अपने विचारों में स्वागत योग्य परिवर्तन का अनुभव करेंगे।

प्रस्तुत भाग में वर्णनीय विषयों के रूप में क्रमशः धर्म, धर्मशास्त्र, धर्म, उनके वर्णन, अधिकांश, अप्रयुक्तता, दास-प्रथा, सस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह (सभी सामाजिक प्रणयों के साथ), आर्थिक आचार, पञ्च महापुत्र, दान, प्रतिष्ठा, उत्सर्ग एवं गृह्य तथा श्रौत (वैदिक) यज्ञों का विवेचन किया गया है। अगले भाग में राजशास्त्र, व्यवहार (विधि एवं प्रक्रिया), अशौच (जन्म और मृत्यु से उत्पन्न मृतक), श्राद्ध, प्रायश्चित्त, तीर्थ, व्रत, काल, शान्ति, धर्मशास्त्र पर भीमासा आदि का प्रभाव, समय समय पर धर्मशास्त्र को परिवर्तित करनेवाली रीति एवं परम्परा और धर्मशास्त्र की भारी प्रगति एवं विकास प्रभृति प्रकरणों का विवेचन किया जायगा।

यद्यपि, उच्चकोटि के विश्वविख्यात विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विविध विषयों पर विवेचन का प्रयत्न कार्य किया है, किन्तु भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए गण्य विषयों के विवेचन का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी समझ हो सकेगा। इस पुस्तक में जो मुद्रि, दुस्वृता और अशुद्धता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह महत्त्व अधिकार है कि प्रतिपाद्य विषय में को गयी असुविधा और सफ़ाईताओं की कटु से कटु आलोचना करें। कुछ पाठक यह भावित

कर सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे लोग कह सकते हैं कि कुछ प्रकारको के लिए अपेक्षित विवेचन को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इन उभय विषयों का विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाते की चेष्टा की है।

आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विद्वानों की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा विद्वानों से तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासम्भव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर भी, कभी कभी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे, आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र में निदिष्ट जीवन-व्यवृत्ति पर डाल देते हैं। किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होना बड़ा कठिन है। अतः मैंने यह विद्वानों का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन-समुदाय का स्वभाव साधारणता एवं जैसा है और उसमें निहित सुप्र-वृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भकालिक आचार पूर्ण सामग्र्य रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुष्प्रयोग एवं विकृतियाँ समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे कोई देश विशेष हो या समाजविशेष, वे किसी न किसी रूप में जाति प्रथा या उससे मिश्र प्रथा से आरब्ध रहते आये हैं।

निःसंदेह जाति प्रथा ने भी कुछ विशेष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है, किन्तु इस आधार पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था न तो पूर्ण है और न दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त है। यद्यपि मैं ब्राह्मण धर्म के यातावरण में प्रौढ हुआ हूँ, फिर भी आशा करता हूँ कि पण्डितजन यह स्वीकार करेंगे कि मैंने चित्र के दोनों पहलुओं के विवरण प्रस्तुत किये हैं और इस कार्य में पक्षपात-रहित होने का प्रयत्न किया है।

संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तर्कों की भावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों की शुल्क बरतनेवाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से सहस्रो उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से लिये गये हैं एवं बहुत थोड़े से अवतरण पाण्डुलिपियों और ताम्रलेखों से उद्धृत हैं। सिलालेखों, ताम्रपत्रों के अभिलेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि धर्मशास्त्र में विहित विधियाँ जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत रहीं हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पण्डितमन्य विद्वानों या कल्पना-शास्त्रियों द्वारा सकलित काल्पनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहार्य रहे हैं।

मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और इस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करनेवाले लेखकों को प्रति अगार प्रबट करने में आनन्द का अनुभव करता हूँ। जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे उपलब्ध करने पड़े हैं और जिनमें मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ उनमें से कुछ ग्रन्थों का उल्लेख आवश्यक है, यथा—ड्रूमपीट्ठ की 'वैदिक अनुक्रमिका', प्रोफेसर मैकडानल और बीथ की 'वैदिक अनुक्रमिकाएँ', मैक्समूलर द्वारा संपादित 'प्राच्य धर्म-सुलतर्क' (संख्या २, ७, १२, १४, २५, २६, २९, ३०, ३४, ४१, ४३, ४४)। जर्मन भाषा का अत्यल्प और उससे भी कम फ्रेंच भाषा का ज्ञान होने से मैं अर्थात् यूरोपीय विद्वानों की कृतियों का पूरा उपयोग करने से बचिष्ठ रह गया हूँ। इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान् दा० जार्ज को स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने सामने आदर्श के रूप में रखा है। मैंने निम्न-लिखित प्रमुख पण्डितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं,

जैसे डा० बुलर, राव साहू वी० एन० मण्डलीक, प्रोफेसर हापकिन्स, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री बे० पी० जायसवाल । मैं 'बाय' के परमहंस केदलानन्द स्वामी के इतत साहाय्य और विदेश (विद्येयन श्रीन माय) के लिए, पूना के चिन्तामणि दातार द्वारा दर्श-योगमास के परामर्श और श्रीत के अन्य अभ्यासों के प्रति सतर्क करने के लिए, श्री बेशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका माग पर कार्य करने के लिए और तर्कनीय रघुनाथ शास्त्री कोशरे द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और सशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानता हूँ । मैं इंडिया आफिन पुस्तकालय (सदन) के अधिकारियों का और डा० एस० के० वेल्बन्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुण्डुस्वामी शास्त्री, प्रोफेसर रमस्वामी आशगर, प्रोफेसर पी० पी० एस० शास्त्री, डा० भवतोष मट्टाचार्य डा० आल्मडोर्गे प्रोफेसर एच० डी० वेल्णकर (विस्तार कालेज बंबई) का बहुत ही कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित सस्वृत की पाण्डुलिपिमें से बहुमूल्य सकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं । विभिन्न प्रकार के निवेदन में सहायता के लिए मैं अपने मित्रसमुदाय तथा डा० वी० जी० पराज्जे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोडे और श्री जी० एन० वैद्य का आभार मानता हूँ । इस प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली ग्लानताओं, भ्रुतिमा और जपेलाओं से मैं पूर्ण परिचित हूँ । अतः इन सब कमियों के प्रति कृपालु होने के लिए मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ ।*

पाण्डुरंग वामन शरणे

उद्धरण-संकेत

अग्नि० = अग्निपुराण

अ० वे० या अथर्व० = अथर्ववेद

अनु० या अनुशासन० = अनुशासनपर्व

अन्वयेष्टि० = नारायण की अन्वयेष्टिपद्धति

अ० क० दी० = अन्वयकर्मदीपक

अर्थशास्त्र, कौटिल्य० = चौटिलीय अर्थशास्त्र

आ० गू० सू० या आपस्तम्बगू० = आपस्तम्बगृह्यसूत्र

आ० घ० सू० या आपस्तम्बधर्म० = आपस्तम्बधर्मसूत्र

आप० म० पा० या आपस्तम्बम० = आपस्तम्बमन्त्रपाठ

आप० श्री० सू० या आपस्तम्बश्री० = आपस्तम्बश्रीतसूत्र

आप० गू० सू० या आश्वलायनगू० = आश्वलायनगृह्यसूत्र

आप० गू० प० या आश्वलायनगू० प० = आश्वलायन-

गृह्यपरिधिष्ट

ऋ० या ऋग्वे० = ऋग्वेदसंहिता

ऐ० आ० या ऐतरेय आ० = ऐतरेयारण्यक

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा० = ऐतरेय ब्राह्मण

क० उ० या कठोप० = कठोपनिषद्

कलिवर्ग्य० = कलिवर्ग्यविनिर्णय

कल्प० या कल्पतरु, क० क० = कल्पीयर का कल्पकल्पतरु

कात्या० इमु० सा० = कात्यायनस्मृतिसारोद्धार

का० श्री० सू० या कात्यायनश्री० = कात्यायनश्रीतसूत्र

काम० या कामन्दक० = कामन्दकीय नीतिसार

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय० = चौटिलीय अर्थशास्त्र

कौ० = कौटिल्य का अर्थशास्त्र (ब्रा० शाम शास्त्री का

संस्करण)

को० ब्रा० उप० या कौपीनिकब्रा० = कौपीनिकब्राह्मण-
उपनिषद्

गं० प्र० या गंगाम० या गंगामन्त्रि० = गंगामन्त्रिपरमिणी

गंगामन्त्रि० या गंगामन्त्रि० = गंगामन्त्रिपरमिणी

गण० = गणपुराण

गू० र० या गृह्यसू० = गृह्यसूत्रलाकर

गौ० या गौ० प० सू० या गौतमधर्म० = गौतमधर्मसूत्र

गौ० पि० सू० या गौतमपि० = गौतमपितृमेघसूत्र

चतुर्वर्ग० = हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि

छा० उप० या छान्दोग्य-उप० = छान्दोग्योपनिषद्

जीमूत० = जीमूतवाहन

जै० या जैमिनि० = जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र

जैमिनि० उप० = जैमिनीयोपनिषद्

जै० न्या० मा० = जैमिनीयन्यायमालावित्तर

ताप्प्य० = ताप्प्यमहाब्राह्मण

ती० क० या ती० कल्प० = तीर्थ पर कल्पतरु

तीर्थप्र० या ती० प्र० = तीर्थप्रकाश

ती० चि०, तीर्थचि० = बाधस्वति की तीर्थचिन्तामणि

तै० आ० या तैत्तिरीयार० = तैत्तिरीयारण्यक

तै० उ० या तैत्तिरीयोप० = तैत्तिरीयोपनिषद्

तै० ब्रा० = तैत्तिरीय ब्राह्मण

तै० स० = तैत्तिरीय संहिता

त्रिस्थली० या त्रिस्थलीसे० या त्रि० से० = मट्टोत्रि वा

त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह

त्रिस्थली० = नारायण मट्ट वा त्रिस्थलीसेतु

नारद० या ना० इमु० = नारदस्मृति

नारदीय० या नारद० = नारदीयपुराण

नीतिवा० या नीतिवाक्या० = नीतिवाक्यासूत्र

निर्णय० या नि० ति० = निर्णयसिन्धु

प० = पद्यपुराण

परा० या० = पराशरभाष्यटीका

पाणिनि या पा० = पाणिनि की अष्टाध्यायी

पार० गू० या पारस्करगू० = पारस्करगृह्यसूत्र

पूर्० की० सू० या पूर्वकी० = पूर्वकीमांसासूत्र

प्रा० छ०, प्राय० त० या प्रायश्चित्तप्र० = प्रायश्चित्तप्रकरण

प्रा० प्र० प्राय० प्र० या प्रायश्चित्तप्र०=प्रायश्चित्तप्रकरण
 प्रा० प्रकाश या प्राय० प्रा०=प्रायश्चित्तप्रकाश
 प्रा० वि० या प्राय० वि० या प्रायश्चित्तवि०=प्रायश्चित्त-
 विवेक
 प्रा० म० या प्राय० म०=प्रायश्चित्तमसूख
 प्रा० सा० या प्राय० सा० या प्राय० सार=प्रायश्चित्त-
 सार
 वृ० मू०=वृणमूषण
 बृह० या बृहस्पति०=बृहस्पतिरमृति
 वृ० उ० या बृह० उ०=बृहदारण्यकोपनिषद्
 वृ० स० या बृहत्स०=बृहत्संहिता
 बी० गृ० सू० या बीषायनगृ०=बीषायनगृहसूत्र
 बी० घ० सू० या बीषा० घ० या बीषायनघर्म=बीषायन-
 घर्मसूत्र
 बी० श्रौ० सू० या बीषा० श्रौ० या बीषायनश्रौत०=
 बीषायनश्रौतसूत्र
 ब्र० या ब्रह्म० या ब्रह्मपु०=ब्रह्मपुराण
 ब्रह्माण्ड०=ब्रह्माण्डपुराण
 भवि० पु० या भविष्य०=भविष्यपुराण
 भस्व०=भस्वपुराण
 म० पा० या भद्र० पा०=भद्रनपादिजात
 मनु० या मनु०=मनुस्मृति
 मानव० या मानवगृह०=मानवगृहसूत्र
 मिता०=मिताशारा (विज्ञानेश्वर हृत याज्ञवल्क्य-
 स्मृति की टीका)
 मीमांसावी० या मी० बी०=सष्टदेव वा मीमांसाकौस्तुभ
 मेपा० या मेपातिपि०=मनुस्मृति पर मेपातिपि की टीका
 या मनुस्मृति के टीकाकार मेपातिपि
 मैत्रा० उप०=मैत्र्युपनिषद्
 मै० स० या मैत्रायणीस०=मैत्रायणीसंहिता
 य० घ० सं० या यतिघर्म०=यतिघर्मसंग्रह
 या० या याज्ञ या याज्ञ०=याज्ञवल्क्यस्मृति
 राज०=वल्क्य की राजतरंगिणी
 रा० घ० बी० या राजघ० बी० या राजघर्मकी०=राज-
 घर्मकीस्तम्भ

रा० नी० प्र० या राजनी० प्र० या राजनीतिप्र०=मिश्र
 मिश्र का राजनीतिप्रकाश
 राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेश्वर का राजनीति-
 रत्नाकर
 लाटपा०=लाटपायनश्रौतसूत्र
 वसिष्ठ०=वसिष्ठधर्मसूत्र ।
 वाज० स० या वाजसनेयी स०=वाजसनेयी संहिता
 वायु०=वायुपुराण
 विवादवि०=वाचस्पति मिश्र की विवादचिन्तामणि
 वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर
 विश्व० या विश्वरूप०=विश्वरूप की याज्ञवल्क्य-
 स्मृतिटीका
 विष्णु०=विष्णुपुराण
 विष्णु या वि० घ० सू०=विष्णुधर्मसूत्र
 वी० मि०=वीरमित्रोदय
 वै० स्मा० या वैखानस०=वैखानसस्मार्तसूत्र
 व्यय० त० या व्ययहार० या व्ययहारत०=रघुनन्दन वा
 व्ययहारतत्त्व
 व्य० नि० या व्ययहारनि०=व्ययहारनिर्णय
 व्यय० प्र० या व्ययहारप्र०=मिश्र मिय का व्ययहारप्रकाश
 व्य० म० या व्ययहारम०=नीलकण्ठ का व्ययहारमयूख
 व्य० मा० या व्ययहारमा०=जीमूतबाहन की व्ययहार-
 मातृका
 व्यय० सा० या व्ययहारसा०=व्ययहारसार
 दा० द्वा० या दातपपदा०=दातपपदाहण
 दा० तप०=दातातपस्मृति
 दा० वृ० या दासायनगृह०=दासायनगृहसूत्र
 दा० द्वा० या दासायनद्वा०=दासायनद्वाहण
 दा० श्रौ० सू० या दासायनश्रौत०=दासायनश्रौतसूत्र
 दान्ति०=दान्तिपर्व
 द्वा० या द्वा० नी० या द्वा० नीति०=द्वा० नीतिसार
 द्वा० श्रम०=द्वा० श्रमस्तोत्र
 द्वा० बी० या द्वा० श्रि० नी०=द्वा० श्रि० नी०
 द्वा० ब० या द्वा० श्रि० स्वर०=द्वा० श्रि० स्वर० (द्वा० श्रि० पर)
 द्वा० श्रि० या द्वा० प्र०=द्वा० श्रि० श्राव

श्रा० क० ल० या श्राद्धकल्प० = श्राद्धकल्पलता
 श्रा० क्रि० कौ० या श्राद्धक्रिया० = श्राद्धक्रियाकौमुदी
 श्रा० प्र० या श्राद्धप्र० = श्राद्धप्रकाश
 श्रा० वि० या श्राद्धवि० = श्राद्धविवेक
 स० श्री० सू० या सत्यापाठश्रीत० = सत्यापाठश्रीतसूत्र
 सरस्वती० या स० वि० = सरस्वतीविलास
 सा० शा० या साम० ब्रा० = सामविधानब्राह्मण

स्कन्द० या स्कन्दपु० = स्कन्दपुराण
 स्मृ० च० या स्मृतिच० = स्मृतिचन्द्रिका
 स्मृ० मु० या स्मृतिमु० = स्मृतिमुक्तावलि
 स० कौ० या सत्कारकौ० = सत्कारकौस्तुभ
 स० प्र० = सत्कारप्रकाश
 स० २० मा० या सत्कारर० = सत्काररत्नमाला
 हि० गृ० या हिरण्यकेसिगृह्य = हिरण्यकेसिगृह्यसूत्र

इंग्लिश नामों के संकेत

- A G = ऐं० जि० (ऐंसेप्ट जियाँप्रफी आब इण्डिया)
 Am A = आम्ने अबरी (अबुल फजल कृत)
 A I R = आल इण्डिया रिपोर्टर
 A S R = आर्यालोजिकल सर्वे रिपोर्टर (ए० एस० आर०)
 A S W I = आर्यालोजिकल सर्वे आब वेस्टर्न इण्डिया
 B B R A S = बाम्बे ब्राञ्च, रॉयल एसियाटिक सोसाइटी
 B O R I = भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना
 C I I = कापस इन्विप्लान्स इण्डियेन्स (सी० आई० आई०)
 E I = एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०)
 I A = इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (इण्डि० ऐण्टि०)
 I H Q = इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली (इण्डि० हिस्टो० क्वा०)
 J, A O S = जर्नल आब दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी
 J A S B = जर्नल आब दि एसियाटिक सोसाइटी आब बेंगल
 J B O R S = जर्नल आब दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी
 J R A S = जर्नल आब दि रॉयल एसियाटिक सोसाइटी (कन्दन)
 S B E = संक्रेड बुक आब दि ईस्ट (मैसासुसर द्वारा सम्पादित) (एस० बी० ई०)

प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पू०=ईसा के पूर्व, ई० उ०=ईसा के उपरान्त]

४०००—१००० (ई० पू०)

यह वैदिक साहित्य, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं सैतिलीय साहित्य तथा ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं, जिन्हें विद्वान् लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के परबाल्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान् प्रकृत मेराव भी इस मान्यता को वि वैदिक साहित्य ४००० ई० पू० प्राचीन है, नहीं स्वीकार करते।)

८००—५०० (ई० पू०)

• यास्क की रचना निकलत।

८००—४०० (ई० पू०)

प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा—आपस्तम्ब, आश्वलायन, यौधेयन, कारपायन, सत्याश्रव आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)। गोत्रम्, आपस्तम्ब, यौधेयन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पाश्चात्त्य कुछ अन्य लोगों के गृह्यसूत्र।

६००—३०० (ई० पू०)

पाणिनि।

६००—३०० (ई० पू०)

जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।

५००—२०० (ई० पू०)

: अथर्वशास्त्र।

५००—२०० (ई० पू०)

: पाणिनि के सूत्रों पर यातिक लिखने वाले अरुण्य कारपायन।

३०० (ई० पू०)

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास)।

३०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: पतञ्जलि का महाभाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास)।

१५० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

मनुस्मृति।

२०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: याज्ञवल्क्यस्मृति।

१०० (ई० उ०)—३०० (ई० उ०)

: विष्णुधर्मसूत्र।

१००—४०० (ई० उ०)

: नारदस्मृति।

२००—५०० (ई० उ०)

: वैशानस्यारमातसूत्र।

२००—५०० (ई० उ०)

जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के आसपास)।

३००—५०० (ई० उ०)

अथर्वशास्त्र आदि पर बृहस्पति-स्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी है)। एत० की० ई० (चित्त ३३) में अथर्वशास्त्र के अंग अनूदित हैं और प्रो० रंगस्वामी आर्यभट्ट ने धर्म के बहुत-से विषय समुहोक्त किये हैं जो भाष्यकारों की ओर से ही प्रस्तावित हैं।

- ३००—६०० (ई० उ०) : कुछ विद्यमान पुराण, यथा—वायु०, विष्णु०, मार्कण्डेय०, मात्स्य०, कूर्म० ।
- ४००—६०० (ई० उ०) : कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) ।
- ५००—५५० (ई० उ०) : बराहमिहिर; पञ्च-सिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक ।
- ६००—६५० (ई० उ०) : कादम्बरी एव हर्षचरित के लेखक बाण ।
- ६५०—६६५ (ई० उ०) : पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'कादाशक' व्याख्याकार यामन—श्रवाशिरव ।
- ६५०—७०० (ई० उ०) : कुमारिल का तन्त्रवातिक ।
- ६००—९०० (ई० उ०) : व्युत्पत्ता स्मृतिर्था, यथा—पराशर, शत, देवक तथा कुछ पुराण, यथा—अग्नि०, गरुड० ।
- ७८८—८२० (ई० उ०) : महान् अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य ।
- ८००—८५० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ।
- ८२५—९०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि ।
- ९६६ (ई० उ०) : बराहमिहिर के बृहज्जातक की टीका करनेवाले जल्ल ।
- १०००—१०५० (ई० उ०) : बहुत-ने प्रन्थों के लेखक बरसेवर मोज ।
- १०८०—११०० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताश्रय के लेखक विज्ञानेश्वर ।
- १०८०—१११० (ई० उ०) : मनुस्मृति के व्याख्याकार गोविन्दराज ।
- ११००—११३० (ई० उ०) : कल्पतह या कृत्यकल्पतह नामक विशाल धर्मशास्त्र-विषयक निदान के लेखक लघमीयर ।
- ११००—११५० (ई० उ०) : दामभाय, काशबिकेक एव व्यवहारशास्त्र के लेखक जीवूतवाहन ।
- ११००—११५० (ई० उ०) : प्रार्थिविचतप्रकरण एव अन्य ग्रन्थों के रचयिता मयदेव मट्ट ।
- १११०—११३० (ई० उ०) : अपराक, सिन्हाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी
- १११४—११८३ (ई० उ०) : मास्कराचार्य, जो सिद्धान्तसिरोमणि के, विद्यका सीमावती एक ग्रंथ है, प्रणेता है ।
- ११२७—११३८ (ई० उ०) : सोमेश्वर देव का मानसोन्मेष या अमिलषिठार्थ-चिन्तामणि ।
- ११५०—११६० (ई० उ०) : कल्हण की राजतरंगिणी ।
- ११५०—११८० (ई० उ०) : हारकता एव विजुदयिता के प्रणेता अनिदह मट्ट ।
- ११५०—१२०० (ई० उ०) : श्रीधर का स्मृत्यर्थसार ।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : गौतम एव आपस्तम्ब नामक धर्मग्रन्थों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदा ।
- १२००—१२२५ (ई० उ०) : देवण मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका ।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के व्याख्याकार कुस्तूब ।
- ११७५—१२०० (ई० उ०) : धनञ्जय के पुत्र एव ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता ह्यामुष ।
- १२६०—१२७० (ई० उ०) : हेमाद्रि की अदुर्बर्णचिन्तामणि ।
- १२००—१३०० (ई० उ०) : बरदराज का व्यवहारनिर्णय ।
- १२७५—१३१० (ई० उ०) : विजुषवित, समयरदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता भीरत ।
- १३००—१३७० (ई० उ०) : गृह्यसत्ताकर, विद्यादत्ताकर, क्रियादत्ताकर आदि ग्रन्थों के रचयिता बम्बेश्वर ।

- १३००—१३८० (ई० उ०) : वैदिक सहिताओ एव ब्राह्मणो के भाष्यो के सप्रहवर्ता सायण ।
- १३००—१३८० (ई० उ०) : पराशरस्मृति की टीका पराशरभाष्यीय तथा अन्य ग्रन्थो के रचयिता एव सायण के भाई भाषवाचार्य ।
- १३६०—१३९० (ई० उ०) : मदनपाल एव उनके पुत्र के संरक्षण मे मदनपारिजात एव महागैवप्रकारा समुहोत किये गये ।
- १३६०—१४४८ (ई० उ०) : गणाबाक्यावली आदि ग्रन्थो के प्रणेता विद्यापति के जन्म एव मरण की तिथियाँ । देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ बेवर्तह के पुत्र शिर्वातह द्वारा विद्यापति को दिये गये विसपी नामक ग्राम-दान के शिलालेख मे चार तिथियो का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा—शक १३२१, सवत् १४५५, ल० स० २८३ एव सन् ८०७) ।
- १३७५—१४४० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्य की टीका शीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गास्तवविवेक एव अन्य ग्रन्थो के लेखक गूलपाणि ।
- १३७५—१५०० (ई० उ०) : विशाल निबन्ध धर्मतत्त्वकलानिधि (भाट्ट, व्यवहार आदि के प्रकारो मे किमाजित) के लेखक एव नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र ।
- १४००—१५०० (ई० उ०) : तन्त्रशास्त्रिक के टीकाकार सोमेस्वर की न्यायमुधा ।
- १४००—१४५० (ई० उ०) : मितसू मिय का विवादचन्द्र ।
- १४२५—१४५० (ई० उ०) : मदनसिंह देव राजा द्वारा समुहोत विशाल निबन्ध मदनरत्न ।
- १४२५—१४६० (ई० उ०) : शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर ।
- १४२५—१४९० (ई० उ०) : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति ।
- १४५०—१५०० (ई० उ०) : दण्डविवेक, गणाहृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान ।
- १४९०—१५१२ (ई० उ०) : दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिंहप्रसाद का एक भाग है ।
- १४९०—१५१५ (ई० उ०) : दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके भाग ये हैं—श्राद्धसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्तसार आदि ।
- १५००—१५२५ (ई० उ०) : प्रतापहरददेव राजा के संरक्षण मे समुहोत सरस्वतीविलास ।
- १५००—१५४० (ई० उ०) : शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द ।
- १५१३—१५८० (ई० उ०) : प्रयोगरत्न, अन्वयैष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसोपु के लेखक नारायण भट्ट ।
- १५२०—१५७५ (ई० उ०) : श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व आदि तत्त्वो के लेखक रघुनन्दन ।
- १५२०—१५८९ (ई० उ०) : टोडरमल के संरक्षण मे टोडरानन्द ने कई सौस्यो मे शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक एव अन्य १५ विषयो पर ग्रन्थ लिखे ।
- १५९०—१६२० (ई० उ०) : वृत्तनिर्णय या धर्मद्वैतनिर्णय के लेखक वाचर भट्ट ।
- १५९०—१६३० (ई० उ०) : वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एव दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित ।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : निर्णयसिन्धु तथा विवादताम्रव्य, गूढनमस्तार आदि अन्य २० ग्रन्थो के लेखक कवलाकर भट्ट ।

- १६१०—१६४० (ई० उ०) : मित्र मिथ का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, श्राद्धप्रकाश आदि।
- १६१०—१६४५ (ई० उ०) : प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मसूमा में (धर्या—नीति-मयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भगवन्तमास्कर के लेखक नीलकण्ठ।
- १६५०—१६८० (ई० उ०) : राजधर्मकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव।
- १७००—१७४० (ई० उ०) : वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल।
- १७००—१७५० (ई० उ०) : तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के लेखक नागेश मट्ट या नागोजिमट्ट।
- १७९० (ई० उ०) : धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।
- १७३०—१८२० (ई० उ०) : मिताक्षर पर 'बालम्मट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्मट्ट।

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

अध्याय	विषय	पृष्ठ
क.	प्राक्कथन	-७-
ख.	उद्घरण-संकेत	-११-
ग.	इंग्लिश नामों के संकेत	-११-
घ.	प्रमुख ग्रन्थों और लेखकों का काल निर्धारण	-१४-
१.	धर्म का अर्थ और धर्मशास्त्रों का परिवय	३
	(१) धर्म का अर्थ	३
	(२) धर्म के उपादान	५
	(३) धर्मशास्त्र ग्रन्थों का निर्माणकाल	७
	(४) धर्मसूत्र	९
	(५) गौतम-धर्मसूत्र	१०
	(६) बौधायन-धर्मसूत्र	१४
	(७) आपस्तम्ब-धर्मसूत्र	१७
	(८) हिरण्यनेशि-धर्मसूत्र	२०
	(९) वसिष्ठ-धर्मसूत्र	२१
	(१०) विष्णु-धर्मसूत्र	२३
	(११) हारीत-धर्मसूत्र	२५
	(१२) शाल-लिखित-धर्मसूत्र	२६
	(१३) मानव-धर्मसूत्र (?)	२७
	(१४) कौटिल्य का अर्थशास्त्र	२८
	(१५) वैश्वानर-धर्मप्रश्न	३४
	धर्म संबंधी अन्य सूत्रग्रन्थ	
	(१६) अत्रि	३५
	(१७) उशाना	३६
	(१८) कृष्ण एव काण्व ; (१९) करमण एव कारमण ; (२०) वार्ष	३७
	(२१) श्यवन ; (२२) जातुकर्म्य ; (२३) देवत ; (२४) वैठीतसि ; (२५) बुध	३८
	(२६) बृहस्पति ; (२७) मर्यादा एव मात्याज	३९
	(२८) शाताठप ; (२९) सुमनु	४०

(३०) स्मृतियाँ	४०
(३१) मनुस्मृति	४२
(३२) दोनो महाशास्त्र (रामायण-महाभारत , (३३) पुराण	४८
(३४) याज्ञवल्क्य स्मृति	४९
(३५) पराशर-स्मृति	५४
(३६) नारद-स्मृति	५५
(३७) बृहस्पति	५६
(३८) वात्स्ययन	५८
(३९) अगिरा	५९
(४०) ऋष्यशृंग (४१) वाष्पाजिनि , (४२) घृतुविपाति मत , (४३) दश	६०
(४४) पितामह , (४५) पुलस्त्य , (४६) प्रचेता	६१
(४७) प्रजापति , (४८) मरीचि , (४९) यम	६२
(५०) लोमोक्षि , (५१) विश्वामित्र , (५२) व्यास	६३
(५३) पट्टजित-मा	६४
(५४) सगर या स्मृति-संग्रह	६४
(५५) सवत	६४
(५६) हारीत	६५
(५७) भाष्य (टीका) एव निबन्ध	६५
(५८) अगहाय , (५९) भर्तृयता , (६०) विश्वरूप	६६
(६१) मारचि , (६२) श्रीकर	६८
(६३) मेघातिथि	६९
(६४) घारेश्वर भोजदेव , (६५) देवस्वामी	७०
(६६) जितेन्द्रिय , (६७) बालक , (६८) बालरूप	७१
(६९) योग्लोच , (७०) विमानेश्वर	७२
(७१) वामघेनु , (७२) हलायुध , (७३) मवदेव ऋ	७४
(७४) प्रकाश	७५
(७५) पारिजात , (७६) गाविन्दराज	७६
(७७) लक्ष्मीनर ना वल्लभ , (७८) जीमूतवाहन	७७
(७९) अपराज	७९
(८०) प्रदीप , (८१) श्रीधर वा स्मृत्यसंसार	८०
(८२) अनीन्द्र , (८३) बलभक्तसेन , (८४) हरिहर	८१
(८५) देवण्य ऋषी स्मृतिचन्द्रिका , (८६) हरदत्त	८२
(८७) ऐन्द्रि , (८८) गुण्डू मठ	८३
(८९) श्रीवत्त उपाध्याय , (९०) चण्डेश्वर	८४
(९१) हरिनाथ , (९२) मायवापाय	८५

(९३) मदनपाल एव विदवेश्वर मट्ट	८१
(९४) मदनरत्न ; (९५) घूलपाणि	८७
(९६) रुद्रपर , (९७) मिसरू मिश्र	८८
(९८) वाचस्पति मिश्र , (९९) नृसिंहप्रसाद	८९
(१००) प्रतापरुद्रदेव , (१०१) गीविन्दानन्द , (१०२) रघुनन्दन	९०
(१०३) नारायण मट्ट , (१०४) टोडरानन्द	९१
(१०५) नन्द पण्डित (१०६) कमलानर मट्ट	९२
(१०७) नीलकण्ठ मट्ट	९३
(१०८) मित्रमिश्र का वीरमित्रोदय , (१०९) अन्नन्तदेव	९४
(११०) नागोजिमट्ट , (१११) बालकृष्ण मट्ट या बालभूमट्ट	९५
(११२) कामीनाथ उपाध्याय , (११३) जगन्नाथ तर्कवाचस्पति	९६
(११४) निष्कर्ष	९७

द्वितीय खण्ड

अध्याय विषय

१. धर्मशास्त्र के विविध विषय	१०१
२ वर्ण	१०९
३ वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार	१४२
४ अस्पृश्यता	१६७
५ दासप्रथा	१७२
६ साक्षार	१७६
७ उपनयन	२०८
८. आश्रम	२६४
९ विवाह	२९८
१० मधुपर्क तथा अन्य आचार	३०८
११ बहुपत्नीकता, बहुमनूकता तथा विवाह के अधिकार एवं कर्तव्य	३१२
१२ विधवाधर्म, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा	३१०
१३ नियोग	३३८
१४ विधवा विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक)	३४२
१५ सती प्रथा	३४८
१६ वेत्या	३५१
१७ आर्हिक एवं आचार	३५५
१८ पञ्च महायज्ञ	३८१
१९ देवयज्ञ	३८८



२०. वैश्वदेव	४०४
२१. नृपक्ष या मनुष्य-यज्ञ	४०८
२२. भोजन	४१३
२३. उपाकर्म एव उत्सर्जन	४३६
२४. अप्रधान गृह्य तथा अन्य कृत्य	४४०
२५. दान	४४७
२६. प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग	४८२
२७. वानप्रस्थ	४९०
२८. सन्यास	५०८
२९. श्रौत (वैदिक) यज्ञ	५२४
३०. दश-पूर्णमास	५३५
३१. चातुर्मास्य (ऋतु सबधी यज्ञ)	५४१
३२. पशुबन्ध	५४५
३३. अग्निष्टोम	५५६
३४. अन्य सोमयज्ञ	५६४
३५. सोत्रामणी, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ	



प्रथम खण्ड
धर्म का अर्थ आदि



अध्याय १

धर्म का अर्थ और धर्मशास्त्रों का परिचय

१ धर्म का अर्थ

'धर्म' शब्द उन सरकृत शब्दां म है जिनका प्रयोग कई अर्थों म होता आया है। यह शब्द अनेक परिवर्तनों एव विपर्ययो के चक्र मे घूम चुका है। ऋग्वेद की ऋचांमा म यह शब्द या तो विरोध के रूप म या सजा के रूप में प्रयुक्त हुआ है (धमन्' के रूप मे तथा सामान्यत नपुंसक लिंग म)। इस शब्द का इस रूप मे प्रयोग छणन बार हुआ है। वेद की भाषा मे उन दिना इस 'ध' का वास्तविक अर्थ क्या था यह कहना असाध्य है। स्पष्टत यह शब्द 'धृ' धातु से आता है जिसका तात्पर्य है धारण करना आत्मन् देना पालन करना। ऋग्वेद की कुछ ऋचांमा म यथा १ १८७ १, १० १० २ तथा १० ० १ ३ म धम शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है 'चित्तु अर्थ स्थाना म यह या तो नपुंसक लिंग म है या उस रूप म जिते हम पुल्लिंग एव नपुंसक दोनों समझ सकते है। अधिक स्थाना पर धम 'धार्मिक विधि' या 'धार्मिक क्रिया-सम्कारा' के रूप मे ही प्रयुक्त हुआ है यथा ऋग्वेद १ २२ १८, ० २६ ६ ७ ४३ २४, ९ ९४ १ आदि स्थाना पर। ऋग्वेद की १ १६४ ४३ तथा १० ९० १६ वाली 'तानि धर्माणि प्रथमायासन्' ऋचा उपर्युक्त धमन को धर्माणित करती है। इसी प्रकार प्रथमा धर्मा (ऋग्वेद ३ १७ १ एव १० ५६ ३) तथा 'सजता धर्माणि (ऋग्वेद ३ ३ १) का अर्थ प्रथम प्रथम विधियां तथा प्राचीन विधियां है। बही-बही यह अर्थ नहीं भी प्रकट हुआ यथा ४ १३ ३ '५ ६३ ७, ६ ७० १, '७ ८९ ५ 'जहाँ पर धम का अर्थ निश्चित नियम' (अथवा स्या या सिद्धांत) या 'आचरण नियम' है। धम शब्द के उपर्युक्त अर्थ वाङ्मनेयी गृहिया म भी मिलते है (२ ३ तथा ५ २७) एवं स्थान पर हम प्रथम धमना का प्रयोग या मिलता है। वही हम 'धम' (धम मे) शब्द का बहुत प्रयोग भी मिलता है। ऋग्वेद क बहुत म मत्र अथवा वेद म मिलते है जिनम धमन्

१ ऋग्वेद, (१ १८७ १) चित्तु नृ स्त्रीव महो धर्माणि तद्विद्योम्। एते शुक्ल धनुर्वर (३४७) में भी आया है। ऋग्वेद, (१० ९२ २) इमम-ज्जायामुभय अश्वत्थ धर्माणामनि विरथाय तापनम्। ऋग्वेद, १० २१ ३ (एते धर्माणि आसते ब्रह्मणि सिञ्चन्वारीव)।

२ आ प्रा रज्जति विष्वाति धार्मिका दमोक देव हृद्युते हवाय धमने।

३ धमना मित्रावकथा विपदिताता वता एवम अगुराव मायदा।

४ धावापुविधो ब्रह्मस्य धमना विचरभिते अत्रे भूरितेता।

५ अजितो धमव धर्मा धृयोपि म जलतामादेवतो देव रीतिव।

६ देविष्ट, १० २९ तथा २० ९।

शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद (१.९.१७) में 'धर्म' शब्द का प्रयोग "धार्मिक क्रिया सस्वार करने से अर्जित गुण" के अर्थ में हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में 'धर्म' शब्द सबल धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शान्दोग्योपनिषद् (२.२५) में धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अर्थ मिलता है, जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी हैं—(१) यज्ञ, अथवा एव दान, अर्थात् गृहस्थाधर्म, (२) तपस्या अर्थात् तपस धर्म तथा (३) ब्रह्मचारिय अर्थात् आचार्य के गृह में अन्त न कर रचना। "यहाँ 'धर्म' शब्द आश्रमों के विरक्षण कर्तव्यों की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'धर्म' शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मान्य वे विशेषाधिकारों, वस्तुओं बन्धनों का जोनक, आम जाति के सदस्य की आचार-विधि का परिचायक एव वर्णाश्रम का शोतक हो गया। तीसरीयोंपनिषद् में छात्रों के लिए जो 'धर्म' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह इसी अर्थ में है, यथा "मन्य वद", "धर्म चर". आदि (१.११)। नगपद्गीता के 'स्वधर्मो नियम श्रेय' में भी 'धर्म' शब्द का यही अर्थ है। धर्मशास्त्र-साहित्य में 'धर्म' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार मुनियों ने मनु से सभी वर्णों के धर्मों की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी (१.२)। यही अर्थ याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पाया जाता है (१.१)। तन्त्रसाहित्य के अनुसार धर्मशास्त्रों का कार्य है वर्णों एव आश्रमों के धर्मों की शिक्षा देना। "मनुस्मृति के व्याख्याता मेघातिथि के अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के पाँच स्वरूप माने हैं—(१) वर्णधर्म, (२) आश्रमधर्म, (३) वर्णाश्रम धर्म, (४) नैमित्तिक धर्म (यथा प्रायश्चित्त) तथा (५) गुणधर्म (अभिहित राजा के संरक्षण-सम्बन्धी वस्तु)।" इस पुस्तक में 'धर्म' शब्द का यही अर्थ लिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में 'धर्म' की कतिपय मनोरम परिभाषाओं की ओर संकेत करना अपेक्षित है। पूर्वमीमांसा-युग में जैमिनि ने धर्म को 'वेदविहित प्रेरक' उपाधों के अर्थ में स्वीकार किया है, अर्थात् वेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के अनुसार पढ़ना ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-कारणों से है, जिनसे आनन्द मिलता है और जो वेदों द्वारा प्रेरित एव प्रशसित हैं। वैदिकयुगकारने धर्म की यह परिभाषा की है—धर्म बही है जिससे आनन्द एव निभोग्य की सिद्धि हो।" इसी प्रकार कुछ एजागी परिभाषाएँ भी हैं, यथा 'अहिता परमो धर्मः' (सुजातसभा, १.१५.१),

७. अविद्या चेत्य धर्मा युवोपिम (१.५.१.३), यज्ञेन यतमवजन्त (७.५.१), प्राणि पशु चित्तयमे (७.२७.५)।

८. नृत्त सत्यं तपो राष्ट्र धर्मो धर्मश्च धर्म च। भूतं भविष्यदुच्छिष्टे धीर्षु तर्कमोचनं धने ॥

९. धर्मस्य योत्साजनीति तमभ्युत्कृष्टेपथविदभिषेक्षप्रेतयार्वाभिमन्त्रयंत (ऐतरेय ब्राह्मण, ७.१७)। तुंसी हो एव उचित ८.१३ में भी है। उपनिषदों एव संस्कृत में भी 'धर्मन्' शब्द बहुवाचि-सामास के पदों में आया है, यथा 'अनुच्छिन्तिधर्मा' (बृहदारण्यकोपनिषद्) तथा 'धर्माद्विद्धुं वेदकालं' पाणिनि (५.४.१२४) का सूत्र।

१०. प्रयो धर्मस्वन्मयः यतोऽप्यन दानमिति प्रथमस्तस्य एवेति द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यगुरुद्वारा तु त्रयोऽस्यन्तमसमानमाचार्यमुत्तेज्यसाद्यन्। सत्यं एते पुष्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थांस्मृतत्वमेति।

११. 'सर्वधर्मसूत्राणां वर्णाश्रमधर्मोपदेशितवान्', पृष्ठ २३७।

१२. गीतम-धर्मसूत्र (१.९.१) के व्याख्याता हरदत्त तथा मनुस्मृति (२.२५) के व्याख्याता गोविन्दराज ने भी धर्म के ये ही पाँच प्रकार उपासित किये हैं।

१३. धोदनात्तजोऽर्थो धर्मः (पूर्वमीमांसा सूत्र, १.१.२)।

१४. अथानो धर्मं व्याख्यायामः। मनीष्युस्वनि-श्रेयसार्थादिः स धर्मः (संज्ञेयिक सूत्र)।



‘आनुशस्य परो धर्म’ (वनपर्व, ३७३ ७६), ‘आचार’ परमो धर्म’ (मनुस्मृति, १०८) धर्म को श्रुति प्रमाणक माना है। “बोद्ध धर्म-साहित्य में धर्म शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। धर्म शब्द की सम्पूर्ण विज्ञा का द्योतक माना गया है। इस अस्तित्व का एक तत्त्व अर्थात् जड़ तत्त्व के अभाव में शक्ति का एक तत्त्व भी माना गया है।”

२. धर्म के उपादान

गीतमधर्मसूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है। “जो धर्मज्ञ हैं जो वेदों को जानते हैं उनका मत ही धर्म प्रमाण है ऐसा आपस्तम्ब का वचन है।” “ऐसा ही वचन यमिष्ठधर्मसूत्र का भी है (१४६)।” मनुस्मृति के अनुसार धर्म के उपादान पाँच हैं—सम्पूर्ण वेद, वेदों की परम्परा एक व्यवहार साधुओं का आचार तथा भ्रामसुष्टि। “एसा ही बात याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पायी जाती है— वेद, स्मृति (परम्परा से बना आया हुआ ज्ञान) सदाचार (भद्र लोका के आचार व्यवहार), जो अर्थों को त्रिय (अच्छा) रूप तथा उचित सत्य से उत्पन्न प्रतिबन्धता या इच्छा य ही परम्परा से चले आये हुए धर्मोपादान हैं।” उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि धर्म के मूल उपादान है वेद स्मृति तथा परम्परा से चला आया हुआ शिष्टाचार (सदाचार)। वेदा में स्पष्ट रूप से धर्म नियमक विधियाँ नहीं प्राप्त होतीं किन्तु उनमें प्रासंगिक निर्देश अवश्य पाये जाते हैं और कालान्तर के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों की प्रवृत्तियों की आरंभता भी मिलती है। वेदा में लगभग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह, विवाह प्रकार वृष प्रकार गाद ल्या, सम्पत्ति-बँटवारा विषयगत (धनीयत), श्राद्ध, स्त्रीधन जैसे विधियाँ पर प्रकाश पड़ती हैं। वेदा की श्रुतियों में स्पष्ट है कि भ्रातृहोम कन्या को वर मित्रता पठित था। “कालान्तर में धर्मशास्त्रों का उद्भव मनुस्मृति में भ्रातृविराज का नाम दिया है विषय में जा चर्चा हुई है वह वेदों की परम्परा में सुवी हुई है।” विवाह के विषय में शब्द नहीं १०८१

१५ अथानो धर्म व्याख्यायाम । श्रुतिप्रमाणको धर्म । श्रुतिरच द्विविधा, वैदिकी तांत्रिकी च । कुल्लूक द्वारा मनु० (२-१) में उद्धृत।

१६ An element of existence, i.e. of matter, mind and forces vide Dr. Stehlschibatsky's monograph on the central conception of Buddhism (1923), P 73

१७ वेदो धर्मसूत्रम् । तद्विदो च स्मृतिर्लोके । (गीतमधर्मसूत्र, १.१२) ।

१८ धर्मतमस्य प्रमाण वेदाद्यः । (आपस्तम्ब धर्मसूत्र, १.१.२) ।

१९. श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः । तदलाभे शिष्टाचार प्रमाणम् । शिष्टः पुनरुक्तमात्मा ।

२०. वैशोडिको धर्मसूत्रस्मृतिनाले च तद्विदाम् । आचारसंचय साधुनामात्मना कृष्टिरथ च ॥ मनु० २६ ।

२१. श्रुति स्मृति सदाचार इत्यथ च त्रियमात्मनः । सम्पद् मरुत्पन्न कामा धर्मसूत्रविव स्मृतम् ॥ याज्ञवल्क्य, १.३ ।

२२. हेतिय, जर्नेल आक दि ग्रान्से ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसायटी (J P B P A S), जिन् २६ (१९२२), पृ० ५७ ८२ ।

२३. अनाश्रुति विप्रो तत्वा सर्वा सायानारा मदगस्तत्वादिभ भगम् । चाग्द, २ १७ ७ । देवण, श्रुतद १ १२४ ७, ६५५, अजयवेद, १ १७ १ तथा निदण, १ ४५ ।

२४. अतीगमो आश्रमकोमयमानास्योत्रनाम् । माशयवच, १ ५३, देविण, मनुस्मृति ३ ११ ।

वाणी श्रुति आज तक गायी जाती है और विवाह-विधि में प्रमुख स्थान रखती है।" धर्मसूत्रों एवं मनुस्मृति में वर्णित शास्त्र विवाह-विधि को अलक्ष्य वैदिक समय में भी मिला जाती है।" वैदिक काल में आसुर विवाह अज्ञात नहीं था।" गान्धर्व विवाह की भी चर्चा वेद में मिलती है।" आरस पुत्र की महत्ता की भी चर्चा आयी है। ऋग्वेद में लिखा है—अनीरस पुत्र, पाहू वह पदूत ही नुन्दर क्यों न हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए।" तैत्तिरीय संहिता में तीन श्रुतियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।" धर्मसूत्रों में वर्णित ऐत्रज पुत्र को चर्चा प्राचीनतम वैदिक साहित्य में भी हुई है।" तैत्तिरीय मन्त्रिता में आया है कि पिता अपने जीवन-काल में ही अपनी सम्पत्ति का वंटवारा अपने पुत्रों में कर सकता है।" इसी संहिता में यह भी धारणा है कि पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सत्र दण्ड दे दिया।" ऋग्वेद में यह आया है कि भार्गव अपनी बहिन को पतन सम्पत्ति का कुछ भी भाग नहीं देता।" प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मशास्त्र-लेखकों ने तैत्तिरीय संहिता के एक मथन पर विश्वास रखकर स्त्री को विधव (दसीयत) में जल्द कर दिया है।" ऋग्वेद ने विवाहोन्नीवन (ब्रह्मचर्य) की प्रशंसा की है, शतपथब्राह्मण ने ब्रह्मचारी के बान्ध्या की चर्चा की है, यथा मदिग-ग्राम में दूर रहना तथा सध्याकाल में अग्नि में समिधा डालना।" तैत्तिरीय संहिता में आया है कि जब दण्ड ने बतिया का कुत्रो (भेड़ियों) के (दाने के) लिए दे दिया, तो प्रजापति ने उससे लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की।" शतपथब्राह्मण ने राजा तथा विद्वान् ब्राह्मणों को पवित्र अनुशासन पालन करनेवाले

२५. गृह्याणि ते ह्युभगतवाय (ऋग्वेद, १०.८५.३६)। देखिए, आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र, २.४.१४।

२६. गौरवधर्मसूत्र ४.४; बीयायनधर्मसूत्र १.२.२; आपस्तम्बधर्मसूत्र, २.५.११.१७; मनुस्मृति, २.२७।

२७. यमिष्ठधर्मसूत्र १.३६.२७; देखिए, आपस्तम्बधर्मसूत्र २.६.१३.११, जहाँ बन्ध्या-ध्व्य की व्याख्या की गयी है, और देखिए, पूर्वमीमांसासूत्र, ६.१.१५—'ऋतय धर्ममात्रवयम्।'

२८. अत्रा वधुर्मवति यत्सुवेसाः स्वयं सा मित्र वधुते गाने चित्। ऋग्वेद, १०.२७.१२।

२९. न हि प्रभादारक्षैः कुत्रोर् अन्धोर्वी मनसा मन्तया उ। ऋग्वेद, ७.५.८।

३०. जायतानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋग्वेदान् जायते, ब्रह्मघर्षेण ऋग्विभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पिण्डभ्यः।

तैत्तिरीय संहिता, ६.३.१०.५।

३१. को वां शमुत्रा विधवेय देयरं मयं न योवा कृणुते तपरय आ। ऋग्वेद, १०.४०.२।

३२. मनुः पुत्रेभ्यो दायं स्वयजत्। तैत्तिरीय संहिता, ३.१.९.४। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२.६.१४.११)

तथा; बीयायनधर्मसूत्र (२.२.२) में इसका अन्तर्ग्रहण किया है।

३३. तस्मात्ज्येष्ठ पुत्रं यत्नेन निरवसाययन्ति। तैत्तिरीय संहिता २.५.२.७। इस कथन को और आपस्तम्बधर्मसूत्र (२.६.१४.१२) तथा बीयायनधर्मसूत्र (२.२.५) में संक्षेपित किया है।

३४. न जायते तावो विधवमारंभु—ऋग्वेद, ३.३१.२। देखिए, निरवत (३.५३) का व्याख्या।

३५. तस्मात्स्त्रियो मितिर्ऋत्या मवावादीरपि पापात्सु उपतितताः बदन्ति। तैत्तिरीय संहिता, ६.५.८.२।

३६. ब्रह्मचारी चरति धेदिवद्विद्यः स देवानो भवत्येवमज्जम्। ऋग्वेद, १०.१०९.५। शतपथब्राह्मण (११.५.४.१८) में आया है—'तदाह.। न ब्रह्मचारी तन्मध्यवनीयात्।' तुलना कीजिए, मनुस्मृति, २.१७७। 'तन्मि' के लिए देखिए शतपथब्राह्मण (११.३.३.१)।

३७. इति यवान् नामाबुन्ध्वः प्रायश्चित्ते मेपातिपि (मनुस्मृति, ११.४५) में इसका उद्धरण किया है। देखिए, ऐतरेयब्राह्मण, ७.२८, ताण्ड्यमहाब्राह्मण, ८.१.४, १३.४.१७ तथा अथर्ववेद, २.५.३।

(धृतव्रत) कहा है।^{१४} तैत्तिरीय संहिता में कहा है—‘अत गूढ यज्ञ के योग्य नहीं है।’ एतरेय ब्राह्मण का कथन है कि जब राजा या कोई अन्य योग्य गुणी अतिथि आता है तो लोग बेल या गों-मयघी उपहार देने हैं।^{१५} ‘तपयब्राह्मण ने वेदाध्ययन को यज्ञ माना है और तैत्तिरीयारण्यक ने उन पाँच यज्ञों का वर्णन किया है जिनकी धर्मों मनुस्मृति में भली प्रकार हुई है।’ ऋग्वेद में गाय घोड़ा साने तथा परिषाता के दान की प्रशंसा की गयी है।^{१६} ऋग्वेद ने उस मनुष्य की मत्सना की है जो केवल अपना ही स्वाय देवता है।^{१७} ऋग्वेद में प्रथा की चर्चा हुई है यथा—‘गू महर्षीमि मे प्रथा के सदृश है।’^{१८} जैमिनि क व्याख्याता शबर तथा याज्ञवल्क्य ने व्याख्याता विचरूप में प्रथा (वह स्थान जहाँ यात्रियों को जल मिलता है) के ऋण व्यवस्था बतलायी है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालान्तर में धर्मशास्त्रों एवं धर्मशास्त्रों में जो विधियाँ बनलायी गयीं उनका मूल वैदिक साहित्य में अक्षुण्ण रूप में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों ने वेदों को जो धर्म का मूल कहा है वह उचित ही है। किन्तु यह सत्य है कि वेद धर्म-सम्बन्धी निबन्ध नहीं हैं वहाँ तो धर्म-सम्बन्धी बातें प्रसंगिक आती गयी हैं। वास्तव में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषयों के यथातथ्य एवं नियमनिष्ठ विवेचन के लिए हम स्मृतियों की ओर ही मुवता पड़ता है।

३ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल

धर्म-सम्बन्धी निबन्धों तथा नियमपरक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी धर्मों का प्रणयन जब से आरम्भ हुआ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर दे देना सम्भव नहीं है। निररत (३ × ५) में प्रकट होता है कि यास्न के बहुत पहले रिषयाधिकार के प्रश्न को लेकर गरभागरम बाद विवाद उठ खड़ा हुआ था यथा पुत्रों तथा पुत्रियों का रिषय नियम तथा पुत्रियों के अधिपार। हो सकता है कि रिषयाधिकार (वर्गीयत) सम्बन्धी इस प्रकार के बाद विवाद बालान्तर में लिपिबद्ध हो गये हों। वर्गीयत-सम्बन्धी बातों की ओर यास्न ने जिन प्रकार से संकेत किया है उससे झलकता है कि उन्होंने कुछ धर्मों की ओर निर्देश किया है जिनमें वेदों में बचना या उद्धरण दिये गये थे।^{१९} एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्गीयत के विषय में यास्न ने एक पद्य का उद्धरण दिया है जिसे वे

।

१८ एव च श्रोत्रियवर्चतो हर्षं द्वौ मनुष्ययु धृत्वासी। तपयब्राह्मण, ५४४५।

१९ तस्माच्छूद्रो यत्तन्नवकल्पत। तैत्तिरीय संहिता, ७।११६।

२० तदधर्मबाधो मनुष्यराज आगते यस्मिन्वाहस्पृशान् वा वेहन वा शकत एवमस्मा एतत्कारते यदग्नि मन्वति। एतरेय ब्राह्मण, १।१५। तुलना कीजिए—वसिष्ठधर्मसूत्र, ४८।

२१ पञ्च वा एते महायज्ञा सतति प्रतापते सतति सतिष्ठते देवयज्ञं पित्र्यतो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः। तैत्तिरीयारण्यक, २।१०७।

२२ उच्चा दिवि बलिषापावतो अत्युप्ये अदवदा सह ते सूर्येण। हिरण्यवा अमृतरवं भक्तते वामोदात्तोम प्रतिरत आपु। ऋग्वेद, १०।१०७२

२३ देवलायो महनि देवलाही। ऋग्वेद १०।११७६।

२४ धर्मत्रिष प्रथा अति एवमन इयन्ते प्ररवे प्रतन राजन्। ऋग्वेद १०।४१।

२५ अर्चतो ब्राम्या रिषयप्रतिपथ उवाहरति क्यत्तं पुत्रियाया इत्यथ।

श्रद्धा न बहवर दलोर बहते हैं।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ दलोर-छन्द मे या दलोरो (अनुष्टुप्) मे प्रणीत थे। मुहलर जैसे विद्वान् तो ऐसा बहगे कि पच-अष्ट वार्ते स्मृतिशील घो, जो जनता की स्मृति मे यो नो बहती आती थी।" यदि धर्म-सम्बन्धी विषयो के ग्रन्थ वास्तु के पूर्व विद्यमान थे तो धर्मशास्त्रीय ग्रन्थो की तिथि यदुत प्राचीन मानी जायगी। इस विषय म अन्य प्रमाण भी है। गौतम, बोधायन तथा आपस्तम्ब के धर्मसूत्र निरिधत रूप से ईसापूर्व ६०० और ३०० के बीच के है। गौतम ने धर्मशास्त्रो की चर्चा की है, बोधायन (४५९) ने भी 'धर्मशास्त्र' शब्द का प्रयोग किया है।" बोधायन ने 'धर्म-पाठो' की चर्चा भी है (११.९)। गौतम ने यहूत से धर्मशास्त्रो के शब्द 'इत्येके' बहकर उद्धृत किये हैं (यथा २. १५, २५८, ३१, ४२१, ७२३)। उन्होने मनु की ओर एव बार तथा 'आचार्यो' की ओर कई बार (३.३६, ४१८ एव २३) संवैत किया है।" बोधायन ने औपनिषदि, ब्राह्म, कण्व, गौतम, मोद्गल्य तथा हारीत नामक धर्मशास्त्रचारो के नाम गिनाये हैं। आपस्तम्ब ने भी एव, बण्क, कौश्ल, हारीत आदि श्रुतियो के नाम लिये हैं। एव वार्तिक भी है जिसने धर्मशास्त्र की चर्चा की है।" धर्मशास्त्र मे लिखित सूत्र-कलंव्य की ओर जैमिनि ने संवैत किया है।" पतञ्जलि ने लिखा है कि उनवे समय मे धर्मसूत्र थे और उनवे प्रमाण मयवान् की आज्ञा के बाद महस्वपूर्ण माने जाते थे।" उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र वास्तु के पूर्व उपस्थित थे, कम-से-कम ई० पू० ६००-३०० के पूर्व तो वे ये ही और ईसा-पूर्व की द्वितीय शताब्दी मे वे मानव-आचार के लिए सबसे बडे प्रमाण माने जाते थे।

इस-ग्रन्थ मे सम्पूर्ण धर्मशास्त्र पर विवेचन निम्न प्रकार से होगा। पहले धर्मसूत्रो का विवेचन होगा, जिनमे आपस्तम्ब, हिरण्यवेदी तथा बोधायन सम्बन्धे सूत्र-ग्रन्थ हैं, गौतम तथा द्वापिष्ट यदुत बडे सपह नहीं है। कुछ धर्मसूत्र, यथा बिल्कु, अन्य सूत्र-ग्रन्थो से बाद के है, कुछ सूत्र-ग्रन्थ, यथा शस्त्र लिखित, पीठीनाति, बेवल उद्धरण-रूप मे विद्यमान हैं। धर्मसूत्रो के उपरान्त हम मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति आदि स्मृतियो का विवेचन उपारम्भ करेंगे। इसवे उपरान्त नारद, बृहस्पति, ब्राह्मयामन की स्मृतियो का वर्णन होगा, जिनमे अन्तिम दो बेवल उद्धरणो मे ही मालतो हैं। महाभारत, रामायण तथा पुराणो ने भी धर्मशास्त्र के विचार मे महस्वपूर्ण योग दिया है। अत इत विषय म इतकी चर्चा होगी। अनन्तर विद्वरूप, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर, अपराच, हरदत्त नामक स्मृति-टीकाओ का वर्णन

४६. तवैतदुबलोलोकाभ्यामभ्युक्तम्। अङ्गाङ्गारसम्भवति...स जीय शरवः शतम्। अविशेषेण पुत्राणां शयो भवति धर्मतः। निपुणानां विद्वानां च मनुः स्वायम्भुवोऽश्रयीत्॥

४७. 'संकेत ब्रह्म आफ दि ईस्ट', जिल्व २५, भूमिजा भाग।

४८. गौतमधर्मसूत्र, १.२१—'तद्य च षड्वहारी वेदो धर्मशास्त्रात्प्राणि उपवेदाः पुराणम्।' 'व्याघ्रमे-विद्वत्प्रय' वाच्य (गी० ध० सू० २८-४७) धर्मशास्त्र के छात्रो की ओर संवैत करता है।

४९. श्रीनि प्रथमायनिर्देश्यानि मनुः। गौतमधर्मसूत्र, २.७।

५०. धर्मशास्त्र च तथा। देसिए, महाभाष्य, जिल्व १, पृ० २४२।

५१. शुद्धय धर्मशास्त्रवात्। पूर्वमीमांसा सूत्र, ६७.६।

५२. नैवेद्यर अज्ञानयति मादि धर्मसूत्रशरताः यदन्ति; मयवार्देक्षतां वाध्यन्तामिति। महाभारत, जिल्व १, पृ० ११५ तथा जिल्व २, पृष्ठ ३६५। पतञ्जलि ने 'आपस्तम्ब शरताः विद्वत्प्रयमीमांसाः' (जिल्व १, पृ० १४) उद्धृत किया है, जिते देसिए—'आपस्तम्बधर्मसूत्र (१.७.२०.३) 'तद्यथा चैतानां विमिते छाया मय्य हायन्त्ययेते।' पतञ्जलि ने कहा है—'तलं न विवेकव्यं मांति न विवेकतम्यम्' तथा 'तोममलं स्पृष्टं च तीव्र वतंयम्' (जिल्व १, पृ० २५)।

उपस्थित किया जायगा इसके उपरान्त धर्म के सक्षिप्त नीति-संग्रह, यथा हेयाद्रि, टोडरमल, नीलकण्ठ आदि का विवेचन होगा।

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों का काल-निर्णय बड़ा कठिन काम है। मैक्समूलर तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार सूत्र-ग्रन्थों के उपरान्त अनुष्टुप् छन्द वाले ग्रन्थ प्रणीत हुए।^{१३} किन्तु यह मत प्रस्तुत लेखकों को मान्य नहीं हो सकता। उन दिनों के ग्रन्थों के विषय में हमारा ज्ञान इतना न्यून है कि इस प्रकार का सामान्योचरण नमीचीन नहीं है। श्लोक-छन्द वाला ग्रन्थ मनुस्मृति कुछ धर्मसूत्रों से, जैसे विष्णुधर्मसूत्र से प्राचीन और वसिष्ठधर्मसूत्र का समकालीन है। कुछ प्राचीनतम धर्मसूत्रों में, यथा बौधायन धर्मसूत्र में, लम्बे-लम्बे प्रबन्ध श्लोक-छन्द में पाये जाते हैं, और उनमें कुछ तो उद्धरण भग्न हैं। यहाँ तक कि आपस्तम्ब में भी बहुत-से श्लोक पाये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्लोक बद्ध ग्रन्थ धर्मसूत्रों से पूर्व भी विद्यमान थे। दूसरी अतिरिक्त आपस्तम्ब तथा बौधायन के समय में धर्म-सम्बन्धी एक बृहत् साहित्य था, जो आज उपलब्ध नहीं है।

४. धर्मसूत्र

आरम्भ में बहुत-से धर्मसूत्र कल्पसूत्र के अग्रे और उनका अध्ययन स्पष्ट रूप से चरणों (शाखाओं) में हुआ करता था। कुछ विद्यमान धर्मसूत्रों में पता चलता है कि उनका अपने चरण के गृह्यसूत्र भी रहे होंगे।^{१४} सभी चरणों के धर्मसूत्र आज उपलब्ध नहीं हैं। आश्वलायन श्रौत एव गृह्यसूत्रों का कोई धर्मसूत्र नहीं है, यही बात मानव श्रौत एव गृह्यसूत्र तथा शाक्यायन श्रौत एव गृह्यसूत्रों के साथ पायी जाती है, अर्थात् इनके धर्मसूत्र नहीं हैं, किन्तु आपस्तम्ब, हिरण्यवेशी तथा बौधायन चरणों में कल्प-परम्परा की सम्पूर्णता पायी जाती है, अर्थात् इनके तीनों श्रौत, गृह्य एव धर्म सूत्र हैं। कुमारिल के तन्त्रवार्तिक से एक मनीहूर बात का पता चलता है। उक्तका कहना है कि गौतम (धर्मसूत्र) तथा गोमिल (गृह्यसूत्र) का अध्ययन छन्दोग (सामवेदी लोग) करते थे, वसिष्ठ (धर्मसूत्र) का ऋग्वेदी लोग, धारा लिखित (धर्मसूत्र) का वाजसनेयी संहिता के अनुयायी गण तथा आपस्तम्ब एव बौधायन के सूत्रों का अध्ययन तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी-गण करते थे।^{१५} जैमिनि (१३-११) की व्याख्या में तन्त्रवार्तिक ने एक सिद्धान्त-सा मान लिया है कि सभी आर्यों के लिए सभी धर्मसूत्र तथा गृह्यसूत्र प्रमाण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरम्भ में सभी चरणों में धर्मसूत्र नदी थे, किन्तु परास्परिक म कुछ चरणों ने कुछ धर्मसूत्रों को अपना लिया। धर्मसूत्रों का सम्बन्ध आर्य जाति के सदस्यों के आचार-नियमों से था, अतः कालान्तर में सभी धर्मसूत्र सभी शाखाओं के लिए प्रमाण-स्वरूप भाग्य हो गये।

५३. डेलिप, 'संक्रैड मुक आफ वि ईस्ट', जिल्व २, पृ० ९, किन्तु प्रो० मॅक्समूलर एवं प्रो० बी० धार० मण्डारकर (कांग्रेसकेन्द्रित व्याख्यान, १९१८, पृ० १०५-१०७) के विरोध में डेलिप, गोल्डस्टूरर का 'पणिनि' (पृ० ५९, ६०, ७८)।

५४. अग्निविद्वयों परितमसूत्र समिध आदध्यान् साय प्रतयंयोपवेदाम् (आपस्तम्बधर्मसूत्र, १.१.४.१६), अग्निविद्वया प्रताश्रंभैरिन् परित्तुशाति (आपस्तम्बगृह्यसूत्र, १.१२), एव, इभमाबायाधारावाधायति इधंपूर्न-मासवत्सुणीम् (आपस्तम्बगृह्यसूत्र, २.५)। श्रेयमुन्नमष्ट्याहोमे (बौधायनधर्मसूत्र, २.८.२०); यह बौधायनगृह्यसूत्र-२.११.४२ की ओर संकेत करता है; मूर्धलगाटनासाप्रयमाणः यातिरुच्य वृत्स्य ऋषा (बी० ध० सू० १.२.१६) बौधायनगृह्यसूत्र २.५.६६ की ओर संकेत करता है।

५५. तन्त्रवार्तिक, पृ० १७९ (पूर्वमीमांसामुत्र, १.३.११ की व्याख्या में)।

विषय-वस्तुओं एवं प्रकरणों में धर्मसूत्रों का गृह्यसूत्रों से गहरा सम्बन्ध है। अधिकतर गृह्यसूत्रों के विषय हैं—पूत गृहाग्न, गृह्यश-विभाजन, प्रात-नाश की उपासना, अमावस्या और पूर्णमासी की उपासना, पके भोजन का हवन, वार्षिक यज्ञ, विवाह, पुसवन, जातकर्म, उपनयन एवं अन्य सस्कार, छात्रों, स्नातकों एवं छुट्टियों के नियम, श्राद्ध-कर्म, मधुपर्क। गृह्यसूत्रों का सम्बन्ध अधिवाश घरेलू जीवन की चर्चाओं से है, वे मनुष्य के आचारों, अधि-कारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, अर्थात् इन बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध न-कुछ-सा है। इसी प्रकार धर्मसूत्रों में भी उपर्युक्त कुछ विषय-वस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते हैं, यथा विवाह, सस्कारों, विद्याधिया, स्नातकों, छुट्टियों, श्राद्ध एवं मधुपर्क के विषय में। धर्मसूत्रों में गृह्यजीवन के क्रिया-सत्कारों के विषय में चर्चा कभी ही कभी पायी जाती है, और वह भी बहुत कम, क्योंकि उनकी विषय-भरिधि बहुत विस्तृत होती है। धर्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार, विधि-नियम (धानु) एवं क्रिया-सत्कारों की विधि-वत् चर्चा करना। आपस्तम्ब गृह्य एवं धर्म के बहुत-से सूत्र एवं ही हैं।^१ कभी-न-भी गृह्य-सूत्र धर्मसूत्र की ओर निर्देश भी कर बैठते हैं।^२ कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनके द्वारा धर्मसूत्रों (अधिकतर प्राचीन धर्मसूत्रों) एवं स्मृतियों में आन्तरिक भेद भी उपरिष्ठत किया जा सकता है, और वे लक्षण निम्न हैं—(क) बहुत-से धर्मसूत्र या तो प्रत्येक चरण के कल्प के माग हैं या गृह्यसूत्रों से गहरे रूप से सम्बन्धित हैं। (ख) धर्मसूत्र कभी-कभी अपने पट्टण तथा अपने वेद के उद्धरण के प्रति पक्षपात प्रदर्शित करते हैं। (ग) प्राचीन धर्मसूत्रों के प्रणेता-भग्न अपने को ऋषि या अति मानव नहीं कहते,^३ किन्तु स्मृतियों के लेखक, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य, ब्रह्मा ऐसे देवताओं के समरस एव दिये गये हैं, अर्थात् इनके लेखक मानव नहीं कहे जाते, वे अतिमानव हैं। (घ) धर्मसूत्र गद्य में या मिश्रित गद्य-पद्य में हैं, किन्तु स्मृतियाँ पद्यबद्ध हैं। (ङ) धर्मसूत्रों की भाषा स्मृतियों की भाषा की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। (च) धर्मसूत्रों की विषय-वस्तु एवं तारतम्य से व्यवस्थित नहीं है, किन्तु स्मृतियों (यहाँ तक कि प्राचीनतम स्मृति मनु-स्मृति) में ऐसी व्यवस्था नहीं पायी जाती है, प्रत्युत इनको विषय-वस्तु तीन प्रमुख धीपकों में है, यथा आपार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त। (छ) अधिकतम धर्मसूत्र अधिकतम स्मृतियों से प्राचीन हैं।

५ गौतम का धर्मसूत्र

विद्यमान धर्मसूत्रों में गौतमधर्मसूत्र सबसे पुराना है।^४ इसे विशेषतः सामवेद के अनुयायी पढ़ते थे। परब्रह्म

५६. यथा, वालाशी दण्डो ब्राह्मणस्य ... इत्यवर्णनायोगेनेव उपविशन्ति। आप० सू०, ४.१७, १५, १६

तथा आप० ध० १.१.२.३८।

५७. यथा, आप० सू० (८.२१.१) में आया है—'माति श्राद्धशतापरपदो यपोपदेशं कालाः,' जिसका निर्देश है आप० ध० सू० (२.७. १६. ४-२२) की ओर।

५८. तुलना कीजिए—गी० घ० १. ३-४ तथा आप० ध० सू० १.२.५.४ 'तस्माद्दुषयोऽवरेण न जायते नियमातिक्रमात्' तथा आप० ध० सू० २.६. १३.९ 'तदग्वीश्व प्रयुञ्जान. सोदायवरः।'

५९. गौतमधर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है, यथा डा० स्टेंडलर का संस्करण (१८७६), बत्तार का संस्करण (१८७६), में आनन्दबोध संस्करण, जिसकी हस्तलिखित की टोपी है तथा मंगूर संस्करण, जिसमें मल्लरी का मध्य भी है, जिसका अर्थही अनुवाद ब्रह्मर ने मूजिहा के साथ किया है (श्रीकेट्ट बुक आफ रिईड, जिल्ड २)। इस मध्य में आनन्दबोध का तन् १९१० वाला संस्करण नाम में लाया गया है।

की टीका से पता चलता है कि गौतम सामवेद की राणायनीय शाखा के नौ उपविभागों में से एक उपविभाग के आचार्य, शाखाकार थे। सामवेद के लाट्यायनश्रौतसूत्र (१३३ तथा १४१७) तथा ब्राह्मणश्रौतसूत्र (१४१७, ९३.१५) में गौतम नामक आचार्य का वर्णन अधिकतर आया है। सामवेद के गोमिलगृह्यसूत्र (३१०६) में गौतम को प्रमाण-स्वरूप माना है। अतः प्रतीत होता है, श्रौत, गृह्य एवं धर्म के सिद्धान्तों से सम्बन्धित एक सम्पूर्ण गौतमसूत्र था। गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्ध था इसमें कोई सन्देह नहीं। गौतम एक जातिगत नाम है। कठोपनिषद् में नचिकेता (२४१५, २५६) एवं उसके पिता (१११०) दानो गौतम नाम से पुकारे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् में हारिद्रुमत्त गौतम नामक एक आचार्य का नाम आया है (४४३)।

टीकाकार हरदत्त के अनुसार गौतमधर्मसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। कल्कत्ता वाले सस्करण में 'कर्मविपाव' नामक एक और अध्याय है, जो १९वें अध्याय के उपरान्त आया है। गौतमधर्मसूत्र की विषय सूची बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार है—(१) धर्म के उपादान, मूल वस्तुओं की व्याख्या के निम्न चारों वर्णों के उपनयन का बाल, प्रत्येक वर्ण के लिए उचित मेलला (करघनी), मृगधर्म, परिधान एवं दण्ड, शौच एवं आचमन के नियम, गुरु के पास पहुँचने की विधि, (२) यज्ञोपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम, ब्रह्मचारी के नियम, छात्रों का नियन्त्रण, अध्ययन-काल, (३) चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, मिथु एवं वैदानस के वतव्य, (४) गृहस्थ के नियम, विवाह, विवाह के समय अवस्था, विवाह के आठों प्रकार, उपजातियाँ, (५) विवाहोपरान्त समोग के नियम, प्रतिदिन के पचयज्ञ, दानों के फल, मधुपर्क, कतिपय जातियों के अतिथिया के सम्मान करने की विधि, (६) माता पिता, नातेदारों (स्त्री एवं पुरुष) एवं गुरुओं को सम्मान देने के नियम, मार्ग के नियम, (७) ब्राह्मण की वृत्तियाँ के बारे में नियम, विपत्ति में उसकी वृत्तियाँ, वे वस्तुएँ जिन्हें न तो ब्राह्मण ले सकता न न्य कर सकता था, (८) ५० सस्वार तथा ८ आध्यात्मिक गुण (यथा दया, क्षमा आदि), (९) स्नातक तथा गृहस्थ के आचरण, (१०) चार जातियों के विलक्षण कर्तव्य, राजा के उत्तरदायित्व, कर, स्वामित्व के उपादान, कोप-सम्पत्ति, नाबालिग के धन की अभिभावकता, (११) राजधर्म, राजा के पुरोहित के गुण, (१२) अपमान, गाली, आत्रमण, चोट, बलात्कार, कई जातियों के लोगो की चोरी के लिए दण्ड, ऋण देने, सूदखोरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्ड के विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, श्रम का भुगतान, जमा, (१३) साक्षियों के विषय में नियम, मिथ्याचार का प्रतिष्कार, (१४) जन्म-मरण के समय अपवित्रता (अग्नीच) के नियम, (१५) पाँचों प्रकार के श्राद्ध श्राद्ध के समय न बुलाये जाने योग्य व्यक्ति, (१६) उपाकर्म, वयं में वेदाध्ययन का बाल, उसके लिए छुट्टियाँ एवं अवसर, (१७) ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भोजन के विषय में नियम, (१८) नारियों के कर्तव्य, निमोग एवं इसकी दशाएँ, नियोग से उत्पन्न पुत्र के बारे में चर्चा, (१९) प्रायश्चित्त के कारण एवं अवसर, पापमोचन की पाँच बातें (जप, तप, होम, उपवास एवं दान), पवित्र करने के लिए वैदिक मन्त्र, जप करनेवाले के लिए पूत भोजन, तप एवं दान के विभिन्न प्रकार, जप के लिए उचित स्थान, बाल आदि; (२०) प्रायश्चित्त न करनेवाले व्यक्ति का परित्याग एवं उसके लिए नियम, (२१) पापियों की धैर्यता, महापातक, उपपातक आदि, (२२) ब्रह्महत्या, बलात्कार, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय या किसी अन्य पशु की हत्या से उत्पन्न पापों के लिए प्रायश्चित्त, (२३) मदिरा तथा अन्य बुरी वस्तुओं के पान, व्यभिचार, अस्वामाधिक अपराधों तथा ब्रह्मचारी द्वारा किये गये बहुत प्रकार के उल्लंघनों के लिए प्रायश्चित्त, (२४ २५) महापातक एवं उपपातक के लिए गुप्त प्रायश्चित्त, (२६) वृच्छ एवं अतिवृच्छ नामक व्रत, (२७) चा-द्रायण नामक व्रत, सम्पत्ति विभाजन, स्त्रीधन, पुनः सन्धि, द्वादश प्रकार के पुत्र, वसीयत।

गौतमधर्मसूत्र केवल गद्य में है। इसमें उद्धरण रूप में भी कोई पद्य नहीं मिलता। अन्य धर्मसूत्रों में ऐसी

बात नहीं है। मही-नही अनुष्टुप् छन्द की ध्वनि अवश्य मिल जाती है।" बोधायन एव आपस्तम्ब ने धर्मसूत्रों की भाषा की अपेक्षा गौतमधर्मसूत्र की भाषा पाणिनि के नियमों के बहुत समीप आ जाती है। लयता है, कालान्तर में इसने टोकाकारो तथा विद्याधियों ने पाणिनि के नियमों के अनुसार इसमें यतस्तत हेरफेर कर दिया। किन्तु ऐसी ही बात बोधायन एव आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों में क्यों नहीं पायी जाती, यह कहना बर्था है। गौतमधर्मसूत्र आरम्भ में किसी विशिष्ट कल्प से सम्बन्धित नहीं था, अतः इसकी भाषा में परिवर्तन होना सम्भव था। किन्तु यह बात आपस्तम्बधर्मसूत्र के साथ नहीं पायी जाती, न्यायि यह आपस्तम्ब कल्प का एव भाग था। टोकाकार हेरदत्त ने, जिन्होंने गौतम एव आपस्तम्ब दोनों की टोका की है और जो स्वयं एव वट्टे वंशात्तर थे, स्थान-स्थान पर धर्मसूत्र के व्याकरण-सम्बन्धी दोषों की आर सवेत किया है और पाणिनि के अनुसार चरने पर वा दिया है।"

गौतमधर्मसूत्र में एव लम्बे साहित्य की आर विस्तृत सवेत है। इसने वैदिक संहिताओं एव ब्राह्मणों में अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की चर्चा की है—उपनिषद् (१९, १३), ब्रह्मसूत्र (८ ५ तथा ११ १९), इतिहास (८ ६), पुराण (८ ६ तथा ११ १९), उपवेद (११ १९), धर्मशास्त्र (११ १९)। इसने मामधिधान-ब्राह्मण से उद्धरण लिया है। तैत्तिरीय आरण्यक से भी छ सूत्र लिये हैं। गौतम ने आन्वीक्षिकी (११ ३) की ओर भी सवेत किया है। इसने ब्रह्महत्या, मदिरा-भान (सुरा-भान), गुरु-भ्या-श्रयोग (गुरु-तल्प-भग्न) नामक पापों के विषय में चर्चा करते हुए केवल मनु धर्माचार्य का नाम लिया है। गौतम ने इतना ही अन्य आचार्यों के बधना का भी हवाला दिया है (यथा, ३. ३५, ४ १८)। 'एवेधाम्' (२८ १७ तथा ३८) एव 'एवे' (२ १५, ४० तथा ५६, ३ १, ४ १७, ७ २३ आदि) बहुरे पूर्व आचार्यों की ओर भी सवेत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व धर्मशास्त्र के क्षेत्र में बहुत-से ग्रन्थ थे और उनकी पर्याप्त चर्चा थी। गौतम (११ २८) निरवत (११ ३) की स्मृति भी करा देते हैं।"

गौतम के विषय में सबसे प्राचीन सवेत बोधायनधर्मसूत्र में मिलता है। उत्तर या दक्षिण में किसी नियम की मान्यता के विषय में चर्चा करते हुए बोधायन ने गौतम का हवाला दिया है और कहा है कि नियम समरे लिए, चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का हो, बराबर है (गो० ध० सू० ११ २०)। एव स्थान पर यह करते हुए कि 'यदि ब्राह्मण अध्यापन, यजमानी या दान से अपनी जीविका न चला सके तो वह क्षत्रिय की भाँति जीविका पात्रा कर सक्ता है', बोधायन ने गौतम की विरोधी बात की ओर सवेत किया है।" किन्तु आज का विद्यमान गौतमधर्मसूत्र बोधायन वाली ही बात मानता है।" ही मक्ता है कि आज की प्रति में यह बात धेयक रूप में प्रविष्ट हो गयी हो।

६०. आशोभानुतर्हिषामु त्रिरात्र परमं तपः (२३-२७)।

६१. गौतमधर्मसूत्र में कई एक अवागिनीय रूप पाये जाते हैं, यथा "द्वारिषदात्" के स्थान पर "द्वारिषदते" आया है (१-१४)।

६२. 'दृष्टो दमनादित्वाहुतोनादान्तान् दमयेत्' विद्वत् में आया है 'दृष्टो ददते... दमनादितोना-दमयेत्'।

६३. अध्यापनधारात्रप्रतिहृत्सावाः क्षत्रधर्मेण जीवेत्प्रयत्नतरत्वात्। नेति गौतमोऽप्युचो हि क्षत्रधर्मो ब्राह्मणस्य। गो० ध० सू०, २. २. ६९, ७०।

६४. धारात्राध्यापनप्रतिहृत्साः सर्वेषाम्। सूत्रं, पूर्वो गुद। तरत्तामे क्षत्रधर्ति। तरत्तामे सर्वेषाम्। गो० ध० सू०, ७.४-७।



जीवाम्ब ने कुछ परिवर्तन करने गौतमधर्मसूत्र के उन्नीसव अध्याय को जिसमें प्रविष्ट के विषय में वर्वा है, सम्पूर्ण रूप में अपना लिया है। जीवाम्ब एव गौतम के बहुत से सूत्र एक दूसरे के मिलते-जुलते हैं, यथा गौतम, ३ २५-३४ एव वाधायन, २ ६ १७, गौ० ३ ३ एव २५ तथा गौ० २ ६ ११-१२ आदि।

बसिष्ठधर्मसूत्र ने भी गौतम को दो स्यातो (४ ३४ एव ३६) पर उद्धृत किया है। बसिष्ठ ने गौतम क उन्नीसव अध्याय को अपना चाईसवा अध्याय बना लिया है। इतना ही नहीं, दोनों के बहुत-से सूत्र एव ही हैं यथा गौतम, ३ ३१-३३ एव बसिष्ठ, ९ १-३, गौ० ३ २६ एव बसिष्ठ ९ १० आदि। मनुस्मृति (३ १६) ने गौतम को उत्तम्य का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्य न भी उ-ठ धर्मशास्त्रकारों में गिना है (१ ५)। अपराक ने भविष्यपुराण में एक पद्य उद्धृत किया है जा गौतम व गुरापात निषेध वाले सूत्र सा ही है। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूब (११ १४६ पृ०) न गौतम व २० २ को उन्नीस पुराण में दसा है। तन्मवातिन के लेखक कुमारिक ने गौतम के लगभग ८२ कर्तव्य सूत्र उद्धृत किये हैं। शबररायण ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य (३ १ ८ एव १ ३ ३८) में गौतम के ११ २९ तथा १२ ४ वर्त गुरा का उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विद्मरुप ने गौतम के बहुत-से सूत्रों की ओर मरुत किया है। मनुस्मृति व सायणार मवातिथि ने गौतम को अधिवाण म उद्धृत किया है (यथा मनु० के २ ६, ८ १२५ आदि श्लोकों में भाष्य के सिलसिले में)।

उपर्युक्त विवरण से हम गौतमधर्मसूत्र के प्रणयनकाल के निर्णय पर कुछ प्रकाश पा सकते हैं। गौतम नामविद्यान-ब्राह्मण के बहुत बाद जाते हैं। वे यास्क के बाद के हैं और उनके समय में पाणिनि का व्याकरण था तो था ही नहीं और यदि था तो वह तब तब अपनी महना नहीं स्थापित कर सका था। उनका उर्पणा ग्रन्थ वा नायन एव बसिष्ठ को ज्ञात था और सन् ७०० ईसापूर्व वह ही रूप में था। गौतमधर्मसूत्र में (ब्राह्मणवाद पर) बुद्ध अथवा उनके अनुयायियों द्वारा विवेचने गये धार्मिक आक्षेपों की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमधर्मसूत्र ईसा पूर्व ४००-६०० के पहले ही प्रणीत हो चुका था।

हरदत्त ने मिताधारा नाम से गौतमधर्मसूत्र पर एक विद्वत्पूर्ण टीका लिखी है। इस विषय में ८६वें प्रकरण में पुन कुछ बड़ा जायगा। उन्होंने इस धर्मसूत्र के अन्य भाष्यकारों की वर्वा की है। कामनपुत्र मस्वरी ने भी इस पर भाष्य लिखा है। किन्तु काल क्रम में ये हरदत्त के उपरान्त जाते हैं। असहाम नामक एक अन्य टीकाकार है (द्वितीय प्रकरण ५९)।

मिताधारा, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव आदि ने किसी स्त्रोत्र-गौतम को भी उद्धृत किया है। अपराक, हेमाद्रि तथा माधव के बुद्ध-गौतम, तथा दत्तकमीमासा (५० ७२) ने बुद्ध-गौतम तथा बुद्ध-गौतम दोनों को एव ही सर्वत्र में उद्धृत किया है। निस्संदेह में 'गौतम' बहुत बाद के ग्रन्थ है। जीवानन्द ने बुद्ध-गौतम की स्मृति को २२ अध्यायों एव १७०० पद्यों में प्रकाशित किया है (भाग १, पृ० ४९७-६३६), जहाँ यह लिखित है कि युधिष्ठिर ने इच्छा से चारों जातियों के धर्मों के बारे में पूछा। वास्तव में, ये धर्मशास्त्र बाद के हैं, केवल 'गौतम' नाम आ जाने से किसी प्रकार की धारा करना व्यर्थ एव निराधार है, क्योंकि गौतमधर्मसूत्र एव दून गौतम नाम वाले ग्रन्थों में बहुत से भेद हैं।

६५. प्रतिवेद्य गुरापाने मद्यत्य च नराधिपः । द्विजोत्तमानामेवोपतः सतत गौतमादिभिः ॥ भविष्यपुराण, अपराक (पृष्ठ १०७६) द्वारा उद्धृत।
६६. देविए, पराशर-भाष्यबोध, जिल्द १, भाग १, पृ० ७।

६ वीधायनधर्मसूत्र*

वीधायन कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य थे। वीधायनधर्मसूत्र ग्रन्थ पूर्ण रूप से अना नहीं प्राप्त हो सका है। आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी की मति यह पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं रह सका है। डा० बर्नेल ने वीधायन के सूत्रों को छः प्रकरणों—श्रौतसूत्रों को १९ प्रश्नों में, वर्मान्तसूत्र को २० अध्यायों में, दैधिसूत्र को चार प्रश्नों में, गृह्यसूत्र को चार प्रश्नों में, धर्मसूत्र को चार प्रश्नों में एवं शुक्लसूत्र को तीन अध्यायों में रखा है। इसी प्रकार डा० आर० शांमसास्त्री, डा० बॅलेण्ड आदि ने अपने अपने ढंग से इस धर्मसूत्र को गठित किया है। वीधायनगृह्यसूत्र ने स्वयं वीधायन के मत को उद्धृत किया है। वीधायनधर्मसूत्र ने वीधायनगृह्यसूत्र को उर्चा की है। वीधा० गृह्य० (३.११) में हमें पदकार आश्रय, यत्तिकार कौण्डिन्य, प्रवचनकार कण्व वीधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम मिलते हैं।^१ वीधायनधर्मसूत्र में (२५, २७, ऋषितपणं) कण्व वीधायन, आपस्तम्ब सूत्रकार तथा सत्यापाड हिरण्यकेशी जन्म आते हैं। उपर्युक्त वाता से स्पष्ट होता है कि जब वीधायनधर्मसूत्र लिखा गया तब कण्व वीधायन एक प्राचीन ऋषि माने जा चुके थे, और वे किसी भी प्रकार से गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र के लेखक नहीं माने जा सकते। हो सकता है कि वीधायन कण्व वीधायन के बराबर हो। गोविन्दरवामी ने भी वीधायन को वाणवायन कहा है। धर्मसूत्र में कई बार वीधायन स्वयं एक प्रमाण माने गये हैं। स्पष्ट है, धर्मसूत्रकार वीधायन ने अपने पूर्वज को, जिनका नाम कण्व वीधायन था, कई बार उद्धृत किया है। वीधायनधर्मसूत्र की विषयसूची निम्न है।

प्रश्न १—(१) धर्म के उपादान, शिष्ट बोन है? परिपद्, उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न आचार-व्यवहार, शिष्टी एवं मिश्रित जातियों के स्थान, मिश्रित जातियों के जाने के कारण प्रायश्चित्त, (२) ४८, २४ या १२ वर्षों का छात्रत्व, उपनयन एवं मेरुला का बाल, प्रत्येक जाति के लिए चर्म, दण्ड, ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य, ब्रह्मचर्य की प्रशंसा, (३) अध्ययन एवं उचितारण की परित्तमाप्ति के उपरान्त अविवाहित स्नातक के कर्त्तव्य, (४) स्नातक के विषय में घड़े को ले जाने के बारे में आदेश, (५) शारीरिक एवं मानसिक अशौच, कतिपय पदार्थों का निर्मलीकरण या पवित्रीकरण, जन्म-मरण पर अपवित्रता (अशौच), सपिण्ड एवं सनुत्य का अर्थ, दसीयत के नियम, शव एवं रजस्वला स्त्री को छूने पर तथा कुत्ते के बाटने पर पवित्रीकरण, बोन-से मास या भोजन निषिद्ध है और बोन-से नहीं, (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, ईपन, बरतन तथा यज्ञ के अन्य पदार्थों का पवित्रीकरण, (७) यज्ञ-महत्ता के विषय में नियम, यज्ञ-पात्र, पुरोहित, यागिक तथा उत्तरी स्त्री, पी, पशुपान-दान, अपराधी, सोम एवं अग्नि के विषय में नियम, (८) धारण चर्म और उपजातियाँ; (९) मिश्रित जातियाँ; (१०) राजा के कर्त्तव्य, पंच महापातक एवं उनसे बचने के लिए दण्ड-विधान, पशियों को मारने पर दण्ड, साक्षी, (११) अष्ट विवाह, छुट्टियाँ। प्रश्न २—(१) ब्रह्महत्या एवं अन्य पापों के लिए प्रायश्चित्त, ब्रह्महत्या समाप्ति

६७. इस धर्मसूत्र का सम्पादन कई बार हुआ है—डा० हुता ने सितप्रणि में सन् १८८४ में इसे प्रकाशित किया। आनन्दबाम स्मृति-संग्रह, मैसूर संस्करण सन् १९०७ में छपे, जिन पर गोविन्द स्वामी की टीका है। इसका सबसे अनुबाध (भूषिण के साथ) सैन्डेड बुरु आफ बि ईस्ट, जिस् १४ में है।

६८. अर्थ दक्षिणतः प्राचीनवासीनि संस्थापनाय कलिङ्गये तित्तिर्यं उत्सायोत्सापात्रयं आश्रयाय पशुकाराय कीर्णद्वयाय कृत्तिकाराय कञ्जाय वीधायनाय प्रवचनकारात्सापरतम्बाय सूत्रकाराय सत्यापाडाय हिरण्य-केसाय वासुदेवाय वासिष्ठवाय भरद्वाजायानिन्देयायाचार्येभ्य ऋषेरेतोभ्यो वासुदेवेभ्यो वासुदेवेभ्य एवलीभ्य ऋषयामोति।

पर ब्रह्मचारी के लिए सगोन वन्या से विवाह करने, ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्रायश्चित्त, छोटे-छोटे पाप, पराव, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र नामक व्रतों का वर्णन, (२) वसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पुत्र का भाग औरस पुत्र के स्थान पर अन्य प्रति-व्यक्ति, वसीयत से निषेध, नागी की आश्रितता, पुरपो एवं स्त्रियों द्वारा व्यभिचार किये जाने पर प्रायश्चित्त, नियोग-नियम, विपत्ति में जीविका के उपाय, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-वर्तव्य, (३) स्नान, आचमन, वैदवदेव, भोजन-दान जैसे गृहस्थ-वर्तव्य, (४) सन्ध्या, (५) स्नान, आचमन, मूर्ध-उपरिधान, देवो, ऋषिया, पितरों को तर्पण करने के नियम, (६) प्रतिदिन के पंच महायज्ञ, चारों ऋतियों एवं उनके वर्तव्य, (७) भोजन-नियम, (८) श्राद्ध, (९) पुत्रो एवं पुत्रों से उत्पन्न आध्यात्मिक लाभ की प्रशंसा, (१०) सत्यागम के नियम। प्रश्न ३—(१) शालीन एवं मायावर नामक गृहस्था की जीविका के उपाय, (२) 'पण्डितवर्ती' नामक वृत्ति के उपाय, (३) अरण्यवासी साधु के वर्तव्य एवं वृत्ति, (४) ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ के नियमों के विरोध में जाने पर (पालन, न करने पर) प्रायश्चित्त, (५) परम पवित्र अधमर्षण पढ़ने की पद्धति, (६) प्रसूतयावक का त्रियासस्नान, (७) कृष्णाण्ड नामक शोषक होम, (८) चान्द्रायण व्रत, (९) बिना साये वेदोच्चारण, (१०) पाप वाटने के लिए पवित्रोच्चारण एवं अन्य पदार्थों के निर्मूलोत्तरण के लिए सिद्धान्त। प्रश्न ४—(१) वर्जित भोजन सा लेने या वर्जित पेय पी लेने आदि पर प्रायश्चित्त, (२) कतिपय पापों के मोचन के लिए प्राणायाम एवं अधमर्षण (३) गुप्त प्रायश्चित्त, (४) प्रायश्चित्तस्वरूप कतिपय वैदिक मन्त्र (५) जप, होम, इष्टि एवं यज्ञ द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के साधन, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, सान्त्वन, पराव, चान्द्रायण नामक व्रत, (६) पवित्र मूल मन्त्र, इष्टियों का जप; (७) यज्ञ की प्रशंसा, होम में प्रयुक्त कतिपय वैदिक मन्त्र, (८) लाटपन्थ नामक साधनो में लिप्त लोगों की भर्त्सना, कुछ विशिष्ट दशाओं में किसी अन्य व्यक्तित्व द्वारा उन पदार्थों की प्राप्ति को अनुज्ञा।

बोधायनधर्मसूत्र अपनी सम्पूर्णता के साथ आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः चौथा प्रश्न शेषक है। इसके आठ अध्यायों के अधिक अंश पद्य में हैं। शैली में भी मिश्रता है। इस धर्मसूत्र में बहुत-सी बातें बार-बार आयी हैं। तीसरे प्रश्न का दसवाँ अध्याय गौतमधर्मसूत्र से लिया गया है। इस प्रश्न का छठा अध्याय विष्णुधर्मसूत्र के अठतालीसवें अध्याय से माया-सम्बन्धी बातों में बहुत मिलता है। बोधायनधर्मसूत्र रचना में कुछ निश्चित एवं आवश्यकता से अधिक विस्तृत है। स्वयं गोविन्दस्वामी ने इस ओर सकेत किया है। रचना-व्यवस्था में सतर्कता प्रदर्शित नहीं की गयी है। इसकी भाषा प्राचीन है।^{११}

बोधायन को निम्न ग्रन्थ ज्ञात थे—चारो वेद, यानी तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक-उपनिषद् समेत सभी वेदों की संहिताएँ, शतपथ ब्राह्मण आदि। उन्हें मालवी की भाषा से परिचय था, जिसमें आर्या-वर्ण की भौगोलिक सीमाएँ दी गयी थी, इतिहास और पुराण का भी वर्णन आया है। छ वेदों की भी चर्चा पायी जाती है। बोधायन ने निम्नलिखित वर्मशास्त्रकारों के नाम लिये हैं—औपजपनि, कात्य, काश्यप, गौतम, प्रजापति, मनु, मोद्गल्य, हारीत। बोधायनधर्मसूत्र में बहुत-से धर्म-सम्बन्धी उद्धरण पाये जाते हैं, इनसे सिद्ध है कि उसने पूर्व बहुत से ग्रन्थ विद्यमान थे।

बोधायन वहाँ के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना कठिन है। वर्तमान काल में बोधायनीय लोग अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाये जाते हैं। वेदों के प्रसिद्ध माध्यमकार मारुण बोधायनीय थे। विन्तु बोधायन ने

११. ननु द्विजातिषु स्वरुमस्येषु इति सूत्रवित्तये क्रिमिति सूत्रद्वयारम्भः। सत्यम्, अथ ह्याचार्यो मातीव धन्यस्तथाभिप्रायो भवति।

दक्षिणापय के लोगों को मिश्रित जातियों में गिना है, अतः वे दक्षिणी नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने को नीच जाति में बयो रखते ?

उपलब्ध बोधायनधर्मसूत्र गौतमधर्मसूत्र के बाद की कृति है, क्योंकि इसमें दो बार गौतम का नाम दिया है और तम-सो-यम एक स्थान पर उनके धर्मसूत्र से उद्धरण लिया है। गौतम ने केवल एक धर्मशास्त्राचार्य मनु का नाम लिया है, किन्तु बोधायन ने बहुतों का। बोधायन का समय उपनिषदों के बहुत बाद का है। उपनिषदों से उद्धरण लिये गये हैं, हारीत भी उद्धृत हुए हैं। मुहलर ने कहा है कि आपस्तम्बधर्मसूत्र से बोधायनधर्मसूत्र एक या दो शताब्दी पुराना है। उनका तर्क यह है कि कण्व बोधायन तर्पण में आपस्तम्ब से एव हिरण्यनेत्री से पहले ही सम्मान पाते हैं, और यही बात बोधायनगृह्यसूत्र में भी है। किन्तु यह तर्क ठीक जँचता नहीं। यह बात ठीक है कि तीनों कृष्ण-यजुर्वेदीय शाखाओं में बोधायन सबसे प्राचीन है, किन्तु इसमें यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि वर्तमान बोधायनियों का धर्मसूत्र आपस्तम्बियों से प्राचीन है। कुमारिल ने बोधायन को आपस्तम्ब से बाद का माना है। तीनों शाखाओं के संस्थापक बोधायन गृह्यसूत्र एव धर्मसूत्र में उल्लिखित हैं। हो सकता है कि दोनों को आपस्तम्ब के किसी ग्रन्थ का परिचय रहा हो और वह ग्रन्थ रहा हो आपस्तम्बधर्मसूत्र ही। बोधायन एव आपस्तम्ब में बहुत-से सूत्र समान हैं, किन्तु तुलना करने पर पता चलता है कि आपस्तम्ब बोधायन से अपेक्षात्रुण अधिक दृढ़ या अनतित्रुणगीय एव कट्टर हैं (अतः बोधायनसूत्र बहुत बाद का है)। गौतम, बोधायन तथा वसिष्ठ ने कतिपय गौण पुत्रों की चर्चा की है, किन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन हैं। गौतम बोधायन (२२ १७, ६२), वसिष्ठ और यहाँ तक कि विष्णु ने नियोग के प्रचलन को माना है, किन्तु आपस्तम्ब ने इसकी मत्संता की है (२६ १३, १-९)। गौतम एव बोधायन (१ ११ १) ने आठ प्रकार के विवाहों की चर्चा की है, किन्तु आपस्तम्ब ने प्राजापत्य, एव पंगाच (२.५. ११ १७-२० एव २५ १२, १-२) को छोड़ दिया है। इसी प्रकार बहुत-सी बातों में आपस्तम्ब के नियम कठोर एव कट्टर हैं। किन्तु इन बातों में आपार पर काल-निर्णय करना सरल नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के धर्मशास्त्रकारों में बहुत मतभेद था। कट्टरता केवल बाद में ही नहीं पायी गयी है, पहले भी ऐसी बात थी। इसी प्रकार बाद वाले धर्मशास्त्रकारों ने कट्टरता नहीं भी प्रदर्शित की है, यथा याज्ञवल्क्य ने नियोग-प्रथा को स्वीकार किया है (२.१३१)। अतः मुहलर के कथन को, कि आपस्तम्ब बोधायन से बाद का है, मानना मुक्तिसगत नहीं जँचता। बोधायन गौतम से बाद का ग्रन्थ है; इसमें सन्देह नहीं, किन्तु आपस्तम्ब से प्राचीन है; ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपस्तम्ब में बोधायन की अपेक्षा माया-सम्बन्धी बहुत अन्तर है, पाणिनि ने नियमों के विपरीत भी म्याचरण-स्यवहार है, रचना-गठन ऊब-सावट है, पुराने अर्थ में शब्द प्रयोग हैं। अस्तु, दावर के बहुत पहले से बोधायनधर्मसूत्र प्रमाण-स्वरूप माना जाता था। दादा का काल ५०० ई० है। बोधायन का काल ई० पू० २००-५०० के यही बीच में माना जाना चाहिए। बोधायन तथा आपस्तम्ब में बहुत-से सूत्र समान हैं, दोनों में बँदित उद्धरण भी बहूधा समान हैं, किन्तु इससे दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वसिष्ठधर्मसूत्र की कृत-सी बातें बोधायन में ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। मनुस्मृति में इस धर्मसूत्र की बातें पायी जाती हैं। इससे यह बात कही जा सकती है कि बोधायन, वसिष्ठ एव मनु ने किसी एक ही ग्रन्थ में ये बातें की हैं या बाह्यान्तर में इन ग्रन्थों में ये बातें धीरे-धीरे रूप में आ गयीं हैं। किन्तु धीरे-धीरे छोटा हुआ करता है और यहाँ जो बातें या उद्धरण सम्मिलित हैं, वे बहुत सम्बन्ध-सम्बन्ध हैं।

तर्पण बाने प्रकार (५.२१) में बोधायन ने शपथ की कई उदाहरणों की चर्चा की है, यथा विष्णु-विनायक, रघु, कन्द, हजिमुग, वज्रमुग, एकदल, लम्बोदर। किन्तु इसमें इसकी विधि पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। तर्पण (२.५.२३) में ऋगु एव वेणु के साथ अन्य सार्वों ऋगु के नाम आये हैं। विष्णु के बाह्यों नाम भी


आय है (२.५.२४)। बौधायन न अग्निनेता तथा नाट्याचार्य के पेशे को उपपातक कहा है। बौधायनधर्मसूत्र के भाष्यकार हैं गोविन्दस्वामी, जिनकी टीका विद्वत्ता एवं तथ्य से पूर्ण है।

७ आपस्तम्ब का धर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र के संस्करण कई बार निचले हैं, यथा हरदत्त की उज्ज्वला नामक टीका के बहुतरास के साथ युह्वर न इसे बम्बई सम्भृतमाला के अन्तगत सम्पादित किया है। हरदत्त की सम्पूर्ण टीका के साथ कुम्भकोणम् में यह छापा है, जिसका मूढिकातहित अनुवाद युह्वर ने किया है।" वृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब करपसूत्र में ३० प्रश्न हैं। आपस्तम्बीय श्रौत, गृह्य एवं धर्मसूत्र एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए थे, यह कहना बर्धन है। गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र मन्मन्वत एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए हों, ऐसा रचना-सम्बन्धी समानता देखकर कहा जा सकता है। यह बात स्मृतिचन्द्रिका में भी आयी है (३, पृ० ८५८)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र की विषय-सूची इस प्रकार है—प्रश्न १—वेद एवं धर्मज्ञों के आचार-व्यवहार धर्म के उपादान हैं, चारों वर्णों और उनका प्राथम्य, आचार्य की परिभाषा और उसकी महत्ता, वर्णों एवं इच्छा के अनुसार उपनयन का समय, उपनयन के उचित समय के अतिक्रमण पर प्रायश्चित्त, जिसके पिता, पितामह एवं प्रपितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता वह पतित हो जाता है, किन्तु प्रायश्चित्त से वह पवित्र हो सकता है, ब्रह्मचारी के वर्तव्य, उसका गुरु के साथ ४८, ३६, २४ या १२ वर्षों तक निवास, ब्रह्मचारी के आचरण के लिए नियम उसका दण्ड, भेखला एवं परिधान, भोजन के लिए मिष्टाना नियम, ममिषा लाना, अग्नि को समर्पित करना, ब्रह्मचारी के नियम उसके तप है, वर्णों के अनुसार गुरु तथा अन्य लोगों को प्रणाम करने की विधियाँ, विद्याध्ययन नोपरास्त गुरु शिक्षणा, स्नातक के लिए नियम, वेदाध्ययन के समय, स्थान एवं छुट्टियों के बारे में नियम, छुट्टियों के नियम वेदाध्ययन में प्रयुक्त होते हैं न कि वैदिक क्रिया-संस्कारों के मन्त्रों के प्रयोग में, भूता, मनुष्यों, देवताओं, पितरों, ऋषियों उच्च जाति के लोगों के सम्मान के लिए, वृद्ध पुरुषों, माता पिता, भाइयों, बहिनों तथा अन्य लोगों के लिए प्रतिदिन के पाँच यज्ञ, वर्णों के अनुसार एक-दूसरे के स्वाम्भ्य के बारे में पूछने की विधियाँ, यज्ञाधीन पहनने के अवसर, आचमन का काठ एवं दग, उचित एवं निषिद्ध भोज्य एवं पेय पदार्थों के बारे में नियम, विपत्ति-काल में ब्राह्मण की वैश्य-वृत्ति, कतिपय वस्तुओं के त्रय विक्रय के निषेध के बारे में नियम, चारी, ब्राह्मण या किसी की हत्या, सून-हत्या, ब्यभिचार (महत्तमन, स्वमृगयन आदि), मुरापान आदि गम्भीर पाप (पतनीय), अन्य पाप उतने गम्भीर नहीं हैं, यद्यपि उनमें कर्ता अपवित्र हो ही जाता है, आरम्भ, ब्रह्म, नैतिक प्रश्न-सम्बन्धी अपराध (जिनसे श्रेय, लोभ, वपट ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं) आदि आप्पात्मिक प्रश्नों का विवेचन, वे गुण जिनसे द्वारा परम ध्येय की प्राप्ति होती है, यथा श्रेय-लोभादि से छुटकारा, सच्चाई, शान्ति की प्राप्ति; क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं नारी की हत्या का प्रतिकार, ब्रह्महत्या, आश्रयो नारी-हत्या, गुरु या श्रोत्रिय की हत्या के लिए प्रायश्चित्त, गुरु-शय्या को अपवित्र करने, मुरापान, साने की चाने के लिए प्रायश्चित्त, कतिपय पक्षियों, शार्पा, वृक्षों को मारने पर, जिन्हें माली नहीं देनी चाहिए उन्हें माली देन पर, मूत्र नारी के साथ सम्भोग करने पर, निषिद्ध मांस एवं पेय सेवन करने पर प्रायश्चित्त, बारह राता तब वृच्छ के लिए नियम, चोरी क्या है, पतित गुरु एवं माता के साथ क्या व्यवहार जाना चाहिए; गुरु-शय्या अपवित्र करने पर प्रायश्चित्त के लिए कतिपय मन, पर-

नारी से सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-पुरुष से सम्बन्ध रखने पर पत्नी के लिए प्रायश्चित्त, भ्रूण (मूत्र-प्रवचन-पाठक ब्राह्मण) को मारने पर प्रायश्चित्त, अपने बचाव को छोड़कर ब्राह्मण अस्त्र-यस्त्र नहीं ग्रहण कर सक्ता, अमिवास्त (अपराधी) के लिए प्रायश्चित्त, छोटे-छोटे पापों के लिए प्रायश्चित्त, स्नातक (विद्यास्नातक, व्रतस्नातक तथा विद्याव्रतस्नातक) के बारे में श्राद्ध नियम, परिधान ग्रहण, मलमूत्र-स्वाग, लाक्षणपूर्ण बातचीत, सूखेदिपास्त न देखने, क्राधादि नैतिक दोषों से दूर रहना व सम्बन्ध में व्रत, (प्रश्न २—) पाणिग्रहण के उपरान्त गृहस्थ के व्रत आरम्भ होते हैं, भोजन-ग्रहण, उपवास, सभोग के विषय में गृहस्थाचरण के नियम, सभी वर्ण वाले अपने वर्गों एवं वर्तव्याचरण के अनुसार अपरिमित आनन्द या दुःख पाते हैं, यथा, एक ब्राह्मण चोरी एवं ब्रह्महत्या के कारण चाण्डाल हो जाता है, उसी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राज्य) भी भक्त हो जाता है, स्नानोपरान्त तीनों उच्च जातियों को वैश्वदेव करना चाहिए, आर्यों की देखरेख में दूध लगान तीन ऊँची जातियों का भोजन पका सकते हैं, परवाप की बलि, पहले अतिथि को, तब बच्चा, बुढ़ा, बीमारों, गर्मिणी स्त्रियों को भोजन देना चाहिए, उसके उपरान्त गृहस्थ स्वयं खाये, वैश्वदेव के अन्त में आनेवाले को भोजन अवश्य देना चाहिए, अपठ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं दूदों को अतिथि रूप में ग्रहण करने के नियम, एक गृहस्थ को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए या उसका प्रयोग नहीं हो पर्याप्त है, ब्राह्मण-आचार्य के अभाव में एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य आचार्यों से अध्ययन कर सक्ता है, विवाहित पुरुष का गुरु के अतिथि रूप में आने पर वर्तव्य, गृहस्थ का पढ़ाने एवं अपने आचारों के सम्बन्ध में वर्तव्य, अतिथि की जाति एवं चरित्र के विषय में सन्देश उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए, अतिथि क्या है, अतिथि-सत्कार की प्रशंसा, अग्नि-प्रतिष्ठा करने पर तथा अतिथि के राजा के पास पहुँचने पर विधि, जिसको और क्या मधुपर्क देना चाहिए, वेदांगों के नाम, वैश्वदेव के उपरान्त कुत्तों एवं चाण्डालों तक सबको भोजन देना चाहिए; सभी दान जल के साथ देने चाहिए, नीकर-चाकरा, दासा के बल पर ही दानादि नहीं करना चाहिए, अपने को, अपनी पत्नी या बच्चा को कष्ट हो जाय, किन्तु नीकरो को नहीं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, साधु आदि को जितना भोजन करना चाहिए, आचार्य, विवाह, मस, माता-पिता के भरण-पोषण के लिए, अग्निहोत्र ऐसे अच्छे तप बन्धन हो जायें, इसके लिए भील मानने की व्यवस्था, ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों के विशेष वर्ग, मुष्ट के नियम; राजा ऐसे पुराहित को नियुक्त करे जो धर्म, शासन-मन्त्र, दण्ड देने एवं व्रत करने में प्रवीण हो, अपराधानुसार मृत्यु तथा अन्य दण्ड का विधान, किन्तु ब्राह्मण न मारा जा सक्ता था, न पायल किया जा सक्ता था और न दास बनाया जा सक्ता था, मार्ग नियम, धर्मरत क्रमशः उठता हुआ उत्तम जाति को तथा अन्तः क्रमशः गिरता हुआ नीच जाति को प्राप्त होता है, जब तक बच्चे हो और पत्नी धर्मचार्य में रहती हो, दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह-योग्य स्त्री के विषय में नियम, यथा वह सभोग एवं माता की तपिष्ठ न हो, ७ प्रकार के विवाह— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मनुष्य, आसुर एवं राक्षस, पहले में जिसको जितना मान देना चाहिए, विवाहोपरान्त धातु-नियम, अपनी ही जाति की पत्नी से उत्पन्न पुत्र पिता की जाति के योग्य वर्तव्य कर सकते हैं और पिता की सम्पत्ति पर सकते हैं, वह लक्ष्मी, जो एक बार पहले विवाहित हो चुका हो, अथवा जिसका विवाह विधि के अनुकूल न हुआ हो, अथवा जो विजातीय हो, भर्तृन्ता के योग्य है, क्या लक्ष्मी औरत है, बच्चे का दान या तप नहीं हो सक्ता, पिता के जीने-की सम्पत्ति विभाजन, यशस्वर विभाजन, नपुंसक, पाण्डु एवं पाण्डिमा का वसीयत में नियम; पुत्राभाव के वसीयत नियम तपिष्ठ को मिलती है, उगने बाद आचार्य का और तब दिव्य या पुत्रों को और अन्त में राजा को प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पुत्र को अधिपत मान मिलना चाहिए, पैसा मन वेदों को मान्य नहीं है, परिपत्नी में विभाजन नहीं, वेद विद्वत्तों को एक ब्रह्मण के व्यवहार प्रमाण मान्य नहीं, सम्बन्धियों, सजातियों आदि की मृत्यु पर अपीय, उचित समय तथा स्थान में गुण्य को दान देना चाहिए; धातु, धातु का बाल; पारों आचमन; परिवाचन



अर्थात् सन्यासी के नियम, अरण्यसेवी साधु के कर्तव्य, गृणिगो की प्रशंसा एवं वृद्धाचार्यो की संवेक्षण; राजाओं के लिए विशिष्ट नियम, राजा की राजधानी एवं राजमासाद की भीव, स्वर्गीय स्थिति, सत्कार (चोरो) का विनाश, ब्राह्मणों को भूमि एवं धन का दान, जनता की रक्षा, ऐसे व्यक्ति-वस्तु-कर्म-संस्कार मिला है, व्यक्तिचार के लिए नवयुवका को दण्ड, नारी को अपमानित करने पर दण्ड, इस विषय में आर्य एवं क्षत्र नारी दोनों के अपमान में अन्तर, अपमान्य एवं नर-अप के लिए दण्ड, कतिपय आचरण भग के लिए दण्ड, चरवाहे एवं स्वामी के बीच झगडा, झगडा करनेवाला, प्रोत्साहक तथा वह जो इस कर्म का अनुमोदन करता है, अपराधी हैं, झगडा कौन तय करता है, सन्देह की स्थिति में निर्णय अनुमान द्वारा या दिव्य साक्षी द्वारा होता है, झूठी गवाही पर दण्ड, अन्य दीप धर्मों का अध्ययन (कुछ लोगों के मत से) स्त्रिया तथा सभी जातियों के लोगों से करना चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र के दो प्रश्नों में प्रत्येक स्पष्ट पटलो में विभाजित है। दोनों पटलो में क्रमशः ३२ और २९ कण्डिकाएँ हैं। आज जितने भी धर्मसूत्र विद्यमान हैं, उनमें आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक सक्षिप्त एवं सुसंगठित शैली में हैं और इसकी भाषा अधिक प्राचीन (आर्य) एवं पारिणति के नियमों से दूर है। यद्यपि यह धर्मसूत्र अधिकतर गद्य में है किन्तु यत्नस्तव पद्य भी पाये जाते हैं। 'उदाहरन्ति' या 'अथाप्युदाहरन्ति' शब्दों द्वारा आपस्तम्ब ने अन्य उपादाना से भी श्लोक आदि ग्रहण कर लिये हैं। कुल मिलाकर २० श्लोक हैं, जिनमें कम से कम छ बोधायन में भी आये हैं।

आपस्तम्ब ने संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों से भी उद्धरण लिये हैं (यथा १ १ १.१०-११, १ १. ३ ९, १ १ ३ २६, १ २ ७ ७, १ २, ७ ११, १ ३ १० ८)। तैत्तिरीयारण्यक से भी उद्धरण लिया गया है। छ वेदागो के नाम भी आये हैं—छन्द, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा के साथ-साथ छन्दोविविक्ति की भी चर्चा है। सम्भवत शिक्षा को व्याकरणके साथ मिला दिया गया है। आपस्तम्ब ने दस धर्माचार्यों के नाम गिनाये हैं, यथा एव, कण्व, काण्व, कुणिक, कुत्स, कौरव, पुष्करसादि, वाप्यामिणि, श्वेतकेतु एवं हारीत। कौरव, वाप्यामिणि तथा पुष्करसादि के नाम निरुक्त में भी आये हैं। धर्माचार्य श्वेतकेतु उपनिषद् (छान्दोग्योपनिषद्) वाले श्वेतकेतु नहीं हैं। हारीत की चर्चा बोधायन एवं वसिष्ठ ने भी की है। यद्यपि आपस्तम्ब ने गौतमधर्मसूत्र को उद्धृत नहीं किया है, तथापि वह ग्रन्थ उनकी आँखों के समक्ष अवश्य था। आपस्तम्ब ने प्रविष्यत्पुराण के मत की चर्चा भी है (स्रग्द प्रलय के उपरोक्त विद्व-सृष्टि)। एक स्थान पर (२. ११ २९ ११-१२) आपस्तम्ब ने कहा है कि वह शान, जा परम्परा से स्त्रियों एवं शूद्रों में पाया जाता है, विद्या की सबसे दूर की सीमा है, यह अथर्ववेद का पूरक है। सम्भवत आपस्तम्ब ने यहाँ पर अयंशास्त्र की ओर संकेत किया है, जो 'चरणभूह' के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद है। आपस्तम्ब ने मनु को धाद की परम्परा का सत्यापक माना है। किन्तु यहाँ के मनु मनुस्मृति के प्रणेता मनु न होकर भारतवर्ष के पूर्वज कुलपुत्र्य मनु हैं। आपस्तम्ब ने महाभारत के अनुशासनपर्व का एक श्लोक (९०-४६) उद्धृत किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का पूर्वमीमांसा से एक विचित्र सम्बन्ध है। मीमांसा के बहूत-से पारिभाषिक दास्य एवं सिद्धांत इन धर्मसूत्र में पाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि आपस्तम्ब को मीमांसामूल्य का पता था या मीमांसामूल्य की किमी प्राचीन प्रति में इस सूत्र की उद्धृत बातें ज्या-की-स्या थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र में पूर्वमीमांसा की उद्धृत बातें शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी म्याख्या हट्टल ने कर दी है।

बहूत प्राचीन काल में आपस्तम्बधर्मसूत्र को प्रमाण रूप में माना जाता रहा है। जैमिनिमूत्रा के भाष्य में शबर ने आपस्तम्ब को उद्धृत किया है। तन्त्रत्रातिव ने इनके कतिपय सूत्रा का तुलनात्मक अध्ययन किया है। ब्रह्मसूत्र (४.२ १४) के भाष्य में शंकराचार्य ने आपस्तम्ब (१.७ २०.३) को उद्धृत किया है। शंकराचार्य

ने बृहदारण्यक के माध्य में भी ऐसा किया है। उन्होंने स्वयं आपस्तम्ब के दोनो पटलो की अप्यात्म-सम्बन्धी भाषा की आलोचना की है। विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य की टीका में आपस्तम्ब को लगभग बीस बार उद्धृत किया है। मेधातिथि ने मनु की टीका में आपस्तम्ब की कई बार चर्चा की है। मिताक्षरा में इसके कई एक उद्धरण हैं। अपराक में लगभग २०० सूत्र उद्धृत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब के बाल (कम-से-कम ५०० ई० मन्) से लेकर ११०० ई० तक कतिपय ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब की प्रमाण माना है।

आपस्तम्ब के निवास-स्थान एवं जीवन-इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। आपस्तम्ब का नाम नहीं है। यह वेद में नहीं मिलता। पाणिनि (४.१.१०४) के 'विदादि' गण में यह शब्द आता है। उन्होंने अपने को अवर अर्थात् बाद में आने वाला कहा है। तर्पण में उनका नाम अधिकतर बीषायन के उपरान्त एवं सत्यापाद हिरण्यवेदी के पहले आता है। एव स्थान पर 'उदीष्यो' की एक विलक्षण श्राद्ध-परम्परा की चर्चा है (२.७.१७ १७)। क्या यह उनके निवासस्थान का सूचक है? हरदत्त के अनुसार शारवती के उत्तर के देश को 'उदीष्य' कहते हैं, किन्तु महागणव के अनुसार नर्मदा के दक्षिण-पूर्व आपस्तम्बीय लोग पाये जाते थे, और यह दक्षिण-पूर्व स्थान आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी का मुख है। पल्लवों ने आपस्तम्बियों को भूमिदान दिया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का काल अनुमान के सहारे ही निर्दिष्ट किया जा सकता है। सम्भवतः यह गौतम-धर्मसूत्र एवं बीषायनधर्मसूत्र से बाद का है और ५०० ई० मन् के पूर्व यह प्रमाण रूप में ग्रहण कर लिया गया था। याज्ञवल्क्य एवं शार-लिखित ने आपस्तम्ब को धर्मशास्त्रकार कहा है। शैली और अपाणिनीय प्रयोग होने के नाते इस धर्मसूत्र का काल प्राचीन होना चाहिए। इसमें बौद्धधर्म अथवा किसी भी विरोधी सम्प्रदाय की कोई चर्चा नहीं पायी जाती। श्वेतनेतु से आपस्तम्ब बहुत दूर नहीं झलकते। सम्भवतः जिन दिनों जैमिनि ने अपनी शारदा चलायी उन्हीं दिनों इनके धर्मसूत्र का प्रणयन हुआ। तो, इनके काल को हम ६००-३०० ई० पू० के मध्य में यही रखें तो असंगत न होगा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र के व्याख्याकार हैं हरदत्त, जिनकी व्याख्या का नाम है उज्ज्वला वृत्ति। इनका काल हम ८१६ प्रकरण में बरेंगे। अपराक, हरदत्त, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में आपस्तम्ब के बहुत-से उद्धरण हैं।

८. हिरण्यवेदि-धर्मसूत्र

हिरण्यवेदि-धर्मसूत्र हिरण्यवेदि-शिल्प का २६वाँ एवं २७वाँ प्रश्न है। श्वेतसूत्र का प्रकाशन पूना के आनन्दप्रभ ने किया है। डा० किरत (विदेना, १८८९ ई०) ने मातृशत के माध्य में आधार पर हिरण्यवेदि-गृह्यसूत्र का सम्पादन किया है। हिरण्यवेदि-धर्मसूत्र को एक स्वतंत्र रचना कहना जँबता नहीं, क्योंकि इसमें मौर्यसूत्र ज्यों-ज्यों आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में के किये गये हैं। आ आपस्तम्बधर्मसूत्र का सबसे प्राचीन प्रमाण हिरण्यवेदिधर्मसूत्र है, जिनमें सबसे पहले ज्यों उद्धरण मिले। हिरण्यवेदियों का सम्बन्ध तैत्तिरीय शाखा के शास्त्रवेद्य नाम के धरण में है। इसी शाखा आपस्तम्बीय शाखा के बाद की है। कौमु राजाओं के एक राजपत्र (४५४ ई०) में हिरण्यवेदि शाखा के ब्राह्मणों की चर्चा है। चरणसूत्र के माध्य में उद्धृत महागणव के अनुसार हिरण्यवेदी लोग महा पर्वत तथा परशुराम क्षेत्र (अर्थात् बौतप) के निबट से समुद्रतट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में पाये जाने थे। आज के राजागिरि जिले के बट्टा-के ब्राह्मण अपने को हिरण्यवेदी कहते हैं।

महादेव दीक्षित की व्याख्या, त्रिगता नाम उज्ज्वला है, हरदत्त की उज्ज्वला से सब प्रकार से मिलती है। किसी एक ने इनके में उद्यो-वाक्या के किया है, द्रमम कोई मन्दिर नहीं है। शारदा है, महादेव दीक्षित में हरदत्त ने बट्टा कुछ उधार ले लिया है, क्योंकि महादेव में हरदत्त की अस्ता और भी बट्टा कुछ है। हरदत्त में महादेव प्राचीन

ठहरते हैं, क्योंकि हरदत्त ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में गणेश की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तुति की है। हो सकता है कि महादेव या तो हरदत्त के आचार्य थे, या उनके पिता थे, या वे केवल महादेव (शंकर) के रूप में ही माने गये हों। हरदत्त की उम्बवला में स्मृतियों से उद्धरण कम आये हैं, वरिष्ठ गौतमधर्मसूत्र से अपेक्षा कृत अधिक आये हैं।

१. वसिष्ठधर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है। जीवानन्द के सग्रह में केवल २० अध्याय तथा २१वें अध्याय का कुछ अंश है। यही बात श्री एम० एन० दत्त (कलकत्ता १९०८) के सग्रह में भी है। रिन्तु आनन्द्याथम स्मृति-सग्रह (१९०५ ई०) तथा डा० फुह्रर के संस्करण में ३० अध्याय हैं। डा० जॉली का कहना है कि कुछ हस्तलिखित प्रतियों में केवल ६ या १० अध्याय हैं। विद्वन्मोदिनी नामक व्याख्या के साथ वसिष्ठधर्मसूत्र का प्रकाशन कान्ही से भी हुआ है।

कुमारिल के मतानुसार वसिष्ठधर्मसूत्र का अध्ययन विशेषतः ऋग्वेद के विद्यार्थी किया करते थे, किन्तु अन्य चरणों के लिए भी यह धर्मसूत्र प्रमाण था। इस धर्मसूत्र के श्रौत एवं गृह्ययुग नहीं प्राप्त होते। ऋग्वेद के केवल आश्वलायन श्रौत एवं गृह्यसूत्र मिलते हैं। तो क्या वसिष्ठधर्मसूत्र उसने कल्प की पूर्ति है? इस धर्मसूत्र में सभी वेदों के उद्धरण मिलते हैं और केवल 'वसिष्ठ' नाम की कोई भी विशिष्ट बात नहीं पायी जाती कि इसे हम ऋग्वेद से सम्बन्धित समझें।

इस धर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है—(१) धर्म की परिभाषा, आर्यावर्त की सीमाएँ, पापों का निवारण, नैतिक भाव, एक ब्राह्मण किन्हीं भी तीन उच्च जातियों की कन्या से विवाह कर सकता है छ प्रकार के विवाह, राजा प्रजा के आचार को समर्पित करनेवाला है तथा धन-सम्पत्ति या परदाश कर के रूप में ले सकता है, (२) चारों वर्ण, आचार्य-महत्ता, उपनयन के पूर्व धार्मिक क्रिया-संस्कारों के लिए कोई प्रमाण नहीं है, चारों जातियों के विशेषाधिकार एवं वर्तव्य, विपत्ति में ब्राह्मण लोग क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति कर सकते हैं, ब्राह्मण कुछ विशिष्ट वस्तुओं का व्यवहार नहीं कर सकते, व्याज लेना निषिद्ध है, व्याज की दर, (३) अपठ ब्राह्मण की भर्त्सना, धन-सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम, कौन-कौन आततायी हैं, आत्म-रक्षा में वे क्या कर सकते हैं, पवित्रपावन लोग कौन हैं, परिषद का विधान, आचमन, शौच एवं विभिन्न पदार्थों के पवित्रीकरण की विधियाँ; (४) चारों वर्णों का निर्माण जन्म एवं संस्कार-धर्म पर आधारित है, सभी जातियों के साधारण वर्तव्य, अनिधि-नगरार, नगपर्व, जन्म-धर्म पर अंगीच, (५) स्त्रियों की श्रद्धा, रजम्बना नारी के आचार-नियम, (६) अत्युत्तम धर्म ही व्यवहार है, आचार-प्रसंगा, मलमूत्र-त्याग के नियम, ब्राह्मण की नैतिक विशेषताएँ एवं गृह्य की विशेषताएँ, शूद्रों के घर में भोजन करने पर मलांगा, सीमन्त एवं अच्छे गृह के नियम, (७) चारों जायम तथा विद्यार्थी-वर्तव्य, (८) गृहस्थ-वर्तव्य, अनिधि-नगरार, (९) अरण्य में साधुओं के वर्तव्य-नियम, (१०) सन्यासियों के लिए नियम, (११) विशिष्ट आदर पानेवाले छ प्रकार के व्यक्ति—यज्ञ के पुरोहित, दामाद, राजा, मातुल एवं पितृकुल (चाचा) तथा स्नातक, पहले जिसको भोजन दिया जाय, अनिधि, श्राद्ध-नियम, हमारा शत्रु, हमने लिए निमन्त्रित ब्राह्मण, अग्निहोत्र, उपनयन, इतना उचित समय, दण्ड, मेगला आदि के नियम, शिक्षा सीमन्त की विधि, उपनयनरहित लोगों के लिए प्रायश्चित्त, (१२) स्नातक के लिए आचार-नियम, (१३) वेदाध्ययन प्रारम्भ करने के नियम, वेदाध्ययन की छट्टियों के नियम, गुरु एवं अन्नों के चरणों पर गिरने के नियम, विद्या, धन, अवस्था, मन्वन्ध, वेदों के अनुसारा प्रथम आदर देने के नियम, मार्ग के नियम, (१४) वर्जित एवं श्रवित भोजन

के नियम, कुछ विशिष्ट पशियों एवं पशुओं के मान के बारे में नियम, (१५) शोध लेने का नियम, उनमें लिए नियम जो वेदा की मर्मना करते हैं या सूदों का यज्ञ कराते हैं, अन्य पापों के लिए नियम, (१६) न्याय-दासन के बारे में, राजा नाबालिगों का अभिमावक, हीन प्रकार के प्रमाण, यथा कागद-पत्र, साक्षियाँ, अधिकार, प्रतिकूल अधिकार एवं राजा के मतदाता, साक्षियों की पात्रता, कुछ मामलों में मिथ्यामापण का मार्जन, (१७) औरस पुत्र की प्रसारा, क्षेत्रज पुत्र के विषय में विरोधी मत—यथा वह अपने पिता का पुत्र है या अपनी माता के पूर्व पति का पुत्र है, सारहा प्रकार के पुत्र, माइयों में धन-सम्पत्ति-विभाजन विभाजन-भाग से हटाने के कारण, नियोग के नियम, युवती विन्दु अविवाहित बन्धा के बारे में नियम, वसीयत के बारे में नियम, राजा अन्तिम उत्तराधिकारी है (१८) प्रतिशेक जाति में, यथा चाण्डाल, सूदों के लिए या उनमें सामने वेदाध्ययन की मनाही है, (१९) रक्षण करना एवं दण्ड देना राजा का कर्तव्य, पुरोहित की महत्ता, (२०) जाने एवं अनजाने किये हुए कर्मों के लिए प्रायश्चित्त, (२१) मूत्र के व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त, ब्राह्मण-स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा गो-हत्या के लिए प्रायश्चित्त, (२२) बर्जित भोजन करने पर प्रायश्चित्त तथा इन पापों से मुक्त होने के लिए पवित्र मूल-ग्रन्थ या मन्त्र, (२३) सभोग एवं सुरापान करने पर ब्रह्मचारी के प्रायश्चित्त, (२४) कृच्छ्र एवं अति-कृच्छ्र, (२५) गुप्त व्रत एवं हल्के-फुल्के पापों के लिए व्रत, (२६) एवं (२७) प्राणायाम के गुण, पवित्रीकरण के लिए गायत्री के वैदिक सूक्त, (२८) नारी-प्रसारा, अपमर्षण एवं दान-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों की प्रसारा, (२९) दान-गुरस्कार, ब्रह्मचर्य, तप आदि, (३०) धर्म प्रसारा, सत्य एवं ब्राह्मण।

ऊपर जितने धर्मसूत्रों का वर्णन हो चुका है, उनसे वसिष्ठधर्मसूत्र बहुत कुछ मिलता है। विषय-सूची में कोई अन्तर नहीं है और न शैली में ही, क्योंकि यह भी यद्यपि है और यत्र-तत्र इसमें भी पद्य मिलते हैं। इसकी शैली गौतमधर्मसूत्र से बहुत मिलती है और उस सूत्र से इसमें बहुत कुछ लिया गया है। बोधायनधर्मसूत्र का भी यह शायी है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस धर्मसूत्र में अध्यायों के विषय में बड़ा मतभेद है; ६ अ० में लेकर ३० अध्यायों में यह प्रकाशित है। इस भाग से इन धर्मसूत्रों की प्रमाणयुक्तता पर सन्देह किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी पद्य हैं, जिनके कारण यह बहुत बाद का कहा जा सकता है। इसमें कुछ क्षेपण भी हैं, विन्दु के बहुत पहले आ चुके थे, क्योंकि इसमें बहुत-से उद्धरण प्राचीन टीकाओं में मिल जाते हैं, यथा भित्ताशरा में।

वसिष्ठधर्मसूत्र में श्रुत्येव एवं वैदिक साहित्याओं से उद्धरण लिये गये हैं। ब्राह्मणों में ऐतरेय एवं तत्तप्य अधिकतर संकेतित हुए हैं। वाजसनेयक एवं शाठण के नाम तक आये हैं। आरण्यकों, उपनिषदों एवं वेदों के उद्धरण आये हैं। इतिहास एवं पुराणों की भी चर्चा हुई है। इस धर्मसूत्र में ध्याकरण, मूर्त, भविष्यवाणी, कल्पित ज्योतिष, नक्षत्र विद्या का वर्णन भी आया है। इस धर्मसूत्र में अन्य धर्मशास्त्रकारों के कथों एवं लेखकों की ओर संकेत किया है। मनु से भी बहुत बातें ली गयी हैं या नहीं, इस पर विवेचन मनुस्मृति वाले प्रकरण में होगा।

बृहस्पत के मतानुसार वसिष्ठधर्मसूत्र के भावनेवालों की शाखा के लोग नर्मदा के उत्तर में थे। किन्तु यह बात अनिश्चित है, क्योंकि अभी यही नहीं तय हो सका है कि यह धर्मसूत्र किसी शाखा से सम्बन्धित है।

मनु ने सबसे पहले इस धर्मसूत्र को धर्म-प्रमाण माना है। जब मनु ने इस प्रमाण माना है तो यह क्यों कहा जा सकता है कि इस धर्मसूत्र में मनुस्मृति से उद्धरण लिया है? हो सकता है कि दोनों का वास्तविक में संशोधन हुआ और इसकी बातें उसमें और उसकी बातें इसमें लयी आयी हैं। संशोधन के बहू है कि इस धर्मसूत्र को सार्वभौम लोग पढ़ते थे। विद्वत्वरुण, मेघानिधि तथा अन्य व्याख्याकारों ने इसकी चर्चा की है और इसे उद्धृत किया है। शौकरदेव के रामिम तात्पर्य में इस धर्मसूत्र का उद्धरण है। इस तात्पर्य का तात्पर्य है आठवीं शताब्दी का अन्तिम अर्ध। ईसा की प्रथम शताब्दियों में यह धर्मसूत्र उपरिष्ठत था ही, अन्य धर्मकारों ने इसकी

शाताब्दी के उपरान्त भी इसकी ओर सकेत किया है। यह धर्मसूत्र गीतम, आपस्तम्ब एव बौधायन से बाद का है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यदि इसे ईसापूर्व ३००-१०० के मध्य में रखा जाय तो असंगत न होगा।

याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में विश्वरूप ने बृह-वसिष्ठ के मत दिये हैं (याज्ञ० १ १९)। मिताक्षरा (याज्ञ० २ ९१) ने बृह-वसिष्ठ से जयपत्र की परिभाषा का उद्धृत किया है। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका ने बृह-वसिष्ठ का हवाला 'आह्लिक' एव 'श्राद्ध' के विषय में दिया है। मट्टोजिदीक्षित ने अपने चतुर्विंशतिमत (पृ० १२) की टीका में बृह-वसिष्ठ से उद्धरण लिया है। इन बातों से पता चलता है कि बृह-वसिष्ठ नाम के कोई प्राचीन धर्माचार्य थे। मिताक्षरा ने एक बृह-वसिष्ठ की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका (३, पृ० ३००) ने ज्योतिर्वसिष्ठ से उद्धरण लिये हैं। धौषामन्यधर्मसूत्र के टीकाकार गोविन्दस्वामी से पता चलता है (२. २ ५) कि वसिष्ठधर्मसूत्र के टीकाकार यज्ञस्वामी थे।

१०. विष्णुधर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन भारत में कई बार हुआ है। जीवानन्द द्वारा 'धर्मशास्त्रसंग्रह' में (१८७६ ई०), बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा (१८८१ ई०), वैजयन्ती टीका के कुछ उद्धरणों के साथ (डा० जाली द्वारा सम्पादित) श्री एम० एन० दत्त द्वारा (१९०९)। इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र छोटे-छोटे नहीं हैं। प्रथम एव अन्तिम दो अध्याय पूर्णतया पद्यबद्ध हैं, किन्तु अन्य अध्याय या तो गद्य में या गद्य-मिश्रित रूप में हैं। वैजयन्ती टीका के अनुसार वठ नामक यजुर्वेदीय शाखा में इसका सम्बन्ध है। 'श्राद्धकल्प' उर्फ 'पितृमन्त्रित-तरंगिणी' में वाचस्पति ने कहा है कि विष्णुधर्मसूत्र कठ शाखा के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि विष्णु उस शाखा के सूत्रकार है। विद्यमान मनुस्मृति में इसका एक विचित्र सम्बन्ध है। चरणव्यूह के अनुसार वठ एव चारायणीय यजुर्वेदीय चरकशाखा के १२ उपविभागों में दो विभाग हैं।

विष्णुधर्मसूत्र की विषय-भूमि निम्नलिखित है—(१) धर्म द्वारा समुद्र में पृथिवी को उठाना, वरुण के यहाँ इसलिए जाना कि उनके उपरान्त पृथिवी को कौन संभालेगा, जब विष्णु के पास जाना और उनका बहना कि जो वर्णाश्रम धर्म का परिपालन करेगा वे ही पृथिवी को धारण करेंगे, उस पर पृथिवी नौ परम देवता को उनके कर्तव्य बताने के लिए प्रेरित किया; (२) चारों वर्णों एव उनके धर्म; (३) राजधर्म, (४) कार्याण एव अन्य छोटे बटखरे; (५) कतिपय अपराधों के लिए दण्ड; (६) महाजन (ऋण देनेवाला) एव उपार लेनेवाला, ध्याज-दर, बन्धक; (७) तीन प्रकार के लेतपत्र या लेखप्रमाण; (८) साक्षिणी, (९) दिव्य (परीक्षा) के बारे में सामान्य नियम; (१०-१४) तुला, अग्नि, बल, विष, पूत जल (कोदा) नामक दिव्य (परीक्षा); (१५) बारहों प्रकार के पुत्र, वसीयत का नियम, पुत्र-प्रसादा, (१६) मिश्रित विवाह से उत्पन्न पुत्र तथा मिश्रित जातियाँ, (१७) बटवारा, समुक्त परिवार तथा पुत्रहीन की वसीयत के नियम, पुनर्मिलन, स्त्रीधन, (१८) विभिन्न जातियों वाली पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में बंटवारा, (१९) शव को ले जाना, मृत्यु पर अशौच, ब्राह्मण-प्रसामा, (२०) पारो युगो, मन्वन्तर, कल्प, महाकल्प की अवधि, भरनेवाले के लिए अधिक न रोने का उपदेश; (२१) विलाप के बाद क्रिया-संस्कार, भासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण; (२२) सपिण्डों के लिए अशौच की अवधि, विलाप के लिए नियम, जन्म पर अशौच, कतिपय व्यक्तियों एव पदार्थों के स्पर्श से उत्पन्न अशौच के नियम; (२३) अपने शरीर एव अन्य पदार्थों का पवित्रीकरण; (२४) विवाह, विवाह-प्रकार, अन्तर्विवाह, विवाह के लिए अभिशाप; (२५) स्त्री-धर्म; (२६) विभिन्न जातियों की पत्नियों में प्रमुखता; (२७) सरार, गर्भाधान आदि, (२८) ब्रह्मचारी के नियम; (२९) आचार्य-स्तुति; (३०) वेदाध्ययन-काल एव छुट्टियाँ; (३१) पिता, माता एव आचार्य अधिक-

तम श्रद्धापद है, (३२) सत्वार पानेवाले अन्य व्यक्ति, (३३) पाप के तीन कारण—नामविचार, श्रेय एव लोभ, (३४) अतिपातकों के प्रकार, (३५) पंच महापातक, (३६) महापातकों के समान अन्य मयत्तर उप-पातक, (३७) कतिपय उपपातक, (३८-४२) अन्य हलके-बुल्ले पाप, (४३) २१ प्रकार के नरक एव मोति-मोति के पापियों के लिए नरक-कष्ट की अवधि, (४४) कतिपय पापों के कारण-स्वरूप कतिपय हीन जन्म, (४५) पापियों के लिए मोति-मोति की रोग-व्याधि तथा उनसे लिए प्रतिवार-स्वरूप नीच व्यवसाय, (४६-४८) कतिपय वृच्छ (रत) सान्निध्य चान्द्रायण, प्रमृतिपायक, (४९) वामुदेव-मन्त्र के कार्य तथा उससे लिए प्रतिफल, (५०) ब्राह्मण-श्रम्या एव अन्य जीवा की हत्या, यथा गो-हत्या आदि के लिए प्रायश्चित्त, (५१-५३) सुरापान, वर्जित भोजन करने, सोना तथा अन्य पदार्थों की घोंरी, व्यभिचार एव अन्य प्रकार की मम्युन-क्रियाओं के लिए प्रायश्चित्त, (५४) विभिन्न प्रकार के अन्य वार्यों के लिए प्रायश्चित्त, (५५) गुप्त व्रत, (५६) अघमर्षण (पाप-मोचन) के लिए पूत रतोत्र, (५७) जिसकी समति नहीं करनी चाहिए, श्रात्य, परचात्ताप न करनेवाले पापी, दान देने से दूर रहनेवाले, (५८) शुद्ध मिश्रित तथा अन्य प्रकार का गुप्त घन, (५९) गृहस्थ-धर्म, पात्र-यज्ञ, प्रतिदिन के पंचमहायज्ञ, अतिथि-मन्त्र, (६०) गृहस्थ के अनुदिन वाले आचार, मद्र सवर्षन, (६१-६२) दन्त-धायन करने एव आचमन के नियम (६३) गृहस्थजीवन-वृत्ति के साधन, मार्गप्रदर्शन के नियम, यात्रा के समय बुरे या भले शकुन, मार्ग नियम, (६४) स्नान एव देवताओं तथा पितरों का तर्पण, (६५-६७) वामुदेव-पूजा, पुष्प तथा पूजा की अन्य सामग्री, देवता का भाजन-दान, पितरों को पिण्ड-दान, अतिथि को भोजन-दान, (६८) भोजन करने के ढंग एव समय के बारे में नियम, (६९-७०) पत्नी-संभोग एव सोने के विषय में नियम, (७१) स्नातक के आचार के लिए सामान्य नियम, (७२) आत्म-संयम का मूल्य, (७३-८६) श्राद्ध, श्राद्ध विधि, अष्टका श्राद्ध, विन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध के काल, सप्ताह-दिन में श्राद्ध पत्र, २७ नक्षत्र एव तिथियाँ, श्राद्ध-सामग्री, श्राद्ध के लिए निमन्त्रित न किये जाने वाले ब्राह्मण, पवित्रपावन ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए अयोग्य स्थल, तीर्थ या देश, गाँव छोड़ना, (८७-८८) मृगचर्म-दान या गो-दान, (८९) वार्षिक-स्नान, (९०) मोति-मोति के दानों की स्तुति, (९१-९३) ऋष, तालाव, बाटिका, पुल, बांध, भोजन-दान आदि जनवल्याण के कार्य, प्रतिग्राहकों के अनुसार पात्रा मिश्रण, (९४-९५) वानप्रस्थ के नियम, (९६-९७) सन्यासियों के लिए नियम, अरिष, मातृपेयी, रक्त-स्नान आदि का ज्ञान, ध्यान-मुद्रा की कतिपय विधियाँ, (९८-९९) पृथिवी एव लक्ष्मी द्वारा वामुदेव-स्तुति, (१००) दम धर्ममूद के अध्ययन का पत्र।

यह धर्ममूद कतिपयधर्ममूद से कुछ मिलता है। इसमें छन्द (पद्य) पर्याप्त मात्रा में है। किन्तु एक विरक्षण बात यह है कि यह परम्परे द्वारा प्रणीत माना गया है, यह ज्ञान अन्य धर्ममूदों के साथ नहीं पायी जाती। इसकी रचना सरल है। यह व्याकरण नियम-सम्मत है। बहुधा अध्यायान्त में पद्य आ जाते हैं। कहीं कहीं इन्द्रबन्धा, कहीं उपजाति और कहीं विष्णु छन्द हैं।

विष्णुधर्ममूद का काल निर्णय दुस्तर कार्य है। कुछ अध्याय गौतम एव आपस्तम्ब के धर्ममूदों की मोति प्राचीनता के द्योतक हैं। किन्तु अन्य स्थल इसे बहुत दूर ले जाते से नहीं लगते। इस धर्ममूद एव मनुस्मृति की १६० बातें किन्तुल एकरानी हैं। कुछ स्थलों पर मनुस्मृति के पद्य मानते पद्य में रस दिये गये हैं। प्रश्न उठाता है, क्या मनुस्मृति ने विष्णुधर्ममूद से उधार लिया है या विष्णुधर्ममूद ने मनुस्मृति से, या दोनों ने किसी अन्य स्थान से? यह एक महत्व-पूर्ण प्रश्न है। किन्तु कोई ऐसा प्रश्न नहीं उपस्थित है जिससे दोनों में एक-की पायी जायेवाली बातें मिल जायें। सत्यता है, विष्णुधर्ममूद ने मनुस्मृति से ही उद्धरण किये हैं। हाँ जाती के मानानुसार याज्ञवल्क्य ने विष्णुधर्ममूद से घटीरांग-नाम्नकी ज्ञान से लिया है। किन्तु यह बात मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि शरक एव मुमुक्षु में यह ज्ञान

वर्तमान था और धर्मसूत्रकारों ने उसे उद्धृत कर लिया। लगना है, विष्णुधर्मसूत्र याशवलक्यस्मृति के बाद की कृति है। यह धर्मसूत्र भगवद्गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों का ऋणी है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी-उपरान्त होने वाले शबर, कुमारिल एवं शंकराचार्य ने मनुस्मृति को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्य का भाष्य विश्वरूप ने नवीं शताब्दी के प्रथमार्ध में किया। विश्वरूप ने गौतम, आपस्तम्ब, वीधायन, वसिष्ठ, शख और हारीत से अनेक उद्धरण लिये हैं, किन्तु विष्णुधर्मसूत्र का एक भी उद्धरण उनकी टीका में उपलब्ध नहीं होता। मनु की व्याख्या (मनु० ३ २४८ तथा ९ ७६) करते हुए मेधातिथि ने विष्णु का उद्धरण लिया है। मिताशरा ने विष्णु का ३० बार नाम लिया है। अपराज्वं तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत बार उद्धरण लिया है। स्मृतिचन्द्रिका में २२५ बार विष्णु के उद्धरण आये हैं।

विष्णुधर्मसूत्र में वैदिक संहिताओं तथा ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण आये हैं। इमने वेदांग, व्याकरण, इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण आदि के नाम लिये हैं। इस धर्मसूत्र के प्रारम्भिक भागों का काल ईसापूर्व ३००-१०० के बीच कहा जा सकता है, किन्तु यह केवल अनुमान-मान है। विष्णुधर्मसूत्र की टीका धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों के लेखक नन्द पण्डित ने की है। इन्होंने वाराणसी में लगभग १६२२-२३ ई० में वैज-यन्ती नामक टीका लिखी। क्वाचित् भास्वि नामक कोई अन्य टीकाकार थे, जिनकी विष्णुधर्मसूत्र सम्बन्धी टीका की बातें सरस्वतीविलास ने कई बार उद्धृत की हैं।

११. हारीत का धर्मसूत्र

अब तक हमने उन धर्मसूत्रों का वर्णन किया है जो प्रकाशित हैं, किन्तु अब उन धर्मसूत्रों का वर्णन करेंगे जो केवल कुछ उद्धरण रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम हारीतधर्मसूत्र को लेते हैं।

हारीत नामक एक धर्मसूत्रकार थे इसमें कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि वीधायन, आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ ने उन्हे कई बार प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है। आपस्तम्ब ने हारीत का हवाला बहुत बार दिया है, अतः कहा जा सकता है कि दोनों एक ही वेद से सम्बन्धित थे। तन्त्रवार्तिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य धर्मसूत्रकारों के साथ गिना है। विश्वरूप से लेकर अन्त तक वे धर्मशास्त्रकारों द्वारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है। लगता है, यह धर्मशास्त्र पर्याप्त लम्बा-चौड़ा रहा होगा।”

हारीतधर्मसूत्र की भाषा एवं विषय-सूची देखकर कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ पर्याप्त प्राचीन है। यह के साथ अनुष्टुप् एवं त्रिष्टुप् छन्द आते गये हैं। हारीत तथा मंत्रायणीय परिशिष्ट एवं मानवश्राद्धकल्प में बहुत समानता है। इससे पता चलता है कि हारीत कृष्ण यजुर्वेद के सूत्रकार थे। हारीतधर्मसूत्र में कश्मीरी शब्द "कफेल्ला" के आने से हारीत को कश्मीरी भी कहा जा सकता है। हेमाद्रि (चतुर्वर्ग० ३, १ पृ० ५५९) के अनुसार हारीत के एक भाष्यकार भी थे।”

७१. स्वर्गोपप० वामन शास्त्री इस्लामपुरकर की नासिक में हारीतधर्मसूत्र की एक हस्तलिखित प्रति मिली थी। संयोगवश उसका उपयोग नहीं किया जा सका। यहाँ पर हारीतधर्मसूत्र के बारे में जो कुछ कहा गया है वह डॉ० जॉलो द्वारा उपस्थापित सामग्री पर आधारित है।

७२. हारीतधर्मसूत्र का सूत्र है—“पालङ्ग्या-नालिना-पीनीन-निगु-भृशुक-यार्ता-भृशुक-कफेल्ला-पाव-मसूर-कृतनवगति च श्रद्धे न दद्यात्,” जिस पर हेमाद्रि का कथन है—“कफेल्ला आरप्यविशेषः कश्मीरेषु प्रसिद्ध इति हारीतस्मृतिभाष्यकारः।”

निबन्धों में हारीत के जो उद्धरण आते हैं, उनसे पता चलता है कि उनके धर्मसूत्र में वे सभी विषय समन्वित थे, जो बहूधा अन्य धर्मसूत्रों में पाये जाते हैं, यथा धर्म के उपादान, उपबुर्वाण एव नैष्ठिक नामक दो प्रकार के ब्रह्मचारी, स्नातक, गृहस्थ वानप्रस्थ, भोजन के बारे में निषेध, जन्म-मरण पर अशौच, श्राद्ध, पक्ति-पावन, आचार के सामान्य नियम, पचयज्ञ, वेदाध्ययन छुट्टियाँ, राजधर्म, शासन-धर्म, न्यायालय-भङ्गति, ध्वनहारों की विविध उपाधियाँ, पति-पत्नी के कर्तव्य, विविध पाप, प्रायश्चित्त, मार्जन-स्तुति आदि।

हारीत ने वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, अध्यात्म तथा अन्य ज्ञान-शाखाओं की ओर संकेत किया है।^{११} हारीत ने सभी वेदों से उद्धरण लिये हैं अतः लगता है, उनका किसी विशिष्ट वेद से सम्बन्ध न था।

हारीत के कुछ मिथ्या अवलोकनीय हैं। उन्होंने अष्ट विवाहों में दो को 'क्षेत्र' और 'मानुष' कहा है, विन्दु 'आम' एवं 'प्राजापत्य' को गिना ही नहीं है (देखिए, चोरनिषोदय, सत्यारप्रकाश, पृ० ८४)। यही बात वसिष्ठ में भी पायी जाती है। हारीत ने दो प्रकार की नारियों की चर्चा की है—ब्रह्मवादिनी एवं सद्योवपु, जिनमें पहले प्रकार की नारियों (ब्रह्मवादिनियों) को उपनयन सत्कार कराने का अधिकार है, वे अग्निहोम करने एवं वेदाध्ययन करने की अधिकारिणी हैं।^{१२} उन्होंने १२ प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है (देखिए, गीतम० २८, ३२ पर हरदत्त का माध्य)। उन्होंने अभिनेता की भर्तृता की है और ब्राह्मण अभिनेता को श्राद्ध एवं देव-क्रिया-नरकार में वर्जित माना है।^{१३} गद्य-पद्य मिथित माया में गणेश की पूजा का वर्णन अपराजं द्वारा उपस्थित उद्धरण में आया है।^{१४}

१२. शस्त्र-लिखित का धर्मसूत्र

तन्त्रवातिक से पता चलता है कि शस्त्र-लिखित धर्मसूत्र का अध्ययन शुक्ल यजुर्वेद के अनुयायी शात्रसने-यियों द्वारा होता था। तन्त्रवातिक ने इस धर्मसूत्र से अनुष्टुप् छन्द वाले वाक्यों को उद्धृत किया है। महाभारत (शान्तिपर्व, अध्याय २३) में शस्त्र और लिखित की कथा आयी है। याज्ञवल्क्य ने शस्त्र-लिखित को धर्मशास्त्र-कारों में गिना है। पराशरस्मृति में आया है (१.२४) कि कृत, प्रेता, टापर तथा कठि के चारों युगों में मनु, गीतम, शस्त्र-लिखित एवं पराशर के अनुशासन धर्म-सम्बन्धी प्रमाण माने जाते हैं। विश्वरूप ने एक उद्धरण द्वारा यह दर्शाया है कि वेदों पर आधारित एवं मनु द्वारा घोषित धर्म पर शस्त्र-लिखित ने शूब मन्त किया। विश्वरूप के पश्चात् अन्य भाष्यकारों एवं निबन्धकारों ने शस्त्र-लिखित का उद्धरण सुम्भर किया है। इन उद्धरणों में अधिकार गद्य में है। इससे निश्चय होता है कि सम्भवतः यह धर्मसूत्र प्राचीन है। अनायकन इस धर्मसूत्र की कोई प्रति नहीं मिल सकी है; केवल उद्धरणों के रूप में ही यह विद्यमान है।

७३. स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० २९० 'वेदा अद्भुति पर्मोऽध्यात्म विद्वानं विपतिःचेति यद्विषय भुक्तम्'

७४. द्विविधाः लिख्यः। ब्रह्मवादिन्यः मद्योवपवच। तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नीष्यनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिजावर्षा। स्मृतिचन्द्रिका (१.५० २४) एवं चतुर्विप्रतिमतव्याख्या (बनारस संस्करण, पृ० ११३) में उद्धृत।

७५. कृतीलवाहीनु बँदे विन्ने च वर्जयेत्। याज्ञवल्क्य पर अपराजं की टीका (पाठ० १.२२२-२२४)

में उद्धृत।

७६. यही गणेश के कई नाम मिलते हैं, यथा, शास्त्रदण्ड, ब्रह्मशास्त्रराजपुत्र, महाविनायक, ब्रह्मपुत्र, गणाधिपति। प्रथम दो नामों के लिए देखिए, मानवगृहसूत्र (२-१४) तथा याज्ञवल्क्य (१.२८५)।

जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं शंखस्मृति के ३३० तथा लिखितस्मृति के ९३ श्लोक पाये जाते हैं। यही बात आनन्दाथम (पूना) के संग्रह में भी पायी जाती है। मिताक्षरा में इसके ५० श्लोक उद्धृत हुए हैं।

शंखलिखित धर्मसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया। कन्नोजनरेस गोविन्दचन्द्र के मन्त्री लक्ष्मीधर ने अपने कल्पतरु में इस धर्मसूत्र के भाष्य की चर्चा की है। लक्ष्मीधर का काल है ११००-११६० ई०। विवादरत्नाकर (१३१४ ई०) ने भी भाष्यकार का उद्धरण दिया है। यही बात विवादचिन्तामणि (पृ० ६७) में भी पायी जाती है।

शैली और विषय-नूची में शंख-लिखित का धर्मसूत्र अन्य धर्मसूत्रों से मिलता-जुलता है। गौतम एवं आपस्तम्ब में जितने विषय आये हैं, अधिकतर वे सभी इस धर्मसूत्र में भी आ जाते हैं। बहुत स्थानों पर यह धर्मसूत्र गौतम एवं बौधायन के समीप आ जाता है। कुछ बातों में गौतम या आपस्तम्ब से शंख-लिखित अधिक प्रगतिशील है। कहीं-कहीं विषय-विस्तार में, यथा सम्पत्ति-विभाजन या वसोयन के सिलसिले में, यह धर्मसूत्र आपस्तम्ब एवं बौधायन से बहुत आगे बढ़ जाता है। शंख की शैली कौटिल्य का भी स्मरण कराती है। भाषा व्याकरण-सम्मत है। शंख ने याज्ञवल्क्य का नाम लिया है। किन्तु यहाँ यह नाम स्मृतिकार का नहीं है। याज्ञवल्क्य ने स्वयं शंख लिखित का नाम अपने पूर्व के धर्माचार्यों में गिनाया है।

इस धर्मसूत्र के गद्यांश में वेदांग, साह्य, योग, धर्मशास्त्र आदि की ओर संकेत है, जैसा कि इसके उद्धरणों से विदित होता है। पुराणों में वर्णित भौगोलिक, सृष्टि-सम्बन्धी बातें इस धर्मसूत्र में भी पायी जाती हैं। इसने अन्य आचार्यों की चर्चा की है और प्रजापति, आंगिरस, उशना, प्राचेतस, बृहद्गौतम के मतों का उल्लेख किया है। पचाश में यम, कात्यायन और स्वयं शंख के नाम आये हैं।

उपवृत्त विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धर्मसूत्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बाद की किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति के पहले की कृति है। इसके प्रणयन का काल ई० पू० ३०० से लेकर ई० सन् १०० के बीच में अवश्य है।

१३. मानवधर्मसूत्र, क्या इसका अस्तित्व था ?

कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवधर्मसूत्र था। इन विद्वानों में मैक्स-मूलर, वेबर और बृहलर के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके कथनानुसार मनुस्मृति मानवधर्मसूत्र का संशोधित पद्यबद्ध संस्करण है। मैक्समूलर ने यहाँ तक कह दिया है कि "इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी सच्चे धर्मशास्त्र, जो आज विद्यमान हैं, प्राचीन कुलधर्मों वाले धर्मसूत्रों के, जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरण से प्रारम्भिक रूप में सम्बन्धित थे, संशोधित रूप हैं" (हिस्ट्री आफ ऐंडियेण्ट सस्ट्रिज लिटरेचर, पृ० १३४-१३५)। मैक्समूलर का यह अनुमान भ्रामक है। बृहलर ने भी दूसरे ढंग से यही कहा है, किन्तु वह भी ठीक नहीं जँचता। बृहलर के तर्क निम्न हैं—(१) वसिष्ठधर्मसूत्र (४-५-८) में आया है—“मानव ने कहा है कि केवल पितरो, देवताओं एवं अनिष्टियों के सम्मान के लिए ही मनु का उपहार दिया जा सकता है।” बृहलर का तर्क है कि उपवृत्त चार सूत्रों में जो कथ्य आया है, वह गद्य में था। इसके उपरान्त मनुस्मृति में जो कथ्य आया है, वह दो श्लोकों और एक गद्यांश में आया है (अन्त में 'इति' आया है)। बृहलर का कथन है कि विद्यमान मनुस्मृति पद्यबद्ध है, इसमें बँसा आ जाना इस बात का द्योतक है कि उसने मानव-धर्मसूत्र से उपार लिया है। (२) वसिष्ठधर्मसूत्र में और भी उद्धरण है, जिन्हे मनु ने कहा गया है, किन्तु वे मनुस्मृति में नहीं पाये जाते,

अन कार्ड अन्य ग्रन्थ मनु के नाम से सम्बन्धित अवश्य रहा होगा, और वह या मानवधर्मसूत्र । (३) उदात्ता ने असौच के विषय में मनु का एन मत उद्धृत किया है जो गद्य में है। किन्तु यहाँ 'मनु' नहीं 'सुमन्तु' है, हस्तलिखित प्रति में यह भ्रम स्वयं बृहल्लर ने बाद को समझ लिया। (४) कामन्दकीय नीतिशास्त्र (२३) में कहा है कि "मानव" के अनुसार राजा को तीन विद्याओं अर्थात् त्रयी (तीनों वेद), धार्ता एव षण्डनीति का अध्ययन करना चाहिए, आन्वीक्षिकी त्रयी की ही एक शाखा है। किन्तु मनुस्मृति (७४३) के अनुसार विद्याएँ चार हैं। यही बात सचिवों की सख्या के विषय में भी है। कामन्दक-उद्धृत मनु के अनुसार सख्या १२ है किन्तु मनुस्मृति के अनुसार सख्या केवल ७ या ८ है। अतः बृहल्लर के मतानुसार मानवधर्मसूत्र अवश्य रहा होगा। किन्तु यहाँ कहा जा सकता है कि ये तर्क युक्तिसंगत नहीं हैं। कामन्दक ने केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अन्वय मात्र किया है। विद्या तीन है या चार, इसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि "मानव" में भी तो आन्वीक्षिकी की चर्चा ही की गयी है। मनुस्मृति का भी कई बार संशोधन हुआ है, अतः कुछ व्यतिक्रम पड़ जाना स्वाभाविक है।

वसिष्ठधर्मसूत्र में मनुस्मृति की बहुत सी बातें ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। किन्तु इसी आधार पर यह कहना कि जब वसिष्ठधर्मसूत्र में पायी जानेवाली मनु-सम्बन्धी सभी बातें मनुस्मृति में नहीं देखने को मिलती, तो एक मानवधर्मसूत्र भी रहा होगा जिसमें अन्य बातें पायी जा सकती हैं, युक्तिसंगत नहीं है। वसिष्ठधर्मसूत्र में बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो अन्य धर्मसूत्रों के उद्धरण-स्वरूप हैं, किन्तु आज खोजने पर वे बातें उन धर्मसूत्रों में नहीं मिलती, तो क्या यह समझ लिया जाय कि उन धर्मसूत्रों के नामों में सम्बन्धित अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ-ये ?

दृष्ट्य यजुर्वेद की तीन शाखाओं को, जो आपस्तम्ब, बोधायन एवं हिरण्यकेशी के रूप में दक्षिण भारत में विकसित हुईं, छोड़कर किसी अन्य वेद का कोई ऐसा चरण नहीं पाया जाता, जो उसके सहायक द्वारा प्रणीत कोई धर्मसूत्र उत्पन्न करे। तो फिर मानव-चरण के धर्मसूत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुमारिल ने, जो तस्मृत साहित्य के गम्भीर विद्वान् थे, दृष्ट्य यजुर्वेद के अनुयायियों द्वारा पढ़े जाते हुए किसी मानवधर्मसूत्र की चर्चा नहीं की है। उन्होंने इस विषय में बोधायन एवं आपस्तम्ब की चर्चा पर्याप्त रूप में की है। कुमारिल ने मनुस्मृति को गौतमधर्मसूत्र से कही बढ़कर ऊँचा स्थान दिया है। उन्होंने मानवधर्मसूत्र की चर्चा भी कोई नहीं की है। विस्वरूप ने, जो किसी-किसी के मत में शबरराचार्य के मुद्देवर नामक ग्रन्थ भी माने जाते हैं, कहा है कि मानव-चरण का कोई अस्तित्व नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मानवधर्मसूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है और न मनुस्मृति उस नाम के धर्मसूत्र का कोई संशोधित संस्करण है।

१४: कौटिल्य का अर्थशास्त्र

डा० कामशास्त्री ने सन् १९०९ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन एवं अनुवाद करने भारतीय शास्त्र-जगत् में एक नवीन धेनूना भी उद्भूति की। पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने 'धीमूल' नामक अपनी टीका के साथ इस महान् ग्रन्थ का प्रकाशन किया है। डा० जाली एवं रिमट (रिमन) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं भाष्यसंग्रह भी नयचन्द्रिका के साथ इसका सम्पादन किया है। इस ग्रन्थ में डा० कामशास्त्री के १९१९ ई० वाले संस्करण का उपयोग किया गया है। इस ग्रन्थ को लेकर जब बाद विवाद उठे है। इसमें लेखक, प्रकाशन-मायता, शासक अर्थात् विषयों पर बहुत-सी व्याख्याएँ, धारणाएँ एवं गमनायक उदाहरे दिये हैं। कौटिल्य केरतो, निबन्धों के अतिरिक्त इस

पुस्तक को लेकर अनेक ग्रन्थों, पुस्तिकाओं का प्रणयन हो चुका है। कुछ के नाम अंग्रेजी में ये हैं—नरेन्द्रनाथ ला की 'स्टडीज इन ऐंश्येण्ट इण्डियन पालिटो' डा० पी० बमर्जी की 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐंश्येण्ट इण्डिया', डा० पोपाल वी 'हिस्ट्री आफ हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज', डा० मजूमदार की 'कारपोरेट लाइफ इन ऐंश्येण्ट इण्डिया', बिनमकुमार सरकार की 'पोलिटिकल इस्टीम्युशंस एण्ड प्यारीज आफ दि हिन्दूज', जायसवाल की 'हिन्दू पालिट्री', प्रो० एम० वी० विद्वनायन की 'इण्टरनेशनल ला इन ऐंश्येण्ट इण्डिया' आदि पुस्तकें। कौटिलीय अर्थशास्त्र-सम्बन्धी सभी समस्याओं का विवेचन यहां सम्भव नहीं है।

अर्थशास्त्र पर उपस्थित प्राचीनतम ग्रन्थ कौटिलीय ही है। अर्थशास्त्र एवं धर्मशास्त्र में आदर्श-सम्बन्धी विभेद है, किन्तु वास्तव में, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की एक शाखा है, क्योंकि धर्मशास्त्र में राजा के वर्तव्यो एव उतरदायित्वों की चर्चा होती ही है।" कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्मस्वीम' एव 'कण्ठसोचन' नामक दो प्रकरण हैं, अतः इसका इस पुस्तक में विवेचन होना उचित ही है। 'शानककृत चरणव्यूह' के मतानुसार अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। जैसा कि स्वयं कौटिल्य ने लिखा है, इस शास्त्र का उद्देश्य है पृथिवी के काम-चालन के माधनों का उपाय करना।" शाश्वतत्व एव नारद स्मृतियों में भी अर्थ एवं धर्म-शास्त्र की चर्चा हुई है।

बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य उर्फ कौटिल्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ में प्रणेता माने जाते रहे हैं। कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र में कौटिल्य (विष्णुगुप्त) के अर्थशास्त्र की चर्चा की है। कामन्दक ने विष्णुगुप्त (कौटिल्य) को अपना गुरु माना है। तन्त्राख्यायिका में, जो ३०० ई० के लगभग अवश्य लिखी गयी थी, नृपशास्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रणाम किया है। दण्डी ने अपने बसुंधारचरित में लिखा है कि मौर्यराज के लिए छ सत्रह श्लोकों में विष्णुगुप्त ने दण्डनीति को संक्षिप्त किया (दण्डकुमार०, ८)। चाण ने अपनी कादम्बरी (पृ० १०९) में कौटिल्य के ग्रन्थ को अति नृशर कहा है। पञ्चतन्त्र में चाणक्य एव विष्णुगुप्त को एक ही माना है, और चाणक्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता कहा है। कौटिल्य का नाम पुराणों में भी अधिकतर आया है। क्षेमेन्द्र एव सोमदेव की कृतियों से पता चलता है कि गुणादय की बृहत्सभा में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। मृच्छकटिक (१-३९) ने भी चाणक्य की ओर संकेत किया है। मुद्राराक्षस (१) में कौटिल्य एव चाणक्य को एक ही माना है और कहा है कि 'कौटिल्य' शब्द 'कुटिल' (देवा) से निर्मित हुआ है। उपर्युक्त बातों में से कुछ स्वयं अर्थशास्त्र में व्यवस्थित संकेत के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय के अन्त में कौटिल्य इन शास्त्र के प्रणेता कहे गये हैं, द्वितीय अधिकरण के दसवें अध्याय के अन्त में वे राजाओं के लिए शासन-विधि के निर्माता कहे गये हैं। अन्तिम श्लोक बताता है कि उसने, जिसने नन्द के बगुल में से पृथ्वी को रक्षा की, इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। वहीं मह भी आया है कि अर्थशास्त्र के भाष्यकारों की विभिन्न व्याख्याओं को देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं भूज एव भाष्य का प्रणयन किया।

जाली, कीय एव वितरनिस्त ने कौटिल्य को मौर्यमन्त्री की उक्ति नहीं माना है। यह कथन कि उस व्यक्ति के लिए, जो आदि से अन्त तक एक बृहत् साम्राज्य के निर्माण में लगा रहा, इस पुस्तक का लिखना सम्भव नहीं था, बिल्कुल निराधार है। पूछा जा सकता है कि सायण एव माधव को कैसे इतना समय मिला

७७. 'धर्मशास्त्रोत्तममेव राजनीतिलक्षणमर्थशास्त्रमिदं विवक्षितम्,' मिताक्षरा (याज्ञ० २. २१)।

७८. तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायानां शास्त्रमर्थशास्त्रमिति। कौटिल्य, १५. १। प्रथम वाक्य है—पृथिव्या लाभे पालने च दायन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायश्चित्तानि संहार्यैश्चिबभयार्थशास्त्रमैकृतम्।

कि वे विपत्तियों से घिरे रहकर भी बृहत् प्रण्यो का निर्माण कर सके? अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र एवं चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की चर्चा नहीं पायी जाती, अतः कुछ लोगों ने इसी आधार पर इसे मौर्यमन्त्री की कृति नहीं माना। किन्तु यह छिछला तर्क है। एक महान् लेखक अपनी कृति में, जो सामान्य ढंग से लिखी गयी हो, व्यक्तिगत, स्थानीय एवं समकालीन बातों का हवाला दे, यह कोई आवश्यक नहीं है। स्ट्राइन एवं बितरनिट्स का यह तर्क कि मेगस्थनीज ने कौटिल्य की चर्चा नहीं की और न उसकी वार्ता में अर्थशास्त्र की बातों का मेल बैठता है, बिल्कुल निराधार है। मेगस्थनीज की 'इण्डिका' केवल उद्देश्यों में प्राप्ता है, मेगस्थनीज को भारतीय भाषा का क्या ज्ञान था कि वह महामन्त्री की बातों को समझ पाता? मेगस्थनीज की बहुत-सी बातें भ्रामक भी हैं। उसने तो लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे। क्या यह सत्य है? यहाँ केवल इतना ही सबैत पर्याप्त है। हिंस्लेब्राष्ट ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक शाखा की कृति है न कि किसी एक व्यक्ति की। इस तर्क का उत्तर जैकोबी ने मजबूत भाँति दे दिया है। अर्थशास्त्र एक शाखा का ग्रन्थ इसलिए कहा गया है कि इसमें अन्य आचार्यों के साथ स्वयं कौटिल्य के मत लगभग ८० बार आये हैं। किन्तु इस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर मेघातिथि तथा विद्वद्रूप ने बहुत पहले ही सबैत कर दिया है कि प्राचीन आचार्य अपने मत के प्रवर्तनार्थ अपने नामों को अहंकारवादिता से बचाने के लिए बहुधा अन्य-मुरप में दे देते थे।^{११} उत्तम-मुरप ने एवबचन में बहुत ही कम व्यवहार हुआ है। जैकोबी एवं वीष का यह कहना कि मारद्वाज (५६) ने कौटिल्य की आलोचना की है, नुतिपूर्ण है। कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपने पहले के आचार्यों का मत देते हैं। वीष का कथन है कि 'कौटिल्य' कुटिल से बना है, अतः कोई ग्रन्थकार स्वयं अपने मत को इस उपाधि से नहीं घोषित करेगा। पाण्ड्य ने नूटनीति से मौर्यसाम्राज्य का निर्माण किया और नन्द-जैसे आततायियों का नाश किया, अतः ही सबता है कि उन्हें आरम्भ में जो 'कुटिल' नाम दिया गया, वह अन्त में उन्हें, सत्यायं करने के कारण, नला लगेने लगा हो। एवं बात और, कौटिल्य में बहुत-से आचार्यों के उद्धृत नाम भी विचित्र ही हैं, यथा—पिपुन, वातध्यापि, कौण्यदन्त।

एक प्रश्न है—'कौटिल्य' नाम ठीक है या 'कोटल्य'? बादम्बरी, मुद्दारासस, पञ्चतन्त्र आदि में 'कौटिल्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। कामन्द्य के नीतिशास्त्र की एक टीका में कौटिल्य को कुटलमाय्य कहा गया है और 'कुटल' एवं गोत्र का नाम कहा गया है। एवं सिलालेख में 'कौटिल्य' शब्द आया है (पोल्का के गणेश्वर स्थान में प्राप्त, १२३४-२५ ई०)। जो हो, नाम का झगड़ अभी तय नहीं हो पाया है। इस प्रश्न में कौटिल्य शब्द का ही प्रयोग किया जायगा।

अर्थशास्त्र में कुल १५ अधिवरण, १५० अध्याय, १८० विषय एवं ६००० श्लोक (३२ अक्षरों की इकाइयाँ) हैं। यह गद्य में है, नहीं-नहीं कुछ श्लोक भी हैं। प्रत्येक अध्याय में अन्त में एव या कुछ अधिव श्लोक हैं। कुछ अध्यायों में वीष में भी श्लोक हैं। गद्य भाग की छोड़कर कुल ३४० श्लोक आये हैं। श्लोक अनुष्टुप् ज्योति में अधिव है। इन्द्रयया या उपजाति में केवल ८ श्लोक हैं। अर्थशास्त्र के पूर्व में अर्थशास्त्र हम नहीं मिलते हैं, अतः यह कहना कठिन है कि कितने श्लोक उपार जिये गये हैं और कितने हमने अर्पने हैं। शंती सरल एवं सीपी है, वेदान्त या व्याकरण सूत्रों की भाँति सशिक्षा नहीं है। गोत्रम, हारीत, गत जिन

७९. 'प्रायेण चण्डवरातः स्वयम् वरापदेशान् कृषते', मेघातिथि। याज्ञ० १.२ पर विवरण दे रहा है—
दिगु भगवन् च परीक्षोद्दृष्ट्यामा त्रिभिर्दशते स्वयदासनिषेधात्।'

के धर्मसूत्रों की भाषा से इसकी शैली मिलती-जुलती है, विन्तु आपस्तम्ब की भाँति इसकी भाषा प्राचीन नहीं है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है, यद्यपि दा एक स्थान पर भिन्नता भी है।

पूरा ग्रन्थ एक व्यक्ति की कृति है, अतः विषयों के अनुक्रम एवं व्यवस्था में पर्याप्त पूर्वविवेचन शक्यता है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर इतना मूल्यवान् प्रकाश डालता है, और इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि थोड़े में बहुत-बहुत कह देना सम्भव नहीं है। पन्द्रहों अधिकरणों की विषय-सूची इस प्रकार है—(१) राजानुशासन, राजा द्वारा शास्त्राध्ययन, आन्वीक्षिकी एवं राजनीति का स्थान, मन्त्रियों एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए प्रलोभन, गुप्तचर-संस्था, समा-बंधक, राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्तपुर के लिए व्यवस्था, राजा की सुरक्षा, (२) राज्य-विभाग के पर्यवेक्षकों के विषय में, ग्राम-निर्माण, चरागाह, वन, दुर्ग सन्निधाता के वर्तव्य दुर्गों, भूमि, खानों, बनो, मार्गों के करो के अधिकारी, आय-व्ययनिरीक्षक का कार्यालय, जनता के धन का गवन, राज्यानुशासन, राज्यकोष एवं खानों के लिए बहुमूल्य प्रस्तारों (रत्नों) की परीक्षा, सिक्का का अध्याय, व्यवसाय, बनो, अस्त्र-संस्थो, तौल-बटखरों, चुपी, कपडा बुनने, मद्यशाला, राजधानी एवं नगर के अध्यक्ष, (३) न्याय-शासन, विधि-नियम, विवाह-प्रकार, विवाहित जोड़े के कर्तव्य, स्त्रीधन, बाल्यो प्रकार के पुत्र, व्यवहार की अन्य सजाएँ, (४) कठक-निष्पासन, दिल्पकारी एवं व्यापारियों की रक्षा, राष्ट्रीय विपत्तिया, यथा अग्नि, बाढ़, आधि-व्याधि, अकाल, राक्षस, व्याध, सर्प आदि के लिए दवाएँ या उपचार, दुस्कारिया को दबाना, कौमार अपराध का पता चलाना, सन्देह पर अपराधियों को बन्दी बनाना, आकस्मिक एवं घात के कारण मृत्यु, दोषागीकार कराने के लिए अग्नि ११. १. दना, समी प्रकार के राजकीय विभागों की रक्षा भग भग करने के स्थान पर जूरमाने, बिना पीडा अथवा पीडा के साथ मृत्यु-दण्ड, दण्डियों के साथ समागम, विविध प्रकार क दोषों के लिए अर्धदण्ड, (५) दरबारियों का आचरण, राजद्वोह के लिए दण्ड, विशेषावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोष को सम्पूरित करना, राज्यकर्म-चारियों के वेतन, दरबारियों को योग्यताएँ, राज्यशक्ति की स्थापना, (६) मण्डलरचना, सार्वभौम सत्ता के सात तत्त्व, राजा के शील-गुण, शान्ति तथा सम्पत्ति के लिए कठिन कार्य, धृष्टिविध राजनीति, तीन प्रकार की शक्ति, (७) राज्यों के वृत्त (मण्डल) में ही नीति की छ धाराएँ प्रयुक्त होती हैं, सन्धि, विग्रह, यान, आसन, शरण गहना एवं द्वैधीभाव नामक छ गुण, सेना के कम होने एवं आज्ञोत्पन्न के कारण, राज्यों का मिलान, मित्र, सोला या भूमि की प्राप्ति के लिए सन्धि, पृष्टभाग में शत्रु, परिसमाप्त शक्ति का पुनर्गठन, तटस्थ राजा एवं राज-मण्डल, (८) सार्वभौम सत्ता के तत्त्वा के व्यसना के विषय में, राजा एवं राज्य के कष्ट (बाधा), मनुष्यों एवं सेना के कष्ट, (९) आक्रमणकारी के कार्य, आक्रमण का उचित समय, सेना में रैंग-हूटों की भरती, प्रसाधन, अन्त एवं बाह्य कष्ट (बाधा), असन्तोष, विश्वासपाती, शत्रु एवं उनके मित्र; (१०) युद्ध के बारे में, सेना का पड़ाव डालना, मेला का अभिपान, समरागण, पदाति (पैदल सेना), अस्व-सेना, हस्तिसेना आदि के कार्य, विविध रूपा में युद्ध के लिए टुकड़ियों की सजाना, (११) नगरपालिकाओं एवं व्यवसाय विगमों के बारे में, (१२) शक्तिशाली शत्रु के बारे में, दूत भेजना, कूट प्रवच्य योजना, अस्त्र-संस्त्र-सज्जित गुप्तचर, अग्नि, विष एवं भाण्डार तथा अन्न-कोटार का नगस, युक्तियों में शत्रु को पकड़ना, अन्तिम विजय, (१३) दुर्ग की जीतना, फूट उलटन करना, युक्ति स (युद्धकोशाद आदि से) राजा को आहूट करना, घेरे में गुप्तचर, विजित राज्य में शान्ति-स्थापना, (१४) गुप्त माधन, शत्रु की हत्या के लिए उपाय, भ्रमात्मक रूप-स्वरूप प्रकट करना, औपधिर्षा एवं मन्त्र प्रयोग तथा (१५) इस कृति का विभाजन एवं उत्तमा निदर्शन।

व्यवहार-विषयक शासन के वर्णन में कौटिलीय ने उल्लेख एक याज्ञवल्क्य में बहुत साम्य है। मनु एवं नारद की वाते भी इस विषय में कौटिलीय से मिलती-जुलती-सी दृष्टिगोबर होती हैं, किन्तु उस सीमा तक नहीं जहाँ तक याज्ञवल्क्य में।" अत्र प्रश्न है कि किसने विनय उधार लिया, याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य से या कौटिल्य ने याज्ञवल्क्य से? भाषा-सम्बन्धी समानता बहुत अधिक है। सम्भवतः याज्ञवल्क्य ने ही अर्थशास्त्र में बहुत-सी वाते लेकर उन्हें पचरद करके अपनी स्मृति में रख लिया है। बात यह है कि याज्ञवल्क्य में कौटिल्य से अन्य भी बहुत सी बात पायी जाती है। कौटिलीय अर्थशास्त्र मनुस्मृति से भी पुराना है। कौटिलीय में मानवों के मन की आर पाँच बार सकेत आया है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि मानवों के मतानुसार राजकुमार को तीन विद्याएँ पढनी चाहिए, प्रथी, वाताँ एवं दण्डनीति, आन्वीक्षिकी प्रथी का ही एक भाग है। राजमन्त्रियों की सत्या वारह है। मनुस्मृति (७५३) ने विद्याभा का स्पष्ट रूप से चार माना है और राजमन्त्रियों की सत्या सात या आठ बही है। बृहस्पति और अन्य विद्वानों ने इस मतभेद का नामने रखकर यही कहा है कि दस विषय में कौटिल्य ने मानवधर्मग्रन्थ की ओर सकेत किया है। किन्तु हमने पहले ही देस दिया है कि मानवधर्मग्रन्थ का ही नहीं। धर्मशास्त्र में मानवों के अतिरिक्त बृहस्पतियों एवं अंगिरसों के नाम आते हैं, किन्तु आरक्ष्यं तो यह है कि कौटिल्य ने अन्तम, आपस्तम्ब, वांघायन, वसिष्ठ, हारीत को वहाँ भी चर्चा नहीं की है। धर्मस्थीय प्रकरण में कौटिल्य ने अपने से पूर्व के आचार्यों की ओर सकेत अवश्य किया है। समानता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य न पूर्वोक्तों की ओर सकेत करते धर्मग्रन्थकारों की ही चर्चा की है।

धर्मस्थीय प्रकरण में जो कुछ आया है, उसमें प्रकट होता है कि गोमय, आपस्तम्ब, वांघायन के धर्म-ग्रन्थों से बहुत भाग की ओर अति प्रगतिशील वातें अर्थशास्त्र में पायी जाती हैं, किन्तु मनुस्मृति से कुछ, और याज्ञवल्क्य में बहुत परदे ही इसका प्रयोजन हो चुका था। कौटिलीय के निर्माण-काल के विषय में हम अन्त-प्रमाणों पर ही अपने तर्कों को रख सकते हैं, क्योंकि वास्तु प्रमाण हमें दूर तक नहीं ले जा पाते। निरस्तदेह यह कृति २०० ई० के बाद की नहीं हो सकती, क्योंकि कामन्दक, तन्त्राभ्याषिका तथा वाण ने इसकी प्रशंसा के गीत गाये हैं। इसे ई० पू० ३०० के आगे भी हम नहीं ले जा सकते।

कौटिलीय में पाँच शाखाओं के नाम आते हैं—मानवा (५ बार), बार्हस्पत्या (६ बार), औशनसा (७ बार), पारानरा (४ बार), आनीया (एक बार)। निम्नलिखित व्यक्तियों के भी नाम आये हैं—वात्यायन (एक बार), निम्नरत्न (एक बार), वीणपदन्त (४ बार), घोटवसूत (एक बार), (दीपं) घातायण (एक बार), पणनार (२ बार), पिनुत (६ बार), पिनुतपुत्र (एक बार), वाहृदन्तिपुत्र (एक बार), भाट्टान (७ बार, एक बार बगिर माट्टाज नाम से), पातव्याधि (५ बार), विद्याल्लास (६ बार)। स्वयं कौटिल्य का ८० बार नाम आया है। महाभारत में भी निम्नलिखित दण्डनीतिकारों की चर्चा की है—बृहस्पति,

८०. (क) अभिपुत्रो न प्रत्यभिपुत्रोत् अन्वय कच्छसाहासासापंतनवायेभ्यः। न चाभिपुत्रोभि-
योपीडति। शी० ३. १; अभिपुत्रोभिपुत्रोत् अन्वय प्रत्यभिपुत्रोत्। कच्छप्रत्यभिपुत्रोत् च कच्छे साहसोत् च। याज्ञ०
२. १०१०। (ख) प्रतिरोधकस्यापिभुतिशामप्रतीकारे धर्मदार्पे च परत्। शी० ३. २; भुतिभे धर्मदार्पे च ध्यापी
सम्प्रतिरोधके। मृतीन स्रीपनं भर्ता न त्रिव्यं दातुपहति। याज्ञ० २. १५७। (ग) सोदर्यानामनेकविद्यानां विपुत्रो
दार्पविभागः। शी० ३. ५; अनेकविद्यानां तु विपुत्रो भागवत्पत्नः। याज्ञ० २. १२०; आदि आदि (शी० ३. १६ एवं
याज्ञ० २. १६९; शी० ३. १६ एवं याज्ञ० २. १३०)।

मनु, भारद्वाज, विशालाक्ष, शुक्र (वही जिन्हें हम उग्रता कहते हैं) तथा इन्द्र (मन्मथत कौटिल्य का दाह-रक्षितपुत्र)। वात्स्यायन के कामसूत्र में धोटकमुख एव चारापण के नाम आये हैं। नयचन्द्रिका के मतानुसार पिशुन, भारद्वाज, कौण्डिन्य एव वातव्याधि क्रम से नारद, द्रोणाचार्य, भीष्म एव उद्धव हैं।

कौटिलीय ने चारों वेदों, अथर्ववेद के मन्त्रप्रयाग, छ वेदांगों, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र एव अर्थशास्त्र की चर्चा की है। इसमें साम्य, योग एव लोकायत की शाखाओं की ओर भी संकेत आया है। इसने मोहूर्तिक, कार्तान्तिक (फलित ज्योतिष जाननेवालों), बृहस्पति ग्रह एव शुक्र ग्रह की भी चर्चा की है। धातुशास्त्र का नाम भी आया है। उस समय संस्कृत ही राजभाषा थी। शासनाधिकार में काव्य-गुणों की भी चर्चा की गयी है, यथा माधुर्य, औदार्य, स्पष्टत्व, जो अलंकारशास्त्र में प्रारम्भ की सूचक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दूसरी शताब्दी (१५० ई०) में ह्रदयामन् के अभिलेख में काव्य-गुणों की चर्चा है। कौटिल्य ने प्रस्तर एव ताम्र पर तक्षित अनुशासनो की कई चर्चा नहीं की है। उनके अर्थशास्त्र में वैदिक-व्याकरण (२-२७) की ओर भी संकेत है।

जिन देशों एव लोगो की चर्चा कौटिलीय में हुई है उनमें कुछ उल्लेख के योग्य हैं। चीन के देशम (कौशेय) एव नेपाल के कम्बल की चर्चा हुई है। कौशेय के वृषणानुसार 'चीन' नाम चीन देश के 'मिन्त' नामक राज-वंश से बना है, और इस वंश का राजधरम्भ ई० पू० २७४ में हुआ अतः कौटिलीय ई० पू० ३०० में नहीं प्रणीत हो सकता। किन्तु 'चीन' शब्द की व्याख्या सरल नहीं है, यह जिनो अन्य प्राचीन शब्द से भी सम्बन्धित हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ यह शब्द आया है वह सूत्र ही दोष हो। कौटिलीय में वृष्णियों के "सघ", कम्बोज एव सुराष्ट्र के आमघजीवी (मुद्गजीवी) एव वाताजीवी (इपि-व्यापार-जीवी) क्षत्रियों की "धेपियां" तथा लिच्छिविक, वृजिव, मरलव, मद्र, कुकुर तथा कुप्यन्नाला वा (जो राजा पदवी वाले थे) वर्णन आया है (११.१)। इन गणों में कुछ, यथा लिच्छिवि, वृजि (पालि में वज्जि) तथा मन्ल तो बौद्ध ग्रन्थों में मन्वी भाँति वर्णित हैं। हमें यह वर्णन मिलता है कि कम्बोज मिन्यु, आरुष्ट्र तथा वनायु के छोटे अन्युत्तम एव वाह्वीक, पापेय, सीवीर एव तैतल के मध्यम श्रेणी के होते हैं। कौटिलीय में म्लेच्छ जाति वा भी वर्णन आया है, जिसमें मन्तानों की विक्री हो सकती है और उन्हें बन्धन रखा जा सकता है (३.१३)।

बौद्धों के विषय में कोई विनिष्ट विवरण नहीं मिलता, केवल एक स्थान (३-२०) पर ऐसा आया है कि उस व्यक्ति को एक सौ पण (एक प्रकार का सिक्का) देना पड़ेगा, जो अपने घर में देवताओं वा पितरों के सम्मान के समय किसी बौद्ध (शाक्य), आजीवन या शुद्ध साधु को भोजन के लिए निमन्त्रित करता है। स्पष्ट है कि कौटिलीय के प्रणयन के समय बौद्धों को समाज में कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका था। आजीवन लोभ मन्त्रालि गोसाल द्वारा स्थापित एव धार्मिक शासकों के अनुयायी थे।

कौटिल्य को प्रचलित महाभारत शांति भाग में नहीं, कहना कठिन है। अर्थशास्त्र में उदाहृत, यथा ऐल दुर्पाधन, हैहय अर्जुन, वासापी, अमस्त्य, अम्बरीष, मुद्यात्र (नल) की अधिपति गाथाएँ महाभारत में भी आयी हैं। कहीं-कहीं गाथाओं में कुछ अन्तर भी है, यथा जनमेजय ने त्रयो व आरत ब्राह्मणों पर आक्रमण किया और नष्ट हो गया, किन्तु महाभारत में जनमेजय की गाथा कुछ और ही है (१२-१५०)। इसी प्रकार कुछ अन्य कथाओं में भी अन्तर है। कौटिल्य की पुराणों के विषय में जानकारी थी।

८१. तथा कौशेय चीनपट्टारख चीनमूमिजा स्मारयता। की० २-११।

८२. शाक्यजीवकावीर्यु वृषलप्रजितान् देवनिर्वायुधु भोजयतः दातव्यो वरुः। की० ३-२०।

धर्म-५

कौटिल्य को ज्यो-वृद्धियों का आश्चर्यजनक ज्ञान था। डा० जाती के मत में इस विषय का कौटिल्य का ज्ञान सुझा से शही अधिक विस्तृत था। चरक एव सुश्रुत के कालों के विषय में निरिचत रूप से कुछ कहना कठिन है। कौटिल्य ने 'रसद' नामक पारद-विष-व्यवहारी की चर्चा की है। उन्होंने 'रस' के व्यापारियों के लिए निष्कासन का दण्ड घोषित किया है, उन्होंने 'रस-विद्' (पारामिथित सोना) (२.१२), 'रसा काञ्चनिका' (स्वर्णयुक्त जलीय पदार्थ) एव 'इगुलुक' की चर्चा की है।

कौटिलीय धर्मशास्त्र में एक अत्यन्तपूर्ण बात है दुर्ग के बीच में देवताओं के मन्दिरों की स्थापना की चर्चा, यथा शिव, वैश्रवण, अश्विनी, लक्ष्मी एव मरिचा (दुर्गा?) के मन्दिर। इतना ही नहीं, उन्होंने शरोखों में अपराजित, अप्रतिहत, अयन्त एव वैजयन्त का मूर्ति-स्थापना की चर्चा की है। उन्होंने ब्रह्मा, इन्द्र, यम एव सेनापति (स्कन्द) को मुख्य द्वार के दृष्टदेवताओं में गिना है। पाणिनि (५.३.९९) के महाभाष्य से पता चलता है कि 'भौयों में धनलोभ से मूर्तियाँ स्थापित कीं थीं, जिनमें शिव, स्कन्द एव विशाल की पूजा हुआ करती थी।'

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने धर्मशास्त्र में बहुत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई० पू० ३०० की इति है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए।

अब तक कौटिलीय की दो व्याख्याओं का पता चल चुका है। एक है मट्टस्वामी इत प्रतिपदपत्रिका और दूसरी है माधवयज्वा की नयचन्द्रिका। दोनों अपूर्ण रूप में ही प्राप्त हैं।

डा० घामशास्त्री ने अपने संस्करण में षाण्णस्यहृत् ५७१ सूत्रों का संग्रह किया है। किन्तु इन सूत्रों का कौटिल्य से क्या सम्बन्ध है; कदा बहुत कठिन है। भारत के विभिन्न भागों में षाण्ण्य की बहुत-सी मीतियाँ प्रकाशित हुई हैं। निस्तन्वेह ये मीतियाँ कौटिलीय धर्मशास्त्र के बहुत बाद की हैं और कहानियों के रूप में प्रचलित रही हैं। इसी प्रकार 'षाण्ण्य-राजनीतिशास्त्र' नामक ग्रन्थ भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के बाल में संपूर्णीत हुआ था। इसी प्रकार मृद-षाण्ण्य, लघु-षाण्ण्य की पुस्तकों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। कौटिलीय धर्मशास्त्र से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

१५. वैशानस-धर्मप्रदान

पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने सन् १९११ में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया (निवेन्दु संहतमाला में) और सन् १९२९ में डा० एमर्स ने भी गार्द्वेन में इसका प्रकाशन किया।

महादेव ने सायाबाइ-श्रीतसूत्र पर लिखित अपनी वैजयन्ती नामक व्याख्या में इण्डियन एजुकेशन सोसायटी के ए. श्रीयुक्तों, यथा बोधायन, माण्डूक्य, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, चापूत एवं वैशानस की चर्चा की है और वैशानसश्रीतसूत्र के कुछ अर्थ बर बार उद्धृत किये हैं। श्रीयुक्त ने षण्णस्यहृत् में चापूत एव वैशानस के नाम नहीं आये हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों में वैशानस नामक शास्त्र की ओर श्रेय मिलता है। श्रीयुक्त में 'वैशानस' शब्द (धर्मसूत्र ३.२) शानप्रथम के लिए आया है। बोधायन में भी वही सूत्र है और उसकी व्याख्या की गयी है कि वैशानस वह है जो वैशानस-शास्त्र में कथित नियमों के अनुसार चलता है (धर्मसूत्र, १.१९)। शशिष्ठधर्मसूत्र में भी वही सूत्र है। मनुस्मृति (१.२१) में शानप्रथम को वैशानस के मतों का माननेवाला कहा है (वैशानसमते रिवत्)।

८१. 'अथवा इत्युच्यते, तत्रैव न तिष्ठति; शिव एकः विशाल इति। किं कारणम्? शीर्षे हिरण्यचिह्नितर्षा अकल्पिता। अथेतासु न स्वान्। शास्त्रेताः सर्वेति पूजार्थास्तान् अतिष्ठति।' महाभाष्य (५.३.९९)।

बैज्ञानिकधर्मग्रन्थ में तीन ग्रन्थ हैं, जिनमें प्रत्येक कई खण्डों में विभाजित है। कुछ मिलकर ४१ खण्ड हैं। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यों है—(१) चारों वर्ण एवं उनके विशेषाधिकार, चारों आश्रम, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचारियों के चार प्रकार, गृहस्थ के कर्तव्य, गृहस्थों के चार प्रकार; वार्तावृत्ति (कृषि-जीविका), शालीन, मायावर एवं धीराचारिक, वन के वृत्ति लोग, वानप्रस्थ या तो सपत्नीक हैं या अपत्नीक, सपत्नीक चार प्रकार के होते हैं; औदुम्बर, वैरिष्ण, बालखिल्य एवं फेनप, अपत्नीक वानप्रस्थ; चार प्रकार के मिश्रणों के बारे में, यथा कुटीचक, बह्वचक, हंस एवं परमहंस; सकाम एवं निष्काम कर्म, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति; योगियों के तीन प्रकार एवं उनके उपविभाग; (२) वानप्रस्थ के श्रमणक नामक क्रियासंस्कारों का विस्तार (खण्ड १-४); वानप्रस्थ के कर्तव्य, संन्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिलित होने का विवरण (खण्ड ६-८); संन्यास के लिए अवस्था (७० वर्ष के ऊपर या संततिविहीन या पत्नी मर जाने पर); संन्यासियों के प्रतिदिन के व्रत एवं कर्तव्य; आश्रमन एवं सध्या के विषय में, सम्न्वियों, पुरुष या नारी को अभिवादन, अनभ्याय, स्नान एवं ब्रह्मयज्ञ, भोजन-विधि, व्रजित एवं अव्रजित भोजन; (३) गृहस्थ के आचार-निगम (खण्ड १-३), मार्गनियम, स्वर्ण या अन्य धातु सम्बन्धी वस्तुओं का पवित्रीकरण, अन्य वस्तुओं का निर्मलीकरण, वानप्रस्थ के विषय में, मिश्र संन्यासी की समाधि, संन्यासी की मृत्यु पर नारायणबलि, विष्णु-केशव आदि बाह्य नामों एवं जल के साथ संन्यासियों द्वारा तपण, अनुलोम एवं प्रतिलोम, बीच वाली जातियों, घात्य लोग, उनका उद्धार, जीविका का नाम एवं धावन (खण्ड ११-१५)।

भौतम एवं बौधायन के धर्मसूत्रों की अपेक्षा बैज्ञानिकधर्मग्रन्थ धौली एवं विषय-वस्तु में बाद की कृति लगता है। सम्भवतः यह प्राचीन बातों का संशोधन-ग्रन्थ है। इसमें धर्मसूत्रों एवं कुछ स्मृतियों की अपेक्षा अधिक मिथित जातियों के नाम आये हैं। यह कृति किसी वैष्णव द्वारा प्रणीत है। इसमें योग के अष्टांग (१.१०.९), आयुर्वेद के अष्टांग एवं भूत-प्रेतों की पुस्तकों की चर्चा है (भूततन्त्र, ३.१२.७)। इसमें ऋषियों के लिए संन्यास व्रजित कहा गया है।

धर्म-सम्बन्धी अन्य सूत्रग्रन्थ

१६. अत्रि

कुछ ऐसे भी धर्मसूत्र हैं, जो या तो हस्तलिखित रूप में हैं या केवल धर्मशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में प्रतस्ततः बिखरे पड़े हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अत्रि को लेते हैं। मनुस्मृति से पता चलता है कि अत्रि प्राचीन धर्म-शास्त्रकार थे। बेकन कालेज के संग्रह में बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, जिनमें आत्रेय धर्मशास्त्र भी अध्यायों में है। इन अध्यायों में दान, जप, तप का वर्णन है, जिनसे पापों से छुटकारा मिलता है, कुछ अध्याय गद्य-पद्य दोनों में हैं। प्रथम तीन अध्याय पूर्णतः श्लोकबद्ध हैं, इसके कुछ श्लोक मनुस्मृति में भी आते हैं। चौथा अध्याय एक सत्रे सूत्र से प्रारम्भ होता है, जो धौली में आगे आनेवाले भाष्यों एवं टीकाओं से मिलता है। पाँचवाँ अध्याय भी पद्य में है और इसके वृत्तिय श्लोक वसिष्ठ से भी पाये जाते हैं। छठा अध्याय वेद के मूक्तों एवं पवित्रस्तोत्रों का वर्णन करता है। यहाँ भी वसिष्ठ के श्लोक हैं (२८.१०-११)। सातवाँ अध्याय गुप्त प्रायश्चित्तों की ओर संकेत करता है। इसमें शको, यत्रनों, कम्बोजो, बाह्लीकों, खर्षों, बर्षों एवं पारस (पारसियों या फारस वालों) के नाम आये हैं। अष्टमक ने भी इस सूत्र का उद्धरण दिया है। सातवाँ एवं आठवाँ अध्याय गद्य-पद्य-मिश्रित हैं। नवाँ पद्य में है और योग एवं उसके अंगों का वर्णन करता है।

हस्तलिखित प्रतिपों में अत्रिस्मृति या अत्रिसंहिता नामक एक अन्य ग्रन्थ मिलता है। जीवानन्द के संग्रह में भी

वर्धनद्विधा या प्रारम्भ हुआ है, जिसमें ४०० श्लोक हैं। इसमें स्वयं अत्रि प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किये गये हैं। इसमें आपस्तम्ब का नाम आया, शत शास्त्रात्मक के नाम एवं उनकी कृतियों की चर्चा है। वेदान्त, साय्य, योग, पुराण, नागवत या ना वर्णन आया है। अत्रि में सात प्रकार के अन्वयों के नाम आये हैं, यथा घोषी, धर्मचार, नट बुरड चक्र (भक्त्याह), मेद एवं मिला। अत्रि ने कहा है कि मेला, विवाह-बाल, वैदिक यज्ञों एवं अन्य उत्सवों में असूयमाना का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि मरण, मयुरा एवं अन्य तीन स्थावरो के ब्राह्मण, चाहे वे बृहस्पति के समान विद्वान् ही क्यों न हों, भ्रातृ के समय नहीं आदृत होते।

अत्रि में राजि-चक्र के लक्षण धन्या एवं वृद्धिक के नाम आये हैं, अतः यह कृति ईसा की प्रथम शताब्दी के पहले प्रणीत नहीं हुई होगी।

जीवानन्द के मद्रह में एक लघु-अत्रि (भाग १, पृ० १-१२) है, जो ६ अध्यायों एवं १२० श्लोकों में है। इसमें मनु का नाम आया है। इसके बहून-में अग वसिष्ठधर्मसूत्र में भी आये हैं। जीवानन्द में एक वृद्धा-वेद्यस्मृति (भाग १, पृ० ४७-५७) भी है, जिसमें १४० श्लोक एवं ५ अध्याय हैं। इसमें और लघु अत्रि-स्मृति में वृद्ध धर्मिष्ठ सम्बन्ध है। महाभारत में भी एक अत्रि के मत का वर्णन आया है (अनुशासन, ६५, १)।

१७ उशना

वर्द सूत्रों से पता चलता है कि उशना ने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। स्वयं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उशना का नाम सात बार लिखा है। उसमें शासन-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त अन्य बातें भी थीं। महाभारत में भी उशना की राजनीति की ओर संकेत है (शांतिपर्व, १३९-७०)। मुद्राराक्षस में भी औशनसी दण्डनीति का नाम आया है। याज्ञवल्क्य के व्याख्याकार विश्वरूप ने भी उशना की चर्चा की है। स्पष्ट है, औशनसी-राजनीति में श्लोक भी थे, क्योंकि मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने दो श्लोक उद्धृत किये हैं (७ १५, ८ ५०)। शास्त्र्य महाब्राह्मण का पटना है कि बाण्य उशना अनुरो के पुरोहित थे (७ ५ २०)।

डेवन कालेज सग्रह में औशनस धर्मशास्त्र की दो अप्रकाशित प्रतियाँ हैं। दोनों वर्द अशो में अपूर्ण हैं। इस धर्मशास्त्र के विषयों में कोई नवीनता नहीं है। इसमें १४ विधाओं के नाम आये हैं, यथा ४ वेद, ९ ऋष, श्रीमाता, व्यास, धर्मशास्त्र एवं पुराण। औशनस का जाति-सम्बन्धी वर्णन बौधायन में वृद्ध मिश्र है। यह कृति गद्य-पद्य दोनों में है। इसमें ब्राह्मण की सूत्र पत्नी में उत्पन्न पुत्र 'पारदाव' कहा जाता है, किन्तु मूल धर्मशास्त्र-कारों ने उसे 'निषाद' कहा है। मनु और उशना के बहून-में अग एक ही है। औशनस धर्मसूत्र के बहून-में गद्यांश मनु के श्लोकों में आते हैं। इस धर्मसूत्र में वसिष्ठ, हारीत, दौतक एवं गोम के मत भी उद्धृत हैं।

गोमधर्मसूत्र के व्याख्याकार हरदत्त तथा स्मृतिचरित्रा के उद्धरणों से पता चलता है कि उन्हें उशना की पुंश्र का जनसरो थी।

इन विवेचनों से पता चलता है कि औशनस धर्मसूत्र गोम, वसिष्ठ एवं मनु के बाद की कृति है। जीवानन्द के मद्रह में एक अन्य औशनस धर्मशास्त्र आया है और वही बात आनन्दायन सग्रह में भी है। मिश्राचार्य ने आया है कि जीविका के माधवों की जनसारी के लिए उशना एवं मनु की कृतियों को पढ़ना पारिष्ट। मनु के टीकाकार कुल्लू (१० ५९) ने भी औशनस ग्रन्थ की चर्चा की है। एक औशनस-स्मृति भी है, जिसमें मनु, मनु (मनुसुत श्राव्य), प्रजापति के साथ उशना का भी नाम आया है। इसमें पुराण, श्रीमाता, वेदान्त, श्रीपराय, बाराहिक एवं दामोदर की चर्चा आयी है। किन्तु उद्धृत कृतियों में राजनीति विषयक चर्चा नहीं आयी है। मिश्राचार्य (काव० ३ २६०) एवं अथर्व में उशना के पद्याय एवं गद्यांश दोनों के उद्धरण आये हैं।

१८. कण्व एव काण्व

आपस्तम्बधर्मसूत्र से पता चलता है कि कण्व एव काण्व धर्मशास्त्रकार थे। एव वृणिक कुलम बोत्स, हारीत, पुनरमादि के साथ कण्व एव काण्व का मत भी घोषित किया गया है। आह्निक एव श्राद्ध पर कर्तव्य करते हुए स्मृतिचन्द्रिकाकार ने कण्व के मत को कई बार उद्धृत किया है। इसी प्रकार गौतमधर्मसूत्र की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने भी किया है। आचारमयूख एव श्राद्धमयूख में भी कण्व का नाम आया है। याज्ञवल्क्य-स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या में किसी ग्राम या नगर में सन्यासी के रहने के विषय में काण्व का एक श्लोक उद्धृत हुआ है (याज्ञ० पर, ३ ५८)।

१९. कश्यप एवं काश्यप

बौ० धर्मसूत्र (१ ११ २०) में कश्यप का मत उद्धृत है।^{११} किन्तु तत्सवधी श्लोक स्मृतिचन्द्रिका में कात्यायन का कहा गया है (१, पृ० ८७)। महाभारत के वनपर्व में काश्यप की सहिष्णुता की गाथाएँ उद्धृत हैं (२९ ३५-४०)। कश्यप और काश्यप दो स्वतन्त्र धर्मशास्त्रकार हैं कि नहीं, इसका उत्तर देना कठिन है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं। काश्यप के धर्मसूत्र में सभी परम्परागत बातें आयी हैं, यथा—प्रति दिन के कर्तव्य, श्राद्ध, अर्घोच, प्रायश्चित्त आदि। विद्वत्स्वरूप तथा उनके आगे के मनी लोको ने काश्यप-धर्मसूत्र को प्रमाणरूप में उद्धृत किया है। विद्वत्स्वरूप में काश्यप का गद्यांश भी उद्धृत है (याज्ञ० पर, ३ २६२)। मिताक्षरा ने भी गद्यांश उद्धृत किया है (याज्ञवल्क्य पर, ३ २३)। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण पद्य में हैं। हरदत्त ने गद्य का सूत्र उद्धृत किया है (२२. १८)। हारलता ने अर्घोच पर कश्यप का सूत्र उद्धृत किया है। अपरार्क ने कश्यप एव काश्यप दोनों के नाम से सूत्र उद्धृत किये हैं (देखिए, याज्ञ० १ ६४, ३ २६५, १ २२२-२५, ३ २५१, २८८, २९०, २९२)। डेकन कालेज के सग्रह में दो प्रतियाँ हैं जिनमें काश्यप स्मृति गद्य में है। इन स्मृति के कुछ अंश भाष्यकारों द्वारा उद्धृत पाये जाते हैं। इस स्मृति में स्वयं काश्यप प्रमाण-स्वरूप उद्धृत हैं; याज्ञवल्क्य ने काश्यप को धर्मशास्त्र-प्रयोक्त्रक नहीं माना है, किन्तु पराशर ने “काश्यपधर्मा” की चर्चा की है। स्मृति-चन्द्रिका एव सरस्वतीविलास ने १८ उपस्मृतियों की चर्चा की है, जिनमें काश्यप भी सम्मिलित है।

२०. गार्ग्य

बृहद् याज्ञवल्क्य के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए विद्वत्स्वरूप ने (याज्ञ० पर, १।४-५) गार्ग्य को धर्म-वक्ताओं में गिना है। उन्होंने गार्ग्य एव बृहद्गार्ग्य के सूत्रों को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि गार्ग्यधर्मसूत्र नामक एक ग्रन्थ था। मिताक्षरा, अपरार्क एव स्मृतिचन्द्रिका ने आह्निक, श्राद्ध एव प्रायश्चित्त-सम्बन्धी बातों पर गार्ग्य के कई एक श्लोक उद्धृत किये हैं। पराशर ने भी गार्ग्य को धर्मशास्त्रकार माना है। धर्म विषयक बातों को अपरार्क ने श्लोकों में भी उद्धृत किया है। मार्गी संहिता के ज्योतिष-सम्बन्धी उद्धरण मिले हैं। स्मृति-चन्द्रिका में ज्योतिषार्ग्य एव बृहद्गार्ग्य से उद्धरण लिये गये हैं। नित्याचारप्रदीप ने गार्ग्य एव गार्ग्य को अलग-अलग स्मृतिकार घोषित किया है।

२१. ध्ववन

मिताशय, अपराकं तथा अन्य प्रमाण-ग्रन्थों ने ध्ववन के कतिपय श्लोक एवं सूत्र उद्धृत किये हैं। गोदान करने तथा उसके लिए मन्त्रोच्चारण की विधियों के सिलसिले में अपराकं ने ध्ववन का प्रमाण दिया है (याज्ञ०, १ १२७)। कुत्ता, रक्पाक, दाब, चितापूम, घुरा, घुरापान आदि के स्पर्श से उत्पन्न प्रायश्चित्त पर धर्षा करते हुए मिताशय एवं अपराकं ने ध्ववन का उद्धरण दिया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का उद्धरण मन-सत्र दिया गया है।

२२. जातूकर्म

याज्ञवल्क्य की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने बृह-याज्ञवल्क्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें जातूकर्म नामक एक 'धर्मवक्ता' की धर्षा हुई है। यह नाम कई प्रकार से लिखा गया है, यथा जातुकर्म, जातू-कर्म या जातुकर्म। स्मृतिचन्द्रिका ने अगिरा को उद्धृत करते हुए जातूकर्म को उपस्मृतिवारी ने गिना है। विश्वरूप ने जातूकर्म के एक गद्यांश को कई बार उद्धृत किया है। जातूकर्म ने आचार-श्राद्ध-सम्बन्धी एक धर्मसूत्र लिखा था, यह स्पष्ट है। जातूकर्म को मिताशय, हरदत्त, अपराकं तथा अन्य लेखकों ने श्लोकों के रूप में उद्धृत किया है। लगता है, जब तक यह धर्मसूत्र विस्मृत या लुप्त हो चुका था। अपराकं द्वारा उद्धृत अत्र ने कन्या-पति का नाम माया है, इससे यह बहा आ सकता है कि जातूकर्म तीसरी या चौथी शताब्दी में रचा गया होगा।

२३. देवल

मिताशय ने देवल के गद्यांश उद्धृत किये हैं, जिनमें पूरु की वृत्ति का, यायावर एवं दालीन नामक गृहस्थों का वर्णन है। अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका ने भी देवल के उदाहरण हैं। आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्रायश्चित्त आदि विषयों पर देवल के उद्धरण प्राप्त होते हैं। देवल की एक स्वतन्त्र कृति अस्तव्ययी। आनन्दधाम के सङ्ग्रह में ९० श्लोकों की एक देवलस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महाभारत में भी देवल का मत उल्लिखित है (समापनं, ७२.५), जिसमें मनुष्यों की तीन ज्योतिषों, यथा अथर्व (सन्तान), बने एवं विद्या का उल्लेख है। सम्प्रति-विभाजन, वसीयत, स्त्रीधन पर अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका ने उद्धृत अत्र अन्व-कीर्तनीय है। सम्प्रति बृहस्पति एवं बाल्यायन के समय में देवल विद्यमान थे।

२४. पंठीनसि

यद्यपि याज्ञवल्क्य में पंठीनसि नामक धर्मसूत्रकार की गणना नहीं है, तथापि इससे सन्देह नहीं कि ये एक अति प्राचीन धर्मसूत्रकार हैं। गौडत्या के प्रायश्चित्त का उल्लेख करते हुए विश्वरूप ने पंठीनसि को उद्धृत किया है। डा० जाली एवं डा० बेंलेण्ड ने अनुसार पंठीनसि अथर्ववेदी ठहरते हैं। मिताशय ने (याज्ञवल्क्य पर, १.५३) पंठीनसि के सूत्र का प्रमाण देते हुए लिखा है कि व्यक्ति को मानुहुत से तीन एवं त्रिभुक्त से पाँच पीढ़ियों छोड़कर विवाह करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका, हरदत्त, अपराकं ने पंठीनसि के बहुत-से सूत्र उद्धृत किये हैं।

२५. बुध

याज्ञवल्क्य एवं यजुष्य के इस सूत्रकार का नाम नहीं लिखा है। बुध के उद्धरण बहुत ही कम मिलते

हैं। अपराकं (याज्ञ० पर, १.४-५), कल्पतरु (वीरामित्रोदय, परिभाषा प्र०, पृ० १६), हेमाद्रि एव भीमूतबाह्वन (कालविवेक) ने बुध का उल्लेख किया है। डेकन कालेज सभ्रह में बुध के धर्मशास्त्र की दो प्रतियाँ हैं। ये दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ गद्य में ही हैं। यह धर्मसूत्र बहुत ही सटीक में है। इसमें उपनयन दिवाह, नर्माधान से उपनयन तक के संस्कारों, पंचमंत्रों, श्राद्ध, पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ, सोमयाग, राजधर्म आदि की चर्चा हुई है। यह प्राचीन ग्रन्थ नहीं है। लगता है, यह किसी एक बृहत् ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण है।

२६. बृहस्पति

कौटिल्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन अर्थशास्त्रकार माना है और छ बार उनकी चर्चा की है। महा-भारत (शान्तिपर्व, ५९.८०-८५) में आया है कि बृहस्पति ने धर्म, अर्थ एवं काम पर रचित ब्रह्मा के ग्रन्थ को ३००० अध्यायों में संक्षिप्त किया। वनपर्व (३२.६१) में बृहस्पति-नीति का भी उल्लेख है। बृहस्पति द्वारा उच्चरित श्लोको एव गाथाओं को महाभारत ने कई बार कहा है। अनुशासनपर्व (३९.१०-११) में बृहस्पति एव अन्य लेखकों के अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है। कामसूत्र में भी आया है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ एवं काम पर एक सौ सहस्र अध्यायों में एक महाग्रन्थ लिखा है और बृहस्पति ने उसी के एक अंश अर्थशास्त्र पर लिखा। अश्वघोष ने भी बृहस्पति के राजशास्त्र का उल्लेख किया है। कामन्दक एव पंचतन्त्र ने भी बृहस्पति के मत का प्रकाशन किया है (पंचतन्त्र, २.४१)। यशस्तिलक में ऐसा आया है कि बृहस्पति की नीति में देवों को कोई स्थान नहीं मिला है। सेनापति, प्रतीहार, दूत आदि की पात्रताओं के विषय में विद्वरूप ने ऐसे गद्य-अवतरण दिये हैं, जो बृहस्पति के हैं, ऐसा लगता है। विद्वरूप एव हरदत्त के उल्लेखों से पता चलता है कि बृहस्पति ने धर्म एवं व्यवहार-सम्बन्धी विषय पर एक सूत्रग्रन्थ भी लिखा था। यह कहना कि एक ही बृहस्पति ने धर्मसूत्र एव अर्थशास्त्र दोनों पर ग्रन्थ लिखे, सन्देहास्पद है। यह कहना अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयिता थे। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को 'धर्मवक्ता' कहा है (१.४-५)। मिताक्षरा तथा अन्य भाष्यों एव निबन्धों में बृहस्पति के व्यवहार-सम्बन्धी लगभग ७०० श्लोक तथा आचार एव प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कुछ ही श्लोक उद्धृत हैं, किन्तु यह एक अलग ग्रन्थ है, जिसकी चर्चा आगे होगी। 'बृहस्पत्य अर्थशास्त्र' बहुत बाद को लिखा गया है।

२७. मरदाज एव मारदाज

मारदाज के नाम से एक श्रौतसूत्र एव एक गृह्यसूत्र है। विद्वरूप-लिखित उद्धरणों से व्यक्त होता है कि मरदाज एव मारदाज रचित एक धर्मसूत्र था। सम्भवतः मरदाज एव मारदाज दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अपराकं ने विद्वरूप की भाँति मरदाज से उद्धरण लिखे हैं। स्मृतिचन्द्रिका एव हरदत्त तथा अन्य ग्रन्थों में भी मारदाज का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि मारदाज अर्थशास्त्र के एक प्राचीन लेखक थे। कौटिल्य ने मारदाज को सात बार तथा कण्विक मारदाज को एक बार लिखा है। महाभारत (शान्ति-पर्व, अध्याय १४०) में मारदाज एव सौवीर ने राजा धनुञ्जय के बीच वार्ता की चर्चा है। इसी पर्व में मारदाज को राजशास्त्र के लेखकों में गिना गया है। यशस्तिलक ने भी मारदाज के दो श्लोकों को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि मारदाज का राजनीति-विषयक ग्रन्थ दसवीं शताब्दी में अवस्य विद्यमान था। पराशर-मार्गशीय में मरदाज की चर्चा हुई है। व्यवहार के विषय में सरस्वतीविलास में मरदाज की बातें उद्धृत की गयी हैं।

२८. शातातप

याज्ञवल्क्य एव पराशर ने शातातप को धर्मवक्ताओं में गिना है (१.४-५)। विवरूप, हरदत्त एव अपराशर ने प्रायश्चित्त के विषय में शातातप के बहुत-से गद्यांश उद्धृत किये हैं। मिताशरा, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में शातातप के बहुत-से श्लोक लिये गये हैं। उच्यता है, शातातप के नाम की कई स्मृतियाँ हैं। जीवानन्द के सप्रष्ट में धर्मविपाक नामक शातातपस्मृति है जिसमें ६ अध्याय एव २३१ श्लोक हैं। यह बहुत बाद की कृति है। इसमें बालहत्या के लिए हरिविदा (२.३०) का पाठ करता कहा गया है।

'इण्डिया आफिस' की पुस्तक-सूची में १३६२वाँ ग्रन्थ है शातातपस्मृति, जो १२ अध्यायों में है। अपराशर ने कई स्थानों पर बृद्ध शातातप के मतों की चर्चा करते हुए शातातप का भी उल्लेख किया है। डेवन बालेज के सप्रष्ट में तथा 'इण्डिया आफिस' में १३६०वाँ ग्रन्थ बृद्ध-शातातप का है। हेमाद्रि ने भी अन्य स्मृतिकारों में बृद्ध-शातातप का नाम लिया है। जीमूतबाहन की व्यवहारमात्रिका में बृद्ध-शातातप का उद्धरण आया है जो यह सिद्ध करता है कि इन्होंने व्यवहार पर भी कुछ लिखा था। मिताशरा ने (याज्ञ० पर, ३ २९०) बृहत्-शातातप की तथा हेमाद्रि ने उनके भाष्यकार की चर्चा की है।

२९. सुमन्तु

'विवरूप, हरदत्त एव अपराशर' के भाष्यों से पता चलता है कि विशेषतः आचार एव प्रायश्चित्त पर सुमन्तु ने एक धर्मग्रन्थ प्रणीत किया था। विवरूप ने इसने गद्यांशों को उद्धृत किया है। विवरूप द्वारा लिये गये उद्धरण अपराशर में भी पाये जाते हैं। अशोक पर सुमन्तु के सूत्र हारण्यता द्वारा भी उद्धृत हैं। सरस्वती-विलास में राजा के सात अंगों के विषय में सुमन्तु के एक गद्यांश की चर्चा हुई है। विवरूप के उद्धरणों में कहा जा सकता है कि सुमन्तु का धर्मग्रन्थ बहुत पहले प्रणीत हुआ था। किन्तु बात ऐसी है नहीं। याज्ञवल्क्य एव पराशर में से किसी ने भी सुमन्तु को धर्मवक्ताओं में नहीं गिना है। किन्तु सुमन्तु नाम बहुत प्राचीन है। मागधतपुराण (१२६७५ तथा ७.१) में सुमन्तु को जैमिनि का शिष्य एव अथर्ववेद का उद्घोषक कहा गया है। महाभारत (शांतिपर्व, १४१.१९) में सुमन्तु को व्यास का शिष्य कहा गया है। प्रति दिन के तपण (आहिंसक तपण) में जैमिनि, यशस्वायन, पैल के नाम सुमन्तु का भी नाम आया है। अपराशर, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में सुमन्तु के धर्म-सम्बन्धी श्लोक उद्धृत हुए हैं। हो सकता है, यह सुमन्तुधर्मग्रन्थ के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ है। मिताशरा तथा अपराशर ने सुमन्तु के व्यवहार-सम्बन्धी श्लोक नहीं उद्धृत किये, किन्तु सरस्वतीविलास में इन सम्बन्ध में बहुत उद्धरण हैं।

३०. स्मृतियों

'स्मृति' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वेदशास्त्रक में द्वात्रय ग्रन्थों, यथा पाणिनि में व्याकरण, धीन, गुरु एव धर्मग्रन्थों, महाभारत, मनु, याज्ञवल्क्य एव अन्य ग्रन्थों में सम्बन्धित है। किन्तु शचीय अर्थ में स्मृति एव धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही है, जैसा कि मनु का कर्ता है। "तैत्तिरीय आरण्यक में भी 'स्मृति' शब्द आया है (१.२)। गोपम (१.२) तथा बगिच्छ (१.४) ने स्मृति को धर्म का उदाहरण माना है।

आरम्भ में स्मृति-ग्रन्थ कम ही थे। गौतम (११ १९) ने मनु को छोड़कर किसी अन्य स्मृतिकार का नाम नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने धर्मशास्त्रों का उल्लेख किया है। बोधायन न अपने को छोड़कर सात धर्मशास्त्रकारों के नाम लिखे हैं—औपजघनि, कात्य, वास्यप, गौतम, प्रजापति, मोद्गल्य एव हारीत। वसिष्ठ ने केवल पाँच नाम गिनाये हैं—गौतम, प्रजापति, मनु, यम एव हारीत। आपस्तम्ब ने दस नाम लिखे हैं, जिनमें एक, कुण्डिक, पुष्करमादि केवल व्यक्ति-नाम हैं। मनु ने अपने को छोड़कर छ नाम लिखे हैं—अत्रि, उत्पथ्य के पुत्र, मृग, वसिष्ठ, वैशानस (या विवन्स) एव शौनक। याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम एक स्थान पर २० धर्मशास्त्रियों के नाम दिये हैं, जिनमें वे स्वयं एव दाय तथा लिखित दो पृथग्-पृथक् व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हैं। याज्ञवल्क्य ने बोधायन का नाम छोड़ दिया है। पराशर ने अपने का छोड़कर १९ नाम गिनाये हैं। विन्तु याज्ञवल्क्य एव पराशर की सूची में कुछ अन्तर है। पराशर न बृहस्पति, यम एव व्यास को छोड़ दिया है किन्तु वास्यप, गार्ग्य एव प्रचेता के नाम सम्मिलित कर लिये हैं। कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में १८ धर्म-संहिताओं के नाम आये हैं। विद्वरूप ने बृह-याज्ञवल्क्य के श्लोक को उद्धृत कर याज्ञवल्क्य की सूची में दस नाम जोड़ दिये हैं। अनुविगमिनमत नामक ग्रन्थ में २४ धर्मशास्त्रकारों के नाम उल्लिखित हैं। इस सूची में याज्ञवल्क्य वाली सूची के दो नाम, यथा कात्यायन एव लिखित छूट गये हैं, किन्तु छ नाम अधिक हैं, यथा गार्ग्य, नारद, बोधायन, वत्स, विद्वामित्र, शक्य (शाक्यायन ?)। अगिरा ने, जिसे स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, सार्वभौमविलास तथा अन्य ग्रन्थों ने उद्धृत किया है, उपस्मृतियों के नाम भी गिनाये हैं। एक अन्य स्मृति का नाम है पर्द्विज्ञानमत, जिसे मितारक्षर, अपराकं तथा अन्य ग्रन्थों ने उल्लिखित किया है। पंठीनसि ने ३६ स्मृतियों के नाम गिनाये हैं। अपराकं के अनुसार भविष्यत्पुराण में ३६ स्मृतियों के नाम आये हैं। बृह-गौतमस्मृति में ५७ धर्मशास्त्रों के नाम आये हैं। वीरमित्रोदय में उद्धृत प्रयोगपरिज्ञात में १८ मुख्य स्मृतियाँ, १८ उपस्मृतियों तथा २१ अन्य स्मृतिकारों के नाम लिखे हैं।^१ यदि वाद में आनेवाले निबन्धों, यथा निर्णयमिन्धु, नीलकण्ठ एव वीरमित्रोदय की मूल्य-सूचियों को देखा जाय तो स्मृतियों की संख्या लगभग १०० हो जायगी।

विद्वसनीय स्मृतियाँ कई युगों की हृतियाँ हैं। बछ तो पूरणेया गद्य में, कुछ मिश्रित अर्थात् गद्य-पद्य में हैं और अधिकांश पद्य में हैं। कुछ अति प्राचीन हैं और ईसा में कई सौ वर्ष पूर्व प्रणीत हुई थी, यथा गौतम, आपस्तम्ब, बोधायन के धर्मसूत्र एव मनुस्मृति। कुछ का प्रणयन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, यथा याज्ञवल्क्य, पराशर एव नारद। उपर्युक्त स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य ४०० ई० से १००० ई० के बीच की हैं। सबका

६६. १८ मुख्य स्मृतिकार हैं—मनु, बृहस्पति, दस, गौतम, यम, अगिरा, योगीश्वर, प्रचेता, दातगप, पराशर, सबर्त, उशना, शंस, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तम्ब, हारीत। उपस्मृतियों के लेखक हैं—नारदः पुलहो गार्ग्यः पुलस्तयः शौनकः ऋतुः। बोधायनो जातुकर्षो विद्वामित्रः पितामहः ॥ आबालिर्नाञ्जिनेतरश्च स्कन्दः सौगण्डिकश्चपि॥ ध्यातः सनत्कुमारश्च शन्तनुर्गन्दकस्तथा॥ ध्यातः कात्यायनश्चैव जातूश्चर्षः कपिञ्जलः। बोधायनश्च काणादो विद्वामित्रस्तथैव च। पंठीनसिर्षोभिलश्चैत्युपस्मृतिविधायकः॥ अन्य २१ स्मृतिकार हैं—वसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः। विष्णुः कार्णाजिनिः सत्यप्रतो गार्ग्यश्च देवलः॥ जमदग्निर्मरद्वाजः पुलस्तयः पुलहः ऋतु। आत्रेयश्च गवेयश्च मरुचिर्बंस एव च॥ पारस्करश्चप्यंगुडो वैजवापस्तथैव च। इत्येते स्मृतिवर्तार एरुविद्यति-रोरिताः॥ वीरमित्रोदय, परिभाषा प्र०, पृ० १८।

काल-निर्णय सरल नहीं है। कुछ तो प्राचीन सूत्रों के पद्यों में सशोपन मात्र हैं, यथा राक्ष। कमी-कमी दो या तीन स्मृतिर्षी एक ही नाम के साथ चलती हैं, यथा शातातप, हारीत, अत्रि। कुछ में तो पूर्णरूपेण साम्प्रदायिकता पायी जाती है, यथा हारीतस्मृति, जो वैष्णव है। कुछ स्मृतियों के प्रणेता हैं प्रमुख स्मृतिकार; किन्तु बृह, बृहत् एव छपु की उपाधियों के साथ, यथा बृह-याज्ञवल्क्य, बृह-भार्गव, बृह-मनु, बृह-वसिष्ठ, बृहत्-पराशर आदि।

यहाँ मनुस्मृति से आरम्भ करके हम प्रसिद्ध स्मृतियों की चर्चा करेंगे। ये सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। कुछ तो केवल व्याख्याओं में उल्लिखित हैं। धर्मसूत्रों को छोड़कर अधिक-से-अधिक एक दर्जन स्मृतियों के व्याख्याकार हो चुके हैं। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य की महिमा विशेष रूप से गायी जाती है।

३१. मनुस्मृति

भारतवर्ष में मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सन् १८१३ ई० में (कलकत्ता में) हुआ। उसके उपरान्त इसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए कि उनका नाम देना सम्भव नहीं है। इस ग्रंथ में निर्णयसागर के संस्करण एव बृहन्नृपट्ट की टीका का उपयोग हुआ है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कई बार हो चुका है। डा० ब्रुह्लर का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका में कतिपय समस्याओं का उद्घाटन भी किया है।

ऋग्वेद में मनु की मानव-जाति का पिता कहा गया है (ऋ० १८० १६, १.११५.२, २.३३.१३)। एक वैदिक कवि ने स्तुति की है ताकि वह मनु के मार्ग से श्रुत न हो जाय। "एक कवि ने कहा है कि मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ किया (ऋ० १० ६३.७)। तैत्तिरीय संहिता एव ताण्ड्य-महाब्राह्मण में आया है कि मनु ने ओ बृह कहा है, औपव है ("पट्टे कि च मनुवदत्तद् मेपजम्",-तै० सं० २.२.१०.२; "मनुर्वै यत्विचावदत्तद् मेपज मेपजतायै",—ताण्ड्य० २३.१६.१७)। प्रथम में "मानव्यो हि प्रजा" कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मनु के विषय में एक गाथा है, जिसमें उन्होंने अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बाँटा है और अपने पुत्र नामानेदिष्ठ को कुछ नहीं दिया है। शतपथ ब्राह्मण में मनु और प्रमथ की कहानी है। निरुक्त में भी मनु स्वायम्भुव के मत की चर्चा हुई है। अत यास्क के पूर्व पद्यबद्ध स्मृतिर्षी भी और मनु एव ध्यवहार-प्रणेता थे। शौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब ने मनु का उल्लेख किया है। महामारत में मनु को कभी केवल मनु, कभी स्वायम्भुव मनु (शान्ति, २१.१२) और कभी प्रापेतस मनु (शान्ति, ५७.५३) कहा गया है। शान्तिपर्व (३३६.१८-४६) में आया है कि जिस प्रकार भगवान् ब्रह्मा ने एक सौ सहस्र लोकों में धर्म पर लिखा, जिस प्रकार मनु ने उन धर्मों को उद्घोषित किया और जिस प्रकार उषाना तथा बृहस्पति ने मनु स्वायम्भुव के ग्रन्थ के आधार पर शास्त्रों का प्रणयन किया। महामारत में एक स्थान पर विवरण कुछ निम्न है और वहाँ मनु का नाम नहीं आया है। शान्तिपर्व (५८.८०-८५) में बताया है कि जिस प्रकार ब्रह्मा ने धर्म, अर्ध एवं त्रय वर एक साथ अध्याय किये और वह महाग्रन्थ कालान्तर में विशालाश, इन्द्र, बाहुदन्तव, बृहस्पति एक वाच्य (उपान्त) द्वारा त्रय से १०,०००, ५,०००, ३,००० एव १,००० अध्यायों में संहिता किया गया। नारद-स्मृति में आया है कि मनु ने १,००,००० लोकों, १०८० अध्यायों एव २५ प्रश्नों में एक धर्म-शास्त्र लिखा और उसे नारद को पढ़ाया, जिसने उसे १२,००० लोकों में संहिता किया और मार्कण्डेय को

पदाया । मार्कण्डेय ने भी इसे ८,००० श्लोको में सक्षिप्त कर मुमति भाग्यं को दिया, जिन्होंने स्वयं उसे ४,००० श्लोको में सक्षिप्त किया। वर्तमान मनुस्मृति में आया है (१ ३२-३३) कि ब्रह्मा से विराट् की उद्भूति हुई, जिन्होंने मनु को उत्पन्न किया, जिनसे भृगु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए, ब्रह्मा ने मनु को शास्त्राध्ययन कराया, मनु ने दस ऋषियों (१ ५८) को वह ज्ञान दिया, कुछ बड़े ऋषि मनु के यहाँ गये और बर्षों एव मध्यम जातियों के घरों (कर्तव्यों) को पढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की और मनु ने कहा कि यह कार्य उनके शिष्य भृगु करेंगे (१ ५९-६०)। मनुस्मृति में यह पढ़ाने की बात आरम्भ से अन्त तक है और स्थान-स्थान पर ऋषि लोग भृगु के व्याख्यान को रोककर उनसे कठिन बातें समझ लेते हैं (५ १-२, १२ १-२)। मनु सर्वत्र विराजमान है, उनका नाम 'मनुराह' (९ १५८, १० ७८ आदि) या 'मनुरावृत्' या 'मरोरनुशासनम्' (८ १३९, २७९; ९ २३९ आदि) के रूप में दर्जनों बार आया है। भविष्यपुराण के अनुसार, जैसा कि हमें हेमाद्रि, सत्वारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों से पता चलता है, स्वायम्भुव-शास्त्र के चार संस्करण थे, जो भृगु, नारद, बृहस्पति एव अगिरा द्वारा प्रणीत थे।" अति प्राचीन लेखक विश्वरूप ने मनु स्मृति के उद्धरण दिये हैं और वहाँ मनु स्वयम्भू कहे गये हैं (याज्ञ० पर भाष्य, २ ७३, ७४, ८३, ८५, जहाँ मनु० ८ ६८, ७० ७१, ३८० एव १०५-६ क्रमशः स्वयम्भू के नाम से उद्धृत हैं)। किन्तु विश्वरूप द्वारा उद्धृत भृगु की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जाती। इसी प्रकार अपराकं द्वारा उद्धृत भृगु की बातें भी मनुस्मृति में नहीं पायी जाती।

मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया, यह कहना कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रणयन नहीं किया है। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्यों छिपा रखा, यह कहना दुष्कर ही है। हो सकता है कि इस महान् ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुवृत कहा गया है। मंत्रसमूह के साथ डा० बृहल्लर ने यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मानव-चरण के धर्मसूत्र का सशोधित रूप ही मनुस्मृति है। किन्तु सम्भवतः मानवधर्मसूत्र नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नहीं था (देखिए प्रकरण १३)। महाभारत ने स्वायम्भुव मनु एवं प्राचेतस मनु में अन्तर बताया है, जिनमें प्रथम धर्मशास्त्रकार एवं दूसरे अर्धशास्त्रकार कहे गये हैं। वही-वही केवल मनु राजधर्म या अर्धविद्या के प्रणेता कहे गये हैं। हो सकता है, आरम्भ में मनु के नाम से दो ग्रन्थ रहे होंगे। जब कौटिल्य 'मानवो' की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ सम्भवतः वे प्राचेतस मनु की बात उठाते हैं।

चाहे जो हो, यह कल्पना करना असंगत नहीं है कि मनुस्मृति के लेखक ने मनु के नाम वाले धर्मशास्त्र एवं अर्धशास्त्र की बातों को ले लिया। यह बात सम्भवतः कौटिल्य को ज्ञात नहीं थी, क्योंकि सम्भवतः तब तक यह सशोधन-सम्पादन नहीं हो सका था, या हुआ भी रहा होगा तो कौटिल्य को इसकी सूचना नहीं थी। वर्तमान मनुस्मृति में इसके लेखक को स्वायम्भुव मनु कहा गया है, जिनके अतिरिक्त छ अन्य मनुओं की खोज की गयी है, जिनमें प्राचेतस की गणना नहीं हुई है।

वर्तमान मनुस्मृति में १२ अध्याय एवं २६९४ श्लोक हैं। मनुस्मृति सरल एवं पाराप्रवाह शैली में प्रणीत है। इसका ध्याकरण अधिकांश में पाणिनि-सम्मत है। इसके सिद्धान्त गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों

८८ मार्गशीर्षा नारदोयात्रार्हस्पत्याङ्गराषिः । स्वायम्भुवस्य शास्त्रस्य चतस्रः संहिता वताः ॥

अनुबर्णं, वातस्य, पृ० ५२८; संस्कारमयूख, पृ० २।

से बहुत-बहुत मिलते-जुलते हैं। इससे बहुत-से दलों वृत्तिए एव विष्णु के धर्मसूत्रों में भी पाये जाते हैं। भाषा एवं सिद्धान्तों में मनुस्मृति एव कौटिलीय में बहुत-बहुत समानता है।^१

मनुस्मृति की विषय-सूची यह है—(१) वर्णधर्म की शिक्षा के लिए ऋषियग मनु के पास जाते हैं, मनु बहुत कुछ सात्य मत के अनुसार आत्मरूप से स्थित भगवान् से विश्व-सृष्टि का विवरण देते हैं, विराट् की उत्पत्ति, विराट् से मनु, मनु से दस ऋषियों की सृष्टि हुई, भ्रातृ-भ्राति के जीव, यथा—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि, ब्रह्मा ने धर्म-शिक्षा मनु को दी, मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया, मनु ने मनु को ऋषियों को धर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया, स्वयंभुव मनु से छ अन्य मनु उत्पन्न हुए, निमेष से वर्षों तक की बाल-इवाइयाँ, चारों युग एक उतरे सम्प्रा-प्रशास, एक सहस्र युग ब्रह्म के एक दिन के बराबर हैं, मन्वन्तर, प्रलय का विस्तार, चारों युगों में प्रमास धर्मावर्तन, चारों युगों में विभिन्न धर्म एव लक्ष्य, चारों वर्णों के विशेषाधिकार एव वर्तव्य, ब्राह्मणों एव मनु के शासन की स्तुति, आचार परमोच्च धर्म है, सम्पूर्ण शासन की विषय-सूची; (२) धर्म-परिभाषा, धर्म के उपादान है वेद, स्मृति, भद्र लोगों का आचार, आत्मतुष्टि, इस शासन के लिए विद्वान् अधिकार है, ब्रह्मावर्त, ब्रह्माविदेश मध्यरस, आर्यावर्त की सीमाएँ, सत्वार क्यों आवश्यक हैं, एते सत्वार, यथा—जातार्थ, नामधेय, चूडाकर्म, उपनयन, वर्णों के उपनयन का उचित काल, उचित मेखला, पवित्र जनेऊ, तीन वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए दण्ड, मृगछान्द, ब्रह्मचारी के वर्तव्य एव आपरण, (३) ३६, १८ एव ९ वर्णों का ब्रह्मचर्य, समावर्तन, विवाह, विवाहयाम लक्ष्मी, ब्राह्मण चारों वर्णों की लक्ष्मियों से विवाह कर सकता है; आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा, रिश जाति के लिए कोन विवाह उपयुक्त है, पति-पत्नी के वर्तव्य, नारी-स्तुति, पचासहस्र, गृह्य-जीवन की प्रशंसा, अतिथि-साकार, मधुपर्क, श्राद्ध, श्राद्ध में कौन निमन्त्रित नहीं होते, (४) गृह्य की जीवन-विधि एव धृति; स्नातन-आचार-विधि, अनध्याय-नियम, व्रजित एव अव्रजित भोज्य एव पेय के लिए नियम, (५) कौन-से मांस एव तरकारियाँ खानी चाहिए, जन्म-मरण पर अनुष्ठानकाल, सपिण्ड एव तप्तानोदक की परिभाषा; विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के स्पर्श से पवित्रीकरण, पत्नी एव विधवा के वर्तव्य; (६) ब्रानप्रथम होने का काल, उसकी जीवनचर्या, परिव्राजक एव उतरे वर्तव्य; गृह्य-स्तुति; (७) राजधर्म, दण्ड-स्तुति, राजा के लिए चार विद्याएँ, काम से उत्पन्न राजा के दस अवगुण एवं त्रौप से उत्पन्न आठ अवगुण (दीप), मन्त्र-नरिपद की रचना, दूत के गुण (धानता), दूत एव राजकी, पुरुष एव विविध विभागों के अध्याय, युद्ध नियम, शाभ, शान, भेद एव दण्ड नामक चार साधन; प्रामभुषिया से ऊपर वाले राज्याधिकारी, बर-नियम, बारह राजाओं के मण्डल की रचना; छ गुण—सधि, युद्ध-स्तिथि, शत्रु पर आक्रमण, आसन, शरण लेना एव द्वेष, विजयी के वर्तव्य; (८) न्यायशासन-सम्बन्धी राजा के वर्तव्य; न्यायद्वारों के १८ नाम, राजा एव न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, शमा-रक्षा, नाव्यादिकों, विषयाओं, अस्त-हाय सोयी, शोष आदि को रोकने के लिए राजा का धर्म; चोरों को दूरे हुए धन का पता लगाने में राजा का वर्तव्य; दिये हुए श्रम को प्राप्त करने के लिए श्रमदाता के साधन; स्तिथिनी जिनके कारण अधिकारी मुकदमा हार जाते हैं, साक्षियों की पानना, साक्ष्य के लिए अयोग्य व्यक्ति, शपथ, झूठी पचाही के लिए अप-दण्ड,

८५. शुभता की वृत्ति—'असम्पत्ताभावात् साधनविरहितो रक्षितविधर्मी बुद्धय तीर्थे प्रतियतिनी च।'
कौटिल्य (१-४) और 'असम्पत्तिर्जुह्वाने साधनं शोभते। रक्षितं धर्मैर्बुद्ध्या बुद्धं पानेन नित्येन ॥ मनु०
(७.१.१)।

शारीरिक दण्ड के दण्ड, शारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छूटकारा, तौल एवं बटखरे, न्यूनतम, मध्यम एवं अधिकतम अर्थ-दण्ड, ध्याज-द्वर, प्रतिज्ञाएँ, प्रतिकूल (द्विपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा, सीमा, नाबालिग की भूमि-सम्पत्ति, धन-संग्रह, राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता, दामदुपट का नियम, बन्धक, पिता के कौन-से श्रेण पुत्र नहीं देगा, सभी लेन-देन का कपटाचार एवं बलप्रयोग नष्ट कर देता है, जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा विभ्रय, स्वत्व एवं अधिकार, साम्रा, प्रत्यादान, मजदूरी का न देना, परम्पराविराध, विक्रय-विलोप, स्वामी एवं गोरक्षक के बीच का झगडा, गाँव के इर्द-गिर्द के चरागाह, सीमा-सम्पर्प, गालियाँ (अपराध), अपवाद एवं पिनून बचन, आक्रमण, मर्दन एवं कुचेष्टा, पृष्ठभाग पर कोटा मारना, चोरी, साहस (यथा हत्या, डकैती आदि के कार्य), स्वग्था का अधिकार, ब्राह्मण कब मारा जा सकता है, व्यभिचार एवं बलात्कार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं प्रत्युत देश निकाला, माता पिता, पत्नी, बच्चे कभी भी त्याग्य नहीं हैं, चुगियाँ एवं एकाधिकार, दासा के सात प्रकार, (९) पति-पत्नी के न्याय्य (व्यवहारानुकूल) कर्तव्य, स्त्रिया की भर्त्सना, पातिव्रत की स्तुति बच्चा किसको मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न हुआ है, नियोग का विवरण एवं उसकी भर्त्सना, प्रथम पत्नी का जब अतिशय विद्या जा सकता है, विवाह की अवस्था, वँटवारा, इतरी अर्थात् ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग, पुत्रिका, पुत्री का पुत्र, गोद का पुत्र, दूध पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार, ब्राह्मण प्रकार की पुत्रता, पिण्ड किसको दिया जाता है, सबसे निवृत्त वाला सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है, सकुल्य, गुरु एवं शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में, ब्राह्मण के धन में छोड़कर अन्य किसी के धन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है, स्त्रीधन के प्रकार, स्त्रीधन का उत्तराधिकार सपिण्डों से हटाने के कारण, किस सम्पत्ति का वँटवारा नहीं होता, विद्या के लाभ, पुनर्पिलन, माता एवं पितामह उत्तराधिकारी के रूप में, बाँट दी जानेवाली सम्पत्ति, जुआ एवं पुरस्कार, ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जान चाहिए, पंच महापाप, उनके लिए प्रायश्चित्त, ज्ञात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर, बन्दीगृह, राज्य के सात अंग, वैश्य एवं शूद्र के कर्तव्य, (१०) केवल ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है, मिश्रित जातियाँ, म्लेच्छ, कम्बोज, यवन, शक, सबके लिए आचार नियम, चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपत्ति में ब्राह्मण की वृत्ति के साधन, ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न विभ्रय करे, जीविका प्राप्ति एवं उसके साधन के सात उचित ढंग, (११) दान-स्तुति, प्रायश्चित्त के बारे में विविध मत, बहूत-मे देते हुए प्रतिफल, पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग एवं शरीर-दोष, पंच नैतिक पाप एवं उनके लिए प्रायश्चित्त, उपपातक और उनके लिए प्रायश्चित्त, मान्दपन, पराक, चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्त, पापनाशक पवित्र मन्त्र, (१२) कर्म पर विवेचन, श्रेयज्ञ, भूतात्मा, जीव, नरक-वृष्ट, सत्त्व, रजस् एवं तमस् नामक तीन गुण, निश्चयम की उत्पत्ति किससे होती है, आनन्द का सर्वोच्च साधन है आत्म-ज्ञान, प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्म, फलप्राप्ति की ह्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाय वही निवृत्त है, वेद-स्तुति, तर्क का स्थान, शिष्ट एवं परिषद्, मानव शास्त्र के अध्ययन का फल ।

मनु को अपने पूर्व के साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने तीन वेदों के नाम लिये हैं और अपवैवेद को अपवर्गागिरसी श्रुति (११३३) कहा है। मनुस्मृति में आरण्यक, छ वेदांगों, धर्मशास्त्रों की चर्चा आयी है। मनु ने अग्नि, उत्तम्यपुत्र (गीतम), मनु, शीनक, वसिष्ठ, वैशम्पयन आदि धर्मशास्त्रकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने आरुधान, इतिहास, पुराण एवं खिलों का उल्लेख किया है। मनु ने वेदान्त की भाँति ब्रह्म का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ यह भी मल्पना की जा सकती है कि उन्होंने उपनिषद् की ओर संकेत किया है। उन्होंने 'वेदब्राह्मण स्मृतम्' की चर्चा करते मानो यह दर्शाया है कि उन्हें विरोधी पुस्तकों का पता था। हो सकता है कि ऐसा लिखकर उन्होंने बौद्धों, जैनों आदि की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म-विरोधियों और उनकी

व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख किया है। उन्होंने आस्तिकता एवं वेदों की निन्दा की और भी संकेत किया है और बहुत प्रकार की बोलियों की चर्चा की है। उन्होंने 'केचित्', 'अपरे', 'अन्ये' कहकर अन्य लेखकों के मत का उद्घाटन किया है।

बुहलर का कथन है कि पहले एक मानवधर्मसूत्र था, जिसका रूपान्तर मनुस्मृति में हुआ है। किन्तु, वास्तव में यह एक कोरी कल्पना है, क्योंकि मानवधर्मसूत्र या ही नहीं।

अब हम आन्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर मनुस्मृति के काल निर्णय का प्रयत्न करेंगे। प्रथमतः हम बाह्य साक्षियाँ लेते हैं। मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका मेघातिथि की है, जिसका काल है ९०० ई०। याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार विरवरूप ने मनुस्मृति में जो लगभग २०० श्लोक उद्धृत किये हैं, वे सब झारहों अध्यायों में हैं। दोनो व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण किये हैं। वेदान्तसूत्र के माध्यम में शकटाचार्य ने मनु को अधिकतर उद्धृत किया है। वेदान्तसूत्र के ऐतक मनुस्मृति पर बहुत निर्भर रहते हैं, ऐसा शकटाचार्य ने कहा है। शुमारिल के तन्त्रवातिक में मनुस्मृति की सभी स्मृतियों से और गौतमधर्मसूत्र से भी प्राचीन कहा है। मुञ्जवटिक (९ २९) ने पापी ब्राह्मण के दण्ड के विषय में मनु का हवाला दिया है, और कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकर देश निष्वासन-दण्ड देना चाहिए। बलमीराज धारसेन के एक अभिलेख से पता चलता है कि सन् ५७१ ई० में वर्तमान मनुस्मृति उपस्थित थी। जैमिनिमूलक के माध्यमकार शबरस्वामी ने भी, जो ५०० ई० के बाद के नहीं हो सकते, प्रत्युत पहले के ही हो सकते हैं, मनुस्मृति को उद्धृत किया है। अपरार्क एवं कुल्लूक ने मयिम्पपुराण द्वारा उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों की चर्चा की है। बृहस्पति ने, जिनका काल है ५०० ई०, मनुस्मृति की मूठि-मूरि प्रशंसा की है। बृहस्पति ने जो कुछ उद्धृत किया है वह वर्तमान मनुस्मृति में पाया जाता है। स्मृतिर्षादिका में उल्लिखित शङ्कर ने मनु के धर्मशास्त्र की चर्चा की है। अश्वघोष की बज्रसूत्रकोपनिषद् में मानव धर्म के कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में पाये जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जो नहीं मिलते। रामायण में वर्तमान मनुस्मृति की बातें पायी जाती हैं।

उपर्युक्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दी के बाद के अधिकतर लेखकों ने मनुस्मृति को प्रामाणिक धन्य माना है।

क्या मनुस्मृति के कई संशोधन हुए हैं? सम्भवतः नहीं। नारदस्मृति में जो यह आया है कि - मनु का शास्त्र भारत, मार्कण्डेय एवं मुनि भर्गव द्वारा सक्षिप्त किया गया, भ्रामक उक्ति है, वास्तव में ऐसा बहुराज नारद ने अपनी महत्ता प्रतीय है। अब हम कुछ आन्तरिक साक्षियों की ओर भी संकेत कर लें।

वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से बहुत प्राचीन है, क्योंकि मनुस्मृति में ग्याय विधि-सम्बन्धी बातें अपूर्ण हैं और याज्ञवल्क्यस्मृति इस बात में बहुत पूर्ण है। याज्ञवल्क्य की तिथि ऋग-से-ऋग तीसरी शताब्दी है। अतः मनुस्मृति को इससे बहुत पहले रचा जाना चाहिए। मनु ने यजनों, ऋग्वेदों, शर्षों, पशु-सन्धो एवं शीतों के नाम किये हैं अतएव वे ई० पू० तीसरी शताब्दी से बहुत पहले नहीं हो सकते। यजनों, ऋग्वेदों एवं गायार लोगों का वर्णन अयोध के पाँचवें शतक-अनुशासन में आ चुका है। वर्तमान मनुस्मृति गटन एवं गिद्धान्तो म प्राचीन धर्मसूत्रों, अर्षाण शीतम, शीतयन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों से बहुत आगे है। अतः निरगन्धेह इगरी रचना धर्मसूत्रों के उत्पत्तन हुई है। अतः स्पष्ट है कि मनुस्मृति की रचना ई० पू० दूसरी शताब्दी तथा ईसा के उद्घाटन इतरी शताब्दी के बीच कनी हुई होगी। संशोधित एवं परिवर्धित मनुस्मृति की रचना कब हुई, इस प्रश्न का उत्तर मनुस्मृति एवं महाभारत के पारस्परिक सम्बन्ध के ज्ञान पर निर्भर रहता है। धी धी० ए०

माण्डलिक ने कहा है कि मनुस्मृति ने महाभारत का भाषाण लिया है। बृहल्लर ने बड़ी छातबीन के उपरान्त यह उद्धोषित किया है कि महाभारत के बारहवें एव तेरहवें पर्वों को किसी मानवधर्मशास्त्र का ज्ञान था और यह मानवधर्मशास्त्र आज की मनुस्मृति से गहरे रूप में सम्बन्धित लगता है। किन्तु यहाँ बृहल्लर ने महाभारत के साथ अपना पक्षपात ही प्रकट किया है। हाकिम ने यह कहा है कि महाभारत के तेरहवें अध्याय में वर्तमान मनुस्मृति की चर्चा है। मनुस्मृति में बहुत-से ऐतिहासिक नाम आये हैं, यथा—अगिरा, अगस्त्य, वेन, नहुष, सुदास, पञ्चवन, निमि, पृथु, मनु, बृहरे, गाधिपुत्र, वसिष्ठ, वत्स, अक्षमा, सारङ्गी, दक्ष, अजीमर्त, वामदेव, भरद्वाज, विश्वामित्र। इनमें बहुत-से नाम वैदिक परम्परा के भी हैं। मनुस्मृति ने यह नहीं कहा है कि ये नाम महाभारत के हैं। महाभारत में 'मनुस्मृतौ', 'मनुराजधर्मा', 'मनुशास्त्र' जैसे शब्द आये हैं, जिनमें कुछ उद्धरण आज की मनुस्मृति में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत के बहुत-से श्लोक मनुस्मृति से मिलते हैं, यद्यपि वहाँ यह नहीं कहा गया है कि ये मनु से लिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुस्मृति महाभारत से पुराना ग्रन्थ है। ई० पू० चौथी शताब्दी में स्वायम्भुव मनु द्वारा प्रणीत एक धर्मशास्त्र था, जो सम्भवतः पद्य में था। इसी काल में प्राचेतस मनु द्वारा प्रणीत एक राजधर्म भी था। हो सकता है कि दो ग्रन्थों के स्थान पर एक बृहत् ग्रन्थ रहा हो जिसमें धर्म एव राजनीति दोनों पर विवेचन था। महाभारत ने प्राचेतस का एक वचन उद्धृत किया है जो आज की मनुस्मृति में ज्यों-का-त्यों पाया जाता है (३.५४)। उपर्युक्त दोनों तपाकथित मनु की पुस्तकों की ओर या केवल एक पुस्तक की ओर यास्क, गीतम, दौषायन एव कौटिल्य संकेत करते हैं। महाभारत भी अपने पहले के पर्वों में ऐसा ही करता है। यह बृहस्पति ग्रन्थ आज की मनुस्मृति का आधार एव मूलबीज है। तब ई० पू० दूसरी शताब्दी एव ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच सम्भवतः मनु ने मनुस्मृति का सशोधन किया। यह कृति प्राचीन ग्रन्थ के सशिष्ट एव परिष्कृत रूप में प्रकट हुई। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनु के बहुत-से उद्धरण जो अन्य पुस्तकों में मिलते हैं, आज की मनुस्मृति में क्यों नहीं प्राप्त होते। बात यह हुई कि सशोधन में बहुत-सी बातें हट गयीं और बहुत-सी आ गयीं। वर्तमान महाभारत वर्तमान मनुस्मृति के बाद की रचना है। नारद-स्मृति का यह कथन कि मुमति भाग्यं ने मनु के ग्रन्थ को ४००० श्लोकों में सशिष्ट किया, कुछ सीमा तक ठीक ही है। आज की मनुस्मृति में लगभग, २७०० श्लोक हैं। हो सकता है, ४००० श्लोकों में नारद ने बृह-मनु एवं बृहन्मनु के श्लोकों को भी सम्मिलित कर लिया है। मनुस्मृति का प्रभाव भारत के बाहर भी गया। चम्पा के एक अभिलेख में बहुत-से श्लोक मनु (२.१३६) से मिलते हैं। बरमा में जो धम्मपद् है, वह मनु पर आधारित है। बालि द्वीप का कानून मनुस्मृति पर आधारित था।

मनु के बहुत-से टीकाकार ही गये हैं। मेघातिथि, गोविन्दराज एव कुल्लूक के विषय में हम कुछ विस्तार से ६३वें, ७६वें एवं ८८वें प्रकरण में पढ़ेंगे। इन लोगों के अतिरिक्त व्याख्याकार हैं नारायण, रामवा-नन्द, मन्दन एव रामचन्द्र। कुछ अन्य व्याख्याकार ये जिनकी कृतियाँ पूर्णरूप से उपरिष्ठत नहीं हैं, अन्य हैं एक कश्मीरी टीकाकार (नाम अज्ञात है), अक्षहाप, उदप्रकर, भासुरि, भोबदेव, धरणीधर। मेघातिथि ने अपने पहले के माध्यकारों की ओर संकेत किया है।

मातृक, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर विवरूप (भा० पर, १.६९), मितासरा, स्मृतिचन्द्रिका, परासरामायणीय तथा अन्य लेखकों ने बृह-मनु से दर्जनों उद्धरण लिये हैं। मितासरा (भा० पर, ३.२०) तथा अन्य कृतियों ने बृहत्मनु से कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं। किन्तु अभी तक बृह-मनु एव बृहन्मनु के कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

३२. दोनों महाकाव्य

दोनों महाकाव्यों, विशेषतः महाभारत में, बहुत-से ऐसे स्थल हैं, जहाँ धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातें पायी जाती हैं। कालान्तर के पन्थों में रामायण एवं महाभारत की गणना स्मृतियों में हुई है। आदिपर्व में महाभारत धर्मशास्त्र कहा गया है (२ ८३)।

रामायण तो प्रमुसत एक काव्य है, किन्तु एक आदर्श ग्रन्थ होने के कारण यह महाभारत के समान धर्म का उपादान माना जाता है। कालान्तर के निबन्धों में इन काव्यों की पर्याप्त चर्चा हुई है। अयोध्या-काण्ड (सर्ग १००) तथा अरण्यकाण्ड (३३) में राजनीति एवं शासन-सम्बन्धी विवेचन भ्रमा है। मास के प्रथम दिन में अनध्याय के विषय में स्मृतिचन्द्रिका ने रामायण के सुन्दरकाण्ड (५९ ३१) से पर्याप्त प्रचलित श्लोक उद्धृत किया है। तपण एवं श्राद्ध पर भी रामायण से उद्धरण लिये गये हैं (अयोध्या०, १०३-३०, १०४ १५)। इसी प्रकार हारलता एवं अपराकं (मास० पर, ३ ८-१०) ने रामायण से उद्धरण लिये हैं।

हम यहाँ रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णय के पक्षों में नहीं पढ़ेंगे। महाभारत में धर्मशास्त्र सम्बन्धी बातें सक्षिप्त रूप में दी हैं—अग्निपेक (शान्ति० ५०), अराजक (शांति० ६७), अहिता (शान्ति० २६४, २६६), आश्रमधर्म (शान्ति० ६१, २४३-२४६), आचार (अनुशासन० १०४, आश्रमधर्म० ४५), आपद्धर्म (शान्ति० १३१), उपवास (अनु० १०६-१०७), गोरतुति (अनु० ५१ एवं ७३), तीर्थ (वनपर्व, ८२, अनु० २५-२६, शल्य० ३५-५४), दण्डस्तुति (शान्ति० १५, १२१, २४६, २९५), दान (वन० १८६, शान्ति० २३५, अनु० ५७-९९), दायभाग (अनु० ४५ एवं ४७), पुत्र (अनु० ४८-४९), प्रायश्चित्त (शान्ति० ३४-३५, १६५), ब्राह्मण-भूति (शान्ति० ७६-७८), मक्ष्यामस्य (शान्ति० ३६, ७८), राजनीति (समा० ५, वन० १५०, उद्योग० ३३ ३४, शान्ति० ५९-१३० एवं २९८, आश्रमव्यतिषेक० ५-७), वर्णधर्म (शान्ति० ६० तथा २९७, वर्णसंहर, शान्ति० ६५, २९७ तथा अनु० ४८-४९), विवाह (अनु० ४४-४६), श्राद्ध (श्री-पर्व, २६-२७, अनु० ८७-९५)। रामायण की निम्नलिखित सूची सक्षिप्त रूप में ही दी जा रही है—अग्निपेक (अयोध्या काण्ड १५, मुद्ग० १२८), अराजक (अयो० ६७), पातक (विश्वाम्पा० १७, ३९-३७, १८, २२-२३), राजधर्म (बाल० ७, अयोध्या० १००, अरण्य० ६, ११-१४, ९, २-९, ३३, ४०, १०-१४, ४१, १-६, मुद्ग० १७-१८ तथा ६३), श्राद्ध (अयोध्या० ७७, १०३, १११, १०४-१२०), सत्यप्रसता (अयोध्या० १०९), श्रीधर्म (अयोध्या० २४, २६-२७, २९, ३९, ११७-११८)।

३३. पुराण

पुराणों की साहित्य-परम्परा बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों एवं नारायणों गाथाओं की चर्चा हुई है। छान्दोग्योपनिषद् (७.१.२ एवं ४) में 'इतिहास-पुराण' को संघर्षों के बहुरूप कहा गया है। बृहदारण्यक (४.१.२) में भी 'इतिहास एवं पुराण का उल्लेख हुआ है। गौतमधर्मसूत्र में भी नाम लिया है। लगना है, आरम्भ में केवल एक ही पुराण था। मत्स्यपुराण में आरम्भ के एक ही पुराण की बात कहता है (पुराणमेकमेवातीन् तथा कल्पान्तरेऽन्य)। पञ्चरत्न के महाकाव्य में पुराण एक बचन में आया है। भाष्यकारधर्मसूत्र के उद्धरण में स्पष्ट होता है कि पुराण पचबद्ध थे। विद्यमान पुराण पुराण

१०. सा प्रकृत्यं च तत्पञ्चो ह्यद्विषोपाक्यं कथिता। प्रविशत्याऽऽतीत्य विद्यं च तनुतां गता॥

११. ब्राह्मणान् इतिहासान् पुराणानि ब्रह्मण्योपाकारान्ताः। तैत्तिरीय आरण्यक (२.१०)।

पुं पाणो के सन्धोदित रूप हैं, और सम्भवत सन्धोधन-कार्य ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में हुआ है। महा-भारत ने वायुपुराण का उल्लेख किया है। वाण ने भी इस पुराण का उल्लेख किया है। कर्मादि-पुष्ट के तन्त्र-वा तिक में पुराणों का उल्लेख हुआ है और विष्णु एव मार्कण्डेय नामक पुराणों में विष्णु-पुष्टि पाये हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि सभी नहीं तो कुछ पुराण ६०० ई० के पूर्व प्रणीत हो चुके थे।

परम्परा के अनुसार प्रमुख पुराण १८ एव उपपुराण १८ हैं। इनके नामों के विषय में बड़ा मतभेद है। मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न १८ नाम हैं—ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, आनेय, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, बराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड एव ब्रह्माण्ड। विष्णुपुराण ने अपनी सूची में वायु के स्थान पर शंख कहा है। पुराणों एव उपपुराणों के विषय में अन्य जानकारियों के लिए भागवतपुराण (१२.१३.४-८) अवलोकनीय है।

आरम्भिक माध्यकारों में अपराक, बल्लालसेन एव हेमाद्रि ने पुराणों को धर्म के उपादान के रूप में ग्रहण कर उनमें उद्धरण लिये हैं। कुल्लूब ने मनु पर टीकाओं के रूप में भविष्यपुराण से उदाहरण लिये हैं। मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-सी बातें आयी हैं। विष्णुपुराण में (३ अध्याय ८-१६) वर्णाश्रम के कर्तव्य, नित्य-नैमित्तिक क्रियाएँ, गृहस्थ-भद्राचार, पंचमहायज्ञ, जातकर्म एव अन्य सत्कार, मृत्यु पर अशौच, श्राद्ध आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा है। इसी प्रकार सभी पुराणों में धर्मशास्त्र की कुछ-न-कुछ बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण के कुछ श्लोक नारदस्मृति में ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं। गरुडपुराण में लगभग ४०० श्लोक बेतरतीर ढग से याज्ञवल्क्य ने प्रथम एव तृतीय प्रकरणों से लिये गये हैं।

पुराणों की तिथि-मसस्या महाकाव्यों की भाँति कठिन ही है। यहाँ हम उसका विवेचन नहीं करेंगे। पुराणों के मौलिक गठन के विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है। महा-पुराणों की संख्या एव उनके विस्तार के विषय में बड़ा मतभेद है। विष्णुपुराण के टीकाकार विष्णुचित्त ने उसके ८,०००, ९,०००, १०,०००, २२,०००, २४,००० श्लोकों वाले सत्करणों की चर्चा की है, किन्तु उन्होंने केवल ६००० श्लोकों वाले सत्करण की ही टीका की है। इसी प्रकार अन्य पुराणों के विस्तार के विषय में मतभेद रहा है और आज भी है। आज का भारतीय धर्म पूर्णतः पौराणिक है। पुराणों में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी अनगिनत विषय एव बातें पायी जाती हैं। १८ महापुराणों के अतिरिक्त १८ उपपुराण भी हैं। इनके अतिरिक्त गणेश, मौद्गल, देवी, कल्प आदि पुराण-शाखा के अन्य ग्रन्थ हैं। पद्म पुराण ने १८ पुराणों को तीन विभागों में विभाजित किया है, यथा—सात्त्विक, राजस एव तामस, और विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड, पद्म एव बराह को सार्वधिक माना है। मत्स्यपुराण ने भी इसी विभाजन को माना है। बहुत-से पुराण मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, पराशरस्मृति, नारदस्मृति के बहुत बाद प्रणीत हुए हैं।

पुराणों में धर्म-सम्बन्धी निम्न बातों का उल्लेख हुआ है—आचार, आह्निक, अशौच, आश्रमधर्म, भक्ष्याभक्ष्य, ब्राह्मण (वर्णधर्म के अन्तर्गत), दान (प्रतिष्ठा एव उत्तमों के अन्तर्गत), द्रव्यागुडि, गोप्य एव प्रवर, कालस्वरूप, कलिवर्ग्य, कर्मविपाक, नरक, नीति, पातक, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, राजधर्म, सत्कार, शान्ति, श्राद्ध, स्त्रीधर्म, तीर्थ, तिथि (व्रतों के अन्तर्गत); उत्तमर्ग (जन-वत्पाण के लिए), वर्णधर्म, विवाह (सत्कार के अन्तर्गत), व्रत, व्यवहार, युगधर्म (कालस्वरूप के अन्तर्गत)।

३४. याज्ञवल्क्यस्मृति

इस स्मृति का प्रकाशन दर्जनों बार हुआ है। इस ग्रन्थ में निर्णयसागर मत्करण (मोपे शास्त्री धर्म-७

द्वारा सम्पादित) तथा त्रिवेन्द्रम् के सस्वरण वाली विवरूप की टीका का हवाला दिया गया है।

याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि-परम्परा में आते हैं। उनका नाम शुबल यजुर्वेद के उद्घोषक के रूप में आता है। महाभारत (शांतिपर्व, ३१२) में ऐसा आधा है कि संसम्पादन और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य ने सम्बन्ध-विच्छेद हुआ और सूर्योपासना ने फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुबल यजुर्वेद, शतपथ आदि या ऐतरेय अथवा श्रुति-प्रकाश मिला। गुरु-शिष्य के सम्बन्ध-विच्छेद वाली घटना की चर्चा विष्णु एव भागवत पुराणों में भी हुई है, विन्दु उसमें और महाभारत वाली चर्चा में कुछ भेद है। शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र के सम्बन्ध में विदेह-राज जनक एव याज्ञवल्क्य के परस्पर कथनोपकथन की ओर कई बार संकेत हुआ है। शतपथ में आया है कि याज्ञवल्क्य ने शुबल यजुर्वेद की विधियाँ मूर्ध्नि से ग्रहण करके उद्घोषित कीं। बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य एव बड़े दार्शनिक के रूप में अपनी दार्शनिक भन वाली पत्नी मंत्रियो से बहू एव अमरता के बारे में बातें करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं (२. ४ एव ४. ५)। उसी में याज्ञवल्क्य जनक द्वारा प्रदत्त एक शहस्र गावों को एक विद्वान् ब्राह्मण के रूप में ले जाते हुए प्रदर्शित है (३. १. १-२)। पाणिनिपुत्र के शक्ति में ब्राह्मण ने याज्ञवल्क्य के ब्राह्मणों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्यस्मृति (३. १. १०) में आया है कि इससे लेकर चाहे जो भी रहे हो, वे आरम्भ के प्रणीता थे। यह भी आधा है कि उन्हें मूर्ध्नि से प्रकाश मिला था और वे योगशास्त्र के प्रणीता थे। इससे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इन बातों से याज्ञवल्क्यस्मृति के लेकर ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक प्राचीन ऋषि, दार्शनिक एव योगी द्वारा प्रणीत हुई थी। विन्दु आरम्भक एव स्मृति या लेकर एव ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की माया में बहुत अन्तर है। मिताधारा में ऐसा लिखा है कि याज्ञवल्क्य के किसी शिष्य ने धर्मशास्त्र को सशिक्ष करके कथनोपकथन के रूप में रखा है। भले ही आरम्भक (बृहदारण्यकोपनिषद्) एव स्मृति का लेकर एव व्यक्ति न हो, विन्दु इसमें सन्देह नहीं कि याज्ञवल्क्यस्मृति शुबल यजुर्वेद से पण्डित रूप से सम्बन्धित है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में निर्णयसागर सस्वरण, त्रिवेन्द्रम् सस्वरण एव आनन्दायम सस्वरण (विवरूप की टीका वाले) के अनुसार क्रम से १०१०, १००३ एव १००६ श्लोक हैं। विवरूप ने मिताधारा में आनेवाले आचार-सम्बन्धी ५ श्लोक छोड़ दिये हैं इसी से यह मित्रता है। मिताधारा और विवरूप की प्रतिवियों में श्लोकों एव प्रकरणों के बटन में अन्तर है। अर्थान् की प्रति भी इसी प्रकार मित्र है।

अग्निपुराण से याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय की तुलना की जा सकती है। दोनों में ब्यथहार-सम्बन्धी बहुत-सी बातें समान हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विवरूप ८००-८२५ ई० में विद्यमान थे। मिताधारा के लेकर (याज्ञवल्क्यस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विवरूप से लगभग २५० वर्ष बाद हुए। गदकपुराण में भी अग्निपुराण की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण ने तो नहीं भी यह नहीं कहा कि इतना अथ याज्ञवल्क्यस्मृति का है, विन्दु गदकपुराण ने ब्यथ तबीकार किया है (याज्ञवल्क्येन यत् (य ?) पूर्व धर्म (धर्म ?) प्रापत् (त ?) कथ हरे। तन्मे कथय वेतिष्ठन् यायात्तथ्येन मापय ॥)। अग्निपुराण एव गदकपुराण में याज्ञवल्क्य से क्या-क्या लिया है, इस पर स्थान-संशोध के कारण यहाँ कुछ नहीं कहा जायगा।

दास-लितित-धर्मसूत्र में धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया है और याज्ञवल्क्य ने स्वयं दास-लितित को धर्मशास्त्रकार के रूप में गाया है। इसमें यह स्पष्ट होगा है कि दास-लितित के सामने कोई प्राचीन याज्ञवल्क्यस्मृति थी। इस बात के अतिरिक्त कोई अन्य सूत्र हमारे पास नहीं है कि हम नहीं कि इस स्मृति का कोई प्राचीन सस्वरण भी था। विवरूप एव मिताधारा के संस्करणों की तुलना यदि अग्नि एव गदकपुराणों

से की जाय तो यह झलक उठता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति में ८०० ई० से लेकर ११०० ई० तक कुछ शाब्दिक परिवर्तन अवश्य हुए किन्तु मुख्य स्मृति शब्द ७०० ई० से अब तक ज्या-की-र्यों घली आयी है।

याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति से अधिक सुगठित है। याज्ञवल्क्य ने सम्पूर्ण स्मृति को तीन भागों में विभाजित कर विषयों को उनके उचित स्थान पर रखा है व्यय का पुनरुक्ति-दोष नहीं माने दिया है। दोहों स्मृतियों के विषय अधिकांश एक ही हैं किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। इसी से मनुस्मृति के २७०० श्लोकों के स्थान पर याज्ञवल्क्यस्मृति में केवल लगभग एक हजार श्लोक हैं। मनु के दो श्लोक याज्ञवल्क्य के एक श्लोक के बराबर हैं। लगता है जब याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति का प्रणयन कर रहे थे तब मनुस्मृति की प्रति उनके सामने थी 'यथा' 'दोना स्मृतिया' में वही-वही शब्द याम्य भी पाया जाता है।

सम्पूर्ण याज्ञवल्क्यस्मृति अनुष्टुप छन्द में लिखी हुई है। यद्यपि इसके प्रणेतों का उद्देश्य वाग्य को बहुत घाटे में बहना था तथापि वही भी अचोक्ष्यता नहीं टपकती। शैली सरल एवं चारमवाह है। पाणिनि के नियमों का पालन भरसक हुआ है किन्तु कहीं-कहीं असुदृढता जा ही गयी है यथा द्रुप्य (१-२९३) एक द्रुप्य (२-२९६)। किन्तु विश्वरूप और अपराध के इन दोषों से अपनी टोकियों को मुक्त कर रखा है। मिताक्षर्य के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपने शब्द भामप्रवा एव अथ ऋषियों के प्रति सम्बोधित किये हैं। कहीं-कहीं अपि 'त्रेण वीथ म' श्लोक को टोक देते हैं।

यह कहा जाता है कि ऋषि लोगो ने मिथिअ में जाकर याज्ञवल्क्य से वर्षों आश्रमों तथा अन्य शालों के धर्मों की गिला देने के लिए प्रार्थना की। सभ्य में इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है ऋषि १— श्रीरु विचारों मय वे श्रीम विरुषेय, धर्मोपादान, परिपद-गठन, धर्मोपादान से लेकर विवाह तक के सत्कार; उपनयन उमरा समय एवं अन्य बातें बह्व्यवारी के आह्वित वत्स्य, पढाये जाने योग्य व्यक्ति, बह्व्यवारी के लिए दक्षित पत्न्य एवं वसं विद्यार्थी-व्यय, विवाह विवाहयोग्य कन्या की पात्रता, सपिण्ड सम्बन्ध की सीमा, अन्तर्जातीय विवाह, आटा प्रकार के विवाह और उनसे प्राप्त आध्यात्मिक लाभ, विवाहामिमात्रक, देवज पुत्र, पत्नी के रहने विवाह के कारण पत्नी-वर्तव्य, प्रभु एवं गोम जातियों, गृहस्थ-वर्तव्य तथा पवित्र गृहार्थिन उपाण, पञ्च महाह्विक यज्ञ, अतिथि-सत्कार, मधुपर्क, अश्रमन के कारण, माय नियम, चारों वर्णों के विनोपाधिकार एवं वर्तव्य, मन्वे के लिए आचार के दस सिद्धान्त, गृहस्थ-वीविका-वृत्ति, पुत्र वैदिक यज्ञ, स्नातक वर्तव्य, अनध्याय, मस्यामठय के नियम, भास प्रयोग नियम, कतिपय पदार्थों का पवित्रीकरण, मया—धातु एवं लकड़ी के बरतन दान, दान पाने के पात्र, कौन दान की ग्रहण करे, दान-मुद्राकार, गोदान; अन्य वस्तु-दान, शान्त सबसे बड़ा दान, थाड, इसका उचित समय, उचित व्यक्ति जो थाड में बुलाये जायें; शमवे लिए अयोग्य व्यक्ति, निमात्रित प्राह्वणों की सक्या, थाड विधि, थाड प्रकार, मया पावन, वृद्धि, एवोहिष्ट, सपिण्डीकरण, थाड में कौन सा भास दिया जाय, थाड करते का पुरस्कार, विनायक एवं नव ग्रहों की शान्ति के लिए क्रिया-सत्कार, राजपथ, राजा के गुण, मन्त्री, पुरोहित, द्युभ्यानुचासन, रक्षार्थ राजा-वृत्तव्य, न्याय-शासन, कर एवं व्यय, कतिपय कार्यों का दिन निर्णय, मण्डल रचना, चार साधन, बट्टण, भाय एवं मानवीय उद्योग, दण्ड में पश्चात्तरहितता, तोल-बट्टखरे की इनाइयों, अर्थ-दण्ड की श्रेणियों। छण्ड २—न्यायमदन (यायालय) के सदस्य, न्यायाधीश, व्यवहारपद की परिभाषा, वार्ध-वर्ध, अति-योग, उत्तर, जमानत लेना, झूठे दल या साक्षी पर अभियोग, पश्चात्तरण एवं अर्थशास्त्र का परस्पर विरोध, उपपत्ति, लेख्यमाण, साक्षियों एवं स्वत्व के साधन, स्वत्व एवं अधिकार, न्यायालय के प्रकार, बल-अयोग्य, पोसायवी, अयातव्यवहास्ता एवं अनिपत्ति के अन्य कारण, सामानों की प्राप्ति, शेष, ऋण व्याद

समुत्त परिवार ने अथ पुत्र पिता के जिस ऋण को न दे, ऋण-निक्षेपण, तीन प्रकार के वन्दन; प्रतिष्ठा; जमा, मासोगम, उनको वापस-अपापता, सपथ-ग्रहण, मिथ्यासाक्षी पर दण्ड; छेदाप्रमाण, तुला, जल, अग्नि, विप एव पूत जात व शिष्य, बेटेवारा, इसका समग्र विभाजन में स्त्रीभाग, पिता-मृत्यु के बाद बेटेवारा, विनाशनाशयोग्य सम्पत्ति पिता-पुत्र का समस्त स्वामित्व, धार्य प्रारार के पुत्र, शूद्र का अनोरस पुत्र; पुत्रहीन पिता के लिए उत्तराधिकार, पुत्रमिलन, व्यावर्तन, स्त्रीधन पर पति का अधिकार; सौमा-विवाद, स्वामी-सोरसा-विवाद, स्वामित्व व विना विक्रय, दान की प्रमाणहीनता, विनय-विलोप, मृत्युता-सम्बन्धी प्रतिष्ठा का मग होना, बलप्रयोग द्वारा दान परम्परा-विरोध, मजदूरी न देना, जुआ एव पुरस्कार-मुद्ध, अपराध, मानहानि एवं विमुक्तवचन, आत्मन पाठ आदि, साहस, साक्षा, चोरी, व्यभिचार; अन्य दोष; न्याय-पुनरवलोकन। पाण्ड ३—जन्मान्तक माइना, मृत व्यक्तियों को जन्त-तपण, उनके लिए जिनके लिए न रोया गया और न जन्त-तपण किया गया, कतिपय व्यक्तियों के लिए परिवेदन-अवधि, सौर-प्रवट करनेवाले के नियम जन्म पर अगुडि, जन्म-मरण पर तक्षण पवित्रीकरण के उदाहरण, समय, अग्नि, त्रिया-संस्कार, पत्र आदि पवित्रीकरण के साधन, विपत्ति में आधार एव जीविता-वृत्ति, वानप्रस्थ के नियम, यति के नियम; आत्मा शरीर में किस प्रकार आवृत है, अणु (सर्वत्र सित्तु) के कतिपय स्तर, शरीर में अस्थि-सन्धी; यकृत, प्लीहा आदि शरीरगत, धर्मनियम एव रक्त-रसायुओं की संख्या, आत्म-विचार; मोक्षमार्ग में सती-प्रयोग, अशोक वातावरण में पूत आत्मा जैसे जन्म लेती है, पापी किस प्रकार विभिन्न पशुओं एव पक्षियों की योग्य में उत्पन्न होते हैं, योगी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता है, सत्य, रज एव तम के कारण तीन प्रकार के मार्ग, आत्म-ज्ञान के साधन दो मार्ग—एक मोक्ष की ओर और दूसरा स्वर्ग की ओर, पापियों के भोग के लिए कतिपय रोग-व्याधि, प्रायश्चित्त-प्रयोजन, २१ प्रकार के नरकों के नाम, पंच महापातन एव उनके समान अन्य पापों, उपाकार, ब्रह्म-हत्या तथा मनुष्य-हत्या के लिए प्रायश्चित्त; मुरासन, मानवीय एव क्षात्म्य पापों तथा विविध प्रकार की पशु-हत्याओं के लिए प्रायश्चित्त; समय, स्थान, अवस्था एव समयता के अनुसार अग्नि या वन गुडि, नियम न मानने वाले पापियों का निरवासन; गुप्त शुद्धि, दत्त धर्म एव नियम; सात्त्विक, महासात्त्विक, तत्कृत्य, पराव, चान्द्रायण एव अन्य अगुडियाँ; इस स्मृति को पढ़ने का पुरस्कार।

यदो के अतिरिक्त छ वेदगा एव षोडह विद्याओं (चार वेद, छ अंग, पुराण, न्याय, मोक्षा, धर्म-शास्त्र) को चर्चा मात्रक-स्मृति म हूँ है। अपने प्रथम आरम्भ एव योगशास्त्र की चर्चा भी दाशकल्प के की है। अन्य आरम्भों एव उपाधिपदा का भी उल्लेख हुआ है। पुराण भी बहुबचन में प्रचुर हुए हैं। इतिहास, पुष्य, वायोवाह एव नारायणी गाथाओं की भी चर्चा आयी है। आरम्भ में ही याज्ञक्यवचन के अपने को छोड़कर ११ धर्मशास्त्रकारों के नाम लिखे हैं, किन्तु स्मृति के भीतर अन्य में कहीं भी किसी का नाम नहीं आया है। उन्होंने आनीशिकी (अध्या-नशास्त्र) एव एण्मीनि (१.३११) के विषय में चर्चा की है। धर्म-शास्त्र एव अर्थशास्त्र के विरोध में उन्होंने प्रथम को मान्यता दी है (२.२१)। उन्होंने सामान्य रूप में स्मृतियों की चर्चा की है, सूत्रों एव भाष्यों की ओर भी संकेत किया है, किन्तु कहीं किसी लेखक का नाम नहीं आया है। उन्होंने सम्बन्ध, पाठ्यविज्ञान के भाष्य की ओर संकेत किया है। 'एत' (१.३६) कहकर अन्य धर्मशास्त्रकारों की ओर संकेत अवश्य किया गया है।

सात्त्विक्य के विदुषासंगुत्र की बहुत सी बातें मान ली हैं। इनकी स्मृति एवं कौटिलीय में पर्याप्त समानता दिखाई पड़ती है। याज्ञक्यवचन के बहुत-से श्लोक मनु के वचन के मेल में बंध जाते हैं। किन्तु याज्ञक्यवचन मनु की बहुत बातें नहीं मानते और कई बातों एव प्रयोगों में वे मनु से बहुत बाद के विचार

ठहरे हैं। निम्न बातों में मिश्रताएँ पायी जाती हैं—मनु ब्राह्मण को शूद्रवन्द्या में विवाह करने का आदेश कर देते हैं (३.१३), किन्तु याज्ञवल्क्य नहीं (१.५९)। मनु ने नियोग का वर्णन करते उसी मर्त्सना की है (१.५९-६८), किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं किया है (१.६८-६९)। मनु ने १८ व्यवहारपदों के नाम लिये हैं, किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा न करके केवल व्यवहारपद की परिभाषा की है और एक अन्य प्रकरण में व्यवहार पर विशिष्ट श्लोक जोड़ दिये हैं। मनु पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायभाग पर मौन-से हैं, किन्तु इस विषय में याज्ञवल्क्य बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने विधवा को सर्वोपरि स्थान पर रखा है। मनु ने जुए की मर्त्सना की है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य नियन्त्रण में रखकर कर का एक उपादान बना डाला है (२.२००-२०३)। इसी प्रकार कई बातों में याज्ञवल्क्य मनु से बहुत आगे हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति में मानगृह्यसूत्र (२.१४) से विनायक-शान्ति की बातें ले ली हैं, किन्तु विनायक की अन्य उपाधियाँ या नाम नहीं लिये हैं, यथा—मित, सम्मित, शालकटवट एव कूष्माण्डराजपुत्र।

याज्ञवल्क्यस्मृति का शुक्ल यजुर्वेद एव उसके साहित्य से गहरा सम्बन्ध है। इस स्मृति के बहुत-से उद्धृत मन्त्र ऋग्वेद एव वाजसनेयी संहिता दोनों में पाये जाते हैं, उनमें कुछ तो केवल वाजसनेयी संहिता के हैं। स्मृति के कुछ अंश बृहदारण्यकोपनिषद् के केवल अन्वय मात्र हैं। पारस्करगृह्यसूत्र से भी इस स्मृति का बहुत मेल बैठता है। कात्यायन के श्राद्धकल्प से भी इस स्मृति की बातें कुछ मिलती हैं, कोटिल्य के धर्मशास्त्र से भी बहुत साम्य है।

याज्ञवल्क्य के काल निर्णय में ९वीं शताब्दी के उपरान्त का साक्ष्य नहीं लेना है, क्योंकि उस शताब्दी में इसके व्याख्याकार विस्वरूप हुए थे। याज्ञवल्क्य विस्वरूप से कुछ शताब्दी पहले थे थे। विस्वरूप के पूर्व भी याज्ञवल्क्य के कई टीकाकार थे, ऐसा विस्वरूप की टीका से ज्ञात होता है। नीलकण्ठ ने अपने प्रायश्चित्त-मसूत्र में कहा है कि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में याज्ञवल्क्य (३.२२६) की बातें बही हैं। बहुत-से सूत्रों के आधार पर याज्ञवल्क्यस्मृति को हम ई० पू० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी शताब्दी के बीच में बही रच सकते हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम वाली तीन अन्य स्मृतियाँ हैं, बृह्दयाज्ञवल्क्य, योग-याज्ञवल्क्य एव बृहद्-याज्ञवल्क्य। ये तीनों तुलनात्मक दृष्टि से याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत प्राचीन हैं। विस्वरूप ने बृहद्-याज्ञवल्क्य को उद्धृत किया है। मिताक्षरा एव अपराकं में भी कई बार उसे उद्धृत किया है। दायभाग के अनुसार जितेन्द्रिय ने बृहद्-याज्ञवल्क्य की चर्चा की है। मिताक्षरा ने भी इसका उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। योग-याज्ञवल्क्य ८०० ई० में था। वाचस्पति मिथ ने अपने योगसूत्रभाष्य में योग-याज्ञवल्क्य के एक-आधे श्लोक को लिया है। वाचस्पति ने अपना न्यायसूचीनिबन्ध सन् ८४१-४२ ई० में लिखा। अपराकं ने भी योग-याज्ञवल्क्य से उद्धरण किये हैं। पराशरमाधवीय ने भी इसकी चर्चा की है। कुल्लूक ने मनु की व्याख्या करते हुए (३.१) योग-याज्ञवल्क्य का उद्धरण दिया है। डेवन कालेज के सप्रह में योग-याज्ञवल्क्य की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिनमें १२ अध्याय एव ४९५ श्लोक हैं। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मा से योगशास्त्र का अभ्ययन किया और उसे अपनी पत्नी गार्गी को सिखाया। सम्पूर्ण पुस्तक में योग के ८ अंगों, उनके विभागों एव उपविभागों का वर्णन है। इसमें एक-दो श्लोकों को छोड़कर अन्य उपर्युक्त उद्धरण नहीं पाये जाते, और वह भी बोधायनधर्मसूत्र में पाया जाता है। दूसरा श्लोक भगवद्गीता में पाया जाता है। डेवन कालेज सप्रह में एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बृहद्-योग-याज्ञवल्क्य स्मृति जो १२ अध्यायों एव ९३० श्लोकों में है। योग-याज्ञवल्क्य एव बृहद्-याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई टीकाएँ हैं, जिनमें विद्वत्वर्य, विज्ञानेश्वर, अपराकं एवं मूलपाणि अधिक प्रसिद्ध हैं। इन टीकाकारों के विषय में हम प्रकरण ९०, ७०, ७१ एवं ९५ में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में मिताक्षरा (विज्ञानेश्वरप्रतिपादित) पर आधारित ध्यवहारों का अधिक प्रचलन है, इस कारण याज्ञवल्क्य को अधिक गौरव प्राप्त है।

३५. पराशर-स्मृति

इस स्मृति का प्रकाशन कई बार हुआ है, विष्णु जीवानन्द तथा बम्बई संस्कृतमाला के संस्करण, जिनमें माधव की विस्तृत टीका है, अधिक प्रसिद्ध हैं। पराशर-स्मृति एक प्राचीन स्मृति है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने पराशर को प्राचीन धर्मवक्ताओं में गिना है। विष्णु हमसे यह नहीं सिद्ध होता है कि हमारी वर्तमान स्मृति प्राचीन है। मन्मथक वर्तमान प्रति प्राचीन प्रति का समीपन है। गरुडपुराण (अध्यात १०७) ने पराशर-स्मृति के ३९ श्लोकों को संक्षिप्त रूप में ले लिया है। इससे स्पष्ट है कि यह स्मृति पुरातन प्राचीन है। श्रौतिय में पराशर या पराशरों के मतों की चर्चा छः बार की है। पराशर ने राजनीति पर भी लिखा था, इससे यह स्पष्ट हो जाता है।

वर्तमान पराशर-स्मृति में १२ अध्याय एवं ५९३ श्लोक हैं। इसमें केवल आचार एवं प्रायश्चित्त पर ध्यान दिया है। इसमें टीकाकार माधव ने जो ही अपत्ती और से ध्यवहार-सम्बन्धी विवेचन जोड़ दिया है।

पराशर नाम बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीयारण्यक एवं बृहदारण्यक (या मे) में त्रम से व्यास पराशर्य एवं पराशर्य नाम आये हैं। निरुक्त ने 'पराशर' के मूल पर लिखा है। गण्डिनि ने भी मिश्रगुप्त नामक ग्रन्थ में पराशर्य माना है। स्मृति की भूमिका में आया है कि ऋषि श्लोको ने व्यास के पाग जाकर उनसे प्रायश्चित्त की विवेक श्रौतिय में मानवों के लिए आचार-सम्बन्धी धर्म की बातें उन्हें कथायें। व्यासजी उन्हें बदरिषाश्रम में शक्तिपुत्र अपने पिता पराशर के पास ले गये और पराशर ने उन्हें वर्षाधर्म के विषय में बताया। पराशर-स्मृति में अन्य १९ स्मृतियों के नाम आये हैं। इस स्मृति की निम्न लिखित विषय-सूची है—

(१) आरम्भिक श्लोक (भूमिका), पराशर ऋषियों को धर्म-ज्ञान देते हैं, मुण्डक; धारो मुण्डो का विषय दृष्टिकोणों से अन्तर्महद; सन्ध्या, स्नान, जप, होम, वैदिक अध्ययन, देव-पूजा नामक छः अध्याय; (२) ब्रह्मदेव एवं अग्नि-सन्ध्या, अग्नि-सन्ध्या-स्तुति; अग्नि, वैश्व एवं धृष्ट की जीवित-वृत्ति के साधन; (३) गृह्यधर्म, इष्टि, पशुधर्म के प्रति अनुज्ञान में पाष प्रचार के पातन-धर्म; (४) जन्म-मरण में उत्पन्न अनुष्ठिति का पवित्रीकरण, (५) आरम्भिक, दक्षिण, पूर्व या गौरी पति को त्यागने पर स्त्री को दण्ड, बृष्ट, गोष्ठ, परिवर्तित एवं परिवर्तित के लिए पशुधर्म एवं निवस, स्त्री का पुनर्विवाह; पतिव्रता नारियों को पुरस्कार; (६) साधारण बाधों, जैसे बुद्धि काटने पर मुक्ति, उक्त बाधों के विषय में जिनके अग्नि-स्थापना की हो, यात्रा में मर रहा हो या आरम्भिक मर रहा हो, (७) अग्निपशुधर्म, पशुधर्म, मुष्टी, जिल्पकारों, त्रिपथों, वैश्या, शक्ति के मातले पर दण्डकरण, पानी बाधण, बाधण-स्तुति; (८) धातु, काष्ठ आदि के बरतनों का निर्माण-धर्म; मासिक धर्म में नारी के विषय में; (९) कई प्रकार के अनुज्ञान में साधन-मार्ग मारने पर दण्डकरण, मुक्ति के लिए शक्ति परिवर्तन में जाता; परिवर्तन-मन्त्र, विज्ञान बाधण-स्तुति; (१०) श्राव्य एवं वैश्व की मारने के लिए छद्म की उचित मुष्टी; मोटी छद्म से छोट पढ़ने पर मुक्ति; (११) अग्नि नारियों से समीप करने पर बाधण या धर्म धन या मुक्ति; (१२) बाधण में स्त्री के मरने पर मुक्ति; जिससे स्त्री मरने और शिवरा न श्राव्य, इसके विषय में निवस; पशु मरने पर बृष्ट का पवि करण; (१३) दुग्धक

देखने, वसन करने, बाल बनवाने आदि पर पवित्रीकरण, पाँच स्नान, रात्रि में बच स्नान किया जा सकता है, कौन-सी वस्तुएँ गृह में सदैव रखनी चाहिए या दिलाई पडनी चाहिए, गोचर्में नागक भूमि की इवाई की परिभाषा, ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण-चौर्य आदि भयानक पापों की परिशुद्धि ।

पराशर ने कुछ विलक्षण बातें पायी जाती हैं, यथा—केवल चार प्रकार के पुत्र (औरस, शोत्रज, दत्त तथा कृत्रिम), यद्यपि यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि वे अन्य को नहीं मानते। सती प्रथा की उन्होंने स्तुति की है। पराशर ने अन्य धर्मशास्त्रकारों के मतों की चर्चा की है। मनु का नाम बई बार आया है। बोधायन-धर्मसूत्र की बहुत-सी बातें इस स्मृति में पायी जानी हैं। पराशर ने उशाना, प्रजापति, वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, स्मृति आदि की स्थान-स्थान पर चर्चा की है।

विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि ने पराशर को अधिकतर उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि ९वीं शताब्दी में यह स्मृति विद्यमान थी। इसे मनु की कृति का ज्ञान था, अतः यह प्रथम शताब्दी तथा पाँचवीं शताब्दी के मध्य में कमी लिखी गयी होगी।

एक बृहत्पराशर-संहिता भी है, जिसमें बारह अध्याय एवं ३३०० श्लोक हैं। लगता है, यह बहुत बाद की रचना है। यह पराशर-स्मृति का सरोपण है। इसमें विनायक-स्तुति पायी जाती है। इस संहिता को मिताक्षरा, विश्वरूप या अपराकं ने उद्धृत नहीं किया है। किन्तु चतुर्विंशतिमत के भाष्य में मट्टोजिदीक्षित तथा दत्तवर्मासाहा ने मन्द पण्डित ने इससे उद्धरण लिया है। एक अन्य पराशर-नामी स्मृति है जिसका नाम है बृद्धपराशर, जिससे अपराकं ने उद्धरण लिया है। किन्तु यह पराशर-स्मृति एव बृहत्पराशर से भिन्न स्मृति है। एक ज्योति-पराशर भी है जिससे हेमाद्रि तथा मट्टोजिदीक्षित ने उद्धरण लिये हैं।

३६- नारद-स्मृति

नारद-स्मृति के छोटे एव बड़े दो संस्करण हैं। डा० जॉली ने दोनों का सम्पादन किया है। इसके भाष्य-कार हैं असहाय, जिनके भाष्य को केशवभट्ट से प्रेरणा लेकर कल्याणभट्ट ने सशोधित किया है।

याज्ञवल्क्य एव पराशर ने नारद को धर्मवस्तुओं में नहीं गिना है। किन्तु बृद्धयाज्ञवल्क्य के एव उद्धरण से विश्वरूप ने दिखलाया है कि नारद इस धर्मशास्त्रकारों में एक थे।

प्रकाशित नारदीय में प्रारम्भ के ३ अध्याय न्याय-सम्बन्धी विधि (व्यवहार-भातृका) तथा न्याय-सम्बन्धी सामा पर हैं। इसके उपरान्त निम्न बातें आती हैं—ऋणादान (ऋण की प्राप्ति), उपनिधि (जमा, ऋण देना, बन्धक); सम्भूयसमुत्पान (सहकारिता), दत्ताप्रदानिक (दान एव उसका पुनर्ग्रहण), अभ्युपेत्य-अनुभूया (नौचरी के ठेके वा तोड़ना), वेतनस्य-अनुपाकर्म (वेतन का न देना), अस्वामिविक्रय (बिना स्वामित्व के विक्रय), विन्नीपासम्प्रदान (विन्नी के उपरान्त न सौंपना), त्रीतानुदाय (खरीदपी वा सप्टन), समयस्या-नुपाकर्म (निधम, धैर्य आदि की परम्पराओं वा विरोध), सीमाबन्ध (सीमा निर्णय), स्त्रीपुत्रयोग (वैवाहिक सम्बन्ध); दायभाग (बेटयारा एव वसीयत); साहस (बलप्रयोग से उत्पन्न अपराध, तथा हत्या, डकैती, बलात्कार आदि), वाष्पाहाय्य (मानहानि एव पिशुनबन्धन) एव दण्डपाठ्य (विविध प्रकार की चोटें); प्रवीर्णक (मुत्तफर्कत दोष)। अनुक्रमणिका में घोरी का विषय भी है, यद्यपि साहस वाले प्रकरण में कुछ आ ही गया है।

उपर्युक्त अठारहों प्रकरणों में नारद ने मनुस्मृति के ढाँचे की बहुत अधिक सीमा तक ज्यों-का-स्यों ले लिया है, वहीं-वहीं नामों में कुछ अन्तर आ गया है, यथा उपनिधि (नारद) एव विरोध (मनु)। इसी प्रकार नामों के कुछ भेदों के खदेने पर भी दोनों स्मृतियों में बहुत साम्य है।

प्रकाशित स्मृति में (अनुष्मन्निषा को लेकर) १०२८ श्लोक है। वृत्तिपत्र निबन्धों में लगभग ७००० श्लोक आ गये हैं। 'अम्बुषेतासुसूया' प्रकरण के २१वें श्लोक तक असहाय का नाम्य मिलता है। विरवरूप; मर्यादाविधि, मिताधारा में इस स्मृति के कई उद्धरण मिलते हैं। स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, परासारात्मादीय तत्पर कालान्तर के निबन्धों में नारद के श्लोक उद्धृत मिलते हैं।

प्रारम्भिक मर्यादा को छोड़कर जिसमें नारद, मार्कण्डेय सुमति मार्कण्डेय द्वारा मनु के मौलिक धर्म के शिष्टाचारण की बात है, सम्पूर्ण नारदस्मृति अनुष्टुप् छन्द में है (केवल दूसरे अध्याय के ३८वें एवं समा के अन्तिम छन्द को छोड़कर)। इस स्मृति में नारद का भी नाम आया है (शुद्धपादान, २५३)। आचार्यों परंपरा में एक अर्थशास्त्र की खर्चा आयी है। धर्मशास्त्र की अर्थशास्त्र से अधिक मान्यता दी गयी है। नारद ने वृत्ति ५-धर्मसूत्र एवं पुराण की भी खर्चा की है। मनु की तो कितनी ही बार उद्धृत किया गया है और स्थान-स्थान पर शास्त्र्य एवं विरोध प्रकट किया गया है। कनी-कनी नारदस्मृति को मनु पर आधारित माना जाता है। नारद में महाभारत के कई श्लोक आये हैं। कौटिल्य और नारद में कुछ स्थानों पर साम्य पाया जाता है।

सम्भवतः नारदस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की रचना है। याज्ञवल्क्य में दिव्य के केवल पाँच प्रकार आये जाते हैं, किन्तु नारद में सात हैं। इसी प्रकार बहुत-सी निम्नता की बातें हैं जो नारद की याज्ञवल्क्य के बाद की स्मृतिकार सिद्ध करने में सहायता करती हैं। हो सकता है कि दोनों इतिहास समकाल के हैं। नारद नारदीय याज्ञवल्क्य से कुछ बाद की रचना प्रतीत होती है। नारदीय में राजनीति पर के अनेक प्रयोग रूप में यत्र-तत्र खर्चा हुई है, विवेकतः ध्यवहार-सम्बन्धी बातों का ही विवेकन किया गया है। इसी तरह बाण द्वारा उल्लिखित नारदीय खर्चा किसी दूसरे नारदीय धर्म के विषय में है, क्योंकि बाण ने राजनीति में साम्राज्य में ही नारद की ओर संकेत किया है।

अमृतवाहन की ध्यवहारमातृका एवं परासारात्मादीय ने एक ऐसा नारदीय श्लोक उद्धृत किया है कि नरक अर्धभाग विरमोर्धरीय में मिलता है। अमात्यका कालियान के कालनिर्णय में अनी बहुत मनमोह है। पाणिनी की या पाँचवीं शताब्दी का प्रथम-अर्ध सामान्यतः विद्वान्ता से योग्य है। यदि यह ठीक है तो नारद की तिथि पाँचवीं शताब्दी के बहुत पहले ठहरती है। क्योंकि उपर्युक्त उद्धरण नारद में ही किया गया होगा कि नारद से। नारद में 'दीनार' शब्द आया है, जो डा० विन्टर्त्सर द्वारा दूसरी या तीसरी शताब्दी का माना जाता है। किन्तु डा० शीष के मतानुसार 'दीनार' शब्द और पुराण है क्योंकि रोमकों ने ईसा-पूर्व २०७ में 'दीनार' सिक्का बनवाया था, जिसे शकों ने ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में भी बनवाया। इस से सिद्ध किया जा सकता है कि नारद १०० ई० एवं ३०० ई० के बीच में हुए होगे।

नारद कहीं के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई इन्हें नेपाली बहना है, कोई सम्प्रदेशी। किन्तु यह सब कल्पना मात्र है। डा० अण्णारकर के मतानुसार नारद का एक नाम किन्तु १ ही था, जिसका उल्लेख कौटिल्य में किया है। डा० अण्णारकर ने 'सिन्धु' शब्द का, जिसका अर्थ होता है 'बृहत् नदी' या 'सगरीय सगरीयाना', अर्थात् कि नारद के बारे में पुराणों में पण्डित है, सहारा के एक ऐसा मनु कोचिन कि ना है। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र, रघुनाथन ने बृहदारण्यक एवं निर्णयतिथि तथा शाक्यशास्त्रियों ने सत्य-नारद के दो खर्चा की है। नारदस्मृति के आरम्भिक अध्याय के विषय में हम ५८वें प्रकरण में पढ़ेंगे।

३७. बृहस्पति

धर्मसूत्रकार बृहस्पति का जन्म हमने प्रकरण १९ में पढ़ लिया है। वही धर्म बृहस्पति की स्मृति

अथवा धर्मशास्त्रकोविद के रूप में देखेंगे। अभाग्यवशा हमें अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूर्ण रूप में नहीं मिल सकी है। यह स्मृति एक अनोखी स्मृति है, इसमें व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषाएँ बड़े ही सुन्दर ढंग से लिखी हुई हैं। डा० जॉली ने ७११ श्लोक एकत्र किये हैं। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को धर्मशास्त्रकारों में गिना है।

बृहस्पति ने वर्तमान मनुस्मृति की बहुत-सी बातें ले ली हैं, लगता है मानो वे मनु के वातिककार हों। बहुत-से स्थलों पर बृहस्पति ने मनु के सक्षिप्ता विवरण की व्याख्या कर दी है। अपराकं, विवादरत्नावर, वीरमित्रोदय तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर हम बृहस्पति में आयी व्यवहार-सम्बन्धी सूची उपस्थित कर सकते हैं, यथा—व्यवहारामियोग के चार स्तर, प्रमाण (तीन मानवीय एवं एक देवी क्रिया), गवाह (१२ प्रकार के), लेखप्रमाण (दस प्रकार), भुक्ति (स्वत्व), दिव्य (९ प्रकार), १८ स्वत्व, शृणादान, निक्षेप, अस्वामिविज्ञय, समूय-समृत्यान, दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्यासश्रूपा, वेतनस्थानपाकर्म, स्वामिपालविवाद, सविद्व्यतिक्रम, विनीयासम्प्रदान, पारुष्य (२ प्रकार), साहस (३ प्रकार), स्त्रीसग्रहण, स्त्रीपुसयमं, विभाग, घृत, समाह्वय, प्रकीर्णक ('नृपाश्रय व्यवहार' या वे अपराध जिनके लिए स्वयं राजा अभियोग लगाये)।

सम्भवतः बृहस्पति सर्वप्रथम धर्मशास्त्रज्ञ अथवा धर्मकोविद थे, जिन्होंने 'धन' एवं 'हिंसा' (सिविल एण्ड क्रिमिनल अथवा माल एवं फौजदारी) के व्यवहार के अन्तर्भेद को प्रवृत्त किया। उन्होंने १८ पदों (टाइटिल) को दो भागों में, यथा—धन-सम्बन्धी १४ तथा हिंसा-सम्बन्धी ४ पदों में विभाजित किया। बृहस्पति ने युक्तिहीन न्याय की भर्त्सना की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रत्युत पुस्तिक के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो अचौर, चौर तथा साधु, असाधु सिद्ध हो जायगा। उन्होंने व्यवहार की सभी विधियों की विधिबद्ध व्यवस्था की है और इस प्रकार वे आपुनिक न्याय-प्रणाली के बहुत पास आ जाते हैं।

बहुत-सी बातों में नारद एवं बृहस्पति में साम्य है। कही-नही अन्तर्भेद भी है। नारद मनु की बहुत-सी बातों से आगे हैं, किन्तु बृहस्पति उनके अनुसार चलनेवाले हैं, केवल कुछ स्थलों पर कुछ विभेद दिखाई पड़ता है। बृहस्पति मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद के स्मृतिकार हैं, किन्तु उनमें और नारद के सम्बन्ध को बताना कुछ कठिन है। उन्होंने 'नाणक' सिक्के की चर्चा की है। उन्होंने दीनार की परिभाषा की है। दीनार को 'सुवर्ण' भी कहा गया है। एक दीनार १२ धानक के बराबर होता है तथा एक धानक ८ अण्डिकाओं के बराबर। एक अण्डिका एवं ताम्र-गण है जिसकी तौल एक कर्प के बराबर है। यह वर्णन नारद में भी पाया जाता है। डा० जॉली के अनुसार बृहस्पति छठी या सातवीं शताब्दी में हुए थे। किन्तु अन्य सूत्रों के आधार पर ये बहुत बाद के स्मृतिकार ठहरते हैं। विश्वरूप एवं मेघातिथि के अनुसार नारद एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन भी प्रामाणिक लेखक माने जाते हैं। यह प्रामाणिकता कई शताब्दियों के उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। कात्यायन तथा अपराकं ने भी बृहस्पति से उद्धरण लिये हैं। अन्य सूत्रों के आधार पर बृहस्पति को २०० एवं ४०० ई० के बीच में कही रखा जा सकता है। वे कहीं के रहनेवाले थे, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्मृतिचन्द्रिका में बृहस्पति के श्राद्ध-सम्बन्धी लगभग ४० उद्धरण आये हैं। पराशरमाधवीय, निर्णय-सिधु तथा सस्वारकोस्तुभ में बृहस्पति के अनेक श्लोक उद्धृत हैं। मिताक्षरा ने भी बहुत स्थलों पर बृहस्पति के धर्मशास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में व्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार के उद्धरण हैं। अभाग्यवशा बृहस्पति का सम्पूर्ण ग्रन्थ अभी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा में बृह-बृहस्पति के उद्धरण भी हैं। हेमाद्रि ने ज्योतिर्बृहस्पति का भी नाम लिया है। अपराकं ने बृह-बृहस्पति से कुछ उद्धरण लिये हैं।

३८. कात्यायन

प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के क्षेत्र में नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन विरलमण्डल में आते हैं। कात्यायन की व्यवहार-सम्बन्धी कृति अभी अनाद्यपि प्राप्त नहीं हो सकी है। विद्वत्स्य से लेकर वीरमित्रोदय तक के लेखकों द्वारा उद्धृत विवरणों के आधार पर निम्न विवेचन उपस्थित किया जाता है—

दास-लितित, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने कात्यायन को धर्मवक्ताओं में गिना है। शौचायनवधमेतूत्र में भी एक कात्यायन प्रमाणरूप से उद्धृत हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक श्रौतमूत्र एवं श्राद्धवल्क कात्यायन के नाम से ही प्रसिद्ध है।

व्यवहार-सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था एवं विवरण में कात्यायन ने सम्भवतः नारद एवं बृहस्पति को आदर्श माना है। शब्दा, शैली एवं षडो में कात्यायन नारद एवं बृहस्पति से बहुत निकट आ जाते हैं। कात्यायन ने स्त्री-धन पर जो कुछ लिखा है, वह उनकी व्यवहार-सम्बन्धी कुशलता का परिचायक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अश्विन, अध्यावहनिव, प्रीतिदत्त, शूलक, अन्वाधेय, सौदायिष नामक स्त्रीधन के कतिपय प्रकारों की धर्मा की है। निबन्धों में कात्यायन के तत्सम्बन्धी उद्धरण प्राप्त होते हैं। लगभग दस निबन्धों में कात्यायन के व्यवहार-सम्बन्धी ९०० श्लोक उद्धृत हुए हैं। वेबल स्मृतिचन्द्रिका ने ६०० श्लोकों का हवाला दिया है। कात्यायन ने भृगु के मतों का उल्लेख किया है, और वे उद्धृत मत वर्तमान मनुस्मृति में मिल जाते हैं। बृहस्पति ने लिखा है कि कात्यायन ने भृगु का नाम लेकर मनु से ही श्लोकों की व्याख्या कर दी है। किन्तु बहुत-से भृगु-सम्बन्धी उद्धरण मनुस्मृति में नहीं पाये जाते। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर कात्यायन ने मनु का भी नाम लिया है, किन्तु ऐसे स्थानों के उद्धरण वर्तमान मनुस्मृति में नहीं मिलते। लगता है, कात्यायन के समस्त मनुस्मृति का कोई बृहत् सवरूप था जो भृगु द्वारा घोषित था।

निबन्धों में मनु, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के श्लोक भी आये हैं, यथा—स्त्रीधन के छः प्रकारों के सम्बन्ध में जो श्लोक आया है, वह कायभाग द्वारा मनु एवं कात्यायन का कहा गया है। 'वर्णा-मामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः' की अर्धशैली याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन दोनों में पायी जाती है। वीरमित्रोदय ने बृहस्पति एवं कात्यायन के नाम एक श्लोक मड़ दिया है। व्यवहार, धरित एवं राजशासन की परिभाषा कर देने में बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के समिकृत आ जाते हैं। कात्यायन ने मनु (मातव), बृहस्पति एवं भृगु के अतिरिक्त अन्य धर्मशास्त्रकारों के नाम लिये हैं, यथा—वैशिश, लितित आदि। कात्यायन ने स्वयं अपना नाम भी प्रमाण के रूप में लिया है।

नारद एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने भी व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के विषय में अष्टगामी षड् दिये हैं। वहीं-वही कात्यायन इन दोनों से भी आगे बढ़ जाते हैं। कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धी षड् नवीं शताई भी दी है, यथा—'पदपात्कार', 'जयपत्र' आदि। पदपात्कार वह निर्णय है जो बारी एवं प्रतिबारी के बीच गर्भागर्भ विवाद के पक्षवत्त्व दिया जाता है। 'जयपत्र' नामक निर्णय को कात्यायन ने दूसरा रूप दिया है। यह वह निर्णय है जो प्रतिवादी की स्वोत्तरोक्ति या अन्य कारणों से अभियोग के सिद्ध होने के पक्षवत्त्व दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का समर्थन न करे हृत्वा निमित्त उपस्थित करता है, तो उसे श्यामायन द्वारा दिये गये निर्णय में उत्तरान अथिष शक्तिगामी निमित्त देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कात्यायन का काण निर्णय सरल नहीं है। वे मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद आते हैं, इगमे पाठे नहीं है। उनसे पूर्व नारद एवं बृहस्पति आ चुके प्रतीत होते हैं। अण अथिष-ने-अथिष के ईगा बाद तीसरी या चौथी शताब्दी तक जा सकते हैं। विस्तरण एवं मेघानिधि ने कात्यायन को नारद एवं बृहस्पति के समान ही

प्रमाणयुक्त माना है। यह महता कात्यायन को कई शताब्दियों में ही प्राप्त हो सकी होगी। अतः कम-से-कम वे ईसा बाद छोटी शताब्दी तक आ सकेंगे। कात्यायन इस प्रकार चौथी तथा छोटी शताब्दी के मध्य में कभी हुए होंगे।

व्यवहारमूल्य ने एक बृहत्कात्यायन तथा दायभाग ने बृद्ध-कात्यायन की चर्चा की है। सरस्वतीविलास ने बृद्ध-कात्यायन से उद्धरण लिये हैं। चतुर्वर्गचिन्तामणि में उपकात्यायन का भी नाम लिया है। अपराकं ने एक श्लोक-कात्यायन का नाम लिया है।

जीवानन्द के सग्रह में ३ प्रपाठको, २९ सण्डा एवं ५०० श्लोकों में एक कात्यायन ग्रन्थ है। यही ग्रन्थ आनन्दाश्रम सग्रह में भी है। इसका छन्द अनुष्टुप् है, कुछ इन्द्रवज्रा में भी है। इस ग्रन्थ को कात्यायन का कर्मप्रदीप कहा जाता है। इस कर्मप्रदीप की विषय सूची इस प्रकार है—जनेऊ कैंते पहना जाय, जल छिटवना या जल से विभिन्न अंगों का स्पर्श; प्रत्येक क्रिया-संस्कार में गणेश एवं १४ मातृ-पूजा, वृषा, श्राद्ध विवरण, पूताग्नि-प्रतिष्ठा, अरगियों, सुक् सुक् के विषय में विवरण, प्राणायाम, वेद-मन्त्रपाठ देवताओं एवं पितरों का श्राद्ध, दन्त-धावन एवं स्नान नियम, सख्या, महाहोत्रिक मंत्र, श्राद्ध कौन कर सकता है, मरण में अशीच-काल, पत्नीवर्तव्य, विविध प्रकार के श्राद्ध-वर्ग।

कर्मप्रदीप में बहुत-से लेखकों के नाम आये हैं। गोमिल, गौतम आदि के नाम यथास्थान आये हैं। पारद, मार्गव (उशना ?), शाण्डिल्य, शाण्डिल्यायन की चर्चा हुई है। मनु, याज्ञवल्क्य, महाभारत के उद्धरण आये हैं।

इस कर्मप्रदीप (कात्यायनस्मृति) की तिथि क्या है? क्या यह प्रसिद्ध कात्यायन की ही, जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है, वृत्ति है? भिताशारा, अपराकं तथा अन्य लेखकों ने इससे उद्धरण लिया है, इससे यह सिद्ध है कि यह ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया गया था। यह ११वीं शताब्दी के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है। सम्भवतः कात्यायन द्वारा प्रणीत कोई बृहद् ग्रन्थ था जिसका ससिद्ध अथवा एक अंश कर्मप्रदीप है।

क्या व्यवहारकोविद कात्यायन एवं कर्मप्रदीप के लेखक एक ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। विज्ञानेश्वर एवं अपराकं ने इन दोनों में कोई विमैद नहीं माना है। किन्तु विद्वरूप ने कात्यायन से आचार प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण नहीं लिये हैं। अतः दोनों लेखक एक हैं कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

३९. अङ्गिरा

विद्वरूप से लेकर आगे तक के सभी लेखकों द्वारा अगिरा से उद्धरण लिये गये हैं। केवल व्यवहार-विषयक बातें ही अच्छी रही हैं। याज्ञवल्क्य ने अगिरा को धर्मशास्त्रकार माना है। विद्वरूप ने कहा है कि अगिरा के कथनानुसार परिषद् में १२१ ब्राह्मण रहते हैं। इसी प्रकार अगिरा (अगिरस्) की बहुत-सी बातों का हवाला विद्वरूप ने दिया है। अपराकं, मेघातिथि, हरदत्त तथा अन्य लेखकों एवं भाष्यकारों ने धर्म-सम्बन्धी बातों में अगिरा की बहुत ही चर्चा की है। विद्वरूप ने मुगन्दु से उद्धृत अगिरा के कथन का उल्लेख किया है। उपस्मृतियों के नाम गिनाने में स्मृतिचन्द्रिका ने अगिरा के गद्यांश उद्धृत किये हैं।

जीवानन्द के सग्रह में जो अगिरस्स्मृति है वह केवल ७२ श्लोकों में है। यह संस्करण सम्भवतः बृहत् का ससिद्ध रूप है। इसमें अन्त्यज से गोप्य एवं पेय ग्रहण करने, गौ को पीटने या कई प्रकार से घोट पहुँचाने आदि जैसे अवसरों के प्रायश्चित्तों का वर्णन है। रित्रियों द्वारा नील वस्त्र धारण करने की विधियाँ भी इसमें वर्णित हैं। इस स्मृति में स्वयं अपने (अगिरा) एवं आपस्तम्ब के नाम भी लिये हैं। इसने उपान्य श्लोक में स्त्री धन को चुरानेवाले की मर्तना की गयी है।

मिताक्षरा एव वेदाचार्य की स्मृतिरत्नावलि में बृहस्पतिरा का भी नाम आया है। मिताक्षरा में ही मध्यम-अंगिरा का भी नाम लिया है।

४०. ऋष्यशृङ्ग

मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में ऋष्यशृंग की पचास आचार, अशौच, धाद एव प्रायश्चित्त के विषय में बहुत बार की है। अपराकं में ऋष्यशृंग का एक ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जो मिताक्षरा द्वारा उक्त का बताया गया है। इस प्रकार कई एक गडबडीयों भी हैं। अत्रायवरा ऋष्यशृंग की स्मृति मिल नहीं मनी है।

४१. काष्ठाजिनि

विशेषतः धाद-सम्बन्धी बातों में मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य लोगों ने इस केरात का उल्लेख किया है। काष्ठाजिनि का एक श्लोक अपराकं में उद्धृत किया है, जिसमें ब्रह्मा के सात पुत्रों के नाम हैं, यथा सनन, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बोडु एव पञ्चसिता। इसी प्रकार अपराकं में उद्धरण में बन्धा एव वृश्चिन राक्षसों के नाम भी आये हैं।

४२. चतुर्विंशतिगत

इस श्रुति की दो प्रतियाँ डेवन कालेज सहर में उपलब्ध हैं। इसमें ५२५ श्लोक हैं। इसमें इस नाम का एक कारण है। इसमें २६ ऋषियों की शिक्षाओं (मनो) का सारसत्त्व पाया जाता है। यथा मनु, याम-वल्क्य, अत्रि, विष्णु, वसिष्ठ, व्यास, उशना, आपस्तम्ब, यत्त, हारीत, मुह (बृहस्पति), नारद, पराशर, वात्सयान नामक, गोमय, यम, बोधयन्त्र, दश, शङ्ख, अंगिरा, शातातप, शाख्य (साख्यायन?), सबतं। इसमें ये विषय आये हैं—अर्गाथम के आचार, शौर, आचमन, दन्तधावन, स्नान, प्राणायाम, शयनीपाठ, वेदाध्ययन, विवाह, अग्निहोत्र, पशुगृहार्ति, जीविका-वृत्ति, धानप्रत्य, सम्पात्ती, धानियों एव अन्य दो जातियों के धर्म, मयवर एव हलके पाणों के लिए प्रायश्चित्त, जीविका के साधन, धाद, जन्म-मरण पर अशौच।

इस ग्रन्थ में उशना, मनु, पराशर, अंगिरा, यम, हारीत के मत उद्धृत हैं। इसमें यह आया है कि अर्ह, चारुण एव बुद्धों की शिक्षाएँ लोगों को भ्रम में डालती हैं। इस ग्रन्थ के उद्धरण मिताक्षरा, अपराकं तथा बालाकर के ग्रन्थों में मिलते हैं। विष्णु बिरुवर एव मेधातिथि उनसे विषय में मोन हैं। दो मतों हैं कि उशने का उक्त मत यह ग्रन्थ मत्ता न प्राप्त कर मना हो। बाराक सहर में जो संस्करण प्रकाशित है उसमें अशौच के पुनः श्रुति की टीका है। यह टीका विद्वत्पूर्ण है और बहूत-में सेगको का उशना दनी है। विगो विगी अर्गाजिनि प्रति में यह भाष्य समझा का मना गया है।

४३. दश

अत्रायवरा ने दश का उल्लेख किया है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं में दश के उद्धरण मिलते हैं। दश के वेदों के अर्थ बहूत उद्धृत किये जाते हैं—“सायान्य सायिन नान्यसाधिवारान्तरात्तन्नाम्। अत्राहियथ शिषेव सर्वेष्वपान्तरं मतिं।। आश्विनानि न देवार्ति नर षण्डुति पण्डितं।। दा दशानि न श्रुताना प्रायश्चित्तोपायान्।। अत्रायवरा एव विष्णो के नामे अत्र दश शिषा की विमल दात म न किये जानेवाले भी पदाओं की पचास हैं बहूत उद्धृत किये गये हैं।

जीवानन्द के तग्रह में जो दशस्मृति है, उसमें ७ अध्याय एव २२० श्लोक हैं। इसके मुख्य विषय ये हैं—चार आश्रम, ब्रह्मचारियों के दो प्रकार, द्विज के आह्वित धर्म, वर्गों के विविध प्रकार, नौ वर्ग, नौ विक्रम, नौ गुप्त कर्म, नौ कर्म जो गुल्बर किये जायें, दान में न दी जानेवाली वस्तुएँ, दान, भली पत्नी को स्तुति, शौच के दो प्रकार, जन्म-मरण पर अशौच, योग एव उसके षडंग, यथा प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क एव समाधि, साधुओं द्वारा त्यागने योग्य आठ प्रकार के मैथुन, शिक्ष-धर्म, द्वैत एव अद्वैत।

यह स्मृति वस्तुतः बहुत प्राचीन है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं एव स्मृतिचन्द्रिका में जो अंग उद्धृत हैं वे किसी-न-किसी प्रकाशित संस्करण में मिल ही जाते हैं।

४४ पितामह

विश्वरूप द्वारा उद्धृत बृद्ध-याज्ञवल्क्य के श्लोक में पितामह धर्मवचनाओं में बड़े गये हैं। यह स्मृति व्यवहार से विशेष सम्बन्ध रखती है। विश्वरूप, मिताक्षरा ने पितामहस्मृति से व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण लिये हैं। इस स्मृति में वेद, वेदांग, भीमासा, स्मृतिर्था, पुराण एव व्यास धर्मशास्त्रों में गिने गये हैं। पितामह ने बृहस्पति के समान नौ दिव्यों की चर्चा की है, किन्तु याज्ञवल्क्य एव नारद में केवल पाँच ही दिव्य दिग्गये गये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने भी इससे उद्धरण लिये हैं। व्यास की भाँति पितामह न त्रयपत्र, अध्यापन, अध्यापन विनुद्ध-पत्र नामक लेखप्रमाणों की चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका में पितामह से १८ प्रकृतियों, यथा—घोषी, चम्पू—अग्नि की सख्या उद्धृत है। इसमें व्यवहार के २२ पद पाये जाते हैं। पितामह के अनुसार न्यायालय में सिद्धि, गणक, शास्त्र, साम्यपाल, समासद, सोना, अग्नि एव जल नामक आठ करण होने चाहिए। इसी प्रकार शय्य पदों की चर्चाएँ हैं।

पितामह बृहस्पति के श्राद्ध आते हैं, क्योंकि उन्होंने बृहस्पति के मत का हवाला दिया है, यथा—एव ही ग्राम, समाज, नगर, श्रेणी, सार्यसेना (वारवाँ) या सेना के लोगों को अपनी ही परम्पराओं के अनुसार विवाद का निपटारा करना चाहिए। पितामह की तिथि ४०० एव ७०० ई० के बीच में बही पढ़नी चाहिए।

४५. पुलस्त्य

बृद्ध-याज्ञवल्क्य के अनुसार पुलस्त्य एक धर्मवचना हैं। विश्वरूप ने परोर-शौच के मिलसिले में उनका एक श्लोक उद्धृत किया है। मिताक्षरा ने एक उद्धरण में कहा है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को मुनि का भोजन, क्षत्रिय एव वैश्य को मांस तथा शूद्र को मधु खाना चाहिए। सध्या, श्राद्ध, अशौच, यनि धर्म, प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में अपराकं ने पुलस्त्य से बहुत उद्धरण लिये हैं। आह्वित एव श्राद्ध पर स्मृतिचन्द्रिका ने पुलस्त्य का उल्लेख किया है। दातवलाकर ने मृगधर्म-दान के बारे में पुलस्त्य का उद्धरण दिया है। पुलस्त्यस्मृति की तिथि ४०० एव ७०० ई० के मध्य में अवश्य होनी चाहिए।

४६. प्रचेता

पराराध ने प्रचेता (प्रचेतस्) का नाम श्रद्धियों में लिया है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने इनका नाम धर्मशास्त्र-कारों में नहीं लिया है। आह्वित वर्तव्यों (आचार्यों), श्राद्ध, अशौच, प्रायश्चित्त के विषय में मिताक्षरा एवं अपराकं ने प्रचेता महोदय के कई उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा ने उद्धरण देते हुए कहा है कि धर्मचारियों,

शिल्पवागो, चित्रित्सको, क्षत्रियो एव दासो, राजाजो, राजनमंचारियो को अशौच की मर्षा नहीं माननी चाहिए। येधार्तियि ने प्रवेता के ग्रन्थ को स्मृति कहा है और उते मनु, विष्णु आदि के समान प्रमाण माना है। मिताशरा, हरदत्त तथा अपराक्ष ने बृहत्प्रवेता से अशौच-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण लिये हैं। इन लोगों ने बृहत्प्रवेता की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका एव हरदत्त ने प्रवेता को उद्धृत किया है।

४७. प्रजापति

बौधायनधर्मसूत्र ने प्रजापति को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है (२ ४. १५ एवं २. १०. ७१)। ऋषिष्ठ में प्राजापत्य श्लोक उद्धृत पाये जाते हैं (३ ४७, १४ १६-१९, २४-२७, ३०-३२)। उद्धृत श्लोकों में बहुत-से मनुस्मृति में भी पाये जाते हैं। हो सकता है, दोनों धर्मसूत्रकारों ने प्रजापति नाम से मनु की ओर ही संकेत किया हो।

आनन्दाश्रम सग्रह में प्रजापति नामक एक स्मृति है, जिसमें ध्याङ पर १९८ श्लोक हैं। इसका छन्द अनुष्टुप् है, किन्तु कहीं-कहीं इन्द्रवय्या, उपजाति, वसन्ततिलका और राघवा छन्द भी हैं। इसमें बल्पशास्त्र, स्मृतियों, धर्मशास्त्र, पुराणों की चर्चा हुई है। इसमें वाष्पाजिनि की भाँति मय्या एव पृथिव्य नामक राशियों के नाम आये हैं।

मिताशरा ने अशौच एव प्रायश्चित्त के बारे में प्रजापति की चर्चा की है, अपराक्ष ने वस्तु-परिबीक्षण, ध्याङ, दिव्य आदि के बारे में उद्धरण दिये हैं। इन्होंने प्रजापति के एव गवाह द्वारा परिभाषना के चार प्रकार बताये हैं, यथा बृदीचक्र, बृहदक, ह्रम, परमहंस। स्मृतिचन्द्रिका, पराशरभाष्यीय ने प्रजापति के व्यवहार-विषयक श्लोक उद्धृत किये हैं। प्रजापति ने नारद की भाँति दृढ एव अदृढ नामक दो प्रकार के गवाहों की चर्चा की है।

४८. मरीचि

आहिंस्र, अशौच, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार पर मिताशरा, अपराक्ष एव स्मृतिचन्द्रिका ने मरीचि के उद्धरण किये हैं। मरीचि ने साधन-माद्यो में शरिता-स्नान मना किया है, अयोचि उन दिनों मरियों रजस्वला होती है। यदि कोई अशुभता बहुत-से व्यापारियों के सामने, राजनमंचारियों की जानकारी में, दिन-दोहर कोई अस्वाभाव इत्यत्र करता है, तो वह दोष-मुक्त हो जाता है और अपने धन को प्राप्त कर लेता है (यदि मरिचि किसी दूसरे का निबल आता है तो)। मरीचि ने कहा है कि मरिचि (बपज), दिवी, विमानन, स्वावर स्मृति-दान के विषय में जो कुछ हय पाये वह लिखित होता चाहिए। उहोंने आपि (बपज) को भोग्य, गोप्य, प्रत्यय एव आगाधि नामक चार प्रकारों में बाँटा है।

४९. यम

ऋषिष्ठधर्मसूत्र ने यम की धर्मशास्त्रकार मानकर उनकी स्मृति से उद्धरण किया है (१८. ११-१५ एवं १९. ४८)। यम के उद्धृत चार पद्यों में तीन मनु में मिल जाते हैं। मातवत्य ने यम को धर्मकथा कहा है। मनु के विवाहपर बोधिव्यस्य एवं अपराक्ष ने यम के इस मन् को कि कुछ पशियों का मांस खाना चाहिए, उद्धृत किया है।

बीशानन्द सग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें ७८ श्लोक हैं, जो प्रायश्चित्त एव मुक्ति का विशेषण करने हैं। इन स्मृति के कुछ पद्यों मनु से मिल-जुड़े हैं। आनन्दाश्रम सग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें प्रायश्चित्त, ध्याङ एव परिबीक्षण पर ९९ श्लोक हैं।

यम की कई एक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा यदि वाले अन्य ग्रन्थ यम के लगभग ३०० श्लोको को उद्धृत करते हैं। इस स्मृति में धर्मशास्त्र के लगभग सभी विषय पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्याख्याकारो एव निबन्धकारो के समथ यम की कोई बृहत् पुस्तक थी। यमस्मृति के अतिरिक्त बृहद्-यम की स्मृति का भा नाम आया है, जिसके उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य निबन्धो में मिलते हैं। महामारत (अनुशासन पर्व, १०४ ७२-७४) में यम की गाथाएँ मिलती हैं। यम ने मनुस्मृति से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय एव व्यवहारमयूख ने यम को उद्धृत किया है। यम ने नारियो के लिए सन्यास व्रजित किया है। मिताक्षरा, हरदत्त, अपराकं ने प्रायश्चित्त के बारे में बृहद्-यम का उल्लेख किया है। हरदत्त एव अपराकं ने एक लघु यम एव वेदाचार्य ने स्मृतिरत्नाकर में स्वल्प-यम के नाम लिये हैं। हो सकता है दोनों नाम एक ग्रन्थ के हो, क्योंकि नामो का अर्थ एक ही है।

५०. लौगाक्षि

अशौच एव प्रायश्चित्त पर मिताक्षरा ने लौगाक्षि के उद्धरण लिये हैं। सत्कारो, वैश्वदेव, चातुर्मास्य, वस्तु शुद्धि, श्राद्ध, अशौच एव प्रायश्चित्त पर अपराकं ने इस स्मृतिकार के गद्यांश एव श्लोक उद्धृत किये हैं। लौगाक्षि को उद्धृत कर अपराकं ने प्रजापति को प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्थो ने लौगाक्षि के योग एव क्षेम-सम्बन्धी श्लोक को अवश्य उल्लिखित किया है।

५१. विश्वामित्र

विश्वरूप द्वारा उद्धृत बृहद्-याज्ञवल्क्य के श्लोक में विश्वामित्र धर्मशास्त्रकार कहे गये हैं। अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, जीमूतवाहन का कालविवेक तथा अन्य ग्रन्थ विश्वामित्र के श्लोको को उद्धृत करते हैं। विश्वामित्र के महापातक-विषयक अत्र बहुधा उद्धृत होते हैं।

५२. व्यास

जीवानन्द एव आनन्दाश्रम के सग्रहो में व्यास के नाम की स्मृति मिलती है, जो चार अध्यायो एव २५० श्लोको में है। व्यास ने वाराणसी में अपनी स्मृति की घोषणा की। इसके विषय सधेय में यो है—ऋण वर्ण के मूर्तों के देश में इस स्मृति का धर्म प्रचलित है; श्रुति, स्मृति एव पुराण धर्म-प्रमाण है; षण्मत्तवर, सोलह सत्कार; ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य; ब्राह्मण क्षत्रिय एव वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है, किन्तु शूद्र से नहीं; पत्नी धर्म, गृहस्थ के नित्य, नैमित्तिक एव काम्य कार्य; गृहस्थाश्रम एव शर्तों की स्मृति।

विश्वरूप ने व्यास के कुछ श्लोको की चर्चा की है। किन्तु ये श्लोक महामारत में पाये जाते हैं। मेघातिथि ने भी महामारत के कुछ श्लोको को उद्धृत कर उन्हें व्यासवृत्त माना है। अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थो में लगभग २०० श्लोक उद्धृत हैं, जिनसे स्पष्ट है कि व्यास ने व्यवहार-विधि पर लिखा है और नारद, कात्यायन एव बृहस्पति से उनकी बातें बहुत-कुछ मिलती हैं। व्यास के अनुसार उत्तर के चार प्रकार हैं, यथा—मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारण एव प्रादु-न्याय। केसप्रमाण के प्रकार तीन हैं, यथा—स्वहस्त, जानपद, राजशासन। व्यास में दिव्य केवल पाँच प्रकार के हैं। व्यास के अनुसार एक निम्न १४ सुवर्णों के बराबर एवं एक सुवर्ण ८ पल के बराबर होता है। इन सब बातों से यह बड़ा जा सकता है कि व्यासस्मृति की रचना ईसा के बाद दूसरी एव पाँचवी सताब्दी के बीच में बनी हुई। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है; क्या स्मृति के

व्यास एवं महाभारत के व्यास एक हैं या दो? हो सकता है कि दोनों एक ही हों। स्मृतिचन्द्रिका ने एक मठ-व्यास का भी उल्लेख किया है। अपराक्ष ने बृद्ध-व्यास के एक श्लोक में स्त्रीधन के एक प्रकार 'सौदायिक' की पर्चा की है। मिताक्षरा, प्राचक्षिप्तमयूख तथा अन्य ग्रन्थों में बृहद्-व्यास के उद्धरण पाये जाते हैं। मल्लालसेन ने अपने दानशास्त्र में महा-व्यास, लघु-व्यास एवं दान-व्यास के नाम लिये हैं। सम्भवतः दान-व्यास या सात्यर्षेय हैं महाभारत के दान-धर्म अन्त से।

५३. षट्त्रिंशन्मत

यह ग्रन्थ धनुर्विद्यतिमत के सदृश ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। बल्कि, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, अपराक्ष, हरदत्त तथा अन्य यतिपय लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। विरवरूप एव मेधातिथि ने इसका उल्लेख नहीं किया है। यह वृत्ति ७००-९०० ई० के मध्य की मानी जा सकती है। जितने भी उद्धरण मिलते हैं, वे सभी शौच, धातु, श्राद्ध, श्रावणपत्र आदि से सम्बन्धित हैं। व्यवहार-सम्बन्धी कोई उल्लेख अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है। एक श्लोक में बौद्धों, पानुपतों, जैनो, नास्तिकों एव बणिक के अनुयायियों के स्वर्गों को दूषित ठहराया गया है और उसके लिए स्नान की व्यवस्था है।

५४. सप्तह या स्मृतिसप्तह

धर्म-सम्बन्धी सभी विषयों के सित्तरसित्ते में मिताक्षरा, अपराक्ष, स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य ग्रन्थों में सप्तह या स्मृतिसप्तह से उद्धरण लिये हैं। हिन्दु-व्यवहार के लिए दस सप्तह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ धारों नीचे दी जाती हैं—पाँच श्लोकों में स्मृतिसप्तह ने अभियोग की आवश्यक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। ऐतदप्रमाण दो प्रकार के होते हैं—राजकीय एव आनुवंशिक। जहाँ ५०० पत्र से अधिक का मामला हो वहाँ घट से विषय तक का दिव्य स्वीकृत किया गया है, किन्तु पहले विवादों के लिए कुछ धन की ही व्यवस्था कर दी गयी है। किन्तु नारद ने बड़े विवादों में तुला से लेकर ब्रह्म तक के पाँच दिव्य-श्रवणों का उल्लेख किया है। सप्तह्वार ने बेचल सात दिव्य की ओर संकेत किया है, किन्तु दूरदर्शन एवं विज्ञान ने भी तक की व्यवस्था कर दी है। माता एव पिता द्वारा प्रेरित क्रोध को सप्तह्वार ने दाय माना है। सप्तह्वार ने मानुस्यार पुत्रहीन व्यक्ति की क्षीयत्व क्रम से यों की जाती है—विधवा, पुत्रिन, बन्धा, माता, पितामह, पिता, अपने माई, सौतेले माई, पितासंतति, पितामहसंतति, प्रपितामहसंतति, अन्य परिवार, मनुष्य, आचार्य, शिष्य, सप्त-प्यात्र, विद्वान् ब्राह्मण।

सप्तह्वार के मत बहुत अर्थों में धारदेवर से मिल जाते हैं, किन्तु मिताक्षरा आदि ने उन्हें नहीं माना है। व्यवहार के मामलों में सप्तह्वार मातृवत्त्व एव गारद से बहुत आगे है। विरवरूप एव मेधातिथि ने सप्तह्वार के नियम में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि यह ग्रन्थ केवल भोजराज धारदेवर के ही राज्य में अपिच प्रचलित रहा हो। इससे यह विदित होता है कि सप्तह्वार की रीति ८वीं एवं ९वीं शताब्दी के बीच में कही है। नारद एव धारदेवर मिताक्षरा के पूर्व हुए थे, क्योंकि मिताक्षरा ने उनके नाम लिये हैं।

५५. शंषा

शाश्वतवा की शूची में शंषा एव स्मृतिहार के संघ में आते हैं। विरवरूप, मेधातिथि, मिताक्षरा, हरदत्त, अपराक्ष, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य लेखकों ने शंषा के धर्म-सम्बन्धी विषयों से उद्धरण लिये हैं। शाश्वत-वन्द्य,

यति-धर्म तथा बोरी, विविध व्यभिचार, अन्य भयानक पापों के विषय में विस्वरूप ने संवत् के मतों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार अन्य भाष्यकारों ने भी आचार-सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं। संवत् के व्यवहार-सम्बन्धी कुछ विचार यहाँ दिये जा रहे हैं। संवत् के अनुसार लेखप्रमाण के सामने मौखिक बातें कोई महत्व नहीं रखती। जब अराजकता न हो, शासन सुदृढ़ हो तो जिसके अधिकार में घर-द्वार या भूमि हो वही उत्तका स्वामी माना जाता है और लिखित प्रमाण धरा रह जाता है (भुज्यमाने गृहभेजे विद्यमाने तु राजनि। भुक्ति-यस्य भवेत्तस्य न लेख्य तत्र कारणम् ॥ परा० मा० ३)। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण विषयों की सम्पूर्ण चर्चाएँ हुई हैं, जिनके विषय में स्थान-संकोच के कारण हम यहाँ और कुछ नहीं दे पा रहे हैं।

जीवानन्द एव आनन्दाश्रम के संग्रहों में संवत् के क्रम से २२७ एव २३० श्लोक हैं। आज जो प्रकाशित संवत्-स्मृति मिलती है वह मौखिक स्मृति के एक अंश का सक्षिप्त सार मात्र प्रतीत होती है। प्रकाशित स्मृति के बहुलारा अपराकर्म में उद्धृत है। मिताक्षरा ने बृहत्संवत् का उल्लेख किया है। हरिनाथ के स्मृतिसार में एक स्वल्प संवत् की चर्चा है।

५६. हारीत

हारीत के व्यवहार-सम्बन्धी उदाहरणों की चर्चा अपेक्षित है। स्मृतिचन्द्रिका में उद्धरण में आया है—
“स्वयनस्य यथा प्राप्ति परधनस्य वजेनम्। न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते ॥” उन्होंने इस प्रकार व्यवहार की परिभाषा की है। उनके मतानुसार वही न्याय-विधि ठीक है जो धर्मशास्त्र एव अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित हो, जो सदाचार से सेवित एव छत्र-श्रपच से दूर हो। नारद की भाँति हारीत ने भी व्यवहार के चार स्वरूप बताये हैं, यथा—धर्म, व्यवहार, चरित्र एव नृपाज्ञा। लिखित प्रमाण को उन्होंने बड़ी मान्यता दी है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का विवरण है जिसे स्थान-संकोचवश यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है। हारीत बृहत्स्मृति एव कात्यायन के समकालीन लगते हैं, अर्थात् ४०० तथा ७०० ई० के बीच में कभी उनकी स्मृति प्रणीत हुई।

५७. भाष्य एवं निबन्ध

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य लगभग तीन कालों में बाँटा जा सकता है। पहले काल में धर्मसूत्र एव मनुस्मृति जैसे बृहत् ग्रन्थ आते हैं। यह काल ईसा-पूर्व ६०० से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के आरम्भ तक माना जाता है। दूसरे काल में अश्विनारायण प्रथम स्मृतियों आती हैं, और यह काल प्रथम शताब्दी से लेकर ८०० ई० तक चला आता है। तीसरे काल में भाष्यकार एव निबन्धकार आते हैं। यह तीसरा काल लगभग एक सहस्र वर्ष तक चला आता है; लगभग सातवीं शताब्दी से १८०० ई० तक यह काल माना जाता है। तीसरे काल के प्रथम भाग को प्रसिद्ध भाष्यकारों का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। स्मृतियों पर भाष्य तीसरे काल के अन्तिम चरण तक लिखे जाते रहे। सरहदी शताब्दी में नन्द पण्डित ने विष्णुधर्मसूत्र पर वैजयन्ती नामक भाष्य लिखा। किन्तु बारहवीं शताब्दी से एक सामान्य प्रवृत्ति यह उत्पन्न हुई कि लेखकों ने भाष्य न लिखकर स्मृतियों के धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र रूप से निबन्ध लिखे, यथा बह्वन्तर, स्मृति-चन्द्रिका, शतुर्वर्गचिन्तामणि, चण्डेद्वार वा रत्नाकर। इन निबन्धकारों ने पूर्व अथ ग्रन्थों में भी विरोधी भाव स्पष्ट किये गये थे। स्वयं विवरण, मिताक्षरा, अपराकर्म आदि में लिखे तो भाष्य किन्तु उनकी दृष्टि में निबन्धों से किसी भाषा में कम नहीं हैं। वास्तव में, टीका (भाष्य) एव निबन्ध में कोई विभाजन-रेखा खींचना सरल नहीं

है। शबरस्मृत्यु के द्वैतनिर्णय में विज्ञानेश्वर ने निवन्धनकारों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अतः इस धर्म में माध्यो एव निवन्धो में कोई विरिष्ट अन्वय नही रहा जायगा। अब हम उन प्रमुख माध्यकारों (टीकाकारों) एवं निवन्धकारों के विषय में पढ़ेंगे जिन्हें महाराष्ट्र एवं मध्यप्रान्त मिल चुकी है।

५८. असाहाय

टां जाळी द्वारा सम्पादित शारदस्मृति में मल्पाणमट्ट द्वारा समोपिा असाहाय के भाष्य का एव अर्थ है। अम्पुपेयामुश्रुपा नामन प्रवरण ना, पांचवें पद के २१वें श्लोक तक ही समोपिात भरतरण प्राप्त हो गया है। मल्पाणमट्ट ने लिखा है कि असाहाय की टीका लिपिकों द्वारा भ्रष्ट हो गयी थी। म्बहृत्तरणपूरा के प्रथम अध्याय में यह आया है कि मल्पाणमट्ट ने वेणवमट्ट के प्रेरणा-उत्साह से असाहाय की टीका समोपिात की। विन्नु समोपिात महोदय ने समोपिात-कार्य में बड़ी स्वतन्त्रता प्रदर्शित की। विस्वरूप ने अपनी याज्ञवल्कीय टीका में असाहाय का नाम दिया है। शास्त्रता में अरिस्त ने, जो अनुसूतताकार के जेता पगराज बल्लात्सेय (समन ११६८ ई०) के गुरु थे, लिखा है कि असाहाय ने शौमभर्ममूल पर भी एव भाष्य किया है। विस्वरूप ने भी यह बात कही है। सम्भवतः असाहाय ने मनुस्मृति पर भी कोई भाष्य किया था, क्योंकि सरस्वतीविज्ञान में एक अवतरण से पता चलता है कि मनु, याज्ञवल्क्य और उनके भाष्यकार असाहाय, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर एवं असाहाय तथा निवन्धो के जेता, यथा चन्द्रिकाकार तथा अन्यो म धर्म विभाग की टीकाकार विभा है। विज्ञान-रत्नाकर भी असाहाय का मनु का टीकाकार मानता है। इन बातों में स्पष्ट है कि असाहाय ने शौमभर्ममूल, मनुस्मृति तथा शारद पर टीकाएँ की।

विस्वरूप एवं मेधातिथि ने असाहाय का उल्लेख किया है, अतः असाहाय कम-से-कम ७५० ई० तक विरचित हुआ गये है, विन्नु इसके पूर्व के एक हुए, यही बात ठीक है। असाहाय के जन्मकाल में विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

५९. भर्तृहरि

ये एक अति प्राचीन भाष्यकार है। मेधातिथि ने इसका उल्लेख किया है (मनु० ८३)। त्रिपाण्ड-मठन ने अपनी आशुतम्बमूलाध्वनिपात्रांतरिका में भर्तृहरि के नाम उद्धृत किये हैं। इसका मत यह है—जिसने वेद पाठ कर लिया है, वह पढ़ा करने का अधिकारी है, यदि ही उसे वेद-ग्रन्थों का अर्थ म प्राप्त हो। भर्तृहरि ने कात्यायन-शौभूम पर भी एक टीका की थी। ऐसा आज के भाष्य में प्रकट होता है। इसी प्रकार मन्वथर, शंभेश्वर, विज्ञानेश्वरों में पता चलता है कि असाहाय की भाँति भर्तृहरि भी शौमभर्ममूल के टीकाकार थे। मेधातिथि ने असाहाय का भी नाम किया है, विन्नु विज्ञानेश्वर का नहीं। अतः भर्तृहरि ८०० ई० के पूर्व हुए होंगे और सम्भवतः असाहाय के समकालीन होंगे।

६०. विस्वरूप

विस्वरूप मन्वथर का म मेधातिथि शास्त्री ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर विस्वरूप की कात्यायन नामक टीका प्रस्तुत की है। इस विज्ञानेश्वर के मुनिराज नाम में यह आता है कि याज्ञवल्क्य के विज्ञानेश्वर की व्याख्या विज्ञानेश्वर ने कही है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य विस्वरूप ने याज्ञवल्क्य के श्लोकों का बड़े सारांश में भाष्य किया है।

आचार एव श्रावणवित-सम्बन्धी विश्वरूप की टीका सचमुच बृहत् है, किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। विश्वरूप की सैली सरल एव साक्षरालोकी है और शक्रराचार्य से बहुत-बहुत मिलती-जुलती है। विश्वरूप ने वैदिक ग्रन्थों, चरको, वाजसनेयियों, काठको, ऋग्वेदीय मन्त्रों, ब्राह्मणों, उपनिषदों को यथास्थान उद्धृत किया है। उन्होंने पारस्कर, भरद्वाज एव आश्वलायन के बृहत्सूत्रों का पर्याप्त हवाला दिया है। उन्हीं अगिरा, अत्रि, आपस्तम्ब, उशता, कात्यायन, काश्यप, गार्ग्य बृहदारण्य, गौतम, जातुकर्ण (पि), दश, नारद, पराशर, पारस्कर, पितामह, पुत्रस्त्य, पंजीरानि, बृहस्पति, बोधायन, माग्नाय, भृगु मनु, बृह मनु, यम, याज्ञवल्क्य, बृह याज्ञवल्क्य, चमिष्ठ, विष्णु व्यास शास्त्र, शातातप, दानव, मन्त्र, सुमन्तु, स्वयम्भु (मनु) एव हारीत नामक स्मृतिकारों का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिकांश उद्धरण गद्य में ही लिये गये हैं, केवल कुछ एक पद्य में है। लगता है, उनके सामान्य बृहस्पति के दो ग्रन्थ उपस्थित थे। विशालाक्ष की भी चर्चा है, जो राजनीति के एक लेखक थे और जिनका नाम कौटिल्य ने भी उद्धृत किया है। उशता एव बृहस्पति की तो चर्चा है, किन्तु आश्वर्य है, इन्होंने कौटिल्य का नाम नहीं लिया। इसका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता, किन्तु विश्वरूप के समस्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र उपस्थित था, जैसा कि विश्वरूप की विषय-वस्तु की व्याख्या से पता चलता है, यथा मन्त्रिणां च परीक्षा मे धर्मं, अर्थं, काम एव भय नामान् उपायो का प्रयोग कौटिलीय है। कही-वही कौटिलीय एव विश्वरूपीय में पर्याप्त समता पायी जाती है।

विश्वरूप ने पूर्वमीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रेम प्रदर्शित किया है। जैमिनि का नाम तक आ गया है। किन्तु आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने मीमांसा के लिए 'न्याय' शब्द का प्रयोग किया है तथा मीमांसकों को "नैयायिक" या "न्यायविद्" कहा है। कुमारिल के श्लोकवातिक में भी विश्वरूप के माध्य में उद्धरण लिया गया है। याज्ञवल्क्य (१.७) पर व्याख्या करते समय विश्वरूप ने श्रुति, स्मृति तथा तत्सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध को बताते समय ५० से अधिक श्लोक कारिकाओं के रूप में उद्धृत किये हैं। लगता है, ये कारिकाएँ स्वयं उनकी हैं। कारिकाओं के लेखक के रूप में विश्वरूप कुमारिल के समान प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण माध्य में उन्होंने मीमांसा की बहावतों एव विवेचन के ढंगों में विश्वास किया है।

यों तो विश्वरूप पूर्वमीमांसा के समर्थक से लगते हैं, किन्तु उनके दार्शनिक मत शक्रराचार्य के मत से बहुत मिलते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान द्वारा होती है और यह सत्ता अविद्या के कारण है। विश्वरूप ने (याज्ञ. ३.१०३) एव गीतिलेखविद् भारद्वाजी चर्चा की है। अभिधानकोश एव मातृसाला से बहुत-से उद्धरण लिये हैं। साहित्यदर्पण में उल्लिखित मिश्राटन काव्य का भी उल्लेख पाया जाता है। भाष्यकारों में विश्वरूप ने अमहाय की गौतमपरमेश्वर वाली टीका की चर्चा की है (याज्ञ. ३.२६३)। विश्वरूप वाली याज्ञवल्क्य स्मृति एव मिताक्षरा वाली याज्ञवल्क्यस्मृति में कही-वही कुछ अन्तर भी पाया जाता है। 'अपरे', 'अन्ये' शब्दों से उन्होंने अपने पूर्व माध्यकारों की ओर संकेत किया है।

वीरभूतदाहरण के दासभाष्य एव व्यवहारभाष्य में, स्मृतिचन्द्रिका, हारलता तथा कान्तान्तर के अन्य ग्रन्थों, यथा सरस्वतीविलास में विश्वरूप के मतों की चर्चा हुई है। विश्वरूप एव मिताक्षरा के मतों में समानता एवं विभिन्नता दोनों हैं। विस्तार-भय से हम साम्य और वैभिन्न्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का हवाला नहीं दे रहे हैं।

विश्वरूप ने कुमारिल के श्लोकवातिक का उद्धरण दिया है और मिताक्षरा ने उन्हें एक प्रामाणिक भाष्यकार माना है, अतः उनका काल ७५० ई० तथा १००० ई० के बीच में पड़ता है। क्या विश्वरूप और सुरेन्दर एक ही हैं? सुरेन्दर ने अपने नैचरमिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवातिक तथा अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि वे शक्रराचार्य के शिष्य थे। शक्रराचार्य की मानी हुई तिथि ७८८-८२० ई० है। मातृसाला ने अपने कतिपय ग्रन्थों में सुरेन्दर के

प्रश्नों से उद्धरण लेते हुए विस्वरूप के उद्धरणों को दिया है। सभेपञ्चरजय में विस्वरूप राकर के भाष्य के दो यातियों के उद्धरण कहे गये हैं। शबर के चार शिष्य थे—सुरेन्द्र, पद्मनाभ, श्रोतक एव हस्तामकर। रामतीर्थ के मानसोत्तरास में स्पष्ट शब्दों में आया है कि शबर ने शिष्य सुरेन्द्र का दूसरा नाम विस्वरूप है। सत्यसूत्र-संग्रह पद्धति के अनुसार शबर के चार शिष्य हैं—स्वरूपाचार्य पद्माचार्य श्रोतक एव वृन्वीपर। गुरुवरा भाष्य में सुरेन्द्र और विस्वरूप को एक माना है और उन्हें बुभारिक एव शबर का शिष्य भी घोषित किया है। अतः सुरेन्द्र एव विस्वरूप को हम एक ही व्यक्ति मान सकते हैं। अतः विस्वरूप ८००-८२५ ई० में यद् विद्य हो जाता है।

कालांतर में एक विस्वरूप निबन्ध भी प्रचीन हुआ किन्तु यह किसी दूसरे विस्वरूप का लिखा हुआ है। आगे के पद्धत-से निबन्धकारों ने विस्वरूप को प्रामाणिक रूप से घोषित एव उद्धृत किया है। यथा त्रिभिर्गण्य-भार्यसामुच्चय (१४५० ई०) के लेखक, कालनिर्णयसिद्धांत व्याख्या (१६५० ई०) के लेखक, निर्णयसिंधु के लेखक आदि। उदाहरण म रघुनन्दन ने विस्वरूप-सामुच्चय की चर्चा की है। इसे सत्यता है विस्वरूप ने कोई धर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो।

६१. भारुचि

मिताक्षरा (याज्ञ० पर १८१, २ १२४), पराशरमाधवीय, सरस्वतीविलास ने भारुचि के मतों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा की तिथि है १०५० ई०, अतः भारुचि इस कृति में प्राचीन है। अपने वेदाध्ययन में रामानुजाचार्य ने अपने पहले के विनिष्ठादित के छ भाषाओं के नाम लिखे हैं, यथा—भोषायन, टा, इमिड, मुद्देय, षर्दी एव भारुचि। यही बात यतीद्रमदीपिका में भी पायी जाती है। भारुचि का रचना काल नवी सतासदी का प्रथमार्ध ही माना जाता चाहिए। १०५० ई० के पूर्व भारुचि एव धर्मशास्त्रकार एव व्यवहार-नोविद भी हुए हैं। हो सकता है कि धर्मशास्त्रकार भारुचि एव विनिष्ठादित दार्शनिक दोनों व्यक्ति एक ही रहे हों। यदि यह बात ठीक है तो भारुचि विस्वरूप के समकालीन ठहरते हैं। दोनों के मतों में तात्त्विक भी है।

भारुचि के विषय में सरस्वतीविज्ञान में आया है कि ये शिष्यसमूह के भाष्यकार अथवा एक ऐसी पुराण के लेखक रहे हैं जिनमें शिष्यसमूह के बहुतों ने ग्रन्थों की व्याख्या हुई है। आपस्तम्बसूत्र के भाष्य में मुनिभाषाओं में भारुचि के मतों की चर्चा की है। भारुचि एव मिताक्षरा के मतों में बहुत विभेद पाया जाता है यथा दाय एवं विभाग की व्याख्या में। भारुचि ने विभाग को माना है किन्तु मिताक्षरा में विराय किया है।

६२. धीतर

मिताक्षरा (याज्ञ० पर, २ १२५, २ १६९ आदि), हस्तिया के स्मृतिार, जीमूतनाहन के शब्दभाष्य एवं व्यवहारसूत्र, स्मृतिार्थिन्द्रा, सरस्वतीविलास आदि ने धीतर का उल्लेख किया है। दायभाग में धीतर के मतों का उल्लेख किया है। धीतर सम्भवतः मिथिला के रहनेवाले थे।

धीतर ने किसी स्मृति पर भाष्य किया था कोई निबन्ध, यह कदा कथित है। स्मृतिार्थिन्द्रा ने कहा है कि धीतर ने स्मृतियों के निबन्धों का सम्पादन किया। मिताक्षरा, दायभाग तथा भाष्य ग्रन्थों में धीतर के मानवत्तमस्मृति-सम्बन्धी मत उल्लिखित हैं। चण्डेन्द्र के राजनीतिशास्त्र में धीतर की राजनीति विवरण का उद्धृत है। हेमाद्रि ने भी इनके मतों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में धीतर की चर्चा की है, अतः धीतर की तिथि १०५० ई० के पूर्व होनी चाहिए। अग्रहायण एव विस्वरूप में धीतर का नाम नहीं आता। अथ धीतर विस्वरूप के सम्बन्धीन या कुछ दूर-उपर हो सकते हैं अथवा उनकी तिथि ८०० तथा १०५० ई० के मध्य में कही होगी। धीतर के मतों में धीतर ने वे निबन्धकार धीतर निबन्ध लिखे हैं।

६३. मेधातिथि

मेधातिथि है मनुस्मृति की विस्तृत एवं विद्वत्तापूर्ण व्याख्या के यशस्वी लेखक। ये मनुस्मृति के सबसे प्राचीन माने जानेवाले भाष्यकार हैं। मेधातिथि के भाष्य की कई हस्तलिखित प्रतियां में पाये जानेवाले अध्यायों के अन्त में एक श्लोक आता है, जिसका यह अर्थ टपकता है कि सहायण के पुत्र भद्रन नामक राजा ने किसी देश से मेधातिथि की प्रतिमा संगतकर भाष्य पर जीर्णोद्धार कराया। बृहन्नर के पश्चात्तुगार मेधातिथि कश्मीरी या उत्तर भारत से रहनेवाले थे, क्योंकि उनसे भाष्य में कश्मीर का बहुत जिक्र है।

मेधातिथि ने निम्नलिखित स्मृतिकारों की विगीन-विगीन बहाने चर्चा की है—गौतम, बोधायन, आश्वलायन, वसिष्ठ, विष्णु, शारद, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, मूहस्पति आत्यायन आदि। मेधातिथि ने मूहस्पति को वातां एवं राजनीति में लेखको के गिना है। उसका एक पाण्डित्य दण्डनीति, राजनीति एवं राजशासना के लेखको के गिने गये हैं। कौटिल्य के ग्रन्थ से बहुत स्थानों पर उद्धरण लिये गये हैं। 'वर्षणामारम्भोपाय पुरुषद्वयसंपन्न देशवाल-विभागो विनिपातप्रतीकार कार्यसिद्धि' नामक पाँच मन्त्रांगों के नाम जैसे कौटिल्य में आये हैं वैसे ही मेधातिथि में। मेधातिथि ने अश्वहाय एवं अन्य स्मृतिविवरणकारों के नाम लिये हैं। सायणचारिता के एक श्लोक का उद्धरण आया है। मेधातिथि ने पुराणों का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार व्यास ही पुराणों के लेखक हैं और पुराणों में सृष्टि का विवरण पाया जाता है। उन्होंने वाक्यपदीय का एक श्लोक उद्धृत किया है। मेधातिथि ने (मनु पर, २६) लिखा है कि पाचरात्र, विप्रंश्र (जैन) एवं पास्तुत लोग आर्यों के समान से बाहर के हैं।

मेधातिथि ने पूर्वमीमांसा का विशेष अध्ययन किया था। उनके भाष्य में 'विधि' एवं 'अपेयाद' नामक शब्द बहुधा आते गये हैं। जैमिनिपूत्रों का हयाला देकर मेधातिथि ने बहुत स्थानों पर मनु की व्याख्या की है। उन्होंने साबर-भाष्य में उद्धरण लिये हैं। उनके भाष्य में शुमारिल का नाम और जानी उपाधि मृदाद का उल्लेख हुआ है (मनु पर, २१८)। मेधातिथि ने कई स्थलों पर सगराचार्य के सारीरामभाष्य के मत का उद्धाटन किया है। किंतु उन्होंने सारक की नीति मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं माना है प्रत्युत उन्होंने ज्ञान एवं धर्म दोनों को आवश्यक समझा है। इसका कारण है मीमांसा का प्रभाव।

मेधातिथि के भाष्य-ग्रन्थ से प्रकट होता है कि आज की ही मनुस्मृति इनके समय में थी। इन्होंने विस्तृत एवं पूर्व मनुस्मृति-भाष्यकारों का उल्लेख किया है। इनके भाष्य में मनोरजन सूचार्थें मरी हुई हैं। पिताशरा (याज्ञ० पर, २.१२४) ने अश्वहाय एवं मेधातिथि (मनु० पर, ९.११८) के मता की चर्चा करते हुए कहा है कि मादयो के सेंटवार के समय इन लोगों ने अविवाहित बहिन के लिए चौयाई मास की व्यवस्था की है। पिताशरा ने लिखा है कि ब्राह्मणों के अशौच की अवधिवा के विषय में धारेश्वर, विश्वरूप एवं मेधातिथि ने ऋष्यशृंग के कथा का संपन्न किया है। मेधातिथि के अनुसार, सारत्र में लिये गये वस्तुओं से छुटकारा ले लेने को सत्यास नहीं कहते हैं, प्रसूत वधुकार छोड़ देने को सत्यास कहते हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय लड़के को भी गोद ले सकता है।

मनुस्मृति की व्याख्या करते हुए स्थान-स्थान पर मेधातिथि ने अपनी कृति स्मृतिविवेक से भी उद्धरण लिये हैं। स्मृतिविवेक में सम्भवतः पद्य ही थे। पराशरपापकीय ने स्मृतिविवेक में बहुत उद्धरण लिये हैं। लोल्लट ने अपने ब्राह्मणवर्णन ग्रन्थ में मेधातिथि की चर्चा की है। तिर्यार्णय-सर्वसमुच्चय में मेधातिथि के बहुत-से श्लोक उद्धृत हैं। विश्वेश्वर-सारस्वती ने यतिपर्मसंग्रह में भी मेधातिथि का उल्लेख किया है। इन बातों से स्पष्ट है कि मेधातिथि के धर्म पर बहुत-सी स्वतंत्र बार्नें अपने विगीत इन्ध में लिख रची थी, जो वर्षोंका प्रामाणिक हो चुकी थीं। हो सकता है, यह पुस्तक कभी प्राप्त हो जाय और हमें विद्वान् भाष्यकार के कुछ अन्य विरचित मत् प्राप्त हो सकें।

मेधातिथि ने अश्वहाय एवं शुमारिल के नाम लिये हैं और सम्भवतः सारक का मत भी उद्धृत किया है, आः

उनका समय ८२० ई० के बाद ही कहा जा सकता है। मिताक्षरा ने उन्हें प्रामाणिक रूप में ग्रहण किया है, अर्थात् १०५० ई० के पूर्व कभी हुए होंगे। मनु के अन्य व्याख्याकार कुल्लुकभट्ट ने मेघातिथि को गोविन्दराज (१०५०-११०० ई०) के बहुत पूर्व माना है।

६४. धारेश्वर भोजदेव

मिताक्षरा (भाग० पर, २ १३५, पं० १-२१७, ३ २४) ने धारेश्वर के मतो की खर्चा की है। इसने लिखा है कि ऋष्यशृंग की बहुत-सी बातें धारेश्वर, विवरूप एव मेघातिथि को नहीं मान्य थी। हारलता ने लिखा है कि जातुवर्म्य के बहुत-से मत भोजदेव, विवरूप, गोविन्दराज एव वामधेनु ने जान-बूझकर उद्धृत नहीं किये, क्योंकि वे प्रामाणिक नहीं थे।

धारेश्वर धारा के भोजदेव ही हैं, यह कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। दायभाग ने भोजदेव एव धारेश्वर दोनो नाम किये हैं। पुण्य-पुण्य रूप से उद्धृत दोनों के उद्धरण एक ही हैं। विद्यादासदेव ने, जो कमलाकर की कृति है, भोजदेव का जो मत लिया है, वह मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित धारेश्वर के उद्धरण के समान ही है। मिताक्षरा ने धारेश्वर को आचार्य की तथा स्मृतिचन्द्रिका ने सूरि की उपाधि दी है। विद्वानों के आशयदाता राजा भोजदेव ने विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सी कृतियों की रचना की थी। साहित्य-शास्त्र पर सरस्वतीरञ्जनामरुण तथा शृंगारप्रज्ञा नामक दो ग्रन्थ उन्हीं के हैं। राजनार्तण्ड के प्रारम्भिक श्लोक से पता चलता है कि भोजदेव ने पतञ्जलि के समान व्याख्यान पर एक ग्रन्थ, योगसूत्र पर एक कृति तथा राजभूषण नामक चिकित्सा-ग्रन्थ लिखे। राजभूषण नामक एक ज्योतिष-ग्रन्थ भी उन्हीं ने लिखा। उनका एक ग्रन्थ तत्त्वप्रज्ञान त्रिवेदम् से प्रकाशित हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि भोजदेव (धारेश्वर) ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक बहुत-सा ग्रन्थ लिखा था, जिसकी ओर मिताक्षरा, दायभाग, हारलता तथा अन्य ग्रन्थों ने संकेत किये हैं। जीमूतबाहू ने अपने कालविवेक में ग्रहणों के समय भोजदेव काल के शिष्य में भोजदेव के दो श्लोक उद्धृत किये हैं। त्रिशी-त्रिशी ग्रन्थ में त्रिशी भूषणपद्धति के बहुत उद्धरण आते हैं। सम्भव है यह भूषण (राजा) धारेश्वर भोजदेव ही हैं। भोजदेव का एक ग्रन्थ है मुञ्जबलनिबन्ध, जो १८ अध्यायों में है। यह ग्रन्थ ज्योतिष एव धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित है, यथा स्त्रीजातक, कर्णादिवेध, व्रत, विवाहमेलन-योग, गृहसंश्रवण, सत्रावित्तात, द्वापामासकृत्य।

भोजदेवग्रन्थ से पता चलता है कि राजा भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया। भोज के शासन मूञ्ज ९९४-९९७ ई० में सत्त्व द्वारा मारे गये और मूञ्ज के उत्तरान् सिन्धुराज गद्दी पर बैठा। भोजदेव के उत्तराधिकारी जयसिंह के अभिलेख की तिथि है १०५५-५६ ई०। अतः भोजदेव १०००-१०५५ ई० के मध्य में कभी हुए होंगे।

६५. देवश्यामी

स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि देवश्यामी ने धीरज एव शम्भु की मूर्ति स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति-समुच्चय) लिखा है। दिवाकर के पुत्र एव मैथिल गौर में उष्णप्र नागपाल ने अपने आरक्षणान्तगृहभूषण नामे भाष्य में यह लिखा है कि उन्हें देवश्यामी के भाष्य से बड़ी महत्ता मिली है। इसी प्रकार नरसिंह के पुत्र शर्म्य आराधन ने अपने आरक्षणान्तगृहभूषण के भाष्य में देवश्यामी के भाष्य का महत्ता लिखा है। अतः देवश्यामी ने आरक्षणान्त के धीर एव शम्भु गुरु के भाष्य के अतिरिक्त एक निबन्ध भी लिखा था जो प्रामाणिक माना जा सकता था। इनके निबन्ध में आचार, व्यवहार, अतीव कर्तव्य से सम्बन्धित खर्चा हुई है, अतः कि

अन्य लेखकों के उद्धरणों से पता चलता है। चतुर्विंशतिमत् की टीका में मट्टोजिदीक्षित ने अशोक एवं श्यामल देवस्वामी को उद्धृत किया है। हेमाद्रि एवं माधव ने भी देवस्वामी का उल्लेख किया है। व्याकरण एवं न्यायिक पर स्मृतिपत्रिका ने कई बार इस निबन्धकार के मत दिये हैं। नन्द पण्डित की वज्रयन्त्री में भी देवस्वामी का उद्धरण आये हैं।

प्रपञ्चहृदय में ऐसा आया है कि किसी देवस्वामी ने बोधायन एवं उपवर्ष के भाष्या को बहुत बड़ा समझकर पूर्वमीमांसा के वारह अध्याया पर एक सकर्यकाण्ड के चार अध्याया पर शिक्षा दीकाएँ की। क्या ये देवस्वामी एवं धर्मशास्त्र के देवस्वामी एक ही हैं। इसका उत्तर सख्त नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका की चर्चा से यह स्पष्ट है कि देवस्वामी ११५० ई० के बाद के नहीं हो सकते। मार्ग्य नारायण की तिथि लगभग ११०० ई० के है। अतः सम्भवतः देवस्वामी १०००-१०५० के बीच में बनीं हुए।

६६ जितेन्द्रिय

जितेन्द्रिय उन लेखकों में है जो एक ही बार अति प्रसिद्ध होकर सदा के लिए विद्वत् हो जाते हैं। जीमूतवाहन के ग्रन्थों से पता चलता है कि जितेन्द्रिय ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक महाग्रन्थ लिखा था। जीमूतवाहन ने अपने कालविवेक में मासक, तिथियाँ आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक श्रुतियों के विषय में जितेन्द्रिय को भली भाँति उद्धृत किया है। ऐसा आया है कि जितेन्द्रिय ने मत्स्यपुराण से लेकर १५ मूहूर्तों की गणना की है। जीमूतवाहन के दायभाग में भी जितेन्द्रिय के मतों का प्रकाशन है। जीमूतवाहन ने अपने 'व्यवहारमातुरा' नामक ग्रन्थ में जितेन्द्रिय का हवाला दिया है। स्पष्ट है कि जितेन्द्रिय ने व्यवहार-विधि पर भी प्रकाश डाला है। रघुनन्दन ने अपने दायतत्त्व में इनकी चर्चा की है। जितेन्द्रिय लगता है, बगाली थे और उनका काल १०००-१०५० ई० के आसपास माना जाना चाहिए।

६७ बालक

जितेन्द्रिय के समान बालक भी हमारे सामने केवल मास के रूप में ही आते हैं। इनके विषय में भी जीमूतवाहन ने बहुत चर्चा की है। दाय के विषय में बालक के ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी, जैसा कि जीमूतवाहन के उद्धरणों एवं आलोचनाओं से पता चलता है। भवदेव के प्रायश्चित्त निरूपण में बालक नामक लेखक का नाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बगाली लिपि के उच्चारण की गड़बड़ी से आ गया है। अन्य ग्रन्थों में भी बालक का नाम आता है, यथा रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व, मूलपाणि के दुर्गात्मविवेक में। इससे स्पष्ट है कि बालक एक पूर्वी बगाली थे, जिन्होंने व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर चर्चाएँ की हैं और प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं। उनका काल ११०० ई० के लगभग माना जा सकता है।

६८. बालरूप

पुत्रहीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हरिताय के स्मृतिभार में बालरूप के मतों का उल्लेख हुआ है। मितारमिथ के विवादचन्द्र, वाचस्पति के विवादचिन्तामणि में बालरूप के मत उद्धृत किये गये हैं। पुत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी अविवाहित पुत्री का उसकी विवाहित पुत्री के पहले अधिकार होता है, ऐसा बालरूप ने कहा है। यह बात उन्नीस पराक्षर की सम्पत्ति पर ही आपातित रणी है। बालरूप के अनुसार आत्मन्यु, पितृन्यु एवं मान्यन्यु क्रम से उत्तराधिकार पाते हैं। आदिश्वमट्ट ने अपने वाग्गर्दन में बालरूप को प्रमाण माना है। स्पष्ट है, बालरूप ने व्यवहार एवं बाल दानों पर ग्रन्थ लिखे।

हरिनाथ एव विनायकचन्द्र में धर्मा होने के कारण बालरूप १२५० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। यहाँ एक प्रमुख प्रश्न उठ सकता है, क्या बालक एव बालरूप एक ही है? सम्भवतः दोनों एव ही हैं। मिथिला के लेखकों ने, यथा मिसरू मिश्र, वाचस्पति एव हरिनाथ ने बालरूप का ही वर्णन किया है, बालक का नहीं। बालक का नाम केवल बंगाली लेखकों के ग्रन्थों में ही आता है। एक स्थान पर जीमूतवाहन ने बालक के बालरूपत्व की तिल्ली उदायी है। इससे यह समझा जा सकता है कि दोनों एव ही हैं। बालक या बालरूप का समय ११०० ई० के लगभग माना जा सकता है।

६९. योग्लोक

जितेन्द्रिय एव बालक की मूर्ति योग्लोक का नाम भी केवल जीमूतवाहन एव रघुनन्दन की कृतियों में ही पाया जाता है। जीमूतवाहन के कालविवेक में बाल के विषय में धर्मा करनेवाले लेखकों में योग्लोक का नाम अन्त में ही लिया गया है। जीमूतवाहन ने अपनी व्यवहारमातृका में योग्लोक को नव-तार्किकम्भन्व अर्थात् एव नये तार्किक के रूप में माना है और उनकी तिल्ली उदायी है। जीमूतवाहन के बालविवेक एव व्यवहार-मातृका में योग्लोक के मतों का सर्वत्र उल्लेख हुआ है। जीमूतवाहन ने उन्हें बृहद्-योग्लोक एव स्वल्प-योग्लोक नामक दो ग्रन्थों का रचयिता माना है। योग्लोक में धीवर के मतों को माना है, अतः उनका बाल धीवर के बाद ही आयेगा। रघुनन्दन के व्यवहारतत्व में ऐसा आया है कि योग्लोक में धीवर एव बालक की मूर्ति २० वर्ष तक के स्थावर सम्पत्ति के अधिकार को वास्तविक अधिकार मान लिया है। रघुनन्दन ने लिखा है कि योग्लोक को भैषिल लोग प्रमाण मानते थे। योग्लोक में बाल एव व्यवहार पर धर्म लिखे और सम्भवतः बाल पर उनमें दो निबन्ध थे। योग्लोक का बाल १५००-१०५० ई० के बीच में माना जा सकता है, क्योंकि ये जीमूतवाहन से बम-नो-बम एव ती बर्ष पहले हुए होंगे।

७०. विज्ञानेश्वर

धर्मशास्त्र-साहित्य में विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा नामक ग्रन्थ एव अपूर्व स्थान रखता है। यह ग्रन्थ उतना ही प्रभावशाली माना जाता रहा है जितना व्याकरण में पतञ्जलि का महामाध्य एव साहित्यशास्त्र में मम्मट का वाचस्पतिकाण्ड। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में अपने पूर्व के लगभग दो सहस्र वर्षों से चले आये हुए मतों के सारोत्तर को ग्रहण किया और ऐसा रूप गढ़ा किया जिससे प्रकाश में अन्य मतों एवं सिद्धान्तों का विकास हुआ। आज के भारतीय व्यवहार (बानूक) में मिताक्षरा का अत्यधिक हाथ रहा है। केवल बंगाल में दाय-भाग की प्रवृत्ति रही।

मिताक्षरा याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक ग्रन्थ है। बहुत-सी प्रतियों के अन्त में श्रुतु मिताक्षरा, प्रमिताक्षरा या केवल मिताक्षरा नाम आया है। मिताक्षरा केवल याज्ञवल्क्यस्मृति का एक माध्य मात्र ही नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति सम्बन्धी एक निबन्ध है। इसमें बहून्नी स्मृतियों के उद्धरण है, यह निबन्ध स्मृतियों के अन्त-बिंदुओं को पूर्वमीमांसा की पद्धति से व्याख्या द्वारा दूर करता है, और मूर्ति मूर्ति के विषयों को उनके स्थानों पर रखकर एक गतिमत् व्यवस्था उत्पन्न करता है। इसमें पहले के छ स्मृतिवारा के, त्रिहोत्रे निबन्ध का माध्य स्थान है अथवा—अथर्ववेद, विश्वरूप, वेदांगविधि, धीवर, मारुति तथा मोक्षदेव। स्मृतियों एवं स्मृतिवाराओं के विभिन्न नाम अथवावनीय है—अग्निरा, बृहदग्निरा, मध्यमाग्निरा, अग्नि, आग्निसम्भ, आरवलायन, उदमगु, उदमता, अथर्वगुह, बरधन वाग्ध, वाग्धायन, वाग्धायिनि, हुमाद, हुमादेषायन, बनु, पाग्ध, गुह्यवर्तिवत्, कोशिल,

गोतम, चतुर्विंशतिमत, च्यवन, छागल (छागलेय), जेमदग्नि, जानूनर्ष्य, जात्राल, (जात्रालि), जैमिनि, दश, दीर्घतमा, देवल, घोष्य, नारद, पराशर, पारस्कर, पितामह, पुन्य, पंग्य, पंडीनसि, प्रवेता, बृहद्रथवेता, बृहद्रथवेता, प्रजापति, बाष्का, बृहस्पति, बृहद्बृहस्पति, बोधामन, ब्रह्मगर्भ, ब्राह्मवप, भारद्वाज, भृगु, मनु, बृहन्मनु, बृहमनु, मरीचि, भार्कण्डेय, यम, बृहयम, मातृवक्ष्य, बृहद्व्याजवक्ष्य, बृहद्व्याजवक्ष्य, लिखित, लोगाक्षि, वसिष्ठ, बृहद्वसिष्ठ, बृहद्वसिष्ठ, विष्णु, बृहद्विष्णु, बृहद्विष्णु, वैयासपद, वैशम्पायन, व्यास (व्यासपाद), व्यास, बृहद्व्यास, शश, शशलिखित, शाण्डिल्य, शातातप, बृहच्छातातप, बृहदशातातप, सुन-पुच्छ, शीतक, पद्मिनीशम्भत, सवर्त, बृहत्सवर्त, सुमन्तु, हारीत, बृहदहारीत, बृहदहारीत। मिताक्षरा में निम्न ग्रन्थों की चर्चा हुई है—काठक, बृहदारण्यकोपनिषद्, शर्मोपनिषद्, जानालोपनिषद्, निरुक्त, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत, योगसूत्र, पाणिनि, सुश्रुत, स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण, अमर, गुरु (प्रमाकर)। विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य के अन्त में अपने को विज्ञान-योगी कहा है और कालान्तर के लेखकों ने भी उन्हें वंशा ही कहा है। वे भारद्वाज गोत्र के पणनाभ भट्ट के सुपुत्र थे। वे स्वयं परमहंस उत्तम के शिष्य थे। जब उन्होंने मिताक्षरा का प्रणयन किया तब कल्याण-नगरी में विक्रमार्क या विक्रमादित्यदेव शासन कर रहे थे।

मिताक्षरा के प्रणेता पूर्वमीमांसा-सिद्धि के गुरु जाता थे, क्योंकि सम्पूर्ण पुस्तक में बही-न-बही पूर्व-मीमांसा-न्याय का प्रयोग देखा जाता है। मिताक्षरा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विवरण वाली रचना है। मिताक्षरा में विश्वरूप, भेषातिथि एवं धारेश्वर के नाम आते हैं, अतः वह १०५० के बाद की रचना है। देवणमट्ट की स्मृतिचन्द्रिका का प्रणयन १२०० ई० के लगभग हुआ था। इसने मिताक्षरा-सिद्धान्तों की आलोचना की है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु में विज्ञानेश्वर का नाम आया है। लक्ष्मीधर १२वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हुए थे। अतः मिताक्षरा का प्रणयन ११२० ई० के पूर्व हुआ था। अन्य सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिताक्षरा का रचनाकाल १०७०-११०० ई० के बीच में बही है।

मिताक्षरा के भी भाष्य हुए हैं, जिनमें विश्वेश्वर, नन्द पण्डित एवं बालमट्ट के नाम अति प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर स्थान-संबन्ध से विज्ञानेश्वर के सिद्धान्तों की व्याख्या तही की जा सकती। उन्होंने दाय को अप्रति-बन्ध एवं सप्रतिबन्ध नामक दो भागों में बाँटा है और बलपूर्वक कहा है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र बन्धीयत पर बन्ध से ही अधिकार पाते हैं। इस विषय में वे जीमूतवाहन के मतों से सर्वथा विरोध में हैं।

आग्नेय ने अपनी सूची में अशौचदशक नामक ग्रन्थ के विषय में परस्पर-विरोधी बातें बही हैं। अशौच-दशक के लेखक हैं हरिहर और इस पर विज्ञानेश्वर की एक टीका है। डेवन बालेज के सग्रह में अशौचदशक नामक एक हस्तलिखित प्रति है, जिसमें यह लिखा है कि विज्ञानेश्वर योगी ने शार्दूलबिन्दुलिखित छः में अशौच पर एक रचना की, जिस पर हरिहर ने एक टीका लिखी। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हरिहर या तो विज्ञानेश्वर के शिष्य थे या उनके समकालीन थे। उनके किसी ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर ने नहीं, प्रत्युत उन्होंने स्वयं विज्ञानेश्वर के अशौचदशक या दशश्लोकोंके नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी। विद्वान्-श्लोकी नामक ग्रन्थ के भाष्यकार विज्ञानेश्वर ही हैं, ऐसा कुछ लोग समझा करते थे, किन्तु ऐसी बात नहीं मानी जाती।

नारायणलिखित व्यवहारसिद्धांश नामक ग्रन्थ की एक हस्तलिपि मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है। नारायण ने इसमें अपने को विज्ञानेश्वर का शिष्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ 'बालबोधार्थम्' लिखा गया है। इसमें जनता के झगड़ों के निपटारे के विषय में राजा के बर्तव्यों, समय, समा, प्राङ्गुविकार (न्यायाधीश), अमिषीय और उमने दोष, आमेध (प्रतिवादी के ऊपर नियन्त्रण), व्यवहार-सम्बन्धी १८ पदों की सिद्धि के लिए उपाय, ऋणदान, निशेष, समुप-सम्भुधान, दत्ताश्रदानि, अम्बुपेयानुश्रूया, वेननस्थानपात्रमें, अम्बापिबिक्रम,

विश्वीयासम्प्रदान, श्रीत्वानुनाय, समयस्यानराहमं, सीमा-विवाद, स्त्रीपुत्रदीय, दायविभाग आदि का वर्णन है। इस ग्रन्थ में मिताधारा की बातें पायी जाती हैं, किन्तु नारायण ने अपने गुरु से एक बात में विरोध प्रकट किया है। मिताधारा में विभाजन के चार अवसर बताये गये हैं, किन्तु नारायण ने केवल दो अवसरों की चर्चा की है, यथा (१) पिता की इच्छा तथा (२) पुत्र या पुत्रों की इच्छा। सम्भूयसमुत्थान में उन्होंने बौद्धिक के अर्थशास्त्र से एक उद्धरण लिया है, जो आज के प्रकाशित बौद्धिक में पाया जाता है।

७१. कामधेनु

धर्मशास्त्र की विविध शाखाओं पर कामधेनु नामक एक प्राचीन निबन्ध था, किन्तु अमात्यवरा आज तक इसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी है। लक्ष्मीधर के बन्धुत्व में कामधेनु के मत की चर्चा है। हारलता में भी, जो १२वीं शताब्दी के कृतिय चरण में प्रणीत हुई थी, कामधेनु की कई बार चर्चा हुई है। श्रीधरचार्म ने अपने स्मृत्यर्थानाम म, चण्डेद्वर ने अपने विवादरत्नाकर म, आश्विनिकामुदी में, चूलपाणि ने अपने श्राद्धविवेक में, श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीप में कामधेनु के मतों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न यह है कि कामधेनु का कितना बौद्ध है। चण्डेद्वर के व्यवहाररत्नाकर में कामधेनु के केवल गोपाल नामक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यह वात ठीक जैसी है। आश्विन ने काम नामक व्यक्ति को तथा डा० जयगजात ने मोक्ष को कामधेनु का लेखक माना है, किन्तु इस मान्यता के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। मिताधारा एक मेधाविधि ने इसकी चर्चा नहीं की है, अतः इसकी तिथि १०००-११०० ई० के मध्य में बनी होगी।

७२. हलामुष

लक्ष्मीधर के बलार में व्यवहार-बौद्धि हलामुष का कई बार उल्लेख हुआ है। चण्डेद्वर के विवाद-रत्नाकर एक हविनाय के स्मृतिगार म हलामुष के विषय के मतों की चर्चा हुई है। स्मृतिगार ने हलामुष के मतानुसार कहा है कि यदि अशुभ पति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से पुत्र उत्पन्न करने पर समझ न हो तो उसे उत्तराधिकार से वञ्चित कर देना चाहिए। यही पारेद्वर का भी मत था। विवादविनायक में भी हलामुष की चर्चा हुई है। रूपन्दन ने अपने दायान्त्य, व्यवहारान्त्य एवं विप्यान्त्य में तथा चौरमिश्राय ने भी हलामुष के मतों का उल्लेख किया है। इन चर्चाओं से स्पष्ट है कि हलामुष की कृति बड़ी मूल्यवान् थी। बन्धुत्व ने हलामुष को प्रमाण माना है, अतः ये ११०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। मेधाविधि, मिताधारा आदि ने हलामुष की चर्चा नहीं की है, क्योंकि उन्होंने पारेद्वर, त्रिविन्द्य तथा अन्य विरोधी मतों के समान ही अपने मत रखे हैं। अतः ये १००० ई० के पश्चे नहीं जा सकते। हलामुष १०००-११०० के मध्य में बनी हुए होंगे।

कई एक हलामुष की कृतियों प्रमाण में आयी हैं। यथा—अभिपारत्नमाग, वसिष्ठस्य, मृगश्रीरवी, वाजपयस्य तथा कात्यायन के श्राद्धानुसूय का प्रमाण नामक ग्रन्थ। इनमें प्रथम तीन के बर्णन हलामुष काटिप नामकी है जो धर्मशास्त्रवेदी हलामुष से बहुत पहले ९९४-९९७ ई० के समय हुए थे। चौथे ग्रन्थ के लेखक हलामुष धर्मशास्त्रकार हलामुष नहीं है। इसी प्रकार प्रमाण के लेखक भी त्रिवि के प्रश्न पर धर्म-शास्त्रकार हलामुष नहीं हो सकते।

७३. भवेद भट्ट

स्मृतिके के व्यवहार एवं परिमिश्राय में कहा जाता है कि भवेद भट्ट ने व्यवहार-विधि पर

व्यवहारतिलक नामक ग्रन्थ लिखा था। व्यवहारतत्त्व ने भद्रदेव भट्ट के दुर्बल कारण वाले एक उत्तर का उदाहरण देकर उसका विवेचन उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ में यह भी आया है कि श्रीकर, बालक तथा अन्य लेखकों के समान भद्रदेव भट्ट ने भी विपरीत अधिकार के विषय में मत प्रकाशित किया है। मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र ने भी भद्रदेव के विचारों की चर्चा की है। आततायी के मारने के बारे में मुमन्तु के कथनों पर भद्रदेव के मत की चर्चा वीरमित्रोदय ने की है। सरस्वतीविग्रह एव नन्द पण्डित के 'वैजयन्ती' नामक ग्रन्थों ने भी भद्रदेव के मतों की चर्चा की है। इन सब चर्चाओं में प्रष्ट होता है कि भद्रदेव भट्ट का व्यवहारतिलक न्याय विधि पर एक मूल्यवान् ग्रन्थ अवश्य समझा जाता रहा। अमाप्यवश अभी ग्रन्थ की प्रति नहीं मिल सकी है। भद्रदेव भट्ट ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं।

डेवन कालेज के मध्य में भद्रदेव की कई नामों वाली, यथा वर्मानुष्ठानपद्धति या दशकर्मदीपक कृति की दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। एम० एम० चक्रवर्ती के कथन से पता चलता है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ में सामवेद पढ़नेवाले ब्राह्मण के दस प्रमुख क्रियासम्पन्नो का वर्णन है। प्रमुख विषय ये हैं—नवग्रह-हाम, मातृपूजा पणिग्रहण तथा अन्य वैवाहिक कार्य, विवाहापरान्त चौथे दिन पर होम, गर्भाधान पुसवन सीमन्तोभयन, सोप्यन्तीहोम (बच्चे के जन्म पर हाम), जातकर्म, निष्क्रमण, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन, समावर्तन, शालाकर्म (नव गृह में प्रथम प्रवेश)।

भद्रदेव की दूसरी कृति है प्रायश्चित्तनिरूपण जिसमें लेखक की उपाधि है ब्राह्मण-मुजग। इसमें २५ स्मृतिकारों, मत्स्य एव भविष्य पुराणों, विश्वरूप, श्रीवर एव बालोक (बालक?) की चर्चा हुई है। वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में इस ग्रन्थ को प्रायश्चित्त के विषय में मनु के बाद सबसे अधिक मान दिया गया है। भद्रदेव भट्ट की तीसरी कृति है तौतातितमत्तिलक, जिसमें कुमारिल भट्ट के अनुसार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों का वर्णन है। उड़ीसा के पुरी जिले के भुवनेश्वर के अनन्तबासुदेव के मन्दिर के एक अभिलेख में भद्रदेव के बारे में भरपूर चर्चा है। नीलहार्न के कथनानुसार अभिलेख १२वीं शताब्दी का है।

हेमाद्रि, मिसरू मिश्र एव हरिनाथ ने भद्रदेव भट्ट से उद्धरण लिया है, अतः भद्रदेव भट्ट की निधि लगभग ११०० ई० है। कुछ अन्य धर्मशास्त्र लेखकों का नाम भद्रदेव है। दानधर्मप्रिया (१७वीं शताब्दी) के लेखक एव स्मृतिचन्द्रिका (१८वीं शताब्दी) के लेखक का नाम भद्रदेव ही है। भद्रदेव भट्ट की कृति वर्मानुष्ठानपद्धति पर समारम्भचन्द्रिरहस्य नामक एक भाष्य भी है।

७४ प्रकाश

आरम्भिक निबन्धकारों ने प्रकाश नामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है। वात्स्यायन के एव दशक पर बल्यतरु ने प्रकाश, हलामुष एव कामधेनु की व्याख्या का उल्लेख किया है। कामधेनु नामक वीर चण्डेश्वर ने अपने विवादरत्नाकर में प्रकाश के मतों की चर्चा की होगी। कभी-कभी प्रकाश पारिजात के साथ ही उल्लिखित होता है। इनमें प्रकार कई एक ग्रन्थों में प्रकाश के मतों का हवाला दिया गया है। इस पुस्तक में व्यवहार, दान, धादि पर प्रकरण थे, यह बात उद्धरणों में सिद्ध हो जाती है।

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रकाश एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था या एक भाष्य मात्र। कभी-कभी ऐसा झलकता है कि यह याज्ञवल्क्यस्मृति का मान्य भाष्य है। विवादविन्यासिण में प्रकाश की व्याख्याओं की ओर संकेत हुआ है। वीरमित्रोदय में प्रकाश की मनु-सम्बन्धी व्याख्याओं का उल्लेख पाया जाता है। बल्यतरु में उल्लिखित होने के कारण प्रकाश की तिथि ११२५ ई० के पूर्व ही मानी जायेगी। प्रकाश में मेघानिधि का

उल्लेख है। प्रकाश का प्रणयन-वर्ष १००० एव ११०० ई० के मध्य न बही रखा जा सकता है। हेमाद्रि ने महार्णव-प्रकाश नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण लिया है। सम्भवतः यह ग्रन्थ प्रकाश ही है।

७५ पारिजात

बहुत-से ग्रन्थों का 'पारिजात' उपनाम मिलता है यथा—विधानपारिजात (१६२५ ई०), मदनपारिजात (१३७५ ई०) एवं प्रयोगपारिजात (१४००-१५०० ई०)। किन्तु प्राचीन निबन्धकारों ने पारिजात नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की खोज की है। कल्पतरु ने बहुत बार पारिजात के मनो का उल्लेख किया है। कल्पतरु तथा विवादरत्नाकर ने पारिजात एवं प्रकाश को अधिकतर उद्धृत किया है। विवादरत्नाकर ने तो कल्पतरु, पारिजात, हल्दयुष एवं प्रकाश को महत्वपूर्ण पूर्वगामी कृतियाँ माना है। हरिनाथ ने स्मृतिसार में भी पारिजात के उद्धरण आये हैं। पारिजात ने नियोग का समर्थन किया है। पारिजात व्यवहार, दान आदि विषयों पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था, इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। यह ११२५ ई० के पूर्व लिखा गया होगा, क्योंकि कल्पतरु ने इसका हवाला दिया ही है। यह विताशरा द्वारा उद्धृत नहीं है, किन्तु हल्दयुष, भोजदेव आदि के समान विषयों के अधिकार को माननेवाला है, अतः इसकी तिथि १०००-११२५ के बीच में होनी चाहिए।

७६. गोविन्दराज

गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-भाष्य (मनु० ३ २४७-२४८) में लिखा है कि उन्होंने स्मृतिमञ्जरी नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के कुछ अंश आज उपलब्ध होते हैं। गोविन्दराज की जीवनी के विषय में भी उनकी कृतियों से प्रकाश मिलता है। मनुटीका एवं स्मृतिमञ्जरी में उन्हें बंगाल के किनारे रहनेवाले नारायण के पुत्र माणव का पुत्र कहा गया है। कुछ लोगों ने इसी से बनारस के राजा गोविन्दचन्द्र से उनकी तुलना की है, किन्तु यह बात गलत है, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे और गोविन्दराज थे ब्राह्मण। गोविन्दराज ने पुराणों, गृह्यसूत्रों, योगसूत्र आदि की खोज की है। उन्होंने आग्नि वेद में अनेक देवों में यज्ञों की मनाही की है। उन्होंने मेधातिथि की शक्ति मोक्ष के लिए ज्ञान एवं कर्म का सामञ्जस्य धारा है। बृहस्पति ने मेधातिथि एवं गोविन्दराज के भाष्यों से बहुत उद्धरण किये हैं। दायभाग में गोविन्दराज की खोज है। गोविन्दराज की स्मृतिचन्द्रिका में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातें आ गयी हैं। बृहस्पति ने मेधातिथि को गोविन्दराज से बहुत प्राचीन कहा है। विताशरा ने मेधातिथि एवं भोजदेव का उल्लेख तो किया है, किन्तु गोविन्दराज का नहीं। इसमें यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोविन्दराज १०५० ई० के उदरालन ही उत्पन्न हुए होंगे। अनिरुद्ध की हारलता (११९० ई०) में गोविन्दराज की खोज हुई है और वे विद्वत्कर्म, भोजदेव एवं रामचन्द्र की शक्ति प्रामाणिक ठहराये गये हैं। इसमें स्पष्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई० के बाद नहीं हो सकते। दायभाग ने गोविन्दराज के मन का उल्लेख किया है। जीमूतबाहन ने भोजराज एवं विद्वत्कर्म के साथ गोविन्दराज का भी हवाला दिया है। हेमाद्रि ने भी गोविन्दराज के मन का उद्धरण किया है। अतः उपरोक्त धर्मशास्त्र-संशोधकों के शब्दों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गोविन्दराज १०५०-१०८० ई० के मध्य में बही हुए होंगे। किन्तु यह बात जीमूतबाहन की १०९०-११४० बानी तिथि पर ही आधारित है और अभी तक जीमूतबाहन की तिथि के विषय में कोई निश्चयता नहीं स्थापित हो सकी है।

७७ लक्ष्मीघर का कल्पतरु

कल्पतरु ने मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था। यह एक बृहद् ग्रन्थ था, किन्तु अमाग्यवशा अमी इसकी सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है। यह ग्रन्थ कई काण्डों में विभाजित था। सम्पूर्ण ग्रन्थ को वृत्त्यकल्पतरु या केवल कल्पतरु या नल्पद्रुम या कल्पवृक्ष कहा जाता है। इस ग्रन्थ में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है ऐसा लगता है। लक्ष्मीघर राजा गोविन्दचन्द्र के सान्धिविग्रहिक मन्त्री थे। उनकी कूटनीतिक चालों से ही गोविन्दचन्द्र ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, ऐसा कल्पतरु में अर्थात् है। यद्यपि नल्पतरु मिताक्षरा से बहुत बड़ा है, किन्तु विद्वत्ता, सम्पादन एवं व्याख्या में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसमें आचार-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त व्यवहार-विषयक कई काण्ड थे। राजधर्म पर श्री लक्ष्मीघर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है।

कल्पतरु में विशेषतः स्मृतिवारा, महाकाव्यों एवं पुराणों के ही उद्धरण आये हैं। व्यवहार काण्ड में मेधातिथि शकान्वित के माप्य, प्रकाश, विज्ञानेश्वर, हलामुषु एवं वामधेनु नामक निबन्धों के उद्धरण भी हैं।

लक्ष्मीघर की तिथि सरलता से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने विज्ञानेश्वर को उद्धृत किया है, अतः वे ११०० के बाद ही आ सकते हैं। अनिरुद्ध की कर्मापदेशिनी (११६० ई० में लिखित) में कल्पतरु के उद्धरण आये हैं अतः वे ११००-११५० के बीच ही में कम्पि हुए होंगे। लक्ष्मीघर गहड़वार या उठौर राजा गोविन्दचन्द्र के मन्त्री थे, इस रूप में वे १२वीं शताब्दी के ही दृहरते हैं।

कालान्तर में कल्पतरु की बड़ी प्रसिद्धि हुई। बंगाल के सभी प्रसिद्ध लेखकों, यथा अनिरुद्ध, बल्लाल-सेन, शूलपाणि, रघुनन्दन ने कल्पतरु की चर्चाएँ की हैं और इसके लेखक लक्ष्मीघर को आदर की दृष्टि से देखा है। मिथिला में वे बंगाल से कहीं अधिक प्रसिद्ध थे। चण्डेश्वर ने अपने विवादरत्नाकर में कल्पतरु के शब्दों एवं भावनाओं को सैकड़ों बार उद्धृत किया है। हरिनाथ ने अपने स्मृतिसार में और श्रीदत्त ने अपने आचार-दर्श में कल्पतरु को बहुत बार उद्धृत किया है। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में भी लक्ष्मीघर का प्रभूत प्रभाव था। हेमाद्रि एवं सरस्वतीविलास ने आदर के साथ कल्पतरु का उल्लेख किया है, यहाँ तब कि लक्ष्मीघर को उन्होंने भगवान् की उपाधि दे डाली है। जब अन्य सक्षिप्त निबन्धों का प्रणयन हो गया तभी कल्पतरु अन्धकार में छिप गया, तथापि दत्तकमीमासा, वीरमित्रोदय तथा टोडरानन्द ने कल्पतरु की चर्चा की है।

७८. जीमूतवाहन

जीमूतवाहन, शूलपाणि एवं रघुनन्दन बंगाल के धर्मशास्त्रकारों के त्रिवेद हैं। जीमूतवाहन सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके तीन ज्ञात ग्रन्थ प्रकाशित हैं, यथा—कालविवेक, व्यवहारमातृका एवं दासभाग। ये तीनों ग्रन्थ धर्मरत्न नाम वाले एक बृहद् ग्रन्थ के तीन अंग मात्र हैं।

कालविवेक में ऋतुओं, मासों, धार्मिक क्रिया-सत्कारों के कालों, मलमासों (अधिक मासों), सौर एवं चान्द्र मासों में होनेवाले उत्सवों वेदाध्ययन के उत्सर्जन एवं उपायधर्म, अगस्त्योदय, विष्णु के सोनेवाले चार मासों, कोजागर, दुर्गास्तव, ग्रहण आदि पर्वों एवं उत्सवों के कालों का विचार वर्णन है। जीमूतवाहन के काल-विवेक में पूर्वमीमासा ने प्रभूत उल्लेख हुए हैं। इस ग्रन्थ को वाचस्पति की श्राद्धचिन्तामणि, गोविन्दपन्थ की श्राद्धकौमुदी एवं वर्षक्रियाकौमुदी ने तथा रघुनन्दन के तत्त्वों ने स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है।

व्यवहारमातृका में व्यवहार-विधियों का वर्णन है। इसमें १८ व्यवहारपदों, प्राद्विवाह (न्यायाधीन) शब्द के उद्गम, प्राद्विवाहक योग्य स्थानियों, विविध प्रकार के न्यायालयों, सभ्यों के बर्तव्य, व्यवहार के चार

स्वरो, पूर्वपक्ष, प्रतिभू, पूर्वपक्ष-दोष, उत्तर (प्रतिवादी का उत्तर), चार प्रकार के उत्तर, उत्तर-दोष, त्रिधा (सिद्ध करने का प्रमाण), दैवी एवं मानवी (मानुषी) प्रमाण (यथा-दिव्य, अनुमान, माशियाँ, मेघप्रमाण, स्वत्व) एवं माशियों के योग्य व्यक्तियों की चर्चा है। व्यवहारमातृता (न्यायमातृता या न्यायवर्तमानिका) में लगभग २० स्मृतिवादी के नाम आये हैं, यथा उदाला, वाट्यापन, वृत्त्याप्यापन, वाग्दिग्न, वीरम, नारद गितामह, प्रजापति, बृहस्पति, मनु, यम, याज्ञवल्क्य, त्रिगता, वृद्धगिष्ठ, विष्णु, ध्याम, गण, वृद्धानातप, मरुतं एवं हारीत, जिनमें कात्यायन, बृहस्पति एवं नारद के नाम बहुत बार आये हैं। इसमें निर्माणात्त निवन्धकारों के नाम आये हैं—जितेन्द्रिय, दीक्षित, बाल (भाऊ), भोजदेव, मञ्जरीनार (गान्धिराज) चोपडा, विद्वरूप, धीकर (धीकर मिश्र)। जीमूतवाहन ने याज्ञवल्क्य एवं धीकर की आलोचना की है और चोपडा की ध्यान स्थान पर मर्मना भी की है। इन्होंने विद्वरूप तथा अन्य प्राचीन निवन्धकारों की प्रशंसा भी की है। रघुनन्दन ने अपने व्यवहारशास्त्र एवं दायतत्त्व में व्यवहारमातृता की चर्चा की है।

जीमूतवाहन का तीसरा ग्रन्थ दायभाग सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रसिद्ध है। हिन्दू नानुशा म, विनयन विनय विभाजन, स्त्रीधन, पुत्रमिलन आदि में दायभाग में बहुत योग दिया है। बगाल तथा यहाँ, जहाँ मिताक्षरा का प्रभाव नहीं है, इन विषयों में दायभाग ही एक मात्र प्रमाण माना जाता रहा है। दायभाग के कई भाष्यकार हो गये हैं। दायभाग की विषय-वागु यो है—दाय की परिभाषा, पूर्वजा की सम्पत्ति पर पिता का प्रभाव या स्वत्व, पिता एवं पितामह की सम्पत्ति का विभाजन, पिता की मृत्यु के उपरान्त ऋतयः में वंशशास, स्थापन की परिभाषा, श्रेणीकरण एवं निक्षेपण, असमर्थता के कारण वर्गीयन (दाय) एवं वंशकारों में कौन लग्य पृथक् निये जा सकते हैं, निक्षेपण योग्य सम्पत्ति, पुत्रहीन के उत्तराधिकार की विधि, पुत्रमिलन, मृत पत प्राप्ति होने पर विधवाधिकारियों में वंशकारा, विभाजन-प्रशासन।

दायभाग और मिताक्षरा के मुख्य विवेक निम्न हैं। दायभाग में पुत्रों का जन्म से पितृ सम्पत्ति में अधिकार नहीं है, पिता के स्वत्व के विनाश पर ही (अर्थात् पिता की मृत्यु पर, पतिन हो जाने पर या गन्वायी हो जाने पर ही) पुत्र दाय पर अधिकार वा सकते हैं, या पिता की इच्छा पर उगम और पुत्रों में विभाजन हो सकता है। पति के अधिकार पर विधवा का अधिकार हो जाता है, भले ही पति एवं उगम भाई वा मयुक्त धन ही। विधवाधिकार मृत स्त्री को चिन्तित करने पर निर्भर रहता है, यह सम्पत्तिका पर, मिताक्षरा में मतानुसार नहीं निर्भर रहता।

दायभाग में स्मृतिवादी, महाभाग्य एवं सर्वश्रेष्ठ पुराण के अधिकृत निम्न लेखकों के नाम आये हैं, उद्गाहमन्त्र, गोविन्दराज (मनुटीका के लेखक), जितेन्द्रिय, दीक्षित, बाल, भोजदेव या भोजदेव, विद्वरूप एवं धीकर।

जीमूतवाहन ने अपने बारे में न-बहु-भा कहा है। उदात्त होने का परिच्छिन्न रूप में उत्पन्न माना है। उनका जन्म-स्थान सम्भवतः राजा था। जीमूतवाहन की विधि के विषय में भी विद्विष्ट रूप में कुछ कल्पना कही है। ११वीं शताब्दी में १६वीं शताब्दी तक जीमूतवाही होती रही है। जीमूतवाहन ने पारिवर्त भोज-देव एवं गोविन्दराज का उल्लेख किया है, अतः वे ११वीं शताब्दी के पुत्र नहीं गये जा सकते। इस प्रकार उनके उत्तरण मृतपति, वाक्यगी मिश्र एवं रघुनन्दन की कृतियों में पाये जाते हैं अतः वे १५वीं शताब्दी के मध्य भाग के बाद नहीं जा सकते। वाक्यदेव की एक सम्पत्तिगत प्रति में घटवर्गित नामक व्यक्ति के पुत्र की बृहस्पति है, जिस पर सर मय्य १६१० (अर्थात् १६१५ ई०) प्रथि है। अतः जीमूतवाहन १६०० ई० के बाद नहीं जा सकते, क्योंकि उपर्युक्त सम्पत्तिगत प्रति के बहुत पहले ही तो जीमूतवाहन प्रसिद्ध हो गए होते।

कालविवेक में कालचर्चा करते हुए जीमूतवाहन ने एक स्थान पर १०९१-१०९२ ई० की गणना की है। लेखक को समीप के काल की चर्चा और गणना ही सुविधाजनक लगती है, अतः जीमूतवाहन १०९० तथा ११३० के मध्य में हुए होंगे। किन्तु एक विरोध खाड़ा किया जा सकता है। १२वीं शताब्दी से लेकर १४वीं तक किसी भी धर्म-शास्त्रकार ने जीमूतवाहन का नाम नहीं लिया है। हारलता, कुल्लूक के भाष्य आदि में उनकी वही भी चर्चा नहीं की है। विद्वानों ने यह मित्र करने का प्रयत्न किया है कि जीमूतवाहन ने मिताक्षरा की बालोचना की है। इससे यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन मिताक्षरा के बाद तो आये, किन्तु उनकी तिथि की गण्य बड़ी क्या है, यह कहना शकित है।

७९ अपराक

अपराकित्य ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक बहुत ही विस्तृत टीका लिखी है, जो अपराक-याज्ञवल्क्य-धर्म-शास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह आनन्दब्रह्म प्रेम (पूना) से दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। इस निबन्ध के अन्त में लेखक विद्यावरवरा के जीमूतवाहन कुल में उत्पन्न राजा सिलाहार, अपराकित्य बने गये हैं। यह ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा की भांति याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका है, किन्तु यह एक निबन्ध है। यह मिताक्षरा से बहुत वृत्त है। इसने गृह्य एव धर्मसूत्रा एव पंचबद्ध स्मृतिया से बिना किसी रोक के लम्बे-लम्बे उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा से यह कई बातें म भिन्न हैं। जहाँ मिताक्षरा ने पुराणों से उद्धरण लेने में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की है, इसने कतिपय पुराणों में लम्बे लम्बे अज्ञ उतार लिये हैं, यथा आदि, आदित्य, क्रूर, कालिका, देवी, नन्दी, नृसिंह, पद्म, ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड, भविष्यत्, भविष्योत्तर, मत्स्य, मार्कण्डेय, लिंग, धराह, धामन, वायु, विष्णु, विष्णुधर्मोत्तर, निबन्धोत्तर एव स्कन्द नामक पुराणों से। इस लम्बी सत्या में पुराण एव उपपुराण दोनों सम्मिलित हैं। दशम धर्मसूत्रों (गौतम, वसिष्ठ) में भी प्रभूत लम्बे उद्धरण लिये गये हैं। यह बात मिताक्षरा में नहीं पायी जाती। मात्राचार्य की शैली में अपराक ने शैव, पार्श्वपुत्र, पाञ्चवराण, साह्य एव योग के सिद्धान्तों के छोटे-छोटे निष्कर्ष भी दिये हैं। यद्यपि अपराक ने शारीरिक मोमासा-शामन की ओर सञ्चेत किया है, तथापि वे अद्वैत के पुजारी नहीं लगते। मिताक्षरा ने अपने पूर्व के निबन्धकारों, यथा—अतहाय, विद्वत्, भारवि, थीवर, मेधातिथि एव धारेश्वर के नाम लिये हैं, किन्तु अपराक इस विषय में मौन है। अपराक ने ज्योतिषशास्त्र के कई लेखकों की कृतियाँ का उल्लेख किया है, यथा—गर्ग, क्रियाश्रय एव सारावलि। कुमारिल भट्ट का उद्धरण भी अपराक के निबन्ध में आया है। मिताक्षरा में पूर्वमोमासा की प्रभूत चर्चा हुई है, किन्तु अपराक ने ऐसा बहुत कम किया है। विद्वत्ता स्वच्छता, तर्क, अभिव्यञ्जना आदि में मिताक्षरा अपराक से बहुत आगे है, इन विषयों में इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती।

जीमूतवाहन से सम्बन्धित बहुत-से मतों की घोषणा अपराक ने भी की थी। मरे हुए व्यक्ति को पिण्ड आदि देने से ही उसकी सम्पत्ति का कोई अधिकारी हो सकता है। दो-एक अन्य बातों में अपराक एक मिताक्षरा में थोड़ा विभेद है। अन्ध्यादाना एव दूसरे से मत्ता के विषय में बड़ा मित्र है। क्या अपराक की मिताक्षरा की उपस्थिति का ज्ञान था? इसका उत्तर सरल नहीं है। सम्भवतः मिताक्षरा का ज्ञान अपराक को था।

अपराक की तिथि का अनुमान निर्णय किया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका में कई बार अपराक के मतों की चर्चा एव उनकी मिताक्षरा के मतों से तुलना की है। स्मृतिचन्द्रिका की तिथि, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, लगभग १२०० ई० है, यदि यह मान लिया जाय कि अपराक ने मिताक्षरा की चर्चा की है तो अपराक की तिथि ११००-१२०० ई० के बीच में होगी। यहाँ हमें अभिलेख सहायता देने हैं। अपराकित्य जीमूतवाहन-वरा के

सिलाहार राजकुमार थे। सिलाहारों के अभिलेखों से पता चलता है कि उनकी तीन शाखाएँ थीं जिनमें एक उत्तरी कोषल के धाया नामक स्थान में दूसरी दक्षिणी कोषल में, तथा तीसरी कोन्हापुर में थी। ये तीनों शाखाएँ अपने-पै जो मूलवाहन का ही रहस्य है। अपराजित सम्भवत उत्तरी शाखा वाले सिलाहारों में अपराजित्य देव नाम वाले राजा थे क्योंकि निबन्ध में आनवाली, सिलाहार नरेंद्र एवं जीमूतवाहन वयप्रभूत उपनिषदाँ एवं महामण्डलेश्वर तथा नगरपुर परमेश्वर आदि नाम एक सिलालेख में भी आये हैं, जहाँ पर अपराजित या अपराजित्य-देव, जो नागार्जुन के पुत्र अनन्तदेव के पुत्र थे, एक ब्राह्मण का दान देते हुए वर्णित हैं। और भी बहुत-से अभिलेख हैं, जिनमें अपराजित्य का नाम आता है। अपराजित्य की तिथि १११५-११२० ई० के बीच में आती है। मूल के श्रीमण्डपरित्त में आया है कि शाखा के राजा अपराजित्य में तेजकण्ठ को कश्मीर का राजा जयसिंह (११२९-११५० ई०) को विद्वत्परिषद् का दूत बनाकर भेजा था। आज भी कश्मीर में अपराजित्य की टीका चलती है। अपराजित्य की इतिहास यह स्पष्ट करती है कि वे कश्मीर से वर्णित थे। यद्यपि है, राजा ने दूत को अपने माया के साथ ही कश्मीर भेजा था जहाँ के पण्डित आज भी अपराजित्य की आदर की दृष्टि से वेदते हैं। अपराजित्य ने अपनी टीका १२वीं शताब्दी में प्रथमार्ध में आरंभ की थी। अपराजित्य ने मातवन्त के ग्यामसार पर भी एक टीका लिखी थी।

८० प्रदीप

श्रीधर की पुस्तक स्मृत्यर्थसार ने प्रामाणिक ग्रन्थों में नामधेय के उपरान्त प्रदीप की गणना की है। स्मृतिचरित्रों ने प्रदीप नामक ग्रन्थ का, सम्भवत उत्पत्ति किया है। भरतवतीविलास में स्पष्ट शब्दों में प्रदीप के मत का उल्लेख किया है। रामकृष्ण (लगभग १६०० ई०) का जीवित्पुत्र निर्णय ने प्रदीप का उद्धरण इस विषय में किया है कि क्या विमलका माई अपने पिता का पूर्वपुरुषों के वर्णित आठ पुरुष-पुत्र रूप में बनें या साथ ही? कीरतिशेखर के अनुसार प्रदीप ने मयदेव की आलाचना की है।

प्रदीप व्यवहार, धाट, गुडि आदि पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। स्मृत्यर्थसार एवं स्मृतिचरित्रों द्वारा वर्णित होने पर यह ग्रन्थ ११५० ई० के बाद किसी भी दशा में नहीं आ सकता। इन मयदेव की आलोचना की है, अतः इसकी तिथि ११०० में पूर्व नहीं जा सकती।

८१. श्रीधर या स्मृत्यर्थसार

इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९१२ में आनन्दचन्द्र प्रेम ने किया। इस ग्रन्थ के विषय अथवा स्मृति-ग्रन्थों में बड़ा मिलने ज्ञान है, तथा—पूर्वपुरुषार्थसिद्धि एवं बन्धुव्यवर्धन कर्म, सम्भार-ग्रन्था, उपनयन का विधान कर्म, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, अनुग्रह, विवाह प्रसार, सन्निवृत्तों के कारण निषेध गोत्र प्रसार विवेचन, आश्रम, दौष, आश्रित कर्म, दण्डप्रदान, स्नात, वषट्क, आश्रित कर्म, आश्रित पूजा, धाट का विधान कर्म, धाट के लिए उचित काल, वसति तथा निवास-योग्य ब्राह्मण, धाट प्रसार, विविध तोषों पर विवेचन, धनसात, मृत्युसमय विविध कर्तव्यों एवं अन्तःशरीर का निर्माणकरण, जन्म मरण पर अनुष्ठित, मृत्यु-परान्त क्रिया-सम्भार, सामान्य नियम, विविध पापों एवं दण्डों के लिए प्रायश्चित्त।

श्रीधर विप्रवासित कोष के नागकर्मा कल्पसूत्र के पुत्र थे और स्वयं वैदिक यज्ञ का करनेवाले थे। श्रीधर ने अपने पूर्व के धर्मग्रन्थों का सारवाच्य के ग्रन्थों की रचना की है। उन्होंने रामधेनु प्रदीप अथवा, रामधेनु (शारदा), रामधेनु, रामधेनु इतिहास, रामधेनु तथा अन्य स्मृतिशास्त्रों के रचना की पर्याप्त रचना

पी है, बौधायन एवं गोविन्दराज के भी मयास्मान उल्लेख हुए हैं। अग्नि, सम्भवतः, हेमाद्रि, विवाहरत्नाकर तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित स्मृतिमहार्णव ही है। श्रीधर दक्षिणी ब्राह्मण-से लगते हैं। श्रीधर ने मिताक्षरा, कामधेनु, कल्पतरु एवं गोविन्दराज के नाम लिये हैं, अतः इनकी तिथि ११५० ई० के बाद ही होगी। स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि में उद्धरण आने के कारण ऐसा लगता है कि श्रीधर की कृति ११५०-१२०० ई० के मध्य में कमी रची गयी होगी।

८२. अनिरुद्ध

अनिरुद्ध बगान के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार हैं। उनके दो ग्रन्थ हारलता एवं पितृदयिता अथवा कर्मोपदेशिनी पत्रलि अति प्रसिद्ध हैं। हारलता में श्राद्ध-सम्बन्धी तथा अग्न्य बातो की भरपूर चर्चा है। पितृदयिता सामवेद के अनुयायियों के लिए त्रिवी रची है। ये दोनों ग्रन्थ आचार-सम्बन्धी बातों पर ही प्रकाश डालने हैं।

अनिरुद्ध गया के तट पर विहारप्रदेसक नामक स्थान के निवासी थे। वे कुमारिल मठ के सिद्धान्तों के समर्थक थे। हारलता एवं पितृदयिता के अंतिम पद्यों में पता चलता है कि वे बंगाल के एक घाम्पाहट्टीय ब्राह्मण एवं धर्माध्यक्ष थे। बल्लालसेन के दानमागर् से पता चलता है कि अनिरुद्ध बगाल के राजा के गुरु थे और उन्होंने उनकी कृति भी रचना दानमागर् में उन्हें सहायता भी दी। मठ रचना ११६९ ई० में हुई। इससे स्पष्ट है कि अनिरुद्ध सन् ११६८ ई० के आसपास अपनी प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर थे।

८३. बल्लालसेन

बगाल के इस राजा ने चार ग्रन्थों का सम्पादन किया है। वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में एक मदनपाटिजात में बल्लालसेन के आचारमागर् का वर्णन है। प्रतिष्ठासागर उनकी दूसरी कृति है। तीसरी कृति दानसागर है, जिसमें १६ बड़े-बड़े दानों एवं छोटे-छोटे दानों का वर्णन है। दानमागर् में महाभारत एवं पुराणों के विषय में प्रभूत चर्चा की गयी है। दानमागर् पूर्व दोनों कृतियों के बाद की रचना है। चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में एक निर्णयसिन्धु में दानमागर् का उल्लेख अभ्या है। बल्लालसेन की चौथी कृति है अद्भुतमागर्, जिसका उल्लेख दोहरानन्दसहिता-माय्य एवं निर्णयसिन्धु में हुआ है। यह कृति अनूरी रह गयी थी और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन ने उसे पूरा किया।

बल्लालसेन ने अपना दानमागर् सन् १०९० में आरम्भ कर सन् १०९१ में पूरा किया, अतः स्पष्ट है, रचना साहित्यिक काय १२वीं शताब्दी ई० के तीसरे चरण में रचा जा सकता है। रघुनन्दन के कथनानुसार दानमागर् अनिरुद्ध मठ द्वारा लिखा गया है। किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दानसागर में स्वयं बल्लालसेन ने ऐसा लिखा है कि यह ग्रन्थ उन्होंने अपने गुरु (अनिरुद्ध) की देखरेख में लिखा है। बल्लालसेन की उपाधियाँ हैं महागणपतिराज एवं निर्णयगणर।

८४. हरिहर

विवाहरत्नाकर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहर ने व्यवहार पर लिखा है। हरिहर ने पारदारगुणसूत्र पर एक भाष्य लिखा है और अपने को अनिरुद्धी कहा है। इस भाष्य की एक प्रति में ये विज्ञानेश्वर के शिष्य बड़े गये हैं। इन्होंने कर्कोशाभ्यास, बल्लभरक्षार, देवुदीशिन एवं विज्ञानेश्वरार्च्य के नाम लिये हैं।

अतः इनकी तिथि ११५० ई० के बाद ही आती है। हेमाद्रि, समयप्रदीप, श्रीदत्त के आधारात्पदां एव हरिताम के स्मृतिसार में इनके मत उद्धृत हैं, अतः ये १२५० ई० के पूर्व आते हैं। लघता है कि प्राङ्गविवाह हरिहर एव माण्यकार हरिहर दोनों एक ही थे, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत-से हरिहर हो गये हैं, यथा बगाल के निबन्धलेखक रघुनन्दन के पिता हरिहर भट्टाचार्य, ज्योतिष ग्रन्थ 'समयप्रदीप' के लेखक हरिहराचार्य आदि।

८५. देवण्य भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका

यह धर्मशास्त्र पर अति प्रसिद्ध निबन्ध है। यह आचार्य में बहुत बड़ा ग्रन्थ है। निबन्धों में बल्यतः को छोड़कर इसकी हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम प्राप्ता हुई थी। इसमें सस्वार, आहिन्व, व्यवहार, श्राद्ध एव अशोक पर बाण्ड है। ही सन्नता है कि देवण्य भट्ट ने प्रायश्चित्त पर भी लिखा हो। इनका नाम कई प्रकार से लिखा पाया जाता है, यथा—देवण्य, देवण, देवनन्द या देवगण। ये वैशवादिभ्यः भट्ट ने पुत्र एव सोमपात्री भी कहे गये हैं।

स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत-से स्मृतिकारों का उल्लेख किया है और हमें लुप्तप्राय स्मृतियों ने पुनर्गठन एव उद्धार में इससे बहुत मूल्यवान् सहायता मिली है। इसने शात्यायन एव बृहस्पति से व्यवहार-सम्बन्धी लगभग ६०० श्लोक उद्धृत किये हैं। इसने लिम्नलिखित ग्रन्थों, माण्यकारों एव निबन्धकारों के नाम गिनाये हैं—अपरार्थ, त्रिवाण्डी, देवराट, देवस्वामी, आपस्तम्बालम्बाप्यार्षकार, पारेस्वर, धर्ममाण्य, पूर्णस्वामी, प्रदीप, मन्वाय, आपस्तम्बधर्मगुरुमाण्य, धर्मदीप या प्रदीप, माण्यार्यमग्रहकार, मनुस्मृति, मेधातिथि, मिताक्षरा, वैजयन्ती (शम्भुकोट), विद्वरूप, विद्वदानन्द, धाम्नु, श्रीगर, शिवस्वामी, स्मृतिभास्वर, स्मृत्यन्तारा। स्मृतिचन्द्रिका में उपर्युक्त ग्रन्थों तथा लेखकों का स्पष्टन, समर्थन या आलोचना हुई है। देवण्य भट्ट दक्षिणी केरल थे और दक्षिण में उनकी स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार-सम्बन्धी एव ग्याय-सम्बन्धी बातों में प्रामाणिक मानी जाती रही है। स्मृतिचन्द्रिका में जो विषय आये हैं, वे पुरातन-काल से पहले आये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषय हैं।

स्मृतिचन्द्रिका ने विशानेन्दव का नाम बड़े आदर से लिया है किन्तु कई स्थलों पर इसने मिताक्षरा से विरोध प्रकट किया है। स्मृतिचन्द्रिका में मिताक्षरा, अपरार्थ एव स्मृत्यर्षंगार का उल्लेख हुआ है, अतः यह ११५० ई० के ऊपर नहीं जा सकता। हेमाद्रि ने स्मृतिचन्द्रिका के मतों का उल्लेख किया है, अतः यह १२२५ ई० के कम-से-कम एव शताब्दी पूर्व रची गयी होगी। सरस्वतीविलास, शीरमिनोदय तथा अन्य निबन्धों ने इसका उल्लेख किया है। कुछ अन्य लोगों ने भी 'स्मृतिचन्द्रिकाएँ' लिखी हैं, यथा—गुरुदेव मिथ की स्मृतिचन्द्रिका, आपदेव एव कामदेव भट्टाचार्य की स्मृतिचन्द्रिकाएँ।

८६. हरदत्त

टीकाकार के रूप में हरदत्त की बड़ी श्रुति रची है। इन्होंने कई व्याख्याएँ लिखी हैं, यथा—आपस्तम्बगृह्य-गूत्र पर अनागुण नामक, आपस्तम्बीय मात्रपाठ पर माण्य, आश्वलायनगृह्यगूत्र पर अनागुण नामक, गौतमधर्मगूत्र पर मिताक्षरा नामक, आपस्तम्बधर्मगूत्र पर उग्रवण्य नामक। इनकी ये व्याख्याएँ आदर में माण्य मानी जाती हैं। हरदत्त ने धर्मगूत्रों के माण्य में कतिपय स्मृतियों में उद्धरण किये हैं, किन्तु निबन्धकारों की चर्चा नहीं की है।

कई प्रमाणों में सिद्ध किया जा सकता है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने दक्षिणी प्रयोगों कीटिपा, ग्यानों आदि के नाम दिये हैं। शीरमिनोदय ने हरदत्त एव स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवण्य भट्ट) को दक्षिणी निबन्धकार माना है। हरदत्त सिद्ध के उपासक थे।

हरदत्त का काल निर्णय कठिन है। बीरमित्रोदय ने हरदत्त की गौतम वाली टीका मिताक्षरा से बहुधा उद्धरण लिये हैं। नारायण भट्ट (जन्म, १५१३ ई०) ने अपनी प्रयोगरत्न नामक पुस्तक में हरदत्त की मिताक्षरा एवं उज्ज्वला के नाम लिये हैं। हरदत्त १३०० ई० के बाद नहीं माने जा सकते। विमानेश्वर के उपरान्त हरदत्त को छोड़कर किसी भी लेखक ने विषया को इनके जैसा स्थान नहीं दिया, अतः हरदत्त ११०० ई० के बहुत बाद नहीं जा सकते। उन्हें हम ११००-१३०० ई० के बीच में कहीं रख सकते हैं। बहुत-से अन्य ग्रन्थ हरदत्त द्वारा लिखे हुए कहे जाते हैं, किन्तु अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है।

८७ हेमाद्रि

दक्षिणी धर्मशास्त्रकारों में हेमाद्रि एवं मायव के नाम अति प्रसिद्ध हैं। हेमाद्रि ने विशाल ग्रन्थ का प्रणयन किया है। उनकी चतुर्वर्गचिन्तामणि प्राचीन धार्मिक कृत्यों का विश्व-कोश ही है। व्रत, दान, धाढ, काल आदि हेमाद्रि के महाग्रन्थ के प्रकरण हैं। हेमाद्रि ने जिस विषय को उठाया है, उसे पूर्ण करने एवं अत्युत्तम बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने स्मृतियों, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण लिये हैं। वे पूर्वमीमांसा के गम्भीर ज्ञाता थे, और इसी से बिना पूर्वमीमांसा के कतिपय न्यायों को जाने, उनके धाढ-काल-विषयक विवेचनों को समझना कठिन है। हेमाद्रि ने अपराके (बहुत अधिक), आपस्तम्बधर्मसूत्र, कर्कोपाध्याय (अधिकतर), गोविन्दराज, गोविन्दोपाध्याय, त्रिकाण्डमण्डन, देवत्वामी (अधिकतर), निर्णयामृत न्यायमञ्जरी, पण्डितपरिशील्य, पृथ्वीचन्द्रोदय, बृहत्कथा, बृहद्वातिक, भवदेव, भदननिष्पु, मधुसर्मा, मेघातिथि, वामदेव, विधिरत्न, विश्वप्रकाश, विश्वरूप, विश्वदर्शन, शशधर (बहुत अधिक), शम्भु, बृहद्शाततप्तभाष्यकार, त्रिवदत्त, श्रीधर, सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिका (बहुत अधिक), स्मृतिप्रदीप, स्मृतिमहार्णवप्रकाश (बहुत अधिक), स्मृत्यर्षसारा, हरिहर (बहुत अधिक) को उद्धृत किया है। किन्तु आश्चर्य है कि उन्होंने विमानेश्वर की मिताक्षरा का नाम ही नहीं लिया।

हेमाद्रि ने अपना परिचय दिया है। वे बत्सगोत्र के वामदेव के पुत्र कामदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपना गुणमान किया है और अपने को देवगिरि के यादवराज महादेव का मंत्री एवं राजकीय लेखप्रमाणों का अधिकारी लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि वे सम्भवतः १२६०-१२७० ई० के लगभग हुए थे। हेमाद्रि महादेव के उत्तराधिकारी रामचन्द्र के भी मन्त्री थे, ऐसा एक अमिलेख से पता चलता है।

हेमाद्रि ने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं, यथा—शौनकप्रणवकल्प का भाष्य, कात्यायन के नियमानुकूल धाढ-कल्प, शुद्धबोध व्याकरण के प्रणेता बोपदेव के मुस्ताफल नामक ग्रन्थ पर कंबल्पदीपक नामक भाष्य। बोपदेव हेमाद्रि की छत्रच्छाया में ही प्रतिफलित हुए थे। ब्राह्मण्ड के अष्टाणहृदय पर भी हेमाद्रि ने आपुर्वेदशासन नामक टीका लिखी। निःसन्देह हेमाद्रि एक बिलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। हेमाद्रि एक विचित्र शैली वाले मन्दिरों के निर्माता के रूप में सारे महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मोडि लिपि का भी आविष्कार किया था। सम्पूर्ण दक्षिण में उनकी कृतियाँ सम्मानित थीं, विशेषतः उनकी चतुर्वर्गचिन्तामणि के दाद एवं व्रत नामक प्रकरण। भाष्य में अपने कालनिर्णय में हेमाद्रि के व्रतखण्ड की वर्षा की है। इसी प्रकार बहुत-से लेखकों एवं राजाओं ने उनके व्रत, दान, धाढ एवं काल के खम्बों का उल्लेख किया है।

८८. कुल्लूक भट्ट

मनु पर जितने भाष्य हुए हैं, उनमें कुल्लूक की मन्वधर्मशास्त्रावली नामक टीका सर्वश्रेष्ठ है। इनके

कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। कुल्लूक का भाष्य सविष्ट, स्पष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण है। इन्होंने सर्वत्र विस्तार से बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इनमें मौलिकता की कमी पायी जाती है। इन्होंने मेघातिथि, गोविन्दराज के भाष्यो से बिना इनप्रता-प्रकाशन के उद्धरण से लिखे हैं। कहीं-कहीं इन भाष्यकारों की इन्होंने बहुत आलोचनाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने भाष्य की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। कुल्लूक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम लिखे हैं—गोविन्दराज, धरणीधर, भास्वर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार), भोजदेव, मेघातिथि, वामन (काशिका के लेखक), मट्टवार्तिक-वत्, विदवरूप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक लिख दिया है। ये बंगाल के बाराक कुल के मन्वन्निवासी मट्टविचारक के पुत्र थे। इन्होंने पण्डितों की सगति में वादी में अपना भाष्य लिखा।

कुल्लूक ने स्मृतिसागर नामक एक निबन्ध लिखा, जिसके केवल अशौचसागर एवं विवाहसागर नामक प्रकरणों के अंश अभी तक प्राप्त हो सके हैं। धाञ्जसागर में पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुल्लूक ने लिखा है कि उन्होंने अपने पिता से आदेश से विवाहसागर, अशौचसागर एवं धाञ्जसागर लिखे। इनमें महाभारत के प्रमुख उद्धरण हैं। महापुराणों, उपपुराणों, धर्मसूत्रों एवं अन्य स्मृतियों की चर्चा यथास्थान होती चली गयी है। भोजदेव, हलामुष, जिकन, कामधेनु, मेघातिथि, शकधर आदि के नाम भी आये हैं।

कुल्लूक की तिथि का प्रश्न बठिन है। बृहस्पति एवं चण्डिका ने उन्हे १५वीं शताब्दी में रखा है। कुल्लूक ने भोजदेव, गोविन्दराज, कलतव एवं हलामुष की चर्चा की है, अतः वे ११५० ई० के बाद ही हुए होंगे। रघुनन्दन ने अपने दायतव्य एवं स्वयंहरतव्य में तथा वर्धमान ने अपने दण्डविवेक में उनके मतों की चर्चा की है। अतः कुल्लूक १३०० ई० के पूर्व हुए होंगे। वे सम्भवतः ११५०-१३०० ई० के बीच कभी हुए होंगे।

८९. श्रीदत्त उपाध्याय

धर्मशास्त्र-साहित्य में मिथिला ने बड़े-बड़े मूल्यवान् एवं सारयुक्त ग्रन्थ जोड़े हैं। याज्ञवल्क्य से लेकर आशुविज्ज बाल तक मिथिला ने महत्त्वपूर्ण लेखक दिये हैं। मध्ययुगीन मीथिल निबन्धकारों में श्रीदत्त उपाध्याय अति प्राचीन हैं। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं।

श्रीदत्त के आचारदास में आशुविज्ज धार्मिक इत्यादि का वर्णन है। यह ग्रन्थ यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा वालों के लिए है। इसमें पावनन, धनपावन, प्रातस्नान, मन्थ्या, जप, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, जित्य देव-सूजा, ईश्वर-देव, अतिथि-भोजन आदि पर विवेचन हुआ है। बहूत-से ग्रन्थों एवं लेखकों की चर्चा हुई है। इन ग्रन्थ पर दामोदर मीथिल द्वारा लिखित आचारदास-बोधिनी नामक टीका भी है। सामवेदियों के लिए उन्होंने छन्दोगाशुविज्ज नामक आचार-सुलोक लिखी है। इस पुस्तक का उल्लेख उनकी समयवर्षीय एवं त्रिगुर्वाचन नामक पुस्तकों में हुआ है। यजुर्वेद के अनुयायियों के लिए त्रिगुर्वाचन नामक धाञ्ज-सम्बन्धी पुस्तक है। त्रिगुर्वाचन कर्क की टीका सहित वातीय-बन्ध, बोधाल एवं मूपाल (भोजदेव) के ग्रन्थों पर आधारित है। रघुवर के धाञ्जविवेक में इन ग्रन्थ की चर्चा हुई है। सामवेदी विद्यायियों के लिए उन्होंने धाञ्ज-ग्रन्थ नामक ग्रन्थ लिखा। उनके समयवर्षीय नामक ग्रन्थ में ऋतों के समय का विवेचन है।

श्रीदत्त ने कण्ठ्यर, हरिहर एवं हलामुष की इतियों के नाम लिखे हैं, अतः वे १३०० ई० के बाद ही हुए होंगे। चण्डिका ने उनका उल्लेख किया है। अतः वे १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व ही हुए होंगे।

९०. चण्डेदेवर

मिथिला के धर्मशास्त्रीय निबन्धकारों में चण्डेदेवर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्मृतिसागर का केवल रत्नाकर

एक विस्मृत निबन्ध है। इसमें कृत्य, दान, व्यवहार, गुदि, पूजा, विवाद एवं गृहस्थ नामक सात अध्याय हैं। तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए षण्डेश्वर का विवादरत्नाकर एक वाचस्पति की विवादविन्तामणि प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहे हैं। इत्यरत्नाकर में २२ तरंग, गृहस्थरत्नाकर में ६८ तरंग, दानरत्नाकर में २९ तरंग, विवादरत्नाकर में १०० तरंग, गुदिरत्नाकर में ३४ तरंग हैं।

स्मार्त विषयों के अतिरिक्त षण्डेश्वर ने कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा—कृत्यविन्तामणि, जिसमें ज्योतिष-सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरत्नाकर, जिसमें १६ तरंग हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं शानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावलि।

षण्डेश्वर ने बहुत-से लेखकों एवं कृतियों के नाम दिये हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों से अधिक सहायता ली है, जिनके नाम हैं—कामधेनु, कल्पतरु, पारिजात, प्रकाश एवं हलायुध। अन्य ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के भी नाम आये हैं, यथा—नामन्दक, कुल्लुकभट्ट, पल्लव, पल्लवकार, धीरर आदि।

षण्डेश्वर राजमन्त्री थे। उन्होंने नेपाल की विजय की, और अपने को साने से शौक कर दान किया था। इनका पाल चौदहवीं शताब्दी का प्रथम षरण है। षण्डेश्वर ने मैथिल एवं बगाड़ी लेखकों पर बहुत प्रभाव डाला है। मिस्र मिश्र, यथमान, वाचस्पति मिश्र एवं रघुनन्दन ने इन्हें बहुत उद्धृत किया है। वीरगिर्वाण्डय ने रत्नाकर को पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है।

९१. हरिनाथ

हरिनाथ धर्मशास्त्र-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिसार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस निबन्ध का कोई अंग अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में कर्मशरीर, कल्पतरु, कामधेनु, कुमार, गणेश्वर मिश्र, विशानेश्वर, विलम्ब, स्मृतिमजूपा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्त्र-ग्रन्थ-कर्ता अर्थात् प्रामाणिक कृतियों एवं लेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आचार, मन्त्रार एवं व्यवहार आदि सभी विषयों पर लेखनी चन्दायी है।

स्मृतिसार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, केवल उसके अन्त में वे महामहोपाध्याय बहुरूपे हैं। उन्होंने गौड़ों के किया-संस्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि लगता है वे मैथिल हैं। स्मृतिसार के विवाद (व्यवहार-बद) खण्ड की एक प्रति में संवत् १६१४ (मन् १५५८ ई०) आया है, और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में लिपिक ने लक्ष्मण-सन्वत् ३६३ (१४६९-१४७० ई०) दिया है। शूल-पाणि ने अपने दुर्गासर्वाविवेक एवं मिस्र मिश्र ने अपने विवादखण्ड में हरिनाथलिखित स्मृतिसार के मन दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिसार १४वीं शताब्दी के अन्तिम षरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। षण्डेश्वर एवं हरि-नाथ ने एक दूसरे की नहीं भी चर्चा नहीं की है, अतः लगता है, दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने कल्पतरु एवं हरिहर का उल्लेख किया है। अतः वे १२५० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा उद्धृत गणेश्वर मिश्र षण्डेश्वर के आचार हैं, तो वे १३०० ई० के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र रघुनन्दन, कमलाकर, शौकण्ड तथा अन्य लेखकों ने उद्धृत किया है।

९२. माधवाचार्य

धर्मशास्त्र पर लिखने वाले दक्षिणात्य लेखकों में माधवाचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यानि ने शारदाचार्य के

उपरान्त उन्हीं का स्थान है। उन्होंने अपने भाई सायण तथा अन्य लोगों को संस्कृत-साहित्य में बृहद ग्रन्थों के प्रणयन के लिए उद्देशित किया। वे क्या नहीं थे? प्रवाण्ड विद्वान्, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, विजयनगर राज्य के आरम्भन दिनों के स्तम्भ, यूद्धावस्था में एन पहुँचे हुए सन्यासी और दिन-रात उत्तम कार्य में सलग्न माघवाचार्य जी हमारे लिए एक विरूपाक्ष उदाहरण हैं। उनकी अन्यतम कृतियों में हम यहाँ दो के नाम लेंगे, पराशरमाघवीय एव बालनिर्णय।

पराशरमाघवीय का प्रकाशन कई बार हो चुका है। यह केवल पराशरस्मृति पर एक भाष्य ही नहीं है, बल्कि आचार-सम्बन्धी निबन्ध भी है। दशिणावर्तीय भारत के व्यवहारों में पराशरमाघवीय ५१ प्रभूत महत्व है। इसकी शैली सरल एव मीठी है। इसमें पुराणों एव स्मृतिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित लेखकों एव कृतियों के नाम आये हैं—अपराक, देवस्वामी, पुराणसार, प्रपञ्चसार, मेघातिथि, विवरणसार (वेदान्तसूत्र पर), विवरूपाचार्य, राम्भु, शिवस्वामी, स्मृतिचन्द्रिका।

पराशरमाघवीय के उपरान्त माघवाचार्य ने बालनिर्णय लिखा। इसमें पाँच प्रकरण हैं—(१) उपोषात, (२) वत्सर, (३) प्रतिपत्प्रकरण, (४) द्वितीयादि-तिथि-प्रकरण एव (५) प्रबोधन। प्रथम प्रकरण में बाल और उसने स्वस्व के विषय में विवेचन है। दूसरे प्रकरण में वर्ष एव इसने चान्द्र, सावन या सौर, दो अयनों, ऋतुओं एव उनकी सख्या, चान्द्र एव सौर मासों, मलमासों (अधिमासों), दोनो पक्षों आदि भागों का विवेचन है। तीसरे प्रकरण में तिथि-शब्द के अर्थ, तिथि-अवधि, एक पक्ष की १५ तिथियाँ, शुद्ध एव विद्धा नामक तिथियों के दो प्रकार, तिथियों पर क्रिया करने के नियमादि, रात और दिन के १५ मुहूर्तों आदि की खर्षा है। चौथे प्रकरण में प्रतिपदा से अन्य तिथियों (दूसरी से १५वीं) तक के नियम-प्रयोग हैं (अर्थात् गौन-सा वत बन्ध किया जाय, यथा गौरीव्रत तीसरी तिथि, जन्माष्टमी आठवी तिथि पर)। पाँचवें प्रकरण में विभिन्न प्रकार के कार्यों के नक्षत्र निर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादन, यथा—योगों, करणों तथा सन्नान्ति, प्रहणों आदि के विषय में नियमादि बताये गये हैं।

बालनिर्णय में बहुत-से ऋषियों, पुराणों एव ज्योतिष-शास्त्रज्ञों के नामों के अतिरिक्त बालादर्य, मोक्ष, मुहूर्तविधानसार, पटेश्वरसिद्धान्त, वासिष्ठ रामायण, सिद्धान्तसिरोमणि एव हेमाद्रि नामक ग्रन्थों एव ग्रन्थकारों के नाम लिये हैं।

माघवाचार्य के जीवन-वृत्त के विषय में हमें उनकी कृतियों से बहुत कुछ सामग्री प्राप्त होती है। वे यजुर्वेद के बौधायन धरण वाले भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। उनके माता एव पिता ब्रम से धीमती एव मायण थे। उनके दो प्रतिभाशाली भाई भी थे, जिनमें सायण तो अपने वेद भाष्य के लिए अमर हो गये हैं। माघवाचार्य राजा बृन्न (बृन्नरथ) के कुलमुकु एव मन्त्री थे। वे यूद्धावस्था में विचाररूप नाम से सन्यासी हो गये थे। अग्निश्रेयो से पता चलता है कि वे १३७३ ई० में सन्यासी हुए थे। विवदन्तियों से पता चलता है कि इनकी मृत्यु ९० वर्ष की अवस्था में १३८६ ई० में हुई। अतः माघवाचार्य के साहित्यिक कार्यों को १३३०-१३८५ ई० के मध्य में रण लगते हैं।

१३. मदनपाल एवं विश्वेश्वर भट्ट

मदनपाल के आशय में विश्वेश्वर भट्ट ने मदनसारिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। मदनपाल राजा कोश की भाँति एव विद्याभ्यसनी राजा थे। उनके राज्यबाल में मदनसारिजात, स्मृतिमहार्णव (मदनमहार्णव), विवि-निर्णयसार एव स्मृतिशेखरी नामक चार ग्रन्थ लिखे गये। मदनसारिजात के लेखक मदनपाल नहीं थे, यह हम

ग्रन्थ के कई स्थलों से प्रकट हो जाता है। इसके लेखक विदेवेश्वर भट्ट थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें ९ स्तवक (दहनिर्वा या अष्ट्याय) हैं, यथा ब्रह्मचर्यं, गृहस्थधर्मं, आह्निकं कृत्यं, गर्भधान से लेकर आगे के सत्कार, जन्म-मरण पर अनुद्धि, द्रव्य-शुद्धि, श्राद्ध, दायभाग एवं प्रायश्चित्त। दायभाग के अष्ट्याय में यह ग्रन्थ मिताक्षरा में बहुत मिलता-जुलता है। इसकी शैली सरल एवं मधुर है। इसमें हेमाद्रि, कल्पवृक्ष (कल्पतरु), अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, मिताक्षरा, आचारसागर, गणेश, गोविन्दगज, विस्तारमणि, धर्मविवृति, नारायण, मण्डन मिथ, मेवातिय, रत्नावलि, शिवस्वामी, सुरेश्वर, स्मृतिमञ्जरी एवं स्मृतिमहाणव के नाम आये हैं। विद्वानों का मन है कि मदनपाल के आश्रय में तिथिनिर्णयसार, स्मृतिबौमुदी, स्मृतिमहाणव नामक ग्रन्थों का प्रणयन विदेवेश्वर भट्ट ने ही किया। विदेवेश्वर भट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी 'सुबोधिनो' नामक एक अन्य ग्रन्थ लिखा। यह सुबोधिनो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की टीका मान है।

विदेवेश्वर भट्ट द्रविड देश के निवासी थे। सुबोधिनो के लेखन के उपरान्त सम्भवतः वे उत्तर भारत में चले आये। आधुनिक हिन्दू कानून की बनारसी शाखा के विदेवेश्वर भट्ट एक नामी प्रामाणिक लेखक माने जाते हैं। दिल्ली के उत्तर यमुना के सशिकट काष्ठा (कठ) के टाक राजवंश में मदनपाल हुए थे। मदनपाल ने सम्भवतः स्वयं भी कुछ लिखा। उनका एक ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तविवेक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें वे संहारण (साधारण) के पुत्र बड़े गये हैं। मदनपाल राजा भोज की भाँति एक महान् साहित्यिक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उन्होंने मदनविनोद निघण्टु नामक एक ओपधि-ग्रन्थ भी लिखा है। यह एक विशाल ग्रन्थ है। इसी प्रकार मदनपाल आनन्दसजीवन (नृत्य, संगीत, राग-रागिनी आदि पर) नामक ग्रन्थ के भी प्रणेता बड़े जाते हैं। मदनपाल के कुछ ग्रन्थों की प्रतिलिपि सन् १४०२-३ ई० में की गयी थी। मदनपारिजात में हेमाद्रि की चर्चा हुई है, अतः वे १३०० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। मदनपारिजात का उल्लेख रघुनन्दन की पुस्तकों में हुआ है अतः मदनपाल १५०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। स्पष्ट है, मदनपाल और विदेवेश्वर भट्ट १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनी हुए होंगे। अतः सम्भवतः हम उन्हें १३६०-१३९० के आसपास एवं मकते हैं।

९४. मदनरत्न

मदनरत्न (मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहद् निबन्ध है। इसमें सात उद्योग (प्रकरण या भाग) हैं, यथा—समय (बाल), आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, शुद्धि एवं शान्ति। मदनरत्न की हस्तलिखित प्रतियों से विदित होता है कि यह शक्तिसिंह के पुत्र मदनसिंह के आश्रय में प्रणीत हुआ था। समयोद्योग में दिल्ली देश के महोपालदेव का नाम आता है और उन्हीं के कुल में उनसे छठी पीढ़ी में मदनसिंह हुए थे। मदनरत्न में ऐसा आया है कि मदनसिंह ने रत्नावर, गोपीनाथ, विदेवनाथ एवं गणाधर को बुलाकर इस निबन्ध के प्रणयन का भार उन पर सौंप दिया। एक प्रति के शान्त्युद्योग में इसने लेखक का नाम विदेवनाथ बहा गया है। यही बात प्रायश्चित्तोद्योग में भी पायी जाती है।

मदनरत्न में मिताक्षरा, कल्पतरु एवं हेमाद्रि के नाम उल्लिखित हैं, अतएव यह १३०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। १६वीं एवं १७वीं शताब्दी के नारायण भट्ट, कमलाकर भट्ट, नीलकण्ठ एवं मित्रमिथ ने इसका उल्लेख किया है। अतः मदनरत्न की रचना सन् १३५०-१५०० ई० के बीच बनी हुई होगी।

९५. शूलपाणि

बंगाल के धर्मशास्त्रकारों में जीमूतबाहन के उपरान्त शूलपाणि का ही नाम दिया जाता है। शूलपाणि

की सर्वप्रथम कृति सम्भवतः दीपकलिका थी, जो याज्ञवल्क्य की एक टीका मान है। यह एक छोटी पुस्तिका है इसमें दायभाग का अन्त केवल ५ पृष्ठों में मुद्रित हो जाता है। इस पुस्तिका में कल्पतरु, गोविन्दराज, मिताक्षरा, मेघातिथि एवं विद्वत्स्य के मत उल्लिखित मिलते हैं। शूलपाणि ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु ये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न विषयों से ही सम्बन्धित हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सब भागों को मिलाकर स्मृतिविवेक नाम रखा है। विभिन्न ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं—एषादशी-विवेक, तिथि विवेक, दत्तक-विवेक, दुर्गास्तवप्रयोग-विवेक, दुर्गास्तव-विवेक, दोलयात्राविवेक, प्रतिष्ठाविवेक, प्रायश्चित्तविवेक, रासयात्राविवेक, प्रत-नालविवेक, शुद्धि-विवेक, श्राद्ध-विवेक, सन्नान्तविवेक, सम्बन्ध-विवेक। शूलपाणि की श्राद्ध-विवेक नामक पुस्तिका अति ही विख्यात है। दुर्गास्तवविवेक सम्भवतः सबसे अन्त में प्रणीत हुआ है, क्योंकि इसमें ५ अन्य विवेकों के भी नाम आ जाते हैं। दुर्गास्तवविवेक में भाद्रपद एव श्रवण मास वाली दुर्गा की पूजा का वर्णन है। दुर्गा की पूजा वसन्त ऋतु में भी होती थी, इसी से दुर्गा को बन्नी-बन्नी वासन्ती भी कहा जाता है। श्राद्धविवेक पर अनेक भाष्य हैं, जिनमें धीनाथ, आचार्य बृहदामणि एवं गोविन्दानन्द के भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। अन्य विवेकों के भी भाष्य हैं। इन सभी विवेकों में प्राचीन भाषाओं एवं धर्मशास्त्रकारों के नाम आ जाते हैं।

शूलपाणि ने व्यक्तिगत इतिहास के विषय में कुछ नहीं विदित है। अपने ग्रन्थों में वे साहूडियाल महा-महोपाध्याय कहे गये हैं। बलसालसेन के काल से बगाल में साहूडियाल ब्राह्मण निम्न श्रेणी के कहे जाते रहे हैं। ये लोग रावीय ब्राह्मण थे। शूलपाणि ने काल के विषय में निश्चित रूप में कुछ कहना नहीं है। इन्होंने चण्डेश्वर के रत्नाकर एव कालमासपीथ का उल्लेख किया है, अतः ये १३७५ ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। इनके नाम का उद्घोष रघुवर, गोविन्दानन्द एव वाचस्पति ने किया है, अतः ये १४५० के पूर्व ही हुए होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि शूलपाणि १३७५-१४५० के बीच में बनीये।

९६. रघुवर

रघुवर मैथिल धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं। इनका शुद्धिविवेक कई बार प्रकाशित हो चुका है। इसमें तीन परिच्छेद हैं, जिनमें सात अन्य निबन्धों के उद्धरण भी उल्लिखित हैं। इसमें रत्नाकर, पारिजात, मिताक्षरा एवं हारणता के उल्लेख हैं। इनके अतिरिक्त भाषाशास्त्री, शुद्धिप्रदीप, शुद्धि-विम्ब, धीरसोपाध्याय, स्मृतिसार एव हरिहर के नाम आये हैं। रघुवर का श्राद्धविवेक चार परिच्छेदों में विभक्त है। अर्घ्यदान मास्य एव अग्न्य ग्रन्थ भी इहाँ का है। वाचस्पति ने उनका वर्णन भी है। गोविन्दानन्द, रघुनन्दन एवं ब्रह्मलोक के अपने ग्रन्थों में उनका यथास्थान उल्लेख किया है। रघुवर ने रत्नाकर, स्मृतिसार, शूलपाणि का उल्लेख किया है, अतः ये १४२५ ई० के पश्चात् ही हुए होंगे। वाचस्पति आदि के ग्रन्थों में उनका उल्लेख हुआ है। ये १४२५-१४९० के मध्य में बनीये विराजमान थे।

९७. मिसर मिथ

बिशादचन्द्र एव श्याम-वैदिक मन-सम्बन्धी पदार्थविज्ञान के लेखक के रूप में मिसर मिथ का नाम अति प्रसिद्ध है। बिशादचन्द्र में ऋग्वेदान्त, ग्यात, अस्त्रामिदिव्य, सम्प्रदायसूत्र (शास्त्र), दायविभाग, स्त्री-धन, अग्निवीथ, उत्तर, प्रस्ता, लाशिका आदि पर व्यवहार-व्यव है। चण्डेश्वर के रत्नाकर के मत बहुधा उल्लिखित हुए हैं। बिशादचन्द्र में अन्य स्मृतिकारों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त पारिजात, प्रबाल, ब्रह्मरत्न (बहुधा), चण्डेश्वर, स्मृतिसार के नाम भी आये हैं। मिसर मिथ के मिथिला के रामेश्वर बंस के भैरवगणेश के शिष्य मारि

कुमार चन्द्रसिंह की स्त्री राजकुमारी लछिमादेवी की आज्ञा से पुस्तकें लिखीं। हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि चण्डेवर ने सन् १३१४ ई० में भवेश के आश्रय में राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। लछिमादेवी इसी भवेश के प्रपौत्र की पत्नी थी। चन्द्रसिंह लछिमादेवी के पति के रूप में १५वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुए होंगे। अतः मिसरू मिथ का विवादचन्द्र १५वीं शताब्दी के मध्य में लिखा गया होगा। विवादचन्द्र मिथिला में व्यवहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

९८ वाचस्पति मिथ

मिथिला के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार थे वाचस्पति मिथ। व्यवहारो (कानूनों) के सार में इनकी विवाद-विन्तामणि बहुत ही प्रसिद्ध रही है। वाचस्पति मिथ एक प्रतिभाशाली लेखक थे, इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं। 'विन्तामणि' की उपाधि वाले इनके ११ ग्रन्थों का पता चल सका है। आचारविन्तामणि में वाजसनेयियों के आह्निक कृत्यों का उल्लेख है। दृष्टिविन्तामणि में आह्निकविन्तामणि की चर्चा हुई है। कृत्यविन्तामणि में वर्ष भर के उत्सवों का वर्णन है। तीर्थविन्तामणि में प्रयाग, पुष्योत्तम (पुरी), गया, गया एवं वाराणसी के तीर्थों का वर्णन है। वाचस्पति ने कल्पतरु, गणेश्वर मिथ, जयसर्मा, मिताधरा, स्मृतिसमुच्चय एवं हेमाद्रि का यथास्थान उल्लेख किया है। द्वैतविन्तामणि का नाम कृत्यविन्तामणि में आ जाता है। विवादविन्तामणि में भीतिविन्तामणि की चर्चा होती गयी है। व्यवहारविन्तामणि में कानूनी रीतियों का विवाद वर्णन है। इस ग्रन्थ के भाषा, उत्तर, क्रिया, निर्णय नामक चार प्रमुख विषय हैं। दृष्टिविन्तामणि तथा दृष्टाचारविन्तामणि का भी प्रकाशन हो चुका है। इनमें प्रसिद्ध लेखकों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का यथास्थान उल्लेख हुआ है। स्पष्ट है, वाचस्पति बड़े प्रकाण्ड विद्वान् थे। वाचस्पति मिथ ने विन्तामणियों के अतिरिक्त बहुत से "निर्णयों" का प्रणयन किया है, यथा—तिथिनिर्णय, द्वैतनिर्णय, महादाननिर्णय, दृष्टिनिर्णय आदि। इतना ही नहीं, उन्होंने सात मठाशंको, यथा—कृत्य, आचार, विवाद, व्यवहार, दान, दृष्टि एवं पितृपूज का प्रणयन किया है। वाचस्पति धर्मशास्त्रकार के अतिरिक्त दार्शनिक भी थे। इन्होंने दर्शन-सम्बन्धी मामती आदि प्रौढ ग्रन्थ भी लिखे थे।

अपने ग्रन्थों में वाचस्पति ने अपने को महामहोपाध्याय, मिथ या सन्मिथ लिखा है। वे महाराजाधिराज हरिनारायण के पारिव्यद (सलाहकार) थे। वाचस्पति ने रत्नाकर एवं रत्नभर का उल्लेख किया है, अतः वे १४२५ ई० के उपरान्त हुए होंगे। गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन ने वाचस्पति की चर्चा की है, अतः वे १५४० ई० के पूर्व हुए होंगे। अतः हम उन्हें १५वीं शताब्दी के मध्य में वही रख सकते हैं।

९९ नृसिंहप्रसाद

नृसिंहप्रसाद तो धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एवं विद्वद-कोश ही है। यह १२ सारों (विभागों) में विभाजित है, यथा सत्कार, आह्निक, धाद, बाल, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कर्मविचार, व्रत, दान, शान्ति, तीर्थ एवं प्रतिष्ठा। प्रत्येक विभाग के अन्त में नृसिंह (विष्णु ने एक अवतार) की अन्वर्थना की गयी है, सम्भवतः इसी से इसका नाम नृसिंहप्रसाद रखा गया है।

सत्कारसार में देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद) के राम राजा, दिल्ली के राजा धामविष्णु तथा उसके पदचात् निजामशाह के नाम यथाक्रम से आये हैं। लेखक ने अपने को मातृवत्त्वयाला (गुलक यजुर्वेद) के मार-द्राज गोत्र वाले बल्लभ का पुत्र, दलपति (दलाधीश) एवं नेत्रजन (राजकीय लेख-रसक?) कहा है। क्या दलपति अथवा दलाधीश उसका नाम था? कुछ कह नहीं जा सकता।

मृसिहप्रसाद में बहुत-से लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम आये हैं। इसमें माधवीय एवं मदनपारिजात के अधिक उद्धरण मिलते हैं, अतः यह महाग्रन्थ १४०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। शबर भट्ट के दैन-निर्णय एवं नीलकण्ठ के मयूतों में यह ग्रन्थ प्रामाणिक माना गया है अतः यह १५७५ ई० के पूर्व ही रचा गया होगा। विद्वानों के मत से यह १५१२ ई० के बाद की रचना नहीं हो सकती। अहमद निजामशाह (१४९०-१५०८ ई०) या उसने पुत्र बहानि निजामशाह (१५०८-१५३३ ई०) के समय में, और सम्भवतः प्रथम निजामशाह के शासनकाल में ही दल्पति (?) ने मृसिहप्रसाद की रचना की।

१००. प्रतापहृदय

उड़ीसा में बटार नगरी (बटार) के गजपति कुल के राजा प्रतापहृदय न सरस्वतीविलास नामक ग्रन्थ का सम्पादन किया। दक्षिण में सरस्वतीविलास का प्रसूत महत्त्व है, किन्तु इसका स्थान मिताक्षरा से नीचे है। इसमें मुख्य स्मृतियों एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त लगभग ३० अन्य प्रतिज्ञा नाम आये हैं।

प्रतापहृदय ने १४९७ ई० में १५३९ ई० तक राज्य किया, अतः सरस्वतीविलास या प्रणयन १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ होगा।

१०१. गोविन्दानन्द

गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें दानवीमुदी, मुद्दिनीमुदी, भादवीमुदी एवं वर्षत्रियावीमुदी अति प्रसिद्ध हैं। अन्तिम ग्रन्थ में तिथिनिर्णय, व्रतों आदि के दिनों का विवेचन है। लग्ना है, गोविन्दानन्द के सभी ग्रन्थ त्रियावीमुदी नामक विषय के कृतिपय प्रकरण मात्र हैं। गोविन्दानन्द ने धीनियाम की मुद्दिनीपिपा एवं शूलपाणि की तत्त्वायंवीमुदी के भाष्य भी लिखे हैं। इन्होंने बहुत-से लेखकों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिये हैं आ इनका ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। ये गणपति भट्ट के पुत्र थे और इनकी पत्नियों की कवितावाच्यार्थ। ये बंगाल के मिदनापुर जिले के बाघी नामक स्थान के निवासी वैष्णव थे।

गोविन्दानन्द ने मदनपारिजात, गणारत्नावलि, स्तूपर एवं वाचस्पति के नाम एक उद्धरण दिये हैं, अतः ये १५वीं शताब्दी के उपरान्त हुए होंगे। रघुनन्दन ने अपने मल्लमातलव्य एवं आर्द्धिवात्स्य में उन्हें उल्लिखित किया है, अतः ये १५६० ई० के बाद नहीं जा सकते। उनका मुद्दिनीमुदी में लगान १४१४ में १४५७ तक के मल्लमाता का बल्लं है, अर्थात् उत्तर १४९२ ई० में १५३५ ई० की वर्षा है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने १५३५ ई० के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिखा। गोविन्दानन्द की गार्हित्यिक कृतियों का समय १५०० से १५४० ई० तक माना जा सकता है।

१०२. रघुनन्दन

रघुनन्दन बंगाल के अन्तिम बड़े धर्मशास्त्रकार हैं। उन्होंने २८ लाखों बाल्य स्मृतिरत्न नामक धर्मशास्त्र-शास्त्रकी बृहद् ग्रन्थ लिखा। उन्होंने अरों इस विषयशास्त्रकी ग्रन्थ में लगभग ३०० लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम दिये हैं। बाल्यान्तर में स्मृति-अन्वयधी अरों विद्वानों के कारण ये स्मार्तमठवाच्य के नाम से विख्यात हो गये। वीरभिक्षोदय एवं नीलकण्ठ ने उन्हें स्मार्त नाम से पुकारा है। रघुनन्दन के विषयशास्त्र का महान्त विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है। स्मृतिरत्न (२८ लाखों) के अतिरिक्त रघुनन्दन ने अन्य ग्रन्थ भी दिये हैं। वाचस्पति पर

उनका एक माध्य है। तीर्थतत्त्व, द्वादशयात्रातत्त्व, त्रिपुराकृतशान्ति-तत्त्व, गयाश्राद्धपद्धति, रासयात्रापद्धति आदि उनके अन्य ग्रन्थ हैं। रघुनन्दन के ग्रन्थ अधिकतर बंगाल में ही उपलब्ध होते हैं।

रघुनन्दन बन्धुघटीय ब्राह्मण हरिहर भट्टाचार्य के सुपुत्र थे। ऐसी विचरन्ती है कि रघुनन्दन एव वैष्णव सन्त चैतन्य महाप्रभु दोनों वामुदेव सार्वभौम के शिष्य थे। वामुदेव सार्वभौम नव्यन्याय के प्रसिद्ध प्रणेता कहे जाते हैं। यदि यह बात सत्य है तो रघुनन्दन लगभग १४९० ई० में उत्पन्न हुए होंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म १४८५-८६ ई० में हुआ था। वे सम्भवतः १४९०-१५७० के मध्य में उपस्थित थे, ऐसा कहना सत्य से दूर नहीं है।

१०३ नारायण भट्ट

नारायण भट्ट बनारस (वाराणसी) के प्रसिद्ध मट्टकुल के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। नारायण भट्ट के पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पैठन) से बनारस आये थे। रामेश्वर भट्ट बड़े विद्वान् थे। उनकी विद्वत्ता से आकृष्ट होकर दूर-दूर से शिष्यगण आया करते थे। नारायण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट ने अपने पिता का जीवन-चरित्र लिखा है जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई० में हुआ था। नारायण भट्ट अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हो गये। धीरे-धीरे भट्टकुल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नारायण भट्ट को जगद्गुरु की पदवी मिल गयी थी। भट्टकुल की परम्पराओं के कारण ही बनारस में दक्षिणी ब्राह्मण इतने प्रतिष्ठित हो सके और उनका लोहा सभी मानने लगे। नारायण भट्ट ने धर्मशास्त्र सम्बन्धी बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अन्वयेष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु, (प्रयाग, काशी तथा गंगा नामक तीर्थों के विषय में) एव प्रयोगरत्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अन्तिम पुस्तक में गर्भधान से विवाह तक के सारे सस्कारों का वर्णन है। उन्होंने कई एव माध्य भी लिखे हैं। नारायण भट्ट ने अपने पुत्रो एव पौत्रो द्वारा सारे भारतवर्ष में लेखकों को प्रभावित किया। उनकी कृतियों का ऋण १५४० से १५७० तक माना जाता है।

१०४ टोडरानन्द

अकबर बादशाह के वित्तमयी राजा टोडरमल ने धन एव धर्म सम्बन्धी व्यवहार, ज्योतिष एव औपधि पर एक बृहद् ग्रन्थ लिखा है। टोडरमल (टोडरानन्द) के विश्वकोश के कतिपय भाग, यथा—आचार, व्यवहार, दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायश्चित्त, समय आदि सौस्य के नाम से विख्यात है। किसी एव सौस्य का कुछ सक्षिप्त विवरण दे देना अनुचित न होगा। व्यवहारसौस्य शिव की अर्घ्यपना से आरम्भ होकर पारमीय सभ्राट् (अकबर) के विषय में चर्चा करता और व्यवहार विधि के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालता है, यथा—कलहों के प्रति राजा के कर्तव्य, सभा, प्राङ्गविवार, 'व्यवहार' शब्द का अर्थ, १८ व्यवहारपदों की परिगणना, व्यवहार के लिए समय एव स्थान, अभियोग (भाषा), उत्तर, प्रतिनिधि, प्रत्यावर्तित आदि। प्रमुख स्मृतियों के अतिरिक्त कल्प-तरु, पारिजात, मन्वेद, मिताहारा, रत्नाकर, हरिहर एव हलामुष का उल्लेख टोडरानन्द ने किया है। ग्रन्थ के कतिपय प्रकरण 'हृष्यं' कहे गये हैं। दिवाहसौस्य में २३ निबन्धकारों एव निबन्धों के नाम आये हैं। धादसौस्य में धाद-सम्बन्धी बातें हैं। ज्योतिषसौस्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन है और ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों की व्याख्या है। ज्योतिषसौस्य की रचना सन् १५७२ ई० में हुई थी। टोडरमल, निस्तन्देह एक महान् विद्वान् ग्रन्थकार थे। वे एक कुशल सेनापति, मनी एव राजनीतिज्ञ थे। वे जाति के सभी थे। उनका जन्म अकब इलाके के फहरपुर में हुआ था और मृत्यु सन् १५८९ ई० में लाहौर में हुई।

१०५ मन्द पण्डित

मन्द पण्डित धर्मशास्त्र पर विस्तारपूर्वक लिखीवाले एक धुरम्पर लेखक थे। उन्होंने पराशरस्मृति पर विद्मन्मोहरा नामक टीका लिखी है। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि उन्होंने मापवाचार्म का सहाय लिया है। उन्होंने विमानेदवर की मिताक्षरा पर एक सक्षिप्त भाष्य लिखा, जिसे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा कहा जाता है। उन्होंने अपनी द्वाद्विपरिष्कारा एव वैजयन्ती में ध्याङ्कल्पलता नामक इति की चर्चा की है। उन्होंने मोहिन्दपण्डित की ध्याङ्कदीपिका के श्रृंग का उल्लेख किया है। वे साधारण (सहारनपुर ?) के सहगिल कुल के परमानन्द के आश्रित थे। स्मृतिषो पर उनका एक निवन्ध स्मृतिमिण्डु है, जिस पर, लगता है, उन्होंने स्वयं तन्वयमुक्तावली नामक टीका लिखी।

मन्द पण्डित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैजयन्ती या वैशव-वैजयन्ती। यह विष्णुधर्मसूत्र पर एक भाष्य है। यह भाष्य उन्होंने अपने आश्रमदाता वैशव नामक के आग्रह पर लिखा था, इसी से इसे वैशव-वैजयन्ती भी कहा जाता है। वैजयन्ती में उनके छः चर्चा का उल्लेख हुआ है, यथा—विद्मन्मोहरा, प्रमिताक्षरा, ध्याङ्कल्पलता, द्वाद्विपरिष्कारा, दत्तकमीमांसा। आपुनिक हिन्दू कानून की बनारसी घाटा में वैजयन्ती का प्रमूल हाथ रहा है।

मन्द पण्डित ने यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने लेखक विमानेदवर का खण्डन भी किया है। मन्द पण्डित की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दत्तक-मीमांसा, जिसमें गोद लेने पर पूर्ण विवेचन है। इस पुस्तक की चर्चा आपुनिक युग में पर्याप्त रूप से हुई है। अग्नेयी प्रमुख के काल में मिथी कौसिल तक इसका हवाला दिया जाता रहा है। मन्द पण्डित के जीवनकाल के विषय में हमें कुछ सकेत मिलता है। मन्द पण्डित दक्षिणी थे और उनके पूर्वपुरुष दक्षिण में ही बाराह आये थे। मन्द पण्डित बनी-बानी बहुत-से आश्रयदाताओं के यहां आते-जाते रहते थे, जैसा कि उनकी कतिपय इतिमों में लेखन-रूपान से पता चलता है। उन्होंने साधारण (सहारनपुर ?) के सहगिल कुल के परमानन्द के आग्रह पर ध्याङ्कल्पलता का, महेश्वरकुल के हरिविषयवर्मा के आग्रह पर स्मृतिमिण्डु का एव मयूरा (मयूरा) के वैशव नामक के आग्रह पर वैजयन्ती का प्रणयन किया। श्री मण्डलिक के मतानुसार उन्होंने १३ पुराणों लिखी हैं।

मन्द पण्डित की वैजयन्ती, सम्भवतः, उनकी अन्तिम इति थी। इसकी रचना बनारस में सन् ११२३ ई० में हुई। अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी इतिमों का रचनाकाल १५९५ ई० से १६३० ई० तक है।

१०६. कामलाकर मठ

कामलाकर मठ मठ-कुल के प्रसिद्ध मठों में गिने जाते हैं। वे गारायण मठ के पुत्र रामहरण मठ के पुत्र थे। कामलाकर मठ बड़े ही उद्दमट विद्वान् थे। उन्होंने सभी शास्त्रों पर कुछ-न-कुछ अक्षर लिखा। वे लक्ष्मी, व्यास, व्याकरण, मीमांसा (बुधारिल एव प्रभाकर की दोनो शाखाओं में), वेदान्त, साहित्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र एव वैदिक ऋषी के मर्मज्ञ थे। उनके विद्यालयालय में यह उल्लिखित है कि उन्होंने बुधारिल-व्यास मीमांसा (शाङ्खनरथ) के बार्दिक पर निर्णयमिण्डु नामक एक भाष्य लिखा। इसके अनिश्चित उल्लेख २० पुराणों लिखी, ऐसा भी विद्यालयालय में आया है। वहीं-वहीं उनके २२ ग्रन्थ भी उल्लिखित हैं। इनमें आषी पुराणों का सम्बन्ध है धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से, यथा—निर्णयमिण्डु, दत्तकमीमांसा, बान्धिराल, पूर्णकर्मशास्त्र, धनकर्मशास्त्र, भाष्यविषयकाल, विद्यालयालय, बहुषारिहण, दीनकर्मशास्त्र, धर्मविद्यालय, धाङ्कमीमांसा, शर्षीर्षद्विधि। इनमें द्वाद्विपरिष्कार, विद्यालयालय एव निर्णयमिण्डु अति ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन इतिमों का वर्णन करना यहाँ सम्भव

नहीं है। केवल शुद्धकमलाकर (शुद्ध-धर्मतत्त्व या शुद्धधर्मतत्त्वप्रकाश) पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। आरम्भ में ही ऐसा आभा है कि शुद्ध वेदाध्ययन नहीं कर सकते। वे ब्राह्मणों द्वारा स्मृतियों, पुराणों आदि का केवल पाठ सुन सकते हैं। उनकी धार्मिक क्रियाएँ पौराणिक मन्त्रों द्वारा सम्पादित होनी चाहिए। इसके अन्य विषय हैं—विष्णु-पूजा, अन्य देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास। जनकल्याण के कार्यों (पूर्त) में शुद्ध दान दे सकता है, शुद्ध गोद ले सकता है शुद्धों के लिए बिना वैदिक मन्त्रों के सस्कारों के विषय में विविध मत, गर्भाधान, पुसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, शिशुनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध, विवाह नामक सस्कार, पंचमहायज्ञ (वाजसनेयी शाखा के अनुसार), श्राद्ध (बिना पकाये अन्न द्वारा), वज्रितावजित कर्म, कृतिपय क्रिया-सस्कारों का विवेचन, आह्निक-कृत्य, जन्म-मरण पर अशुद्धि, अन्त्येष्टि क्रिया, पत्नियों एवं विधवाओं के कर्त्तव्य, वर्णसंस्कार, प्रतिलोम सम्बन्ध से उत्पन्न लोगों के विषय में विधि, कायस्थों के विषय में।

कमलाकर भट्ट के ग्रन्थों में निर्णयसिन्धु मा निर्णयकमलाकर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह विद्वत्ता, परिश्रम एवं मनोहरता का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। मीलकण्ठ एवं मित्रमिथ को छोड़कर किसी अन्य धर्मशास्त्रकार ने इतने ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का उल्लेख नहीं किया है। आश्चर्य है, कमलाकर भट्ट ने इतने ग्रन्थों जैसे एकत्र किये और पढ़े। उन्होंने लगभग १०० स्मृतियों एवं ३०० से अधिक निबन्धकारों का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें जो विषय आये हैं उन्हें सक्षिप्त रूप से यों लिखा जा सकता है—विविध धार्मिक कृत्यों के उचित समयों के विषय में निश्चित मत देना ही प्रमुख विषय है, सौर आदि मास, चान्द्र महीनों के चार प्रकार, यथा—सौर, चान्द्र आदि, सन्नान्ति कृत्य एवं दान, मूलमास, शयमास, तिथियों के विषय में, दृष्टा एवं विद्धा, व्रत, साल के विविध व्रत एवं उत्सव, गर्भाधान आदि विविध सस्कार; सपिण्ड-सम्बन्ध, भूति-प्रतिष्ठा, सोने, अन्न कय आदि के लिए मुहूर्त, श्राद्ध, जन्म-मरण पर अशुद्धि, मृत्यूपरान्त कृत्य, सती-श्रृत्य, सन्यास।

कमलाकर भट्ट का बाल मली मूर्ति ज्ञात किया जा सकता है। निर्णयसिन्धु की रचना १६१२ ई० में हुई थी, और यह कृति उनसे आरम्भिक ग्रन्थों में गिनी जा सकती है। उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, यत १६१० से १६४० तक का समय उनका रचना-काल माना जा सकता है।

१०७ मीलकण्ठ भट्ट

मीलकण्ठ शारदायण भट्ट के पुत्र एवं शारद भट्ट के पुत्र थे। शारद भट्ट एवं उदुमट भीमासक थे। उन्होंने भीमासा पर शास्त्रदीपिका, विधिरसायनदूषण, भीमासाबालप्रकाश नामक ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने द्वैतनिर्णय, धर्म-प्रकाश या सर्वधर्मप्रकाश नामक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखा है। मीलकण्ठ ने यमुना और चम्बल के संगम के मरेह नामक स्थान के सेंगरवशी बुदेल सरदार भगवन्तदेव के सम्मान में भगवन्तमास्कर नामक धार्मिक ग्रन्थ लिखा, जो १२ मयूखों (प्रकरणों) में है, यथा—संस्कार, आचार, काल, श्राद्ध, व्यवहार, दान, उमर्ग, प्रतिष्ठा, श्रायश्चित्त, शुद्धि एवं शान्ति। मीलकण्ठ ने व्यवहारमयूख का एक सक्षिप्त संस्करण भी व्यवहारतरव के नाम से प्रकाशित किया।

मीलकण्ठ प्रसिद्ध निबन्धकारों में गिने जाते हैं। वे भीमासक के कुल के थे, अतः धर्मशास्त्र में भीमासा के नियमों के प्रयोगों के वे बड़े ही सफल लेखक हुए हैं। सोपन-शैली, भाष्य, विद्वत्ता एवं स्तुति-जान में वे माध्यमिक काल के सभी धर्मशास्त्रकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि उन्होंने विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि आदि की प्रस्ता

की है किन्तु वे किसी वा अध्यानुकरण करते नहीं दिखाई पड़ते। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहार-मयूर प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है।

नीलकण्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र ने और शंकर भट्ट ने अपने दैतनिर्णय में टोडरानन्द के मतों का उल्लेख किया है और हमें टोडरानन्द की तिथि ज्ञात है। उन्होंने सन् १५७०-१५८१ ई० के बीच अपनी कृतियाँ उपरिष्ठ कीं, अतः दैतनिर्णय १५९० ई० के पूर्व प्रणीत नहीं हो सकता। नीलकण्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र होने के नाते वमलावर भट्ट से पहले लिखना नहीं आरम्भ कर सकते। वमलावर ने अपना निर्णयसिन्धु सन् १६१२ ई० में लिखा। अतः नीलकण्ठ का लेखन-काल सन् १६१० ई० के उपरान्त ही आरम्भ हुआ होगा। व्यवहारतत्त्व की एक प्रतिलिपि की तिथि १६४४ ई० है। इससे स्पष्ट है कि वह ग्रन्थ इस तिथि के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था। स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसका रचना-काल १६१० एव १६४५ ई० के मध्य है।

१०८ मित्रमित्र का वीरमित्रोदय

मित्रमित्र का वीरमित्रोदय धर्मशास्त्र के लगभग सभी विषयों पर एक बृहद् निबन्ध है। सम्भवतः हेमाद्रि के चतुर्वर्गचिन्तामणि वा छोटकर धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है। वीरमित्रोदय में व्यवहार पर भी विवेचन है, अतः यह चतुर्वर्गचिन्तामणि से उपयोगिता में बाजी मार ले जाता है। यह कई प्रकारों में विभाजित है। लगभगप्रवाह में पुराणों, नारियाँ, मानव तन के विविध भ्रमों, हाथियों, अश्वों, सिंहासनों, तलवारों, धनुषों के घुम सहायों, रात्रियाँ, मन्त्रियाँ, ज्योतिषियाँ, बंधा, डारपालों की विशिष्टताओं, शालग्राम, शिवलिंग, यक्षादि के दाना आदि का विवेचन है। इतना बँवल एव प्रकारों में पाया जाता है। इसी में हम वीरमित्रोदय के आधार एव उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं।

मित्रमित्र ने अपने सभी ग्रन्थों में संवरों व्यवहारों एव ग्रन्थों के मतों का उल्लेख किया है। व्यवहार के प्रकरण में मित्रमित्र ने अपने पूर्व के लेखकों के मतों का उद्धरण करते अपने मत प्रकाशित किये हैं। मित्रमित्र वाद-विवाद में नीलकण्ठ से कई श्रेणी आगे बढ़ गये हैं। हिन्दू कानून की बतारनी चागा में वीरमित्रोदय का प्रभूत महत्त्व रहा है। मित्रमित्र ने मातृव्यव्ययमति पर एव माप्य भी लिखा है। इन्होंने अपना इतिहास भी दिया है, जो इनके वीरमित्रोदय के आरम्भ में उल्लिखित है। वे हमपरित के पौत्र एव परशुराम पण्डित के पुत्र थे। हगपण्डित गोपाचल (धालियर) के निवासी थे। मित्रमित्र ने वीरसिंह के आदेश से वीरमित्रोदय की रचना की थी। वीरसिंह एव महादुर राजपूत थे। उन्होंने ओरछा एव दलिया के प्रासादों का निर्माण कराया था। वीरसिंह ने ओरछा में सन् १६०५ से १६२७ तक राज्य किया था, अतः मित्रमित्र का रचनाकाल १७वीं शताब्दी का प्रथम अर्धक था।

१०९ अनन्तदेव

अनन्तदेव ने रमृशिवोन्मुम नामक एव निबन्ध लिखा, जिसमें सम्भार, भाषार, राजधर्म, दान, उत्तर्ण, प्रतिष्ठा, निधि एव श्वरसर नामक शास्त्र प्रकरण हैं। सम्भार एव राजधर्म बाले प्रकरण मरुतारवोन्मुम एव राजधर्मवोन्मुम बने जाते हैं। अत्यन्त प्रकरण दीपिनिया या विरणी में विभक्त हैं। मरुतारवोन्मुम उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। इनका आधुनिक स्यायान्या में पर्याप्त आदर रखा है। इनकी विषय-शुद्धी सतिष्ण रूप से की है—गोन्डुसम्भार; धर्मशास्त्र (प्रथम); धर्मशास्त्र में प्रथम आगमन पर ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन एव उत्तरे उपरान्त धर्मशास्त्र के अन्तर्गत का उचित काल एव स्यायान्या की विरचन इत्ये; पुष्पाह्वयन, शान्दीपाठ, मातृगा-

पूजन, नारायणबलि एव नागबलि, पञ्चगव्य, कृच्छ्र एव अन्य प्रायश्चित्त, चान्द्रायणव्रत, त्रिसे गोद क्रिया जाम, कौन गोद लिया जा सकता है, गोद-सम्बन्धी कृत्य, दत्तक वा गोत्र एव सपिण्ड, दत्तक द्वारा परिवर्तन (विलाप), दत्तक का उत्तराधिकार, पुत्रकामोष्टि, पुमवन, अनवलोमन, सीमन्तोन्नयन, सन्तानोत्पत्ति पर कृत्य, जन्म पर अशुद्धि, जन्म पर अशुभ रूपों के शमनार्थ कृत्य, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, बर्णछेदन, जन्मदिनोत्सव, बौल, उपनयन, इसके लिए उचित काल, उचित क्षामशी, गायत्री, ब्रह्मचर्य-व्रत, समावांन, विवाह, इसके लिए सपिण्ड, गोत्र एव प्रवर, विवाह के लिए उचित काल, विवाह-प्रकरण, बाण्णिरचय, सीमन्तपूजन, मधुपर्क, गन्यादान, विवाहहोम, सप्तपदी, दम्पति प्रवेश पर होम।

सत्कारकौस्तुभ का एक अद्य दत्तकदीधिति कमी-बन्धी पृथक् रूप से भी उल्लिखित मिलता है। सबमुच, यह अद्य महत्वपूर्ण है और इसका अध्ययन दत्तकमीमासा, व्यवहारमयूख तथा अन्य तत्सम्बन्धी ग्रन्थों के साथ होना चाहिए।

निर्णयसिन्धु एव नीलवण्ड के मयूरो के समान अनन्तदेव ने अपने सत्कारकौस्तुभ में संकडा लेखको एव ग्रन्थों का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेषतः मिताक्षरा, अपराक, हेमाद्रि, माधव, मदनरत्न, मदनपारिजात का सहारा लिया है।

अनन्तदेव ने अपने आश्रयदाता के वस वा वर्णन किया है। बाजबहादुर उनके आश्रयदाता थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने यह निबन्ध लिखा। अनन्तदेव ने अपने बारे में लिखा है कि वे महाराष्ट्र सन्त एवनाथ के वज्र थे। अनन्तदेव सम्भवतः १७वीं शताब्दी के तृतीय चरण में हुए थे, जैसा कि उनके आश्रयदाता बाजबहादुर तथा उनके पूर्वज एकनाथ की तिथियों से प्रकट होता है।

११० नागोजिमट्ट

नागोजिमट्ट एक परम उद्भूत विद्वान् थे। वे सभी प्रकार की विद्याओं के आचार्य थे। यद्यपि उनका विशिष्ट ज्ञान व्याकरण में था, किन्तु उन्होंने साहित्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र, योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्वक लिखा है। उनके तीस ग्रन्थ अब तक प्राप्त हो सके हैं। आचारेन्दुशेखर, अशौचनिर्णय, तिथीन्दुशेखर, तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्त-सन्दुशेखर या प्रामश्चित्तसारसयह, श्राद्धेन्दुशेखर, सपिण्डीमञ्जरी एव सापिण्डीमदीपक या सापिण्डीनिर्णय उनके धर्म-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। हम यहाँ पर उनके ग्रन्थों के विषय में कुछ न कह सके हैं।

नागोजिमट्ट महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, उनकी उपाधि भी काल (बाले)। वे प्रसिद्ध वैशाखरण मट्टोजिदीक्षित की परंपरा में हुए थे। उनके आश्रयदाता थे प्रयाग के समीप शृंगवेरपुर के विसंनरुल के राम नामक राजा। नागोजिमट्ट मट्टोजिदीक्षित के पीछे के शिष्य थे और मट्टोजिदीक्षित १७वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में हुए थे। नागोजिमट्ट ने कम-से-कम ५० वर्ष ध्यतीत किये होंगे अपने लेखन-कार्य में। अतः मट्टोजिदीक्षित के लगभग एक शताब्दी उपरान्त ही उनकी मृत्यु हुई होगी। अतः हम उन्हें १८वीं शताब्दी के आरम्भ में तो रख ही सकते हैं।

१११. बालकृष्ण या बालम्भट्ट

सहस्रीव्याख्यान उर्फ बालम्भट्टी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पर एक भाष्य है। कहा जाता है कि यह लक्ष्मीदेवी नामक एक नारी द्वारा प्रणीत है। यह एक बृहद् ग्रन्थ है, किन्तु बहुत ही ऊबड़-खाबड़ ढंग में प्रस्तुत किया गया है। बालम्भट्टी में अनेक ग्रन्थों एव ग्रन्थकारों के नाम आये हैं। कुछ नाम ये हैं—निर्णयसिन्धु, वीरमहादय, नीलवण्ड का मयूख, सत्कारकौस्तुभ, नीलवण्ड के भतीजे सिद्धेश्वरमट्ट, क्षीमासामूह पर भाट्टदीपिका के लेखक स्वणदेव, पाणामट्ट इत बायस्थधर्मदीप आदि।

बालम्मट्टी के लेखक को बताना पहली बुझना है। सीता, विजया, अवन्तिसुन्दरी की गणना कविता-प्रणयिनियों में होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि लीलावती नामक एक मारी ने गणित-शास्त्र पर एक ग्रन्थ लिखा। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कृतियों के लिए रानियों एव राजकुमारियों से भी प्रेरणाएँ मिलती रहीं, यथा मितरू मिश्र का विवादचन्द्र लक्ष्मीदेवी का प्रेरणा-फल है, विद्यापति के द्वारा मियिला की महादेवी धीरमती ने बागबागपावलि का संग्रह कराया, मरवेन्द्र की रानी जया के आग्रह से बाघस्तुति मिश्र ने द्वैतनिर्णय का प्रणयन किया। यह सन्तोष का विषय है कि एक मारी ने ही 'बालम्मट्टी' नामक एक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा है। बालम्मट्टी के आरम्भ में ऐसा आया है कि लक्ष्मी पायगुण्डे की पत्नी, मुद्गल गोत्र के तथा खेरवा उपनिष वाले महादेव की पुत्री यी और उतका एक दूसरा नाम था उमा। आचार-भाग के अन्त में आया है कि इसकी लेखिका लक्ष्मी महादेव एवं उमा की पुत्री है, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी है एव बालकृष्ण की माता है। लक्ष्मी ने मारियों के स्वयं को भरपूर रसा करते का प्रयत्न किया है। किन्तु यह बात सभी स्थानों पर नहीं पायी जाती और स्थान-स्थान पर नागोजिमट्ट के सिन्धु वैद्यनाथ पायगुण्डे के ग्रन्थ भञ्ज्या तथा लेखक के गुह एवं पिता के ग्रन्थों की चर्चा पायी जाती है। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि बालम्मट्टी नामक ग्रन्थ या तो स्वयं वैद्यनाथ का लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी स्त्री का नाम दे दिया है, या यह उनके पुत्र बालकृष्ण उर्फ बालम्मट्ट द्वारा लिखा हुआ है और माता का नाम दे दिया गया है। वैद्यनाथ एवं बालकृष्ण दोनों प्रसिद्ध लेखक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। सम्भवतः बालकृष्ण ने बालम्मट्टी का प्रणयन किया है। वे दक्षिणो ब्राह्मण थे। बालकृष्ण पादपाय विद्वान् कौलसुक के शिष्यो में एक पण्डित थे। बालकृष्ण को बालम्मट्ट भी कहा गया है। इनका काल १७३० एव १८२० ई० के बीच में कहा जा सकता है।

११२. काशीनाथ उपाध्याय.

काशीनाथ उपाध्याय ने धर्मसिन्धुसार या धर्मविषयसार नामक एक बृहद् ग्रन्थ लिखा है। इन्हे बाबा पाण्डे भी कहा जाता है। इनका धर्मसिन्धुसार आधुनिक दक्षिण में परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, विशेषतः धार्मिक बातों में। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती निबन्धों को पढ़कर निष्कर्षसिन्धु से अज्ञित विषयों के आधार पर केवल सार-सारथ दिया है और मौलिक सिद्धियों के बचनों को त्याग दिया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका ग्रन्थ मीमांसा एवं धर्मशास्त्रों के विद्वानों के लिए नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्त है, जिनमें तीसरा बृहद् है और दो भागों में विभाजित है।

काशीनाथ उद्भूत विद्वान् थे। वे गोलामपुर जिले के पंडरपुर के बिठोबा देवता के परम भक्त थे। उन्होंने धर्मसिन्धुसार के अनिश्चित अंग ग्रन्थ भी लिखे हैं, यथा प्रायश्चित्तसौखर, बिठठल-भृगुभक्तसारभाष्य आदि। काशीनाथ के विषय में बहुत-सी बातें ज्ञात हैं। मराठों की बंदोरी पत्त में इनका जीवन-चरित लिखा है। वे बहूँचे ब्राह्मण थे और रत्नागिरि जिले के गोलामपुरी धाम के निवासी थे। धर्मसिन्धुसार का प्रणयन १७९० ई० में हुआ था। वे कनि मीरो पत्त के शास्त्राधी थे। उनकी पुत्री आबड़ी का विवाह मंदोरी पत्त के द्वितीय पुत्र से हुआ था। वे अन्त में संन्यासी हो गये थे और सन् १८०५-६ ई० में स्वर्गवासी हुए।

११३. जगन्नाथ तर्कपंचानन

जब बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो हिन्दू धार्मिक के विषय में मुसल विद्वानों के संग्रह का प्रयत्न किया जाने लगा। बरिन हेस्टिंग्स के काल में १७७१ ई० में विद्यादासबरोडु प्रणीत हुआ। सन् १७८९ ई० में सर बिलियम जॉन को प्रेरणा से जिनेदी तर्कौद शर्मा ने ९ तर्कों (भागों) में विद्यादासबरोडु नामक विवरण लिखा। किन्तु

इन प्रयत्नों में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न था विवादमगणोंब का, जो छद्म तर्कवागीश के पुत्र जगन्नाथ तर्कपंचानन द्वारा प्रणीत हुआ। सर विलियम जोस ने ही इसके लिए आग्रह किया था। कोलकुक ने इसका अनुवाद सन् १७९६ ई० में तथा प्रकाशन सन् १७९७ ई० में किया। यह निबन्ध द्वीपो में तथा प्रत्येक द्वीप रत्नो में बँटा हुआ है। जगन्नाथ तर्कपंचानन की मृत्यु १११ वर्ष की आयु में, सन् १८०६ ई० में हुई। बंगाल में इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रही है, किन्तु बर्दिसमी भारत में वह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी।

११४. निष्कर्ष

गत पूछो में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का बहुत ही सक्षेप में वर्णन उपस्थित किया गया है। वास्तव में, धर्मशास्त्र पर इतने ग्रन्थ हैं कि उन्हें एक सूत्र में बाँधना बड़ा दुस्तर कार्य है। गत पूछो में लगभग २५०० वर्षों के धर्मशास्त्रकारों एवं उनके श्रमों का जो लेखा-जोखा बहुत थोड़े में उपस्थित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने हिन्दू समाज को धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में बाँध रचना चाहा है। उन्होंने प्रत्येक जाति के सदस्यों एवं प्रत्येक व्यक्ति को आर्य समाज का अविच्छेद्य अंग माना है, वही भी व्यक्तिगत स्वत्वों को सम्पूर्ण समाज के ऊपर नहीं माना। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो आर्य जाति या आर्य समाज बाह्य आक्रमणों एवं विविध कालों की मार एवं चपेट से छिन्न भिन्न हो गया होता। धर्मशास्त्रकारों ने आर्य सम्प्रदाय एवं सभ्यता को बाह्य शक्तों की बहुर धार्मिकता के प्रभाव से अक्षुण्ण रखा। इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी कालान्तर के कुछ धर्मशास्त्रकारों ने धार्मिक मामलों में तर्क से काम लिया है और पृथक्त्व, वैमिन्व्य एवं पक्षपात का प्रदर्शन किया है, किन्तु ऐसे लेखकों की चली नहीं, क्योंकि केन्द्रीय शासन से उनका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था, अन्यथा अतर्क्य हो गया होता, क्योंकि राजाओं की छत्रच्छाया में उनकी बातें मनमाने रूप में प्रतिफलित होती और पृथक्त्ववाद का विषयवस्तु विकराल रूप में उभर पड़ता। सपाय से ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बाहरी शासकों को भारतीय सभ्यता से कोई प्रेम या शक्ति नहीं रही। इस छोटे दोष के अतिरिक्त धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के महार्णव में मोती ही मोती मरे पड़े हैं। भारतीय सभ्यता के स्वरूपों को सूत्रों में पिरोकर रखनेवाले धर्मशास्त्रकारों को कोटिश प्रणाम।

द्वितीय खण्ड

वर्ण, आश्रम, संस्कार, आह्निक,
दान, प्रतिष्ठा, श्रौत यज्ञादि

अध्याय १

धर्मशास्त्र के विविध विषय

अति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत बहुत-से विषयों की चर्चा होती रही है। गौतम, बौधायन, आप-स्तम्ब एवं बसिष्ठ के धर्मसूत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का अधिक या कम विवेचन होता रहा है—कतिपय वर्ण (वर्ग), आश्रम, उनके विशेषाधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक के संस्कार, ब्रह्मचारी-कर्त्तव्य (प्रथम आश्रम), धनध्याय (अवकाश के दिन, जब वेदाध्ययन नहीं होता था), स्नातक (जिसका प्रथम आश्रम समाप्त हो जाता था) के कर्त्तव्य, विवाह एवं तत्सम्बन्धी अन्य बातें, गृहस्थ-कर्त्तव्य (द्वितीय आश्रम), शीघ्र, पञ्च महायज्ञ, दान, भक्ष्याभक्ष्य, शुद्धि, अन्त्येष्टि, याद, स्त्रीधर्म, स्त्रीपुत्रधर्म, सात्रियों एवं राजाओं के धर्म, व्यवहार (कानून विधि, अपराध, दण्ड, साम्राज्य, बँटवारा, दायभाग, गोद लेना, जुआ आदि); चार प्रमुख वर्ण, वर्णसंकर तथा उनके व्यवसाय, आपद्घर्म, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, शान्ति, धानप्रत्य-कर्त्तव्य (तृतीय आश्रम) सन्यास (चतुर्थ आश्रम)। इन विषयों की चर्चा सभी धर्मसूत्रों ने एक समान ही नहीं की है, और न सबको एक सिलसिले में रखा है, किसी ने कोई विषय मध्य में है तो वही किसी में अन्त में है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों में ब्रह्म, उत्सर्गों एवं प्रतिष्ठा (अन-कल्याण के लिए मन्दिर, धर्मशाला, पुष्करिणी आदि का निर्माण), तीर्थों, काल आदि का सविस्तर वर्णन हुआ है। किन्तु धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों ने इन पर बहुत ही हलका प्रकाश डाला है।

उपर्युक्त विषयों पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्म-सम्बन्धी धारणा बड़ी व्यापक थी और वह मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती थी। धर्मशास्त्रकारों के मतानुसार धर्म किसी सम्प्रदाय या मत का घटक नहीं है, प्रत्युत यह जीवन का एक ढग या आचरण-सहिता है, जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में मनुष्य के कर्मों एवं कृत्यों को व्यवस्थापित करता है तथा उसमें क्रमशः विकास लाता हुआ उसे मानवीय अस्तित्व के लक्ष्य तक पहुँचाने के योग्य बनाता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को दो भागों में बाँटा गया, यथा श्रौत एवं स्मार्त। श्रौत धर्म में उन कृत्यों एवं संस्कारों का समावेश था, जिनका प्रमुख सम्बन्ध वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों से था, यथा तीन पवित्र अग्निमों की प्रतिष्ठा, पूर्णमासी एवं अपाहास्या के यज्ञ, सोमकृत्य आदि। स्मार्त धर्म में उन विषयों का समावेश था जो विशेषतः स्मृतियों में वर्णित हैं तथा वर्णाश्रम से सम्बन्धित हैं। इस धर्म में प्रमुखतः स्मार्त धर्म का ही विवेचन उपस्थित किया जायगा। श्रौत धर्म के विषय में अनुक्रमणिका में संक्षेपतः वर्णन कर दिया जायगा।

१ शारान्निहोत्रहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम् । स्मार्तो बर्जाश्रमाचारो धर्मश्च नियमर्पुत ॥ भास्वपुराण
१७४।३०-३१; वायुपुराण ५९।३१-३२ एवं ३९; अग्न्याधानाविपूर्वकीर्णितप्रत्यक्षवेदमूलो बर्जापूर्वमासादि श्रौत ।
अनुमितपरिश्रमास्तामूल शौचाचमनादि स्मार्त । परा० म० १ । भाग १, पृ० ६४।

कुछ धर्मों में 'धर्म' को श्रौत (बैदिक), स्मार्त (स्मृतिमय पर आधारित) एवं शिष्टाचार (शिष्ट या भले लोगों के आचार-आवहार) नामक भागों में बाँटा गया है।^१ एक अन्य विभाजन के अनुसार 'धर्म' के छः प्रकार हैं—वर्णधर्म (यथा, ब्राह्मण को सभी सुरापान नहीं करना चाहिए), आश्रमधर्म (यथा, ब्रह्मचारी का मिश्रा माँगना एवं दण्ड ग्रहण करना), वर्णाश्रमधर्म (यथा, ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पलाश वृक्ष का दण्ड ग्रहण करना चाहिए), गुणधर्म (यथा, राजा को प्रजा भी रक्षा करनी चाहिए), नैमित्तिक धर्म (यथा, वज्रित कार्य करने पर प्रायश्चित्त करना), सामारण धर्म (जो सबके लिए समान हो, यथा, अहिंसा एवं अन्य साधु वृत्तियाँ)।^२ मेघातिथि ने सामारण धर्म को छोड़ दिया है और पाँच प्रकारों का ही उल्लेख किया है (मनु० २।२५)। हेमाद्रि ने भविष्यपुराण से उद्धरण देकर छः प्रकारों का वर्णन किया है। एक बात विचारणीय यह है कि सभी सूत्रियों में वर्ण एवं आश्रम की चर्चा है और सभी स्थानों पर, विशेषतः प्रमुख स्मृतियों में, ऋषियों एवं मुनियों ने धर्मशास्त्रकारों से वर्णों एवं आश्रमों के विषय में विवेचन करने की प्रार्थना की है।

सामान्य धर्म

धर्मशास्त्र के विषयों की चर्चा एवं विवेचन के पूर्व मानव के सामान्य धर्म की व्याख्या अपेक्षित है। धर्मशास्त्रकारों ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों का मूल्य एवं विस्तृत विवेचन उपरिष्ठ नहीं किया है और न उन्होंने कर्तव्य, शौच या पूजा (परम विचार) की व्याख्याओं का मूल्य एवं अवहित विस्तरेण ही उपरिष्ठ किया है। विष्णु ऋषि यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि धर्मशास्त्रकारों ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों को छोड़ दिया है अथवा उन पर कोई ऊँचा चिन्तन नहीं किया है। अति प्राचीन काल से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है, ऋग्वेद (७।१०।४।१२) में आया है— सत्य वचन एवं असत्य वचन में प्रतियोगिता चलती है। सोम दोनों में जो सत्य है, जो ऋजू (आजंब) है उसी की रक्षा करता है और असत्य का हनन करता है।^३ ऋग्वेद में ऋत की जो मान्यता है वह बहुत ही उदात्त एवं उत्कृष्ट है और उसी में वे धर्म के नियमों के सिद्धान्त समाविष्ट हैं। सतपथ ब्राह्मण में आता है—अतः मनुष्य सत्य के अनिश्चित कुछ और न बोले।^४ तैत्तिरीयोपनिषद् में समावर्तन नामक सत्कार के समय गुरु निम्न से कहता है—सत्य वद। धर्म पर (१।१।१।१)। छान्दोग्योपनिषद् (३।१७) में दक्षिणा पाँच प्रकार की कही गयी है; तपो के पाँच गुण-विशेष, दान, आर्जव, अहिंसा, सत्यवचन। बृहदारण्यकोपनिषद् ने कहा है कि स्यात्कारिण जीवन में सत्य एवं धर्म दोनों

२. बेहोरन परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतोऽपरः। शिष्टाचारो परः प्रीत्यनयो धर्मः सनातनाः॥ अनुशासनपरं १४१।६५; धर्मपरं २०।७।८३ 'बेहोरन...धर्मशास्त्रेषु चापरः। शिष्टाचारश्च शिष्टानां निश्चितं धर्म-सामान्यम्॥' देविए, शान्तिपरं ३५।४।६; और देविए, 'उपरिष्ठो धर्मः प्रतिवेदम्।.....समाप्तो द्वितीयः। तृतीयः शिष्टाचारः' बी० प० पृ० १।१।१-४।

३. इह पञ्चप्रकारो धर्म इति विश्वकर्मा प्रपञ्चयति। मेघातिथि-मनुस्मृति २।२५, अत्र च धर्मशास्त्र-व्यवधानधर्मविवेक, तद्यथा-वर्णधर्म आश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्मो गुणधर्मो निमित्तधर्मः सामारणधर्मविवेकः। मितः। वारा प्रातःकल्पयति पर १।१।

४. मुद्रितानं विहितेषु जनाय सत्त्वसत्त्व वचनो पापयति। तयोपरं सत्यं यत्तदुच्यते तद्विद्वान्मोक्षयति ह्यस्य तत् ॥ ५०० ७।१०।४।१२।

५. मुनना कीदृश, सतपथ वा० १।१।१।१, 'अवेद्यो वे मुदयो धर्मज्ञं वदति' तथा १।१।१।५ 'छ बं सत्यमेव वदेत्'।

समाप्त हैं। इसी उपनिषद् में एक अति उदात्त स्तुति है—'असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।' मुण्डकोपनिषद् में केवल सत्य के विजय की प्रशंसा की गयी है। बृहदारण्यकोपनिषद् ने सबके लिए ब्रह्म (आत्म-निग्रह), ध्यान एवं ब्रह्मा नामक तीन प्रधान गुणों का वर्णन किया है (तस्मादेतत्त्रय सिद्धौ दम दान दयामिति—बृ० उ०, ५।२।३)। छान्दोग्योपनिषद् कहती है कि ब्रह्म वा सत्ता सभी प्रकार के दुष्कर्मों से रहित है, और केवल वही, जिसने ब्रह्मकारी विद्याधियों के समान जीवन बिताया है, उसमें प्रवेश पा सकता है। इस उपनिषद् ने (५।१०) पाँच पापों की भर्त्सना की है—सोने की चोरी, सुरापान, ब्रह्महत्या, गुरु-शय्या को अपवित्र करना तथा इन सबके साथ सम्बन्ध। कठोपनिषद् में आत्म-ज्ञान के लिए दुराचरण-त्याग, मन शान्ति, मनोयोग आवश्यक बताया गया है। उद्योगपर्व (४३।२०) में ब्राह्मणों के लिए १२ व्रतों (आचरण-विधियों) का वर्णन है। इस (२२।२५) में दान्त (आत्म-मयमित) का उल्लेख हुआ है। शान्तिपर्व (१६०) में दम की महिमा गायी गयी है। महाभारत के इसी पर्व (१६२।७) में सत्य के १३ स्वरूपों का वर्णन है और मनसा, वाचा, कर्मणा अहिंसा, सदिच्छा एवं दान अच्छे पुरुषों के शास्वत-धर्म कहे गये हैं। गौनमधर्मसूत्र ने दया, शान्ति, अनसूया, शोष, जनायास, भगल, अकार्षण्य, अस्पृहा नामक आठ आत्मगुणों वाले मनुष्यों को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है और कहा है कि ४० सस्कारों के करने पर भी यदि ये आठ गुण नहीं आये तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। हरदत्त ने भी इन गुणों का वर्णन किया है। अत्रि (३४-४१), अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, पराशरमापबोध आदि में ऐसा ही उल्लेख है। भरतस्य (५२।८-१०), वायु (५९।४०-४९), मार्कण्डेय (६१-६६), विष्णु (३।८ ३५-३७) आदि पुराणों ने इसी प्रकार के गुणों को थोड़े अन्तर से बताया है। वसिष्ठ (१०।३०) ने चूललतारी, ईर्ष्या, धमण्ड, अहंकार, अविश्वास, कपट, आत्म-प्रशंसा, दूसरों को गाली देना, प्रवञ्चना, लोभ, अपबोध, क्रोध, प्रतिस्पर्धा छोड़ने को सभी आश्रमों का धर्म कहा है और (३०।१) आदेशित किया है कि 'सचाई का अभ्यास करो अयमं का नहीं, सत्य बोलो असत्य नहीं, आगे देखो पीछे नहीं, उदात्त पर दृष्टि फेरो अनुदात्त पर नहीं।' आपस्तम्ब ने गुणों एवं अवगुणों की सूची दी है (आपस्तम्ब ध० सू० १।८।२३।३-६)। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि शीतम एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों के मतानुसार यज्ञ-कर्म तथा अन्य शौच एवं शुद्धि सम्बन्धी धार्मिक क्रिया-सम्कार आत्मा के नैतिक गुणों की तुलना में कुछ नहीं है। हाँ, एक बात है, एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिंसा क्यों न करे? आदि प्रश्नों पर वही विस्तृत विवेचन नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन गुणों की ओर सचेत नहीं है। यदि हम प्रश्नों का अवलोकन करें तो दो सिद्धान्त शलक उठते हैं। बाह्याचरणों के अर्गणित नियमों के अन्तर्गत में आन्तर पुरुष या अन्तःकरण पर बल दिया गया है। मनु (४।१६१) ने कहा है कि वही करो जो तुम्हारी अन्तरात्मा को शान्ति दे। जह्नुने पुत्र (४।२३९) कहा है—'न माता-पिता, न पत्नी, न लब्धे उह सत्ता (परलोक) मे शापी होंगे, केवल सदाचार ही साय देगा।' देवता एवं आन्तर पुरुष पापमय कर्तव्य को देखते हैं (वनपर्व, २०।७।५४; मनु० ८।८।५)

६. तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदतीत्येतद् ध्येयैतदुभयं भवति। बृह० १।४।१४; तदेतानि जपेदसतो वा सद् गमय सप्रसो वा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मांमृत गमयेति। बृह० उ० १।३।२।

७. नाविततो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तिमानसो वापि प्रज्ञानेन नमानुयात् ॥ कठ० १।२ २३; और वैश्विपु, वही १।३।७। तथा मंत्रेयी उ० ३।५। जिसमें ऊँचे एवं उदात्त वर्णन के विद्यार्थी द्वारा त्याग्य अग्र्यकार-गुणों की सूची है।

८. अदोह-सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा विरा। अनुग्रहस्य धर्मं च सती धर्मः सनातनः॥ शान्तिपर्व, १६२।२१।

११-१२, और देखिए आदिपर्व, ७५।२८-२९, मनु० ८।८६, अनुशासन २।७३-७४)। 'तत्त्वमसि' का दार्शनिक विचार प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा की अविच्छिन्नता का द्योतक है। इसी दार्शनिक विचारधारा को दया, अहिंसा आदि गुण प्राप्त करने का कारण बताया गया है। हम यहाँ नैतिकता एवं तत्त्व-दर्शन (अध्यात्म) को साथ साथ चलते हुए देखते हैं। अतः इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया सुखद या दुःखद दूसरे को प्रभावित करता हुआ बतलाया गया है। दश (३।२२) ने कहा है कि यदि कोई आनन्द चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि से देखना चाहिए, जिस दृष्टि से यह अपने को देखता है। 'सुख एव दुःख एव को तथा अन्यो को समान रूप से प्रभावित करते हैं। देवल ने कहा है कि अपने लिए जो प्रतिकूल हो उसे दूसरो के लिए नहीं करना चाहिए।' अतः हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने नैतिकता के लिए (सद्नैतिकों के लिए) प्रामाणिकता के रूप में श्रुति (अर्थात् 'सर्वं शंसु इव ब्रह्म') एवं अन्वय करने के प्रवर्णन दोनो को ग्रहण किया है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के प्रथम कारण पर इस प्रकार प्रवर्णन पड़ जाता है। अब हम दूसरे कारण पर विचार करें। हम उदात्त गुण क्यों प्राप्त करें; इस प्रश्न का उत्तर मानव-अस्तित्व के लक्ष्यो (पुरुषार्थ) के सिद्धान्त की व्याख्या में मिल जाता है। बहुत प्राचीन काल से चार पुरुषार्थ कहे गये हैं—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, जिनमें अन्तिम तो परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति जिस किसी को ही हो पानी है, अधिकांश के लिए यह केवल आदर्श मात्र है। 'काम' सबसे निम्न धर्मो का पुरुषार्थ है, इसे केवल मूर्ख ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ मानते हैं। महाभारत में आया है—एक समझदार व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है किन्तु यदि तीनों की प्राप्ति न हो सके तो वह धर्म एवं अर्थ प्राप्त करता है किन्तु यदि उसे केवल एक ही चुनना है तो वह धर्म का ही चुनाव करता है। धर्मशास्त्रकारों ने काम की सर्वथा मत्संज्ञा नहीं की है, वे उसे मानव की किन्नाशील प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं, किन्तु उसे अन्य पुरुषार्थों से निम्नकोटि का पुरुषार्थ ठहराते हैं। गौतम (१।४६-४७) ने धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य ने भी यही बात कही है (१।११५)। आपस्तम्ब ने कहा है कि धर्म के बिना अर्थ में आनेवाले सभी सुखों का भोग करना चाहिए, इस प्रकार जो दोनो लोक मिल जाते हैं (२।८।२०।२२-२३)। भगवद्गीता में कृष्ण अपने को धर्माविरुद्ध काम के समान कहते हैं। कौटिल्य का कहना है कि धर्म एवं अर्थ के अविरोध में काम की तुष्टि करनी चाहिए, बिना आनन्द का जीवन नहीं बिताना चाहिए। किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटिल्य ने अर्थ को ही प्रधानता दी है, क्योंकि अर्थ से ही धर्म एवं काम की उत्पत्ति होती

१. धर्मवशात् परततद्गुण इत्यस्यः सुखमित्युच्यते। सुखदुःखानि सुखानि यथात्मनि तथा परे ॥ दश, ३।२२।

१०. धूमता धर्मसर्वथां धृत्वा धैर्यावधायताम् ॥ आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ देवल का दृश्य-रानावर मे उद्धरण। सुखता कीजिए, आपस्तम्बामुनि १०।१२; 'आत्मवासर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति।' अनुशासनपर्व १।३।८-९; न तापरस्य सदभ्यान् प्रतिकूलं यथात्मनः। एव संतेपनो धर्मः कामादभ्यः प्रवर्तते ॥ प्रवर्णने यः शनो यः सुख-सुखे प्रियाप्रिये ॥ आत्मोपघनेन पुण्यः प्रमाणमधिगच्छति ॥ दार्शनिक २६०। २० एवं २५; यद्यपि धर्मोऽयम् धर्मं पुण्यः ॥ न तापरेत् कृशो न जानप्रियमात्मनः। सर्वं प्रियाभ्युपगतं धर्मं प्राटुमंतीनिः ॥

शु. ॥ ५० ॥ ५१। 'युक्तः प्राणात्मामात्मो भरतसंभ ॥ धर्मापानुदुष्यते त्रिधासात्मनये नराः ॥ सुखदुःखविनिबिध्यात्

५. सुख-युक्तः प्राणात्मामात्मो भरतसंभ ॥ धर्मापानुदुष्यते त्रिधासात्मनये नराः ॥ सुखदुःखविनिबिध्यात्

५. सुख-युक्तः प्राणात्मामात्मो भरतसंभ ॥ धर्मापानुदुष्यते त्रिधासात्मनये नराः ॥ सुखदुःखविनिबिध्यात्

५. सुख-युक्तः प्राणात्मामात्मो भरतसंभ ॥ धर्मापानुदुष्यते त्रिधासात्मनये नराः ॥ सुखदुःखविनिबिध्यात्

५. सुख-युक्तः प्राणात्मामात्मो भरतसंभ ॥ धर्मापानुदुष्यते त्रिधासात्मनये नराः ॥ सुखदुःखविनिबिध्यात्

विद्वद्भ्यां श्रीमान् ॥ एवमुपि लोकाधिपतिभिः ॥ आपस्तम्ब०, २।८।२०।२२-२३ ॥

है।" मनुस्मृति (२।२२४), विष्णुधर्मसूत्र (७।१।८४) एव मागवत (१।२।९) ने धर्म को ही प्रधानता दी है।" कामसूत्रकार बाल्यायन ने धर्म, अर्थ एव काम की परिभाषा की है और क्रम से प्रथम एव द्वितीय को द्वितीय एव तृतीय से श्रेष्ठ कहा है, किन्तु राजा के लिए उन्होंने अर्थ को सर्वश्रेष्ठ कहा है। धर्मशास्त्रकारों ने इस प्रकार आसन्न एव परम लक्ष्यो एव प्रेरणाओं की ओर संकेत किया है और अन्त में परम लक्ष्यो एव प्रेरणाओं को ही श्रेष्ठतम माना है। उनके अनुसार उच्चतर जीवन के लिए तन और मन दोनों का अनुशासित होना परम आवश्यक है, अतः निम्नतर लक्ष्यो का उच्चतर गुणो एव मूल्यो के आश्रित हो जाना परम आवश्यक है। मनु ने अरस्तू के समान ही सभी क्रियाओं के पीछे कोई अनुमानित या पूर्वकल्पित शुभ या कल्याणप्रद तत्त्व मान लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव वासनाओं की ओर झुकता है, अतः उन पर बल देने के स्थान पर उनके निग्रह पर बल देना चाहिए (५।५६)। उपनिषदों ने भी हित एव हिततम के अन्तर की स्वीकार किया है।"

विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा (१।१) में लिखा है कि अहिंसा तथा अन्य गुण सबके लिए, यहाँ तक कि चाण्डाली तक के लिए है। कतिपय ग्रन्थों में इन गुणों की सूचियों में श्रेष्ठ पाया जाता है। दशस्मृति (१।५) में कथित शान्ति, सत्य, आत्म-निग्रह (दम) एव शुद्धि नामक सामान्य गुण सबके लिए हैं। महाभारत के मत से निर्वेरता, सत्य एव अक्रोध तीन सर्वश्रेष्ठ गुण हैं।" बसिष्ठ के मत से सत्य, अक्रोध, दान, अहिंसा, प्रजनन जैसी सामान्य बातें सभी वर्णों के धर्म हैं (४।४, १०।३०)। गीतम ने झूठों को भी सत्य, अक्रोध, दण्ड के लिए प्रोत्साहित किया है (१०।५२)। मनु के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह सभी वर्णों के धर्म हैं।" सत्राट् अशौच ने निम्नलिखित गुणों का उल्लेख अपने शिलालेखों (स्तम्भ २ एव ७) में किया है—दया, उदारता, सत्य, शुद्धि, मदता, शान्ति, प्रसन्नता, साधुता, आत्मसयम। यह सूची गीतम की सूची से मिलती-जुलती है। ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक के लिए याज्ञवल्क्य ने नौ गुणों का वर्णन किया है (१।१२२)। शान्तिपर्व में ये नौ गुण हैं—अक्रोध, सत्यवचन, सविभाग, क्षमा, प्रजनन, शौच, अद्रोह, आर्जव, भृत्यभरण। वामनपुराण में दस गुण हैं, यथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान, शान्ति, दम, क्षम, अकार्षण्य, शौच, तप। हेमाद्रि ने सामान्य धर्मों की चर्चा की है। विष्णुधर्मसूत्र में १४ गुणों का वर्णन है।"

१३. अयंशास्त्र, १।७ 'धर्मायविरोधेन कामं सेवेत। न किमुलः स्यात्।अयं एव प्रधानमिति कौटिल्यः। अयंमूलो हि धर्मकामाविति।'

१४. धर्मायविरोधेन धर्मः कामायी धर्म एव च। अयं एवेह वा धेदतिवर्ग इति तु ह्यपिः ॥ मनु० २।२२४। परित्यजेदर्थकामौ यो ह्यवार्ता धर्मवर्जितौ। मनु० ४।१७६; मिलाइए, विष्णुधर्मसूत्र ७।१।८४ 'धर्मविद्वेषौ धर्मकामौ (परिहृतेः)'; अनुशासन ३।१८-१९—धर्मश्चाप्यंशक कामश्च त्रितय जीविते फलम्। एतन्नृपमवाप्तव्यमयमपरिवर्जितम् ॥ विष्णुपुराण ३।२।७—परित्यजेदर्थकामौ धर्मवीर्यरूरी नृप। धर्ममप्यनुलोके सौरुविद्विष्टमेव च ॥

१५. स्वमेव बुणीत्य य एवं मनुष्याय हिततमं मग्धते इति। कौपीतिक ३।० उ० ३।१।

१६. एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत। निर्बेरता महाराज सत्यमक्रोध एव च ॥ आश्रमवासिपर्व २।८।९; प्रीष्येव तु पदाप्याहुः पुण्यस्योत्तमं व्रतम्। न ह्युहोर्ध्वं दृष्टाच्च सत्यं धैर्यं वदेत् ॥ अनुशासनपर्व १२०।१०।

१७. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। एतं साम्राजिकं धर्मं चातुर्वर्ण्यं सर्वयोग्यम् ॥ मनु० १०।६३; वेदिए, सभी आधर्मों के लिए १० गुण, मनु० ६।६२।

१८. क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसयमः। अहिंसा गुणधनुष्या तीर्षानुसरणं क्षमा। आर्जवं सोमगुण्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम्। अनभ्यसुया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ विष्णु० २।१६-१७।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने नैतिक गुणों को बहुत महत्व दिया है और इनके पालन के लिए बल भी दिया है, किन्तु धर्मशास्त्र में उनका सीधा सम्पर्क व्यावहारिक जीवन से था, अतः उन्होंने सामान्य धर्म की अपेक्षा वर्णाश्रमधर्म की विनाश व्याख्या करना अधिक उचित समझा।

आर्यावर्त

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में वैदिक धर्म के अनुयायियों के देश या क्षेत्र आर्यावर्त के विषय में प्रसूत चर्चा होती रही है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य-संस्कृति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात् आज का उत्तर-पश्चिमी भारत एवं पंजाब या (सात नदियाँ का देश सप्तसिन्धु)। कुमा (बाबुल नदी, ऋ० ५।५३।९, १०।७६।६) से कुमु (आज का कुर्रम, ऋ० ५।५३।९, १०।७५।६), मुवान्तु (आज का स्वात, ऋ० ८।१९।३७), सप्तसिन्धु (सात नदियाँ, ऋ० २।१२।२, ४।२८।१, ८।२।२३, १०।४३।३), यमुना (ऋ० ५।५२।१७, १०।७५।५), गन्धा (ऋ० ६।४५।३१, १०।७५।५) एवं सरयू (सम्भवतः आज के अवध में, ऋ० ४।३०।१४ एवं ५।५३।९) तक ऋग्वेद में वर्णित है। पंजाब की नदियाँ ये हैं—सिन्धु (ऋ० २।१५।६, ५।५३।९, ४।३०।१२, ८।२।२५), अतिक्ती (ऋ० ८।२।२५, १०।७५।५), परष्णी (ऋ० ४।२।२२, ५।५२।९), विषाम् एवं नुतुद्रि (ऋ० ३।३३।१-४) दोनां के मगध का उल्लेख है। दृषदती, आपसा एवं सरस्वती (ऋ० ३।२३।४ परम पवित्र), गोमती (ऋ० ८।२।३०, १०।७५।६), विन्दा (ऋ० १०।७५।५)। आर्यों ने जमश दरिण एवं पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। वाठन न कुम्भजन्तु का उल्लेख किया है। वाठनो के मृग में आर्य क्रिया-कलापों एवं संस्कृति का केन्द्र कुम्भजन्तु एवं वाठन विद्वत् तत्र बस गया। शतपथब्राह्मण के मत में कुम्भजन्तु की भाषा या बोली सर्वोत्तम थी।^१ कुम्भजन्तु के उद्घाटन आर्य भी बाली की प्रसन्ना की गयी है। विदेह माठव, कीसल-विदेह के आगे हिमालय से उतरी हुई सदावीर नदी को पार करके उगरे पूर्व में गये, जहाँ की मूमि उन दिनों बड़ी उर्वर थी। यहाँ तक कि बौद्ध जाता बर्हानिवा में हुए 'उद्विच्य ब्राह्मणा का प्रयोग उनसे अभिमान के मूचन के रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं की वेदी कुम्भजन्तु में बनी गयी है (५।१।१)। ऋग्वेद में भी ऐसा आया है कि वह स्थान, जहाँ से दृषदती, आपसा एवं सरस्वती नदियाँ घटती हैं, सर्वोत्तम स्थान है (३।२३।४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुम्भजन्तु जाड़े में पूर्व की ओर और गर्मी में अन्तिम मास में पश्चिम की ओर जाते हैं। उपनिषद्-काल में भी कुम्भजन्तु प्रदेश की विविध मत्ता थी। जब जनक (विदेहराज) ने मगधिया तो कुम्भजन्तु के ब्राह्मण बहुत सन्तान में उनके यहाँ पधारे (बु० उ० ३।१।१)। स्वयंसेतु पञ्चालों की समा में गये (बु० उ० ३।९।१९, ६।२।१, छान्दोग्य० ५।३।१)। ऋषीतकी ब्राह्मणउपनिषद् में आया है कि उगीतर, मास्य, कुम्भजन्तु, बाली विदेह क्रिया-कलापों के केन्द्र है (४।१), इसी उपनिषद् में उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ों (सम्भवतः हिमालय एवं विन्ध्य) की ओर संकेत है (२।१३)। निम्बक (२।२) में लिखा है कि कम्बोज देश आर्यों की सीमा के बाहर है, मद्यपि वहाँ की भाषा आर्यभाषा ही प्रतीत होती है। महाभाष्य के अनुसार गुप्त्य आर्य देश नहीं था। आर्यावर्त की सीमा एवं स्थिति के विषय में धर्मग्रन्थों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। बर्हिष्पथधर्मसूत्र के अनुसार आर्यावर्त मरु-मिलन के पड़े सरस्वती के पूर्व, कालजन्तु के पश्चिम, पारिधात एवं विन्ध्य पर्वत के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है (१।८-९, १२-१३)। इस धर्मसूत्र ने दो ओर मत दिये हैं—'मगध एवं यमुना के मध्य में आर्यावर्त है' तथा 'जहाँ कृष्ण मृग विचरण करते हैं वही आर्यावर्त मत्ता विराजमान

है।' आपस्तम्बधर्मसूत्र में भी यही बात है। पतञ्जलि ने अपने महामाध्य में यही बात कई बार दुहरायी है। शतलिखित के धर्मसूत्र में आया है—'अनवध ब्रह्मवर्चसं (पुनीत आध्यात्मिक महता) सिन्धु-सोवीर के पूर्व, कामिल्य नगर के पश्चिम, हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत के उत्तर आर्यावर्त में विराजमान है।' मनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण तथा पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र की स्पष्ट करता हुआ प्रदेश आर्यावर्त है। वीषायनधर्मसूत्र (१।१।२८) में गंगा एवं यमुना के मध्य का देश आर्यावर्त कहा गया है। यह दूसरा मत है। यही बात तैत्तिरीय-रूपक में भी है जहाँ कहा गया है कि गंगा-यमुना प्रदेश के लोगों को विस्मिष्ट आदर दिया जाता है (२।२०)। 'आर्यावर्त वह देश है जहाँ वृष्ण हरिण स्वामाविक रूप से विचरण करते हैं'—यह तीसरा मत, अधिकांश सभी स्मृतियों में पाया जाता है। वसिष्ठ एवं वीषायन के धर्मसूत्रों में भारत-विद्यो के निदान नामक ग्रन्थ की एक प्राचीन गाना बही गयी है, जिसमें आया है कि जिस देश के पश्चिम सिन्धु है, पूर्व में उठता हुआ पर्वत है तथा जिस देश में वृष्ण मृग विचरण करता है, उस देश में 'ब्रह्मवर्चसं' अर्थात् आध्यात्मिक महता पायी जाती है। इस प्राचीन गाना क रहस्य की याज्ञवल्क्य-स्मृति के भाष्य में विश्वरूप (याज्ञ० १।२) ने श्वेताश्वतर के एक गद्यांश में उद्धरण से स्पष्ट किया है कि 'यज्ञ एक बार वृष्ण मृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा और धर्म में उसका पीछा करना आरम्भ किया।'

आर्यावर्त की उपर्युक्त सीमा के विषय में राक्ष, विष्णुधर्मसूत्र (८।४।४), मनु (२।२३), याज्ञवल्क्य (१।२), सवर्त (४), लघु-हारीत, वेदव्यास (१।३), बृहत्-पराशर तथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रवर्तित किया है। मनु-स्मृति (२। १७-२४) में ब्रह्मावर्त को सरस्वती एवं दुपद्मती नामक दो पवित्र नदियों के बीच में स्थित माना है और कहा है कि इस प्रदेश का परम्परागत आचार 'सदाचार' कहा जाता है। मनु ने बृहश्रेत, मत्स्य, पञ्चान एवं शूरसेन को ब्रह्मविदेश कहा है और इसे ब्रह्मावर्त से थोड़ा कम पवित्र माना है। उनके मत में हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में और विनयान (सरस्वती) के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यदेश है, तथा आर्यावर्त वह देश है जो हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में है, जो पूर्व-पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है तथा जहाँ वृष्ण मृग स्वामाविक्रमता विचरण करते हैं। उनके मत से यह आर्यावर्त यज्ञ के योग्य माना जाता है। इन उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देश म्लेच्छदेश कहे जाते हैं। मनु ने तीन उच्च वर्णों के मनुष्यों को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मविदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त आदि देशों में रहने को कहा है। उनके मत से आपत्काल में शूद्र वर्ण के लोग कहीं भी रह सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में विन्ध्य के दक्षिण की भूमि आर्यसंस्कृति से अछूनी थी। वीषायनधर्मसूत्र (१।१।३१) का कहना है कि अबन्ति, अग, मगध, मुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्, सिन्धु एवं सोवीर देश के लोग शूद्र आर्य नहीं हैं। इसका यह भी कहना है कि जो आर्युक्त, कारस्वर, पुण्ड्र, सोवीर, अग, वग, कालिंग एवं प्रानूत (?) आता है उसे सर्वपृष्ठ नामक यज्ञ करना पड़ता है और कालिंग जानेवाले को तो प्रायश्चित्त के लिए वैश्वानर अग्नि में हवन करना पड़ता है। याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मित्तारास में देवक का एक ऐसा उद्धरण आया है जिससे यह पता चलता है कि सिन्धु, सोवीर, सौराष्ट्र, म्लेच्छदेश, अग, वग, कालिंग एवं आन्ध्र देश में जानेवाले को उपनयन संस्कार कराना पड़ता था। विन्धु ज्यो-ज्यो आर्य-संस्कृति का प्रसार चतुर्दिक् होता गया, ऐसी धारणाएँ निर्मूल होती गयीं और सम्पूर्ण देश सबके योग्य समझा जाने लगा। आर्य-संस्कृति के उत्तरोत्तर पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़ने से एक अनार्यों द्वारा उत्तर-पश्चिमी सीमा एवं पंजाब पर आक्रमण होने से पंजाब की नदियों वाला प्रदेश आर्यों के पास के लिए अयोग्य समझा जाने लगा। वर्णपत्र में सिन्धु एवं पंजाब की पाँच नदियों के देश में रहनेवालों को अनुद्ध एवं धर्मवाह्य कहा गया है (४।३।५-८)।

वैदिक धर्म जहाँ तक परिख्याप्त है, उस भूमि को वित्तोपत पुराणों में भरतवर्ष या भारतवर्ष कहा गया है। हारवेल के हाथीगुम्हा के अमिलेस में इस शब्द की भरखबन कहा गया है। मार्कण्डेयपुराण (५७।५९) के अनुगार

भारतवर्ष के पूर्व दक्षिण एवं पश्चिम में समुद्र एवं उत्तर में हिमालय है। विष्णुपुराण (२।३।१) में भी यही उल्लेख है। मत्स्य वायु आदि पुराणों में भारतवर्ष बुभारो अन्तरीप से गया तत्र बह्य गया है। जमिनि के भाष्य में शबर ने कहा है कि हिमालय से लेकर बुभारो तक भाषा एवं सञ्चरित में एकता है (१०।१।३५ एवं ४२)। मार्कण्डेय (५३।४१), वायु (भाग १, ३३।५२) तथा कुछ अन्य पुराणों के अनुसार स्वयम्भुव मनु के वंश में उत्पन्न ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, किन्तु वायु के एक अन्य उल्लेखानुसार (भाग २, अ० ३७।१३०) दुष्यन्त एवं सञ्जुन्ता के पुत्र भरत से भारतवर्ष हुआ। विष्णुपुराण ने भारतवर्ष को स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मभूमि माना है (धर्म-भूमिरिय स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्)। वायुपुराण ने यही बात दुहरायी है। एक मनोरञ्जक बात यह है कि भारत-वर्ष के वे प्रदेश, जो आज अपने को अति बट्टर मानते हैं, आदित्यपुराण द्वारा (स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण द्वारा) वास व याम्य नहीं मान गये हैं, यहाँ तक कि वहाँ धर्मयात्रा को छोड़कर कभी भी ठहरने पर जातिच्युतता का दोष प्राप्त होता था तथा प्रायश्चित्त करना पड़ता था। आदिपुराण (आदित्यपुराण ?) में आया है कि आर्यावर्त के रहनेवालों का मित्र्यु, धर्मंदा (धर्मनामा ?) या बरतोप्य को धर्मयात्रा के अनिश्चित कभी भी नहीं पार करना चाहिए, यदि वे ऐसा करें तो उक्त चान्द्रायण धत करना चाहिए।^१

स्मृतिवारा एवं भाष्यकारों ने आर्यावर्त या भरतवर्ष या भारतवर्ष में व्यवहृत वर्णाश्रम-धर्मों तक ही अपने को सीमित रखा है। उन्होंने इतर लोगों के आचार-व्यवहार को मान्यता बहुत ही कम दी है, यात्रावलयभूमि (२।१९२) ने कुछ छूट दी है।

२०. वाचस्पतीविरचितगीराष्ट्रदेशरीष्टाश्रमव्यवहाराः। वाचस्पतीविरचितः। ह्यजाते देशा निरिद्रता भूतान् ॥ पञ्च-
मश्रीः.....वतेत् ॥ ...गीराष्ट्रसिन्धुगीरोरमावन्व्य इतिशाण्यम् ॥ गर्वतान् कामभो देशान् कान्तिमान् च पतेत् द्विजः ॥
स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत आदित्यपुराण; आदित्यपुराण—आर्यावर्तमपत्यमो द्विजो वा यदि वारिद्विजः। धर्मंदा-
तिपुराण च वरतोप्यं च सपदेत् ॥ आर्यावर्तमतिक्रम्य किदा तीर्थं किदा द्विजः ॥ आत्मा चैव तथा पित्रोरंशयेन किन्-
व्यति ॥ परिभाषाव्यवहारा, पृ० ५९१।

अध्याय २

वर्ण

भारत की जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विशिष्टताओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें अधिकांश, जातियों एवं उपजातियों की विविधताओं तथा उनकी अर्वाचीन धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं एवं व्यवहार-प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं। जाति-उद्गम के प्रश्न ने भाति भाति के अनुमानों, विचार-शास्त्रों एवं मान्यताओं की सृष्टि कर डाली है। कतिपय ग्रन्थकारों ने या तो कुल, या वर्ण, या व्यवसाय के आधार पर ही अपने दृष्टिबिन्दु या मत निर्धारित किये हैं, अतः इस प्रकार उनकी विचारधाराएँ एकांगी हो गयी हैं। समाज-शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भारतीय जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विकास का अध्ययन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं मनोरञ्जक विषय है।

पाश्चात्य लेखकों में कुछ ने तो अति प्रशंसा के पुल बांध दिये हैं और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी आलोचना एवं भर्त्सना की है। सिडनी लो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विजान आब इण्डिया' (द्वितीय संस्करण, १९०७, पृ० २६२-२६३) में जाति-व्यवस्था के गुणों के वर्णन में अपनी कलम तोड़ दी है। इसी प्रकार एब्बे ह्यूबोम ने आज से लगभग १५० वर्ष पूर्व इसकी प्रशंसा की थी। किन्तु मेन ने अपने ग्रन्थ 'ऐश्येण्ट लॉ' (नवीन संस्करण, १९३०, पृ० १७) में इसकी क्षयकारी एवं विनाशकारी परम्परा की ओर संकेत करके भरपूर भर्त्सना की है। शेरिंग ने 'हिन्दू ट्राइब्स एण्ड वास्ट्स' नामक ग्रन्थ (जिल्ड ३, पृष्ठ २९३) में भारतीय जाति-व्यवस्था की भर्त्सना करने में कोई भी बचर नहीं छोड़ी है, किन्तु मेरिडिय ने अपने 'यूरोप एण्ड एशिया' (१९०१ वाले संस्करण, पृ० ७२) में स्तुति-गान किया है। कुछ लोगों ने जाति-व्यवस्था को धर्म ब्राह्मणों द्वारा रचित आविष्कार माना है।

जन्म एवं व्यवसाय पर आधारित जाति-व्यवस्था प्राचीन काल में फारस, रोम एवं जापान में भी प्रचलित थी, किन्तु जैसी परम्पराएँ भारत में चली और उनके व्यावहारिक रूप जिस प्रकार भारत में खिले, वे अन्यत्र दुर्लभ थे और यही कारण था कि अन्य देशों में पायी जानेवाली ऐसी व्यवस्था खुल-खिल न सही और समय के प्रवाह में पड़कर समाप्त हो गयी।

यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विशिष्टताओं पर कुछ ग्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतों का संकलन करें तो निम्न बातें उभर आती हैं, जिनका सम्बन्ध स्पष्टतः जाति-व्यवस्था के गुणों या विशेषताओं से है—

- (१) वधपरम्परा, अर्थात् एक जाति में सिद्धान्ततः जन्म से ही स्थान प्राप्त हो जाता है; (२) जाति के भीतर ही विवाह करना एवं एक ही गौत्र में या कुछ विशिष्ट सम्बन्धियों में विवाह न करना; (३) भोजन-सम्बन्धी बर्जना; (४) व्यवसाय (कुछ जातियाँ विशिष्ट व्यवसाय ही करती हैं); (५) जाति-श्रेणियाँ, यथा कुछ तो उच्चतम और कुछ नीचतम। सेनाट साहब ने एक और विशेषता बताया है; जाति-समा (पंचायत), जिसने द्वारा दण्ड आदि की व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती, यथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में; धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में भी इसकी बर्चा नहीं हुई है। आज एक जाति के अन्तर्गत ही विवाह सम्भव है, इसी से जन्म से जाति बाधा

विद्वान् प्रचलित है। अन्य तीन उर्युक्त विनिष्कृताएँ भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं युग-युग में अधिक-न्यून रूप में घटती-बढ़ती एवं परिवर्तित होती रही हैं। हम इन पाँचों विनिष्कृताओं पर वैदिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन धर्मशास्त्रों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो धारणाएँ रही हैं उनमें और आज की धारणाओं में बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हम वैवाहिक विवाह में और बन्धु-बन्धीयान पान में देख लेते हैं। आज कोई भी जाति कोई भी व्यवसाय कर सकती है। इस गति से जाति-सम्बन्धी बन्धन इतने ढँके पड़ने जा रहे हैं कि बहुत सम्भव है कुछ दिनों में जाति-व्यवस्था वैवाहिक विवाह-व्यवहार तक ही सीमित होकर रह जाय। यह सब अत्याधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की माँग का ही प्रतिफल है।

ऋग्वेद में ऋई स्पष्टा पर (१।७२।७, २।२।५, ९।९७।१५, ९।१०४।४, ९।१०५।४, १०।१२।४। ७) वर्ण का अर्थ है रम या प्रकाश। उही-वही, यथा २।१२।४ एवं १।१७२।६ में, वर्ण का सम्बन्ध ऐसे जन-गण से है जिनका चर्म रम्य है या गोरा। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।२।६) में आया है कि ब्राह्मण देवी वर्ण है और बृद्ध अगुण्य वर्ण है। 'अगुण्य वर्ण' का अर्थ है 'गूढ़ जाति'। ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों या दस्यु लोगों की अभिन्नता के विषय में बहुत-सी सामर्थियाँ मिलती हैं। इस विषय में दासों को हटाना एवं आर्यों को सहायता करने पर इन्द्र एवं अन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (ऋ० १।५।१।८, १।१०।३।३, १।११।७।२।१, ७।१।१।२।४, १८।१९; ३।२।९।९, ५।७।०।३, ७।५।६, ९।८।८।४, ६।१।८।३, ६।२।५।२)। दस्यु एवं दास दोनों एक ही हैं (ऋ० १०।२२।८)। दस्यु लोग अन्न (देवताओं के नियम-व्यवहारों को न माननेवाले), अक्रतु (पतन न करनेवाले), मूध्रवाचः (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं अपनाता (गुंने या चपटी मान वाले) बड़े गये हैं। दासों एवं दस्युओं को बन्धु-बन्धी अमुर की उपाधि भी दी गयी है।

उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेदीय काल में दो परस्परविरोधी दल थे; आर्य एवं दस्यु (दास), जो एक दूसरे से चर्म, रम, पूजा-पाठ, बोली एवं स्वरूप में भिन्न थे। अतः अति प्राचीन काल में वर्ण सम्बन्ध वैवाहिक दास एवं आर्य से ही सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं शक्तिव सन्दर्भ में वृद्धा प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु वर्ण सम्बन्ध का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि पुराणतत्त्वा (ऋ० १०।९०) में भी जहाँ ब्राह्मण, राजस्य, वैश्य एवं बृद्ध का उल्लेख हुआ है वहाँ वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में पुराणतत्त्व को छोड़कर वही भी वैश्य एवं बृद्ध सम्बन्धी आये हैं, यद्यपि अथर्ववेद में ऋई बार एवं तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये हैं। बृद्ध लोगों का बृहता है कि पुराणतत्त्व ऋग्वेद में कालान्तर में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द ऋई बार आया है, किन्तु परस्मिणी जाति के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि सोम ब्राह्मणों का भोजन है, किन्तु एवं शक्तिव को स्वर्णोप वृष के शत्रुओं, उदुम्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्ष के फलों को बूटकर उनसे रस को पीना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है कि तब तक ब्राह्मण एवं शक्तिव दो स्पष्ट दल हो गये थे, किन्तु ये दल आनुवंशिक थे कि नहीं, और उनमें भोजन तथा विवाह-सम्बन्धी वृद्धाव्य उत्पन्न हो गया था या नहीं, इस विषय में निर्दिष्ट रूप से कुछ पटना कठिन ही है। धर्मशास्त्रों के काल में भी भोजन एवं विवाह से सम्बन्धित विधान उतने बढोर नहीं थे जितना कि मध्ययुग एवं आधुनिक काल में

१. यो दातां वर्णवपदं गृह्णातः। ऋ० (२।१२।४) ; उमी वर्णवृषिपदं पुनीय। ऋ० (१।१७।१६) । पट्टो का अर्थ है 'जिन्होंने (इन्द्र में) दास रस को गृह्णा (अपहर) में रत्ता' ; और इतने का अर्थ है 'कोयी ऋषि (अपहर) में दो वर्णों की कल्पना की।'

२. ब्राह्मणस्य गृह्णस्य वर्णवर्णो ग्यावच्छते। बंध्यो च वर्णो ब्राह्मणः अगुण्यः इन्द्रः। तै० ब्रा० १।२।६।

देसने को मिलता है। किन्तु उन दिनों जन्म से ब्राह्मण होना स्पष्ट हो गया था। ऋग्वेद में 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ है 'प्रार्थना' या 'स्तुति'। अथर्ववेद (२।१५।४) में 'ब्रह्म' शब्द 'ब्राह्मण' वर्ण के अर्थ में आया है। 'ब्रह्म' शब्द का प्रथम ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं (ब्रह्म) के प्रणेता होते थे। ऋग्वेद में ब्रह्म एवं धात्र, 'स्तुति' एवं 'शक्ति' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कहीं-कहीं ये शब्द क्रम में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त हो गये हैं, यथा 'ब्रह्म' वे ब्राह्मण क्षत्र राजन्य' (ते० ब्राह्मण, ३।९।१४)। 'राजन्य' शब्द केवल पुरुषसूक्त में ही आया है। अथर्ववेद में यह क्षत्रिय के अर्थ में प्रयुक्त है (५।१७।९)। क्षत्रिय वैदिक काल में जन्म से ही क्षत्रिय थे कि नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है। ऋग्वेद की एक गाथा इस बात पर प्रकाश डालती है कि सम्भवतः ऋग्वेदीय काल में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों में कर्म-सम्बन्धी कोई अन्तर नहीं था। देवापि एवं शन्तनु दोनों ऋष्टियेण के पुत्र थे। शन्तनु छोटा भाई था, किन्तु राजा बही हुआ, क्योंकि देवापि ने राजा होने में अनिच्छा प्रकट की। शन्तनु के पापाचरण के फलस्वरूप अकाल पडा और देवापि ने यज्ञ करने बर्षा करायी। देवापि शन्तनु का पुरोहित था। इस कथा से यह स्पष्ट है कि एव ही व्यक्ति के दो पुत्रों में एक क्षत्रधर्म का, दूसरा ब्रह्मधर्म का पालन कर सकता था, अर्थात् दो भाइयों में एक राजा हो सकता था और दूसरा पुरोहित। ऋग्वेद (९।११।२।३) में एक कवि कहता है—'मं स्तुतिकर्ता हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्कियों में आटा पीसती है। हम लोग विविध क्रियाओं द्वारा धनोपार्जन करना चाहते हैं।' एष स्थान पर (ऋ० ३।४४।५) कवि कहता है—'हे सोम पान करनेवाले इन्द्र, क्या तुम मुझे लोगों का रक्षक बनाओगे या राजा? क्या तुम मुझे सोम पीकर मन्त रहनेवाला ऋषि बनाओगे या अन्त घन दोगे?' स्पष्ट है, एक ही व्यक्ति ऋषि, मद्रपुरय या राजा हो सकता था।

यद्यपि 'विद्' शब्द ऋग्वेद में केवल पुरुषसूक्त में ही आया है, किन्तु 'विश्' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। 'विश्' का अर्थ है 'जन-दल'। कई स्थानों पर 'मानुषीविश' या 'मानुषीपु विशु' या 'मानुषीणा विशाम्' प्रयोग आये हैं। ऋग्वेद (३।३४।२) में आया है—'इन्द्र शितीनामसि मानुषीणा विशा दीवीतामुत पूर्वयावा, 'अर्थात् 'इन्द्र, तुम मानवीय झुण्डों एवं देवी झुण्डों के नेता हो।' ऋग्वेद (८।६३।७) में मन्त्र 'यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्र घोषा अमुधन्तु' में 'विश्' सम्पूर्ण आर्य जाति का द्योतक है। ऋग्वेद के ५।३२।११ में इन्द्र की उपाधि है 'पाञ्चजन्य' (पांच जनो के प्रति अनुकूल) तथा ऋग्वेद के ९।६६।२० में अग्नि की उपाधि है 'पाञ्चजन्य पुरोहित'। कहीं-कहीं 'जन' एवं 'विश्' शब्दों में विरोध भी है, यथा 'स इज्जनेन म विदा स जग्मना स पुत्रेर्वाज मरते घना नृभि' (ऋ० २।२६।३)। किन्तु 'विश्' पाञ्चजन्य भी कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि 'जन' एवं 'विश्' में कोई भेद नहीं है। 'पाञ्च जना' का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार हुआ है (ऋ० ३।३७।९, ३।५९।७, ६।११।६, ८।३२।२२, १०।६५।१२३, १०।४५।६)। इसी प्रकार 'कृष्टि', 'शिति', 'चर्षणि' नामक शब्द 'पाञ्च' शब्द के साथ प्रयुक्त हुए हैं, उदाहरणार्थ, 'पाञ्चजन्यासु कृष्टिपु'।

३. श्व नो अग्ने अग्निभिर्बहू यज्ञं च चर्षय (हे अग्नि, अपनी ग्वाला से हमारी स्तुति एवं यज्ञ को बड़ाओ)। ऋ० १०।१४।१५; विद्वामिदयस यज्ञति बह्वेवं भारतं नतम् (यह विद्वामित्र का बहू अर्थात् स्तुति या आप्यात्मिक शक्ति भारत जनो को रक्षा करे)।

४. देखिए, यास्क का निश्चय (२।१०)। इसके अनुसार शन्तनु एवं देवापि की रूपा भाई थे।

५. 'काचरह ततो भिषगुपप्रक्षिणी नना। नानापियो बभूवो अनु गा इव तस्मिन्। यहाँ 'काच' का अर्थ है स्तुति प्रणेता; नदियों ने ऋग्वेद (३।३३।१०) में विद्वामित्र को काह रटा है; 'आ ते करो शुचवामा चर्षाति' 'काह रहम्' के लिए देखिए तिलान ६।६।

(श्रु० ३।५३।१६)। अतः विद्वां गण्ड ऋग्वेद की समी स्तुतियों में 'वैश्य' का बोधक नहीं, प्रत्युत 'जन' या 'आर्य जन' का बोधक है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२६) के अनुसार 'विद्वां' का अर्थ है 'राट्टिणी' (देव)।

श्रुति-ग्रन्थाः वे उपरान्त वे ग्रन्थों में 'दास' का अर्थ है 'गुलाम' (श्रीत मृत्यु)। ऋग्वेद में जिन दस जातियों का उल्लेख हुआ है, वे आर्यों की विरोधी थी, वे कालान्तर में हरा दी गयीं और अन्त में आर्यों की सेवा करने लगीं। मनुस्मृति के मत में गूढ की उत्पत्ति भगवान् ने ब्राह्मणों के दास्य के लिए की।^१ ब्राह्मण-ग्रन्थों में गूढों को बड़ी स्थान प्राप्त है जो स्मृतियों में है। इससे स्पष्ट है कि आर्यों द्वारा विजित दाम या दस्यु क्रमशः गूढों में परिणत हो गये। आरम्भ में वे वैरी थे, किन्तु धीरे-धीरे उनसे मित्र-भाव स्थापित हो गया। ऋग्वेद में भी इस मित्र-भाव की झलक मिल जाती है, यथा दास बलूम एव तश्च से सगीतज्ञ ने एव सो गाव्यं या अन्य दान लिये (८।१६।३२)। ऋग्वेद के पुरयभूक्त (१०।९०।१२) के मत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गूढ क्रम से परम पुरय के मुख, बाहुओं, जाँघों एवं पैरों से उत्पन्न हुए। इस कथन के आगे ही सूर्य एवं चन्द्र परम पुरय की आँसु एवं मन से उत्पन्न कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुरयभूक्त के नवि की दृष्टि में समाज का चार भागों में विभाजन बहुत प्राचीन काल में हुआ था और यह उतना ही स्वामाविक एवं ईश्वरसाम्मत था जितनी कि सूर्य एवं चन्द्र की उत्पत्ति।

ऋग्वेद में आर्य लोग काले चर्म वाले लोगों से पूषन् कहे गये हैं। धर्मसूक्तों में गूढों को काले वर्ण का कहा गया है (आपस्तम्बधर्म० १।१२७।११, बौ० धर्मसूक्त २।१।५९)। जैसे पशुओं में घोड़ा होता है वैसे मनुष्यों में गूढ है, अतः गूढ यज्ञ के गोम्य नहीं है (तैत्तिरीय संहिता—गूढो मनुष्याणामस्य पशूना तस्मात्तौ भूतसञ्चामिणावस्वन्न गूढस्य तस्माच्छूद्रो यज्ञेनवकल्पत । ७।१।१६)। इससे स्पष्ट है, वैदिक काल में गूढ यज्ञ आदि नहीं कर सकते थे, वे केवल पालकों ही होते थे। 'गूढ एव चलता-फिरता समान है, उगने समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए' ऐसा श्रुतिवाक्य है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता में आया है—'हमारे ब्राह्मणों में प्रव्राज भरो, हमारे मुन्नों (राजाओं) में प्रव्राज भरो, वैश्या एवं गूढों में प्रव्राज भरो और अपने प्रव्राज में मुझ में भी प्रव्राज भरो।' इससे स्पष्ट होता है कि गूढ लोग, जो प्रथमतः दाम जाति के थे, उस समय तक समाज के एक अंग हो गये थे और परमात्मा से प्रव्राज पाने में तीन उच्च जातियों के समकक्ष हीं थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि 'उसने ब्राह्मणों को गायत्री के साथ उत्पन्न किया, राजन्य की त्रिष्टुप् के साथ और वैश्य की जगती के साथ, किन्तु गूढ को तिसी भी छन्द के साथ नहीं उत्पन्न किया' (ऐतरेय ब्राह्मण ५।१२)। ताण्ड्यमहाब्राह्मण (६।१।११) में आया है—'अत एव गूढ, मने ही उगने पान बढ़ाने पनु हो, पान करने के पाप्य नहीं है, वह देव-हीन है, उसने लिए (अप्य तीन वर्णों के समान) किसी देवता की उचना नहीं की गयी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई (यहाँ पुरयभूक्त की ओर संकेत है, यथा. पशुना गूढो अजायत)। इससे यह कहा जा सकता है कि पशुओं से सपन्न गूढ भी दिवा की पद-भूजा किया करता था। सपन्नब्राह्मण कहता है, 'गूढ असाय है, गूढ धम है, किसी दीक्षित व्यक्ति को गूढ से भाषण नहीं करना चाहिए।' ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है—'(गूढों) अन्वयस श्रेष्ठा कामोपाप्य यथाकामवध्य' (३।५।३), अर्थात् गूढ दूसरों में अनुगामिन होता है वह किसी की आज्ञा पर उठता है, उसे कभी भी पीटा जा सकता है। इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि पद्यि गूढ लोग

१. गूढं तु वारुण्ये द्वाय श्रीतमकोतमेव वा। द्वायवामेव हि गृध्दोऽग्नी ब्राह्मणस्य स्वर्गमुच्यते। मनु० ८।५।११।

७. एवं भी धेहि ब्राह्मणेयु एवं रात्रयु नादृषि। एव विरयेयु द्वायेयु मयि धेहि वधा वधम्॥ तं० तं० ५।३।११-१३।

८. तस्माच्छूद्र उत शूद्रानुरादिभ्यो विदेको नहि तं वाचन देवतायामुच्यते तस्यात्पराहनेत्यं कर्तव्यंते एतौ

हि शूद्रः। ताण्ड्य० ६।१।११।

आर्य-समाज के अन्तर्गत आ गये थे, किन्तु उनका स्थान बहुत नीचा था। उनमें और आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी गयी थी। यह बात ब्राह्मण ग्रन्थों एवं धर्मशूत्रों के वचनों से सिद्ध हो जाती है। गौतमधर्मशूत्र (१२।३) में उस शूद्र के लिए, जो आर्य नारी के साथ सम्मोग करता था, कड़े दण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमीमांसा(मूत्र) (६।१। २५-३८) में जैमिनि बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते हैं कि अग्निहोत्र एवं वैदिक यज्ञों के लिए शूद्रों का कोई अधिकार नहीं है। आश्वयं एवं सन्तोष भी बात यह है कि कम से कम एक आर्य्य श्राद्धरि न शूद्रा के अधिकारों के लिए मत प्रकाशित किया कि वे भी वैदिक यज्ञों के योग्य हैं (६।१।२७)। वेदान्तमूत्र (१।३।३८-३८) में आया है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है, यद्यपि कुछ शूद्र पूर्वजन्मों के कारण, यथा विदुर, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्मृति-साहित्य में कृष्ट स्थलों पर आर्यों एवं शूद्र नारियाँ के विवाह के सम्बन्ध में छूट दी गयी है (इस बात पर आगे किसी अध्याय में चर्चा होगी)। शूद्रा के विषय में हम आगे भी कुछ विवरण उपस्थित करेंगे। महा इतना ही पर्याप्त है।

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य महिताओं के वर्णन में स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्या के कर्मव्यो में विभाजन-रेखाएँ स्पष्ट हो गयी थी। ऋग्वेद (८।५।८) में उल्लेख है कि वह राजा, जो ब्राह्मण को सर्व-प्रथम आदर देता है, अपने घर में मुख में रहता है। 'ब्राह्मण ऐसे देवता हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देव मन्त्रे हैं (न० म० १।७।३।१)। 'देवताओं के दो प्रकार हैं, देवता तो देवता हैं ही, और ब्राह्मण भी, जो पवित्र ज्ञान का अन्न करने हैं और उसे पढ़ते हैं, मानव देवता हैं' (मन० ब्रा०)। अथर्ववेद (५।१।७।१९) में ब्राह्मणों की महत्ता गयी गयी और उन्हें सर्वोपेक्ष्य कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।३४) में आया है कि जब वरुण म कहा गया कि राजा ऋग्वेद के पुत्र के स्थान पर ब्राह्मण-पुत्र की वंश दी जायगी, तो उन्होंने कहा—'हो, ब्राह्मण तो क्षत्रिय में उनमें ममता ही जाना है।' किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है—'न वै ब्राह्मणो राज्यापालम्' अर्थात् ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद् में आया है कि अद्वय के समय ब्राह्मण एवं राज्ञ्य दोनों बीणा ब्रह्मों (दो ब्राह्मण नहीं), क्योंकि धन को ब्राह्मण के यहाँ आनन्द नहीं मिलता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों के चार विशेषण गुण हैं—ब्राह्मण्य (ब्राह्मण रूप में पवित्र माता पिता वाजा गुण, अर्थात् ब्राह्मण रूप में पवित्र पैतृवता), प्रतिरूपचर्या (पवित्राचरण), यज्ञ (महत्ता) एवं लोकपति (लोगों को पढ़ाना या पूर्ण बनाना)। 'जब लोग ब्राह्मण से पढ़ते हैं या उसके द्वारा पूर्ण होते हैं तो वे उसे चार विशेषणियाँ देते हैं, अर्वा (आदर), दान, अग्नेयना (वीर्य कष्ट नहीं देना) एवं अद्वयता।' शतपथ ब्राह्मण (५।४।६।१०) में स्पष्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण, राज्ञ्य, वैश्या एवं शूद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मणों के विशेषणकारों के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

अब हम मक्षेप में, क्षत्रियों की स्थिति के विषय में भी जानकारी कर लें। ऋग्वेद में कई स्थानों पर, यथा १०।८२।१० एवं १०।९।७।६ में 'राजन्' का अर्थ है 'बड़ा' या 'महान्' या 'प्रभु'। वहीं-वहीं 'राजन्' का अर्थ है 'राजा'। ऋग्वेद के बाद में राज्य वर्ग-सम्बन्धी था, यथा यदु लोग, तुवंग लोग, दृष्ट्य लोग, अनु लोग, पुरु लोग, भृगु लोग, तुल्यु लोग। क्षत्रिय ही राजा होता था। जब राजा को मुकुट पहना दिया जाता था (सज्जानिभेष होता था) भी यही समझा जाता था कि एक क्षत्रिय सबका अधिपति, ब्राह्मणों एवं धर्म की रक्षा करनेवाला उत्तर विरा मथा है।"

९. प्रजा वर्धमाना क्षत्रुरो धर्मन् ब्राह्मणमभित्तिष्पादयति ब्राह्मण्य प्रतिरूपचर्यां यज्ञो लोकपतिन्म लोकः । पश्यमानश्चतुर्भिर्धर्मैर्ब्राह्मणं भूतस्त्वचंघ्रा घ दानेन घ्रायंयतया घावध्वतया घ । शतपथ० ११।५।७।१।
१०. क्षत्रियोजनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विशामताजनि.... ब्राह्मणो गोप्राजनि धर्मंघ गोप्राजनि । ऐतरेय ब्राह्मण ३८ एवं ३९।३।

क्षत्रिय का बार्हण्य आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, ब्राह्मण एव क्षत्रिया व गृह्यण स यदा मिलता है, आदि वाक्ये श्रुति-ग्रन्था स स्पष्ट हो जाती है (सूक्त ६० ४।१।४।६)। यमरा राजा व पुराहित का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। एव ब्राह्मण बिना राजा के रह सकता है, किन्तु एव राजा बिना पुराहित के नहीं रह सकता, यहाँ तक कि देवताओं का भी पुराहित की आवश्यकता होती है (तैत्तिरीय सू० २।५।१।१)। ऋषि के पुत्र विस्वस्व देवताओं व पुरोहित के (तै० म० २।५।१।१)। ऋषि एव अमर्ष अमुरा के पुराहित थे (शतक सू० ६।८)। एव राजस्य, जिस पुराहित प्राप्त है, अन्य राजस्यो स उत्तम है। एव राजा, जा ब्राह्मणो व ऋषि मतिनार्ता नहीं है अर्थात् उनका सम्भार मितम है वह अपने दानुआ स अधिप शक्तिशाली होता है (या चं गमा ब्राह्मणाद्व-सीयानमिमेभ्यो वं ग बलीवान् भवति (सतपथ ब्राह्मण ५।६।६।१५)। किन्तु सतपथ ब्राह्मण स ही नहीं-ही क्षत्रिया की सबसे उत्तम रहा गया है। अथर्ववेद स ब्राह्मण सर्वोच्च रहा गया है (५।१।८।१ एव १३ तथा ५।१९।३ एव ८)।

किन्तु सभी-सभी कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों का अनादर भी किया है। महाभारत एव पुराणों की गाथाएँ कुछ राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के प्रति अनादर भी प्रकट करती हैं। राजा वार्तवीर्य एव विद्वान्मित्र की गाथाएँ, त्रिशूल उग्र-दण्डि एव वसिष्ठ की गाथाएँ छीन ली थीं, वह बताती हैं कि बहुत से राजा अत्याचारों के और उन्नत ब्राह्मणों व प्राँ की कोई आदर नहीं प्रकट किया (महाभारत—शान्तिपर्व ६९, आदिपर्व १७५)। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की पत्नियाँ भी राजाओं के हाथ स अरक्षित थीं (अथर्ववेद ५।१७।१४)।

तैत्तिरीय संहिता स आया है—पशुओं की बलिदान करनेवाले वैश्य मनुष्य उन्नत करत है। अतः एतत् सत्य पराजित हो गये ता व वैश्य की देवा का प्राप्त हो गये या अमुरा व विष्णु का गय।^{११} मनुष्यो स वैश्य, पशुओं स गाय अन्य लाया के उग्रमंत्र की वस्तुएँ हैं, वे भोजन के आधार में उत्पन्न किये गये हैं, अतः वे सत्यास स अधिप ह।^{१२} तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि वैश्य ऋषि मन्त्रों से उत्पन्न हुए हैं। दसके अनुसार क्षत्रिया का उद्भव यजुर्वेद से एव ब्राह्मणों का उद्भव सामवेद स हुआ है।^{१३} इसी ब्राह्मण में यह भी किया है कि विष्णु ब्राह्मणों एव क्षत्रिया स पृथक् रहत ह। तादृश्य ब्राह्मण में यह आया है कि वैश्य ब्राह्मणों एव क्षत्रिया स निम्न श्रेणी के हैं (तादृश्य महाब्राह्मण ६।१।१०)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।५।३) के अनुसार वैश्य अन्य लाया का भाजन हैं और वर देनवाता हैं। उग्रमंत्र आया स स्पष्ट है कि वैश्य पशु वर स बनने थे, पशु गोप्य वर स थे, दाना ऊँची जातियाँ की अपेक्षा मध्या स अधिप थे, उन्नत वर देना पशुओं का, वे ब्राह्मणों एव क्षत्रिया स दूर रहत थे और उनकी आज्ञा का पालन करत थे।

यौगन्धेय्यो ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणयन समय स इनकी मुद्रा ही नहीं थी कि राजाओं स भी जाति विभक्तन हो गया था। अग्नि एव वृद्धर्षी देवताओं स ब्राह्मण थे, उन्नत वर्ण स क्षत्रिय थे, वयु, वृद्ध, पित्र देव एव मरु विष्णु थे, तथा पूजा मुद्रा था। दर्शो प्रकार यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ण स उन्नत हैं, क्षत्रिय वर्ण स उन्नत एव विष्णु वया ऋषि हैं।

११. पशुहास एव वैश्यो यजन। तै० सू० २।५।१०।२; तै देवा पराजिग्याता अमुराणा वैश्यमुपायन्। तै० सू० २।१।७।१।

१२. वैश्यो मनुष्याणां ताव वसुनां सत्यास आया अग्रयानावय्यमुपयन्त तामाद् भूयोऽप्येभ्यः। तै० सू० ७।१।१।५।

१३. ऋष्यो जातं वैश्यं वर्णमाह। यजुर्वेद क्षत्रियवाङ्मूर्धनिष्। सामवेदो ब्राह्मणार्ता प्रमुनिः। तै० सू० ७।१।२।९; तामाद् ब्रह्मणश्च क्षत्रियश्च विष्णोऽप्येभ्योऽप्येभ्योः। तै० सू० ७।१।१।५।

चार वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय एवं शिल्प में सम्बन्धित वर्गों का जो वर्णान्तर में जानि-भूचक हो गये तथा वपत्ता अर्थात् नार्ड (श्रु० १०।१४०।४) तप्टा अर्थात् बडई या ग्वनिर्माता (श्रु० १।६१।४ ७।३२।२०, ९।११२।१, १०।११९।५) तप्टा या बडई (१।१०२।८) गिरक अर्थात् वैद्य (१।११२।१ एवं ३) कर्मार या कर्मार अर्थात् जेहाङ्ग (१०।७२।२ एवं ९।११२।२) चमन् अर्थात् चमसोघनवाङ्ग या चमाङ्ग (श्रु० ८।५।३८) । अथर्ववेद में रथकार (३।१।६) कर्मार (३।१।६) एवं सूा (३।५।७) का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय संहिता (४।५।४।२) में क्षत्ता (चैवरे इगने वाजा या द्राएणाल) मप्रहीता (कोषाण्ण) तथा (बडई गम्भार) कुणाल (कुम्हार), कर्मार पुञ्जिष्ठ (व्याघ्र) निपाद इपकन (वाणनिर्माता) ग्वजन (मर्पनिर्माता) भूष्यु (शिखारी) एवं इवनि (गिरारी कुत्ता को ले जातवाले) का नाम आय है। य नाम वाजयनेयी संहिता (१६।२६ २८ ३०।५ १३) तथा ऋग्वेद संहिता (१७।१४) में आय है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१) में आगोम मागध (माङ्ग) मूल गैलूष (अभिनेता) रेस भीमल रथवाङ्ग तथा कौण्ड कर्मार भणितार कण (नार्ड रोपनेवाला) इपुहार धवकाङ्ग ज्याकार (प्रत्यवा निर्माता) ग्वजुसय मगय इवनि मुगावाङ्ग ग्वस्ताप (लोहा या ताँबा तपानवाला) क्तिव (जुगारी), विदकार कण्णकार के नामों का उल्लेख हुआ है। ये नाम संहिताओं एवं ब्राह्मणों के प्रणयन काल में सम्भवतः जानिभूचक भी थे। यद्यपि य व्यवसाय एवं शिल्प के सूचक हैं किन्तु इनमें सम्बन्धित जातियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। तात्पर्य ब्राह्मण में किरातों का भी उल्लेख है। य अनाय एवं आदिवासी थे। गौत्रम एवं चाण्डाल का उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३०।१७) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१।४ एवं ३।४।१७) में हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् में चाण्डाल निम्न श्रेणी में रत्ता गया है (५।२।४८) ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।८) में उल्लेख है कि ब्राह्मण धर्मिय एवं वैश्य क्रम में वमन् श्रुतु शीष्य श्रुतु एवं गण्ड श्रुतु में यज्ञ करें किन्तु रथकार वर्णों श्रुतु में ही यज्ञ करें। तो क्या रथकार तीन उच्च जातियों में मिश्र है? जैमिनि ने अपन पूर्वमामामुत्र (६।१।४४ ५०) में रथकार को तीन जातियों से मिश्र माना है और उसे मीपन्वन जाति का कहा है। स्पष्ट है रथकार गृह तो नही था किन्तु मीन उच्च जातियों से निम्न श्रेणी का अवयव था। आज न बडई वही-वही उपनयन सम्कार कराते हैं और जनेऊ भी धारण करते हैं। निषादों के विषय में स्वयं श्रौत एवं गृह-ग्रन्थों में मतभेद है। पूर्वमीमांसामुत्र में आया है कि निषाद रथ के लिए, जैसा कि वेद में आया है 'इष्टि देसकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में निषादों को दुष्कर्मी कहा है (३।७।७)। भाट्टाचार्य ब्राह्मण में ऐसा उल्लिखित है कि विरजित् या कन्नेवाला निषादों की बस्तों में रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के भोजन को ग्रहण कर सकता है (२।५।१५) । मयाण्ड कथ (३।१) में रथकार एवं निषाद दोनों अग्निहोत्र एवं दण-भूषणमास नामक इत्थों के पाप माने गये हैं।

तन्त्रेय ब्राह्मण (२।१।६) में उल्लेख है कि जब विद्वान्मित्र न अपन ५० पुत्रों को आगा दी कि वे गुरुगोप को मा अपना मां मानें और जय उतव पुत्रा न उनरी आता वा उल्लेखन किया ता उन्हां उन सभी को अप्र पुत्र, शबर, पुत्रि-भूतिव हा ज्ञान का पाप दिया। य वातियाँ दस्यु भी। सम्भवन दूती विबन्ती के आभार पर मनुमूर्ति (१०।६३ ६५) ने पीण्डवा आडा द्रविडा चम्बाजा यवना गवा पारसी पल्लवा चीना किराता दरदो एवं

१४ ताननुध्यात्रहारास्ताव प्रजा भभोऽन्ति। त एतेऽप्रा पुत्रा शबरा पुत्रिदा भूतिवा इत्युक्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्युनां भूयिष्ठा। ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।६) ।

१५ शतंस्तु श्रियाचोपादिमा क्षत्रियजातयः। वृषलव गता लोके ब्राह्मणान्दिन च॥ पौत्रकाशौद्रु-द्रविडा कान्चोत्रा यवना शरा। पारदा पल्लवाचौकी किराता शरदा तथा॥ मुलबाहूणग्राता या लोके जातयो बहिः। स्तेच्छवाचरार्पवाच सर्वे ते शपयः स्मृतः॥ मनु० १०।४३ ४५ ।

एसों को मूलतः क्षत्रिय माना है और ब्रह्मा है कि वे कालान्तर में वैदिक सम्प्रदायों से न बनने से एव ब्राह्मणों के सम्बन्ध में दूर रहने पर मुद्रों की श्रेणी में आ गये। मनु ने यह भी कहा है कि चारों वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ मूढ़ हैं चाहे वे आर्यों या म्लेच्छों की भाषा बोलती हों।

पुण्यमूनन म ब्राह्मण राजन्म वैश्य एव मूढ की जो चर्चा है तथा शतपथ ब्राह्मण में जिन चार वर्णों का उल्लेख है, वह वैश्य सिद्धान्त मात्र नहीं है, प्रत्युत वह एक व्यावहारिक परिचयों का उल्लेख है। स्मृतियों में इन चारों वर्णों को धृति-अथन मान्यर उन्हे शाश्वत एव निरिचय बहुर उनके विनोपाधिवारो एव वर्तन्तो की चर्चा कर डाली है। उपमूनन विवेचन के उपरान्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएँ उपस्थित कर सकते हैं—

(१) आरम्भ में वैश्य दो वर्ण थे—(१) आर्य एव उनसे बँधी, (२) दस्यु या दास। यह अन्तर्भेद वैश्य एव सगृहीतों को लेकर था, अर्थात् सम्पूर्ण समाज का दो भागों में विभाजन वैश्य वर्गीय एव सारगृहीत था।

(२) संहिता-काल में शताब्दियाँ पूर्व दस्यु पराजित हो चुके थे और वे आर्यों के अधीन निम्न श्रेणी के मान लिये गये थे।

(३) पराजित दस्यु ही कालान्तर में मूढ़ टहराये गये।

(४) दस्युओं के प्रति पृथक्त्व की भावना एव उच्चता के अहंकार के फलस्वरूप आर्यों ने क्रमशः अपने भीतर भी विभाजन की रेखाएँ खींची, अर्थात् कुछ आर्य जातियाँ नौ दस्युओं की श्रेणी में आती चली गयीं।

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तक ब्राह्मण (अध्ययनाध्यापन एव पीरोहित्य-नार्य में सम्मन), क्षत्रिय (राजा, सैनिक आदि) एव वैश्य (शिल्पकार एव सामान्य जन) विभिन्न वर्गों में बँट गये थे और उनकी जाति का निर्धारण जन्म में मान लिया गया था, दाना ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय में उच्च मान लिये गये थे।^{११}

(६) वैदिक काल में बहुत पूर्व पाण्ड्य एव पीत्तल निम्न जाति में उल्लिखित हो चुके थे।

(७) सम्प्रदाय एव सगृहीत के उत्थान के फलस्वरूप कार्य-विभाजन की उत्पत्ति हुई और कतिपय वक्त्रों एवं निम्नवर्गों के उद्भव के कारण व्यवसायों पर आधारित बहुत-सी उपजातियों की मूर्ति होती चली गयीं।

(८) चार वर्णों के अतिरिक्त स्वरार के समान कुछ अन्य मध्यवर्ती जातियाँ भी बन गयीं।

(९) कतिपय अज्ञान जातियाँ भी थी, जिनके विषय में यह धारणा बन गयी थी कि मूलतः वे क्षत्रिय थी, किन्तु अथ गदमूनत हो चुकी थी।

वैदिक काल के अन्त होने के पूर्व निर्मातृजात जातियों का उद्भव हो चुका था। ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायों एवं गिल्डों में सम्मिलित थीं। राजगणत्री महिषा, तैत्तिरीय महिषा, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पाण्ड्य महिषा (१७।१३), अन्तर्भेद सगृहीत ब्राह्मण (३।४), ऐन्द्रेय ब्राह्मण, शान्तेय एव बृहदारण्यकोपनिषद् के आधार पर ही निम्न सूची उपाधियों की जा रही है। कुछ एव के नाम पहले भी उल्लिखित कर दिये गये हैं और कुछ एव का अर्थ अभी नहीं जाना हो सका है और उनके आगे प्रस्तावना चिह्न लगा दिया गया है।

अनागत (बहरी पाण्ड्याणा)	धर्मज	मीमन् (बापर?)
अगत	पाण्ड्या	
अपगत	जम्बव (?)	मन्विर

११. चार वर्णों का यह सिद्धान्त शोध साहित्य में भी पाया जाता है। किन्तु वहाँ सूची में क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के पहले रने गये हैं।

अयोगू या आयोगू	भ्याकार	मागध
	तक्षा	गार्गीर
अविपाल (गडरिया)	दाश	मृतिव
आन्द (?)	धनुष्कार	मृगयु
	भा	मैनाल
इपुकार	धन्वाकार	राजवित्री (रगरेज)
	या	रज्जुसर्ग या सर्ज
रूप	धन्वकृत्	रयकार
कण्टककार या कण्टकीकारी	धैवर	राजपुत्र
(बाजसनेयी सहिता में)		रेम ((?)
कर्मार	निपाद	वसानती
	या	वप (नाई)
कारि (नतंक)	नैपाद	वाणिज
		वास-पल्लुलि (योवी)
चितव	पुश्चलु	विदलकारी या विदल
		द्वाल्य
किरात	पुञ्जिष्ठ	शबर
कीनास (खेतिहर)	पुङ्ग	शाबत्य (?)
		शैल्य
कूलाल या कीनाल	पुलिन्द	स्वनी (श्वनित)
केवर्त	पीञ्जस	सगृहीता
कोदाकारी (भायी फूँवनेवाला)	वैन्द (मछली पकड़ने वाला)	मुराकार
क्षत्ता		मूत
		सेलग
गोपाल (गुबाला)	मिपक्	हिरण्यवार

धर्मसूत्रों, प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों एवं मेगस्थनीज के अपूर्ण उद्धरणों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दी पूर्व वृत्तिपय जातियाँ विद्यमान थी। मेगस्थनीज का वृत्तान्त भ्रान्तिपूर्ण है, किन्तु उगरे कथन को हम मा ही नहीं टार सकते। उसके अनुसार भारत के जन सात जातियों में विभाजित थे—(१) दार्शनिक, (२) श्रमण, (३) गोपाल एवं गडरिया, (४) मिल्पवार, (५) तैनिक, (६) अवेधक तथा (७) समामद एवं करवाही। इनमें पहला एवं तीसरा वर्ग क्रम से ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के मूचक हैं, दूसरा एवं तीसरा वर्ग वैश्य के, चौथा मूद का एक उदा तथा पात्रवा अश्वशों एवं अमात्यो (कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार) के मूचक हैं। अष्यक एवं अमात्य, वास्तव में, जातिमूचक नहीं हो सकते, ये व्यवसाय के परिचायक हैं। सम्भवतः ये पद वशापरम्परागत थे, अतः मेगस्थनीज का ध्रम हो गया है। मेगस्थनीज ने यह भी कहा है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह आदि नहीं कर सकते थे और न अपनी जाति के व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय कर सकते थे। यह कथन वैधव्य सिद्धान्त की ओर संकेत करता है न कि व्यवहार की ओर। अपवाद तो सर्वत्र पाये जाते हैं।

प्राचीन परमेश्वरकारों ने स्मृति-सम्मत चार वर्णों में उद्भूत जात्या-प्रजातियों की उत्पत्ति के विषय में बहुत कुछ लिखा है। एतद्गत में सभी ने स्वीकार किया है कि देश में पैली हुई विभिन्न जातियाँ एक जाति के पुरुषों एवं स्त्रियों जाति की स्त्रियों के मेल में उत्पन्न हुई हैं। स्मृतियों में कतिपय जातियाँ एवं उपजातियों का बर्णन है। ये जातियाँ या उपजातियाँ वाप्यनात्मक नहीं थी प्रकृत उनके पीछे परम्पराओं एवं रूढ़ियों का इतिहास था। देश के विभिन्न भागों में मिलने वाले स्मृति ग्रन्थ दश या के मासी हैं कि समय-समय पर समाज में प्रचलित आचारों को धार्मिक एवं लौकिक-सम्मत प्रतिष्ठा देना अनिवार्य था जो यथा था।

सभी परमेश्वरकार, (१) चारों वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के क्रम में रखते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि (२) एतद्गत जाति का व्यक्ति अपने में निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता है, किन्तु कोई निम्न जाति का व्यक्ति अपने में उच्च जाति की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। (३) कुछ स्मृतिकारों ने एक तीसरी स्थापना भी प्रस्तुत की है, यदि एतद् ही जाति वाले पिता एवं माता में कोई उत्पन्न हो तो वह सतति जन्म में ही उन्नी जाति को मानने जायगी। जब एतद् उच्च वर्ण या जाति का व्यक्ति अपने में निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है (लोम - वेदा में माथ स्वाभाविक क्रम में-अनुलोम) और दूसरे उत्पन्न मन्त्रि को अनुलोम कहा जाता है। किन्तु जब किसी उच्च जाति की स्त्री का विवाह किसी निम्न जाति या वर्ण के पुरुष में होता है, तो इसे प्रतिलोम (लोम - वेदा के विपरीत, स्वाभाविक श्रयवा उचित क्रम के विपरीत) विवाह कहा जाता है और दूसरे उत्पन्न सतति को प्रतिलोम मन्त्रि को मन्त्रा मन्त्रिनी है। वैदिक मन्त्रि में 'अनुलोम' एवं 'प्रतिलोम' शब्द विवाह के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (३।१।१५) एवं बौधायनी श्राद्धोपनिषद् (५।१८) में ऐसा आया है कि यदि एतद् ब्राह्मण ब्रह्मणान ने निम्न किसी क्षत्रिय के पाग जाय तो यह 'प्रतिलोम' मन्त्रि बतौ जायगी। सम्भवतः इसी अर्थ को ब्राह्मण में विवाह के लिए भी प्रयुक्त कर दिया गया।

अब देना है कि अनुलोम या प्रतिलोम नामक सम्पन्न विवाह है या केवल मन्त्रि मन्त्रि माय। आपम्पन्न-परमेश्वर (३।५।१।३।१, ३-५) ने अनुलोम विवाह को भी अस्वीकृत किया है। उन्होंने अनुलोम एवं प्रतिलोम जातियों की अस्वीकृति नहीं की है। किन्तु गोत्र (५।१), कतिष्ठ (१।२४), मनु (३।१२-१३) एवं दायव्यस्य (१।५५ एवं ५७) ने स्वजाति विवाह को उचित कहा है, किन्तु अनुलोम विवाह को अस्वीकृत माना है। ब्राह्मण्य (१।१७) ने स्पष्ट शब्दों में उ अनुलोम जातियों के नाम गिनाये हैं, यथा सूर्यवर्गिन, अश्वत्थ, निपाद, मन्त्रि, उष एवं रश्मि। ये जातियाँ उच्च वर्ण के पुरुषों एवं उनमें निम्न वर्ण की स्त्रियों की मन्त्रियों में उत्पन्न हुई हैं। मनु (१।५।११) ने लिखा है कि उ अनुलोम जातियों द्वारा के माते किना-सम्पन्न को कर मानते हैं किन्तु प्रतिलोम जातियाँ शूद्र के मन्त्रि हैं वे शूद्रों के मन्त्रि जाति नहीं कर मानते, चाहे वे ब्राह्मण स्त्री एवं क्षत्रिय पति का वैश्य पति में ही क्यों उद्भूत हुई हों। कतिष्ठ (३।७) ने लिखा है कि साधुओं को छोड़कर सभी प्रतिलोम शूद्रकृ हैं। किन्तु (१।५।३) ने शूद्र जातियों द्वारा मन्त्रि माना है (प्रतिलोमाश्वर्याभिहित)। परमाश्वर्याश्वरी द्वारा उद्भूत देवता का कहना है कि प्रतिलोम वर्णों में शूद्र एवं पति है। स्मृत्युत्पन्न के अनुसार अनुलोम पुत्र एवं सूर्यवर्गिन तथा अन्य अनुलोम जातियों द्वारा जातियाँ हैं और शूद्रों के माते मन्त्रि कर मानते हैं। शूद्र-गोत्रे साधुओं ने प्रतिलोम की मन्त्रिनी की है। गोत्र (५।३०) ने प्रतिलोमों को अस्वीकृत किया है। दश कथन का अर्थ विवाह (पाठ ३।२६२) में दश ब्राह्मण हैं—प्रतिलोम लोम उत्पन्न प्रादि सम्पन्न नहीं कर मानते, हों केवल साधुगण प्रादि कर मानते हैं। कतिष्ठ, कोषाद्य तथा अन्य देवता के मत स्पष्ट नहीं है, जब वे प्रतिलोम की पत्नी बनते हैं तो वह नहीं विदित हो पाता कि वे मन्त्रिनी विभिन्न देवता की पत्नीकण है या प्रतिशुद्ध है या साधु (अभिचार की मन्त्रिणी) है। किन्तु दश कथन में उल्लेख एतद् देवता स्पष्ट है। उल्लेख (५।३०) के अनुसार ब्राह्मण-स्त्री एवं क्षत्रिय-पुरुष के वैवाहिक मन्त्रि में उत्पन्न पुत्र 'मृत्' कहा जाता

है, किन्तु ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष के चौरिकाविवाह (प्रच्छन्न सम्मिलन) से उत्पन्न पुत्र 'रथवार' कहलाता है। स्पष्ट है, अनुलोम के अतिरिक्त प्रतिलोम विवाह भी विहित हो सकता था। उसना के अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय पुरुष का विधिवत् वरण कर सती थी और व्यापानुकूल दोनों के विवाह हो सकते थे। विधिवत् विवाह से उत्पन्न पुत्र एवं जारज पुत्र के अन्तर को सूतमहिता (शिवमाहात्म्य खण्ड, अध्याय १२।१२-८८) ने स्पष्ट समझाया है। मिनाक्षरा (याज्ञ० १।१०) ने कुण्ड, गोलक (मनु० ३।१७४), कानीन, महोदज नामक जारज सन्तानों को सर्वण, अनुलोम एवं प्रतिलोम से पृथक् माना है और उन्हें धूम कहा है, किन्तु क्षत्रिय को एक पृथक् श्रेणी में रखा है (क्योंकि त्रिविध-प्रथा स्मृतियों एवं शिष्टाचारों द्वारा विहित मानी गयी है) और उसे माता की जाति में गिना है। अपरार्क (याज्ञ० १।१२) ने कानीन एवं सहोदक भी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राह्मण मित्र किया जा सके तो) माना है, किन्तु निद्वेष्य (याज्ञ० २।१३३) ने कानीन एवं मूदज को माता की जाति का माना है, क्योंकि जनक का पना लगाना कठिन है। यही बात सहोदक के विषय में भी लागू है। इस प्रकार के गौण पुत्रों का उल्लेख ह्यम आगे के दायभाग नामक प्रकरण में करेंगे।

यहाँ हम, बहुत ही संक्षेप में, 'वर्ण' एवं 'जाति' शब्द के अन्तर का समझ लें। दोनों शब्दों का प्रयोग बहुधा समान अर्थ में होता रहा है। कभी-कभी दोनों के अर्थों में अन्तर भी पाया जाता रहा है। वर्ण की धारणा बस, सफ़ाई, चरित्र (स्वभाव) एवं व्यवसाय पर मूलतः आधारित है। इसमें व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेश होता है और यह सामाजिक वर्णों की व्यवस्था का द्योतक है। स्मृतियों में भी वर्णों का आदर्श है उन्ध्यापर, नमात्र या वर्ण ५. उच्च मापदण्ड पर चल देना, न कि जन्म से प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर चल देना। किन्तु इनके विपरीत जाति-व्यवस्था जन्म एवं आनुवंशिकता पर चल देती है और बिना कर्तव्यों के आचरणों पर चल देते केवल विशेषाधिकारों पर ही आधारित है। वैदिक साहित्य में 'जाति' के आधुनिक अर्थ का प्रयोग नहीं हुआ है। निरुक्त में 'जाति' शब्द जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (१२।१२)। पाणिनि में भी इसके मूल रूप की व्याख्या है (जात्यन्ताष्टो वधुनि, ५।८।९)। मनु (१।०।२७, ३१) ने 'वर्ण' शब्द को मिश्रित जातियों के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है और कहीं-कहीं (३।१५; ८।१७७, १।८६ आदि) इसका प्रयोग 'जाति' अर्थ में भी किया है।

अनुलोम विवाह में उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति के विषय में स्मृतिवार्ता के मत में संशय नहीं है। हमें तीन मत प्राप्त होते हैं—(१) यदि एक पुरुष अपने से निम्न-पाम वाली जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसकी सन्तानों का वर्ण पिता का वर्ण माना जायगा (बौ० ध० सू० १।८।६ एवं १।९।३, अनुशासनसूत्र ४८।४, नारद; कौटिल्य ३।७)। गौतम (४।१५) ने कहा है कि एक ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी को समान ब्राह्मण होंगी, किन्तु ऐसी बात क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री में उत्पन्न सन्तान के साम तथा वैश्य की मूद स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ नहीं पायी जाती। (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति पिता से निम्नतर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनु० १।०।६)। (३) तीसरा मत सामान्य मत है, 'अनुलोमस्तु मानुषवर्णा' (विष्णु० १।६।२), अर्थात् अनुलोम सन्तानों के कर्तव्य एवं अधिकार उनकी माता के समान होने हैं। यही बात राम एवं अपरार्क ने भी कही है। मेघातिथि (मनु० १।०।६) ने लिखा है कि पाण्डु, धृतराष्ट्र एवं बिदुर क्षत्रिय होने के नाते माता की जाति के थे। प्रतिलोम सन्तानें, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से निम्न स्थिति वाली होती हैं।

अति प्राचीन धर्मसूत्रों में बहुत कम वर्णसंकर जातियों का उल्लेख हुआ है। आपस्तम्बधर्मसूत्र में चाण्डाल, पौत्स्य एवं वंश के नाम आये हैं। गौतम ने पाँच अनुलोम जातियों तथा छ. प्रतिलोम जातियों के नाम गिनाये हैं। बोधायन गौतम की सूची में रथवार, स्वपाक, वैश्य, वृषट्ट के नाम जोड़ देते हैं। बर्गच्छ तो बहुत राम नाम लेते हैं। सर्वप्रथम मनु (१०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (१६) ने वर्णसंकर जातियों के व्यवसायों की सूची की है। मनु ने ६ अनुलोम,

६ प्रतिलोम एव २० मिथित जातियों के साथ २३ व्यवसायों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्य ने चार वर्णों के अतिरिक्त १३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। उगना ने ४० जातियों एव उनके विवशभण व्यवसायों की चर्चा की है। सभी स्मृतियों की तालिका देखने पर लगभग १०० जातियों के नाम प्रकट हो जाते हैं।

छ अनुलोमों में वेवका तीन के नाम मनु ने दिये हैं, यथा अभ्यष्ट, निषाद, उग्र। प्रारम्भिक छ. प्रतिलोम हैं— मूत, वीदेह, चाण्डाल, मागध, क्षत्रा एव भायोगव। उपजातियों का उद्भव चारों वर्णों एव अनुलोम तथा प्रतिलोम के सम्मिलन में, एव अनुलोम के पुत्र्य एव दूमरे की नारी के सम्मिलन में, प्रतिलोमों के पारस्परिक सम्मिलन से तथा अनुलोम के पुत्र्य या नारी एव प्रतिलोम के पुत्र्य या नारी के सम्मिलन से हुआ। याज्ञवल्क्य (११९५) ने रथकार को माहिस्य पुत्र्य एव करण स्या की मन्तान माना है। मनु (१०१५) ने कहा है कि आवृत एव आमोर सन्तानें क्रम से ब्राह्मण पुत्र्य एव उग्र कन्या एव ब्राह्मण पुत्र्य एव अभ्यष्ट कन्या में उत्पन्न हुई हैं (अर्थात् ब्राह्मण एवं अनुलोम जाति वाली कन्याओं की मन्ताने)। मनु (१०१२) ने स्वधारा को क्षत्रा पुत्र्य (प्रतिलोम) एव उग्र कन्या (अनुलोम) की सन्तान माना है। विद्वत्पा (याज्ञ० ११९५) ने ६ अनुलोम, २७ मिथित, (६ अनुलोमों एव ४ वर्णों से मिथित), ६ प्रतिलोम एव २४ मिथित (६ प्रतिलोमों एव ४ वर्णों से मिथित) अर्थात् ६० जातियों तथा असंख्य उपजातियों की ओर संकेत किया है। विष्णुधर्मसूत्र (१६।३) ने अग्रज्य जातियों (गच्छरकरादवामज्येषा) की ओर संकेत करके यह सिद्ध किया है कि आज में लगभग २००० वर्ष पूर्व भारतीय समाज में अग्रज्य जातियाँ एव उपजातियाँ थीं। स्मृतिकारों ने, इमीन्द्र, उनके मूल निवास के विषय में जनशरती प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया। निबन्धकारों ने भी असंख्य जातियों एव उपजातियों की ओर संकेत किया है। मेघानिधि (मनु० १०।३१) ने लिखा है कि ६० मिथित जातियाँ हैं, इनमें तथा चार वर्णों के पारस्परिक सम्मिलन में बहुमेदी उपजातियाँ बनती चली गयी हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञ० ११९५) जातियों की गणना करना ही छोड़ दिया है। माध्वामा बाल के धर्मशास्त्रकारों ने चारों वर्णों के घर्षों की चर्चा करके अन्य जातियों एव उपजातियों की उल्लेख कर दी है।

जातियों एव उपजातियों के नामों की व्याख्या करना बहुत कठिन है। जहाँ वे व्यवसाय की सूचना है तो बड़ी देना-प्रदेन की। स्मृतियों के काय में जातियों विभेदन, विभिन्न व्यवसायों की ही परिचायक थी।

'वर्णशर' या केवल 'शर' क्या है? मनु० (१०।१२, २४) में 'वर्णशर' बहुवचन में मिथित जातियों का सूचक है, सिन्धु अन्वय (१०।४० एव ५।८९) 'शर' शब्द वर्णों के 'मिश्रण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गौतम (८।३) ने भी 'शर' शब्द का प्रयोग किया है। 'दोनों (ब्राह्मण एव राजन्य) पर (मनुष्यों का) गौतम रक्षण, वर्ण-मिश्रण (वर्णशरणा), गुणों का (एवम्) होना (अर्थात् धर्ममालन) निर्भर करना है।" शर का रहना है कि प्रतियोग जन्म में वर्णशर होना है।" सिन्धु बृहस्पति ने अनुलोम एव प्रतिलोम दोनों जातियों को वर्णशर कहा है। बौधायनधर्मसूत्र के अनुशासक जो वर्णशर है वे शर है।" मिताक्षरा (याज्ञ० ११९५) ने अनुशासक एव प्रतियोग माना कि शर 'वर्णशर' शब्द का प्रयोग किया है। मेघानिधि (मनु० ५।८८) के मतानुसार 'वर्णशरणा' शब्द 'जायशर' की भाँति प्रतिलोमों का सूचक है। उनका रहना है कि यद्यपि अनुलोमों में

१३. प्रपूर्विसागमशरों धर्मः। गौतमधर्मसूत्र ८।३।

१८. प्रतिलोमोपेन वरजन्म त संघो वर्णशरः। शर (शरोपुम, १०२); ब्राह्मणशरजिद्वारा वर्णशरानवद-
शरयो द्विजाः। प्रतिलोमानुलोमादव मे शरया (शेया?) वर्णशरः॥ बृहस्पतिः (बृहस्पत्यशर)।

१९. वर्णशर शरुपशरान् ब्राह्मणशरुधर्मोपिणः। बी० प० मू० १।१।१६।

भी वर्णसंकरता पायी जाती है, किन्तु वे अपनी माता की जाति के विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं मनु (१०।२५) अनुलोमोंके लिए 'संकरणयोनि' शब्द का प्रयोग नहीं करते। यम ने कहा है कि मर्यादा के लोप होने से अर्थात् विवाह-सम्बन्धी नियमोंके उल्लंघनसे वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। यदि वर्णों का उचित क्रम माना जाय (अनुलोम अपत्ति) उँचे वर्णके पुरुष नीचे वर्णकी नारी से विवाह करे) तो सतत वर्णत्व प्राप्त करती है, किन्तु यदि प्रतिलोम क्रम माना जाय तो यह पातक है। मनु (१०।२४) ने कहा है—'जब किसी वर्णके सदस्य दूसरे वर्णकी नारियोंसे सम्भोग करते हैं, ऐसी नारियोंसे विवाह करते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए (यथासंगोत्र कन्यासे) तथा अपने वर्णोंके कर्तव्योंका पालन नहीं करते हैं, तब वर्णमन्त्रकी उत्पत्ति होती है।' अनुशासनपूर्व (४८।१) में उल्लेख है कि घन, लोम, काम, वर्णके अनिश्चय एव वर्णोंके अज्ञानसे वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है। मगवद्गीता (१।४१-४३) नामक दार्शनिक ग्रन्थ में भी आया है—'जब नारियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं, वर्णसंकरता उपजती है।

वर्णसंकरताको रोकनेके लिए स्मृतिकारोंने राजाओंको उद्बोधित किया है कि वे उन लोगोंको, जो वर्णोंके लिए बने हुए निश्चित नियमोंका उल्लंघन करें, दण्डित करें। गौतम (१।१९-१९) ने लिखा है कि शास्त्रोंके नियमोंके अनुसार राजाका वर्णों एव आश्रमाकी रक्षा करनी चाहिए, और जब वे (वर्णाश्रम) अपने कर्तव्योंसे अलग होने लगे तो उन्हें ऐसा करनेसे रोका जाय। वसिष्ठ (१९।७-८) ने भी ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार पिण्डधर्मयुज (३।३), याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३६१), भार्गव्यपुराण (२७), मत्स्यपुराण (२।५।६३) में भी कहा गया है। इसीलिए ईसाकी प्रथम शताब्दीमें आसपास राजा वासिष्ठीपुत्र सिरी पुडमायी (वासिष्ठीपुत्र श्रीपुलुमायी) को चारों वर्णोंको वर्णसंकर होनेसे बचानेके फलस्वरूप प्रशासिका मिली (एपीरोफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ६०-६१—विनिवृत्तितवातुवर्णसंकरसे)। युधिष्ठिरने भी (वनपर्व १८०।३१-३३) वर्णसंकर आदि की कड़े शब्दोंमें भत्सना की है। स्वामी शंकराचार्यने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (१।३।३३) में लिखा है कि उनके कालमें वर्ण एव आश्रम अव्यवस्थित हो गये थे और अपने धर्मके अनुसार नहीं चल पा रहे थे, किन्तु ऐसी बात पूर्व युगमें नहीं थी, क्योंकि ऐसा होने पर धर्मशास्त्रोंके विधान आदि निरर्थक ही सिद्ध हुए होते।"

गौतम (४।१८-१९), मनु (१०।६४-६५) एव याज्ञवल्क्य (१।९६) जात्युत्कर्ष एव जात्यपकर्ष नामक एक सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं। इन लोगोंके कथनोंकी व्याख्याओंमें विभिन्नता पायी जाती है, किन्तु सामान्य अर्थ एक ही है। गौतम (४।१८) ने लिखा है कि आचार्योंके अनुसार अनुलोम लोग जब इस प्रकार विवाह करते हैं कि श्रेयस्क स्तर में जब बर जाति में दुर्लभिनसे उच्चतर या निम्नतर होता है तो वे सातवीं या पाँचवीं पीढ़ीमें ऊपर उठते हैं (जात्युत्कर्ष) या नीचे जाते हैं (जात्यपकर्ष)।" हरदत्तने इसे इस प्रकार समझाया है—'जब एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारीसे विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होती है वह सर्वर्णा कहलाती है। यदि वह सर्वर्ण कन्या किसी ब्राह्मण द्वारा विवाहित हो जाय और वह क्रमसात पीढ़ियों तक चलता जाय और सातवीं कन्या किसी ब्राह्मणसे विवाह कर ले तो उस सम्बन्धसे जो भी सन्तान उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण वर्णवाली कहलायेगी (यद्यपि पूर्व

२०. मर्यादाया विनोदेन जायते वर्णसंकरः। आनुलोम्येन वर्णत्वं प्रातिलोम्येन पातकम् ॥ इत्यपस्तम्बकृती हस्तलिखित प्रति (व्यवहार, प्रकीर्णक) में उद्धृत यमका श्लोकः।

२१. इदानीमिव च कालान्तरेऽपि अध्येयस्थितप्राधान्यं वर्णधर्मान् प्रतिजानीत। व्रतस्य व्यवस्थाविधायि शास्त्र-मतसंबन्धं स्यात्। शांकरभाष्य, वेदान्तसूत्र १।३।३३।

२२. वर्णान्तरगमनमुत्कर्षापकर्षयोः सप्तमे पञ्चमे शाचार्याः। सूट्टपन्तरजातानां च। गौतम० ४।१८।१९।

पीडियों में केवल पिता ही ब्राह्मण थे, सभी माताएँ ब्राह्मण नहीं थीं, वे सवर्ण थीं। यह जात्युत्कर्ष (जाति में उत्पत्ति का उत्थान) कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण धर्मिय नारी से विवाह करता है और उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वह सवर्ण कहलायेगा। यदि वह सवर्ण पुत्र किसी धर्मिय नन्या से विवाह करता है और उसे पुत्र उत्पन्न होता है और यह क्रम पाँच पीडियों तक चला जाता है तो जब पाँचवीं पीढ़ी का पुत्र धर्मिय नन्या से विवाह करता है तब उसका पुत्र धर्मिय वर्ण का कहलायेगा (यद्यपि पूर्व पीडियों में पिता धर्मिय से ऊँची जाति का था और माता केवल धर्मिय जाति की थी)। इसे जात्युत्पत्तय (जाति की स्थिति में अपवर्ण या पतन) कहा जाता है। यही नियम धर्मिय का वैश्य नारी से तथा वैश्य का शूद्र नारी से विवाह करने पर लागू होता है। यही नियम अनुलोमों के साथ भी चलता है।

मनु के मतानुसार (१०।६४) जब कोई ब्राह्मण किसी शूद्र नारी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न नन्या 'पारशव' कहलाती है और यदि वह पारशव लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुनः इस सम्मिलन से उत्पन्न लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीढ़ी ब्राह्मण होगी, अर्थात् जात्युत्कर्ष होगा। ठीक इसके प्रतिकूल यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्रा से विवाह करता है और पुनः उत्पन्न होता है तो वह पुनः 'पारशव' कहलायेगा और जब वह पारशव पुनः किसी शूद्रा से विवाहित होता है और उसका पुनः पुनः वैसा करता है तो इस प्रकार सातवीं पीढ़ी में पुनः केवल शूद्र हो जाता है। इसे जात्युत्पत्तय कहा जाता है।

गौतम और मनु के मतों में कई भेद स्पष्ट हो जाते हैं—(१) मनु ने जात्युत्कर्ष एवं जात्युत्पत्तय दोनों के लिए मातृ पीडियों आवश्यक-अवश्य है, किन्तु गौतम ने (हरदत्त के अनुसार) त्रय से मातृ एवं पाँच पीडियों बताया है। (२) गौतम के अनुसार प्रथम में आठवाँ अनुलोम ही जायुत्कर्ष प्राप्त करता है, किन्तु मनु के अनुसार सातवीं पीढ़ी ही ऐसा कर पाती है। (३) जब आरम्भ में माता-पिता अनुलोम होते हैं तो जात्युत्कर्ष बँग होता है, इसके विषय में मनु मौन है। मनु के भाष्यकारों ने जाति के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के विषय में अर्वाचिनी बतल कर दी है। मेधातिथि के अनुसार पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष सम्भव है। इसी प्रकार जात्युत्पत्तय के लिए पाँच पीडियों ही पर्याप्त है।

मातृवन्वय (१।१६)^१ ने जात्युत्कर्ष एवं जात्युत्पत्तय के दो प्रकार बताये हैं, जिनमें एक तो विवाह (मनु एवं गौतम के समान) से उत्पन्न होता है और दूसरा ध्यवसाय में। यह जानना चाहिए कि सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष होता है; यदि ध्यवसाय (जाति या वर्ण की वृत्ति या पेशा) में विपरीतता पायी जाती है तो उसमें भी वर्ण के समान ही सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष पाया जाता है। मेधातिथि ने इसे इस प्रकार समझाया है— यदि कोई ब्राह्मण शूद्र से विवाह करे और उससे नन्या उत्पन्न हो तो वह नन्या निषादों की जायगी, यदि वह निषादी एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुनः उत्पन्न करती है और वह पुनः एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और यह क्रम छ पीडियों तक चला जाता है, तो छठी का बच्चा सातवीं पीढ़ी में आकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य नारी से विवाह करता है, तो उससे जो नन्या उत्पन्न होगी वह आश्वला कहलायेगी, और यदि वह आश्वला नन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस क्रम में चलकर छठी पीढ़ी में जो उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण कहलायेगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय नारी से विवाह करे और पुनः उत्पन्न हो तो वह सूर्यवर्णितक कहलायेगी (मातृवन्वय १।१६) और यदि वह सूर्यवर्णितक नन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होगी है तो सातवीं पीढ़ी में इसी क्रम में जो उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण होगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय किसी शूद्रा से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न नन्या उप कहलायेगी, और यदि वह क्षत्रिय से विवाह करे तो जात्युत्कर्ष छठी पीढ़ी में हो जायेगा।

यदि कोई क्षत्रिय वैश्य नारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न बच्चा भाहिष्या कहलायगी और जात्युत्कर्ष पाँचवी पीढ़ी में होगा। यदि कोई वैश्य शूद्र से विवाह करे तो उससे उत्पन्न बच्चा करणी कहलायेंगे और यदि वह वैश्य से विवाह करे तो पाँचवी पीढ़ी में जात्युत्कर्ष हो जायगा। चारों वर्णों के लिए कुछ न-कुछ विशिष्ट वृत्तियाँ या अपने व्यवसाय निर्धारित हैं। आपत्काल में एक वर्ण अपने निबट नीचे के वर्ण का व्यवसाय कर सकता है किन्तु अपने से ऊँचे वर्ण का व्यवसाय वर्जित है। किन्तु आपत्ति के हट जाने पर पुनः अपनी वृत्ति में लौट आना चाहिए।^१ इस विषय में हम वसिष्ठ (२।१३-२३), विष्णुधर्मसूत्र (२।१५), याज्ञवल्क्य (१।११८-१२०) गोतम (१०।१-७) आदि की देख सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति अपनाये और उसमें उत्पन्न लड़का भी वैश्या ही बरे तो इस क्रम से आगे चलकर सातवी पीढ़ी की मन्तान शूद्र हो जायगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य या क्षत्रिय की वृत्ति अपनाये तो इस क्रम में आगे चढ़कर क्रम से पाँचवी या छठी पीढ़ी में उसकी मन्तानें क्रम से वैश्य या क्षत्रिय हो जायेंगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की वृत्ति अपनाये तो पाँचवी या छठी पीढ़ी में उसकी मन्तानें क्रम से वैश्य या शूद्र हो जायेंगी। इसी प्रकार एक वैश्य की शूद्र वृत्ति उसकी पाँचवी पीढ़ी में उसके कुल को शूद्र बना देगी।

बोधायनधर्मसूत्र (१।८।३-१४) में जात्युत्कर्ष का एक दूसरा ही उदाहरण मिलता है—यदि कोई निषाद (एक ब्राह्मण का उसकी शूद्र नारी से उत्पन्न पुत्र) किसी निषादी से विवाह करता है और यह क्रम चलता रहता है तो पाँचवी पीढ़ी शूद्र की गति स्थिति से छुटकारा पा लेती है और मन्तानों का उपनयन मस्कार हो सकता है अर्थात् उनके लिए वैदिक यज्ञ किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त विधानों में जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था की दृढ़ताएँ पर्याप्त मात्रा में निहित हो जाती हैं। एक सन्देश उत्पन्न हो सकता है, क्या जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष की विधियाँ (विशेषण वृत्ति या व्यवसाय-सम्बन्धी) सभी वास्तविक जीवन में कार्यान्वित हुईं? पाँच या सात पीढ़ियों तक का वंश-क्रम स्मरण रखना हँसी-मेल नहीं है। इसके अनिश्चित इस विषय में स्वयं स्मृतिकारों में भ्रम नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे विधानों केवल आदर्श रूप में ही पड़े रह गये होंगे। मनु एवं याज्ञवल्क्य के कथनानुसार हमें साहित्य, धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों या शिलालेखों में कोई भी उदाहरण नहीं प्राप्त होता। शिलालेखों में वही-वही अन्तर्जातीय विवाह की बर्चाएँ पायी गयी हैं। कारम्म कुत्र आरम्भ में ब्राह्मणकुल या किन्तु बालान्तर में क्षत्रिय हो गया। वृत्ति-परिवर्तन के कारण ही ऐसा सम्भव हो गया, और आरम्भ के मयूर शर्मा वा कुल-वाग्यन्तर में वर्मा (क्षत्रियत्व की बोधक) उपाधि धारण करने लगा। महा-भारत में हम कुछ राजाओं को ब्राह्मण होने देखते हैं यथा राजा वीरह्व्य ब्राह्मण हो गये (अनुशासनपर्व ३०), आर्षिषेण सिन्धुदीप, देवाधि एवं विश्वामित्र मरुत्कती के पवित्र तट पर ब्राह्मण हुए (शल्पपर्व ३९।३६-३७)। पुराणों में विश्वामित्र, माण्डान्त, मांडूति, कपि, वप्रधन्व, पुत्रकुल, आर्षिषेण, अजमीड आदि ब्राह्मण पद प्राप्त करते देखे गये हैं।

धर्मशास्त्र-साहित्य एवं उन्नीसों लेखों से विदित होता है कि व्यवसाय-सम्बन्धी जातियों व्यवस्थित एक घनी थी। इस व्यवस्था में धर्मो, पूग, मण, घात एवं सद्य शस्त्रों की जनकारी आवश्यक है। वात्स्यायन के मतानुसार ये सभी समूह या वर्ग बँधे जाते थे।^२ वैदिक साहित्य में भी ये शब्द आये हैं किन्तु वहाँ इनका सामान्य अर्थ 'दल' अथ-

२४. अश्विनतः स्वधर्मोत्तरां धर्मोत्तरां वृत्तिमातिष्ठेत् । न तु कदाचिज्ज्यायसीम् । वसिष्ठ २।२२-२३।

२५. गणाः पावशःपूयाशः घातशः धर्मोत्तराः । समूहमाश्व ये धाम्ये वर्गास्थाने बृहस्पतिः ॥ स्मृतिधर्मशास्त्रा

(व्यवहार) में उद्धृत कार्यायन-वचन।

वा धर्म ही है।' पाणिनि ने पूग, गण, संघ (५।२।५२), घात (५।२।२१) की व्युत्पत्ति आदि की है। पाणिनि के काल तक इन शब्दों के विभिन्न अर्थ व्यक्त हो गये थे। महामाष्य (पारिगणित पर, ५।२।२१) ने घात को उन लोगों का दल माना है, जो विविध जातियों के थे और उनके कोई विभिन्न नियम व्यवसाय नहीं थे, केवल अपने शरीर के बल (पारिगणित) से ही अपनी जीविका चलाते थे। वासिष्ठा ने पूग को विविध जातियों के उन लोगों का दल माना है जो कोई नियम व्यवसाय नहीं करते थे, वे केवल फललोलुप एवं कामी थे। कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिकों एवं श्रमिकों में अन्तर बनाया है और दूसरे स्थान पर यह कहा है कि शम्भोज एवं गुराट्ट के शक्तियों की श्रेणियाँ आयुधनीवी एवं वार्ता (कृषि) जीवी हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (१६।१५) ने श्रेणी एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।१६७) ने धन का प्रयोग मर्यादित समाज के अर्थ में किया है। मनु (८।२।१९) ने सत्य का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। विविध माध्यमकारों ने विविध दण्डों में इन शब्दों की व्याख्या उपायित की है। कात्यायन के अनुसार मंगम एक ही तयार के नागरिकों का एक समुदाय है घात विविध अस्त्रधारी सैनिकों का एक झुंड है, पूग व्यापारियों का एक समुदाय है, गण ब्राह्मणों का एक दल है सघ बौद्धों एवं जैनों का एक समाज है, तथा गुल्म चाण्डालों एवं श्वारों का एक समूह है। याज्ञवल्क्य (१।२६।१) ने ऐसे कुलों, जातियों, श्रेणियों एवं गणों को दण्डित करने को कहा है, जो अपने अपार-व्यवहार से व्युत्पन्न होते हैं। मितधारा ने श्रेणी को पान के पत्तों के व्यापारियों का समुदाय कहा है और गण को हेलावुक (घोड़े का व्यापार करनेवाला) कहा है। अश्ववन्ध (२।१।९२) एवं नारद (समयसमानपात्रम्, २) ने श्रेणी मंगम, पूग, घात, गण के नाम दिये हैं और उनके परम्परा में चले आये हुए व्यवसायों की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (२।३०) ने कहा है कि पूगों एवं श्रेणियों को शगडों के अन्वेषण करने का पूर्ण अधिकार है और इस विषय में पूग को श्रेणी से उच्च स्थान प्राप्त है। मितधारा ने इस कथन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पूग एक स्थान की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों का एक समुदाय है और श्रेणी विविध जातियों के लोगों का समुदाय है, जैसे हेलावुकों, ताम्बूलिकों कुम्हियों (जुलाहों) एवं चर्मकारों की श्रेणियाँ। बाहमान विषहाराज के प्रश्नरत्नेत में हेलाविकों की प्रत्येक घोड़े के एक इन्धम देना का वृत्तान्त मिलता है (एपिरोपिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० १२४)। नासिक अभिलेख नं० १५ (एपि० इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ८८) में लिखा है कि आमीर राजा ईश्वरसेन के शासन-काल में १००० बाघोंपन कुम्हारों के समुदाय (श्रेणी) में, ५०० बाघोंपन तेलियों की श्रेणी में, २००० बाघोंपन पानी देनेवालों की श्रेणी (उदक-वाग-श्रेणी) में नियम सम्पत्ति के रूप में जमा किया गये, जिससे कि उनके ध्यात्र में रोगी भिक्षुओं की दवा की जा सके। नासिक के ९वें एवं १२वें शिलालेखों में जुलाहों की श्रेणी का भी उल्लेख है। दृविण के शासन-काल के मयुरा के ब्राह्मणिलेख में आटा बनानेवालों (ममितकर) की श्रेणी की चर्चा है। जुन्नार बौद्ध गुफा के शिलालेख में बाग का काम करनेवालों तथा बाग्यकारों (ताम्र एवं बाँदा बनानेवालों) की श्रेणियों में धन जमा करने की चर्चा हुई है। मन्गुप्त के इन्दौर ताम्रपत्र में तेलियों की एक श्रेणी का उल्लेख है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि ईसा के आगमन की शताब्दियों में कुछ जातियों, यथा शिल्पकारों, तेलियों, तमोतियों, जुलाहों आदि के समुदाय इस प्रकार मर्यादित एवं व्यवस्थित थे कि लोग उनमें निमग्न हो गये एवं बिचार में जमा करने में कि उनमें ध्यात्र रूप में दान के लिए धन मिलना सकेगा।

२६. हंजा इस श्रेणियों केवलें धर्मशास्त्रविषयमयः। श्र० १। १६३।१०; पूगो वै दः। तदेव त्वेन पूगेन तपस्येति। श्रेणी० ब्राह्मण १६।३; ताम्राहु हं वै ब्रह्मचारिण्य चरन् न प्रादायशीनादि हेतुश्चेद्विषय एवं धन स्यादिति हि ब्राह्मण्य० प्राय० धर्म० शु० १।१।१।२६।

अब हम लगभग ईसापूर्व ५०० से १००० ई० तक की उन सभी जातियों की सूची उपस्थित करेंगे जो स्मृतियों तथा अन्य धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में वर्णित हैं। इस सूची में मुख्यतः मनु, याज्ञवल्क्य, वैश्वानस स्मार्त-सूत्र (१०।११-१५), उशना, सूतसंहिता (शिवमाहात्म्य-खण्ड, अध्याय १२) आदि की दो हुई बातें ही उद्धृत हैं। निम्नलिखित जातियों में बहुत-सी अब भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं।

अन्ध—ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।६) के अनुसार विद्वामित्र ने अपने ५० पुत्रों को, जब वे शुकसेप को अपना भाई मानने पर तैयार नहीं हुए, क्षाप दिया कि वे अन्ध, पुण्ड्र, शवर, पुलिन्द, मूर्ख हो जायें। ये जातियाँ समाज में निम्न स्थान रखती थीं और इनमें बहुधा दस्यु ही पाये जाते थे। मनु (१०।३६) के अनुसार अन्ध जाति वैदेहक पिता एवं बर्बावर माता से उत्पन्न एक उपजाति थी और गाँव के बाहर रहती, जंगली पशुओं को मारकर अपनी जीविका चलाती थी। अशोक के शिलालेख (प्रस्तर-अनुशासन १३) में अन्ध लोग पुलिन्दों से सम्बन्धित उल्लिखित हैं। उद्योग-पर्व (१६०।१०३) में अन्ध (सम्भवत आन्ध्र देश के निवासी) द्रविडों एवं वाच्या के साथ वर्णित हैं। देवपालदेव के नालन्दा-पत्र में मेद, अन्ध्रक, एवं चाण्डाल निम्नतम जातियों में गिने गये हैं (एशियेटिकिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० ३२१)। उड़ीसा में एक परिगणित जाति है आदि-अन्ध (देखिए गेह्लूल्ड कास्ट्स आर्डर आव १९३६)।

अन्ध—वसिष्ठधर्मसूत्र (१६।३०), मनु (४।७९, ८।६८), याज्ञ० (१।१४८, १९७), अत्रि (२५।१), लिखित (९२), आपस्तम्ब (३।१) ने इस शब्द को चाण्डाल ऐसी निम्नतम जातियों का नाम उल्लिखित किया है। इस विषय में हम पुन 'अस्पृश्य' वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी अर्थ में 'बाह्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (आपस्तम्ब-धर्मसूत्र ६।१।३।१।१८, नारद-ऋणादान, १५५, विष्णुधर्मसूत्र १६।१४)।

अन्धज—चाण्डाल आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मनु (८।२७९) ने इसे शूद्र के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसके कई प्रकार पाये जाते हैं। अत्रि (१९९) ने मात अन्धजों के नाम लिये हैं, यथा रजक (घोबी), चर्मकार, नट (नाचनेवाली जाति, दक्षिण में यह कौलहाटि के नाम से विख्यात है), बुद्ध (बाँस का काम करनेवाला), कूर्त (मछली मारनेवाला), मेद, भिल्ल। याज्ञवल्क्य (३।२६५) की व्याख्या में मिता-क्षरा ने अन्धजों की दो श्रेणियाँ बतायी हैं। पहली श्रेणी में ऊर्ध्वकुल सात जातियाँ हैं जो दूसरी श्रेणी की जातियों से निम्न हैं। दूसरी श्रेणी में ये जातियाँ हैं—चाण्डाल, श्वश्रव (कुत्ते का मास खानेवाला), क्षत्त्र, सूत, वैदेहक, माण्य, एवं आयोग्य। भरस्वतीविलास के अनुसार पितामह ने रजक की सात जातियों एवं अन्य प्रकृत जातियों का वर्णन किया है। क्या प्रकृत जातियों वाली माया को ही 'प्राकृत' की सजा दी गयी है? व्यासस्मृति (१।१२-१३) में चर्मकार, नट, भिल्ल, रजक, पुष्कर, नट, विराट, मेद, चाण्डाल, दाग, श्वश्रव, कौलिक नामक १२ अन्धजों के नाम आये हैं। इस स्मृति में गाय का मास खानेवाली सभी जातियाँ अन्धज कही गयी हैं।

अन्धावसायी या अन्धावसायिणी—मनु (४।७९) ने 'अन्धों' एवं अन्धावसायियों को अलग-अलग लिखा है और (१०।३९) अन्धावसायी को चाण्डाल पुरुष एवं निषाद स्त्री की सन्तान कहा है। माण्यो में ये अछूत और हमसान के निवासी कहे गये हैं। किन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र में अन्धावसायी शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान कहा गया है (१८।३)। इसके सामने वेद-याद वर्जित है (भारद्वाजश्रौतसूत्र १।१२।१।२)। अनुशासनपर्व (२।२।२२) एवं शान्तिपर्व (१४।१।२९-३२) में इसकी चर्चा हुई है। नारद (ऋणादान, १८२) ने इसे गवाही के अपयोग्य ठहराया है। आपनिव बाल के कुछ ग्रन्थ, यथा जातिविवेक आदि ने आज के बौम को स्मृतियों का अन्धावसायी माना है।

अभिहित—इसके विषय में आगे 'भूर्यावसिक्त' के अन्तर्गत पढ़िए।

अम्बष्ठ—इसे भूजकण्ठ भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।९।७) में चर्चा है कि राजा अम्बष्ठप ने अश्व-मेघ यज्ञ किया था। पाणिनि (८।३।९७) ने अम्बष्ठ की व्युत्पत्ति बतायी है। पतञ्जलि ने (पाणिनि, ५।१।१७० पर)

अम्बष्ठ (राजा ?) शब्द को अम्बष्ठ (एक देव) से मिल्द किया है। अम्बष्ठा की जाति किसी देव से सम्बन्धित है कि नहीं, यह एक प्रश्न है। कर्णवर्ण (९।११) में एक अम्बष्ठ राजा का वर्णन है। यौषामनसमंमूत्र (१।१।३) मनु (१०।८), चातकवत्य (१।११), उषाना (३१), नारद (म्नीपुत्र, ५।१०७) में अम्बष्ठ ब्राह्मण एवं वैश्य नारी की अनुश्रुति मन्तान कहा गया है। गोतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने अम्बष्ठ को क्षत्रिय एवं वैश्य नारी की मन्तान कहा है। मनु (१०।४७) ने अम्बष्ठों के लिए दवा-दास्य का व्यवसाय बताया है तथा उषाना (३१-३२) ने उक्त वृषक या आयेयनतैव या घ्वजनिश्रावत या शल्यजीवी (चीर-पाइ करनेवाला) कहा है।^१ हरदत्त ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।९।११।१४) की व्याख्या करते हुए अम्बष्ठ और शल्यकृत् को समानार्थक माना है। ब्रह्मण्ड के वैद्य मनु के अम्बष्ठ ही हैं।^२

अपस्वहार—(सोहार) वैदिक साहित्य में 'अवस्तान' (अन्न को गर्म करनेवाला) शब्द मिलता है। अंगे के कर्मकार एवं कर्मर शब्द भी देखिए। पनञ्जलि (पाणिनि, २।४।१० पर) न अपस्वहार को तथा ने साथ सूत्र ७२ है।

अवरोट—अपराज द्वारा उद्भूत देवल के कथन से पता चलता है कि यह एक विवाहित स्त्री तथा उसी जाति के किसी पुरुष के गुण प्रेम को मन्तान तथा सूत्र है। सूत्रमलाकर में भी यही बात पायी जाती है।

अविर—सूत्रमहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री के गुण प्रेम का प्रतिफल है।

आपीत—सूत्रमहिता के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं दौष्यती की मन्तान है।

आमीर—मनु (१०।१५) के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं अम्बष्ठ नर्या की मन्तान है। महाभारत (मौसल्यपर्व ७।४६-६३ एवं ८।१९-१७) में आया है कि आमीर दरजु एवं स्नेच्छ हैं, जिन्होंने पचनद के युद्ध के उपरान्त अर्जुन पर आक्रमण किया और कृष्ण-नारियों को उठा ले गये। सम्राज्य (५।१।१०) में आमीर पारवो के साथ वर्णित है। आर्यभट्ट (२।१।१५-१६) का कथन है कि आमीर, इविड आदि ब्राह्मणों में सम्बन्धित म रहने पर सूत्र हो गये। मत्त-माप्य में वे दूधो में पृथक् माने गये हैं। कामसूत्र (५।५।३०) ने कौटुकराज नामक आमीर राजा का उल्लेख किया है। अपने बाल्यादर्श (१।२६) में टण्डरी ने अचभन को आमीरो की भाषा कहा है। अमरकोश में आमीर शब्द बचनेवाले कहे गये हैं और महाभूष की आमीर पत्नी को आमीरी कहा गया है। बाल्यादर्श में आमीर शब्द सम्राज में के रूप में गये, जैसा कि कुछ मिलानेपों में पता चलता है। इन्द्रजी नामक एक आमीर मेनापति ने मनु १८१-८७ ई० में इन्द्रामन के पुत्र इन्द्रिण के शासन-काल में एक बृष बनवाया (एपिपेयिना इन्द्रिण, त्रिपु १९, पृ० २३५)। नासिक की मुद्रा के १५वें उर्वीर्ण अभिलेख में पता चलता है कि ईश्वरगेन नामक एक आमीर राजा था, जो आमीर शिवदात एवं मादरी (मादर गोत्र धारो), का पुत्र था। अन्वय-७ अम्बष्ठ को अर्पण करे आया है।^३

आयोषध—वैदिक साहित्य में 'आयोष' शब्द आया है (संतिगीत ब्राह्मण ३।६।१)। गोतम (६।१५), विष्णुधर्म-सूत्र (१६।८), मनु (१०।१२), शौटिल्य (३।७), अनुशासनपर्व (४८।१३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१८) के अनुसार

२७. कृष्णात्रीयो भवेत्साय तर्पणान्पेयनंशः। घ्वजनिघावका चापि अम्बष्ठाः शात्रजीविनः (शल्य-जीविनः ?) ॥ उषाना ३१-३२।

२८. देखिए, शिवो की शीघ्रत आर इतिहास, पृ० ११५।

२९. देखिए J II II R. A. S त्रि० २१ पृ० ४३०, ४३३, एपिपेय की शिघ्रत एव चारु शल्य-शास्त्र, त्रि० १, पृ० १७।

यह शूद्र पुरुष तथा वैश्य नारी से उत्पन्न प्रतिग्राम सन्तान है किन्तु वीषायनधर्मसूत्र (१।१।७), उषाना (१२), वैखानस (१०।१४) व अनुशार यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलाम सन्तान है। मनु (१०।४८) व अनुसार आषाढ की वृत्ति लग्नी काटना है तभी उषाना व अनुसार यह जुलाहा है या काष्ठ-कास्यकार है, या मान उत्पन्न करनेवाला है, या कपडे का व्यापारी है। विष्णुधर्मसूत्र (१।५।८) एवं अग्निपुराण (१।१५।१५) के अनुसार यह अग्निधर्मवृत्ति करता है। सह्याद्रिखण्ड (२६।६८-६९) से पता चलता है कि यह पत्थर, डंका का काम करता है पत्र बनाता है तथा दीवारा पर घुना उगाता है। यह दक्षिण में आजकल पाषाण कहलाता है।

आवन्त्य—यह मूजवण्ड (मनु १०।२१) व समान है।

आश्विक—वैखानस (१०।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिकूल है और धाटा का व्यापार करता है।

आहिण्डक—मनु (१०।२३) व अनुसार यह निषाद पुरुष एवं बंदही नारी की सन्तान है अर्थात् दारुणी प्रतिग्राम जाति का है। मनु (१।३६) ने इस ही चमकार का वाय करने व कारण बाराबर कहा है। बुद्धूच ने उषाना व मन का उल्लेख करते हुए इन वर्णसंग्रह में आनामना में बन्दिषा की रक्षा करनेवाला कहा है।

उग्र—उमनो चरा वैदिन साहित्य में ही है। छात्याय ५।१४।६ बृहदारण्यकोपनिषद् ३।८।२ तथा ४।३।२२। साधायनधर्मसूत्र (१।९।१) मनु (१०।१९) काटिल्य (३।७) याज्ञवल्क्य (१।९२), अनुशासनसूत्र (४।८।७) व अनशार यह क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न अवलोक सन्तान है। किन्तु उषाना (६१) ने इस ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्तान कहा है। गाम (६।१८) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने उग्र को वैश्य एवं शूद्रा नारी की सन्तान कहा है। मनु (१०।४९) व अनुसार उग्र विष्णु में रहनेवाले जीवा से मारकर लानेवाले मनुष्य है, किन्तु उषाना (६१) व अनुसार ये राजदण्ड का डालने जल्लाद का काम करते हैं। सह्याद्रिखण्ड एवं सूक्तमन्त्राकर में उग्र को 'गजपूत' कहा गया है। जातिविवेक में यह 'रावण' भी कहा गया है।

उद्बन्धक—उषाना (१५) के अनुसार यह एक मूनिव एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है कपडा स्वच्छ करने की वृत्ति करता है और अपूर्य है। वैखानस (१०।१५) व अनुसार यह एक सनक एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है।

उपकृष्ट—आश्विनयन शास्त्रसूत्र (२।१) के अनुसार यह द्विजाति मही है किन्तु अध्यायान नामक वैदिन किया कर सकता है। इसका भाष्य में लिखा है कि यह बड़ई का वृत्ति करनेवाला वैश्य है।

ओड्र—मनु (१०।४३-४४) का दक्षिण ओड्र आधुनिक उड़ीसा का कहते हैं।

फटकार—यह उषाना (४५) एवं वैखानस (१०।१३) के अनुसार वैश्य पुरुष एवं शूद्र नारी के चारित्र्य विवाह (गुप्त सम्बन्ध) में उत्पन्न सन्तान है।

करण—यह गौतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।९०) व अनुसार वैश्य पति एवं शूद्र पत्नी का अनुग्राम पुत्र है। मनु (१०।२०) ने लिखा है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण (जिसका उपनयन सम्भार नहीं हुआ है) का उसी प्रकार की नारी से जब सम्बन्ध होता है तो उसकी सन्तान का शल्लू; मल्ल, निचिचि (लिच्छवि ?), मट, करण, सण, इविड पहले हैं। आदिपर्व (१।५।६३) के अनुसार धृतराष्ट्र की वैश्य नारी से दुस्युतु नामक एक करण सन्तान थी। अमरकोश की व्याख्या करते समय क्षीरस्वामी ने कहा है कि करण कायन्धा एवं अध्यक्षो के नामाज, राजधर्मचारिता के एक दल का परिचायक है। सह्याद्रिखण्ड (२६।४९-५१) के अनुसार करण कारण का वैखानस के समान है जो ब्राह्मण एवं राजाओं का स्तुतिगान करता है और काम-सम्बन्धी विज्ञान का अध्ययन करता है।

हर्मजार—विष्णुधर्मसूत्र (५।१।४) में यह जाति वर्णित है। सम्भवत यह हर्मज ही है। किन्तु मन में दोना का पृथक्-पृथक् लिखा है।

कर्मार—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि ने 'कुलासादि' गण (४।१।११८) में इस जाति का उल्लेख किया है। मनु (४।२।१५) में भी यह नाम आया है। बंगाल में कर्मार (लोहार) जाति परिगणित जाति है।

कांस्यकार—यह जाति (भारती में आज का कासार एव उत्तरी भारत का बसेरा) तुला-दन्ध के सिलसिले में विष्णुधर्मसूत्र (१०।८) द्वारा एव भारद्वाज (ऋणादान, २७४) द्वारा वर्णित है।

काश्यप—घोड़े की घास खानेवाली जाति (उत्तमा ५०)।

काम्बोज—देसिए मनु (१०।८३-४४)। काम्बोज देस यास्क (निरुक्त २।२) एव पाणिनि (४।१।१७५) को ज्ञात है। उद्योगपर्व (१६०।१०३), द्रोणपर्व (१२१।१३) में शक्रों के साथ काम्बोजों का वर्णन किया है। देसिए ध्वन्येन भी।

काश्यप—सांध्यिक एव आधुनिक काल में काश्यपों के उद्गम एव उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बड़े-बड़े उग्र वाद-विवाद हुए हैं और भारतीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा भी बहुतों पर प्रदर्शित हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने (मोक्षानाथ बनाम सभ्राट् के मुकदमे में) बंगाल के काश्यपों को गूढ गिण्ट किया और यहाँ तक लिख दिया कि वे शोम स्त्री से भी विवाह कर सकते हैं। किन्तु प्रिंसी कोसिल ने (असितमोहन बनाम नीरदमोहन के मुकदमे में) इस बात को निरस्त कर दिया। दूसरी ओर इलाहाबाद एव पटना के हाईकोर्टों ने क्रम में तुलसीदास बनाम विहागी लाल एव ईश्वरीप्रसाद बनाम राय हरिप्रसाद के मुकदमों में काश्यपों को द्विज बताया। गोम, आयलमध, बाधावन, बर्गिण्ट के धर्मसूत्रों एव मनुस्मृति में 'काश्यप' शब्द नहीं आया। विष्णुधर्मसूत्र (७।३) ने एक राजशासिक को काश्यप द्वारा निर्मित कहा है। 'इसमें इतना ही स्पष्ट होता है कि काश्यप राज्यभंगकारी था। रामकृष्ण (१।३२२) ने राजा को उद्धोषित किया है कि यह प्रजा को बाटें (दुष्ट लोग), पोंगे, दुश्चरित्यों, आननायियों आदि से, विशेषतः काश्यपों से बचाये। मिताक्षरा ने लिखा है कि काश्यप श्लोच हिंसार-निनास करनेवाले (गणक), निर्दिन, राजाओं के स्नेहपात्र एव बड़े पुत्र होते हैं। उत्तमा (३५) ने काश्यपों को एक जाति माना है और इसके नाम को एक विविध व्युत्पत्ति उल्लिखित की है, यथा काश (कौशा) के 'का', यम के 'य' एव स्थिति के 'स्य' शब्दों से 'काश्यप' बना है, 'काश', 'यम' एव 'स्थिति' शब्द क्रम से लालक (लोभ), क्रूरता एव लूट के परिचायक हैं।' व्यासस्मृति (१।१०-११) में काश्यपों के चारों ओर, कुशल्यो आदि शब्दों के साथ परिगणित हुए हैं। मुसलु ने केवल (काश्यप) का मोक्षन लेखिका आदि के गणन पारस के और धारणा के गिण्ट अर्थगत समझा है। बृहस्पति ने (स्वयंभवादिना के व्यवहार में उद्गम) गणक एक गणक को ही व्यक्तित्व के रूप में माना है और उन्हें द्विज कहा है। 'केवल' काश्यप जाति का घोषण है कि नहीं, यह नहीं प्रकट हो पाता। मनुस्मृति (जहाँ अर्थ) में भेटी एक काश्यप व्यावहारिक से सम्बन्धित गये गये हैं। उत्तमा है, बृहस्पति का 'केवल' शब्द काश्यप का ही घोषण है। इसी की आरम्भिक शासिकों में काश्यप शब्द राजाभंगारी अर्थ में ही प्रयुक्त पाया गया है। किन्तु देस के कुछ भाग में, जैसा कि उत्तमा एव व्यास के कथन में दर्शा है, काश्यपों को एक विगिण्ट जाति भी थी।

काशकर—मनु (१०।३६) के अनुसार यह जाति निपाद एव बेंदरी नारी से उत्पन्न हुई है और इसकी वर्णन है धर्मशारी का व्यवसाय। मुद्रास गणक के अनुसार काशकर 'काश' या 'भेदी' कहा जाता है, जो मनास परकता है और दुग्गा के गिण्ट (उत्तमा या उद्गरी) केवल थागा है।

३०. राजशासिकों के विष्णुधर्मसूत्रसम्बन्धित लक्ष्यशासिकविद्विजों के राजशासिकम्। विष्णुधर्मसूत्र ७।३।

३१. काशकर्मोत्थय यमस्य शोचं स्थानेनेत्युक्तम्। आशासकानि सगूह्य काश्यप इति निर्दिशन् ॥ उत्तमा ३५।

काश्य—मनु (१०।२३) के अनुसार इमकी उत्पत्ति ब्राह्म्य वैश्य एव उत्ती के समान नारी के सम्मिलन से होती है। इस जाति को सुघन्वाचार्य, विजग्मन, मंत्र एव सात्वत भी कहते हैं।

किरात—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१२ अथर्ववेद १०।४।१४) में भी यह नाम आया है। व्यास (१।१०-११) ने इसे शूद्र की एक उपशाखा माना है। मनु (१०।४३-४४) के अनुसार यह शूद्र की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय है। यही बात अनुशासनपर्व (३।५।१७ १८) में मेकलो, द्रविडो, लाटो, पोण्ड्रो यवनो आदि के बारे में कही गयी है। कर्णपर्व (७।३।२०) में किरात आग्नेय शक्ति के द्योतक माने गये हैं। आश्वमेधिक पर्व (७।३।२५) में वर्णन है कि अर्जुन को अश्वमेधीय घोड़े के साथ चलते समय किराता यवनो एव म्लेच्छो ने भेड़ें दी थी। अमरकोश में किरात शबर एव पुलिन्द म्लेच्छ जाति की उपशाखाएँ कही गयी हैं।

कुक्कुट—बौधायनधर्मसूत्र (१।८।८ एव १।८।१२) ने अनुसार यह क्रम से प्रतिलोम जाति एव शूद्र तथा निपाद स्त्री की सन्तान कही गयी है। यही बात मनु (१०।१८) में भी है। कौटिल्य (३।७) में यह उग्र पुरुष एव निपाद की सन्तान है। शूद्रकमलाकर ने उद्धृत आदित्यपुराण के अनुसार कुक्कुट तजवार तथा अथ अस्त्रधारत्र बनाता है और राजा के लिए मुर्गा की लड़ाई का प्रबन्ध करता है।

कुण्ड—मनु (३।१७४) के अनुसार जीवित ब्राह्मण की पत्नी तथा किसी अन्य ब्राह्मण के गुप्त प्रेम से उत्पन्न सन्तान है।

कुण्ड—यह सूतसंहिता के अनुसार मागध एव शूद्र नारी की सन्तान है।

कुम्भकार—पाणिनि व कुण्डलादि गण (४।३।११८) में यह शब्द आया है। उपना (३२-३३) के अनुसार यह ब्राह्मण एव वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। वैवाणस (१०।१२) उपना की बात मानते हैं और कहते हैं कि ऐसी सन्तान कुम्भवार या नामि के ऊपर तक बाल बनानेवाली नाई जाति होती है। व्यास (१।१०-११), देवत्र आदि ने कुम्भवार को शूद्र माना है। मध्यप्रदेश में यह जाति परिगणित जाति है।

कुलाल—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में यह वर्णित है। पाणिनि (४।३।११८) ने 'कुलालकम्' (कुम्हार द्वारा निर्मित) की व्युत्पत्ति समझायी है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।३।१८) में ऐसा आया है कि एक मृत अग्निहोत्री के सभी मिट्टी के बरतन उसके पुत्र द्वारा सँजोये जाने चाहिए। कुम्हारों के दो नाम अर्थात् कुम्भवार एव कुलाल कथो प्रसिद्ध हुए, यह अभी तक अज्ञात है।

कुलिक—अपराक के शल द्वारा वर्णित इस जाति का नाम दिया है और इसे देवलक माना है।

कुशीलव—बौधायन के अनुसार यह अम्बष्ठ पुरुष एव वैदेहक नारी की सन्तान है। अमरकोश में इसे चारण कहा गया है। कौटिल्य (३।७) ने इसे वैदेहक पुरुष एव अम्बष्ठ नारी की सन्तान कहा है (बौधायन का संबंध विरोधी भाव)। कौटिल्य ने अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान को वैग कहा है।

कृत—गौतम (४।१५) ने अनुसार वैश्य एव ब्राह्मणी की सन्तान कृत है किन्तु यागवल्क्य (१।९३) तथा अन्य लोगो के मत से इस जाति को वैदेहक कहा जाता है।

कंबर्त—आत्साम की एव घाटी में कंबर्त नामक एव परिगणित जाति है। इस विषय में ऊपर अन्यत्र के बारे में जो लिखा है उसे भी पढ़िए। मेधातिथि (मनु० १०।५) ने इसे मिश्रित (शबर) जाति कहा है। मनु (१०।३४)

३२. प्रतिलोमास्त्रवायोगवमागधवर्णशोत्रपुत्रसकुक्कुटवैदेहकजशाला। निपादात्तृतीयायां पुस्तकः।

विषयये कुक्कुटः। बी० प० सू० १।८।८; ७।११-१२; शूद्राश्रियायां कुक्कुटः। बी० प० सू० १।९।१५।

पृ० १७

में कर्तव्य को नियाद एव आयोगव की सन्तान माना है। इसे ही मनु ने मार्गव एव दास (दास ?) भी कहा है। कर्तव्य लोग मोक्ष-भूति करते हैं। शबरदाचार्य (वेदान्तसूत्र २।३।४३) ने दास एव कर्तव्य का समान माना है। जातियों में कर्तव्य को केवट (केवट) कहा गया है।

कोलितः—ध्यास ने इसे भक्तियों में गिना है। मध्यप्रदेश में कोलित एव उत्तर प्रदेश में बाल्य परिष्कृत जाति है।

क्षत्रा—वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है। वीष्णुधर्म (१।१।३), वीटिल्य (३।३), मनु (१०।१२, १३, १६), याज्ञवल्क्य (१।१४) एव नारद (स्वीयुग, ११२) में इसे शूद्र पिता एव क्षत्रिय माता की प्रतिजोड सन्तान कहा गया है। मनु (१०।४९-५०) इसके लिए उग्र एव पुत्रता की वृत्ति की व्यवस्था करने है। यतिशुभ्रमंगु (१।८।२) में यह बंध कहा गया है। अमरलोका ने क्षत्रा के तीन अर्थ किये हैं—रथधार, द्वारपाल तथा इस नाम की जाति। छान्दोग्योपनिषद् (४।१।५, ७, ८) में इसे द्वारपाल कहा गया है। महाशक्तिशुद्र (२६।६३-६६) में क्षत्रा को नियाद कहा गया है, जो जाला से सूत पकड़ता है, जगत में जगदी पशुआ का मारता है तथा रथ में लोगों की जताने के लिए पश्टी बजाता है।

खलक—वीष्णुधर्म (१०।१५) के अनुसार यह आयोगव पुरुष एव क्षत्रिय स्त्री की सन्तान है और खोदकर अपनी जीविका चलाता है।

क्षत्रा या क्षत्र—मनु (१०।२२) के अनुसार इसका दूसरा नाम है करण। शिन्धु मनु (१०।८३-८४) ने इसी की क्षत्रिय जाति का माना है, जो बाल्यान्तर में मन्वराग एव वाङ्मणा के सम्पर्क के अभाव में करण शूद्र की पंजी में आ गये। देविए सामास्यं (५२।३) एव उद्योगस्यं (१६०।१०३)।

गृहक—गूणसंहिता के अनुसार यह स्वयं पुरुष एव ब्राह्मण स्त्री की सन्तान है।

गोत्र—(या गोद) उजना (२८-२९) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एव स्त्री का गुप्त प्रेम का प्रतिफल है।

गोच—यह आज की खाली जाति (गुर्वी) एव शूद्र उपजाति है। नामसूत्र (१।५।३३) में गोचान् जाति का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य (२।६८) में कहा है कि गोच-परिणया का फल उनकी पत्नियों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका पेशा एव काम ही इन स्त्रियों पर ही (उनकी पत्नियों पर ही) निर्भर करती है।

गोमर—ब्राह्मण पुरुष एव विधवा ब्राह्मणी के परिष्कार-विवाह (गुप्त प्रेम) की सन्तान गोमर है। देविए, मनु (३।१३४), मनु-साक्षात् (१०५), गूणसंहिता (निय, १२।१२)।

गर्भी—यह शूद्र पुरुष एव वैश्य स्त्री की सन्तान (उजना २२-२३) में और तत्र, स्त्री या नरक का व्यवसाय करती है। सम्भवत यह वैदिक (तरी) जाति है। हर्षिल एव ब्रह्मपुराण में अनुसार यह पितृ का व्यवसाय करने वाली जाति है। वीष्णुधर्म (१०।१३) के अनुसार यह जाति वैश्य पुरुष एव ब्राह्मणी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है, और नरक एव तेल का व्यवसाय करती है।

गर्भधार—यह अन्यत्र है। शिन्धुधर्मसूत्र (५।१।८), भाग्यस्यधर्मसूत्र (४।२०), वराह (५।४४) में इसका उल्लेख है। उजना ने इसे शूद्र एव क्षत्रिय कन्या (६) की तथा वैदिक तम ब्राह्मण कन्या (७) की सन्तान माना है। दूवरी का वीष्णुधर्म (१०।१५) में भी पायी जाती है। मनु (६।२।८) में इस परमोवर्ण की माता है। कतिपय स्मृत्यनुसार यह नाम अन्यत्रों में एक है। गूणसंहिता में अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री में आयोगव की सन्तान है। पत्नियों में प्रायः में इस ब्राह्मण एव अन्य प्रजा में प्रसार कहा जाता है। स्त्री जाति मायी की बनी जाती है।

जाकिर—अध्यास के अनुसार यह चर्मा बजावतों का जाति है। लीक्यामो ने इसे राजा के आश्रय पर पश्टी बजावतों और वैदिकों का मनुष्य कहा है, अथवा न दास (गण) और गुप्तानु का

उल्लेख कर चाकिक और तैलिक को पुषक्-पुषक् उपजाति माना है। वैतानस (१०।१४) ने इसे शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी के प्रेम का प्रनिफल माना है और कहा है कि इसकी वृत्ति नमक, तेल एवं खली बेचना है।

चाण्डाल—वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१४, ३।४।१७, छान्दोग्योपनिषद् ५।१०।७)। गौतम (४।१५।१६), विश्वधर्मसूत्र (१८।११), वौधायनधर्मसूत्र (९।७), मनु (१०।१२), याज्ञवल्क्य (१।१२) एवं अनुशामनपर्व (४८।११) के अनुसार यह शूद्र द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है। मनु (१०।१२) ने इसे निम्नतम मनुष्य माता है और याज्ञवल्क्य (१।१२) ने सर्वधर्मबहिष्कृत घोषित किया है। यह कुतो एवं कौओ की श्रेणी में रखा गया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र) २।६।१।५, गौतम १।५।२५, याज्ञवल्क्य १।१०३।^१ चाण्डाल तीन प्रकार के होते हैं (व्यासस्मृति १।९-१०)—(१) शूद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान, (२) विरावा-सन्तान एवं (३) सगान विवाह से उत्पन्न सन्तान। यम ने अनुसार निम्न प्रकार प्रख्यात है—(१) मन्वासी होने के अनन्तर पुत्र गृहस्थ होने पर यदि पुत्र उत्पन्न हो तो पुत्र चाण्डाल होता है, (२) सगोत्र कन्या से उत्पन्न सन्तान, एवं (३) शूद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान। वृष्णसंहिता (५९) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (१०।५१-५६) में आया है कि चाण्डालों एवं श्वपचों का गोवंश बाहर रहना चाहिए, उनसे बरतन अग्नि में तपाने पर भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए उनसे सम्पत्ति वृत्ति एवं गदहे हैं, शवों के कपड़े ही उनसे परिधान हैं, उन्हें दूधे पड़े बरतन में ही भोजन करना चाहिए उनसे आमूषण लोहे के होने चाहिए, उन्हें लगातार घूमते रहना चाहिए, शक्ति के नगर या ग्राम के भीतर नहीं आकरने उन्हें बिना भस्त्रन्धियों वाले शवों को ढोना चाहिए, वे राजाज्ञा से जन्माद का काम करने के वे शमी पानेवाले व्यक्तियों के परिधान, गहन एवं मेष ले सकते हैं। उगता (९-१०), विष्णुधर्मसूत्र (१।११।१६) शान्तिपर्व (१०।१।२९-३२) में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है। पार्श्वियान (४०५-४११ ई०) ने भी चाण्डालों के विषय में कहा है कि जब वे नगर या बाजार में घूमते थे तो लकड़ी के किसी टुकड़े (उड्डे) से ध्वनि उत्पन्न करते वज्र थे, जिससे कि लोगों को उनके प्रवेश की सूचना मिल जाय और स्वयं न ही सने।^१

चीन—मनु (१०।४३-४४) के अनुसार यह मूद्रों की म्यति में उतरा हुआ क्षत्रिय है। सभापर्व (५।१।२३), वनपर्व (१७।३।२२) एवं उद्योगपर्व (१९।१५) में भी इसका उल्लेख हुआ है।

चूचु—मनु (१०।४८) के अनुसार भेद, अन्ध चूचु एवं मर्गु की वृत्ति है जगली दन्तुओं की भावना। वृत्तुक् ने चूचु की ब्राह्मण एवं वैदेह्य नारी की सन्तान कहा है।

चूचुक—वैतानस (१०।१२) के अनुसार यह वैश्य पुत्र एवं शूद्र नारी की सन्तान है, और इसका व्यवसाय है पान, चीनी आदि का वन-विक्रय।

चैलनिर्जैरु (या केवल निर्जैरु)—यह घोड़ी है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।१५, मनु ४।२।१६)। विष्णु ने अलग से रत्नक या उल्लेख किया है। शारीर ने किया है कि राजा सपदा रंगने (रंगेज) का काम करता है और निर्जैरु सपदा घोड़े का कार्य करता है।

जालोपजीवी—यह ईश्वर के समान जान डाला दन्तुओं को पकड़ने का व्यवसाय करता है। श्रुति ने इसने विषय में किया है।

३३. श्वगा. पतितचंडालप्राभ्यसूकरवृषकुटा। श्वगा च निरपे द्विवर्णाः श्वुः पठेते चर्मताः सपाः ॥ ईश्वर (पराशरमाधवीय में उद्धृत)।

३४. देगिण, गिरिहस्त आक वृद्धिरु विगड्यग, लंग द्वारा अनुचित, पृ० ४३।

महल—मनु (१०।२२) के अनुसार यह जलण एव मद्य का दूतका नाम है।

डोम (डोम)—शौर्यवासो एव अमर० के अनुसार यह द्रव्यण ही है। पराशर ने द्रवण, डोम्य एव पाण्डाल को एव ही धेनी में माना है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में यह डोम कहा जाता है।

तक्षा या तक्षक (बड़ई)—चैदिन माहिय (नैतिकीय शास्त्रण ३।४१) में यह नाम आया है। यह वर्षिक ही है, जैनादि वायुवासो के वर्णन में हमने देग किया है। मनु (६।२१०), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८), महाभाष्य (पाणिनि पर २।६।१०) में इसकी चर्चा आया है। महाभाष्य ने इसे सूट माना है और अमरकारो (सौरा) की धेनी में गया है। उजना (४३) ने इसे बाह्यण एव सूचन (प्रतिलोम) की सन्तान माना है।

तखुवाय (जुलाहा)—इसे दुबिन्द (आज का नैतका बिहार में) भी कहा जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१।३), गल श्रुति ने इसका उल्लेख किया है। महाभाष्य (पाणिनि पर, २।४।१०) ने इसे सूट कहा है।

ताम्बूलिक—यह आज का तमोनी (बिहार एव उत्तर प्रदेश में) है। कामसूत्र (१।५।३७) ने भी इसकी चर्चा की है।

ताम्रोरजोषो—उजना (१४) के अनुसार यह बाह्यण की एव आयोज्य की सन्तान है। बंगानम (१०।१५) ने इसे ताम्र कहा है।

तुमवायु (बर्से)—मनु (६।२१८) ने इसकी चर्चा की है। अमरार्थ द्वारा उद्गत बह्यपुराण में इसे कृषि (गोषिक) कहा गया है।

तैलिक (तेलो)—विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१५), दाम एव गुमन्तु में इसका उल्लेख है।

तरब—मनु (१०।४४) एव उजोगपर्य (६।१५) ने इसका नाम दिया है।

थान (मधुषा)—वेदान्तसूत्र के अनुसार (२।३।८३) एक उपनिषद् में इसकी चर्चा है। ध्याम (१।१२-१३) ने इसे अन्वयो में दिया है। मनु (१०।३४) ने मार्ग्य, दाम (दारा ?) एव बर्से को समान माना है।

दिव्याहीर्यं—वातवगुणसूत्र (२।१६।११) में यह नाम आया है। अमर० ने पाण्डाल एव तापिन को दिव्याहीरि कहा है।

दोषमल—गोम (६।१८) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुत्र्य एवं सूट नारी में उत्पन्न अनुशोष जाति है। शूद्रमहिता में दोष्यन नाम आया है।

द्विद—मनु (१०।२२) के अनुसार यह जलण ही है। मनु (१०।४३-४८) के अनुसार यह सूट की निषिद्धि का प्राण हुआ एव क्षत्रिय है।

धियवण—मनु (१०।१५) के अनुसार यह पाण्डाल पुत्र्य और आयोज्य नारी की सन्तान है। यह जाति नमते का वरजगार करती थी (मनु १०।८५)। जातिविशेष में इसे गोभीवार कहा गया है।

धीवर—यह बर्से एव दाम के मनुष्य है। गोम (४।१०) के अनुसार यह बर्से पुत्र्य एव क्षत्रिय नारी में उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है। मध्यदेश में मध्यादि शिरो में यह धीवर कहा जाता है। यह मध्यमी परदने का कार्य करता है।

ध्वजो (दाराब बेलबेवाला)—अमरार्थ द्वारा उद्गत गुमन्तु एव हारी ने इसका उल्लेख किया है। बह्यपुराण ने इसे क्षौद्रिक ही माना है।

दद—यह आज अन्वयो में परिगणित जाति है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में यह बहुत जाति है। हारीन न यह एव क्षौद्रिक अमर कहा गया है। अमरार्थ के अनुसार क्षौद्रिक अमिनव-वीही जाति है, यद्यपि यह मनु जाति में मिला है। दद जाति अन्वयो में ही के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षत्रियों एवं जातु के बेलो के लिए जाने जाता न प्रसिद्ध है।

नर्तक—उमना (१९) के अनुसार यह वैश्य नारी एव रजक की सम्पन्न है। बृहस्पति ने नट एवं नर्तकी को अलग-अलग रूप से उल्लिखित किया है। ब्राह्मणों के लिए इनका अप्र अनोख था। अग्नि (७।२) ने भी दोनों की पृथक्-पृथक् चर्चा की है।

नापित (नाई)—चूडावर्ष संस्कार में शाखापनपृष्ठसूत्र (१।२५) ने इसका नाम लिया है। उमना (३२-३४) एव वैश्वानस (१०।१२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एव वैश्य नारी के मुनि प्रेम का प्रतिरूप माना है। उमना ने इसका नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह नामि म ऊपर के वाक् बनाना है अतः यह नापित है। वैश्वानस (१०।१५) ने लिखा है कि यह अन्वष्ट पुरुष एव धनिय नारी की मन्तान है और नामि ने नीचे के वाक् बनाना है। इसी प्रकार कई एक धारणाएँ उल्लिखित मिलती हैं।

निच्छिचि—मनु (१०।२२) के अनुसार यह ऋषण एव वश का द्रुमता नाम है। मन्मथन यह चिच्छिचि या लिच्छिचि का अपभ्रंस है।

निपाद—वैदिक साहित्य में भी यह शब्द आया है (तैत्तिरीय संहिता ४।५।४।२)। निघ्नन (३।८) न ऋग्वेद (१०।५३।४) के "पञ्चजना मम होत्र जुषध्वम्" की व्याख्या करते हुए कहा है कि औपमय्यवक अनुसार पांच (जने) लोगों में चारों वर्णों के साथ पांचवी जाति निपाद भी सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि औपमय्यवक निपादा को सूत्रों के अतिरिक्त एक पृथक् जाति में परिगणित किया है। बौधायन (१।२।३) वसिष्ठ (१।८।८), मनु (१०।८), अनुष्ठासनपर्व (४।८।५), याज्ञवल्क्य (१।११) के अनुसार निपाद ब्राह्मण पुरुष एव सूत्र स्त्री में उत्पन्न अनलौकिक मन्तान है। उमना द्रुमता नाम है पाण्डव। कतिपय धर्मशास्त्रकारों ने निपादा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मतों लिखे हैं। रामायण में निपादा के राजा मृत ने गया पार करने में राम की सहायता की थी।

पद्मव—मनु (१०।४३-४४) ने इस सूत्रा की स्थिति में आया हुआ धनिय माना है। महाभारत में पद्मवो, पारदो एव अन्य अनायें लोगों का उल्लेख किया है (सभापर्व ३२।२६-१७, उद्योगपर्व ४।१५, भीष्मपर्व २०।१३)।

पाण्डुमोषाक्ष—मनु (१०।३३) के अनुसार यह एक चाण्डाल पुरुष एव वैदेहक नारी की मन्तान है और सोरो या ध्यवमाद्य करता है। यह मुण्ड ही है।

पारद—जैसा कि पद्मव की चर्चा करत हुए लिया गया है, यह महाभारत में आर्यों एव मन्त्रियों में परिगणित हुआ है (सभापर्व ३२-१६, ५।१।२, ५।२।३, द्राणपर्व १३।४२ एव १२।१३३)। देखिए 'यरा' भी।

पारशव—आदिपर्व (१०।१।२५) में विदुष की पारशव तथा मका है और उनका विवाह पारशव राजा देवक की पुत्री में हुआ था।

पिपल—सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एव आयोगव नारी की मन्तान है।

पुण्ड्र या पौण्ड्रक—महाभारत में यह आर्यों में परिगणित है (द्रोण० १३।४४, अर्जुनविजय० २९।१५-१६)।

पुलिन्द—वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा हुई है (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।६), यह तिरावाँ या पारदों की जाति पर्वतीय जाति थी। वगाव (१४।०।२५) में पुलिन्दों तिरावाँ एव सोणो को विमाशयगमो कहा गया है। उमना (१९) ने पुलिन्द का वैश्य पुरुष एव धनिय नारी को जर्बय मन्तान कहा है और मनुब्रा या पाण्डवकाक्ष एव अजन्तो पशुओं की मास्कर मातोबाग कहा है। यह सन च्चानग (१०।१।१) में भी है।

पुल्कता (पोल्क)—यह पुराणों में लिखा गया है। वृदारण्यस्मृतिसंभाष्य (४।३।२२) में मन्तानायाँ न

पुत्रस एव मौल्यस को एतं समान इति है। यह निषाद पुत्र्य एव नूद्र नारी की मन्तान है (बौधायन १।१।१४, मनु० १०।१८)। मृतमहिषा एव वैवाहिक में यह दाराव बनाने और बेचनेवाला कहा गया है। अग्निपुराण में पुत्रसो को शिकारी कहा गया है। किन्तु धर्मशास्त्रकारों में पुत्रसो की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है।

पुत्कर—यह एक अन्यज है (व्यासस्मृति १।१२)।

पुण्य—मनु (१०।२६) के अनुसार यह आवन्त्य का दूसरा नाम है।

पौण्ड्रक (या पौण्ड्र)—देवित 'पुण्ड्र'।

पौल्यस—देविए, ऊपर 'पुत्रस'।

धन्वी—देविए नीचे 'धन्वी'।

धर्वर—संघातिवि (मनु० १०।८) में धर्वरो को 'समीर्णयोवि' कहा है। महाभारत में धर्वरो को धर, धर, धवन इत्यादि अनेक नामों से जानिया म गिना गया है (मनु० ३२।१६-१७, ५।१२३; वन० २५।११८; शौण० १२।१३, अनुसामन० ३५।१०, तात्पि० ६५।१३)।

घाह्य—देविए ऊपर 'अन्य'।

घुदड (बाँस का काम करनेवाला)—यह मान अत्यजों में गृह है। यह 'वरट' भी लिखा जाता है। उडीमा में यह अष्टन जानि है।

भट—व्यास (१।१०) के अनुसार यह अन्यज है। देविए, नीचे 'रगावतारी'।

भित्त—यह अन्यज है (अगिना प्रति १९९, वम ३३)।

भियव्—उगता (२६) के अनुसार यह ब्राह्मण पुत्र्य एव क्षत्रिय कन्या के मृत प्रेम का प्रतिफल है, और आपुर्वेद को आठ भागों में बँटकर अथवा ज्योतिष, पत्ति-ज्योतिष, गणित के द्वारा (२७) अपनी जीवित चलता है। अगर्गा के अनुसार यह धीर-पाट एव रोमियो की सेवा कर अपनी जीवित चलता है।

भूप—यह एक वैश्य पुत्र्य एव क्षत्रिय नारी की मन्तान है (वृत्त्वकर्तव्य में उद्धृत वम के अनुसार)।

भूर्जकण्ठ—मनु (१०।२१) के अनुसार यह धान्य ब्राह्मण एव ब्राह्मणों की मन्तान है। कई प्रदेशों में यह आवन्त्य या घाटपान एव पुण्य या शीत नाम से विख्यात है।

भूर्जकण्ठ (अभ्यष्ट)—गीतम में उल्लिखित कई आशामों (४।१०) के अनुसार यह वैश्य पुत्र्य एव ब्राह्मण नारी की मन्तान है।

भोज—मृतमहिषा के अनुसार यह क्षत्रिय स्त्री एव वैश्य पुत्र्य की मन्तान है।

भद्र—मनु (१०।४८) के अनुसार यह जगती पत्नी का मातर अपनी जीवित चलता है। कृष्ण में मनु के इस कर्ण की व्याख्या करने हुए कहा है कि यह ब्राह्मण एव वन्दी नारी की मन्तान है। किन्तु विद्याम (१०।१०) के अनुसार यह क्षत्रिय पुत्र्य एव वैश्य नारी की वैश मन्तान है, और मरने का धरमात्त न करने श्रेष्ठी (व्यास) का नाम करता है।

भगिभार—उगता (३९-६०) के अनुसार यह क्षत्रिय पुत्र्य एव वैश्य नारी के मृत प्रेम का प्रतिफल है और मरनेवाली मरनेवाली एव मरने का धरमात्त करता है। मृतमहिषा के अनुसार यह वैश्य पुत्र्य एव वैश्य नारी के मृत प्रेम का प्रतिफल है।

भक्त्युबन्धक (मछुआ) — उदाना (८८) व अनुभार यह तक्षक (बडई), एव क्षत्रिय नारी की सन्तान है।

मल्ल — मनु (१०।०२) ने इसे मल्ल या पर्यायवाची माना है।

मागध — यह वैश्य पुरुष एव क्षत्रिय नारी की प्रतिशाम सन्तान है (गीतम ४।१५, अनुशासन० ४८।१२, कौटिल्य ३।७, मनु १०।११, १७ याज्ञवल्क्य १।९३)। चिन्तु कुछ लोग न इसे वैश्य पुरुष एव ब्राह्मणी की सन्तान माना है (गीतम ४।१६, उदाना ७, वैदानस १०।१३ में वर्णित आचार्यों का मन)। वोधायन (१।९।७) ने इसे शूद्र पुरुष एव क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है। मनु (१०।४७) ने इस म्बज-मार्ग का व्यापारी, अनुशासन पर्यं (१०।४८) ने रतुति करनेवाला या बन्दी माना है। महाद्विवण्ड (२६-६०।६२) ने भी इस अलंकारयुक्त छन्द कर्तृवशात् बन्दी (बन्दिन्) माना है। वैदानस (१०।१३) ने इस शूद्र कहा है। उदाना (७-८) है इसे ब्राह्मणों एव क्षत्रियों का स्तुतिवर्ता माना है। पाणिनि (६।१।७०) ने इसे मगध देश का वासी कहा है, चिन्तु जाति के अर्थ में नहीं।

माणविक — मूलमहिता क अनुभार यह शूद्र पुरुष एव शूद्र नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है।

मातंग — चाण्डाल के समान। बादम्बरी और अम्बरवास में मातंग एव चाण्डाल एव-दुम्बर के पर्यायवाची रह गये हैं। यम (१२) ने भी इस चाण्डाल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। बम्बई एव उड़ीसा में क्रम से माग एव मग नामक अछूत जातियाँ पायी जाती हैं।

माणव — यह कंबल (केवट) के समान ही है। देखिए मनु (१०।३४)।

मालाकार वा मालिक (माली) — मालाकार व्यासस्मृति (१।१०-११) में आया है। यह आज की माली जाति का छातर है।

माहिष्य — गीतम (६।१७) एव याज्ञवल्क्य (१।९२) में उल्लिखित आचार्यों के अनुभार यह क्षत्रिय पुरुष एव वैश्य नारी के अनुलोम विवाह में उत्पन्न सन्तान है। महाद्विवण्ड (२६।४५-४६) के अनुभार यह उपनयन सम्पन्न का अधिकारी है और इसके व्यवसाय है फलित ज्योतिष, भविष्यवाणी करना एव आगम बताना। मूलमहिता ने इस अम्बच्छ हो कहा है।

मूर्धावसिष्ठ — गीतम (४।१७) एव याज्ञवल्क्य (१।९१) में उल्लिखित आचार्यों के अनुभार यह ब्राह्मण पुरुष एव क्षत्रिय नारी से उत्पन्न अनुलोम जाति है। वैदानस (१०।१२) ने ब्राह्मण पुरुष एव क्षत्रिय नारी की वैध सन्तान का सर्वोत्तम अनुलोम माना है और उनके गुप्त प्रेम से उत्पन्न अर्थात् अवैध सन्तान को अधिपिक्त माना है। यदि राज्याभिषेक हो जाय तो वह राजा हो सक्ता है, नहीं तो आयुर्वेद, भूत-श्रेत-विद्या, ज्योतिष गणित आदि से अपनी जीविका चलाता है।

मृतप — पाणिनि ने महाभाष्य (२।४।१०) में यह शूद्र कहा गया है, जिसका जूड़ा मरतन अग्नि से भी पवित्र नहीं किया जा सक्ता। यह चाण्डालों में मित्र जाति का माना गया है।

मेद — यह सात अन्यायों में एक है (देखिए ऊपर 'अन्यत्र')। अग्नि (१।९९) ने लिखा है — 'रजनदधर्भकारस्य नदो बुध्द एव च। कंबलंमेदमिल्लादध सर्पति चान्यजा स्मृता ॥' (देखिए, यम ३।३) यही-ही 'मेद' के स्थान पर 'भेच्छ' शब्द प्रयुक्त हो गया है। मेद का नाम नारद (वाक्यारण्य, १।१) में भी आया है। अनुशासन० (२।२।२२) में मेदो, पुत्रसो एव अन्तावसायियों के नाम लिये हैं। टीकाकार नीलकण्ठ ने मेदो को मृत पशुओं के मांस-मशक कहा है।

३७. मेदानां पुत्रसानां च तर्धवान्तेवसायिनाम् (...मान्तावसायिनाम्?) । अनुशासन० २२।२२; मृतानां गोमहिष्यादीनां मांसमाशन्तोः मेदाः । नीलकण्ठ ।

मनु (१०।३६) ने मेद को वैदेह पुरुष एव निपाद नागी की गन्तान कहा है। मनु (१०।४८) ने इसने व्यवसाय वा अन्न, सूक्ष्म एव मद्गु वा व्यवसाय अर्थात् जगली पशुओं को मारना कहा है।

मैत्र—मनु (१०।२३) ने इसे ब्राह्मण ही कहा है।

मंत्रेयक—मनु (१०।२३) के अनुसार यह वैदेह पुरुष एव आर्यागव नागी की सन्तान है। इसकी जीवितता है रात्राओं एव बड़े लोधा (घनिकों) की स्तुति करना एव प्रातः ताल घण्टी बजाना। जातिविवेक ने इसे बोरनवार कहा है।

म्लेच्छ—गूणसहिता के अनुगार यह ब्राह्मण नागी एव वैश्य पुरुष के गुण प्रेम की सन्तान है।

यवन—गोम (४।१०) में उक्तिरहित आचार्यों के मन में यह शूद्र पुरुष एव क्षत्रिय नागी में उत्पन्न प्रतिशोध जान है। मनु (१०।४३-४४) ने यवनों को शूद्रा की स्थिति में पतित क्षत्रिय माना है। महाभारत में यवन लोग सारा तथा अन्य अनार्यों के साथ वर्णित है (महाभारत ३२।१६-१७, वनपर्व २५।४।१८, उद्योगपर्व १९।२१, भीष्मपर्व २०।१३, द्रोणपर्व ९३।६२ एव १२१।१३, अर्जुनपर्व ७३।१९, शान्तिपर्व ६५।१३, स्त्रीपर्व २२।११)। मान होता है कि निम्न एव नीचतर के राजा जयद्रथ के अन्त पुर में बन्धोज एव यवन स्त्रियाँ थीं। पाणिनि (४।१।५९), महाभाष्य (२।१।१०), अशोत-प्रस्तरामित्रेय (५ एव १३), विष्णुपुराण (४।३।२१) में यवनों की चर्चा हुई है।

रंगायतारी (सारक)—मनु (६।२।५) के अनुसार यह शूद्र एव यावन में मिश्र जाति है। गण (१७।३६) एव विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१४) में भी इसकी चर्चा की है। ब्रह्मपुराण के अनुसार यह नट है जो रंगमंच पर नाच करता है, बन्ध एव मुग्धावृत्तियाँ के परिवर्तन आदि का व्यवसाय करता है। मैत्री नामा उपनिषद् में नट एव भट के साथ रंगायतारी का उल्लेख है।^{१६}

रजक (घोषी)—विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एव यमाज (भोज) में घोड़ी एव अछूत जाति है। कुछ आचार्यों के अनुसार यह मान अन्धजों में आता है। वीरानम (१०।१।५) के अनुसार यह पुल्कम (या वैदेह) एव याज्ञानिकों की गन्तान है। विन्तु उगता (१८) ने इसे पुल्कम पुरुष एव वैश्य गण्डा की सन्तान माना है। महाभाष्य (२।१।१०) ने इसे शूद्र कहा है।

रज्जक (रंगसाज)—मनु (६।२।६) ने इसका उल्लेख किया है। उगता (१९) ने इसे शूद्र पुरुष एव क्षत्रिय नागी के गुण प्रेम की सन्तान माना है।

रथकार—वैदिक साहित्य में भी इसकी चर्चा जाती है (वैदिकीय ब्राह्मण ३।६।१)। बोधायनश्रुतिसूत्र (२।५।६) एव मातृश्रुतिसूत्र (१) के अनुसार इसका उपायन यथा शत्रु में जाता था। बोधायनधर्मसूत्र (१।२।६) ने इसे वैश्य पुरुष एव शूद्र नागी के वैश्य विराट वा प्रविशत माना है। धर्मशास्त्रकारों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में मतभेद प्रकट किया है। इसका व्यवसाय रथ निर्माण है।

रामक—वैदिकधर्मसूत्र (१।८।६) ने इसे वैश्य पुरुष एव ब्राह्मण नागी की प्रतिशोध सन्तान कहा है। इसी का नामधर्मसूत्र (१।१।५) एव याज्ञानिकधर्मसूत्र के अनुसार प्रम में वृत्त एव वैदेह पुरुष माना जाता है।

सुधक—अन्न का निराल कर्तव्यसाज। इसका व्यवसाय भी कहते हैं।

सोमक—दधि यह खाता है, जो इसे वायस्य ही समझता था। देविए 'वायस्य' जाति का विवरण।

१८. वे धार्य ह वाटजटनभटप्रत्रिरंगायतारी राजकर्मणि पतिताइय..... सं: राह म संवत्ते।
मैत्री-उप० ७।८।

लोहकार (लोहार)—देखिए पीछे, 'कर्मार' नारद (ऋष्यादान, २८८) ने इसकी चर्चा की है, यथा 'जात्यैव लोहकारो यः कुसालश्चाम्निवर्मणि ।' उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इसे लोहार कहा जाता है।

बन्दी (बन्दना करनेवाला, भाद, 'बन्दी' भी कहा जाता है)—हारीत ने इसे वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की प्रतिलोम सन्तान कहा है। ब्रह्मपुराण ने इस लोहा की स्तुति या बन्दना करनेवाला माना है।

बराढ—व्यास (१।१०-१३) ने इसे अन्त्यजों में परिगणित किया है।

बरड (बाँस का काम करनेवाला)—इस बरड भी किया जाता है। महाभाष्य (४।१।१७) ने बरडवि ('बरड' से बना हुआ) या बदाहरण दिया है। तीर्त्तरीय संहिता (४।५।१) में 'बिडलनार' (बाँस चीरनेवाला) एवं वाजसनेयी संहिता (३।०।८) में 'बिडलनारी' शब्दों का प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाँस के काम करनेवाला का घरबार भी रहा जाता है।

बादधान—मनु (१०।२१) ने इसे आवन्त्य माना है। देखिए ऊपर 'आवन्त्य'।

बिजग्ना—मनु (१०।२३) के अनुसार यह काश्यप का ही द्योतक है।

बैण (बैण)—मनु (१०।१९) एवं बौधायन (१।९।१३) के अनुसार यह वैदेहक पुरुष एवं अश्वत्थ नारी की सन्तान है। कौटिल्य (३।७) ने वैण का अश्वत्थ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान माना है। मनु (१०।४९) ने इसे बाजा यजानेवाला कहा है। कुल्लूफ (मनु ४।२।१५) ने इसे बुरड की भाँति बाँस का काम करनेवाला माना है।

बैष्णक—उशाना (८) ने इसे मूल एवं ब्राह्मणी की प्रतिलोम सन्तान कहा है। वैखानस (१०।१५) ने इसे मद्गु एवं ब्राह्मणी की प्रतिलोम सन्तान कहा है। यह जाति यौगा एवं मुरली बजाने का कार्य करती है। सूतसंहिता ने इसे नार्ई (नापित) एवं ब्राह्मणी की सन्तान कहा है।

बेलव—सूतसंहिता ने इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है।

बैदेहक—बौधायन (१।९।८), कौटिल्य (३।७), मनु (१०।११, १३, १७), विष्णु (१।६।६), नारद (स्त्री-पुंस, १११), याज्ञ० (१।९३), अनुशासन पर्व (४८।१०) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्तान है। किन्तु गौतम (४।१५) के अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है। वैखानस (१०।१८) एवं कुछ आचार्यों के मत (गौतम ४।१७ एवं उशाना २०) से यह शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान है। मनु (१०।४७) एवं जग्निपुराण (१५।१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अन्तःपुर की स्त्रियों की रक्षा करना। किन्तु उशाना (२०।२१) एवं वैखानस (१०।१४) ने इसे बकरी, भेड़, भँस चरानेवाला तथा दूध, दही, मक्खन, घी बेचनेवाला कहा है। सूतसंहिता ने वैदेह एवं पुलस्तकों को समाप्त माना है।

व्याघ (शिकारी या बहैलिया)—सुभन्तु, हारीत, याज्ञ० (२।४८), आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेख किया है।

वात्य—आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१, १।२२-१, १।२।१०) तथा अन्य सूत्रों ने वात्य को ऐसी जाति वाला कहा है, जिसके पूर्वजों का उपनयन नहीं हुआ हो। किन्तु बौधायन (१।९।१५) में वात्य को वर्णोत्पन्न कहा गया है।

शक—मनु (१०।८३-४४) ने शकों को यवना के साथ वर्णित किया है और उन्हें बूढ़ों की श्रेणी के पतित क्षत्रिय माना है। इस विषय में 'यवन' का वर्णन भी पड़िए। महामारुत में भी इनका वर्णन है (सभा० ३२।१६-१७, उद्योग० ४।१५, १९।२१, १६०।१०३, भीष्म० २०।१३, द्रोण० १२।१।३)। पाणिनि (४।१।७५) ने 'कम्बोजादि गण' में शक का उल्लेख किया है।

शबर—भिल्ल के समान जंगली आदिवासी। महामारुत में इनका वर्णन है (अनुशासनपर्व ३५।१७, शान्तिपर्व १५।१३)।

शात्तिक—सूतसंहिता ने इसे मागध ही माना है। देखिए ऊपर।

शुक्लिक—उगता (६०) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं गृह नारी की अवैध मन्तान कहा है और दण्डित लोगों को शुक्ली देनेवाला घोषित किया है। वंगानम (१०१३) एवं सूतसंहिता ने इसे क्षत्रिय पुरुष एवं गृह नारी के मुत्ता प्रेम का प्रतिपन्न माना है।

शैल—मनु (१०१२१) के अनुसार यह आपत्त्य ही है।

शैल्य—विष्णुधर्मसूत्र (५११३) मनु (४१२१४), हारीत आदि ने इसे रगावतारी से भिन्न एवं ब्रह्मपुराण न इसे मत्ता वरिष्ण जीवित्त ग्राजनताका कहा है। आपस्तम्ब (१३८) ने इसे रजत एवं व्याघ की श्रेणी में रखा है। यही बात याज्ञवल्क्य (२४८) में भी पायी जाती है।

शौण्डिक (गुरा बंधनेवाला)—विष्णु (५११५), मनु (४१२१६), याज्ञ० (२४८), शण्ड, ब्रह्मपुराण ने इसका उल्लेख किया है।

इत्यथ वा इवथा—व्यास (११२-१३) ने इसे अन्वजो में परिगणित किया है। पाणिनि (४३१११८) के 'कुन्नादि' में यह आया है। यह उच्च पुरुष एवं क्षता उपजाति की नारी की मन्तान है (बोधायन ११५-१२, बौधिल्य ३७)। मनु ने इसे क्षता पुरुष एवं उच्च नारी में उल्लेख माना है। उगता (११) ने इसे चाण्डाल पुरुष एवं वैश्य नारी की मन्तान कहा है। मनु (१०११-५६) के अनुसार चाण्डाल एवं इत्याच एतौ इव-माय बन्धे हे (देगिर, 'पाण्डाल')। य लक्षण कुत्ते का मांस खाने है और कुत्ते ही इनका धन है (उगता १०)। ये नगरों की गार्हद बन्धन हैं और इममान में रहते हैं (मनु० १०५५)। ये जनेदारों में रहित मूत्रा का डारो हैं, जन्मदा वा वाम रजत हैं आदि-आदि। मगधगीता (५११८) में ये लोग कुत्तों की श्रेणी में गये गए हैं। मार्कण्डेयपुराण में य चाण्डाल भी बड़े भय हैं, अर्थात् इनमें और चाण्डालों में कोई अन्तर नहीं है। जातिविषय में ये दक्षिण के मगध एवं मग के समान मान गये हैं।

सावक—मनु (१०१२३) ने इसे वारण्य ही माना है।

मुपवाचार्थ—मनु (१०१२३) ने इसे वारण्य ही माना है।

सुवर्ण—उगता (२४-२५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी के बीच विवाह की मन्तान है। सम्भवतः यही श्रिता में कृति हा गर्भो है और 'सुवर्ण' का 'सवर्ण' होना चाहिए। उने अधबन्धन के अनुसार वर्ण-भंगार करना चाहिए, राजा को आज्ञा से पाड़े, रूपां या रथ की गपारी करनी चाहिए। वह मत्तार्षिण या रथ का काम कर सकता है।

सुवर्णभार वा सौवर्णिक वा हेमकार (सोत्तर)—वाग्मदेवों संहिता (३०७) एवं मैत्रेयीय ब्राह्मण (३६११८) में त्रिपुण्ड्र का उल्लेख हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (१०१८) एवं नारद (ऋग्वेदान्त, २७६) के अनुसार सोत्तर तीन नामक द्विच में नामा करना था। सुवर्ण वाग आदि ने इसे कर्मभार एवं निषाद की श्रेणी में रखा है। मनु (१०१२२) ने इसे दुष्ट में दुष्ट कहा है (मर्कण्डेयपुराण)। महाभारत में मेगा आया है कि परमेश्वर की प्रोत्साहन में कपर्क कुष्ठ लोको ने क्षत्रियों, सोत्तरा एवं सोत्तरों का काम करना आरम्भ कर दिया^{११}

सुवर्ण—य वर्ण पुरुष एवं गृह नारी की अनुलोम मन्तान है (उगता ६३)।

३१. डॉक्टर हेमचन्द्रिकात्रिणित्य सभाशिक्षाः। शान्तिपर्व ४९।८४। यही 'सोत्तर' सम्भवतः 'स्योत्तर' (सोत्तर) है। यही-यही 'सोत्तर' के स्थान पर 'व्याकार' (अथवा उच्च ब्रह्मदेवता) पाया जाता है।

सूचिक या सौचिक या सूची—जो मूर्ख से कार्य करता है, अर्थात् दूर्जी। यह वैदेहक पुरुष एवं क्षत्रिय नारी को प्रतिलोम सन्तान है (वैखानस १०१५ एवं उशना २२) और मूर्ख का अर्थात् सीने-पिराने का काम करता है। अमरकोश के अनुसार सौचिक भी तुद्रवाय ही है (देविए ऊपर) और ब्रह्मपुराण म सूची भी तुद्रवाय ही कहा गया है।

सूत—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में भी यह नाम आया है। यह क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्तान है (गौतम ४।१५, बोधायन १।१।९, वसिष्ठ १।८।६, कौटिल्य ३।७, मनु १०।११; नारद, श्रौतसूत्र, १।१०, विष्णु १।६।६, याज्ञ० १।९३ एवं सूतमहिता)। स्तुति गान करने वाले सूत से यह मित्र है, ऐसा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है। सूत का व्यवसाय है रथ हारना, अर्थात् घोड़ा जोतना, जोतना आदि (मनु १०।४७)। वीरनाम (१०।१३) ने अन्याय उठाया कार्य है राजा को उसके वसंतियों की याद दिखाना एवं उससे किए भोजन बनाना। कर्णपर्व (३२।४८) ने अनुसार यह ब्राह्मण-क्षत्रिया का परिचारक है। वायुपुराण (जिल्द १।१।३३-३४, जिल्द २।१।१३९) ने इसे राजा का एवं वनिका की बचावली, परम्पराओं की सुरक्षा करनेवाला कहा है। किन्तु यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका के लिए राजाओं पर आश्रित रहता है और रथों, घोड़ों एवं हाथियों की रखवाली करता है। यह जीविका के लिए दया देने का कार्य भी कर सकता है। वैखानस (१०।१३) एवं सूतमहिता में स्पष्ट शब्दों में आया है कि सूत एवं रथकार में अन्तर है, जिनमें सूत तो वैध विवाह की सन्तान है किन्तु रथकार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी ने गुप्त प्रेम की सन्तान है।

सूचिक या सौचिक (कसाई)—यह आयोग्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है (उशना १४)। शरीर ने इसे रजव एवं चर्मकार की श्रेणी में रखा है। ब्रह्मपुराण ने इसे 'पशुमारक' कहा है। जातिविवेक ने अनुसार यह 'चाटिक' है।

सैरिन्द्र—मनु (१०।३२) के अनुसार यह दम्प पुरुष एवं आयोग्य नारी की सन्तान है, पुण्यो एवं नारियो के वंश-विन्यास में अपनी जीविका चलाता है। यह दाम (उत्क्रिष्ट भोजन करलेवाला) नहीं है, हाँ, शरीर दबाये का कार्य करता है। पाणिनि (४।३।११८) ने अपने 'बुलादि गण' में इसे परिगणित किया है। महाभारत में सैरिन्द्रो ने रथ में द्रौपदी ने त्रिराट-रानी की ये संवार्ण की है—नेशा को संवारना, लेपन करना, माला बनाना (विगतपर्व ९।१८-१९)। इसी प्रकार दमयन्ती चन्द्रिराज की माता की सैरिन्द्रो यनी थी (वनपर्व ६५।६८-७०)। जादिपर्व के अनुसार सैरिन्द्र भृगो को मारकर, राजाओं के अन्त पुत्रों एवं छुट्टाराण पापी हुई नारियो की रखवाली करने अपनी जीविका चलाता है (शूद्रकर्मश्रम म उद्धृत)।

सोषाक—यह चण्डाल (या चाण्डाल) पुरुष एवं पुरुषस नारी की सन्तान है (मनु १०।३८)। यह राजा ने दण्डित लोगों को फाँसी देने समय जल्लाव का कार्य करता है।

सौधन्वन—देविए, नामसूत्र (१।५।३७)। इसे रथकार भी कहा जाता है।

उपर्युक्त जाति-सूची में व्यक्त होता है कि स्मृतियों में वर्णित कतिपय जातियाँ, यथा अम्बळ, मागध, मल्ल एवं वैदेहक, प्रदेशों से सम्बन्धित हैं (अम्ब, मागध, विदेह आदि) तथा कुछ जातियाँ आभीर, तिरान एवं सा नामक विनाष्ट जातियों पर आधारित हैं। मनु (१०।४३-८५) एवं महाभारत (अनुशासनपर्व ३।३।२१-२३, ३५।१७-१८) न सक्ते, यक्ते, कम्बोजी, इविडे, दरदों, शबरा, तिराना आदि की मूल्य क्षत्रिय माना है, किन्तु वे ब्राह्मणों के सम्पर्क में दूर हो जाने के कारण शत्रुओं की स्थिति में परिवर्तित हो गये थे। यही बात विष्णुपुराण (४।४।४७-४८) में भी पायी जाती है। अपम्बर, कुम्भार, चर्मकार, तथा, तैरिन्द्र, नट, रथकार, वेण आदि

वर्षान्तर व्यवसाय। पर आधारित है। अनि प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग वर्ण प्रभार के व्यवसाय करने वाले होते थे। ऐम ब्राह्मण की मूर्ति का अर्पण स्वामावित्र व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते थे बहुत लम्बी है (मनु ३।१५१)। इस विषय में शतितपावन-शाम्बरी विवेचन भी आगे दिया जायगा।

अनि प्राचीन काल में ही ब्राह्मणों में कुछ ऐसे लोग पाये जाते हैं जो अर्धव्यवसायिक से दूर कोई अन्य व्यवसाय करते थे किन्तु वे ब्राह्मण रहे जाते हैं। महाभाष्य में तप वेदाध्ययन एक जन्म नामन तीन बारका का उल्लेख है जो किसी भी ब्राह्मण के लिए आवश्यक व्यवसाय नहीं है।" महाभारत में यह कई बार आया है कि ब्राह्मण जन्म से ही पूज्य हैं" किन्तु वर्ण व्यवसाय पर जन्म पर आधारित जाति की भर्त्सना भी की गयी है।" उदाहरण (४३।२० एव ४९) शान्तिपर (१८।१०-१८।१४ एव ८) वनपर्व (२१।१४-१५, २१।३।०८ १११), याज्ञवल्क्य (१।२००) बृहत् गोतम आदि में नीचता चरित्र धारि दिव्य गुणों वाले व्यक्तियों की ही प्रशंसा की गयी है। वर्ण से ही कोई उच्च होता है न कि जन्म से।" गोतम ने आत्मा के आठ गुणों को परम शौर्य दिया है (इसा सर्वभूतेषु शान्तिखण्डकृत शौचमनायायो मण्डलमहाभूम्यमपूहति) तथापि जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था मनी युगा में बरतनी बनी गयी और रतियम आचार्यों ने जाति एवं चरित्र में जाति को ही महत्ता दी।"

मध्य काल के जातिविवेक एवं शस्त्रमन्त्रपर (१७) में उदाहरणों नामक अध्याय में कुछ और जातियाँ का उल्लेख है जिनमें कुछ निम्न हैं—

आध्यात्मिक या आध्यात्मिक—वेदज्ञात पुरुष एवं शूद्र नामों की संज्ञाना वरा हुआ शोचन केनीसाय। इमे साधकान् भी कहा जाता है।

भावर्तक—मृगशरण पुरुष एवं ब्राह्मण नारी के उल्लेख।

४०. तप शूद्र च धीनिदध एतद् ब्राह्मणराजम् । तपशून्यायां सो होतो जातिब्राह्मण एव स ॥ धाम्नि के २।२।६ पर महाभाष्य। महाभारत के अनुशासनाध्याय (१२।१।७) में भी ऐसा ही आया है—तप-... ब्राह्मणराजम् । त्रिभिर्गुणैः समृद्धितो ततो भवति ये द्विज ॥ महाभाष्य में एव अन्य चर्चा भी है—श्रीणि धरणावदानि विष्टा धीनिदध वर्णं च । एतस्मिन् विष्टागोहि ब्राह्मणाधरथ ताणम् ॥ (त्रिद २, पृ० २२०)

४१. जन्मर्तव्यं महाभागे ब्राह्मणो नाम जायते । ममरय सर्वभूतानामस्मिन् प्रस्तावमुर । अनुशासनाध्याय ३५।१; वैश्वदेव, पृ० १४३।६।

४२. तस्य ब्रह्मणो ह्यतमहिता धमन्त्यना । साधरति तारा युतां न जानिं कुल म्प ॥ वनपर्व १८१ । ४२-४३ ।

४३. साय शतमपादोऽप्यनुशास्य जना युगा । तपश्च द्रुमते वन स ब्राह्मण इति स्मृत ॥ इदं चेतद् मनेकामम द्विजे तस्य न विदते । न च शूद्रो भवेत्पुत्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण ॥ शान्तिपर्व १८१।४ एव ८; और वैश्वदेव वनपर्व १८०।२१। न चिदोऽस्ति वर्णाती सर्वं ब्राह्मणिकं जगत् । ब्राह्मणा पुत्रंमुच्ये हि वर्णभिर्योगतां गतम् ॥ शान्ति १८८, १० । सायान्तरिय का मर्यादा जतिवर्णनं च द्विजम् । य एव सायान्तरियेति स श्रेयो ब्राह्मणराजया ॥ उदोपर्व ४३।४९; यानु शूद्रो इव सायं धर्मो च सायान्तरियः । स ब्राह्मणमर्त्यं मयं युतं हि भवेत् द्विजः ॥ वनपर्व २१६।१४ १५, न जानि पुत्रयो राजन् मुक्ता ब्रह्मणराजरा । ब्रह्मणमपि कुलस्य स देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ बृहत्सोपनि ।

४४. वैश्वदेव, पराशरामाध्यायिक, जानितीशयोर्मयं अप्युक्तं एव प्राचायकैरोपदेय । शान्तिं तु मयासाधयम् ।

आहितुष्टिक—निपाद एव वैदेहक नारी से उत्पन्न। इसे गाण्डी भी (भराठी मे) कहते हैं।

औरभ्र—मराठी मे इसे घगर कहते हैं। यह भेड, बकरी चरता है। उत्तर प्रदेश, बिहार मे इसे गडरिया कहा जाता है।

रुटधानक—आवर्तक पुरुष एव ब्राह्मण नारी की सन्तान।

कुन्तलक—यह नापित (नाई) के समान है।

कुक्कुटिक—कुम्भवार एव कुक्कुटी नारी से उत्पन्न। शूद्रकमलाकर के अनुसार यह आज का शाली है।

पोलिक—व्याध पुरुष एव गाण्डी नारी की सन्तान।

दुर्भर—आयोगव एव धिगवण नारी की सन्तान। इसे अब डोहोर या डोर कहते हैं।

पौष्टिक—ब्राह्मण एव निपादी नारी से उत्पन्न। अब इसे कहार या पालकी डोनेवाला या मोई कहा जाता है।

प्लव—चाण्डाल एव अन्ध नारी की सन्तान। यह आज का 'हाडी' है।

बन्धुल—मैत्रेय एव जाधिका स्त्री की सन्तान। इसे अब झारेकरी (जो मिट्टी या राख से सोने के बण बटोर कर मोनार के पाम ले जाता है) कहते है।

भस्माकुर—च्युत शैव सन्यासी एव शूद्र वेश्या की सन्तान। जातिविवेक मे इसे गुरव कहा गया है।

मन्धु—वैश्य एव धत्रिय नारी की सन्तान। इसे तावडिया (चोर पकड़नेवाला) भी कहते हैं।

रोमिक—मल्ल एव आवर्तक नारी की सन्तान। अब इसे लोणार (नमक बनानेवाला) कहा जाता है।

शालावय या शाकल्प्य—मालाकार और कायस्थ नारी की सन्तान। अब इसे मनिवार कहते हैं।

शूद्र-भार्जक—माण्डलि, जो गा-बजाकर जीविका चलाते हैं।

सिन्धोलक या स्पन्दालिक—शूद्र एव भावध नारी की सन्तान। इसे रगारी अर्थात् रगनेवाला कहा जाता है।

आधुनिक काल मे प्रमुख वर्णों मे बहुत-सी उपजातियाँ हैं, जो प्रदेश, व्यवसाय, धार्मिक सम्प्रदाय तथा अन्य कारणों से एक दूसरे से मिश्र है, उदाहरणार्थ, ब्राह्मण प्रथमत १० श्रेणियों मे विभाजित है, जिनमे ५ गोड हैं और ५ द्रविड हैं।" ये १० ब्राह्मण कतिपय श्रेणियों, उपजातियों एव वर्णों मे विभाजित हैं। द्रविड ब्राह्मणों मे महाराष्ट्र ब्राह्मण वितपावन (या बोकणस्थ), बर्हिडे, देवास्य, देवस्ने आदि कई उपजातियों मे विभाजित हैं। कहा जाता है कि गुजरात मे ब्राह्मणों की ८४ उपजातियाँ हैं। पुन एक ही उपजाति में कई विभाजन पाये जाते हैं। पञ्जाब के सारस्वतो मे लगभग ४७० उपविभाग हैं। इसी प्रकार कान्यकुब्जो मे भी सैकड़ो श्रेणियाँ हैं। अति प्राचीन काल मे भी उत्तर के ब्राह्मणों मे मगध आदि देशों के ब्राह्मणों को उँची दृष्टि से नहीं देखा था। मत्स्यपुराण (१६।१६) मे आया है कि वैसे ब्राह्मण जो म्लेच्छ देशों में, पिसाकु, बर्बर, ओड्र (उडीसा), अन्ध (तेलगुना), टक्, द्रविड एव बौरुण में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय नियन्त्रित नहीं करना चाहिए।"

धत्रियों मे भी कतिपय उपजातियाँ पायी जाती हैं, यथा सूर्यवती, चन्द्रवती तथा अग्निकुत्र वाले। परभारो मे ३५, मुहिलोतो मे २४, चाहमानों मे २६, सोलकियों मे १६ शाखाएँ हैं। इसी प्रकार अन्य वर्णों मे भी बहुत-सी शाखाएँ एव उपशाखाएँ हैं।

४५. द्रविडशास्त्रेण तैलंगा बर्हिडा मन्धेदेसागा। गुर्जराश्वेव पञ्चदेते कल्पन्ते द्रविडा द्विजाः॥ सारस्वता-
कान्यकुब्जा उत्कला मंत्रिलास्य ये। गोडास्य पञ्चभ्रा श्वेव दसा विना प्रकीर्तिताः॥ सह्याद्रिपण्ड (चन्द्रपुराण)।

४६. श्रुतज्ञाप्रतिपत्तिस्तद्वन्म्लेच्छदेशनिवासिनः। पिसाकुदर्वरोड्रुप्रान् टक्द्रविडकौरुगान्॥ मत्स्य-
पुराण १६।१६।

वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार

धर्मशास्त्र-साहित्य में वर्णों के कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विविध वर्णन मिलता है। वेदाध्ययन करना, यज्ञ करना एवं दान देना ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माने गये हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ करना, दान देना ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हैं। युद्ध करना एवं प्रजा-जन की रक्षा करना क्षत्रियों के तथा कृषि, पशु-पालन, व्यापार आदि कर्तव्यों के विशेषाधिकार हैं। प्रथम तीन वर्णों अर्थात् अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना द्विज मान्य के धर्म (कर्तव्य या कर्म) हैं, किन्तु वेदाध्ययन केवल ब्राह्मण की ही वृत्ति (जीविका) मानी गयी है।

वेदाध्ययन—आरम्भिक वैदिक कालों में भी ब्राह्मण एवं विद्या में अभेद सम्बन्ध था। इन्द्रविद्या में ब्राह्मणों ने विविध गति प्राप्त की थी। कुछ राजाओं ने भी इस विद्या में इतनी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग उनके ज्ञान ग्रहण करने थे। नान्य ब्राह्मण एवं उपनिषदों में कुछ ब्रह्मविद् क्षत्रियों के नाम आते हैं जिनके यही ब्राह्मण लोग नियम रूप में उपस्थित होते थे। यथा याज्ञवल्क्य ने राजा जनक में (शतपथ ब्राह्मण १२.११५), बाल्यार्कि गार्ग्य ने बालिगज अजातशत्रु में (बृहदारण्यक २.११ एवं शौषोतरी उपनिषद् ४), श्वेतेतु आरण्य ने प्रवाहण जैबलि में (छान्दोग्योपनिषद् ५.३), पंच ब्राह्मणों में केकयराज अश्वपति में (छा० ५.१२) ज्ञान प्राप्त किया। इसमें यह स्पष्ट है कि क्षत्रियों ने ब्रह्मविद्या में इतनी विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग भी उनके यही गढ़ने थे। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि क्षत्रिय लोग ब्रह्मविद्या के प्रविष्टाएँ थे, जैसा कि प्रागज विद्वान् एवं भारतीयता-सूत्रविद् श्री ह्यूगेल महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दाम सिस्टम ऐंड वेदान्त' (गद् १८८३, पृष्ठ १८-१९) में किया था। यह धारणा अब निर्मूल सिद्ध की जा चुकी है। उपनिषदों के उद्गम का बीजारोपण ऋग्वेद के मन्त्रों, अथर्ववेद एवं कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में ही हुआ था। उपनिषदों में गेहो ब्राह्मणों की बहूला है जिन्होंने नान्य रूप में ब्रह्मविद्या के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। ऐसा नष्ट के लिए कोई कारण नहीं है कि किन क्षत्रिय क्षत्रियों के नाम ब्रह्मविद् के रूप में हमारे सामने आते हैं, केवल में ही ब्रह्मविद्, ब्राह्मण नहीं। प्राचीन ग्रन्थों में नहीं। जो किसी वेद के विषय में वेदाध्ययन का संबंध नहीं मिलता, यद्यपि उनके भी वेदाध्ययन करना आवश्यक था।

विद्या (२.४) में विद्यायुक्त नाममात्र पार मन्त्र है, जिनमें प्रथम के अनुगत विद्या ब्राह्मणों के नाम

१. द्विजतीनामप्यवतमिगना दानम् । ब्राह्मणव्याधिकाः प्रवचनवाक्यप्रतिपत्ताः । पूर्वेषु नियमसु । राज्ञो-
 विषः राज्ञां सर्वभूतानाम् । वेदजग्याधिर्न कृषिर्निकरान्वात्यशुभोदम् । गौतम० १०.१-३, ७, ५०; श्रौ० देगिण् आ-
 तम्य २.५, १०.५-८; शौषोतत्र १.१.०.५-५; बलिष्ठ २.१३-१९; मनु १.८८-९०, १.०.५-७९; याज्ञवल्क्य
 १.१.१-१.१९; श्वेत् २.१-२.५; अथि १.३-१.५; मार्कण्डेयपुराण २.८.१-८।

आयी और सम्पत्ति के समान अपनी रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की।^३ पतञ्जलि के महाभाष्य में आया है कि ब्राह्मणों को बिना किसी कारण के धर्म, वेद एवं वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए।^४ मनु (४।१।४७) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन परमावश्यक है, क्योंकि यह परमोच्च धर्म है। याज्ञवल्क्य (१।१।९८) ने कहा है कि विधाता ने ब्राह्मणों को वेदों की रक्षा के लिए, देवों एवं पितरों को सुष्टि तथा धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न किया है। अग्नि में भी यही बात पायी जाती है। कुछ आचार्यों (बोधायनगृह्यपरिभाषा १।१।१५-६, शं० सं० २।१।५।५) ने यहाँ तक लिख दिया है कि जिस ब्राह्मण के घर में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत क्रिया-संस्कारों के लिए अग्नि-प्रतिष्ठा) का त्याग हो गया हो, वह तीन पीढ़ियों में दुर्बाहण हो जाता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (२।१।१०।१) में भी संकेत है।

वेदाध्यापन—सम्भवत आरम्भिक काल में पुत्र अपने पिता से वेद की शिक्षा पाता था। श्वेतकेतु आरुण्य की गाथा (छान्दोग्य ० ५।३।१ एवं ६।१।२-२, वृ० उ० ६।२।१) से पता चलता है कि उन्होंने अपने पिता से ही सब वेदों का अध्ययन किया था, इतना ही नहीं, देवों, मनुष्यों एवं असुरों ने अपने पिता प्रजापति से शिक्षा प्राप्त की थी (वृ० उ० ५।२।१)। ऋग्वेद के ७।१०।३।५ से पता चलता है कि शिक्षा-पद्धति वाचिक (अलिखित) थी, अर्थात् शिष्य अपने गुरु के शब्दों को पुहराते थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल से धर्मशास्त्र-काल तक सर्वत्र वेदाध्यापन-न्याय ब्राह्मणों के हाथ में था। जैसा कि हमने ऊपर देखा लिया है कुछ क्षत्रिय आचार्यों या दार्शनिक भी थे (शतब्रह्मण ८।१।४।१० एवं १।१।६।२ आदि), विन्नु वं सामान्य निम्न प्रतिष्ठा के पात्र थे। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२५-२८) में आया है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, विन्नु आपस्तम्ब में, अर्थात् ब्राह्मण-गुरु की अनुपस्थिति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से पढ़ सकता है। ब्राह्मण-शिष्य क्षत्रिय या वैश्य गुरु के पीछे-पीछे चल सकता है, विन्नु घर दबाने की सेवा या कोई अन्य गरीब-सेवा नहीं कर सकता, पढ़ने के उपरान्त वह गुरु के आगे-आगे जा सकता है। ये ही नियम गौतम (७।१।३), मनु (१।०।२, २।२।४।१) में भी पाये जाते हैं। मनु (२।२।४) ने लिखा है कि एक नैष्ठिक ब्राह्मण को किसी अर्द्धब्राह्मण गुरु के यहाँ ठहर नहीं सकता, मले ही वह किसी शूद्र से कोई उपयानी या हितकर कला या कौशल सीख ले (२।२।३८)। वेदाध्यापन से प्रचुर धन की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। केवल ब्राह्मण ही पुरोहित्य कर सकता था। जैमिनि ने लिखा है कि क्षत्रिय या वैश्य ऋत्विक् नहीं हो सकता, अतः सत्र (एक ऐसा यज्ञ जो बहुत दिनों या वर्षों तक चलता रहता है) केवल ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पादित हो सकता है।^५ त्रिशकु को चाण्डाल हो जाने का शाप मिल चुका था, विन्नु विद्वान्मित्र ने उसके लिए यज्ञ करने की ठानी, किन्तु रामायण का कहना है कि देवता एवं ऋषि उनकी हत्या को स्वीकार नहीं कर सकते थे।^६ किन्तु यह सन्दिहास्पद है कि ऐसी स्थिति (कठिन नियम) प्राचीन

२. ये ऋत्र यज्ञिष्ठधर्मसूत्र (२।८-११) में भी मिलते हैं। इनमें तीन (केवल 'अध्यापिता ये' को छोड़कर) विष्णु (२।१।९-१० एवं ३।०।४७) में भी प्राप्त होते हैं। मनु (२।१।४-१।१५) में दो धर्मों का अर्थ आ जाता है।

३. ब्राह्मणों के निष्कारणों धर्मः वधयो वेदोऽप्येयो ज्ञेय इति। महाभाष्य (जित् २, पृ० १५)।

४. ब्राह्मणानां वेतप्योरातिग्याभावात्। जैमिनि ६।६।१८; ब्राह्मणा ऋत्विजो भजप्रतिषेधावितरयोः। कात्या० शं० १।२।२८।

५. क्षत्रियो वाजको वस्य क्षत्रास्तस्य विज्ञेयतः। कथं सर्वसि भोक्तापो हविस्तस्य सुरर्षयः॥ ब्राह्मणाय ५।१।१३-१४।

वैदिक काल में भी थी। ऋग्वेद (१०।१८।७) में आया है कि देवाधि शतनु का पुरोहित था, निरवत (२।१०) में पाया जाता है कि देवाधि एव शतनु माई माई ये और कुश भी सन्तान थे। निरवत के अनुसार वैदिक काल में शक्ति पुरोहित हो सन्तान था। बहुत-से आधुनिक लेखकों की यह भ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि ब्राह्मण पुरोहित-जाति का पुरोहित है। वैदिक काल में सन्तान ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब ब्राह्मण मन्दिरो एव तीर्थस्थानों का पुरोहित का पुजारी है। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सन्तान और बहूतों के क्रिया-मस्कारों के लिए 'हृद्विन्' होना स्वीकार कर लिया। मन्दिरों के पुजारियों की परम्परा परचारवालीन है और आधुनिक काल का भीति प्राचीन काल में भी पुरोहितों-मर्म निम्न कोटि का कार्य समझा जाता था। मनु (३।१५२) ने लिखा है कि देवलक ब्राह्मण (जो मन्दिर में पूजा करने दक्षिणा लेता है) तीन वर्ष के उपरान्त धाद एव देव-युजा का समय निमन्त्रण पाता था अधिपारी नहीं रह जाता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे, जिनमें अब सब वेदाभ्यास एव पौरोहित्य नामक साधनों पर प्रयोग होता जा चुका है। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन था विनीययोग्य या विनीय प्रवार का बलक या दीप से रहित व्यक्ति से दान ग्रहण करना। यम के अनुसार तीनों वर्णों के योग्य व्यक्ति का प्रतिग्रह लेना (दान ग्रहण) पुरोहिती या शिक्षा देकर धन प्राप्त करने से बड़ी अच्छा है।^१ किन्तु मनु (१०।१०९-१११) के अनुसार अयोग्य व्यक्ति या मूढ़ से प्रतिग्रह लेना शिक्षा-भय या पुरोहिती से निम्न-तर है। दान लेने या देने के लिए बड़े-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुनः विचार करेंगे। बृहदा रण्यकोपीयद् (४।१।३७ एव ५।१।५९) से पता चलता है कि इस प्रकार के नियम परम्परा रूप से विद्यमान थे।

ब्राह्मण-भूति—यह भी बात यह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का आदर्श ही या निर्धनता, सादा जीवन, उच्च विचार, धन-गन्धर्व से सक्रिय रूप में दूर रहना तथा संस्कृति-सम्बन्धी रक्षण एव विनाश करना। मनु (४।२-३) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए यह एक सामान्य नियम था कि वे इतना ही धन प्राप्त करें जितने वे अपना तथा अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण कर सकें, बिना किसी को कष्ट दिये अपने धार्मिक कर्तव्य कर सकें। मनु (४।७८) ने पुनः कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही भद्र एवक करे जितना कि एक कुमूढ या एक कुम्भी में अट सके।^२ 'कुम्भीपाय का आदर्श बहुत प्राचीन है, पतञ्जलि के महाभाष्य में भी इसकी चर्चा है (पाणिनि १।३।७)।^३ याज्ञवल्क्य (१।१२८) एव मनु (१०।११२) ने ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था दी है कि यदि वे

१ प्रतिष्ठाभ्यासयत्नयत्नानां प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदन्ति। प्रतिग्रहानुप्यति जप्यहोमैर्वायं तु पापेनं पुनरिति वेदाः ॥

७ भाष्यकारों ने 'कुमूढ' और 'कुम्भी' की व्याख्या विभिन्न रूप से की है। बृहस्पति (मनु ४।७ पर) के अनुसार वह ब्राह्मण जिसने पाप तीन वर्षों के लिए मग्न है, 'कुमूढपाय' कहलाता है, और 'कुम्भीपाय' वह है जिसने पाप सात वर्ष के लिए पर्याप्त मग्न है। मेयानिधि का कहना है कि वेदक मग्न पर ही दण्डित नहीं है, जिसने पाप मग्न या धन तीन वर्षों के लिए है, वह 'कुमूढपाय' है। गोविन्दराज के अनुसार 'कुमूढपाय' एवं 'कुम्भीपाय' वे ब्राह्मण हैं जिनने पाप क्रम से १२ और ९ दिनों के लिए मग्न है। मिताक्षरा की व्याख्या माण्य है (याज्ञवल्क्य १।१२८ पर)।

८ कुम्भीपायः धर्मज उच्यते। यावद् कुम्भीपायैः धार्यं स कुम्भीपायः। यावद् पुनः कुम्भीपायः धार्यतः स कुम्भीपायः।

अपनी जीविका न चला सकें तो फसल कट जाने के बाद खेत में जो धान्य की बालियाँ गिर पड़ी हो उन्हें चुनकर खाएँ। दान लेने से यह बघ्टवर कायं अच्छा है। इसे ही मनु ने 'श्रुत' की सजा दी है (४५५)। मनु (४१२२, १५, १७), याज्ञवल्क्य (१११२९), व्यास, महाभारत (अनुशासनपर्व ६११९९) आदि में ब्राह्मणों के वादे जीवन पर बल दिया गया और उन्हें धन-सम्पत्ति से सदा दूर रहने की उद्देशित किया गया है।

गौतम (१५६३), याज्ञवल्क्य (१११००), विष्णुधर्मसूत्र (६११) एवं लघु-व्यास (२१८) के अनुसार ब्राह्मण को अपने योगक्षेम (जीविका एवं रक्षण) के लिए राजा या पतिव्रत जन के पास जाना चाहिए। मनु (४१३३), याज्ञवल्क्य (११३०) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१२१२) के अनुसार क्षुधामोहित होने पर ब्राह्मण को राजा, अपने शिष्य या भुपात्र के यहाँ सहायता के लिए जाना चाहिए। किन्तु अर्थात्मिक राजा या दानी से दान ग्रहण करना मना है। यदि उपर्युक्त तीन प्रकार के (राजा, शिष्य या इच्छुक भुपात्र दानी) दाता न मिलें तो अन्य योग्य दिजातियों के पास जाना चाहिए (गौतम १७११-२)। यदि यह भी सम्भव न हो तो ब्राह्मण किसी से भी, यहाँ तक कि शूद्र से भी (मनु १०११०२-१०३) दान ले सकता है। किन्तु शूद्र से दान लेकर धन या अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपत्ती जन्म में बाण्डाल होना पड़ेगा (मनु १११२४ एवं ४२, याज्ञ० ११२०)। इस विषय में मनु (४१२५१), वसिष्ठ (१४११३), विष्णु (५७१३३), याज्ञ० (११२१६), गौतम (१८१२४-२५), आपस्तम्ब (१११७१२०-२१) आदि के वचनों को देखना चाहिए। स्मृतियों के अनुसार राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे श्रोत्रियों (वेदज्ञाता ब्राह्मणों) या दरिद्र ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करें (गौतम १०१९-१०, मनु ७१३३४, याज्ञ० ३१४४, अग्नि ४४)। यह आदर्श पालित भी होता था। काले अमिलेख न० १३ एवं नासिक गुफा अमिलेख न० १२ से पता चलता है कि उगवदात (श्रमपदात) ने एक लाख गोएँ एवं १६ ग्राम प्रमास (एक तीर्थ-स्थान) पर ब्राह्मणों को दिये, उनमें बहुतों ने विवाह कराये और प्रति बर्ष एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहुतसे दानपत्रों से प्रकट होता है कि राजाओं ने पशुमहायज्ञों, अग्नि-होत्र, वैश्वदेव, बलि एवं चक्र के लिए दान आदि देकर अति प्राचीन परम्पराओं का पालन किया था। प्रतिग्रह अर्थात् दान लेने का आदर्श यह था कि ब्राह्मण भ्रमरक इससे दूर रहे तो अत्युत्तम है। दान लेना कभी भी उत्तम नहीं समझा गया है (मनु ११२१३, ४११८६, ४११८८-१९१, याज्ञ० ११२००-२०२, वसिष्ठ ६१३२, अनुशासनपर्व)। जिस प्रकार अविद्वान् ब्राह्मण को दान लेना मना था उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देना भी बर्जित था (सप्तपथ ब्राह्मण ४१३११५, आपस्तम्ब २१६१५१९-१०, वसिष्ठ ३१८ एवं ६३०, मनु ३११२८, १३२ एवं ४१३१; याज्ञ० ११२०१, दश ३१२६ एवं ३१)। स्मृतियों में स्पष्ट आया है कि जिसने वेद का अध्ययन न किया हो, जो कपटी हो, लाजवी हो उसे दान देना व्यर्थ है, बल्कि उसे दान देने से नरक मिलता है (मनु ४११९२-११४, अग्नि १५२, दश ३१२९)। मनु (११११-३) ने वेदल ९ प्रकार के निर्धन स्नातकों को भोजन, मुक्त आदि देने में प्राथमिकता दी है। यदि कोई बिना माँग दान दे तो उसे ग्रहण कर लेने की स्पष्टमा स्मृतियों में पायी जाती है, यहाँ तक कि बुरे नाम करने के अपराधियों से भी बिना माँग दान ग्रहण करना चाहिए। किन्तु इस विषय में दुराचारियों की लक्ष्मी, मनुमक पुरुषा एवं पतित लोगो (महापात्रन करनेवाला) से दान लेना बर्जित माना गया है (याज्ञ० ११२१९; मनु ४१२४८-२४९, आपस्तम्बधर्मसूत्र ११६११११-१४, विष्णुधर्मसूत्र ५७१११)। बहुतसे मनुष्यों से दान लेना मना किया गया है (मनु ४१२०४-२२४, वसिष्ठ १४१२-११)।

समिकट रहनेवाले विद्वान् पड़ोसी ब्राह्मण को ही दान देने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु यदि पास में ब्राह्मण हा और वे अशिक्षित एवं मूर्ख हो तो दूर के माय्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए (वसिष्ठ ३१९-१०; मनु ८१३९२, व्यास ४१३५-३८, बृहस्पति ६०, ऋग् गानात्रय ७६-७९, गौतमस्मृति २१६६-६९)। देवक

के अनुसार वाक्या पर ध्यान देना परमात्मता है। जो वाक्य अपने माता-पिता का है प्रति मृत्यु हो, जो दग्ध हो जो मरण हो आदि वाक्य विपरीत जनों को दातृ दत्ता वाक्य (संस्कृत १२६ पाठ ११० ५)। दातृ तै वाक्ये और न तै वाक्ये वाक्या के विषय म स्मृतियों म परोक्ष चर्चा है। वाक्यपरि (११९) म वाक्यो को दा भाग म बाँटा गया है—(१) प्रवृत्त जा पत्त व त्तिण मनी प्रकाश व तायो म प्रवृत्त दातृ है आर (२) नियत्त, जपान् जो प्रतिवृत्त (दातृ तन) म दूर रहत है।

निराग्नेह प्रतिवृत्त वाक्या का ही विरोधाधिकार वा त्तिन्नु दातृ तिमो नी प्पत्ति दाग तिमो वा भी दिना जा मवता था। इस विषय म पाठ ११६ पठनीय है। वाक्य (११८) म (११८) दान (११८) दान (११८) दान (११८) ने कहा है कि जन्म न ही वाक्य नः धारिण (वा आचार्य) वा जिनन मनी २३ पर अधिकाश प्राप्त कर तिया ही उनका जा दातृ दिया जाता है वह अवाक्य वा दातृ दन म जा मृत्यु वा अन्त मुता पुण्य जाता है उमने दुमुता पत्त देता है। वाक्य (५१९-२०) पर वाक्यात (२३११-१०) म उमो व्यग्रथा दी है कि जब वाक्ये वाक्या धारिण वा वेदपाठ्य मुक्ता वा दक्षिणा दन व त्तिण विवाह व त्तिण प्राप्ति व त्तिण अध्याप एव वादा के त्तिण दातृ मी ता यत्त वरने व उपराल दातृ वा अन्त धन ही मामध्य व अन्याय दान अन्त दना चाति। मनु (११११-३) ने भी उम विषय म परोक्ष चर्चा की है।

आरम्भ में दातृ एव प्रतिवृत्त-मन्वन्तो मु-दा आदा उपस्थित त्ति व म ५ त्तिन्नु वाक्यपर म वाक्यो की मन्वा वृद्धि, जन-मन्वा-वृद्धि दातामाय पौगण्डिय दातृ व पट जान आदि व वाक्य नियमा म विदित्ता प्राप्ति जाने तयो और वाक्ये अथवा अतिशय मनी प्रकाश व वाक्या का दातृ दान जिन जिन आर के दातृ वा भी म्पे। इसने त्तिण स्वयंपुण्य वृद्ध-मातृमृति आदि म व्यग्रथा दी मनी है कि जिन प्रकाश जिन मनी म्पे म पवित्र और दवता है, उमो प्रकाश वाक्या है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है निष्पन्न दातृ म वृत्त दातृ धन को उपस्थित हा मन्वा भी। प्राज्ञ की मीति प्राचीन वाक्य म सत्त्ववीच पाठवाएँ नहीं थी जहाँ पर वाक्य मन्वन्तो स्थिता प्राज्ञ दातृ। उम समय मनीवाद्दत वा भी निष्पन्न नहीं था कि जिनने आपात-मन्वा पाठ्यक्रम को पूरा व प्रकाशन म पत्त मनी मन्वते। वाक्या वा वाक्ये मनी नहीं था, जैसा कि एतिसन का म पाया जाता है जहाँ जाह विदित्ता, विदित्ता एवं अथ पवित्र पुण्य। वा क्रम पाया जाता है। प्राचीन मीतृ म दृष्ट-मन्व (११) की भी व्यग्रथा नहीं थी कि जिनम द्वा-म पतिता की मन्वति प्राप्त हातो। प्राचीन व वाक्य म वृद्धि व निष्पन्न की मुतावत नहीं थी। आदि के समय अधिका वाक्या वा निष्पन्न वरन वा विदित्ता नहीं था (मनु ११११-११२५, पाठ्य ११०८, मन्व ११२२८)। नता मनी वाक्या उतनी वृद्धि, म्पे म्पे म्पे वाक्ये कि वाक्ये म्पे म्पे वरन और विदित्ता प्राप्त वरन। प्राचीन, पुण्डरी (पत्रमन्वी वा जन्वातो) म्पे म्पे म्पे म्पे

९. समद्विगुणाह्वानरवाति वरान्दवाह्यवाक्याधोप्रियवेदपारोम्य । पा० ५११८; मन्मवाह्यो दातृ त्तिन्नु वाक्यमन्वते। प्राचीने दातृमह्वानरवा वेदपारोम्य ॥ मनु० ११८५; दान ५१२१।

१०. वृद्धता वा मुक्ता वा प्राहुता वा मुक्ताहता । वाक्या नादमन्वन्वा भ्रमवददा दवाज्य ॥ वाक्ये वृद्धता वादनादव वरित्ता, व्याधिनासथा। वाक्यावा द्वा प्राज्ञमम तथा हि ते द्वा। ॥ वृद्ध मीतृ, देति वरन १२०१८८-८९—वृद्धता वा मुक्ता वा प्राहुता मन्वनामन्वा। . मन्व ॥ पत्ता पत्ताते वरित्ता वाक्यो नव द्वापति। एवं विदित्तावृद्धता। वाक्या वरन मन्व ॥ और देति, अनुवागतव १५२१० एवं २३।

वृत्तियाँ सभी ब्राह्मणों की शक्ति के भीतर नहीं थी, जन अन्य ब्राह्मण इन तीन वृत्तियों (जीविनाओं) के अनि-
रिक्त अन्य मात्र न भी अपनाते थे। घर्मशास्त्रों ने उम्हें शिष्ट व्यवस्था दी है। गौतम (६१६ एव ७) ने शिष्टा है कि
यदि ब्राह्मण लोग शिक्षण (अध्यापन), पीरोहित्य एव प्रतिग्रह या दान मे अपनी जीविना न चत्रा गवें तो वे क्षत्रिया की
वृत्ति (युद्ध एव रक्षण कार्य) कर सकते हैं यदि वह भी सम्भव न हो तो वे वैश्य-वृत्ति भी कर सकते है। इसी प्रकार
क्षत्रिय लोग वैश्य वृत्ति कर सकते है (गौतम ६।२८)। शौण्डिन (२।२।७७-७८ एव ८०) एव बसिष्ठ (२।२२), मनु
(१०।८१-८२), याज्ञ० (२।३५), नारद (ऋणादान, ५६), शिष्णु (५।२।२८), शतश्रुति आदि ने भी यही बात
कुछ उलट-फेर ने साथ रखी है।" विन्नु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति वैश्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वृत्ति एव शूद्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-वृत्ति
नहीं कर सकते थे (बसिष्ठ २।२२, मनु १०।९५)। आपराज्य कह जाने पर उपयुक्त प्रायश्चित्त करने अपनी विभिन्न
वृत्ति की आर लीट जाना चाहिए, ऐसी स्मृति-व्यवस्था है। उनता ही नहीं, अन्य जाति की वृत्ति करने मे जो धन
की प्राप्ति होती थी, उसे भी त्याग देना पड़ता था (मनु ११।१९२-१९३, विष्णु ५।२।३७-३८, याज्ञ० २।३५,
नारद-ऋणादान, ५९।६०)। निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं कर सकते थे, अन्यथा करने पर राजा
उनकी सम्पत्ति जप्त कर सकता था (मनु १०।९६)। रामायण मे बर्णित शम्भूक की कथा इसी प्रकार की है
(७३-७६)। भवमृति के उत्तरगामधर्म मे भी यही मनोभाव झलकता है। यदि कोई शूद्र जप, तप, होम करे या
मन्यासी हो जाय या वैदिक मन्त्र पढ़े तो उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड दिया जाता था और उसे नैतिक पाप का भागी
समझा जाता था।" मनु (१०।९८) का रहना है कि यदि वैश्य अपनी वृत्ति मे अपना पालन न कर सके, तो वह
शूद्र-वृत्ति कर सकता है, अर्थात् द्विजातियों की सेवा कर सकता है। गौतम (७।२२-२४) के अनुसार आपराज्य मे
ब्राह्मण जन कर्मों के अनिश्चित शूद्र-वृत्ति कर सकता है, विन्नु वह शूद्रों के साथ भोजन नहीं कर सकता, न धोना-
बलन कर सकता और न बर्जन भोजन-मासमी (छद्ममुन-प्याज आदि) का प्रयोग कर सकता है (यही बात देखिए
मनु ८।८ एव ६, नारद ऋणादान, ५७)।

• शूद्रों की स्थिति—प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्र का विभिन्न कर्तव्य था द्विजातियों की सेवा करना एव
उनमे मरण-प्रापण पाना।" उक्त क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की सेवा करने से अधिक मुन प्राप्त हो सकता था,
इसी प्रकार वैश्यों की श्रमशा क्षत्रियों की सेवा-अधिक श्रमपत्तर सिद्ध होती थी। गौतम (१०।६०-६१), मनु
(१०।१२८-१२९) तथा अन्य आचार्यों के अनुसार शूद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाता, कपल,
घटादी आदि प्रयोग में नरता था और स्वामी द्वारा त्यक्त उच्छिष्ट भोजन करता था। वृद्धा मे उनका पालन-
प्रापण उगका स्वामी हो करता था (गौतम १०।६३)। विन्नु वाग्लय मे शूद्र-स्थिति मे कुछ सुधार हुआ। यदि

११. आपरकाले मातापितृभनो बहुभूयस्यानन्तरका वृत्तिरिति कल्प । तस्यानन्तरका वृत्तिः क्षात्रोऽभि-
विशेगः । एवमप्यजीव्यंयमपुत्रोऽप्येव् । शालिलितः ।

१२. वैश्यों राजा स वं शूद्रो जपहोमपदरक्षय । तनो राष्ट्रस्य हननासो यथा वहेऽव यं जलम् ॥ जपस्तपस्तोयं-
यात्रा प्रवज्या मन्त्रसाधनम् । देवताराधनं चैव स्त्रोऽशूद्रपतनानि वद ॥ अत्रि १९।१३६-१३७; वनपर्व १५०।३६ ।

१३. शूद्रपूया शूद्रश्चेतरेवा वर्णानाम् । पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन्वर्णं निश्चेयत भूयः । आपरतम्ब १।१।१।७-८; परि-
क्षयां क्षोत्तरेषाम् । तैभ्यो वृत्तिं लिप्सेत् । तत्र पूर्वं परिचरेत् । गौतम (१०।५७-५९); प्रजापतिर्हि वर्णानां दाता
शूद्रमरुत्सपयत् । शाश्वतिपर्यं ६०।२८; देखिए, बसिष्ठ २।२०; मनु १०।१२१-१२३; याज्ञ० १।१२०; बौधायन
१।१०।५; वनपर्व १५०।३६ ।

बहु उच्च वर्णों को मना म अपनी दा अपन कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता था तो बड़ईगिरी, चित्रकारी पच्चीकारी रणसाजी आदि से निर्वाह कर लेता था।" यहाँ तक कि मारुद (शुभादान, ५८) के अनुसार आपत्काल में मूत्र लागू धनियाँ एवं घैस्या का काम कर सकते थे। इस विषय में मातृकल्प में उन्नी प्रकार उद्धार है (याज्ञ० १।१२०)। महामारुद में इस विषय में मौन नहीं है। उमने भी व्यवस्था दी है। लघ्वारुदनायन (२२।५) हारीत (७।१८९ एव १०२) ने कृषि-कर्म की व्यवस्था दी है। कात्यायनपुराण में मूत्रा को मधु, घर्म, लाक्षा (लाह), आसव एवं मांस का छाहकर सब कुछ त्रय विक्रय करल को आज्ञा दी है। बृहदारण्यक में आसव एवं मांस वचना मना किया है। दण्ड न लिखा है कि मूत्र द्विजानिया की सेवा कर तथा कृषि पशुपालन मार वहन त्रय विक्रय (पशु-व्यवहार या राजगारी या सामान का त्रय विक्रय) विक्रकारी नृत्य संगीत धनु बीणा डालक मृदंग आदि वाद्ययंत्र वादन का काम करे।" गौतम (१०।६४ ६५) मनु (१०।१२९) तथा अन्य आचार्यों ने मूत्रा का पतनचय से मना किया है, क्योंकि उमने ब्राह्मण आदि का कष्ट हो सकता था।

मूत्र वर्णिय माता एव उपविभागा य विभाजित धे विन्तु उनर दा प्रमुग विभाय धे अतिरवसित मूत्र (यथा बर्दं लाहार आदि) तथा निरवमित मूत्र (यथा पाण्डाल आदि)। इस विषय में देगिए महामात्य (पाणिनि २।३।१० जिद १)। एक अन्य विभाजन के अनुसार मूत्रा के अन्य दा प्रकार है—माग्याध्र (जिनके द्वारा बनाया हुआ मोजन ब्राह्मण कर रहा) एवं अमोग्याध्र। प्रथम प्रकार में अपने दाग अपने पशुपालन (गारतिया या चरवाहा), मारुद कुटुम्ब मित्र तथा मेनी-बारी का सामान (याज्ञ० १।१६६) है। मिताक्षरा ने कुटुम्ब को भी इस सूची में रण दिया है। अन्य प्रकार के मूत्रा से ब्राह्मण मोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एक तीसरा मूत्र विभाजन है, सच्छुद्र (अच्छे आचरण वाले मूत्र) एवं असच्छुद्र। प्रथम प्रकार में व मूत्र आज धे जो सद् व्यवसाय करते थे, द्विजानिया की सेवा करल धे और माग एवं आसव का परिव्याग कर चुके थे।"

सेनानियों के रूप में ब्राह्मण—बहन प्राचीन काठ में कुछ ब्राह्मणों का मुद्र म रत देगा गया है। पाणिनि (५।२।७१) ने 'ब्राह्मण' शब्द की व्याख्या में लिखा है कि यह उस देग के गिए प्रमुक्त होता है। यहाँ ब्राह्मण माद्युप अर्थात् अन्य इन्ध की कृति करत है। कौटिल्य (९।२) ने ब्राह्मणों की सेना का वर्णन किया है किन्तु यह भी कहा है कि सन्तु ब्राह्मणों के पैरा पर गिरकर जट्ट अपनी ओर मिला सकता है। आपस्तम्ब (१।१०।२९-७), गौतम (७।६), मीमांसन (२।२।८०) शतिल् (२।२४) एवं मनु (८।३४८ ३५९) के दण्ड स्मरणीय है।"

१४ मिताक्षराय भूमि खंभ मूत्राणां व्यवहारम् । काव्यपुराण ८।१७१, मूत्राय द्विजसामूह्या सर्वनित्यानि चाप्यथ । शतस्मृति १।५; मनु १०।१९९-२००।

१५ काणिगर्भं पाण्डुरात्यं च तथा नित्योपजीवनम् । मूत्रायापि विधोपते सरा कृतिर्न जायते ॥ शान्तिपर्व २९५।४; मूत्राय द्विजसामूह्या सर्वनित्यानि चाप्यथ । विक्रय-सर्वपश्यानां सार्वभं उदाहृतम् ॥ उग्रना तथा देलित्प लघ्वारुदनायन २२।५।

१६ मूत्रधर्मो द्विजानिसामूह्या पापवर्धनं कलत्रादिपौरण कर्ण्यपातनमारोद्ग्रहण-पशुव्यवहार-विक्रम-मृग-मीन-क्षेप-बीजापुरकसूर्यगवाधारादीनि । देवत (मिताक्षरा, याज्ञ० १।१२०)।

१७ न मुरां तापयेत्तनु आरणेयं मूत्रेयं च । न विधोमानि च तथा सच्छुद्रो हि त उच्यते ॥ अथिय्यपुराण (ब्राह्मणिकाम, अथ्याय ४४।१२)।

१८ परोभाषोर्नि ब्राह्मण आयुर्न शारवीर्य । आपस्तम्ब (१।१०।२९।७); प्रालम्भतये ब्राह्मणोर्नि सार्व-

आपत्काल में बड़ा है कि परीक्षा के लिए भी ब्राह्मण को आयुध नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपत्काल में क्षत्रियवृत्ति करना अनुचित नहीं है (गौतम)। वीधायन ने कहा है कि गोश्रो एवं ब्राह्मणों की रक्षा करने एवं वर्णसंरक्षा-रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वैश्य भी आयुध ग्रहण कर सकते हैं। वर्णाधमधर्म पर जब आगतापिया का आक्रमण हो, युद्धकाल में गडबडी हो तब तथ्या आपत्काल में गोश्रो, नारिया, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को अस्त्र ग्रहण करना चाहिए (मनु ८।३४४-३६९)। महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा (द्रोण के पुत्र), कृपाचार्य (अश्वत्थामा के मामा) नामक माहा ब्राह्मण थे। शतपथवे (६५।४२) के अनुसार राजा की आज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध करना चाहिए।" जब समाज के विघ्न टट जायँ, दस्यु धोर, डाकू आदि बढ जायँ तो सभी वर्णों को आयुध ग्रहण करना चाहिए (शांतिपर्व ७८।१८)।

अति प्राचीन काल में ही ब्राह्मण मंत्रापतिया एवं राजकुलस्थापका के रूप में पाय गय हैं। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ही था, जिमन अन्तिम मौर्यराज बृहद्रथ से राज्य छीन लिया था (ईसा पूर्व १८४ ई०)। गुप्तों के उपरान्त वाणवायना ने राज्य किया जिनका सम्थापक था यामुदेव नामक ब्राह्मण जो अन्तिम शुंगराज का मन्त्री था (ईसा पूर्व ७२ ई०)। चन्द्रगुप्त मौर्य नामक मयूरगर्मा ब्राह्मण ही था (वायुस्यत्रमा का तात्पुण्ड नामक स्तम्भामिलेग)। मराठा के पैगवा ब्राह्मण ही थे। मराठा इतिहास में बहूत-से ब्राह्मण सेनापति एवं सेनानी हुए हैं।

यद्यपि ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य वृत्ति कर सकते था, किन्तु द्वेषि, धार्मिक, पशुपालन, व्याज पर धन देने आदि के सम्बन्ध में कोई एक नियमन थे। गौतम (१०।५-६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्ब के रक्षण के लिए क्रिय, प्रय क्रिय, ऋण-जिन-देन करने की छूट दी है, किन्तु एक नियन्त्रण पर कि वह ऐसा स्वयं न करे दूसरा द्वारा सम्थादिन कराय। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।४०) में आया है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिक व्याज पर धन या लन देन न करे, क्योंकि व्याज पर धन देना बह्य हत्या के सम्य है। मनु (१०।११०) ने भी ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को कुसीद (व्याज पर धन देने के व्यवसाय) से दूर रहने को कहा है, किन्तु जो लोग निवृत्त कार्य करत हैं, उनसे धाजा व्याज लेने के लिए उन्हें छूट दे दी है। नारद (ऋणादान, १११) ने ब्राह्मणों के लिए कुसीद सर्वथा त्याग्य माना है यहाँ तक कि बड़ी-से-बड़ी विपत्ति के समय में भी। आपस्तम्ब (१।१।२७।१०) ने कुसीद में प्रवृत्त ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त को व्यवस्था दी है।"

ब्राह्मणों के ऊपर जो उपर्युक्त नियन्त्रण गये थे, उनका तात्प्य था उन्हें मरल जीवन की ओर ले जाना, जिममें वे अपने प्राचीन नास्तिक एवं सस्त्रिनि का सुचारु रूप में अध्ययन, रक्षण एवं परिष्करण कर सकें। इतना ही नहीं, उन्हें स्वार्थ-मुक्ति, अकरण व्यवहार एवं अनुपल धन-जनय की प्रवृत्तियों से दूर भी तो रहना था।

माददीत। गौतम (७।२५); अथाप्युदाहरन्ति। गवायँ ब्राह्मणायं वा वर्णानां वापि सक्ते। गृह्यायानां विप्रविशो दास्य धर्मव्यवेशमा॥ बौ० (२।२।८०); आत्मत्राणे वर्णसर्वगं ब्राह्मणवैश्यो दास्यमाददीयाताम्। ब्रह्मिष्ठ (३।२४)।
 १९. राजो नियोगाद् घोडध्य ब्राह्मणेन विदोतत। अन्ता *प्रथमं ह्येव धर्मविदो विदुः॥ शतपथवे ६५।४।
 २०. कृषिवाणिज्ये वास्तव्यपटते। कुसीद च। गौ० १०।५।६; ब्राह्मणराज्यो वाप्युयो न ददताम् अप-
 प्युदाहरन्ति। समर्थं धान्यमुदधत्य महर्षे य प्रयच्छति। स ये वापुर्विरो नाम ब्रह्मयादियु गृह्णत। ब्रह्महत्यां च
 ब्रुडि च तुलया समनोत्पत्त। अतिच्छद् भ्रूणहा कोटयां वापि समरमप। यस्मिष्ठ २।४०। देनिष् ब्रौधायन-
 १।५।१२-१४। आपस्तम्ब हि ब्रह्मण्य ब्राह्मणाय न वापुष्यम्। नारद (ऋणादान, ५।१११)। अनायां शपने विभ्र-
 वद् ब्रुडि ब्रधायन। अनाह्मण इव यन्वत्या तुजेत्वातोत्त पृच्छत्॥ आपस्तम्ब (१।१।२७।१०)।

ब्राह्मण और क्षत्रिय—यस ब्राह्मण क्षत्रिय पर करने थे? धर्मशास्त्र शास्त्रिम में इस सम्बन्ध में सर्वथा नहीं है। वैदिक शास्त्रिम में पूरी छूट है। यहाँ एक स्थान पर आया है—जुआ मत गोला, क्षत्रिय में लथो, मेरे पचवो पर ध्यान देना धन का आलस ला, क्षत्रिय में धर्म है, मुहूर्तारी स्त्री है आदि (जुआरी का गीत)। भूमि, हल-गाता, भूमि-चपम के विषय में पर्याप्त बातें हैं (क्र० १०१०१३ वैदिकीय संहिता २।५।५, वाजसनेयी संहिता १२।६७, ऋ० १।११०।१, १।१०६।२, १।१११।७।)। वीषाणनधर्मसूत्र का बनना है कि वेदाध्ययन में क्षत्रिय का नाम तथा क्षत्रिय-धर्म में वेदाध्ययन का नाम होता है। जो दोना के नियम समर्थ हो, दोना करे, जो दोना न करे, उन्हें क्षत्रिय ह्याम देनी चाहिए। वीषाणन ने पुत्र बना है—ब्राह्मण का प्रातःकाल के भोजन के पूर्व क्षत्रिय-धर्म करना चाहिए, उसे ऐसे रीति का जिनकी मात्र न छोड़ी हो, जिनके अग्रभाग न निराल नियम गये ही, जोतना या बार-बार उपवास चाहिए और तीनों धर्मवेदिका में उन्हें गोदना न चाहिए। यही बात समिष्ट धर्मसूत्र में भी कुछ अन्तर (भेद) में पायी जाती है (२।३०-३४)। वाजसनेयी संहिता भी यही कहती है (१२।७१)। मनु (१।०।८३-८४) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण का क्षत्रिय को अपनी जीविका के प्रदान का लक्षण रीति-वृत्ति करनी ही पड़े, तो उन्हें क्षत्रिय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जीवा को पीडा होती है और यह दुर्गम (मजदूर, वैत आदि) पर आपाणित है। मनु ने क्षत्रिय को 'प्रमूत' (जीव-हानि में अधिर प्रसिद्ध) कहा है (मनु ४।५)। पराशर ने ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय-धर्म बतित नहीं माना है, किन्तु उन्हें बहन-ने नियन्त्रण लगा दिये है (२।२-४, ७, १४)। इस विषय में अररारि बृह-हारीत आदि के मत में समतोल है। बृह-हारीत (७।१।७९, एव १८२) ने क्षत्रियमें सबके (गण बनों के) लिए उचित माना है। उपसृक्त विवेचन में स्पष्ट है कि क्षत्रिय के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न गुणों में विभिन्न रहे हैं।

विक्रम गण विनिमय—इसमें ऊपर देय लिया है कि आचार्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय कर सकता है। किन्तु बन्धु-विकर के सम्बन्ध में बृह-हारीत नियन्त्रण थे। गौरव (७।८-१४) ने सुगणित वस्तु (बन्धन आदि), द्रव पदार्थ (नेत्र, पी आदि), पत्रा भोजन, विण, पटमन (गन या पटमन में निमित्त वस्तुएँ, यथा वीर्य आदि), क्षीम (मन के घने दूध, पत्र), मृगधर्म, रोग एव बन्धन दिया हुआ वस्त्र, दूध एव दूधमें निमित्त वस्तुएँ (घी, मखन, दही आदि) बन्धन, गुण, पत्र, जड़ी-बूटी (अंधविष के रूप में), गण, माग, राम, जल, विपिनी औषधियाँ (अर्धम, विष)।

२१. अर्धमा रीष्यः क्षत्रियिहृष्टय विते रयस्य बहु मन्वमान । सत्र गावः क्षितव सत्र जाया तामे विषयंते
सहितवयमे ॥ अश्वे १०।१४।१३।

२२. वेध क्षत्रियितामाय क्षत्रिये रीष्यतासिनी । सतिमानुभय क्षयांसावतस्तु क्षत्रिये सजेत् ॥ बी० १।५।१०१।
प्राह् प्रातःसातावर्षो ह्यात् । अयत्तगिगिगाम्यो समुद्राभ्यामनुदधाराया सुहृत्प्रभ्युक्तव्यवयत् ॥ बी० २।२।८२-८३।

२३. पदक्षर्यनिरतो विद्यः क्षत्रियर्मानि कारयेत् । ह्यमपटमय धर्म्ये सवृष्यं सप्यं समुत् ॥ वस्तुगं नृणाणां
क्षिणं वृष्यनित्वात् ॥ पराशर २।२। ब्राह्मणाय क्षत्रिये ह्यत्रा महाशेषवयानुयात् । सति वयस्य तु वृष्यभानं देवानां
वंशंसावत् ॥ विद्यानां विद्यानां धानं क्षत्रियर्मानि न लिप्यते ॥ पराशर २।१२-१३। अररारि ने इस अन्तिम दोहा की व्याख्यान का कहा है। "अप्यत्तव पप्यंहात्" अत्रि (२२२-२२३), आपत्तव (१।२२-२३), हारीत में भी पाया जाता है।

२४. क्षत्रियु लक्ष्णवर्तारो सावाप्यो धर्म उच्यते ।... क्षत्रियर्मानिः क्षत्रियान्त्वं तच्चैव न लिप्यते । बृह-हारीत ।
७।१७, १८२।

पशु (मारने जानेवाले), मनुष्य (दास), ब्राह्म (कन्या या पति) गाये, वधवा-वधिया (वत्स-वत्सा), लज जाने-वाली माये आदि वस्तुएँ बेचने को मना किया है। उन्होंने (७।१५) यह भी किया है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मण के लिए भूमि, चाबूत, जौ, बकरियाँ एवं भेड़, घोड़े, बैल, हाथ में व्यापी हुई गायें एवं गाड़ी में जोते जानेवाले बैल आदि बेचना मना किया है। वाणिज्य में रत क्षत्रिय के लिए इन वस्तुओं के विषय में किए कोई नियन्त्रण नहीं था। आप-स्तम्ब (१।७।२०।१२-१३) ने भी ऐसी ही सूची दी है, किन्तु उन्होंने कुछ वस्तुओं पर ही रोक भी लगा दी है, यथा चिपकनेवाली वस्तुएँ (श्लेष्म, जैसे लाल), कोमल तौल (तने), गमीर उठी (फैतिल) हुई वस्तुएँ (विष्व, शरय या मुरा आदि), अच्छे कर्म करने के कारण उपाधि, प्रगमा-भय आदि के सिन्ने की आगा। उन्होंने अग्रा में तिल एवं चावल बेचने पर बहुत बड़ा नियन्त्रण रखा है। वांगायन (२।१।७७-७८) ने भी तिल एवं चावल बेचने के लिए वर्जना की है और कहा है कि जो ऐसा करना है वह अपने पितरों एवं अपन प्राणा को बेचता है। सम्भवतः यह बात इसलिए उठायी गयी कि थोड़ा एक तर्पण में तिल का प्रयोग होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।२८-२९) में भी ऐसी ही सूची है, किन्तु अन्य वस्तुएँ भी जोड़ दी गयी है, यथा प्रस्तर, नमक, रेसम, लोहा, टील, सीसा, सभी प्रकार के वष्य पशु, एक सूर वाले तथा अयाग वाले पशुआ महिल सभी पात्रतू पशु, कभी एक दान वाले पशु। मनु (१।०।१०) व अनुसार ब्राह्मण मास, ाह, नमक बेचने में तक्षण पापी हो जाता है और तीन दिना तक दूध बेचने में गृह हो जाता है। तिल के विषय में शौनके (२।१।७६), मनु (१।०।११), वसिष्ठ (२।३०) ने एा ही बात कही है—यदि कोई तिल को गान, नहाने में (उमके सेत्र का) प्रयोग करने या दान देने के बतियित किमी अन्य काम में लाता है तो वह कृमि (कीटा) हो जाता है और अपने पितरा के माथ कुत्ते की विष्टा में डर जाता है। किन्तु वसिष्ठ (२।३१), मनु (१।०।१०) ने कृषि कर्म में उत्सप्र तिल को बेचने के लिए चला है, हाँ, मनु में केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही क्रिय की व्यवस्था की है। याज्ञ० (३।३९), नारद (ऋषादान, ६६) ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (३।३६-३८) एवं नारद (ऋषादान, ६१-६३) ने भी वज्रित वस्तुओं की सूचियाँ उपस्थित की हैं। मनु ने 'उपर्युक्त सूची में सोम, कुम, नौक या जोंडा है, याज्ञवल्क्य ने सोम, पत्र, बकरी के ऊन में बंधे हुए तम्बक, चमरी हिरन के धात, सली (पिलाल) का जोंड दिया है। इसी प्रकार शर-लिखित, उगायत (३।८।५), शान्तिपर्व (७।८।५-६), हारीत ने वज्रित वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं।" इसी प्रकार याज्ञ० (३।८०), मनु (१।१।६२), विष्णु (३।७।१४), याज्ञ० (३।२।३६, २६५), हारीत, लघु शान्तिना आदि ने वज्रित वस्तुओं के बेचने पर प्रायस्त्रय के लिए भी व्यवस्था दी है।

२५. आपदि इववहरेते यथात्तामपश्यानि इयुदस्यन् । मनुष्यान् रवान्द्रागान् गन्धानस्र चर्मं गवां वसां श्लेष्मो-
दके सोमक्रिष्वे विष्वलीमरीचे धान्य मातमाप्युषु मुहतासा च । निलतवद्ग्लोस्तेवे धान्यस्य विदोयेण न विशेषीयात् ।
आप० १।७।२०।१२-१२।

२६. भोजनान्भयञ्जनाद्दानाद् यद्व्यत्युहते तित्थे । कृमिभूतः श्वविष्टाःपिप्लुभिः सह मज्जति ॥ मनु १।०।११;
स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत यम का श्लोक (१।१८०)।

२७. न विशेषीयाद्विक्रयेदाणि । निलनेन्द्रपिभोद्रलक्षणनाराःसदासामिहृताप्रश्रीपुरपत्स्यद्वद्वयभगनारम
हृत्पाजितसोमोदकनोलीविक्रयासद्यः पतति बःहृत्तः । शरालिखित (अपराहं द्वारा उद्धृत, ६० १११३, एवं स्मृति-
चन्द्रिका १।१८०)। अधिकृत सत्रण पञ्चमर्तं दधि धौर मधु तैल एन च । निला मोनकमूलानि शाकं रसन वाण,
सर्वंगत्था गुहादच ॥ उद्योगपर्व ३।८।५।

विनिमय के विषय में उपर्युक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। वज्रित वस्तुओं का विनिमय भी यथासम्भव वज्रित माना गया है, किन्तु कुछ विशिष्ट छूटें भी हैं, यथा भोजन का भोजन से, दासों का दासों से, मुग्धनिष्ठ वस्तुओं का मुग्धनिष्ठ वस्तुओं से, एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप० १।७।२०।१४-१५)। इसी प्रकार कुछ उलट-पेरे एवं नये वस्तुओं को सम्मिलित करने अन्य आचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा गोनय (७।११-२१), मनु (१०।१४), वसिष्ठ (२।३७-३९)।

आपत्काल में जीविका-आपन के लिए मनु (१०।११६) ने दस उपनयननामों हैं—विद्या, कलाएँ एवं किल्ब, पारिधर्मिन पर कार्य, मोचरी, पशु-पालन, वस्तु-विक्रय, कृषि, सन्तोष, मिथा एवं कुमोद (भ्याज पर धन देना)। इनमें ज्ञान का वर्णन याज्ञवल्क्य ने भी दिया है, किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिलित कर दिये हैं, यथा गारी हारना, पर्वन (पहाड़ों की घातों एवं स्तब्धियों को बेचना), जल में भरा देना, वृद्ध, साह-सगाह, राजा (राजा से मिथा माँगना)। अथर्ववेद के गृहस्मरणाकर में उद्धृत छाण्डेय के अनुसार अनायुष्टि-नाम में भी प्रकार के जीविका-आपन है, "गारी, तरकारियों का भेत, गोएँ, भच्छली पकड़ना, आस्यदान (घोड़े ही श्रम से अपनी जीविका पानना), धन, जल में मरा देना, वृक्ष एवं साह-सगाह, पर्वत तथा राजा। नारद (श्रुत्यादान, ५०।५५) के मतानुसार तीन प्रकार के जीविक-आपन सभी के लिए समान थे—(१) पैतृक धन, (२) मित्रता या श्रेष्ठ का दान तथा (३) विवाह के समय जो स्त्रियों के साथ मिले। नारद के अनुसार तीनों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विशिष्ट जीविका-आपन थे। ब्राह्मणों के लिए—(१) दान-ग्रहण, (२) पीतोटिल्य की वसिधा एवं (३) शिक्षण-गुण, क्षत्रियों के लिए (१) मृष्ट की मृष्ट, (२) कर एवं (३) न्याय-कार्य में उत्पन्न दण्ड-धन, तथा वैश्यों के लिए (१) कृषि, (२) पशु-पालन एवं (३) व्यापार। नारद (श्रुत्यादान, ४४-४७) ने धन को मुग्ध (स्वैर, विमुग्ध), दण्ड (कृष्ण-स्वैर, मिथित) एवं कृष्ण में और इनमें प्रत्येक को मान-मान नामों में बाँटा है। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय, ५८) ने भी इसी तरह तीन प्रकार बनाये हैं। इनके अनुसार (१) पैतृक धन, श्रेष्ठ-दान एवं पत्नी के साथ आया हुआ धन एवं (विमुग्ध) है (२) अपने वर्ण में निम्न वर्णों के व्यवसाय में उत्पन्न धन, धूम में या वज्रित वस्तुओं के विपणन में उत्पन्न धन या उधार करने में उत्पन्न धन दण्ड है, तथा (३) निम्नतर वर्णों के व्यवसाय में उत्पन्न धन, उभ्रा घोड़ी, विद्या या छत्र में उत्पन्न धन कृष्ण धन है। बौधायन (३।१।५-६) ने १० प्रकार की वृत्तियाँ बतायीं और और उन्हें ३२ में समझाया है। मनु (४।४-६) ने ५ प्रकार वर्णित किये हैं—(१) श्रुत (अर्थात् श्रेष्ठ म विदे हुए अथवा जीवित रहना), (२) अमृत (जो विद्या माँग मिले), (३) मृग (मिथा में प्राप्त), (४) प्रमृत (कृषि) एवं (५) साधानुष्ठान (वस्तु-विक्रय)। मनु ने स्ववृत्ति (मोचरी, जा कुत्ते (स्वा) के जीविका के समान है) का विशेष विचार है। मनु (४।१) ने यह भी लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-आपन छ है (यथा अध्यापन, यात्रन, प्रतिघट, कृषि, पशु-पालन एवं व्यापार), कुछ के केवल तीन है (यथा प्रथम तीन), कुछ के केवल दो (यथा यात्रन एवं अध्यापन) और कुछ का केवल एक अर्थात् अध्यापन।

२८. अविहितदण्डेभ्यो मिथो विनिमयः। अग्नेन चाग्नेय मनुष्याणां च मनुष्यै रत्तानां च रत्तानां पानां च मर्त्ये-विद्यया च विद्यानाम्। आप० १।७।२०।१४-१५।

२९. विद्या किल्बं मुनिः श्रेष्ठ मोचर्यं विलिपिः कृषिः। धनिप्रदं कुमोदं च दानं जीवन्मृतकम् ॥ मनु १०।११६।

३०. कृषि किल्बं मुनिरिष्टा कुमोदं दण्डं विष्टिः। श्रेष्ठानुं मुषो भेत्तमानती जीवन्मति सु॥ आप० ३।४२।

३१. दण्डं क्षत्रिणी पाशो ब्राह्मणपर्यटनं वनम्। अमृतं पर्वणी राजा मुषिसे नव कृतम् ॥ मनु० ४०, ५०-४४९ में छाण्डेय।

ब्राह्मणों के प्रकार—ब्राह्मणों को वृत्तियों के अनुसार कई प्रकारों में बाँटा गया है। अत्रि (३७३-३८३) ने ब्राह्मणों के दस प्रकार बताये हैं—(१) देव-ब्राह्मण (जो प्रति दिन स्नान, सन्ध्या, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि-साकार एवं वैश्वदेव करता है), (२) मुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है, कन्द, मूल एवं फल पर जीता है और प्रति दिन श्राद्ध करता है), (३) द्विज-ब्राह्मण (जो वेदान्त पढता है, सभी प्रकार के अनुरागो एवं आसक्तियों को त्याग चुका है और साख्य एवं योग के विषय में निमग्न है), (४) क्षत्र-ब्राह्मण (जो युद्ध करता है), (५) वैश्य-ब्राह्मण (जो कृषि, पशु-पालन एवं व्यापार करे), (६) शूद्र-ब्राह्मण (जो लाल, नमक, कुमुम्भ के समान रंग, रूप, पी, मधु, मांस बेचता हो), (७) निषाद-ब्राह्मण (जो चोर एवं डाकू हो, चुगली करने वाला मछली एवं मांस खाने वाला हो), (८) वसु-ब्राह्मण (जो ब्रह्म के विषय में कुछ भी न जाने और केवल यज्ञोपवीत अथवा जेठे धारण करने का अहंकार करे), (९) श्लेच्छ-ब्राह्मण (जो बिना किसी अनुशय के कुओ, तालाबो एवं वाटिकाओ पर अवरोध सहा करे या उन्हें नष्ट करे) तथा (१०) घण्डाल-ब्राह्मण (जो मूर्ख है निर्दिष्ट क्रिया-सत्कारा से शून्य एवं सभी प्रकार के धर्मविचारो से अछूता एवं क्रूर है। अत्रि ने परिहासपूर्ण ढंग से यह भी कहा है कि वेदविहीन लोग शास्त्र (स्वावरण, न्याय आदि) पढते हैं, शास्त्रहीन लोग पुराणो का अध्ययन करते हैं, पुराणहीन लोग वृषक होते हैं, जो इनसे भी गये बीते हैं, भागवत (शिव, विष्णु के पुजारी या भक्त) होते हैं।" अपराधों ने देवल को उद्धृत करते हुए ब्राह्मणों को आठ प्रकारों में बाँटा है—(१) जाति-ब्राह्मण (जो केवल ब्राह्मण-मूल में उत्पन्न हुआ हो जिसने वेद का कोई भी अंश न पढ़ा हो, और न ब्राह्मणाचित कोई कर्तव्य करता हो), (२) ब्राह्मण (जिसने वेद का कोई अंश पढ़ लिया हो), (३) श्रोत्रिय (जिसने छ अंगों के साथ त्रिषी एक वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणों के छ कर्तव्य करता हो), (४) अनुब्रान (जिसे वेद एवं वेदांगों का अर्थ ज्ञात हो जो पवित्र हृदय का हो और अनिहीन करता हो), (५) भ्रूण (जो अनुब्रान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो और यज्ञ के उपरान्त जो बचे उसे अर्पण प्रसाद खाता हो), (६) ऋषिबन्धु (जिसे सभी लौकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया हो और जिसका मन मयम के भीतर हो), (७) ऋषि (जो अविवाहित हो, पवित्र जीवन वाला हो, सत्यगामी हो और वरदान या शाप देने योग्य हो), (८) मुनि (जिसेके लिए मिट्टी या सोना बराबर मूल्य रखत हो जो निवृत्त हो, आर्गनिक या अनुराग से विहीन हो आदि)।" शातानप ने अब्राह्मणा (निर्दिष्ट ब्राह्मणा) के छ प्रकार बताये हैं।" अनुभागन-पर्व (३३।११) ने भी वही प्रकार बताये हैं।

३२. वेदविहीनाश्च पठन्ति शास्त्र शास्त्रेण होनाश्च पुराणपाठाः । पुराणहोना कृषिणो भवति भ्रष्टारतको भागवता भवन्ति ॥ अत्रि० ३८४।

३३. देवल के श्लोच दानरत्नावर में भी उद्धृत मिलते हैं। ब्रह्मणसंगुह्य (११) ने द्रन आठ प्रकारों का संक्षिप्त विवेचन किया है—“सकृतायां ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाग्नात्मात्र पुत्रमात्र (पुत्र मात्र ?)। उपनीत सावित्र्य-ध्ययनाद् ब्राह्मणः। देवमधीत्य शारौरैरा पाणिग्रह्णात्सकृत् पात्रयज्ञैरपि धजन् श्रोत्रियः। स्याध्याप्यर आहिता-निर्हविषंरप्यनुब्रानः। सौमयज्ञैरपि भ्रूणः। सत्कारैरंतेषपेती नियमयाम्भ्यामृषिबन्धुः। सांगचतुर्वेदतपोयोगादृषिः। नारायणपरायणो निर्द्वन्द्वो मुनिरिति। सत्कारविशेषात्पूबान्दुर्वात्परो वरोयानिति विज्ञायते।”

३४. अब्राह्मणाश्च षट् प्रोक्ता ऋषिः शातातपोऽब्रवीत्। आद्यो राजाप्यस्तेषां द्वितीयः त्र्यविरय्योः। तृतीयो बहुराय्यः स्यात् चतुर्थो धामयाजकः। पञ्चमस्तु भूतस्तेषां धामस्य नगरस्य च। अनागतो तु यः पूर्वां सादित्यां षड् परिचराम्। नोपासीत द्विजः सप्यां स पत्योऽब्राह्मण स्मृतः। ऐतरेय ब्राह्मण (३।५) के भाष्य में सायण ने कुछ उलट-फेर के साथ इसे उद्धृत किया है, यथा “चतुर्थोऽभौतयाजकः। पञ्चमो धामयाजी च पत्यो ब्रह्मचर्य स्मृतः॥”

ब्राह्मण तथा मित्रश्रीष्टि के व्यवसाय—स्मृतियों के अनुसार कुछ नमों के करने और न करने से ब्राह्मण शूद्र के गन्ना गिने जाते हैं (बौधायनधर्मसूत्र २।४।२०, वसिष्ठधर्मसूत्र ३।१-२; मनु २।१६८, ८।१०२, १०।१२; पराशर ८।२४ आदि) । जो ब्राह्मण प्रातः एव मन्थ्या काल की मन्थ्याएँ नहीं करता उसे राजा द्वारा शूद्रोचित कार्य दिया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण श्रोत्रिय (वेदज्ञानी) नहीं है, जो वेदाध्ययन नहीं करते और जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे शूद्र हैं (वसिष्ठ ३।१-२)।

ब्राह्मण तथा मित्रा—यहाँ अग्निहोत्र मधेन में ब्राह्मण एवं मित्रा के विषय में भी कुछ लिखा देना अपेक्षित है। पर्याप्तान् इस विषय में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। स्मृतियों के केवल ब्रह्मचारियों एवं यतियों के लिए मित्रा की व्यवस्था की है। बहुत ही सीमित दशाओं में अन्य लोगों को भी मित्रा माँगने का अधिकार था। महाभारत में द्रुपद के राजा ने बड़े धर्म के साथ उद्घोष किया है कि उनके राज्य में ब्रह्मचारियों को छोड़कर कोई अन्य मित्रा नहीं माँगना (शांतिपर्व ७।३।२२)। पञ्च महायज्ञों को करते समय प्रति दिन भोजन-दान करने की व्यवस्था की (इस विषय में हम पुनः 'वेदभद्र' के प्रकरण में लिखेंगे)। आपस्तम्ब के अनुसार मित्रा केवल मित्रनिर्गणित कार्यो के लिए ही माँगी जा सकती है—(१) आचार्य के लिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के लिए, (३) यज्ञ के लिए, (४) अपने माता-पिता के रक्षण के लिए, (५) योग्य पुरुष के कर्तव्यों के विलोकन को दूर करने के लिए। ऐसे अरुण पर लोगों को यदावधि देना चाहिए, और जो केवल अपने मुख के लिए मित्रा माँगे, उसे नहीं देना चाहिए।" मूल में तद्वत्ता हुआ स्पष्टि कुछ माँग सकता है, यथा जोनी हुई या अनजोनी हुई भूमि, गाय, मेढ या मेढी, और अन्य म गोना, अन्न या पत्रा हुआ भोजन, तिलु स्वातक को मूल से बेहाल नहीं होना चाहिए, ऐसा विधान है (वसिष्ठ १।२।२-३, मनु १०।११४, शिल्प ३।७९-८०)। अध्ययन-अभ्यास के पश्चात् मित्रादन करना अनुचित माना गया है (बौधायन १।६६)। तीन दिना तक वृमुक्षित करने पर मनुष्य अपने से नीचे जाति वाले के शान्तिदान, गो, घर या बही में एक दिन के लिए अन्न बिना बड़े (या घुसकर) ले सकता है, किन्तु घुसने पर उसे

३५. सामं प्रकः सदा मन्थ्यां ये विद्या नो उपासते। कामं तान् पर्यायं राजा सुश्रमंशु योजयेत् ॥ ३।४।२०।

३६. अपोविद्या अननुवाक्या अनमनयो सुश्रमस्यार्थो भवन्ति। मानवं चात्र श्लोत्रमुदाहरति। श्रोत्रवीर्यं द्विजो वेदमात्रं कृते धमम्। स जोषश्रेष्ठं सुश्रमनाशु गच्छति साम्प्रयः ॥ वसिष्ठ ३।१-२; यह श्लोक सप्तशतकमायन २।२।२३ में भी है; वसिष्ठ, वसिष्ठ ५।१० भी तथा लघुवाङ्म २।२।२।२-२; गायत्रीरहितो विद्वः सुश्रमस्यार्थो भवेत् ॥ पराशर ८।२४; उसके अग्रे है—कुशीलोद्वि द्विजः सुश्रमो न सुश्रो विद्विनेन्द्रियः। अनिश्चयार्थविरिध्याः सन्ध्यावागा-र्जितया। वेदं संयानयोयानाः तच्च ते बुधताः स्मृताः ॥ अध्येनस्योऽप्येवमेवो यदि सर्वे न शक्यते ॥ पराशर १।२।३२-३३। अनन्यमात्रं वेदानामाशास्य च वर्जनात् ॥ आनन्यपरप्रदोयश्च मृत्युर्विप्रान्जितपांसवि ॥ मनु ५।४४।

३७. भित्तने निदित्तमाचार्यो विवाहो यतो माताशिशोर्वर्ध्यांश्चन्द्रद्वन्द्वं निदमद्विन्दोः। तत्र मुच्यन्तु सौम्यं यथास्तित्ति देवम्। इन्द्रियवीर्यसंयुक्तं मित्राणमनिदित्तम्। तस्मात्प्र तदाश्रयेत् ॥ आपस्तम्ब २।५।१०।१-४; विष्णुप, मनु ४।२५१, १।१।१-२; याज्ञ १।२।१६; शौतम ५।१९-२०; शांतिपर्व ११५।१-२। ह्युताप्यं यथायथा च शान्तिदानं च ॥ आचार्यनिष्कार्यं स्वाध्यायार्थं यथादि च ॥ एते च सामस्यो बुद्ध्या ब्राह्मणा धर्मभिराच ॥ अदित्तं चै निष्ठा है—स्वर्षिणाय वसिष्ठाय कृष्णाय च ॥ अथानं प्रतिश्रय्य भित्तार्थं विधीयते ॥ अदित्तं (सू-पराशरवाङ्म, ५०-४५०)।

सच बता देना चाहिए (मनु ११११६-१७, गौतम १८।२८।३०, याज्ञ० ३।४२)। स्मृतियों में ध्यर्षं मे मिस्रा मांगना वज्रित माना गया है। इस विषय में शल्विग्रहित, वसिष्ठ (३।४), पराशर (१।६०) अलोकनीय हैं।^१

ब्राह्मणों की महत्ता—वैदिक काल में भी ब्राह्मण देवतास्वरूप माने जाते थे और केवल जन्म से ही वे अन्य वर्णों से बहुत ऊँचे थे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।३, शान्तिपर्व ३४३।१३-१४, मनु ४।११७, निश्चित ३१, वसिष्ठ ३०।२-५)। धर्मशास्त्रों में जो वैदिक काल में दी गयी महत्ता यथासम्भव स्वीकृत की गयी है। स्मृतियाँ एवं पुराण ब्राह्मणों की महत्ता एवं स्तुति-मान से भरे पडे हैं। सबका लेखा-जोखा देना यहाँ सम्भव नहीं है। कुछ वानगियों में हैं—देवता तो परोक्षदेवता हैं, किन्तु ब्राह्मण प्रत्यक्षदेवता हैं, यह विश्व ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है, ब्राह्मणों की कृपा से ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं, ब्राह्मणों द्वारा बड़े गये शब्द झूठे नहीं होते।^२ मनु (१।१००) ने ब्राह्मणों को अति उच्च माना है। मनु ने इस विषय में अतिगयोकिनियाँ भी की हैं (१।३१३-३२१), जन्म से ही ब्राह्मण मान-सम्मान के योग्य हैं (१।१८४)। पराशर ने कहा है (६।५२-५३) कि ब्रतों में, तपों में, यज्ञवर्णों में जो भी दोष हो, वे सभी ब्राह्मणों की स्वीकृति से नष्ट हो जाते हैं, ब्राह्मण जो कुछ बोलते हैं, वह देवता द्वारा बोला जाता है, ब्राह्मण सर्वदेवमय हैं, उनके शब्द अन्यथा नहीं होते।^३ महाभारत में बहूधा ब्राह्मणों का गुणगान किया है। आदिपर्व (२।८३-४) के अनुसार ब्राह्मण जब क्रुद्ध कर दिया जाता है तो वह अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र हो जाता है, ब्राह्मण सभी जीवों का गुरु है।^४ वनपर्व (३०३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उच्च तेज एवं अति उच्च तप है; ब्राह्मणों को प्रणाम करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग में विराजमान है।^५ अनुशासनपर्व (३३।१७) एवं शान्तिपर्व (५६।२२) में भी ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन है।

ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने जान-बूझकर अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वर्णों से महत्तर होने के लिए धर्मशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में अपनी स्तुतियाँ कर डाली हैं, क्योंकि जब तक उन्हें अन्य वर्णों द्वारा

३८. शिक्षमाणो वा निर्दिष्टान्तरं ब्रूयात्।...न स्त्रीं नाप्रप्तप्यवहारान्। अपर्याप्तसनिधानान्। अनुद्दि-
श्यान्त्रं भिक्षेत्। यदर्थं भिक्षेत् तमेवार्थं कुर्यात्। शोभसुखिगम्यो निवेदयेत्। यो वाग्यः सायुतमस्तस्मै हृद्यात्। शाल-
लिखित (गृह्यस्यरत्नाकर, पृ० ४५७); अत्रता ह्यनयोपाना यत्र भंसचरा द्विजा। तं प्रामं दण्डयेज्जा धोरभक्तप्रयो
हि स॥ वसिष्ठ ३।४ एवं पराशर १।६०।

३९. देवाः परोक्षदेवाः प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणाः। ब्राह्मणलोकं ध्यान्ते। ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति
देवताः। ब्राह्मणाभिहितं धारयं न विप्या जायते क्वचित्॥ विष्णुपर्वमूत्र १९। २०-२२। मिलाइए, तैत्तिरीय
संहिता १।७।३।१; तैत्तिरीय आरण्यक २।१५; शतपथब्राह्मण १।४।४।६; ताण्ड्यमहाब्राह्मण ६।१।६; उदारराज-
चरित ५।

४०. अतच्छत्रं तपश्छत्रं यज्ञिच्छत्रं यज्ञकर्मणि। सर्वं भवति निश्चिच्छत्रं ब्राह्मणैरपयतिशितम्॥ ब्राह्मणा मानि भाषन्ते
भाषन्ते तानि देवताः। सर्वदेवमया विमानं तद्वचनमप्यथा॥ पराशर ६।५२-५३। शाततप में कुछ अन्तर के साथ
यें ही श्लोक हैं (१।३०-३१)।

४१. अग्निस्त्रीं विषं शस्त्रं विषो भवति शौचितः। गुरुहिं सर्वभूतानां ब्राह्मणः परिकीर्तितः॥ आदिपर्व
२।८३-४; देसिए, आदिपर्व ८।१२३ एवं २५; एवं मत्स्यपुराण ३०।२८ एवं २५।

४२. ब्राह्मणो हि धरं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः। ब्राह्मणानां नमस्कारः सूर्यो दिवि विराजते॥ वनपर्व ३०३।
१६। मिलाइए, शतपथब्राह्मण २।३।१।५; और देसिए, ऋग्वेद २।१५।२-९, ऋग्वेद ४।५०।७-९।

सम्मान न प्राप्त होता और वह दातान्वयो तब अधुना न बना जाता तब तक उन्हें इतनी महत्ता नहीं प्राप्त हो सकती थी। ब्राह्मणों की मंत्रि बल नहीं प्राप्त था कि वे जो चाहते करते या कराते। यह तो उनकी जीवन-धर्मों की जो उन्हें इनकी महत्ता प्रदान कर सकी। ब्राह्मण ही आर्य-साहित्य के विनाश समुद्र को भरने वाले एवं अधुना रखने वाले थे। पूर्णों से जो सावृत्ति प्रवाहित होती रही उसने सारथक ब्राह्मण ही तो थे। यह मानी हुई बात है कि सभी ब्राह्मण एत-नो नहीं थे, किन्तु बहुत-से ऐसे थे जिन पर आर्यजाति की सम्पूर्ण सावृत्ति का भार रखा जा सका और उन्होंने उसका विनाश, सारथक एवं सारथक बनने में अपनी ओर से कुछ भी उठा न रखा। इसी से आर्य जाति ब्राह्मणों के समस्त सदैव ना रही है।

ब्राह्मणों के प्रभुत्व विनोपाधिकार वे विनाश-कार्य करना, धीरोहित्य तथा धार्मिक बर्तव्य के रूप में दान-ग्रहण करना। अब हम बहुत स्रोत में उनके अन्य विनोपाधिकारों का वर्णन करेंगे।

(१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता था, और यह श्रद्धा-भद्र उसे जन्म से ही प्राप्त था (आपस्तम्ब १।१।१५)। बनिष्ठधर्मसूत्र में भी ब्राह्मण की सर्वोच्च माना है और ऋग्वेद (१०।१।१२) को अपने पशु में उद्गुप्त किया है। मनु (१।३।१ एवं १४, १।९३, १०।३) ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं महत्ता का वर्णन कई स्थानों पर किया है। आपस्तम्ब (१।४।१।४।२३), मनु (२।१।३५) एवं विष्णु (३२।१७) ने लिखा है कि १० वर्ष की अवस्था वाला ब्राह्मण १०० वर्ष के क्षत्रिय से अधिक सम्मान पाता है।

(२) ब्राह्मणों का एक अधिकार था अन्य वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण करना, उनके सम्मुख आचरण की ओर सचेत करना एवं उनके जीविका-साधनों को बताना। राजा ब्राह्मणों द्वारा बताये हुए विधान के अनुषंग शासन करता था (बनिष्ठ १।३।१-४१, मनु ७।३।७, १०।२)। यह बात काठकसंहिता (१।१।६), तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण (३।७।५) में भी पायी जाती है। "मूनात के दार्शनिक क्लेटो ने दार्शनिकों को ही, जो सर्वगुण-सम्पन्न थे, राजनीतिको एवं विधान-निर्मात्राओं में माना है। क्लेटो के अनुसार सर्वोत्तम लोगों द्वारा निर्मित शासन (अरिस्टोक्रैसी) ही एक आदर्श शासन-म्यत्रत्वा बड़ी जा सकती है।

(३) गौतम (१।१।१) ने लिखा है कि "राजा सर्वसेषे ब्राह्मणवर्जम्", अर्थात् राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका शासन है। किन्तु मिताररा ने (याज्ञकव्य के २।४ की व्याख्या में) कहा है कि ऐसी उचित केवल ब्राह्मण की महत्ता बनाने वाली है, क्योंकि समुचित कारण मिल जाने पर राजा ब्राह्मणों को भी दण्डित कर सकता है। गौतम के उक्तवचन बचन की प्ति उनसे पूर्व के आचार्यों के बचन में भी पायी जाती है, यथा कात्यायनो ब्राह्मण (१।४०) एवं वाजसनेयक (५।४।२।३ एवं १।४।३।१६)। "गौतमान केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, क्षत्रिय गौतम

४३. चावारी वर्ण ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः। तेषां पूर्वः पूर्णो जन्मतः धेवान्। आप० १।१।१५; प्रवृत्ति-विहितं चासुबन्धं सांख्यार्थवैश्याः। ब्राह्मणोऽस्य मूलमासीत् ब्राह्मण राजव्यः इत इत्यपि निगमो बभूव। बनिष्ठ ४।१-२; आनीतं ब्राह्मणः क्षेपः। श्रीधरचर १२।१।१५।

४४. इत्यवर्जं ब्राह्मणः शासकं च क्षत्रियः। पितृपुत्री एव ही विधिं तपोऽनु ब्राह्मणः पिता॥ आप० १।४।१।३।३।

४५. ब्राह्मणो वै राजासामूहोऽपि। सं० वा० २।३।१ एवं काठकसंहिता १।१।६। तद्वचनं ब्राह्मणः सर्वं ब्राह्मणं तदायं समुद्रं तद्विषयवाहातिवन्धीरो आपते। सं० वा० ३।७।५।

४६. राजा सर्वसेषे ब्राह्मणवर्जम्। गौ० १।१।१; न च राजा सर्वसेषे ब्राह्मणवर्जं विधिं गौतमवचनान्न ब्राह्मणो बभूव इति मन्वाव्यम्। तत्र प्रसार्ताथव्याम्। मिताररा, वाक० २।४ पर।

के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करते थे (ऐत० ब्रा० ३५।४)।^१ किन्तु महामारत में बहुत-से राजा 'सोमय' कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सोम-सम्बन्धी ब्राह्मणोच्चता सर्वमान्य नहीं थी।

(४) गौतम (८।१२-१३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को छः प्रकार के दण्ड से मुक्त रखे—(१) उन्हें पीटा न जाय, (२) उन्हें हथकड़ी-बैड़ी न लगायी जाय, (३) उन्हें घन-दण्ड न दिया जाय, (४) उन्हें धाम या देश से निजाला न जाय, (५) उनकी मर्त्तना न की जाय एवं (६) उन्हें त्याग न जाय।^२ इन छः प्रकार के छुटकारों का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण अवध्य, अबन्ध्य, अदण्ड्य, अबहिष्कार्य, अपरिवाद्य एवं अपरिहार्य माना जाता था। किन्तु ये छूटें केवल विद्वान् ब्राह्मणों से ही विशेष सम्बन्ध रखती थी (मिताक्षरा, याज्ञ० २।४)। हरदत्त ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि केवल ये ही विद्वान् ब्राह्मण छुटकारा पा सकते थे जो अनजान में कोई अपराध करते थे। शरीर-दण्ड के विषय में गौतम (१२।४३), मनु (१।१।९९-१००) बौधायन (१।१०।१८-१९) ने चर्चाएँ की हैं। गौतम के मतानुसार शरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए। बौधायन ने प्रथमतः ब्राह्मण को अदण्डनीय माना है, किन्तु अनेकता (ब्रह्महत्या, व्यभिचार या अगम्यगमन अर्थात् मातृगमन, स्वसृगमन, दुहितृगमन आदि, सुरापान, सुवर्ण की चोरी) के अपराधी ब्राह्मणों के ललाट पर जलते हुए लोहे के चिह्न से दण्ड देना तथा देश-निष्कासन की व्यवस्था दी है। ललाट पर विविध अपराधों के लिए कौन-से अंक चिह्नित किये जायें, इस विषय में कई मत हैं (मनु १।२३७; मत्स्यपुराण २२७।१६३-१६४, विष्णु ५।४-७)। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण को किसी भी दशा में प्राण-दण्ड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी शारी सम्पत्ति छीनकर उसे देश निकाला दे देना चाहिए (८।३७९-३८०)। चोरी के मामले में याज्ञवल्क्य (२।२७०), नारद (साहस, १०), शश के अनुसार ललाटावन एवं देश निष्कासन नामक दण्ड उचित माने गये हैं। ब्राह्मण पर घन-दण्ड की व्यवस्था भी पामी जाती है (मनु ८।१२३)। झूठी गवाही देने, बलात्कार एवं व्यभिचार के लिए घन-दण्ड उचित माना गया है (मनु ८।३७८)। सिर मुड़ाकर, ललाट पर अंक लगाकर तथा गदहे पर चढ़ाकर बस्ती में चारों ओर घुमाकर निकाल बाहर करना अनादर का सबसे बड़ा रूप माना गया है।^३ कौटिल्य (४।८) ने मनु के समान शरीर-दण्ड को अस्वीकार कर ललाटांकन, देश-निर्वासन तथा खानों में कार्य करने की व्यवस्था दी है। यदि ब्राह्मण राजद्रोह, राजा के अन्तपुर में प्रवेश, राजा के शत्रुओं को उमाड़ने का अपराध करे तो उसे पानी में डुबा देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। यदि ब्राह्मण

४७. सोमोऽन्मार्कं ब्राह्मणानां राजा। शतपथ० ५।४।२।३; तस्मान् ब्राह्मणोऽन्मार्कः सोमराजा हि भवति। शतपथ० १।४।३।१६।

४८. मनु कर्मिः परिहार्यो राजाऽबन्ध्यश्चाबन्ध्यश्चादण्ड्यश्चपरिवाद्यश्चापिहिष्कार्यश्चापरिवाद्यश्चापरिहार्यश्चेति (गौतम ८।१२-१३), तदपि स एष बहुभूतो भवति... विनीत इति (गौतम ८।४-११) प्रतिपादित बहुभूतविषयं न ब्राह्मणमात्रविषयम्। मिता० याज्ञ० २।४; न शरीरो ब्राह्मणदण्डः। गौतम १२।४३; अबन्ध्यो र् ब्राह्मणः सर्वा-पराधेषु। ब्राह्मणस्य ब्रह्महत्यापुत्रत्वगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु कृत्स्न्यभयसांगतसुराभ्यन्नास्तपोनायसा ललाटेऽङ्क-मित्वा विषयाग्निर्मलम्। शौ० १।१०।१८-१९; मुच्छकटिक नाटक (९) का यह श्लोक "अयं हि पातरी विप्रो न धम्यो मनुजबन्धुः। राष्ट्रान्मातु निर्वास्यो विमर्षरसतः सह॥" मनु (८।२८०) की ही छाया है।

४९. ब्राह्मणस्य पुनः 'न शरीरो ब्राह्मणो दण्डः' इति निषेधाप्रत्ययाने शिरोमुञ्चनार्थिकं कर्तव्यम्। ब्राह्मणस्य बन्धो धीर्भ्यः पुराभिर्वासितान्कने। ललाटे चाभिशास्ताः प्रथमं गर्भेन तु॥ इति मनुस्मरणात्। मिताक्षरा, याज्ञ० २।३०२; नारद (साहस, १०) में भी यही बात कुछ उत्त-न्दे के साथ कही गयी है।

अज्ञानता बरे, घोरी बरे, बाह्यजाती को दण्ड में मार या निर्दोष मारो को मार डाले तो उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए (बाह्यादन याज्ञ० २।२८१ की व्याख्या में विवरूप द्वारा उद्धृत)।" राजाओं ने बाह्यजाती को प्राणदण्ड दिया है और हम मन्व्यवर्गिक (*) में प्रथम उदाहरण भी मिलता है, जहाँ राजा पाण्डव ने बाह्यजात चारदत्त को प्राणदण्ड दिया है।

(५) अधिवास स्मृतियाँ न अनन्तर धार्मिक (वेदज्ञानी बाह्यजात) बरा से मुक्त था। शतपथ बाह्यजात को कुछ दण्डों में क्षति निराकती है कि उन दिना भी बाह्यजात वरमुक्त थे (शत० १३।६।२।१८)। यही बात आचमन्यधर्मसूत्र (२।१०।२६।१०) धर्मशास्त्रसूत्र (१९।२३) मनु (७।१३३) में भी पायी जाती है।" वैश्वदेव (२।१) न ब्रह्मदेव नमि का कर्त्तव्य आचार्य पुरोहित धार्मिक को दानस्वरूप देने को बड़ा है, और बड़ा है कि वह भूमि उपजाऊ हानी धार्मिक और उन पर शिमा प्रकार का घन-दण्ड अपवा कर नहीं लगना चाहिए।" बाह्यजात वरमुक्त क्या रखा जाय या? इसका उत्तर धर्मशास्त्रसूत्र में मिलता है, बाह्यजात वेदाध्ययन करता है, वह धार्मिक शील प्राप्त करता है जिन राजा ना पा लेना है बाह्यजात विपत्तियाँ न रखा करता है आदि।" राजा द्वारा शक्ति धार्मिक जब धार्मिक गुण प्राप्त करता है तो राजा का जीवन सम्पत्ति एवं राज्य बढ़ता है (मनु ७।१३६. ८।३०५)। यही बात बालिकादा न भी बड़ी है ' तपस्वी लोग अपने तप का छठा भाग राजा को देत है और वह एक अक्षय को है।" बालिकादा (२।१०।२६।११-१७), धर्मिष्ठ (१९।२३), मनु (८।३९४), बृहत्साराधर (अध्याय ३) आदि ने बाह्यजात के साथ कुछ अयत्नोपाय का भी अन्तर (वरमुक्त) माना है। किन्तु ऐसे बाह्यजात, जो शैली ही बाल में उर्ध्व कर देना पड़ता था। बाह्यजात पर बर व विषय में शान्तिपर्व (७६।२-१०) में मनोव्रज निरूपण दिया गया है। शतपथ एवं मन्व्य एक दृष्टि में देयन बाल बाह्यजात को ब्रह्ममम बड़ा जाता है। कर्मवेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के ज्ञाता और अपन वर्तमान पर अद्विग रहन वाले बाह्यजात का देयसम बहने हैं (लोक २-३)। धार्मिक राजा का चाहिए कि वह अधिवास तथा जा मल न बरे उमे बर में मुक्त न बरे। कुछ बाह्यजात शतपथ एवं वैश्वदेव होने हैं।"

५० तथा घ बाह्यादन। धर्मय पातने हनेये बाह्यजातों शत्रुपातने। अशुद्धी घोषित हवा हलस्यो बाह्यजातों हि ॥ बाह्यादन, विद्वत्वरुप द्वारा याज्ञ० २।२८१ में उद्धृत।

५१ अघानी क्षिणात्तानाम्। मध्य क्षिण तादृश्य घटघट भूमिदघ बाह्यजातस्य च वितातु। शतपथ० १३।६।२।१८; अथर धर्मिष्ठ। अथरवत्या २।१०।२६।१०; राजा तु धर्मोत्तुनासतु घट घटाव हतेह। अथर बाह्यजातु। धर्मिष्ठ १।४२-४३; बाह्यजातस्य बरादान न कर्त्तव्यं। ते हि राजो धर्मोत्तरा। विष्णु २।२६-२७।

५२ अग्निगावायंतुराग्निधर्मिष्ठयो बह्वेदेवायत्तवराग्निधर्मिष्ठयोऽपि प्रयच्छन्तु। धर्मिष्ठ २।१।

५३ इत्युत्तराय नु घटघटमं भजतीति ह। बाह्यजातों वेदमाद्यु बरोति बाह्यजात आयर उद्धरति तायात् बाह्यजातो-माद्य। सोमोत्तय राजा भजतीति ह। प्रेय धाम्युद्विजमिति ह विज्ञापने। धर्मिष्ठ १।४२-४६; मिताहए, शतपथ बाह्यजात के घे दण्ड—सोमोत्तमाद्य बाह्यजातों राजा। शतपथ० ५।४।२।३ एवं तायात् बाह्यजातोऽपि सोमोत्तमा हि भजति। शतपथ० ९।४।३।१६।

५४ यजुर्वेदोऽपि बर्षोऽपि मुदापि क्षयि तन्वमम्। तप-उद्धम तपसाम्य बरात्तादृश्यका हि न-॥ तादृजात २।१३।

५५ विदुः कर्त्तव्यतायमत्र। तर्त्तव्य तपसिनि। एते बह्वेदमाद्य राजन् बाह्यजात परिशीलितान् ॥ अथयम् ताव-तंरमं हरेयु बर्षोऽपि बर्षोऽपि। एते देवताय . . . अर्धोऽपि तर्त्तव्य एव तर्त्तव्य बर्षोऽपि ताव

(६) पाये गये धन के विषय में अन्य वर्षों की अपेक्षा ब्राह्मणों को अधिक छूट दी गयी थी। यदि कोई विद्वान् ब्राह्मण गुप्त धन पाता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य वर्षों के लोग द्वारा पाये गये गुप्त धन को राजा हड़ब लेता था किन्तु यदि प्राप्तिकर्ता सचाई के साथ राजा को पता बना देता था तो उसे छठा भाग मिल जाता था। यदि राजा को स्वयं गुप्त धन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणों में बाँट देता था (गौतम १०।४३-४५, वसिष्ठ ३।१३-१४, मनु ८।३७ ३८, याज्ञवल्क्य २।३४ ३५, विष्णु ३।५६-६४ एवं नारद-अस्त्रामिषिक्य, ७ ८)।

(७) यदि कोई ब्राह्मण बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो जमका धन श्रोत्रियो या ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता था (गौतम २।७।३९ ६०, वसिष्ठ १।७।८८ ८७ बौधायन १।५।११८-१२२, मनु ९।१८८-१८९, विष्णु १।७।१३ १४, शक्य)।

(८) अवरुद्ध मार्ग में पहुँचे जाने में ब्राह्मणों को राजा से भी अधिक प्रभुत्व प्राप्त थी। गौतम (६।२१-२२) के अनुसार मार्गाविरोध क ममय मन्त्रों के पहले गाड़ी को, तब क्रमशः बूढ़े, रोगी, नारी स्नानक राजा को जाने का अवसर देना चाहिए, किन्तु राजा को चाहिए कि वह पहल श्रोत्रियो को जाने दे। अन्य लोग व मन् भी अश्लोकनीय हैं, यथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।५-९), वनपर्व १३३।१, अनुशामनपर्व (१०४ २५ २६), बौधायन २।३।५७, शक्य, मिनाक्षरा द्वारा याज्ञ० १।११७ में उद्धृत।^{१६} वसिष्ठ (१।३।५८ ६०) ने लिखा है कि गुरु के यहाँ से सच आया हुआ स्नातक राजा से पहले मार्ग पाना है किन्तु दुर्गति को भयम पहले मार्ग मिलता है। मनु (२।१३८-१३९) ने भी अपनी सूची दी है और स्नातक को राजा के ऊपर स्थान दिया है। यही बात याज्ञवल्क्य में भी है (१।११७)। इस विषय के लिए देखिए मार्कण्डेयपुराण (३।३।३९ ४१) शक्य, विष्णु (५।१११) आदि।

(९) अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है, और ब्रह्महत्या अघमत्तम अपराध के रूप में स्वीकृत थी। तैत्तिरीय संहिता (५।३।१२।१-२) में आया है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला ब्राह्मण-हत्या से भी छुटकारा पा जाता है। इस संहिता ने एक स्थान (२।५।१।१) पर लिखा है कि द्रष्टृ ने विद्वत्स्य की हत्या करके ब्रह्महत्या की गति उपाधि धारण की। शतपथ ब्राह्मण (१।३।१।१) ने भी ब्रह्महत्या को अपत्य अपराध माना है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।०।९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है। गौतम (२।१।१) ने ब्रह्महत्या करनेवाले को पतितो म सबसे बड़ा माना है वसिष्ठ (१।२०) ने सा इसे भूषणहत्या कहा है, मनु

वर्ति विष्टि च कारयेत् ॥ . . . एतेभ्यो बलिमावच्छादीनकोशो महीपति । ऋते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवस्त्वैभ्य एव च ॥ शान्तिपर्व ७६।२-३, ५, ९।

५६ अक्रिं शमीत्यनुपुह्युबभूस्तानवराक्रम्य पयो दग्न्तः रक्तं तु श्रोत्रियस्य । शौनस ६।२१-२२; रक्तं पन्था ब्राह्मणेनासमेथ समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पन्था । यानस्य भाराश्रित्विहितस्यातुरस्य स्त्रिया इति सचवर्तित्य । वर्णश्यायसां वेतांवेण । अग्निष्टपतितमत्तो मत्तानामात्मवस्त्यद्वतार्थेन सर्वैरेव दातव्यः । आपातम् २।५।११-५-९; अग्नस्य पन्था अघिरस्य पन्था स्त्रिया पन्था भारवाहस्य पन्था । राज पन्था ब्राह्मणेनासमेथ समेत्य तु ब्रह्मणार्थैव पन्था ॥ वनपर्व १३३।१; पन्था देवो ब्रह्मणस्य तोभ्यो रक्तस्य एव च । युवाय भारतप्राय ग्निभ्यै दुक्तरय च ॥ मनुशासनपर्व १०४।२५-२६, इसे निम्नाइए, बौधायन २।३।५७ से; शक्य, मिनाक्षरा द्वारा याज्ञ० १।११७ की व्याख्या में उद्धृत ।

(१११५), विष्णु (३५१), याज्ञवल्क्य (३१२७) ने भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है (भृगु-वेद के एक अंग का पाठक या गर्व—वसिष्ठ ४० सू०, गौ० प० सू०)। मनु ने (८३८१) ब्रह्महत्या को महिष्ठतम पाप माना है।

क्या आत्मनामो हिमक या ममानक अपराधी ब्राह्मण का प्राण-हत्या किया जा सकता है? इस विषय में स्मृतिशास्त्राण एव निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है।" मनु (५१६२) ने एक सामान्य नियम बना डाला है कि मरने (वेद पढ़ानेवाले) गुरु ब्याभ्यास (वेदायं बतानेवाले), माता पिता, अन्य धर्मात्तर लोगो, ब्राह्मणो, गायो तथा तत्र म लये ह्ये लोमो षी हिमा नही कर्त्वी चाहिए। उन्होंने पुन लिखा है कि ब्राह्मण को हत्या करने पर कोई प्राणदण्ड नहीं है (मनु ११८९)। विष्णु स्वयं मनु (८३५०-३५१ = विष्णु ५१८९-१९० = मत्स्यपुराण २२७।१५-११७ = बुद्ध हारीन ९।३४९ ३५०) ने पुन कहा है कि आततायी की अवश्य मार डालना चाहिए, मने ही यह गुरु ही क्या न हो, बन्ना या बूझा या विद्वान् ब्राह्मण हो क्या न हो। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१५-१८) में छ प्रकार के आततायिया का नाम आये है—(१) पर जला देनेवाला, (२) विष देनेवाला, (३) रात्र प्रहार करनेवाला (४) लुटेरा (५) मूर्ख छीननेवाला एव (६) दूरसे की स्त्री छीननेवाला। इस विषय में बोधायन धर्मसूत्र (१।१०।१४) एव शान्तिपूर्व (१५, १५) के बचन भी स्मरणीय हैं। शान्तिपूर्व (३४।१७ एव १९) ने लिखा है कि यदि कोई मत्स्यपारो ब्राह्मण किसी को मारने के लिए रण म आता है तो जिस पर पात किया जाता है वह अश्विन उग ब्राह्मण का हत्या कर सकता है चारे वह ब्राह्मण वेदान्ती ही क्या न हो। उद्योगपूर्व (१७।५१-५२), शान्तिपूर्व (२२।५-९) भी इस विषय में अवलोकनीय हैं। विष्णुधर्मसूत्र (५।१९१-१९२), मत्स्यपुराण (२२७।११७ ११९) ने आततायिया के सात प्रकार बतलाये हैं। मुमन्तु (मिताशरा द्वारा याज्ञ० २।२१ की व्याख्या में उद्धृत) ने लिखा है कि पाप एव ब्राह्मण को छोड़कर सभी प्रकार के आततायियों को मार डालने में कोई पाप नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आतताया ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है। ब्राह्मण्य (स्मृतिचरित्रका एव अन्य विख्या म उद्धृत), मनु एव बृहस्पति ने भी आततायी ब्राह्मण को अपव्य माना है।" इस विषय में टीकाकारों एव निबन्धकारों की विद्वेबा में बहुत अन्तर पड़ गया है। याज्ञवल्क्य (३।२२२) की व्याख्या में बिरुक्क ने लिखा है कि वह अश्विन ब्राह्मण-हत्या का अपराधी है जो मयाम में कइते हुए ब्राह्मण या आततायी ब्राह्मण को छोड़कर किसी अन्य प्रकार क ब्राह्मण को मारता है, दा जो स्वयं अपने (लाम के) लिए किसी ब्राह्मण को मारता है या किसी मय धर्षित द्वारा (उप पन देकर) मरवाता है। विद्वरुक्क ने आगे यह भी लिखा है कि घन के लोम से जो किसी ब्राह्मण का मारता है उसको पाप नहीं लगता, अश्विन उगको पाप लगता है जा मरवाता है। यह उगी प्रकार है किम प्रकार कि घन करनेवाले का फल मिलता है न कि घन करनेवाले अश्विक् को। मिताशरा ने याज्ञवल्क्य (२।११) की व्याख्या म मनु (८।३५०-३५१) का हवाला देने हुए लिखा है कि यदि आत्म-हत्या के लिए कोई

५७ देखिए, याज्ञवल्क्य ३।२२२ पर विद्वरुक्क, याज्ञवल्क्य २।२१ मिताशरा, अथर्ववेद (९० १०४२-४४) एव स्मृतिचरित्रका (अथर्ववेद, पृ० ३।३-३५)।

५८. आततायियों को प्राणहत्या का अपराधी मानना। गुणगु (याज्ञ० २।२१) ने मिताशरा द्वारा उद्धृत); आततायिनि को कृष्ण्टे मरवावाप्यायकमन। कथनत्र मु मंत्र ह्याप्यते इति कथी भृगु ॥ ब्राह्मण्य (स्मृतिचरित्रका, अथर्ववेद, पृ० ३।५); आततायिनमुक्त्वा मृगवाप्यायकमनम्। यो न ह्याप्यायकमन शीतकमेधकम लमेम् ॥ कृष्ण्टेनि (स्मृतिचरित्रका, अथर्ववेद, पृ० ३।५)।

विभी आततायी ब्राह्मण को गोक रखा है और असावधानी या वृद्धि में उसे मार डालता है, तो वह राजा द्वारा दण्डित नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। स्पष्ट है, मिताश्रय के कथनानुसार आततायी ब्राह्मण को भी मारना मना था। मेघातिथि (मनु ८।३५०-३५१) की भी यही सम्मति है। कुल्लुक (मनु ८।३५०) ने लिखा है कि यदि भागवर भी अपने प्राण न बचाये जा सकें तो आत्रमगवारी गुप्त या ब्राह्मण या किसी भी अन्य आततायी को मारा जा सकता है। अपराकं (याज्ञ० ३।२२७) ने लिखा है कि आततायी ब्राह्मण को यदि किसी अन्य प्रकार से रोकना असम्भव है तो उसे मार डालने की व्यवस्था शास्त्रों में है, किन्तु यदि उसे दो-एक मण्ड्य मारकर रोका जा सके तब उमका प्राण हर लेना ब्रह्महत्या है। स्मृतिवर्धिका में भी कुछ ऐसी ही उक्ति है। व्यवहारमयूख ने कलियुग या सहारा लेकर किसी भी प्रकार के (यहाँ तक कि आततायी) ब्राह्मण की हत्या का विरोध किया है।

(१०) किसी ब्राह्मण का तर्जना देना (दण्डना) या मारने की घमकी देना या पीट देना या शरीर से चोट द्वारा रक्त निवाह देना भी बहुत प्राचीन काल से मत्सनीय माना जाता रहा है (तैत्तिरीय संहिता ६।१०।१-२)। गौतम (२।२।२०-२२) में भी इसी प्रकार का आदेश पाया जाता है।

(११) कुछ अपराधों में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दण्ड मिलता था, यथा गौतम (२।१।६-१०) ने लिखा है—यदि किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण की मत्सना की तो दण्ड एक सौ कार्पाण था होता है, यदि वैश्य ऐसा करे तो १५० कार्पाण का, किन्तु यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दण्ड क्रमशः केवल ५० तथा २५ कार्पाण का होता है, किन्तु यदि वह किसी शूद्र के साथ ऐसा करे तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। इस विषय में मनु (८।२।६७-२६८), नारद (वाक्यारण्य, १५-१६) एवं याज्ञवल्क्य (२।२०६-२०७) के विचार एक-दूसरे से मिलते हैं, किन्तु मनु ने शूद्र की मत्सना करनेवाले ब्राह्मण पर १२ कार्पाण के दण्ड की व्यवस्था दी है। कुछ अपराधों में ब्राह्मणों को अधिक दण्ड दिया जाता था, यथा चोरी के मामले में शूद्र पर ८ कार्पाण का, वैश्य पर १६, क्षत्रिय पर ३२ और ब्राह्मण पर ६४, १०० या १२८ कार्पाण का दण्ड लगता था (गौतम २।१।२-१४, मनु ८।३।३७-३३८)।

(१२) गौतम (१।३।४) के मतानुसार विभी अब्राह्मण द्वारा कोई ब्राह्मण साध्य के लिए नहीं बुलाया जा सकता। यदि वह लेखपत्र में लिखित रूप से साक्षी टहराया गया हो तो राजा उसे बुला सकता है। नारद (ऋणादान, १५८) के अनुसार तप म लीन श्रोत्रिय लोग, बूढ़े लोग, तपस्वी लोग साध्य के लिए नहीं बुलाये जा सकते। किन्तु गौतम के अनुसार ब्राह्मण द्वारा श्रोत्रिय बुलाया जा सकता है। मनु (८।६५) एवं विष्णुधर्मसूत्र (८।२) में भी श्रोत्रिय को साध्य देने से मना किया है।

(१३) केवल कुछ ही ब्राह्मण श्राद्ध तथा देव-क्रिया-संस्कार के समय भोजन के लिए बुलाये जा सकते थे (गौतम १।५।५ एवं ९, आपस्तम्ब २।७।१७।४, मनु ३।१।२४ एवं १२८, याज्ञ० १।२।१७, २।१९, २।२१)।

(१४) कुछ यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, यथा सोत्रामणी एवं सत्र। किन्तु जैमिनि (६।६।२४-२६) के अनुसार भृगु, गुणर एवं वसिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण सत्र भी नहीं कर सकते थे। राजभूय यज्ञ केवल क्षत्रिय ही कर सकते थे।

(१५) ब्राह्मणों के लिए मृत्यु पर शोक करने (मूतन) की अवधियाँ अपेक्षाकृत कम थीं। गौतम (१।४।१-४) के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए शोकावधियाँ क्रम से १०, ११, १२ तथा ३० दिनों की थीं। यही शोक वसिष्ठ (४।२।७-३०), विष्णु (१।२।१-४), मनु (५।८।३), याज्ञवल्क्य (३।२२) में भी पायी जाती है। कालान्तर में सब के लिए शोकावधि १० दिनों की हो गयी।

उपसृष्टा विरोधितारा ने अतिविश्रुत कुछ अन्य अपिचारो की भी चर्चा हुई है, यथा राजा सर्वप्रथम शास्त्र को अपना मुग निष्पन्नता और उसे प्रणाम करता था (नारद, प्रदीपक, ३५-३९); ९ या ७ म्पनिषो के मात निरुत जाने पर शास्त्र को ही सर्वप्रथम मातां पाने का अपिचार था, मिथा के लिए ब्राह्मण को सबके घर में पहुँचाने की रूची थी. ईधन, पुण, जग आदि ब्राह्मण बिना पूर्ण ग्रहण कर सकता था; द्वारे की स्त्रियों के बाह करने का उभे अपिचार प्राण था, बिना तेषा दिव्ये ब्राह्मण मदी के आर-भार नाव पर आ-जा सकता था। ध्यासा के निमित्तो में उभे 'अरु' (निगुल) नीरा-दयोग की छुट थी। ब्राह्मण याना करते समय था जाने पर यदि पात में कुछ न हो तो बिना पूजे दो ईग या दो बन्द आदि मित में लेकर गा सकता था।

शास्त्रा के लिए कुछ वन्दन भी थे, जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है।

गूढो की अयोग्यताएँ—(१) गूढ को वेदाध्ययन करने का आदेश नहीं था। उभे वात पर बहू-ने स्मृतिचारो एव निवन्तो ने वेदिक वचन उद्धृत किये है। एष श्रुतिवाक्य है—“(विप्राता ने) गालवी (छन्द) से ब्राह्मण को निमित्त किया, त्रिष्टुप् (छन्द) से राजन् (शत्रिय) को, जगी (छन्द) में वेदन् को, विन्नु उतने गूढ को विती नी छन्द से निमित्त नहीं किया, आ गूढ (उपनयन) सखार के लिए अयोग्य है।” उपनयन के उपरान्त वेदाध्ययन होता है, और वेद केवल तीन वर्गों के उपनयन की चर्चा करता है।” गूढों के लिए वेदाध्ययन तो मना ही था, उनसे गभीर वेदीध्ययन करना भी मना था।” विन्नु अति प्राचीन वात में वेदाध्ययन पर सम्भवतः दया का निष्पन्न नहीं था। छाण्डोग्योपनिषद् (५।१-२) में एष कथा आयी है, जिसमें जानश्रुति पौत्रायण एव रैत का वचन है और रैत ने जानश्रुति को गूढ कहा है एव उभे तर्का विधा का ज्ञान किया है। विन्नु गूढो के विरोध में बहू-नी बातें कही जाती रही है। गीम (१२-४) ने तो यहाँ तक किया है कि यदि गूढ जान-बूझकर स्मरण करने के लिए वेद-वाट मुने तो उतने वर्ग-बहुरो को तीसा और ग्राग से भर देना चाहिए, यदि उभे वेद पर अपिचार कर लिया है तो उतने गदीर को छेद देना चाहिए।”

यदि गूढा का वेदाध्ययन करना मना था, विन्नु के इतिहास (महामारा आदि) एवं पुराण मुन मरने से। मातामारा (साहित्य ३२।८।९) ने किया है कि चारों वर्गों विती ब्राह्मण पाठन में महामारत मुन मरने है।”

९९. मायया ब्राह्मणमुपगत विष्णुभा राजन् जगत्या बंद्यं न केनचिच्छन्दसा गूढमित्यसंभवाय विज्ञायते। बसिष्ठ ५।३, अदरार्क द्वारा उद्धृत, पृ० २३; अदरार्क ने एम की भी इस प्रकार उद्धृत किया है “न केनचिन्नामगूढच्छन्दसा संभवारति।”

९०. यतान्ते ब्राह्मणमुपगतयो पीत्ये राजन् द्वारिह संजगिति। जंमिति ने भी यही आधार दिया है (९।१-३३)। एकर ने भी यही माना है। देखिए, आपातम्ब (१।१।१।९)।

९१. अथचि यमगीतान् एनोबन्तुब्राह्मणि। इमशागमेताप्रत्यक्षं वे गूढाः पारचारिणः। तामागूढतापीवे तु माप्येज्य बहवन् ॥ बसिष्ठ १८।१३। देखिए गी० १९।१८।१९; आप० पृ० गूढ १।३।९।९; महाभारत-ब्रह्म-पनिषी। पाठ० १।१४८; आदिपर्व, ६५।२०।

९२. अथ हाय वेदपुनश्चात्रनुकृप्या भोजपुनश्चाहृत्ने ब्रिह्मण्डेयो यत्ने शरीरभेदः। गीम १२।४; देखिए मुन्नादित ९।३३ 'विदावीन् ब्राह्मणत्वं ब्रह्मि न च ते ब्रिह्म निपत्तिता।'

९३. यावदेवमुतुती बर्णां ह्यया ब्राह्मणकण्ठः। साहित्य ३२।८।९; और देखिए, आदिपर्व ६५।२२ एवं ९५।८।३।

भागवत पुराण (१।४।२५) में आया है कि तीनों वेदों को स्त्रियाँ, शूद्र एवं कुत्रांशुण (जो केवल जन्म मात्र से ब्राह्मण हैं) नहीं पढ़ सकते, अतः व्यास ने उन पर दया करके भारत की गायों लिखी है।" शूद्रकमलाकर (पृ० १३-१४) में कई उदाहरण आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि शूद्र स्मृतियों एवं पुराणों को स्वतः नहीं पढ़ सकते थे। स्वयं मनु (२।१६) ने मनुस्मृति को केवल द्विजों द्वारा सुनने को बहू दिया है। कल्पतरु तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने शूद्रों के लिए पुराणाध्ययन वैधानिक माना है। वेदान्तसूत्र (१।३।३८) की व्याख्या में शंकराचार्य ने लिखा है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है, किन्तु वे (विदुर एवं धर्मव्यास की भाँति, जैसा कि महाभारत में आया है) मोक्ष (सम्बन्धु ज्ञान का फल) प्राप्त कर सकते हैं। कुछ निबन्धों में गवः स्मृति का उद्धरण आया है कि शूद्र वाजसनेयी हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह है कि वे वाजसनेयी शाखा के गृह्यसूत्र की विधि का अनुसरण कर सकते हैं और ब्राह्मण उनके लिए मन्त्रोच्चारण कर देगा।

(२) शूद्र पवित्र अग्नियाँ नहीं जला सकते थे, और न वैदिक यज्ञ कर सकते थे। जैमिनि (१।३।२५-३८) ने इस बात की चर्चा की है। किन्तु बार्हस्पति नामक एक प्राचीन आचार्य ने लिखा है कि शूद्र भी वैदिक यज्ञ कर सकते हैं।" मारुद्वाज-श्रौतसूत्र (५।२।८) में कुछ आचार्यों का यह मत प्रकाशित किया है कि शूद्र भी तीनों वैदिक अग्नि जला सकते हैं। वात्स्यायन-श्रौतसूत्र (१।४।५) ने लिखा है कि केवल लँगड़े-लूले, वेदज्ञान विहीन, तपस्यु एवं शूद्रों को छोड़कर सभी यज्ञ कर सकते हैं। किन्तु इस सूत्र के टीकाकार ने लिखा है कि कुछ वैदिक वाक्यों से स्पष्ट झलकता है कि शूद्रों को भी वैदिक क्रिया-संस्कार करने का अधिकार था (शतपथ ब्राह्मण १।१।४।१२, १३-८।३।११)। किन्तु वात्स्यायनश्रौत० (१।१।६) के टीकाकार ने 'शूद्र' शब्द को रथकार जाति (याज्ञ० १।११) के अर्थ में प्रयुक्त माना है।

शूद्र वैदिक क्रियाएँ नहीं कर सकते थे, किन्तु वे पूर्ण धर्म कर सकते थे, अर्थात् रूप, तालाब, मन्दिर, वाटिकाओं आदि का निर्माण तथा ग्रहण आदि अवसरा पर भोजन-दान आदि कर सकते थे।" वे प्रति दिन चारों पक्ष महायज्ञ साधारण अग्नि में कर सकते थे, श्राद्ध भी कर सकते थे, वे देवताओं को 'नमः' शब्द के साथ संबोधन कर ध्यान कर सकते थे। वे "अग्नये स्वाहा" नहीं कह सकते थे। मनु (१०।१२७) के अनुसार उनके सारे क्रिया-संस्कार बिना वैदिक मन्त्रों के हो सकते हैं। कुछ लोगो ने मतानुसार शूद्र वैवाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मनु ३।६७ एवं याज्ञ० १।१७), किन्तु मेघातिथि, मिताक्षरा (याज्ञ० १।१३१) एवं मदनपारिजात (पृ० ३१) का कहना है कि वे साधारण अग्नि में आहुति दे सकते हैं। विधिवत् उत्पन्न वैवाहिक अग्नि में नहीं। सभी लोग, यहाँ तक कि शूद्र एवं षाण्डाल १३ अक्षरों वाला राम मन्त्र (श्री राम जय राम जय राम) एवं ५ अक्षरों वाला निव-मन्त्र (नमः शिवाय) उच्चारित कर सकते थे, किन्तु द्विजाति लोग ६ अक्षरों वाला शिव मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) कह सकते थे। इस सम्बन्ध में शूद्र-

६४. स्त्रीशूद्रद्विजब्रह्मणां प्रथी न क्षुतिगोचरा । इति भारतमास्थान मुनिना कृपया कृतम् ॥ भागवत १।४।२५; बेलिए, त्रिकलपत्रमण्डन ४।२८, ब्रह्मव्याकरण कृत्वा कृत्वा च पावके ह्विः। शालग्रामदिसां स्पृष्ट्वा शूद्रो गच्छत्यपयोगिताम् ॥

६५. निमित्तायें बाहिरस्तभारतसर्वाधिकार स्यान् । जैमिनि १।३।२७।

६६. इष्ट्यापूर्तौ द्विजातीनां सामाग्यी धर्मसाधनी । अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्तपयें न वैदिके ॥ अत्रि ४६; लघुनाल ६; अपराकं पृ० २४; वागीश्वरतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमाराधनं पूर्तमित्यभिधीयते ॥ षष्ठोप-रागे ग्रहान् सुप्तं सक्तमणेषु च । द्वादश्यादि च पट्टान् पूर्तमित्यभिधीयते । पहला पद्य महाभारत से तथा दूसरा बानूचर्य से लिया गया है।

कमलाकर (पृ० ३०-३१, जिनम वराह, वामन एवं नक्षिप्यपुराण के वाच्य उद्धृत हैं) देगा जा सक्ता है, जहाँ पाञ्चरात्र मत से विष्णुमन्त्र एक सिक्, सूर्य, जग्जि तथा विनायक के मन्त्र कहे जाने का विधान है। वराहपुराण में गृह के मापक (विष्णु-भवन) के रूप में दीक्षित होने का वर्णन है।

(३) मन्त्रारो के विषय म स्मृतिवारा म सर्वत्र नहीं है। मनु (१०।१२९) के अनुसार यदि गृह व्याज या लहसुन लस्ये तो कोई पाप नहीं है वह मन्त्रारो के वाच्य नहीं है उसे न तो धर्म-पालन का कोई अधिकार है और न पापों का कोई आदेश ही है। मनु (४।८०) के कुछ वचन वसिष्ठ (१८-१४), विष्णु (७।१४८-५२) से मिलते-जुड़ते हैं। लक्ष्मिष्णु का कहना है कि गृह सर्वमन्त्रारो म वज्रिण जति है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।६२) के अनुसार गृह वन वर मान हैं किन्तु बिना हाम एव (वेदिन) मन्त्र के। किन्तु अपराजं उसी लोके को ध्यायमा म । इत्यत्र उद्धृति या कर्तव्य है। गृहामन्त्रार (पृ० ३८) के अनुसार गृह वन, उपवास, महादान एव प्रायश्चित्त कर सकते हैं, किन्तु बिना होम एव ज के। मनु (१०।१२३) के अनुसार दाद लाय बिना मन्त्रोच्चारण के द्विजातियों द्वारा किये जानवाये मनी धार्मिक कृत्य कर सकते हैं। दण एव वम के अनुसार बिना मन्त्रोच्चारण के गृहों के लिए मन्त्रार किये जा सकते हैं। श्याम (१।१७) ने गृहों के लिए बिना मन्त्रोच्चारण के दम । गर्मापाय, पुमवन, यौमन्त्रोप्रयत्न, ज्ञातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, घोष, वर्षावेध एव विवाह) मन्त्रारो के विषय में विधान किया है। वहीं वान कुछ कम मन्त्रारो के लिए गौम (१०।५१) ने भी कही हैं।

(४) कुछ अवस्थाओं में गृहों को अधिक बड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई गृह उच्च वर्षों की किमी नारी के साथ ध्यमिचार करता था तो उसका दण्ड पाट लिया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति हॉल ली जाती थी (गौम १।२)। यदि कोई गृह किमी धरोहर-रूप में सारी स्त्री के साथ ध्यमिचार करता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था। वसिष्ठ (२।११) एव मनु (८।३६६) ने कहा है कि यदि गृह किमी ब्राह्मण नारी के साथ उसके मन के अनुसार या विष्णु सम्मोह करे तो उसे प्राण-दण्ड मिटना चाहिए। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किमी ब्राह्मणी के साथ ब्याभार करे तो उस पर एक मह्य कार्याया का दण्ड और जब केवल ध्यमिचार करे तो ५०० का दण्ड लगता था (मनु ८।३७८)। यदि कोई ब्राह्मण किमी अश्रित शकिय, वैश्य या गृह नारी से सम्मोह करे तो उस पर ५०० का दण्ड लगता था (८।३८५)। इसी प्रकार किमी ब्राह्मण की मर्मना या शाली-नालीक करने पर गृह को शारी-रिण दण्ड दिया जाता था या उसको जीम बाट ली जाती थी (मनु ८।२७०), किन्तु इसी अवस्था पर शकिय या वैश्य को १०० या १५० का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किमी गृह को दुर्वचन करे तो उस पर केवल १० कार्याय का या कुछ नही दण्ड लगता था (मनु ८।२६८)। शौरी के मामले में गृह पर कुछ कम दण्ड था।

(५) मृत्यु या जन्म होने पर गृह को एक नहीं के मृत्यु लगता था। ब्राह्मणों को इन विषय में केवल १० दिनों का मृत्यु मत्वाय पना था।

(६) गृह न तो ग्यावापीन हो सकता था और न धर्म का उद्धार ही कर सकता था (मनु ८।९ एव २०; याज्ञ० १।१ एव कात्यायन)।

(७) ब्राह्मण किमी गृह में दान नहीं कर सकता था। वह ही भी सकता था तो अदण्य करे निष्कर्मणो के भीतर।

(८) ब्राह्मण उनी गृह के मर्त मोक्ष कर सकता था जो उसका अनुवार, लक्ष्मिष्णु या ममानुक्रम से सिक् हो, या अदना नई या दान हो (गौम १।६।९; मनु ४।२५३; विष्णु ५।३।१६, याज्ञ० १।१।६६; वसुधार १।१।१)। ब्राह्मण (१।५।१।६।२०) के अनुसार अशकिय गृह द्वारा लाया गया मोक्ष ब्राह्मण के लिए शकिय है, किन्तु उहोंने गृहों को तीन उच्च वर्णों के मरण में मोक्ष बदले के लिए माना ही है, किन्तु इन विषय में उहने

नागून, बैरा आदि स्वच्छ होने चाहिए। शूद्र द्वारा उपस्थापित भोजन करने या न करने के विषय में मनु के वचन (४।२।११ एवं २।२३) अवलोकनीय हैं। बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) ने वृषल (शूद्र) के भोजन को ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है। पके हुए भोजन के विषय में क्रमशः नियम और कठे होते चले गये। शंखस्मृति (१।३।४) ने शूद्रों के भोजन पर पलते हुए ब्राह्मणों को पवित्ररूपक कहा है। पराशर (१।१।१३) ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण किसी शूद्र से घी, मेल, दूध, गुड़ या इनसे बनी हुई वस्तुएँ ग्रहण कर सकता है, किन्तु उन्हें वह नदी के किनारे ही खाये, शूद्र के घर में नहीं। पराशरमाधवीय ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि ऐसा तभी सम्भव है जब कि ब्राह्मण यात्रा में हो और थककर चूर हो गया हो या किसी अन्य उच्च वर्ण से कुछ प्राप्त न हो सके (२।१)। हरदत्त (गीतम १।६।६) एवं अपराक (भा.सं. १।१६८) ने भी विपत्ति-काल में शूद्र-प्रदत्त भोजन को वर्जित नहीं माना है।

(९) वही शूद्र, जो पहले ब्राह्मण के घर में रमोदया हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन कर सकता था, क्रमशः अदृष्ट होता चला गया। अनुशासनपर्व में आया है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा जल्दी हुई अनि के समान दूर से करे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य स्वयं करके सेवा कर सकते हैं।^{१४} शूद्र का स्वयं हो जाने पर स्नान, आचमन, प्राणाम, तप आदि से ही शूद्र हुआ जा सकता था (अपराक, पृ. १।१९६)। गृह्यसूत्रों में आया है कि भयुक्त देते समय अतिथि के घर को (जले ही वह स्नातक ब्राह्मण ही क्यों न हो) शूद्र पुरप या नारी यो मन्वी है (हिरण्यकेशिगृह्यं १।१२।१८-२०)। लगता है, गृह्यसूत्रों के काल में बन्धन बहुत कठे नहीं थे। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।९-१०) में भी यही बात पायी जाती है।

(१०) शूद्र चारों आश्रमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वेदाध्ययन वर्जित है (अनुशासनपर्व १।६।१।०)। शान्तिपर्व (६।३।१२-१४) में आया है कि जिस शूद्र ने (उच्च वर्णों की) सेवा की है, जिसने अपना धर्म निवाहा है, जिसने सन्तान उत्पन्न हुई है, जिसका जीवन अल्प रह गया है या जो दगवें स्तर में अर्थात् ९० वर्ष से ऊपर अवस्था का हो गया है, वह चाँये आश्रम को छोड़कर सभी आश्रमों का फल प्राप्त कर सकता है।^{१५} मेधातिथि ने मनु (६।१७) की व्याख्या में इन शब्दों की विवेचना की है और कहा है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा कर एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्तानोत्पत्ति करने मोक्ष को छोड़कर सभी कुछ प्राप्त कर सकता है।

(११) शूद्र-जीवन शूद्र समझा जाता था। याज्ञवल्क्य (३।२।३६) एवं मनु (१।१।६६) ने स्त्री, शूद्र, वंद्य एवं क्षत्रिय को मार डालना उपपातक माना है, किन्तु इसके लिए जो प्रायश्चित्त एवं दान की व्यवस्था बनायी गयी है, उससे स्पष्ट है कि शूद्र-जीवन मगप्य-सा था। क्षत्रिय को मारने पर प्रायश्चित्त या छः वर्ष का ब्रह्मचर्य, १००० गायों एवं एक बैल का दान। वैश्य को मारने पर तीन वर्ष का ब्रह्मचर्य, १०० गायों एवं एक बैल का दान था, किन्तु शूद्र को मारने पर प्रायश्चित्त या केवल एक वर्ष का ब्रह्मचर्य एवं १० गायों तथा एक बैल का दान। यही बात गीतम (२।२।१४-१६), मनु (१।१।२६-१३०) एवं याज्ञवल्क्य (३।२।६६-२६७) में भी पायी

६७. बुराचूद्रेणोपवयो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन्। सस्पृश्य परिषरंतु बंद्येन क्षत्रियेण च ॥ अनुशासनपर्व ५९।३३।

६८. शुभ्रयोः कृतकार्यस्य कृतसन्तानवर्मणः। अम्यनुज्ञातराजस्य शूद्रस्य जगतीपते ॥ अत्यान्तरगतस्यापि वृद्धयर्मेगतस्य वा। आश्रमा विहितः सर्वे वर्तयित्वा निरापियम् ॥ शान्तिपर्व ६३।१२-१४; सर्वे आश्रमास्तु न कर्तव्याः किं तर्हि शुभ्रयुवापयोत्पारबनेन च सर्वाधमफलं रुभते द्विजातीन् शुभ्रयमाणो गार्हस्थेन सर्वाधमफलं रुभते परिव्राजक-फलं मोक्षं वर्जयित्वा। मेधातिथि (मनु ६।१७) ।

जाती है। आपसम्ब (१।१।२५।१४ एवं १।१।२६।१) ने तो यहाँ तक कहा है कि दूध को मार डालने पर इतना ही पातक समता है जितना कि एक कौआ, सरट (गिरगिट), मोर, चक्रवाक, मराक (राजहंस), भास, भेडक, मकूल (नेवला), गधमूषक (छछुन्दर), कुत्ता आदि को मार डालने से होता है (मनु'१।१।२६।१)।

यदि दूधो की बहुत-सी अपीग्यताएँ थी तो उन्हें बहुत-सी सुविधाएँ भी दी गयी थी। कोई भी दूध ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कुछ व्यवसायों को छोड़कर कोई भी व्यवसाय कर सकता था। किन्तु कुछ दूध तो राजा भी हुए हैं और बौद्ध (१।२) ने दूधो की सेना के बारे में लिखा है। दूध प्रति दिन की अनगिनत नियमों से स्वतन्त्र था। वह विवाह को छोड़कर अन्य सस्वारों के सप्त से दूर था। वह कुछ भी खा-पी सकता था। उसके लिए गीज एवं प्रवर का सप्त नहीं था, और न उसे शास्त्र के विरोध में जाने पर कोई जप या तप करना पड़ता था।

अध्याय ४ अस्पृश्यता

भारतीय जाति-व्यवस्था पर लिखनेवाले लेखकों को भारतीय समाजविषयक अस्पृश्यता नामक व्यवस्था के अवलोकन से महान् आश्चर्य होता है। किन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही नहीं पायी गयी है, प्रत्युत इसका परिदर्शन अन्य महाद्वीपों, विशेषतः अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। आज की अमेरिकी नीग्रो जाति भारतीय अस्पृश्य जाति से भी बड़ी गुनी असह्य अयोग्यताओं एवं नियन्त्रणा से पिरी हुई है।

स्मृतियों में वर्णित अन्धजनों के नाम आरम्भिक वैदिक साहित्य में भी आये हैं। ऋग्वेद (८।२।३८) में चर्मन् (पाल या चाम धोषने वाले) एवं वाजसनेयी संहिता में चाण्डाल एवं पील्बस नाम आये हैं। यष या वप्ता (नाई) शब्द ऋग्वेद में आ चुका है। इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विदर-कार या विडलकार (स्मृतियों में वर्णित बुढ़) शब्द आया है। वाजसनेयी संहिता का वासस्पृगी (पोडिन) स्मृतियों के रजत शब्द काहीँ प्रोक्त है। किन्तु इन वैदिक शब्दों एवं नामों से वहीँ भी यह संकेत नहीं मिला कि ये अस्पृश्य जातियों के प्रोक्त हैं। केवल इतना भर ही कहा जा सकता है कि पील्बस का सम्बन्ध यौमत्ना (वाजसनेयी संहिता ३०।१७) से एवं चाण्डाल का वायु (पुरनमेघ) से था, और पील्बस दम दम से रहने थे कि उनमें घृणा उत्पन्न होती थी तथा चाण्डाल वायु (सम्भवतः श्मशान के खुले मैदान) में रहने थे। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।७) में चाण्डाल की धर्वा है और वह तीन उच्च वर्णों की अपेक्षा सामाजिक स्थिति में अति निम्न था, ऐसा मान होता है। सम्भवतः चाण्डाल छान्दोग्य के काल में दूद्र जाति की निम्नतम शाखाओं में परिगणित था। वह कुत्ते एवं सूअर के सदृश कहा गया है। शतपथब्राह्मण (१२।५।१।५) में यश के सम्बन्ध में तीन दशु अर्थात् कुत्ते, सूअर एवं भेड़ अपवित्र माने गये हैं। यहाँ पर उसी सूअर की ओर संकेत है, जो गाँव का मल आदि खाता है, क्योंकि मनु (३।२७०) एवं याज्ञवल्क्य (१।२५९) की स्मृतियों में हमें इस बात का पता चलता है कि श्राद्ध में सूअर का मांस पितर लोण बड़े चाव से खाते हैं। अतः उपनिषद् काले चाण्डाल को हम अस्पृश्य नहीं मान सकते। कुछ बट्टर हिन्दू बौद्धिक काल में भी चाण्डाल को अस्पृश्य ठहराते हैं और बृहदारण्यकोपनिषद् (१।३) की गाथा का हवाला देते हैं। किन्तु इस गाथा से यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि चाण्डाल अस्पृश्य थे। श्वेत्को की भाँति वे "दिसाम् अन्त" नहीं थे, अर्थात् आर्य जाति की भूमि से बाहर नहीं थे।

अब हम गूत्रों एवं स्मृतियों के साक्षियों का अवलोकन करें। आरम्भिक स्मृतियों का कहना है कि वष बंचक चार हैं, पाँच नहीं (मनु १०।५; अनुशासनपर्व ४७।१८)। अतः दूद्र काक कुछ लोग को परमो वर्णीय लिखते, चाण्डालो एवं पील्बसों की बात करते हैं तो वह स्मृतिगम्यत नहीं है। पाणिनि (२।५।१०) एवं पाञ्चरत्न में

१. चतुर्षु एवजातिस्तु दूद्रो नास्ति तु वषबन्धः। मनु १०।५; स्मृतार्षधर्वाण्युवाचः पाञ्चमो नास्तिगच्छे। अनुशासनपर्व ४७।१८।

ज्ञान होता है कि वे चाण्डालों एवं मृगयों को गृहों में लिये थे। मनु (१०।४१) ने घोषणा की है कि मनी प्रान्त-लोम मत्तान गृह हैं (देहिण् आन्विषवं १९, २।२८ भी)। तन्मया गृहो एवं चाण्डाल आदि ज्ञानियों में अन्तर पड़ता गया।

अशुद्धता केवल जन्म से ही नहीं उत्पन्न होती, इसके उद्गम के कई स्रोत हैं। भयकर पापों अर्थात् दुष्टियों से लोग जातिनिर्वाणित एवं अशुद्ध हो जा सकते हैं। मनु (१।०३५-२३९) ने लिखा है कि ब्रह्महत्या करनेवाले, चाण्डाल के गोत्रों की चोरी करनेवाले या मुग्धपत्न्य करनेवाले लोगों को जाति में बाहर कर देना चाहिए, न तो कोई उनके साथ गायें, न उन्हें स्पर्श करे, न उनकी पुरोहिणी बने और न उनके साथ कोई विवाह-सम्बन्ध स्थापित करे, वे लोग वैदिक धर्म में विहीन होकर समार में निश्चल्य करें। अशुद्धता उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत है धर्म-सम्बन्धी घृणा एवं विद्वेष, जैसा कि अप्यग्नं (पृ० ९२३) एवं स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ११८) ने पद्मिनाम्नान् एवं ब्रह्महत्यापुत्रान् में उद्धृत लेकर कहा है—'बौद्धों, पागुणों, जैनों, लोचनयनों, वाणियों (शायों), धर्मरघुत ब्राह्मणों, गौशों एवं नास्त्रिकों को घृने पर वस्त्र के साथ पताने न स्नात कर लेना चाहिए।' ऐसा ही अप्यग्नं में भी कहा है। अशुद्धता उत्पन्न होने का तीसरा कारण है कुछ लोगों का, जो साधारणतः अशुद्ध नहीं हो सकते थे, कुछ शिष्ट व्यवसायों का धारण करना, यथा देवदत्त (जो धन के लिए तीन वर्ष तक मूर्ति पूजा करता है), पाप के पुरोहित, सोमपाना विप्रवर्ता को स्पर्श करने से वन्य-स्मृतिमान सहित स्नात करना पड़ता था। चौथा कारण है कुछ परिधि-तियों में पड़ जाना, यथा रजस्वला स्त्री के स्पर्श, पुत्रोत्पन्न होने के दस दिन की अवधि में स्पर्श, युक्त में स्पर्श, राक्षसों आदि से वस्त्र सहित स्नात करना पड़ता था (मनु ५।८५)। अशुद्धता का पाँचवाँ कारण है श्लेष्मन्त या कुछ किण्वत् रोगों का निवास होना। इनके अनिश्चित स्मृतियों के अनुसार कुछ ऐसे श्राद्ध जो यथा व्यवसाय करने थे, अशुद्ध माने जाने थे, यथा कूर्वन (मागुआ), मृगयु (मृग मारनेवाला), व्याप (गिजारो), गोविन (पनाई), माहुनिक (जहाँ पड़ने वाला या बहलिया), घोषी, जिन्हें घृने पर स्नात करके ही भोजन किया जा सकता था।

अशुद्धता-सम्बन्धी जो विषय बने थे, वे किसी जाति-सम्बन्धी विद्वेष के प्रतिफल नहीं थे, प्रत्युत जो गौष्ठे मनीर्वैजातिका या पामित्त धारणाएँ एक-स्वधरता-सम्बन्धी विचार थे, जो मोक्ष के लिए परम आवश्यक माने गये थे, क्योंकि अन्तिम घुटकारे (मोक्ष) के लिए शरीर एवं मन में पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। आश्वलायन (१।५।१।५।१९), यजुष् (२।३।३३), विष्णु (२।२।६९) एवं बृहदारण्यक (१।१।६९-१०२) ने कृत्तों के स्वर्ग

२. पद्मिनाम्नान्—बौद्धान् पागुणान्शौच मोक्षप्रतिपत्तित्वात् । विप्रमंथान् द्विजान् स्पृष्ट्वा तत्संगो जलमाश्लिषेत् ॥ अथराजं, पृ० ९२३, स्मृतिसं० १, पृ० ११८; मिता० (पाठ० ३।३०) ने ब्रह्महत्यापुत्रान् से उद्धृत किया है, देहिण् बृहदारण्यक १।३।५९, १९३, १९४; पालिपर्व ७६।६, ब्राह्मण्यका देवदत्ता शालाना कामयाजकः ॥ एते ब्रह्महत्यापुत्राणां महापवित्रपरिध्याः ॥ काशाकुपुत्रसंगोऽप्यन्विष्यत्तत्कारिणम् ॥ महापवित्रसंघं स्पृष्ट्वा तत्प्रायासयेत्तन्मनु ॥ बृहदारण्यक (अथराजं ३।३।३३, पृ० ९२३) ।

३. स्वधर—इत्थान् स्वधरं प्रेक्षन् वैश्वदेव्यैरर्जिभिरं प्रामयाजकं गोमविर्षयिषं घृणं विनिश्चयत् . . . तत्संगं रजसवलां महापवित्रं शरं स्पृष्ट्वा तत्संगमाशौ चान्द्रोलीप्यान्विष्यत्पापुन्य मायशय्यत्तान् जपेत् घृणं प्रायेण पूनः तत्पत्न्या विराधायेत् ॥ मितासत, पाठ० ३।३० एवं अथराजं, पृ० ९२३ ।

४. कर्त्तव्यमशुद्धतापणीनिष्ठात्पिकात्तयि । स्वधरं च तया स्पृष्ट्वा तत्प्रायासमाचरेत् ॥ तंघनं (अथराजं, पृ० ११९६) ।

तथा कुछ वनस्पतियों या ओषधियों के स्पर्श पर स्नान की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२।४।१।५) ने लिखा है कि वैश्वदेव के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह चाण्डालों, कुत्तों एवं बौधों को भोजन दे। यह बात आज भी वैश्वदेव की समाप्ति के उपरान्त पायी जाती है। प्राचीन हिन्दू लोग अस्वच्छता से भयाकुल रहा करते थे, अतः कुछ व्यवसायों का यथा शास्त्र देने, चर्मभोग्य, श्मशान रक्षा आदि की बुरे एवं अशुभ व्यवसायों में गिनते थे। इस प्रकार का प्यक्त्व बुरा नहीं माना जा सकता। अस्पृश्यता के भीतर जो मान्यता एवं धारणा पायी जाती है, वह मात्र धार्मिक एवं क्रिया-सम्कार-अशुभधी है। हिन्दू के घर में धार्मिक-धर्म के समय माता, बेटी बहिन स्त्री पतीहू आदि सभी अस्पृश्य मानी जाती है। सूतक के समय अपना परम प्रिय मित्र भी अस्पृश्य माना जाता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र का भी, जिसका यज्ञोपवीत न रिया गया हो, भोजन करने के समय स्पर्श नहीं करता। प्राचीन काल में बहुत-से व्यवसाय समाजानुक्रमिक थे, अतः भ्रमण यह विचार ही धारण करना चला गया कि वे लोग, जो ऐसी जाति के होते हैं जो गन्दा व्यवसाय करती है, जन्म से ही अस्पृश्य है। आज तो स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि चाहे कुछ जातियाँ के लोग गन्दा व्यवसाय करें या न करें, जन्म से ही अस्पृश्य माने जाते हैं। आरचय है। किन्तु पहले यह बात नहीं थी। आदि का यह व्यवसाय से लोग स्पर्श या अस्पृश्य माने जाते थे। यह बात कुछ सीमा तक मध्यकाल में भी पायी जाती थी, क्योंकि स्मृतिकारों में इस विषय में मतभेद नहीं पाया जाता। प्राचीन धर्मसूत्रों में केवल चाण्डाल को ही अस्पृश्य माना है। गौतम (४।१५ एवं २३) ने लिखा है कि चाण्डाल ब्राह्मणों से दूध द्वारा उत्पन्न सन्तान है अतः वह प्रतिक्रमों में अत्यन्त गृहीत प्रतिक्रम है। आपस्तम्ब (२।१।२।८-९) ने लिखा है कि चाण्डालस्पर्श पर तद्वत् स्नान करना चाहिए, चाण्डाल-समापण पर ब्राह्मण में दात कर लेनी चाहिए, चाण्डाल-दंशन पर शूयं या चन्द्र या तारो को देख लेना चाहिए। मनु (१०।३६ एवं ५१) ने केवल अन्न, मेद, चाण्डाल एवं श्वपन को गोव के बाहर तथा अन्त्या-वसायी को श्मशान में रहने का कहा है। इससे स्पष्ट है कि अन्य जिन जातियाँ गोव में रह सकती थीं। अपराकं द्वारा उद्धृत हारित का वचन यों है—यदि किसी द्विजाति का कोई अंग (सिर को छाडकर) रगेर, मोषी, सिकारी, मछुआ, घोषी, बसाई, नट, अभिनेता जाति के किसी व्यक्ति, तेली, कलवार (सुराजीवी), जल्लाद, प्राण्य सूकर या भुरगा, कुत्ता से छू जाय तो उसे उस अंग को धोकर एवं जलाचमन करके पवित्र कर लेना चाहिए। मनु (१०।१३) की व्याख्या में मेधातिथि का स्पष्ट कहना है कि प्रतिक्रमों में केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है, अन्य प्रतिक्रमों, यथा सूत, मागध, आयोग्य, बँदेहक एवं क्षात्ता के स्पर्श से स्नान करना आवश्यक नहीं। यही बात बुद्धक में भी पायी जाती है। मनु (५।८५) एवं अगिरा (१।५२) ने दिवाकीर्ति (चाण्डाल), उदक्या (रजस्वला), पतित (पाप करने पर जो निष्कामित हो गया हो या कुजालि में आ गया हो), सूतिका (पुत्रोत्पत्ति करने पर नारी), दाव और दाव को छू लेनेवाले को छूने पर स्नान की व्यवस्था की है। अतः मनु के मत से केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है। किन्तु कालान्तर में अस्पृश्यता ने कुछ अन्य जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ कट्टर स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक ग्लित दिया कि दाद के स्पर्श से द्विजों को स्नान कर लेना चाहिए।

‘अस्पृश्य’ शब्द का प्रयोग विष्णुधर्मसूत्र (१०४) एवं कात्यायन ने किया है। चाण्डालों, श्लेच्छों, पारसीकों को अस्पृश्यों की श्रेणी में रखा गया है, यह बात उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गयी होगी। अत्रि (२।७-२।६९) ने लिखा है कि यदि द्विज चाण्डाल, पतित, श्लेच्छ, सुरापात्र, रजस्वला को स्पर्श कर ले तो (उसे बिना स्नान किये) भोजन

५. यथा चाण्डालोपस्पर्शने संभाषायां दशनं च दीपस्तत्र प्रायश्चित्तम् । अथगाहनमपामुपस्पर्शने संभाषामां ब्राह्मणसभाषणं दशनं ज्योतिषां दशनम् । आपस्तम्ब २।१।२।८-९।

नहीं करना चाहिए, यदि मोक्ष करने समय स्वर्ग हो जाय तो भोजन करना बन्द कर देना चाहिए और भोजन को पंचरत्न स्नान कर लेना चाहिए।' बात करने के विषय में विष्णुधर्मसूत्र (२२ एव ७६) को देखिए। आज्ञात्मक अन्वयता में श्लेष्ठा, पौत्रियों, वीर्य का काम करने वालों (धरतारों), मन्त्राहो, नदों को कुछ प्रांतों में अस्पृश्य नहीं माना जाता। यही बात मेघार्तिष्य एव कुन्लून के समय में पायी जाती थी।

विभेद की भावना एवं मन्त्रारोपित पवित्रता की धारणा में अन्वयता एव कुछ हीन जातियों को अस्पृश्य बना डाला। प्राचीन स्मृतियों में यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि चाण्डालों को छाया अपवित्र मानी जाती रही है। मनु और विष्णुधर्मसूत्र (२३।५२) ने लिखा है कि मस्त्रियों, होड़ की बूड़ों, (मनुष्य की) छाया, गाम, अरव, सूर्यकिरण, पुत्र, पुत्रियों, हवा एवं अग्नि का पवित्र मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१३) एव मार्कण्डेयपुराण (३।५।२१) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (४।१३०) ने लिखा है कि किसी देवता, अपने गुरु, राजा, स्नातक, अपने अध्यापक, भूरी गाम, वेदाध्यायी की छाया को जान-बूझकर पार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चाण्डाल की छाया की कोई चर्चा नहीं हुई है। मनु एव याज्ञवल्क्य ने यह नहीं लिखा है कि चाण्डाल की छाया अपवित्र है। अपराहं ने एक श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्थ यह है कि चाण्डाल या पतित को छाया अपवित्र नहीं है। आगे चलकर क्रमशः कुछ स्मृतियों में चाण्डाल की छाया को अपवित्र मान लिया और ब्राह्मण को छाया-स्पर्श से स्नान करना आवश्यक माना गया। मिता-धरा (याज्ञ० ३।३०) ने ब्यासप्रसाद का श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है कि यदि चाण्डाल या पतित शाय भी पृष्ठ में बराबर की दूरी पर आ जाय तो हम स्नान करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात बृहस्पति ने भी कही है।*

याज्ञवल्क्य (१।१९४) ने लिखा है कि यदि मंडक पर चाण्डाल चले तो वह चन्द्र तथा सूर्य की चिरणों एवं हवा से पवित्र हो जाती है। उल्लाने (१।१९७) पुत्र लिखा है कि यदि जनमांग या बच्चे भवन पर चाण्डाल, बुत्तों एवं बौए आ जायें तो उसकी मिट्टी तब जल हवा के स्पर्श से पवित्र हो जायेंगे। इस प्रकार के नियमों से स्पष्ट है कि स्मृतियों में जनमांग-आश्रय प्रतिकल्प तत्संयुक्त ही न, मन्त्राहार के बाह्यता तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों की भाँति वे बंदी नहीं हैं। मन्त्राहार में उच्च वर्णों एवं अस्पृश्यों के पृथक्-पृथक् मार्ग रहे हैं।

स्मृतिारण्य ने कुछ जातियों की अस्पृश्यता के विषय में सामान्य नियमों में अपवाद भी बतलाये हैं। अत्रि (२।४९) ने लिखा है कि मन्दित्र, देवस्थान, विवाह, यज्ञ एवं सभी उत्सवों में किसी अस्पृश्य का स्पर्श अस्पृश्यता का द्योतक नहीं हो सकता। यही बात सायणनर, बृहस्पति आदि ने भी कही है। स्मृत्यर्थसार ने उन स्थानों के नाम गिनाये

६. चाण्डाल पतिर्न श्लेष्ठा मघभाष्ट रजावृत्ताम् ॥ द्विज. स्पृष्ट्वा म भुञ्जीत भुञ्जानो यदि तत्सुयोत् ॥ अतः पर न भुञ्जीत स्वकृपात्र स्नानमाचरोत् ॥ अत्रि २।७-३६९ (आनन्दाश्रम संस्करण)।

७. यानु छायां स्वकारय बाह्यतो ह्यपिरोहति ॥ तत्र स्नानं प्रकुर्वीत पुन प्राण्य विनाशयति ॥ अत्रि २।८-२८९, अंगिरा, याज्ञ० ३।३० में मिताधरा द्वारा उद्धृत, अपराहं, पृष्ठ ९२३; अपराहं (पृ० ११९५) में एता श्लोक आगत्य का कही है। श्रीशतसाम्नि ने भी यही बात कही है। सूर्य का द्विपुत्रं चैव त्रिपुत्रं च चतुर्मुपात् ॥ चाण्डालमुनि-शौरव्यापनिनामय-कमान् ॥ बृहस्पति (याज्ञ० ३।३० पर मिताधरा की व्याख्या में उद्धृत); स्मृतिरूपनिशौरव्याप-इन्द्रात्मक चतुर्पुत्रः ॥ यथात्र पतिर्वेदेवद्विजिघृषुपुत्रं ॥ ब्यास (स्मृतिचरित्र, भाग १, पृष्ठ १७ में उद्धृत)।

८. देव्यानादिवाहोत् यतःप्रत्येकं च ॥ उत्सवेषु च तत्रैव स्पृष्ट्वापृष्टिर्न विद्यते ॥ अत्रि २।४९। छाये तु यत्र तानुद्विष्यायां बह्वहसिषुः ॥ सामान्यवर्णो चैव स्पृष्ट्येवो न विद्यते ॥ आनातप (स्मृतिचरित्र, भाग १, पृ० ११९ में उद्धृत)।

हैं जहाँ छुआछूत का कोई भेद नहीं माना जाता—मग़ाम म, हाट (बाज़ार) के मार्ग म, धार्मिक जुलूसों, मन्दिरों, उत्सवों, यज्ञों, पूत स्थलों, आपसियों में, ग्राम या देश पर आक्रमण होने पर, बड़े जलानाय के किनारे, महान् पुरुषों की उपस्थिति में, अचानक अग्नि लग जाने पर या महान् विपत्ति पढ़ने पर स्वर्गार्पण पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्मृत्यर्थसार ने अस्पृश्यों द्वारा मन्दिर प्रवेश की बात भी लिखी है, यह आश्चर्य का विषय है।

विष्णुधर्मसूत्र (५।१०४) के अनुसार तीन उच्च वर्णों का स्पर्श करने पर अस्पृश्य को पीटे जाने का दण्ड मिलता था। विन्तु याज्ञवल्क्य (२।२३४) ने चाण्डाल द्वारा ऐसा किये जाने पर केवल १०० पण के दण्ड की व्यवस्था की है। अस्पृश्यों के कुओं या बरतनों में पानी पीने पर, उनका दिया हुआ वना-वराया या बिना पकाया हुआ भोजन ग्रहण करने पर, उनके साथ रहने पर या अछूत नारी के साथ समाग करने पर धुँडि और प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है, जिसे हम प्रायश्चित्त के प्रकरण में पढ़ेंगे।

तथाकथित अछूत लोग पूजा कर सकते थे। जब यह कहा जाता है कि प्रतिलोम लोग धर्महीन हैं (याज्ञ० १।१३, गौतम ४।१०) तो इसका तात्पर्य यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक क्रिया-मस्तर नहीं कर सकते, वास्तव में वे देवताओं की पूजा कर सकते थे। निर्णयसिन्धु द्वारा उद्धृत देवीपुराण के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि अत्यज लोग मैरव का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण (१०।७०) में आया है कि अत्यावमायी लोग हरि के नाम या स्तुतियों को सुनकर उनके नाम का कीर्तनकर, उनका ध्यान कर पवित्र हो सकते हैं, विन्तु जो उनकी मूर्तियों को देखें या स्पर्श करें वे अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो सकते हैं। दक्षिण भारत में आलवार वैष्णव सन्तों में तिरुप्पाण आलवार अछूत जाति के थे और मम्मालवार तो बेल्लाल थे। मिनाक्षरा (याज्ञ० ३।१६२) में लिखा है कि प्रतिलोम जातियाँ (जिनमें चाण्डाल भी सम्मिलित है) व्रत कर सकती हैं।*

स्वतन्त्र भारत में अन्य सामाजिक प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के साथ अस्पृश्यता के प्रश्न का भी समाधान होता जा रहा है। महात्मा गान्धी के प्रयत्न के फलस्वरूप हरिजनता को राजनीतिक मुविधारें प्राप्त हुई हैं। आज उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा है। राजकीय कानूनों के बल पर हरिजन लोग मन्दिर-प्रवेश भी कर रहे हैं। आना भी जानी है कि कुछ वर्षों में अस्पृश्यता नामक कलक भारत देश में मिट जायगा।

१. सधामे हृद्भारो अ धात्रारेवगृहेषु च। उत्सवश्चतुतीयेषु विप्लवे धामदेशयो ॥ मृदाजलसमीपेषु मृदाजन-
वरेषु च। अस्पृश्यान्ते महाएतन्तु स्पृष्टास्पृष्टिनं कुप्यति ॥ प्राप्यकारीन्द्रिय स्पृष्टमस्पृष्टि द्विबतरेन्द्रियम्। तपोश्च विषय
प्राप्तु स्पृष्टास्पृष्ट्यभिप्रायत ॥ स्मृत्यर्थसार, पृ० ७९।

१०. अत एत्रीन्द्रयो प्रतिशोमजानां अ प्रेशिंरवद् व्रताधिपार इति सिद्धम्। यत्तु गौतमवचन प्रतिलोमा
धर्महीना इति, तत्पुनतयनारिबिदिष्टधर्माभिप्रायम्। मिनाक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।२६२)।

बध्याय ५ दासप्रथा

युगसंगीत मन्त्री देगा और तत्सम्बन्धित उद्देश एक मन्त्र राट्ट) के सामाजिक तथा अधिष्ठित जीवन में दासप्रथा का युगसंगीत एक स्थायी प्रथा के रूप में प्रस्तुत था। यद्यपि मिस्र, यूनान, रोम तथा अन्य युरोपीय राट्ट) में दासप्रथा पाया जाता था।^१ दृष्टान्त एक समय तक अमेरिका में दासों के व्यापार में अन्तर्भावितता का उद्देश्य उद्घाटन। उद्घाटित कर दिया। दृष्टान्त समाज साम्य आचार साम्य मानव साम्य आदि सामाजिक विधियों के विघ्नता में यह बात सिद्ध नहीं है कि अन्त के अन्ति मन्त्र कान्ठवा ईगार्ड एक दृष्टान्त एक अमेरिका में दासों के व्यापार द्वारा मानवता का हनन युगा का विधा। वे बनी न्यायता के साथ अन्तीत के मूत्र विधाविगत का उद्घाटन में मन्त्र-अन्तरक यन्त्र-अन्तरक और मानव एक यन्त्रा में ताम करने के लिए उद्घाटन विधा विधा। अधिष्ठित वे उद्घाटन मन्त्री मन्त्र जात के और जो बन्धु उद्घाटन यन्त्रा के समाप्त तथा जाता था। अधिष्ठित यन्त्र में दासता का यह उद्घाटन मन्त्र मानवता का बन्धु है। आचार का यह है कि समाज की एक प्रथा पर समीक्षा के धर्माचारणी राट्ट) ने राजकीय मूत्र द दासों और यन्त्र अन्तर्गत यह है कि राट्ट) एक उद्घाटन आधुनिक ईगार्ड यन्त्र के बन्धु-यन्त्र के उद्घाटन के विधा के धर्माचारण एक धर्माचारण दास। मन्त्रिणिय के इस प्रथा का मानवता की।^२ विधि राज में मन्त्र १८३३ में यन्त्रा विधि अन्तर्गत मन्त्र १८४३ में दासप्रथा के विघ्न नियम स्वीकृत हुए।

हमारे बन्धु यन्त्रों को देना विधा है कि अन्तर्गत का 'दास' दास अन्तर्गत के मन्त्रा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह मन्त्र है कि जब दास ताम यन्त्रिणिय हानन बन्धी है। यह ता के युगम के रूप में परिष्कृत है। यन्त्र के बन्धु यन्त्रा में दासप्रथा की मानव विधा २, ३, ४ मन्त्र एक का यन्त्रा एक मन्त्र उद्घाटन मन्त्र और एक मन्त्र दासों की भेद

१. प्रारम्भिक मन्त्रों द्वारा दासप्रथा (युगसंगीत की प्रथा) जीवन का एक विधा एक स्वीकृत ताम यन्त्रा जाता था और तब हमें कोई मन्त्रिणिय मन्त्रा नहीं उद्घाटन हुई थी। यद्यपि मन्त्र की मुम्बे मन्त्रिणिय में दासता एक स्वीकृत मन्त्रा मानवी जाती थी, जैसा कि ईगार्ड-यन्त्रों की यन्त्रिणिय के मुम्बे विधा में यन्त्रा घनता है। देना, इनसाइक्लोपीडिया आर साम्य मन्त्रिणिय, भाग १४, पृ० ७४।

२. 'This system of slavery, which at least in the British Colonies and slave states surpassed in cruelty the slavery of any pagan country ancient and modern, was not only recognised by Christian Governments, but was supported by the large bulk of the clergy, Catholic and Protestant alike. Vide 'Origin and Development of the moral ideas' Vol. I, p. 711 (1912) by Westermarck

दी" (ऋ० ८।५६।३) । इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।^१ नैतिगीय महिता (२।२।६।३; ७।५।१०।१) एवं उपनिषदों में भी दामियों की चर्चा है।^२ ऐतरेय ब्राह्मण (३०।८) में आया है कि एक गजा ने राज्याभिषेक करानेवाले पुरोहित को १०,००० दामियाँ एवं १०,००० हाथी दिये। कठोपनिषद् (१।१।२५) में भी दामियों की चर्चा है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२३) में आया है कि जनक ने पाप्मन्वच्य से ब्रह्मविद्या मील लेने के पश्चात् उनमें कहा कि "मे विदेहो के माथ अपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हूँ।" छान्दोग्योपनिषद् में आया है—"इमं समारं मे लोग गायो एवं घोडो, हाथियों एवं मोने, पत्नियों एवं दासियों, गेतो एवं घरों को महिमा कहते हैं (७।२।६।२)।" इमी प्रकार छान्दोग्योपनिषद् के ५।१।३।२ तथा बृहदारण्यकोपनिषद् के ६।२।७ में भी दामिया की चर्चा है। उन चर्चाओं में पना चरना है कि वैदिक काल में पृथक् एवं नागियों का दान हुआ करता था और भेटस्वरूप दिय गये लोग दास माने जाते थे।

यद्यपि मनु (१।२।१ एवं ८।६।१३ एवं ६।६) ने आदेशित किया है कि दूद्रों का मुख्य वनध्य है उच्च वर्णों की सेवा करना किन्तु इसमें यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि शत्रु दास हैं। जैमिनि (६।७।६) ने दूद्र के दान की आज्ञा नहीं दी है।

गृह्यसूत्रों में माननीय अनियमों के चरण धोने के लिए दामों के प्रयोग की चर्चा हुई है, किन्तु स्वामी को दामों के माथ मानकीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१।११) में आया है कि अचानक अनियम के आ जाने पर अपने को, स्त्री या पुत्र को भूषा रखा जा सकता है, किन्तु उस दाम को नहीं, जो सेवा करता है। महाभारत में दासों एवं दामियों के दान की प्रसूत चर्चा हुई है (गभाषर्व ५।२।६५, वनपर्व २३।३।४३ एवं विराटपर्व १।८।२१ में ८८००० स्नानश्री में प्रत्येक स्नानक के लिए ३० दामियों के दान की चर्चा है)। वैश्व ने अत्रि को एक महत्प्र सुन्दर दासियाँ दी (वनपर्व १८५।३४; द्रोणपर्व ५७।५-९)। मनु (८।२।९९-३००) ने शारीरिक दण्ड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है।

मेगस्थनीज ने दामत्व के विषय में चर्चा नहीं की है। वह अपने देश यूनान के दामों में भ्रष्टी भ्रानि परिचित था, अतः यदि भारत में उन दिनों, अर्थात् ईसापूर्व चौथी शताब्दी में, दामों की बहुलता होती तो वह भारतीय दामों की चर्चा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते (देविए मैर्रिडिज, पृ० ७१ एवं स्ट्रैबो १५।१।५४)। किन्तु उन दिनों दास थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। असोक ने अपने नवें गिल्याभिलेख के प्रजापत में दासों एवं नौकरों की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३।१३) में दामों की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के

३. दातं मे गर्वभानां दातमूर्णावतीनाम् । दातं दासां अति ध्रजः ॥ ऋ० ८।५६।३; यो मे हिरण्यसद्वदो वदा रामो अमंहत । अपस्पवा इचवैजस्य वृष्ट्यवधमन्ता अभितो जनाः ॥ ऋ० ८।५।३८; अदानो पौरुत्रयः पावानां प्रसदरसुवैपुनाम् । ऋ० ८।१९।३६।

४. उबकुम्भानयिनिपाय दास्यो मार्जालीयं परिनुस्यन्ति पवो निष्पतीरिदं मए गायत्र्यो मधु वं वेदानां परम-मन्नाष्टम् । तं० सं० ७।५।१०।१; आत्मनो वा एष मात्रामाप्नोति यो उभयावदप्रतिगुस्त्यस्यं वा पुण्यं वा बंदवानं द्वाद्वाजपालं निर्वपेदुजयावदप्रतिगुह् । तं० सं० २।२।६।३; सोहं भगवते विदेह्यन् ब्रह्मि मां चापि सह दास्याम् । बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२३; गो-अश्वमिह महिमेत्याद्यभते हस्तिहिरण्यं दास्यार्थं क्षेत्राध्यायतनानीति । छान्दोग्यो-पनिषद् ७।२।४।२।

विषय में वर्णन है।^१ कौटिल्य ने कई प्रकार के दामो का वर्णन किया है, यथा—ध्वजाहृत (युद्ध में बन्दी), आत्म-विक्रयी (अपने को बेचनेवाला), उदरदाम (या गमंदाम, जो दास द्वारा दासी से उत्पन्न हो), आहितिक (ऋण के कारण बना हुआ), दण्डप्राप्तित (राजदण्ड के कारण)। मनु ने सात प्रकार के दामो का वर्णन किया है, यथा—(१) युद्धबन्दी, (२) भोजन के लिए बना हुआ, (३) दासीपुत्र, (४) सरीसा हुआ, (५) माता या पिता द्वारा दिया हुआ, (६) बन्दीयत में प्राप्त, (७) राजदण्ड भुगतान के लिए बना हुआ (मनु ८।४।१५)।

नारद (अभ्युपेत्यासुधुषा) एक ब्राह्मण ने दासत्व के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। नारद ने दामुधर (जो दूसरे को सेवा करता है) को पाँच वर्गों में बाँटा है—(१) वैदिक छात्र, (२) अग्नेवासी (नवसिग्गुण), (३) अपिचर्महृत् (मिट या काम करनेवालों को देखनेवाला), (४) मूत्र (नौर, बेतन पर काम करनेवाला) एक (५) दाम। इनमें प्रथम चार को कर्मकर कहा जाता था और वे सभी पवित्र कामों को करने के लिए बुलाये जाते थे। किन्तु दासों को सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, यथा घर बहारना, गन्धे गड़्ढो, मार्ग, गोबर-स्पृशो को स्पृष्ट करना, पशुांगो को गुजलाना या स्पर्श करना, मलमूत्र पँचना आदि (श्लोक १।७)। नारद ने दासों के १५ प्रकार बताये हैं, यथा (१) घर में उत्पन्न, (२) सरीसा हुआ, (३) दान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त, (४) बन्दीयत में प्राप्त, (५) अकाल में रहित, (६) किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिभूत, (७) बड़े ऋण से मुक्त, (८) युद्धबन्दी, (९) बाजी में विजित, (१०) 'मै आपका हूँ' कहकर दासत्व प्रपन्न करनेवाला, (११) गन्यास से च्युत, (१२) जो अपने में कुछ दिनों के लिए दाम बने, (१३) भोजन के लिए बना हुआ, (१४) दासी के प्रेम से प्राकृत्य दाम (बहवाहृत) एक (१५) अपने को बेल देनेवाला।

नारद (श्लोक ३०) एक याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह बताया है कि यदि वे अपने स्वामी को किसी आसन प्राणलेवा बठिनार्थ में बचा लें तो वे छूट सकते हैं और (नारद ने जोड़ दिया है) पुत्र भी प्राप्ति बन्दीयत में माग या मकने है। गन्यासपतित व्यक्ति राजा का दाम होता है (याज्ञ० २।१८३)। याज्ञवल्क्य (२।१८३) तथा नारद (३२) के मत में बन्धों के अनुसार ही दाम बन सकते हैं, यथा ब्राह्मण के प्रतिरिक्त तीनों वर्ग ब्राह्मण के, वैश्य या शूद्र क्षत्रिय के दाम हो सकते हैं, किन्तु क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र का या वैश्य शूद्र का दाम नहीं हो सकता।^२ शास्त्रायन के अनुसार ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का भी दाम नहीं हो सकता, किन्तु यदि वह होना ही चाहे तो किसी धर्तव्यवान् एक वैदिक ब्राह्मण का ही, और वह भी केवल पवित्र कार्य करने के लिए हो सकता है। ब्राह्मण ने यह भी लिखा है (७२१) कि गन्यास-च्युत ब्राह्मण को राज्य से निजाल बाहर करना चाहिए, किन्तु गन्यास-अप्ट क्षत्रिय एक वैश्य व्यक्ति राजा का दाम होता है। दस (७।१३) में तो यह भी लिखा है कि गन्यास-च्युत ब्राह्मण ने मानव पर कुत्ते के वीर का बिल्लू अहित कर देना चाहिए।

कौटिल्य (३।१३) एक ब्राह्मण (७२३) के अनुसार यदि स्वामी दासी में सैद्युन करे और मन्ताकोलति हो जाय तो दासी एक पुत्र को दासत्व से छूटकारा मिल जाता है।

स्यवाहारमनुष (१० १।१४) में आया है कि यदि गोद लिये गये व्यक्तियों के शूद्राकरण एवं उपनयन सम्भार

५. श्लोकानामरौतः प्रजा विच्छेदुमायानु का । न श्लेबादंस्य दामधायः । कौटिल्य ३।१३ ।

६. इतन्त्रायामन्त्री दाराद् दामार्थं दामवद् भुगु । त्रिपु वग्नेपु विच्छेदं दामार्थं विपश्य न कश्चित् ॥ बर्जातयानु-लीम्येन दामार्थं न प्रतिभोजन- । अरारत् (१० ७८९) द्वारा उद्धृत ब्राह्मणयन; निम्नारु नारद (अभ्यु० ३९) ।

गोद लेनेवाले के गोत्र के अनुसार हुए हो तो वे गोद लेनेवाले के पुत्र होते हैं, अन्यथा ऐसे लोग गोद लेनेवाले के दास होते हैं।

नारद (श्रृणादान, १२) एव कात्यायन ने पापित किया है कि किसी वैदिक छात्र शिक्षार्थी, दाम, स्त्री, गौवर या कर्मकर (मजदूर) द्वारा अपने कुटुम्ब के मरण-शोषणार्थ लिया गया धन गृहस्वामी को देना चाहिए, मले ही यह धन उसकी अनुपस्थिति में ही क्यों न लिया गया हो।

मनु (८।७०) एव उशना ने अन्य गृहार्थी के अभाव में दासार्थि, बूढ़े आदमी, स्त्री, छात्र, सगे सम्बन्धी, दास एव नौकर को भी गवाह माना है।

अध्याय ६ संस्कार

'सम्भार' शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, किन्तु 'सम्' के साथ 'हृ' धातु तथा 'ससृत्' शब्द बहुधा मिल जाते हैं। ऋग्वेद (५।७६।२) में 'ससृत्' शब्द धर्म (बरतन) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा "देवो अश्विन्यु पवित्र हृए बरतन को दानि नही पहुँचाते।" ऋग्वेद (६।२८।४) में 'ससृत्त' तथा (८।३९।९) 'रपाम ससृत्त' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सतपथ-शास्त्र में (१।१।४।१०) आया है—'म इद देवेभ्यो हवि ससृक सामु ससृत्त ससृकुरित्ये-वेतादाह।' पुनः यही (३।२।१।२२) आया है—'तस्मादु स्त्री पुमास ससृते निष्कन्तमभ्येति', अर्थात् 'अतः स्त्री किसी ससृत्त (सुसृष्टि) घर में गये पुरुष के पास पहुँचती है' (देगिए इसी प्रकार के प्रयोग में वाङ्मनेयी संहिता ४।३४)। छान्दोग्योपासनिषद् में आया है—'तस्मादेव एव यजन्तस्य मनस्य वाक् ष वर्तिनी। तयोत्पत्तया मनसा सम्भरोति ब्रह्मा वाचा हृता' (४।१६।१-२), अर्थात् 'उस यज्ञ की दो विधियाँ हैं, मन में या वाणी में, ब्रह्मा उनमें से एक को अपने मन से बनाता या चमराता है।' जैमिनि के सूत्रों में सम्भार शब्द अनेक बार आया है (३।१।२, ३।२।१५; ३।८।३; ९।२।९; ४२.४४, ९।३।२५, ९।४।२३, ९।४।५० एवं ५४, १०।१।२ एवं ११ आदि) और सभी स्थलों पर यह यज्ञ के पवित्र या विमल नाम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्योम यज्ञ में सिर के बेल भूँड़ने, दाँत स्वच्छ करने, नागून बटाने के अर्थ में (३।८।३), या मोक्षण (जट छिन्नने) के अर्थ में (९।३।२५), आदि। जैमिनि के ६।१।२५ में 'सम्भार' शब्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ३।१।३ की व्याख्या में शबर ने 'सम्भार' शब्द का अर्थ बताया है कि "सम्भारो नाम न भवति यस्मिन्नात्ने पदार्थो भवति साम्यं कुर्यादित्यर्थः", अर्थात् सम्भार वह है जिससे होने से बाद पदार्थ का व्यक्तित्व किसी नाम के लिए योग्य हो जाता है। सत्रवर्तिन के अनुसार "योग्यता पारंपारिका क्रियाः सम्भारो ह्यनुष्णो", अर्थात् सम्भार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है: धार-संचित में उत्पन्न योग्यता तथा मवीत कृषो में उत्पन्न योग्यता। सम्भारों में नवीन कृषो की प्राप्ति तथा तार में धारों या दोगों का मार्जन होता है। शौरिमिश्रोदय ने सम्भार की परिभाषा यों की है—यह एक विष्णुश्रम योग्यता है जो साम्यवर्तिता क्रियाओं के करने में उत्पन्न होती है। यह योग्यता दो प्रकार की है—(१) क्रिमके द्वारा व्यक्त अन्य क्रियाओं (यथा उपनयन सम्भार में वेदाध्ययन आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है, तथा (२) दोष (यथा ज्ञानधर्म सम्भार में दोष एवं गर्नागय का दोष मान्य होता है) में मुक्त हो जाता है। सम्भार शब्द सूक्तयुगा में नहीं मिलता (वेदान्त में मिलता है), किन्तु वह धर्मयुगा में आया है (देगिए लौक्यधर्मयुग ८।८; भाष्यसम्प्रथमयुग १।१।१।९, एवं ब्रह्मसम्प्रथमयुग ४।१)।

सम्भारों के विवेचन में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे—सम्भारों का उद्देश्य, सम्भारों की श्राद्धिकता, सम्भारों की शक्त, अन्वेष सम्भारों की विधि तथा वे व्यक्तित्व जो उन्हें कर सकते हैं एवं वे व्यक्तित्व जिनके लिए वे विधि जाते हैं।

सम्भारों का उद्देश्य—सम् (२।०-३-८) के अनुसार द्विजातियों में श्राद्ध-रीति के बीच एवं धर्माध्यय के दोषों की क्षमता-नाशक के हान तथा ज्ञानधर्म (ज्ञान के सम्यक के सम्भार) में, शौच (सुष्ठव सम्भार) में तथा भूँड़

की मेलला पहलने (उपनयन) मे दूर किया जाता है। वेदाध्ययन, व्रत, होम, वैविध व्रत, पूजा, मन्त्रानुत्पत्ति, पञ्चमहायज्ञो तथा वैदिक यज्ञो से मानवशरीर ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।१३) का मत है कि संस्कार करने से बीज-गर्भ से उत्पन्न दोष मिट जाते हैं। निबन्धकारो तथा व्याख्याकारो ने मनु एव याज्ञवल्क्य की इन बातों को कई प्रकार से बढ़ा है। संस्कारतत्त्व मे उद्धृत हारीत^१ के अनुसार जब कोई व्यक्ति गर्भाधान की विधि के अनुसार समोग करता है, तो वह अपनी पत्नी मे वेदाध्ययन के योग्य भ्रूण स्थापित करता है, पुंसवन संस्कार द्वारा वह गर्भ को पुरुष या नर बनाता है सीमन्तोन्नयन संस्कार द्वारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करता है, बीज, रक्त एव भ्रूण से उत्पन्न दोष जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूढाकरण एव समावर्तन से दूर होते हैं। इन आठ प्रकार के संस्कारो से, अर्थात् गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूढाकरण एव समावर्तन से पवित्रता की उत्पत्ति होती है।

यदि हम संस्कारो की सख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके उद्देश्य अनेक थे। उपनयन जैसे संस्कारो का सम्बन्ध था आध्यात्मिक एव सांस्कृतिक उद्देश्यो से, उनसे गुणसम्पन्न ब्यक्तियो से सम्पर्क स्थापित होता था, वेदाध्ययन वा मार्ग सुलता था तथा अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती थी। उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी था, संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नये जीवन^२ का आरम्भ करता था, जिसने लिए वह नियमो के पालन के लिए प्रतिभ्रुन होता था। नामकरण, अन्नप्राशन एव निष्क्रमण ऐसे संस्कारो का केवल लौकिक महत्त्व था, उनसे केवल प्यार, स्नह एव उत्सवो की प्रधानता भाव झलती है। गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन ऐसे संस्कारो का महत्त्व रहस्यात्मक एव प्रतीकात्मक था। विवाह-संस्कार वा महत्त्व था दो ब्यक्तियो का आत्मनिग्रह, आत्म-त्याग एवं परस्पर सत्याग की भूमि पर लक्ष्मण समाज को चलते जाने देना।

संस्कारों की कौटुंबिक—शरीर के अनुसार संस्कारो की दो कौटुंबिक हैं, (१) ब्राह्म एव (२) दैव। गर्भाधान ऐसे संस्कार जो केवल स्मृतियो मे वर्णित हैं, ब्राह्म कहे जाते हैं। इनको सम्पादित करनेवाले लोग श्रापियो के समकक्ष आ जाते हैं। पाण्ड्य (पक्ष्या हुए मानन की आटुतिर्या), यज्ञ (होमाहुतिर्या) एव सोमयज्ञ आदि दैव संस्कार कहे जात हैं। श्रौतमूया मे अन्तिम दो वा वर्णन पाया जाता है और उनका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे।

संस्कारों की सख्या—संस्कारो की सख्या के विषय मे स्मृतिकारो म मतभेद रहा है। गौतम (८।१४-२४) ने ४० संस्कारा एव आत्मा के आठ शील-गुणों का वर्णन किया है। ४० संस्कार ये हैं—गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण अन्नप्राशन, चौल, उपनयन (कुल ८), वेद के ४ व्रत, स्नान (या समावर्तन), विवाह, पञ्च महायज्ञ (देव, पितृ, मनुष्य, भूत एव ब्रह्म के लिए), ७ पाण्ड्य (अष्टवा, पार्ष्वण-श्यालीपाक, धाड, श्रावणी, अधिहायणी, चैत्री, आश्वयुजी), ७ द्विविध जिनम हाम होता है, विन्दु साम नहीं (अग्नधाधान, अग्निहाव, दर्शपूर्णमास, आशयण, श्रावु-मांस्य, निरुदपशुबन्ध एव सोप्रायणी), ७ सामयज्ञ (अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडगी, वाजपेय, अतिराव, अन्तार्याम)। शव एव मिताशरा (२।६) की सुबोधिनी गौतम की गव्या को मानते हैं। वैतानस ने १८ शारीर संस्कारा ४ नाम गिनाय है (जिनम उत्पान, प्रयासागमन, पिण्डवर्धन भी सम्मिक्त हैं, जिन्हे कही भी संस्कारो की बाटि मे नहीं गिना गया है) तथा २२ उमा का वर्णन किया है (पञ्च अर्द्धिक यज्ञ, सात पाण्ड्य, सात हविर्मेस एव सात

१ गर्भाधानवदुपेतो ब्रह्मणर्भं मध्यानि। पुमवज्जातपुसीवरानि। फलस्यापनाग्निमातापितृन् पाप्मानमपोहति।
 २ शरीरकायवापधान पञ्चगुणो जातकर्मणः। प्रथमस्योहति नामकरणेन द्वितीयां प्राशनेन तृतीयां चूढाकरणेन चतुर्थं स्नानेन पञ्चमवर्णश्राद्धाभि संस्कारं गौर्विद्यात् पुत्रो भवतीति। संस्कारतत्त्व (१० ८५७)।

सोमयज्ञ, यज्ञों पर आदिह्न कर। जो एव ही माना गया है वा कुछ मिलाकर २२ यज्ञ हुए। गृह्यसूत्रों, धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में अधिवास इतनी सखी सरना नहीं मिलती। अगिरा ने (सत्वात्मसूत्र एवं सत्वात्मसूत्र तथा अन्य विधाओं में उद्धृत) २५ सत्वार विनाय है। इनमें शौभ के गर्भाधान से लेकर पाँच आदिह्न यज्ञों (जिन्हें अगिरा ने पाँच सत्वार एवं ही सरवार गिना है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त अगिरा ने स्मृतियों में आश्रयण अथवा श्रावणों आरम्भपूर्वी, मार्गशीर्षी (आश्वहायणी के समान), पार्वण, उत्तरा एवं उत्तरा म को पाँच सत्वार म गिना है। क्या (१११४ १५) ने १६ सत्वार गिनाये है। मनु याज्ञवल्क्य विष्णुधर्मसूत्र १ वा २ मन्त्रा नहीं दी है प्रच्युत विधान (गर्भाधान) से समान (अन्वयेष्टि) तक के सत्वारों की ओर संकेत किया है। शौभ एवं वा २ गृह्यसूत्रों में अन्वयेष्टि को गिना ही नहीं है। विधाओं में अधिवास ने सोमह प्रमुत्त सत्वारों का गणना २१ है तथा—गर्भाधान पुत्रवा सीमाश्रयण विष्णुवलि, जातरमं नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, शौच, उपासन वेदत्रय चतुष्टय समाधान एवं विधाएँ। स्मृतिवर्धिका द्वारा उद्धृत जात्रार्थं म मे १६ सत्वार वर्णित है—गर्भाधान पुत्रवा सीमाश्रयण नामकरण, अन्नप्राशन, शौच, मोञ्जी (उपनयन), वत (४), मोक्ष, समाधान विधाएँ एवं अन्वयेष्टि। क्या की दी हुई ताकिरा से इसमें कुछ अन्तर है।

गृह्यसूत्रों में सत्वारों का वर्णन दो अनुपमा में हुआ है। अधिवास विधाएँ से आरम्भ कर समाप्ततक का पन्ने अत्र है। सिन्धुसंग्रहण माण्डानुसूत्र एवं मातृवाह्यसूत्र उपासन से आरम्भ करते हैं। कुछ सत्वार, यथा वृषभ एवं विदारम गृह्यसूत्रों में नहीं वर्णित हैं। ये कुछ बादान्तर वाली स्मृतियों एवं पुराणों में ही उल्लिखित हुए हैं। अब हम शौभ सत्वारों का अलि विधिपर विवरण उपस्थित करेंगे।

अनुभगमन—गणानम (१११) १ इस गर्भाधान में पृषत् सत्वार माना है। यह इस विधान में बहारा है (६१२) और इसका वर्णन ३१९ में करता है। गर्भाधान का वर्णन ३१० में हुआ है। गणानम ने सत्वारों का वर्णन निरव म आरम्भ किया है।

गर्भाधान (निवेर), चतुर्षोडश माहोद—मनु (२१२६ एवं २६), याज्ञवल्क्य (११०-११), विष्णुधर्मसूत्र (११२ एवं २३१) में निवेर को गर्भाधान व समान माना है। धास्तायागृह्यसूत्र (११२८-१९), पात्वारसूत्र-सूत्र (११११) तथा आरणासूत्रसूत्र (८१०-११) व मत में चतुर्षोडश मा मा चतुर्षोडश का किया वैसा ही पाती है। अत्र गर्भाधान में लयी जाती है तथा गर्भाधान के लिए पृषत् वर्णन नहीं पाया जाता। सिन्धुसंग्रहण-सूत्र (६१११) वाजसनेयसूत्र (३०१८), शौभ (८११८) एवं याज्ञवल्क्य (११११) में गर्भाधान दस का वर्णन पाया जाता है। वैशाख (३११०) व अनुसार गर्भाधान को सत्वार किया निवेर या चतुर्षोडश (मागिर प्रया व उपरान्त विधान अत्र व समाप्त) के उपरान्त की जाती है और वर गर्भाधान का दूद करती है।

पुत्रपन—इस गर्भो गृह्यसूत्रों में पाया जाता है, शौभ एवं याज्ञवल्क्य (११११) में भी।

गर्भकाल—गणानमसूत्र (११०१) में इसकी चर्चा हुई है। यह प्रायःमाना व समान है वा आरणासूत्र (१११११) व अनुसार उपनिषद् में वर्णित है और आरणासूत्र (११११५-७) में विधाएँ एवं वर्णन किया है।

शौभकाल—इस सत्वार गर्भो धर्मशास्त्र-विधा में उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (११११) १ केवल शौभकाल का वर्णन किया है।

विष्णुवलि—इसका यथा शौभकालसूत्र (११०११-१३ तथा ११११२), वैशाख (३१११) एवं उपरान्त में वा है। शौभ शौभ तथा अन्य प्रायः शौभकाल में इसकी चर्चा नहीं की है।

शौभकाली वम का होम—शौभकाल एवं शौभकाल द्वारा वर उल्लिखित है। इस वादसूत्रसूत्र में शौभकाली वम, व

आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में अग्निप्रसवत तथा द्विगण्यकेनिगृह्यसूत्र में अग्निप्रसवत कहा गया है। वृष-
स्मृति (सरकारप्रकाश में उद्धृत, पृ० १३९) में भी इसकी चर्चा है।

जातकर्म—इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्थान—केवल वैतानस (३।१८) एवं शाखायनगृह्यसूत्र (१।१५) ने इसकी चर्चा की है।

नामकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

निष्क्रमण या उपनिष्क्रमण या आदित्यदर्शन या निर्णयन—याज्ञवल्क्य (१।११) याज्ञवल्क्यसूत्र (१।१७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम में निष्क्रमण, निष्क्रमणिका तथा निष्क्रमण कहा है। किन्तु वीति-
सूत्र (५८।१८), ब्रीह्यायनगृह्यसूत्र (२।२), मानवगृह्यसूत्र (१।१९।१) तथा क्रम में इसे निगयन उपनिष्क्रमण एवं आदित्यदर्शन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७।१०) एवं श्रौत (२।५) ने भी इस आदित्यदर्शन कहा है। गौतम आप-
स्तम्बगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते।

कण्ठवेध—सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (५।१५) शाखायनगृह्यसूत्र (१।१२।१) एवं कात्यायन-सूत्र ने इसकी चर्चा की है।

अन्नप्राशन—प्रायः सभी स्मृतियों में इसका उल्लेख किया है।

चर्यवर्धन या अम्बुपूर्ति—गौमिड, शाखायन, याज्ञवल्क्य एवं ब्रीह्यायन ने इसका नाम दिया है।

चौल या चूडाकर्म या चूडाकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

विद्यारम्भ—जिसी भी स्मृति में वर्णित नहीं है, केवल अथर्वकं एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत मार्कण्डेय
पुराण में उल्लिखित है।

उपनयन—सभी स्मृतियों में वर्णित है। व्यास (१।१४) ने इसका श्रनादेग नाम दिया है।

घृत (घार)—अधिकारगतया सभी गृह्यसूत्रों में वर्णित है।

केशान्त या शीवान्त—अधिकारगत सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है।

समावर्तन या स्नान—इन दोनों के विषय में कई मत हैं। मनु (३।४) ने छात्र-जीवनोपरान्त के स्नान
को समावर्तन से अज्ञ माना है। गौतम, आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५।१२-१३), द्विगण्यकेनिगृह्यसूत्र (१।१।१) याज्ञवल्क्य
(१।५१), पारस्करगृह्यसूत्र (२।६-७) ने स्नान शब्द को दोनों अर्थात् छात्र-जीवन के उपरान्त स्नान तथा गृह-गृह
से लौटने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।८१), ब्रीह्यायनगृह्यसूत्र (२।६।१),
शाखायनगृह्यसूत्र (३।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।१५ एवं ३१) ने समावर्तन शब्द का प्रयोग किया है।

विवाह—सभी में संस्कार रूप में वर्णित है।

महापूज—प्रति दिन के पाँच यज्ञों के नाम गौतम, अगिरा तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं।

उत्सर्ग (वेदाध्ययन का किसी-किसी ऋतु में त्याग)—वैश्वानर (१।१) एवं अगिरा ने इसे मन्त्रार रूप
में उल्लिखित किया है।

उपाकर्म (वेदाध्ययन का वार्षिक आरम्भ)—वैतानस (१।१) एवं अगिरा में वर्णित है।

अभ्येष्टि—मनु (२।१६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०) ने इसकी चर्चा की है।

शास्त्रों में ऐसा आया है कि जातकर्म में लेकर चूडाकर्म तक के मन्त्रों के कृत्य द्विजातियों के पुरुष-
वर्ग में वैदिक मन्त्रों के साथ किन्तु नारी-वर्ग में बिना वैदिक मन्त्रों के किये जायें (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१।-
१२, १।१६।६, १।१७।१८; मनु २।६६ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)। किन्तु तीन उच्च वर्गों के नारी-वर्ग में विवाह में
वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता है (मनु २।६७ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)।

संस्कार एवं धर्म—विज्ञानियों ने गर्भाधान से लेकर उपनयन तक के संस्कार अतिव्याप्य माने गये हैं तथा साथ-साथ एक विशाल सामग्री अतिव्याप्य नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति छात्र-जीवन के उपरान्त सम्प्राप्ती का ही सम्बन्ध है (साक्षात्कारविन्दु)। संस्कारप्रवाह में कभीकबलों के लिए सम्प्राप्ती की आवश्यकता नहीं मानी है।

इस सूत्रों के लिए कोई सम्कार है? क्या में कहा है कि मुद्रा लीग गिना वैदिक मन्त्रों के धर्म-पात्र, एतद्वत्, भीम-नीप्रयत्न, ज्ञानकर्म, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्रदान, शील, कर्णवेध एवं विवाह नामक संस्कार कर सकते हैं। किन्तु वैजवाग्यसूत्र में गर्भाधान (निषेध) से लेकर शील तक के सात संस्कार सूत्रों के लिए मान्य हैं। अथर्वके (याज्ञ० १।११-१२ पर) के अनुसार गर्भाधान में शील तक के आठ संस्कार सभी धर्मों के लिए (सूत्रों के लिए भी) मान्य हैं। किन्तु मदनरत्न, रूपनारायण तथा निरंजनात्म्य में उद्धृत हरिहर-जात्य के मत में सूत्र लीग केवल छ संस्कार, यथा—ज्ञानकर्म, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्रदान, शूद्रा एवं विवाह तथा पुरोहित (प्रति दिन के शीघ्र) श्राद्ध कर सकते हैं। रघुनन्दन के सूत्रदृष्ट्यंतर में लिखा है कि सूत्र के लिए पुराणों के मन्त्र ब्राह्मण द्वारा उच्चरित हो सकते हैं, सूत्र केवल "नमः" कह सकते हैं। निरंजनात्म्य में भी यही बात कही है। ब्रह्मपुराण के अनुसार सूत्रों के लिए वैदिक विवाह या संस्कार मान्य हैं। निरंजनात्म्य में धर्म-वैदिकता की धर्मों करने दूरी दिखाता है कि उदार मत मत्-सूत्रों के लिए तथा अनुदार मत अनु-सूत्रों के लिए है। उभयों में भी कहा है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं।

संस्कार-विधि—आधुनिक समय में गर्भाधान, उपनयन एवं विवाह नामक संस्कारों की छोड़कर अन्य संस्कार बहुत नहीं किये जा रहे हैं। आवश्यक तो यह है कि ब्राह्मण लोग भी इनमें संलग्न जा रहे हैं। अब कहीं-कहीं गर्भाधान भी स्थापना जा चुका है। नामकरण एवं अन्नप्रदान संस्कार मनाये जाते हैं, किन्तु बिना मन्त्रोच्चारण तथा पुरोहित की सहायता। अधिकांश शील उपनयन के दिन तथा समाप्तन उपनयन के कुछ दिनों के उपरान्त किये जाते हैं। शूद्रा (ऐसे प्राणों में ज्ञानकर्म तथा अन्नप्रदान एक ही दिन सम्पादित होते हैं। समुद्र-संस्कार या कहना है कि उपनयन की छोड़कर यदि अन्य संस्कार निर्दिष्ट समय पर न किये जायें तो व्याहृतिहीन के उपरान्त ही वे सम्पादित हो सकते हैं। यदि किसी अवधि के कारण कोई संस्कार न सम्पादित हो सके तो वह पादशुद्ध नामक प्रावधानित कर्म आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर शील न करने पर प्रथम-शुद्ध करता जाता है। यदि गिना अवधि के ज्ञान-व्युत्तर संस्कार न किये जायें तो दूना प्रावधानित करना पड़ता है। इन विधान में निरंजनात्म्य में शील के विशेष उद्धृत किये हैं। निरंजनात्म्य में कई मतों का उद्धरण दिया है। सूत्र के अनुसार प्रावधानित के उपरान्त छोटे हुए संस्कार पुनः मरी किये जाने चाहिए, दूसरे मत के अनुसार सभी छोटे हुए संस्कार एक साथ ही कर किये जा सकते हैं और तीसरे मत में छोटे हुए संस्कारों के उपरान्त ही साथ सम्पादित हो सकता है। धर्मशास्त्र (मृत्वीय परिच्छेद, पूर्वार्ध) में उपर्युक्त प्रावधानों के स्थान पर भी संस्कार मन्त्र प्रावधानित बताते हैं, यथा एक प्रावधानित तीन पादशुद्धों के बराबर है, प्रावधानित के स्थान पर

२. शू, शू, शू, (या मुह) नामक उच्चारण संस्कारों के उपरान्त के साथ विधायित्व संस्कार की प्राप्ति के साथ व्याहृतिहीन कहलाता है।

३. अन्य संस्कारोंके शीघ्र—आरम्भवाचनयाधौगान् कालेऽपि तु कर्णवेधम्। व्याहृतिपूर्वकं तु संस्कारं कृत्वा कर्णवेधम् ॥ एतेष्वेवंकालेऽपि पादशुद्धिं सम्पादयेत्। शूद्राणां पादशुद्धिं स्थापयति देवकीर्णम्। अन्वयित्वा तु सर्वत्र शिष्टान् शिष्टान् करोत् ॥ निरंजनात्म्य, ३ पूर्वार्ध; इति २० (कर्णवेधनम्, पृ० ११)।

एक गाय का दान तथा गाय के अनाव में एक सोने का निष्प (३२० गुब्जा), पूर' ग' आयाया चौथई भाग दिया जा सकता है। दरिद्र व्यक्ति चाँदी के निष्प का भाग या उगी मूल्य का अन्न दे सकता है। कपड इन सरल परिहारों (प्रत्याम्नाया) के कारण लोगों ने उपनयन एवं विवाह को छोड़कर अन्न गस्कार करना छोड़ दिया। आधुनिक काल में मस्कारों के न करने से प्रायश्चित्त का स्वर्ण चो' तर्क के लिए प्रति सत्कार धार आना दान रह गया है तथा आठ आना दान चौक के लिए रह गया है।'

अब हम राक्षेप म सस्कारों का विवेचन उपस्थित करेंगे। सस्कारों के विषय में गृहसूत्रों पराशरों, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में सामग्रीयों भरी पड़ी हैं, किन्तु रघुानन्द के सम्कारतरङ्ग नील कण्ठ के सस्कारमयूज, मित्र मित्र के सस्कारपत्राग अनन्ददेव के सस्कारकौमुदु तथा गोरीनाथ के सस्काररत्न माला नामक निबन्धों में भी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है। उपनयन एवं विवाह के विषय में विवेचन कुछ विस्तार के साथ होगा।

गर्भाधान

अश्ववेद का ५।२५वाँ ऋध गर्भाधान के क्रिया-सस्कार में सम्बन्धित ज्ञान होता है। अश्ववेद के प्रथम अंश के तीसरे एवं पाँचवें मन्त्र से, जो बृहदारण्यकोपनिषद् (६।४।२१) में उद्धृत है, गर्भाधान के कृत्य पर प्रकाश मिलता है। आदवलायनगृहसूत्र (१।१३।१) में स्पष्ट वर्णन है कि उपनिषद् में गर्भरज्जु (गर्भ दाग्न करता), पुंसवन (पुरुष बच्चा प्राप्त करना) एवं अतवशोमन (भ्रूण को अपनिषो में बचाया) के विषय में कृत्य वर्णित हैं। सम्भवतः यह सत्रेत् बृहदारण्यकोपनिषद् की ओर ही है।

चतुर्थी-नर्म का कृत्य शाखायनगृहसूत्र (१।१८-१९) में इस प्रकार वर्णित है—विवाह के तीन रात उपरान्त, चौथी रात को पति अग्नि में पड़े हुए भोजन की आठ आहुतियाँ अग्नि, वामु, मूर्धे (तीनों के लिए एक ही मन्त्र), अर्धमा, बरुण, पूषा (तीनों के लिए एक ही मन्त्र), प्रजापति (श्वेद १०।१२।१० का मन्त्र) एवं अग्नि) त्रिवृष्टकृन् को देता है। इसके उपरान्त वह 'अध्यण्डा' की जड़ की कूटर उमके जल को गर्ती की नाभ में छिड़कता है। (श्वेद के १०।८५।२१-२२ मन्त्रों के साथ प्रत्येक मन्त्र के उपरान्त 'स्वाहा' करता)। तब वह पत्नी को छूता है। समीप करते समय 'तू गर्भवं विस्वावमु का मुज हों' कहता है। पुन यह 'नाम मे, हे!' (पत्नी का नाम लेकर) वीर्य हालता हूँ' कहता है एवं यह भी कि "जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि है...आदि उसी प्रकार एवं नर भ्रूण गर्भाशय में प्रवेश करे, उसी प्रकार जैसे तरबज में बाण युक्तता है, यह वस मास के उपरान्त एक पुरुष उत्पन्न हो।" पारस्करगृहसूत्र (१।११) में भी यही विधि बतही गयी है।

४. बेसिए, मदनपारिजात (५० ७५२ कृष्णप्रत्याम्नाय); सस्कारवीस्तुभ (पृष्ठ १४१-१४२ अथ प्रत्यम्नायों के लिए)। आजकल उपनयन के समय देर में सस्कार-गम्य-द्वन्द्व के लिए निम्न संस्कार हैं—अनुष्ठान-१। अथ पुत्राय गर्भाधानपूंसवनसौमन्तोपवन-आतर्क्यनामशरणीप्रदानधीहान्तनी सस्काराणां वागान्तिस्तत्रिणि (या सोपजन्त) प्रत्ययापरिहारार्थं प्रतिस्कार पाबृष्ट्वादिमप्रप्रायश्चित्त सूत्राय अश्वेदकृतमथ प्रतिवृष्ट्वां मन्त्राणां निष्कपाबपादप्रत्याम्नायशारहमाचरिष्ये।

५. मन्त्र—“आ ते धीनि गर्भं एतु पुमान् वाप इनेवुषिग्। आ वीरोज्य आसतां पुत्रते वभ्रात्थ ॥” मन्त्र के देर ३।२३।२। यद् हिरण्यकैनिगृह्युव (१।७।२५।१) में भी है।

आश्विनपूर्णाक्षय (१११) तथा श्रावण (२१) न भी मरणे म यो विधि विधी ३ तिलु तत्र मय मत्र-गण्ड वात् है। श्रावणिक गण श्रावण प्रवृत्त कर मयत है। वि सौमिक व समय भी यथा-चाण हता था। तिलु न्न जातता चाहिए वि प्राचाय समय म प्रथम हृत्त धामिन मममा याना था। श्रावण (हिरण्यवर्णिगण्डमूत्र १।५५ ५१२) व अन्तार शीघ्रत मर प्रथम समाग व समय मया वा उपायान हाना चाहिए तिलु कान्तायन व अन्तार घट केवल प्रथम समाग तथा प्रथम मानिक प्रयाग व उरगतन होना चाहिए। वैश्वानर (११०) न मन श्रुत्वा का श्रुनु-मयमन कहा है (आश्विनम्बगण्डमूत्र एव हिरण्यवर्णिगण्ड ॥

मन्विता पर निरुद्धा व कृत् विरगाय का मयाप म गान अर्पित है। मत् (३१६६) एव यान्त्रव्या (११०) व अन्तार मभयारण का मन्माविन समय है मानिक प्रयाग की अर्पितरवि ३ त्यगल मोह गत। आश्विनम्बगण्डमूत्र (१११) व अनुत्तर मानिक प्रयाह को चौथी गण म मालावी रण तत्र यमता गान (ममता वागी) गत नर वच्च (मद्व) व लिए उपयुक्त है। यही बात हारीत न भी बोली है। मन दाता क मन म चौथी रात मर्माधान व लिए उपयुक्त है। मनु (३१६७) एव याज्ञवल्क्य (११३९) न प्रथम बार गत छोड़ दी है। कामायन परगण (७।१७) तथा अथ लोका के मन से रत्नवला चौथे दिन स्नान करत विमान हता है। मनु आश्विन (३१९) व अनुत्तर चौथ दिन व उपरान्त यत्र व प्रथम प्रहरीकरण पर मर्माधान मन्वार करना चाहिए। मन्वितादिशा वा निर्देह ह वि प्रयाह का पू। मयाधि पर भाषा दिन उपयुक्त है। मनु (४।१०८) एव याज्ञवल्क्य (११७) के अन्तार मनाधान व लिए जमावास्ता एव पूषमागो वाज विना तथा अष्टमो एव श्रुत्वा व विना का मय देना चाहिए। याज्ञवल्क्य (११८) न ज्यातिव-मन्व-पी विमारा भी दित है यथा मनु एव मया तथा का मा छोड़ देना चाहिए। इया प्रकार निरुद्धा न बहुत-म महाना विधिवा मन्वरा नाना मन्त्र-वागी भाति का अगुम माना है और उनर लिए मानि की व्यवस्था की है। आश्विनम्बगण्डमूत्र मनु (२।६८) यान्त्रव्या (११०) एव वैश्वानर (३१) न विद्या है वि मदी को उपनि व लिए मानिक धय व यथ दिन व उपरान्त मय दिना म तथा मदी व लिए विषय दिना म ममाप करना चाहिए। माण्डान्यगण्डमूत्र (१-) म अथा है वि रत्नवला म्भी चौथ दिन मना-गान्त म्भे वन्त गणम कर अन्तारा यान तथा यथा मन्वा म वाते कर। वैश्वानर (३१) न विद्या है वि यत्र अन्तारा म व विना नाग का म्भे म वात न कर पनि का छोड़कर विद्या अथ का न दो वयादि मनावागान्त घट विम देयता म्भी व ममान यथा मन्वात हाना। यही बात मनु निर्मित म भी पायी जाती है—रत्नवला मन्विता उम अर्थाः म विना म्भो ३ म्भे व कृत् उनरी मन्वना म आ वाा है।

यथा मर्माधान गम (धूमिधत वरव) वामन्वार है या स्त्री का? याज्ञवल्क्य (१११) की व्याख्या म विरुद्ध न विद्या है वि मालान्द्रपन मन्वार का छोड़कर म्भी मन्वार वात-वात मन्वति हता है वयादि के म्भे व मन्वार है तिलु मालान्द्रपन वरव एव बार मन्वति होता है वयादि एव म्भी मे मन्विता है। यही बात मनु आश्विन (४।१७) म भी पायी जाती है। तिलु मनु (३।१६) की व्याख्या म मन्विधि न विद्या है वि विरुद्धगान्त कुछ लोका व म्भे म प्रथम समाग व समय ही मर्माधान मन्वार विद्या जाता चाहिए तिलु प्रया मया व म्भे म कर तत्र मय धारण न हा मय तत्र तत्र प्रथम मन्वारा के उपरान्त उम दिना बना चाहिए। वामन्वार वात मेवको एव व्याख्या करता है (यथा मितारण मय० १।११ मन्वि वरुद्धा एव मन्वाराव) वि मर्माधान पुमन एव मालान्द्रपन स्त्री व मन्वार है और वरव एव बार मन्वति हता चाहिए। हारीत न भी बोली कहा है। अन्तारा मे कहा है वि मालान्द्रपन एव ही बार हता है तिलु पुमन मन्व मर्माधान पर दिना जाता है। यही बात मन्वारावन्त मन्वारावन्त एव पारवन्त

गृह्यसूत्र (१।१५) में भी पायी जाती है। स्मृतिचन्द्रिका ने विष्णु का हवाला देकर लिखा है कि प्रत्येक गर्भाधान के उपरान्त सीमन्तोन्नयन भी दुहराया जाना चाहिए।

कुल्लूक (मनु २।२७), स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १४) एवं अन्य ग्रन्थों के अनुसार गर्भाधान एस्कार होम के रूप में नहीं सम्पादित होता। धर्मसिन्धु का कहना है कि जब मासिक धर्म के प्रथम प्रकटीकरण पर गर्भाधान हो जाता है तो सस्कार का सम्पादन गृह्य अग्नि में होना चाहिए, किन्तु दूसरे या तालान्तर वाले मासिक धर्म पर जब समोग होता है तो होम नहीं होता। सस्कारकौस्तुभ (पृ० ५९) ने हाम की व्यवस्था दी है और पके हुए भोजन की आहुति प्रजापति को तथा आग्य की सात आहुतियाँ अग्नि को देने को कहा है और तीन आहुतियाँ "विष्णुर्योनिम्०" (ऋग्वेद १०।१८४-१-३) के साथ, तीन आहुतियाँ "नेत्रमेप०" (आपस्तम्ब मन्त्रपाठ १।१२।७-९) के साथ तथा एक "प्रजापतेन०" (ऋग्वेद १०।१२१।१०) के साथ दी जानी चाहिए।

पति को अनुपस्थिति में गर्भाधान को छोड़कर सभी सस्कार किसी सम्बन्धी द्वारा किये जा सका है (सस्कारप्रकाश, पृ० १६५)।

सस्कार एवं होम

बहुत-सी धार्मिक विधियों एवं कृत्या में होम आवश्यक माना गया है, अतः गृह्यसूत्रों ने होम का एक नमूना दिया है। हम यहाँ पर आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।३१) से एक उद्धरण उपस्थित करते हैं। कई गृह्यसूत्रों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में कुछ मतभेद भी हैं।

"(१) जहाँ यज्ञ करना हो वहाँ एक वाण की लम्बाई-घोडाई में भूमि को कुछ ऊँचा उठाकर (भित्री या बाल से) गोबर से ढीप देना चाहिए (इसे स्थण्डिल कहते हैं)। इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्थण्डिल पर (छ) रेखाएँ खीच देनी चाहिए, जिनमें एक (स्थण्डिल के उस भाग से जहाँ अग्नि रखी जाती है) पश्चिम ओर हो किन्तु उत्तर की ओर घूमी हुई होनी चाहिए, दो पूर्व की ओर किन्तु पट्टी रेखा के दोनों छोरों पर अलग-अलग, तीन (दोना के) मध्य में। इसने उपरान्त पवित्र स्थण्डिल पर जल छिड़कना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, दो या तीन सम्मिष्टाएँ अग्नि पर रख देनी चाहिए। इसके उपरान्त परिस्मूहन (अग्नि के चतुर्दिक् क्षाण्ड-मोछ) करना चाहिए, तब परिस्तरण करना चाहिए अर्थात् चतुर्दिक् कुस बिछा देने चाहिए (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में)। इस प्रकार सभी कृत्य, यथा परिस्मूहन, परिस्तरण आदि उत्तर में ही समाप्त होने चाहिए। तब यज्ञ करनेवाले का अग्नि के चतुर्दिक् थोड़ा जल छिड़कना चाहिए। (२) तब दो कुशों से आग्य (धूप) को पवित्र किया जाता है। (३) बिना मोक टूटे दो कुस (जिनमें कोई और नवीन क्षाण्ड न निचनी हो, और जो अँगूठे से लेकर चौथी अँगूठी तक के बित्ते की नाप के हों) लेकर मुले हाथ से आग्य को पवित्र करना चाहिए, पहले पश्चिम तब पूर्व में, और करना चाहिए—"सविता की प्रेरणा से मैं इस बिना सात वाले पवित्र से तुम्हें पवित्र करता हूँ। वसु की प्रेरणा से तुम्हें पवित्र करता हूँ।" एक बार इस मन्त्र को ओर से और दो बार मोल रूप से करना चाहिए। (४) कुस के परिस्तरण का अग्नि के चतुर्दिक् रखना आग्य-होम (बहु होम जिसमें अग्नि को केवल आग्य की आहुति दी जाती है) में ही सम्पादित है और नहीं भी हो सकता है। (५) उमी प्रकार पात्रयज्ञों में दो आग्य-अथाग्नि देने या नहीं भी देने जा सकते हैं। (६) सभी पात्रयज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित रखना भी वैकल्पिक है, किन्तु पञ्चानरि एवं मूलगद यज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित आवश्यक है। (७) तब यज्ञ करने वाला कहना है—"इस देवता को स्मार्त्"। (८) जब किसी विधिगत देवता की ओर निर्देश न हो तो अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विरबे-देव (सभी देवता) एव ब्रह्मा होम योग्य मान लिये जाते हैं। अन्त में स्वच्छत् अग्नि को आहुति दी जाती है।"

शाश्वत-गृह्यसूत्र (११७) में होम-विधि (११७६-७) कुछ अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अन्तरो के साथ दायीं जाती है। यत्र करनेवाला वेदी के मध्य में एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खींचना है, केवल तीन रेखाएँ ऊपर गाँधी जाती हैं, किन्तु एक इसके दक्षिण, एक मध्य में तथा तीसरी उत्तर में (अर्थात् केवल ४ रेखाएँ, आरव-क्षयिण की मूर्ति ६ रेखाएँ नहीं)। शाश्वत (११७६-७) के अनुसार ब्रह्मा पुरोहित का आसन स्थण्डिल के दक्षिण में होता है और उन्हे पूजा में सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं। पारम्परगृह्यसूत्र (१११) एवं गार्गीयगृह्यसूत्र (११२) में बहुत ही संक्षेप में होम का नमूना दिया हुआ है। गोमिल (१११९-११ ११५१३-२०, ११७१, ११८१२१) एवं त्रिष्ववेदिगृह्यसूत्र (११११९-११ २३७) में होम-विधि बड़े विस्तार में वर्णित है। आप-स्तम्बगृह्यसूत्र में सभी प्रकार के होमों में दायीं जाने वाली विधि का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है।

प्रमुख चार शक्तिवत्ता में केवल ब्रह्मा को उन्हीं यज्ञों में महत्ता दी गयी है जो यूपानि में सम्पादित होते हैं और जिन्हे पात्रयज्ञ कहा जाता है और जहाँ होना ही यजमान रहता है। होम की अन्य बातों का अनुक्रम यों है— उपलेपन (गोंबर में लीपना), चालू या मिट्टी से स्थण्डिल को संवाग्ना एवं समिधा से स्थण्डिल पर रेखाएँ खींचना, समिधा को रेखाओं पर पूर्व और नाँव करने रखना, स्थण्डिल के उत्तर और पूर्व में पानी छिड़कना, स्थण्डिल के बाहर रेखा खींचनेवाली समिधा को उत्तर-पूर्व के कोण में रखना, होना द्वारा आचमन करना, होना के सामने स्थण्डिल पर अग्नि (धर्षण में उल्बप्र कर या किसी शोधिय से माँगकर या निर्मा से भी माँगकर) रखना, दो या तीन समिधाएँ अग्नि पर रखना, इधम (१५ समिधाएँ) एक कुण्डों का एक गुच्छ तैयार करना। इसके उपरान्त परिसमूहन (उत्तर-पूर्व ओर में जलपूर्ण हाथ द्वारा अग्नि के चतुर्दिग् घोटना), तब परिसमूहन (वेदी के चतुर्दिक् प्रथम पूर्व, फिर दक्षिण, तब पश्चिम और तब उत्तर की ओर में हुआ घोटना), तब मौन चतुर्धन (अग्नि के चतुर्दिक् जल छिड़कना, प्रदोश बार वृषद्-वृषद् जल ग्रहण करने), तब अग्न-व्यसन (अग्नि के उत्तर वायव्य या मिट्टी के बगल में जल ले जाना), तब आग्नेयलेपन (दो कुण्डों की नाँव में एक बार मन्त्र ले और दो बार मौन रूप से आग्नेय को पवित्र करना), तब आग्नेय उँदो आचार (स्यतातर चार गिराना) तथा दो आहुति देना। तदुपरान्त यूपों में निर्दिष्ट इधम प्रमुख इधम किया जाता है और अन्त में श्विष्टकृत् अग्नि को अन्तिम आहुति दी जाती है। ओम् में आरम्भ कर एक स्वाहा में अन्त कर मन्त्र दुर्गाकार आहुतियों दी जाती हैं और कहा जाता है कि "यह इधम या उस देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं।"

आग्नेययज्ञसूत्र (११४) में जोड़ा है कि शील, उपलेपन, गोदान एवं त्रिवाट में ऋग्वेद (११६६१०-१२) के तीन मन्त्रों के साथ आग्नेय की चार आहुतियाँ दी जाती हैं, यथा—अग्नि, तू जीवन को पवित्र बनाता है आदि। मन्त्र के स्थान पर स्वाहृतियों या दोनों, अर्थात् शीदिक मन्त्रों एवं स्वाहृतियों (भू स्वाहा, भुव स्वाहा, स्व स्वाहा, मूर्ध्व स्व. स्वाहा) का व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात् आठ आहुतियों दी जाती हैं।

आधुनिक काल में स्थण्डिल पर पानी छिड़कने के उपरान्त, उम पर अग्नि लगी जाती है और तापनों के अनुसार अग्नि के विभिन्न नाद्य मान जाते हैं, यथा उपलेपन एवं त्रिवाट में उमो त्रम से समुच्चय एवं योजक कहा जाता है। तब द्रुपद पर पवित्र जल छिड़ककर उमो अग्नि पर रखा जाता है और उमो ज्वाला में परिवर्तित करने प्रार्थना की जाती है, यथा "अग्ने शीतान्तर शान्तिन्व्यतीक्ष मेतध्वज, मम समुग्रो वरदो मय।" इसके उप-रान्त परिसमूहन एवं अन्य ऊपर बर्णित क्रियाएँ चली जाती हैं।

इस प्रकार अधिकांश गृह्य-सूत्रों में होम व्यवस्था माना जाता है, उसी प्रकार प्रायः सभी कृत्यों में कुछ बातें एक-ही जाती हैं। आचमन, प्रणयना, देवनाथ की ओर मन्त्र एवं मन्त्र्य मन्त्र में पाये जाते हैं। इसके उपरान्त मध्य रात्रि के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों के अनुसार, मन्त्रो-युक्त, पुष्पाहवापन, मातृवा-युक्त एवं मान्दीधाय

होता है। कुछ लोगों के मन से सबसे एक ही सकल्प होना है, किन्तु कुछ लोगों के मन से प्रत्येक पुण्याहवाचन, मातृकापूजन एवं नान्दीश्राद्ध के लिए पृथक्-पृथक् सकल्प होते हैं। सभी प्रकार के कृत्यों में होना या कर्ता सर्वप्रथम स्नान करता है, शिवा बाघता है, थोड़े से स्नान को गोबर से छिड़वा कर उस पर रगीन पदार्थों से रसाएँ बनवाता है, जहाँ पानी से भरे दो मगल-कलश रख दिये जाते हैं जिन पर उक्कन रखा रहना है। आवश्यक वस्तुएँ स्नान के उत्तर में रख दी जाती हैं। दो लकड़ी के पीड़े पश्चिम दिशा में रख दिये जाते हैं जिनमें एक पर कर्ता पूर्वामिमुख बैठता है और दूसरे पर दाहिनी ओर उसकी पत्नी बैठती है किन्तु यदि पुत्र के लिए कृत्य किया जा रहा हो तो पति पत्नी की दाहिनी ओर बैठता है। पत्नी में दक्षिण थोड़ी दूर हटकर ब्राह्मण लाग उत्तरामिमुख बैठते हैं तथा कर्ता आचमन करता है। वार्षिक श्राद्ध आदि का छोड़कर सभी संस्कार एवं कृत्य किसी पूर्व-निश्चित तिथि को ही किये जाते हैं।

गणपति-पूजन

इस पूजन में हस्तिमुख देवता गणेश की उपस्थिति का आवाहन एवं मुट्ठी चावल के साथ पान के एक पत्ते पर या गोबर के एक छोटे पिण्ड पर किया जाता है। श्रुत्वेद में 'गणपति' शब्द का प्रयोग ब्रह्मणस्पति (प्रार्थना के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधि के रूप में आया है? श्रुत्वेद (२।२३।१) का मन्त्र "गणाना स्वा गणपति हवामहे" जो गणेश के आवाहन के लिए प्रयुक्त होता है ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। श्रुत्वेद (१०।११।२। ९) में इन्द्र को गणपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। तैत्तिरीय संहिता (४।१।२।२) एवं वाजसनेयी संहिता में पशु (विशेषतः अश्व) रथ के गणपत्य बड़े गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (४।४) में स्पष्ट आया है कि "गणाना स्वा" नामक मन्त्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है। वाजसनेयी संहिता (१६।२५) में बहुवचन (गणपतिभ्यश्च वो नम) तथा एकवचन (गणपतये स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। मध्य काल में गणेश का जो विलक्षण रूप (हस्तिमुख, निकली हुई तोंद या लम्बीदर, चूहा वाहन) वर्णित है, वह वैदिक साहित्य में नहीं पाया जाता। वाजसनेयी संहिता (३।५७) में बूहे (मूषक) को रथ का पशु, अर्थात् 'रथ को दिया जानेवाला पशु' कहा गया है। गृह्य एवं धर्मसूत्रों में धार्मिक कृत्यों के समय गणेशपूजन की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। स्पष्ट है, गणेश-पूजा कालान्तर का कृत्य है। बौधायनधर्मसूत्र (२।५।८३-९०) में देवतपंज में विष्णु, विनायक, धीर, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, यक्षनुष्ट, एवदन्त एवं लम्बीदर का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह अज्ञ धोषक-सा लगता है। ये विभिन्न उपाधियाँ विनायक की हैं (बौधायन-गृह्यसूत्र ३।१०।६)। मानवगृह्य (२।४) में विनायक चार माने गये हैं—शालवटकट, कृष्णाण्ड-राजपुत्र, उस्मित एवं देवपजन। ये द्रष्ट आत्माएँ (प्रेतात्माएँ) हैं और जब ये लोगों को पकड़ लेती हैं, उन्हें दुस्वप्न आते हैं और बड़े भयकर अशोभन दृश्य दृष्टिगोचर होतें हैं। यथा मुण्डित-निर ध्यक्ति, लम्बी जटा वाले ध्यक्ति, पीन बन्ध वाले ध्यक्ति, ऊँट, गदहे, शूकर, चाण्डाल। उनके प्रभाव से योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते, युग्म लक्ष्मणों वाली सुन्दरियाँ पति नहीं पाती, दिवाहित नारियों को सन्तान नहीं होती, गुग्गुलीला नारियों की सन्तान शंशवात्सया में ही मर जाती है कृत्यों की वृत्ति नष्ट हो जाती है। आदि-आदि। अतः मानवगृह्य ने विनायक की बाधा से मुक्ति पाने के लिए पूजन की क्रियाओं का वर्णन किया है। वैजवापगृह्य (अपराहं, याज्ञ० १।२७५) ने मिठ, सस्मित, शालवटकट एवं कृष्णाण्डराजपुत्र नामक चार विनायकों का वर्णन किया है और ऊपर वर्णित उनकी बाधा की चर्चा की है। इन दोनों वर्णनों में विनायक-सम्प्रदाय के विकास की प्रथमावस्था का परिचय मिलता है। धारण्य के विनायक दुराहाशो के रूप में वर्णित है, जो मयकरता एवं सति-सति का अवरोध रख करते हैं। लक्षण है, इस (विनायक) सम्प्रदाय में रथ के मयकर स्वरूपों एवं आदिवासी जातियों के धार्मिक कृत्यों का समावेश हो गया है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में विनायक-साम्प्रदाय के कालान्तरीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है (१।२७१-२७४)। विनायक को (याज्ञ० १।२७१) गणों के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एव रुद्र द्वारा नियुक्त दर्शाया गया है। वे न केवल अवरोध उत्पन्न करनेवाले प्रत्यक्ष मनुष्यों के त्रियासत्कारों में सफलता देनेवाले बहे गये हैं। याज्ञवल्क्य ने मानवगृह्य में उल्लिखित विनायक की वाधा का भी वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य (१।२८५) के अनुसार विनायक के चार नाम हैं—मित सम्मिन, शालवटकट एव कूपमाण्डराजपुत्र और उनकी माता का नाम है अभ्यिका। विश्वरूप एव अपराकं न तो विनायक के चार ही नाम बताये हैं, विन्तु मिताक्षरा ने शालवटकट एव कूपमाण्डराजपुत्र को दो-दो भागों में तोड़कर छ नाम गिनाये हैं, यथा—मित, सम्मित, शाल, वटकट, कूपमाण्ड एव राजपुत्र। अमरकोश की व्याख्या में धीरस्वामी न स्पष्ट रूप से हेरम्ब' शब्द को देख्य कहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों की पवित्र म मिनी देवाद्वय जाति से आये और रुद्र (शिव) के साथ जुड़ गये। याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध उपाधिया की चर्चा नहीं की है यथा—एन्दव, हेरम्ब, गजानन, लम्बोदर आदि। वीधायनगृह्योपमूत्र (३।१०) में विनायक की आराधना के लिए भिन्न ङग अपनाया है और उसे भूतनाथ, हस्तिमुत्त, विष्णेश्वर कहा है एव 'अपूर' तथा 'मादव' को आहुतिया की चर्चा की है। स्पष्ट है, याज्ञवल्क्य की अपेक्षा वीधायन मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों के अधिक समीप लगते हैं। गणेश महाभारत के आदिपर्व में व्यास के लिपिक के रूप में आते हैं, विन्तु यह बात महाभारत के कुछ सम्स्तरणा में नहीं पायी जाती। वनपर्व (६५।२३) एव अनुशासनपर्व (१५०।२५) में बर्णित विनायक मानवगृह्य के विनायक के समान ही है।

गामिण्यस्मृति (१।१३) के अनुसार गर्भोत्पत्त्या के आरम्भ में गणाधीन के साथ 'मालुवा' की पूजा होती चाहिए। इसकी पांचवीं एव छठीं शताब्दियाँ के उपरान्त ही गणेश एव उनकी पूजा में सम्बन्धित मारो प्रसिद्ध विनिष्ठातार्ग स्पष्ट हो गयी थीं। महाशिव वासिष्ठदास ने गणेश की चर्चा नहीं की है। वाधासप्तशती में गणेश का उल्लेख है (८।७२ एव ७।३)। अथर्वसंहिता में वाण न (४ उच्छ्रवाग, प्र० २) गणाधिप की लम्बी मूँड की चर्चा की है और भरवाचाप (हृष्यारित २) के उल्लेख में विनायक का वाधाओं एव विद्या से सम्बन्धित माना है तथा उनके शरीर में हाथों का गिर माना है। वामनपुराण (अध्याय ५८) में विनायक के जन्म के विषय में एक विचित्र गाथा का वर्णन पाया जाता है।

महाशिवसंहिता (२।३८) में हेरम्ब की मूँड का उल्लेख है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६०।५२-५५) में विनायक की मूर्ति के निर्माण की विधि बतायी है। अपराकं ने मत्स्यपुराण (२८९।७) की उद्धृत कर महाभूतपट नामक महादान की चर्चा में विनायक का शूत्र (चूँ) की गवारी पर प्रदर्शित किया है। माद्रपद चतुर्थी की गणेश-पूजा के विषय में वृत्तरत्नाकर ने मरिच्यपुराण में उद्धरण दिया है। इस विषय में आनन्दपुराण के ७।१६ एव ३१३वे अध्यायों की श्रवण आवश्यक है। भास्करवर्मा (मानवी वातावदी) के निधानपुर के अलिखित में गणपति का नाम आता है।

गणपतिपूजन में श्रौतवेद (२।२३।१) की "गणाना त्वा गणपतिम्" नामक स्तुति की जाती है तथा "आम् महाभयपतये नमो नम निविञ्च वुम्" नामक शब्दों में प्रणाम किया जाता है।

पुण्याहवाचन

यद्यपि मन्वारायणमात्रा जय रविपथ निजन्धा में पुण्याहवाचन का सूत्र वर्णन पाया जाता है, किन्तु अति प्राचीन काय में यह सूत्र ही मीमा-मादा कृत्य था। आपस्तम्बरसंग्रह (१।८।१३।८) में आया है कि गणेश दान कृत्या में (यथा विवाह में) गर्भो वाच "ओम्" में आरम्भ होना है, और "पुण्याहम्", "स्वस्ति" एव "शुद्धिम्" का उच्चारण किया जाता है। त्रिया-मन्वारायण वा कृत्य करनेवाला व्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणों की गण्य, पुण्य एव ताम्बूः (पात) से सम्मान-

नित करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि "अमुक नाम्न मम करिष्यमाणविवाहास्याम कर्मणे स्वस्ति भवन्तो भुवन्तु" अर्थात् बाप इस कृत्य के दिन को शुभ घोषित करें, जिसे अमुक नाम वाला मैं करने जा रहा हूँ, और तब ब्राह्मण उत्तर देते हैं—"ओम् स्वस्ति" अर्थात् ओम् शुभ हो। 'स्वस्ति' 'पुण्याहम्' एवं 'शुद्धिम्' तीनों क साथ यही क्रिया होती है और तीन-तीन बार दुहरायी जाती है।

मातृका-पूजन

सूत्रों में 'मातृका' (माता देविमा) की चर्चा नहीं पायी जाती। किन्तु कतिपय साधनों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि ईसा की आरम्भित शताब्दियों में मातृकापूजन होता था। मूच्छरटिन नाटक में चाण्डल अपने मित्र मंत्रेय से मातृका के लिए बलि की चर्चा करता है। गौतम-स्मृति (१।११-१२) में १४ मातृकाओं के नाम गिनाये हैं, यथा—गौरी, पद्मा शची, मेधा, सावित्री विजया जया, देवसना स्वधा, स्वाहा धृति, पुष्टि, सुष्टि तथा अपनी देवी (अभीष्ट देवता)। मार्कण्डेय० (८।११-२० एवं ३३) में मातृगण के नाम से सात माताओं (मातृकाओं) के नाम आये हैं। मत्स्यपुराण (१७।१९-३२) में एक सौ से अधिक माता-देवियों के नाम आये हैं यथा माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, चामुण्डा आदि। बरार्हमिहिर की बृहत्संहिता (५।८।५६) में मातृ-देवियों की मूर्तियों की ओर संकेत है। नादम्बरी के लेखक बाण ने श्री माता-देवियों की चर्चा करते हुए उनके दूटे-भूटे मन्दिरों का उल्लेख किया है। कृत्यरत्नाकर में सात माताओं की मूर्तियों की चर्चा की है तथा देवीपुराण ने मातृका-पूजन की चर्चा करते हुए उनके प्रिय पुत्रों के नाम बताये हैं। स्कन्दपुराण के विहार स्थित प्रस्तर-स्तम्भ के अभिलेख में मातृका-पूजन का उल्लेख है। चालुक्य राजा सात माताओं के प्रियमकर बड़े गये हैं। वदम्ब राजा भी कर्तिकेय स्वामी एवं मातृगण के पुजारी बड़े गये हैं। विश्ववर्मा के मन्त्री मयूरराज ने माताओं के लिए मन्दिर बनवाये थे (सन् ४२३-२४)।

मातृका-पूजन की परिपाटी कब से प्रारम्भ हुई? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। किन्तु गृह्यसूत्रों में यह वर्णित नहीं है। सर जान मार्शल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में, जो मोहनजोदड़ो के विषय में लिखे गये हैं (विन्द १, पृ० ७ एवं ४९-५२ एवं चित्र १२, ५४ एवं ५५), माता-देवियों की प्राकृति की ओर संकेत किया है। उनका कहना है कि आयों ने कालान्तर में मातृका-पूजन की परिपाटी मोहनजोदड़ो के निवासियों से सीसी, और सिंध की पत्नी दुर्गा का पूजन इस प्रकार वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो सका। श्रग्वेद (१।१०२।४) में सोम नदान के वर्णन में सात माताओं का उल्लेख है (सम्भवतः यहाँ ये सात माताएँ सात भागएँ (छन्द आदि) या सात नदिमाँ हैं)।

नान्दी-श्राद्ध

इस पर हम श्राद्ध के प्रकरण में पढ़ेंगे।

पुसवन

इस सत्कार को यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसके करने से पुत्रोत्पत्ति होती है (पुमान् प्रयुपते मेव)

६ उपर्युक्त अभिलेखों के लिए देसिए फर्म से (१) गुप्ता इतिहास, पृ० ४७, ४९, (२) इतिहास ऐन्डोलोकोरी, जिल्द ६, पृ० ७३ एवं एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १०० (६०० ई०), (३) इतिहास ऐन्ड वेरी, जिल्द ६ पृष्ठ २५ एवं (४) गुप्ता इतिहास, पृ० ७४।

तत् पुसवनमीरितम्—भारदारप्रवासा)। 'पुसवन' शब्द अपववेद (६।११।१) में आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'लड्डे को जन्म देना'। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१३।२-७) ने इस सस्कार का वर्णन यों किया है—गर्भ के तीसरे महीने त्रिष्य (अर्थात् पुष्य) नक्षत्र के दिन स्त्री को गत पुनर्वसु नक्षत्र में उपवास कर लेने के उपरान्त अपने-से ही रंग के बछड़े वाली गाय के दही में दो कण सिम्बिक (सेम) एवं जो का एक कण देना चाहिए (एक चुल्हू दही में दो सेम एवं एव जो तीन बार देने चाहिए)। यह पूछने पर कि 'तुम क्या पी रही हो', 'तुम क्या पी रही हो,' स्त्री बोलेगी—'पुसवन (पुष्य की उत्पत्ति) 'पुसवा'। इस प्रकार पति दही, दो सेम एवं एक जो के दाने ने गाय तीन बार क्रियाएँ करता है।

पुसवन के वर्णन में कुछ धर्मशास्त्रकारों में मतभेद भी है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र एवं भारद्वाज-गृह्यसूत्र के मत में पुसवन का सस्कार सीमन्तोत्सव के उपरान्त होता है। आपस्तम्ब तो इसे गर्भ के स्पष्ट हो जाने पर ही करने को कहता है। पारम्पर एवं वैजवाप जातूकर्ण्य गोमिल, ज्यारि आदि में समय आदि पर मतभेद नहीं है। याज्ञवल्क्य (१।११), पारम्पर (१।१४), विष्णुधर्मसूत्र बृहस्पति आदि ने कहा है कि जब भ्रूण हिलने डुलने लगे तब यह क्रिया करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ नक्षत्रों को पुरप नक्षत्र माना है, यथा स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत एक श्लोक में हस्त मूल श्रवण पुनर्वसु मृगशिरा एवं पुष्य पुरप नक्षत्र कहे गये हैं। सस्कारमयूत्र में लिखित नारदीय के अनुसार रोहिणी पूर्वामाद्रपदा एवं उत्तरामाद्रपदा भी पुरप नक्षत्र है। वसिष्ठ के अनुसार स्वाति, अनुराधा एवं अश्विनी भी पुरप नक्षत्र है। इस प्रकार कई मत हैं जिनके विस्तार में पठना यहाँ अपेक्षित नहीं है। काठक-गृह्यसूत्र (३।२।०) ने गर्भाधान के चौबस तथा मातृगम्यसूत्र में जाप्ये मास के उपरान्त पुसवन करने का निर्देश किया है। बह्वृत-सि गृह्यसूत्रों में न्यग्रोध की बोपत्रो (नये पत्तों) को कूटकर स्त्री के दाहिने नपुने में निचोड़ने को कहा है। सूत्रकारों ने इस विषय में जो मन्त्राचारण बताये हैं उनमें भी विभेद है। अतः मन्त्रोक्ता विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो सकता है कि पुसवन सस्कार में घागिव (होम तथा पुष्य प्राप्ति प्राचीन काल से ही मान्य है), प्रनीवात्मक (सेम एवं जो के साथ दही का पीना) एवं ओषधि-मग्नद्वयी (स्त्री की नाभ में कोई पदार्थ डालना) तत्त्व पाये जाते हैं। पारम्पर (१।१४) ने पत्नी की गोद में कछुए के पित्त (मायु) को रखने का निर्देश क्यों किया है, समझ में नहीं आता।

सस्काररखनमान जैसे वागन्तर वाले ग्रन्थों में पुसवन के लिए होम की भी व्यवस्था की है और कहा है कि पति के अनाव में देवर भी इस श्रुत्य को कर सकता है, किन्तु तब वह गृह्याग्नि (भोजनगृह की अग्नि) में ही किया जाता है। यही बात सीमन्तोत्सव के विषय में भी लागू है।

अनवलोकन या गर्भरक्षण

यह श्रुत्य स्पष्टतया पुसवन का एक भाग है। आश्वलायनगृह्यसूत्र ने (उपनिषद् में वर्णित) इन दोनों को पुसव-पुषव माना है। वैजवापगृह्यसूत्र ने कहा है—पुसवन एवं अतमत्रोम्न को इष्य पक्ष के चन्द्र की षतुर्दशी को पुस पहियों में, जब चन्द्र किमी पुष्य नक्षत्र के गाय हो, करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि दोनों का मताना एक ही दिन होता था। इन दोनों सस्कारों का तात्पर्य यह है कि इनने करने से गर्भपात नहीं होता। आश्वलायन-गृह्यसूत्र (१।१।१५-७) ने इसका वर्णन या किया है—'तब वह किसी गोल धर को छाया में पत्नी के दाहिने नपुने में बिमी न मूगी हुई जड़ी का रस डाले। कुछ आचार्यों के मत से 'प्रजावत्' एवं 'जीवपुत्र' नामक मन्त्रों का उच्चारण

मौ होना चाहिए।* तब परे हुए अन्न की आहुति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हृदय के पास का स्थल छूना चाहिए और प्रजापति ने प्रार्थना करनी चाहिए—अहा! आपके हृदय में क्या छिपा है, मैं उम्मे समझता हूँ मेरे पुत्र को चोट न पहुँचे ..।”

उपरोक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि दूर्वा-रस का स्त्री की नाक में डालना, उसके हृदय को स्पर्श करना एवं देवताओं को भूषण की रक्षा के लिए प्रसन्न करना आदि कर्म इस संस्कार के विशिष्ट लक्षण हैं।

सौमन्व-वारिका के अनुसार इस संस्कार को अनवल्लोमन कहा जाता है, जिसके अनुसार भूषण निविष्टन रहता है और गिरता नहीं। मृत्युसंसार के अनुसार यह चौथे मास में किया जाता है। लघु-आश्वलायन (४।१-२) के अनुसार अनवल्लोमन एवं सीमन्तोन्नयन गर्माधान के चौथे, छठे या आठवें मास में मनाये जाते हैं।

शाखायनगृह्यसूत्र (१।२।१।३) ने गर्भरक्षण कृत्य के विषय में लिखा है—चौथे मास में गर्भरक्षण कृत्य किया जाता है। पके हुए अन्न की छ आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं और “ब्रह्मणाग्नि” नामक मन्त्रों (ऋक् १०।१६२) को “स्वाहा” के साथ उच्चारित किया जाता है और स्त्री के अंगों पर निर्मलीकृत घृत छिड़का जाता या चुपड़ा जाता है।

आश्वलायनगृह्यसूत्र के अनुसार यह कृत्य प्रत्येक गर्माधान के उपरान्त किया जाना चाहिए। त्रिन्नु बहुते-से प्रत्यक्षकारों ने इसे पुसवन की मूर्ति एवं ही बार करने को कहा है।

सीमन्तोन्नयन

इस संस्कार का वर्णन आश्वलायन (१।१।४।१-९), शाखायन (१।२२), हिरण्यकेशीय (२।१), वीषायन (१।१०), भारद्वाज (१।२१), गोमिन्त्र (२।७।१-१२), गार्दिर (२।२।२४-२८), भारस्कर (१।१५), काठक (३।१।१-५) एवं बसवानस (३।१२) नामक गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। ‘सीमन्तोन्नयन’ शब्द का अर्थ है “(स्त्री के) बच्चों को ऊपर विभाजित करना।” याज्ञवल्क्य (१।११) एवं ध्यास (१।१८) ने इस संस्कार को केवल ‘मीमन्त’ की सजा दी है, गोमिन्त्र (२।७।१), मानवगृह्यसूत्र (१।१।२।२) एवं काठकगृह्यसूत्र (३।१।१) ने इसे ‘मीमन्तकरण’ कहा है, त्रिन्नु आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।२।१) ने इसे पुसवन के पहले ही उल्लिखित किया है। आश्वलायन ने इसका अर्थन यों किया है—गर्माधान के चौथे मास में सीमन्तोन्नयन (कृत्य) करना चाहिए। धूप होते हुए चन्द्र की चतुर्दशी के दिन जब चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्र के माघ हा (या नारायण के अनुसार कमलो-जम निम्ब नक्षत्र का नाम पुन्यम म हा) दमे करना चाहिए। तब अग्नि स्वापना की जाती है (अर्घान् आज्यमाग की आहुतियों का होंम किया जाता है)। फिर अग्नि के पश्चिम बेल (वृष) का चर्म रख दिया जाता है, जिसकी गरमा पूर्व और ओर बाल ऊपर रहने हैं तथा आज्य (हिमंशुकृत पूत) की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। मन्वाररतों को स्त्री चर्म पर बैठकर पति का हाथ पकड़ लेनी है और मन्त्रोच्चारण किया जाता है, यथा—अथर्ववेद (७।१।७।२-३)

७ नारायण ने व्याख्या की है कि जड़ी “दूर्वा” ही है, जो बहुत पुराने काल से प्रयोग में लगी जाती रही है। इस जड़ी का रस नाक में मौन रूप में या मन्त्रोच्चारण के साथ डाला जा सकता है। बौनों मन्त्र ये हैं—आ से गर्भो योनिनेतुं पुमान् बाण इवेपधिम् । आ धीरो जायता पुत्रस्तं वसामथं ॥ अग्निंरंतु प्रथमो देवताता सीमंसे प्रजां मृश्यन्तु मृत्युवासात् । तदर्थं राजा वदन्तोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री पौरुषमथ न रोदात् ॥ इत्तमं प्रथमं ध्ययंवेद (३।२।३।२) का ओर दूसरा आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ (१।४।७) का है।

के दो मन्त्र, ऋग्वेद (२।३२।४-५) के दो तथा 'नेजमेय०' नामक तीन मन्त्र (ऋग्वेद १०।१८४ के पश्चात् वाला एक सिलसूक्त एव आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ १।१२।७-९)। तब सस्कारकर्ता स्त्री के (मस्तक के ऊपर के) बालों को, बच्चे फलों की सम सख्या से तथा साही (पालकनी) के तीन रंग वाले बटि तथा कुत्त के तीन गुच्छों के साथ ऊपर करता है और चार धार 'मूर् मुख, स्व, ओम्' का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त वह दो वीणावादनो को सोम राजा की प्रशंसा में गाने का आदेश देता है। वीणावादन यह गाथा गाते हैं—'हमारे राजा सोम मानव जाति को आशीर्वाद दें। इस (नदी) का पहिया (राज्य) स्थिर है, जहाँ वे रहते हैं। आप उन्हें उनकी पति एवं पुत्र वाली बूढ़ी ब्राह्मण स्त्रियाँ जो बहती है बरने दीजिए।' इस कृत्य के बारे में आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ में जो १३ मन्त्र आते हैं, वे सभी ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय संहिता में पाये जाते हैं।

इस सस्कार में सबसे प्रथम मन्त्रों के साथ होम होता है। चिन्तु इस सस्कार का केवल सामाजिक एवं श्रौतविवेक महत्त्व है, क्योंकि यह केवल गर्मिणी को प्रसन्न रखने के लिए है। गृह्यसूत्रों में इससे विस्तार के सम्बन्ध में मतकल्प नहीं है। दो-युग मत इस प्रकार है—पाठा न तीसरे, मानव ने तीसरे, छठे या आठवें, आश्वलायन ने चौथे, आपस्तम्ब एवं हिरण्यवेशी ने नम से चौथे एवं छठे तथा पारस्कर मानवन्वय (१।११), विष्णुधर्मसूत्र (२८।३) और पाप ने छठे, आठवें मास को इसके लिए माना है। स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत धार-मत के अनुसार सीमन्तोत्थान सस्कार भूषण के हिलने डुलने से लेकर जन्म होने तक किया जा सकता है। आश्वलायन, दार्यायण एवं हिरण्यवेशी गृह्यसूत्रों के अनुसार चन्द्र का किसी पुरुष नक्षत्र के साथ जुड़ा होना परम आवश्यक है। हिरण्यवेशी ने कहा है कि सस्कार गोल स्थल में होना चाहिए। आश्वलायन ने गर्भवती स्त्री को बैठ के चर्म (खाल) पर बँटाया है, चिन्तु पारस्कर ने मुलामम कुर्सी या आसन की व्यवस्था की है। नितनी आहुतियाँ दी जाये, इस विषय में भी मतैक्य नहीं है। गोमिल, पादिर, भारद्वाज पारस्कर एवं दार्यायण ने पत्ते चावल और जल पर पत या तिल रखने की व्यवस्था की है और गर्मिणी को उस देतने को कहा है। गर्मिणी में पूछा जाता है कि क्या देख रही हो? यह कहती है कि मैं सन्तान देख रही हूँ। अधिपाय में सभी गृह्यसूत्रों ने यह कहा है कि स्त्री के बेशो को ऊपर उठाते समय पति बच्चे फलों के गुच्छे (गोमिल, पारस्कर, दार्यायण ने इसे उदुम्बर फल माना है) का, साही के तीन घारी (रंग) काने बटि का तथा तीन बुत्तों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के विस्तार में बहुल-नी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, कोई किसी फल का नाम बताता है, कोई तीन चार तो कोई छ चार चर्म उठाने को कहता है, कोई माया पहनाने को कहता है तो कोई व्याभूषण की चर्चा करता है।

मानवगृह्यसूत्र (१।१२।२) ने सीमन्तोत्थान की चर्चा विवाह-सस्कार में भी की है। लघु-आश्वलायन (५।८-१६) ने आसन-उत्थानगृह्यसूत्र का बड़ा सुन्दर संक्षेप किया है।

आपस्तम्ब, दौधार्य, भारद्वाज एवं पारस्कर ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक बार प्रथम गर्भाधान के समय मनाया जाता चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र के अनुसार यह सस्कार स्त्री का है, चिन्तु अन्य लोगों ने इसे भूषण का माना है और इसे प्रति गर्भाधान के लिए आवश्यक बतलाया है। बालान्तर में यह सस्कार समाप्तप्राय हो गया, क्योंकि मनु ने इगवा नाम तक नहीं लिया है। पातञ्जल्य ने नाम ले लिया है।

विष्णुवलि

विष्ट के अनुसार यह कृत्य गर्भाधान के आठवें मास में किया जाना चाहिए। यह उसी मत में जब बुक्त पक्ष के चन्द्र के साथ श्वक, रोहिणी या पुरुष नक्षत्र हो और तिथियाँ हों दूसरी, सातवीं या द्वादशी, तब किया जाना चाहिए। भूषण की मायाओं को दूर करने तथा तप्तानोपति में रक्षा के लिए यह कृत्य किया जाता है। इसे प्रत्येक

गर्माधान पर किया जाता था। एक दिन पूर्व नान्दीश्राद्ध की व्यवस्था की गयी है। इससे उपरान्त अग्नि-होम आज्य-भाग तक किया जाता है। अग्नि के दक्षिण कमल या स्वस्तिक के चिह्न के आकार का एक अन्न स्पण्डिल बनाया जाता है, जिस पर विष्णु को पके हुए चावल की (घृत के साथ) ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। कुछ लोग विष्णु को न देकर अग्नि को ही आहुति देते हैं। इसमें मन्त्रा का उच्चारण होता है (ऋग्वेद १।२०।१६-२१ १।१५।४।१-६, ६।६९।१-८, ७।१०।४।११, १०।१०।१-१६, १०।१८।४।१-३)। अग्नि के उत्तर-पूर्व में एक वर्गाकार स्थल पर गोबर लीपकर उसे श्वेत मिट्टी से ६४ वर्गों में बाँटकर, पके हुए चावल की ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। उपर्युक्त मन्त्रों का ही उच्चारण होता है। ६४ आहुतियों के ऊपर एक आहुति विष्णु के लिए रहती है और "नमो नारायणाय" का उच्चारण किया जाता है। पति तथा पत्नी पृथक्-पृथक् उनी चावल व दो पिण्ड खाते हैं। इसके उपरान्त अग्नि स्विष्टकृत् का वलि दी जाती है। ब्राह्मणा का भोजन एक दक्षिणा दी जाती है। वरदानस (३।१३) न विष्णुवलि का एक भिन्न रूप उपस्थित किया है। सर्वप्रथम अग्नि तथा अन्य दबनागण प्रणिधि-पात्र के उत्तर वृत्त में जाने हैं और अन्त में 'पुरुष' चार बार "ओम् भू, ओम् भुव, आम् स्व, आम् भूर्भुव स्व" के साथ बुलाया जाता है। तब अग्नि के पूर्व में सम्भारवर्ता कुशों पर केसव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन श्रीपर हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर के नाम से विष्णु या आवाहन करता है। इसके उपरान्त विष्णु का मन्त्रा व माधव स्नान कराया जाता है (मन्त्र ये है 'आप ०'—नैतिगीय संहिता ४।१।५।११, ऋग्वेद १०।१।१-३, 'हिरण्यवणा ०—नैतिगीय संहिता ५।६।१ तथा वह अध्याय जिसका आरम्भ "पक्मान" से होता है)। विष्णु की पूजा वाग्हा नामा द्वारा चन्दन पुष्प आदि में की जाती है नर घृत की 'अनी दवा' (ऋग्वेद १।२२।१६-२१) 'विष्णुर्जुषम्' (ऋग्वेद १।१।५।१-१-७), 'तदस्य त्रियम्' (नैतिगीय संहिता २।८।६, ऋग्वेद १।१५।८।१) 'प्रतद्विष्णु' (नैतिगीय ब्राह्मण २।८।३, ऋग्वेद १।१५।४।२), 'परा माप्रया' (नैतिगीय ब्राह्मण २।८।३), विचक्रम त्रिदंवा" (नैतिगीय ब्राह्मण २।८।३) नामक मन्त्रों के साथ १२ आहुतियाँ दी जाती हैं। इस उपरान्त मन्त्रारवना दूध में पाराय हुए चावल की वलि की, जिस पर आज्य रखा रहता है, चापणा करना है और १२ नामा या हुहराता हुआ १२ मन्त्रा व माधव (ऋग्वेद १।२२।१६-२१ एवं ऋग्वेद १।१५।४।१-६) वलि देना है। इसके उपरान्त वह चारा वेदा में मन्त्र करण दबनाग्रा की स्तुति करके झुंझता है और बारहा नामों से "नम" शब्द के साथ प्रणाम करता है। अन्त में चापणा का जो भाग शेष रहता है उसे स्त्री या लेनी है।

सोप्यन्तीसमं

दश संस्कार की चर्चा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।६।१३-१५), हिरण्यसंहितागृह्यसूत्र (२।२।८, २।२।१), भार-द्वाजगृह्यसूत्र (१।२२) शांतिगृह्यसूत्र (२।७।१३-१४), खादिरगृह्यसूत्र (२।१।२९-३०), पारस्करगृह्यसूत्र (१।१६), वाठरगृह्यसूत्र (३।३।३) में हुई है अतः यह अग्नि प्राचीन संस्कार है। इन संस्कार का अर्थ है 'एव' ऐसी नारी के लिए संस्कार जो अभी बच्चा जननवाणी हो" अर्थात् बच्चा जननवाणी नारी के लिए संस्कार या वृत्त। ऋग्वेद (५।७।७।७-९) में इसके प्रारम्भिकतम मन्त्र पाये जाते हैं— जिस प्रकार वायु शीत का मन्त्र और में लिखा होता है, उसी प्रकार देसाव महीन में भ्रूण दिले और वाटर चला आये। त्रिम प्रकार वायु या एव मन्त्र गति में है उसी प्रकार है ध्रुव तम देसके मास में है। प्राण च च आभा। पुत्र मोर अन्त में देस मास मान व उपरान्त प्राण आभो जीवितान्था म च आभा, सृष्टि त च च आभा, मां मो जीवित वट। वृत्तारण्यारगतियद् (५।६।२३) न भी इस संस्कार की चर्चा की है, आपस्तम्बगृह्यसूत्र न भी उल्लेख किया है। विस्तार के विषय मगृह्यसूत्र

में कुछ अन्तर पाया जाता है। इस सत्कार के विषय में जितन भी गृह्यसूत्रों के नाम दिये गये हैं, उन सभी में कुछ-न-कुछ अन्तर पाया जाता है।

जातकर्म

यह कृत्य अत्यन्त प्राचीन है। तैत्तिरीयसंहिता (२।२।५।३-४) में हम पढ़ते हैं—“जब किसी को पुत्र उत्पन्न हो तो उसे १२ विभिन्न पात्रों में पकी हुई रोटी (पुरोडास) की बलि वैश्वानर को देनी चाहिए। यह पुत्र जिसके लिए यह इष्टि की जाती है पवित्र गौरवपूर्ण, धनधान्य से सम्पूर्ण, वीर एवं पशु बाला होता है।” इससे स्पष्ट है कि रुद्रके के जन्म पर वैश्वानरदेष्टि कृत्य किया जाता था। जैमिनि (४।३।३८) ने इसकी व्याख्या की है और कहा है कि यह इष्टि पुत्र के लिए है न कि पिता के लिए। शबर ने अपने भाष्य में कहा है कि जातकर्म के उपरान्त यह इष्टि करनी चाहिए (पुत्र की उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात् ही नहीं), जन्म के दस दिनों के उपरान्त पूर्णमासी या अमावस्या दिवस को इसे करना चाहिए। शतपथब्राह्मण न नाएच्छेदन (सद्य जात बच्चे की माँ से निवृत्त हुआ स्नान-मृगाल, जो गर्भाशय से लगा रहता है) के पूर्व के एक कृत्य का वर्णन किया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है यथा “जब पुत्र की उत्पत्ति होती है, तब उसे सर्वप्रथम विमलीशूत मगजन चटाना चाहिए, तब माँ के स्तन का स्पर्श कराना चाहिए। इस उपनिषद् के अन्त में (१।४।२४-२८) जातकर्म का एक विस्तारपूर्ण वर्णन है—मुत्रोत्पत्ति के उपरान्त अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तदुपरान्त बच्चे को किसी की गोद में रखकर दही को घी से मिलाकर एवं उसे शस्यपात्र में रखकर इन मन्त्रों को पढ़ा जाता है—“मैं एवं सहस्र सन्तानों को समृद्धि के साथ पाल सकूँ सन्तान-पशु-वृद्धि में बौद्धे अपरोध न उपस्थित हो, स्वाहा, मैं आपको अपने प्राण दे रहा हूँ स्वाहा जो कुछ मैंने इस कर्म में अधिव किया हो या कम किया हो, उसे अधि देवता, जिन्हें त्विष्यश्च कहा जाता है, प्ररूप एवं अच्छा किया हुआ बनायें तथा हमारे द्वारा मन्त्री प्रकार सम्पादित समझें।” इसने पश्चात् अपने मुख को बच्चे के दाहिने बान की ओर घुमाकर वह ‘वाक्’ शब्द तीन बार उच्चारित करता है। तब दही, घृत एवं मधु मिलाकर मोने के चम्मच से बच्चे को पिलाता है और इन मन्त्रों को कहता है—“मैं तुम में प्र-रखता हूँ, मुख रखता हूँ, स्तन रखता हूँ और सुमम भूमूँ, स्व, सभी को एवं साध रखता हूँ।” तब वह तबजात शिशु को “तू वेद है” ऐसा कहकर नाम रखता है। यही उसका गुप्त नाम हो जाता है। तब वह शिशु को उसकी माँ को देता है और उसे ऋग्वेद के मन्त्र (१।१६।४९) के साथ माँ का स्तन देता है। इसके उपरान्त वह बच्चे की माँ को मन्त्रों के साथ सम्बोधित करता है।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बृहदारण्यकोपनिषद् में जातकर्म सत्कार के निम्नलिखित भाग हैं—

(१) दही एवं घृत या मन्त्रों के साथ हाम, (२) बच्चे के दाहिने बान में ‘वाक्’ शब्द को तीन बार कहना, (३) मुंहके चम्मच या शलाका से बच्चे को दही, मधु एवं घृत चटाना, (४) बच्चे को एक गुप्त नाम देना (नाम-करण), (५) बच्चे को माँ के स्तन पर रखना, (६) माता को मन्त्रों द्वारा सम्बोधित करना। शतपथब्राह्मण में एक और बात जोड़ दी है, यथा—पौत्र ब्राह्मणों द्वारा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊपर की दिशाओं से बच्चे के ऊपर साँस लेना। यह कार्य केवल पिता ही कर सकता है।

जातकर्म के विस्तार के विषय में गृह्यसूत्रों में बहुत निरंतरता पायी जाती है। कुछ गृह्यसूत्रों में उपर्युक्त सातों बातों की ओर कुछ में दो-एक कम की धरती हुई है। विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैदिक मन्त्रों में भी भेद पाया जाता है।

जन्म के उपरान्त ही प्रथम सत्कार होता चाहिए। विन्दु इसने करने के इत्त में मतेष्य नहीं है। आर्यशासन

गृह्यसूत्र (१।१५।२) व अनुसार यह वृत्त्य किमी अन्य व्यक्ति द्वारा (माँ एवं दाई को छोड़कर) स्पृशं होने के पूर्व किया जाना चाहिए। पारस्करगृह्यसूत्र (१।१६) के अनुसार नाक काटने से पूर्व यह सस्कार हो जाना चाहिए। यही बात गोमिह (२।७।१७) एवं खादिर (२।२।३२) में भी पायी जाती है।

आश्वलायन एवं शाखायन ने जन्म के समय गुप्त नाम रखने को कहा है, किन्तु अलग से नामकरण सस्कार की चर्चा नहीं की है। शाखायनगृह्यसूत्र (१।२।६।६) ने जन्म व दसव दिन व्यावहारिक नाम रखने को कहा है। अब हम नीचे इस सस्कार के विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

(१) होम—जन्म के समय इसका वर्णन बृहदारण्यक०, मानव एवं वा०क०-गृह्यसूत्र में पाया जाता है। आश्व-लायनगृह्यसूत्र के परिशिष्ट (१।२६) में आया है कि अग्नि तथा अन्य देवताओं के लिए होम करना चाहिए। होम व उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं घृत देना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को आहुति देनी चाहिए। गोमिह एवं खादिर ने इस मोघ्यन्तीकर्म में अर्थात् जन्म के पूर्व करने को कहा है। शाखायनगृह्यसूत्र (२।१।१३) में इसे सम्पूर्ण वृत्त व उपरान्त करने को कहा गया है। आश्वलायन, शाखायन आदि ने इसे छोड़ दिया है। पारस्करगृह्य० (१।१६), हिरण्यकेशिगृह्य०, भारद्वाजगृह्य० (१।२६) ने लिखा है कि आपायन (गृह्य) अग्नि को हटाकर मूर्तिकर्मान् स्थापित करने चाहिए। मूर्तिकर्मान् को उत्तपनीय भी कहा गया है। यह अग्नि मूर्तिकर्मान्-गृह (जहाँ शिशु के साथ उभरी माँ रहती है) के द्वार पर रखी जाती है। वैश्वानस (३।१५) ने इस अग्नि को जातकर्मि एवं उत्तपनीय कहा है। इन मतों के अनुसार जन्म के समय इस अग्नि में श्वेत रंग की सरसों तथा चावल डालने चाहिए और यह वृत्त्य जन्म के उपरान्त दस दिनों तक प्रत्येक प्रातः एवं सन्ध्या में मन्त्रों के साथ किया जाना चाहिए।

(२) मेघाजनन—दसवें दो अर्थ है। बृहदारण्यकोपनिषद् में यह शब्द नहीं मिलता। आश्वलायन एवं शाखायन (१।२।४।९) में शिशु के दाहिने कान में मन्त्रोच्चारण को मेघा-जनन कहा गया है। किन्तु वैश्वानस, हिरण्य-केशि, गोमिह में मेघाजनन को दाहिने कान में कुछ बहने के स्थान पर बच्चे को दही, घृत आदि खिलाया गया है। क्या खिलाया जाय या क्या न खिलाया जाय, इस विषय में भी मतभेद नहीं है। बाद-उत्तर के ग्रन्थों में, यथा—समाप्तमयुः नै मधु एव घृतं वा दिया जाता जातकर्म सस्कार का एक प्रमुख अंग माना है।

(३) आप्य—कुछ सूत्रों ने जातकर्म के मिलमिले में आप्य नामक वृत्त्य का भी उल्लेख किया है। यह है बच्चे की नाभि पर मन्त्रोच्चारण करना, या लम्बी आयु के लिए दाहिने कान या नाभि पर कुछ बहना। आश्वलायन ने दही एवं घृत खिलाते समय इसी बात की ओर संकेत किया है। भारद्वाज०, मानवगृह्य०, वा०क० आदि ने भी यही बात कही है।

(४) अशाभिषेक (बच्चे के कंधे या दोनों कर्णों को छूना)—आश्वलायन ने लिखा है कि पिता 'वात्सल्य' अनुवाक के साथ बच्चे को छूता है। पारस्कर, भारद्वाज आदि ने बच्चे को दो बार छूने को कहा है, एक बार वात्सल्य अनुवाक (वाज० १।२।६-२९, तैत्ति० ४।२।२) के साथ तथा दूसरी बार "परवर (जैसा दुःख हो, बुल्हायी (जैसा पर-पातल) हो" के साथ। कुछ सूत्रों में यह क्रिया छोड़ दी गयी है।

(५) मात्रभिषेक (भारता को सम्बोधित करना)—पिता द्वारा माता के द्वार मन्त्रों से सम्बोधित होती है। बहुत-से सूत्रों में इसकी चर्चा नहीं हुई है। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में एक सूत्रों में मन्त्र रखा गया है।

(६) पञ्च-ब्राह्मणस्थापन—शतपथ० में आया है कि पाँच ब्राह्मण या केवल पिता शिशु के उपर साँस लेता है। पारस्कर में भी यही बात है (पाँच ब्राह्मण पूर्व में प्रथम प्राण, व्यान, अन्न, उदान एवं समान को दुःख-राएँ)। शाखायन ने केवल पिता को ही तीन बार बच्चे के उपर साँस लेने को कहा है। यह तीन सम्पूर्ण तीन वेदों की ओर संकेत करती है। बहुत-से सूत्रों ने इसका उल्लेख ही नहीं किया है।

(७) स्तन-प्रतिपान या स्तनप्रदान—दूधके द्वारा बच्चे को स्तनपान कराने की क्रिया की जाती है। बृहदारण्यकोपनिषद्, पारस्कर० वाजसनेयी संहिता, आपस्तम्ब०, भारद्वाज० आदि ने इसकी चर्चा की है। यही एक स्तन के लिए और बहो दाना के लिए मन्त्रान्तरण की व्यवस्था की गयी है।

(८) वेदाभिमुख्यण (वेदाभिमुखन)—जहाँ शिशु उत्पन्न होता है, उस स्थान को छुना तथा पृथिवी को मम्बोधित करना होता है। पारस्कर० भारद्वाज० एवं हिरण्यवेदि० में यह वर्णित है।

(९) नामकरण (बच्चे का नाम रखना)—जन्म के दिन ही बृहदारण्यकोपनिषद्, आश्वलायन, शाखायन, गोमित्र, सादिर तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों ने नाम रखने की बात चलाई है। आश्वलायन (१।१५।४ एवं १०) ने दो नामों की बात यही है जिनमें एक की समी खोग नाम समत है, विन्तु दूसरे का उपनयन तब केवल माता-पिता ही जान सकते हैं। सर्वसाधारण की जानकारी वाले नाम के लिए विस्तार के साथ नियमादि बताये गये हैं। शाखायन ने गुप्त नाम के लिए विस्तार से विधान बताया है और साधारण नाम के लिए जन्म के उपरान्त दसवाँ दिन ही उपयुक्त माना है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१५।२-३ एवं ८) ने जन्म के समय नक्षत्र के अनुसार गुप्त नाम रखने की तथा दसवें दिन वास्तविक नाम रखने की व्यवस्था दी है। गोमित्र एवं सादिर ने शाध्यन्तीचर्म में नाम रखने का कहा है, आर कहा है कि यह नाम गुप्त है।

(१०) भूत-श्रेतो की भयाना—आश्वलायन एवं शाखायन इस विषय में मौन हैं। बहुत से सूत्रों ने इस विषय में छावी चर्चा की है और ऐन्द्रजादित्य मन्त्रा के उच्चारण की व्यवस्था दी है। आपस्तम्ब ने सरता के बीच एक घान की भूसी का आठ मन्त्रों के साथ अग्नि में तीन बार डालने को कहा है। कुछ अन्तरो के साथ यही बात भारद्वाज, पारस्कर आदि में भी है।

दुग्दी तिलगिले में कुछ गोण वाता की चर्चा भी हो जानी चाहिए। वीषायन, आपस्तम्ब, हिरण्यवेदी एवं वैपानस ने स्पष्ट लिखा है कि शिशु का स्नान करा दना चाहिए। हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र एवं वैपानस में परसु (फरसा), सोना तथा प्रस्तर एतन की व्यवस्था है, जो शक्ति के प्रतीक है, दुग्दी प्रकार पारस्कर, आपस्तम्ब, हिरण्यवेदी, भारद्वाज एवं वैपानस में जकपूर्ण पाय का जन्मा और बच्चे के स्तिर की ओर रखने का कहा गया है। इन सूत्रों में वैपानस को छाडकर किसी भी ज्योतिष-शास्त्रियों का नहीं उल्लिखित है। वैपानस (३।१८) ने लिखा है कि जब बच्चे की नास रिगार्ड पड जाय, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की जाँच कर लेनी चाहिए और भविष्य चयन के अनुसार ही जाय पत्रकर उतारा फालत-शोषण करना चाहिए, जिससे कि बहु सम्भावित शुभ मुग्दा का विकास कर सके। आपस्तम्ब एवं वीषायन के अनुसार मधु, दही एवं घृत के प्रेषण का अपवित्र स्थाना में नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें शायान में रख देना चाहिए। यह घृतय चमस अप्रचलित होता चला गया। मम्मवत नवजात शिशु के साथ दन्ता चम्बा चौडा मन्त्रार मुखिधाजनक नहीं जेंवा, क्योंकि हम आज में वाते केवल दुग्दो में ही मिलती हैं।

स्मृतिचर्चिका में शर्दित, दय्य निर्माण का उद्धरण दन हुए कहा है कि नास कटन के पूर्व असीच नहीं माना जाता। तब तब मन्त्रार किया जा सकता है, तिर माना, परिपान, धान्य आदि का दान किया जा सकता है। कुछ सूत्रों के अनुसार पिता का जन्मार्थ रत्न के पट्टे स्नान कर लेना चाहिए। स्मृतिचर्चिका ने फेतेत, व्यास तथा अन्य लोगों का मत प्रकट करने हुए लिखा है कि जन्मार्थ में मन्दीध्याद भी कर लेना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसमें स्वस्तिवाचन, पुष्पाष्टाका एवं मान्वापूजन किया जाना आवश्यक है।

मध्याराल के नियन्त्रणार्थ में वृषभधन की चतुर्दशी, अमावस्या, मूत्र, आश्वि मघा एवं ज्येष्ठा नक्षत्रों तथा अन्य ज्योतिष-शास्त्रियों के समय, मघा श्योतीचत, धर्म्युति, कर्त्तारि में तन्नावात्सति से उत्पन्न प्रभावा को दूर करने

के लिए शान्ति-कृत्यों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इन बातों पर यहाँ प्रकाश नहीं डाला जायगा। कुछ बातों पर हम शान्ति एव मुहूर्त के प्रकरणों में पढ़ लेंगे।

आधुनिक काल में पाँचवें या छठे दिन कुछ कृत्य किये जाते हैं, इनके विषय में सूत्रा में बार्हृ चर्चा नहीं हुई है। सम्भवतः ये कृत्य पौराणिक हैं, क्योंकि निर्णयसिन्धु, सत्कारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों में एन्द्रिययन् श्लोक मार्कण्डेय पुराण, व्यास एव नारद के ही पाये जाते हैं। पाँचवें या छठे दिन (छठी के दिन), पिता या अन्य सम्बन्धी लग राशि के प्रथम प्रहर में स्नान करते हैं, तब गणेश तथा अन्य जन्मदा नामक गौण देवताओं का मुट्ठी भर चावल या आवाहन करते हैं, इसी प्रकार पट्टीदेवी एव भगवती (दुर्गा) का भी आवाहन किया जाता है और सोल्ह उपनारों के साथ उनकी पूजा की जाती है। तब एव या नई वाह्यणा को ताम्बूल एव दक्षिणा दी जाती है और घर तथा कुटुम्ब के लोग रात्रि भर गाना गा-गाकर जागते हैं (भूत-प्रेतों का भगाने के लिए)। मार्कण्डेयपुराण में आया है कि कुछ मनुष्यों को अरुण-शस्त्र से सज्जित होकर रात्रि भर रक्षा करनी चाहिए। बालान्तर में बृगे नक्षत्रों के प्रभावों की मर्यादा इतनी बड़ा दी गयी कि कतिपय जन्मों में कुछ शिशुओं को त्याग देने तथा आठ वर्ष तक मुख न देखने तक की व्यवस्था की गयी। इस विषय में नित्याचारपद्धति (पृ० २४४-२५५) पठनीय है।

उत्पान (बच्चे का शय्या से उठना)—बैखानस (३।१८) के अनुसार १०वें या १२वें दिन पिता वेश बनवाता है, स्नान करता है, गृह स्वच्छ कराता है, तथा किसी अन्य गोत्र वाले व्यक्ति द्वारा जातकाम्न में पृथिवी के लिए यज्ञ कराता है। इससे उपरान्त औषासन (गृह्याग्नि) को मँगाता है, घाता को आहुति देता है, वरण को पाँच आहुति देता है और ब्राह्मणों को खिलाता है। शाखायनगृह्यसूत्र (१।२५) ने इस विषय में बड़ा विस्तार किया है जिसका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है। इस प्रकार सूक्तार्थि हट जाने पर औषासन (गृह की अग्नि) की स्थापना हाती है और बच्चे की माँ बच्चे के गिम्बर में उठने पर अन्य पवित्र वामों के योग्य ममसी जाने लगती है।

नामकरण

जैसा कि उपर्युक्त विवरण से व्यक्त हो चुका है, यह सत्कार गिम्बु के नाम रखने में सम्बन्धित है। विषय में विस्तार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय हैं—आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।७।८-११), आरज्यायनगृह्यसूत्र (१।१५।-४-१०), शौषायनगृह्यसूत्र (२।१।२३-२१), भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।२६) गामिन्गृह्यसूत्र (२।८।८-१८), हरिष्य-वेत्तिगृह्यसूत्र (२।४।६-१५), काठकगृह्यसूत्र (३।४।१-२ एव ३६।३-४), बौधायनगृह्यसूत्र (५।८।१३-१७), मानवगृह्यसूत्र (१।१८।१), शाखायनगृह्यसूत्र (१।२।४।४-६), बैखानस (३।१९) एव वागह्यसूत्र (२)।

नाम रखने की क्रिया के विषय में बड़ा मनभेद रहा है। प्राचीन साहित्य, सूत्रों एव स्मृतियों में अनेक विधियों की चर्चा है। कुछ मत निम्न हैं—

(क) गोमिल एव सादिर के मतानुसार सोप्यन्तीचर्म में भी नाम रखा जा सकता है।

(ख) बृहदारण्यकोपनिषद्, आश्वलायन, शाखायन, काठक आदि के मत में जन्म के दिन ही नाम रखने की व्यवस्था है। शतपथब्राह्मण में भी ऐसा ही कहा है, "पतञ्जलि के महाभाष्य में भी ऐसी ही चर्चा है—"लोते नावमानाग्निरो पुत्रस्य जातस्य भव्तेज्जगामे नाम बुधनि देवदत्तो यज्जदम इति। तपोग्गवागदन्देर्ग्रि जानन्ती-यमस्य भवेति।"

(ग) चान्दान्य यौगयन्त भास्कराज एव नामकरण के लिए दसवाँ दिन माना है।

(घ) याम्यवर्ष (१११२) के जन्म के ११वें दिन नामकरण की व्यवस्था दी है।

(ङ) योषावर्षगृह्यसूत्र (२।१।२३) में १०वाँ या १२वाँ दिन तथा विष्णुसंनिगृह्यसूत्र में १२वाँ दिन माना गया है। वैश्वानर के प्रनसार माना १०व या १२व दिन सूत्रिकसूत्र छोड़ते हैं जो नामकरण की चर्चा करती है। मत् (२।३०) के मत से १०वाँ या १२वाँ दिन या ताई शुभ तिथि (मृत्युं एव नश्यत न माष) दोष मानी जानी चाहिए।

(च) शोभित (२।८।८) एवं शोभित न अन्तार दस गता मा गता मा एवं वर्ष के उपरान्त नामकरण दिनी नो दिा सम्पादित हो गता है। त्थ-आश्व-गण्ड (६।१) त ११वाँ १२वाँ या १६वाँ दिन अच्छा कहा है। अन्तर्गत न गृह्यपरिनिष्ठ के अनुसार दसवीं राति गोवी राति या मा न न उपरान्त ही नाम का बाल ठीक माना है। भविष्यपुराण के १०वीं या १२वीं या १४वीं या १५वम व उपरान्त की तिथि को परम्परा दी है। बाण के बादमन्त्रों में लिखा है कि तारापीठ के अपनी पुत्र चन्द्रपीठ का नाम रखवे दित रखा (पूर्वभाग अनुच्छेद ९८)।

टीकाकारों को इन विभिन्न मतों में कठिनाइयाँ का सामना करना पडा। विद्वत्स्य न १०वीं राति के उपरान्त या कुल्लू (मनु २।३०) के ११वें दिन (विष्णुव न गण्ड ही) नामकरण की तिथि मानी है। मेरातिथि के १०वें एवं १२वें दिन के पूर्व नामकरण की तिथि नहीं मानी। अन्तरगत न लिखा है कि बाण अपने-अपने गृह्यसूत्र के अनुसार तिथि का निर्णय करें। आपुनित नान्त न नामकरण जन्म के १२वें दिन मितो वैदिा मन्त्रोच्चारण के महा गिग्न जाता है। स्थियाँ एतन् होती हैं और पुरुषों से परामर्श कर नाम पाचित कर देता है जो वचने को पालने पर ध्यान देती है। बही-बही अब भी यह सत्यार विविध विद्या जाता है किन्तु अब उमा प्रचरन एव प्रचार में उठ गया है।

ऋग्वेद में एव षोडश नाम की चर्चा हुई है (८।८०।९), जो एव दश धर्म के उपरान्त रखा जाता है। माषण के मतानुसार चार नाम हैं, नाशय नाम (जिस नश्यत न कच्चा उत्पन्न होता है उत पर), गुण नाश, सर्वमाधारण का मा नाम तथा बौद्ध यज्ञकर्म सम्पादित करने पर रखा गया नाम, यथा सोमयाजी, अर्थात् सामवाग वरुण म उत्पन्न नाम। ऋग्वेद के मन्त्र १०।५।४ में चार नामों की ओर संकेत है, एव १।७।१२ में गौतमे नाम की चर्चा हुई है। ऋग्वेद (१।८०।३, १०।५।१-२) में गुण नाम की ओर स्पष्ट निर्देश है। अन्तर्गतशास्त्र (३।६।२।२८) में भी पिता द्वारा रण म्ये तीमरे नाम का उल्लेख हुआ है। माषणशास्त्र (२।१।२।११) में आया है—“यज्ञेन इन्द्र वा गृह्य नाम है, और फाल्गुनी नक्षत्रों का स्वामी इन्द्र है, अतः वे वाग्वच में ‘आर्जुन्य’ है, किन्तु ये अप्रत्यक्ष रूप से ‘ध्यागुन्य’ बड़े जाते हैं।” गुण या गृह्य नाम निज प्रकार रखा जाता या यह वैदिक कालिय में स्पष्ट नहीं हो पाता।

तीन नामों के उदाहरण वैदिक साहित्य में हम प्रारंभ हैं, यथा प्रसदस्यु (अपना नाम), धीरबुस्य (पुरुनता वा पुत्र), धैर्यसिधु (गिरिभिति वा बसाज)। ये नाम ऋग्वेद (५।३।३।८) में मिल जाते हैं। ऐतरेयशास्त्र (३।३।५) में शारदेष की आश्रीमन्नि (अश्रीवाँ वा पुत्र) एवं अगिरम (गोत्र नाम) कहा गया है। राजा हरिद्वन्द्व की वही (ऐतरेयशास्त्र ३।३।१) वैषत (वैषम् वा पुत्र) एवं ऐश्वर्य (इश्वामु वा बसाज) कहा गया है। माषणशास्त्र (१।२।५।४।१) में इन्द्रो दीवा (देवाधि वा पुत्र) शीतन (गोत्र नाम) जामेजय वा पुरोहित कहा गया है। छान्दोग्योपनिषद् (५।३।१ एवं ७) में इन्द्रवेतु आरुण्य (आरुण्य के पुत्र) को गौतम (गोत्र नाम) कहा गया है। बडोपनिषद् में नचिरेता वाग्ध्रथत का पुत्र है और शोभम (शोभ नाम) नाम से सम्बोधित है।

बहुधा वैदिक साहित्य में व्यभिा दानां में मन्त्रोपिा है। कुछ तो अपने एव गोत्र के नाम से विख्यात हैं, यथा मेष्पातिथि वाग्ध्र (५० ८।२।४०), विष्णुरूप आगिरम (५० १०।१४।५), वत्समी वाग्ध्र (तैत्ति० ५।२।१।६), वाग्निा धाम्यं (बृहदारण्यकोपनिषद् २।१।१), अन्तर्गत मागंय (ऐतरेयशास्त्र ३।१।८)। कुछ व्यभिा

अपनी नाम तथा अपने देण दे नाम से उल्लिखित है यथा वन नर (शु० ८।।१०३) नील वैश्व (एत० ३।।) दुर्मूल पाण्ड्या (एत० ३०।२२) जन्म वदे अजातपुत्र नाम (उत्तराण्यनामिका १।१।१)। वीरवती माता के नाम से भी नामकरण हुआ गया है दोषवना मामय (शु० १।१२।१६) सुत नामय (अर्चने का पुत्र शु० ४।२६।१ ७।११।२ ८।१।११) नगोपान जीवित (जीवित नामय का वा पुत्र ६० १।१८।१ वाक्यज्ञेयी सहिता ३।२८) प्रह्लाद कागधव (व्याघ्र का पुत्र तैत्ति १।५।१०) महिदाम एतय (द्वारा का पुत्र एतयो भोषणिय ३।१६।३)। वृद्धारण्यनोषणिय व अत म ६० प्राथिया व नामा म माताआ व नाम का उल्लेख है। माता के नाम या माता व पिता के नाम व नाम व साथ नाम रखा वा परिवर्तन कालांतर में भी वर्तनी गयी। जन्मेद एव नय नैदिन व यों मे वृद्धा नामो के साथ पिता व नामा का सम्बन्ध पाया जाता है यथा—अश्वीध नज्यादन मन्वेद एव मृगाधम का वाप्यगिरि (व्यागिरि व पुत्र शु० १।१००।०) रामा सुभाम को पीतका नहा मया है (मित्रवत का पुत्र शु० ७।१८।२२) इवागि ता जालिपण वना गया है (ऋत्विष्य का पुत्र शु० १०।१८। ५६) मनी प्रवार रविग मय्य गृहस्पत्य (तैत्तिरीय्यमिता २।६।१०) मय वाग्नि (एतद्वद न ह्यम १।३।१० एव नत्तिगयमिता ३।१) मरत नौष्यति (नायवभ्राह्मण १।३।५।४।१ एतय वाङ्मण २।१।९) नामोऽप्य मानय (एतय वाङ्मण २।२।९)।

नामा व नियम म प्रद्युम्न नियमा का निर्धारण गृह्यसूत्रो द्वारा ही हुआ है (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।१ १०।।)। गणपत्यागृह्यसूत्र म जो नियम है वे आश्वलायनगृह्यसूत्र त मित है। हम नीचे ऋत्विष्य नियम का उद्घाटन करते हैं—

(१) मनी गृह्यसूत्रा म सर्वप्रथम नियम यह है कि पुत्र्य वा नाम दो वा चार अक्षरा का या एत मद्य वात्रा होना चाहिए। वैदिन साहित्य म व नाम है—वक वित कुत्त भूषु या व्रतदारयु गुरुकुत्त मेष्वागिति वृहस्पत आदि। किन्तु तीन अक्षरों के नामा का यथा वरय व्यवन मरा आदि एव पाँच अक्षरों के नाम यथा ताण्य मेष्मिष्ठ हिष्मन्मूप आदि वा अभाव नहान पाया जाता। ब्रजवापगृह्यसूत्र म एव दो तीन चार वा पाँच अक्षरों के नामा का ममयन पाया गया है। शास्त्रायन न छ अक्षरों एव बौधायना ने (२।१।२५) ६ वा ८ अक्षरा वा नामा का भी ममयन किया है।

(२) मनी गृह्यसूत्रा म यह नियम पाया जाता है कि नाम का आरम्भ उच्चारण करने दोष्य यथा मोष म अपत्यर वाग अरय हो। महाभाष्य म याज्ञिक। क पाचीन उद्धारण म भी यही वात शोधनी है।

(३) कुछ सूत्रो म एता आया है कि नाम के अन्त म विषम हो किन्तु उगवे पूत्र दीप स्वर अवश्य होना चाहिए (आप० माट्टाज० हिरण्य० पारस्कर० आदि)। आश्वलायन व विष्णु वा अत न श्राग स्थितार विषय है। वैनायन एव गोमिड न विषम या शीघ्र स्वर व माप अत्र होना श्रावित किया है। मन्वन्त २ न्तिग सुभाम दीपेनमा वृषुधया आदि ऋग्वेदीय नामा क आचार पर बने हैं।

(४) आपस्तम्ब ने किया है कि नाम व दो भाग होने चाहिए, जिनम पहला भाग हो और दूसरा ऋत्विष्य हो यथा ब्रह्मदत्त देवदत्त मज्जदत्त आदि।

९ नाम धारमं दयु दीपवदाद्यतरन्तस्वमिन्विष्टानान्त इष्यारम। वजुत्तर वा। इष्यार इन्विष्टानात् इवतुत्तर ब्रह्मवदत्तारामः। सुमार्ति स्वय पुताम। अयुजानि रजीपास। अभिरारदीय च तमीशान तमात्तद्विहरी विद्यातामोचनयनात्। आप० सु० १।१५।५ १०।

(५) कुछ गृह्यशास्त्रों में यशःपारम्पर्य गोमित्र, गार्ग्यायन वैजवाप्य वाराह आदि ने लिखा है कि नाम 'गृत्' से बनना चाहिए न कि तद्धित से।

(६) आपस्तम्ब एव हिरेण्यवेदि० का कहना है कि नाम में 'गु' उपसर्ग होना चाहिए, यथा—मुजात, मुदशंन, मुबेधा।

(७) वीषायन० व अनुगार नाम किमी ऋषि, देवता या पूर्वपुंस्य में निमृत् होना चाहिए। मानवगृह्य-सूत्र में देवता का नाम दर्जित माना है किन्तु देवता के नाम में निर्मित कामिष्ठ, नारद आदि नामों को स्वीकार किया है। विष्णु, दिन आदि नाम भी प्राचीन रह है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।१२) में द्रस्य वा उद्धरण है, जिससे पता चलता है कि नाम वा सम्बन्ध कुलदेवता से होना चाहिए। आपुनिक काल में बहूधा लोको के नाम देवताओं, सूरवीरों या देवताओं के अवनारा में सम्बन्धित पाद जान है। किन्तु वैदिक काल में मनुष्यों के नाम देवताओं के नामों से सम्बन्धित नहीं पाये जाते। दा एन अपवाद भी है, यथा भृगु (तैत्तिरीयोपनिषद्, ३।१) ने अपने पिता ऋण से विद्याध्ययन किया था, गौर्याणि गार्ग्यं वा नाम सूर्यं म सम्बन्धित है। देवताओं से निमृत् नाम अवश्य पाये जाते हैं, यथा इन्द्रोत् (इन्द्र-उत्तर रक्षित), इन्द्रयुम्न आदि। महामाष्य में उल्लिखित नाम, यथा देवदत्त, यज्ञदत्त, वायुदत्त, विष्णुमित्र, बृहस्पतिदत्त, (बृहस्पतिर) प्रजापतिदत्त (प्रजापतिक), मानुदत्त (मानुव) मानवगृह्यसूत्र के नियम वा प्रतिपादन करते हैं।

(८) वीषायन, पारम्पर्य, गोमित्र एव महामाष्य द्वारा उद्धृत यामिकों के नियम में अनुसारा वचने का नाम पिता के किमी पूर्वज का ही होना चाहिए। किन्तु पिता वा नाम पुत्र वा नाम नहीं होना चाहिए (मानव-गृह्यसूत्र, १।१८)।

(९) पारम्पर्य एव मानव को छोड़कर सभी गृह्यसूत्र यह स्वीकार करते हैं कि गृह्य नाम गोप्यनीति में (गोमित्र एव गार्दि के मत से), जन्म के समय (आश्वलायन एव वाठव के मत में) तथा नामारण के समय १०वें या १२वें दिन (आपस्तम्ब, वीषायन एव मारदाज के मत से) रखा जाना चाहिए। हिरेण्यवेदि० एव वैश्वानर के मतानुसार गृह्य (गुप्त) नाम अन्न के समय के नक्षत्र से सम्बन्धित होना चाहिए। आश्वलायनगृह्य-सूत्र के अनुसारा गुप्त नाम अग्निवादीय (जो उपनयन तक वेदज्ञ माना पिता को ज्ञात रहता है, जिसे यथापूर्वक प्रथम करने समय वच्चा स्वयं प्रयोग में लाता है) ब्रह्म जाता है, किन्तु ऐसा क्या, इस पर प्रमाण नहीं मिलता। गोमित्र गार्दि, वाराह एव मानव ने अग्निवादीय नाम की चर्चा की है। गोमित्र के मत में यह नाम उपनयन के समय आचार्य द्वारा दिया जाना चाहिए और जन्म के समय के नक्षत्र या उग नक्षत्र के देवता में सम्बन्धित होना चाहिए। कुछ लोगों के मत में, जैसा कि गोमित्र ने लिखा है, अग्निवादीय नाम बच्चे के सोप में सम्बन्धित होना चाहिए, यथा गार्ग्य, शाण्डिल्य, गौतम आदि। वैदिक यज्ञों के नक्षत्र नाम की महत्ता थी।"

४

१०. नक्षत्रदेवता होता एतन्निर्वयत्तमंणि। यज्ञान्तरय शारप्रज्ञंराम नक्षत्रज्ञ इत्युक्तम्। देवायग्योतिष (श्रु०), श्लोक २८। वैदिक साहित्य एवं वेदांगयोतिष में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से अपभरणी तक होती है, न कि अश्विनी से देवनी तक, जैसा कि माध्यमिक एवं आपुनिक काल में पाया जाता है। नक्षत्र और नक्षत्रदेवता ये हैं— (अपववेद, १९।७।२५, तैत्तिरीय संहिता, ४।४।१० एव तैत्तिरीय ब्राह्मण, १।५।१ तथा ३।१।१ में प्राचीनतम तालिका मिलती है) कृत्तिका—अग्नि, रोहिणी—प्रजापति, मृगशीर्ष या मृगशिरः (इन्द्रका, सं० सं० में)—मौम, आर्द्रा (सं० सं० में बाहु)—ऋत, पुनर्वसु—अश्विनि, ज्येष्ठा (पृथ्वी, अपववेद में)—बृहस्पति, आश्लेष्वा (सं० सं० में आश्लेष्वा)—सर्व,

वैदिक साहित्य में सैत्रडो नाम मिलते हैं, किन्तु उनमें कोई भी सौधे ङग म नक्षत्रों में सम्बन्धित नहीं जेंचता । शतपथब्राह्मण (६।२।१।३७) में आपादि सौधोमतेय (अपाड एव सुधोमता वा पुत्र) नाम आया है । यहाँ सम्भवतः अपाड अपाडा नक्षत्र में सम्बन्धित है । लगता है, ब्राह्मण-काल में नाक्षत्र नाम गहननाम के कालान्तर में नाक्षत्र नाम गृह्य न रह सके और व्यवहार में आने लगे । ईसा की कई शताब्दियां पहले नाक्षत्र नाम प्रचलित हो चर थे । पाणिनि (जो ई० पू० ३०० के परचातु नहीं आ सकते) ने इस विषय में कई नियम बनाए हैं (४।३।३४-३७ एव ७।३।१८) । उन्होंने श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त अपाडा एव बृहला (कृत्तिका) से बने नामों को चर्वा की है, यथा श्रविष्ठा, फाल्गुन आदि । रुद्रदामन् के जूनागड अभिलेख (१५० ई०) में चन्द्रगुप्त मौर्य के सल्ले का नाम पुष्यगुप्त है । स्पष्ट है, ई० पू० चौथी शताब्दी में नाक्षत्राध्यय नाम रणे जात थे । महाभाष्य में भी तिष्य, पुनर्वसु, चित्रा, रेवती, राहिणी नामक नाम हैं । महाभाष्य में शुभ-वश के सस्थापक पुष्यमित्र का भी नाम लिया गया है । बौद्ध लोग भी नाक्षत्र नाम रखते थे, यथा मोगलि-पुत निम्म (यहाँ गोत्र-नाम एव नाक्षत्र नाम दोनों प्रयुक्त हुए हैं), परिव्राजक पाट्टपदा (प्रोत्पपदा), अपाड, फगुन, श्रानिगुत, पुनग्वित (सौची अभिलेख) । आगे चलकर भी नाक्षत्र नाम पाए जात हैं । कर्मी-त्रमी नक्षत्रदेवता से सम्बन्धित नाम भी रखे जाते थे, यथा आग्नेय (कृत्तिका नक्षत्र में जन्म के रागण, कृत्तिका के देवता हैं अग्नि), मैत्र (अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण) । आजकल सौधे ङग से देवताओं एव अवतारों के नाम रने जाते हैं यथा रामचन्द्र, नृसिंहदेव, शिवशंकर, पार्वती, पीता आदि ।

मध्यकाल के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों एव ज्योतिष-ग्रन्थों में नक्षत्रों से सम्बन्धित दूसर प्रकार के नाम भी आते हैं । २० नक्षत्रों में से प्रत्येक चार पादों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक पाद के लिए एव त्रिंशत् अक्षर दे दिया गया है (यथा चू, चे, चो एव न्य अश्विनी के लिए हैं) । इन पादों में जन्म लेने पर नाम इन्हीं अक्षरों से आरम्भ होने हैं, यथा—चूडामणि, नेदीग, चोलेश तथा लक्ष्मण । ये नाम गृह्य नाम हैं और आज भी उपनयन के समय ग्रहचारों के वान में या सन्ध्या-पूजा में उच्चरित होते हैं ।

आधुनिक काल के मस्कारप्रकाश ऐसे ग्रन्थों में चार प्रकार के नाम वर्णित हैं, यथा—देवतानाम, मागनाम, नाक्षत्र नाम एव व्यावहारिक नाम । पहले नाम से स्पष्ट है कि यह नामधारी उस देवता का भक्त है । निर्गमनिष्ठ ने धाम-सम्बन्धी १२ नामों के लिए एक श्लोक का उद्धरण दिया है, जिसमें जन्म के महीने को प्रसंगता दी गयी है । " यहीना का आरम्भ मार्गशीर्ष मा चैत्र से होता है । बराहमिहिर की बृहत्सहिता में विष्णु के बारह नाम बारह

मया-पितर, फाल्गुनी (पूर्वा)—अथमा, फाल्गुनी (उत्तरा)—भग, हस्त-श्रविता, चित्रा-श्रविष्ठा, निष्ठा (स्वाति, अथर्ववेद में)—चाय, विशाले-इन्द्राग्नी, अनुराधा (अनुराधा)—मित्र, ज्येष्ठा (रोहिणी, तं० सं० में)—इन्द्र, मूल (चिचूती, तं० सं० में)—पितर (निर्ऋति, ब्राह्मणों, शांन्पायन गृह्यसूत्र में एवं प्रनागति), अपाडा (पूर्वा)—आप, अपाडा (उत्तरा)—विश्वेदेव, शोणा (अथर्ववेद में धवण)—विष्णु, ध्रविष्ठा (धनिष्ठा)—बसु, इतमिषयु-वरुण (तं० सं० में इन्द्र), प्रोत्पपदा (पूर्वा भाद्रपदा)—अजएवपाद्, प्रोत्पपाद (उत्तरा भाद्रपदा)—अश्विषुष्य, रेवती-गूपा, अश्वयुक् (अश्विनी)—अश्विनी, अपभरणी (भरणी, अथर्ववेद में)—यम ।

११. स्मृतिग्रंथे—इरणोऽन्तोऽव्युत्तश्चकी संकुच्छोऽप जनरंन । उवेन्तो धमपुण्यो वगुदेवतया हरिः ॥ योपीशः पुष्यरीकाशो मासनामान्यनुकमात् ॥ अत्र मार्गशीर्षदिदचंद्रादिर्वा अम इति मदनरत्ने । निर्गमनिष्ठ, परिष्ठाद ३ पूर्वाभि ।

महीनो स सम्बन्धित है, यथा कैशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु मधुसूदन, त्रिविक्रम, कामन, श्रीधर, हृषीकेश पद्मनाभ दामोदर।

लडकियो के नाम के विषय में भी विशिष्ट नियम बने थे। बहुत से गृह्यसूत्रों में ऐसा आया है कि लडकिया के नाम में राम मात्र के अक्षर होने चाहिए किन्तु मानवगृह्यसूत्र (११८) ने स्पष्ट लिखा है कि उनके नामों में तीन तीनों अक्षर होने चाहिए। पारस्कर० एवं वाराहगृह्य० ने लिखा है कि उर्विका के नाम में अन्त में आ की मात्रा होनी चाहिए। गोभिल एव मानव के मत में अन्त में आ होना चाहिए (मल्लिका वसुधा यशोदा नमदा)। सायण लिखित एवं धनवाय के अनुसार अन्त ई में होना चाहिए। किन्तु बोधायन ने लिखा है कि अन्त दीघ स्वर के साथ होना चाहिए। मनु (२।३३) के मत में अन्त लघ्व स्वर (दीघ) में होना चाहिए। इसी प्रकार कई विभिन्न मत मिलते हैं। आज तक लडकिया के नाम बंदिया पर मिलते हैं यथा—सिंधु जाह्नवी यमुना तापती नमदा नादा वृष्णा कावरी आदि।

मनु ने गृह्यसूत्रों के जटिल नियमों का परित्याग कर दिया है। उन्होंने नामकरण के सात नियम दिए हैं (१) सभी वर्णों के नाम सुमसूत्रक गवितवायक शान्तिदायक ह्रात चाहिए (२।३१-३२) (२) ब्राह्मणों एवं अन्य वर्णों के नामों के साथ एक उपपद ह्रात चाहिए जिससे धाम (प्रसन्नता) रक्षा घुट्टि एवं प्रप्य या सतेत मिले। पारस्कर का छांडोग्य विसौ अन्य गृह्यसूत्रों में ब्राह्मणों या अन्य लोगों के नामों के आगे धाम आदि का जोडा जाना नहीं किया गया है। महाभाष्य में इन्द्रवमा इन्द्रप्राणित आदि नाम मिलते हैं। दिवग प्रथम राजय अवगत धारिण या तथा दूतारा वैद्य या है। यम के अनुसार श्राद्धणा की नामांशधि धर्मा या दत्त धारिण की वर्मा या शान्त बन्ध या भूति या दत्त तथा गृह्य की दाम है। किन्तु इस नियम का पालन सदा पाया नहीं गया। ताउमुण्ड अमिलका में पदम्बन्धना का सम्थापन ब्राह्मण या आर्य उसका नाम या मगूर धर्मा किन्तु उससे बसजा न धारिण की भक्ति यमा नामांशधि धारण का थी।

यहां पर मातृ यात्रनाम के सम्बन्ध में भी कुछ नियम आवश्यक हैं। बंदिन गोभिल का उक्तो पदम्ब १ दिया जा चुका है। आश्वत्थामनगृह्यसूत्र (१।१।१) का उक्तो है कि बर या बर्या या चतारा में पिता एवं माता के नाम का परगला कर जाना चाहिए। आश्वत्थामनधातसूत्र में आया है कि दन्वय के म उममथ थय न मयग यत्तया न माता तथा पिता इना दग पाडिया तव विद्या परित्रता आदि गुणा में पूषण ह्रात चाहिए। राजवल्लभ (१।५४) ने लिखा है कि बर्या या चतारा में म वात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका यम धारिण या और म योडिया तर विद्या एवं बरिण के लिए प्रसिद्ध है। जत माता या माता के पिता के नाम में उमयन्त नाम या जय यत् है कि यह अक्षर वा या मुखर है। नासिज अभिचर (न २) में लिखे (धै) गुम्माया या यान्तिगुत्त वन्त गत है। जो प्रथम आनीक नाम उमयन्त माडिगुत्त वन्त गया है। एवं पिता लन्त अभिचर में भागया न पुत्र के नाम में नातरय न माता के प्रसिद्ध कुत्त वा आर्य गत गुन्ता। यान्तिगुत्त के उक्तो नाम माडिगुत्त या मा नाम वन है यथा वन्तभति (७०० ७१० ई०)। अपन या वारिण एवं

१२ नक्षत्रात्मा नवोनामा वशात्तमात्रम पहिना । आप० गु० ३।३३, शम व लक्षणय यम धारिणय गुणेति वंश्याय । पारस्कर १।१७ । शशयनगृह्यसूत्र (१।१।१०) में आया है—“अथसुदाहरति—धर्मात् ब्रह्मणय यमार्मात् धारिणय गुत्तान्त विषय, भूत्वशरान्त गृह्यय शान्तामव या।” यम—धर्मा देवदय विप्रय धर्मा प्रता च भूभूत । भूतिवन्तव वश्यय शान्ता दूतय वार्येत् ॥

अपनी माता को जातुकी कहा है। महामाय की कालिका से हम पति हैं कि वेदाकरण पाणिनि दात्री के पुत्र थे।

आश्वलायनगृह्यसूत्र ने नामकरण का वर्णन नहीं किया है। बहुत-से गृह्यसूत्रों ने ऐसा लिखा है कि सूक्तिकाग्नि को हटाकर औपासन (गृह्य) अग्नि में नामकरण के लिए होम करना चाहिए। भारद्वाज० ने जया, अम्पादान एव राष्ट्रमृत मन्त्रों के दुहराने तथा घृत की आठ आहुतियाँ मन्त्रों के साथ दिये जाने की बात चलायी है। यही बात हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में भी है (२।४।६-१४)। इस गृह्यसूत्र ने दो नामों की चर्चा की है, अर्थात् एक गृह्यनाम तथा दूसरा साधारण नाम। इनमें १२ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ४ मान्वाजाओं को, ४ अनुमति को, २ रावा को एव २ सिनोवाली को दी जाती है। कुछ मतां से एक त्रैहवीं आहुति है कुह को।

बालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने बहुत विस्तार के साथ यह संस्कार-विधियाँ करने को लिखा है। गोद में बच्चे को रखकर माता पति के दाहिने बैठती है। कुछ लोगों के मन में माता ही गृह्य नाम रखती है, और पान की भूमी को बाँगे के वरतन में छिड़कर मीनों की लेखनी से "श्रीगणेशाय नमः" लिखती है और तब बच्चे के चार नाम लिखती है, यथा कुलदेवनाम (जैसे योगेश्वरीमन्त्र), मामनाम, व्यावहारिक नाम तथा नक्षत्र नाम।

कुछ सूत्रों में नामकरण के उपरान्त कुछ अन्य विस्तार भी पाये जाते हैं। यान्त्रिक लीटने पर पिता पुत्र के सिर को हाथ में छूकर नाम के साथ रहता है—“अनादमान्.” और उसे तीन बार सूचता है। पुत्री के लिए यह नहीं होता, यथा माया मुघना या मन्त्रोच्चारण, केवल मद्य में ही कुछ बटना होता है। इससे स्पष्ट है कि पुत्री की अनेका पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था, यद्यपि पुत्री को वित्तुल निरादत्त नहीं समझा गया है।

कर्णवेध

आधुनिक काठम जन्म के वारहवें दिन यह किया जाता है। बांयायनगृह्यसूत्र (१।१२) में कर्णवेध ७वे या ८वें मास में करने को बटा गया है, किन्तु वृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १०वें, १२वें या १६वें दिन या ७वें या १०वें मास में करना चाहिए। स्मृतिकिञ्चिन्ना में बटन ही शेष में यह लिखा गया है। कर्णवेध के उपरान्त ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आधुनिक काल में यह काम सोनाह करता है। बच्चे के कान के छटारने हुए भाग में फले तार से छेद कर उसे गालाहार बांध दिया जाता है। छटारने के कर्णवेध में पहलें बायाँ कान छटा जाता है। निरुक्त (२।४) से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी यह संस्कार किया जाता था। वही आया है—
जां (गुर) कान को मत्य के साथ छेदना है, बिना पीडा दिये जो अमृत डाटना है, वह अपने माता एव पिता के समान है।”

निष्क्रमण

यह एक छोटा कृत्य है। परस्करगृह्यसूत्र (१।१७) में बहुत ही संक्षेप में इसका वर्णन आया है। गोविन्द (२।८।१-७), तादिर० (२।३।१-५), बांयायन० (१।१२), मान्वा० (१।१९।१-६), काठक० (३७-३८) में वर्णन

१३. य आनुषण्णवितयेन कर्णाज्जुगं कृष्णम्भृतं गणदत्तम्। तं मण्डे पितरं मानरं च तस्मै न हृद्येत्स्वन्नमन्वनाह ॥ निरुक्त (२।४)। यह श्लोक ब्रह्मसंहिता (२।१०) एवं त्रिपुण्ड्रसूत्र (३।१४७) में भी प्राया है। वैदिक साहित्यमें (१०।८।२२-२३) एव गन् (२।१६४)।

मिलता है। बहूता के मत से यह जन्म के चौथे मास में किया जाता है। अपरार्क के बचनानुसार एक पुराण के मत से यह जन्म के १२वें दिन या चौथे मास में किया जाता है। इसमें पिता सूर्य की पूजा करता है। पारस्करगृह्यसूत्र के अनुसार पिता पुत्र को सूर्य की ओर दिखाता है और सन्तोन्चारण करता है। वीषायन में आठ आहुतियों वाला होम भी वर्णित है। गोमिल ने चन्द्रदर्शन की भी बात उठायी है। यम ने लिखा है कि सूर्य एव चन्द्र का दर्शन क्रम से तीसरे एव चौथे मास में होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी अपने मत प्रकाशित किये हैं, जिनका उल्लेख यहाँ स्थानानुसार के कारण नहीं हो रहा है।

अन्नप्राशन

इस विषय में देखिए आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१६।१-६), शाखायनगृह्यसूत्र (१-२७), आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१६।१-२), पारस्करगृह्यसूत्र (१।१९), हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।५।१-३), वाठकगृह्यसूत्र (३९।१।२), भारद्वाज-गृह्यसूत्र (१।२७), मानवगृह्यसूत्र (१।२०।१।६) तथा वैखानस० (२-३२)। गोमिल एव आदिर ने इस सस्वार का छोड़ दिया है। बहूत-भी स्मृतियों में इसके लिए छठा महीना उपयुक्त माना है। मानव ने पांचवीं या छठा, वास ने १२वीं या छठा मास उपयुक्त समझा है। वाठक ने छठा मास या जब प्रथम दाँत निकले तब इसके लिए ठीक समय माना है। शाखायन० एव पारस्कर० ने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। शाखायन० ने लिखा है कि पिता को बकरे, तीतर या मछलों का मांस या भात दही, घृत तथा घणु में मिलाकर महाव्याहृतियों (म, भुव, स्व) के साथ बच्चे को खिलाना चाहिए। उपयुक्त चारों व्यजन क्रम से पुष्टता, प्रकाश, तीक्ष्णता या धन-पान्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसके उपरान्त पिता अग्नि में आहुतियाँ डालता है और ऋग्वेद के चार मन्त्र (४।१२।४-७) पढ़ता है। अवनीय भोजन को माता या लेती है। आश्वलायन में भी ये ही बातें हैं, केवल मछली का वर्णन वहाँ नहीं है। इसी प्रकार अन्य गृह्यसूत्रों में भी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पाया जाता है। कुछ क्षेत्रका ने बच्चे को खिलाने के साथ हाम, ब्राह्मण भोजन एव आशीर्वाचन की भी चर्चा की है। सस्वारप्रकाश एव सस्वाररत्न-माला में इस सस्वार का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। एक मनोरञ्जक बात की चर्चा अपरार्क ने मार्कण्डेय-पुराण के उद्धरण में की है। उत्सव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष सभी प्रकार की बलाओं एव गिालों से सम्बन्धित यन्त्रादि रख दिये जाते हैं और बच्चे को स्वतन्त्र रूप से उन पर छोड़ दिया जाता है। बच्चा जिस वस्तु को सर्वप्रथम पकड़ लेता है, उसी उसी गिाल या पेशे में पारणत होने के लिए पहले से ही समझ लिया जाता है।

वर्षवर्धन या अब्दपूर्ति

कुछ सूत्रों में प्रत्येक मास में सिद्ध के जन्मदिन पर कुछ द्रव्य बरने को कहा गया है। ऐसा वर्ष भर तक तथा उसके उपरान्त जीवन भर वर्ष में एक बार जन्मदिवस मनाने को कहा गया है।^{१४} वीषायनगृह्यसूत्र (३।७) ने लिखा है—आयुष्वावरु के लिए (जीवन भर) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक छठे मास, प्रत्येक चौथे मास, प्रत्येक ऋतु या प्रत्येक मास

१४. कुमारस्य मासि मासि संवत्सरे सावत्सरिकेषु वा वर्षेषु आग्नीन्दी द्यावापृथिव्यो विद्यादेवांसु च यजेत्। संवत्सिद्ध्यै तिथि मशत्रु च यजेत्। गोमिलगृह्यसूत्र २।१।१९-२०। आयुः, कार्तिक एव फाल्गुन की अनावस्थाओं का सावत्सरिकवर्ष कहा जाता है। देखिए शाखायनगृह्यसूत्र (१।२५।१०-११)।

जन्म के नक्षत्रदिन में भान की आहुति देनी चाहिए।^{१५} काठानुष्ठानम् (३६।१२ एव १४) ने नामकरण के उपरान्त वर्ष भर प्रति मास होम करने की व्यवस्था दी है। यह होम वैशा ही किया जाता है जैसा कि नामकरण या जातकर्म के समय किया जाता है। वर्ष के अन्त में बरने तथा भेड का मास अग्नि एव यन्वन्तरि को दिया जाता है तथा ब्राह्मणों को घृत मिलाकर भोजन दिया जाता है। वैश्वानर (३।२०-२१) ने विस्तार के माघ वर्ष-वर्षन वा वर्णन किया है। उन्होंने इसे प्रति वर्ष करने को कहा है और किया है कि जन्मनक्षत्र के देवता ही प्रमुख देवता माने जाते हैं, और उनके उपरान्त अन्य नक्षत्रों की पूजा की जाती है। व्याहृति (भू स्वाहा) के साथ आहुति दी जाती है और तब घाता की पूजा होती है। इम गृह्यसूत्र न उपनयनत्रय के सभी उल्लासों के कृत्या का वर्णन किया है और तदुपरान्त वेदाध्ययन की समाप्ति पर, विवाह के उपरान्त विवाह-दिन पर तथा अग्निष्टोम जैसे ऋणों के स्मृतिदिन में जो कुछ किया जाना चाहिए, सब की चर्चा की है। जब व्यक्ति ८० वर्ष एव ८ मास का हो जाता है तो वह 'बृहन्नगरीर' कहलाता है, क्योंकि तब तक वह १००० पूर्ण चन्द्र देय चुका रहता है। इसके लिए बृहत्-मे कृत्यों का वर्णन है जिन्हें हम स्वानामाव के कारण उल्लिखित करते हैं अममय है। विवाहनर्ष दिन के लिए वैश्वानर ने लिखा है कि ऐसे समय स्त्रियाँ जो परंपरागत मिष्टाचार बन्धे बड़ी करना चाहिए।^१ अपराक के मार्कण्डेय को उद्धृत कर लिखा है कि प्रति वर्ष जन्म के दिन महोत्सव करना चाहिए, जिसमें अपने गुरुजना, अग्नि, देवों, प्रजापति, पितरा, अपने जन्म-नाक्षत्र एव ब्राह्मणों का स्तकार करना चाहिए। कृत्यरस्ताकर एव नित्याचारपद्धति में भी अपराक की बात कही है और इतना और जोड़ दिया है कि उम दिन मार्कण्डेय (अमर देवता) एव अन्य भात चिरजीवियों की पूजा करनी चाहिए।^१ नित्याचार-पद्धति ने राजा के त्रिं अग्निपेक-दिवस मनाने को किया है। निर्णयसिन्धु तथा मन्कारप्रकाश में इस उल्लास को "अब्द-पूर्ति" कहा है। मन्कार-रत्नमात्र ने इसे "आयुर्वर्षाण" कहा है। आयुर्विज्ञान में कही-कही स्त्रियाँ अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाती हैं और घर के प्रमुख सम्भे या दही मथनेवाली मयाती में बच्चे को मटा देती हैं।

चौल, चूडाकर्म या चूडाकरण

गनी धर्मशास्त्रकारों ने इस संस्कार का वर्णन किया है। 'चूडा' का तात्पर्य है बाल-मुच्छ, जो मुण्डित सिर पर रखा जाता है, इसे 'शिखा' भी कहते हैं। अतः चूडाकर्म या चूडाकरण वह कृत्य है जिसमें जन्म के उपरान्त पहली बार सिर पर एक बाल-मुच्छ (मिता) रखा जाता है। 'चूडा' से ही 'चौल' बना है, क्योंकि उच्चारण में 'ड' का 'ल' हो जाना सहज माना गया है।

बृहत्-मे प्रमंगलश्रवणों के मत में जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष चौल कर देना चाहिए। वीषायन० (२।४),

१५. आहुतानुष्ठितरायुष्यचरः। सवत्सरे षट्सु षट्सु मासेषु चतुर्षु चतुर्षु श्रुतावृत्ती मासि मासि वा कुमारस्य जन्मनक्षत्रे क्रियेत। वीषायनगृह्यसूत्र ३।७।१-२।

१६. षडङ्घ्रि विद्याहो भवति मामिके षाड्घ्रिके षाड्घ्रि तस्मिन् यस्त्रिय आहुः पारपर्यागतं मिष्टाचारं तत्तु करोति। घंशानस ३।२१। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।७) ने भी विवाह-दिन के कृत्य का वर्णन किया है, यथा—षड्वर्षनयोः त्रिय श्यासदेतस्मिन्नहनि भुञ्जोयाताम्।

१७. नित्याचारपद्धति में आया है—"अश्वत्थामा बलिर्घ्यामी हनुमांश्च विभीषणः। इयः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः॥ सत्संतानु यः श्वरोद्विप्रं यः श्वरोद्विप्रं मार्कण्डेयमपाष्टम्। जीवेद्विप्रं सार्यं सर्वव्याधिर्विजित्॥" निर्णय-सिन्धु ने कृत्यचिन्तामणि से मार्कण्डेय के विषय में बृहत्-मे श्लोक उद्धृत किये हैं।

पारम्पर० (२११), मनु (२।३५), वैतानस० (३।२३) ने लिखा है कि इसे पहले या नीसरे वर्ष बर देना चाहिए। आश्वलायन० एव चाराह० के अनुसार इसे तीसरे वर्ष या कुटुम्ब की परम्परा के अनुसार जब हो, बर डालना चाहिए। पारम्पर ने भी कुल-परम्परा की बात उजायी है। प्राश्वल्य ने भी किसी निश्चित समय की बात न कहकर कुल-परम्परा को ही मान्यता दी है। यय (अपराकं द्वारा उद्धृत) ने दूसरे या तीसरे वर्ष की व्यवस्था की है, किन्तु शस्त्र-त्रितित ने तीसरा या पाँचवाँ वर्ष ठीक माना है। सत्वारप्रवास भ उद्धृत यदुग्गीष्य एव नारायण (आश्वलायन-गुल्फुत्र १।१७।१ ने टीकाकार) ने इसे उपनयन के समय करने को कहा है। तीन वर्ष बाने मन व लिए निम्न धर्म-शास्त्रकार द्रष्टव्य है—आश्वलायन० (१।१७।१।१८) आश्विन्य० (१।६।३-११) गोमिल (२।१।१-२९), हिरण्यवेदि० (२।६।१-१५), वाडक० (४०), पारि० (२।३।१६-३३), पारम्पर० (१।२), शाश्वयन० (१।२८) वीषायन० (२।४), मानव० (१।२१) एव वेदान्त० (४।२३)।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह मस्वार अँदिव काट महीता था कि नहीं। मारद्वानुगुल्फुत्र (१।२८) एव मनु (२।३५) ने एा वैदिक मन्त्र (ऋ० ४।३५।१९ या तैत्तिरीय महिता ४।६।४।५) उद्धृत करने कहा है कि इसम वीजमं की ओर स्पष्ट संज्ञ है।^{१८}

इस वृत्त म प्रमुख नाम है बच्चे के तिर के वेन काटना। इनके साथ होम, द्वाह्यय मोजन, आशीर्वचन-ग्रहण, दक्षिणदात आदि वृत्त त्रिये जाते हैं। षट् हुए वेन गुप्त रूप से इस प्रकार हटा दिये जाते हैं कि कोई उन्हें प नही सके।

इस मस्वार के लिए शुभ मूर्त तिताग जाग है। इसका व्यवस्थित एक विस्तृत वर्णन आश्वलायन, गोमिल, चाराह एव पारम्पर (२।१) म पाया जाता है। निम्नलिखित सामग्रिया की आवश्यकता होती है (१) अग्नि के उत्तर चार बरतनो म अन्न-अन्न चावल, जौ, उरु एव तिल रये जाते हैं (आश्व० १।१७।७)। गोमिल (२।१।६-७) के मत से ये बरतन वेजल पूर्व दिशा में रये जाते हैं। गोमिल एव शाश्वयन के मतानुसार अन्न में ये अन्न-महित नार्दी को दे दिये जाते हैं। (२) अग्नि के पश्चिम माता वरुके को गोद में लेकर बैठती है। दो बरतन, जिनमें से एक में वील का गोबर तथा दूसरे म सभी की पत्तियाँ बरी रहती हैं, पश्चिम में रय दिये जाते हैं। (३) माता के दाहिने पिता कुन के २१ गुच्छों के साथ, जिन्हे ब्रह्मा पुरोहिता भी पवडे रह करता है, बैठता है। (४) गर्म या शीतल जन। (५) छुरा या उदुम्बर लकड़ी का बना छुरा। (६) एक दर्पण। गोमिल एव पारि० के मत से नार्दी, गर्म जल, दर्पण, छुरा एव कुन आदि अग्नि के दक्षिण तथा वील का गोबर एव तिरनिर्मित चावल अग्नि के उत्तर रये जाने चाहिए। आश्वलायन० पारम्पर०, वाडक एव मानव के मत से छुछ लोहे का होना चाहिए।

वर्तियय सूत्रो ने इस मस्वार के विभिन्न वृत्ता में विभिन्न मन्त्रों के उच्चारण की बातें की हैं, जिन्हें हम म्याना-नाम से यहाँ उद्धृत करने में असमर्थ हैं। आश्विन्य में पिता श्री क्षीरखमं करना है, यद्यपि कुछ सूत्रों ने, यथा वीषायन एव नारायण ने इस उत्सव में नार्दी का नाम नहीं लिया है। किन्तु आगे चलकर नार्दी की सम्मिलित बर लिया गया

१८. अथास्य सांवत्सरिकस्य षोडश कुर्वन्ति उपपि यथोपनं च। विज्ञापते च। यत्र माया सप्तल्लि कुमारा विशिला इव। इति बह्विधा ३वेति। मारद्वानु० १।२८।

१९. चार चार दाहिने और तीन बार बायें तिर-भाग से वेन काटे जाते हैं और प्रति बार तीन कुन-गुच्छों की आवश्यकता पड़ती है, अतः २१ गुच्छों की शक्या दी गयी है।

और पिता केवल होम एव मन्त्रोच्चारण यन्त्र ल्या ओर नाई शोरतमा।" शोरतमं मन्त्रो ने साथ किया जाता है।

कुछ सूत्रों के अनुसार कटे हुए वेना बेल के गोबर म रखकर गोशाला म गाउ दिये जात है, या तालाब या कही आस-पास जल मे फेंक दिये या उदुम्बर पत्र की जड़ म गाड दिय जाते है दर्भमूल म (बोधायन० मारदाङ्ग०, गोमिल०) या जगल म (गोमिठ) रख दिये जाते है। मानवगृहसूत्र म लिखा है कि बटे हुए रस निमी मित्र द्वारा एकत्र कर लिये जाते हैं।

सिर के किस भाग मे और कितने केश छोड दिय जान चाहिए? इस विषय म मन्त्रभेद है। गंधायनगृहसूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पाँच केश गुच्छ छोडे जा सन है, जैसा कि कुम्भपरम्परा व अनुसार जाता है। चिन्तु कुछ श्रुतियों के अनुसार पिता द्वारा आदृत प्रवरा की मन्थ्या के अनुसार ही केश छोडे जान चाहिए। आश्वलायन० एव पारस्कर० के अनुसार केश कुम्भमं के अनुसार रमे जाने चाहिए। आपस्तम्बगण्ड० व अनुसार शिरा-सन्ध्या प्रवर-सन्ध्या या कुम्भमं व अनुसार होनी चाहिए। काठकगृह्य० वदता है कि वशिष्ठ गाय वाल सिर की दाहिनी ओर, भृगु-वाले पूर सिर म, अग्नि गोत्र तथा वास्यय गात्र वाले दाना ओर, आग्नि स वाले पाँच तथा अगस्त्य, विश्वामित्र आदि गात्र वाले बिना किसी स्पष्ट मन्थ्या व शिरा रम लेत हैं क्यारि यह दुम और कुम्भमन्त्रिबल है।"

अजकल द्विदुओ का एक लक्षण है शिखा। चिन्तु कुछ दिनों मे शीवीन तबियन वाले शिख शिखा रमने मे लगाने है। देवद श्रुति ने लिखा है कि बिना यज्ञोपवीत एव शिखा के कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए। बिना इन दोनों के किया हुआ धार्मिक कृत्य न किया हुआ ममजना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घृणावग, मूर्खतावश या अघोषता के कारण शिखा बटा लेता है तो उसका पापमोचन तपश्चक्र प्रायश्चित्त से हो सम्भव है।"

आश्वलायनगृह्य० (१।१०।१८) के मत से लडकियों का भी चूडाकरण होना चाहिए, चिन्तु वैदिक मन्त्रा का उच्चारण नहीं होना चाहिए। मनु (२।६६) एव याज्ञवल्क्य (१।१३) ने जातकमं से घोड तन के गम्भी मस्कारा को लडकियों के लिए उचित माना है, चिन्तु इनमे वैदिक मन्त्रों का उच्चारण मना किया है। मित्र मिथ ने लिखा है कि लडकियों का घोड भी होना चाहिए। कुम्भमं के अनुसार पूरा सिर भण्डित होना चाहिए, या शिखा रमनी चाहिए,

२०. तेन यदचूडानां कारयिता पित्रादिः स एव यपनश्चेति सिद्ध भवति। इदानीं तु तादृशशिक्षाया अभावा-
स्तोत्रविद्विष्टत्वाच्च समन्त्रक चेष्टामात्र कृत्वा नापितेन यपन कारयन्ति सिष्टाः॥ सत्काररत्नमाला-पृ० ९०१।

२१. अर्धनमैकशितोत्त्रिशित पञ्चशितो या यथैवैषां कुलपमं स्यात्। यद्यपि शिखा त्रिदशतीयेरे। षो०
गु० २।४। बहुत से गोत्रों के श्रुति या प्रवर बहुधा तीन होते हैं, चिन्तु कुछ गोत्रों के एक, दो या पाँच प्रवर होते हैं।
चिन्तु चार की संख्या नहीं पायी जाती। विवाह के प्रकरण मे हम प्रवरों के बारे मे पुन पढ़ेंगे।

२२. वसिन्त कपुत्रा यशितानाम्। उभयतोऽत्रिकाशयानाम्। मुष्ठा भृगव। पञ्चचूडा अगिरस। धानि-
(राजि ?) मेके। मगलार्थं शिलिनोऽप्ये यथाकुलपमं वा। काठकगृह्य० (४०।२-८)। अपरार्थं एव स्मृतिचर्चिका
के भी इसे उद्धृत किया है।

२३. सदीपयौतितना भाव्यं सदा ब्रह्मशिलेन च। विशितो ध्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्॥ शिरसां छिन्दन्ति
ये मोहात् द्वेषावज्ञानतोऽपि वा। तप्तश्चक्षुःण मुष्पन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः॥ हारीत।

या केस काटे ही नहीं जायें।" कुछ जातियों में आज भी बच्चों के पैर एक बार बना दिये जाते हैं, क्योंकि गम वाले बाल अपवित्र माने जाते हैं।

विद्यारम्भ

तीसरे वर्ष (चौल सस्कार के समय) से आठवें वर्ष (शालूणा के उपनयन मस्कार के समय) तक बच्चों की शिक्षा के विषय में गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र संबंधी मोन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस ओर एक हल्का प्रकाश मिल जाता है। ऐसा आया है कि चौल के उपरान्त राजकुमार को लिखना एवं अर्वाणित मीराना पढ़ना था और उपनयन के उपरान्त उसे वेद, जान्वीशिवी (तत्त्वज्ञान), शान्ति (वृषि एवं धन-विज्ञान) एवं दण्डनीति (शासन-कला) १६ वर्ष तक पढ़नी पड़ती थी और तभी गोदान के उपरान्त उसका विवाह होता था।^१ बालिदास ने रघुवध (३।२८) में लिखा है कि अज ने पहले अक्षर सीमे और तब वह मन्त्र-साहित्य के सिन्धु में उतरा। बाण ने सम्भवतः अर्थशास्त्र की बात ही दुहरायी है। बाण की कादम्बरी में राजकुमार चन्द्रपीड ने विद्यामन्दिर में छ वर्ष की अवस्था में प्रवेश किया और वहाँ १६ वर्ष की अवस्था तक रहकर सभी प्रकार की मन्त्राओ एवं विद्याओं का अध्ययन किया। उत्तररामचरित (अ० २) में आया है कि कुछ एवं लव ने चौल के उपरान्त एवं उपनयन के पूर्व वेद के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ सीसी।

लुगता है, ईसा की आरम्भव शताब्दिधा से विद्यारम्भ नामक सस्कार मग्गादित किया जाने लगा था। अपराध एवं स्मृतिचरित्रा ने मार्चण्डेयपुराण के श्लोक उद्धृत करते विद्यारम्भ का वर्णन किया है।^२ बच्चे के पाँचवें वर्ष वार्षिक शुक्लपक्ष के बारहवें दिन म आपाड शुक्लपक्ष के ११वें दिन तब त्रिगी दिन, तिन्नु प्रथम, छठी, १५वीं तथा त्रिवा त्रिवा (चौथी, नवी एवं चौदहवीं) की तथा शनिवार एवं मंगलवार को छोड़कर विद्यारम्भ मस्कार करना चाहिए। हरि (विष्णु), लक्ष्मी, सरस्वती, मृत्युंजयो, कुन्विद्या की पूजा करने जगि में पून की आहु-तियाँ देनी चाहिए। इसने उपरान्त दक्षिणा आदि में ब्राह्मणों का मत्तर करना चाहिए। अप्याय की पूर्ण दिशा में तथा बच्चे को परिव्रम दिशा में बैठाना चाहिए। इसके उपरान्त गृह पदाना आरम्भ करता है और बच्चा शस्त्राणी

२४. कुमारोचोलेऽपि यथाकुलधर्ममित्यनुवर्तते। ततश्च सर्वगुण्डन श्रिताधारणम् अमुण्डनमेव वेति तिष्पति। संस्कारप्रशान्त ५० ३१०। एतच्च स्त्रीणामपि। 'स्त्रीशूद्रौ तु श्रिता शिल्पा श्रीधाद् धंराग्यतोऽपि वा। प्राजापत्यं प्रदुर्वीताम्' इति प्रायश्चित्तविधिषलात्। एतत्परिग्रहपक्षे। अत्र देवाभेदाद् ध्यवस्था प्रष्टव्या। स्त्रीणां वेदाधारणमेव श्रिताधारणम्। एतन्व्रामन्त्रकमेव स्त्रीणां कार्यम्। .. होमोवि न। संस्काररत्नामाला ५० १०४।

२५. ब्रह्मचोलेऽर्मा लिपि संख्यान चोपयुजोति। युरोप्यनपत्तत्रयीमान्वीक्षर्या च शिष्टेभ्यो वार्तामभ्यभेज्यो दण्डनीति धवन्प्रवस्तुभ्य। ब्रह्मचर्यं चापोऽशाद्वर्तन्। अतो गोदान शार्वर्भं च। अर्थशास्त्र (१।५)।

२६. प्राणैरप्य पञ्चमे वर्षे अग्रमुपे जनार्दने। षष्ठौ प्रतिपद्य चैव वर्जयित्वा तथाष्टमीम् ॥ रिक्ता पञ्चदशी चैव सौरभोगदिन तथा। एव मुनिश्चिते काले विद्यारम्भ तु कारयेत् ॥ पूनपित्वा हरि लक्ष्मी देवो चैव सरस्वतीम्। स्वविद्यासुत्रकारांश्च स्वां विद्यां च विशेषतः ॥ एतेषामेव देजानां नाम्ना तु जुहुयाद् पूनम्। दक्षिणाभिजिज्ञेन्द्राणां बर्तव्यं चात्र पूनम् ॥ प्राङ्मुखो गुरुरासोनी वाङ्मनाशामुग शिर्षु। अध्यायनेन प्रथमं द्विजातीभि गुपूजितम् ॥ ततः प्रभृत्यनभ्यान्व्यजंनोरानु गिवर्जयेत्। अपराशं (५० ३०-३१)। संस्कारप्रशान्त में उद्धृत विष्णुपौस्तक में आया है— "आपाड शुक्लपक्षमेव प्रायतं कुरते हरिः। निदां त्यजति जानिशयां तयोः संपूज्यते हरिः ॥"

का आशीर्वाद ग्रहण करता है। अनघ्याय के दिनों में शिक्षण नहीं किया जाता। अनघ्याय के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

सस्वारप्रकाश एव सस्काररत्नमाला में ज्योतिष-सम्बन्धी लम्बी चर्चाएँ हैं। विद्वामित्र, देवल तथा अन्य ऋषियों की बातें उद्धृत करके सस्वारप्रकाश ने लिखा है कि विद्यारम्भ पाँचवें वर्ष तथा कम-से-कम उपनयन के पूर्व अवश्य कर डालना चाहिए। इसने नृसिंह को उद्धृत करके कहा है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपरान्त गुरु की पूजा करनी चाहिए। आप्तिक बाल में लिखना सीखना त्रिमी गुण मुहूर्त में आरम्भ कर दिया जाता है, यह गुण मुहूर्त बहुधा आश्विन मास के शुक्लपक्ष की विजयादशमी तिथि को पड़ता है। सरस्वती एव गणपति के पूजन के उपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है, और वच्चा "ओम् नम सिद्धम्" दुहराता है और पट्टी पर लिखता है। इसके उपरान्त उसे अ, आ इत्यादि अक्षर सिखाये जाते हैं। सस्वाररत्नमाला में इस संस्कार का 'अक्षरस्वीकार' नाम दिया है, जो उपयुक्त ही है। पारिजात में उद्धृत बातों के अनुसार सस्वाररत्नमाला ने होम तथा सरस्वती, हरि, लक्ष्मी, विद्मन् (गणपति), सूत्रकारो एव स्वविद्या के पूजन की चर्चा की है।

अध्याय ७

उपनयन

उपनयन का अर्थ है 'पाम या सन्निवृत्त ले जाना।' किन्तु रिग्वेदे पाम ल जाता ? सम्भवत आरम्भ में इसका तात्पर्य था 'जाचार्य के पास (शिक्षण के लिए) ले जाना।' ही सन्नता है इसका तात्पर्य रहा हो नवसिष्य को विद्याभ्यास की अवस्था तक पहुँचा देना। कुछ गृह्यसूत्रों में ऐसा आभास मिल जाता है, यथा हिरण्यवेदि० (१।५।२) के अनुसार, तब गुण ब्रह्म त यह कहा जाता है 'मे ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे इसके पाम ले चलिए।' सविता देवता द्वारा प्रेरित मूले ब्रह्मचारी होने दीजिए। 'मानव० एव वाठर०' में 'उपनयन' के स्थान पर 'उपायन' शब्द का प्रयोग किया है। वाठर के टीकाकार आश्विन्यशरान ने कहा है कि उपायन उपनयन, मौञ्जीबन्धन, बटुकरण, व्रतबन्ध सामानार्थक है।

इस संस्कार के उद्गम एवं विनाश के विषय में कुछ जर्णों हा जाना आवश्यक है, क्योंकि यह संस्कार सब सत्सारा में अति महत्वपूर्ण माना गया है। उपनयन संस्कार का मूल भारतीय एवं ईरानी है, क्योंकि प्राचीन जोरों-स्ट्रुएन (पारसी) शास्त्रों में अनुमार पवित्र मेराला एक अयोजन (तुगी) का सम्बन्ध आधुनिक पारसियों में भी है। किन्तु इस विषय में हम प्रवेश नहीं करेंगे। हम अपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रखेंगे। ऋग्वेद (१०।१०।१५) में 'ब्रह्मचारी' शब्द आया है। 'उपनयन' शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकता है—(१) (बच्चे को)

१. अयंनमभिव्याहृतवति। ब्रह्मचर्यमायामुप मा नयत्वं ब्रह्मचारी भवानि देवेन सवित्रा प्रभूतः। हिरण्यवेदि० (१।५।२); ब्रह्मचर्यमागागिति याचयति ब्रह्मचार्यं तानीति च। पार० २।२; और देसिए गोमित्त० (२।१०।२१)। "ब्रह्मचर्यमागाम्" एव "ब्रह्मचार्यं तानी" शतपथ० (१।१।५।४।१) में भी आये हैं; और देसिए आपस्तम्बोय मन्त्रपाठ (२।३।२६) "ब्रह्मचर्यं... प्रभूतः।" यातावत्यय (१।१४) की श्यात्या में विश्वरूप ने लिखा है—"वेवाभ्यनयामाचार्य-समीपे नयनमुपनयनं तदेयोचनायनमि-मुकं छन्दोगुरोःशान्। तदर्थं या यन्।" हिरण्यवेदि० (१।१।१) पर मानुस्मृत की भी देसिए।

२. ब्रह्मचारी घरनि वेदियद् त्रियः त देवतां भयत्येरमेगम्। तेन जायामन्वविन्दद् बृहस्पतिः सीमेन नीतां ऋद्ध न देवाः। ऋग्वेद १०।१०।१५; अथर्ववेद ५।१७।५। सोम की ओर सनेत से ऋग्वेद (१०।८५।४५) का 'सोमो बद्ध गन्धर्वान्' स्मरण हो जाता है। किसी मानवीय घर से परिणय होने के पूर्व प्रत्येक कुमारी सोम, गन्धर्व एवं अग्नि के रक्षण के भीतर दक्षित मानी गयी है।

३. तन्नोपनयनान्दः धर्मनामपेयम्।... तत्त्व यौगिबन्धुभिर्द्वयामात्। यौगदस भावव्युत्पत्त्या कण्ठव्युत्पत्त्या वेत्साह सात्पतिः। स यथा—उपनयनीये आध्यार्मदीनां वदोर्नयनं प्रापणमुपनयनम्। समीपे आचार्यादीनां नीयते बटुर्न तन्नोपनयनमिति या।... तत्र च भावव्युत्पत्तिरेव साधीयसीति गन्धर्वे। श्रोतार्थविधितंभयात्। सत्सरप्रकृतः, पृ० ३३४।

आचार्य के सन्निकट ले जाना, (२) वह संस्कार या कृत्य जिसके द्वारा बालक आचार्य के पास ले जाया जाता है। पहला अर्थ आरम्भिक है, किन्तु कालान्तर में जब विस्तारपूर्वक ग्रहण कृत्य किया जाने लगा तो दूसरा अर्थ भी प्रयुक्त हो गया। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१९) ने दूसरा अर्थ लिया है। उसके अनुसार उपनयन एक संस्कार है जो उसके लिए किया जाता है, जो विद्या सीखना चाहता है, "यह ऐसा संस्कार है जो विद्या सीखने वाले को गायत्री मन्त्र सिखाकर दिया जाता है।" स्पष्ट है, उपनयन प्रमुखतया गायत्री-उपदेश (पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेश) है। इस विषय में जैमिनि० (६।१।३५) भी द्रष्टव्य है।

ऋग्वेद (३।८।४) से पता चलता है कि गृह्यसूत्रों में वर्णित उपनयन संस्कार के कुछ लक्षण उस समय भी विदित थे। वहाँ एक युवक के समान यूप (बलि-स्तम्भ) की प्रगप्ता की गयी है; "यहाँ युवक आ रहा है, वह मन्त्री मूर्ति सन्निकृत है (युवक भेलला द्वारा तथा यूप रखना द्वारा), वह, जब उत्पन्न हुआ, महत्ता प्राप्त करता है; हे चतुर ऋषियो, आप अपने हृदयों में देवों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और स्वल्प विचार वाले हैं, इसे ऊपर उठाइए।" यहाँ "उन्नयन्ति" में यही धातु है, जो उपनयन में है। बहुत-से गृह्यसूत्रों ने इस मन्त्र को उद्धृत किया है, यथा—आश्वलायन० (१।२०।८), पारस्कर० (२।२)। तैत्तिरीय संहिता (३।१०।५) में तीन ऋणों के वर्णन में 'ब्रह्मचारी' एवं 'ब्रह्मचर्य' शब्द आये हैं—"ब्राह्मण जब जन्म लेता है तो तीन वर्णों के व्यक्तियों का ऋणी होता है, ब्रह्मचर्य में ऋषियों के प्रति (ऋषी होता है), यज्ञ में देवों के प्रति तथा सन्तति में पितरों के प्रति, जिसको पुत्र होना है, जो यज्ञ करता है और जो ब्रह्मचारी रूप में गुरु के पास रहता है, वह अनुषी हो जाता है।"

उपनयन एवं ब्रह्मचर्य के लक्षणों पर प्रकाश वेदों एवं ब्राह्मण साहित्य में उपलब्ध हो जाता है। अपर्ब-वेद (१।१।७।१-२६) का एक पूरा सूक्त ब्रह्मचारी (वेदिक छात्र) एवं ब्रह्मचर्य के विषय में अतिशयोक्ति की प्रशंसा में पूर्ण है।

४. संस्कारस्य तदर्थंवा विद्यायां पुण्यमुतिः। जैमिनि ६।१।३५; 'विद्यायामेवैवा धृतिः (बतन्ते ब्राह्मण-मुपनयीत)। उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थंवात्। विद्यायमुपाभ्यासस्य समीपमानयीते नाशुःप्यायं नावि श्चतुःशुभ्रं वा प्शुभिः। द्ष्टार्यमेव संपा विद्यायां पुण्यमुतिः। श्रधमवागम्यते। आचार्यंकरणमेतदवगम्यते। कुतः। आत्मनेपदशंतात्।' शबर।

- ५. युवा सुवासाः परिधीत आगात् स उ धेयान्मवर्ति जायमानः। तं धीरामः कव्य उन्नयति स्वाम्यो यज्ञता देवयन्तः॥ ऋग्वेद, ३।८।४। आश्वलायनगृह्य० (१।१९।८) के अनुसार बच्चे को अर्लङ्घित किया जाता है और नये वस्त्र दिये जाते हैं 'असह्यं कुमारं... अहतेन आगता संवीतं'... आदि; एवं वेत्ति १।२०।८—'युवा सुवासाः परिधीत आगादित्थंर्धेनं प्रवधिणमावर्तयेत्।'।

६. जाममानो हं वं ब्राह्मणत्रिभिर्भूषदां जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिम्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजाया विगुम्य एव वा अनुषो धः पुत्री चञ्चका ब्रह्मचारिकासी। तं संहितो ६।३।१०।५।

७. ब्रह्मचारीण्यंरजति रोदसी उभे तस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति। स बाधार पृथिवी दिवं च स आचार्यं तपता रिपति॥ अपर्बवेद १।१।७।१। गोपब्राह्मण (२।१) में यह श्लोक व्याख्यायित है। आचार्य उपनयनानो ब्रह्मचारिणं कृन्ते गर्भमन्तः। अपर्बवेद १।१।७।३; यही भावना आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१९-१८) में भी वादी जाती है, यथा— स हि विद्यातस्तं जनयति। तच्छ्रेष्ठं जन्म। शरीरमेव मातृपितरौ जनयतः। सतपब्राह्मण (१।१।५।१।२) के विसा-इए—आचार्यो गर्भोभवति हस्तमाधम बलिणम्। सुतीजरायां स जायते सामिन्वा सह ब्राह्मणः॥ ब्रह्मचार्येति तद्विधा सामिन्वः शार्ण्यं वसतानो वीजितो वीर्यमयुः। अपर्बवेद १।१।७।६।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११) में नारदाज के विषय में एक गाथा है, जिसमें कहा गया है कि मरुदाज अपनी जानु के तीन नागों (७५ वर्षों) तक ब्रह्मचारी रहे। उनसे इन्द्र ने कहा था कि उन्होंने इतने वर्षों तक वेदों के बहुत ही कम अंश (३ पर्यंत की बेरी में से ३ मुदठियां) सीखे हैं, क्योंकि वेद तो असीम हैं। मनु के पुत्र नामानेदिष्ठ की गाथा से पता चलता है कि वे अपने गुरु के यहाँ ब्रह्मचारी रूप से रहते थे, तभी उन्हें पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं मिला (ऐतरेय ब्राह्मण २।२।९ एव तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१९।१५)। गृह्यसूत्रों में वर्णित ब्रह्मचर्य-जीवन के विषय में शत-तन्त्र-ब्राह्मण (१।१।५) में भी बहुत-बहुत प्राप्ति होता है, जो बहुत ही संक्षेप में यों है—बालक बहता है—'मैं ब्रह्मचर्य के लिए बान्ना हूँ' और 'मुझे ब्रह्मचारी हो जाने दीजिए।' गुरु पूछता है—'तुम्हारा नाम क्या है?' तब गुरु (आचार्य) उसे पाठ से उठा लेता है (उप नयति)। तब गुरु बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और बहता है—'तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, जाँग तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ' (यहाँ पर गुरु उद्या नाम लेकर सम्बोधित करता है)। तब वह बालक को झूठा को दे देता है, अर्थात् मौनिक उत्सवों में नियोजित कर देता है। गुरु सिखा देता है 'जल पिओ, काम करो (गुरु के घर में), अग्नि में समिधा डालो, (दिन में) न सोओ।' वह सावित्री मन्त्र दुहराता है। पहले बच्चे के आने के एक वर्ष उपरान्त सावित्री का पाठ होता था, फिर ६ मासों, २४ दिनों, १२ दिनों, ३ दिनों के उपरान्त। विन्दु ब्राह्मण बच्चे के लिए उपनयन के दिन ही पाठ विज्ञा जाता था, पहले प्रत्येक पाद अलग-अलग फिर आधा और तब पूरा मन्त्र दुहराया जाता था। ब्रह्मचारी हो जाने पर मनु क्षान्ता वर्जित हो जाता था (शतपथब्राह्मण १।१५।४।१-१७)।

शतपथब्राह्मण (५।१।५।१७) एव तैत्तिरीयोपनिषद् (१।११) में 'अन्तेजाती' (जो गुरु के पास रहता है) शत्रु जाता है। शतपथब्राह्मण (१।१।३।३२) का वचन है "जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है, वह लम्बे समय की यज्ञावधि ग्रहण करता है।" गोपथब्राह्मण (२।३), बौधायनधर्मसूत्र (१।२।५३) आदि में भी ब्रह्मचर्य-जीवन की ओर सबैत मित्रता है।

परिशिष्ट जनमेजय हस्तो (आहवनीय एव दक्षिण नाम्न अग्नियो) से प्रोचते है—पवित्र क्या है? तो वे दोनों उत्तर देते हैं—ब्रह्मचर्य (पवित्र) है (गोपथ० २।५)। गोपथ ब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी वेदों से पूर्ण पाण्डित्य के लिए ४८ वर्ष का क्षान्त-जीवन आवश्यक है। अतः प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्ष की अवधि निश्चित सी थी। ब्रह्मचारी की निष्ठा-श्रुति, उसने सरल जीवन आदि पर गोपथब्राह्मण प्रभूत प्रकाश डालता है (गोपथब्राह्मण २।७)।

उपसृक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि आरम्भिक काल में उपनयन अष्टाश्रुत पर्याप्त सरल था। भावी विद्यार्थी समिधा काष्ठ के साथ (हृद्य में जिन्ने हुए) गुरु के पास आता था और उसने अपनी अनिवाधा प्रवृत्त कर ब्रह्मचारी रूप में उतने साम ही रहने देने की प्रार्थना करता था। गृह्यसूत्रों में वर्णित विस्तृत नियम-संस्कार पहले नहीं प्रचलित थे। ऋग्वेदोपनिषद् (१।१।१५), मुण्डकोपनिषद् (२।१।७), छान्दोग्योपनिषद् (६।१।१) एव अन्य उपनिषदों में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। छान्दोग्य एव नृहृत्कारण्यन सम्भवतः सबसे प्राचीन उपनिषद् है। ये दोनों मूल्यवान् वृत्तान्त उपनिषद् बाली हैं। उपनिषदों के काल में ही कुछ कृत्य अवश्य प्रचलित थे, जैसा कि छान्दोग्य० (५।१।१७) से ज्ञात होता है। जब प्राचीनकाल औपनयन एव अन्य चार विद्यार्थी अपने हाथों में समिधा लेकर अश्वपति वैश्य के पास

८. शीर्षतंत्रं वा एव उपति यो ब्रह्मचर्यमुपति। शतपथ० १।१३।३।२। बौधायनधर्मसूत्र (१।२।५३) में भी यह उद्धृत है। "अपोज्यात्" शब्द का भोजन बच्चे के पूर्ण एवं अन्त में "अमृतोपस्तरपमति स्वाहा" एवं "अमृतापिधान-पति स्वाहा" नामक शब्दों के साथ जलाधमन की ओर शरते है। वैसिष्ट संस्कारतत्त्व ५० ८९३। ये दोनों मन्त्र आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ (२।१०।३-४) में आये हैं।

पहुँचे तो वे (अश्वपति) उनसे बिना उपनयन की क्रियाएँ किये ही बातें करने लगे। जब सरयवाम जावाल ने अपने गौत्र का सच्चा परिचय दे दिया तो गौत्रम हास्तिदुमत ने कहा—“हे ध्यारे बच्चे, जाओ समिधा ले आओ, मैं तुम्हें दीक्षित करूँगा। तुम सत्य से हटे नहीं” (छान्दोग्य० ४।४।५)। अति प्राचीन काल में सम्भवतः पिता ही अपने पुत्र को पढ़ाता था।” किन्तु रीतिरीयवहिता एव ब्राह्मणों के बालों से पता चलता है कि छात्र साधारणतः गुरु के पास जाते थे और उसके यहाँ रहते थे। उद्दालक आरुण ने, जो स्वयं ब्रह्मचारी एव पहुँचे हुए दार्शनिक थे, अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप से वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया।” छान्दोग्योपनिषद् में ब्रह्मचर्याश्रम का भी वर्णन हुआ है, अहाँ पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तक गुरुगृह में रहकर शरीर को सुखाता रहा है (छा० २।२३।१), यहाँ पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी की ओर संकेत है। इस उपनिषद् में गौत्र-नाम (४।४।४), मिधा-वृत्ति (४।३।५), अग्नि-रथा (४।१०।१-२), पशु-भालन (४।४।५) का भी वर्णन है। उपनयन करने की अवस्था पर औपनिषदिक प्रकाश नहीं प्राप्त होता, यद्यपि हमें यह ज्ञात है कि श्वेतकेतु ने जब ब्रह्मचर्य धारण किया तो उनकी अवस्था १२ वर्ष की थी। साधारणतः विद्यार्थी-जीवन १२ वर्ष का था (छान्दोग्य० २।२३।१, ४।१०।१ तथा ६।१।२), यद्यपि इन्द्र के ब्रह्मचर्य की अवधि १०१ वर्ष की थी (छान्दोग्य० ८।२।३)। एक स्थान पर छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) ने जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य की चर्चा की है।

अब हम सूत्रों एव स्मृतियों में वर्णित उपनयनसंस्कार का वर्णन करेंगे। इस विषय में एक बात स्मरणीय है कि इस संस्कार से सम्बन्धित सभी बातें सभी स्मृतियों में नहीं पायी जाती और न उनमें विविध विषयों का एक अनुक्रम में वर्णन ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में सभी सूत्र एकमत नहीं हैं। अब हम क्रम से उपनयन संस्कार के विविध रूपों पर प्रकाश डालेंगे।

उपनयन के लिए उचित अवस्था एव काल

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१९।१-६) के मत से ब्राह्मणकुमार का उपनयन गर्भाधान या जन्म से लेकर आठवें वर्ष में, क्षत्रिय का ११वें वर्ष में एव वैश्य का १२वें वर्ष में होना चाहिए, यही नहीं, क्रम से १६वें, २२वें एव २४वें वर्ष तक भी उपनयन का समय बना रहता है।” आपस्तम्ब (१०।२), शांखायन (२।१), ब्रीह्यायन (२।५।२), मारुद्वाज

९. ते ह समिस्थायय पूर्वार्द्धे प्रतिवर्चमिरे ताह्वानुपनीयंवेतुवाच । छान्दोग्य० ५।२।३; समिध सोम्यात्सरोप त्वा नेत्ये न सायावया इति । छान्दोग्य० ४।४।५; उपंम्यह भवन्तमिति वाचा ह स्मंभ पुत्रं उपयन्ति स होपायनकीर्त्यंवात । गृह्यसूत्रोपनिषद् ६।२।७ ।

१०. वेनिए बृह० उ० ६।२।१ “अनुशाष्टो श्वेति पित्रेत्थीमिति होवाच ।” याज्ञवल्क्य (१।१५) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है—गुरुपठनं तु मुख्यं पितृरपनेत्सत्यमिति । तथा च धूमि । तस्मात्पुत्रमनुशाष्टं लोस्यमगृह्णति । आचार्योपनयनं तु ब्राह्मणस्यानुकल्पः ।

११. श्वेतकेतुर्होपणोय आत तं ह पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं . . . स ह द्वावश्वधं उपेत चतुर्विंशतिवर्षं सर्वाश्वेदानधीत्य महामाता अनुजानमानी इत्यय एवाय तं ह पित्रोवाच श्वेतकेतो . . . उन तमावेतममश्वधं येनाभुन धूमं भवति । छान्दोग्य० ६।१।१।१-२ ।

१२. अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् । गर्भाष्टमे वा । एकादमे क्षत्रियम् । द्वावमे वैश्यम् । आ योइवाद् ब्राह्मणया-मतीतिः कालः । आ द्वाविंशत्याक्षत्रियस्य । आ चतुर्विंशत्यस्य । आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१९।१-६ ।

(१११) एव गोमित्र (२।१०) गृह्यसूत्र तथा याज्ञवल्क्य (१।१४), आपस्तम्बसूत्र (१।१।१।१९) स्पष्ट कहते हैं कि वर्षों की गणना वर्षागण से होनी चाहिए। यही बात महानाम्य में भी है। पास्तम्बगृह्यसूत्र (२।०) के मत से उपनयन वर्षागण या जन्म से आठवें वर्ष में होता चाहिए किन्तु इस विषय में कुलधर्म का पालन भी करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१४) ने भी कुलधर्म की बात कही है। शास्त्रागनगृह्यसूत्र (२।१।१२) ने वर्षागण से ८वीं या १०वीं वर्ष अथवा (१।२।१) ने ७वीं या ९वीं वर्ष, वाठन (४।१।२-३) ने तीसरे वर्षों के लिए क्रम से ७वीं, ९वीं एवं ११वीं वर्ष स्वीकृत किया है। कुछ स्मृतियों में क्रम जयस्था में ही उपनयन होना स्वीकार किया है, यथा गौतम (१।६-८) ने ५वीं वर्ष या ९वीं वर्ष, मनु (२।३७) ने ५वां (ब्राह्मण के लिए), ६ठा (क्षत्रिय के लिए) एवं ८वां (वैश्य के लिए) स्वीकृत किया है, किन्तु यह छठ के बाद क्रम से आप्यतिथि, मंत्रिण एवं धन-संग्रह की महत्ता के लिए ही दी गयी है। आप्यतिथि, मन्वी आद्यु एव धन की अविवाधा के बाद आप्यतिथि के लिए पुत्र या उपनयन वर्षागण से ५वें ८वें एवं ९वें वर्ष में भी किया जा सकता है (वेदान्त ३।२)। आपस्तम्बसूत्र (१।१।१।२१) एवं बौधायन गृह्यसूत्र (२।५) ने आप्यतिथि महत्ता, लम्बी आयु, दीर्घि, पर्याप्त मोक्ष, शारीरिक बल एव धनु के लिए क्रम से ७वां, ८वां, ९वां, १०वां, ११वां एवं १२वां वर्ष स्वीकृत किया है।

जत जन्म से ८वां, ११वां एवं १२वां वर्ष क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए प्रमुख समय माना जाता रहा है। ९वें वर्ष से ११वें वर्ष तक ब्राह्मणों के लिए गौर, ९वें वर्ष से १६ वर्ष तक क्षत्रियों के लिए गौण माना जाता रहा है। ब्राह्मणों के लिए १२वें से १६वें तक भीतर बाल तथा १६वें के उपरान्त गौणतम बाल माना गया है (देविए वृत्तान्तप्रकाश, पृ० ३४२)।

आपस्तम्बगृह्य० एवं आपस्तम्बधर्म० (१।१।१।१९), हिरण्यवेदिगृह्य० (१।१) एवं वैश्वानर के मत में तीसरे वर्षों के लिए क्रम से द्वादश मुहूर्त पड़ते हैं अतः, शीघ्र एव शरद् के दिन। भारद्वाज० (१।१) के अनुसार बल्लभ ब्राह्मण के लिए, शीघ्र या हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरद् वैश्य के लिए प्रथम बर्कडे के लिए या शिशिर गमी के लिए मान्य है। भारद्वाज ने कही यह भी कहा है कि उपनयन मास के सुवक्रम में किसी द्वादश नक्षत्र में, सरता प्रुप नक्षत्र में करना चाहिए।

बालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने उपनयन के लिए मासों, तिथियों एवं दिनों के विषय में ज्योतिष-ज्ञान की विधान बड़े विस्तार से माप दिये हैं, जिन पर लिखना यहाँ उचित एवं आवश्यक नहीं जान पड़ता। किन्तु याथा बहुत दिन देना आवश्यक है, क्योंकि आजकल ये ही विधान मान्य हैं। बुद्धिमानों ने लिखा है कि मास से केवल छ मास उपनयन के लिए उपयुक्त है, किन्तु अन्य लोगों ने मास से केवल पांच मास ही उपयुक्त ठहराये हैं। प्रथम, चौथी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दशवीं, चौदहवीं, पूर्णमासी एवं अमावस की तिथियाँ यद्वा छोट दी जानी हैं। जब गुरु सूर्य के बहुत पास हों और देगा न जा सके, जब सूर्य राशि में प्रथम अंश में हो, अथवा राशि के दिनों में यथा शरद् में उपनयन नहीं करना चाहिए।" बृहस्पति, गुरु, मंगल एवं बुध क्रम से श्रवण एवं अश्वि के दिनों में देखा जाते हैं। जत इन दिनों के उपनयन-कार्यों का उनसे देवों के वारों में ही उपनयन होना चाहिए। सप्ताह में बुध, बृहस्पति एवं गुरु सर्वोत्तम दिन हैं, शिववार अथवा सोमवार बहुत कम योग्य हैं। किन्तु मंगल एवं बुधवार निषिद्ध माने जाते हैं (मामवेद के छात्रों एवं क्षत्रियों के लिए मंगल मान्य है)। गणना में हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य अनिष्टा, अश्लेषा, मृगशिरा, पुनर्वसु,

१३. नट्टे चन्द्रेस्ततो मुक्ते निरदो धंभ भास्करे। कृतं धर्मोपनयनं मानस्योपे गतप्रहे ॥... ज्योतिषोद्युक्तं तु सत्यम्याविरथं तथा। अतुष्येकान्ती श्रीरत्ना अष्टाधेते गतप्रहाः ॥ इति श्रीश्रीश्री, जिल्द १, पृ० २७।

श्रवण एवं रवती अच्छे माने जाते हैं। विद्विष्ट वेद वालों के लिए नक्षत्र-सम्बन्धी अन्य नियमों की चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। एक नियम यह है कि भरणी, वृत्तिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, शततारका को छोड़कर सभी अन्य नक्षत्र सबके लिए अच्छे हैं। लडके की कुण्डली के लिए चन्द्र एवं बृहस्पति ज्योतिष-रथ से शक्तिसाग्री होने चाहिए। बृहस्पति वा सम्बन्ध ज्ञान एवं मुक्त से है, अतः उपनयन के लिए उसको परम महत्ता दी गयी है। यदि बृहस्पति एवं शुक्र न दिलाई पड़ें तो उपनयन नहीं किया जा सकता। अन्य ज्योतिष-सम्बन्धी नियमों का उद्घाटन यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं किया जायगा।

वस्त्र

ब्राह्मचारी को वस्त्र धारण करता था, जिनमें एक अधोभाग के लिए (शाम्भू) और दूसरा ऊपरी भाग के लिए (उत्तरीय)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३९-१।१।३।१-२) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्राह्मचारी के लिए वस्त्र क्रम से पट्टा के मूल का, सन के मूल का एवं मृगचर्म का होता था। कुछ धर्मसाम्बन्धकारों के मत में अधो-भाग का वस्त्र धई के सूत का (ब्राह्मणों के लिए) ताल रंग, क्षत्रियों के लिए मज्जीठ रंग एवं वैश्यों के लिए हल्दी रंग) होना चाहिए। वस्त्र के विषय में बहुत मतभेद है।^१ आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।७-८) में सभी वर्णों के लिए भेद का धर्म (उत्तरीय के लिए) या कम्बल विचल्य रूप से स्वीकार कर लिया है।

अधोभाग या ऊपरी भाग के परिधान के विषय में ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी संवेत मिलता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।९)। जो वैदिक ज्ञान बढ़ाना चाहे उसके अधोवस्त्र एवं उत्तरीय मृगचर्म के, जो सैनिक शक्ति धारण करने वाले हैं वस्त्र और जो दोनों चाहे वह दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करे।^१

दण्ड

दण्ड जिस वृक्ष का बनाया जाय इस विषय में भी बहुत मतभेद रहा है। आश्वलायनगृह्य (१।१।९।३ एवं १।२।०।१) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश, उदुम्बर एवं बिल्व का दण्ड होना चाहिए, या कोई भी वर्ण इनमें से किसी एक का दण्ड बना सकता है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।१।५-१६) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश, न्यग्रोध की शाखा (जिनका निचला भाग दण्ड का ऊपरी भाग माना जाय) एवं बदर या उदुम्बर का दण्ड होना चाहिए। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३८) में भी पायी जाती है। इसी प्रकार बहुत से मत हैं जिनका उद्घाटन अनावश्यक है (देखिए शौतम १।२१, बौधायनधर्मसूत्र २।५।१७, गौतम १।२२-२३, पारस्करगृह्यसूत्र २।५, काठकगृह्यसूत्र ४।१२२; मनु २।४५ आदि)।

१४. वामः प्राणोऽग्निमात्रितानि। बायाय चक्रे वस्त्रमुपदिशन्ति। मात्रिष्ठं राजन्यस्य। ह्यष्टि वैश्यस्य। आप० प० १।१।२।३९-४१-१।१।३।१।२; मुक्लमहत्त वासो ब्राह्मणस्य, मात्रिष्ठं क्षत्रियाय। ह्यष्टि वैश्ये वा वैश्यस्य। सर्वेषां वा तान्तबमरवस्त्रम्। वसिष्ठ० १।१।६४-६७। देखिए पारस्कर (२।५) — ऐंगेजगत्रिनमृत्तरीय ब्राह्मणाय शौचं राजन्यस्यैव गन्धं वा वैश्यस्य सर्वेषां वा गन्धमसति प्रधातव्यम्।

१५. ब्राह्मणवृद्धिभिश्चअत्रिनात्येव वसति क्षत्रवृद्धिभिश्चन्यैश्चाप्येवोभयवृद्धिभिश्चप्रुनपरिमिति हि ब्राह्मणम्। अत्रिनैवेवोत्तर धारयेत्। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।९-१०। मिलाइए भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।१) — परात्रिनं धारयेत्- ब्राह्मणवत्सवडासो धारयेत्क्षत्र वधयेदुभय धार्येदुभयोर्वृद्धिधा इति विज्ञायते; मिलाइए शौचब्राह्मण (२।४) — तान्तबं वसति वस्तान्तव वस्ते क्षत्र वपते न ब्रह्म तस्मात्तान्तव न वसति ब्रह्म वपते मा क्षत्रमिति।

पूर्वकाल में सहारे के लिए, आचार्य के पशुओं को नियन्त्रण में रखने के लिए, रात्रि में जाने पर सुरक्षा के लिए एवं नदी में प्रवेश करते समय पथप्रदर्शन के लिए दण्ड की आवश्यकता पड़ती थी।”

बाल्य के वर्ष के अनुसार दण्ड की सम्भाव्यता में अन्तर था। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१९।१३), गौतम (१।२५), वृत्तिष्ठधर्मसूत्र (१।१।५५-५७), पारस्करगृह्यसूत्र (२।५), मनु (२।४६) के मतो से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का दण्ड क्रम से सिर तक, मस्तक तक एवं नाक तक लम्बा होना चाहिए। साखायनगृह्यसूत्र (२।१।२१-२३) ने इल अनुक्रम को उलट दिया है, अर्थात् इसके अनुसार ब्राह्मण का दण्ड सबसे छोटा एवं वैश्य का सबसे बड़ा होना चाहिए। गौतम (१।२६) का कहना है कि दण्ड पुना हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी छाल लगी रहनी चाहिए ऊपरी भाग टेढ़ा होना चाहिए। किन्तु मनु (२।४७) ने अनुसार दण्ड सीया, सुन्दर एवं अग्निस्पर्शी से रहित होना चाहिए। साखायनगृह्यसूत्र (२।१।२।२-३) के अनुसार ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह किसी को अपने एवं दण्ड के बीच से निकलने न दे, यदि दण्ड, मेखला एवं यज्ञोपवीत टूट जायें तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए (वैसा ही जैसा कि विवाह के समय बरदात्रा का रथ टूटने पर किया जाता है)। ब्रह्मचर्य के अन्त में यज्ञोपवीत, दण्ड, मेखला एवं मृगचर्म को जल में त्याग देना चाहिए। ऐसा करते समय वरुण के मन्त्र (ऋग्वेद १।२।४।६) का पाठ करना चाहिए या केवल 'ओम्' का उच्चारण करना चाहिए।” मनु (२।६४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२७।२९) ने भी यही बात कही है।

मेखला

गौतम (१।१५), आश्वलायनगृह्य० (१।१९।११), बोधायनगृह्य० (२।५।१३), मनु (२।४२), ऋग्वेद-गृह्य० (४।१।१२), भारद्वाज० (१।२) तथा अन्य लोगों के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य बच्चे के लिए १५ से पञ्च, मूर्ख (निगमे प्रत्येका बनती है) एवं पटुआ की मेखला (करपनी) होनी चाहिए। मनु (२।४२-४३) ने पारस्करगृह्यसूत्र एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।५-३७) की भाँति ही नियम कहे हैं किन्तु विवक्ष्य या कहा है कि क्षत्रियों के लिए मूँज तथा लोह से मृषी हुई हो सकती है तथा वैश्यों के लिए सूत या प्राणा या जुष्टे की रस्ती या ताम्र (सुन) की छाल का पाया हो सकता है। बोधायनगृह्य० (२।५।१३) ने मूँज की मोपत्रा सबसे लिए माय कही है। मेखला में कितनी गाँठें होनी चाहिए, यह प्रश्न को सत्या पर निर्भर है।

उपनयन-विधि

आश्वलायनगृह्यसूत्र में उपनयन सत्कार का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है जो पठनीय है। स्थानान्तर में वारण बहु वर्णन यहाँ उपरिष्ठत नहीं किया जा रहा है। उपनयन विधि का विस्तार आपस्तम्बगृह्यसूत्र, हिरण्यनेरि-गृह्यसूत्र एवं गोमि-गृह्यसूत्र में पाया जाता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं, जिससे मतेय एवं मतान्तर पर कुछ

१६. दण्डक्षत्रियोपवीतानि मेपर्ला धंवं धारयेत्। धाकेदत्तस्य १।२९; तत्र दण्डस्य कार्यमयलम्बनं गवादिनिशारण समोपमाहृतमप्यु प्रवेशामित्यादि। अथराकं।

१७. उपवीत घ दण्डे बध्नाति। तदप्येतत्। यज्ञोपवीतबध्द घ मेखलामजितं तथा। जुहुयादप्यु घते पूर्णं वारद्व्यर्बा रतेन। शाखायनगृह्य० २।३९-३१; 'रत' का अर्थ है 'ओम्'।

१८. उधा राजन्वस्य मौञ्जो वानोमिधिता। आधीपुत्रं बंधस्य। संदी ताम्रलो धेत्येके। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।२।३४-३७। गोमिल (२।१०।१०) की टीका में ताम्र को गण (सुन) कहा गया है।

प्रवास पड़ जाय। आश्वलायन एव आपस्तम्ब तथा कुछ अन्य सूत्रकारों ने जनक व वार में कुछ भी नहीं लिखा है किन्तु हिग्न्यवेदि० (१।२।६), भारद्वाज० (१।३) एव मानव० (१।२।३) न होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना बतलाया है। बौधायन० (२।५।७) का कहना है कि यज्ञोपवीत धारण के उपरान्त ही बटुक यज्ञोपवीत धारण पवित्र प्रजापतेर्मत्स्यहज पुरस्तान्। आयुष्यमध्व्य प्रतिमुञ्च्य शुभ्र यज्ञोपवीतं ब्रह्मन्मु तज् ॥' नामान् जति प्रसिद्ध मन्त्र वा उच्चारण करता है। बौधायन स्मार्त (२।५) का कहना है कि आचार्य बटुक को उत्तरीय देना है और "परीद वास" का उच्चारण करता है, पवित्र जनेऊ को "यज्ञोपवीतम्" मन्त्र के साथ तथा वृष्ण मृगशंभ का मितस्य चतु" कहकर देता है। पारस्कर के टीकाकार वर्क एव हरिहर के अनुसार मेघना बाँध लेने के उपरान्त बटुक को आचार्य यज्ञोपवीत देना है। यही बात सस्वारत्त्व (पृष्ठ ९३४) में भी पायी जाती है। सस्वारत्त्वमाला न हाम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने को कहा है। यज्ञोपवीत के उद्गम एव विकास के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अवसर पर धर्मशास्त्रकारों ने चोला-नर्म कर लेने को कहा है। आरम्भिक काल में चोलाकर्म स्वयं आचार्य करता था। निम्नलिखित विधियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं—

(क) आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१०।९), मानव० (१।२।१।२), बौधायन० (२।५।१०), शारि० (२।४) एव भारद्वाज० (१।८) ने बटुक को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर दाहिने पैर त प्रस्तर पर चढ़ने को कहा है। प्रस्तर पर पैर रखना दृढ़ निश्चय का द्योतक है।

(ख) मानव० (१।२।३) एव शारि० (४।१।१०) ने होम के उपरान्त "दधिप्राक्को अकारिणम्" (श्रु० ४।३।१६, तैत्तिरीयमहिता १।५।४।११) मन्त्र को बुरहाते हुए दधि तीन बार पाने को कहा है।

(ग) पारस्करगृह्यसूत्र (२।२), भारद्वाज० (१।७), आपस्तम्ब० (२।१-६), आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ (२।३।२७-३०), बौधायनगु० (२।५।२५, शाट्यायनक को उद्घृत कर), मानव० (१।२।६-५) एव शारि० (२।४।१२) के मत से बटुक से आचार्य उसका नाम पूछता है और वह बताना है। आचार्य उससे यह भी पूछता है "तुम किससे ब्रह्मचारी हो?"

सभी स्मृतियों में यह बात पायी जाती है कि उपनयन तीनों वर्गों में होता था। उपनयन-विधि व विषय में बहुत से भेद-विभेद हैं, जिनकी चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। कालान्तर के लेखकों ने मन्त्रा को जोड़ जोड़कर विस्तार बढ़ा दिया है।

यज्ञोपवीत

प्राचीन काल से अब तक यज्ञोपवीत का क्या इतिहास रहा है, इस पर थोड़ा सा लिख देना परम आवश्यक है। प्राचीनतम सभेन तैत्तिरीय संहिता (२।५।२।१) में मिलता है—'निर्वीतं शम्भ मनुष्या, प्राचीनावीतं पित्रो एव उपवीतं देवताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, वह जो उपवीत दग से अर्घ्या बांधे कर्षे से उच्छ्रिता है, अतः वह देवताओं के लिए सजेत करता है।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।८) में आया है—'प्राचीनावीतं दग से होकर वह दक्षिण की ओर आहूति देता है, अर्घ्या पित्रो के लिए इत्य दक्षिण की ओर ही बिचे जते है। इसने विनयी उपवीत दग से ऊपर की ओर आहूति देनी चाहिए। देवता एव पित्र इती प्रनार पूजित होने है।' निर्वीत, प्राचीनावीत एव उपवीत शब्द

१९. निर्वीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पित्राणामुपवीतं वैशानाम्। उप व्ययते वैशानाम्येव लघुदने। तं० सं०

गोमिन्नगुहसूत्र (११२।२-४) में समझाये गये हैं, यथा "दाहिने हाथ को उठाकर, सिर को (उपवीत के) बीच में डालकर वह सूत्र को बाँधें कंधे पर इस प्रकार लटकता है कि वह दाहिनी ओर लटकता है, इस प्रकार यह यज्ञोपवीती हो जाता है। बाँधें हाथ को निकालकर (उपवीत के) बीच में सिर को डालकर वह सूत्र को दाहिने कंधे पर इस प्रकार रखता है कि वह बाँधी ओर लटकता है इस प्रकार यह प्राचीनावीती हो जाता है। जब पितरा को पिण्डदान किया जाता है तभी प्राचीनावीती हुआ जाता है।" यही बात सादिर० (१।१।८-९), मनु (२।६३), बोधायन-गृह्यपरिभाषा-सूत्र (२।२।७ एव १०) तथा ब्रह्मनास (१।५) में भी पायी जाती है। बोधायनगृह्यसूत्र (२।२।३) का कहना है—“जब यह कंधे पर रखा जाता है तो दोनो कंधे एव छाती (हृदय के नीचे चिन्तु नामि के ऊपर) तक रहते हुए दोनो हाथों के अगुठों से पकड़ा जाता है, इसे ही निवीत कहा जाता है। ऋषि-सर्पण में, समोम में, बच्चा के शासनो के समय (किन्तु होम करते समय नहीं), मलसूत्र त्याग करते समय, दाव डोते समय, यानी केवल मनुष्यों के लिए किये जाने वाले कार्यों में निवीत का प्रयोग होता है। गरदन में लटकने वाले को ही निवीत कहते हैं।” निवीत, प्राचीनावीत एव उपवीत में विषय में धतपयब्राह्मण (२।४।२।१) भी अवलोकनीय है। यह बात जानने योग्य है कि उम समय इस ढंग से शरीर को परिधान से ढका जाता था, यज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनावीत को (सूत्र के रूप में) पहनने के ढंग का कोई समेत नहीं प्राप्त होता। इससे प्रकट होता है कि पुरुष लोग देवा का पूजा में परिधान धारण करते थे न कि सूत्रों में ढका हुआ कोई जेजू आदि पहनते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।९) में आया है कि जब वाक् (वाणी) की देवी देवभाग गीतन के समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया और “नमो नम” शब्द के साथ देवी के समक्ष गिर पड़े, अर्थात् मुनकुर या दण्डवत् गिरकर प्रणाम किया।”

तैत्तिरीय आरण्यक (२।१) से पता चलता है कि प्राचीन काल में उपवीत के त्रिणै काले हरिण का चर्म या वस्त्र उपयोग में लाया जाता था। ऐसा आया है—“जो यज्ञोपवीत धारण करने यज्ञ करता है उसका यज्ञ पंचना है जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता उसका यज्ञ ऐसा नहीं होता, यज्ञोपवीत धारण करने, ब्राह्मण जो कुछ पढ़ता है वह यज्ञ है। अतः अध्ययन, यज्ञ या आचार्य-स्त्राय कर्तव्य समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। युगधर्म या धर्म दाहिनी ओर धारण कर दाहिना हाथ उठाकर तथा बाँधों गिराकर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जब यह ढग उल्ट दिया जाता है तो इसे प्राचीनावीत कहते हैं और सर्वांत स्थिति मनुष्यों के लिए ही होती है।” स्पष्ट है कि यहाँ उपवीत के लिए कोई सूत्र नहीं है, प्रत्युत मुगधर्म या वस्त्र है। पराशरमाधवीय (भाग १, पृ० १७३) ने उपमूर्त कथन का एक भाग उद्धृत करते हुए लिखा है कि तैत्तिरीयारण्यक के अनुसार मुगधर्म या रई के वस्त्र में से कोई एक धारण करने पर कोई उपवीती बन सकता है। कुछ सूत्रकारों एवं टीकाकारों से समेत मिलता है कि उपवीत में वस्त्र का प्रयोग होता था। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२२-२३) का कहना है कि गृह्य का उत्तरीय धारण करना चाहिए किन्तु वस्त्र के अभाव में सूत्र भी उपयोग में लाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौलिक रूप में उपवीत का तात्पर्य या उपवी वस्त्र, न कि केवल सूत्रों की डोरी। एक स्थान पर (२।८।१९।१२) इसी सूत्र ने यह भी लिखा है—“जो श्राद्ध का भोजन लाये उसे बाँधें कंधे पर उत्तरीय डालकर उसे दाहिनी ओर लटकाने माना चाहिए।” हरदत्त ने इसकी व्याख्या दो प्रकार से की है—(१) श्राद्ध-भोजन करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए अर्थात् उसे उत्तरीय धारण कंधे पर तथा दाहिने हाथ के नीचे लटकता हुआ रखना चाहिए। इसका एक तात्पर्य यह हुआ कि ब्राह्मण को आपस्तम्ब

२०. एतावति ह गीतमो यज्ञोपवीतं कृत्वा अपो निपात नमो नम इति। तं वा० ३।१०।९। सायण का कहना है—“स्वकीयेन वस्त्रेण यज्ञोपवीतं कृत्वा।”

धर्मसूत्र (२।२।४।२३) पर विश्वास करते श्राद्ध-भोजन के समय पवित्र सूत्र धारण नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे उमी रूप में वस्त्र धारण करना चाहिए और सूत्र का त्याग कर देना चाहिए, (२) दूसरा यह है कि उसे उपवीत ढग से पवित्र सूत्र एवं वस्त्र दोनों धारण करने चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।५।१) ने व्यवस्था दी है कि एक व्यक्ति को गुरुजनो, श्रद्धांग्यसो, अग्निदियो की प्रतीक्षा करते गमय या उनकी पूजा करते समय, होम के समय, जप करते हुए, भोजन, आचमन एव वैदिक अध्ययन के समय यज्ञोपवीती होता चाहिए। इस पर हरदत्त ने यो व्याख्या की है—यज्ञोपवीत का अर्थ है एक विशिष्ट ढग से उत्तरीय धारण करना, यदि किसी के पास उत्तरीय (ऊपरी ढग के लिए) न हो तो उसे आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२३) में वर्णित ढग वाम में लाना चाहिए, अन्य समयों में यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं है।”

गोमिन्त्रुधर्मसूत्र (१।२।१) में आया है कि विद्यार्थी यज्ञोपवीत के रूप में सूत्रों को डोरी, कन्ध या कुञ्ज की रस्सी धारण करता है।” इससे स्पष्ट है कि गोमिन्त्रु के काल में जनेऊ का रूप प्रचलित था और वह यज्ञोपवीत का उचित रूप माना जाने लगा था, किन्तु वही अंतिम रूप नहीं था, उसमें स्थान पर कन्ध भी धारण किया जा सकता था। बहून-से गृह्यसूत्रों में सूत्र रूप में यज्ञोपवीत का वर्णन नहीं मिलता और न उसे पहनते समय किसी वैदिक मन्त्र की आवश्यकता ही समझी गयी (जब कि उपनयन-सम्बन्धी अन्य कृत्यों के लिए वैदिक मन्त्रों की मरमाप पायी जाती है)। अतः ऐसी कल्पना करना उचित ही है कि बहुत प्राचीन काल में सूत्र धारण नहीं किया जाता था, आरम्भ में उत्तरीय ही धारण किया जाता था। आगे चलकर सूत्र भी, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, प्रयोग में जाने लगा। “यज्ञोपवीत परम पवित्रम्” वाला मन्त्र केवल बौधायनगृह्यसूत्र (२।५।७-८ एवं वेदान्त २।५) में मिलता है, यह प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रन्थों में नहीं पाया जाता। मनु (२।६८) ने भी उपवीत के विषय में चर्चा बलायी है।

यज्ञोपवीत के विषय में कई नियम बने हैं।” यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक सूत्र में दो पागे (तन्तु)

२१. नित्यमुत्तर वासः कार्यम् । अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थम् । आप० धर्म० २।२।४।२२-२३; सौत्तराष्टादनसंवेद्यज्ञोपवीती भुञ्जते । आप० धर्म० २।८।१९।१२; हरदत्त ने व्याख्या की है—“उत्तराष्टादनमुपरिवात्, तेन यज्ञोपवीतेन यज्ञोपवीतं कृत्वा भुञ्जीत । नास्य भोजने ‘अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थम्’ इत्ययं कल्पो भवतीत्यप्येके । समुच्चय इत्यप्ये” ; यज्ञोपवीती द्विवस्त्र । अधोनिवीतस्यैकवस्त्रम् । आप० धर्म० १।२।६।१८-१९; उपानते गुरुणा बृहानाम-तिथानां होमे जप्यकर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यात् । आप० धर्म० १।५।१।५।१, हरदत्त ने लिखा है—“धारोधिग्यासविशेषो यज्ञोपवीतम् । इशिणं ब्राह्मणमुत्तर इति ब्राह्मणविहितम् । धारसोऽमभवेऽनुकल्प कथयति—अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थं इति । एषु विधानात् बालान्तरे माजयंभयः ।” वैसिए ओशनसस्मृति—“आप्यगारे गवां गोष्ठं होमे जप्ये तथैव च । स्वाध्याये भोजने नित्यं ब्राह्मणानां च सतिथी । उपानते गुरुणा च संव्यवोऽभयेऽपि । उपवीतां भवेत्त्रियं विधियेव सनातनः ॥”

२२. यज्ञोपवीतं कुरते वस्त्रं धारि वा कुञ्जलज्जुमेव । गोमिलमू० (१।२।१) ; सूत्रमपि धारणाभावाद्भित्तव्यमिति । अपि धारसा यज्ञोपवीतार्थान् कुर्वत्सवभावे त्रिवृत्ता सूत्रेणैति श्रुत्यन्तंस्वरत्पात् ६ स्मृतिवन्निष्ठा, शिब १, पृ० ३२ ।

२३. वैसिए इमूर्धस्यसार, पृ० ४ एवं संस्कारप्रकाश, पृ० ४१६-४१८, जहाँ उपवीत के निर्माण एवं निर्माता के विषय में चर्चा की गयी है। सौभाग्यवती नारी द्वारा निर्मित उपवीत विषया द्वारा निर्मित उपवीत से प्रकटा माना जाता था। आचाररत्न ने उद्धृत मदनरत्न में शतु (२।४४) के अर्थान्त को इस प्रकार समझाया है—“करोष ब्रह्मिणेऽभ्युपवीतं त्रिगुणोद्भूतम् । वस्त्रं मानवे नारत्रे सूत्रमूर्ध्वंभूतं स्मृतम् ॥” (पृ० २) ।

होत हैं जो भली भाँति बटे एव मंजि हुए रहते हैं।" देवल ने नौ तन्त्रुओ (धागो) के नौ देवताओ के नाम लिखे हैं, यथा आकार अग्नि, नाग सोम पितर प्रजापति धाम्नु सूर्य एव निरवेदेव।" यज्ञोपवीत केवल नामित तत्र, उसके आगे नहीं और न छाती के ऊपर तक होना चाहिए।" मनु (२।४४) एव विष्णुधर्मसूत्र (२७।१९) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य के लिए यज्ञोपवीत क्रम से छई शान (सन) एव ऊन का होना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (१।५।५) एव गोमिलगृह्यसूत्र (१।२।१) के अनुसार यज्ञोपवीत छई या कुछ का होना चाहिए, किन्तु देवल के अनुसार सभी द्विजातियां वा यज्ञोपवीत कृपास (छई) धुमा (अलसी या तीषी), गायत्री मूँछ के बाल, पटसन वृक्ष की छाल या कुछ का होना चाहिए। इनम स जो भी सुविधा स प्राप्त हो सके उसका यज्ञोपवीत बन सक्ता है।"

यज्ञोपवीत की सख्या स परिनिर्वात व अनुसार परिवर्तन पाया जाता था। ब्रह्मचारी केवल एक यज्ञोपवीत धारण करता था और सन्मासी यदि वह पहन तो केवल एक ही धारण कर सक्ता था। स्नातक (जो ब्रह्मचर्य न उपरान्त गुरुके स अपने माता पिता के घर चला आता था) एव गृहस्थ दो यज्ञोपवीत तथा जो दीर्घ जीवन चाहे वह दो से अधिक यज्ञोपवीत पहन सक्ता था।" जिस प्रकार से आज हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं वैसा प्राचीन काठ स नियम था या नहीं स्पष्ट रूप से कह नहीं सक्ते किन्तु ईसा के बहुत पहले यह ब्राह्मणों के लिए अपरिहार्य नियम था नि के कोई कृत्व करते समय यज्ञोपवीत धारण कर अपनी शिखा बाँध रख, क्योकि बिना इसके किया हुआ वर्म मान नहीं हो सक्ता। वसिष्ठ (८।९) एव बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) के अनुसार पुरष को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। उद्योगपत्र (महामारत) वा ४०।२५ भी पठनीय है।" यदि कोई ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत धारण तिन मात्रा न कर ले

२४ कौश सूत्र वा त्रिस्त्रिंशद्यज्ञोपवीतम्। आ नामे । बौ० ध० १।५।५; उक्त देवदेव—यज्ञोपवीत कुर्वते सूत्रेण नवत-तुल्यम्—इति। स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० ३१।

२५ अत्र प्रतिगत्यु देयतामदमाह देवल । ओकार प्रथमतस्तु द्वितीयोऽनित्तयं दक्ष । तृतीयो नागदेवत्वश्चतुर्थो सोमदेवतः । पञ्चम पितृदेवत्व षष्ठ्यदं च प्रजापतिः । सप्तमो वायुदेवत्व सूर्यदेवाष्टम एव च ॥ नवम सर्वदेवत्व इत्येते नव ततश्च ॥ स्मृतिच०, भाग १, पृ० ३१।

२६ कार्यायनस्तु परिभाषान्तरमाह । वृष्टवशे च नाम्नां च धृत यद्विन्दते कृत्विम । तद्वर्षं मुपवीत स्यात्प्रातिलम्ब न चोच्छ्रितम् । देवल । स्तनदूष्यमपी नामर्न कर्तव्य षयचन । स्मृतिचन्द्रिका, वही, पृ० ३१।

२७ कार्यायनोऽप्योवालशान्तरुत्तुर्नोऽप्यवम् । सदा सम्भवतः कार्यायनोऽप्यवम् । द्विजातिभिः ॥ पराशरनायकौषी (१।२) एव वृद्ध हारीत (७।४७-४८) से यही बात पायी जाती है।

२८ स्नातकानां मुनिय स्यादन्तर्वास्योत्तरम् । यज्ञोपवीते हे मयि- होदहृदश्च क्रमश्चम् ॥ वसिष्ठ १२।१४, विष्णुधर्मसूत्र ७।१।१३-१५ से भी यही बात है। मिताशरा से याज्ञवल्क्य (१।१३३) की व्याख्या से वसिष्ठ की उद्धृत विद्या है। मिलाइए मनु ४-३६, एकैकमुपवीत तु यतानां बह्व्यवस्थाम् । गृहिणा च वनस्थानामुपवीतद्वय स्मृतम् ॥ सोतरीय त्रय चापि विभूयाच्छ्रुभक्त्यु वा । वृद्ध हारीत ८।४४-४५ । देसिए देवल (स्मृतिच० से उद्धृत, भाग १, पृ० ३२) भीषि बरवारि पञ्चाष्ट गृहिणा स्थुरशापि वा । तथैवां शुभिभिर्षायंमुपवीत द्विजातिभिः ॥ तारभारतमूल से उद्धृत ऋषयः ।

२९ जित्योदकी नित्ययज्ञोपवीतो नित्यस्वाप्यापी पतिनाश्रवर्तो । श्रुतो च गच्छन् विप्रिबन्ध जुद्धय ब्राह्मण-दण्डवते ब्रह्मलोकात् ॥ वसिष्ठ (८।९), बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१), उद्योगपत्र (४०।२५) तत्रयातिह, पृ० ८९६ से प्रथम पाद उद्धृत है।

तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था यथा—स्नान करना प्रायश्ना एव उपवाम करना (देखिए लघुहारीत २३)। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९२) ने मल-मूत्र त्याग के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत (याज्ञ० १।१६) न रखने के कारण प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। मनु (४।६६) ने दूमरे का यज्ञोपवीत पहनने के लिए मना किया है। याज्ञवल्क्य (१।१६ एव १३३) तथा अथ स्मृतिया ने यज्ञोपवीत को ब्रह्ममूत्र कहा है।

क्या स्त्रियों का उपनयन होता था? क्या वे यज्ञोपवीत धारण करती थीं? इस विषय में कुछ स्मृतियों में निर्देश मिलते हैं। "स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत हारीतधर्मसूत्र तथा अथ निबन्धा मन्निन बात पायी जाती है—स्त्रियां वे दो प्रकार हैं, (१) ब्रह्मवादिनी (ज्ञानिनी) एव (२) सदावयू (जो माय विवाह कर लेता है) इनमें ब्रह्मवादिनी को उपनयन करना अग्निवेवा करना वेदाध्ययन करना अपने गृह में ही निभाटन करना पड़ता था चिन्तु सद्यो वधुओ का विवाह के समय वेवल उपनयन कर दिया जाता था। गोभिलगृह्यसूत्र के अनुसार (२।१।१९) उडविया को उपनयन के प्रतीक के रूप में यथापवीत धारण करना पड़ता था।" आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।८) न सप्तावर्तन के प्रथम म लिखा है—'अपने दोनों हाथों में लेप (उबटन) लगाकर ब्राह्मण अपने मुख को क्षत्रिय अपनी दाता बाहुओं का वरग अपन पेट का स्त्री अपने गर्भस्थान को तथा जो दोड़ लगाकर अपनी जीविका चरान हैं (सरणजीवी) वे अपनी जाँघों को लिप्त करें।" महाभारत (वनपर्व ३०५।२०) में आया है कि एक ब्राह्मण न पाण्डवा को माता को अयवगोप के मंत्र पढ़ाया था। "हारीत ने व्यवस्था दी है कि मासिक धर्म चालू हान के पूर्व ही स्त्रियों का समाप्त न हो जाना चाहिए।" अत स्पष्ट है कि ब्रह्मवादिनी नारियों का उपनयन गर्भाधान के आठवें वर्ष होता था वे वेदाध्ययन करती थी और उनका छात्रा-जीवन रजस्वला होने के (युवा हो जाने के) पूर्व समाप्त हो जाता था। यम ने भी किया है कि प्राचीन काल में मूत्र की मेखना वांधना (उपनयन) नारियाँ के लिए भी एक नियम था उह वेद पढ़ाया जाता था, वे गाँविकी (पवित्र गायत्री मन्त्र) का उच्चारण करती थी उहे उनके पिता चाचा या भाई पढ़ा सकते थे अन्य कोई बाहरी पुरुष नहीं पढ़ा सकता था। गृह में ही शिक्षा मांग सकती थीं उन्हें मुगचम बतलव बसन नग पहना पड़ना था और न वे जगएँ रखाती थीं।" मनु की भी यह बात जान थी। जातरम में "कर उपनयन तत्र के सभारों के विषय में कहा

३० यत्तु हारोतेनाकत डिडिया। स्त्रियो ब्रह्मवाडिय सद्योवधुवच। तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नीधन वेदाध्ययन स्वगृहे च भिक्षाचर्येति। सद्योवधुना तु उपस्थिते विद्याहे कृपचितुपनयनमात्र कृत्या विवाह कार्यं। स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० २४ में उद्धृत) एव सत्कारमपूत, पृ० ४०२।

३१ "प्रवृत्तां यज्ञोपवीतित्थीयभ्युदानयन् अपेत् सोमो इवङ्ग पचयति।" गोभिलगृह्यसूत्र २।१।१९, इहमी टीका में आया है—"यज्ञोपवीतवत्कृतोत्तरीयाम्", "न तु यज्ञोपवीतित्थीयनेन स्त्रीणांमपि धर्मा गतेन यज्ञोपवीत-धारणमिति हृत्सामोक्तं मुक्त स्त्रीणां यज्ञोपवीतधारणानुपपत्ते।" सत्कारमपूत, पृ० ८९६।

३२ अनुलेपनेन पाणी प्रालिप्य मूलमपे ब्राह्मणोऽनुलिभ्येत्। वाट् राज्ञ्ये। उदर वेधेय। उपस्य स्त्री। ऊरु-सरणजीविन। आश्व० ३।८।२।

३३. तत्सत्तामनयचार्यां प्राहयामास स द्विजः। मन्त्रप्राप्त तत्रा राजप्रयुग्निरसि श्रुतम्। वनपर्व ३०५।२०।

३४ प्रायश्जस समावर्तनम् इति हारीतौक्यः। सत्कारमपूतम् पृ० ४०४।

३५ यमोपि। बुराहन्त्ये कुमारीणां भीष्मजीवयनमिष्यते। अध्यापन च वेदानां शास्त्रिणांयवन तथा। पितृ पितृभ्यो भ्राता वा नानामध्यापयेत्यरः। स्वगृहे चैव कदापि भिक्षाचर्या विधायते। वनपर्वत्रिन हीर जटाधारणमय च॥ सत्कारमपूतम् पृ० ४०२-४०३, स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० २४) में ये श्लोक मन के बड़े लये हैं।

करके मनु (२।६६) ने यह निष्कर्ष निकाला है "यि कृत्य मारिषो के लिए भी ज्यो-के-न्यो रिचे जाते थे, किन्तु बिना मन्त्रों के, परन्तु बैधल विवाह के सत्कार में स्त्रियों के लिए वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था।" इससे स्पष्ट है कि मनु के काल में स्त्रियाँ भी उपनयन नहीं होता था किन्तु प्राचीन काल में यह होता था, यह स्पष्ट हो जाता है। बाणभट्ट की वादम्बरी में महारथेता (जो तप कर रही थी) के बारे में ऐसा आया है कि उसका शरीर ब्रह्मसूत्र पहनने के कारण पवित्र हो गया था (ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतवामात्)। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ है यज्ञोपवीत। सत्कारप्रवारा में ऐसा आया है कि परमात्मा यज्ञ ब्रह्मात्मा है और यज्ञोपवीत नाम इसलिए पड़ा कि यह परमात्मा को मिलाने वाला है (यह जनने लिए किये गये यज्ञ में प्रयुक्त होता है)।^{१६}

तीनों वर्णों के लोगों के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था थी किन्तु क्षत्रियों एवं वैश्यों ने इसके प्रयोग को सर्वथा छोड़ दिया था सदा पहनना न चाहते, अतः बहुत पहले से ब्राह्मणों के लिए ही यज्ञोपवीत की विशिष्ट मान्यता थी। कालिदास ने रघुवन् (१।१।६४) में कुपित परसुराम के वर्णन में लिखा है कि उपवीत तो पितृ-परम्परा से उन्हें मिला है किन्तु धनुष धारण करता माता के वश से (क्योंकि माता क्षत्रिय वंश की थी)।^{१७} इस उक्ति से स्पष्ट है कि क्षत्रिय लोग उपवीत सदा नहीं पहनते थे और उपवीत ब्राह्मणों के लिए एक विशिष्ट लक्षण हो गया था। वेणीसंहार (३) में वर्ण के इस कथन पर कि वह अश्वत्थामा के पैर को उसने ब्राह्मण होने के नाते नहीं काटेगा, अश्वत्थामा ने कहा; मैं अपनी जाति छोड़ना हूँ। (मैं मैं अपना उपवीत छोड़ता हूँ), इससे स्पष्ट होता है कि वेणीसंहार (५म-नो-कम ६०० ई०) के समय में यज्ञोपवीत ब्राह्मणजाति का एक विशिष्ट लक्षण हो गया था।

सत्काररत्नमाला में उद्धृत बौधायनसूत्र के अनुसार तिस्रो ब्राह्मण या उसकी कुमारी गन्या द्वारा बाता टुंभी मूल लाया जाता है तब 'मू' के साथ तिसरी व्यक्ति द्वारा उसे ९६ अंगुल नाप लिया जाता है, इसी प्रकार पुनः दो बार "मुव" एवं "म्ब" के साथ ९६ अंगुल नापा जाता है। तब दम प्रकार नापा हुआ मूल पल्ला को पत्ती पर रखा जाता है और तीन मन्त्रों 'आपो हि प्वा' (ऋग्वेद १०।९।१-३), चार मन्त्रों 'हिरण्यवर्णा' (तैत्तिरीयसंहिता ५।६।१ एवं अथर्ववेद १।३३।१-४) एवं 'पयमान सुवर्जन' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४।८) से प्रारम्भ होने वाले अनुवाक तथा गायत्री के साथ उम पर जल छिड़का जाता है। इनके उपरान्त बाँधें हाथ में मूल लेकर दाँतों हाथों में तीन बार हाथी के रूप में टोका दिया जाता है, तब वह 'मूर्ध्नि च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।२) के तीन मन्त्रों के साथ तिहरा मोड़ा जाता है। इसके उपरान्त 'मूर्ध्नि च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।२) के पठन के साथ षोडश बर्णों जाती है। नौ तन्त्रुओं के साथ नौ देवताओं का आवाहन किया जाता है, तब 'देव्यं स्वा' नामक मन्त्र के साथ उपवीत उठा लिया जाता है। फिर 'उदय तमसपरि' (ऋग्वेद १।५०।१०) के साथ उसे मूर्ध्नि चो दिखाया जाता है। इसके उपरान्त 'यज्ञोपवीत परम पवित्र' के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इनके उपरान्त गायत्री का जप करने आचमन किया जाता है।

आधुनिक काठ में पुराना हों जाने पर या अशुद्ध हो जाने, मट या टूट जाने पर जब नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है तो सधिया इत्यं दम प्रकार न होना है—यज्ञोपवीत पर तीन 'आपो हि प्वा' (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रों के साथ जल छिड़का जाता है। इसके उपरान्त दम बार गायत्री (प्रति बार व्याहृतिषी, अर्थात् "ओम् मूर्ध्नि च

१६. धर्मार्थः परमात्मा य उच्यते खंभ होतुभिः। उपवीत ततोऽप्येव तदस्याद्यज्ञोपवीतकम् ॥ सं० प्र०, पृ० ४१९।

१७. विश्वामशमुषवीकलक्षणं मातृकं च धनुर्कृजितं वपत्। रघुवन् (१।१।६४)।

३८. अतया वेदव्यप्योऽहमित्यं सा जातिः परित्यक्ता। वेणीसंहार, ३।

स्व" के साथ) दुहरायी जाती है और तब 'यज्ञोपवीत परम पवित्र' के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है।

बीषायनगृह्यसोपमूत्र (२।८।१-१२) ने क्षत्रियों, वैश्यों, अम्बष्ठों एवं वरणों (वैश्य एवं शूद्र नारी से उत्पन्न) के उपनयन-आस्कार के कुछ अन्तरो पर प्रकाश डाला है, किन्तु उसके विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है।

अग्नें, बहरे, गूगे आदि का उपनयन

क्या अग्ने, बहरे, गूगे, मूखं लोगों का उपनयन होता था? जैमिनि (६।१।४१-४२) के अनुसार अग्नीहोतों का अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, किन्तु यह अयोग्यता दाय न अच्छा हो सक्ने पर ही लागू होती है। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१४।१), गौतम (२।८।६१-४२), वसिष्ठ (१।७।५२-५४), मनु (१।२०।१), याज्ञवल्क्य (२।४०-१४१), विष्णुधर्मसूत्र (१।५।३२) के अनुसार जा नपुंसक, पतित, जन्म से अज्ञा या बधिर हो, मूला रज्जवा हो, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हो उस विमाज्ज के समय सम्पत्ति नहीं मित्र मक्ती, हाँ उसके मरण-योग्य का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु ऐसे लग विवाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कैसे हो सकता है? अत स्पष्ट है, अपा, बधिरों, गूगा आदि का उपनयन होता रहा होगा। बीषायनगृह्यसोपमूत्र (२।९) ने इन लोगों में कुछ के लिए अर्थात् बहरो, गूगा एवं मूर्खों के लिए उपनयन की एक विशिष्ट पद्धति निकाली है। इन लोगों के विषय में समिधा देना, प्रस्तर पर चढ़ना, वस्त्रधारण, मैसला-बन्धन, मृगचर्म एवं दण्ड लेना मौन रूप से होता है और बालन अपना नाम नहीं लेना, नेत्र आवरण ही परम भोजन एवं पृत की अङ्कित देता है और सब मन्त्र मत ही मन पढ़ता है। सूष का कहना है कि यही विधि नपुंसक अग्ने, पागल तथा मूर्च्छा, निर्गो, कुष्ठ (श्वेत या कृष्ण) आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है।^१ निर्णयमिन्धु ने प्रयोगपारिभाषा में लिखित ब्रह्मपुराण के बधन को उद्धृत कर उपसूक्त बात ही लिखी है। मस्कारप्रधान (१० ३९२-४०१) एवं गोपीनाथ की सास्काररत्नमाला (१० २७३-७४) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (२।१७४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१३।१), मनु (१०।५) याज्ञवल्क्य (१।९० एवं ९२) ने स्पष्ट शब्दा म कुण्ड एवं गोलक सन्तानों के लिए भी उपसूक्त व्यवस्था मानी है। कुण्ड वह सन्तान है जो पति के रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा गोलक पति की मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य पुरुष में उत्पन्न होता है। मनु ने कुण्डों एवं गोलकों को श्राद्ध के सम्य निमन्त्रित करना मना किया है (३।१५६)।

वर्णसन्तानों के उपनयन के प्रदत्त के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनु (१०।४१) ने छ' अनुलोमों को द्विजों की क्रियाओं के योग्य माना है। मिताश्रया (याज्ञवल्क्य १।९२ एवं ९५) का कहना है कि माना की जाति के अनुसार ही अनुलोमों के कृत्य सम्पादन होने चाहिए और इन अनुलोमों से उत्पन्न वर्णसन्तानों की सन्तानों में उपनयन के योग्य ठहरती हैं। बीषायनगृह्यसोपमूत्र (२।८) ने क्षत्रियों, वैश्यों एवं वर्णसन्तानों, गया सन्तानों, अम्बष्ठों आदि के लिए उपनयन-नियम लिखे हैं। मनु (४।४१) के अनुसार नारी प्रतिजोम शूद्र हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्तान यद्यपि अनुलोम है किन्तु प्रतिजोम के समान ही है। शूद्र नेत्र एक जाति है द्विजाति नहीं (गौतम १०।५१)। प्रतिजोमों (शूद्रों) का भी उपनयन नहीं किया जाता।

३९. पञ्चजडवर्ण-विभाष्यसतिव्यापिनोपसहीनागर्धविरापिनानामप्याव्यपारिभित्तविकृष्टिरीधरौगजधेतेन व्याख्याता इत्येते। बीषायनगृह्यसोपमूत्र २।९।१४।

उपनयन-संस्कार को महत्ता इतनी बढ़ गयी कि कुछ प्राचीन ग्रन्थों ने अस्वल्प वृक्ष के उपनयन की चर्चा कर डाली है (धौषायनगृह्यसूत्र २।१०)। आज वल यह उपनयन बहुत कम देराने में आता है। अस्वल्प के परिचय होम दिया जाता है, पुगवन से आगे के संस्कार चिये जाते हैं (अनुवृत्ति के आधार पर ही) किन्तु स्याहृतियों के साथ ही, ऋग्वेद (३।८।११) ने "वनस्पते०" के साथ वृक्ष का स्पर्श होता है। वृक्ष और पूजक के बीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा जाता है तब आठ भुज श्लोक (मगलाष्टक) बहे जाते हैं तब वस्त्र हटा दिया जाता है और ध्रुवसूक्त (ऋग्वेद १०।७२।१९) नामक स्तुतिगान होता है। इसने उपरान्त वस्त्र-खण्ड यज्ञोपवीत, मंसला, दण्ड एव मृगचर्म मन्त्रों के साथ चढ़ा दिये जाते हैं और वृक्ष को स्पर्श करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता है।

सावित्री-उपदेश

शतपथब्राह्मण (१।१।५।४।१-१७) में पता चलता है कि उपनयन के एक वर्ष, छ मास, २४, १२ या ३ दिन के उपरान्त गुरु (आचार्य) द्वारा पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेश ब्रह्मचारी के लिए किया जाता था, किन्तु ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के लिए गायत्री उपदेश तुरत कर दिया जाता था। यह नियम इसलिए था कि कुछ पंड लिय लेने के उपरान्त ही ठीक में उच्चारण सम्भव था। शासायनगृह्यसूत्र (२।५), मानवगृह्यसूत्र (१।३।१।५), भारद्वाज-गृह्यसूत्र (१।९), गारस्त्यगृह्यसूत्र (२।३) में भी यही नियम पाया जाता है। किन्तु सामान्य नियम तो यह था कि उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेश होता रहा है। अधिनास भूतों के मतानुसार आचार्य अग्नि के उत्तर पूर्वाग्नि-मुच होता है और ब्रह्मचारी परिचय-मुच बंठार आचार्य से पवित्र सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है, तब आचार्य पहले एक पाद, तब दो पाद और फिर पूर्ण मन्त्र सिखाता है। धौषायनगृह्यसूत्र (२।५।३४-३७) के अनुसार ब्रह्मचारी अग्नि में पलान की या किसी अन्य यज्ञोचित वृक्ष की पार लजड़ियाँ धी में डुबोकर डालता है और अग्नि, वायु आदित्य एव प्रत के स्वामी के लिए मन्त्रोच्चारण करता है और आहुति देते समय स्वाहा कहता है। भूतों एव टीकाओं में गायत्री के उपदेश के विषय में बहुत-से जटिल नियम हैं, किन्तु ये जटिल नियम एव अन्तर स्याहृतियाँ (भूमिवं स्व) के स्थान को लेकर उत्पन्न हो गये हैं।" आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।२) से मुदर्शन के दो उदाहरण यहाँ टिप्पणी में दिये जाते हैं।"

४०. भू, भुव एव स्व नमस्क रहस्यात्मक शब्द कभी-कभी महाव्याहृतियाँ बहे जाते हैं (गोभिलगृह्यसूत्र २।१०।४०; मनु २।८।१)। इन्हें केवल स्याहृतियाँ भी कहा जाता है। वेदिए तैत्तिरीयोपनिषद् १।५।१, जहाँ मह को सौपी स्याहृति कहा गया है। स्याहृतियों की संख्या सामान्यतः ७ है; भू, भुव, स्व, मह, जन, तप एव सत्यम् (बौत्तष्ट २।५९, पैदानस ७।९)। शौतम (१।५२ एवं २।५।८) में ये ५ स्याहृति लिखी हैं, यथा—भू, भुव, स्व, मुद्य एव सत्यम्। स्याहृतिनाम में भी पाँच ही नाम आये हैं, किन्तु वहाँ मुद्य सत्ये अन्त में आया है।

४१. स्याहृतीविहृता पादादित्येत्यु वा तपयंबपोदत्तमा इत्यायात्। आप० गृह्य० २।२; तिस पर मुदर्शन का कहना है—'ओ भूस्तस्यितुवरेष्यम्। ओ भुव भर्गो देवस्य धीमहि। ओ सुव धियो यो न प्रचोदयात्। ओ भूस्तस्यितुवरेष्य भर्गो देवस्य धीमहि। ओ भुव धियो यो न प्रचोदयात्। ओ सुव तत्तावतु३-४ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।'—यह पहली विधि है। दूसरी विधि है स्याहृतियों को अन्त में रख देना, यथा—'ओ तस्यितुवरेष्य भू। ओ भर्गो देवस्य धीमहि भुव। ओ धियो यो न प्रचोदयात् सुव। ओ तस्यितुवरेष्य. धीमहि भू। ओ धियो यो न प्रचोदयात् भुव। ओ तस्यितु. धात् सुव।' मित्तादए, भारद्वाजगृह्य० १।९; धौषायनगृ० २।५।४०। 'स्व' अधिचर "मुच" कहा गया है। ओमिति कह। ओमितौव सत्यम्। . . ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्त ब्रह्मोपायनामोति।

'ओम्' शब्द प्राचीन काल से ही परम पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।११) में ओंकार की स्तुति पायी जाती है और वहाँ ऋग्वेद का मन्त्र (१।१६४।३९) उद्धृत किया गया है, यथा— "ऋचो अक्षरे परमे आदि"। यहाँ 'अक्षर' का अर्थ "ओंकार" किया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद् (१।८) में अनुसार 'ओम्' शब्द 'ब्रह्म' है, 'ओम्' यह सन (सम्पूर्ण विश्व) है। ब्राह्मण जब वेदाध्ययन के पूर्व 'ओम्' शब्द का उच्चारण करता है तो उसके पीछे धीमा भावना रहनी है कि वह ब्रह्म के सन्निवट पहुँच सके। 'ओम्' को प्रणव कहा गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१३।६) के अनुसार "ओंकार स्वर्ग का द्वार है, अतः जिसे वेदाध्ययन करना हो उसे प्रथम 'ओम्' कहना चाहिए।" मनु (२।७४) का कहना है कि प्रतिदिन वेदाध्ययन के आरम्भ एवं अन्त में प्रणव दुहराना चाहिए, 'ओम्' के तीन अक्षर अर्थात् 'अ', 'उ' एवं 'म्' तथा तीन व्याहृतिप्रायश्चित्त द्वारा तीनों वेदों से सारस्वत में खींच ली गयी हैं। मेघातिथि (मनु २।७४) के अनुसार विद्यार्थी को वेदाध्ययन के आरम्भ में तथा गृह्य को ब्रह्म-यज्ञ में 'ओम्' का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, किन्तु जप में यह आवश्यक नहीं है। मार्कण्डेयपुराण (४२), वासु-पुराण (२०), बृहदारण्यकस्मृति (६।५९-६२) तथा कतिपय अन्य स्मृतियों में 'ओम्' शब्द के तीनों अक्षरों को अत्युचित के साथ विष्णु, शक्री एवं जीव के तथा तीनों वेदों, तीनों लोकों के समनुरूप माना गया है। कठोपनिषद् (१।२।१५-१७) में 'ओम्' को तीनों वेदों का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम एवं ब्रह्म का प्रतीक माना गया है।

गायत्री का पवित्र मन्त्र ऋग्वेद की ऋचा है (३।६२।१०) और यह अन्य वेदों में भी उपलब्ध है। यह सविता (सूर्य) का सम्बोधित किया गया है, किन्तु इसे सभी प्रकार के जीवों एवं पदार्थों के उद्गम एवं प्रेरक की स्तुति के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है— "हृन् दिव्य सविता के, जो हमारी भी (बुद्धि या मनीषा) को उत्तेजित करे, देदीप्यमान तेज का ध्यान करते हैं।" कुछ गृह्यसूत्रों में अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का मन्त्र प्रकल्पित है, किन्तु कुछ अन्य गृह्यसूत्रों में अनुसार ब्राह्मणों के लिए सावित्री मन्त्र (प्रत्येक पाद में ८ अक्षर वाले) गायत्री छन्द में तथा क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए (प्रत्येक पाद में ११ अक्षर वाले) त्रिष्टुप् या (प्रत्येक पाद में १२ अक्षर वाले) जगती छन्दों में होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रखा गया है। ऋग्वेद-गृह्यसूत्र (४।१२०) के टीकाकारों के अनुसार "अदग्नेमि सविता" (ऋग्वेद ४।१०) एवं "विदवा रूपाणि" (ऋग्वेद १।६।८) नामक मन्त्र त्रम में क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। शांतायनगृह्यसूत्र (२।५।४-६) के टीकाकार के अनुसार "आ कृष्णेन रजसा" (ऋ० १।३।५।२) मन्त्र त्रिष्टुप् में क्षत्रिय के लिए तथा "हिरण्यपाणि सविता" (ऋ० १।३।५।९) या "हस्तं शुचिपद्" (ऋ० ४।४०।५) मन्त्र जगती में वैश्य के लिए कहा गया है। वाराहगृह्यसूत्र (५) के अनुसार "देवो यानि सविता" एवं "मुञ्जते मन" (ऋ० ५।८।१।१) त्रम से त्रिष्टुप् एवं जगती छन्द हैं और वे त्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। इसी प्रकार कई एक अन्तर पाये जाते हैं (तैत्तिरीय संहिता १।७।७।१, ऋग्वेद १।३।१४ आदि)। सावित्री मन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से गायत्री, त्रिष्टुप् एवं जगती में हो, यह एक

ब्रह्मवाप्नोति। सं० उ० १।८; ध्योगसूत्र (१।२७) में लिखा है "तस्य वाचकं प्रणवः।" 'ओंकार' स्वर्गद्वार तस्मात् ब्रह्माध्ये-
ध्यमाणा एतन्नादि प्रतिपद्यते। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।६। मनु (२।७४) की व्याख्या में मेघातिथि में लिखा है—
'सर्वव्यापकगृह्ययज्ञविधिसामग्र्यो मया स्यात्।... अतो होममन्त्रप्रसारानुबन्धनयान्यारीनामारम्भे नास्ति
प्रणवोऽन्यत्रापि उवाहरणार्थं वैदिकवाचक्यव्याहारे।' मार्कण्डेयोपनिषद् (१२) एवं गीशपाद की बार्हस्पत्यो (१।२४-२९)
में ओंकार परब्रह्म कहा गया है।

अति प्राचीन विधि रही है। पारम्पर्यग्रन्थ (२।३) के मत से सभी वर्ष गायत्री या सावित्री मन्त्र को क्रम से गायत्री, त्रिष्टुप् या जगती छन्द में पढ़ साते हैं। गायत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२।१०) कयो प्रसिद्ध हो गया, यह कहना शकित है। बहुत सम्भव है, इस मन्त्र में बुद्धि (धी) की विमुक्ता से विद्वन् के उद्भव की और जो सकते मिलता है एव हमम जो महीनो सरलता पायी जाती है, इसी से इसे अति प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। गोपपत्राह्वय (१।३२-३३) ने गायत्री मन्त्र की व्याख्या बर्द प्रारंभ से की है। तैत्तिरीयारण्य (२।११) में आया है कि "भू, भुव, स्व नामय रहस्यमय पाठ्य वाणी ने सत्य (सार) है, तथा गायत्री में सविता का अर्थ है वह जो श्री मा महता को उत्पन्न करता है।" अथर्ववेद (१।१।७।११) ने इस वेदमाता ब्रह्मा है और स्तुति में कहा है—"यह स्तुति बरने वाले को लम्बी आयु, गय, सन्तान, पशु आदि दे।" बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१-६), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१०), मनु (२।७७-८३), विष्णुधर्मसूत्र (५।५-११-१७), शायस्मृति (१२), सवर्त (२।१६-२२३), बृहत्परार (५) तथा अन्य ग्रन्थों में गायत्री की पढूत महत्ता गायी गयी है। पराशर (५।१) ने इसे वेदमाता कहा है। गायत्री के अर्थ से सूचिता प्राप्त होती है (शायस्मृति १।२।१२, मनु २।१०४, बौधायनधर्मसूत्र २।४।७-९; वसिष्ठधर्मसूत्र २।६।१५)।

ब्रह्मचारी के धर्म

ब्रह्मचारियों ने लिए कुछ नियम बने हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं, जिनमें प्रथम प्रकार के वे नियम हैं जिन्हें ब्रह्मचारी अल्प काल तक ही मानते हैं और दूसरे प्रकार के वे नियम, जो छात्र-जीवन तक माने जाते हैं। आश्वलायनबृहसूत्र (१।२।२।१७) ने अनुसार ब्रह्मचारी को उपनयन के उपरान्त तीन रातों, या बारह रातों, या एक वर्ष तक धार, लवण नहीं खाना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। यही बात बौधायन सू० (२।५।५५) में भी पायी जाती है (यहाँ तीन दिनों तक प्रज्वलित अग्नि रखने का भी विधान है)। इस विषय में भारद्वाजसू० (१।१०), पारम्पर्य० (२।५), सावित्र्य० (२।४।३३), हिरण्यदेशिण० (१।८।२), मनु (२।१०८ एव १७६) आदि स्थल अवलोकनीय हैं जहाँ पर कुछ विभिन्नताओं के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बताये गये हैं। मनु (२।१०८ एव १७६) ने अनुसार अग्नि में समिधा डालना, मिठा मीठना, भू-शयन, गुरु के लिए काम करना, प्रति दिन स्नान करना, देवो-ष्ट्रपियों पितरों का तर्पण करना आदि ब्रह्मचारियों का धर्म है। ये कार्य अल्पकालीन माने गये हैं।

पूर्ण छात्र-जीवन के नियम हम शतपथब्राह्मण (१।१।५।४।१-१७), आश्वलायनसूत्र० (१।२।२।२), पारम्पर्यसूत्र० (२।३), आपस्तम्बमन्त्रशाठ (२।६।१।४), वाठकसूत्र० (४।१।७) आदि में पा सकते हैं। ये कार्य हैं—आचमन, गुरुभूषा, आत्मधर्म (भोज) समिधापात्र। सूत्रों एव स्मृतियों में इन नियमों के पालन की विधियाँ भी पायी जाती हैं (गौतम २।१०-४०, शाक्ययनसू० २।६।८, गोमिल० ३।१।२७, सावित्रि० २।५।१०-१६, हिरण्य० ८।१-३, आपस्तम्बधर्म० १।१।३।११-१ एव २।७।३०, बौधायनधर्म० १।२७, मनु २।४९-२४९, माण्डवक्य १।१६-३२ आदि)। अग्निपरिष्कार्य (अग्नि-होम), मिठा, सन्ध्योपासन, वेदाभ्यास का ममय एव विधि, कुछ लाघो एवं पैरी एव गीतों का वर्जन, गुरुभूषा (गुरु तथा गुरुकुल एवं अन्य गुरुजनों की सेवा) एव ब्रह्मचारी के अन्य श्रुतों के विषय में ही नियम एवं विधियाँ बतायी गयी हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के उपरान्त इनका वर्णन हम कुछ विस्तार के साथ करेंगे।

४२. गायत्री ब्राह्मणमनुजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या बंदयं न बैनचिच्छन्दता गुरुद्विपदसंस्कार्यो विद्यायते।

उपनयन के चौथे दिन एक कृत्य किया जाता था जिमका नाम था मेघा-जनन (बुद्धि की उत्पत्ति), जिसके द्वारा यह समझा जाता था कि ब्रह्मचारी की बुद्धि वेदाध्ययन के माध्यम हो गयी है (आश्वलायनगृह्य सूत्र १।२।२। १८-१९), भारद्वाजगृह्य० (१।१०), मानवगृह्य० (१।२।२।३), काठकगृह्य० (४।१।१८) एवं मरुदारण्यक (पृ० ४४४-४६) में भी यह कृत्य पाया जाता है। इस कृत्य के विस्तार में आने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है।

उपनयन के समय प्रज्वलित अग्नि को समिधा दे-देकर तीन दिनों तक रखना पड़ता था। इसके उपरान्त साधारण अग्नि में समिधा डाली जाती थी। प्रति दिन प्रातः एव सायं छः समिधा दी जाती थी। इस विषय में शोधायनगृह्य० (२।५।५५-५७), आपस्तम्बगृह्य० (२।२२), आश्वलायनगृह्य० (१।२०।१०-१।२।१४), शाखायन गृह्य० (२।१०), मनु (२।१८६), याज्ञवल्क्य (१।२५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।४।१७) आदि अवलोकनीय हैं। विदोष विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

समिधा के विषय में भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। समिधा पलाश की या किसी अन्य यशदुदा की होनी चाहिए। इन वृक्षों के नाम दिये गये हैं—पलाश, अदवत्थ, न्यग्रोध, प्लक्ष, वैकवत, उदुम्बर, बिल्व, चन्दन, शरन्ग शाल, देवदारु एव खदिर। वायुपुराण में सर्वप्रथम स्थान पलाश को दिया है, उसके उपरान्त क्रम से खदिर शमी, रोहितक, अदवत्थ, अर्क या वेतस को स्थान दिया है। त्रिपाण्डमण्डन (२।८२-८४) ने इस विषय में कई नियम दिये हैं। इसके अनुसार समिधा के लिए पलाश एव खदिर के वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं और कोबिदार, विभीतक, कपित्थ, करम, राजवृक्ष, शकटूम, नीप, निम्ब, करञ्ज, तिलक, इलेय्यातक या धातुमि कमी भी प्रयोग में आने योग्य नहीं हैं। अंगूठे से माटी समिधा नहीं होनी चाहिए। इसे धीलना नहीं चाहिए। इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए और न यह धुनी हुई होनी चाहिए। इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। यह एक प्रादेश (अंगूठे से लेकर तर्जनी तक) से न बड़ी और न छोटी होनी चाहिए। इसमें पतियाँ नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए।

मिस्रा

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।३-८) ने मिस्रा के विषय में कहा है कि ब्रह्मचारी को ऐसे पुरुष या स्त्री से मिस्रा माँगनी चाहिए जो निषेध न करे और माँगते समय ब्रह्मचारी को कहना चाहिए 'महोदय, मोजन दीजिए'। अन्य धर्मशास्त्रकारों ने विस्तृत विवरण उपस्थित किये हैं। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र ने मिस्रा है—'आचार्य सबसे प्रथम दण्ड देता है, उसके उपरान्त मिस्रा-नाम देकर कहता है—जाओ बाहर और मिस्रा माँग लो। पहले वह माता से, तब अन्य दयालु घरों से मिस्रा माँगता है। वह मिस्रा माँगकर गृह को आकर देता है, कहता है, 'यह मिस्रा है'। गुरु ब्रह्म करता है, 'यह अच्छी मिस्रा है।' बौधायनगृह्यसूत्र (२।५।४७-५३) ने भी नियम दिये हैं, यथा—'ग्राह्य

४३. पलाशादेवत्थान्यग्रोधोपप्लक्षवैकवतोवृमबा। अदवत्थोदुम्बरी बिल्वशरग्वन शरमस्तथा। शासतश्च देव-
दाश्वश्च खदिरश्चेति यमिमाः॥ ब्रह्मपुराण (दृष्ट्यरत्नाकर, पृ० ६१ में उद्धृत)।

४४. अचार्यं अर्चकं पार्श्वं प्रयच्छत्प्राह। मातरमेवाप्रे भिक्षस्वेति। स मातरमेवाप्रे भिक्षते। भवति भिक्षां देहीति
ब्राह्मणे भिक्षते। भिक्षां भवति देहीति राजन्यः। देहि भिक्षां भवतीति वैश्यः। तत्समाहृत्वाचार्याय प्राह भिक्षावभिमिणः।
तत्पुत्रंममितीतः प्रतिगृह्णाति। (श्री० गृ० २।५।४७-५३)।

ब्रह्मचारी इन दाम्नी के साथ मिथा माँगता है, 'भवति निशा देहि' (भद्रे, मुझे मोत्रा दीजिए), किन्तु दाम्नी एक वैश्य ब्रह्मचारी को दम से 'निशा भवति देहि' एवं 'देहि निशा भाति' बहना चाहिए। यही बात बोधायनधर्मसूत्र (१।२।१७), मनु (२।४९), याज्ञवल्क्य (१।३०) तथा अन्य लोगों ने भी कही है (देिए शाक्यपन सू० २।६।५-८; गोदिलगु० २।१०।४२-४४, चादिरगु० २।४।२८-३१)। मनु (२।५) ने अनुसार सर्वप्रथम माता से, तब बहिन से या मौसी से माँगना चाहिए। ब्रह्मचारी को मिथा देने में कोई आनादानी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर रिषे भये तत्त्वार्थों से उत्पन्न गुण, यज्ञादि में उत्पन्न पुण्य, हस्तान, पशु आध्यात्मिक यज्ञ आदि का नाश हो जाता है। यदि पत्नी अन्यत्र मिथा न मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से, अपने गुरुजनों (मामा आदि) से, सम्बन्धियों से और धन में अपने गुरु से मिथा माँगनी चाहिए।

आश्वत्थमधर्मसूत्र (१।१।३।२५) ने अनुगार ब्रह्मचारी अपराधों (चाण्डाल आदि) एवं अनिश्चरतों (अपराधियों) को छोड़कर किसी ने भी मोत्रा नहीं मंगता है। यही बात गोतम (२।४१) में भी है। इस विषय में मनु (२।१८३ एवं १८५), याज्ञवल्क्य (१।३९), श्रीशत आदि के मत अत्रलोकनीय हैं। सुन्ने से मोत्रा माँगना सर्वत्र बहिष्कृत माना गया है। पराशरमामनीय (१।२) ने लिखा है कि आपत्काल में भी सूत्र में यहाँ का पाठ मोत्रा मिथा रूप में नहीं देना चाहिए।

मनु (२।१८९), बोधायनधर्मसूत्र (१।५।५६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८७) ने मिथा से प्राप्त मोत्रा को गुरु माना है। मिथा से प्राप्त मोत्रा पर रहनेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु २।१८८ एवं बृहस्पतराश्वपु० १२०)। ब्रह्मचारी को थोड़ा-थोड़ा करके कई गृहों से मोत्रा माँगना चाहिए। वैश्य देवपूजन या पितरों के श्राद्ध-काल में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ नरपेट मोत्रा ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८-१८९ एवं याज्ञ० १।३२)।

गोतम (५।१६) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्वदेव के यज्ञ एवं भूतों की धनि के उपरान्त गृहस्थ को 'स्वांस्त' नामक एक ऋष के साथ मिथा देनी चाहिए। मनु (३।९४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०८) ने कहा है कि यदि कोई एक ब्रह्मचारियों को मिथा (मोत्रा) आकर एक स्वामी के साथ देनी चाहिए। मितादाता ने एक और (भ्रात) की मिथा दी बात धारणी है (याज्ञ० १।१०८)। एक और (भ्रात) मयूर (मोर) के अण्डे के बराबर होता है। एक पुष्पल धार भ्रात के बराबर, हस्त धार पुष्पल के बराबर तथा अन्न तीन हस्त के बराबर होता है।^१

प्राचीन काल में प्रति दिन अग्नि में समिधा डालना (होम) तथा मिथा माँगना इतना आवश्यक माना जाता था कि यदि कोई ब्रह्मचारी उपासक सात दिनों तक बिना कारण (बीमारी आदि) के यह सब नहीं करता था तो उसे वही प्रायश्चित्त करना पड़ता था जो ब्रह्मचारी रूप में सम्मोग करने पर दिया जाता था। इस विषय में देविए बोधायनधर्मसूत्र (१।२।५४), मनु (२।१८७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२।८।५२)।

मिथा केवल अपने लिए नहीं माँगी जाती थी। ब्रह्मचारी मिथा लेकर गुरु को निवेदन करता था और गुरु के आदेश के अनुसार ही उसे ग्रहण करता था। गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरुपत्नी या गुरु-पुत्र को निवेदन करता था। यदि ऐसा कोई ग मित्रे तो वह अपनी ब्राह्मणों से जानकर वैसा ही करता था और उनसे आदेशानुसार काला या (आश्वत्थमधर्मसूत्र १।१।३।३१-३५, मनु २।५१)। ब्रह्मचारी जूठा नहीं छोड़ता था और पात्र को थोड़ा रख

४५. मिथा ए प्राकृतमिथा। आश्वत्थ मयूरारण्यपरिमाणः। प्राशनान्ना भवेत् मिथा पुष्पलं ऋषितुम्बु। हस्तस्तु तद्वत्तुम्बु। स्वयम्बु तत् त्रिगुणं नवेत् ॥ इति प्राकृतपरिमाणः। मितादाता (याज्ञवल्क्य १।१०८)।

देता था। बचा हुआ घृह भोजन गारु दिया जाता था, या बहा दिया जाता था या मूक के घृह नौकर को दे दिया जाता था।

ब्रह्मचारी समिया लाने एवं मिखा माँगने के अतिरिक्त गुरु के लिए पात्रों में जल भरता था, पुष्प एकत्र करता था, गोबर, मिट्टी, कुश आदि जुटाता था (मनु २।१८२)।

सन्ध्या

उपनयन के दिन प्रातः सन्ध्या नहीं की जाती। जैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलाने के पूर्व कोई सन्ध्या नहीं होती। अतः उपनयन के दिन दोपहर से सन्ध्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सानान्यतः 'सन्ध्यो-पासना' या 'सन्ध्यावन्दन' या केवल सन्ध्या कहा जाता है। उपनयन के दिन केवल गायत्री यज्ञ से ही सन्ध्या की जाती है। 'सन्ध्या' शब्द केवल रात एवं दिन के सन्धिकाल का द्योतक मात्र नहीं है, प्रत्युत यह प्राणना या स्तुति का भी, जो प्रातः या साय को जाती है, द्योतक है। यह कर्मो-कर्मो दिन में तीन बार अर्थात् प्रातः, दोपहर एवं साय होती थी। अग्नि ने लिखा है—“प्रातमज्ञानी द्विज को सन्ध्या तीन बार करनी चाहिए। इन तीन सन्ध्याओं को क्रम-से गायत्री (प्रातः कालीन), सावित्री (मध्याह्नकालीन) एवं सरस्वती (सायकालीन) कहा जाता है, ऐसा योग्यराज धन्व्य का मत है।” सामान्यतः सन्ध्या दो बार ही (प्रातः एवं साय) की जाती है (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।७, आप-स्तम्बधर्म० १।११३०।८, गौतम २।१७, मनु २।१०१, याज्ञवल्क्य १।२४-२५ आदि)।

समी के मत में प्रातः सूर्योदय के पूर्व से ही प्रातः सन्ध्या आरम्भ हो जानी चाहिए और जब तक सूर्य का बिम्ब दीप न पड़े तब तक चलनी रहनी चाहिए और सायकाल सूर्य के डूब जाने तथा तारो के निबल आन तक सन्ध्या होनी चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ सन्ध्या करने का समय कहा गया है, किन्तु गौण काल माना गया है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त तीन घटिकाएँ। एक मूहृतं (योग्यराजधन्व्य के अनुसार दो घटिकाओं अर्थात् दो घटियों) तक सन्ध्या की अवधि होती चाहिए। किन्तु मनु (४।१३-१४) के मत से जितनी तेर तक चाहें हम सन्ध्या कर सकते हैं, क्योंकि लम्बी सन्ध्या करने से ही प्राचीन ऋषियों को दीर्घ आयु, बुद्धि, यश, कीर्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकी थी।

अधिवास धन्वकारो के अनुसार गायत्री का जप तथा अन्य पूत मन्त्र सन्ध्या में प्रमुख हैं तथा मार्जन आदि गौण हैं, किन्तु मनु (२।१०१) की व्याख्या में मेधातिथि ने जप को गौण तथा मन्त्र एक आसन को प्रमुख स्थान दिया है। 'सन्ध्या करनी चाहिए' का तात्पर्य है आदित्य नामक देवता का, जो सूर्य-मण्डल का द्योतक है, ध्यान करना तथा इस तन्म्य का भी ध्यान करना कि बड़ी बुद्धि या तेज उसके अन्तः में भी अवस्थित है। गौण के बाहर सन्ध्या के लिए उचित स्थान माना गया है (आपस्तम्बधर्म० १।११३०।८, गौतम० २।१६, मानवगृह० १।२।२)। इस विषय में एकान्त स्थान (शाखाजन्गुल० २।१।१), नदी का तट या कोई पवित्र स्थान (शोषायनगृह० २।४।१) ही श्रेष्ठ रूप से चुना गया है। किन्तु अग्निहोत्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि उन्हें वैदिक विधायें एवं होम करना होता है और वह भी सूर्योदय के समय, अतः वे अपने घर में ही सन्ध्या कर सकते हैं। अपराकं द्वारा उद्धृत घटिका के बचन से पता चलता है कि घर की अपेक्षा गौशाला या नदी के तट या विष्णु-मन्दिर या निवालय के पास सन्ध्या करना प्रथम से दस गुना, सारल गुना या अक्षय्य गुना (अनन्त गुना) अच्छा है। प्रातःकालीन सन्ध्या मन्त्र होना तथा सायकालीन बँटकर करनी चाहिए (आश्वलायनगृह० ३।७।६, शाखायनगृ० २।१।१ एवं ३, मनु २।१०२)। प्रातःकालीन सन्ध्या पूर्व दिशा की तथा सायकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर करनी चाहिए। सन्ध्या करने वाले को स्नान करना चाहिए, पवित्र स्थान पर कुशा-आसन पर बँटना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए एवं मौन रहना चाहिए (सन्ध्या करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए)।

सन्ध्योपासन की प्रमुख क्रियाएँ ये हैं—आचमन, प्राणायाम, मात्रेन (मन्त्रों द्वारा अपने ऊपर तीन बार पानी छिड़कना), अयमर्थेन, अर्घ्यं (सूर्य को जल देना), गायत्री जप एवं उपस्थान (प्रातःकाल सूर्य की एवं सायंकाल सामान्यतः षडश की प्रार्थना मन्त्रों के साथ करना)।

तैत्तिरीय आरण्यक (२।२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णन पाया गया है, जहाँ अर्घ्यं एवं गायत्री जप ही प्रधान क्रियाएँ देखने में आती हैं। कालान्तर में बहुत-सी बातें जुड़ती चली गयीं, जिनका विस्तार यहाँ अनावश्यक है। हम यहाँ उन बातों पर साक्षिण विवरण उपस्थित करेंगे। आचमन के विषय में वित्तुत नियम गौतम० (१।३।५।४०, आपस्तम्ब-धर्म० (१।५।१५।२-११ एवं १६), मनु (२।५८-६२), याज्ञवल्क्य (१।१८-२१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।१०) एवं आपस्तम्बधर्म० (१।५।१५।५) के अनुसार पृथिवी के गड्डे के जल से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा में (झडे या मुकुरं नहीं) करना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्नान होना चाहिए। जल गरम या फौनिल नहीं होना चाहिए। जल को अघरो से तीन बार स्पृश करना चाहिए (मुडनना चाहिए)। पीले धाँहने हाथ से बाँध, कान, नाक, उर एवं सिर छूना चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मणों के लिए हृदय तक, क्षत्रियों के लिए कण्ठ तक एवं वैश्यों के लिए तालु तक होना चाहिए। स्त्रियाँ एवं शूद्र उतना ही जल मुडव सकते हैं जहाँ उनके तालु तक जा सके। मनु (२।१८) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८) के अनुसार जल ब्राह्मणों (अंगूठे की जड़) से मुडवना चाहिए।^१ आचमन की त्रिधा सामान्यतः सभी धार्मिक क्रियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व एवं परचातु भी आचमन किया जाता है। आजकल आचमन विष्णु के तीन नामों (केराव, नारायण एवं माधव) के साथ किया जाता है (ओम् केरावण नमः आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के २४ नाम लिये जाते हैं, यथा वशिष्ठ में।^२

प्राणायाम को योगसूत्र (२।४९) में स्वास एवं प्ररवास का गति-विक्षेप कहा गया है।^३ गौतम (१।५०) के अनुसार प्राणायाम तीन है, जिनमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक चलता है। भौषायनधर्म० (४।१।३०), वसिष्ठधर्म० (२।५।१३), शतस्मृति (७।१।४) एवं याज्ञवल्क्य (१।२३) के अनुसार प्राणायाम के समय गायत्री का शिः (ओम् के साथ समन्वित तैत्ती व्याहृतियाँ) एवं गायत्री का मन्त्र मन-ही-मन दुहराये जाते हैं। योग-याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रथम मन में सातो व्याहृतियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले 'ओम्' अवश्य जुड़ा रहना चाहिए), तब गायत्री मन्त्र और अन्त में

४६. वसिष्ठिका (कानी), तर्जनी एवं अंगूठे की जड़ों की एवं हाथ की अंगुलियों के पोरों को कम से मात्रापात्य (वा काम), विष्य, ब्राह्म एवं बंध तीर्थं कहा जाता है (वेसिए याज्ञ० १।१९, दिग्गुधर्म० ६२।१-४, वसिष्ठधर्म० १।६४-६८, भौषायनधर्म० १।५।१५-१८)। इस विषय में धन्यजरी में कुछ मतभेद भी हैं, यथा—वसिष्ठ के अनुसार विष्य तर्जनी एवं अंगूठे के बीच में है एवं मानव तीर्थं अंगुलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों के मत से चार अंगुलियों की छत्रें बीच तीर्थं कहलाती हैं (भौषायनधर्म० १।५।१८)। वैश्वानर गृह्य० १।५ एवं पारस्करगृह्य परिशिष्ट में बीच तीर्थों के नाम लिये हैं (पक्षिर्वा है आग्नेय, अर्थात् हुबेली)। आग्नेय को द्यय लोगों ने तीर्थ भी कहा है।

४७. अग्निपुराण (अध्याय ४८) में विष्णु के २४ नाम दिये हैं—केराव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिबिक्रम, वामन, श्रीधर, हृदीकेश, पद्मनाभ, रामोदर, संकर्यण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिष्टक, दुखोत्सव, अयोदाज, दरसिंह, अश्वत्थ, प्रनारंन, ज्येष्ठ, हरि, श्रीकृष्ण।

४८. तस्मिन्नाति (आत्मन्ये तस्मिन्) स्वासप्ररवासयोर्मोतिविक्षेपेः प्राणाद्यमः। योगसूत्र (२।४९)।

गायत्री का शिष्ट दुहराना चाहिए।^१ प्राणायाम के तीन अंग हैं—भूतक (बाहरी वायु भीतर लेना), कुम्भक (श्वेत हुए श्वास को रोकने रखना अर्थात् न तो श्वास छोड़ना न ग्रहण करना) एवं रेचक (फेफड़ों से वायु बाहर निकालना)। पन्च ने प्राणायाम की प्रवृत्ति में बहुत कुछ कहा है (६।७०-७१)।

मार्जित में ताम्र, उदुम्बरकाष्ठ या मिट्टी के बरतन में रखे हुए जल को कुछ से छिड़का जाता है। मार्जित करते समय 'ओम्', ब्याहृतिर्वा, गायत्री एवं 'आपो हि ष्यां' (ऋ० १०।१।१-३) नामक तीन मन्त्र दुहराये जाते हैं। वीषायामधर्म० (२।४।२) ने अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं, बिन्दु शानवृक्षसूत्र (१।१।२४), याज्ञवल्क्य (१।२२) आदि ने मार्जित के लिए केवल उपर्युक्त 'आपो हि ष्यां' नामक तीन मन्त्रों के लिए ही व्यवस्था की है।^२

अधमर्षण (पाप को मगाना) में गौ के कान की मूर्ति दाहिने हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के पास रखकर, उस पर श्वास लेकर (इस भावना से कि अपना पाप भाग जाय) "श्रुत च०" (ऋ० १०।१।१०।१-३) नामक तीन मन्त्रों के साथ पृथिवी पर बायीं ओर जल फेंक दिया जाता है।

अर्घ्य (सम्मान के साथ दूर्य को जलापण) में दोनो जुड़े हुए हाथों में जल लेकर, गायत्री मन्त्र बन्दे हुए, पूर्व की ओर उन्मुख होकर तीन बार जल गिराना होता है। यदि सबक पर हो या कारागृह में हो, अर्थात् यदि जल मुक्तम न हो तो घूल से ही अर्घ्य देना चाहिए।

गायत्री के श्लोक के विषय में सावित्री-उपदेश नामक प्रकरण उभर देखिए। गायत्री के जप में विषय में विस्तृत विवेचन पाया जाता है। इस पर अथर्वकं (पृ० ४६४८), स्मृतिचरित्रा (पृ० १४३-१५२), चण्डेश्वर के मुहूर्तरत्नाकर (पृ० २४१-२५०) एवं आह्निकप्रकाश (पृ० ३११-३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार नहीं दिया जा रहा है। आह्निक के प्रकरण में कुछ बातें अतलायी आयीं।

जपस्त्रान में वीषायाम के मतानुसार 'उदयमं०' (ऋग्वेद १।५०।१०), 'उदुत्थमं०' (ऋ० १।५०।१), 'दिनमं०' (ऋ० १।११।५।१), 'तच्चवृ०' (ऋ० ७।६१।१६), 'म उदयात्०' ('सौ आरभ्यक ४।४२।५) के साथ सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। धनु (२।१०३) के मत से जो व्यक्ति प्रातः एवं साय सन्ध्योपासना नहीं करता, उसे दिनों की खेणी से अलग कर देना चाहिए। गोमिलस्मृति (२।१) के अनुसार ब्राह्मण्य तीन सन्ध्याओं में पाया जाता है और जो सन्ध्योपासन नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं है। वीषायाम-धर्मसूत्र (२।४।२०) का कहना है कि रात्रि का

४९. सूर्यं स्वर्गं हर्षनस्तपः सत्यं तर्पय च। प्रत्येकारसमामुक्तस्तपसा एतस्मिन्निर्वासम् ॥ ओमन्मन्त्रोक्तिरिदं शिष्टं पश्चात्प्रयोष्येत् ॥ शिरास्तान्प्रयोगस्तु प्राणायामस्तु शकियत ॥ बौधायनश्रुतसूत्र (स्मृतिचरित्रा, पृ० १४१, भाग १ में उद्धृत)।

५०. सुर्यमिन्द्रा मङ्गलानिर्वर्षणीभिर्हिरण्यवर्षामि पावमानोभिर्बर्षाहृतिर्गन्धर्वस्य दधिमेतत्तर्पणं प्राण्य प्रयती भवति। बी० च० (२।४।२)। सुर्यमिन्द्रा ऋग्वेद का इषिकाणो आदि (४।३९।६) मन्त्र है, अन्वय है ऋ० १०।१।१-३, वाचनी है इयं मे वदत (ऋ० १।२५।१९), तस्या धामि (ऋ० १।२४।११), अथ ते (ऋ० १।२४।१४) एवं धत्तित्वेव (ऋ० ७।८९।५)। पावमानो स्वादिष्याया मरिच्यथा (ऋ० ९।१।१) है, बिन्दुसूत्रसौगो के मत से ऋ० ९।१।२।१-२७ वाले मन्त्र हैं। शिराओ आर्ज्यं सुर्याङ्गुलं सौरकर्मिभुभिः। प्रणवो नूर्युष स्वतपः सवित्री च तृतीयका। अथैवतस्त्र्युषावर्षं ऋष्यं प्रति धार्जनम् ॥ गोमिलस्मृति (२।४।५); अथैवतस्त्र्युषावर्षं ऋग्वेद (१०।१।१-३) में है। संतिरीय ब्राह्मण (१।९।७) में "आर्षो हि ष्या मयोमूष इत्यभिर्षावर्षयोः तयो न तर्षा देयता", पश्चात् जाता है।

चाहिए कि वह सन्ध्या न करनेवाले ब्राह्मणों से पूजा का काम ले। सन्ध्या के यूपों के विषय में देखिए मनु (२।१०२), बौधायनधर्म० (२।४।२५-२८), याज्ञवल्क्य (३।३०७)। जब व्यक्ति सूतक में पड़ा हो, घर में सन्तानोत्पत्ति के कारण अर्थात् हो, तो उसे जप तथा उपस्थान को छोड़कर केवल अर्घ्य तक सन्ध्या करनी चाहिए।

आधुनिक काल में पुराणों एवं तन्त्रों से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-रिच्यो को बहुत विस्तार दे दिया गया है। सत्कारलमाला के अनुसार न्यास अर्वादि कृत्य है। न्यासो एव मुद्राओं (हाथों, अँगुलियों आदि के आसन, आकृतियों) के लिए स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ३२८-३३३), स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० १४६-१४८) अवलोकनीय हैं।^१

न्यास का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा देवता या पवित्र बातों का आवाहन किया जाता है, जिससे वे शरीर के कुछ भागों में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ध्यान के लिए उन शरीर-भागों को योग्य बना दें। पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।१०) के १६ मन्त्रों का आवाहन बायें एवं दाहिने हाथों में, बायें एवं दाहिने पाँवों में, बायें एवं दाहिने पुटनों में, बायें एवं दाहिने भागों में, नाभि, हृदय एवं कण्ठ में, बायीं एवं दाहिनी भुजाओं में, मुँह, आँखों एवं सिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न बातें पायी जाती हैं, जिनका विवरण उपस्थित करना यहाँ सम्भव नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका (पृ० १४६-१४८) ने मुद्राओं (हस्ताकृतियों) के विषय में एक लम्बा उद्धरण दिया है। पूजा-प्रकाश (पृ० १२३) में उद्धृत सग्रह में आया है कि पूजा, ध्यान, काम्य (किसी कामना से किये गये कृत्य) आदि कामों में मुद्राएँ बनायी जाती हैं और इस प्रकार देवता पूजक के सन्निकट लाया जाता है। मुद्राओं के नामों एवं सन्ध्याओं में मतभेद है। स्मृतिचन्द्रिका एवं वैद्यनाथ लिखित स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ३३१-३३२) में इन मुद्राओं की चर्चा हुई है—सम्मुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, त्रिमुख, त्रिमुल, अधोमुख, ध्यापकाञ्जलिक, यमपादा, षण्णित, सन्मुखोन्मुख, विलम्ब, मुष्टिक, मीन, कूर्म, चराह, सिहानान्त, महाक्रान्त, मुद्गर एवं पल्लव। नित्याचार्यऋषि (पृ० ५३३) के अनुसार 'मुद्रा' शब्द 'मुद्' (प्रसन्नता) एवं 'रा' (देना) से बना है। मुद्रा देवता को प्रसन्न रखती है और अयुरो से (दृष्ट आत्माओं से) मुक्त कराती है। इतने ग्रन्थ तथा पूजाप्रकाश में पूजन सम्बन्धी मुद्राओं के नाम मिलते हैं। यथा—आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सरोधिनी, प्रसादमुद्रा, अवगुण्डन-मुद्रा, सम्मुख, प्रार्थन, रास, चक्र, गदा, अञ्ज (पद्म), मुसल, सङ्ग, घनुप, बाण, नाराच, कुम्भ, विष्णु (विष्णुस्वर के लिए), शौर, पुस्तक, लक्ष्मी, सप्तत्रिहृ (अग्नि के लिए), दुर्गा, नमस्कार, अञ्जलि, सहार आदि (कुल ३२ मुद्राएँ हैं)। नित्याचार्यऋषि (पृ० ५३६) के अनुसार रास, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, सङ्ग, श्रीवत्स एवं कोस्तुभ मगवान् विष्णु की आठ मुद्राएँ हैं। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत महासंहिता में मत से मुद्राएँ मीन-नाड में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे देवता कुपित हो जाते हैं और मुद्राएँ विफल हो जाती हैं। शारदातिलक (२३।१०६) ने लिखा है कि मुद्राओं से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके मत से मुद्राएँ ये हैं—आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सरोधिनी, सम्मुख, रास, अवगुण्डन, घेनु, महामुद्रा। वर्षमान सूत्र

५१. तन्त्रश्रियाओं का स्मृतियों एवं भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय में कुछ धर्मशास्त्रियों की पुस्तकें एवं लेख अवलोकनीय हैं, यथा—'द्वि इन्द्रोद्भवान् द्वे सायननाला,' भाग २, गायत्रवाङ्मोर्तिपथ सौरीज; 'इतिवत् हिस्टोरिकल क्वार्टर्स'; भाग ६, पृ० ११४, भाग ९, पृ० ६७८, भाग १०, पृ० ४८६-९२; सिलवेन लेवी की भूमिका—'शक्ति द्रोप की संस्कृत पुस्तकें' (गार्डन रिभ्यू, अगस्त १९३४, पृष्ठ १५०-५६)।

के आचारदिनकर (१४११-१२ ई०) ने जैनो के लिए ४२ मुद्राएँ बतायी हैं और उनकी परिभाषा भी दी है।

मुद्राभा का प्रभाव दूर-दूर तक गया। हिन्दोसिया के वालि द्वीप में उनका प्रचार इतना भे गता है। इस विषय में वालि के बौद्धो एव शीव पुजारिया द्वारा व्यवहृत मुद्राओ पर एक बहुत ही मनोरंजन पुस्तक कुमारी तीरा जी क्लीन ने लिखी है, जिसमें ६० चित्र भी हैं।

वेदाध्ययन

प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति, पाठ्य क्रम आदि पर विस्तार से लिखने पर एक बृहत् पुस्तक बन जायगी। हम यहाँ केवल प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाल सकेंगे।

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का प्रथम आधार था शिक्षक जिसे वेद रक्षार्थे मिली हैं, यथा आचार्य, गुरु, उपाध्याय। अध्यापन अथवा शिक्षण मौखिक ही होता था। ऋग्वेद (७।१०।३।५) में आया है कि पद्मेवाला गुरु भी बाते उसी प्रकार दुहराता है जिस प्रकार एक मडक टरती में दूसरे मडक की बापी पराता है। इस विषय में देखिए अथर्व० (१।१।७।१), गो० ब्रा० (२।१), अथर्व० (१।१।७।३), आप० पर्म० (१।१।१।१६-१८), एत० ब्राह्मण (१।१।५।४।१२), अथर्व० (१।१।७।६) एव इत० ब्रा० (१।१।५।४।१७)। आरम्भ में पुत्र पिता से ही कुछ शिक्षा पाने रहता था, जैसा कि हम बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।१) में श्वेतन्तु आरण्येय की गाथा से ज्ञात होता है। आरण्येय को सच कुछ ज्ञात था (बृहदारण्यकोपनिषद् ६।२।१ एव ४)। किन्तु प्राचीन काल में बच्चा भी जाचार्य के पास भेजा जाता था, और वह एक परिपटी-सी हो गयी थी। छाजाम्योपनिषद् (६।१) में आया है कि स्वन्तु आरण्येय का उमर पिता ने गुरु के पास १२ वर्षों तक रखा था। उसी उपनिषद् (३।२।५) में यह भी आया है कि पिता को गुरुविद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र या योग्य शिष्य का बतानी चाहिए। गुरु का शिष्यि का बही महत्ता दी गयी थी। सारा का सारा अध्यापन मौखिक था, और विद्यार्थी गुरु के पास ही रहता था, अतः गुरु का पद स्वभावतः उच्च एव महान् हो गया था। सत्यवाम जावाल अपने गुरु से कहता है—'आपक ही समान अन्य गुरुगना से मैंने सुना है कि गुरु से प्राप्त विद्या हुआ ज्ञान महान् होता है (छान्दोग्योपनिषद् ४।९।३)। स्ववामवचरोपनिषद् (६।२३) ने गुरु को ईश्वर के पद पर रखा है और परम श्रद्धालु माना है। आपस्तम्बपर्मसूत्र (१।२।६।१३) ने लिखा है—'शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को मगवान् की भाँति माने। एवलब्ध की कथा में दो बातें स्पष्ट होती हैं, गुरु की महत्ता एव एकीष्ट भक्ति (आदिपर्व १३२ श्लोकपर्व १८।१।१७)। एवलम्ब्य निपाद था, किन्तु उसे धनुष पर होता था। श्लोकार्थ न सिताना अस्वीकार कर दिया था। किन्तु एकीष्ट साधना एव भक्ति क फलम्बहय एवलम्ब्य महान् एव यशस्वी धनुष पर हो सका। महा-

५२ Miss Tyra de Kleen 'Mudras (the hard poses) practised by Buddhists and Saiva priests' in Bali (1924), New York.

५३ इस विषय में निम्नलिखित पुस्तकें अवलोकनीय हैं—Rev F E Keay's 'Ancient Indian Education' (1918) Dr A S Altekar's 'Education in Ancient India' (1931), S K Das on 'Educational system of the ancient Hindus' (1930) and Dr S D Sarkar's 'Educational Ideas and Institutions in ancient India' (1928) The last work is based entirely on the Atharva and the Ramayana

भारत (अनुशासनपर्व ३६।१५) में आया है कि घर पर वेद पढ़नेवाला निन्दास्पद है, रम्य यवनीन से योग्यतर इसी लिए हो सका कि उसने गृह से शिक्षा पायी थी। मनु एव अन्य स्मृतियों में आचार्य की महत्ता के विषय में कुछ मतान्तर है। मनु (२।१४६=विष्णुधर्मसूत्र ३०।४४) के अनुसार जनन और गृह दोनों पिता हैं, किन्तु वह जनक (आचार्य), जो व्रत वेद का ज्ञान देता है, उस जनक (पिता) से महत्तर है, जो केवल शारीरिक जन्म देता है, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या में जो जन्म होता है वह ब्राह्मण के लिए दृहलोक तथा परलोक दोनों में अधुग्य एव अक्षय होता है। किन्तु एक स्थान पर मनु (२।१४५) ने आचार्य को उपाध्याय से दस गुना, पिता को आचार्य से सौ गुना तथा माता को पिता से सहस्र गुनी उच्चत माना है। गौतम (२।५६) ने आचार्य को सभी गुरुओं में श्रेष्ठ माना है। किन्तु अन्य लोगों ने माता को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य (१।३५) ने माता को आचार्य से श्रेष्ठ माना है। गौतम (१।१०-११), वसिष्ठ-धर्मसूत्र (३।२१), मनु (२।१४०) एव याज्ञवल्क्य (१।३४) ने लिखा है कि जो ब्रह्मचारी का उपनयन करता है और उसे सम्पूर्ण वेद पढ़ाता है वही आचार्य है। निरुक्त (१।४) ने लिखा है कि आचार्य विद्यार्थी को सम्यक् आचार सम्पन्नने को प्रेरित करता है, या उससे शुल्क एकत्र करता है, या शब्दों के अर्थ एकत्र करता है या बुद्धि का विकास करता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१४) कहता है—“विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य (आचार) एकत्र करता है, इसी लिए वह आचार्य कहलाता है।” मनु (२।६९) का कहना है कि आचार्य उपनयन करने के उपरान्त शिष्य को शौच (शारीरिक शुद्धता), आचार (प्रति दिन के जीवन में आचार के नियम), अग्नि में समिधा डालने एव सन्ध्या-भूजा के नियम सिखाता है। यही याज्ञवल्क्य (१।१५) का भी कहना है। यद्यपि आचार्य, गुरु एव उपाध्याय शब्द समानार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु प्राचीन लेखकों ने उनमें अन्तर देखा है। मनु (२।१४१ एव १४२) के अनुसार जो व्यक्ति किसी विद्यार्थी को वेद का कोई एक अंग या वेदांग का कोई अंग पढ़ाता है और अपनी जीविना इस प्रकार चलाता है, वह उपाध्याय है,^{५४} और गुरु वह है जो बच्चे का सत्कार करता है और पालन-पोषण करता है। अन्तिम परिभाषा से गुरु तो पिता ही ठहरेता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।२२-२३), विष्णुधर्मसूत्र (२९।२) एव याज्ञवल्क्य (१।३५) ने मनु के समान ही उपाध्याय की परिभाषा की है। याज्ञवल्क्य (१।३४) के अनुसार गुरु वही है जो सत्कार करता है और वेद पढ़ाता है। स्पष्ट है, आरम्भ में पिता ही अपने पुत्र को वेद पढ़ाता था। वास्तव में, 'गुरु' शब्द पुत्र्य या स्त्री के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त होता था। विष्णुधर्मसूत्र (३।२।१-२) के अनुसार पिता, माता एव आचार्य तीन गुरु हैं और मनु (२।२२७-२३७) ने इन तीनों के लिए स्तुति-मान किये हैं। देवल के अनुसार पिता, माता, आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, पति (स्त्री के लिए) की गुरुओं में गणना होती है। मनु (२।१४९) के अनुसार जो षोडश या अधिक ज्ञान देता है, वह गुरु है।^{५५}

५४. प्राचीन काल से ही वेदांग छः माने गये हैं, यथा—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द (छन्दोविधि), ज्योतिष। मुम्बईकोषनिबन्ध (१।१।५) ने इनके नाम किये हैं, आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।८।१०-११) ने लिखा है—“षडंगो वेदः। छन्दा कल्पो व्याकरण ज्योतिषं निरुक्त शिक्षा छन्दोविधिरिति।” शिक्षा में स्वर, ध्वनि आदि का विवेचन पढ़ता है, कल्प में वैदिक एवं घरेलू कर्मों की विधि-क्रिया का वर्णन होता है, व्याकरण तो व्याकरण ही है, निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति पामी जाती है, छन्द में पद्य की मात्रा आदि का विवेचन होता है तथा ज्योतिष में ज्योतिष विद्या का वर्णन पाया जाता है।

५५. अथ पुत्र्यस्त्यातिपुरयो भवन्ति। पिता मगताचार्यश्च। विष्णुधर्मसूत्र ३।२।१-२; मनु (२।२२५-२३२) के ध्वन बंसे ही हैं जैसे सत्यपुराण (२।१।२०-२७) के; मनु के २३०, २३१ एवं २३४; शाक्यपर्व के १०।८।६, ७ एव १२

उपनयन करनेवाले एव वेदाध्ययन करनेवाले] आचार्य को गुण-विशिष्टता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।११) में आया है कि जो अविद्वान् से उपनयन करता है, वह अन्धकार से अन्धकार में ही जाता है और अविद्वान् आचार्य भी अन्धकार में ही प्रवेश करता है। उसी धर्मसूत्र (१।१।१।२-१३) में पुनः लिखा है कि वसपरम्परा से विद्यासम्पन्न एव गम्भीर व्यक्ति से ही उपनयन संस्कार एव वेदाध्ययन करना चाहिए और जब तक वह धर्ममार्ग से च्युत नहीं होता तब तक उसमें पढ़ते जाना चाहिए। आचार्य को ब्राह्मण, वेद में एकनिष्ठ, धर्मज्ञ, कुलीन, शुचि, श्रोत्रिय होना चाहिए, अपनी शाखा में प्रवीण एव अप्रमादी होना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६) एव शौचायनगृह्य (१।७।३) ने उसी को श्रोत्रिय कहा है जिसने वेद की एक शाखा पढ़ ली हो (देखिए वामुपुराण, भाग १, ५९।२९)।^{११} आपत्काल में अर्थात् जब ब्राह्मण न मिले तब क्षत्रिय या वैश्य को आचार्य बनाना चाहिए, किन्तु विद्यार्थी ऐसे गुरु के चरण नहीं पसार सकता, और न, उसकी देह मल सकता है (आप० ध० सू० २।२।४।२५-२८, गौतम० ७।१-३; बौ० ध० सू० १।२।४०-४२ एव मनु २।२।४१)। मनु (२।२।२८) ने शुभा विद्या (प्रत्यक्ष लामकारी ज्ञान) के लिए ब्राह्मण को दूर से भी सीखने के लिए छूट दी है। यही बात शान्तिपर्व (१६५।३१) में भी है। मिताश्रम (याज्ञ० १।१।१८) ने कहा है कि ब्राह्मण द्वारा प्रेरित किये जाने पर ही क्षत्रिय या वैश्य को शिक्षण-कार्य करना चाहिए, अपने मन से नहीं। क्षत्रिय शिक्षण-कार्य से अपनी जीविका नहीं चला सकता।^{१२}

शिक्षण-कार्य मौखिक था। सर्वप्रथम प्रणव, व्याहृतियाँ एव गायत्री ही पढ़ायी जाती थी। इसके उपरान्त ऋक् के वेद के अन्य भाग पढ़ाये जाते थे। प्राचीन भारतीय वेदाध्ययन की प्रणाली पर सक्षिप्त विवेचन यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। शाखायनगृह्यसूत्र (४।८) ने बर्णन किया है—“गुरु पूर्वं या उत्तर मुख बैठता है, शिष्य उसके दाहिने उत्तरामिमुख बैठता है, यदि दो से अधिक शिष्य हों तो स्थान के अनुसार जंसा चाहें बैठ सकते हैं। शिष्य को उच्चासन पर नहीं बैठना चाहिए और न गुरु के साथ उसी आसन पर बैठना चाहिए; उसे अपने पैर नहीं फेंकने चाहिए, अपनी बाहु से घुटनों को परङ्कर भी नहीं बैठना चाहिए। त्रिभी वस्तु का सहारा भी नहीं लेना चाहिए, उसे अपने पाँवों को गोदी में नहीं रखना चाहिए और न उन्हें कुल्हाड़ी की भाँति पकटना चाहिए। जब शिष्य “उच्चारण कीजिए, महोदय” कहता है, तब आचार्य उमसे ‘ओम्’ कहलवाता है और शिष्य को ‘ओम्’ कहना चाहिए। इसके उपरान्त शिष्य लगातार पढ़ना आरम्भ कर देता है। पढ़ने के उपरान्त शिष्य को गुरु के पाँव छूने चाहिए और कहना चाहिए, “महोदय, अब हमने समाप्त कर लिया”, यह कहकर चला जाना चाहिए, किन्तु

हैं, मनु २।२।३०, २३३ एवं २३४ विष्णुधर्मसूत्र के ३।१७, ९ एवं १० समाप्त हैं। गुरुनामपि सर्वेषां पुण्याः पञ्च विशेषतः। यो भावयति वा सूते वेन विद्योपरिदयते ॥ उपेक्षो भ्राता च भर्ता च पञ्चते गुरुवः स्मृताः। तेषामाद्यस्त्रियः श्रेष्ठोऽस्तेषां माता मुपुजिता ॥ देवसु (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० ३५ में उद्धृत); धनपर्व (२।१।४।२८-२९) में वीथि गुरुओं के नाम हैं जो कुछ भिन्न हैं, यथा—पिता, माता, अग्नि, आत्मा एवं गुरु।

५६. धर्मज्ञ वेदात्मिकं कं शास्त्राध्ययित्य श्रोत्रिये भवति। आप० ध० सू० २।३।६।४; एतं शास्त्राध्ययित्य श्रोत्रियः। बौ० गृह्य० १।७।३; ब्रह्मा ह्यलौक्याद्यर्थं आत्मवन्तो ह्यदभ्यन्ताः। सम्पत्विनीता ऋज्वरतातार्यायान् प्रब्रजते ॥ वामुपुराण, भाग १, ५९।२९।

५७. अध्यायनः शुभां विद्यां हीनारवि समाप्नुयात्। शुषणमपि क्षामेध्याशाश्वीताविचारयत् ॥ शान्तिपर्व १६।५।३१। अध्यायनं तु क्षत्रियवैश्ययोर्ब्राह्मणप्रेरितयोर्भवति न स्वैच्छया। मिता० (याज्ञ० १।१।१८); तदध्यायनमात्र-कनूश्चमत्राह्यनस्याम्यनुजानाति न तु वृत्तत्वमपि। अपराकं पृ० १६०।

कुछ लोगों के मत से गुरु को "जाओ, अब हम समाप्त करें" कहना चाहिए। मनु (२।७०-७४), गौतम (१।४९-५८) एवं गोपय ब्राह्मण (१।३१) को भी इस विषय में देख लेना चाहिए। योडे-बहुत अंतर के साथ बातें एक-सी ही हैं।

द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य वेदाध्ययन था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०-११) के बावजूद भी वैदिक साहित्य बहुत बड़ा था, जैसा कि इन्द्र एवं भरद्वाज की कहानी से ज्ञात होता है। भरद्वाज ७५ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी थे (पढ़ते रहे), तब भी इन्द्र ने कहा कि इतना पढ़ लेने पर भी अपाह वेद का बहुत छोटा नाग तुमने (तीन पर्वतों की तीन मुड़ठियाँ मात्र) पढ़ा है। मनु (२।१६५) ने एक आदर्श उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजाति को उपनियदों के साथ सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। शतपथब्राह्मण (१।१।५।७) की वेदाध्ययन-स्तुति (स्वाध्याय करने का आदेश) (स्वाध्यायोऽध्येतव्य अर्थात् वेद अवश्य पढ़ना चाहिए) हम अधिकतर देखते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४। १२।१ एव ३) ने तैत्तिरीयारम्भन (२।१।४।३) एवं शतपथब्राह्मण (१।१।५।६।८) को उद्धृत किया है।^{१६} महाभाष्य (भाग १, पृ० १) ने एक वैदिक उद्धरण दिया है—“ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के धर्म एवं वेदांगों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। महाभारत (शान्तिपर्व २३९।१३) का कहना है कि वेद पढ़ने से ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर लेता है। याज्ञवल्क्य (१।४०) का कहना है कि वेद द्विजातियों को सर्वोच्च कल्याण देता है जिससे पण्डित्य के यश तथा एव सम्भार को भली भाँति समझ सकते हैं और कर सकते हैं। महाभाष्य (भाग १, पृ० ९) में चारों वेदों के परम्परागत विस्तार क्रम पाये जाते हैं यथा ऋग्वेद में १०१ शाखाएँ हैं सामवेद में १०००, यजुर्वेद में २१ एव अथर्ववेद में ९। जीवन छोटा होता है, आ गौतम (२।५१) वसिष्ठधर्म० (७।३), मनु (३।२) याज्ञवल्क्य (२।५२) एवं अन्य लोगों ने बसल एव वेद के अध्ययन का ही आदेश दिया है। अपना वेद पढ़ लेने के उपरान्त अन्य शाखाएँ एवं वेद पढ़े जा सकते हैं। अधिशास स्मृतिशा न यही आदेशित किया है कि अपन पूर्वजों की शाखा में वेद का अध्ययन एवं उसी के अनुसार धार्मिक कृत्य भी करने चाहिए। जो अपनी वसापरम्परागत शाखा का वेद नहीं पढ़कर अन्य शाखा पढ़ता है उसे 'साक्षारण्ड' कहा जाता है। साक्षारण्ड की धार्मिक क्रियाएँ विषम होती हैं। किन्तु अपनी शाखा में न पानी जाने वाली क्रिया अन्य शाखा में सीखी जा सकती है। अनिहास का उदाहरण यहाँ पर्याप्त है, क्योंकि यह सभी शाखाओं में नहीं पाया जाता, किन्तु इस करत सभी हैं।

गुरुओं का निवास प्रायः एक ही स्थान पर होता था। किन्तु प्राचीन भारत में भी ये एक देश से दूसरे देश में जाते हुए पाये गये हैं। बोधीतरीब्राह्मणोपनिषद् (८।१) में हम विख्यात बालाकि गार्ग्य का उत्तीतर, मत्स्य, बुर-पचाल एवं वासि विदेह में भ्रमण करते हुए पाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (३।३।१) में मुजु लोटघामनि याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि व तथा अन्य लोग अध्ययन के लिए मद्र देस में पूजते रहें। शिष्यगण बहुधा एव ही गुरु के यहाँ रहते थे, किन्तु वे जिस प्रकार पानी ढाल की ओर अवश्य बह जाता है उसी प्रकार विख्यात गुरुओं के यहाँ दौड़कर घबरे भी जाते थे।^{१७} ऐसे विद्यार्थी जो इस आचार्य से उस आचार्य तक भागा करते थे, उन्हें 'तीर्थभार' कहा गया है (महाभाष्य, भाग १, पृ० ३९१, पाणिनि २।१।४१)।

५८. तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्।...अथापि धाजसनेतिब्राह्मणम्। महायज्ञो ह वा एव यन्स्वाध्यायः। आप० ध० सूत्र १।४।१२।१ एव ३; मिलाइए मनु (२।१६६) वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोष्यते। दश (२।३३) में भी यही बात कही है; 'अर्थात् इत्यध्यायः वेद। स्वस्वाध्यायः स्वाध्यायः स्वपरपरान्तः शास्त्रोत्पत्तः।' संस्कार प्रकाश, पृ० ५०५।

५९. यथाप्य प्रवता दन्ति यथा माता अहर्जरम्। एव मा ब्रह्मचारिणो यात्ररायन्तु सर्वतः ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् १।४।३; यहाँ 'अहर्जर' का तात्पर्य है तत्परा (वर्ष)।

जिस प्रकार वेदाध्ययन ब्राह्मण का एक बर्तव्य था, उसी प्रकार पढ़ाना भी एक कर्तव्य था। अध्यापन-कार्य के लिए प्रार्थना किये जाने पर जो मुवर जाता था वह विफल माना जाता था। जब सत्यकाम जाबाल ने अपने शिष्य उपकोशल को लगातार १२ वर्ष तक सेवा करने पर भी नहीं पढ़ाया तो उनकी स्त्री ने उनकी मर्त्सना की (छान्दोग्य० ४।१०।१-२)। प्रन्नोपनिषद् (६।१) ने लिखा है कि जो गुरु अपना ज्ञान नहीं बाँटता वह मूल जाता है। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।४।२-३ एवं १।२।८।२५-२८) ने विस्तार के साथ लिखा है। द्रोगपर्व (५०।२१) में भी शिष्य की कोटि पुत्र के उपरान्त मानी गयी है। यदि आचार्य साल भर ठहर जाने के उपरान्त भी शिष्य को नहीं पढ़ाना तो उसे शिष्य के सारे पाप भुगतने पड़ते थे। ऐसे आचार्य त्याग्य माने गये हैं।

शिष्यों के गुणों के विषय में स्मृतियों ने नियमों का विधान किया है। निरुक्त (२।४) द्वारा उद्धृत विद्यासूक्त में आया है कि जो शिष्य विद्या को घृणा की दृष्टि से देखे, कुटिल एवं अमयमी हो ऐसे गिण्य को विद्या-ज्ञान नहीं देना चाहिए, किन्तु जो पवित्र, ध्यानमग्न, बुद्धिमान्, ब्रह्मचारी गुरु के प्रति सत्य हो तथा जो अपनी विद्या की रक्षा धन-वीथ की भाँति धरे उसे शिक्षा देनी चाहिए।" मनु (२।१०९ एवं १।१२) के अनुसार १० प्रकार के व्यक्ति शिक्षण प्राप्त करने योग्य हैं—गुरु-पुत्र, गुरुमेवी शिष्य, जो बदले में ज्ञान दे सके, धर्मज्ञानी या जो मन-देह से पवित्र हो, सत्यवादी, जो अध्ययन करने एवं धारण करने में समर्थ हो, जो शिक्षण के लिए धन दे सके, जो व्यवस्थित मन का हो और जो निकट-मन्वन्धी हो। याज्ञवल्क्य (१।२८) ने उपर्युक्तों के साथ कुछ और गुण भी जोड़े हैं, यथा क्रमशः, गुरु से घृणा न करने वाला या गुरु के प्रति असत्य न होने वाला, स्वस्थ तथा व्यर्ष का छिद्रान्वेषण न करने वाला। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।१९) के अनुसार ब्रह्मचारी को सदा अपने गुरु पर आश्रित एवं उनके नियन्त्रण के भीतर रहना चाहिए, उसे गुरु को छोड़ किमी अन्य के पास नहीं रहना चाहिए। यही बात नारद ने भी कही है।" बहुत प्राचीन काल में ही यह बात प्रचलित सी रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुमो को चराये (छान्दोग्य० ४।४।५), मिठा मींग और गुरु की उगको जानकारी करा दे (वही, ४।३।५), गुरु की पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु-कार्य में सम्पादन के उपरान्त जो समय मिले उसे वेदाध्ययन में लगाये (छान्दोग्य० ८।१।५।१)।

उपर्युक्त बानों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें सशेष में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गोमन (२।१३, १४, १८, १९, २२, २३, २५) का कहना है कि विद्यार्थी को असत्य माषण नहीं करना चाहिए प्रति दिन स्नान करना चाहिए, सूर्य की ओर नहीं देगना चाहिए तथा मधु-सेवन, मास इत्र (गंध), पुष्प-मेवन, दिन-अधन, तैल मर्दन, अजन, धान-यात्रा, उपानह (जूता आदि) पहनना, छाता लगाना, प्रेम-व्यवहार, क्रोध, लालच, मोह, व्यर्ष त्रियाद वाधयत्र-बादन, गर्म जल में आनन्ददायक स्नान, बड़ी सावधानी से दाँत स्वच्छ करना, मन की उल्लामपूर्ण स्थिति, नाच, गान, दूमरो की मर्त्सना, मयावह स्नान, नारी को धूरना या युवा नारियों को छूना, जुआ, धूम्र पुरुष की सेवा (नीच कार्य करता), पशु-हृनन, अदलील बातचीत, आसव-सेवन आदि से दूर रहना चाहिए। मनु (२।१९८ एवं १८०-१८१) का कहना है

६०. अमूयकायान् जवेऽप्यताय न मा ब्रूया धीर्धवती यथा स्यान्। धमेर्धवता मुक्तिप्रभत संपादिना ब्रह्मसर्वो-पपन्नम्। यस्ते न ब्रूहेत्येतमस्वनाह तस्मां मा ब्रूया निविषाय ब्रह्मन्॥ निरक्त २।४ (वर्तिष्ठ० २।८-८ विष्णुधर्म० २।१९-१०)। मनु (२।११४-११५) भी इससे बहुत समान हैं।

६१. न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवातोऽपि आचार्यापीन- स्यावयत्र पत्नीवेभ्यः। हिनकारी गुरोः-प्रतिलोमयत्वाच्च। आप० ध० १।१।२।१७ एवं १९-२०; 'अस्वतन् स्मृत शिष्य आचार्यो तु स्वतन्मना।' नारद (श्रृणु-शान, ३३)।

कि उसे शाप या चौकी पर नहीं सोना चाहिए एव पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, स्वप्नदोष हो जाने पर उसे स्नान करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा "पुनर्मां०" (तिसिरीय आरण्यक १।३०) मन्त्र का तीन बार उच्चारण करना चाहिए। ऐसी बातें आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।२१-३०, १।१।३।११-२४) में भी पायी जाती हैं। आपस्तम्बधर्म० (१।१।२।२८-३०) का कहना है कि विद्यार्थी को साधारणतया गर्म जल से धो नहीं घोने चाहिए, यदि शयन गन्धे एवं अपवित्र हों तो उन्हें गुरु से छिपाकर गर्म जल से धो लेना चाहिए, विद्यार्थी को श्रेष्ठापूर्वक स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी में बच्चे के समान गतिहीन स्नान करना चाहिए। आपस्तम्ब० (१।१।२।२६) ने समीप से दूर रहने को तो कहा ही है, यह भी कहा है कि स्त्रियों से तभी बात करे जब कि अत्यावश्यक हो। विद्यार्थी को हँसना नहीं चाहिए, यदि वह अपने को शोक न सके तो उसे मुस को हाथों से बन्ध करके हँसना चाहिए।^{११}

गौतम एवं बौधायनधर्मसूत्र (१।२।३४ एव ३७) का कहना है कि शिष्य को गुरु के साथ जाना चाहिए, उसे स्नान करने में सहायता देनी चाहिए, उसके शरीर को दबाना चाहिए और उसका उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुरु को प्रसन्न करनेवाले कार्य करने चाहिए, गुरु के बुलावे पर पढ़ना चाहिए, उसे कपड़े के टुकड़े से अपना कण्ठ नहीं बरतना चाहिए अपने पैरों को आगे कर गुरु से समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पाँव नहीं झेलने चाहिए, जोर से गला नहीं स्पृश करना चाहिए, जोर से हँसना, भैमाई लेना, अँगुली चटकाना नहीं चाहिए, बुलावे पर तुरन्त आना चाहिए, भले ही बहुत दूर बैठा हो, गुरु से नीचे के आसन पर बैठना चाहिए, गुरु के सो जाने के उपरान्त सोना एवं उनके जगने के पहले जगना चाहिए (गौतम २।२०-२१, ३०-३२)। मनु (२।१९४-१९८) एव आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।२६ एवं १।२।६।१-१२) में भी ऐसे ही नियम हैं। शिष्य को अपने गुरु की चाल-डाल, वाणी एव क्रियाओं की गूँधी नकल नहीं करनी चाहिए, अर्थात् मजाक नहीं उठाना चाहिए (मनु २।१९९)। मनु (२।२००-२०१) में यह भी लिखा है कि शिष्य को अपने गुरु के विरोध में कहे जाते हुए शब्द नहीं सुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उनकी शिकायत करता है तो आगे के जन्म में गदहा या कुत्ता होगा। विष्णुधर्मसूत्र (२।८।२६) ने भी यही बात कही है।

विद्यार्थियों के सिर के बालों के विषय में कई नियम बनाये गये हैं। ऋग्वेद (४।७।५।१७; तै० सं० ४।५।४।५) में कई शिक्षाओं वाले बच्चों के बारे में लिखा है। गौतम (१।२६) एवं मनु (२।२१९) के अनुसार ब्रह्मचारी का सिर मुड़ा रहना चाहिए या जटाबद्ध रहना चाहिए या शिला बिना पूरा घुटा रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३१-३२), वसिष्ठधर्मसूत्र (७।११) एव विष्णुधर्मसूत्र (२।८।४१) में कुछ विभिन्नता के साथ ऐसी ही बातें पायी जाती हैं। जनमार्ग पर चलते समय शिखा नहीं सोलनी चाहिए (हाण्डित, अपराकं द्वारा उद्धृत, पृ० २२५)।

बिना धी, शट्ट या आधार्थ की उपाधि लगाये शिष्य अपने गुरु का नाम उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं ले सकता था। गौतम के आदेशानुसार शिष्य अपने गुरु, गुरु-पत्नी, गुरुपुत्र या उस व्यक्ति का नाम जिसने श्रौत यज्ञ कराया हो, नहीं ले सकता (२।२४ एव २८)। आपस्तम्बधर्म० (१।२।८।१५) का कहना है कि पर लोट जाने पर भी स्नातक को गुरु का कथा भैगुनी से नहीं छूना चाहिए, बार-बार कान में कुछ नहीं कहना चाहिए, सम्मूला नहीं हँसना चाहिए, जोर से पुकारना, नाम लेना या आदेश देना नहीं चाहिए। और भी देखिए मनु (२।१२८) एव गौतम (६।१९)। स्मृतिचन्द्रिका (धाम १, पृ० ४५) एव हरदत्त में (गौतम २।२९) एक स्मृति का उद्धरण देते हुए लिखा है कि अपने

१२. देखिए, याज्ञवल्क्य (१।३३) जिसमें उपर्युक्त बहुत-सी बातें ला जाती हैं। याज्ञवल्क्य में गुरु को छोड़कर किसी अन्य का उच्छिष्ट भोजन खाना मना किया है। मनु (२।१७७-१७९) में धौनय के समान ही नियम किये हैं। धौनयस्तस्मिन् में त्यागने योग्य बातों की एक बहुत सूची तात्पर्य पायी जाती है।

गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्नी, दीक्षित, अन्य गुरु, पिता, माता, चाचा मामा, हितेच्छु, विद्वान्, स्वगुरु, पति, मौसी के नाम नहीं लेने चाहिए।" महाभारत (शांतिपर्व १९३।२५) के अनुसार किसी को अपने गुरुजन का नाम नहीं लेना चाहिए, या उन्हें 'तुम' शब्द से नहीं पुकारना चाहिए, अपने सभवालीनो या छोटीयों के नाम लिये जा सकते हैं। एक दलोक से मह भी पटा श्लोका है कि अपना नाम, अपने गुरु का नाम, दुष्ट प्रकृतिवाले व्यक्ति का नाम, अपनी पत्नी का नाम अपना अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए।"

उपसंहार में अपना नाम एवं गोत्र "मैं प्रणाम करता हूँ" कहकर बोला जाता है। उस समय अपने कानों को छूकर प्रणम्य के पीरो को छू लिया जाता है एवं सिर को झुका लिया जाता है। किन्तु अभिवादन में हाथों से पीरों का पकड़ना या छूना नहीं होता। अभिवादन के पूर्व प्रत्युत्थान होता है।

किसी के स्वागत में अपने आसन को छोड़कर उठने को प्रत्युत्थान कहा जाता है। किसी को प्रणाम करना अभिवादन कहा जाता है। उपसंहार में हाथों से पीरों को पकड़ लिया जाता है। प्रत्यभिवादन में प्रणाम का उतर दिया जाता है। नमस्कार में नमः के साथ सिर झुकाना होता है। इन सबके विषय में बड़े विस्तार के साथ नियम बताये गये हैं। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१९-२२), मनु (२।७।१-७२), गौतम (१।५२-५४), विष्णुधर्मसूत्र (२।८।१५), बोधायनधर्मसूत्र (१।२।२४, २८), गौतम (६।१-२) आदि देखने चाहिए, जिनमें पर्याप्त मत-मतान्तर मिलते हैं। किसी के मत से जब गुरु मिलें, तब वर पकड़ लेने चाहिए, किसी के मत से केवल प्राण एवं साय ऐसा करना चाहिए। गुरुजनो, माता-पिता तथा अन्य श्रद्धास्पदों के विषय में भी ऐसे ही विभिन्न मत हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत करना आवश्यक नहीं है।

अभिवादन तीन प्रकार का होता है, लिख (प्रति दिन के लिए आवश्यक), नैमित्तिक (विशिष्ट अवसरों पर ही करते योग्य) एवं काम्य (किसी विशिष्ट काम या अधिकारा से प्रेरित होने पर किया जानेवाला)। नियम के विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१२-१३) ने यो लिखा है—“प्रति दिन विद्यार्थी को रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठना चाहिए और गुरु के समिपक सडे होकर यह कहना चाहिए कि 'यह मैं-प्रणाम करता हूँ', उसे अन्य गुरुजनों एवं विद्वान् ब्राह्मणों को प्रातः भोजन के पूर्व प्रणाम करना चाहिए” (देखिए याज्ञवल्क्य १।२६)। नैमित्तिक अभिवादन कभी-कभी होता है, यथा किसी यात्रा के उपरान्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।२।५।१४)। सम्झी आयु की आशा से, नत्याग के लिए कोई भी गुरुजनों को प्रणाम कर सकता है (आप० व० १।२।५।१५ एवं बोधायन० १।२।२६)। मनु (२।१२०-१२१) ने लिखा है कि जो ज्येष्ठ एवं श्रद्धास्पदों को प्रणाम करता है वह दीर्घ आयु, ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता है..। इस विषय में हम आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।११), बोधायनधर्मसूत्र (१।२।४४), मनु (१।१।३०) एवं बसिष्ठधर्मसूत्र (१।३।४१) को देख सकते हैं। अभिवादन के विषय में कुछ मतभेद भी हैं, जिन्हें देना यहाँ आवश्यक नहीं है।

३३. आचार्यं चैव तत्पुत्रं तद्गणानां बीजिनं गुरुम् । पितरं वा जिन्यं च मातुसं मातरं तथा ॥ हितैर्विभं च विद्वांसं स्वगुरुं वसिमेव च । न भूयात्प्राप्तौ विद्वांश्चातुर्यं भगिनीं तथा ॥ स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ४५) एवं हरदत्त (गौतम २।२९) ।

३४. स्वकारं नामकेयं च श्रेयंशानां परित्वजने । अत्राणां समाधानामुपेयां न कुप्यति ॥ शांतिपर्व १९३।२४; वेत्सिए विष्णुधर्मसूत्र (३।२।८) भी; आत्मनाम गुरोर्नाम यत्राम हृपगतव च । श्रेयस्कारी न गुरु, नीनागोऽप्यत्पुत्रजनयोः । किन्तु अभिवादन में अपना नाम लेना चाहिए । गुरोर्ज्येष्ठसत्रस्य मातुर्ज्येष्ठतर चरपयम् । आयुष्यो न गुरु, सीमाजामा- त्तिरुपचर्य च ॥ नारद (परम्पारिजात द्वारा उद्धृत, पृ० ११९) ।

अग्निवादन विधि यो धी—ब्राह्मण को अपनी दाहिनी बाहु कान के सीध में फँसाकर, शत्रिय को छाती तक, वैश्य को कमर तक तथा शूद्र को पैर तक फँसाकर अग्निवादन करना चाहिए और दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए (आप० घ० १।२।५।१६-१७)।^{६५}

यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम या अग्निवादन का उत्तर न दे सके तो उसे शूद्र के समान समझना चाहिए, विद्वान् को चाहिए कि वह उते प्रणाम न करे। ब्राह्मणों के लिए यह नियम था कि वे क्षत्रियों एवं वैश्यों को अग्निवादन न करें। भले ही वे लोग विद्वान् एवं धन्दास्पद हों, केवल 'स्वस्ति' का उच्चारण पर्याप्त है। बराबर-जाति वालों में ही अग्निवादन होता है। ऐसा न करने पर अर्थात् यदि ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को अग्निवादन करें, तो उन्हें प्रायश्चित्त करना पड़ता था (क्रम से १, २ या ३ दिनों का उपवास)। जूता पहने सिर धाँपे (पगडी आदि से), दोनों हाथ फों रहने पर, सिर पर समिधा रखे रहने पर, हाथ में पुष्प-मान्ना या भोजन छिपे रहने पर अग्निवादन नहीं करना चाहिए, और न पितरों का श्राद्ध करते समय, अग्नि या देवता की पूजा करते समय तथा जब स्वयं गुरु जैसे कार्यों में लगे हों अग्निवादन नहीं करना चाहिए। बहुत सन्निहित सड़ें होकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए (बोधायन घ० १।२।३१-३२)। जब व्यक्ति अपवित्र हो या अग्निवादन पानेवाला असौभं हो तो तब भी अग्निवादन निषिद्ध है। विशेष, आपस्तम्बधर्म० (१।५।१४।१४-१७ एवं २३) मनु (२।१३५) विष्णुधर्मसूत्र (३२।१७) आदि स्थल अवलोकनीय हैं। स्मृत्यपत्तार (पृ० ७) में लिखा है कि धर्मविरोधी, पापी, नास्तिक, जुजारी, चोर, वृत्तघ्न एवं शराबी को अग्निवादन नहीं करना चाहिए (देखिए मनु ४।३० एवं याज्ञवल्क्य १।१३०)।

कुछ लोगों का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में ही होता है और अग्निवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अस्ती धर्म या उससे अधिक धर्म के शूद्र का सम्मान उच्च वर्ण के छोटी अवस्था वाले लोगों द्वारा होना चाहिए, किन्तु अग्निवादन नहीं होना चाहिए। लम्बी अवस्था वाले शूद्र द्वारा उच्च वर्ण के लोगों (आर्यों) का सम्मान आयन से उठकर होना चाहिए। ब्राह्मण यदि वेदज्ञ न हो तो उसे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठाना नहीं चाहिए, किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का है तो उसका अग्निवादन करना चाहिए (आप० घ० २।२।५।१६-१८ एवं मनु २।१३४)। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं।

विभिन्न टीकाकारों ने प्रत्यभिवादन के विषय में बहुत-सी जटिल व्याख्याएँ उपस्थित कर दी हैं। प्रणाम पाने पर गुरु या कोई व्यक्ति जो प्रत्युत्तर देता है या जो आशीर्षन न करता है उसे ही प्रत्यभिवादन कहा जाता है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (१।२।५।१८) में कहा है—“प्रथम तीन वर्णों के अग्निवादन के प्रत्युत्तर में अग्निवादनवर्ता के नाम का अन्तिम अक्षर तीन मात्रा तक (प्लुत) बढ़ा दिया जाता है। इससे मित्र वसिष्ठ (१३।४६) का नियम है। मनु (२।१२५) ने अनुत्तर ब्राह्मण की इस प्रकार प्रत्यभिवादन देना चाहिए—“हे भद्र, आप दीर्घजीवी हों”, और नाम का अन्तिम स्वर प्लुत कर देना चाहिए, किन्तु यदि नाम का अन्तिम अक्षर व्यञ्जन हो तो उसके पूर्व का स्वर प्लुत कर देना चाहिए। यही बात पाणिनि (८।२।८३) में भी पायी जाती है। महाभाष्य ने इसकी टिप्पणी की है और दो वार्तिकों द्वारा बतलाया है कि यह नियम स्त्रियों के प्रति लागू नहीं है, और क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए विकल्प से लागू हो सकता है।^{६६} आपस्तम्ब-

६५. इतिहास बाहु ध्योत्रसम प्रसायं ब्राह्मणोऽग्निवादीतोऽक्षम रात्रन्वो मध्यसम वैश्यो नीले शूद्रः प्रत्यञ्जलि। आप० घ० १।२।५।१६-१७; देखिए सरकारप्रकाश, पृ० ४५४।

६६ प्रत्यभिवादेऽप्युक्तेः पाणिनि ८।२।८३; यदि अग्निवादन करनेवाला ब्राह्मण हो (जैसा कि “अग्निवाद्ये देववत्तोर्हो भी” में पाया जाता है) तो प्रत्यभिवादन होगा—“आमुष्मानेय देवदत्ता ३” (यहाँ ३ से तात्पर्य है प्लुत,

धर्मसूत्र प्राचीन विधाकरण के नियमों को मायना देता है। मनु (२।१२५) ने भी ऐसा ही कहा है, किन्तु उनसे लिए 'अकार' शब्द सब स्वरो के बदले आ जाता है। उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों को अभिवादन नहीं करते, अतः उनके विषय में प्रत्यभिवाद का प्रश्न ही नहीं उठता।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।२७) के अनुसार शिष्य अपने गुरु की पत्नी के साथ बैठा ही व्यवहार करेगा जैसा कि गुरु के साथ करता है, किन्तु न तो उससे पाँच छुएगा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। गौतम (२।३।१-३२) ने भी यही बात कही है और जोड़ा है कि शिष्य गुरु-पत्नी का नहाने-धोने में न ता सहायता करेगा न उससे पाँच पकड़ेगा और न उन्हें देबाएगा। यही बात मनु (२।२।११), वीषायनधर्म (१।२।३७), विष्णुधर्म (३।२।६) में भी पायी जाती है। मनु (२।१।१२) एवं विष्णुधर्मसूत्र (३।२।१३) के अनुसार २० वर्षों शिष्य को अपने आचार्य की नवयुवती पत्नी के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, प्रत्युत पृथिवी पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए (अभिवारये अभुनसर्माह भो—बहकर)।

गुरुपत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के विषय में निम्न नियम थे। विवाहित स्त्रियाँ को अपने पतिवाकी अवस्था के अनुसार अभिवादन करना चाहिए (आप० ध० १।४।१४।१८ एवं वसिष्ठधर्म० १।३।४२)। विष्णुधर्म० (३।२।२) ने भी यही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन के फल अपनी जाति की स्त्रियों तक ही सीमित है। गौतम (६।७-८) एवं मनु (२।१।३१-३३२) के नियम भी अवलोकनीय हैं।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।३०), वसिष्ठधर्म० (१।३।५४), विष्णुधर्म० (२।८।३१) एवं मनु (२।२०।७) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र के साथ वही व्यवहार करेगा जो गुरु के साथ किया जाता है, किन्तु गुरुपुत्र के पैर न पकड़ेगा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। मनु (२।२०।८) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र की सम्मान तो देगा, किन्तु उससे नहाने-धोने एवं पैर धोने में कोई सहायता न देगा और न उसका उच्छिष्ट खायेगा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।२८ एवं १।४।१३।१२) के अनुसार प्राचीन काल में समाविष्ट (शिष्याप्यापत्) की परिपाटी थी और गुरु के बहने पर जो अन्य व्यक्ति अध्यापन-आचार्य करता था, उसको गुरु के समान ही सम्मान मिलता था।^१

गुरु एवं सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य लोगों से मिलने पर क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में आपस्तम्ब (१।४।१४।२६-२९) एवं मनु (२।१।२७) का कहना है कि किसी ब्राह्मण से भेट होने पर 'कुशल' शब्द में स्वास्थ्य के विषय में पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से 'अनामय', वैश्य से 'दोष' एवं दूत से 'आरोग्य' शब्द का व्यवहार करना चाहिए। जो बड़ा हो, उसे प्रणाम मिटना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका 'कुशल' मात्र

अर्थात् तीन मात्रा तक)। यदि नाम व्यञ्जनान्त हो तो प्रत्यभिवाद होगा—“आयुष्मान्भव शोमसर्मा ३ नृ॥” यदि स्त्री अभिवादन करे, यथा “अभिवादे गार्ग्यं भो” तब प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मती भव गार्गी”। (अर्थात् यहाँ प्लुत नहीं है)। यदि इन्द्रवर्मा नामक क्षत्रिय अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मानेपीन्द्रवर्मा ३ नृ॥” या “आयुष्मानेपीन्द्रवर्मन्”। यदि वैश्य इन्द्रपालित अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मानेपीन्द्रपालिता ३, वा योगपालिता”। यदि दूत पुत्रजव अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्मानेधि पुत्रजव” (अर्थात् यहाँ प्लुत नहीं है)।

१७ तथा समाविष्टे अध्यापयति। आप० ध० १।२।७।२८; समाविष्टमध्यापयन्ता यात्रवध्ययनमुप्रतगृह्णीयात्। नियमहस्तिसूत्रके। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।१२-१३।

पूछना चाहिए। गौतम (५।३७-३८) ने भी इसी प्रकार नियम दिये हैं। मनु^{५५} (२।१२९) ने कहा है कि परनापी तथा जो अपनी सम्बन्धी न हो उस नारी को 'भवती' कहना चाहिए। इस विषय में और देखिए आप० ध० (१।४।१४।३०) एवं विष्णुधर्म० (३२।७)। बराबर अवस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बेटी समझना चाहिए।

उदाहृतव्य के अनुसार 'श्री' शब्द देवता, गुरु, गुरुस्थान, क्षेत्र (तीर्थस्थान), अधिदेवता, सिद्ध योगी, सिद्धा-चिन्तारी आदि के नाम के साथ प्रयुक्त होना चाहिए। रघुनन्दन ने लिखा है कि जो लोग जीवित हो उन्हीं के नाम के पूर्व 'श्री' शब्द लगाना चाहिए। इस प्रकार द्विजातियों की स्त्रियों ने नाम के पूर्व 'देवी' तथा धूर्द नारियों के नाम के पूर्व 'शक्ती' लगाना चाहिए।

सम्मान के भागी कौन-कौन हैं? इस विषय में षोडश-बहुत मतभेद हैं। सम्मान करने के लक्षण है अमिवादन करना, मिलने के लिए उठ पड़ना, आगे-आगे चलने-देना, माता देना, चन्दन लगाना आदि। मनु (२।१३६) एवं विष्णु-धर्म० (३२।१६) के अनुसार धन, सम्बन्ध, अवस्था, धार्मिक कृत्य एवं पवित्र ज्ञान वाले को सम्मान मिलना चाहिए, जिनमें धन से श्रेष्ठ सम्बन्ध सम्बन्ध से अवस्था, अवस्था से धार्मिक कृत्य एवं धार्मिक कृत्य से ज्ञान है। गौतम (६।१८-२०) ने कुछ अन्तर दर्शाया है। उनसे अनुसार धन, सम्बन्ध, पेशा (वृत्ति), जन्म, विद्या एवं आयु को सम्मान मिलना चाहिए। इनमें क्रमशः आगे आने वाले को अपेक्षाकृत अच्छा माना गया है, किन्तु वेद विद्या को सर्वोपरि कहा गया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१३।५६-५७) के अनुसार विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध एवं धार्मिक कृत्य वाले सम्मानार्ह हैं जिनमें प्रत्येक पहले वाला श्रेष्ठतर है अर्थात् विद्या सर्वश्रेष्ठ है। धार्मिकत्व न क्रम से विद्या, धर्म, अवस्था, सम्बन्ध एवं धन को मान्यता दी है। उन्हीं धन का अन्तिम मान्यता दी है (१।११६)। विश्वरूप (याज्ञ० १।३५) के अनुसार गुरु (माता पिता), आचार्य, उपाध्याय एवं ऋत्विक् को यदि सम्मान न दिया जाय तो पाप लगता है, किन्तु यदि विद्या, धन आदि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पाप तो नहीं लगेगा, हाँ सुख एवं सफलता न प्राप्त हो सकेगी। मनु (२।१३७) न ९० वर्ष के शूद्र को एवं विद्वान् ब्राह्मण के समक्ष बच्चा माना है। और देखिए मनु (२।१५१-१५३), बोधायन-धर्म० (१।४।४७), गौतम (६।२०) एवं ताण्ड्यमहाराहण (१३।३।२४)। मनु (२।१५५) ने लिखा है कि पवित्र ज्ञान से ही ब्राह्मणों को श्रेष्ठता है पराक्रम से क्षत्रिय की, अन्न-धन से वैश्यों की एवं अवस्था से धूर्द की श्रेष्ठता है। कौटिल्य (३।२०) के अनुसार विद्या, बुद्धि, पौष्ट्य, अमिजन (उच्च कुल) एवं वर्मातिशय (उच्च वर्ण) वाले को सम्मान मिलना चाहिए।

अमिवादन एवं नमस्कार में क्या अन्तर है? अमिवादन में न केवल शुकना होता है, प्रत्युत "अमिवाच्यं .. आदि" कहना होता है, किन्तु नमस्कार में सिर शुकान्वर हाथ जोड़ लेना मान्य होता है। नमस्कार देवताओं, ब्राह्मणों, सन्यासियों आदि के लिए किया जाता है। विष्णु के अनुसार ब्राह्मण को सप्ता, यज्ञ, राजगृह में अमिवादन न करने नमस्कार मात्र करना चाहिए। नमस्कार में हाथों की आठवटियाँ निम्न रूप से होती हैं—विद्वान् को नमस्कार करने में बचरी के कान की मूर्ति हाथ जोड़ने चाहिए, यतियों को नमस्कार करते समय सम्पुट हाथों से। एवं हाथ से, भूर्त्त को तथा छोटी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवालय, देवमूर्ति, वैल, गौशाला, गाय, घी, मधु, पवित्र तह (जिससे

६८. हरदत्त के अनुसार चारों वर्णों के लिए ऐसे त्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रदत्त होने चाहिए—अभि बुद्धाल भवतः, अप्यनामय भवतः, अप्यनत्पद्मपुष्पोसि, अप्यरोगो भवान्। 'कुशलानामःपारोग्याणामनुप्रदत्त। अन्य शूद्रस्य।' गौतम (५।३७-३८); इस पर हरदत्त का कहना है कि 'अभि बुद्धालनामुष्पन्निति ब्राह्मण प्रष्टव्य, अप्यनामयम् अत्रभवत इति क्षत्रियः, अप्यरोगो भवानिति वैश्यः, अप्यरोगोऽस्तीति शूद्रः।'

चारों ओर इंदो का चक्कर बना हो), चौराहा, विद्वान् गुरु, विद्वान् एव धार्मिक ब्राह्मण, पवित्र स्थल की मिट्टी की प्रदक्षिणा (बायें से दाहिने) करनी चाहिए।^{११}

अपने माता-पिता, आचार्य, पवित्र अग्नि, घर, राजा (यदि राजा ने आने वाले के बारे में पहले कभी कुछ न सुना हो तो) के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए (आप० प० १।२।८।२३)।

मार्ग में चलते समय किस प्रकार किसको आगे जाने देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणा के विशेषाधिकारों के वर्णन में हमने पहले ही पढ़ लिया है।

प्राचीन भारतीय शिक्षण-मंडति की एक विशेषता थी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्या-भान (विशेषतः वैदिक) प्रदान करना। वेद को ज्यो-का-त्यो आगे की पीढ़ियों तक ले जाने के लिए बड़े सुन्दर एवं व्यवस्थित नियम बना दिये गये थे। पद, क्रम, जटा तथा अन्य रूपों में वेद का अध्ययनाभ्यास होता था। त्वष्टा की गाथा इस विषय में प्रसिद्ध है। उसने "इन्द्रशत्रुर्वधस्व" के उच्चारण में गड़बड़ी कर दी और इन्द्र के विरोध में अग्नि प्रज्वलित करते की अपेक्षा उसे बूझ जाने में योग दिया।^{१२} पुस्तक से पढ़नेवाले को निकृष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय शिष्या, ३२)। वेद का पाठ व्यवस्थित ढंग से मौखिक ही था।

क्या प्राचीन भारत में लिपि-कला का ज्ञान था। क्या पाणिनि के समय में साहित्यिक कामों में लिपि का व्यवहार होता था? क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश से यहाँ लायी गयी है? मैक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ़ ऐंथ्रोपेट सस्युत लिटरेचर" (पृ० ५०७) में लिखा है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग के लिए किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। यह मत सचमुच आश्चर्यजनक एवं अनर्गल (असंगतिपूर्ण) है। यह मत अन्त में अप्राह्य हो गया। इसने उपरान्त बृहलर ने अगोक लिपि एवं सेमेटिक लिपि के कुछ अक्षरों में साम्य देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि लगभग ८०० ई० पू० सेमेटिक लिपि के आधार पर बनी। बृहलर महोदय के मस्तिष्क में यह बात न मगमा सकी कि यही बात ब्राह्मी के पद में भी बनी जा सकती थी, अर्थात् ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक लोगों ने अपनाया। इसके अतिरिक्त यह भी तो कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं सेमेटिक दोनों लिपियाँ किसी अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित हो सकती हैं। किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त अब प्राचीन पढ़ गये, क्योंकि मोहें

११. देवालय घंत्यतह तयं च चतुष्पयम्। विद्यायि च गुरु देव भूय. कुर्वीत्रवसिषम्॥ मार्कण्डेयपुराण (३।४।१-४२); शुचि देशमनइवाह देव गोष्ठ चतुष्पयम्। ब्राह्मण धार्मिक शैत्य नित्य कुर्वीत्रवसिषम्॥ शान्तिपर्व १९३।८; देसिए बह्यपुराण (१।३।४०), सामनपुराण (१।४।५२), गीतम् (१।६६), मनु (४।३९), धात० (१।१३३)। शान्तिपर्व के १६३।३७ में भी वही श्लोक है।

१२. मन्त्रो होन. स्वरतो वर्णतो वा विध्याप्रयुक्तो न तययंमाह। स बायन्द्यो मजमान हितस्ति मषेत्रशानु स्वरतोऽपराधात्॥ पाणिनीयशिक्षा ५२; मीती धीश्री शिर-कम्पी तथा लिखितपाठकः। अनर्धोऽपकष्टश्च वर्णतो पाठकाप्रभा॥ पाणिनीयशिक्षा ३२। गाथा का वर्णन तैत्तिरीय संहिता (२।४।१२।१) एवं शतपथ ब्राह्मण (१।६।३।८) में हुआ है। त्वष्टा 'इन्द्रशत्रु' (जिसका अर्थ होता है इन्द्र का नाशक) शत्रु वा उच्चारण तत्पुत्र समाप्त में करना चाहता था जिससे समाप्त के अन्तिम अक्ष में उदात्त स्वर लगाना चाहिए, किन्तु उसने ब्रह्मीहि समाप्त के अन्तिम में ही (इन्द्र होगा शत्रु मित्वा) उच्चारण कर दिया (यहाँ समाप्त के प्रथम शब्द में उदात्त स्वर आ गया) और कल उलटा हुआ अर्थत् "इन्द्र के शत्रु" के स्थान पर इन्द्र की ही प्रयानता मिल गयी और त्वष्टा की कामना पूर्ण नहीं हो सकी। देसिए, पाणिनि ६।१।२२३ एवं ६।२।१।

बीजडो एव ह्यक्षया (गिणु पाठी) की लिपि अति प्राचीन ठहरा दी गयी और यह सिद्ध हो गया कि भारत में लगभग ५०००-६००० वर्ष पूर्व किसी परिष्कृत लिपि का व्यवहार होता था।

विशा देवे का मौखिक ङग सर्वोच्च एव सबसे सस्ता था। प्राचीन काल में लिखने की सामग्री सस्तरा से नहीं मिल सकती थी और जो प्राप्त थी वह बहुमूल्य थी, अतः मौखिक ङग को ही विशेष महत्ता दी गयी। आज भी सस्कृत विद्यालयों में यही ङग अपनाया जाता है। आधुनिक काल में जब कि लिखने एव मुद्रण की सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, सैंकड़ों ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें न वेदों सम्पूर्ण ऋग्वेद (लगभग १०,५८० मन्त्र) कण्ठस्थ हैं, प्रत्युत ऋग्वेद के पद, ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्यक एव छः वेदांग (जिनमें पाणिनि के ४००० सूत्र एव शास्त्र का विद्यालय विस्तृत भी सम्मिलित है) सभी कण्ठस्थ है। इन ब्राह्मणों में कुछ तो ऐसे विभाट् जन मिलेंगे, जिन्हें इतना बड़ा साहित्य कण्ठ तो है, किन्तु वे इससे ङग शब्द का अर्थ भी नहीं कह सकते।^१

परमार्थमाधवीय (भाग १, पृ० १५४)-में उद्धृत भारत के अनुसार "जो ध्यनित पुस्तक के आधार पर ही अध्ययन करता है, गुरु से नहीं, वह सत्मा में शोभा नहीं पाता।" बृह्मगीतम में उनही भर्त्सना की है जो वेद बेचते हैं, जो वेद की भ्रमंता करते हैं तथा उसे छिपते हैं। याज्ञवल्क्य (३।२६७-६८) पर लिखते समय अपराकं (पृ० ११-१५) न पशुविधागत वी उद्धृत करते हुए वेद, वेदांग, स्मृतियों, इतिहास, पुराण, पञ्चरात्र, गाथा, नीतिशास्त्र विन्यय करनेवाला के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। पुस्तक-प्रयोग के विरुद्ध यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञानप्राप्ति के मार्ग में यह छ अवरोधों में एक अवरोध है।^२

गुरु सस्कृत, प्राकृत या देशभाषा के द्वारा गिण्यु को समझाया करता था (सस्कृतं प्राकृतंवाक्यैर्न गिण्यमनुरूपं। देशभाषाद्युक्तैश्च योपयंत गुरु स्मृत ॥ वीरमित्रोदय द्वारा उद्धृत विष्णुधर्म० म)।

ब्रह्मचर्य की अवधि

उपनिषदों में कुछ अन्यों से पता चलता है कि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी-जीवन) की अवधि १२ वर्ष की थी (छान्दोग्य० ५।१०।१)। द्येयैरेणु आरण्ये १२ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य छोड़ और २४ वर्ष की अवस्था में सगरी वेदा के परिष्कृत हो नये (छान्दोग्य० ६।१।२)। छान्दोग्य० (५।१०।१) में यह भी प्रकट होता है कि १२ वर्ष के उपरान्त बहुधा गिण्यु लोग गुरु के पास चले आते थे। विष्णु ब्रह्मचर्य लम्बी अवधि का भी हो सकता था। छान्दोग्य० (८।१।१३) में लिखा है कि द्येय प्रजापति के यहाँ १०१ वर्ष तक (३२ वर्ष की तीन अवधियों + ५ वर्ष) विद्यार्थी रूप में रहे। मरदात्र में ७५ वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११)। गोपय ब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी देवों के अध्ययन की अवधि ६८ वर्ष थी। गोपयब्राह्मण के इस बचन को कुछ गृह्य एव धर्म सूत्रों ने उद्धृत किया है,

७१. ऋग्वेद का पद-पाठ प्राबल्य को दृष्टि है तथा यद्वा पाठ पौष्ट्येय (मानव द्वारा प्रणीत) है। निरुक्त (६।२८) न पद-भाष के विभाजन को भाजीवना की है। विश्वरूप (भाज० ३।२४२) ने कहा है कि पद एव क्रम के प्रयोग ध्यान में हैं।

७२. पुरतश्चाप्यथाधीत नाधीत मुदातिथी। छात्रते न सभामध्ये जात्यथ इव त्रिभया ॥ मारुद (परमार्थ-माधवीय, भाग १ पृ० १५४)।

७३. दूत जुस्तवमुपूया नाडकातिकादेय च। त्रिभयतद्गो च निद्रा च विद्यार्थिनकराणि वट् ॥ स्मृतिवर्तित्रय (भाग १, पृ० ५२) द्वारा उद्धृत कारक।

यथा पारस्करगृह्यसूत्र (३।५) का कहना है कि ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और प्रत्येक वेद के अध्ययन में १२ वर्ष लगाने चाहिए (१२ × ४ = ४८ वर्ष)। इस विषय में बौधायनगृह्यसूत्र (१।२।१-५) भी अवलोकनीय है। जैमिनि (१।३।३) पर शबर ने उन स्मृतियों की खिल्ली उड़ायी है जिन्होंने ४८ वर्ष की अवधि के लिए बल दिया है। विन्तु कुमारिल मठ ने शबर की मत्संता की है कि स्मृतियों ने जो कुछ कहा है वह धुनिविरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के उपरान्त सन्यासी होना चाहते हैं, वे ४८ वर्ष तक पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं, बहुत-से लोग जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहते हैं।”

क्रमशः वैदिक साहित्य विराल होता चला गया और ऋषियों ने उमकी सुरक्षा के लिए तीनों वर्णों के लिए यह एक कर्तव्य-सा बना दिया कि वे इस पूत साहित्य के संरक्षण एवं पालन में लगे रहें। अतः बहुत से विकल्प रचे गये, यथा ४८ वर्षों तक सभी वेदों का अध्ययन, तीन वेदों का ३६ वर्षों तक, यदि व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का हो तो वह तीन वेदों को १८ या ९ वर्षों में ही समाप्त कर सकता है, या वह इतना समय अवश्य लगाये कि एक वेद का या कुछ उसमें अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके, देखिए मनु (३।१-२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३६ एवं ५२)। सबके लिए १२ वर्षों तक वेदाध्ययन सम्भव नहीं था, अतः भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।९) ने विकल्प से लिखा है कि वेदाध्ययन गोदान कृत्य तक (१६वें वर्ष में गोदान होता था, इसने विषय में हम आगे पढ़ेंगे) होना चाहिए। आप्तवलायनगृह्यसूत्र (१।२।३-४) के मत से १२ वर्षों तक या जब तक सम्भव हो वेदाध्ययन करना चाहिए। हरदत्त ने आपस्तम्बधर्म० (१।१।२।१६) की व्याख्या करते समय आपस्तम्बधर्म० (१।१।२।१२-१६ एवं १।१।३।१) तथा मनु (३।१) के तिचोड को उपस्थित करते हुए कहा है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को कम-से-कम तीन वर्ष प्रत्येक वेद के पढ़ने में लगाने चाहिए।

तीनों उच्च वर्णों के लिए वेदाध्ययन तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य था ही, साथ-ही-साथ वैदिक यज्ञों के लिए भी वेदाध्ययन आवश्यक ठहराया गया था। जैमिनि के अनुसार वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ का योग्य है जो यज्ञ-सम्बन्धी अथ का ज्ञाता हो।

अध्ययन के विषय

वेदाध्ययन का तात्पर्य है मन्त्रों तथा विशिष्ट शास्त्रों या शास्त्रों के ब्राह्मण गाय का अध्ययन। वेद को शास्त्रत्व एवं अपौरुषेय माना गया है। सभी धर्मशास्त्रकारों ने वेद को अत्रादि एवं शास्त्रत्व माना है। वेदान्तसूत्र (१।३।२८-२९) के अनुसार वेद शास्त्रत्व है और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (देवो महित) वेद से ही प्रसूत हैं (देविए मनु १।२१, गान्धिपर्व २३३।२४ आदि)। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।५।११) के अनुसार वेद परमात्मा के स्वाम हैं। इसी उपनिषद् (१।२।५) में आया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञी आदि का निर्माण किया है। श्वेताश्वतरोपनिषद्

७४ उपनयन अधिकतर गर्भाधान से ८ वर्ष की अवस्था में होता था। यदि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन) ४८ वर्षों तक चलेगा तो उस समय व्यक्ति की अवस्था ५६ (४८ + ८) वर्ष होगा। केवल गृहस्थ लोग ही धर्म अंग-रोग कर सकते थे। यदि कोई ५६ वर्ष उपरान्त विवाह करे, तो उसने बाल सन्तान होने रहेंगे और वह इस प्रकार स्मृति-नियम को मानता हुआ वैदिक आदेशों के विरोध में चला जायगा। स्मृति एक धृति के विरोध में स्मृति अस्वीकृत होती है यह जैमिनि (१।३।३) का कहना है। इस पर शबर का भाष्य है—अष्टाचत्वारिंशद्वर्षीणं वेदब्रह्मचर्यं चरत्तं जातपुत्र-कृष्णनेत्रोपीनादधीत इत्यनेन विद्वद्भ्यः। अपुस्तं प्रच्छाद्यन्तश्चाप्यटाक्षरवार्त्तिसुर्वर्षीणं वेदब्रह्मचर्यं चरितवत्। तत एषा स्मृतिरित्यवगम्यते। जैमिनि (१।३।४, पृ० १८६) पर शबर। देखिए तत्रवार्त्तिक, पृ० १९२-१९३।

(६।१८) के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इस विषय में शान्तिपर्व (२३।३।२४) अत्यन्तकीर्ण है। वेद के जनार्दन एवं अनोरवेगत्व की बड़ी उम्र से समझाया जाता है, यथा—महामाष्य (पाणिनि ३।३।१०) ने लिखा है कि यद्यपि वेद का अर्थ सादर्य है, विष्णु शब्दों का प्रबन्ध जसादर्य है और इसी लिए वेद को विनिश्चय साक्षात् पायी जाती हैं, यथा काठक, बाल्यपत्र, मोदन, पंचलादक आदि।

प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विद्यालय रहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११) ने कहा है कि वेद सत्य हैं। स्वयं ऋग्वेद (१०।७।१११) में ऐसा संकेत है कि चार प्रकार के प्रमुख पुरोहित थे, यथा—होता, ऋषि उद्गाता एवं ब्रह्मा। उरुवे (१०।७।११७) यह भी जाना है कि जो लोग साध पढ़ते हैं उनके बड़ा वैषम्य पाया जाता है और सहपाठी अपने मित्र का ममा में जीतता देखकर प्रसन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।५।७।४-८) में स्वाध्याय के अन्तर्गत ऋचाओं गजुओं, सामों, अथर्वगिरसों (अथर्ववेद), इतिहास-पुराण, गोपियों को पढ़ा है। गोप्य ब्राह्मण (२।१०) ने लिखा है कि इस प्रकार से सभी वेद कल्प, रहस्य, ब्राह्मणों, उपनिषदों, इतिहास, धन्यास्थान, पुराण, अनुशासन, वाकोवाच्य आदि के साथ उत्पन्न किये गये। उपनिषदों में ऐसा अधिकतर आया है कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में आने के पूर्व लोग बहुत-बहुत पढ़कर आते थे। छादोप्योपनिषद् (७।१।२) में नारद सनत्कुमार से कहते हैं कि उन्होंने (नारद ने) चारों वेदों, पाँचवें वेद के रूप में इतिहास-पुराण, वेदों के वेद (ध्यानरूप), पित्र्य (श्राद्ध पर प्रबन्ध), राशि (अरुणित), दैव (लक्षण-विद्या), सिद्ध (सुप्त सनिज सोरने की विद्या), वाकोवाच्य (कथनोपनयन या हेतुविद्या), एनायन (राजनीति), देवविद्या (भिक्षा), ब्रह्मविद्या (छन्द एवं ध्वनि-विद्या), मूर्त्तविद्या (नूत-प्रेम को दूर करने की विद्या), सत्रविद्या (धनुर्वेद) सत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या (नाच, गान, अभ्यञ्जन आदि) सीख ली थी। यह सूची छान्दोग्य० (७।१।४ एवं ७।७।१) में पुनः दी गयी है। इसी के समान सूची बृहदारण्यकउपनिषद् (२।४।१०, १।१।५) में भी पायी जाती है। गौतम (१।१।१९) ने प्रजा को संभालने के लिए वेद, धर्मशास्त्रों, अंगों, उपवेदों एवं पुराणों पर आश्रित रहने के लिए राजा को आदेशित किया है। आपस्तम्ब-धर्म० (२।३।१।१०-११), विष्णुधर्म० (३०।३४-३८), वसिष्ठ (३।१९ एवं २३, ६।३-४) में वेदांगों की चर्चा की है। पाणिनि को वेद एवं ब्राह्मणों का ज्ञान तो था ही, उन्हें प्राचीन कल्पसूत्रों, मिश्रसूत्रों एवं नटसूत्रों तथा अन्य लौकिक धर्मों की जानकारी थी (६।३।८७-८८, १०५, ११०, १११ एवं ११६)। पतञ्जलि (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) की सप्तम साहित्य की विशालता का ज्ञान था (भाग १, पृ० ९)। याज्ञवल्क्य (१।३) में १४ विद्याओं के नाम आये हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५।३।५-६), वायुपुराण (भाग १।६।१।७८), बृहद-गीतम (पृ० ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं की चर्चा है, यथा—४ वेद ६ वेदान, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र। वायुपुराण (भाग १, ६।१।७९), गृह्य-पुराण (२२।३।२१) एवं विष्णुपुराण में ४ विद्याएँ और जोड़कर १८ विद्याओं की चर्चा की गयी है, यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, वायुर्वेद एवं धर्मशास्त्र नामक ४ उपवेद। कुमारिल ने तन्त्रवार्त्ता में कहा है कि विद्या-न्याय, जो धर्म की जानकारी के लिए प्राभाषित माने जाते हैं, १४ या १८ हैं।

अतः प्राचीन काल में भी धर्मशास्त्र पर विद्यालय साहित्य था। महामाष्यो, बाल्यो, नाट्य, कल्पित यथा, कालत ज्योतिष औषध तथा अन्य कल्पनात्मक ज्ञानाङ्गों पर विद्यालय साहित्य का प्रणयन होता गया, जिससे कल्पवृक्ष वेदाध्ययन में कुछ डिलाई दिलाई पड़ने लगी और लोग वेद की अपेक्षा सबेरी एवं बुद्धि की सन्तोष देनेवाले साहित्य की ओर अधिक झुकने लगे। स्मृतियों में सम्मिलित इसी कारण से द्विजातियों का प्रथम वर्तव्य वेद पढ़ना बनाया और बार-बार इस पर बल दिया है। अर्बेदिक धर्मों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की भर्त्सना मंत्री-उपनिषद् (७।१०) में पायी जाती है। ऐसी ही बात मनु (२।१६८) में भी पायी जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद् (१।९) में स्वाध्याय (वेदाध्ययन) एवं प्रवचन (विशेष करने या प्रतिदिन पढ़ने) को तप कहा है और इन दोनों को श्रुत, सत्य ता, दम, धाम,

अग्निपौ, अग्निहोत्र एवं सन्तान के साथ जोड़कर इनकी महत्ता को और भी बढ़ दे दिया है और कहा है कि यह चले जाने पर भी विद्याधी को वेदाध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए।

वेदाध्ययन का तात्पर्य केवल मन्त्रों को बण्डस्थ कर लेना नहीं, प्रत्युत अर्थ भी सामान्य है (देविए ऋग्वेदान्तार्थं, वेदान्तसूत्र १।३।३० एवं याज्ञवल्क्य ३।३०० पर मिताक्षरा की व्याख्या)। निरुप्य (१।१८) में लिखा है कि किन्तु अर्थ ज्ञान वेदाध्ययन करनेवाला व्यक्ति वेद एवं जड़ के समान है और केवल मर रहता रहता है, किन्तु जो अर्थ जानता है उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, ज्ञान से उसके पाप हटि जाते हैं और उस स्वर्ग में प्राप्ति होती है। ६५ (२।३४) के अनुसार वेदाध्ययन में पाँच बातें पायी जाती हैं—वेद को बण्डस्थ करना, अपने अर्थ पर विचार करना, बार-बार दुहराकर सदा नवीन बनाये रखना, जप करना (मन ही मन प्रार्थना के रूप में दुहराना) एवं दूसरे को पढ़ाना। इस विषय में देविए मनु (१२।१०२), धार (५० ६), विश्वस्य (यजु० १।५१), अरण्य (५० ७४) एवं मेघातिथि (मनु ३।१९)।

उपर्युक्त आदेशों से रहते हुए भी अधिकांश लोग वेद को बिना समझे पढ़ रहे हैं। महाभारत (उद्योगपर्व १३२।६ एवं शान्तिपर्व १०।१) में बिना अर्थ में रहने वाले श्रोत्रिय की शर्माना की है। धीरे धीरे एक निश्चित मानना पर करने लगी, वेद को केवल याद कर लेने से पाप से मुक्ति हो जाती है। कालान्तर में यह मानना इतनी शक्ति हो उठी कि आज के बहुत-से ब्राह्मण यह कहने लगे जाते हैं कि वेद का अर्थ जानना अगम्य है और उगे जानने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। वेदाध्ययन के महत्त्व की जानकारी के लिए देविए वसिष्ठधर्म० (२७।१), मनु (१।१२५, २४८, २६०), याज्ञवल्क्य (३।३०७-३१०), विष्णुधर्मसूत्र (५६।१-२७, २७।४, २८।१०-१५) आदि।

वेद को बण्डस्थ करने के उपरान्त उसे सदा स्मृति-मटल में रखना परमावश्यक था। वेद को मूलान्तर में ले आदि पापों के समान है, यह ब्रह्महत्या के समान भी कहा गया है (मनु १।१५६ एवं याज्ञवल्क्य ३।२२८)।

मनु (४।१६३) ने नास्तिक्य एवं वेद-शर्माना के विरोध में बहुत-कुछ कहा है और एतद्व्यति (१।१।६) पर वेदनिन्दा को महापाप बताया है। याज्ञवल्क्य (३।२८८) ने वेदनिन्दा की ब्रह्महत्या के समान माननीय कहा है। शौन्य (२।१।१) ने नास्तिक को पतित माना है। इस विषय में देविए विष्णुधर्मसूत्र (३७।४), मनु (२।१।१), वसिष्ठधर्म- (१२।४१), अनुशासनपर्व (३७।११)।

७५. ऋग्वेद में ऐसा संकट मिलता है (१०।८६।१) कि कुछ लोग इन्द्र को देवता नहीं मानते थे (वेद वेदधर्म-सूत्र)। इत्युक्तों को 'अत्रन, अयत, अयत' (ऋ० १।५।१८, १।५।३, ७।६।१) कहा गया है। बृजोगी-सूत्र (१।००) में नविकेता कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो कहा करने से मरने से उपासना करना भी बन्द हो जाता है। २५ (२।१६) का कहना है कि जो परलोक में नहीं विश्वास करता वह मेरे ज्ञान से बार-बार फँसता है। वसिष्ठधर्म-सूत्र (१।१।१) शब्द की व्याख्या करता है 'अग्नि शान्ति विष्ट मति' (४।४।६०), त्रिपिता मातरां है 'दत्तकोक नदी है, ऐसी 'मातरां मति है' (मातृ परलोक इति मतिव्यय)। अण्डकार की बहुरी (पूर्वमंथनाया मुत्र की व्याख्या) में दत्तकोक नदी का नाम है 'अग्निहोत्रं त्रयो वेदातिवर्षश्च अममण्डनम्। बुद्धिपीठधारीतानां जीविकेति ब्रह्मण्डलम्।' सर्वज्ञानसागर (संस्कृत-शब्द-कोश) में भी यह श्लोक उद्धृत है। मेघातिथि (मनु ४।१६३) का कहना है—'वेदप्रमाणानुसारेणानां विष्णुधर्मसूत्रस्य नास्तिक्यम्। शम्भो प्रतिपादनं निम्ना पुनरुक्तो वेदोऽप्येवमस्तीति'। मनु (३।१५०) की व्याख्या में स्मृतिवर्तिवर्तन का कहना है—'नास्तिक कालान्तरे फलवर्धनं शान्ति देवतोऽप्यग्निपौ शान्तिवर्तनम्।' मनु (१।२।२५) ने

वेदाभ्यासन के लिए पहले से ही कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। प्राचीन शिक्षण-पद्धति को विशेषताओं में यह एक विचित्र विषयता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।२) में यह आया है कि जब जनक ने मातृवत्स्य को एक सह्य गोरों, एक हाथी एवं एक बैल (शकर के मतानुसार हाथी के समान बल) देना चाहा तो याज्ञवल्क्य ने कहा—“मेरे पिता का मत था कि बिना पूर्ण पढ़ाये शिष्य से कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए।” गौतम (२।५४-५५) ने लिखा है कि विद्या के अन्त में शिष्य को गुरु से घन लेने या जो कुछ वह दे मने, लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जब गुरु आज्ञापित कर दे या बिना कुछ लिय जान को वह दे तब शिष्य को स्नान करना चाहिए (अर्थात् घर लौटना चाहिए)।^{१४} आप-स्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।१९-२३) ने लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य को विद्या के अन्त में गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, यदि गुरु तगो म हों तो उग्र या सूद से भी मिथा माँगकर उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा करके शिष्य को घमण्ड नहीं करना चाहिए, और न इसका स्मरण रखना चाहिए। धान्तव म, विद्या के अन्त में दक्षिणा देना गुरु को प्रसन्न मान करना था, क्योंकि जो कुछ ज्ञान शिष्य ग्रहण करता था, उसका प्रतिवार नहीं हो सकता था। मनु (२।२४५-२४६) ने लिखा है कि शिष्य 'स्नान' के पूर्व कुछ नहीं भी दे सकता है, घर लौटते समय वह गुरु को कुछ पान दे सकता है, भूमि सोना गाय, अरव, जूते छाता, आसन, अन्न, साग-सब्जों, वस्त्र का अलग-अलग या एक माप ही दान किया जा सकता है। छान्दोग्योपनिषद् (३।२।६) ने ब्रह्मविद्या की स्तुति करने हुए इसे सम्पूर्ण पृथिवी एवं इसके पान से उत्तम माना है। स्मृतियों में आया है कि यदि गुरु एवं अधर भी पढ़ा दे तो दम श्रण से उच्छ्रण होना असम्भव है (पृथिवी में कुछ है ही नहीं जिसे देकर शिष्य उच्छ्रण हो सके)। महामारत (आश्वमेधिक ५६।२१) ने लिखा है कि शिष्य के कार्यों एवं व्यवहार में प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक गुरु-दक्षिणा है (दक्षिणा परितोषो वै गुरुणा सद्भिरुच्यते)। इस विषय में और देखिए याज्ञवल्क्य (१।५१) कात्यायन (अपराकं पृ० ७६)। पाण्डिचेरी के पास बाहुर नामक स्थान में प्राप्त नृप तुगवर्मा के फरब-पत्रों से पता चलता है कि विद्या की उप्रति के लिए 'विद्यास्थान' का दान किया गया था। चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम के समय में (सन सन् ९८१ में) सत्याशियों के प्राध्यापन में प्राध्यापको (प्रोफेसरो) को ३० मत्तर भूमि तथा मठ में शिष्यों को पढ़ाने के लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी थी (एपिपत्रिया

पापशुद्धयो (नास्तिकी) के देश निकाले की व्यवस्था की है। विष्णुपुराण (३।१८।२७-२८) में मायामोट के उपदेश के बारे में लिखा है—“यत्नेनैवंयत्प्रयत्नव्येष्टेण भुङ्गते। शन्यादि यदि चेतकाष्ठ तद्वर पत्रभूषणम्। निहतरय पशोयते स्वर्गप्राप्तियर्षीयते। स्वपिता यजमानेन किं नु तस्मात्प्र हन्यते॥” नारद (श्रृणादान, १८०) ने नास्तिक को सामान्य रूप से सारी के अप्रीय माना है। सर्वदर्शनसंग्रह में चार्वाक के मतों का सारस्वर्य उपस्थित किया है तथा लगभग ५२८ ई० में प्रणीत हरिभद्र के पद्मदर्शनसमुच्चय में लोकायत के मतों का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महाभाष्य (भाग ३, पृ० ३२५-२६) ने भी लोकायत की ओर संकेत किया है। “पावग्जोव सुख जीवेद्द श्चन कृत्या घृत पिबेत्। अस्मीभूतरय देहस्य पुनरागमन कुत॥” वाला प्रसिद्ध श्लोक सर्वदर्शनसंग्रह के ‘चार्वाकदर्शन’ नामक अंश के अन्त भाग में दिये गये निष्कर्ष में मिलता है। पद्मदर्शनसमुच्चय (८०) ने लोकायत मत को सशिक्ष रूप में यों रखा है—“लोकायता यदन्त्येय नास्ति जीवो न निर्वृति। धर्माधर्मो न विद्येते न कल पुष्यपापयो ॥” निर्वृति का अर्थ है मोक्ष। भारतीय भीतिश्रवाद् (लोकायत, अनारम्भवाद या चार्वाकवाद) का एक व्यापक अथवा विस्तारपूर्ण इतिहास बहुत ही मनोरंजक ग्रन्थ हो सकता है, किन्तु अभी यह इतिहास किसी ने लिखा नहीं।

७६. विद्यान्ते गुरुरयंन निमन्त्रय। कृतवानुज्ञातय वा स्नानम्। गौ० (२।५४-५५); विद्यान्ते गुरुयंन निमन्त्र कृतवानुज्ञातय वा स्नानम्। आश्वलायनगृह्यसूत्र (५।१।४)।

इष्टिवा, भाग १५, पृ० ८३)। १८१८ ई० के कुछ ही पहले पंचाश प्रति वर्ष विद्वान् ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में जो धन देते थे वह लगभग ४ लाख के बराबर रहा करता था। आज भी वीरगढ़ी शताब्दी में बहुत-से ऐसे ब्राह्मण मुद हैं जो वेद एवं शास्त्र के प्राध्यापन में कुछ भी नहीं लेते और न लेने की आशा ही रखते हैं।

मनु (२।१४१), शास्त्रमृति (३।२) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२९।२) के अनुसार जीविकार्थ वेद या वेदांग पढ़ाने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता है। याज्ञवल्क्य (३।२६५), विष्णुधर्मसूत्र (३७।२०) तथा अन्य लोगों ने धन के लिए पढ़ाने एवं वेतनमोगी गुरु से पढ़ने को उपपातक में गिना है। भूतकाप्यापक एवं अपने शिष्य श्राद्ध में बुलाये जाने योग्य नहीं माने जाते थे (मनु ३।१५६७, अनुशासनपर्व २३।१७ एवं याज्ञवल्क्य १।२२३)। विन्दु मेघानिधि (मनु २।११२ एवं ३।१४६), मिताक्षरा (याज्ञ० २।२३५), स्मृतिचन्द्रिका आदि ने लिखा है कि केवल शिष्य से कुछ ले लेने पर ही कोई गुरु भूतकाप्यापक नहीं कहा जाता, प्रत्युत निर्दिष्ट धन लेने पर ही पढ़ाने की व्यवस्था करने वाला गुरु भूतकाप्यापक माना जाता है। किन्तु आपत्काल में जीविका के लिए निर्दिष्ट धन लेने की व्यवस्था की गयी थी (मनु १०।११६ एवं याज्ञ० ३।४२)। महाभारत (आदिपर्व १३।१२-३) में आया है कि मौज्य ने पाण्डवों एवं कौरवों की शिक्षा के लिए द्रोण को धन एवं सुमंगित आवास-गृह दिया, विन्दु कोई निर्दिष्ट धन नहीं।

गौतम (१०।९-१२), विष्णुधर्मसूत्र (३।३७-८०), मनु (७।८२-८५) एवं दातवचर्य (१।३१५-३३२) के अनुसार विद्वान् लोगों को एक विद्यार्थियों की जीविका का प्रबन्ध करना राजा का कर्तव्य था, राज्य में कोई ब्राह्मण भूख से न मरे, यह देखना राज्यधर्म था। यदि गुरु विद्या के अन्त में शिष्य से अधिक धन माँगे तो शिष्य सिद्धान्ततः राजा के पास पहुँच सकता था। रघुवरा (५) में वाल्मीकि ने दर्शाया है कि किस प्रकार बलन्तु ने वीरग से (१४ विद्यागो के अनुसार) १४ करोड़ की भारी दक्षिणा माँगी, जिम्मे लिए वीरग राजा रघु के पास पहुँचा था और इस धन से कुछ भी अधिक लेने को वह सन्नद नहीं हुआ। कभी-कभी गुरु या गुरु-पत्नी (जैसा कि कुछ अल्पार्थिकाओं से पता चलता है) भारी दक्षिणा माँगती देखी गयी है, यथा गुरुपत्नी द्वारा उत्तर से रानी के कर्णकृत का माँगा जाता (वादिपर्व, अध्याय ३ एवं आदवमेघिन पर्व ५६)।

शरीर-बन्ध के विषय में प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने क्या व्यवस्था की थी? गौतम (२।४८-५०) ने लिखा है कि साधारणतः बिना मारे-पीटे शिष्यों को व्यवस्थित करना चाहिए, किन्तु यदि शत्रुओं का प्रमाद न पड़े तो पराधीन रस्ती या बाँस की फट्टी (घोरी हुई पतली टुकड़ी) से मारना चाहिए, किन्तु यदि अध्यापन किसी अन्य प्रकार (हान् इत्यादि) में मारे तो उसे राजा द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।८।२९-३०) ने लिखा है कि धर्मों द्वारा भर्त्सना करनी चाहिए और अपराध की मुफ्त के अनुसार निम्न दण्ड में से कोई या कई दिये जा सकते हैं; घमकाना, भोजन न देना, सीतल जल में स्नान कराना, सायने न आने देना। महाभारत (भाग १, पृ० ४१) ने अनुदात को उदात्त और उदात्त को अनुदात्त कहने पर उपाध्याय द्वारा चपेटा (सम्बन्ध पीठ पर) मारने की शोर संकेत किया है। मनु (८।२९९-३००), विष्णुधर्मसूत्र (७।१-८।१-८२), नारद (अभ्युपेत्यागुधुवा, १३-१४) ने गौतम का अनुसरण किया है, किन्तु इतना और जोड़ दिया है कि पीठ पर ही मारा जा सकता है, शिर का छत्ती पर कभी नहीं। नियम विरुद्ध जाने पर शिष्य को वही दण्ड मिलना चाहिए जो किसी चोर या मिलाया है (मनु ८।३००)। मनु (२।१५९) ने कहा है कि चरित्र-सम्बन्धी सम्मान में बलों की शिक्षा देने समय गुरुर शत्रु का श्लोक करना चाहिए।

शत्रुओं, शत्रुओं एवं शत्रुओं की शिक्षा में विषय में भी कुछ बड़ना आवश्यक है। गौतम (१।१३) ने अनुसार राजा को तीनो वेदों, आन्वीक्षिकी (अध्यात्म या सर्व-शास्त्र) का पण्डित होना चाहिए, उसे अपने सम्बन्ध-यान्त्रिक में वेदों, धर्मशास्त्रों, वेद के सहायक ग्रन्थों, उपवेदों एवं पुराणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए (गौतम १।१।९)। मनु

(७।४२) एव याज्ञवल्क्य (१।३।११) के अनुसार राजा को तीन वेदों, आन्वीक्षिकी, दण्डनीति एव वार्ता (अर्थशास्त्र) का पण्डित होना चाहिए। सम्भवतः इस प्रकार के निर्देश आदर्श मात्र थे, व्यावहारिक रूप में इनका पालन बहुत ही कम होता रहा होगा। महाभारत की गाथाओं से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुरुकुल में विद्याभ्ययन के लिए जाते थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुआ करती थी (द्रोण को भीष्म ने नियुक्त किया था)। राजकुमार लोग सैनिक दक्षता अवश्य प्राप्त करते थे। राजा लोग धार्मिक मामलों को पुरोहितों पर ही छोड़ देते थे और उन्हें के परामर्श पर कार्य करते थे। गौतम (१।१।१२-१३) एव आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१०।१६) के अनुसार पुरोहित को विद्वान्, अच्छे कुल का, मधुर, वाणी बोलने वाला, सुन्दर आकृति वाला, मध्यम अवस्था का एव उच्च चरित्र का होना चाहिए और उसे धर्म एव अर्थ का पूर्ण पण्डित होना चाहिए। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१२) से पता चलता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिए सन्नद्ध करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मनु एव याज्ञवल्क्य के समान ही राजकुमारों के लिए चार विद्याओं (उपर्युक्त) की चर्चा की है। उनका कहना है कि चालू कर्म के उपरान्त राजकुमार को अक्षर एव गणित का ज्ञान कराना चाहिए और जब उपनयन हो जाय तब उसे चार विद्याएँ १६ वर्ष की अवस्था तक पढ़ानी चाहिए। इसके उपरान्त विवाह करना चाहिए (१।५), दिन के पूर्वार्ध में उसे हाथी, घोड़े, रथ की सवारी एव अस्त्र-शास्त्र चलाना सीखना चाहिए, किन्तु उत्तरार्ध में पुराणों, गाथाओं, धर्मशास्त्र एव अर्थशास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए। हाथीमुक्ता के अमिलेख से पता चलता है कि सारवेख ने उत्तराधिकारी के रूप में रूप (सितवत्), गणना (वित्त एव राज्यकोष का हिसाब-किताब), लेख (राजकीय पत्र व्यवहार) एव व्यवहार (कानून एव न्यायशास्त्र) का अध्ययन १५ वर्ष से २४ वर्ष की अवस्था तक किया। कादम्बरी में आया है कि राजकुमार चन्द्रपीड गुरु के यहाँ पढ़ने नहीं गया, प्रत्युत उसके लिए राजपाती ने बाहर पाठशाला निर्मित की गयी और वहाँ उसने ७ वर्ष से १६ वर्ष तक विद्याभ्ययन किया।

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में सामान्य क्षत्रियों के विषय में कोई वृषक उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु हमें बहुत-से क्षत्रिय विद्वान् एव गुरु के रूप में मिलते हैं। स्वयं कुमारिल भट्ट ने लिखा है कि अध्यायन-धर्म केवल ब्राह्मणों के ही ऊपर नहीं था, प्रत्युत बहुत-से क्षत्रियों एव वैश्यों ने अपने वास्तविक जाति-गुणों को छोड़कर गुरु-पद ग्रहण किया है (वृत्त-वार्तिक, पृ० १०८)।

वैश्यों की शिक्षा के विषय में तो और भी बहुत कम निर्देश प्राप्त होते हैं। मनु (१०।१) ने लिखा है कि तीनों वर्णों को वेदाभ्ययन करना चाहिए, व्यापार, पशु-पालन, कृषि वैश्यों की जीविका के साधन हैं, वैश्यों को पशु-पालन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें रत्नों, मूषों, मोतियों, धातुओं, वस्त्रों, गन्धों, नमक, बीज-रोपण, मिट्टी के गुण-दोषों, व्यापार में लाभ-हानि, मृत्यों के वेतन का भाग-क्रम, सभी प्रकार के अक्षर, कव्य-विक्रय की सामग्रियों के स्थान का ज्ञान होना चाहिए।

याज्ञवल्क्य (२।१।४) एव नारद (अभ्युपेत्याशुश्रूषा, १६-२०) से सबेते मिलता है कि लड़के आभूषण-निर्माण, नाच-गान आदि शिल्पों को सीखने के लिए शिल्प-गुरु के यहाँ अन्तेवासी रूप में रहते थे। शिल्पविद्या के शिल्प को निश्चित समय तक शिल्प-गुरु के यहाँ रहना पड़ता था, यदि वह समय से पहले सीख ले, तब भी उसे रहना ही पड़ता था। शिल्प-गुरु को उसके खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उसकी कमाई पर गुरु का अधिकार होता था। यदि शिल्प भाग जाय तो शिल्प-गुरु राजदण्ड का सहारा लेकर उसे दण्डित करा सकता था और बलपूर्वक अपने यहाँ निश्चित समय तक रहने को बाध्य कर सकता था।

धर्मशास्त्रों में शूद्र-शिक्षा के विषय में कोई नियम नहीं है। शूद्र नरमा अपनी रियायत से ऊपर उठे और बालात्तर में उन्हें शिल्प एव कृषि में लगाने रहने की आज्ञा मिल ही गयी। सम्भवतः उनके लिए भी वैसे ही नियम बन गये जो

वैद्य जाति के शिल्पविद्या-सिष्यो के लिए बने थे (याज्ञ० १।१२०, शान्तिपर्व २९५।४, लघ्वारवलायन २२।५)। शूद्र जाति के विवेचन में हमने इस विषय को देख लिया है। शूद्र लोग महामारत एवं पुराणो का कहा जाता मुन सकते थे।

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था कहीं उच्चतर थी। बहुत-सी नारियो ने वैदिक ऋचाएँ रची हैं, यथा—अग्नि-गुल की विस्ववारा ने ऋग्वेद का ५।२८ वाला अश रचा है, उसी कुल की अपाला ने ऋग्वेद का ८।९१ वाला अश रचा है, तथा घोषा काशीपती के नाम से ऋग्वेद का १०।३९ वाला अश कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ थीं, जिनमें मंत्रेयी सत्य ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसा ही ज्ञान माँगा जो उसे अमर कर सके (बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।१)। बृहदारण्यकोपनिषद् (३।६।८) के अनुसार विदेहराज जनक की राजसभा में कई एक उत्तर-प्रत्युत्तरकर्ता थे, जिनमें गार्गी वाचकनी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गार्गी वाचकनी ने याज्ञवल्क्य के दाँत छूटे कर दिये थे। उसके प्रश्नों की बौछार से याज्ञवल्क्य की बुद्धि चकरा उठी थी। हारीत ने स्त्रियों के लिए उपनयन एवं वेदाध्ययन की व्यवस्था दी थी। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४) में जहाँ कृत्तिय ऋषियो के तर्पण की व्यवस्था की गयी है, वहाँ गार्गी वाचकनी, बडवा प्रातिघेयी एवं मुलमा मंत्रेयी नामक तीन नारी-शिक्षिकाओं के नाम भी आते हैं। नारी शिक्षिकाओं की परम्परा अवश्य रही होगी, क्योंकि पाणिनि (४।१।५९ एवं ३।३।२१) की काशिका वृत्ति ने 'आचार्या' एवं 'उपाध्याया' नामक शब्दों के साधनार्थं व्युत्पत्ति की है। पञ्चजलि ने अपने महाभाष्य (भाग २ पृ० २०५, पाणिनि के ४।१।१४ के वार्तिक ३ पर) में बताया है कि क्यो एवं कंसे ब्राह्मण नारी 'आपिसाला' (जो आपिसालि का व्याकरण पढ़ती है) एवं क्यो 'काशकृत्स्ना' (जो काशकृत्स्न का मौमासा ग्रन्थ पढ़ती है) कही जाती है। उन्होंने "ओदमेमा" उपाधि की व्युत्पत्ति की है, जिसका तात्पर्य है "ओदमेष्वा नामक स्त्री-शिक्षिका के शिष्य।" गोमिलगृह्यसूत्र (२।१।१९-२०) एवं काठकगृह्यसूत्र (२५-२३) से पता चलता है कि कुलहिनें पढ़ी-लिखी होती थीं, क्योंकि उन्हें मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता था। स्पष्ट है, सूत्रकाल में स्त्रियाँ वेद के मन्त्रों का उच्चारण करती थीं। वात्स्यायन के कामसूत्र (१।२।१-३) में आया है कि लड़कियों को अपने पिता के घर में कामसूत्र एवं इसके अन्य सहायक अंग (यथा ६४ कलाएँ—गान, नाच, चित्रकारी आदि) सीखने चाहिए तथा विवाहोपपन्न पति की आज्ञा से इन्हें करना चाहिए। ६४ कलाओं में प्रहेलिकाएँ, पुस्तकवाचन, काव्यसमस्या-मूरण, पिगल एवं अलङ्कार का ज्ञान आदि भी सम्मिलित थे। महाकाव्यो एवं नाटको में नारियाँ प्रेम-यत्र लिखती दिखाई पड़ती हैं। भालतीमाधव में आया है कि नायक एवं नायिका के पिता कामन्दकी के साथ एक ही गृह के चरणों में अभ्ययन करते थे। राजरोखर आदि के काव्य-सङ्ग्रहों से विदित होता है कि विजया, सीता आदि ऐसी प्रसिद्ध कवयित्रियाँ थीं, जिनकी कविताएँ सगृहीत होनी थीं।

किन्तु कालान्तर में नारियो की दशा अधोगति को प्राप्त होती गयी। धर्मसूत्रो एवं मनु में वेदाध्ययन के मासके में उच्च वर्णों की नारियो को भी शूद्रों की धेनी में रखा गया है। वे आदित मानी जाती थी (गौतम १।८।१, वसिष्ठधर्म० ६।१, बौधायनधर्म० २।२।४५, मनु ९।३ आदि)। हम पहले ही देख चुके हैं कि विवाह को छोड़कर स्त्रियो के अन्य सभी सस्कारी में वेद-अन्त्रों का उच्चारण नहीं होता था। जैमिनि (६।१।१७-२१) ने वैदिक यज्ञों में पति-पत्नी को साथ तो रखा है किन्तु मन्त्रोच्चारण पति ही करता है। जैमिनि ने दोनों को बराबर नहीं माना है। दाबर ने अपनी व्यास रा में स्पष्ट किया है कि पति विद्वान् होता है और पत्नी विधाहीन। मेघातिथि ने मनु (२।४९) की व्याख्या में एक मनोरञ्जक प्रश्न उठाया है कि बह्मचारी लोग मित्रा मांगते समय स्त्रियो से "भवति मित्रा देहि" बाला सङ्कृत श्लोक क्यो बोलते हैं, जब कि वे यह भाषा नहीं जानती?

वैदिक काल में भी स्त्रियो के प्रति एक दुराग्रह था, और उन पर प्रणय एवं अग्रत्यय ङग से ब्यांगारमक छीटें

हाल जाते थे। शूद्रवेद (८।३।१।७) का कहना है—“यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है, त्रिषु का मन सयम मे नहीं गया जा सक्ता, उसरी बुद्धि (या दानिन्) भी थोड़ी है।” पुनः एवेद (१०।१५।१५) में आया है—“त्रिषु भी मित्रता न सत्यता नहीं है, उनसे हृदय भङ्गिया के हृदय है।” शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१।३) में आया है कि मधु पिशाच पशने समय रानी, मूत्र, कुत्ते एवं कौवा पक्षी को ओर न देखो, क्योंकि ये सभी असत्य हैं। इसी प्रकार मनु (२।२।१३-२।१६) एवं अनुशासनपर्व (१।१।११-१६, ३८, ३९) में त्रिषु की वट्टु मत्सर्गता की गयी है। मध्य एवं वर्तमान काल में उपर्युक्त बातों अपवित्रता एवं बाल-विवाह के कारण ही नारी शिक्षा अधोगति को प्राप्त हो गयी है।

नारी शिक्षा जब इतनी कम थी, या नहीं के बराबर थी तो सहृदिशा की बात ही नहीं उठ सकती है। चिन्तु प्राचीन काल में सहृदिशा व विषय में कुछ धुंधले चित्र मिल जाते हैं। सत्य है, जब वे पढ़ती थीं तो पुष्पा के साथ ही पढ़ती रहीं होंगी। भवभूति-जैस रविमा ने ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश किया है। मालतीमाधव में नारी शिक्षा रामन्दवी पुरुष शिक्षा भरिमु एव दवरारु (जो बालान्तर में मन्त्री के पद पर भी आसीन हुए थे) ने साथ एक ही गुरु के चरणा में पढ़ती थीं।

आचार्य का गुरु जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे आचार्यकुल कहलाता था (देखिए छान्दोग्यापनिषद् २।२।३।२-४, ४।५।१, ४।९।१, ८।१।५।१)। जो गुरु बहुत-से शिष्या का अधिष्ठाता था, उस कुलपति कहा जाता था (बण्ड का शाबु-लाल में ऐसा ही कहा गया है)।

बहुत से शिक्षागण एवं शास्त्रज्ञों में पता चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एवं धनिन लोग अनुदान दिया करते थे जिनके वरु पर पाठ्याशास महाशिक्षा एवं विद्वान्शिक्षालय चला करते थे। इनका पूरा वर्णन करना हम ग्रन्थ की परिधि के बाहर है। तर्कशास्त्र, यज्ञशास्त्र, बतारुता, नारुदा, विश्वमिश्र आदि प्रसिद्ध विद्वान्शिक्षालय थे। अथिशास विद्वान्शिक्षा में अनुदान पर ही चलता था। वापुर् व विद्यामथान (एन वायज) के निपातियों की विद्यार्जति व चिन्तन-व्यवस्था नृप-मुकुन्दमा (वापुर् शास्त्रपण, स्मृति-संश्लेषण इण्डियन, १८, पृ. ५५) में विद्याभोग रूप में तीनों गाँवाँ का दान किया था। राजशासक ने राज्यमामागा (अध्याय १०) में राजाशा का बरिषा एवं विद्वान् लोगो की सभा बुलाने का कहा है, उनसे परीक्षा एवं उनसे पुस्तकार की व्यवस्था की बात चलायी है, जैसा कि वापुर्देव, सातवाहन, गुप्तर, शास्त्रमात्र आदि शत्रु किया करते थे। राजशासक ने राज्यमामागा में यह भी लिखा है कि उज्जयिनी में कालिदास, मेण्ड, भारवि एवं हरिश्चन्द्र की तथा पाटलिपुत्र में पाणिनि, व्याडि, परररवि, पतञ्जलि, वर्यं, उपर्यं एवं विगल की परीक्षाएँ ली गयी थीं।

धर्मशास्त्रों में उन्निर्दिष्ट शिक्षण-पद्धति की विशेषताएँ निम्न रूप से रखी जा सकती हैं—(१) आचार्य का उच्च एवं सम्माननीय पद प्राप्त था (२) गुरु शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं शिष्यों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था, (३) शिक्षण गुरु के गुरु व शिष्य के रूप में रहता था, (४) शिक्षण भौतिक था एवं पुस्तकों की महत्त्वता सर्वथा नहीं की जाती थी, (५) अनुशासन तदार था, सबका एक रचना में समान किया जाता था, (६) शिक्षा सस्ती थी वारिषि वारिषि निर्दिष्ट शत्रु नहीं किया जाता था।

भारतीय शिक्षण पद्धति में अन्य विशेषताएँ भी थी, यथा—यह विद्यार्थियों का साहित्यिक शिक्षा देती थी, विद्यार्थु वैदिक साहित्य दर्शन व्याकरण तथा इनकी अन्य महत्त्वपूर्ण शास्त्रों की पढ़ी पढ़ायी जाती थी। नवीन साहित्य-निर्माण पर उतना पर ध्यान दिया जाता था जितना कि प्राचीन साहित्य के सम्भरण पर।

इस पद्धति में प्रमुख दोष निम्न रूप में बर्णित हो सकते हैं—(१) यह अत्यधिक साहित्यिक थी, (२) इसमें अत्यधिक स्मृति-परिभाषा कराया जाता था (३) व्यापारिक शिक्षा, तथा प्रतिदिन काम आनवाले विद्यार्थी आदि की

पढाई पर बहुत कम बल दिया जाता था, (४) अनुशासन कठोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष जाति-व्यवस्था के कारण थे, क्योंकि जाति-विभाजन के फलस्वरूप विशिष्ट जातियों को विशिष्ट काम करने पड़ते थे।

चार वेदव्रत

गौतम (८।१५) द्वारा वर्णित सस्कार-सख्या में चार वेद-व्रत नामक सस्कार भी हैं। बहुत-सी स्मृतियों में सोलह सस्कारों में इनकी भी गणना की है। गृह्यसूत्रों में इनके नाम एवं विधियों के विषय में बहुत विभिन्नता पायी जाती है। पारस्करगृह्यसूत्र में इनकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ हम संक्षेप में इन चार वेदव्रतों का वर्णन उपस्थित करेंगे। आश्वलायनस्मृति (पद्य में) के अनुसार चार वेद-व्रत ये हैं—(१) महाभाग्नी व्रत, (२) महाव्रत, (ऐतरेयारण्यक १ एवं ५), (३) उपनिषद्-व्रत एवं (४) गोदान। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।२।२०) के अनुसार व्रतों में धौल कर्म से परिदान तक के सभी कृत्य जो उपनयन के समय किये जाते हैं, प्रत्येक व्रत के समय दुहराये जाते हैं। शाखायन-गृह्यसूत्र (२।११-१२) के अनुसार पवित्र गायत्री से दीक्षित होने के उपरान्त चार व्रत किये जाते हैं, यथा शुक्रिय (जो वेद के प्रधान भाग के अध्ययन के पूर्व किया जाता है), शाश्वर, प्रातिक एवं औपनिषद (अन्तिम तीन ऐतरेयारण्यक के विभिन्न भागों के अध्ययन के पूर्व सम्पादित होने हैं)। इनमें शुक्रिय व्रत ३ या १२ दिन या १ वर्ष तक चलता था तथा अन्य तीन क्रम से वर्ष-वर्ष मर किये जाते थे (शाखायनगृ० २।११, १०-१२)। अन्तिम तीन व्रतों के आरम्भ में अलग-अलग उपनयन किया जाता था तथा इसके उपरान्त उद्दीक्षिका नामक कृत्य किया जाता था। 'उद्दीक्षिका' का तात्पर्य है आरम्भिक व्रतों को छोड़ देना। आरण्यक का अध्ययन गाँव के बाहर वन में किया जाता था। मनु (२।१७४) के अनुसार इन चारों व्रतों में प्रत्येक व्रत के आरम्भ में ब्रह्मचारी को नवीन मृगचर्म, यशोपवीत एवं मेखला धारण करनी पड़ती थी। गोमिलगृह्यसूत्र (३।१।२६-३१), जो सामवेद से सम्बन्धित है, गोदानिक, प्रातिक, आदित्य, औपनिषद, ज्येष्ठसामिक नामक व्रतों का वर्णन करता है जिनमें प्रत्येक एक वर्ष तक चलता है। गोदान व्रत का सम्बन्ध गोदान सम्कार (जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे) से है। इस कृत्य में गिर, दाढ़ी-भूँछे मुड़ा ली जाती हैं, झूठ, त्रास मम्मोग, गन्ध, नाच, गान वाज्रल, मधु, मांस आदि का परित्याग किया जाता है और गाँव में जाता नहीं पहना जाता है। गोमिल के अनुसार मेखला धारण, भोजन की मित्रा, दण्ड लेना, प्रतिदिन स्नान, ममिषा देना गुरु-चरण चन्दन (प्रातः काल) आदि सभी व्रतों में किये जाते हैं। गादानिक व्रत में सामवेद के पूर्वाचिक (अग्नि, इन्द्र एवं गौम) पवमान के लिए किये गये मन्त्रों के सग्रह) का आरम्भ किया जाता था। प्रातिक से आरण्यक (शुक्रिय अर्थात् औपनिषद) का आरम्भ होता था। इसी प्रकार आदित्य में शुक्रिय था, औपनिषद से उपनिषद्-ब्राह्मण एवं ज्येष्ठ-सामिक से आज्य-दोह का आरम्भ किया जाता था। आगे के विस्तार में पड़ना यहाँ आवश्यक नहीं है।

बौधायनगृह्य० (३।२।४) के अनुसार कुछ ब्राह्मण-भागों (कृष्ण यजुर्वेदीय) के अध्ययन के पूर्व एक वर्ष तक शुक्रिय, औपनिषद, गोदान एवं सम्मित नामक व्रत किये जाते थे, जिनका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। सस्कारवैतनुम में महाभाग्नी व्रत, महाव्रत, उपनिषद-व्रत एवं गोदान व्रत का विस्तार के साथ वर्णन किया है। त्रमशा इन व्रतों का सम्मोन्वेद्य होना बन्द हो गया और तप्य काल के लेखकों ने इनके विषय में लिखना छोड़ दिया।

यदि कोई विद्यार्थी विशिष्ट व्रतों को नहीं करता था, तो उसे प्राजापत्य नामक तप ३ या ६ या १२ बार करने प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि ब्रह्मचारी अपने प्रतिदिन के कर्तव्याचार में गड़बड़ी करता था तथा दौघ, आचमन, सन्ध्या प्रार्थना, धर्म-प्रयोग, मित्रा, ममिषा, झूठ से दूर रहना, वस्त्र धारण, लँगोटी, यशोपवीत, मेघना, दण्ड एवं मृग-चर्म धारण करना, दिन में न सोना, छत्र न धारण करना, जूता न पहनना, माला न धारण करना, आमोदपूर्व स्नान में दूर रहना, चन्दन का प्रयोग न करना, वाज्र न लगाना, जुआ में दूर रहना, नाच, समीन आदि से दूर रहना, नागिनकों से

बातें न करना आदि नियमों के पालन में कोई छिलाई करता था तो उसे तीन कृच्छ्रों का प्रायश्चित्त ब्याहृतियों के साथ तथा प्रत्येक के साथ अलग-अलग होम करना पड़ता था। अन्य बड़े अपराधों के लिए अन्य प्रकार के कठिन प्रायश्चित्त आदि का विधान था। ब्रह्मचारी के लिए सम्मोग सबसे बड़ा गृह्य अपराध था। ऐसे अपराधी को अवकीर्ण कहा जाता था (तैत्तिरीय आरण्यक २।१८)। अन्य अपराधों के लिए देखिए बोधायनधर्म० (४।२।१०-१३), जैमिनि (६।८।२२), आपस्तम्बधर्म० (१।१।२७।८), वसिष्ठधर्मसूत्र (२३।१-३), मनु (२।१८७, १०।११८-१२१), याज्ञ-वल्क्य (३।२८०), विष्णुधर्म० (२।८।४९-५०)। यहां इनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।

नैष्ठिक ब्रह्मचारी

ब्रह्मचारी दो प्रकार के कहे गये हैं, उपकुर्वाण (जो गुरु को कुछ प्रतिदान देता था, देखिए मनु, २।२४५) एवं नैष्ठिक (जो मृत्यु-पर्यन्त वैसे ही रहता था)। 'निष्ठा' का अर्थ है अन्त या मृत्यु। मिताक्षरा (याज्ञ० १।४९) ने नैष्ठिक को इस प्रकार कहा है—'आत्मानं निष्ठांम् उत्क्रान्तिकालं नयतीति नैष्ठिकः।' ये दो नाम हारीतधर्मसूत्र, ८४ (१।७) एवं कुछ अन्य स्मृतियों में आये हैं। 'नैष्ठिक' शब्द विष्णुधर्मसूत्र (२।८।४६), याज्ञवल्क्य (१।४९), श्याम (१।४१) में भी आया है। जीवन भर ब्रह्मचारी रह जाने की भावना अति प्राचीन है। छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) में आया है कि धर्म की तीसरी शाखा है उस विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) की स्थिति जो अपने गुरु के कुल में मृत्यु पर्यन्त रह जाता है। इस विषय में देखिए शौतम (३।४-८), आपस्तम्बधर्म० (१।१।४।२९), हारीतधर्मसूत्र, वसिष्ठधर्म० (७।४-६), मनु (२।२४३, २४४, २४७-२४९) एवं याज्ञवल्क्य (१।४९-५०)। गुरु ने मर जाने पर गुरु-पत्नी एवं गुरुपुत्र (यदि वे दोनों योग्य हों तो) के साथ रह जाना चाहिए, या गुरु द्वारा जलायी हुई अग्नि की सेवा करते रहना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमानन्द प्राप्त करता है और पुनः जन्म नहीं लेता। यह जीवन भर ममिषा, वेदाध्ययन, मित्रा, भूमिदायन एवं आत्म-समय में रखा रहता है।

कुन्ड, वासन, जन्मान्ध, क्लीब, पशु एवं अति रोगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, ऐसा विष्णु (अपराध) द्वारा उद्धृत, पृ० ७२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ६३, सग्रह का उद्धरण) ने लिखा है। उन्हें वैदिक क्रियाओं को करने एवं पैतृक सम्पत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अग्ने एवं कुछ बगों से दूष्य लोग विवाह नहीं कर सकते थे। यदि सम्पत्तिशाली हों, तो वे विवाह कर सकते हैं, ऐसा देखने में आया है, यथा—पृतराष्ट्र।

यदि आरूढ़ नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने प्रण एवं व्रत से भ्रूत हो जाय तो उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है, ऐसा अत्रि (८।१८) का वचन है। कुछ लोग यही बात सन्यासी के लिए कहते हैं। सस्कारप्रकाश (पृ० ५६४) के मत से व्रत-भ्रूत नैष्ठिक ब्रह्मचारी को व्रत-भ्रूत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी से दूता प्रायश्चित्त करना चाहिए।

पतितसावित्रीक

जिनका उपनयन सस्कार न हुआ हो, अर्थात् जिन्हें गायत्री का उपदेश न कराया गया हो और इस प्रकार जो पापी हैं तथा आर्य समाज से बहिष्कृत हैं, उन्हें पतित-सावित्रीय की उपाधि दी गयी है। गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए ऋषे १६वें, २२वें तथा २४वें वर्ष तक उपनयन-सस्कार की अवधि रहती है, किन्तु इन सीमाओं के उपरान्त उपनयन न करने पर वे सावित्री उपदेश के अयोग्य हो जाते हैं (आश्व० गृ० १।११।५-७, बौ० गृ० ३।१३।५-६, आप० धर्म० १।१।१।२२, वसिष्ठ० १।१७।१-७५, मनु २।३८-३९ एवं याज्ञवल्क्य १।३७-३८)। ऐसे ही रोगी को पतित-सावित्रीय या सावित्री-पतित या ध्रात्य कहा जाता है (मनु २।३९ एवं याज्ञ० १।३८)। ऐसे

लोग वेदाध्ययन नहीं कर सकते, उनको यज्ञो में जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना (विवाह आदि) मना है। आपस्तम्बधर्म० (१।१।१।२४-२७) ने इसके लिए प्रायश्चित्त लिखा है। इस धर्मसूत्र के मत से अवधि बीत जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार वर्ष भर स्नान करते हुए वेद का अध्ययन किया जा सकता है। यह सरल प्रायश्चित्त है। किन्तु अन्य धर्मशास्त्रकारों ने कठोर प्रायश्चित्त भी बताये हैं। वसिष्ठधर्म० (१।१।७६-७९) एवं वैश्वानस (स्मार्त २।३) ने अनुसार पतितसावित्रीक को उद्दालक व्रत करना चाहिए, या अश्वमेध यज्ञ करनेवाले के साथ स्नान करना चाहिए या ब्राह्मस्तोम यज्ञ करना चाहिए। उद्दालक व्रत में दो मास तक जौ की लप्सी पर, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिशा (उबलते दूध में दही डालने पर बने हुए पदार्थ) पर, आठ दिन घृत पर, छ दिन तक बिना मगि मिश्रा पर, तीन दिन पानी पर तथा एक दिन बिना अन्न-जल के रहना चाहिए। उद्दालक ने इस व्रत का आरम्भ किया था, अतः इसे यह नाम मिल गया है। मनु (१।१।१९१), विष्णुधर्म० (५।४।२६) ने पतितसावित्रीक के लिए हलके प्राजापत्य प्रायश्चित्त तथा याज्ञवल्क्य (१।३८), बौपा० गू० (३।१३।७), व्यास (१।२१) एवं अन्य लोगों ने ब्राह्मस्तोम का विधान किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।२८, १।१।२।१-४) का कहना है कि यदि तीन पीढ़ियों तक उपायन न किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म (पवित्र स्तुतियों) के धातक कहे जाते हैं। इनके साथ सामाजिक सम्बन्ध, भोजन विवाह आदि नहीं करना चाहिए। किन्तु यदि वे चाहें तो उनका प्रायश्चित्त हो सकता है। प्रायश्चित्त के विषय में बड़ा विस्तार है, जिसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

क्षत्रिय, वैश्य एवं कलियुग

क्या कलियुग में क्षत्रिय एवं वैश्य पाये जाते हैं? इस विषय में मध्य काल के लेखकों ने बड़ा विचार किया है। विष्णुपुराण (४।२३।४-५), भागवतपुराण (१।२।१।६-९), मत्स्यपुराण (२७।२।८-१९) आदि ने लिखा है कि महापद्मनन्द क्षत्रियों का नाश कर देंगे और शूद्रों का राज्य आरम्भ हो जायगा। विष्णुपुराण (४।२।४।४) ने लिखा है कि पुरु के वंशज देवापि, इस्वाकु ने वंशज मनु कलापग्राम में रहते हैं उन्हें यौगिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, वे कलियुग के उपरान्त वृत्तयुग (सत्ययुग) के आरम्भ में क्षत्रिय जाति का उद्भव करेंगे। कुछ क्षत्रिय आज भी पृथिवी में वीज की भाँति हैं। यही बात वायु (भाग १, ३२।३९-४०), मत्स्य (२७।३।५६-५८) आदि में भी पायी जाती है। इन ग्रन्थों के आधार पर मध्य काल के कुछ लेखकों ने लिखा है कि उनके समय में क्षत्रिय नहीं थे। रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व ने विष्णु-पुराण (४।२।३।४) एवं मनु (१।०।४३) को उद्धृत करते यह घोषणा की है कि क्षत्रिय लोग केवल महानन्दी तक ही पाये गये, इस समय के तथाकथित क्षत्रिय लोग शूद्र हैं तथा वैश्यों की भी यही दशा है। धृक्कमलाकर के अनुसार चार वर्णों में केवल ब्राह्मण एवं शूद्र ही कलियुग में रह जायेंगे। किन्तु यह मत सभी लेखकों को मान्य नहीं है, क्योंकि कलियुग के सभी चारों वर्णों के वर्तमानों की तालिका स्मृतियों में पायी जाती है। पराशरस्मृति ने सभी वर्णों की बातें कही हैं। इसी प्रकार अधिकांश सभी निबन्धकारों (संश्लेष करनेवाले तथा टीकाकारों) ने वर्णों के अधिधारों एवं वर्तमानों की चर्चा की है। मिलासरा ने, जो सबसे अच्छा निबन्ध बहा जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसके समय

७७. प्राजापत्य के लिए बेलिए मनु (१।१।२।११) एवं याज्ञवल्क्य (३।३२०)। यह १२ दिनों तक चलता है, द्विजमें तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल भोजन होता है, तीन दिनों केवल सन्ध्या काल, तीन दिनों तक बिना मगि मिश्रा पर भोजन होता है तथा अन्तिम तीन दिनों तक बिल्कुल उपवास रहता है।

में सन्निवृत्त नहीं थे। बहुत-से राजाओं ने अपने को सूर्य एवं चन्द्रकुल का वंशज कहा है। राजस्थान एवं मध्यभारत के राजपूत अपने को आबू पर्वत के अग्निकुण्ड से उत्पन्न मानते हैं, यथा—घोहान, परमार (पमार), सोलंकी (चालुक्य) एवं पड़मार (प्रतिहार) नामक चार कुल के लोग। इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि मत-मतान्तर के विवेचन से अभी तक इस विषय में सत्य का उद्घाटन नहीं हो सका है।

वैदिक काल में भी अनार्य जातियाँ थी, यथा किरात, अन्ध, पुलिन्द, मूतिव। इन्हे ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६) ने दस्यु कहा है। वैदिक काल में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) का कहना है कि असुर लोग इसी लिए हार गये कि वे नृत्तिपूर्ण एवं दोषपूर्ण भाषा बोलते थे, अतः ब्राह्मण को ऐसी दोषपूर्ण भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न इस प्रकार म्लेच्छ एवं असुर होना चाहिए। गौतम (१।१७) का कहना है कि लोगों को म्लेच्छ से नहीं बोलना चाहिए और न अपवित्र, अधार्मिक व्यक्ति से ही बोलना चाहिए। हरदत्त के अनुसार म्लेच्छ लोग लका या बंसे ही अन्य देशों के अधिवासी हैं, जहाँ वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है। यही बात विष्णुधर्म० (६४।१५) में भी पायी जाती है। म्लेच्छ देश में धादकर्म भी मना है (विष्णु धर्म० ८४।१-२ एवं शक १४-३०)। मनु (२।२३) के अनुसार म्लेच्छ देश आर्यावर्त से बाहर है, आर्यावर्त यज्ञ के योग्य देश है और यहाँ काले हिरण स्वामिनि रूप में पाये जाते हैं। याज्ञवल्क्य (१।१५) की व्याख्या में विश्वरूप में भी म्लेच्छ भाषा की मत्संज्ञा की है। यही बात वसिष्ठ-धर्म० (६।४१) में भी पायी जाती है। मनु (१०।४३-४४) को ज्ञात था कि पुण्ड्रक, यवन, शक म्लेच्छ भाषा बोलते और आर्य भाषा भी जानते हैं (म्लेच्छवाचद्वयार्थवाच सर्वे ते दस्यव स्मृताः)। परारार (१।३६) में गोमास खाने वाले को म्लेच्छ कहा गया है। जैमिनि ने पिक (कोविल), नेम (आषा), सत (बाठ का बरतन), सामरस (लाल बमल) शब्दों के विषय में प्रश्न किया है कि क्या ये शब्द व्याकरण, निरुक्त एवं निष्पत्तु द्वारा समझाये जा सकते हैं या इन्हें वैसा ही समझा जाय जिस अर्थ में म्लेच्छ लोग अपनी बोली में प्रयुक्त करते हैं? उन्होंने स्वयं अन्त में निष्कर्ष निकाला है कि उनका वही अर्थ है जो म्लेच्छों द्वारा समझा जाता है (शबर, जैमिनि १।३।१० पर)। पाणिनि ने 'यवनानी' शब्द की व्युत्पत्ति की है और पतञ्जलि ने यवन द्वारा 'सानेत' एवं 'माष्यमिवा' के अवरोप की भी पर्या की है। कुछ ऐतिहासिकों ने इस यवन को मेनाण्डर माना है।^१ अशोक के शिलालेख में 'योन', रत्नदामन के लेख में अशोक का प्रान्तपाल 'यवनराज' तुषास्क, प्राकृत अमिलेखों का 'यवन', हायीगुम्फा का 'यवन', महाराष्ट्र का 'यवन' आदि शब्द यह बताते हैं कि यवनो का भारत से सम्बन्ध था और वे अन्तर्तीय थे। द्रौणपर्व (१।११।४५-४६) में आया है कि सात्यकि के विरुद्ध यवन, कम्बोज, शक, शबर, किरात एवं बर्बर लोग लड़ रहे थे। द्रौणपर्व (१।११-४७-४८) में वे दस्यु तथा लम्बी-लम्बी दाढ़ियों वाले कहे गये हैं। जयद्रथ के अन्तपुर में कम्बोज एवं यवन स्त्रियाँ थीं। और भी देविए, पान्तिपर्व (६५।१७-२८), अत्रि (७।२) एवं यज्ञ-याज्ञवल्क्य (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० १२३)।

घात्यस्तोम

ताण्ड्य-महाब्राह्मण (या पचविंश) ने चार घात्यस्तोमी वी चर्चा की है (१७।१-४) और एकाह (एक दिन वाले यज्ञ) कहे जाते हैं। ताण्ड्य (१७।१।१) ने गाथा कही है कि जब देव स्वर्गलोक चले गये तो उनके पुत्र आश्रित, जो घात्य जीवन व्यतीत करते थे, मही रह गये। देवराजों की कृपा से उनके आश्रित लोगों ने मरुतो से पादशस्तोम

७९. मेनाण्डर के विषय में देविए प्राध्यापक अर्जुन चौबे काट्यय कृत 'आदि भारत' नामक ग्रन्थ (पृ० २७६-७८)।

(१६ स्तोत्र) एव अनुष्ठुप् छन्द प्राप्त विये और तब वे स्वर्ग गये। चारो ब्राह्म्यस्तामो भ पोडनास्तोम प्रयुक्त होता है। प्रथम ब्राह्म्यस्तोम सभी प्रकार के ब्राह्म्यो के लिए है, द्वितीय उनके लिए जो अमिश्रस्त (दुष्ट या महापापी) हैं और ब्राह्म्य जीवन व्यतीत करते हैं, तृतीय उनके लिए जो अवस्था में छोटे एव ब्राह्म्य जीवन में सलमन हे तथा चौथा उनके लिए जो बूढ़े हैं, चिन्तु ब्राह्म्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो ब्राह्म्य जीवन व्यतीत करते हैं वे दुष्ट प्रवृत्ति के एव हीन होते हैं, वे न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न कृषि या व्यापार करते हैं। ऐसे लोग केवल पोडनास्तोम द्वारा ही उच्च स्थान पा सकते हैं (ताण्ड्य० १७।१।२)।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि ब्राह्म्य लोग न तो उपनयन करते थे, न वेदाध्ययन करते थे और न वैश्यों की भाँति जीवन-यापन करते थे। ब्राह्म्य लोगों की अन्य विदोपताओं के बारे में देविए ताण्ड्य-महाब्राह्मण (१७।१।९)। वे आर्य समाज के बाहर थे, चिन्तु ब्राह्म्यस्तोम द्वारा परिशुद्ध हार आर्य श्रेणी में आ सकते थे। 'ब्राह्म्य' शब्द का मूल अर्थ निरालना दुष्कर है। अथर्ववेद का १५वाँ खण्ड ब्राह्म्य की महिमा (स्तुति) गाता है और उसे विघाता या परमात्मा के समक्ष में लाता है। सम्भवत यह शब्द 'व्रात' (दल) से लिया गया है, और इसका सम्भवत यह अर्थ है—“वह जो किसी दल का है या किसी दल में विचरण करता है।” इस शब्द को 'व्रात' में भी मिश्र दिया जा सकता है। 'व्रात' शब्द ऋग्वेद (१।१६३।८, ३।२६।६, ५।५३।११) में मिलता है। वारधायनश्रौत० (२२।४।१-२८) एव आपस्तम्ब श्रौत० (२२।५।४-१४) ने भी ब्राह्म्यस्तोम की चर्चा की है। ब्राह्म्यायन के अनुसार ब्राह्म्यस्तोम करने से ब्राह्म्य लोग आर्य समाज में सम्मिलित होने योग्य हो जाते हैं।

ब्राह्म्यता-सुद्धिसंग्रह (पृ० २३) में आया है कि ब्राह्म्य पीढिया के उपरान्त भी ब्राह्म्य लोग पवित्र चिन्ते जा सकते हैं।

जाति-प्रवेदा या सुद्धि

हिन्दू धर्म में धर्म-परिवर्तन या अन्य धर्म-ग्रहण की बात नहीं-बुछ-जैसी पायी गयी है। सिद्धान्तत यह सम्भव भी नहीं था। बाहरी लोग (अनार्य) वर्णाश्रम धर्म में नहीं लिये जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई महान् अपराध करे और स्मृतियों द्वारा निर्मित प्रायश्चित्त ग्रंथों के तो वह अपनी जाति से च्युन समझा जाता था और हिन्दू-धर्म में बहिष्कृत हो जाता था। गौतम (२०।१५) के अनुसार मयानक अपराध करने पर यदि प्रायश्चित्त का रूप मर जाता ही हो, तो मरकर ही वह अपराधी शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण-हत्या, सुरापान एव ब्यभिचार (मातृगमन) आदि नामक अपराधों का उपाय मृत्यु-दण्ड ही था। चिन्तु मनु (१।१।७२, ९२, १०८) ने इन तीन अपराधों के लिए अपेक्षाकृत हल्के दण्ड की व्यवस्था की है। मनु (१।१।८६-१८७), याज्ञवल्क्य (३।२९५), बगिष्ठ० (१५।२), गौतम (२०।१०-१४) आदि ने लिखा है कि यदि पापी वास्तविकित प्रायश्चित्त कर ले तो उसे नियमानुसार अपने धर्म, जाति या दल में सम्मिलित कर लेना चाहिए (पतिताना तु चरितव्रताना प्रत्युद्धारः)। यदि पापी प्रायश्चित्त नहीं करता पाहता था तो 'घटस्फोट' नामक एक विचित्र इत्य किया जाता था, जिसमें दासी द्वारा दक्षिणामिमूष हो एव घड़े के जल को गिरवाया जाता था तथा सपिण्ड (अपने सम्बन्धी) लोगों द्वारा एक दिन एव रात मृतक मनाया जाता था, इस प्रकार वह पापी मृतक समझ लिया जाता था और उसके उपरान्त उगने पूरे साहचर्य-सम्बन्ध में विच्छेद हो जाता था, अर्थात् वह पापी 'अज्ञात', 'अनुद्ध' एव बहिष्कृत समझ लिया जाता था (देखिए मनु १।१।८३-१८५, याज्ञ० ३।२९४, गौतम २०।२-७)। इस प्रकार हठी या जिद्दी व्यक्ति हिन्दू-समाज से बहिष्कृत हो जाता था।

प्राचीन स्मृतियों में इसकी चर्चा नहीं देखने में आनी कि बाहरी समाज या धर्म का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्म में किस प्रकार सम्मिलित हो सकता था। प्राचीन स्मृतियों में इतर जाति या धर्म के लोगों को हिन्दू बनाने के विषय में

हमें कोई विधान नहीं मिलता। हिन्दू धर्म अति उदार एवं सहिष्णु रहा है, " इसमें नास्तिकपूर्ण एवं बेरोक-टोक ढंग से पुलना-मिलना होता रहा है। यदि कोई इतर जाति वा विदेशी भारत में रहकर अपने बाह्य व्यवहार द्वारा भारतीय समाज के नियमों को मानता जाता था, तो कालान्तर में उसने बगल बैसा ही करने पर तमशः हिन्दू समाज में आत्मसात् हो जाते थे। यह क्रिया एवं गति लगभग २००० वर्षों तक चलती रही है। ऐसी बातों की प्रारम्भिक गाथाएँ महानारत में भी मिल जाती हैं। इन्द्र ने सम्राट् मान्पाता से सभी यवना को ब्राह्मणवाद के प्रभाव में लाने को कहा है (शास्त्रिपूर्व, अध्याय ६५)। बंसनगर के स्तम्भामिलित से पता चलता है कि योन (यवन) हेरियोदोर (हेलियोडोरस), जो दिय (डियॉन) का पुत्र था, भागवत (वासुदेव या भक्त) था (जे० आर० ए० एस० १९०९, पृ० १०५३ एवं १०८७ एवं जे० बी० बी० आर० ए० एस०, भाग २३, पृ० १०४)। नासिक, काले एवं अन्य स्थानों की गुफाओं के निर्माता यवन थे (एपि० इण्डि०, भाग ७, पृ० ५३-५५, वही, भाग ८, पृ० ९०, वही भाग १८, पृ० ३२५) बहुत से अभिलेखों से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने हूण कुमारियों से विवाह किए, तथा गृहिल वंश के अल्टट ने हूण कुमारी हरिप देवी (इण्डियन एण्टिक्वेरी, भाग ३९, पृ० १९१) से। बलचुरि वंश या राजा यश कर्णदेव कर्णदेव एवं हूणकुमारी अवल्लदेवी की सन्तान था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कालान्तर में यहाँ विदेशियों की 'रपत' होती चली गयी। अनार्थ लोग तमश आर्य होते चले गये।

स्मृतियों ने बलपूर्वक अन्य धर्म में ले लिये गये हिन्दुओं ने स्वजाति में पुन प्रवेश की समस्या पर विचार किया है। सिन्धु की दिशा से मुसलमानों ने आठवीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करते बहुत-से हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया। देवल तथा अन्य स्मृतिकारों ने इन लोगों को पुन हिन्दू समाज में ले लेने की बात चलायी। सिन्धु-तीर पर बैठे हुए देवल से श्रुति लोग पूछते हैं—“उन ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को, जिन्हें म्लेच्छों (मुसलमानों) ने बलवश अपने धर्म में खींच लिया है, हम किस प्रकार बुद्ध करें एवं जाति में पुन लायें?” देवल ने विधान बनाया। पान्द्रायण एवं पराक व्रत से ब्राह्मण, पराक एवं पाद्वृत्त से क्षत्रिय, पराक के आधे से वैश्य एवं पाँच दिनों के पराक से

८०. प्राचीन भारत में राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता अपने ढंग की रही है। पालवंश के राजा महीपाल प्रथम ने भगवान् बुद्ध के सम्मान में वाजसनेयोशाला के एक ब्राह्मण को एक घाँस दान में दिया था (एपिपेंडिकुल इण्डिका, भाग १४, पृ० ३२४)। परमसौगत (बुद्ध भगवान् के भक्त) शूभर्ण देय ने २०० ब्राह्मणों को बीस बीस घाँस दान में दिये (मैसूरु भवदान, एपिपेंडिकुल इण्डिका, भाग १५, पृ० १); और बेलिए एपि० इण्डि० भाग १५, पृ० २९३। प्रसिद्ध सम्राट् हर्ष, जिसका पिता सूर्य का भक्त और जो स्वयं जिय का भक्त था, अपने पत्नी रसौगत भाई राज्यवर्धन के प्रति असीम आदर प्रकट करता है (बेलिए मसूवन ताक्षत्र अभिलेख; इपि० इण्डि० भाग १, पृ० ६७ एवं वही, भाग ७, पृ० १५५)। जयवदात ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों के साँधों को दान दिये थे (नासिक अभिलेख नं० १० एवं १२, एपि० इ०, भाग ८, पृ० ७८ एवं ८२)। बलभीराज गुहसेन ने, जो माहेजवर (जिवभक्त) था, एक भिक्षु-सभ की चार घाँस दान दिये थे। गुप्त सवत् १५९ (४७८-७९ ई०) के पहाड़पुर पत्र से पता चलता है कि एक बिहार के अर्हतों की दूजा के प्रबन्ध के लिए एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी ने मगर-निगम में तीन बीनार जमा दिये थे (एपि० इण्डि०, भाग २०, पृ० ५९)। शट्टूट्ट वृष्ण द्वितीय (९०२-३ ई०) के समय के मूलगुष्ट अभिलेख से पता चलता है कि बलाल बुल को एक ब्राह्मण ने जिन के एक मन्दिर के लिए एक सेत दान में दिया था (एपि० इण्डि०, भाग १३, पृ० १९०)। सन् १३६८ ई० में विजयनगर के राजा ने जैनो एवं श्रीवैष्णवों के शागुँ को दान दिया था (बेलिए मैसूरु एण्ड कुर्ण वाम इण्डिकाजनात, पृ० ११३ एवं २०७)।

शूद्र पवित्र हो सकता है। देवल के १७ से २२ तक श्लोक बड़े महत्व के हैं—“जब लोग म्लेच्छो, चाण्डालो एव दस्युओ (डाकुओ) द्वारा बलवस दास बना लिये जायें और उनसे गन्दे काम कराये जायें, यथा गो-हत्या तथा अन्य पशु-हवन, म्लेच्छो द्वारा छोड़े हुए जूटे वी स्वच्छ करना, उनका जूठा खाना, गदहा-ऊँट एव ग्रामगुर का मास खाना, म्लेच्छो की स्त्रियो से सम्मोग करना, या उन स्त्रियो के साथ भोजन करना आदि, तब एक मास तक इस दशा में रहनेवाले द्विजाति के लिए प्रायश्चित्त केवल प्राजापत्य है; वैदिक अग्नि में हवन करनेवालो के लिए (यदि वे एक मास या कुछ कम तक इस प्रकार रहे तो) चान्द्रायण या पराक; एक वर्ष रह जानेवाले के लिए चान्द्रायण एव पराक दोनों; एक मास तब रह जानेवाले शूद्र के लिए कृच्छ्रपाद, एक वर्ष तक रह जानेवाले शूद्र के लिए यावक-मान (का विधान है)। यदि उपर्युक्त स्थितियों में म्लेच्छो के साथ एक वर्ष का वास हो जाय तो विद्वान् ब्राह्मण ही निर्णय दे सकते हैं। चार वर्ष तक उसी प्रकार रह जाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है।”^१ प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४५६) के अनुसार चार वर्ष बीत जाने पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है। देवल के तीन श्लोक (५३-५५) अवलोकनीय हैं—“जो व्यक्ति म्लेच्छो द्वारा पाँच, छ या सात वर्षों तक पकड़ा रह गया हो या दस से बारह वर्ष तक उनके साथ रह गया हो, वह दो प्राजापत्यो द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसके आगे कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये प्रायश्चित्त केवल म्लेच्छो के साथ रहने के कारण ही किये जाते हैं। जो पाँच से बीस वर्ष तक साथ रह गया हो उसे दो चान्द्रायणो से शुद्धि मिल सकती है।”^२ ये तीन श्लोक ऊपर के १७ से २२ वाले श्लोकों से मेल नहीं खाते। किन्तु पाठको को अनुमान से सोच लेना होगा कि दूसरी बात उन लोगों के लिए कही गयी है, जो केवल म्लेच्छो के साथ रहते थे, किन्तु ब्रजित व्यवहार, आचार-विचार, खान-पान में म्लेच्छो से अलग रहते थे। इस विषय में देखिए पञ्चदशी (तृप्तिदीप, २३९)—“जिस प्रकार म्लेच्छो द्वारा पकड़ा गया ब्राह्मण प्रायश्चित्त करने के उपरान्त म्लेच्छ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बुद्धिमुक्त आत्मा भौतिक पदार्थों एव शरीर द्वारा अपवित्र नहीं होता।”^३ इससे प्रकट होता है कि शंकराचार्य के उपरान्त अति महिमा वाले आचार्य विद्यारण्य की दृष्टि में म्लेच्छो द्वारा बन्दी किया गया ब्राह्मण अपनी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है।

शिवाजी तथा पेशवाओं के काल में बहुत-से हिन्दू जो बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये थे, प्रायश्चित्त कराकर पुनः हिन्दू जाति में ले लिये गये। किन्तु ऐसा बहुत कम होता रहा है।

आधुनिक काल में हिन्दुओं में शुद्धि एव पनितपरावर्तन में आन्दोलन चले, और ‘आर्यमजत्र’ को इस विषय में पर्याप्त सफलता भी मिली, किन्तु अधिकांश बट्टर हिन्दू इस आन्दोलन में पस में नहीं रहे। इतर पर्यायलम्बियो में से बहुत थोड़े ही हिन्दू धर्म में दीक्षित हो सके। इस प्रकार की दीक्षा के लिए ब्राह्म्यस्तोम तथा अन्य क्रियाएँ आवश्यक

८१. बलाहृत्सीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युभिः। अनुभं वारिताः कर्म गवाविप्राणिहितम्॥ उच्छिद्यमार्जनं चैव तथा सार्येय भोजनम्। खरोद्दुर्विद्वयराहाणामानियस्य च भक्षणम्॥ तत्तन्नीणां च तथा तर्गं तामिदं च सहभोजनम्। मासोपिते द्विजाती तु प्राजापत्यं विसोपनम्॥ चान्द्रायणं स्वाहिताने पराकस्त्वपवा भवेत्। चान्द्रायणं पराकं च धरेत्संबतसरोपितः॥ संबतसरोपितः शूद्रो मासार्थं यावकं पिबेत्। मासमात्रोपितः शूद्रः कृच्छ्रपादेन क्षुप्यति॥ ऊर्ध्वं संबतसरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः। संबतसरेद्वत्तुभिदं च तद्भाषमपिपिच्छति॥ देवल १७-२२। पाण्डवस्य (३।२९०) की व्याख्या में मिताक्षरा ने तथा अपराकं में इन छः श्लोकों को उद्धृत किया है और कहा है कि ये आपस्तम्ब के हैं। मूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में ये श्लोक देवल के बड़े गये हैं।

८२. गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छः प्रायश्चित्तं चरन्पुनः। म्लेच्छः संवीर्येनैव तथाभासः शरीररत्नः॥ पंचदशी (तृप्तिदीप, २३५)।

है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि देवदत्तमूर्ति तथा निबन्धनारो ने उन लोगों की परिसुद्धि की बात चला दी है, जो कभी हिन्दू थे, किन्तु दुर्भाग्य के कारण वे पड़वण म्लेच्छों के चंगुल में अपना प्रिय धर्म छोड़ बैठे थे।

पुनः उपनयन

कुछ दशाभा में पुनः उपनयन की व्यवस्था की गयी है, यथा जब कोई अपने बुलबे वेद (जैसे ऋग्वेद) का अध्ययन न कर लेता है और दूसरे वेद (जैसे यजुर्वेद) का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पुनः उपनयन करना पड़ेगा। आदवलायनब्रह्म (१।२२।२२-२६) के अनुसार पुनरुपनयन में चौलकर्म एवं मेधाजनन नहीं भी किये जा सकते, परिदान (देवताभा को समर्पण) एवं समार की कोई निश्चित विधि नहीं है, कभी भी पुनरुपनयन किया जा सकता है। गायत्री के स्थान पर केवल "तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो रजसां प्रचोदयात्" (ऋग्वेद ५।८२।१) कहा जाना चाहिए। इस विषय पर कुछ विभिन्न मत भी हैं, जिन्हें स्थानान्तरण से नहीं दिया जा रहा है। पुनरुपनयन के कई प्रकार हैं। एक प्रकार का वर्णन ऊपर हो चुका है। दूसरा प्रकार यह है जो कुछ कारणों से आवश्यक मान लिया जाता है, यथा पहले उपनयन में भ्रम से विधि त्रुटिपूर्ण हो गयी, उस दिन अनध्याय था, तथा मृत्यु से कुछ बातें छूट गयीं। ऐसी स्थिति में दूसरी बार उपनयन कर देना आवश्यक माना गया है। तीसरा उपनयन यह है जो किसी भ्रान्तक पाप या त्रुटि को दूर करने या प्रायश्चित्त के लिए किया जाता है। गौतम (२।३।२-५) ने तत्पठच्छ्र एव पुनरुपनयन की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की है जो सुरापान के अपराधी हैं, जिन्होंने त्रुटि से मानव-मूत्र, मल, वीर्य, जवली पशुओं, ऊँटों, गदहा, ग्राम के मुरगों तथा ग्राम-शूकरों का मांस सेवन कर लिया हो (देखिए क्लृप्त २।३।३०, बौधायनधर्म २।१।२५ एवं २९, मनु ५।९१, विष्णुधर्म २।२।८६ आदि)। बही-बही विदेश गमन पर भी पुनरुपनयन की व्यवस्था पायी जाती है (सौं गू० परिभाषा सूत्र १।१२।५-६)। वैशामिनी (६।९-१०) में तथा पंडितमिश्र में भी पुनरुपनयन की व्यवस्था है। यदि कोई प्रोढ (बड़ी अवस्था का व्यक्ति) भेद, दही ऊँटनी या नारी का दूध पी ले तो उसे पुनरुपनयन करना पड़ता था। कभी-कभी इससे साथ प्राजापत्य प्रायश्चित्त भी करना पड़ता था।

अनध्याय (वेदाध्ययन की छुट्टी या बन्दी)

कई परिस्थितियों में वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता था। संतिरीयारण्यक (२।१५) में अध्ययनवर्ती एवं स्थान की अपवित्रता को अनध्याय का कारण बताया गया है। शतपथब्राह्मण (१।१।५।६।९) ने बहुत-सी उन स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें अनध्याय होता है, किन्तु पठे हुए पाठों का पुनरायन जाना होता रहता है। अन्यथा, बिजली की चमक, मेघगर्जन एवं वज्रपात ने ताप्य भी ब्रह्मयज्ञ होता रहना चाहिए, जिससे कि "वपद्दार" व्यर्थ न जाय। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (१।५।१२।३) ने शतपथ ब्राह्मण के उद्धरण द्वारा बताया है कि वेदाध्ययन को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है, जब मेघ-गर्जन होता है, बिजली चमकती है, वज्रपात होता है, जब अन्य-सुपान चलता है तो ये सब उसने वपद्कार बड़े जाते हैं।^१ ऐतरेयारण्यक (५।३।३) के अनुसार जब वर्षा ऋतु में न रहने पर वर्षा हो तो तीन रात्रियों तक वेदाध्ययन बन्द कर देना चाहिए।

८३. 'वपद्' या 'वबाहा' शब्द का उच्चारण देयता के लिए द्युति देते समय किया जाता है। घन-गर्जन एवं विष्णु ब्रह्मयज्ञ के वपद्कार बड़े जाते हैं। जिस प्रकार 'वपद्' शब्द के उच्चारण के साथ द्युति की जाती है, उसी प्रकार घन-गर्जन के साथ ब्रह्मयज्ञ के रूप में विसी-न-विसी वैदिक मन्त्र का पाठ करते रहना चाहिए।

अनध्याय की चर्चा गृह्य एवं धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में पर्याप्त रूप से हुई है। आपस्तम्बधर्म० (१।३।१।४ से १।३।११ तक), गौतम० (१६।५।४९), शाखायनगृह्य० (४।७), मनु (४।१०२-१२८) एवं याज्ञवल्क्य (१।१४४-१५१) में अनध्याय का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका, स्मृत्यर्थसार, मत्स्वरकौस्तुभ, सस्कार-रत्नमाला तथा अन्य निबन्धों में भी अनध्याय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

तिथियों में पहली, आठवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं (पौर्णमासी एवं अमावस्या) तिथियों में दिन भर वेदाध्ययन बन्द रखा जाता था (देखिए मनु ४।१।१३-११४, याज्ञ० १।१।४६, हारीत)। प्रतिपदा को स्पष्ट रूप से मनु एवं याज्ञवल्क्य ने अनध्याय का दिन नहीं कहा है। पतञ्जलि ने महाभारत में अमावस्या एवं चतुर्दशी को अनध्याय का दिन कहा है। रामायण (सुन्दरकाण्ड ५९।३२) ने प्रतिपदा को अनध्याय के दिनों में गिना है। गौतम ने केवल आपाढ़, कार्तिक एवं फाल्गुन की पौर्णमासियों में ही अनध्याय की बात कही है, अन्य पौर्णमासियों में पढ़ने को कहा है। बौधायन-धर्मसूत्र (१।१।१।४२-४३) में आया है कि अष्टमी तिथि में अध्ययन करने से गृह, चतुर्दशी से गिष्य एवं पन्द्रहवीं से विद्या का नाश होता है। ऐसी ही बात मनु (४।१।१४) में भी पायी जाती है। अपराध^१ ने नृसिंहपुराण के उद्धरण से बताया है कि महानवमी (शुक्लपक्ष के आश्विन की नवमी), भरणी (भाद्रपद की पौर्णमासी के उपरान्त जब चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है), अश्वयुतीया (वैशाख के शुक्लपक्ष की तृतीया) एवं रयसप्तमी (माघ के शुक्लपक्ष की सप्तमी) में वेदाध्ययन नहीं होना। इसी प्रकार युगादि एवं मन्वन्तरादि तिथियां में भी अनध्याय होता है। विष्णुपुराण (३।१।४।१३) के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद वृष्ण तृयोदशी एवं माघपूर्णिमा (ये क्रम से कृत, श्रेता, द्वापर एवं बलि नामक चार युगों के आरम्भ की सूचिका तिथियां हैं) नामक तिथियां युगादि तिथियां बन्ही जाती हैं। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्रमास की तृतीया, भाद्रपद की तृतीया, पान्गुन की अमावस्या, पौष शुक्ल की एकादशी, आपाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्ण की अष्टमी, आपाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ शुक्ल की पंचदशी नामक चौदह तिथियां मन्वादि तिथियां बन्ही जाती हैं (मत्स्यपुराण १।७।६-८)। ज्येष्ठ शुक्ल २, आश्विन शुक्ल १०, माघ शुक्ल ४ एवं १२ की तिथियों को सोमपाद तिथियां कहते हैं और इन दिनों अनध्याय माना जाता है।

मासवल्क्य (१।१।४८-१५१) ने ३७ तत्कालीन अनध्यायों की चर्चा की है। ये अनध्याय थोड़े समय के लिए माने गये हैं, यथा बुत्ता मूँकने या सियार, गदहा एवं उल्लू के बोलते रहने पर, साम-गान के समय, बामुदी-वादन या अर्त-नाद पर, किसी अपवित्र वस्तु के संप्रिकृत होने पर, शव, नृद, अन्धज (अमृत), कष्ट, पतित (महापातरी), पन-गर्जन, बिजली की लगानातार चमक होने पर, भोजनीपरान्त गीले हाथों के कारण, जल में, अर्धरात्रि में, अण्ड-नृकान में, धूलि-वर्षण में, दिशाओं के अचानक उद्दीप्त हो जाने पर, दोनो सन्ध्याओं में (प्रातः एवं साय की संधियों में), कुहरे में, मय उत्पन्न हो जाने पर (झकू या चोर आने पर), दौड़ते समय, दुर्गन्धि वृत्तप हो जाने पर, किसी मद्र अतिथि के आगमन पर, गदहे, ऊँट, रथ, हाथी, घोडा, नाब, वेड पर बैठ जाने पर या रेगिस्तान में (निर्जन स्थान में) अनध्याय होता है।

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी अनध्याय सम्बन्धी विस्तार पाया जाता है। कभी-कभी यह थोड़े समय के लिए और कभी-कभी पूरे दिन या पूरी रात के लिए होता है। ग्रहण, उल्कापात, भूवम्प आदि प्रकृति-विपर्ययो में भी अनध्याय की बात बन्ही गयी है। श्राद्ध में भोजन कर लेने के उपरान्त, श्राद्ध-दान ले लेने पर, गृह एवं सत्य के बीच पशु, मेडन, नेवला, बुत्ता, सर्प, बिल्ली या चूहा आ जाने पर वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता है। मनु (४।१।१०) ने अनु-सार एकोद्दिष्ट श्राद्ध का निमग्नण स्वीकार कर लेने पर, राजा की मृत्यु पर या ग्रहण पर (जब सूर्य-चन्द्र के दृष्ट जाने पर भी ग्रहण लगा रहे) तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार अनध्याय के सम्बन्ध में बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार पाया जाता है।

कुछ अगध्याय-कालों को 'आवात्सि' कहा जाता है। आवात्सिक आध्याय ६० पटिकाओं का अर्थात् पूरे २४ घंटे का होता है (देविण्ड, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।११।२५-२६, मनु ४।१०३-१०५, गौतम ४।११८ आदि)। बिजली की बमन, बरखापत, वर्षा आदि साथ ही तो तीन दिनों तक अनध्याय होता है (आपस्तम्बधर्म १।३।१।२३)। यैदा के उत्सर्जन, उपाकरण पर, गृहजनों की (स्वशुभ आदि जैसे लोगों की) मृत्यु पर, अष्टवा (एक प्रकार के होम) पर तथा भाई, मतीत्रि आदि की मृत्यु पर तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार हारीत के भी वचन हैं, जिनमें थोड़ा अन्तर पाया जाता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।४) ने माता-पिता एवं आचार्य की मृत्यु पर १२ दिनों का अनध्याय कहा है। किन्तु बौधायन ने पिता की मृत्यु पर तीन दिनों के अनध्याय की बात कही है।

स्मृतिषण्डिना ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब कि एक मास, छ मास या साल भर तक अनध्याय चलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१।१) ने उपक्रमों के उपरान्त (जब कि वह धावण की पूर्णमा से दिन किया जाय) एक मास तक रात्रि के प्रथम पहर में वेदाध्ययन करने को मना किया है।

दलेष्मातक, शालमलि, भयूय, शोविदार एवं वणित्यन नामक पेड़ों के नीचे पड़ना मना है (अपराक, पृ० १९२)। उभयुक्त विवेचन से अनध्याय पर प्रबाना तो पड़ता है किन्तु वेदाध्ययन पर घबरा लगता है, यह भी स्पष्ट हो जाता है। अतः अनध्याय सम्बन्धी कुछ नियम भी हैं, जिन्हें हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं।

आध्याय वाचिन (वैदिक शब्दों का उच्चारण) एवं मानस (मन में वेद का समझना) हो सकता है। यह पहली बात है, जिसे हम स्मरण रखना चाहिए। विधिष्ठ बालों में वाचिन एवं मानस अनध्याय की व्यवस्था की गयी है (बौधायनधर्मसूत्र १।१।४०-४१, गौतम १।६।४६, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।१।२०)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।३०) के अनुसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्त्रों से ही सम्बन्धित हैं। जैमिनि (१।२।३।१८-१९) तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।२।९) में भी यही बात कुछ अन्तरों से साथ पायी जाती है। इनके अनुसार यज्ञ एवं अन्य पामिव कृत्यों में अनध्याय के नियम लागू नहीं होते। हमने पहले ही देख लिया है कि अनध्याय के नियम द्रव्ययज्ञ (पूले पड़े हुए वैदिक मन्त्रों या दुहराना या पाठ) के लिए लागू नहीं होते (तैत्तिरीय आरण्यक २।१५)। मनु (२।१।०५) के अनुसार अनध्याय का व्याकरण, निरुक्त नामन अगो से कोई सम्बन्ध नहीं है। होम, जप, साम्य क्रियाओं, यज्ञ, पारायण (पूरे हुए वैदिक मन्त्रों के पुनः पाठ) से अनध्याय कोई सम्बन्ध नहीं रखता। वास्तव में प्रथम वेदाध्ययन (वैदिक मन्त्रों के अध्ययन) एवं वेदाध्यापन में ही अनध्याय के नियम सम्बन्ध रखते हैं। स्मृत्यर्थ-सार (पृ० १०) के अनुसार जिनकी स्मृति दुर्बल होती है, या जिन्हें बहुत बड़ा वैदिक साहित्य स्मरण करना होता है, उन्हें प्रथम अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावस्य को छोड़कर अन्य अनध्याय के दिनों में वेदागो, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ब्रूमुराण (१।४।८२-८३, उत्तरार्ध) के अनुसार वेदागो, इतिहास, पुराणों, धर्मशास्त्रों एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई अनध्याय नहीं होता, किन्तु पर्वों के दिन इनका भी अध्ययन मना हो जाता है। स्पष्ट है, पर्वों के दिन वेदाध्ययन तथा अन्य प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन बन्द हो जाना करता था। इस प्रकार के अनध्याय नित्य नाम से तथा अन्य नैमित्तिक अनध्याय के नाम से पुकारे जाते हैं। आबरल भी वैदिक तथा संहृत पाठशास्त्रों के पण्डितों द्वारा नित्य अनध्याय माने जाते हैं, विशेषतः अमावस्या-पूर्णिमा अनध्याय की सूचक हैं।

अनध्याय के कुछ अवसर विचित्र एवं अनावश्यक-से लगते हैं, किन्तु कुछ के कारण तो तर्कसंगत एवं समझे जाने योग्य सिद्धान्तों पर आधारित है। वैदिक अध्ययन स्मृति पर निर्भर है। वैदिक मन्त्रों को स्मरण करना मनोयोग से ही सम्भव है। अतः मन का चपल कर देने वाले अवसरों में वेदाध्ययन के आध्याय की चर्चा की गयी है। किन्तु स्मृति-

पटल मे रसे हुए ज्ञान के डुहराने मे तथा होम, जप आदि में उनके प्रयोग मे उतने मनोयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः ऐसे अवसरों पर अनप्याय को आवश्यक नहीं समझा गया।

ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अनप्याय के दिनों मे वेदाध्ययन करता है तो उसकी जन्म छोटी हो जाती है, उसकी सन्तानों, पशुओं, बुद्धि एवं ज्ञान की हानि होती है।

केसान्त या गोदान

इस संस्कार मे सिर के तथा शरीर के अन्य भाग (कौंख, दाढ़ी) के केश बनाये जाते हैं। पारस्करगृह्य०, याग-वल्क्य (१।३६) एवं मनु (२।६५) ने वेसान्त शब्द का तथा आश्वलायनगृह्य०, शाखायनगृह्य०, गोमिल एवं अन्य गृह्य-सूत्रों ने गोदान शब्द का प्रयोग किया है। शतपथब्राह्मण (३।१।२।४) मे वीसा के विषय की चर्चा होने समय कान के ऊपर सिर के एक भाग के बाल बनाने को 'गोदान' कहा गया है। अधिवास स्मृतिकारा ने इस संस्कार को सोनहूँ वर्ष मे करने को कहा है। शाखायनगृह्यसूत्र (१।२।८।२०) के अनुसार इसे १६वें या १८वें वर्ष में करना चाहिए। मनु (२।६५) के अनुसार यह ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए क्रमशः १६वें, २२वें या २४वें वर्ष में सम्पादित होता चाहिए। लघु आश्वलायनस्मृति (१।४।१) के अनुसार गोदान १६वें वर्ष में होता चाहिए और वह भी विवाह के समय। सम्भवा यह अन्तिम मत मंत्रमूर्ति के मन मे भी था जब कि उन्होंने सीता के मुख से यह कहलवाया कि राम तथा उनके तीन भाइयों का गोदान-संस्कार विवाह के कुछ ही देर पूर्व किया गया था (उत्तररामचरित, अक १)। यह एक अर्चित्र बात है कि कौशिकसूत्र (५।४।१५) ने गोदान को बूढाकर्म के पूर्व तथा टीकाकार बेशव ने जन्म के एक या दो वर्षों उपरान्त करने को कहा है।

कब से १६वाँ वर्ष या कोई भी वर्ष गिना जाना चाहिए? इन विषय में मनभेद है। बौधायनपर्यायसूत्र (१।२।७) ने गर्भाधान से ही गणना की है। इसी नियम के अनुसार मितागरा (याज्ञ० १।३६) तथा कुल्लूक (मनु २।६५) ने ब्राह्मणा के लिए गर्भाधान से १६वाँ वर्ष तथा अपराव ने जन्म से १६वाँ वर्ष माता है। विश्वरूप्य (याज्ञ० १।३६) ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य की अवधि चाहे जितनी हो (१२, २४, ३६, ४८ आदि) केसान्त १६वें वर्ष में ही जाना चाहिए। यदि उपनयन १६ वर्ष के उपरान्त हो तो वेसान्त संस्कार किया ही नहीं जायगा। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।२।३) के टीकाकार नारायण ने अनुसार उपनयन के उपरान्त १६वें वर्ष में तथा अन्य लोगों ने अनुपार जन्म से १६वें वर्ष में गोदान सम्पन्न होना चाहिए।

गोदान तथा वेसान्त की विधि कुछ अन्तर के साथ बूढाकरण के समान ही है। हम विस्मय में नहीं पड़ेंगे। लडकियों के गोदान में मौन रूप से ही क्रियाएँ की जाती हैं, अर्थात् मनोच्चारण नहीं होता। इस संस्कार में गुरुओं को वादान किया जाता है। सम्भवन इसी से गोदान शब्द प्रचलित है। यह संस्कार बाल्यान्तर में सम्पादित हो गया, अर्थात् मध्य बाल्य में निबन्ध, यथा संस्कारप्रज्ञा, निर्णयनिष्ठ इत्यादि चर्चा नहीं करती। आपस्तम्बगृह्य० (१६।१५), हिरण्यनेसिगृह्य० (६।१६), शारदाजगृह्य० (१।१०), बौधायनगृह्य० (३।२।५५) के अनुसार वेसान्त में गोदान के निम्नलिखित सम्पूर्ण सिर का मुण्डा हाता है, त्रिभु चोत्त मे ऐमी वाग गी है।

स्नान या समावर्तन

वेदाध्ययन के उपरान्त वा स्नान-अभिमं तथा गुरुगृह से लौटते समय वा संस्कार स्नान या समावर्तन कहा जाता है। कुछ सूत्रकारा यथा गौतम (८।१६), आपस्तम्ब० (१।२।१), हिरण्यवशि० (१।१) तथा याज्ञवल्क्य (१।११) ने 'स्नान' शब्द तथा आश्वलायनगृह्य० (३।८।१), बौधायनगृह्य० (२।६।१), आपस्तम्बपर्यायसूत्र (१।२।७।१५) एवं

३१), माण्डानगृह्य० (२।१८) ने 'समावर्तन' शब्द का प्रयोग किया है। सादरगृह्य० (३।१।१ तथा १।३।२-३), गोमिल (३।४।७) ने 'आलवन्' (अर्थात् स्नान) शब्द का प्रयोग किया है। मनु (३।४) ने 'स्नान' तथा 'समावर्तन' दोनों शब्दों का प्रयोग किया है—“द्विज गुरु से आजापित होने पर स्नान करने पर लौट सकता है और अपने गृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार किसी कन्या से विवाह कर सकता है।” अपराक ने स्नान एव समावर्तन में अन्तर बताया है— स्नान का तात्पर्य है विद्यार्थी जीवन की परिसमाप्ति, अतः जो व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहता है वह यह संस्कार नहीं भी कर सकता। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है “गुरुगृह से अपने गृह को लौट आना।” यदि कोई बालक अपने पिता से ही पढ़ता है तो गार्हपत्य अर्थ में उसका समावर्तन नहीं हो सकता। मेघातिथि (मनु ३।४ पर) ने लिखा है कि समावर्तन विवाह का कोई आवश्यक अंग नहीं है, अतः जो पितृगृह से ही वेदाध्ययन करता है, वह बिना समावर्तन के ही विवाह के बन्धन में प्रवेष्ट कर सकता है। कुछ लोगों के कथनानुसार समावर्तन विवाह का अंग है और उसने सप्ताश्रम स्नान की प्रथा पायी जाती है।

आपस्तम्बगृह्य० (१।२।१) “वेदमधीत्य स्नास्यन्” (वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-क्रिया में प्रविष्ट होते समय) नामक शब्दों के साथ इस संस्कार का वर्णन करता है। पतञ्जलि के महाभाष्य (जिल्ड १, पृ० ३८४) में आया है कि व्यक्ति वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-कर्म करके गुरु से आज्ञा लेकर पीने के लिए खाट प्रयोग में ला सकता है।

दैविक साहित्य में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१०।१) में हम पढ़ते हैं कि उपनोक्त कामलायन सत्यनाम जाबाल के शिष्य होकर गुरु के गृह्य अग्नि की सेवा १२ वर्षों तक करते रहे। गुरु ने अन्य निम्नो को तो विदा कर दिया, किन्तु उपनोक्त कामलायन को रोक लिया। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद् को 'समावर्तन' शब्द का ज्ञान था। शतपथब्राह्मण (१।१।३।३।७) का कहना है कि स्नान-कर्म के उपरान्त मिथा नहीं मांगनी चाहिए। इसी ब्राह्मण (१।२।१।१।१०) में स्नातक एव ब्रह्मचारी के अन्तर को समझाया है। स्नातक के विषय में और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१।४।१३), ऐतरेयारथ्यक (५।३।३), आपबलायनगृह्य० (३।१।८) आदि।

गुरुकारा ने वेदाध्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्नान-क्रिया का वर्णन किया है। अध्ययन के उपरान्त गुरु को निमन्त्रित कर उसके दक्षिणा मांगने की प्रथा भी जाती है और गुरुद्वारा आदेश मिल जाने पर स्नान किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि वेदाध्ययन तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त स्नान की परिपाटी सम्पादित की जाती है तथा बिना अध्ययन समाप्त विधे शिष्य को अपने गृह लौट आने की आज्ञा मिल सकती है। इस विषय में देखिए पात्स्वगृह्यसूत्र (२।६)। स्नान विधे हुए व्यक्ति को स्नातक कहा जाता है। पात्स्वगृह्य० (२।५), गोमिल (३।५।२१-२२), बोधायन गृह्य परिभाषा सूत्र (१।१५), हारीत आदि ने स्नातकों को तीन कोटियों में बाँटा है, यथा (१) विद्या-स्नातक (या वेद-स्नातक), (२) व्रत-स्नातक तथा (३) विद्याव्रत-स्नातक (या वेद-स्नातक)। जिसने वेदाध्ययन समाप्त कर लिया हो, किन्तु व्रत न किये हो, वह विद्यास्नातक कहलाता है, जिसने व्रत कर लिये हो किन्तु वेदाध्ययन समाप्त न किया हो, वह व्रत-स्नातक कहा जाता है, किन्तु जिसने व्रत एव वेद दोनों की परिसमाप्ति कर ली हो, वह विद्याव्रत-स्नातक कहा जाता है। इस विषय में हमें याज्ञवल्क्य (१।५।१) में भी संकेत मिलता है। स्नातकों के प्रकारों के विषय में मेघातिथि (मनु ४।३।१), गोमिल (३।५।२३), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।०।१-५) का अवलोकन किया जा सकता है।

स्नान तथा विवाह कर लेने के बीच लम्बी अवधि पायी जा सकती है। इस अवधि में व्यक्ति स्नातक कहा जाता है। किन्तु विवाहोपरान्त व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है (बोधायनगृह्यसूत्र १।५।१०)।

हिरण्यनेनिगृह्यसूत्र (१।१।३), बोधायनगृह्यपरिभाषा (१।१५), पात्स्वगृह्यसूत्र (२।६) एवं गोमिल-गृह्यसूत्र (३।५-५) में समावर्तन की विधि विस्तार से बणित है। हम यहाँ सर्वोप में आपबलायनगृह्य० (३।८ एव

१) द्वारा वर्णित विधि की चर्चा करेंगे। गुरुगृह से लौटते समय ब्रह्मचारी को ११ वस्तुएँ जुटा रानी चाहिए, यथा— गले में लटवाने के लिए एक रत्न, कानों के लिए दो कुण्डल, एक जोड़ा परिधान, एक छाता, एक जाड़ा जूता, एक लोटा (लाठी), एक माला, धारी पर लगाने के लिए घूर्ण (पाउडर), उबटन, अजन, पगड़ी। ये सारी वस्तुएँ गुरु एक अपने लिए (ब्रह्मचारी के लिए) एकत्र की जाती हैं। यदि दोनों के लिए ये वस्तुएँ एकत्र न की जा सकें, तो केवल गुरु के लिए इनका सग्रह कर लेना चाहिए। उसे किमी यज्ञ योग्य पेठ (यथा पलाश) की उत्तर-पूर्वी दिशा से ईधन (सनिपा) प्राप्त करना चाहिए। यदि व्यक्ति भोजन, धन, वैभव वा प्रेमी हों तो ईधन शुष्क नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति आध्यात्मिक वैभव वा अनुरागी हों तो उसे शुष्क ईधन रखना चाहिए। किन्तु दोनों गुणा के प्रेमी को कुछ माग शुभ तथा कुछ माग अशुष्क रखना चाहिए। ईधन को कुछ ऊँचाई पर रखकर, ब्राह्मणों को भोजन एवं एक गाय का दान करने व्यक्ति को गोदान सत्कार की पूरी विधि सम्पादित करनी चाहिए। कुछ घरम जल में स्नान करके तथा सर्वथा नवीन दो परिधान धारण करके मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (ऋग्वेद १।१५२।१)। आँचों में अजन लगाना चाहिए, कानों में कुण्डल पहनने चाहिए, हाथों में उबटन लगाना चाहिए। ब्राह्मण को सर्वप्रथम मुण्ड, तब शय्य अंगों में उबटन लगाना चाहिए, क्षत्रिय को अपने दोनों हाथों में उबटन लगाना चाहिए, वैश्य को अपने पेट पर, मारी का अपने कटि भाग पर तथा दौडकर जीविका चलाने वाले को अपनी जाँघों में उबटन लगाना चाहिए। तब मात्रा (सक्) धारण करनी चाहिए। इसके उपरान्त जूता पहनना चाहिए। तब क्रम से छाता, बाँस का डडा (मोटा या खाड़ी), गण्डे में रत्न, सिर पर पगड़ी धारण करके सड़ते हो अग्नि में समिधा डालनी चाहिए और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (ऋग्वेद १०।१२८।१)।

बौधायनगृह्य परिभाषा (१।१४।१) के अनुसार व्रतस्नातक के लिए समावर्तन किया बिना र्निर्दिन मन्त्रों के की जाती है। अन्य गृह्यसूत्रों में भी यही विधि पायी जाती है। किन्तु मन्त्रों में अन्तर है, हम यहाँ पर विरोधों एवं अन्तरों का विवेचन उपस्थित नहीं करेंगे।

समावर्तन सत्कार करने की तिथि के विषय में भी प्रभूत मतभेद रहा है। मध्यकालीन एवं आधुनिक लेखकों ने तिथि-सम्बन्धी बहुत सन्धा विवेचन उपस्थित कर रखा है। इस विषय में देखिए सम्बन्ध-प्रकाश (पृ० ५३६-५७८)।

स्नातकों के लिए स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत-से नियम पाये जाते हैं (स्नानकर्म)। इनमें कुछ तो ऋषि-स्मृतियों गृह्यसूत्रों के लिए भी हैं। हम इनके विस्तार में नहीं पड़ेंगे। कुछ धर्म में हैं—रात्रि में स्नान न करना, नगे स्नान न करना, भोग न सोना, नगी मारी को न देखना, वर्षा में न दौटना, पेठ पर न खटना, घुएँ में न उतरना, भय में न भिडना आदि (आश्वलायनगृह्य० २।१।६-७)। बहुत-से व्रत भी हैं, यथा अनध्याय के नियम, मलमुत्र-त्याग, मध्याह्नभय, समोह, आचमन, महायज्ञ, उपाकर्म एवं उत्सर्ग के नियमों का पालन आदि। परिव्रता के लिए प्रति दिन स्नान, चण्डाल-लेप, धर्म-धारण, आर्य-सामय, उदारता आदि में सत्कर्त्तव्य एवं प्रवीण होना चाहिए। इसी प्रकार आचरण-सम्बन्धी अन्य नियम हैं, जिनका विस्तार स्थान-संकोच से छोटा जा रहा है।

मनु (१।१।२०३) ने आचरण-नियम के विरोध में जाने पर एक दिन के उपवास का प्रावधान करवाया है। ह्यदत्त ने मोक्ष (१।२) की टीका में बतलाया है कि ये नियम केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्नातकों के लिए हैं।

आधुनिक काल में समावर्तन की क्रिया उपनयन के पीछे समय के उपरान्त, या कभी-कभी धर्म, दूसरे या उभों दिन कर दी जाती है। ब्राह्मण अधिपति ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते, अतएव समावर्तन की क्रिया केवल दिशावदी रह गयी है।

अध्याय ८

आश्रम

गत पृष्ठा में हमने ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी कतिपय प्रश्नों पर विचार किया है। धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्मचर्य चार आश्रमों में सर्वप्रथम स्थान रखना है, अतः अन्य सत्कार अर्थात् विवाह सत्कार के विवेचन में पूर्व आश्रम-सम्बन्धी विचारों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना परमावश्यक है।

अत्यन्त प्राचीन धर्मसूत्रों के समय में भी चारों आश्रमों की चर्चा हुई है, यद्यपि नामों एवं अनुक्रम में थोड़ा हेर-फेर अवश्य पाया जाता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।१।१) के अनुसार आश्रम चार हैं, गार्हस्थ्य, गुरुगृह (आचार्य-कुल) में रहना मुनि रूप में रहना तथा वानप्रस्थ (वन में रहना)। गार्हस्थ्य को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण सम्भवतः इसकी प्रमूत महत्ता है। गौतम (३।२) ने भी चार आश्रमों के नाम लिये हैं, यथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मिश्र एवं व्रतानस। वानप्रस्थ को यहाँ व्रतानस क्यों कहा गया है, इसका उत्तर आगे दिया जायगा। वसिष्ठधर्मसूत्र (७।१-२) ने चार आश्रम विनाश है—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं परिव्राजक। इसी धर्मसूत्र ने अन्यत्र (१।१।३४) यति शब्द का प्रयोग करते चौपे आश्रम के व्यक्ति की ओर संकेत किया है। बौधायनधर्मसूत्र (२।६।१७) ने भी वसिष्ठ की भाँति चार नाम दिये हैं, किन्तु उनमें एक मनोरञ्जक सूचना यह दी गयी है कि ब्रह्माद के पुत्र असुर कपिल ने देवताओं की शत्रुता से ही यह विभाजन उत्पन्न किया जिसमें समझदार व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए। मनु (६।८७) ने चार आश्रमों के नाम दिये हैं और अन्तिम को उद्देश्य यति तथा 'सत्यास' कहा है (६।९६)। स्पष्ट है, चौपे आश्रम को कई नामों से संज्ञित किया गया है यथा परिव्राट् या परिव्राजक (जो एक स्थान पर नहीं ठहरता, स्थान-स्थान में घूमा करता है), मिश्र (जो मिश्रा माँगकर खा लेता है), मुनि (जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करता है), यति (जो अपनी इन्द्रिया को समर्पित रखता है)। ये शब्द चौपे आश्रम के व्यक्तियों की विशेषताओं के सूचक हैं।

आश्रमों के विषय में मनु का सिद्धान्त निम्न प्रकार का है—मानव-जीवन एक लघु वर्ष का होता है (पतापूर्व पुरुष)। सभी ऐसी आयु नहीं पाते, किन्तु यह वह सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी आशा कर सकता है। इस आयु को हम चार भागों में बाँटते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह लघु वर्ष तक जियेगा ही, अतः उपर्युक्त चारों भागों में प्रत्येक की सीमा को २५ वर्ष तक रखना या बतलाना तर्कसंगत नहीं है। अतः आश्रम की सम्बन्धी धर्म या अधिक सम्भव है। मनु (४।१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य है जिसमें व्यक्ति गुरुगृह में रहकर विद्या-ध्ययन करता है, दूसरे भाग में यह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है और सन्तानोत्पत्ति द्वारा पूर्वजों के ऋण से तथा यज्ञ आदि करने देवों के ऋण से मुक्ति पाता है (मनु ५।१।६९)। अब व्यक्ति अपने सिर पर उजले बाल देखाता है तथा शरीर पर शूरियाँ देखाता है तब यह वानप्रस्थ (मनु ६।१-२) हो जाता है। इस प्रकार वन में जीवन का तृतीय भाग बिताने पर लघु भाग को सत्यासी के रूप में व्यतीत करता है। ऐसे ही नियम अन्य स्मृतियों में भी हैं।

'आश्रम' शब्द संहिताओं या ब्राह्मण-ग्रन्थों में नहीं मिलता। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि सूत्रों में पाये जानेवाले जीवन-भाग वैदिक काल में अज्ञात थे। हमने पहले ही देख लिया है कि 'ब्रह्मचारी' शब्द ऋग्वेद एवं धर्मवेद में पाया जाता है और ब्रह्मचर्य की चर्चा तैत्तिरीयसंहिता, शतपथब्राह्मण तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में हुई

है। स्पष्ट है, अति प्राचीन काल में भी ब्रह्मचर्य नामक जीवन-भाग प्रसिद्ध था। यही बात 'गृहस्य' के विषय में भी लागू होती है (ऋग्वेद २।१।२, १०।८।३६)। अग्नि को "हमारे गृह का गृहपति" कहा गया है। हाँ, 'वानप्रस्थ' के विषय में कोई भी स्पष्ट संकेत वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कुछ लोग ताण्ड्य महाब्राह्मण (१।४।७) के 'वैश्वानस' शब्द को 'वानप्रस्थ' का समानार्थक मानते हैं, जैसी कि सूत्रों में ऐसी बात है भी। यदि यह अनुमान ठीक है तो तीसरे आश्रम वानप्रस्थ की ओर भी वैदिक काल में परोक्ष रूप से संकेत मिल जाता है। सूत्रों एवं स्मृतियों में दणित चतुर्षु आश्रम में 'यति' की चर्चा प्राचीन वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है। ऋग्वेद (८।३।९) में 'यति' शब्द कई बार आया, है, किन्तु अर्थ सन्देहास्पद है। तैत्तिरीय संहिता (६।२।७।५), काठक संहिता (८।५), ऐतरेय ब्राह्मण (३।५।२), कौपीतकी उपनिषद् (३।१), अथर्ववेद (२।५।३), ताण्ड्य महाब्राह्मण (८।१।४) में जो यति शब्द आया है, सम्भवतः वह जिससे जाति-विशेष का सूचक है और है अनार्य तथा इन्द्र-विरोधी। यदि 'यति' एवं यातु शब्दों में कोई अर्थ-साम्य है तो सम्भवतः 'यति' जादूगर का सूचक हो सकता है।

ऋग्वेद (१०।१३६।२) में 'मुनि' का वर्णन हुआ है, जो गन्ध परिधान धारण विधे द्रष्टुं कहा गया है। ऋग्वेद (८।१।७।१४) में इन्द्र मुनियों का सखा कहा गया है। एक स्थान पर मुनि देवों का मित्र कहा गया है (ऋग्वेद १०।१३६।४)। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के काल में भी दृष्टि-सा जीवन बिताने वाले, ध्यान में मग्न, शरीर को सुखा देनेवाले लोग थे, जिन्हें मुनि कहा जाता था। सम्भवतः ऐसे ही व्यक्ति अनार्यों में यति कहे जाते थे। किन्तु 'मुनि' एवं 'यति' शब्द में आश्रम-सम्बन्धी कोई गन्ध नहीं प्राप्त होती। सम्भवतः आश्रम-सम्बन्धी संकेत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।११) में मिलता है, "मल से क्या लाभ, मृगचर्म से, दाढ़ी एवं तप से क्या लाभ ? हे ब्राह्मण, पुत्र की इच्छा करो, वह विश्व है जिसकी बड़ी प्रशंसा होगी . ।" 'इस श्लोक में प्रयुक्त 'अजिन' शब्द से, जिसका अर्थ 'मृगचर्म' है, ब्रह्मचर्य, 'श्मश्रुण' से वानप्रस्थ (गीतम ३।३३ एवं मनु ६।६ के अनुसार वानप्रस्थ को दाढ़ी, बाल, नाखून रखने चाहिए) की ओर संकेत है। अतः 'मल' एवं 'तप' को गृहस्य एवं सन्यासी का सूचक मानना चाहिए। छान्दोग्य-उपनिषद् (२।२।३।१) में स्पष्ट संकेत है कि धर्म के तीन विभाग हैं, जिनमें प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान में पाया जाता है (अर्थात् गृहस्थाश्रम), दूसरा तप (अर्थात् वानप्रस्थ) में और तीसरा ब्रह्मचारी में . । 'तप' तो वानप्रस्थ एवं परि-ब्राजक दोनों का लक्षण है। अतः उपर्युक्त वाक्य में तीन आश्रमों, अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की चर्चा है। सम्भवतः छान्दोग्योपनिषद् के काल तक वानप्रस्थ एवं सन्यास में कोई अन्तर नहीं था। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।५।२) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मंत्रिणी से कहा कि अब वे गृहस्थ से प्रव्रज्या धारण करने जा रहे हैं। मुण्डकोपनिषद् (१।२।११) में ब्रह्मज्ञानियों के लिए मिश्रादन की बात चलायी गयी है। इस उपनिषद् (३।२।६) ने सन्यास का नाम लिया है। जाबालोपनिषद् (४) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से सन्यास की व्याख्या करते द्रो कहा।

१. मुनयो वातरथानः पिशाङ्गा वसते मलाः। ऋग्वेद १०।१३६।२।

२. किं नृपसं किमजिनं किमु श्मश्रुणं किं तपः। पुत्रं ब्रह्मण इच्छथ्यं सर्वं मोक्षो वरावकः॥ मही 'मल' से सम्भवतः 'संभोग' की ओर संकेत है, 'तप' से वानप्रस्थ का तात्पर्य निकाला जा सकता है, (गीतम ३।३५, देजाततो यने मुलकलागी तपःशील), या इससे सन्यासी का संकेत समझा जा सकता है (मनु ६।७५ के अनुसार संजाती को दणित तपस्या करनी पड़ती है)।

३. त्रयो धर्मसंख्या धर्मोऽभ्ययनं धानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यदुरुचरती तृतीयोऽन्यतमा-श्रानमाचार्यकुलेऽसारायसंघं एते पुष्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति। छान्दोग्य ० २।२।१।

इसी उपनिषद् में चारों आश्रमों की व्याख्या भी पायी जाती है।^१ इतना स्पष्ट है कि आरम्भिक उपनिषदों के काल में कम-से-कम तीन आश्रम मंती विदित थे और जाबालोपनिषद् को चारों आश्रम अपने विशिष्ट नामों से ज्ञात थे। श्वेताश्वतरोपनिषद् (६।१२) में "अत्याश्रमिभ्यः" का प्रयोग हुआ है। वहाँ इस प्रकार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मज्ञानी श्वेतारवतर ने उन लोगों को, जो आश्रम-नियमों के ऊपर उठ चुके थे, ज्ञान दिया (अर्थात् ब्रह्मज्ञान का उद्घोष किया)।

विद्वानों के मत से पाणिनि का काल ई० पू० ३०० के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पाठसार्थ एव कर्मन्द-वृत्त निशु-सूत्रों का पता था और उन्होंने "भस्करी" का अर्थ "परिवाजक" लगाया है (पाणिनि ६।१।१५५)। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व मिश्रुओं का आश्रम स्थापित था। पालि-साहित्य के परिशीलन से पता चलता है कि बौद्धधर्म ने पञ्चज्जा (प्रवज्जा) की विधि ब्राह्मणधर्म से ही ग्रहण की थी।

मानव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य माने गये हैं—धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष, जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, यथा मुक्ति, अमृतत्व, निश्चय, कंवलय (साधुओं द्वारा) या अपवर्ग (न्यायसूत्र १।१।२)। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्बैर एव वंराण्य (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।१ या मुण्डकोपनिषद् १।२। १२) धारण करना चाहिए। भारतीय लेखकों ने अपने दिव्य दर्शन एव प्रकाश के अनुसार आश्रमों के सिद्धान्त एव व्यवहार के विषय में अपने मत दिये हैं। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति को अनुशासन एव सकल्प के अनुसार रहना पड़ता था, उसे शरीर काल के साहित्यिक मण्डार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था, उसे आशावर्जिता, आदर, सादे जीवन एव उच्च विचार के सद्गुण सीखने पड़ते थे। ब्रह्मचर्य के उपरान्त व्यक्ति विवाह करता था, गृहस्थ होता था, ससार के आनन्द का स्वाद लेता था, जीवन का उपभोग करता था, सन्तानोत्पत्ति करता था, अपनी सन्तानों, मित्रों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्य करता था, उपभोगी, परिश्रमी एव योग्य नागरिक होता था तथा एक कुल का सहायक होता था। ऐसा कहा गया है कि ५० वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर वह ससार के सुख एव वासनाओं की मूछ से ऊँच उठता था तथा वन की राह ले लेता था, जहाँ वह आत्म-निग्रही, तपस्वी एव निरपराध जीवन बिताता था। इसके उपरान्त सन्यास का आश्रम आता था। वह इसी जीवन में अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, या इसी प्रकार के कई जीवनो तक यह चलता जायगा, जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय।

वर्ण का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिए था, किन्तु आश्रम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए था। आर्य समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों, कर्तव्यों, स्वत्वों, उत्तरदायित्व एव कर्तव्यों की ओर सनेत्र करना वर्ण-सिद्धान्त का कार्य था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन को किस प्रकार ले चलाना है तथा अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में उसे क्या-क्या तैयारियाँ करनी हैं। निस्सन्देह, आश्रम-सिद्धान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। मले ही यह मंती विदित कार्यान्वित न की जा सकी, किन्तु इसके उद्देश्य बड़े ही महान् एव विराम्य थे।

चारों आश्रमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है—समुच्चय, विकल्प एव दाय। प्रथम पक्ष वाले कहते हैं कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है, अर्थात् सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, तब गृहस्थ और गृहस्थ के उपरान्त वानप्रस्थ और अन्त में सन्यास; ऐसा नहीं है कि कोई एक या अधिक आश्रम को छोड़कर किसी अन्य को अपना ले, या सन्यासी हो जाने पर पुनः गृहस्थ हो जाय (दश १।८-९, वेदान्तसूत्र ३।४।५०)। इस पक्ष के अनुयायी कोई

५. ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेन्ननी भूत्वा प्रव्रजेत्। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद् गृहात्वा वनत्वा। यवहरेव विरजेत्तवहरेव प्रव्रजेत्। जाबालोप० ४। देखिए बौधायनधर्मसूत्र २।१०।२ एवं १८।

ब्रह्मचर्य के उपरान्त तुरन्त सन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। मनु (४।१, ६।१, ३३-३७, ८७-८८) इसके प्रबल समर्थक हैं। इस पक्ष वाले विवाह एवं सम्भोग को अपवित्र एवं तप के लिए बुरा नहीं मानते, प्रत्युत विवाह एवं सम्भोग को तप-जीवन से उच्च मानते हैं। धर्मशास्त्रकारों में अधिकांश गृहस्थाश्रम को बहुत गौरव देते हैं और वानप्रस्थ एवं सन्यास को विशेष महत्व नहीं देते, कुछ ने तो वानप्रस्थ एस सन्यास को कलियुग के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। दूसरे पक्ष वाले ब्रह्मचर्य के उपरान्त विकल्प की बात करते हैं, अर्थात् अध्ययन के उपरान्त या गृहस्थाश्रम के उपरान्त परिभ्राजक हुआ जा सकता है। प्रथम पक्ष (समुच्चय) के स्थान पर यह विकल्प पक्ष जाबालोपनिषद् द्वारा रखा गया है (देविए अन्य सनेन, वसिष्ठ ७।३, लघु विष्णु २।१, याज्ञवल्क्य ३।५६)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२१।७-८ एवं २।१।२२।७-८) ने भी इस पक्ष का समर्थन किया है। बाध नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन धर्मसूत्रकारों ने किया है, यथा गौतम एवं बौधायन। इस मत से केवल एक ही आश्रम वास्तविक माना जाता है और वह है गृहस्थाश्रम (ब्रह्मचर्य केवल तैयारी मान है), अन्य आश्रम इससे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हैं (गौतम ३।१ एवं ३।५)। मनु (६।८९-९०, ३।७७-८०), वसिष्ठधर्मसूत्र (८।१४-१७), दस (२।५७-६८), विष्णुधर्मसूत्र (५९।२९) आदि गृहस्थाश्रम को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। याज्ञवल्क्य (३।५६) की टीका मिताक्षरा ने इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किया है और कहा है कि प्रत्येक मत को वैदिक समर्थन प्राप्त है तथा इनमें से कोई भी मत व्यवहार में लाया जा सकता है।

'आश्रम' शब्द 'श्रम' से बना है (आश्राम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रम) अर्थात् एवं ऐसा जीवन-न्तर जिसमें व्यक्ति खूब श्रम करता है।

अध्याय ९ विवाह

विवाह सस्वार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गयी है। विवाह-सम्बन्धी बहुत-से शब्द विवाह सस्कार के तथ्यों की ओर संकेत करते हैं, यथा उद्गाह (कन्या को उसके पितृ-गृह से उन्वता के साथ ले जाना), विवाह (विशिष्ट ऋग से कन्या को ले जाना या अपनी स्त्री बनाने को ले जाना), परिणय या परिणयन (अग्नि की प्रदक्षिणा करना), उपसम (सन्निवृत्त के जाना और अपना बना लेना) एवं पाणिग्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना)। यद्यपि ये शब्द विवाह-सस्वार का केवल एक-एक तथ्य बताते हैं, किन्तु शास्त्रों ने इन सबका प्रयोग किया है और विवाह-सस्वार के उत्सव के बतिपम कर्मों को इनमें समेट लिया है। तैत्तिरीय महिम्ना (७।२।८७) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (२।७।५) में 'विवाह' शब्द उल्लिखित है। ताण्ड्य महाब्राह्मण (७।१०।१) में आया है—“स्वर्गं एव पृथिवी मे पहले एवता थी, किन्तु वे पुष्य-पुष्यक् हो गये तब उन्होंने कहा— आओ हम लोग विवाह कर लें, हम लोगों में सहयोग उत्पन्न हो जाय।”

क्या विवाह सस्कार की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में असमन या अविधिकता थी? वैदिक ग्रन्था में इस विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। महामारत (आदिपर्व १२२।४,७) में पाण्डु ने कुन्ती से कहा है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ सगम के बाहर थी, जिस प्रकार चाहती मियून जीवन व्यतीत करती थी, एक पुरुष को छोड़कर अन्य को ग्रहण करती थी। यह स्थिति पाण्डु के काल में उत्तर कुश देश में विद्यमान थी। उद्दालक के पुत्र स्वतंत्रतु ने सर्वप्रथम इस प्रकार के असमनित जीवन के विरोध में स्वर ऊँचा किया और नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति असत्य होगा तो वह भयकर अपराध या पाप का अपराधी होगा। इस विषय में ताम्रायण (३।१।३७-३८) भी देखा जा सकता है। महामारत वाली कथा केवल कल्पना प्रयुक्त है। कुछ दिन पहले समाज-शास्त्रियों ने स्त्री-पुरुष में प्रारम्भिक असायमपूर्ण यौनिन जीवन की कल्पना कर ली थी, किन्तु अब यह धारणा उतनी मान्य नहीं है।

श्रुत्येव के मतानुसार विवाह का उद्देश्य या गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना (श्रुत्येव १०।८५।३६, ५।३।२, ५।२।८।३, ३।५।३।४)। पद्मपात्रालीन साहित्य में भी यही बात पायी जाती है। स्त्री को 'जाया' कहा गया है, क्योंकि पति ने पत्नी के गर्म से पुत्र के रूप में ही जन्म लिया (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।१)। शतपथब्राह्मण (५।२।१।१०) का कहना है कि पत्नी पति की आधी (अर्धमिनी) है, अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता, जब तक सन्तानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं है।^१ जब आपस्तम्बयमंमूत्र (२।५।१।१२) प्रथम

१. इमीं वं लोकीं सहास्तां तो विद्यन्तावभूतां विवाहं विवहावहे एहं नावस्तिवति। ताण्ड्य० ७।१०।१।
२. देतिए, धीमती एम० कोल वृत्त पुस्तक, —मैरेज, पास्ट एंड प्रेजेंट' पृ० १०।
३. अर्धो ह्य एव आरामनो यज्जाया तस्मादावज्जायांन विद्यते नंब तावत्प्रजायते अर्थात् हि तावत् भवति। अथ यद्वयं जायां विन्यतेष्य तर्हि हि सर्वो भवति। शतपथ ब्राह्मण ५।२।१।१०। और देतिए शतपथ ब्राह्मण

पत्नी के गर्भवती होने के कारण दूसरी पत्नी ग्रहण करने तथा धार्मिक कृत्य करने को मना करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) पत्नी पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा (२) यह पुत्र या पुत्रों की माता होती है और पुत्र ही नरक से रक्षा करते हैं। मनु (१।२८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, धार्मिक कृत्य, सेवा, सर्वोत्तम आनन्द (परमानन्द), अपने तथा अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति निर्भर रहती है। अतः स्पष्ट है कि धर्मसम्पत्ति, प्रजा (तथा इसके फलस्वरूप नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (यौनिक तथा अन्य स्वामाविक आनन्दोत्पत्ति) ये तीन विवाह-सम्बन्धी प्रमुख उद्देश्य स्मृतियों एवं निबन्धों में माने हैं। यही बात याज्ञवल्क्य (१।७८) में भी देखने को मिलती है। जैमिनि (६।१।१७) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१।१६-१७) ने पत्नी के महत्व पर प्रकाश डाला है।

अच्छे वर के लक्षण क्या हैं? वर का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए? आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।२) का कहना है कि बुद्धिमान् वर को ही कन्यादान करना चाहिए। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।२०) के अनुसार अच्छे वर के लक्षण हैं अच्छा कुल, सत् चरित्र, दाम गुण, ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य। अन्य बातों के लिए देखिए बोधायनधर्मसूत्र (४।१।१२), यम (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ७८)। शाकुन्तल ना० (४) में भी वर के गुणों की ओर संकेत दिया गया है। यम ने वर के लिए सात गुण गिनाये हैं, यथा कुल, शील, यश, धन, विद्या, धन एवं सनायता (सम्बन्धी एक मित्र लोगों का आलम्बन)। बृहत्पारार ने आठ लक्षण कहे हैं—जाति, विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, अन्य लोगों का आलम्बन, अमिकाशा (अपित्त) एवं धन। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।१) ने कुल को सर्वोपरि स्थान दिया है। ऐसा ही मनु (४।२।४४ एवं ३।६।७) ने भी कहा है। मनु ने दस प्रकार के कुलों से सम्बन्ध जोड़ने को मना किया है, यथा जहाँ सस्वार न किये जाते हो, जहाँ पुत्रोत्पत्ति न होती हो, जहाँ वेदाध्ययन न होता हो, जिसके सदस्यों के शरीर पर केश अधिक मात्रा में हो, जिसमें लोग बवासीर या क्षयरोग या अजीर्ण या मिर्गी या गलित या दुष्प कुष्ठ से पीड़ित हो। और भी देखिए मनु (२।२।३८, ३।६।३-६५), हर्षचरित (४), याज्ञवल्क्य (१।५।४-५५)। कात्यायन ने वर के दोष इस प्रकार बताये हैं, यथा पागलपन, पाप (अपराध), कुष्ठता, नपुंसकता, स्वगोत्रता, अध्यापन बहिष्करण, अपस्मार (मिर्गी)। कात्यायन ने कन्या के लिए भी ये ही बातें कही हैं। कात्यायन की तालिका वर एवं कन्या दोनों पक्षों

८।७।२।३। अर्धों वा एव आत्मनो यत्पत्नी। संतिरीय संहिता में भाषा है (६।१।८।५) १, तस्मात् पुत्रयो जायं विस्वा वृत्स्तनतरमिवावमानं मन्यते। ऐतरेय ब्राह्मण १।२।५; न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणो गृहमुच्यते। दान्तिपर्व १४।४। ६६; अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सत्ता। भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तद्विद्यत ॥ आदिपर्व ७४।४०; आम्नाये स्मृतिग्रन्थे च लोकाचारे च गुरिभिः। शरीरार्थं स्मृतः भार्या पुण्यापुण्यफले सप्ता ॥ बृहस्पति (अपराध) द्वारा उद्धृत, पृ० ७४०)।

४. बुद्धिमते भर्ता प्रयच्छेत। आश्व० गृ० १।५।२; दद्याद् गुणयते कन्यां नग्निषां ब्रह्मचारिणो। शी० प० ४।१।२०; बन्धुशीलक्षणसपन्नः धृतवानरोग इति वरसपत्। आप० गृ० (१।३।२०); गुणयते कन्यका प्रतिपादनीयेत्यर्थं तावत्प्रथमः संकल्पः। शाकुन्तल (४); कुलं च शीलं च वपुर्धारा च विद्यां च वित्तं च सत्यपत्तां च। एतान्गुणान् सप्त परीक्ष्य देवो कन्यां बुधैः शोपमविन्मनीषम् ॥ यम (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० ७८)।

५. जन्मतः पतितः कुष्ठो तथा शष्पः स्वगोत्रजः। चक्षुःश्रोत्रबिहीनश्च तथापस्मारदूषिताः। वररोगाः स्मृता ह्येते कन्यादोषाश्च कीर्तिताः। स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ५९; जन्मतः पतितः कर्त्तव्यो बुधैः शोपमविन्मनीषकः ॥ कन्यादोषो च यो पूर्वविद्य शोपगणो वरे ॥ नारद (श्रीपुस्तयोग, ३७)।

के लिए समान है। महाभारत में बराबर धन, बराबर विद्या पर विरोध बल दिया गया है (आदिपर्व १३१।१०, उद्योगपर्व ३३।११७)।

यद्यपि मनु एव याज्ञवल्क्य ने नपुंसको को विवाह के लिए अयोग्य ठहराया है, किन्तु ऐसे लोग कभी-कभी विवाह कर लेते थे। मनु, याज्ञवल्क्य एव अन्य लोगों ने इनके विवाह को न्यायानुकूल माना है और इनके (नियोग से उत्पन्न) पुत्रों को औरस पुत्रों के समान ही धन-सम्पत्ति का अधिकारी माना है। देखिए मनु (१।२०३) एव याज्ञवल्क्य (२।१४१-१४२)।

कन्या के चुनाव के विषय में भी बहुत-सी बातें बही गयी हैं, किन्तु उपर्युक्त बातों और इन बातों में बहुत समानता पायी जाती है, यथा कुल, रोग आदि विषयों में (देखिए कृतिष्ठ १।३८, विष्णुधर्मसूत्र २।४।११, कामसूत्र ३।१।१)।^१ शतपथब्राह्मण (१।२।५।१६) ने बड़े एव चौड़े नितम्बों एव कटियों वाली कन्याओं को आकृष्ट करने वाली कहा है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१।३) ने ऐसी कन्या के साथ विवाह करने को कहा है जो बुद्धिमती हो, सुन्दर हो, सन्धिरिज हो, शुभ लक्षणों वाली हो और हो स्वस्थ। शाखायनगृह्यसूत्र (१।५।६), मनु (३।४) एव याज्ञवल्क्य (१।१२) ने कहा है कि कन्या को शुभ लक्षणों वाली होना चाहिए और उनके अनुसार शुभ लक्षण दो प्रकार के हैं, यथा बाह्य (शारीरिक लक्षण) एव आन्तरिक। मनु (३।८ एव १०) एव विष्णुधर्मसूत्र (२।४।१२-१६) के अनुसार पिगल बालों वाली, अतिरिक्त अंगों वाली (यथा छ अंगुलियों वाली), टूटे-पूटे अंगों वाली, बातूनी, पीली आँखों वाली कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए निर्दोष अंगों वाली, हस या गज की भाँति चलने वाली से, जिसके शरीर में (गिर या अन्य अंगों पर) बाल छोटे हो जिससे दाँत छोटे-छोटे हो, जिसका शरीर कोमल हो, उससे विवाह करना चाहिए। विष्णु-पुराण (३।१०।१८-२२) का कहना है कि कन्या के अपर या चिबुक पर बाल नहीं होने चाहिए, उसका स्वर कौए की भाँति कर्बंश नहीं होना चाहिए उसके घूटनी एव पींवी पर बाल नहीं होने चाहिए, हँसने पर उसके गालों में गहरे नहीं पड़ने चाहिए उसका कद न तो बहुत छोटा हो और न बहुत लम्बा होना चाहिए। मनु (३।९) एव आपस्तम्ब गृह्यसूत्र (३।१३) का कहना है कि विवाहित होनेवाली कन्या का नाम धाद्र नक्षत्र वाला, यथा—रेवती, आर्द्रा आदि, वृशो या मृगशिरा वाला नहीं होना चाहिए, उसका श्लेच्छ नाम, पर्वत, पशु, सर्प, दासी आदि का नाम नहीं होना चाहिए। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१४) एव कामसूत्र (३।१।३) के मत से उस कन्या से जिसके नाम में अन्त में र या ल हो, यथा—गौरी, कमला आदि विवाह नहीं करना चाहिए। इस विषय में देखिए नारद (स्त्रीपुत्रयोग, ३६), आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१।१-१२) एव मार्कण्डेयपुराण (२।४।७६-७७)।

भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।११) के अनुसार कन्या से विवाह करते समय चार बातें देखनी चाहिए, यथा धन, सौन्दर्य, बुद्धि एव कुल। यदि चारों गुण न मिलें तो धन की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, और उसके उपरान्त सौन्दर्य की भी, किन्तु बुद्धि एव कुल में जिसको महत्ता दी जाय, इस विषय में मतभेद है। किसी ने बुद्धि को और किसी ने कुल को महत्तर माना है। मानवगृह्यसूत्र (१।७।६-७) ने पाचवीं विवाह-कारण भी माना है, अर्थात् विद्या, और इसे सौन्दर्य ने उपरान्त तथा प्रज्ञा ने पूर्व स्थान दिया है।

कन्या के चुनाव में आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।३), गोमिलगृह्यसूत्र (२।१।४-९), लीगाशिवगृह्यसूत्र (१।४।

६ सत्मातर-यामभिजिनोपैतां मातापितृमतीं त्रिवर्धात्प्रभृति न्यूनवयस इलाप्याचारे धनवति पशवति कुले सत्बन्धिप्रिये सत्बन्धिभिराकुले प्रभृतां प्रभृतमतापितृपक्षां रूपशीलसलक्षणसंप्रभामन्भूताधिक्वाविनष्टतनसत्कथनेना-शित्तनीमरीगेप्रकृतिसारीरं तथाविय एव भृतवाम् वीलयेत्। कामसूत्र ३।१।२।

४-७), वाराहगृह्यसूत्र (१०), भास्करगृह्यसूत्र (११११), मानवगृह्यसूत्र (१।७।९-१०) आदि ने लम्बी चौड़ी कन्य-नात्मक बातें कही हैं, जिन्हें स्थानान्तर से यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), मानवगृ० (१।७।८), याज्ञवल्क्य (१।५२) एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि कन्या घर से अवस्था भ छोटी (यवोयसी) होनी चाहिए। कामसूत्र (३।१।२) तो उसे कम-से-कम तीन वर्ष छोटी मानने को तैयार है। विवाह के योग्य अवस्था क्या है, इस पर हम आगे लिखेंगे।

गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), याज्ञवल्क्य (१।५२), मनु (३।४ एवं १२) तथा अन्य लोगों के मत से दशत-यौनि तथा समान जाति वाली से ही विवाह करना चाहिए। विधवा-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह वहाँ तब आदे-शित था, इस पर आगे विचार किया जायगा।

मानवगृह्यसूत्र (१।७।८), मनु (३।११) एवं याज्ञवल्क्य (१।५३) ने लिखा है कि कन्या भ्रातृहीन नहीं होनी चाहिए। इस मत के पीछे एक लम्बा इतिहास पाया जाता है, यद्यपि यह आवश्यकता आज किसी रूप में मान्य नहीं है। ऋग्वेद (१।१२४।७) में आया है—“जिस प्रकार एक भ्रातृहीन स्त्री अपने पुत्र-सम्बन्धी (पिता के कुल) के यहाँ लौट आती है, उसी प्रकार उपा अपने सौन्दर्य की अमिव्यक्ति करती है।” अथर्ववेद (१।१७।१) में हम पढ़ते हैं—“भ्रातृहीन स्त्रियों के समान उन्हें गौरवहीन होकर बैठे रहना चाहिए।” निरुक्त (३।४।५) ने दोनों वैदिक उक्तिों की व्याख्या की है। प्राचीन काल में पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्र मानता था और उसके विवाह के समय घर से यह तय कर लेता था कि उससे उत्पन्न पुत्र उमका (लड़की के पिता का) हो जायगा और अपने नाना को पुत्र के समान ही पिण्डदान देगा। इसका प्रतिफल यह होता था कि इस प्रकार की लड़की का पुत्र अपने पिता को पिण्डदान नहीं करता था और न अपन पिता के कुल को चलाने वाला होता था। इसी से भ्रातृहीन लड़की को दुलहित बनाना उसे दूसरे रूप में पति के लिए न प्राप्त करना होता था। ऐसी भ्रातृहीन लड़कियों के अपने पिता के घर में ही बूढ़ी हो जाने की बात ऋग्वेद में कही है (ऋ० २।१७।७)। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।१६) ने ऋग्वेद (१।१२४।७) की उद्धृत किया है। भ्रातृहीन पुत्री को पुत्रिका कहा गया है, क्योंकि उसका पिता उसके होनेवाले पति से यह तय कर लेता है कि उससे उत्पन्न पुत्र उसको (पिता को) पिण्डदान देनेवाला हो जायगा। इसी से मनु (३।११) ने भ्रातृहीन लड़की से विवाह करने को मना किया है, क्योंकि उसके साथ यह भय रहता था कि उत्पन्न पुत्र से ह्राय घी लेना पड़ेगा। मध्य काल में यह प्रतिबन्ध उठ-सा गया, और आज तो बात ही दूसरी है। वर्तमान काल में भ्रातृहीन कन्या वरदान रूप में मानी जाती रही है, विधेयता जब उसका पिता बहुत ही धनी हो। पश्चात्कालीन साहित्य में ऐसा पाया जाने लगा कि बिना विवाह के कोई लड़की स्वर्ग नहीं जा सकती (महाभारत, शल्यपर्व, अध्याय ५२)।

विवाह के विषय में अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। ऐसा नियम था कि अपनी ही जाति की लड़की से विवाह हो सकता है। इस प्रकार के विवाह को अग्रजी में 'इण्डोनेमी' कहा जाता है। विन्तु एक ही विद्याल जाति के भीतर कई दल हो जाते हैं, जिनमें कुछ दलों के लोग कुछ दलों से विवाह-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते। इस प्रथा को अग्रजी में 'एक्सो-नेमी' कहा जाता है। हिरण्यनेरिगृह्यसूत्र (१।१९।२), गोमिल० (३।४।४) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।५) ने कहा है कि अपने ही गोत्र से कन्या नहीं चुनी जानी चाहिए। विन्तु समान प्रवर के विषय में ये मोन है। गौतम (४।२),

७. अथर्ववेद मुंस एति प्रतीची गर्तागिब सनये धनानाम्। कायेव पत्य उयानी मुयाता उपा ह्रयेव निरिणीते
अन्तः॥ ऋ० १।१२४।७। संस्कारप्रकीर्ण (९० ७४७) ने इस वैदिक सत्र को, इस पर धासक की निरदत-व्याख्या को तथा वसिष्ठ को उद्धृत किया है।

वसिष्ठधर्मसूत्र (८।१), मानवगृह्यसूत्र (१।७।८), वाराहगृह्यसूत्र (९), शाल्यधर्मसूत्र ने समान प्रवर वाली कन्या से विवाह अनुचिन्तित करवाया है।^१ कुछ गृह्यसूत्र, यथा आश्वलायन, पारस्कर गोत्र एव प्रवर की समता के विषय में एक शब्द नहीं कहते, यह एक विचित्र बात है। किन्तु विष्णुधर्मसूत्र (२।४।९), वैश्वानर (३।२), याज्ञवल्क्य (१।५३), नारद (श्रीशुभ, ७), व्यास (२।२) तथा अन्य लोगों ने समान गोत्र एव समान प्रवर वाले लोगों में विवाह-सम्बन्ध मना कर दिया है। गोमिन् (३।४।५), मनु (३।५), वैश्वानर (३।२) एव आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।१६) के मत से कन्या सपिण्ड नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उसे वर की माता या सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, किन्तु शौतम (४।२), वसिष्ठ (८।२) विष्णुधर्मसूत्र (२।४।१०), वाराह गृ० (९), शाल्यधर्म०, याज्ञवल्क्य (१।५३) तथा अन्य लोग सात पौढ़ियों के उपरान्त पिता की ओर तथा पाँच पीढ़ियों के उपरान्त माता की ओर सपिण्ड में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखते। व्यास-स्मृति में न बवल सगोत्र विवाह मना किया है, बल्कि उस कन्या से भी, जिसकी माता तथा वर के गोत्र में समानता हो, विवाह करना मना किया है।

सगोत्र, सप्रवर या सपिण्ड विवाह पर ओ प्रतिबन्ध लगाये गये उसने कारण थे। पूर्वमीमांसा का एक नियम है कि यदि कोई दृष्ट या जानन योग्य कारण हो और यदि उसका उल्लंघन कर दिया जाय तो प्रमुख कार्य अवैध (२६) नहीं हो पाता, किन्तु यदि कोई अदृष्ट कारण हो और उसका उल्लंघन हो जाय तो प्रमुख कार्य की वैधता की समाप्ति हो जा सकती है। रोगी या अधिक या कम अंग वाली कन्या से विवाह न करने के नियम का कारण दृष्ट है और ऐसा विवाह दुःख और आलोचना का विषय बन जाता है। यदि ऐसी कन्या से कोई विवाह करे तो वह विवाह पूर्ण रूप से वैध माना जाता है। किन्तु सगोत्र एव सप्रवर कन्या के साथ विवाह न करने का कारण अदृष्ट है और यदि ऐसा सम्बन्ध हा जाय तो यह विवाह विवाह नहीं कहा जा सकता। अतः यदि कोई किसी सगोत्र, सप्रवर या सपिण्ड कन्या से विवाह करे तो वह कन्या नियमपूर्वक उसकी पत्नी नहीं हो सकती। सगोत्र, सप्रवर एव सपिण्ड पर विस्तार से आगे लिखा जायगा।

अब पुरुष एव स्त्री की विवाह-अवस्था पर विवेचन उपस्थित किया जायगा। इस विषय में इतना जान लेना आवश्यक है कि सभी बालों में, मित्र-मित्र शत्रुओं एव मित्र-मित्र जातियों में विवाह-अवस्था पृथक्-पृथक् मानी जाती रही है। पुरुष के लिए कोई निर्दिष्ट अवधि नहीं रखी गयी। पुरुष यदि चाहे तो जीवन भर अविवाहित रह सकता था, किन्तु मध्य एव वर्तमान काल में लड़कियों के लिए विवाह अनिवार्य रूप से मान्य रहा है। वेदाध्ययन के उपरान्त पुरुष विवाह कर सकता था, यद्यपि वेदाध्ययन की परिसमाप्ति की अवधियों में विभिन्नताएँ रही हैं; यथा—१२, २४, ३६, ४८ या उतने वर्षे जिनमें एक वेद या उसका कोई अंग पढ़ लिया जा सके। प्राचीन काल में बहुधा १२ वर्षे तक ब्रह्मचर्य चलता था और ब्राह्मणों का उपनयन-संस्कार ८वें वर्ष में होता था, अतः ब्राह्मणों में २० वर्ष की अवस्था विवाह के लिए एव सामान्य अवस्था मानी जानी चाहिए। मनु (९।९४) के मत से ३० वर्ष का पुरुष १२ वर्ष की लड़की से या २४ वर्ष का पुरुष ८ वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। इती के आधार पर विष्णुपुराण ने कन्या एव वर की विवाह-अवस्थाओं का अनुपात १।३ रखा है।^१ अगिरा के मत से कन्या वर से २, ३, ५ या अधिक वर्ष छोटी हो सकती

८. आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११-१६) पर हरदत्त ने श्लोक को इस प्रकार उद्धृत किया है—वाराणाहरेत् सवृशानसमा राययोगसम्बन्धा राससामयवमात्पितृमातृगण्युभयम्। 'अप्येयं', 'आयं' एव 'प्रवर' का अर्थ एक ही है। सप्रवर कन्या के साथ विवाह-सम्पादन के विषय में मनु भीग हैं।

९. धर्मवेदगुणा भार्यामुद्देशेत् त्रिगुणं स्वयम्। विष्णुपुराण ३।१०।१६; द्योतिकां नोप्यच्छेद् शीर्षा कन्या

है। महाभारत (आश्वमेधिकपर्व ५६।२२-२३) में एक स्थल पर यह आया है कि वर की अवस्था १६ वर्ष की होनी चाहिए, और गौतम अपनी कन्या का विवाह उत्तक से करने की तैयार है यदि उत्तक की अवस्था १६ वर्ष की हो। समा-पर्व (६४।१४) एव वनपर्व (५।१५) में एक ऐसी लड़की की उपमा दी गयी है जो ६० वर्ष के पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों ६० वर्ष के पुरुष से भी कन्या का विवाह सम्भव था। महाभारत (अनुशासन-पर्व ४४।१४) में वर एव कन्या की विवाह-अवस्थाएँ क्रम से ३० तथा १० या २१ तथा ७ हैं, किन्तु उदाहृतत्व (पृ० १२३) एव श्रौतपदार्थनिर्वचन (पृ० ७६६) में महाभारत को उद्धृत कर लिखा है कि ३० वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है (किन्तु यहाँ 'षोडश-वर्षाम्' के स्थान में 'दश-वर्षाम्' होना चाहिए, 'षोडशवर्षाम्' मुद्रण-अशुद्धि है)।

ऋग्वेद में विवाहावस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता, किन्तु कन्याएँ अपेक्षाकृत बड़ी अवस्था प्राप्त होने पर ही विवाहित होती थी। ऋग्वेद (१०।२७।१२) में आया है कि जब कन्या सुन्दर है और आमूषित है तो वह स्वयं पुरुषों के झुण्ड में से अपना मित्र ढूँढ लेती है। इससे स्पष्ट है कि लड़कियाँ इतनी प्रौढ़ होने पर विवाह करती थी, जब कि वे स्वयं अपना पति चुन सकें। विवाह-मन्त्रों (ऋग्वेद १०।८५।२६-२७, ४६) से पता चलता है कि विवाहित लड़कियाँ बन्वी-पत्नियाँ नहीं, प्रत्युत प्रौढ़ होती थीं। एक ओर यह भी पता चलता है कि नासत्यो (आश्विनौ) ने उस विमद को एक स्त्री दी जो अमी अमंग (कम अवस्था का) था। किन्तु यहाँ पर विमद को अन्य राजाओं की अपेक्षा कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्वेद की दो ऋचाओं (१।१२६।६-७) से पता चलता है कि लड़कियाँ युवा होने के पूर्व विवाहित होती थीं। ऋग्वेद (१।५१।१३) में एक स्थान पर ऐसा आया है कि इन्द्र ने बृहदे वशीवान् को वृचया नामक स्त्री दी जो अर्मा (बन्वी) थी। किन्तु 'अर्मा' शब्द केवल 'महते' के विरोध में प्रयुक्त हुआ है। 'महते' शब्द का अर्थ है बड़ा जो वशीवान् के लिए प्रयुक्त हुआ है और किसी निश्चित अवस्था का द्योतक नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में कन्याएँ किसी भी अवस्था में (युवा होने के पूर्व या उपरान्त) विवाहित हो सकती थीं और कुछ जीवन भर अविवाहित रह जाती थीं। अन्य महिताएँ एव बाह्यगमन्य विवाह-अवस्था पर कोई प्रकाश डालते दृष्टिगोचर नहीं होते। छान्दोग्योपनिषद् में कहा गया है कि उपस्ति पात्रायण कुरु देश में अपनी पत्नी के साथ रहते थे जो 'आटिकी' (राजराचार्य के अनुसार अविवाहित कन्या) थी।

गृह्यसूत्रों एव धर्मसूत्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि लड़कियाँ युवावस्था के बिल्कुल पास पहुँच जाने या उसके प्रारम्भ होने के उपरान्त ही विवाहित हो जाती थीं। हिरण्यवेदि० (१।१९।२), गोमिल० (३।४।६), मानव० (१।७।८), वसिष्ठ (६।१२) में अन्य लक्षणों के साथ चुनी जाने वाली कन्या का एक लक्षण 'नमिका' कहा है। टीकाकारों ने 'नमिका' की कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। मातृदत्त ने हिरण्यवेदि की व्याख्या में 'नमिका' को ऐसी कन्या कहा है जिसका भासिक धर्म बिलकुल सन्निकट है अर्थात् जो समोग के योग्य है। मानवगृह्यसूत्र के टीकाकार अष्टावक्र के मत से 'नमिका' वह कन्या है जिसने अमी जवानी की भावनाओं की अनुमति नहीं की है। उन्होंने एक अर्थ यह बताया है—'नमिका वह है जो बिना परिधान के भी सुन्दर लगे। गृह्यप्रबन्ध ने इसे अयुवा कन्या का बोधक माना है।' वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।७०) के मत से नमिका शब्द अयुवा का द्योतक है।

स्यदेहत । स्ववर्षाव् द्वित्रिपञ्चाद्विभूमौ कन्यां समुद्देह् ॥ प्रगिरा (स्मृतिमुक्ताफल में उद्धृत, वर्णाश्रमधर्म, पृ० १२५)।

१०. ताभ्यामनुज्ञानो भार्यामुपपच्छेत् सभारतां नमिकां बह्वचारिणीमसगोत्राम् । हिरण्य० १।१९।२; धर्म० १५

एक अन्य महत्वपूर्ण सन्नेत यह है कि अधिकांश गृह्यसूत्रों के मत से विवाहित व्यक्तिपुत्रों को विवाह के उपरान्त यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम तीन रातों तक समोग से दूर रहना चाहिए। पारस्करगृह्यं (१।८) के मत से विवाहित जोड़े को तीन रातों तक क्षार एव लवण नहीं खाना चाहिए, पृथ्वी पर ध्यान करना चाहिए; वर्ष भर, १२ रातों तक, ६ रातों तक या कम-से-कम ३ रातों तक समोग नहीं करना चाहिए (वेदिए आश्वलायन० १, ८।१०, आपस्तम्बगृ० ८।८-९, शांखायन० १।१७।५, मानव० १।१४।१४, वाङ्म० ३०।१, सादिरगृ० १।४।९ आदि)। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गृह्यसूत्र-काल में कन्या का विवाह युवती होने पर किया जाता था, नहीं तो समोग विस प्रवार सम्भव हो सकती था जैसा कि वाम-से-कम तीन रातों के प्रतिबन्ध से प्रकट हो जाता है। लगभग १२वीं शताब्दी के धर्मशास्त्रकार हरदत्त ने भी स्वीकार किया है कि उनके समय में विवाह के उपरान्त समोग आरम्भ हो जाता था, अर्थात् उन दिनों कन्या के विवाह की अवस्था कम-से-कम १४ वर्ष की थी।

अधिकांश गृह्यसूत्रों में एक निया का वर्णन है जिसे चतुर्थीकर्म कहते हैं। यह क्रिया विवाह के चार दिनों के उपरान्त सम्पादित होती है (देविए गोमिल २।५, शांखायन १।१८-१९, सादिर १।४।१२-१६, पारस्कर १।११, आपस्तम्ब ८।१०-११, हिरण्यकेशि १।२३-२४ आदि)। इसे हमने बहुत पहले उल्लिखित किया है और यह पश्चात्कालीन बर्मापान का द्योतक है। विवाह के चार दिनों के उपरान्त के समोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों युवती कन्याओं का विवाह सम्पादित होता था।

कुछ गृह्यसूत्रों में ऐसा वर्णन आया है कि यदि विवाह की दिग्गात्रों के बीच में कमी भासिक धर्म प्रवृत्त हो जाय तो प्रायश्चित्त करना चाहिए (देविए बोधायन० ४।१।१०, कौटिल्यसूत्र ७।१।१६, ब्रह्मसंहिता ६।१३, अत्रि)। इससे भी प्रकट होता है कि विवाह के समय लड़कियाँ जवान हो चुकी रहती थीं।

गीतम (१।८।२०-२३) के अनुसार युवती होने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर पाप लगता है। कुछ लोगों का बहना है कि परिधान धारण करने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के योग्य लड़की यदि पिता द्वारा न विवाहित की जा सके तो वह तीन मास की अवधि पार करके अपने मन के अनुकूल कल्पहीन पति का वरण कर सकती है और अपने पिता द्वारा दिये गये आश्रयण छोड़ सकती है। उपर्युक्त कथन से विदित होता है कि गीतम के पूर्व (लगभग ईसापूर्व ६००) में कुछ लोग ये जो छोटी अवस्था में कन्याओं का विवाह कर देते थे। गीतम ने इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है और युवती होने के पूर्व कन्या के विवाह की बात पलायी है एव यहाँ तक कहा है कि युवती हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करने में असक्त हो तो स्वयं कन्या अपना विवाह रच सकती है। युवती होने के उपरान्त विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप नहीं लगता। हाँ, माता या पिता को कन्या के युवती होने के पूर्व विवाह न कर देने पर पाप लगता है। मनु (९।८९-९०) ने लिखा है कि एक युवती भले ही जीवन भर अपने पिता के घर में अधिवाहिता रह जाय, किन्तु पिता को चाहिए कि वह उसे सद्-गुणविहीन व्यक्ति से विवाहित न करे। लड़की युवती हो जाने के उपरान्त तीन वर्षों तक जोहकर (इस बीच में वह अपने पिता या भाई पर विवाह के लिए मरौसा करेगी) अपने गुणों के अनुरूप वर का वरण कर सकती है। यही

‘नमिनकापासप्रार्तवाम्।...सत्याग्रजविभ्रंषणाहं नमिनकः संयुताहैत्यर्षः, मातृवत्स; ‘कन्यमती कन्यामस्वष्ट-
संयुतामयस्वष्टेत...सर्वोयती नमिनकं श्रेष्ठाम्।’ धानव० (१।७।८)। नमिनका तु वदेत्कन्यां पावप्रसुमती भवेत्।
श्रुतमती त्वनमिनका तां प्रवच्छेत्सु नमिनकाः॥ अगत्या रजतो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी। अर्घ्यजिता भवेत्कन्या
शुचहीना च नमिनका॥ गृह्यसप्र॥

बात अनुशासनपर्व (४४।१६), ब्रौघायनधर्मसूत्र (४।१।१४) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।६७-६८) में भी पायी जाती है। किन्तु अन्तिम दोनो धर्मसूत्रों (वसिष्ठ० १७।७०-७१ एवं ब्रौघायन ४।१।१२) ने यह भी कहा है कि अविवाहित कन्या रहने पर पिता या अभिभावक कन्या के प्रत्येक मासिक धर्म पर धर्म गिराने के पाप का मागी होता है। यही नियम याज्ञवल्क्य (१।६४) एवं नारद (स्त्रीपुत्र, २६-२७) में भी पाया जाता है। इसी कारण कालान्तर में एक नियम-सा बन गया कि कन्या का विवाह पीछे हो जाना चाहिए, भले ही वर गुणहीन ही क्यों न हो (मनु ९।८९ के विरोध में भी)। इस विषय में देखिए ब्रौघायनधर्मसूत्र (४।१।१२ एवं १३)।^१

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि लगभग ई० पू० ६०० से ईसा की आरम्भिक शताब्दी तक युवती होने के कुछ मास इधर या उधर विवाह कर देना किसी गृहवर्दी का सूचक नहीं था। किन्तु २०० ई० के लगभग (यह बही काल है जब कि याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयन हुआ था) युवती होने के पूर्व विवाह कर देना आवश्यक-सा हो गया था। ऐसा क्यों हुआ, इस पर प्रकारा नहीं मिलता। सम्भवतः यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। इन शताब्दियों में बौद्ध धर्म का पर्याप्त विस्तार हो चुका था और साधु-साधुनियों अर्थात् मिथु निशुणियों की सत्याजो की स्थापना के लिए धार्मिक अनुमति-सी मिल चुकी थी। मिथुणियों के नैतिक जीवन में पर्याप्त ढीलापन आ गया था। दूसरा प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश में कन्याओं का पठन-पाठन बहुत कम हो गया था, यद्यपि कुछ कन्याएँ अब भी (अर्थात् पाणिनि एवं पतञ्जलि के कालों में) विद्याध्ययन करती थीं। ऐसी स्थिति में अविवाहित कन्याओं को अकारण निरर्थक रूप में रहने देना भी समाज को मान्य नहीं था। ऋग्वेद (१०।८५।४०-४१) के समय से ही एक रहस्यात्मक विस्वास चल आ रहा था कि सोम, गन्धर्व एवं अग्नि कन्याओं के देवी अभिभावक हैं और गृह्यसप्तह (गोमिल्गू० ३।४।६ की व्याख्या में उद्धृत) का कहना था कि कन्या का उपभोग सर्वप्रथम सोम करता है, जब उसके कुछ विकसित हो जाते हैं तब उसका उपभोग गन्धर्व करता है और जब वह ऋतुमती हो जाती है तो उसका उपभोग अग्नि करता है। इन कारणों से समाज में एक धारणा घर करने लग गयी कि कन्या के अगा में किसी प्रकार का परिवर्तन होने के पूर्व ही उसका विवाह कर देना श्रेयस्कर है। सर्वतः (६४ एवं ६७) ने भी यही अभिप्रेक्षित दी है।^१ एक विशिष्ट कारण यह था कि अब कन्याओं के लिए विवाह ही उपनयन-संस्कार माना जाने लगा था, क्योंकि उपनयन के लिए आठ वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, अतः वही अवस्था कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी। यह भी एक विश्वास-सा हो गया कि अविवाहित रूप में मर जाने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। महाभारत में शल्यपर्व (५२।१२) में एक कन्या के विषय में एक दारुण कथा यो है—कुण्डि गर्ग की कन्या ने कठिन तपस्याएँ की और इस प्रकार बुढ़ापे को प्राप्त हो गयी, तथापि नारद ने यह कहा कि वह अविवाहित रूप से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती। उस नारी ने गात्र बुरल के शृगवान् श्रुति से मृत्यु के एक दिन पूर्व विवाह कर लेने की प्रार्थना इस शर्त पर की कि वह उसे अपनी तपधर्मों में

११. दद्यात् गुणवते कन्यां ननिवर्त्ता ब्रह्मचारिणीम् । अपि वा गुणहीनाय नोपेक्ष्याद्ब्राह्मणत्वलात् ॥ अविद्यमाने सप्तदशे गुणहीनमपि यपेत् ॥ ब्रौघायनधर्मसूत्र ४।१।१२ एवं १५।^१

१२. रोदकाले तु सप्रान्ते सोमो भुक्तेऽप्य कन्ययात् ॥ रजो बुद्ध्या तु पापयां कुर्वी बुद्ध्या तु पापक ॥ ... तस्मात् विवाहोपेतकन्यां दावप्रवृत्ती भवेत् ॥ विवाहो ह्यष्टवर्षीया कन्यायास्तु प्रारभ्यते ॥ सवर्त, शतके ६४ एवं ६७ (स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत, भाग १, पृ० ७९, तथा चण्देवरहित गृह्यसप्तहकर, पृ० ४६)। स्त्रीशामनयनयनयाना-पन्नो विवाह इति तदुचितवर्षायां विवाहस्योचितत्वात् ॥ सत्कारवैशुम्भ, पृ० ६९९; विवाह ब्रौघायन स्त्रीशामाट् पितृत्वात् ॥ तस्मात् गर्भाष्टयं श्रेष्ठो जन्मतो द्यावत्तर ॥ धर्म (स्मृतिवृत्ताच्छल, वर्णधर्मपर्व, पृ० १३६)।

अबित गुणो (पुण्य) वा अर्ध भाग दे देगी।" इस विषय में देखिए बैलानससभार्तसूत्र (५।९)।" चाहे जो भी कारण हो, इस अवस्था तक ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एव ६ठी शताब्दियों तक बहुत बढ गयी थी। लौगाक्षि-गृह्य (१९।२) में आया है कि बन्धा वा ब्रह्मचर्य १०वें वा १२वें वर्ष तक रहता है। बैलानस (६।१२) के मत से ब्राह्मण को ननिवा या गौरी से विवाह करना चाहिए। उनसे मत से ननिका ८ वर्षों के ऊपर या १०वर्षों के नीचे होती है और गौरी १० तथा १२ वर्षों के बीच में जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराकं द्वारा उद्धृत (५० ८५) मविष्मपुराण से पता चलता है कि ननिवा १० वर्षों की होती है। पराशर, शाङ्खवल्क्य एव सवर्त इससे आगे भी चले जाते हैं। पराशर (७।६-९) के मत से ८ वर्षों की लडकी गौरी ९ वर्षों की रोहिणी, १० वर्षों की कन्या तथा इसके ऊपर रज-स्वला बढी जाती है। यदि ब्राह्मण १२ वर्षों के उपरान्त अपनी बन्धा न ब्याहे तो उससे पूर्वज प्रति मास उस बन्धा का ऋतु-प्रवाह पीते है। माता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई रजस्वला बन्धा को देखने से नरक के भागी होते है। यदि कोई ब्राह्मण उस बन्धा से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ पक्ति में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और वह वृषली का पति हो जाता है।" इस विषय में और देखिए वायुपुराण (८३।४४), सवर्त (६५-६६), बृहत् यम (३।१९-२२), अगिरा (१२६।१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विदेशों के साथ अन्य धर्मशास्त्रकारों के मत है। मरीचि के मतानुसार ५ वर्षों की बन्धा का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि मनु (९।८८) ने योग्य दर मिल जाने पर शीघ्र ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१०-११) में अनुसार राम एव सीता की अवस्थाएँ विवाह के समय क्रम से १३ एव ६ वर्षों की थी। विन्तु यह श्लोक स्पष्ट धोष है, क्योंकि वाल्मीकि (७।७।१६-१७) में ऐसा आया है कि सीता तथा उनकी अन्य बहिनें विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के साथ समीप-कार्य में परिचित हो गयीं। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छः वर्षीय नहीं हो सकती।

इस विषय में कि ब्राह्मण बन्धाओं का विवाह ८ और १० वर्षों के बीच हो जाना चाहिए, जो नियम बने के छठी एव सातवीं शताब्दियों में लेकर आधुनिक काल तक विद्यमान रहे है। विन्तु आज बहुत-से कारणों से, जिनमें सामाजिक, आर्थिक आदि कारण मुख्य है, विवाह योग्य अवस्था बहुत बढ गयी है यहाँ तक कि आजकल दहेज आदि कुप्रथाओं के कारण ब्राह्मणों की बन्धाएँ १६ या बन्धी-बन्धी २० वर्षों के उपरान्त विवाहित हो पाती है। अब कुछ बन्धाएँ तो अध्य-यनाध्यापन में लीन रहने के कारण देर में विवाह करने लगी है। अब तो कानून भी बन गये है, जिससे बचपन के विवाह अवैधानिक मान लिये गये है। सन् १९३८ के कानून के अनुसार १४ वर्षों के पहले बन्धा-विवाह अपराध माना जाने लगा है।

विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम वैदिक याज्ञानिक पर ही लागू होते थे। सस्त्रुत साहित्य के मविष्म भाटवकारों

१३. असस्त्रुताया बन्धाया पुतो लोकास्तयानये। शल्पपर्व ५२।१२।

१४. संधं बन्धां च मुतां प्राप्तापौचना तुल्येन पुत्रा प्राप्तापृहपत्ता बहेत्। बैलानससभार्तसूत्र ५।९।

१५. दशवर्षिक ब्रह्मचर्यं कुमारीणां द्वावनाशयिषि वा। लौगाक्षिगृह्य १९।२। ब्राह्मणो ब्राह्मणीं ननिवां गौरीं वा बन्धां . . . वरयेत्। अष्टवर्षिका दशमाप्रनिवा। रजस्यप्राप्ते दशवर्षिका द्वावनाश्व गौरीत्वामानन्ति। बलानस ६।१२; सप्तहकारोपि। यावच्चल न गृहणाति पाचयैदिति पांशुभिः। यावद् शोच न जानाति सावद् भवति ननिवा। स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ८०।

माता धैव पिता धैव ज्येष्ठो भ्राता तर्धं च। प्रत्येते नरकं गान्ति इष्ट्वा बन्धा रजस्यलाम् ॥ परतां समुद्रेत्वं वा ब्राह्मणो ज्ञानमोहित। अतभाव्यो ह्यर्पांस्तेय स विप्रो वृषतीपति ॥ पराशर ७।८-९।

ने अपनी कथाओं की नायिकाओं को पर्याप्त प्रौढ़ रूप में चित्रित किया है। मवमूति के नाटक मालतीमाधव की नायिका मालती प्रथम दृष्टि में प्यार के आकर्षण में पड़ जानेवाली कन्या थी। ब्रह्मान्त (६।१२) ने ब्राह्मणों के लिए मनिक्का एव गौरी कन्या की बात तो नहीं है, किन्तु उन्होंने क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए यह नियम नहीं बनाया। हर्षचरित के अनुसार राज्यस्थी विवाह के समय पर्याप्त युवती थी। सत्त्वरत्ननाथ ने स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रियों तथा अन्य लोगों की कन्या के लिए युवती हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है।

प्राचीन काल में अनुलोम विवाह विहित माने जाते थे, किन्तु प्रतिलोम विवाह की प्रवृत्ति नहीं जाती थी। इन्हीं दो प्रकार के विवाहों से विभिन्न उपजातियाँ की उद्भावना हुई है।

कुछ विशिष्ट विद्वानों (उदाहरणार्थ, श्री सेनार्ट अपनी पुस्तक 'वास्ट इन इण्डिया' में) का कथन है कि आज के रूप में ऋग्वेद एवं वैदिक सन्दिशों वाला जाति का स्वरूप नहीं प्राप्त होता। किन्तु हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि संहिता-काल में चारों वर्ण स्वीकृत रूप में विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एवं हीनता घोषित हो जाया करती थी। किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करना अथवा भोजन करना उतना अमान्य नहीं था जितना कि मध्य काल में पाया जाने लगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण ये हैं—शतपथब्राह्मण (४।१।५) के अनुसार जीर्ण एवं क्षिण्डित ऋषि च्यवन का विवाह मुक्या से हुआ था। च्यवन भागव (मृगु के वंशज) या आगिरस से और मुक्या मनु के वंशज राजा शर्यात की पुत्री थी। शतपथब्राह्मण (१३।२।१।८) ने वाजसनेयी संहिता (२६।३०) को उद्धृत कर लिखा है—“अतः वह (राजा) वैश्य नारी से उत्पन्न पुत्र का राज्याभिषेक नहीं करता।” इमसे स्पष्ट है कि राजा वैश्य नारी से विवाह कर सकता था। ऋग्वेद के ५।६।१।७-१९ मंत्र यह बताते हैं कि ब्राह्मण ऋषि श्यावाश्व का विवाह राजा रघवीनि दाम्यं की पुत्री से हुआ था।

अब हम धर्ममूत्रो एवं गृहमूत्रो का अनुशीलन करें। कुछ गृहमूत्र (यथा आश्वलायन, आपस्तम्ब) तो वधु की जाति के विषय में कुछ कहते ही नहीं। आपस्तम्बधर्ममूत्र (२।६।१।३।१ एवं ३) ने अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करने को लिखा है। इस धर्ममूत्र ने अमवर्ण विवाह की प्रवृत्ति नहीं है। मानव-गृह (१।७।८) एवं शौतम (४।१) ने शर्वण विवाह की ही चर्चा की है। किन्तु शौतम को अमवर्ण विवाह विहित थे क्योंकि ऐसे विवाहों से उत्पन्न उपजातियाँ की चर्चा उन्होंने की है। शूद्रापति ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाने को उन्होंने मना रिया है। मनु (३।१२), शत एवं नारद ने अपने ही वर्ण में विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इमसे पूर्व कल्प (सर्वात्म विधि) कहा गया है। कुछ लोगों ने अनुवरण (कर्म सुन्दर विधि) विवाह की भी चर्चा की है यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की कन्या से, क्षत्रिय अपनी, वैश्य या शूद्र जाति की कन्या से, वैश्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा शूद्र अपनी जाति की कन्या से विवाह कर सकता है। इस विषय में बोधायनधर्ममूत्र (१।८।२), शत, मनु (३।१३), विष्णुधर्ममूत्र (२।४।१-४) की सम्मति है। पारस्यरगुह्यमूत्र (१।४) तथा बसिष्ठधर्ममूत्र (१।२५) ने लिखा है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार द्विजों को शूद्र नारी से विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रों के उच्चारण के। यहिष्ट ने मर्स्या की है, क्योंकि इमसे बड़ा खराब हो जाता है और मृत्युपरान्त स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। विष्णुधर्ममूत्र, मनुस्मृति आदि ने द्विजातियों को शूद्र से विवाह-मन्वन्थ करने की जो मान्यता दी है, वह उनकी नहीं है, उन्होंने तो केवल अपने पाल की प्रवृत्ति व्यवस्था की और सचेत रिया है, क्योंकि उन्होंने कडे शब्दों में ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या से विवाह की प्रवृत्ति नहीं है। विष्णुधर्ममूत्र (२६।५-६) ने लिखा है कि ऐसे विवाह से धार्मिक गुण नहीं प्राप्त होते, ही कामरता की दृष्टि अवश्य ही सकती है। याज्ञवल्क्य (१।१७) ने ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपने या अपने मे नीचे के वर्ण से विवाह मन्वन्थ करने को बुरा है किन्तु यह बात जोरदार शब्दों में लिखी गयी है कि द्विजातियों को शूद्र कन्या से विवाह करने में बुरा है किन्तु अपने समय की प्रवृत्ति प्रथा को मान्यता न देना भी बर्तित ही था, अतः दोनों (मनु ९।१५२-१५३ एवं याज्ञवल्क्य २।१२५) ने घोषित रिया है कि

यदि किसी ब्राह्मण को चारों बर्णों वाली पत्नियों से पुत्र हो तो ब्राह्मणी-पुत्र को १० से ४ भाग मिलत है, क्षत्राणी-पुत्र को ३, वैश्या-पुत्र को २ तथा शूद्रा-पुत्र को १ मिलता है। याज्ञवल्क्य (१११-१२) ने भी ब्राह्मण एव शूद्रा के विवाह को मान्यता दी है और कहा है कि उनकी सन्तान को पारशव कहा जाता है। यही मान्यता मनु (३।४४) ने भी दी है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतिकारों ने ब्राह्मण का क्षत्रिय या वैश्य बन्धा से विवाह-सम्बन्ध बिना किसी सन्देह अथवा अनुत्साह के मान लिया है। किन्तु ब्राह्मण एव शूद्र बन्धा के विवाह-सम्बन्ध के विषय में कोई मतैक्य नहीं है। ऐसे विवाह हुआ करते थे, किन्तु उनकी भर्त्सना होती थी। ९वीं एव १०वीं शताब्दी तक अनुलोम विवाह होते रहे, किन्तु कालान्तर में इनका प्रचलन कम होता हुआ सदा के लिए लुप्त हो गया, और आज ऐसे विवाह अवैध माने जाते हैं। अभिलेखों में अन्तर्जातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। वाकाटक राजा लोग ब्राह्मण-धर्म (जनक गोत्र या विष्णुवृद्ध)। प्रभावती गुप्ता के अभिलेख से पता चलता है कि वह गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी (पाँचवीं शताब्दी के प्रथम चरण में) और उसका विवाह वाकाटक कुल के राजा रुद्रसेन द्वितीय से सम्पन्न हुआ था। तालगुण्ड स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि बद्रम्ब-कुल का स्थापक मयूरधर्मा था, जो स्पष्टतया ब्राह्मण था। उसके वंशजों के नाम में अन्त में 'वर्मा' आता है, जो मनु (२।१२) के अनुसार क्षत्रियों की उपाधि है। मयूरधर्मा के उपरान्त चौथी पीढ़ी के वसुदेववर्मा ने अपनी बन्धाएँ गुप्तों एव अन्य राजाओं को दी। यशोधर्मा एव विष्णुवर्धन के घटोलक्य-अभिलेख से पता चलता है कि वाकाटक राजा देवसेन ने मन्वी हस्तिभोज के वंशज सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण एव क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बन्धाओं से विवाह किया था। लोचनाय नामक सरदार के तिल्लेर ताभपथ से पता चलता है कि उसके पूर्वज भरद्वाज गोत्र के थे, उसके भाना वंशज पारशव (ब्राह्मण पुरुष एव शूद्र नारी से उत्पन्न) थे और वंशज के पिता वीर द्विजसत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) थे। विजयनगर के राजा पुष्प प्रथम (१२६८-१२९८ ई०) की पुत्री विरुपा-देवी का विवाह आर्य प्रान्त के प्रान्तपति बृहत् या बोमण्य बोदेय नामक ब्राह्मण से हुआ था। प्रतिहार राजा लोग हरि-चन्द्र नामक ब्राह्मण एव क्षत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति के वंशज थे। गृहिल वंश का स्थापक ब्राह्मण गुरुदत्त था, जिसने वंशज मर्तुपट्ट ने राष्ट्रवृट् राजकुमारी से विवाह किया।

संस्कृत साहित्य में भी असवर्ण विवाह के उदाहरण मिलते हैं। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र नामक नाटक से पता चलता है कि सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया। ब्राह्मणवश में उत्पन्न पुष्यमित्र ने शुंग वंश के राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित में स्वयं बाण ने लिखा है कि उसकी भ्रमण-यात्रा के मित्रों एव साधियों में उसके दो पारशव भाई भी थे, जिनके नाम थे चन्द्रसेन एव मातपेण (ये दोनों बाण के पिता की शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुए थे)। कन्नौज के राजा महेंद्रपाल के गुरु राजसेन ने अपनी कर्पूरमञ्जरी (१।११) में लिखा है कि उसकी गुणशीलसम्पन्न पत्नी अर्कन्तिमुन्दरी चाट्ट्राण (आधुनिक पौहान या छवन) नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी।

स्मृतियों एव निबन्धकारों ने कब द्विजातियों के बीच भी असवर्ण विवाह बन्द कर दिया, इसके विषय में हमें कोई प्रकाश नहीं प्राप्त होता। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विद्वरूप (९वीं शताब्दी) ने संकेत किया है कि उनके समय में ब्राह्मण क्षत्रिय बन्धा से विवाह कर सक्ता था (याज्ञवल्क्य ३।२८३)। मनु के टीकाकार मेघातिथि ने भी निर्देश किया है कि उनके समय में (लगभग ९०० ई०) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य बन्धाओं से कभी कभी हो सक्ता था, किन्तु शूद्र बन्धा से नहीं (मनु ३।१४)। किन्तु मिताक्षरा के काल तक सब कुछ बर्जित हो चुका था। आश्विनपुराण या ब्रह्मपुराण का हवाला देकर बहुत-से मध्यकालिक निबन्ध लेखक, यथा स्मृतिबन्धिका, हेमाद्रि आदि, बलिभूष की बर्जित बातों में अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मिलित करते हैं।

आपस्तम्बस्मृति का कहना है कि दूधरी जाति की बन्धा से विवाह करने पर महापातक सम्यता है और २४

दृच्छो का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मार्कण्डेयपुराण (११३।३४-३६) ने राजा नामान की कथा बही है, जिसने एक वैश्य कन्या से राजस विवाह किया था और वह पाप का भागी हुआ था।

अब हम सपिण्ड विवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। सपिण्डता का तीन बातों में विभाजित महत्व है, यथा विवाह, वसीयत एवं अशौच (जन्म या मरण पर अपवित्रता)। सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्णों में (शूद्रों में भी) वर्जित है। सपिण्ड के अर्थ के विषय में दो सम्प्रदाय हैं। एक मिताक्षरा का और दूसरा जाम्बूनवाहन (दायभाग के लेखक) का। दोनों ने मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता, किन्तु 'सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों के दो विचार हैं। याज्ञवल्क्य (१।५२-५३) की व्याख्या में विज्ञानेश्वर "असपिण्डा" उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है, और "सपिण्ड" का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का वही पिण्ड (शरीर या शरीर का अवयव) है। दो व्यक्तियों के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि दोनों में समान शरीर के अवयव हैं। इस प्रकार पुत्र का पिता से सापिण्ड्य सम्बन्ध है, क्योंकि पिता के शरीर के वण (शरीराण) पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार पितामह और पोत्र में सापिण्ड्य-सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का माता से सापिण्ड्य-सम्बन्ध है। अतः नाना एवं माली (पुत्री के पुत्र) में सापिण्ड्य सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार भ्राता एवं भ्राता से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचा एवं पूरुषी (पिता की बहिन) से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सापिण्ड्य-सम्बन्ध है क्योंकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण करती है। इसी प्रकार भाइयों की स्त्रियों में सपिण्डता पायी जाती है, क्योंकि वे सपिण्ड सतान उत्पन्न करती हैं और उनके पति एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी प्रकार नहीं मी बही सपिण्ड शब्द आता है, उसे एक ही पिण्ड के सतन प्रवाह को सौधे रूप (पिता-पुत्र रूप) में या दूरी के रूप में (यथा पितामह-पोत्र रूप में) समझना चाहिए। इस प्रकार सपिण्डता की व्याख्या की जाय तो अन्ततोगत्वा इस अनादि विद्वत् में सब कोई एक ही सम्बन्ध वाले सिद्ध किये जा सकते हैं। इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्धारण कर दिया, पाँचवी पीढ़ी में माता के कुल में तथा सातवी पीढ़ी में पिता के कुल में सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए। अतः पिता से छ पीढ़ियों ऊपर और पुत्र से ६ पीढ़ियों नीचे (स्वयं व्यक्ति सातवी पीढ़ी में गिना जायगा) के वंश सपिण्ड कहे जायेंगे। किसी मी व्यक्ति से छ पीढ़ियाँ ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं। अर्थात् कोई पूर्वज तथा उसके नीचे की छ पीढ़ियाँ मिलकर सात पीढ़ियों के द्योतक हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर छ पीढ़ियाँ मिलकर सात पीढ़ियों के द्योतक हुए। इसी प्रकार किसी लक्ष्मी के विषय में पाँचवी पीढ़ी ऊपर (माता के कुल में) तथा सातवी पीढ़ी (पिता के कुल में) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार गिवने का त्रय चला करता है।

उपर्युक्त व्याख्या मिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्ड्य पर आधारित प्रतिबन्धों के नियम बने हैं। यदि किसी पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या तथा क्षत्रिय कन्या से विवाह किया तो उसके वंशजों में विवाह तीसरी पीढ़ी (सातवी या पाँचवी में नहीं) के उपरान्त ही सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा के नियम सार्वभौम माने जाते रहे। मिताक्षरा के कथनों में तथा अन्य स्मृतियों के कथनों में विरोध पाया जाता है। इसके अनिश्चित सम्पूर्ण दस के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एवं परंपराएँ मूर्ति-मूर्ति की जातियों एवं उपजातियों में चलती आ रही हैं, अतः किसी प्रकार के नियमों का सार्वभौम होना असम्भव-सा ही रहा है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। स्वयं मिताक्षरा ने लिखा है कि वसिष्ठ्यधर्मशूत्र (८।२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल से पाँचवें तथा पिता के कुल से सातवें कुल में विवाह कर सकता है, किन्तु याज्ञवल्क्य (जैसा कि मिताक्षरा ने लिखा है) के अनुसार माता से छठी पीढ़ी तथा पिता से आठवी पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। पैटोर्निस के अनुसार माता से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता से पाँचवी पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है।

या कोई अपने मामा या फूली की लड़की से, विशेषतः प्रथम से विवाह कर सकता है? इस बात पर प्राचीन काल से ही गहरा मतभेद रहा है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (११७।२।१।८) ने अपने माता-पिता एवं सन्तानों के समानोदर सम्बन्धियों (माताओं एवं बहिनो) से समोग करने को पातकीय क्रियाओं (महापापों) में गिना है। इस नियम के अनुसार अपने मामा एवं फूली की लड़की से विवाह करना पाप है। भौषायनधर्मसूत्र (१।१९-२६) के अनुसार दक्षिण में पंच प्रकार की विलक्षण रीतियाँ पायी जाती हैं—बिना उपनयन किये हुए लोगों के साथ बैठकर खाना, अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना, उच्छिष्ट भोजन करना, मामा तथा फूली की लड़की से विवाह करना। इससे स्पष्ट है कि भौषायन के बहुत पहले से दक्षिण में (सम्भवतः नर्मदा के दक्षिण भाग में) मामा तथा फूली (पिता की बहिन) की लड़की से विवाह होता था, जिसे बहुर धर्मसूत्रकार, यथा गौतम एवं भौषायन नित्य मानते थे। मनु (१।१७२-१७३) ने मातुलकन्या मीसी की बन्धा या पिता की बहिन की बन्धा (पितृव्यसुदुहिता) से समोग-सम्बन्ध पर चान्द्रायण व्रत के प्रायश्चित्त की बात कही है क्योंकि ये बन्धाएँ सपिण्ड नहीं जाती हैं, इनसे विवाह करने पर मरुत की प्राप्ति होती है। हरदत्त ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।६) की व्याख्या करते हुए शातातप का एक श्लोक उद्धृत किया है और कहा है कि यदि कोई मातुलकन्या से विवाह कर ले या सपिण्ड गोत्र या माता के गोत्र (माना के गोत्र) या समवद गोत्र की बन्धा से विवाह कर ले तो उसे चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३।२५५) की व्याख्या में विद्वरूप ने मनु (१।१७२) तथा सर्तों को उद्धृत कर मातुलकन्या से समोग कर लेने पर पराव प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। मनु (२।१।८) की व्याख्या में मेघातिथि ने कुछ प्रदेशों में इस प्रथा की चर्चा की है। मध्य काल के कुछ लेखकों ने मातुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध की मत्तंता की ओर कुछ ने इसे स्वीकार किया। अपराकं (पृ० ८२-८५) ने मत्तंता की है और यही बात निर्णयतिगु में भी पायी जाती है (पृ० २८६)। विन्दु स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ७०-७५), परापर-माघवीय (१।२, पृ० ६३-६८) आदि ने मातुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध बंध माना है। वे यह मानते हैं कि मनु, शातातप, सुमनु आदि ने इसे मत्तंता की दृष्टि में देखा है, तथापि वे कहते हैं कि वेद के कुछ धाम्यों, कुछ स्मृतिओं तथा कुछ शिष्टों ने इसे मान्यता दी है, अतः ऐसे विवाह सम्बन्ध सदाचार के अन्तर्गत आते हैं। वे इस विषय में शतपथब्राह्मण (१।८।३।६) को उद्धृत करते हैं। विद्वरूप (याज्ञवल्क्य १।५३) ने भी इस वैदिक अर्थ को उद्धृत किया है, विन्दु ने यह नहीं कहते कि इससे मातुलकन्या का विवाह-सम्बन्ध बंध सिद्ध किया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका, परापरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों में शिल गूत को उद्धृत किया है जिसका तात्पर्य यह है—“आओ हे इन्द्र, अच्छे मार्गों से हमारे यज्ञ में आओ और अपना अन्न लो। तुम्हारे पुजारियों ने घृत से बना मांस तुम्हें उसी प्रकार दिया है, जैसे कि मातुलकन्या एवं फूली की बन्धा विवाह में लोगों के माग में पड़ती है।” विद्वरूप (याज्ञवल्क्य १।५३) ने इसकी व्याख्या अन्य ढंग से की है। अपराकं (याज्ञवल्क्य १।५३) ने भी इस उद्धरण के उलटाप की व्याख्या दूसरे ढंग से करते मातुलकन्या से विवाह को अमान्य ठहराया है। वैद्यनाथवृत्त स्मृतिमुक्ताफल का कहना है—“आओ मेरे शिष्ट लोग वेदपाठी होते हैं और मातुलमुता-भरिण्य को मान्यता देते हैं, इविणों में शिष्ट लोग रामान पूर्वज्ञ से चौथी पीढ़ी में विवाह-सम्बन्ध बंध मानते हैं।” दक्षिण में (मदास प्रान्त आदि में) कुछ जातियाँ मातुलकन्या से विवाह करना बहुत अच्छा समझती हैं। कुछ ब्राह्मण जातियाँ, यथा कर्नाटक एवं बर्हड के दैत्य ब्राह्मण आज भी इस नियम को मानते हैं। शतावलीस्तुत (पृ० ६१६।६२०) एवं धर्मतिगु मातुलमुता-भरिण्य को बंध मानते हैं।

स्त्री के गोत्र के विषय में स्मृतिओं एवं निबन्धों में बहुत विवेचन किया गया है। आश्वलायनगृहसूत्र (१।८।१२) की व्याख्या में कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के उपरान्त पति एवं पत्नी, दोनों एक गोत्र के हो पाते हैं (कपु हारीत)। मम (८६), लिखित (२५) का कथन है कि विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि को पत्नी पति के साथ एक गोत्र वाली हो जाती है, उसका पिण्ड एवं अर्घ्य एक हो जाता है। निताशय (याज्ञवल्क्य १।२५५)

ने दो मतों की चर्चा करके अन्तिम निर्णय यही निकाला है कि विवाह के उपरान्त भी स्त्री पिण्डदान के लिए अपने पिता के गोत्र वाली बनी रहती है, किन्तु यह बान तमी सम्भव है, जब कि वह पुत्रिका (विना माई वाली) हो और आसुर विवाह-रीति से विवाहित हुई हो, किन्तु यदि वह ब्राह्म या किसी अन्य स्वीकृत विवाह प्रकार से विवाहित हुई हो तो विवक्ष्य से अपने पिता के गोत्र से अपनी माँ को पिण्ड दिया जा सकता है (देखिए अपरार्क, पृ० ४३२, ५४२, स्मृति-चन्द्रिका, भाग १, पृ० ६९)।

तीसरी शताब्दी के भागार्जुनकोण्डा के कुछ अभिलेखों में पना चलता है कि वाजपेय, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ करनेवाले सिरी छान्तमूल के पुत्र राजा सिरी विरपुरिसदत ने अपनी फूकी (पिता की बहिन) की लडकी से विवाह किया था। कुछ लेखकों ने मातुलकन्या से विवाह को उचित किन्तु फूकी की कन्या से अनुचित ठहराया है (निर्णय-सिन्धु ३, पृ० २८६, पूर्वापं)। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ७१) एवं पराशरमाधवीय (११२, पृ० ६५) ने लिखा है कि यद्यपि मौसी या मौसी की कन्या से विवाह-सम्बन्ध वैसा ही मान्य होना चाहिए जैसा कि मातुलकन्या से, किन्तु शिष्ट लोग इसे बुरा मानते हैं अतः यह अमान्य है। दोनों ग्रन्थ शाश्वतत्व (११५६) पर विश्वास करते हैं।

दक्षिण में कुछ लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं (यथा—वर्नाटक एवं मैसूर के देशस्थ लोग), ऐसे हैं जो अपनी बहिन की कन्या से विवाह कर लेते हैं। गेलम जाति के लोग अपनी बहिन की लडकी से विवाह कर सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट होता है कि विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों एवं नियमों के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। इन विविध मतभेदों को देखकर सत्कारकौस्तुभ (पृ० ६२०) एवं घर्मसिन्धु (पृ० २२४) ने वचन बहुत तर्कयुक्त एवं व्यावहारिक जेंचते हैं। इनका कहना है कि कलियुग में भी जिनके कुलों में या जिन प्रदेशों में मातुलकन्या विवाह युगों से प्रचलित रहा है, उन्हें उन लोगों द्वारा (जो लोग मातुलकन्याविवाह के विरोधी हैं) धाड़ म बुलाया जाना चाहिए और उनकी कन्याओं से अपने कुल में विवाह करने से नहीं हिचकना चाहिए।

विमाता के कुल की कन्याओं से सपिण्डता किस रूप में होती है? इस प्रश्न पर उद्गाहृतत्व (पृ० ११८), निर्णयसिन्धु (पृ० २८९), स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ६९५-६९९), सत्कारकौस्तुभ (पृ० ६२१-६३०) एवं घर्मसिन्धु (पृ० २३०) ने विचार किया है। वे सभी सुमन्तु का उद्घरण देते हैं—“पिता की सभी पत्नियाँ माँ हैं, इन नारियों के भाई मामा हैं, उनकी बहिनें अपनी वास्तविक माँ की बहिनो (मौसियों) के समान हैं, इनकी कन्याएँ अपनी बहिनें हैं, इनकी सन्तानें अपनी सगी बहिनो की सन्तानों के सदृश हैं, अन्यथा (इनसे विवाह करने से) सकर की गुजाइश है।” इस विषय में दो मत हैं। प्रथम मत यह है, जिसे बहुत से लोग मानते हैं—कोई व्यक्ति अपनी विमाता के भाई या बहिन की कन्या या उस कन्या की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। किन्तु दूसरे मत से सपिण्ड्य के अतिदेश के नियम का प्रतिरोध हो जाता है।

कुछ लेखकों ने ‘विरुद्ध सम्बन्ध’ के आधार पर कुछ कन्याओं से विवाह करने पर रोग लगा दी है, यद्यपि इन दशाओं में सपिण्ड्य-सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्णयसिन्धु (पृ० २३९) में उद्घृत गृह्य-परिशिष्ट के अनुसार उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके साथ विरुद्ध सम्बन्ध न हो, जैसे अपनी पत्नी की बहिन की कन्या या अपने चाचा की पत्नी की बहिन से विवाह विरुद्ध-सम्बन्ध है। आधुनिक काल में ऐसे विवाह होते रहे हैं। तेलुगु एवं तमिल जिलों के ब्राह्मणों एवं शूद्रों में अपनी पत्नी की बहिन की लडकी में विवाह वैध माना जाता है।

१६. पितृपत्न्यः सर्वा मातरस्तद्भ्रातरौ मातुलास्तद्भगिन्यो मातृस्यसारस्तद्बुहितरश्च भगिन्यस्तदरयानि भागिनेयानि। अन्यथा संकरकारिणः स्युः। सुमन्तु।

गोद लिये हुए पुत्र के सापिण्ड्य-सम्बन्ध के विवाह, अशौच एवं श्राद्ध के विषय में बहुत से ग्रन्थ, यथा सस्वार-कोस्तुम (पृ० १८२-१८६), निर्णयसिन्धु (पृ० २९०-२९१), व्यवहारमयूख, सस्वारप्रकाश (पृ० ६८८-६९४) एवं सस्वाररत्नमाला—विभ्रार के साथ बहते हैं। अशौच एवं श्राद्ध के सापिण्ड्य के बारे में आगे लिखा जायगा। दत्तकसपिण्डता के विवाह के विषय में बर्द्ध एवं विरोधी मत है। सस्वारप्रकाश (पृ० ६९०) के अनुसार गोद दिये हुए पुत्र का वास्तविक पिता के साथ सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक रहता है और गोद लेनेवाले पिता के साथ तीन पीढ़ियों तक। सस्वारकोस्तुम के अनुसार यदि दत्तक पुत्र का उपनयन वास्तविक पिता के यहाँ हो गया हो तो उसका सापिण्ड्य वास्तविक पिता के कुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा, किन्तु यदि जातकर्म से लेकर उपनयन तक सारे सस्वार पालक पितृ-कुल में हुए हैं तो उसका सापिण्ड्य पालक-पितृकुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा, किन्तु यदि केवल उपनयन ही पालक पितृकुल में हुआ है तो सापिण्ड्य केवल पाँच पीढ़ियों तक रहेगा। निर्णयसिन्धु के अनुसार दोनो कुलों में सात पीढ़ियों तक सापिण्ड्य पाया जायगा। इसी प्रकार बहुत-से मतभेद हैं, जिनके घंटे में स्थानाभाव के कारण नहीं पडा जा रहा है।

दक्षिण में माध्यन्दिनी शाखा के देवस्य ब्राह्मण लोग उस कन्या से विवाह नहीं करते जिसके पिता का गोत्र छूटे (होनेवाले पति) के नाम के गोत्र के समान हो। मनु (३।५) ने लिखा है—“यह कन्या जो पर की माता से सपिण्ड सम्बन्ध न रखनेवाली है और न वर के पिता की सगोत्र है, विवाहित की जा सकती है (किन्तु यह विवाह द्विजों में ही मान्य है)।” मनु के इस श्लोक की व्याख्या म कुल्लूक, मदनपारिजात, वीपालिका, उद्गाहृतएव नामा टीकाकारों के मत जाने जा सकते हैं। इन लोगों के मत से माता के गोत्र वाले कन्या से विवाह वर्जित है। मेघातिथि ने (मनु ३।५) तो माता के गोत्र वाली कन्या से विवाह करने पर चाण्डायण धृत या प्रायश्चित्त धृतया है और कन्या को छोड़ देने को कहा है। इस विषय में हरदत्त ने भी यही बात कही है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१६) की टीका में शातातप को उद्भूत करते हुए हरदत्त ने अपनी बात कही है। और देखिए कुल्लूक, स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ६९), हरदत्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१।१६), गृह्यपरलाकर (पृ० १०), उद्गाहृतएव (पृ० १०७) तथा अन्य निबन्ध, जिनमें श्वास का यह मत उद्भूत किया गया है कि कुछ लोग माता के गोत्र की कन्या से विवाह करना अच्छा नहीं समझते, किन्तु यदि कन्या का गोत्र अज्ञात हो तो विवाह किया जा सकता है, विवाह हो जाने पर स्त्री अपना मौलिक गोत्र त्याग कर पति के गोत्र की हो जाती है। अतः उपर्युक्त “माता के गोत्र” का तात्पर्य है माता का मौलिक गोत्र जर्थात् माता का गोत्र।

दायभोग एवं रघुनन्दन का मत, जिसे बंगाली सम्प्रदाय बड़ी महत्ता देता है, सपिण्ड की व्याख्या में मिताक्षरा से मेल नहीं खाता। इस मत में ‘पिण्ड’ का अर्थ है वह “माता का पिण्ड या गोलक” जो पितरों को श्राद्ध के समय दिया जाता है। परन्तु जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, मिताक्षरा के अनुसार ‘पिण्ड’ का अर्थ है ‘शरीर’ या ‘शरीर के अवयव’। सपिण्ड का अर्थ है “वह जो दूसरे से, भोजन-आहुति देने के कारण, सम्बन्धित हो।” दायभाग के लेखक ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन दसोयत को ध्यान में रखकर किया है और अशौच के ‘सन्दर्भ में सापिण्ड्य-सम्बन्ध को निम्न रूप में समझने को कहा है। दायभाग के प्रणेता जीमूतवाहन ने यह सापिण्ड्य-सम्बन्ध वाला सिद्धान्त विवाह के विषय में नहीं रखा है। उनका सिद्धान्त है कि दसोयत के बारे में मुख्य बात अथवा कारण है वह उपचाररत्न (आध्यात्मिक लाभ) जो पिण्ड देने पर मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीमूतवाहन ने इस विषय में अपना मत या अपनी व्याख्या मनु (९।१०६) पर आश्रित मानी है। अपने सापिण्ड्य सिद्धान्त के लिए ये दो कथनों में विरक्त बरते हैं, यथा बोधायन-धर्मसूत्र (१।५।१।३-१।५) एवं मनु (९।१८६-१८७)। बोधायन के अनुसार “प्रपितामह, पितामह, पिता एवं अपने सहोदर भाई, सवर्ण पत्नी के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये सभी अविनाशित दाय के भागी होते हैं और सपिण्ड बहते जाते हैं। किन्तु विनाशित दाय के भागी को सद्गुण्य बहते हैं। इस प्रकार सन्तान रहने पर भी उन्हें धन प्राप्त हो सकता है;

सपिण्डो के अभाव मे सकुल्यो को धन मिलता है।" मनु (१।१८६-१८७) के अनुसार "तीन को तर्पण अवश्य देना चाहिए, तीन को पिण्ड मिलता है, चौथा तर्पण एव पिण्ड देनेवाला होता है, पाँचवाँ कोई नहीं है। मरनेवाले के सपिण्डो मे जो सर्वसन्निकट होता है उसी को धन मिल जाता है।" जीमूतवाहन ने मनुके उपर्युक्त कथन की व्याख्या यो की है— जोवित व्यक्ति अपने तीन पुरुष-पितरो को पिण्ड देता है, किन्तु जब वह स्वयं मर जाता है उसका पुत्र सपिण्डीकरण श्राद्ध करता है, "इस प्रकार वह अपने पितरो के साथ एक हो जाता है और अपने पितामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डो का अधिचारी होता है और उसका पुत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह तथा पिता को पिण्डदान करता है। अतः वे, जिन्हें वह पिण्ड देता है, और वे जो उसे पिण्ड देते हैं, "अविमक्त-दायाद सपिण्ड" कहे जाते हैं। जीमूतवाहन के विरोध मे कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम वे बौधायन के वाक्य के आधार पर पिण्ड के अर्थ को दाय के साथ जोड़ते हैं, जिसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। बौधायन ने केवल सपिण्ड की अर्थात् उन लोगो की चर्चा की है, जो केवल अविमक्त कुल मे रहते हैं और जिनका धन अमी विभाजित नहीं हुआ है। दूसरे, स्वयं जीमूतवाहन अपने तर्क पर पूरा भरोसा नहीं रखते दृष्टिगोचर होते।

दायक्रमसंग्रह के लेखक एव दायभाग के टीकाकार श्रीकृष्ण, स्मृतितत्त्व तथा अन्य ग्रन्थो के लेखक रघुनन्दन तथा अन्य लेखक दायभाग के नियमो को विस्तार से समझाते हैं। रघुनन्दन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्गाहृतत्व मे मत्स्यपुराण का उद्धरण दिया है— "पूर्वजो मे चौथा एव अन्य (उसके ऊपर दो) लघु (पूके चावल के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड बनाने वाले के हाथ मे बचे हुए अन्न) के भागी होते हैं, पिता एव अन्य शेष (अर्थात् कर्ता के ऊपर दो) पिण्ड के भागी होते हैं, जो पिण्ड देता है वह सातवाँ होता है, सापिण्ड्य सात पीढियो तक जाता है।" विवाह के लिए सापिण्ड्य की कोई परिभाषा रघुनन्दन द्वारा नहीं दी गयी है, किन्तु कई ग्रन्थो मे पायी जाने वाली "पिता से सातवी पीढी तथा माता से पाँचवी पीढी" की चर्चा मे पाये जानेवाले मतभेद पर विवेचन उन्होंने अवश्य किया है। उन्होंने पितृबन्धुओ एव मातृबन्धुओ का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पितामह की बहिन के लडके, पितामही की बहिन के लडके और अपने पिता के मामा के लडके पितृबन्धु कहे जाते हैं, तथा व्यक्ति की माता के पिता (नाना) के माई के लडके, मातृ की माता (नानी) की बहिन के लडके, माता के मामा के पुत्र मातृबन्धु कहे जाते हैं। विवाह के लिए हमे इन धर्मसूत्रों पर करना पड़ता है और प्रतिबन्ध स्वीकार करना पड़ता है।

दायभाग सपिण्ड-विवाह के लिए किसी वैदिक वचन का उद्धरण ^{व्यक्त} काल से उस पर ^{मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।५२)} तीन वैदिक वचनो पर आश्रित है, जिसकी चर्चा ऊपर ^{चर्चास्य} चर्चास्य

सन्निकट सपिण्डो मे विवाह क्यो वजित माना ^{जाता है?} इस विषय ^{मिलता थी।} उस ^{यो नें कई सिद्धान्तो का} प्रतिपादन किया है। वेस्टरमार्क (हिस्ट्री आब इण्डिया, जे० आर० ए० एस० १९०७, पृ० ६११-६१२) (मेरेज आब कजिन्स इन इण्डिया) मे विवाह करने को ध्यमि-चार समझते थे। भारत मे सपिण्ड-विवाह पर प्रतिबन्ध ^{भवत दो कारणो से मि} (१) यदि सन्निकट सम्बन्धी आपस मे विवाह सम्बन्ध स्थापित करें तो उनके दोष कई गुने रूप मे ^{उनकी सन्तानो मे} जायेगे तथा (२) यदि सन्निकट लोगो मे विवाह-सम्बन्ध स्थापित होये तो गुप्त प्रेम की परम्पराएँ गूँज उठेंगी और समाज मे अनैतिकता का राज्य बह जायगा और उन कन्याओ के लिए, जो एक ही घर में कई सन्निकट एव दूर के सम्बन्धियो के साथ रहती हैं, घर पाना कठिन हो जायगा।

१७. 'सपिण्डीकरण' में चार पिण्ड बनाये जाते हैं, एक मृतक के लिए और तीन उसके तीन पितरों के लिए। वे चारों पिण्ड पुनः एक बटा बिये जाते हैं, जिससे चो भेद है वह इन पितरों के साथ मिलकर पितृलोक में निवास करे।

पराशरस्मार्पवीय (१, भाग २, पृ० ५९) ने स्पष्ट लिखा है कि केवल वही बन्धा, जो घर की सपिण्ड नहीं है, विवाह करने योग्य है। अब हम 'सपिण्ड' शब्द की दो व्याख्याओं के विषय में वैदिक साहित्य का हवाला देंगे। मिताक्षरा ने सपिण्ड को "शरीर या शरीरावयव" से तथा दायभाष ने "चावल के पिण्ड" से संयोजित कर रखा है।

'पिण्ड' शब्द ऋग्वेद (१।१६२।१९) एवं तैत्तिरीय संहिता (४।६।१।३) में आया है, और लगता है, उसका अर्थ है "अग्नि में आहुति रूप में दिये हुए यज्ञिय पशु के शरीर का एक भाग।" यहाँ 'पिण्ड' शब्द का अर्थ चावल का गोलक (पिण्ड) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२।३।८२) एवं दत्तपथब्राह्मण (२।४।२।२४) में 'पिण्ड' शब्द का अर्थ है चावल का पिण्ड (गोला) जो पितरों को दिया जाता है। निरुक्त (३।४ एवं ५) ने "पिण्डदानाय" (चावल का पिण्ड देने के लिए) शब्द दो बार प्रयुक्त किया है। किन्तु 'सपिण्ड' शब्द वैदिक साहित्य में विस अर्थ का शोचक था, हमें इस पर कोई प्रकाश नहीं मिलता। धर्मसूत्रों में 'सपिण्ड' शब्द बहुधा आया है और वे पिण्ड-दान करने एवं दाय लेने में गहरा सम्बन्ध व्यक्त करते हैं (देखिए, गौतम १।४।१३।२।२१, आपस्तम्ब ० २।६।१।४।२, वसिष्ठ ४।१६-१८, विष्णु ० १।५।४०)।

हमने बहुत पहले देख लिया है कि कुछ ऋषि सगोत्र बन्धा और कुछ सप्रवर कन्या से विवाह करने को मना करते हैं। बहुत-से ऋषियों ने, जिनमें विष्णु, नारद आदि मुख्य हैं, सगोत्र एवं सप्रवर कन्या से विवाह अमान्य ठहराया है (विष्णुधर्मसूत्र २।४।९, दायवलय १।५३, नारद-स्त्रीपुत्र, ७)। अतः गोत्र एवं प्रवर के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है।

ऋग्वेद (१।५।१।३ १।१७।१, ३।३९।४, ३।४३।७, ९।८६।२३, १०।४८।२, १०।१२०।८) में गोत्र का अर्थ है "गोशाला या 'गायो का शृण्ड'। स्वामाविव रूप में 'गोत्र' अवरुद्ध जल वाले बादल या वृक्ष (बादल राक्षस) या पानी देनेवाले बादल को छिपा रखने वाला पर्वत शिखर कहा गया है। और देखिए ऋग्वेद २।२३।३ (जहाँ बृहस्पति का रूप 'गोत्रमिदं' कहा गया है), १०।१०३।७ (तैत्तिरीय संहिता ४।६।४।१, अथर्ववेद ५।२।८, वाजसनेयी संहिता १७।३९), ६।१७।२ १०।१०३।६। यहाँ 'गोत्र' का अर्थ दुर्ग भी है। कहीं-कहीं गोत्र का अर्थ है 'समूह' (ऋग्वेद २।२३।२८, ६।१७।२) 'समूह' से 'मनुष्यों का दल' अर्थ निवाला सरल है। एक स्थान पर "एत ही पूर्वज के वंशज" के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद (५।२।१।३) में "विरवगोष्ठः" (सामी कुलों से सम्बन्धित) शब्द आया है। "आपस में सम्बन्धित मनुष्यों का एक दल।" तैत्तिरीय-सूत्र (४।२) में एक मनुष्य के अर्थ में "आपस में सम्बन्धित मनुष्यों का एक दल।" का निश्चयात्मक अर्थ है "मनुष्यों का एक दल।"

तैत्तिरीय संहिता में 'पिण्ड' का अर्थ है 'पुत्र'। अतः देखा जा सकता है कि बड़े-बड़े ऋषियों ने वंशज उन ऋषियों के नाम से पुनारे जाते थे। तैत्तिरीय संहिता में देखा जा सकता है कि "होता मार्गव (भ्रू का वंशज) है।" टीनागर ने ध्याय्या की है कि यह केवल राजसूय के अर्थ में ही है। यह सम्भव है कि उन दिनों यदानुक्रम गुण एवं नियम तथा पिता एवं पुत्र से माना जाता था। प्राचीन ऋषि, म व्यक्तया बहुत कम थे, अतः यह सम्भव है कि उन दिनों पुत्र अपने पिता से ही व्यवसाय सीखता था। तैत्तिरीय संहिता (७।१।९।१) में आया है—"अत एव साय ही दरिद्र (या वृद्ध) दो जामदग्निय नहीं मिल पाते।" इससे पता चलता है कि उन दिनों जमदग्निय बहुत प्राचीन ऋषि कहे जाते थे और तब में उनमें बहुत-से वंशज हो चुके थे, वे क्षत्रीय जातकर्म्य (या नियम) कहे जाते थे, और उनमें दो वंशज भी लगातार दरिद्र या वृद्ध नहीं पाये गये।

ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रसिद्ध ऋषियों के वंशज बहुवचन में कहे गये हैं—"यसिष्ठो ने अपने पिता की भाँति अपने स्वर उच्च किये" (ऋग्वेद १०।६६।१४)। ऋग्वेद (६।३।५।५) में भरद्वाज आगिरस कहे गये हैं। आश्वलायन श्रौतसूत्र के अनुसार भरद्वाज यह गोत्र है जो अगिरसण की धेणी में आता है। ब्राह्मण-साहित्य में कई एक ऐसे सन्त

हैं जिनसे पता चलता है कि पुरोहितों के कुलों के कई दल थे, जो अपने सत्यापकों (वास्तविक या काल्पनिक) के नाम से विख्यात थे और आपस में पूजा-अर्चा की विधियों में भिन्न थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४) में आया है कि पूत वैदिक अग्निषोका का आधान (प्रतिष्ठापन) भृगुओं या अगिरसों के लिए "भृगुणा (अगिरसाम्) त्वा देवाना व्रतपते व्रतेना-दधामि" नामक मन्त्र से होना चाहिए, किन्तु अन्य ब्राह्मणों के लिए "आदिरयाना त्वा देवाना व्रतपते" के साथ। तैत्तिरीय संहिता (२।२।३) में "आगिरसी प्रजा" (अगिरस-दल के लोग) का प्रयोग हुआ है। ताण्ड्यब्राह्मण (१।८।२।१२) का मत है कि उदुम्बर का चमस सगोत्र ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कौपीतिक ब्राह्मण (२।५।१५) में आया है कि विश्वजित् यज्ञ (जिसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है) करने के उपरान्त व्यक्ति को अपने गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ वर्ष भर रहना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (३०।७) में एक गाथा है जो ऐतस एव उसके पुत्र अम्यन्ति के बारे में है। वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐतसायन अम्यन्ति लोग ओषों में सबसे बड़े पातकी हैं। कौपीतिक ब्राह्मण में भी यही गाथा आयी है और लिखा है कि ऐतसायन लोग भृगुओं में निकृष्ट हो गये, क्योंकि उनके पिता ने ऐसा शाप दिया था। बोधायन श्रौतसूत्र के अनुसार ऐतसायन लोग भृगुगण की उपशाखा थे। विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकृत कर लिये जाने पर शुन शेष देवरात कहलाये और ऐतरेय ब्राह्मण (३३।५) का कहना है कि कापिलेय एव ब्राह्म देवरात से सम्बन्धित थे। बोधायनश्रौतसूत्र के अनुसार देवरात एव बभ्रु विश्वामित्र गोत्र की उपशाखाएँ थे। शुन शेष जन्म से आगिरस थे (ऐतरेय ब्राह्मण २३।५)। इससे स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में गोत्र-सम्बन्ध जन्म से था न कि "आचार्य से शिष्य" द्वारा सम्बन्धित। उपनिषदों में ऋषि लोग ब्रह्मज्ञान की व्याख्या करते समय अपने शिष्यों को उनके गोत्र-नाम से पुकारते थे, यथा भारद्वाज, गार्ग्य, आश्वलायन, भार्गव एव कान्यायन गोत्रों से (प्रश्न० १।१), वैशाम्पयण एव गौतम (छान्दोग्य० ५।१।४।१), गौतम एव भरद्वाज, विश्वामित्र एव जमदग्नि, वसिष्ठ एव कश्यप (बृहदारण्य-कोपनिषद् २।२।४)। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों एव प्राचीन उपनिषदों के कालों में उपशाखाओं के साथ गोत्रों की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु यहाँ गोत्रों का उल्लेख यज्ञों या शिक्षा के सम्बन्ध में हुआ है। किन्तु विवाह के सम्बन्ध में गोत्र या सगोत्र का संकेत नहीं मिलता है। ऋष्यायन श्रौतसूत्र (८।२।८ एव १०) की व्याख्या में पता चलता है कि उसके पूर्व से ही सगोत्र विवाह वज्रित मान लिया गया था। बहुत-से गृह्यसूत्रों एव धर्मसूत्रों में सगोत्र विवाह वज्रित माना गया है। इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का नियम सूत्र-काल से ही हुआ प्रत्युत जैसा कि हमने उपर्युक्त विवेचन में देख लिया है बहुत पहले से, कम-से-कम ब्राह्मण काल से उस पर सुविचारणा आरम्भ हो गयी थी।

गोत्र की बहुत महत्ता है। प्राचीन आयों में इसकी व्यावहारिक महत्ता थी। उसकी कुछ विशिष्ट बातें हम नीचे दे रहे हैं—

(१) सगोत्र कन्याओं से विवाह निषिद्ध माना जाता था।

(२) दाय के विषय में मरनेवाले मनुष्य का धन सन्निकट सगोत्र को मिलता था (गौतम २।८।१९)।

(३) श्राद्ध में सगोत्र ब्राह्मणों को, जहाँ तक सम्भव हो, नहीं निमन्त्रित करना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१।७।४, गौतम १।५।२०)।

(४) पार्वण, स्थालीपाक एव अन्य पाकयज्ञों में जहाँ अन्य लोग हवि का मध्य भाग या पूर्वार्ध भाग काटते थे, वहाँ जामदग्न्य (जो पञ्चावती हैं) मध्य, पूर्वार्ध एव परचार्ध भाग काटते थे (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१०।१८-१९)।

(५) प्रेत के तर्पण में उसके गोत्र एव नाम को दुहराया जाता था (आश्वलायनगृह्यसूत्र ४।४।१०)।

(६) चोल सस्कार में धालो का गुच्छा (घोटी) अपने गोत्र एव कुलाचार के अनुसार छोड़ा जाता था (सादिर्यसू २।३।३०)।

(७) आधुनिक काल में भी सन्ध्या-वन्दन के समय अपने गोन, प्रवर, वेदगाथा एवं सूत्र के नाम लिये जाते हैं।

श्रीत यज्ञों के विषय में कुछ उदाहरण अवलोकनीय हैं। जैमिनि का कहना है कि सत्र (यज्ञिय अर्घ्याँ जो १२ दिनों या कुछ अधिक दिनों तक चलती हैं) केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, किन्तु उनमें भी भृगुओं, शौनको एवं वसिष्ठों को मना है (६।७।२४-२६)। अग्नि, बध्रघश्च, वसिष्ठ, वैश्य (वैश्य ?), शौनक, कण्व, कश्यप एवं सहृति गोत्र के लोग नारायण को द्वितीय प्रपञ्च के रूप में ग्रहण करते थे, किन्तु अन्य लोग तनूनपात् को (देखिए, जैमिनि ६।६।१ पर शबर)।

प्रवर की धारणा प्राचीन काल से ही गोत्र के साथ जुड़ी हुई है। दोनों पर प्रकाश साथ ही पड़ना चाहिए। 'प्रवर' का शाब्दिक अर्थ है "वरण करने या आवाहन करने योग्य (प्रायणीय)।" अग्नि की प्रायणा इसलिए की जाती थी कि वह यज्ञ करनेवाले की आहुतियाँ देवों तक ले जाय। इस प्रायणा के साथ उन ऋषियों (दूर के पूर्वजों) के नाम लिये जाते थे जो प्राचीन काल में अग्नि का आवाहन करते थे। इसी से 'प्रवर' शब्द का संबंध है यज्ञ करनेवाले के एक या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज या ऋषियों से। प्रवर का समानार्थक शब्द है आर्षेय या आर्षं (याज्ञवल्क्य १।५२)। गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार हमारे कतिपय घरेलू उत्सवों एवं आचारों में प्रवर का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(१) विवाह में सप्रवर कन्या से विवाह निषिद्ध है।

(२) उपनयन-सम्बन्ध में मेखला में एक, तीन या पाँच गाँठें होती हैं जो कि बच्चे के प्रवर वाले ऋषियों की सख्या की घोटक हैं (शाखायनगृह्यसूत्र २।२)।

(३) शौल कर्म में बच्चे के सिर पर जितने बाल-मुच्छ (चोटी) रहे, यह बच्चे के कुल के प्रवर के ऋषियों की सख्या पर निर्भर होता है (आपस्तम्बगृह्यसूत्र १।६।६)।

गोत्र एवं प्रवर पर सूत्रों, पुराणों एवं निबन्धों में मतभेदों से भरा इतना लम्बा-चोड़ा साहित्य है कि उसे एक श्यवस्था में लाना बहुत कठिन कार्य है। प्रवरमञ्जरी के लेखक ने भी ऐसा ही कहा है।

पहले हमें यह समझना है कि सूत्रों एवं निबन्धों में गोत्र का क्या अर्थ है और वह प्रवर से किस प्रकार सम्बन्धित है। गोत्र एवं प्रवर के विषय में हमें निम्नलिखित धीरे सूत्रों में पर्याप्त सामग्री मिलती है—आश्वलायन (उत्तरपट्ट ६, शण्ड १०-१५), आपस्तम्ब (२४वाँ प्रश्न) एवं बौधायन (अन्त का प्रवराध्याय)। प्रवरमञ्जरी के कथनानुसार बौधायन का प्रवराध्याय सर्वोच्च है।

बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार विद्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अग्नि, वसिष्ठ एवं परश्वत्त सात ऋषि हैं और अगस्त्य आठवें ऋषि हैं। इन्हीं आठों की सन्तानें गोत्र हैं। 'यही श्रौतसूत्र यह भी कहता है कि यों तो सहस्रों, लक्षों, अर्बुदों की सख्या में गोत्र हैं, किन्तु प्रवर केवल ४९ हैं।

पुराणों में मत्स्य (१९५।२०२), वायु (८८ एवं ९९), स्कन्द (३।२) नामक पुराण गोत्रों एवं प्रवरों के बारे में उल्लेख करते हैं। महाभारत में अनुनामनपर्व (४।४९-५९) में विद्वामित्र गोत्र की उपसालाओं का वर्णन किया है। निबन्धों में स्मृत्यर्पण (पृ० १४-१७), शस्त्रारम्भाश (पृ० ५९१-६८०), शस्त्रारवोत्तुम (पृ० ६२७-६९२), निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु, बालमट्टी में बड़े विस्तार से गोत्रों एवं प्रवरों पर लिखा है। प्रवरमञ्जरी जैसे विशिष्ट ग्रन्थ भी हैं।

गोत्र के विषय में सामान्य धारणा यही है कि इससे किसी एक पूर्वज से पत्नी आयी हुई पक्ति जात होती है, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं। जब कोई अपना जमदग्नि-गोत्र बहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह जमदग्नि ऋषि

का वंशज है। बहुत प्राचीन काल से गोत्रो के ये पुरुष सस्थापक आठ रहे हैं। यह बात पणिनि को भी ज्ञात थी। पताञ्जलि का कहना है,—“८०,००० ऋषियो ने विवाह नहीं किया, अगस्त्य को लेकर आठ विवाहित ऋषियो से ही वंश-परम्परा बढ़ी। इन आठों के अपत्य गोत्र हैं, और इनके अतिरिक्त गोत्रावयव हैं।” किसी एक विशिष्ट पुरुष पूर्वज के वंशज एक गोत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। गोत्र भी ब्राह्मण जाति एव वेद की भाँति अनादि हैं, ऐसा मेघातिथि का कहना है। एक प्रकार का लौकिक गोत्र भी होता है। यदि कोई व्यक्ति त्रिद्या, धन, शक्ति, दया के फल-स्वरूप यशस्वी हो सकता है, तो सम्भव है कि उसने वंशज अपने को उसी के नाम से घोषित करना चाहें। ऐसी स्थिति में इसे लौकिक गोत्र कहते हैं।

प्रत्येक गोत्र के साथ १, २, ३ या ५ (किन्तु ४ नहीं और न ५ से अधिक) ऋषि होते हैं जो उस गोत्र के प्रवर कहलाते हैं। गोत्रो को दलो (गणो) में गठित किया गया है। आश्वलायनश्रौतसूत्र के अनुसार वसिष्ठ गण की चार उपशाखाएँ हैं, यथा—उपमन्यु, पराशर, कुण्डिन एव वसिष्ठ, जिनमें प्रत्येक की बहुत-सी शाखाएँ हैं और प्रत्येक गोत्र कहलाती है। अतः व्यवस्था पहले गणो में, तब पक्षो में और तब पृथक्-पृथक् गोत्रो में होती है। मृगु एव आगिरस आज भी गण हैं। बौधायन के अनुसार प्रमुख आठ गोत्र कई पक्षो में विभाजित हुए। उपमन्यु का प्रवर है वसिष्ठ, मरद्भु इन्द्रप्रमद, पराशर गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, शाक्य, पाराशर्य, कुण्डिन गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, मैत्रावरुण, कौण्डिन्य एव वसिष्ठो का प्रवर है केवल वसिष्ठ। अतः कुछ लोगों के मत से प्रवर का तात्पर्य है ऋषिगण जो एक गोत्र के सस्थापक को अन्य गोत्र-सस्थापको से पृथक् करते हैं।

यद्यपि ‘प्रवर’ शब्द ऋग्वेद में नहीं आता, किन्तु इसका समानार्थक शब्द ‘आप्येय’ प्रयुक्त हुआ है, अतः प्रवर-प्रणाली का आधार ऋग्वेदीय है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद (१९।७।५) में आया है—“उससे हम धन एव जम-दन्नि सरीसे आप्येय प्राप्त करें।” बन्नी-कमो अग्नि का आवाहन बिना प्रवर या आप्येय शब्द का प्रयोग किये किया जाता है। ऋग्वेद (८।१०।२।४) में आया है—“मैं अग्नि को ओर्व, मृगु, अप्णवान की भाँति बुलाता हूँ।” आश्चर्य की बात तो यह है कि ये तीनों प्रवर ऋषियो की ध्येयो में रखे जाते हैं (बौधायन ३)। ऋग्वेद (१।४५।३) में आया है—“हे जातवेदा (अग्नि), प्रस्वप्न पर भी ध्यान दो, जैसा कि प्रियमेघ, अत्रि, विरूप एव अगिरा पर देते हो।” इसी प्रकार ऋग्वेद (७।१८।२) में पराशर, शतयानु एव वसिष्ठ के नाम आये हैं। इस मन्त्र में जिस पराशर का नाम आया है वह पद्मचालीन बषाओ में शक्ति का पुत्र एव वसिष्ठ का पौत्र कहा गया है। पराशर गोत्र का प्रवर है पराशर, शक्ति एव वसिष्ठ (आश्वलायन एव बौधायन के मत से)। अथर्ववेद में (१।१।१।१६, १।१।२।२५, २६, ३२, ३३, ३५, १२।४।२ एव १२, १६।८।१२-१३) आप्येय का अर्थ है “ऋषियो के वंशज या वे जो ऋषियो से सम्बन्धित हैं।” तीर्त्तरीय संहिता में आप्येय एव प्रवर सूत्रो में प्रयुक्त अर्थ में ही लिखित हैं (२।५।८।७)। मृगु का प्रवर है “मार्गव-व्यवन-अप्ण-वानोर्व-जामदग्न्य।” कौषीतकि (३।२) एव ऐतरेय ब्राह्मण (३।४।७) में प्रवर के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। आश्वलायनश्रौतसूत्र (उत्तरपट्टक ६।१५।४-५) एव बौधायनश्रौतसूत्र (प्रवरप्रश्न ५४) के मत से शत्रियो एव वैश्यो के प्रवर उनके पुरोहित के प्रवर होते हैं या “मानव-ऐल-पौरुवरस” या केवळ “मनुवत्”। शतपथब्राह्मण (१।४।२।३-४) का कहना है कि यशस्वी पूर्वज, जिनका आवाहन किया जाता है, पिता एव पुत्र की भाँति सम्बन्धित या कल्पित किये गये हैं, उनके पीछे कोई देवी अनुक्रम नहीं पाया जाता।

महामारत के अनुसार मौलिक गोत्र केवल चार थे—अगिरा, वश्यप, वसिष्ठ एव मृगु (शान्तिपर्व २९७।१७-१८)। सम्भवतः यह चर्च की कोरी कल्पना मात्र है। बौधायन ने मूल गोत्र आठ माने हैं किन्तु उनमें मत से मृगु एव अगिरा (जिनके भाग एव उपभाग बहुत हैं) आठ गोत्रो में नहीं आते। स्पष्ट है, बौधायन को भी वास्तविक आठ गोत्रो के नाम अज्ञात-से थे। गौतम एव मरद्वाज आठ में दो मौलिक गोत्र हैं, किन्तु वे एक साथ ही आगिरस गण में रख दिये गये हैं।

अतः बौधायन की सूची मी कति प्रामाणिक नहीं ठहरती। बालमट्टी ने १८ मुख्य गोत्र (बौधायन वाले ८+१० जिनमें कुछ कथाओं के राजाओं के नाम हैं) बताये हैं। बौधायन ने सहस्रो गोत्र बताये हैं और उनके प्रवराश्रय में ५०० गोत्रों एवं प्रवर ऋषियों के नाम हैं। प्रवरमजरी के अनुसार तीन करोड़ गोत्र हैं, इतने समग्र ५००० गोत्र बताये हैं। अतः जैसा कि स्मृत्यर्थसार का कथन है, निबन्धों में असंख्य गोत्रों की पर्याप्त की है और उन्हे ४९ प्रवरों में बाँट दिया है।

भृगुगण एवं अगिरागण का अति विस्तार है। भृगुओं के दो प्रकार हैं, जामदग्न्य एवं अजामदग्न्य। जामदग्न्य भृगुओं को पुनः दो भागों में बाँटा गया है, यथा—वत्स एवं बिद (या विद) और अजामदग्न्य भृगुओं को पाँच भागों में बाँटा गया है, यथा—आष्टिपेण, यास्क, मित्रयु, वैत्य एवं शुनक। इन पाँचों को केवल भृगु मी कहा जाता है। इन उपविभागों के अन्तर्गत बहुत-से गोत्र हैं, जिनकी संख्या एवं नामों के विषय में सूत्रकारों में मतभेद नहीं है। जामदग्न्य-वत्सों के प्रवर में पाँच (बौधायन) या तीन (कात्यायन) ऋषि हैं, बिदों एवं आष्टिपेणों के प्रवर में पाँच ऋषि हैं। ये तीन (वत्स बिद, आष्टिपेण) पञ्चाशत्ती (बौधायन) बड़े जाते हैं और इनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता। पाँच अजामदग्न्य भृगुओं में बहुत-से उपविभाग हैं, आपस्तम्ब ने उनकी छः उपशाखाएँ किन्तु कात्यायन ने १२ बतायी हैं।

अगिरागण के तीन विभाग हैं, यथा—गौतम, भरद्वाज एवं केवलागिरस, जिनमें गौतमों में सात उपविभाग, भरद्वाजों में चार (रोषासन, गर्ग, कपिल एवं केवल भरद्वाज) एवं केवलागिरसों में छः उपविभाग हैं और इनमें प्रत्येक बहुत-से भागों में बँटा हुआ है। यह सब विभाजन बौधायन के अनुसार है।

अत्रि (मूल आठ गोत्रों में एक) चार भागों में बँटा है (मुख्य अत्रि, वाद्मूतक, गर्वाक्षर एवं मुद्गल)। विश्वामित्र दस भागों में बँटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपशाखाओं में विभाजित है। कश्यप के उपविभाग हैं—बन्धुप, निधुव, रेभ एवं शण्डिल। वसिष्ठ के भी चार उपविभाग हैं (एक प्रवर वाले वसिष्ठ, बुधिन, उपमन्यु एवं पराशर), जिनमें प्रत्येक के १०५ प्रवार हैं। अगस्त्य के तीन उपविभाग हैं (अगस्त्य, सोमवाह, यज्ञवाह), जिनमें प्रथम २० उपविभागों में बँटा है।

जब यह कहा जाता है कि सगोत्र एवं सप्रवर विवाह वर्जित है, तो उपर्युक्त सभी पृथक् रूप से बाधा रूप में भा उपस्थित होते हैं। अतः एक लड़की जो सप्रवर नहीं है किन्तु सगोत्र होने के नाते, तथा सगोत्र नहीं है किन्तु सप्रवर होने के नाते, विवाह के योग्य नहीं मानी जा सकती। उदाहरणार्थ, यास्क, वाधूलो, मीनो, मौक्तिकों के गोत्र विभिन्न हैं, किन्तु इनमें विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इनका प्रवर है "भार्यव-वैतहव्य-सावैतस।" इसी प्रकार सृष्टिमो, पूतिभासो, तण्डियो, शम्भुओं एवं शयधों के गोत्र विभिन्न हैं किन्तु उनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका प्रवर समान है, यथा—आगिरा, गौरीवीर, साहृत्य (आश्वलायनश्रौतसूत्र के मत से)। यदि दो गोत्रों के प्रवरों में एक मी समान ऋषि हो गया तो दोनों गोत्र सप्रवर बड़े जायेंगे। किन्तु इस प्रकार की सप्रवरता भृगु एवं अगिरागण में नहीं होती।

यद्यपि अधिवास गोत्रों के तीन प्रवर ऋषि हैं, किन्तु कुछ प्रवर एवं ऋषि वाले, या दो ऋषि वाले, या पाँच ऋषि वाले होते हैं। मित्रयुओं में, आश्वलायन के मत से एक ऋषि प्रवर है, यथा—प्रवर वाधुपरव, वसिष्ठो (बुधिनो, पराशरो एवं उपमन्युओं को छोड़कर) में एक प्रवर ऋषि वासिष्ठ है, शूनको में एक प्रवर ऋषि गृह्यमद या शौनक या गार्त्समद है, अगस्तियों में एक प्रवर ऋषि आगस्त्य है। इसी प्रकार अन्य गोत्रों के प्रवर हैं। स्थान-संबन्ध के कारण हम विस्तार छोड़े जा रहे हैं।

कुछ ऐसे कुल हैं जो द्विगोत्र कहे जाते हैं। इनके लिए आश्वलायन ने "द्विप्रवाचना" शब्द प्रयुक्त किया है।

वे मूलत तीन हैं, यथा शौग-शैशिरि, सङ्कति एव लौगासि। भरद्वाज गोत्र की उपशाखा युग द्वारा विश्वामित्र की उपशाखा के शैशिरि की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ (नियोग प्रथा द्वारा), वह पुत्र शौग-शैशिरि कहलाया। अतः शौग-शैशिरि लोग भरद्वाज एव विश्वामित्र गोत्रो मे विवाह नहीं कर सकते। इनका प्रवर है आगिरस-ब्राह्मण-भारद्वाज-वात्स्याकील। एक प्रवर मे चार ऋषि और पाँच से अधिक नहीं हो सकते। अन्य द्विगोत्रो के विषय मे सत्कारकौस्तुभ (पृ० ६८२-६८६), निर्णयसिन्धु (पृ० ३००) आदि देखे जा सकते हैं। दत्तक पुत्र के विषय मे शौग-शैशिरि की भाँति दोनो कुलो के गोत्र एव प्रवर गिने जाते हैं और इस प्रकार दोनो कुलो मे विवाह-सम्बन्ध वर्जित है। इस विषय मे हम मनु (१।१४२) को भी पढ़ सकते हैं।

राजाओ एव क्षत्रियो के गोत्रो एव प्रवरो के विषय मे भी कुछ जान लेना परमावश्यक है। ऐतरेयब्राह्मण (३।५।५) के अनुसार क्षत्रियो के प्रवर उनके पुरोहितो के प्रवर होते हैं। इससे लगता है कि ऐतरेय के काल तक बहुत-से क्षत्रिय अपने गोत्रो एव प्रवरो के नाम भूल गये थे। श्रौतसूत्रो ने लिखा है कि क्षत्रिय एव राजा लोग अपने पुरोहितो का प्रवर काम मे ला सकते हैं या उनका प्रवर है "मानव-ऐल-भौरवस।" मेघातिथि (मनु ३।५) ने लिखा है कि गोत्रो एव प्रवरो की बातें मुख्यत ब्राह्मणो से सम्बन्धित हैं, क्षत्रियो एव वैश्यो से नहीं। यही बात मिताक्षरा मे भी पायी जाती है, उनके तथा अन्य निबन्धकारो के अनुसार क्षत्रियो एव वैश्यो के विवाह मे उनके पुरोहितो के गोत्रो एव प्रवरो की गणना होती है, क्योंकि उनके लिए विशिष्ट गोत्र एव प्रवर है ही नहीं। यह सिद्धान्त 'अतिदेश' (आरोपण) का सूचक है क्योंकि हम प्राचीन साहित्य एव अभिलेखो से यह बात ज्ञात है कि राजाओ के गोत्र होने थे। महामारत मे आया है कि जब युधिष्ठिर ब्राह्मण के रूप मे राजा विराट के यहाँ गये तो उनसे गोत्र पूछा गया और उन्होंने बताया कि वे वैया-ग्रपथ गोत्र के हैं (विराटपर्व ७।८-१२)। यह गोत्र वास्तव मे पाण्डवो का गोत्र था। पाण्डवो का प्रवर साङ्कति था। काची के पल्लवो का गोत्र था भारद्वाज। चालुक्यो का गोत्र मानव था। जयचन्द्र देव का गोत्र दत्त तथा प्रवर भागव-ज्यवन-अम्बवान-और्व-जामदग्न्य था। इसी प्रकार अनेक अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनमे राजाओ के गोत्रो एव प्रवरो के नाम प्राप्त होते हैं। कोई भी विद्वान् सूत्रों एव निबन्धो मे दिये गये गोत्रो एव प्रवरो की सूची की अभिलेखों से प्राप्त सूची से तुलना कर सकता है और यह अध्ययन मनोहर एव मनोरंजक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक एव सांस्कृतिक महत्व रख सकता है। देखिए एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० ५, जिल्द ६, पृ० ३३७, जिल्द १६ पृ० २७४, जिल्द १९, पृ० ११५-११७, २४८-२५०, जिल्द १४, पृ० २०२, जिल्द १३, पृ० २२८, जिल्द ८, पृ० ३१६-३१७, जिल्द ९, पृ० १०३, जिल्द १२, पृ० १६३-१६७, गुप्त इतिहास, नं० ५५, एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० १०, ल्यूडर की सूची नं० १५८।

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार वैश्यों का केवल एक प्रवर है 'वात्सप्र', किन्तु बौधायन के अनुसार तीन प्रवर हैं, यथा मालन्दन-वात्सप्र-भाक्तिल। वैश्य लोग अपने पुरोहितो के प्रवर भी प्रयोग मे ला सकते हैं। सत्कारप्रकाश (पृ० ६५९) के मत से मालन्दन वैश्यो का गोत्र है।

आपस्तम्ब के मत से यदि अपना गोत्र एव प्रवर स्मरण न हो तो आचार्य (वेदगुरु) के गोत्र एवं प्रवर काम मे लाये जा सकते हैं। किन्तु इस विषय मे स्मरणीय यह है कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने आचार्य की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, किन्तु आचार्य के गोत्र एव प्रवर वाले अन्य व्यक्तियो की कन्याओ से विवाह कर सकता है। सत्कारकौस्तुभ एव सत्कारप्रकाश (पृ० ६५०) के मत से यदि अपना गोत्र न ज्ञात हो तो अपने को काश्यप-गोत्र कहा जा सकता है। किन्तु यह तभी किया जायगा जब कि गुरु (आचार्य) का गोत्र भी न ज्ञात हो। स्मृतिचन्द्रिका (श्राद्धप्रकरण, पृ० ४८१) का कथन है कि यदि नाना का गोत्र न ज्ञात हो तो पिण्डदान करते समय नाना को काश्यप-गोत्र वा कहा जा सकता है।

काशान्तर में गोत्र से कुल का परिचय भी दिया जाने लगा, ऐसी बात अमिलेसो में प्राप्त होती है। कदम्ब कुल के राजा कृष्णवर्मा के ताग्रलेख में एक सेट (श्रेष्ठी) अपने को सुविपत्यल गोत्र एव प्रवर का फहता है। राजमहेन्द्री के रेड्डी राजा (पूद) अल्लय वेमा अपने को पोलवोला गोत्र का कहते हैं (देसिण एपिप्रेक्रिया इण्डिका, जिल्द १३, पृ० २३७)।

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि सूत्रकारों ने प्रवरों के ऋषियों के नामों में बड़े-बड़े मतभेद सँडे कर दिये हैं। हम एक उदाहरण लें, यथा 'शाण्डिल्य गोत्र'। आश्वलायन ने दो ऋषि-दल दिये हैं, "शाण्डिल—असित—दैवल" या "काश्यप—असित—दैवल", किन्तु आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर में केवल दो ऋषि हैं, यथा "दैवल—असित", किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से तीन ऋषि हैं, यथा "काश्यप—दैवल—असित", किन्तु बौधायन ने चार दल प्रस्तुत किये हैं, यथा "काश्यप—अवत्सार—दैवल इति", "काश्यप—अवत्सार—असित इति", "शाण्डिल—असित—दैवल इति", "काश्यप—अवत्सार—शाण्डिल इति।" इन विभिन्न मतों के लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं? बौधायन (प्रवराध्याय ४४) का कथन है कि लोगक्षि (लोकक्षि) लोग दिन में वसिष्ठ है, किन्तु रात्रि में काश्यप और उनके प्रवर में भी यह द्विधा सम्बन्ध है। स्मृत्यर्थान्तर के अनुसार इसका कारण है प्रयाज, जिसमें दिन में वसिष्ठों की विधि के अनुष्ठान किया जाता है और रात्रि में काश्यपों की विधि के अनुसार।

गोत्रों में कुछ नाम गाथाओं में विद्युत राजाओं एव क्षत्रियों के हैं, यथा वीतहृष्य एव वैन्व तथा प्रवरों में कुछ कल्पनात्मक राजाओं के, यथा मान्याता, अम्बरीष, युवनाश्व, दिवोदास। वीतहृष्य का नाम तो भृगु से सम्बन्धित ऋग्वेद (६।१।५।२-३) में भी मिलता है।

हारीत वा प्रवर या तो "आगिरस-अम्बरीष-युवनाश्व" है या "मान्याता-अम्बरीष-युवनाश्व" है। बहुत-से नात्यनिक राजर्षि भी पाये जाते हैं। भृगुओं में एक उपराजा वैन्व है जो पुनः पापों एव बाष्कलों में विभाजित है। पुष्य भी क्या, जिन्होंने पृथ्वी को दुहा, प्रतिद है (द्रोण-यवं ६९), वे अधिराज कहे गये हैं (अनुशासनपर्व १६६।५५)। वासुपुराण में कई स्थानों में ऐसा आया है कि कुछ क्षत्रियों में ब्राह्मणों के प्रवर अपना लिये, ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर आज सरल नहीं है। हम कल्पनात्मक ढंग से कह सकते हैं कि पुराणों में प्राचीन परम्पराएँ सगृहीत हैं, जिनके अनुसार प्राचीन काल में बर्णों में कोई विशिष्ट रेखा-विभाजन नहीं था और प्राचीन राजा भी वैदिक विद्या में पारंगत होते थे, अपने घर में श्रौत अग्नि प्रज्वलित रखते थे, वे कालान्तर में ऋषिवत् हो गये और उनके नामों के साथ अग्नि का आवाहन किया जाने लगा तथा ब्राह्मण लोग भी इन्हें देवताओं के यजन में प्रार्थना के साथ बुलाने लगे।

गोत्र एव प्रवर में जो सम्बन्ध है, उसके विषय में यों कहा जा सकता है—गोत्र प्राचीनतम पूर्वज है या किसी व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजों में एक है, जिसके नाम से कुल विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उस ऋषि या उन ऋषियों से बनता है जो व्रति प्राचीनतम रहे हैं, अत्यन्त दयास्वी रहे हैं और जो गोत्र-ऋषि के पूर्वज या कुछ दशाओं में अत्यन्त प्रसूयत ऋषि रहे हैं।

हमने देख लिया है कि समोत्र एव सप्रवर विवाह विवाह नहीं गिना जाता और ऐसी विवाहित बन्धा पत्नी नहीं हो सकती। इस प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था? बौधायन (प्रवराध्याय, ५४) के मत से समोत्र कन्या से समोत्र करने पर पान्द्रायण व्रत किया जाना चाहिए और उसके उपरान्त उस नारी को माता या बहिन के समान रखना चाहिए। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं लगता और उसको कन्यक गोत्र दे देना चाहिए। इस विषय में देविए अपरार्क (पृ० ८०)। यदि जान-बूझकर समोत्र या सप्रवर से कोई विवाह कर ले तो वह जातिच्छुत हो जाता है और उससे उत्पन्न पुत्र चाण्डाल कहलाता है (आपस्तम्ब, सत्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृ० ६८०)। उपर्युक्त बौधायन-नियम, जिसके अनुसार बन्धा कन्यक गोत्र का कहलाएगा, केवल अनजाने में समोत्र कन्या से विवाह कर लेने

के विषय मे है। सस्कारप्रकार द्वारा उदयुत कार्यायन के मत से यदि सगोत्र कन्या से विवाह हो जाय तो वह कन्या पुन किसी अन्य से विवाहित की जा सकती है। किन्तु सस्वारप्रकार कार्यायन के इस मत की आधुनिक काल मे वैध नहीं मानता और बेचारी कन्या, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके मत से जीवन भर कुमारी रूप मे न तो विवाहित और न विषदा समझी जायगी।

सगोत्र-सम्बन्ध एक ओर विवाह के लिए सपिण्ड-सम्बन्ध से विस्तृततर है तो दूसरी ओर सकीर्णतर है। एक व्यक्ति सगोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी ही दूरी की सगोत्र दयो न हो। उसी प्रकार एक दत्तक पुत्र सगोत्र की (अपने जनक के कुल की) कन्या से दो कारणों से विवाह नहीं कर सकता, (१) गोद चले जाने पर पिता के घर में बसियत, पिण्डदान आदि पर अधिकार नहीं रख सकता किन्तु पिता के कुल से अन्य सम्बन्ध ज्यों-के-स्थो रहते हैं, (२) मनु (३।५) के कथनानुसार कन्या सगोत्र (घर के पिता के गोत्र की) नहीं होनी चाहिए, अतः गोद चले जाने पर भी वास्तविक पिता का गोत्र देखा जाता है। सपिण्ड-विवाह में प्रतिबन्ध केवल सात या पाँच पीढ़ियों तक माना जाता है, किन्तु सगोत्र पर प्रतिबन्ध अनगिनत पीढ़ियों तक चला जाता है। सपिण्ड एक ही गोत्र (सगोत्र) का या विभिन्न गोत्र का समव है, कुछ सीमा तक सपिण्ड में सगोत्र एवं विभिन्न गोत्र आ जाते हैं। निम्न गोत्र वाले बन्धु बहलाते हैं (मिताक्षरा), वे सभी सजाति हैं और दाय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

विवाह सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। स्मृतिमुक्ताफल ने हारीत को उद्धृत करके बताया है कि अपनी कन्या देकर दूसरे की कन्या अपने पुत्र के लिए लेना, एक ही व्यक्ति की दो कन्या देना (उसी समय) और अपनी दो कन्याएँ दो भाइयों को एक साथ ही देना वर्जित है। किन्तु आज ये नियम केवल नियम मात्र रह गये हैं। आधुनिक भारत में मृत पत्नी की बहिन से विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता।

कन्या का विवाह कौन तय करता है और कौन उमका दान करता है? विष्णुधर्मसूत्र के मत से क्रम से पिता, पितामह, माई, कुटुम्बी, नाना, नानी कन्या को विवाह में दे सकते हैं (२४।३८-३९)। याज्ञवल्क्य (१।६३-६४) ने थोड़ा अन्तर किया है। उन्होंने नाना को छोड़ दिया है और कहा है कि जब अग्निदासकृत्य हो या किसी दोष से परा-भूत हो तो कन्या को स्वयंवर करना चाहिए अर्थात् अपने से अपना पति चुनना चाहिए। नारद ने निम्न प्रकार का अनु-क्रम रखा है, पिता, माई (पिता की राय से), पितामह, मामा, सकुल्य, शन्धव, माता (यदि तन-मन से स्वस्थ हो), तब दूर के सम्बन्धी, इसके उपरान्त राजाज्ञा से स्वयंवर (स्त्रीपुस, २०-२३)। कन्यादान करना केवल अधिकार मात्र नहीं था, प्रत्युत एक उत्तरदायित्व था (याज्ञवल्क्य १।६४); यदि समय से कन्यादान न किया जा सके तो भ्रूणहत्या का पाप लगता है। स्वयंवर का प्रचलन रामायण एवं महाभारत से ज्ञात होता है, किन्तु वह केवल राजकीय कुलों तक ही सीमित था। मनु (१।९०-९१) के मत से विवाह योग्य हो जाने के तीन वर्ष तक बाट जोहवर स्वयंवर विद्या जाना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२४।४०) के अनुसार युवावस्था प्राप्त कर लेने पर तीन बार मासिक धर्म हो लेने के उपरान्त कन्या को अपना विवाह कर लेने का पूर्ण अधिकार है।

स्मृतियों में पुरुष के विवाह के विषय में व्यवस्था देनेवाले की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि वधु अवस्था वाले लड़के के विवाह का प्रश्न ही नहीं था।

कन्यादान के सिलसिले में माता को उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है, क्योंकि वह स्वयं आश्रितावस्था में रहती थी और उसे यह कार्य किसी पुरुष सम्बन्धी से कराना पड़ता था। आधुनिक भारत में माता कन्या के लिए वर चुनने की अधिकारिणी है, किन्तु कन्यादान किसी पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। धर्मसिन्धु के मत से यदि कन्या स्वयंवर करे, या माता कन्यादान करे तो कन्या या माता को नान्दीश्राद्ध एवं मुख्य सकल्प करना चाहिए, किन्तु अन्य कृत्य किसी ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तव में मुख्य बात विवाहकर्म है, यदि विवाह सप्तपदी वे द्वारा सम्पादित हो चुका

हो तो उसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, मते ही पिता के रहते उसका सम्पादन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ हो। विन्दु विवाह के पूर्व अपितारी व्यक्तिगतों के रहते किसी अन्य व्यक्ति को कन्यादान करने से रोका जा सकता है।

विवाह में कन्या-श्रय के विषय में भी कुछ लिखा देना आवश्यक है। मैत्रायणी संहिता (१११०।११) में आया है कि वह यास्तव में मापी है जो पति द्वारा श्रित हो जाने पर अन्य पुरुषों के साथ छूमती है। जैमिनि (६।१।१५) के मत से १०० गाये एव रथ देकर कन्या का विवाह करना कन्या का श्रय नहीं कहा जा सकता, यह तो केवल भेट-भार है। जैमिनि के कथन से व्यक्त होता है कि यदि मैत्रायणी संहिता के समय कन्या-श्रय की प्रथा थी तो वह भर्त्सना के योग्य थी। स्पष्ट है, सूत्रकारों के काल में कन्या-श्रय की भर्त्सना पूर्णरूप से होती थी। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१३।१०-११) का कथन अवलोकनीय है—“ब्रूया को भेट म अथवा श्रय म नहीं दिया जा सकता, विवाह में वेद द्वारा आर्भापित जो भेट कन्या के पिता को दी जाती है (यथा 'अत १०० गाये एव एव रथ कन्या के पिता को दिये जाने चाहिए, और यह भेट विवाहित जोड़े की है), यह कन्या के पिता की एव अमिलाषा मात्र है, उसानी कन्या को तथा उसके बन्धुओं को एव अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो जाय, यह रीति इसकी द्योतक है, न कि कन्या के श्रय या विश्रय की सूचक है। 'विक्रय' शब्द का प्रयोग केवल आलम्बित है, क्योंकि पति पत्नी का सम्बन्ध विक्रय से नहीं उत्पन्न होता प्रत्युत धर्म से।”

ऋग्वेद (१।१०।१२), मैत्रायणी संहिता (१।१०।१), निहस्त (६।९, ३।४), ऋग्वेद (३।३।१।१), ऐतरेय ब्राह्मण (३।३), तैत्तिरीय संहिता (५।२।१।३), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।१०) आदि के अवलोकन से विदित होता है कि प्राचीन काल में विवाह के लिए लड़कियाँ का श्रय विवच्य होता था। यह प्रथा अन्य देशों में भी थी। विन्दु यह पारणा कथा समाप्त हो गयी और वर पक्ष से कुछ लेना पापमय समझा जाने लगा। बोधायनधर्मसूत्र (१।१।१२०-२१) में दो उद्धरण दिये हैं, “जो स्त्री धन देकर लाम्यी जाती है, वह वैध पत्नी नहीं है, वह पति के साथ देव-युजन, भास्त्र आदि में भाग नहीं ले सकती, कश्यप ऋषि ने उसे दासी ब्रूया है। जो लोभ के बंधा हो अपनी कन्याओं का विवाह शुल्क लेकर करते हैं, वे मापी हैं, अपने आत्मा को बेचने वाले हैं, महान् पातक करने वाले हैं और नरक में जाते हैं, आदि।” बोधायन ने पुनः लिखा है—“जो अपनी कन्या को बेचता है, अपना पुण्य बेचता है।” मनु (३।५१, ५४-५५) ने लिखा है—“पिता को अपनी कन्या के बल पर कुछ भी प्रहण नहीं करना चाहिए, यदि वह कुछ लेता है तो कन्या को बेचने वाला कहा जायगा, यदि कन्या के सम्बन्धी लोग वर-पक्ष द्वारा दिये गये पदार्थ कन्या को दे देते हैं, तो यह कन्या-विक्रय नहीं कहा जायगा। इस प्रकार वर धन लेना (अर्थात् वरपक्ष से लेकर कन्या को दे देना) कन्या को आदर देना है। पिताओं, भाइयों, पत्नियों एवं बहनों-इसको चाहिए कि वे अपने कल्याण के लिए लड़कियों को आमूल्य आदि देकर उन्हें सम्मानित करें।” देखिए मनु (१।१२८)। मनु (१।१६१) एवं याज्ञवल्क्य (३।२३६), ने कन्या-विक्रय को उपपातक कहा है। महाभारत (अनुशासनपर्व ९३।१३३ एवं ९४।३) में कन्या-विक्रय की भर्त्सना भी है। अनुशासनपर्व (४५।१८-१९) में आया है (यम की गुणायों के विषय में) कि जो “अपने पुत्र को बेचता है, या जीविका के लिए कन्या-विक्रय करता है वह भयानक नरक अर्थात् बालभूत में गिरता है। अपरिचित व्यक्ति को भी नहीं बेचना चाहिए, अपने बन्धुओं की तो बात ही निराली है।” (अनुशासनपर्व ४५।२३)। अनुशासनपर्व (४५।२०) एव मनु (३।५३) ने आर्य विवाह की भर्त्सना की है, क्योंकि उसमें वर के पिता से युग्म पशु लेने की बात है। वेदक या महाभारत में ऐसा विश्वास है कि महान् शुभ शकराचार्य ने ६४ आचारों में कन्याविक्रय-प्रतिबन्ध, सती-प्रतिबन्ध आदि को भी रखा है (देखिए इण्डियन एडिजबेरी, जिल्द ४, पृ० २५५-२५६, और अत्रि ३८९ एव आपस्तम्ब (पृष्ठ), १।२५)। बर्कट जिले के उत्तरी भाग के पदवीडु अमिलेख (१४२५ ई०) से पता चलता है कि बर्कट, तमिल, तेलुगु एव साट (दक्षिण गुजरात) में ब्राह्मण प्रतिनिधियों ने एक समविषय पर हस्ताक्षर दिये कि वे कन्या के विवाह में वर-श्रय से रोना आदि नहीं

लेंगे, यदि कोई ऐसा करेगा तो वह राजा द्वारा दण्डित होगा और ब्राह्मणजाति से च्युत हो जायगा। लगभग १८०० ई० में पेशवा ने ऐसी आज्ञा निकाली कि यदि कोई कन्या-विक्रय करेगा तो उसे तथा देनेवाले एव अगुआ को घन-दण्ड देना पड़ेगा। आधुनिक काल में कुछ जातियों एव कुछ शूद्रों में कुछ धन लेने की जो प्रथा है, वह केवल विवाह-व्ययभार वहन के लिए अथवा कन्या को दे देने के लिए है।

बच्चों पर पिता का क्या अधिकार है? विवाह में कन्या-विक्रय का प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित-सा है। ऋग्वेद (१।११६।१६) में ऋष्याश्व की गाथा प्रसिद्ध है, ऋष्याश्व के पिता ने उसकी आँखें निकाल ली, क्योंकि उसने (ऋष्याश्व ने) एक सौ भेड़ें एक भेड़िया को दे दी थी। लगता है, यहाँ कोई रूपक है, क्योंकि ऐसी बात अस्वामाविक-सी लगती है। शुनशोष (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) की आख्यायिका से पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बेचे, ऐसा बहुत कम होता था। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।३०-३१) के अनुसार शुनशोष का वृत्तान्त पुत्र-त्रय का उदाहरण है (पुत्र १२ प्रकार के होते हैं)। इसी सूत्र (१७।३६-३७) ने यह भी लिखा है कि 'अपविद्ध' पुत्र वह पुत्र है जो, अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाता है और दूसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात मनु (९।१७१) में भी पायी जाती है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१५।१-३) के कथनानुसार बच्चों पर माता-पिता का सम्पूर्ण अधिकार है, वे उन्हें दे सकते हैं, बेच सकते हैं या छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के शूक्र-शोणित से बच्चों की उत्पत्ति होती है। किन्तु यदि एक ही पुत्र हो तो वह न बेचा जा सकता है और न सरीरा जा सकता है। मनु (८।४१६) एव महाभारत (उद्योगपर्व ३३।६४) के अनुसार स्त्री, पुत्र एव दास धनहीन होते हैं। क्योंकि वे जो कमाते हैं वह उनका है, जिनके वे होते हैं। मनु (५।१५२) के मत से "कन्या के पिता की ओर से) जो भेट मिलती है, वह पति के स्वामित्व की द्योतक होगी है।" क्रमशः कुछ विचारों में उत्पन्न हो जाने से पिता के कठोर स्वामित्व का बल कम होता चला गया, यथा—पुत्र स्वयं पिता के रूप में बार-बार उत्पन्न होता है, क्योंकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्वजों को पिण्डदान देकर आध्यात्मिक लाभ कराता है। इस प्रकार पिता का पुत्र पर जो अत्यधिक स्वामित्व था, वह शिथिल पड़ गया। कौटिल्य (३।१३) ने लिखा है कि अपने बच्चों को बेचकर या बन्धक रखकर म्लेच्छ लोग पाप के भागी नहीं होते, किन्तु आर्य दास की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। इस विषय में और देखिए याज्ञवल्क्य (२।१७५), नारद (दत्ताप्रदानिक, ४), कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत, पृ० १३२), याज्ञवल्क्य (२।११८-११९), मनु (८।३८९), याज्ञवल्क्य (२।२३४), विष्णुधर्मसूत्र (५।११३-११४), कौटिल्य (३।२०), मनु (८।२९९-३००)।

क्या पत्नी एव बच्चों पर स्वामित्व होता है? जैमिनि (६।७।१-२) ने विद्वज्जित् यज्ञ के बारे में लिखते समय कहा है कि इस में अपने माता-पिता एव अन्य सम्बन्धियों को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१७५) के अनुसार यद्यपि पत्नी या बच्चे भेट रूप में किसी को नहीं दिये जा सकते, तथापि उन पर स्वामित्व रहता है। यही बात वीरमित्रोदय (पृ० ५६७) में भी पायी जाती है।

बालहत्या के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। विस्वात समाजशास्त्री वेस्टरमार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट आव मॉरल आईडिया' (जिल्द १, १९०६) में प्राचीन एव आधुनिक काल के असभ्य एव सभ्य देशों में बालहत्या के विषय पर प्रकाश डाला है। धीरे-धीरे देश के स्पार्टा प्रान्त में शक्तिशाली एवं स्वस्थ लड़कों की प्राप्ति के लिए एवं राजपूतों में कुल-सम्मान एव विवाह में घन-व्यय रोकने के लिए बाल-हत्या होती थी। वेस्टरमार्क का यह वचन कि वैदिक काल में बाल-हत्या होती थी, भ्रामक है। ऋग्वेद (२।२९।१) का 'आरे मत्कतं रहसुरिवाण' का संकेत बालहत्या की ओर नहीं है, बल्कि यह तो कुमारी के भ्रूण त्याग की ओर संकेत है, क्योंकि ऐसी सन्तान मुक्त प्रेम की सूचक है और असामाजिक मानी जाती रही है। कुछ यूरोपियन विद्वान्, इनम जिम्मर एव डेलब्रुक मुख्य हैं, तीर्तरीय संहिता (५।१०।३) का उल्लेख करते हैं जिसमें आया है—'वे अवभृष (अन्ध्रम यज्ञिय

स्नान) के पास जाते हैं, वे पालियाँ अलग रखते हैं, वे वायु के लिए बरतन ले जाते हैं, अन्न उत्पन्न होने पर कन्या को अलग रखते हैं और आनन्द के साथ पुत्र को ग्रहण करते हैं।" विन्तु यहाँ तो केवल इतना ही सनेत है कि पुत्री को अपेक्षा पुत्र की आवश्यक अधिक होती है, अर्थात् पुत्री के जन्म की अपेक्षा पुत्र के आगमन पर अधिक हर्ष प्रकट किया जाता है। यह बात ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१) में वर्णित भावना का एक रूप मात्र है, "पत्नी वास्तव में मित्र है, पुत्री बलेश (दृष्टण या अपमान) है पुत्र सर्वोत्तम स्वर्ग में प्रकाश है।" इस विषय में देखिए आदिपर्व (१५१।११)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१५।१३) ने लिखा है कि यात्रा से लौटने पर पिता को पुत्री से भी कुशल वचन कहना चाहिए, हाँ अन्तर यह है कि पुत्र से मिलते समय उस का माथा चूमना चाहिए और दाहिने कान में कुछ मग्न पड़ने चाहिए। मनु (१।२३२) के मत से राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड दे जो स्त्री, उच्च या ब्राह्मण को मार डालता है।" मनु (१।१३०) एवं अनुशासनपर्व (४५।११) के मत से, "जिस प्रकार पुत्र आत्मा है, उसी प्रकार पुत्री है, पिता की मृत्यु पर पुत्री ने रहते हुए अन्य व्यक्ति उसका धन कैसे ले सकता है।" यही बात नारद (दायभाग, ५०) एवं बृहत्सपति में भी पायी जाती है। कन्या के जन्म पर पिता जो प्रसन्न नहीं होता, उसका कारण है पुत्री के भविष्य के विषय में चिन्ता आदि, न कि पिता द्वारा अपनी पुत्री को पुत्र के समान प्यार नहीं करना। समाज ने सर्वत्र स्त्रियों से उच्च नीतिगता की अपेक्षा की है, और पुरुषों के बहुत-से अर्न्तिक कर्मों को अपेक्षाकृत क्षम्यता की दृष्टि से देखा है (रामायण, उत्तरकाण्ड १।१०-११)। प्राचीन साहित्य ने सभी स्थानों में स्त्रियों को मर्त्याना की दृष्टि से नहीं देखा है। पत्नी पति की अर्थांगिनी कही गयी है। ऋग्वेद (३।५३।४) ने पत्नी को आराम वा घर कहा है (जायेदस्तम्)। यही बात दूसरे रूप में छान्दोग्योपनिषद् में पायी जाती है, "स्वप्न में स्त्री-दर्शन शुभ है, धार्मिक कृत्यों की सफलता का चोतक है।" मनु (३।५६-अनुशासनपर्व ४६।५) ने यद्यपि अन्यत्र स्त्रियों को कठोर वचन कहे हैं किन्तु एक स्थान पर लिखा है—"जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता रहना पसन्द करते हैं, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ धार्मिक कृत्यों का लोप ही जाता है।" कुमारियों को पूत एवम् शुभ कहा गया है। रघुवरा ने आया है कि जब राजा राजधानी से निकलते थे तो कुमारियाँ मुने धान से उनका अभिनन्दन करती थीं (रघुवरा २।१०)। दौनकवर्तिका ने कुमारी को आठ धान पदार्थों में गिना है। द्रोणपर्व (८२।२०-२२) में आया है कि युद्ध-यात्रा के पूर्व अर्जुन ने धान वस्तुओं में अलङ्कृत कुमारी का भी स्पर्श किया था। गोमिलस्मृति (२।१६३) के अनुसार प्रातःकाल उठते ही सीमाव्यवती नारी का दर्शन बडिनाइयों को मगाने वाला होता है। वामनपुराण (१।४।३५-३६) के अनुसार पर छोड़ते समय अन्य पदार्थों के साथ ब्राह्मण-कुमारियों का दर्शन भी शुभ है।

अब हम विवाह के शुभ कालों का वर्णन करेंगे। ऋग्वेद (१०।८५।१३) में विवाहसूक्त में ये शब्द आये हैं— "अथाजो पर गार्ग्यं सहत की जाती है और कन्या (विवाहित होने पर पिता के घर से) फल्गुनिमी में ले जायी जाती है।" गार्ग्य मयुक्ते में सहत की गयी और विवाह के दिन वर को दी गयी। मघा नक्षत्र के उन्नयान्त दो फल्गुनी तुल्य आ जाते हैं। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१-२) में भी उपर्युक्त कथन की ध्वनि मिलती है— "मघा में गार्ग्य स्वीकार की जाती है और फल्गुनिमी में (विवाहित) कन्या (पति के घर को) ले जायी जाती है। उपर्युक्त ऋग्वेदीय सूक्त में 'अथा' का तात्पर्य 'मघा' होता है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।४।१) के अनुसार सूर्य के उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में, किसी

१८. सत्ता ह जाया कृपण हि बुहिता ज्योतिह पुत्रः परमे ध्योमन्। ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१)। अथवा पुत्र सत्ता भार्या कृच्छं तु बुहिता तिल। आदिपर्व १५१।११। मिसाद्रए मनु (४।१८४-१८५)—'भार्या पुत्र स्वका तनु। द्रामा स्वो शसवर्गं च बुहिता कृपण परम्।'

चान्द्र नक्षत्र में चौल, उपनयन, मोदान एव विवाह सम्पादित होते हैं, किन्तु कितनेही विद्वानों के मत से विवाह कर्मी भी किये जा सकते हैं (केवल उत्तरायण आदि में ही नहीं)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।१२-१३) के अनुसार शिशिर के दो मास अर्थात् माघ एव फाल्गुन छोड़कर तथा ग्रीष्म के दो मास (ज्येष्ठ-आषाढ़) छोड़कर सभी ऋतु विवाह के योग्य हैं, इसी प्रकार सभी शुभ नक्षत्र भी इसके लिए उपयुक्त हैं। इसी सूत्र (३।३) ने पुन निष्य्या अर्थात् स्वाति नक्षत्र को उत्तम माना है (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।२ एव बौधायनगृह्यसूत्र १।१।१८-१९)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र ने विवाह के लिए रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति को अच्छे नक्षत्रों में गिना है, किन्तु पुनर्वसु, तिष्य (पुष्य), हस्त, श्रवण एव रेवती को अन्य उत्सवों के लिए शुभ माना है। अन्य मत देखिए मानवगृह्यसूत्र (१।७।५), काठकगृह्यसूत्र (१।४।१।१०), वाराहगृह्यसूत्र (१०)। रामायण (धालकाण्ड ७२।१३ एव ७१।२४) एव महाभारत (आदिपर्व ८।१६) ने भगदेवता के नक्षत्र को विवाह के लिए ठीक माना है। कौशिकसूत्र (७।५।२-४) ने आधुनिक काल के समान ही कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के उपरान्त से बैशाख पूर्णिमा तक विवाह करना चाहिए, या कमी भी, किन्तु चैत्र के आधे भाग को छोड़ देना चाहिए।

मध्य काल के निबन्धों में फलित ज्योतिष के आधार पर बहुत लम्बा-चौड़ा आख्यान प्रकट किया है, जिसका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। एक-दो उदाहरण यहाँ दे दिये जाते हैं। उद्गाहृतत्व (पृ० २४) ने राजमार्तण्ड एव मुज-बलमीम को उद्धृत करते बताया है कि चैत्र एव पीप को छोड़कर सभी मास शुभ हैं। उसने यह भी लिखा है कि उचित अवस्था से अधिक अवस्था पार कर लेने पर किसी शुभ मूहूर्त की बाट नहीं जाँहनी चाहिए, केवल दस वर्ष की कन्या के लिए ही शुभ मूहूर्तों की खोज करनी चाहिए। सत्काररत्नमाला (पृ० ४६०) का कहना है कि सूत्रों स्मृतियों में शुभ मूहूर्तों के विषय में मतभेद है, अतः अपने देश के आचार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र एव पुत्री का विवाह उनके जन्म के मास, दिन या नक्षत्र में भी नहीं करना चाहिए। सप्ताह में बुध, सोम, शुक्र एव बृहस्पति उत्तम दिन हैं, किन्तु मदनपारिजात के अनुसार रात्रि में विवाह करने से सभी दिन अच्छे हैं। लडकियों के विवाह में चन्द्र का शक्तिशाली स्थान में रहना आवश्यक है। लडका और लडकी के जन्म के समय वे नक्षत्र एव राशि से ज्योतिष-सम्बन्धी गणना आठ प्रकार से की गयी है, जिसे कूट कहा गया है और वे कूट हैं—वर्ण, वय, नक्षत्र, योनि, ग्रह (दो राशियों पर राज्य करने वाले ग्रह), गण, राशि एव नाडी। इनमें से प्रत्येक बाद वाला अपने से पूर्व से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। गण एव नाडी की विशेष महत्ता है, अतः यहाँ पर उनका सशिक्षित विवरण उपस्थित किया जाता है। २७ नक्षत्रों को ३ दलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक दल देवगण, मनुष्यगण एव राक्षसगण के साथ लगा हुआ है। यथा—

देवगण	मनुष्यगण	राक्षसगण
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका
मृगशिरा	रोहिणी	आश्लेषा
पुनर्वसु	आर्द्रा	मघा
पुष्य	पूर्वा फाल्गुनी	चित्रा
हस्त	उत्तरा फाल्गुनी	विशाखा
स्वाति	पूर्वाषाढा	ज्येष्ठा
अनुराधा	उत्तराषाढा	मूल
श्रवण	पूर्वाभाद्रपद	घनिष्ठा
रेवती	उत्तराभाद्रपद	शततारका

यदि वर एव कन्या एक ही दल के नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हों, उन्हें सर्वोत्तम माना जाता है। किन्तु यदि उनके जन्म के नक्षत्र विभिन्न दलों में पड़ते हैं तो निम्न नियमों का पालन किया जाता है—यदि उनके नक्षत्र देवगण एव मनुष्यगण में पड़ते हैं तो इसे मध्यम माना जाता है। यदि वर का नक्षत्र देवगण या राक्षसगण में पड़े, तो कन्या का मनुष्यगण में माना जाता है, किन्तु यदि कन्या का नक्षत्र राक्षसगण में पड़े और वर का मनुष्यगण में, तो मूल्य ही जाती है। इसी प्रकार यदि वर एव कन्या के नक्षत्र क्रम से देव एव राक्षस गणों में पड़ें तो दोनों में झगडा होगा।

नाडी के लिए नक्षत्रों को आद्य नाडी, मध्य नाडी एव अन्त्य नाडी में इस प्रकार विभाजित किया गया है—

आद्यनाडी	मध्यनाडी	अन्त्यनाडी
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका
आर्द्रा	भृगुशिरा	रोहिणी
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
उत्तरा	पूर्वा	मघा
हस्त	चित्रा	स्वाति
ज्येष्ठा	अनुराधा	विशाखा
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा
घततारका	घनिष्ठा	श्रवण
पूर्वाभाद्रपदा	उत्तराभाद्रपदा	रेवती

यदि वर एव कन्या के नक्षत्र एक ही नाडी में पड़ें तो मूल्य होती है, अतः विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों के जन्म-नक्षत्र मिश्र भाडियों में होने चाहिए।

कुछ लेखकों के अनुसार विवाह तय हो जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह नहीं करना चाहिए। किन्तु शीतक ने इस विषय में कुछ छूट दी है। उनके मत से किसी भी सम्बन्धी के मरने से विवाह बर्जित नहीं माना जाता, केवल पिता, माता, पितामह, नाना, चाचा, माई, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाह को प्रतिकूल माना जा सकता है।

यदि नान्दीश्राद्ध करने के पूर्व कन्या की माँ या वर की माँ ऋतुमती हो जायें तो विवाह टल जाता है और पाँचवें दिन सम्पादित हो सकता है।

विवाह-प्रकार—गृह्यसूत्रों, धर्मसूत्रों एव स्मृतियों के काल से ही विवाह आठ प्रकार के कहे गये हैं, यथा ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्य, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस एव पैशाच (दे० आश्वलायनगृह्यसूत्र १।६, शीतम० ४।६-१३, बोधायन-धर्मसूत्र १।११, मनु ३।२१, आदिपर्व ७।३।८-९, विष्णुधर्मसूत्र २।४।१८-१९, याज्ञवल्क्य १।५८, नारद-स्त्रीसूत्र, ३८-३९, कौटिल्य ३।१, ५९वाँ प्रकरण, आदिपर्व १०।२।१२-१५)। इनमें से कुछ ग्रन्थों में प्रथम चार प्रकार विभिन्न ढंग से रखे गये हैं, यथा ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य एव आर्य (आश्व०), ब्राह्म, दैव आर्य एव प्राजापत्य (विष्णु०)। आश्वलायन ने पैशाच को राक्षस से पहले रखा है। मानवगृह्यसूत्र ने केवल ब्राह्म एव शौल्ब (अर्थात् आसुर) के ही नाम लिये हैं, सम्भवतः उनके समय ये दोनों प्रकार बहुत प्रचलित थे। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।७-२०, २।५।१।२।१-२) ने केवल छः प्रकार बताये हैं और प्राजापत्य एव पैशाच को छोड़ दिया है। वसिष्ठधर्मसूत्र ने ब्राह्म, दैव, आर्य, गान्धर्व, शाक्य एव मानुष (अन्तिम दो क्रम से राक्षस एव आसुर के सूचक हैं) नाम लिये हैं (१।२।८-२९)। विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गये प्रकारों की अर्धविभिन्नता स्पष्ट करना सरल नहीं है। हम यहाँ मनु द्वारा कहे गये लक्षणों का वर्णन

उपस्थित करेंगे (मनु ३।२७-३४)। जिस विवाह में बहुमूल्य अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित, रत्नों से मण्डित कन्या वेद-मण्डित एवं सुचरित्र व्यक्ति को निमन्त्रित कर (पिता द्वारा) दी जाती है, उसे ब्राह्म्य कहते हैं। जब पिता अलङ्कृत एवं सुसज्जित कन्या किसी पुरोहित को (जो यज्ञ करता-कराता है) यज्ञ करते समय दे, तो उस विवाह को वैव कहा जाता है।^{११} यदि एक जोड़ा पशु (एक गाय, एक बैल) या दो जोड़ा पशु लेकर (केवल नियम के पालन हेतु न कि कन्या के विक्रय के रूप में) कन्या दी जाय तो इसे आर्य विवाह कहते हैं। जब पिता वर और कन्या को "तुम दोनों साथ-ही साथ धार्मिक कृत्य करना" यह कहकर तथा वर को मधुपर्क आदि से सम्मानित वर कन्यादान करता है तो उसे प्राजापत्य कहा जाता है। याज्ञवल्क्य इसे 'काय' की सजा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'क' का तात्पर्य है 'प्रजापति'। जब वर अपनी शक्ति के अनुस्यू कन्यापक्ष वालों तथा कन्या को धन दे देता है, तब इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुकूल पिता द्वारा दत्त कन्या के विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। वर एवं कन्या की परस्पर सम्मति से जो प्रेम की भावना के उद्रेक का प्रतिफल हो तथा सम्मोग जिसका उद्देश्य हो, उस विवाह को गान्धर्व विवाह कहा जाता है। सम्बन्धियों को मारकर, घायल कर, घर-द्वार तोड़-फोड़कर जब रोती बिलखती हुई कन्या को बलवश छीन लिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त कन्या के सम्बन्ध को राक्षस विवाह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चुपके से किसी सोयी हुई, उन्मत्त या अचेत कन्या से सम्मोग करता है तो इसे निवृष्ट एव महापातकी कार्य कहा जाता है और इसे पैशाच विवाह कहते हैं।

प्रथम चार प्रकारों में पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है। यहाँ 'दान' शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में किया गया है, जिसका तात्पर्य है पिता के अभिभावकीय उत्तरदायित्व का मार तथा कन्या के नियन्त्रण का मार पति को दे दिया गया है। ब्राह्मणों में सभी प्रकार का दान जल के साथ किया जाता है (मनु ३।३५४ एवं गौतम ५।१६-१७)। उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहों में अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित कन्या का दान किया जाता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवतः 'ब्राह्म्य' इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्म्य का अर्थ है पवित्र वेद, या धर्म, जिसे परमपूत कहा जाता है (स्मृतिमुक्ताफल, भाग १, पृ० १४०)। 'आर्य' प्रकार में वर से एक जोड़ा पशु लिया जाता है, अतः यह ब्राह्म्य से घटिया है। वैव विवाह केवल ब्राह्मणों में ही पाया जाता था, क्योंकि पौरोहित्य का कार्य ब्राह्मण ही करता था। इसका नाम वैव इसलिए है कि यज्ञ में देवों की पूजा होती है। यह विवाह ब्राह्म्य से घटिया इसलिए है कि पिता कन्यादान कर अपने मन में इस लाभ की भावना रखता है कि उसका यज्ञ भली भाँति सम्पादित हो, क्योंकि कन्या पाकर प्रसन्न हो पुरोहित बड़े मन से यज्ञ में लगा रहेगा। विवाह के सभी प्रकारों में कन्या एवं वर को सभी धार्मिक कृत्य साथ-साथ करने पड़ते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१२।१६-१८)। पत्नी-पति में कभी पृथक्त्व नहीं पाया जाता, पाणिग्रहण के उपरान्त वे सारे धार्मिक कृत्य साथ ही सम्पादित करते हैं। प्राजापत्य विवाह में पत्नी के जीते-जी पति को गृहस्थ रहने, सन्यासी न बनने, दूसरा विवाह न करने आदि का बचन देना पड़ता है। प्राजापत्य विवाह इसी से ब्राह्म्य से घटिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें धर्म लगी रहती है, किन्तु ब्राह्म्य में स्वयं वर प्रतिवचन देता है कि धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में वह सदैव अपनी पत्नी के साथ रहेगा।

१९. वीधायनधर्मसूत्र (१।११।५) 'दक्षिणासु नीयमानात्स्वन्तर्वेदि ऋत्विजे स वैवः।' वीधायन के मत से कन्या यज्ञ की दक्षिणा का एक भाग ही जाती है। किन्तु वेदों एवं श्रौत सूत्रों में कन्या (दुलहित) को कभी दक्षिणा नहीं कह गया है। मेधातिथि (मनु ३।२८) कन्या को यज्ञ कराने के शुल्क का भाग मानने की तैयारी नहीं है। यही विश्वरूप का भी कहना है, किन्तु अपराकं (पृ० ८९) के मत से कन्या शुल्क के रूप में दी जाती है।

आसुर विवाह में धन तथा धन के मूल्य का सोचा रहता है, अतः यह स्वीकृत नहीं माना जाता। आर्य एवं आसुर में अन्तर यह है कि प्रथम में एक जोड़ा पशु देने की एक व्यावहारिक सीमा मान बंध दी गयी है, किन्तु द्वितीय में धन देने की कोई सीमा नहीं है। गार्धर्व में पिता द्वारा दान की कोई बात नहीं है, प्रत्युत उस काल तक के लिए बन्धा पिता को उसके अधिकार से वंचित कर देती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा विवाह एक सत्कार माना जाता था, इसके मुख्य उद्देश्य ये धार्मिक कृत्यों द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति एवं सन्तानोत्पत्ति। गार्धर्व विवाह में केवल काम पिपासा की शान्ति की बात प्रमुख है, अतः यह प्रथम चार प्रकारों से तुलना में निकृष्ट है और अस्वीकृत माना जाता है। इसका नाम गार्धर्व इसलिए है कि गार्धर्व वामातुर कहे गये हैं, जैसा कि तैत्तिरीय साहिता (६।१।६१—स्त्रीवामा वं गार्धर्वा) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (५।१) का बयन है। हाँ, इस प्रकार के विवाह में बन्धा की सम्मति ले ली गयी रहती है। राक्षस एवं पेशाच में बन्धादान की बात उठती ही नहीं दोनों में बन्धादान के विरोध की बात उठ सकती है। बलवत् बन्धा को उठा के जाना (भले ही पिता डरकर लुटेरे से युद्ध न करे) राक्षस विवाह के मूल में पाया जाता है। राक्षस लोग अपने क्रूर एवं घनिष्ठशाली बानों के लिए प्रतिबन्ध माने गये हैं, अतः इस प्रकार के विवाह को यह सजा मिली है। पेशाच लोग लुक-छिपकर ही दुष्कर्मा करते हैं, अतः उस कार्य के सद्गुणों को पेशाच विवाह की सजा दी गयी है।

जब ऋषियों में राक्षस एवं पेशाच को विवाह-प्रकारों में गिना तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उन्होंने पक्की हुई या लुप्त-छिपकर भ्रष्ट की गयी बन्धा के विवाह को वंघता दी है। उनमें कथन से इतना ही प्रकट होता है कि ये दोनों अपहरण के दो प्रकार हैं, न कि वास्तविक विवाह के प्रकार। ऋषियों में पेशाच की बहुत भ्रष्टता की है। आप-स्तम्ब एवं बसिष्ठ ने पेशाच एवं प्राजापत्य के नाम नहीं लिये हैं, इससे प्रकट होता है कि उनके काल में इन प्रकारों का अन्त हो चुका था। परचात्कालीन लेखकों ने केवल नाम गिनाने के लिए सभी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचलित विवाहों के नाम दे दिये हैं। बसिष्ठ (१७।७३) के मत से अपहृत बन्धा यदि मन्त्रों से अभिप्रेकृत होकर विवाहित न हो सकी हो, तो उसका पुनर्विवाह किया जा सकता है। स्मृतियों में बन्धा के भविष्य एवं बन्धाण के लिए अपहृणवर्ता एवं बलात्कार करने वाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है, जिससे बन्धा को विवाहित होने की वंघता प्राप्त हो जाय। यदि अपहृणवर्ता एवं बलात्कारकर्ता ऐसा करने पर तैयार न हो तो बन्धा किसी दूसरे को दी जा सकती थी और अपहृणवर्ता तथा बलात्कारकर्ता को भीषण दण्ड मुगलना पड़ता था (मनु ८।३६६ एवं याज्ञवल्क्य २।२७-२८८)। मनु (८।३६६) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की किसी बन्धा से उसकी सम्मति से समोग करे तो उसे पिता को (यदि पिता चाहे तो) मुक्त देना पड़ता था और मेधातिथि का बयन है कि यदि पिता धन नहीं चाहता तो प्रेमी को चाहिए कि वह राजा को धन-दण्ड दे, बन्धा उसे दे दी जा सकती है, किन्तु यदि उसका (बन्धा का) प्यार न रह गया हो तो वह दूसरे से विवाहित हो सकती है, किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उसे धृष्ट करणा स्वीकार न करे तो उसके साथ बलप्रयोग करके उससे स्वीकृत करवाया जाय। ऐसा ही (कुछ अन्तरो के साथ) नारद (स्त्रीपुस, श्लोक ७२) ने भी कहा है। नारद का बयन है कि यदि बन्धा की सम्मति से समोग किया गया है तो यह कोई अपराध नहीं है, किन्तु उसे (आमूषण एवं परिधान आदि से) अलङ्कृत एवं सभादत्त करने विवाह अवश्य करना चाहिए।

स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य नियन्त्रों में देवल एवं गृहपरिसिद्ध को उद्भूत करने यह लिखा है कि गार्धर्व, आसुर, राक्षस एवं पेशाच में होम एवं सप्तपदी आवश्यक है। महानारत (आदिपर्व १९।१७) ने स्पष्ट कहा है कि स्वयंवर के पश्चात् भी धार्मिक कृत्य किया जाना चाहिए। वाल्मिदास (रघुवंश ७) में वर्णन किया है कि इन्दुमती के स्वयंवर के उपरान्त मधुपर्क, होम, अग्नि प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण आदि धार्मिक कृत्य किये गये। सर्वप्रथम आश्वलायन ने ही आठ प्रकारों का वर्णन किया है और पुनः होम एवं सप्तपदी की आवश्यकता बतही है, अतः यह स्पष्ट है कि सभी विवाह-प्रकारों में होम एवं सप्तपदी के कृत्य आवश्यक माने जाते हैं।

स्मृतियों में विविध वर्णों के लिए इन षाठ प्रकारों की उपयुक्तता के विषय में कतिपय मत प्रकाशित किये हैं। सभी ने प्रथम चार अर्थात् ब्राह्म, दैव, आर्ष एवं प्राजापत्य को स्वीकृत किया है (प्रशस्त एवं धर्म्य)। देखिए इस विषय में गौतम (४।१२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।३), मनु (३।२४), नारद (स्त्रीपुस, ४४) आदि। सभी ने ब्राह्म को सर्वश्रेष्ठ तथा क्रम से बाद वाले को उत्तमतर बताया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१२।२, बौधायनधर्मसूत्र १।१।१।१)। सभी ने पैशाच को निकृष्टतम कहा है। एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं (बौधायनधर्मसूत्र १।१।१।१० एवं मनु ३।१४)। दूसरे मत से प्रथम छ (आठ में राक्षस एवं पैशाच को छोड़कर) ब्राह्मणों के लिए, अन्तिम चार क्षत्रियों के लिए, गाथर्व, आसुर, पैशाच वैश्यो एवं शूद्रो के लिए हैं (मनु ३।२३)। तीसरे मत से प्राजापत्य, गान्धर्व एवं आसुर सभी वर्णों के लिए तथा पैशाच एवं आसुर किसी वर्ण के लिए नहीं हैं, किन्तु मनु (३।२४) ने आगे चलकर आसुर को वैश्यो एवं शूद्रो के लिए मान्य ठहराया है। मनु ने एक मत प्रकाशित किया है कि गाथर्व एवं राक्षस क्षत्रियों के लिए उपयुक्त (धर्म्य) हैं, दोनों का मिश्रण (यथा—जहाँ कन्या वर में प्रेम करे, किन्तु उसे माता-पिता या अग्निमावक न चाहें तथा अवरोध उपस्थित करें और प्रेमी लड़ाई लड़कर उठा ले जाय) भी क्षत्रियों के लिए ठीक है (मनु ३।२६ एवं बौधायनधर्मसूत्र १।१।१।३)। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।१।४-१६) ने वैश्यो एवं शूद्रो के लिए आसुर एवं पैशाच की व्यवस्था की है और बहुत ही मनोहर कारण दिया है, “क्योंकि वैश्य एवं शूद्र अपनी स्त्रियों को नियन्त्रण में नहीं रख पाते और स्वयं होती-बारी एवं सेवा के कार्य में लगे रहते हैं।” नारद (स्त्रीपुस, ४०) के कथन के अनुसार गान्धर्व सभी वर्णों में पाया जाता है। कामसूत्र (३।५।२८) आरम्भ में ब्राह्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किन्तु अन्त में उसने अपने विषय के प्रति सत्य होते हुए गान्धर्व को ही सर्वश्रेष्ठ माना है (३।५।२९-३०)।

राजकुलो में गान्धर्व बहुत प्रचलित रहा है। कालिदास ने शाकुन्तल (३) में इसके बहु व्यवहार का उल्लेख किया है। महाभारत (आदिपर्व २२।१।२२) में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब अर्जुन सूमद्रा के प्रेम में पड़ चुके थे—“शूरवीर क्षत्रियों के लिए अपनी प्रेमिकाओं को उठा ले जाना व्यवस्था के भीतर है।” अमोधवर्ष के सम्पन्न-युवो (शवाब्द ७९३) में ऐसा आया है कि इन्द्रगज ने चालुक्यराज की कन्या से खेदा में राक्षस रीति से विवाह किया (एपिपिकिया इण्डिका, जिल्द १८५० २३५)। पृथ्वीराज चौहान ने जयचन्द्र की कन्या सयोगिता को राक्षस ढग से ही प्राप्त किया था जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय में यह बात विचारणीय है कि कन्नौज के राजा जयचन्द्र की कन्या की सम्पत्ति थी, अतः यह विवाह गाथर्व एवं राक्षस प्रकारों का मिश्रण कहा जायगा (मनु ३।२६)।

जैसा कि वीरमिश्रोदय टीका से ज्ञात होता है, स्वयंवर की धर्मशास्त्रों में व्यावहारिक रूप में गान्धर्व के समान ही माना है (याज्ञवल्क्य १।६१ की टीका में)। स्वयंवर के कई प्रकार हैं। सबसे सरल प्रकार यह है जिसमें युवावस्था प्राप्त कर लेने पर कन्या तीन वर्ष (वसिष्ठधर्मसूत्र १।७।६७-६८, मनु ९।९०, बौधायनधर्मसूत्र ४।१।१।३ के अनुसार) या ३ मास (गौतम १।८।१०९, विष्णुधर्मसूत्र २।५।४०-४१ के अनुसार) जोहकर स्वयं वर का वरण कर सकती है। याज्ञवल्क्य (१।६४) के मत से पितृहीन तथा अग्निमाववहीन कन्या स्वयं योग्य वर का वरण कर सकती है। स्वयंवर करने पर लड़की को अपने सारे गहने उतारकर माता-पिता या भाई को दे देने पड़ते थे और उसके पति को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, क्योंकि समय में विवाह न करने पर माता-पिता या भाई अपने अधिकारों से वंचित हो जाते

२०. गान्धर्वेण विवाहेन विद्वधो राजपिकन्यकाः। श्रुन्ते परिणोतास्ताः पितृभिरग्निभिर्नितः ॥
शाकुन्तल ३।

प्रतह्य हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते। विवाहहेतुः शूराणां पितृ धर्मद्विदो विदुः ॥ आदिपर्व २१।२२।

पे (गौतम १८।१० एव मनु १।१२)। इस प्रकार का मरल स्वयंवर सभी जातियों की लड़कियों के लिए सम्भव था। सावित्री ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था। किन्तु महाकाव्यों में वर्णित स्वयंवर बड़े विराल पैमाने पर होते थे और वे केवल राजकुलों के लिए सम्भव थे। आदिपर्व में आया है कि क्षत्रिय लोग स्वयंवर करते थे, किन्तु कन्याओं के सम्बन्धियों को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत अच्छा समझते थे। सौम्य ने कारिगराज की तीन कन्याओं का अपहरण करके दो (अम्बिका एवं अम्बालिका) का विवाह अपने स्वयं (आश्रित) विचित्रवीर्य से कर दिया (आदिपर्व १०२।१६)। सीता एवं द्रौपदी का स्वयंवर उनकी इच्छाओं पर नहीं निर्भर था, प्रत्युत वे उत्तरी को ब्याह करी गयी जिन्होंने पूर्वनिर्धारित दक्षता प्रदर्शित की। दमयन्ती के विषय में उसका स्वयंवर उसके मन का था, यद्यपि उसने बड़े विराल रूप में सज्जित एवं एका राजवरो के भीष में नल को ही चुना। बालिदास ने भी इन्द्रमती के स्वयंवर का बड़ा सुन्दर दृश्य राधा किया है। अपने विप्रभावदेवचरित्र (सर्ग ९) में विल्हण ने करहाट (आधुनिक करद) के सिराहा राजा की लड़की चन्द्रलेखा (चन्द्रलदेवी) के ऐतिहासिक स्वयंवर का चित्रण किया है, जिसमें उसने पत्त्याण के चालुक्यराज विक्रमाक या आहवमल्ल को चुना था (ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध)। आदिपर्व (१८९।१) में मत से ऐसे स्वयंवर ब्राह्मणों के लिए अनुपयुक्त थे। वादम्बरी (पूर्व भाग, उपान्य अंश) में पत्रलेखा कहती है कि स्वयंवर सभी धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।४) ने एक सामान्य वचन लिखा है कि जैसा विवाह होगा उसी प्रकार पति-पत्नी की सन्तानें होगी, अर्थात् यदि विवाह अत्युत्तम ढंग का (यथा ब्राह्म) होगा तो सन्तान भी उत्तम होगी, यदि विवाह निन्दित ढंग से होगा तो सन्तान भी निन्दित चरित्र की होगी। इसी स्वर में मनु (३।४९-४२) ने कहा है कि विवाह ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार के हुए हैं तो उनसे उत्पन्न बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होंगे और होंगे सुन्दर, गुणी, धनी, यशस्वी एवं दीर्घायु। किन्तु अज्ञान चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानें दूर, झूठी, बेदोही एवं धर्महीन होंगी। सूत्रों एवं स्मृतियों में अच्छे विवाहों से उत्पन्न बच्चों से पीढ़ियाँ को पवित्र बनते देता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।६) के मत से ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य एवं आप्य विवाहों से उत्पन्न बच्चे माता एवं पिता के गुणों की रम से १२, १०, ८ एवं ७ पीढ़ियों तक के पूर्वजों एवं वंशजों में पवित्रता ला देते हैं। मनु (३।२७-३८) एवं ब्राह्मवल्ग्य (१।५८-६०) ने यही बात दूसरे ढंग से उल्लिखित की है, जिसे स्थानभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यही बात गौतम (४।२४-२७) में भी पायी जाती है। विश्वरूप एवं मेघातिथि ने अपनी टीकाओं में उपयुक्त बातें ज्योत्स्नी-रथों नहीं मान ली है। वे केवल ब्राह्म प्रकार को उच्च दृष्टि से देखते हैं।

विवाहों के प्रकारों के मूल के विषय में हमें वैदिक साहित्य की छान-बीन करनी होगी। ऋग्वेद (१०।८५) में ब्राह्म विवाह की ओर संकेत है (कन्यादान आदि की ओर)। आसुर प्रकार (धन देकर) का संकेत ऋग्वेद (१।१०।१२) एवं निरुक्त (६।९) में मिलता है। ऋग्वेद (१०।२७।१२ एवं १।११।१।५) में गायर्व या स्वयंवर प्रकार की ओर भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद (५।६१) के सिलसिले में मूर्धन्यदेवता (५।५०) में श्वापाश्व की गायों में वर्णित विवाह दैव प्रकार के आसपास पहुँच जाता है। ऐसा आया है कि आश्विन अर्चनाना ने राजा स्वयंवीर्य के यज्ञ में यज्ञ करते समय अपने पुत्र श्वापाश्व के लिए राजा की कन्या का हाथ माँगा था।

आजकल ब्राह्म एवं आसुर विवाह प्रचलित हैं। ब्राह्म में कन्यादान होता है, किन्तु आसुर में लड़की के पिता या अग्निभावकों को उनके लाभ के लिए शुल्क देना पड़ता है। गायर्व विवाह आजकल एक प्रकार से समाप्तप्राय है, यद्यपि कभी-कभी कुछ मुकदमों के चर्चहरी में आ जाया करते हैं। कुछ लोगों के विचार से नयी रीतनी में पहले नवयुवक एवं नवयुवतियाँ गायर्व विवाह की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यदि कौई विधवा स्वयं विवाह करे तो वह गायर्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस विषय में कन्यादान नदी होता।

विवाह के धार्मिक कृत्य—विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विवेचन के पूर्व हमे ऋग्वेद (१०।८५) के वर्णन की व्याख्या कर लेनी होगी, क्योंकि ऋग्वेद का यह अक्ष विवाह के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऋग्वेद का यह सूक्त सविता की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह के विषय में है। इस विवाह के विशिष्ट लक्षण ये हैं—दोनों आदिवनी सोम के लिए सूर्या मांगने गये थे (८-९), सविता लडकी देने को तैयार हो गये (९), वर का सम्मान किया गया, उसे भेंट दी गयी, गार्थ सहित की गयी (या दी गयी), सोम ने सूर्या का पाणिग्रहण किया और यह मन्त्र कहा—“मैं तुम्हारा हाथ प्रेम (सम्पत्ति) के लिए ग्रहण करता हूँ जिससे कि तुम मेरे साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होओ, मग, अर्यमा सविता तथा विज्ञ पूषा देवों ने तुम्हें मुझे दिया कि तुम गृहिणी बनो (गृहिणी का कार्य करने के लिए)।” कन्या अपने पिता का देवो एव अग्नि के समक्ष दान है (४०-४१), कन्या अपने पिता के अधिकार एव नियन्त्रण से हटकर अपने पति से मिल जाती है (२४), कन्या (वधू) को इस प्रकार आशीर्वचन दिये जाये हैं—“तुम यहाँ साथ रहो, तुम पूषक न होने पाओ, तुम दीर्घ जीवन वाली हो, अपने घर में पुत्रों एव पौत्रों के साथ खेलती प्रसन्न रहो, हे इन्द्र, इसे योग्य पुत्र एव सम्पत्ति दो, इसे दस पुत्र दो और इसके पति को ग्यारहवाँ पुरुष (घर का सदस्य) बनाओ, तुम अपने श्वशुर, सास, देवर एव ननद पर रानी बनो (४२, ४५-४६)।” यह बात भी विचारणीय है कि सूर्या के साथ रम्या भी उसकी अनुदेयी होकर गर्भी, जिससे पति के घर प्रथम बार जाने पर सूर्या को बहुत मार न पड़े। आधुनिक काल में वधू के साथ कोई-न-कोई नारी “पायराखिन्” के रूप में जाती है।

विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही अत्यधिक मत-मतान्तर रहे हैं। स्वयं आश्वलायन गृह्यसूत्र (१।७।१-२) का कहना है—“विभिन्न देशों एव ग्रामों में विभिन्न आचार हैं, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, उनमें जो सब स्थानों में पाये जाते हैं, हम उन्हीं का वर्णन करेंगे।” आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।१५) के मत से लोगों को स्त्रियों एव अन्य लोगों से विवाह विधि जाननी चाहिए (अर्थात् परम्परा से जो विधि चली आयी है)। टीकाकार सुदर्शनाचार्य का कहना है कि कुछ कृत्य, यथा गृह-पूजन, अकुरारोपण, प्रतिसर (कगन) का बांधना सब स्थानों में पाया जाता है, क्योंकि उनके साथ वैदिक मन्त्र कहे जाते हैं, किन्तु नागबलि, यक्षबलि एव इन्द्राणी की पूजा बिना वेद-मन्त्र के होती है। इसी प्रकार काठकगृह्य में भी वर्णन है। आश्वलायनगृह्यसूत्र में विवाह-विधि थोड़े में वर्णित है और यह गृह्यसूत्र अत्यन्त प्राचीन भी है, अतः हम नीचे इसी की वर्णित बातें उपस्थित करेंगे। कहीं-कहीं हम अन्य सूत्रकारों के भी दृष्टान्त देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद के काल से अब तक बहुत-सी बातें ज्यों की त्यों चली आयी हैं।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।३-१।८) में कहा गया है—“अग्नि के पश्चिम चक्की (आटा पीसने वाली) तथा उत्तर-पूर्व पानी का घड़ा रखकर वर को होम करना चाहिए (सुब से), तब तक कन्या उसके (वर के दाहिने हाथ को) पकड़े रहती है। अपना मुख पश्चिम करके सड़े होकर, जब कि कन्या पूर्व मुख किये बैठी रहती है, उसे कन्या के अँगूठे को पकड़कर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए—“मैं तुम्हारा हाथ सुखे के लिए पकड़ रहा हूँ” (ऋग्वेद १०।८५।३६), ऐसा वह केवल पुत्रों की उत्पत्ति के लिए कहेगा, यदि वह पुत्रियाँ चाहे तो अन्य अँगुलियाँ भी पकड़ेगा। यदि वह पुत्र पुत्रियाँ (दोनों प्रकार की सन्तान) चाहे तो वह हाथ के बाल वाले माप की ओर से अँगूठा पकड़ेगा। कन्या के साथ वर अग्नि एव कलश की दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करेगा और कहेगा—“मैं अम (यह) हूँ, तुम सा (स्त्री), तुम सा हो और मैं अम हूँ; मैं स्वर्ग हूँ, तुम पृथिवी हो; मैं साम हूँ, तुम ऋग्वेद हो। हम दोनों विवाह कर लें। हम सन्तान उत्पन्न करें। एन-दूसरे को प्यारे, चमकीले, एक-दूसरे की ओर झुके हुए हम लोग सौ वर्ष तक जीमें।” जब वह उसे अग्नि की प्रदक्षिणा कराता है तब प्रस्तर पर पैर रखवाता है और कहता है—“इस पर चढ़ो, हस्ती के समान अबल होओ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, उन्हें कुचल दो।” पहले धन्या की बजलि में घृत छोड़कर उसका भाई या जो कोई भाई के स्थान में हो, दो बार मुना हुआ अन्न (लाजा या धान का लावा) छोड़ता है, जिसका गोत्र जमदग्नि हो (अर्थात् यदि वर का

सह गोत्र हो) उसने लिए तीन बार यह किया जाता है। तब वह हवि के दोषाश पर या जो छूट गया है उस पर धृत छोड़ता है। तब वर निम्न मन्त्रोच्चारण करता है—“अयंमा देवता के लिए लडकियो ने यज्ञ किया, वह देवता (अयंमा) इस कन्या को (पिता से) मुक्त करें, किन्तु इस स्थान से (पति से) नहीं, स्वाहा। वरुण देवता के लिए लडकियो ने यज्ञ किया, वह देवता भी पूजा देवता के लिए लडकियो ने यज्ञ किया, अग्नि के लिए भी, वह पूजा—।” इनके साथ कन्या अपने हाथों को फँसाकर लावा की हवि दे (मानो दोसो हाथ खुची हैं)। बिना अग्नि की प्रदक्षिणा किये कन्या लावा की हवि चौथी बार मीन रूप से देता है। यह कार्य वह सूय को अपनी ओर करवे करती है। कुछ लोग सूय में से लावा को गिराने समय अग्नि की प्रदक्षिणा भी कराते हैं, जिससे कि अन्तिम दो हवि लगातार न पड जायँ। तब वर कन्या के सिर के दो बाल-मुन्ड डीले करता है और दाहिने को डीला करते समय कहता है—“मैं तुम्हे वरुण के बचन से छुटकारा देता हूँ” (ऋग्वेद १०।८५।२४)। तब वह उसे उत्तर-पूर्व दिशा में सात पग दून राग्नो के साथ ले जाता है—“तुम एक पग द्रव (रस) के लिए, दूसरा पग शक्ति के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा आराम के लिए, पाँचवाँ सन्तान के लिए, छठा ऋतुओं के लिए रखो और मेरी मित्र बनो अतः सातवाँ पग रखो, तुम मेरी प्रिय बनो, हय चहुँ से पुत्र पायें और वे दीर्घायु हो।” वर और कन्या के सिर को साथ मिलाकर आचार्य कलस से उन पर जल छिड़कता है। उस रात्रि न कया ऐसी बूढ़ी ब्राह्मणी के घर में निवास करती है, जिसके पति एव पुत्र जीवित रहने हैं। जब वह ध्रुव तारा देख ले और ज़रूरती तारा एव सप्तर्षिमण्डल देख ले तो उसे अपना मौन तोड़ना चाहिए और कहना चाहिए—“मेरा पति जीवे और मैं सन्तान प्राप्त करूँ।” यदि विवाहित दपति को सुदूर धाम में जाना हो तो पत्नी को रथ में इस मन्त्र के साथ बैठाने—“पूजा तुम्हे यहाँ से हाथ पकड़कर ले चले” (ऋग्वेद १०।८५।२६), वह उसे गाव में बैठाने तब दलोत्तमं पडे “प्रस्तरो को डोगी (नदी अश्वमूवती) बहती है, तीपराहो जाओ” (ऋग्वेद १०।५३।८)। यदि वह रोती है तो उसे यह कहना चाहिए कि वे जीनेवाले के लिए रोते हैं (ऋग्वेद १०।४०।१०)। माय में विवाह की अग्नि आगे-आगे ले जायी जाती है। रमणीक स्थानों, पेड़ों, चौराहों पर पति यह कहता है—“रास्ते में डावू न मिलें” (ऋग्वेद १०।८।३३२)। मार्ग में वस्तिपाँ पडने पर देखने वाले को देखकर मन्त्रोच्चारण करे—“यह नवविवाहित वधू माय ल रही है” (ऋग्वेद १०।८५।३३)। वह उसे गृह में प्रवेश कराते समय यह कहे—“यहाँ सन्तानों के साथ तुम्हारा सुख बडे” (ऋग्वेद १०।८५।३७)। विवाह की अग्नि में लकड़ियाँ छोडकर और उसके परिचम बेल की साल विछानर उसे आहुतियाँ देनी चाहिए, तब तक जसकी वधू पारबं में बैठकर पति को पकडे रहती है और प्रत्येक आहुति के साथ एक मन्त्र कहा जाता है और इस प्रकार चार मन्त्रों का उच्चारण होता है—“ब्रजापति हमें सन्तान दे” (ऋग्वेद १०।८५।४३-४६)। तब यह दही खाता है और कहता है—“शमस्त देवता हमारे हृदयों को जोड दें” (ऋग्वेद १०।८५।४७)। तेष दही वह पत्नी को दे देता है। उसके उपरान्त वे दोनों क्षार, छवन नहीं खायेंगे, ब्रह्मचर्य से रटेंगे, गृहने नहीं धारण करेंगे, पुषिपी पर सोयेंगे (चटाई पर नहीं)। यह किया ३ रातों, १२ रातों या कुछ लोगों के मत से साल भर तक चलेगी, तब उनका एव ऋषि (गोत्र) हो जायगा। जब ये सब कृत्य समाप्त हो जायें तो वर को चाहिए कि वह वधू के बस्त्र किसी ऐसे ब्राह्मण को दे दे, जो सूर्या-मूक्त जानता है (ऋग्वेद १०।८५), तब वह ब्राह्मणों को मौज कराये, इसने उपरान्त वह ब्राह्मणों के पुन स्वस्तिवाचन का उच्चारण मुने।

उपयुक्त वर्णित विवाह-सम्कार में तीन भाग हैं। कुछ कृत्य आरम्भिक कहे जा सकते हैं, उनमें उपरान्त कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम सस्तर का गार-तत्त्व कह सकते हैं यथा पाणिग्रहण, हाम, अग्नि प्रदक्षिणा एव सप्तपदी, तथा कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त मुख्य कृत्य के प्रतिफल माने हैं यथा ध्रुव तारा, अरुणती आदि का दर्शन। मुख्य कृत्य सभी पुनःकारों द्वारा वर्णित हैं किन्तु आरम्भिक तथा अन्त वाले के विस्तार में वर्णित भेद है। यहाँ तब कि ध्रुव कृत्यों के अनुक्रमों में विषय न भी कुछ अन्य मतवय नहीं रखन, अर्थात् यहाँ एक कृत्य आरम्भ में ही तो कही वह तीसरे या चौथे

क्रम में आया है, उदाहरणार्थ, आश्वलायनगृह्य सूत्र (१।७।७) ने अग्नि-प्रदक्षिणा का वर्णन सप्तपदी के पूर्व किया है, किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र ने सप्तपदी (४।१६) को अग्निप्रदक्षिणा के पूर्व वर्णित किया है। गोमिलगृह्यसूत्र (२।२।१६), खादिरगृह्यसूत्र (१।३।३१) एवं बौधायनगृह्यसूत्र (१।४।१०) ने पाणिग्रहण को सप्तपदी के उपरान्त करने को कहा है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले। आश्वलायन० में बहुत-सी बातें छोड़ दी गयी हैं, यथा—मधुपर्क (जो आपस्तम्ब ३।८, बौधायन० १।२।१ एव मानव० १।९ में उल्लिखित है) एवं कन्यादान (जो पारस्करगृह्यसूत्र १।४ एव मानव० १।८, ६।९ में वर्णित है)। वास्तव में आश्वलायन का मन्तव्य था उन्हीं कृत्यों का वर्णन जो सभी सूत्रों में पाये जाते ह।

विवाह-संस्कार में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। जितने सूत्र मिल सके हैं उन्हीं के आधार पर निम्न सूची दी जा रही है। जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके साथ कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ी जा रही हैं।

वधुवर-गुण परीक्षा (वर एव वधु के गुणों की परीक्षा)—इस पर हमने बहुत पहले ही विचार कर लिया है। वर-श्रेयण (कन्या के लिए बातचीत करने के लिए लोगों को भेजना)—प्राचीन काल में कन्या के पास व्यक्ति भेजे जाते थे (ऋग्वेद १०।८५।८-९)। सूत्रों के बाल में भी यही बात थी (शाखायन १।६।१-४, बौधा० १।१।१४-१५, आपस्तम्ब० २।१६, ४।१-२ एव ७)। मध्य काल के क्षत्रियों में भी ऐसी प्रथा थी। हर्षचरित में वर्णन है कि मौखरि राजकुमार प्रह्वर्माने हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री के साथ विवाह के हेतु दूत भेजे थे। किन्तु आधुनिक काल में ब्राह्मणों तथा बहुत-सी अन्य जातियों में लडकी का पिता वर दूढ़ता है, यद्यपि पूर्वो में प्राचीन परम्परा अब भी जीवित देखी जाती है।

वाग्दान या वाङ्मनश्चय (विवाह तय करना)—इसका उल्लेख शाखायनगृह्यसूत्र (१।६।५-६) में पाया जाता है। मध्य काल की सत्त्वारत्नमाला में भी इसका वर्णन विस्तार के साथ किया है।

मण्डप-करण (विवाह के लिए पण्डाल बनाना)—पारस्करगृ० (१।४) के मत से विवाह, धौल, उपनयन, केशान्त एव सीमन्त घर के बाहर मण्डप म करने चाहिए। देखिए संस्कारप्रकाश, पृ० ८१७-८१८।

नान्दीप्राश्न एव पुष्पाहवाचन—इसका वर्णन बौधायनगृ० १।१।२४ में पाया जाता है। अधिवाश सूत्र इस विषय में मोन हैं।

वधुगृह्यमन—वर का बरात के रूप में वधु के घर जाना (शाखायनगृ० १।१२।१)।

मधुपर्क (वधु के घर में वर का स्वागत)—आपस्तम्बगृ० (३।८), बौधायन० (१।२।१), मानवगृ० (१।९) एव काठक गृ० (२।४।१३) ने इसका वर्णन किया है। इस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा। शाखायन ने दो प्रकार के मधुपर्कों का (एवं विवाह के पूर्व तथा दूसरा उसके उपरान्त जब कि वर घर लौट आता है) वर्णन किया है। काठकगृ० के टीकाकार आदित्यदर्शन के मत से यह सभी देशों में विवाह के पूर्व किया जाता है। किन्तु कुछ लोगों ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कहा है।

स्नान, परिधान एव सन्नहन (वधु को स्नान कराना, नया वस्त्र देना, उसको कटि में घागा या कुश की रस्सी बाँधना)—इस विषय में देखिए आपस्तम्ब० (४।८, काठक० २।५।४)। पारस्कर० (१।४) में केवल दो आनुषण पहनाने को कहा है, गोमिल० (२।१।१७-१८) ने स्नान करने एव वस्त्र धारण करने को कहा है। मानव० (१।१।१४-६) में परिधान एव सन्नहन का उल्लेख किया है। गोमिल० (२।१।१०) ने कन्या के सिर पर सुरा (शराब) छिड़कने को कहा है, जिसे टीकाकार ने जल ही माना है।

२१. कालिदास ने रघुवश (७) में विवाह-सम्यन्धी मुख्य कृत्य लिखे हैं, यथा—मधुपर्क, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण, सात्रःशोम द्य अर्घिसतारोपण।

समञ्जन (घर एवं घघू को उबटन मा सुगन्ध समान) — देतिए शाखायन० (११२१५), गोमिल० (२१२१-१५), पारस्कर० (११४) । सभी सूत्रों में ऋग्वेद (१०८५१४७) के मन्त्र पाठ भी भी चर्चा है ।

प्रतिसरवन्म (घघू के हाथ में कणन बांधना) — देतिए शाखायन० (११२१६-८), गोमिल सूत्र (७६१८) । घघूवर-निष्कम्भ (घर के अन्त कक्ष से घर एवं घघू का मण्डप में आना) — देतिए पारस्कर० (११४) । परस्पर समीक्षण (एक-दूसरे की ओर देखना) — देतिए पारस्कर० (११४), आपस्तम्ब० (४१४) बोधायन० (१११२४-२५) । पारस्कर० (११४) के अनुसार घर ऋग्वेद (१०८५१४४-४०, ४१ एवं ३७) की ऋचाएँ पढ़ता है । आपस्तम्ब० (४१४) एवं बोधायन के मत से ऋग्वेद वा १०८५१४४ मन्त्र पठा जाना चाहिए । आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट (११२९) का कहना है कि सर्वप्रथम घर एवं घघू के बीच में एक वस्त्र-सम्पन्न रखा जाना चाहिए और ज्योतिष-घटिका के अनुसार हटा लिया जाना चाहिए, तब घर एवं घघू एक दूसरे को देखते हैं । यह कृत्य आज भी व्यवहार में लाया जाता है । जब बीच में वस्त्र रखा रहता है उस समय ब्राह्मण लोच मंगलाष्टक का पाठ करते हैं ।

कन्यादान (घर को कन्या देना) — देतिए पारस्कर० (११४), मानव० (११८१६-९), बाराह० १३ । आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट का वर्णन आज भी ज्यो-ता त्यो चला आ रहा है । सस्कारकीस्तुम (पृ० ७७९) ने कन्यादान के वाक्य को छः प्रकार से बहने की विधि लिखी है । इसी श्रुत्य में पिता घर से कहता है कि वह धर्म, अर्थ एवं काम में कन्या के प्रति झूठा न हो, और घर उत्तर देता है कि मैं ऐसा ही कस्मा (नातिचरामि) । यह कृत्य आज भी होता है ।

अग्निस्थापन एवं होम (अग्नि की स्थापना करना एवं अग्नि में आग्नेय की आहुतियाँ डालना) — यहाँ पर आहुतियों की संख्या एवं मात्रों के उच्चारण में मतभेद नहीं है । देतिए आश्वलायन० ११७/३ एवं ११४/३-७, आपस्तम्ब० ५११ (१६ आहुतियाँ एवं १६ मन्त्र), गोमिल० २११२४-२६, मानव० ११८, मारदाज ११३ आदि ।

पाणिग्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना) ।

साजहोम (कन्या द्वारा अग्नि में घान के साथे (सीलो) की आहुति देना) — देतिए आश्वलायन० (११७/३-१३), पारस्कर० (११६), आपस्तम्ब० (५१३-५), शाखायन० (११३११५-१७), गोमिल० (२१२१५), मानव० (११३१११), बोधायन० (११४/२५) आदि । आश्वलायन के अनुसार कन्या तीन आहुतियाँ घर द्वारा मन्त्र पढ़ते समय अग्नि में डालती है और चौथी आहुति मोन रूप से ही देती है । कुछ ग्रन्थों में केवल तीन ही आहुतियों की बात चलाई है ।

अग्निपरिणयन — घर घघू को लेकर अग्नि एवं बल्ला की प्रदक्षिणा करता है । प्रदक्षिणा करते समय वह "अमोऽहमस्मि" आदि (शाखायन० ११३१४, हिरण्यकेशि० १२०१८१ आदि) का उच्चारण करता है ।

अम्मारोहण (घघू को पत्थर पर चढ़ाना) — गज-होम, अग्निपरिणयन एवं अम्मारोहण एक-के-बाद-दूसरा तीन बार किये जाते हैं ।

सप्तपथी (घर एवं घघू का साय-साय सात पग चलना) — यह अग्नि की उत्तर ओर किया जाता है । चावल की सात राशियाँ रखकर घर घघू को प्रत्येक पग चलाता है । पश्चिम दिशा से पहले दाहिने पैर से चलना आरम्भ होता है ।

सूर्याभियेक (घर-घघू के सिर पर, कुछ लोगों के मत से केवल घघू के सिर पर ही, जल छिड़कना) — देतिए आश्वलायन० (११७/२०), पारस्कर० (११८), गोमिल० (२१२१५-१६) आदि ।

मर्मोबीक्षण (घघू को घृष की ओर देखने को कहना) — पारस्कर० (११८) में इसकी चर्चा भी है और "तच् चक्षुः" आदि (ऋग्वेद ७।६।१६, वाजसनेयी संहिता ३।२।४) मन्त्र-के उच्चारण की बात बनी है ।

हृदयपर्या (मग्न के साथ बधू के दृश्य का स्थान)—देखिए पारस्कर० (११८), माख्दाज० (११७), श्रोषायन० (११४१)।

प्रेमकानुमन्त्रण (जब विवाहित दम्पति की ओर सन्नेत करके दशमों को सम्मोहित करना)—देखिए मानव० (११२११), पारस्कर० (११८)। दोनों ने श्रुत्वेद के मन्त्र (१०१८५१३३) के उच्चारण की बात कही है।

बलिषावान (शास्त्रियों को भेंट)—देखिए पारस्कर० (११८), शास्त्रायन० (११४१३३-१७)। दोनों ने ब्राह्मणों के विवाह में एक गाय, राजाओं एवं बड़े लोगों के विवाह में एक प्राग, वैश्य के विवाह में एक घोडा आदि देना कहा है। गोमिल० (२१३१३३) एवं श्रोषायन० (११४१३८) ने केवल एक गाय देने की बात कही है।

गृहप्रवेश (घर के घर में प्रवेश)।

गृहप्रवेशनीय होम (घर के दूह में प्रवेश करते समय होम)—देखिए शास्त्रायन० (११६११-१२), गोमिल० (२१३१८-१२) एवं आपस्तम्ब (६१६-१०)।

ध्रुवाशुक्ती-दर्शन (विवाह के दिन बधू को ध्रुव एवं अशुक्ती तारे की ओर देखने को कहना)—आश्वलायन० (११७१७१२२) ने सप्तर्षि मण्डल को भी जोड़ दिया है। मानव० (११४१९) ने ध्रुव, अशुक्ती एवं सप्तर्षि मण्डल में साथ-साथ जीवन्ती का भी जोड़ दिया है। माख्दाज० (१११९) ने ध्रुव, अशुक्ती एवं अन्य नक्षत्रों के नाम किये हैं। इसी प्रकार कई मत हैं। आपस्तम्ब० (६११२) ने केवल ध्रुव एवं अशुक्ती की चर्चा की है। पारस्कर० (११८) ने केवल ध्रुव की बात उठायी है। शास्त्रायन० (११७१२), हिरण्यकेशि० (११२११०) ने वर-वधू को रात्रि भर मौन रहने को लिखा है, किन्तु आश्वलायन के मत से केवल बधू मौन रहती है। गोमिल० (२१३१८-१२) ने ध्रुवाशुक्ती-दर्शन की बात गृहप्रवेश के पूर्व कही है।

आग्नेय स्वात्मोपाक (अग्नि को बन्वापन की आहुति देना)—देखिए आपस्तम्ब० (७११-५), गोमिल० (२१३१९-२१), माख्दाज० (१११८)।

त्रिराप्रतत (विवाह के उपरान्त तीन रात्रियों तक कुछ नियम पालन)—देखिए आश्वलायन०, जिपिका वर्णन सभी सूत्रों में पाया जाता है। आपस्तम्ब० (८१८१-१०) एवं श्रोषायन० (११५११६-१७) के अनुसार नव-विवाहित दम्पति धृष्टी पर एक ही शय्या पर तीन रात्रियों तक सोयेंगे, किन्तु अपने बीच में उजुम्बर की लकड़ी रखेंगे, जिस पर गन्ध का लेप हुआ रहेगा, वस्त्र या सूत्र बँधा रहेगा। चौथी रात्रि को वह लकड़ी श्रुत्वेदीय (१०१८५१२१-२२) मन्त्र के साथ जल में फेंक दी जायगी।

शुभुर्षिकर्म (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि का कृत्य)—इस सस्वार का वर्णन बहुत पहले ही चुका है। मध्य काल के निबन्धों में कुछ अन्य कृत्य भी वर्णित हैं जो आधुनिक काल में किये जाते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन हम करते हैं। इन कृत्यों के अनुक्रम में मतभेद नहीं है।

सीमान्त-पूजन (बधू के घाम पर वर एवं उसके बल (बरात) के पहरे पर उनका सम्मान)—आधुनिक काल में वाग्दान के पूर्व यह किया जाता है; देखिए सस्वारकोस्तुम, पृ० ७६८ एवं पर्यसिन्धु ३, पृ० २६१।

हर-गौरी-पूजा (शिव एवं गौरी की पूजा)—देखिए सस्वारकोस्तुम (पृ० ७६६), सस्वाररत्नमाला (पृ० ५३४ एवं ५४४), पर्यसिन्धु (पृ० २६१)। गौरी और हर की मूर्तियाँ सोने या चाँदी की हो या उनके चित्र दीवार पर टँगे रहे, या वस्त्र या प्रस्तर पर चित्र खींच दिये गये हों। इनकी पूजा कन्यादान के पूर्व, किन्तु पुण्याहवाचन के उपरान्त होनी चाहिए। देखिए लघु-आश्वलायन (११५१३५)।

इन्द्राणी-पूजा (इन्द्र की राक्षी की पूजा)—देखिए सस्वारकोस्तुम (पृ० ७५६), सस्वाररत्नमाला (पृ० ५४५)। यह प्राचीन कृत्य रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने रघुवच (७१३) में समवत इस ओर सन्नेत किया है (स्वमवर

में बाधा देनेवालों का अभाव था, क्योंकि वहाँ धर्म की उपस्थिति थी)। हो सकता है स्वयंवर की प्रथा आरम्भ हान के पूर्व धर्म की पूजा होती रही हो।

संलक्ष्मीरूपेण (धर्म के शरीर पर तेल एवं हल्दी के लेप के उपरान्त बने हुए भाग से घर के शरीर का लेपन) —देखिए सत्कारकौस्तुभ (पृ० ७५७) एवं धर्मसिन्धु (३, पृ० २५७)।

आर्द्राक्षतारोपण (घर एवं धर्म द्वारा भीगे हुए अक्षतों को एक-दूसरे पर छिड़कना) —एक चाँदी सरीसी घालु के बरतन में थोड़ा दूध छोटकर उस पर थोड़ा पी छिड़क दिया जाता है, तब उसमें दिना टूटे हुए चावल छोड़े जाते हैं। घर दूध एवं धर्म धूम के हाथों में दो बार लगाता है और तीन बार भीगे चावल इस प्रकार डालता है कि उसकी अक्षत भर जाती है और फिर दो बार घृत छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति यही कृत्य घर के हाथ में करता है और कन्या का पिता दोनों के हाथ में स्वर्णिम टुकड़े रख देता है। इस प्रकार इस क्रिया का बहुत विस्तार है। स्थानाभाव के कारण दोषांश छोड़ दिया जाता है (देखिए कालिदास का रघुवच (७), जो आर्द्राक्षतारोपण को विवाह के अंतिम कृत्य के रूप में उल्लिखित करता है)।

धर्मसूत्र-वन्दन (धर्म के गले में स्वर्णिम एवं अन्य प्रकार के बाने बोरों में लगाकर बाँधना) —यह आधुनिक काल में एक आम्रूपण हो गया है, जिसे पति के जीते रहने तक पारण किया जाता है। सूत्रकार इस विषय में सर्वथा मौन है। शौनकास्मृति, लघु-आश्वलायन-स्मृति (१५।३३) आदि में इसका वर्णन किया है।

उत्तरीय-प्रान्त-वन्दन (घर एवं धर्म के वस्त्र के कानों में हल्दी एवं पान बाँधकर दोनों कानों को एक में बाँधना) —देखिए सत्कारकौस्तुभ, पृ० ७९९ एवं सत्कारप्रकाश, पृ० ८२९।

एरिगोदान (एक बड़े डले या बोरों में जलते हुए धूपक के साथ अग्नि-अग्नि की जेटें सजाकर घर की माता की देना, जिससे कि वह तथा अन्य सम्बन्धी धर्म की स्नेह से रहें) —देखिए सत्कारकौस्तुभ (पृ० ८११), धर्मसिन्धु (पृ० २६७)। वस (वास) का बना हुआ दौर (बड़ी डलिया) इस बात का द्योतक है कि कुल (वस) बहुत दिनों तक चला जाय। यह सब किया जाता है जब धर्म अपने पति के घर जाने लगती है।

देवकोटपापन एवं मण्डपोद्घासन (सुलाये गये देवी-देवताओं से छुट्टी लेना तथा मण्डप की हटाना) — देखिए सत्कारकौस्तुभ (पृ० ५३२-५३३) एवं सत्काररत्नमाला (पृ० ५५५-५५६)।

दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं—(१) विवाह कब सम्पादित एवं अनन्यथावर्णीय माना जाता है? एवं (२) यदि घोषे से तथा बलवश विवाह कर लिया जाय तो क्या किया जा सकता है?

मनु (८।१६८) और-जबदस्ती या बलवश किये गये कार्यों को किया हुआ नहीं मानते। किन्तु इस सिद्धान्त को विवाह के विषय में मान लेना कठिन है। हमने ऊपर वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।७३) एवं शौचायनधर्मसूत्र के वचन पढ़ लिये हैं कि यदि कन्या अपहृत हो जाय और उसका विवाह हो जाय, किन्तु वैदिक मन्त्रों का उच्चारण न हुआ रहे, तो कन्या कितनी दूरसे से विवाहित हो सकती है। विश्वरूप (पृ० ७४) एवं अपराक (पृ० ७९) के अनुसार यह कार्य कन्या द्वारा प्रायश्चित्त किये जाने पर ही हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्य (यथा स्थावरी) सम्पादित हो गये हों तो प्राचीन धर्मशास्त्रकार भी उस विवाह को अन्याया नहीं सिद्ध कर सकते थे, भले ही कन्या घोषे से या बलवश छीन ली गयी हो। किन्तु आधुनिक कानून कुछ और है, यदि विवाह घोषे से या और-जबदस्ती से कर दिया गया हो तो उसे कबहूँ द्वारा अन्याया सिद्ध किया जा सकता है, भले ही विवाह के सभी धार्मिक कृत्य कन्या ने सम्पादित कर लिये हों।

वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।७२) का कथन है कि 'जब कन्या प्रक्षिप्त हो चुकी हो, और जल से कचन पक्का कर दिया गया हो, किन्तु यदि घर की मृत्यु हो-जाय और वैदिक मन्त्र न पढ़े गये हो, तो कन्या अब भी पिता की ही कन्या जायगी। यही

बात काल्यायन में भी पायी जाती है, 'यदि कन्या के कुनाड के उपरान्त वर मर जाय या उसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके, तो तीन महीनों के उपरान्त कन्या का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लडकी के लिए शुल्क देकर तथा उसके लिए स्त्री घन देकर कहीं बाहर चला जाय, तो वह लडकी साल भर तक अविवाहित रखकर किसी अन्य को विवाह में दे जा सकती है।' मनु (८।२२७) ने लिखा है—“वैदिक मन्त्र विवाह तथा पत्नीत्व के मूबक होते हैं, किन्तु विज्ञ लोग अन्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्त ही मानते हैं।” यह बात अपरार्क ने याज्ञवल्क्य (१।६५) की टीका में लिखी है (पृ० ९५)। और देखिए उद्गाहत्व (पृ० १२९)। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सप्तपदी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं समझा जा सकता। सप्तपदी के पूर्व ही यदि वर की मृत्यु हो जाय, तो वधु कुमारी रह जाती है विधवा नहीं होती और उसका विवाह पुन हो सकता है। विवाह के सबसे महत्वपूर्ण कृत्य हैं होम एव सप्तपदी। यही बात महाभारत (द्रोणपर्व ५५।१५-१६) में भी है, यहाँ सप्तपदी को ही अन्तिम महत्ता प्राप्त है। पत्नीत्व का पद सप्तपदी के उपरान्त ही प्राप्त होता है। कामसूत्र (३।५।१३) के अनुसार अग्नि के साक्ष्य के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता। शूद्रों के विषय में वैदिक मन्त्र नहीं पड़े जाते, अतः वहाँ परम्पराएँ एव रूढ़ियाँ मान्य होती हैं। गृह्यसूत्रों के जैसे निबन्धों के मत से शूद्रों के विषय में कन्या द्वारा वर के परिधान का स्पर्श ही विवाह के सम्पादन का घटक है।

मनु (९।४७) के मत से दाय-विभाजन एक बार ही होता है, कुमारी एक ही बार विवाहित होती है। इससे स्पष्ट है कि सप्तपदी के उपरान्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहीं की जा सकती। किन्तु एक बार के विषय में प्रतिश्रुत होने पर यदि कोई दूसरा अच्छा वर मिल जाय तो पिता अपना वचन तोड़ सकता है और अपनी कन्या किसी से विवाहित कर सकता है (मनु ९।७१ एव ८।९८)। याज्ञवल्क्य (१।६५) कहते हैं—“कन्या एक ही बार दी जाती है, यदि कोई व्यक्ति एव स्वान पर प्रतिश्रुत होने पर कहीं और विवाह कर देता है तो उसे घोर का दण्ड दिया जायगा। किन्तु यदि उसे कहीं पहले से 'अच्छा वर' मिल जाता है तो वह पहले वर को त्याग सकता है।” महाभारत (अनुशासन पर्व ४४।३५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को कोई भी माँग सकता है। यही बात नारद में भी पायी जाती है। इसी प्रकार वर के पक्ष में भी बातें कही गयी हैं। यदि प्रतिश्रुत हो जाने पर वर को पता चलता है कि उसकी भाभी पत्नी रोगी है, उसका सतीत्व नष्ट हो चुका है, या कई बार घोसे से लोगों को दी जा चुकी है, तो वह उससे विवाह नहीं भी कर सकता है (मनु ९।७२)। यदि कोई अविभाजक कन्या के दोष को छिपाकर उसका विवाह कर देता है और विवाहोपरान्त भेद खुल जाता है तो उसे याज्ञवल्क्य (१।६६) के अनुसार बहुत अधिक तथा नारद (स्त्रीपुत्र, ३३) के मत से बहुत कम दण्ड दिया जाता है। अपरार्क (पृ० ९५) के अनुसार बताया गया दोष गुप्त होना चाहिए, न कि लक्षित एव जान दिया जाने वाला। यदि कोई वर दोषहीन लडकी का परित्याग करता है तो उसे कठोरतकठोर दण्ड मिलना चाहिए, यदि वह उसे मूठ-मूठ बोधी ठहराता है तो उस पर एक सौ पण का दण्ड लगना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।६६ एव नारद, स्त्रीपुत्र, ३५)। नारद के अनुसार जो व्यक्ति दोषहीन लडकी को छोड़ता है उसे दण्डित होना चाहिए और उसी के साथ विवाहित भी रहना चाहिए।

कुछ स्मृतियाँ एव निबन्ध विवाह-कृत्य के समय श्रुतमती लडकी के विषय में अपनी विभिन्न धारणाएँ उपस्थित करते हैं। अत्रि (भाष १, पृ० ११) के अनुसार कन्या को हविष्मती मन्त्र (ऋग्वेद १०।८८।१ वा ८।७२।१) के साथ स्वान कराकर तथा दूसरा मन्त्र पहना और धृत की आहुति देकर ऋग्वेद के ५।८।११ मन्त्र के साथ कृत्य समाप्त कर देने चाहिए। किन्तु स्मृत्यनुसार (पृ० १७) ने दूसरी विधि दी है। तीन दिनों के उपरान्त चौथे दिन वर एवं वधु को स्वान कराकर उसी आग्ने में होम करा देना चाहिए।

अध्याय १०
मधुपर्क तथा अन्य आचार
मधुपर्क

निम्नी विशिष्ट अतिथि के आगमन पर उनके सम्मान में जो मधु आदि का प्रदान होता है उसे मधुपर्क विधि कहते हैं। इसका धार्मिक अर्थ है—वह कृत्य जिसमें मधु का (निम्नी व्यक्तित्व व ह्रास पर) गिराना या मोचन होता है। यह शब्द जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (१८।४) में प्रयुक्त हुआ है। मधुपर्क शब्द का प्रयोग निरुक्त (१।१६) ने भी किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।४) में सभ्यता मधुपर्क की ओर ही संकेत है यद्यपि इसमें 'मधुपर्क' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, तथापि इस प्रकार के सम्मान से मधुपर्क कर्म का संकेत मिल ही जाता है। गृह्य-सूत्रों में इसका विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। उनकी बहुत सी बातें समान हैं, अन्तर केवल मन्त्रों के प्रयोग में है, यद्यपि बहुत-से मन्त्र भी ज्यो-के-त्वी हैं। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२४।१-४) के अनुसार यज्ञ करानेवाले ऋत्विक्, घर में आये हुए स्नातक एवं राजा की, आचार्य, स्वप्न, चाचा एवं मामा के आगमन पर इन्हें मधुपर्क दिया जाता है। मानव० (१।१।१) सादिर० (४।४२१), याज्ञवल्क्य (१।११०) के अनुसार छ प्रकार के व्यक्ति अर्घ्य (मधुपर्क के भागों) होते हैं, यथा ऋत्विक्, आचार्य, बर, राजा, स्नातक तथा वह जो अपने को बहुत प्यारा हो। बौधायन० (१।२।६५) ने इस सूची में अतिथि को भी जोड़ दिया है। देविए गौतम (५।२५), आपस्तम्ब्य० (१।३।१९-२०), आपस्तम्ब्यमसूत्र (२।३।८।५-७), बौधायनसूत्र (२।३।६३-६४), मनु (३।११९), समापर्व (३६।२३-२४), गोमिल्य० (४।१०।२३-२४)। यदि व्यक्तित्व एक बार मधुपर्क पावे तो उपरांत वर्ष में भीतर ही पुनः चला आवे तो दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि गृह में विवाह या यज्ञ हो रहा हो तो उक्त व्यक्तित्व को पुनः (ताल मर के भीतर भी) मधुपर्क देना चाहिए। देविए गौतम० (५।२६-२७), आपस्तम्ब्यमसूत्र (२।३।८।६), याज्ञवल्क्य (१।११०), सादिर० (४।४।२६), गोमिल० (४।१०।२६)। ऋत्विक् को प्रत्येक यज्ञ में सम्मानित करना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।११०)। जब यज्ञ में राजा एवं स्नातक आवे तभी उनका मधुपर्क से सम्मान करना चाहिए। विस्वरूप (याज्ञवल्क्य १।१०९) के अनुसार केवल राजा को ही मधुपर्क देना चाहिए, निम्नी अन्य दासिय को नहीं। मेघातिथि (मनु ३।१।१९) ने अनुसार शत्रु को छोड़कर सभी जाति के

१. स होवाच कि विद्वांसो बाल्म्यानामन्त्र्य मधुपर्कं पिबसीति। जैमिनीय उपनिषद्-ब्राह्मण (१९।४); ज्ञानते मधुपर्कं प्राह। निरुक्त (१।१६)।

२. तदर्थं शत्रो मनुष्यारो ज्ञानतेऽप्यस्मिन्वाहति उवाचं वा वेहत वा दाहते। ऐतरेय ब्राह्मण (३।४)। मेघातिथिने मनु (३।१।१९) को तथा हारवत ने गौतम (१।७।३०) की टीका में इसे उद्धृत किया है।

३. ऋत्विजो दत्त्वा मधुपर्कमाहरेत्। स्नातकाद्योपस्थिताय। राज्ञे च। आचार्यं स्वप्नुरपितृभ्यामप्रातुलान्। च। अन्तरलायन० १।२।४।१-४। पर जब मधु के घर आता है तो उसे भी मधुपर्क दिया जाता है, क्योंकि वह भी सामान्यतः स्नातक ही होता है। आचार्य वह है जो उपगमन करता है और वेद पढ़ता है।

राजा को मधुपर्क देना चाहिए। गृह्यपरिनिष्ठ वे अनुगार मधुपर्क का कृत्य पानेवाले की शाखा के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि देनेवाले की शाखा के अनुसार।

मधुपर्क की विधि आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२४।५-२६) में निम्न प्रकार के वर्णित है—“वह मधु को दही में मिलाता है। यदि मधु बहो तो घृत से काम लिया जाता है। विष्टर (२५ कुशों का आसन-विशेष), पैर धोने के लिए जल, अर्घ-जल (गन्ध, पुष्प आदि से सुगन्धित जल), आचमन-जल, मधु-मिश्रण (मधुपर्क), एक गाय—इनमें से प्रत्येक का उच्चारण (अतिथि या सम्मानार्ह व्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया जाता है। सम्मानार्ह व्यक्ति को उत्तर की ओर मुड़े हुए कुशों के बने विष्टर पर बैठना चाहिए और यह कहना चाहिए—“मैं अपने सम्बन्धियों में उसी प्रकार सर्वोच्च हूँ जैसा कि प्रकाशको में सूर्य, और मैं यहाँ उन सभी को जो मूससे विद्येय रखते हैं, कुचल रहा हूँ”, या उसे विष्टर पर बैठने के उपरान्त इस मन्त्र का उच्चारण बार-बार करना चाहिए। तब उसे अपना पैर अतिथ्यकर्ता से धुलवाना चाहिए, सबसे पहले ब्राह्मण का दायाँ पैर तथा तदितर का बायाँ पैर धोया जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह अपने जुटे हुए हाथों में अर्घ-जल लेता है और तब आचमन-जल से आचमन करता है और कहता है—“तू अमृत का बिछोना या प्रथम स्तर है।” जब मधुपर्क लाया जाय तो वह उसे देखे और इस मन्त्र का पाठ करे—“मैं तुम्हें मित्र (देवता) की आँखों से देख रहा हूँ।” तब वह मधुपर्क निम्न सूक्त के साथ ग्रहण करता है—“सविता की प्रेरणा से अश्विनो के बाहुओं एव पूषा के हाथों से इसे ग्रहण कर रहा हूँ” (वाजसनेयी संहिता १।२४)। वह मधुपर्क को तीन ऋचाओं १।९।१-८ के साथ (उन्हे पठकर) देखता है। वह उसे बायें हाथ में लेता है, बायी ओर से दाहिनी ओर अँगूठे एव अनामिका अँगुली से तीन बार हिलाता है, अँगुलियों को पूर्व की ओर बोता है और पठता है—“तुम्हें वसु लोग गायत्री छन्द के साथ छायें”, “तुम्हें रुद्र त्रिष्टुप् छन्द के साथ छायें”, “तुम्हें आदित्य गण जगती छन्द के साथ छायें”, “तुम्हें विश्वे-देव अनुष्टुप् छन्द के साथ छायें”, “तुम्हें भूत (जीव) लोग छायें।” प्रत्येक बार वह बीच से मधुपर्क उठाकर फेंकता है और प्रति बार नयी दिशा में फेंकता है, यथा वसुओं के लिए पूर्व में, रुद्रों के लिए दक्षिण की ओर, आदित्यों के लिए पश्चिम की ओर तथा विश्वेदेवों के लिए उत्तर की ओर। वह उसे छाते समय पहली बार “तुम विराज के दूध हो,” दूसरी बार “मैं विराज का दूध पा सकूँ” तथा तीसरी बार “मुझमें पाधा विराज का दूध रहे” कहता है। उसे पूरा मधुपर्क नहीं खा जाना चाहिए और न सन्तोष भर खाना चाहिए। उस शेषास किसी ब्राह्मण को उत्तर दिसा में दे देना चाहिए, यदि कोई ब्राह्मण नहीं तो शेषास जल में छोड़ देना चाहिए, या पूरा खा जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह आचमन-जल से आचमन करता है और यह पढ़ता है—“तुम अमृत के अपिधान (वक्कन) हो” (आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ २।१०।४, एव आपस्तम्बगृह्यसूत्र १।१।१३)। वह दूसरी बार “हे सत्य! यश! माय! माय मुझमें बसे” इसे पढ़ता है। आचमन के उपरान्त उसे गाय देने की घोषणा की जाती है। “भिर पाप नष्ट हो गया है” ऐसा कहकर वह कहता है—‘रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री (ऋ० ८।१०।१।१५) इसे जाने दो, मधुपर्क बिना मास का ही हो।”

कुछ गृह्यसूत्रों (यथा मानव) में मधुपर्क को विवाहकृत्य का एक अंग माना है, किन्तु कुछ में (यथा आश्वलायन) इसे स्वतन्त्र रूप में गिना है। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (१।१२०-१३) में इसे समावर्तन का अंग माना है। मधुपर्क में

४. ऋग्वेद की तीनों ऋचाएँ (१।९।०।६-८) ‘मधु’ शब्द से आरम्भ होती हैं, “मधु खाता ऋतायते मधु शरतिरि तिथय” (६), “मधु नक्षत्रतोयसो” (७), “नयुगामो यनस्पति” (८), और ये मधुपर्क के लिए बड़ी समीचीन भी हैं। ये ऋचाएँ वाजसनेयी संहिता (१।३।२७-२९) में भी पायी जाती हैं और मधुमती कही जाती हैं। इनका प्रयोग आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।३) एवं मानवगृह्यसूत्र (१।१।१४) में हुआ है।

छाते जाने वाले पदार्थों के विषय में बहुत मतभेद है। आदवलापन एवं आपस्तम्ब० (१३।१०) के अनुसार मधु एवं दही या घृत एवं दही का मिश्रण ही मधुपर्क है। पारस्कर० आदि ने मधु, दही एवं घृत—तीनों के मिश्रण की चर्चा की है। कुछ ने इन तीनों के साथ मूना यव (जौ) अन्न एवं बिना मूना हुआ यव अन्न भी जोड़ दिया है। कुछ ने दही, मधु, घृत, जल एवं अन्न को मधुपर्क के लिए उल्लिखित किया है (हिरण्यकेशि० १।१२।१०-१२)। कौशिकसूत्र (१२) ने नौ प्रकार के मिश्रण की चर्चा की है—ब्राह्म (मधु एवं दही), ऐत्र (पायस का), सौम्य (दही एवं घृत), शौण्य (घृत एवं मट्ठा), सारस्वत (द्रूप एवं घृत), मौसल (आसव एवं घृत, इनका प्रयोग केवल सौत्रामणि एवं राजसूय यज्ञों में होता है), वारण (जल एवं घृत), आषण (तिल का तेल एवं घृत), पारिव्राजक (तिल-तेल एवं खली)। कुछ गृह्य-सूत्रों के अनुसार इसमें मयासमव बेहत् बकरी, हिरन आदि के मांस का भी विधान है। जब मांस खाना अच्छा नहीं समझा जाने लगा तो उसके स्थान पर पायस की चर्चा होने लगी। आदिपर्व (६०।१३-१४) में आया है कि जनमेजय ने व्यास को मधुपर्क दिया था और व्यास ने उसमें मे मांस का त्याग कर दिया था। आधुनिक काल में विवाह को छोड़कर प्रायः किसी अन्य अवसर पर मधुपर्क नहीं दिया जाता, अतः इसकी परिपाटी टूट-सी गयी है।

कुम्भ-विवाह

अब हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्यों का वर्णन उपस्थित करेंगे। वंघव्य को हटाने के लिए कुम्भ विवाह नामक कृत्य किया जाता था। इसका विवाद वर्णन हमें सत्कारप्रकाश (पृ० ८६८), निर्णयसिन्धु (पृ० ३१०), सत्कारकौस्तुभ (पृ० ७४६), सत्काररत्नमाला (पृ० ५२८) आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। विवाह के एक दिन पूर्व पुष्य आदि से एक घड़ा सजाया जाता था जिसमें विष्णु की एक स्वर्णिम मूर्ति रखी रहती थी। कन्या चारों ओर से सूत्रों से घेर दी जाती थी, और घर को लम्बी आयु देने के लिए वरुण की पूजा की जाती थी। इसके उपरान्त कुम्भ को पानी में फोड़ दिया जाता था और उसका जल पांच टहनियों से कन्या पर छिड़क दिया जाता था और ऋग्वेद (७।४९) का पाठ किया जाता था, अन्त में ब्रह्मभोज किया जाता था।

अश्वत्थ-विवाह

सत्कारप्रकाश (पृ० ८६८-८६९) ने कुम्भ-विवाह के समान अश्वत्थ-विवाह का वर्णन सोमाय्य (सोहाम्य) के लिए अर्थात् वंघव्य न हो, इसके लिए किया है। यहाँ कुम्भ के स्थान पर अश्वत्थ की पूजा होती है और स्वर्णिम विष्णु-मूर्ति पूजा के उपरान्त किसी ब्राह्मण को दे दी जाती है।

अर्क-विवाह

यदि एक-एक करने दो पत्नियों की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूर्व व्यक्ति को अर्क-विवाह नामक कृत्य करना पड़ता था। इसका वर्णन सत्कारप्रकाश (पृ० ८७६-८८९), सत्कारकौस्तुभ (पृ० ८१९), निर्णयसिन्धु (पृ० ३२८) आदि में पाया जाता है। बौधायनगृह्यसोपसूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जाता है।

परिवेदन

परिवेदन के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार के साथ वर्णन मिलता है, किन्तु यह कृत्य आधुनिक काल में अविदित-सा ही है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता के रहते, अथवा जब कोई व्यक्ति बड़ी बहिन के रहते उसकी छोटी बहिन से विवाह करता तो इसे परिवेदन कहा जाता था, और इसकी धीर रूप में मर्त्या की जाती थी। क्योंकि

ऐसे सम्बन्ध से बड़े माई अथवा बड़ी बहिन के अधिकारों की अवहेलना हो जाती थी तथा पाप लगता था। गौतम (१५।१८) एव आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२-२२) के अनुसार यदि छोटा माई बड़े माई के पूर्व विवाह कर ले तथा बड़ा माई छोटे माई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप के भागी होते हैं और उन्हें धाद मे नहीं बुलाया जाना चाहिए। आपस्तम्ब० का आगे कहना है कि जो बड़ी बहिन के रहते छोटी बहिन से तथा जो छोटी बहिन का विवाह हो जाने के उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करता है वह पापी है। इसी प्रकार जो अपने छोटे माई द्वारा पवित्र अग्नि स्थापित किये जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त बंसा करता है, वह भी पापी है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१८), विष्णुधर्मसूत्र (३।७।१५-१७) आदि ने भी यही बात कही है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२०।७-१०) ने छोटी बहिन के पति तथा बड़ी बहिन के पति के लिए २० दिनों के कृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है और दोनों को एक-दूसरे की पत्नी की बदला-बदली (केवल दिखावट मात्र) करने की आज्ञा दी है और एक-दूसरे की आज्ञा लेकर पुनः विवाह करने की व्यवस्था दी है (देखिए इस विषय में बोधायनधर्मसूत्र २।१।४०)। छोटे माई को, जो बड़े से पहले विवाहित हो जाता है, परिवेत्ता या परिविबिदान (मनु ३।१७१, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१२।२१) या परिविन्दक (याज्ञवल्क्य १।२२३) कहा जाता है, तथा बड़े माई को, जो अपने छोटे माई के उपरान्त विवाहित होता है, परिवित्त या परिविन्न या परिवित्त (मनु ३।१७१) कहा जाता है। छोटी बहिन को, जो अपनी बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित हो जाती है, अप्रे विधिपू (गौतम० १५।१५, वसिष्ठ० १।१८) या परिवेदिनी कहा जाता है। बड़ी बहिन को, जो छोटी बहिन के विवाह के उपरान्त विवाहित होती है, विधिपू कहा जाता है। उपर्युक्त अन्तिम दो के पतियों को क्रम से अप्रेविधिपूपति एव विधिपूपति कहते हैं। पिता अथवा अभिभावक को, जो परिवेदन की उपर्युक्त कन्याओं का विवाह रचाते हैं, परिवेत्ता या परिवेत्ता कहा जाता है। छोटे माई को, जो अपने बड़े माई के पूर्व पुत्र अग्नि जलाता है, पर्याघाता तथा इस प्रकार के बड़े माई को पर्याहित कहा जाता है। गौतम (१५।१८), मनु (३।१७२), बोधायनधर्मसूत्र (२।१।३०) एव विष्णुधर्मसूत्र (५।४।१६) के अनुसार परिवेत्ता, परिवित्त एव वह लड़की, जिससे छोटा माई बड़े माई के पूर्व विवाह करता है, विवाह करा देनेवाला (पिता या अभिभावक) एव पुरोहित—ये पाँचो नरक में गिरते हैं। विष्णु के मत से इन्हें छुटकारे के लिए शास्त्रायण व्रत करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३।२६५) की टीका मिताक्षरा में भी यही बात उल्लिखित है। इस विषय में अन्य मतों के लिए देखिए मनु (३।१७१) पर मेघातिथि की टीका, अपराकं पृ० ४४६, त्रिकाण्डमण्डन (१।७६-७७), स्मृत्यंसार (पृ० १३)। विष्णुधर्मसूत्र (३।७।१५-१७) ने परिवेदन की गणना उपपातकों में की है। अन्य मतों के लिए देखिए गौतम (१८।१८-१९) एव अपराकं (पृ० ४४५)। कुछ दशाओं में, यथा बड़े माई के उन्मादी, पापी, कौड़ी होने तथा नपुंसक या यक्ष्मा से पीड़ित होने पर, बाद जोहना व्यर्थ है (मेघातिथि-मनु ३।१७१, अत्रि १०५-१०६, गोमिलस्मृति १।७२-७४, त्रिकाण्डमण्डन १।६८-७४, स्मृत्यंसार पृ० १३ एव सत्कारप्रकाश पृ० ७६०-७६६)।

परिवेदन के विषय में हमें वैदिक साहित्य में भी संकेत मिलता है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ३।२।९, ३।४।४)। तैत्तिरीय संहिता में प्रयुक्त उपाधियाँ हैं सूर्याग्निमुक्त, सूर्याग्निनिर्मुक्त, कुण्डी, स्यावदन्, अप्रेविधिपू, परिवित्त, वीरहा, ब्रह्महा। यही क्रम वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१८) में भी पाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (३।४।४) में उपयमेघ के विषय में चर्चा करते समय परिवित्त को अमाग्य (निश्च्युति), परिविबिदान को आति (कष्ट या क्लेश) तथा विधिपूपति को अराधि के हवाले किया गया है।

अध्याय ११

बहुपत्नीकता, बहुभतुंकता तथा विवाह के अधिकार एवं कर्तव्य बहुपत्नीकता

यद्यपि वैदिक साहित्य के अववाहन से पता चलता है कि उन दिनों एक-पत्नीकता वा ही नियम एवं आदर्श था, किन्तु बहु-पत्नीकता के कतिपय उदाहरण मिल ही जाते हैं।^१ ऋग्वेद (१०।१४५) एवं अथर्ववेद (३।१८) में पत्नी द्वारा सौते के प्रति पति प्रेम घटाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया है। यही बात ज्यो-की-स्यो आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१५) एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।६।८) में है, जिसमें पति को अपनी ओर करने तथा सौते से विगाड़ कर देने की चर्चा है। ऋग्वेद (१०।१५९) के अम्भयन से पता चलता है कि इन्द्र की कई रानियाँ थी, क्योंकि उसकी रानी वापी ने अपनी बहुव-नी सौते को हरा दिया था या मार डाला था तथा इन्द्र एवं अन्य पुरषों पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस मन्त्र को आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१६) में तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।९) में उसी कार्य के लिए उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद (१।१०५।४) में उल्लेख है कि त्रित कुए से गिर जाने पर कुए की दीवारों को उसी प्रकार कष्टदायक पाता है, जित प्रकार कई पत्नियाँ कष्ट देती हैं (पतियों के लिए या अपने लिए सटकर अतीव उष्णता उत्पन्न करती हैं)।^२ इस विषय में अन्य सकेत हैं तैत्तिरीय संहिता (६।६।४।३), ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११), तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।४), शतपथ ब्राह्मण (१३।४।१।९), वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८), तैत्तिरीय संहिता (३।८।९), ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।१) में। तैत्तिरीय संहिता (६।६।४।३) में एक बहुत मनोरंजक उदाहरण है—“एक यज्ञयुग पर बह दो मेखलार्ए (करपनियाँ) बाँधता है, अत एक पुरुष दो पत्नियाँ ग्रहण करता है, वह दो युगों (खूटों या ताम्बों) पर एक मेखला नहीं बाँधता, अत एक पत्नी को दो पति नहीं प्राप्त होते।” इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में घोषित हुआ है, “अत एक पुरुष को कई स्त्रियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी एक साथ कई पति नहीं प्राप्त कर सकती।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।४) में अरधमेघ की चर्चा में ऐसा आया है—“पत्नियाँ (घोंड़ों को) उबटन लगाती हैं, पत्नियाँ सबभुष सम्पत्ति के समान हैं।” शतपथ ब्राह्मण (१३।४।१।९) में आया है—“चार पत्नियाँ सेवा में लगी हैं—महिषी (अभिषिक्त राणी), वाताता (बहेती पत्नी), परिबुक्षता (स्यागी हुई) एवं पालागली (निम्न जाति की)।” तैत्तिरीय संहिता ने भी परिबुक्षता एक महिषी की चर्चा की है (३।८।९)। वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८) में कुछ मन्त्र ऐसे हैं

१. देविए ऋग्वेद (१०।८५।२६ एवं ४६), यथा—यूवा त्वेते नयतु हस्तगृह्याग्निना एवा प्रबहता रवेन। गृह्याग्नाञ्च गृह्यतनी यथासी त्वं विवचना बर्वाति।... सन्नासी अग्निदेवयु। इत्यती दाव ऋग्वेद में कई स्थलों पर आया है और एक-पत्नीकता की ओर संकेत करता है, यथा—ऋग्वेद ५।३।२, ८।३।१।५ एवं १०।६।८।२।

२. स मा शपन्वयिता शपत्नीरिव पसंभ। ऋग्वेद १।१०५।८; देविए ऋग्वेद १०।१६।१० (आश्विपति-यज्ञकृत कनीतायु) जहाँ लिखा है कि आश्विनो में अश्विन को कई कुमारियों वा पति बना दिया।

जिन्हें ब्रह्मा, उद्गाता, होता ने क्रम से महिषी, वावाता एवं परिवृक्ता के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया है। हगिचन्द्र की एक सौ पत्नियाँ थीं (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१)। बहुपत्नीकता केवल रामाओ एवं तथाकथित मद्र पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक यामवलय की दो पत्नियों में कात्यायनी भौतिक सुख की इच्छा रखनेवाली तथा मैत्रेयी ब्रह्मज्ञान एवं अमरता की इच्छुक थी (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।५।१-२ एवं २।४।१)।

सूत्रकाल के कुछ ऋषियों ने आदर्श की बात कही है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।१२-१३) के अनुसार धर्म एवं सन्तति से युक्त एक ही पत्नी यथेष्ट है, किन्तु धर्म एवं सन्तान में एक के अभाव में उसकी पूर्ति के लिए एक अन्य पत्नी भी की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर इस सूत्र (१।१०।२।१९) ने लिखा है कि यदि कोई अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करता है तो उसे गधे की खाल (जिसका बाल वाला भाग ऊपर हो) ओढ़कर छः महीनों तक सात, घरो में मिला माँगनी चाहिए। यही बात नारद ने भी कुछ हेर-फेर के साथ कही है—यदि पत्नी अनुकूल, मधुरभाषी, दक्ष, साध्वी एवं प्रजावती (पुत्र वाली) हो और उसे उसका पति त्याग दे तो राजा ऐसे दुष्ट पति को दण्डित कर ठीक कर दे (नारद-स्त्रीपुस, ९५)। कौटिल्य (३।२) ने भी लिखा है कि पति को प्रथम सन्तानोत्पत्ति के उपरान्त यदि सन्तान न हो तो ८ वर्ष तक जोहकर ही पुनर्विवाह करना चाहिए। यदि मृत बच्चे ही उत्पन्न हों तो १० वर्ष जोहकर तथा यदि पुत्रियाँ ही उत्पन्न हों तो १२ वर्ष जोहकर पुनर्विवाह करना चाहिए। किन्तु यदि पति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पत्नी को स्त्रीघन तथा भरण-पोषण के लिए धन देना चाहिए और राजा को २४ पण का घनदण्ड देना चाहिए। यह तो कौटिल्य का आदर्श वाक्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने पुन लिखा है—“एक व्यक्ति कई पत्नियों से विवाह कर सकता है, किन्तु उस पत्नी को, जिसे स्त्रीघन या कोई धन विवाह के समय न मिला हो, उसे शुल्क दे देना होगा, जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सके...।” मनु (५।८०) एवं याज्ञवल्क्य (१।८०) ने लिखा है कि यदि पत्नी मदिरा पीती हो, किसी पुराने रोग से पीड़ित रहती हो, घोखेबाज हो, सर्चीली हो, कटुभाषी हो और केवल पुत्रियाँ ही जनती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। मनु (५।८१) एवं बोधायन-धर्म० (२।२।६५) के मतानुसार कटुवादिनी पत्नी का त्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। चण्डेद्वर ने अपने गृहस्थरत्नाकर में देवल को उद्धृत करते हुए कहा है कि शूद्र एक से, वैश्य दो से, क्षत्रिय तीन से, ब्राह्मण चार से तथा राजा जितनी चाहे उतनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। आदिपर्व (१९०।३६) ने गम्भीरतापूर्वक लिखा है—“कई पत्नियाँ रखना कोई अधर्म नहीं है, किन्तु स्त्रियों के लिए प्रथम पति के प्रति अपने कर्तव्य न करना अधर्म है।” महाभारत (मोक्षलपर्व ५।६) के अनुसार वामुदेव (श्री कृष्ण) की १६ सहस्र पत्नियाँ थीं। ऐतिहासिक युगों में बहुत-से राजाओं की एक-एक सौ रानियाँ थीं। चेदिराज गाणेशदेव उर्फ विजयमदित्य ने प्रयाग में अपनी सौ पत्नियों के साथ मुक्ति पायी (देविए, एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० ४ एवं वही, जिल्द १२, पृ० २०५)। बंगाल के कुलीनवाद की निन्धा कर्पाएँ सर्वविदित हैं। कुछ ऐसे

३. धर्मप्रजासम्पन्ने द्वारे नान्यां कुर्वीत। अन्यतरामावे कार्या प्रागान्यधेयात्। आप० ध० २।५।११।१२-१३; सराजिनं बहिलोमं परिधाय शारष्यति क्रमभे भिसामिति सत्तागारानि चरेत्। सा वृत्तिः षष्ठासाम्। आप० ध० १।१०।२।१९; देविए बृहत्संहिता (७।१।३३), जिसमें यही प्रायश्चित्त लिखा हुआ है किन्तु यह भी लिखा हुआ है कि पुत्र्य लोग यह प्रायश्चित्त करते नहीं। ‘अनुकूलामबाधुष्टां बन्नां साध्वीं प्रजावतीम्। स्वयं भार्यामिबन्धाञ्चो रम्यं बन्धेन भूयसा।।’ नारद (स्त्रीपुंस, ९५)।

४. न चाप्यधर्मः कस्यापि बहुपत्नीकता नृणाम्। स्त्रीनामधर्मः सुमहाभर्तुः पूर्वस्य संपत्तेः ॥ आदिपर्व १६०।३६। धर्म० ४०

विशिष्ट कुल थे, जिनमें कन्याओं का विवाह कर देना धर्मस्वर माना जाता था, अतः इसके फलस्वरूप एक-एक कुलीन व्यक्ति की भगणित पत्नियाँ थीं, जिनमें कुछ तो अपने पति का दर्शन भी नहीं कर पाती थीं।

स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक दुर्व्यवहार क्यों? इसके कई कारण थे—(१) पुत्रों की अत्यधिक आध्यात्मिक महत्ता, (२) बाल-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की शिक्षा, (४) स्त्रियों को अपवित्र मानने की प्रथा का क्रमशः विकास एवं (५) उन्हें शूद्रों के समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुरुषों पर पूर्ण आधिपत्य।

यद्यपि बहुपत्नीकता सिद्धान्त रूप से विद्यमान थी, किन्तु व्यवहार में बहुधा लोग प्रथम पत्नी की उपस्थिति में दूसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में स्टील ने अपनी पुस्तक 'ला एण्ड कस्टम अफ हिन्दू कास्ट्स' में यही बात सिद्ध की है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नये कानून के अनुसार एक-पत्नीयता को गौरव प्राप्त हो गया है।

बहुभर्तृकता

तैत्तिरीय संहिता (६।६।४।३, ६।५।१।४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट विदित है कि उनमें प्रथम-कालों एवं उनके पूर्व बहुभर्तृकता का कही नाम भी नहीं था। 'एक यूप में यह दो भेरलार्ण बाँधता है, इसी प्रकार एक पुष्य दो पत्नियाँ प्राप्त करता है; यह दो यूपों के चतुर्दिक एक ही भेरला नहीं बाँधता, इसी प्रकार एक पत्नी दो पति नहीं प्राप्त करती' (तै० सं० ६।६।४।३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) ने लिखा है—'अत एक पुरुष की कई पत्नियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं।' हमें कोई भी ऐसी वैदिक उक्ति नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों बहुभर्तृकता पायी जाती थी। संस्कृत-साहित्य में सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है द्रौपदी का, जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जब अन्य लोगों को यह बात मालूम हुई कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है, तो वे सभी चकित हो उठे थे। घृष्टघुम्न (आदिपर्व २९५।२७-२९) ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, किन्तु युधिष्ठिर टस-से-मस नहीं हुए और कहा—'ऐसा कार्य पहले भी होता था और हम पाण्डवों में यह तथ्य है कि हममें जो भी जो कुछ प्राप्त करेगा, वह सबको बराबर भाग में मिलेगा। इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये—(१) जटिला गीतमी सप्तविधियों की पत्नी थी तथा (२) सभी दस प्रचेतस भार्गवों की पति थी। ये गाथाएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखती।' तन्त्रवार्तिक में कुमारिल मठ ने द्रौपदी के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई द्रौपदियाँ थी जो एक-दूसरी से मिलती-

५. यदेकस्मिन्पुषे द्वे रजाने परिष्वपति तस्मादेको द्वे जाये विन्वते यक्षंकां रजानां द्वयोर्यूपयोः परिष्वपति तस्माभंका द्वौ पती विन्वते। तै० सं० ६।६।४।३; और वेदिए तै० सं० ६।५।१।४ तस्मादेको बहुव्रीह्या विन्वते; तस्मादेकस्य बहुयो जाया भवन्ति नैकस्य बहुः संहृतयः। ऐ० ब्रा० १२।११।

६. एकस्य बहुषो विहिता महिष्यः कुचनग्वन। नैकस्या बहुकः पुताः भूयन्ते पतयः क्वचित्।। लोकेश्वर-रचयित्वं ताभ्यं धर्मविच्छुद्धिः। कर्तुमर्हति कौन्तेय कस्मात्ते बुद्धिरीवृद्धी।। आदिपर्व १९५।२७-२९; समापर्व (२८।३५) में कर्म ने द्रौपदी को कण्वकी (बेदया) माना है, क्योंकि उसे कई पुष्य पति के रूप में प्राप्त थे। आदिपर्व (१९६) में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है—'सुशो यतो महाराज ताव्य विद्यो वय गतिम्। पूर्वेषामानुपूर्व्येण यातं गयन्मुपासहे॥'

जुलती थी और महाभारत ने उन्हें आलंकारिक रूप से एक ही श्रेणी के रूप में रख दिया है। वास्तव में पाँच श्रेणीय थी, जिनमें प्रत्येक प्रत्येक पाण्डव से विवाहित हुई थी।

धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बहुभर्तृकता सबकी व्यावहारिकता की ओर कुछ सकेत मिल जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२७।२-४) का कथन है—“(नियोग द्वारा पुत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, प्रत्युत अपने सगोत्र को ही देना चाहिए, क्योंकि कन्या का दान माइयों के सारे कुटुम्ब को, न कि केवल एक माई को, किया जाता है, पुत्रों के ज्ञान की दुर्बलता के कारण (नियोग) वजित है।” बृहस्पति का कथन है—“कुछ देशों में एक अत्यन्त घृणास्पद बात यह है कि लोग माई की भृत्य के उपरान्त उसकी विधवा से विवाह कर लेते हैं, यह भी घृणास्पद है कि एक नया पूरे कुटुम्ब को दे दी जाती है। इसी प्रकार फारस वालों (पारसीको) में लोग माता से भी विवाह कर लेते हैं।” डा० जाली का यह कथन कि दक्षिण में बहुभर्तृकता पायी जाती थी, सर्वथा निराधार है। डा० जाली ने बृहस्पति के वचन को कई भागों में करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव में दक्षिण में, ‘मातुलकन्या’ से ही विवाह की चर्चा मात्र सिद्ध होती है और अन्य बातें अन्य देशों की हैं। प्रो० कीच ने डा० जाली की ही भ्रमात्मक व्याख्या मान ली है।

बहुभर्तृकता के दो स्वरूप हैं—(१) मातृपत्नीय (जब कोई स्त्री किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध जोड़ती है जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं भी हो और कुल का क्रम स्त्री से ही चलता हो) तथा (२) भ्रातृपत्नीय (जिसमें एक नारी कई माइयों की पत्नी हो जाती है)। प्रथम प्रकार की प्रथा मलाबार तट के नायर-कुलों में पायी जाती थी, चिन्तु अब वहाँ ऐसी बात नहीं है। चिन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुमायू, गढ़वाल तथा हिमालय के प्रान्तों में आसाम तक पायी जाती रही है। पण्डित भगवानलाल इन्द्रजी (इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृ० ८८) का कहना है कि टोस एव यमुना के बीच कालसी, कुमायू आदि की ओर कई वर्गों के लोग बहु-भर्तृकता के अनुयायी हैं और उससे उत्पन्न पुत्र को जीवित ज्येष्ठ माई से उत्पन्न पुत्र मानते हैं। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपने समय की नीच जातियों में बहु-भर्तृकता के प्रचलन की बात लिखी है (आदिपर्व १०।४।३५) पर नीलकण्ठ)।

पति एवं पत्नी के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य

मनु (१।१०१-१०२) ने पति-पत्नी के धर्मों की चर्चा सक्षेप में यों की है—“उन्हें (धर्म, अर्थ एवं काम के विषय में) एक-दूसरे के प्रति सत्य रहना चाहिए, और सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी अलग न हो सकें।” नीचे हम उनके सभी प्रकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा क्रमानुसार करेंगे।

पति का प्रथम कर्तव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है क्रम से धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होने देना। तथा होना। यह बात अति प्राचीन काल से पायी जाती रही है। ऋग्वेद (१।७।२।५) में आया है—“अपनी पत्निया के साथ उन्होंने पूजा के योग्य अग्नि की पूजा की।” एक अन्य स्थान (ऋ० ५।३।२) पर आया है—“यदि तुम पति एवं पत्नी को एक

७ अथवा बहुप एव तां सवशरूपा श्रेण्य एकवैनोपचरिता इति व्यवहारपर्याप्त्या गम्यते ॥ तन्त्रशास्त्रिक, पृ० २०९।

८ विद्वद्भ्यः प्रतिवृश्यन्ते शशिलापदेभ्यु सप्रति। स्वमातुलमुतोद्गहो मातुलमुत्सृज्यते ॥ अभर्तृकभ्रातृभार्या-प्रहणं घातिवृत्तम् ॥ कुले कन्याप्रदानं च देशेष्वन्येषु वृश्यते ॥ तथा मातृविवाहोऽपि पारसीकेषु वृश्यते ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०, स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम, पृ० १३०)।

मन के बना दो तो वे अच्छे मित्र की भाँति तुम्हें भूत का लेप करेंगे।" तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।७।५) में आया है—
 "सत्कर्मों द्वारा पति एव पत्नी एक-दूसरे से युक्त हो जायें, हल् में बैलो की भाँति उन्हें यश में जुट जाना चाहिए; वे दोनों एक मन के हो भीर शत्रुओं का नाश करें, वे स्वर्ग में न पड़ने वाली (अजर) ज्योति प्राप्त करें।" यही बात कुछ अन्तरो के साथ काठक संहिता (५।५) में भी पायी जाती है और शबर ने जैमिनि (६।१।२१) की व्याख्या में इसको आधार बनाया है। इस दिनेचन से स्पष्ट होता है कि कर्तव्यों का प्रतिफल पति-पत्नी साथ ही भोगते थे। पत्नी मरव-मेघ में घोड़े को लेप करती है (तं० ब्रा० ३।८।५) तथा विवाह के समय अग्नि में लावा की आहुति देती है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (२।६।१३।१६-१८) के अनुसार विद्व होपरान्त पति एव पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करते हैं, पुण्यफल में समान भाग पाते हैं, घन-सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं तथा पत्नी पति की अनुपस्थिति में अबसर पड़ने पर भेट आदि दे सकती है।" आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।८।५) के अनुसार पत्नी को पति की अनुपस्थिति में गृह की अग्नि की पूजा (अग्नि-होत्र) करनी पड़ती थी और उसके बुझ जाने पर उसे उपवास करना पड़ता था, वह सम्प्रदायकाल के होम में आहुति के साथ "अग्नये स्वाहा", प्रातःकाल की आहुति के साथ "भूर्याय स्वाहा" कहती थी और दोनों वालों में मीन रूप से एक आहुति प्रजापति को देती थी। इस विषय में अन्य विचार देखिए गीतम० (५।६-८), गोमिल्ल० (१।४।१६-१९) एव आपस्तम्ब० (८।३-४)। मनु (३।१२१) के मत से सन्ध्या काल के पके हुए भोजन की आहुतियाँ पत्नी-द्वारा बिना मन्त्रों के भी जानी चाहिए। स्पष्ट है, यद्यपि मनु के समय में त्रिषो को वैदिक मन्त्रों पर अधिकार नहीं दिया गया था, किन्तु वे धार्मिक कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थीं। यज्ञों में पत्नी को निम्न कार्य करने पड़ते थे—(१) स्थालीपाक (हिरण्यकेसिगृह्यसूत्र १।२३।३) में अन्न को छाँटना अर्थात् भूसी-रहित, साफ करना, (२) उपस्थृत पशु को घोंना (दातपयत्रा० ३।८।२ एव गोमिल्ल० ३।१०।२९), (३) श्रोत यज्ञों में आग्य की ओर देखना। पूर्व मीमांसा (६।१।१७-२१) में ऐसा आया है कि जहाँ तक सम्भव हो पति-पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करें, किन्तु पति साधारणतः अकेला सभी कार्य कर लेता है, और पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत, कल्याणप्रद अथवा आशीर्षचन आदि करती है। धार्मिक कृत्य सामान्यतः पति-पत्नी साथ ही करते हैं, इसी से राम को यज्ञ करते समय सीता की स्वर्णिम मूर्ति पास में रखनी पड़ी थी (रामायण ७।१।२५)। पाणिनि (५।१।३३) ने 'पत्नी' शब्द की व्युत्पत्ति करके बताया है कि उसी को पत्नी कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फल की भागी होती है। इससे स्पष्ट विदित है कि जो त्रिषो अपने पतियों के साथ यज्ञों में भाग नहीं लेती थी, उन्हें जाया या भार्या (पत्नी नहीं) कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार किसी शूद्र की स्त्री केवल साधुस्य भाव से ही उसकी पत्नी कही जाती है (क्योंकि शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उसकी भार्या की तो बात ही क्या है)। त्रिषो का यज्ञों से सन्निकट साहचर्य होने के कारण ही यदि वे पति के पूर्व मर जाती थी तो उनका शरीर पवित्र अग्नि से यज्ञ के सारे उपकरणों एव बरतनों (पात्रों) के साथ जलाया जाता था (मनु ५।१।६७-

९. सजानाना उपसीदप्रभित्तु पत्नीवन्तो नमस्य नमस्यन्। ऋ० १।७।२।५; अञ्जन्ति मित्रं सुपित न गोभिर्यद्
 दम्पती समनता कृषोर्यि। ऋ० ५।३।२; स पत्नी पत्या मुकृतेन गच्छन्ताम्। यज्ञस्य युक्ता भूर्यावभूताम्। सजानाना
 बिष्णुहतामरातीः। इति ज्योतिरजमरभेताम्। तं० ब्रा० ३।७।५।

१०. जायापत्योर्न विनागो विदधते। पाणिग्रहणाद्धि सहस्य कर्मसु। तथा पुण्यफलेषु द्वयपरिग्रहेषु च। आप०
 च० (२।६।१३।१६-१८)।

११. पत्युर्नो यज्ञसयोजे। पाणिनि ५।१।३३; 'एवमसि तुयजकस्य पत्नीति न सिम्पति। उपमानारितद्वम्।
 पत्नीवत्पत्नीति।' महाभाष्य, जित्व २, पृ० २१५।

१६८, याज्ञवल्क्य १।८९)। तैत्तिरीय संहिता (१।७।१) के अनुसार रजस्वला पत्नी वाले पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ केवल आधा ही फल देता था, क्योंकि वह उस स्थिति में पति के साथ बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती थी।

किन्तु पत्नी बिना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वतन्त्र रूप से कोई धार्मिक कृत्य सम्पादि नहीं कर सकती थी (मनु ५।१५५ विष्णुधर्मसूत्र २५।२५)। कात्यायन ने यहाँ तक कह दिया है कि विवाह के पूर्व पिता की आज्ञा बिना या विवाहोपरान्त पति या पुत्र की आज्ञा बिना स्त्री जो कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए करती है, वह सब निष्फल जाता है (व्यवहारमयूख, पृ० ११३ में उद्धृत, और देखिए व्यासस्मृति २।१९)।

यदि किसी की कई पत्नियाँ होती थी तो उनमें सबको समान अधिकार नहीं थे। विष्णुधर्मसूत्र (२६।१-४) ने इस विषय में नियम बतलाये हैं। यदि सभी पत्नियाँ एक ही वर्ण की हों, तो उनमें सबसे पहले जिससे विवाह हुआ हो उसी के साथ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं, यदि कई वर्णों की पत्नियाँ हों (जब अन्तर्जातीय विवाह बंध थे), तो पति के वर्ण वाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी, भले ही उसका विवाह बाद को हुआ हो। यदि अपने वर्ण की पत्नी न हो तो अपने से बाद वाली जाति की पत्नी को अधिकार प्राप्त होते थे, किन्तु द्विजाति को शूद्र पत्नी के साथ कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए।" इस विषय में देखिए मदनपारिजात (पृ० १३४)। वसिष्ठधर्मसूत्र (१८।१८) ने कहा है—“कान्हे वर्ण वाली (शूद्र) नारी केवल आमोद-प्रमोद के लिए है, न कि धार्मिक कृत्यों के लिए।” ऐसी ही बात गोभिल-स्मृति (१।१०३-४), विष्णुधर्मसूत्र, याज्ञवल्क्य (१।८८) एवं व्यासस्मृति (२।१२) में भी पायी जाती है। याज्ञवल्क्य की व्याख्या में विश्वरूप ने लिखा है कि यद्यपि धार्मिक कृत्यों में ज्येष्ठ पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है, किन्तु शूद्र पत्नी को छोड़कर सभी पत्नियाँ श्रौत अग्नि द्वारा जलायी जा सकती हैं (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६५)। त्रिकाण्ड-मण्डन (१।४३-४४) ने बहुत स्त्रियों के रहने पर तीन मतों की चर्चा की है—“(१) सभी पत्नियाँ धार्मिक कृत्यों में पति वा साथ दे सकती हैं, (२) केवल सबर्ण ज्येष्ठ पत्नी ही ऐसा कर सकती है तथा (३) केवल आमोद प्रमोद के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता।” मनु (१।८६-८७) के मत से अपने वर्ण वाली पत्नी को सर्वे प्रमुखता मिलनी चाहिए, किन्तु सबर्ण पत्नी के रहते यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य जाति वाली पत्नी से धार्मिक कृत्य कराता है तो वह चाण्डाल हो जाता है।

अति प्राचीन काल से विश्वास की धाराओं में एक धारा यह थी कि व्यक्ति तीन ऋणों के साथ जन्म लेता है, ऋषि-ऋण, देव-ऋण एवं पितृ-ऋण और इन ऋणों से वह क्रम से ब्रह्मचर्य (छात्र-जीवन) द्वारा, यज्ञ करके एवं सन्तानों का पालन करके उच्छ्रय होता है।" ऋग्वेद (५।४।१०) में प्रार्थना (प्रजागिरान्ने अमृतत्वमस्याम्) आती है—“मैं सन्तान के द्वारा अमरता प्राप्त करूँ।” वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।१-४) ने तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद की एतत्सम्बन्धी सभी उक्तियाँ उद्धृत की हैं। ऋग्वेद (१०।८५।४५) ने नवविवाहित दुलहिन को १० पुत्रों के लिए आशीर्वाद दिया है।

१२. सर्वर्णानु बहुभार्यानु विद्यमानानु ज्येष्ठया सह धर्मकार्यं कुर्यात्। मिथ्यासु च कनिष्ठयापि समानवर्णया समानवर्णया अभावे स्वन्तरत्वेवापि च। न त्वेष द्विजः शूद्रायाः विष्णुध० (२६।२४)।

१३. जायमानो च ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते। ब्रह्मचर्येण ऋविभ्यो दमेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनुषो यः पुत्री यन्वा ब्रह्मचारिवासी। तं० सं० ६।३।१०।५; ऋणं ह वै जायते योऽस्ति। स जायमान एष देवेभ्य ऋविभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः। शतपथ ब्राह्मण १।७।२।११; ऋणमस्मिन्मन्वस्यमुत्तमं च गच्छति। पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येज्ज्योतीवतो मुक्तम्।... पापुत्रस्य सोषोऽस्ति तत्सर्वं पशोः वितुः। ए० ब्रा० ३३।१; वसिष्ठधर्म० (१।१४७) ने प्रथम उक्ति उद्धृत की है।

सभी स्त्रियों पर ऋग्वेद ने पुत्रोत्पत्ति की चर्चा बलायी है (ऋग्वेद १।१।२०, १।२।१३, ३।१।२३ आदि)। मनु (६।३५) ने लिखा है कि बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए किसी को मोक्ष की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने से ही पितृऋण से छुटकारा मिल जाता है। इस विषय में देखिए मनु (१।१३७), वसिष्ठ० (१।७।५), विष्णु० (१।५।४६), मनु (१।१।३२), आदि-पर्व (१२१।१४), विष्णु० (१।५।४४)। पुत्र सत्ता इसीलिए विख्यात है कि वह (पुत्र) अपने पिता की पुत्र नामक मरक से रक्षा करता है। निरुक्त (२।२) ने पुत्र की व्युत्पत्ति इसी अर्थ में की है। इसके अतिरिक्त पितरो को तर्पण एव पिण्ड देने की चर्चा बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से हुई है। विष्णुधर्मसूत्र (८।५।७०), वनपर्व (८।४।१७) एव मत्स्यपुराण (२०।७।३९) में आया है—“व्यक्ति को कई पुत्रों की आशा रखनी चाहिए, जिनमें से एक तो गया में (श्राद्ध करने) अवश्य जायगा।”

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपने पति को दो ऋणों से मुक्त करती है—(१) यज्ञ में साय देकर देवऋण से तथा (२) पुत्रोत्पत्ति कर पितृऋण से। अतः प्रत्येक नारी का ध्येय हो जाता है विवाह करके सन्तानोत्पत्ति-करना। पुत्रहीन स्त्री निर्धर्मिणी वाम्नी (अमागी) होती है (शतपथब्राह्मण ५।३।२।२)। इस विषय में और देखिए मनु (१।१६) एव नारद (स्त्रीपुत्र, १९)।

पत्नी के कर्तव्य के विषय में स्मृतियों, पुराणों एव निबन्धों में पर्याप्त चर्चाएँ हुई हैं। सबको विस्तार से यहाँ उपस्थित करना बठिन है। बहुत ही संक्षेप में कुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होंगी। इस विषय में सभी धर्मशास्त्रकार एकमत हैं कि पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एव उसे देवता की भाँति सम्मान देना। जब राज-कुमारी सुकन्या का विवाह बड़े एव जीर्ण-शीर्ण ऋषि भ्रूयव से हो गया (सुकन्या के माइवी ने भ्रूयव का अपमान किया था) तो उसने कहा—“मैं अपने पति को, जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति के रूप में चुना है, उनके जीते-जी नहीं छोड़ सकती” (शतपथ-ब्राह्मण, ६।१।५।९)। शकलिलिखित के मत से पत्नी को चाहिए कि वह अपने नपुंसक, कोषवृद्धि-अस्त, पतित, अग्र के अधूरे, रोगी पति को न छोड़े, क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है। यही बात कुछ अन्तर के साथ मनु (५।१५४), याज्ञवल्क्य (१।७।७), रामायण (अयोध्याकाण्ड २४।२६-२७), महाभारत (अनुशासनपर्व १४६।५६, आश्वमेधपर्व ९०।९१, शान्तिपर्व १४८।६-७), मत्स्यपुराण (२।०।१८), कालिदास (शां० ५) आदि में पायी जाती है। मनु (५।१५०-१५६), याज्ञवल्क्य (१।८३-८७), विष्णुधर्मसूत्र (२।५।२), वनपर्व (२३३।१९-१८), अनुशासनपर्व (१२३), व्यासस्मृति (२।२०-३२), बृह हारीत (१।१।८४), स्मृतिचन्द्रिका (ध्वजहार० पू० २४२), मदनपारिजात (पृ० १९२-१९५) तथा अन्य निबन्धों में पत्नियों के कर्तव्य के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तव्यों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

पत्नी को सदा हँसमुख, जागरूक, दक्ष, कुशल गृहिणी, बरतनी, पात्रो आदि को स्वच्छ रखनेवाली एव भित्तव्ययी होना चाहिए (मनु ५।१५०)। मनु ने पत्नी के ऊपर निम्न कार्य छोड़े हैं—घन संजोना, ध्यय करना, वस्तुओं को स्वच्छ एव तरतीब से रखना, धार्मिक कृत्य करना, भोजन पकाना तथा सभी प्रकार के गृह-सम्बन्धी कार्य करना करना (मनु ५।११)। मनु (५।१३) ने अनुसार आसन्न पीना, दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ रहना, पति से दूर रहना, दूर-दूर (तीर्थयात्रा में या बहो) घूमना, दिन में सोना, अजनबी के घर में रह जाना—ये छ-दोष विवाहित नारियों को चौपट कर डालते हैं। आदिपर्व (७।४।१२) एव शानुत्तल (५।१७) में पति से दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। यही बात मार्कण्डेयपुराण में भी पायी जाती है (७।३।१९)। याज्ञवल्क्य (१।८३ एव ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य हैं—घर के बरतन, बुर्सी आदि को उसके उचित स्थान पर रखना, दक्ष होना, हँसमुख रहना, भित्तव्ययी होना, पति के मन के योग्य कार्य करना, दबदबा एव सास के पीर दबाना, सुन्दर ढंग से चलना-फिरना एव अपनी इन्द्रियों को बच में रखना। दक्ष ने निम्नलिखित बातें कही हैं—बिना पति या बहो की आज्ञा के घर के बाहर न जाना, बिना दुष्ट

(उत्तरीय) ओठें बाहर न जाना, तेज न चलना, व्यापारी, संन्यासी, बूढ़े आदमी या बैल को छोड़कर किसी अन्य अपरिचित पुरुष से वांतालाप न करना, नाभि को न दिखाना, साड़ी को एड़ी तक पहनना, कुच न दिखाना, हाथ से या बदन से मूख ढँककर ही जोर से हँसना, अपने पति या सम्बन्धी से घृणा न करना, गणिका, जुआ खेलने वाली स्त्री, अमिताकारिका (मिमियों से मिलने के लिए स्थान एवं काल ठीक करने वाली), साधुनी, भविष्य कहने वाली स्त्री, जादू-टोना एवं गुप्त-क्रिया करनेवाली दुश्चरित्रा स्त्री का साथ न करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि विन्न लोगो ने कहा है, अच्छे घर की स्त्री भी दुश्चरित्रो के साथ से बिगड सकती हैं।" कुछ हेर-फेर के साथ ये बातें विष्णुधर्मसूत्र (२५।१।६) में भी पायी जाती हैं। श्रौतदी ने कहा है—“मेरा पति जो नहीं खाता, पीता या पाता, मैं भी उसे नहीं खाती, पीती या पाती। मैं पाण्डवो की कुल सम्पत्ति, आय एवं व्यय का ब्यौरा जानती हूँ” (वन-धर्म २३३)। कामसूत्र (६।१।३२) ने भी साल भर के आय-व्यय की जानकारी के लिए स्त्री को आदेसित किया है।

मनु (८।३६१) ने वरजित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए एक सुवर्ण दण्ड की व्यवस्था दी है, याज्ञवल्क्य (२।२८५) ने (पति या पिता द्वारा वरजित) पुरुष से बात करने पर स्त्री के लिए एक सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी है तथा वरजित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए दो सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी है। बृहस्पति के अनुसार स्त्री को अपने पति एवं अन्य गुरुजनों के पूर्व ही सौकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लेने के उपरान्त भोजन एवं व्यञ्जन लेना चाहिए, तथा उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्धृत)। शंख-लिखित के अनुसार पति की आसा से ही पत्नी श्रत, उपवास, नियम, देव-यूजा आदि कर सकती है।"

पुराणो ने भी स्त्रीधर्म के विषय में बहुधा विस्तार से लिखा है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। भागवत (७।२।२९) के अनुसार जो नारी पति को हरि के समान मानती है, वह हरि के लोक में पति के साथ निवास करती है। स्कन्दपुराण (ब्रह्मखण्ड, धर्मारण्य-परिच्छेद, अध्याय ७) ने पतिव्रता स्त्री के विषय में विस्तार के साथ लिखा है—“पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे चाल-चलन से (पति का नाम न लेने से) पति की आयु बढ़ती है, उसे दूसरे पुरुष का नाम भी नहीं लेना चाहिए। चाहे पति उसे उच्च स्तर से अपराधी ही क्यों न सिद्ध कर रहा हो, पीटी

१४. मानुषता गृहान्निगच्छेत् । नानुत्तरीया । न त्वरितं व्रजेत् । न परपुरुषमभिभाषेतान्यत्र वणिक्प्रव्रजित-
शुद्धवैद्येभ्यः । न नाभिं वशायेत् । आ गुल्काद्रासः परिवर्ष्यात् । न स्तनीं विवृती कुर्यात् । न हसेदनपावता । भर्तारं
तद्वक्त्रंभ्रुवा न द्विष्यात् । न गणिका-यूतभिंसारिणी-प्रव्रजिताप्रोसणिकाभायामूलकुहूष्कारिकायुःशरीलाविभिः
सहैकत्र तिष्ठेत् । संसर्गो हि कुलस्त्रीणां चारिण्यं कुर्यात् ।—मित्तलर द्वारा याज्ञवल्क्य (१।८७) टीका में
उद्धृत, अपराकं (पृ० १०७), मदनपारिजात (पृ० १९५), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २४९-२५० एवं विवाह-
रत्नाकर (पृ० ४३०); परपुरुष से बात करने के विषय में बैल्लिए वनपर्व (२६६।३)—एका ह्यहं सम्प्रति ते न
वत्त्वं वदामि नं न्रद्विबोध वेदम् । अहं त्वरभ्ये कथमेकमेका श्यामालपेयं निरता स्वधर्मं ॥ यिलाइए अनुशासनपर्व
(१४६।४३)। शंख द्वारा प्रयुक्त 'मूलकारिका' का अर्थ है अङ्गी-भूटी द्वारा बशीकरणा करनेवाली। और बैल्लिए वनपर्व
(२३३।७-१४), जिसमें अन्तिम वाक्य है "मूलप्रचारं हि विषं प्रयच्छन्ति जिघांसकः।"

१५. पूर्वोत्थानं गुरुष्वर्थात् भोजनव्यञ्जनक्रिया । जघन्यासनसायित्वं क्रमं स्त्रीणामुप्राहृतम् । बृहस्पति
(स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्धृत)।

भर्तुरनुमया प्रतोपवासनियमेज्याबीनामारम्भः स्त्रीधर्मः । शंखलिखित (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५३
में उद्धृत)।

जाने पर उसे जोर से रोना भी नहीं चाहिए, उसे हँसमुख ही रहना चाहिए। पतिव्रता को हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, अंजन कपुकी (चोली), ताम्बूल, धूम आभूषणों का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने केशों को संवार रखना चाहिए। पशु-पुराण (सृष्टिसण्ड, अध्याय ४७, श्लोक ५५) का कहना है कि वह स्त्री पतिव्रता है जो कार्य में दासी की भाँति, संभोग में अप्सरा जैसी, भोजन देने में माँ की भाँति हो तथा विपत्ति में मन्त्री (अच्छी-अच्छी राय देने वाली) हो।

जब पति यात्रा में घर से दूर हो तो पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए? इस विषय में विशिष्ट नियमों की व्यवस्था की गयी थी। शास्त्रलिखित (अपराकं द्वारा उद्धृत, पृ० १०८, स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५२) ने अनुसार पति के दूर रहने पर (यात्रा में) पत्नी को झूला, नृत्य दूरयावलोचन, शरीरानुलेपन, वाटिका-परिभ्रमण, सुते स्थान में रायन, सुन्दर एवं सुस्वादु भोजन एवं पेय, गेट-श्रीडा, सुगन्धित धूप-गंधादि, पुष्पा, आभूषणों, विशिष्ट ढग से दत्तभजन, भजन से दूर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८४) ने यही बात मक्षेप में बर्नी है—“जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, उसे श्रीडा-कोतुक, शरीर सज्जा, सम्राजो एवं उत्सवों का दर्शन, हँसना, अपरिचित के घर में जाना आदि छोड़ देना चाहिए।” अनुशासनपर्व (१२३।१७) के अनुसार विदेश गये हुए पुरुष की पत्नी को भजन, शोचन, नैयमिक स्नान पुष्प, अनुलेपन एवं आभूषण छोड़ देने चाहिए। मनु (१।७४-७५) ने पति को विदेश-भ्रमण के समय अपनी पत्नी को जीविका का प्रबन्ध कर देने को कहा है, क्योंकि ऐसा न करने से पत्नी कुमार्ग में जा सकती है। उन्होंने लिखा है—“पत्नी को जीविका, मरण-पोषण का प्रबन्ध करके जब पति विदेश चला जाता है तो पत्नी को व्यवस्था के भीतर ही रहना चाहिए, यदि पति बिना व्यवस्था किये चला जाय तो पत्नी को सिगाई-बुनाई जैसे शिल्प द्वारा अपना प्रतिपालन कर लेना चाहिए।” यही श्राव विष्णुधर्मसूत्र में भी पायी जाती है (२५।६।१०)। व्यास-स्मृति (२।५२) के अनुसार विदेश गये हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीला एवं दुखी बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का शृंगार नहीं करना चाहिए, उसे पतिपरायण होना चाहिए, उसे पूरा भोजन नहीं करना चाहिए तथा अपने शरीर को गुला देना चाहिए। त्रिकाण्ड मण्डन (१।८०-८१ एवं ८५) के अनुसार विदेशस्थ पति वाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्निहोत्र के नैयमिक कर्तव्य, आवश्यक इष्टियाँ एवं पितृयज्ञ करने चाहिए, किन्तु सोमयज्ञ नहीं करना चाहिए।^१

स्मृति-ग्रन्थों में पतियों की पति-भक्ति एवं नियमों में पाप्मन आदि के विषय में बहुत विस्तार पाया जाता है। मनु (१।२९-३०, ५।१६५ एवं १६४) का कथन है—“जो पत्नी विचार, शब्द एवं कार्य से पति के प्रति उत्सव रहती है वह पति के साथ स्वर्गिक लोकों को प्राप्त करती है और शांती (पतिव्रता) नहीं जाती है; जो पति के प्रति असत्य रहती है, वह निन्दा की पात्र होती है, आगे के जन्म में सियारिन के रूप में उत्पन्न होती है और भयकर रोगों से पीड़ित रहती है।” यही बात याज्ञवल्क्य (१।७५ से ८७) ने कुछ दूसरे ढग से बर्नी है। बृहस्पति ने पतिव्रता की परिभाषा यों की है—“वही स्त्री पतिव्रता है जो पति के आर्त होने पर आर्त होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, पति के विदेश गमन पर मलिन चेहरा धारण करती और दुर्बल हो जाती है एवं पति के मरण पर मर जाती है।”

१६. अज्जनं रोयनां चैव त्वानं शात्यानुत्प्रेयम् । प्रसापयं च, निष्कान्ते नाभिनन्वामि भर्तारि ॥ अनुशासन-पर्व १२३।१७।

विषयन्तोचनपदना देहसंस्कारस्यिमा । पतिव्रता त्रिद्वारा शोष्यद्भे प्रेषिते पत्नी ॥ व्यासस्मृति २।५२।
अतोऽग्निहोत्रं नित्येष्टिः पिपुषम इति जयम् । बर्तयं प्रेषिते पत्नो नान्तरत्वाभिन्विन्वित्पम् ॥ त्रिकाण्डमण्डन (१।८२)।

१७. आर्तार्त्तं मुषिते ह्यप्य प्रेषिते मरिणा ह्यना । सूते म्रियेत वा भयौ सा एवो श्रेवः पतिव्रता ॥ बृहस्पति, इति नन्तरत्वे १०१.६.११ । अतिपारा (साहाय्यपत्र २।८६) ने (हारीत का कथन बहुर) उद्धृत किया है।

महामारत एव पुराणों में पतिव्रता के विषय में अतिरिजित कथाएँ भरी पड़ी हैं। वनपर्व (६३।३।८।३९) में आया है कि दमयन्ती ने उस नवयुवक शिकारी को शाप दिया, जो उसकी ओर कामुक रूप से बड़ रहा था, और वह भर गया। अनुशासनपर्व (१२३) में शाण्डिली ने सुमना कैंकेयी से कहा कि उसने बिना बापाय वस्त्र (सत्यासियों के वस्त्र) धारण किये, बिना बल्कल धारण किये, बिना सिर मुँहावे या जटा रखाये देवत्व प्राप्त किया, क्योंकि वह पतिपरायण पत्नी के लिए व्यवस्थित सारे नियमों का पालन करती थी, यथा—पति को कर्कश वचन न कहना, पति द्वारा न खाये जानेवाले भोजन का त्याग, आदि। अनुशासनपर्व (१४६।४-६) में पतिव्रता स्त्रियों के नाम तथा उनके गुणों का बक्षान पाया जाता है। सावित्री ने पतिव्रता होने के कारण मम के हाथ से अपने पति के प्राण छुड़ा लिये। सावित्री एव सीता के आदर्श भारतीय नारियों के गौरवपूर्ण आदर्श रहे हैं। वनपर्व (२०५-२०६) में भी पतिव्रता की गाथा है। दशल्यपर्व (६३) में पतिव्रता नारी गान्धारी की शक्ति का वर्णन है, गान्धारी चाहने पर विश्व को मरम कर सकती थी, सूर्य एवं चन्द्र की गति बन्द कर सकती थी। स्कन्दपुराण (३, ब्रह्मखण्ड, ब्रह्मारण्य-भाग, अध्याय ७) में कतिपय पतिव्रताओं के नाम लिये हैं, यथा—अरुणपती, अनसूया, सावित्री, शाण्डिल्या, सत्या, मेना, तथा लिखा है कि पतिव्रताएँ अपने पतियों को यमदूतों की पकड़ से उसी प्रकार खींच सकती हैं, जिन प्रकार व्यालघ्राही (सैंपरा) बिल में से बलपूर्वक सपं खींच लेता है, पतिव्रताएँ पति के साथ स्वर्गारोहण करती हैं और यमदूत उन्हें देखकर तुरत भाग जाते हैं।

पत्नी का प्रमुख कर्तव्य है पति का आदर-सत्कार एव सेवा करना, अतः उसे सदा पति के साथ रहना चाहिए और पति के घर में निवासस्थान पाने का उसका अधिकार है। पति के यहाँ उसे अपने भरण-पोषण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मनु (१०।११) के अनुसार 'बड़े माता-पिता, पतिव्रता स्त्री, छोटे बच्चे का भरण-पोषण एक ही निकृष्ट कार्य करने की कला चाहिए' (मेघातिथि—मनु ३।६२ एव ४।२५१, मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।२२४ एव २।१७५)। दश (२।५६, लघु आश्वलायन १।७४) ने पोष्यवर्ग (बे लोग, जिनका प्रतिपालन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही दरिद्र हो, करना पड़ता है) के विषय में यों लिखा है—“माता-पिता, गुरु, पत्नी, बच्चे, धरण में आवे हुए दीन व्यक्ति, अतिथि एव अग्नि पोष्यवर्ग के अन्तर्गत आते हैं।” मनु (८।३८९) के कथनानुसार जो व्यक्ति अपने माता-पिता, पत्नी एवं पुत्र को जातिच्युत न होने पर भी छोड़ देता है तथा उनका भरण-पोषण नहीं करता है, वह राजा द्वारा ६०० पण का दण्ड पाता है। याज्ञवल्क्य (१।७४) के मत में पत्नी के भरण-पोषण पर ध्यान न देनेवाला व्यक्ति पाप का मागी होता है। पुनः याज्ञवल्क्य (१।७६) के अनुसार आमाकारी, परिश्रमी, पुत्रवती एव मधुरभाषिणी पत्नी को छोड़ देने पर सम्पत्ति का १/३ भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न रहने पर उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिए। यही बात नारद (स्त्रीपुत्र, ९५) ने भी कही है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१६३) के मत से पत्नी को छोड़ने पर चोर का दण्ड मिलना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८१) के अनुसार पति को पत्नीपरायण होना चाहिए, क्योंकि पत्नी की (गत में गिरने से) रक्षा करनी चाहिए, अर्थात् उसकी रक्षा करना आवश्यक है। याज्ञवल्क्य (१।७८), मनु (४।१३३-१३४), अनुशा० पर्व (१०।४।२१) एव मार्कण्डेयपुराण (३।४।६२-६३) ने व्यक्तिचार की बड़ी निन्दा की है। याज्ञवल्क्य (१।८०) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि स्त्री का रक्षण उसके प्रति निष्ठा रखने से सम्भव है, मारने-पीटने से नहीं, क्योंकि मारने-पीटने से उसके (पत्नी के) जीवन का डर रहता है। मनु (०।५-९, ९।१०-१२) ने स्त्री-रक्षा की बात चलायी है और कहा है कि यह बन्दी बनाकर रखने या शक्ति से सम्भव नहीं है, प्रत्युत पत्नी को निर्मलितित कार्यों में सलग्न कर देने से ही सम्भव है, यथा आय-व्यय का व्यौरा रखना, कुर्सी-मेज (उपस्कर) को ठीक करना, घर को सुन्दर एव पवित्र रखना, भोजन बनाना। उसे (पत्नी को) मर्दव पतिव्रतधर्म के विषय में बताना चाहिए। किन्तु पति को गृह या पिता की मूर्ति शारीरिक दण्ड देने का भी अधिकार है, यथा रस्सी या बौस की पतली छड़ी से पीठ पर, सिर पर नहीं, मारना। इस विषय में देखिए मनु (८।२९९-३००) एवं मत्स्यपुराण (२२७।५२-१५४)।

पति को पत्नी की जीविका का प्रबन्ध तो करना ही पड़ता था, साथ-ही-साथ उसे उसके साथ सम्भोग भी करना पड़ता था क्योंकि ऐसा न करने पर उस पर भ्रूण-हत्या का दोष लगता था। पत्नी को भी पति की सम्भोग-इच्छा पूर्ण करने पड़ती थी क्योंकि ऐसा न करने पर वह भी भ्रूणहत्या की अपराधीनी, निन्दनीय और त्याज्य हो जाती थी।^{१८}

व्यभिचार एव स्त्रिया

भारतीय धर्मशास्त्र ने अपनी मानवता का पतित्व मर्दव दिया है। यदि पत्नी का व्यभिचार सिद्ध हो जाय तो पति उसे घर के बाहर कर उस छोड़ नहीं सकता था। गौतम (२२।३५) के मत से सतीत्व नष्ट करने पर पत्नी को प्रायश्चित्त करना पड़ता था किन्तु रामानुज वदर उसकी रक्षा की जाती थी। याज्ञवल्क्य (१।७०-७२) ने घोषित किया है—“अपना सतीत्व नष्ट करनेवाली स्त्री का अधिचार (नोकर-चानर आदि पर) छीन लेना चाहिए, उसे गन्दे वस्त्र पहना देने चाहिए उस उतना ही भोजन देना चाहिए जिससे वह जी सके, उसकी मर्त्सना करनी चाहिए और पृथिवी पर ही गुलाना चाहिए, मासिक धर्म की समाप्ति के उपरान्त वह पवित्र हो जाती है। किन्तु यदि वह व्यभिचार के सम्भोग से गर्भवती हो जाय तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि वह अपना गर्भ गिरा दे (भ्रूणहत्या कर ले), पति को मार डाले या कोई ऐसा पाप करे जिसने कारण वह जातिच्युत हो जाय तो उसे घर से निकाल देना चाहिए।” मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१।७२) की श्वाशुरा म लिखा है कि ब्राह्मणा धर्मियों एव वैश्यों की पत्निया यदि शूद्र से व्यभिचार करने गर्म धारण न किये हो तो प्रायश्चित्त करने पवित्र हो सकती है, किन्तु अन्य परिस्थितियों में नहीं। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि त्याग जाने का तात्पर्य है धार्मिक कृत्य न करने देना तथा सम्भोग न करना, न कि उसे घर में बाहर सड़क पर रखा देना। उसे घर में ही पृथक् रखकर उसके भोजन-वस्त्र की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याज्ञवल्क्य ३।२९७)। बसिष्ठ (२।१।१०) के मत से केवल चार प्रकार की पत्नियों त्याग जाने योग्य हैं—शिष्य से सम्भोग करनेवाली, पति के गुण से सम्भोग करने वाली, विशेष रूप से वह जो पति को मार डालने का प्रयत्न करे और चौथे प्रकार की वह जो नीची जाति (या या शूद्र जाति) के किसी पुरुष से सम्भोग करे।^{१९} नारद (स्त्रीपुस, ९१) ने लिखा है—“व्यभिचारिणी स्त्री का मुण्डन कर दिया जाना चाहिए, उसे पृथिवी पर सोना चाहिए, उसे निवृष्ट भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और उसका शर्म होना चाहिए पति का घर-द्वार स्वच्छ करना।” नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर गौतम (२३।१४), शान्तिपरम (१९५।६४), मनु (८।३७१) ने बहुत कड़े दण्ड की व्यवस्था की है, अर्थात् उसे राजा की आज्ञा से हुतो द्वारा मोषकाकर मरवा डालना चाहिए। श्यास (२।४९-५०) ने लिखा है—“व्यभिचार में पकड़ी गयी पत्नी को घर में ही रखना चाहिए, किन्तु धार्मिक कृत्यों एवं सम्भोग के उसके सारे अधिकार छीन लेने चाहिए, धन-सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसकी मर्त्सना की जाती रहेगी, किन्तु जब व्यभिचार के उपरान्त उसका मासिक धर्म आरम्भ हो

१८ श्रौणि यथाभ्यनुपती यो भार्या नाधिगच्छति । स तुल्य भ्रूणहत्याया दोषमुच्यतेऽसदायम् ॥ श्रुतुनातां तु यो भार्या शत्रिणो नोपगच्छति । पितरस्तस्य सन्मास तस्मिन्परजसि शेरते ॥ भर्तुः प्रतिनिवेशेन वा भार्या एकव्येदुतुम् । तां ग्राममध्ये विहाय्य भ्रूण्णीं निषेद् गृहात् ॥ बौ० ध० सू० (४।१।८-२०, २२) । विद्वह्य ने याज्ञवल्क्य- (१।७९) की टीका में इन श्लोकों को बोधव्यन-रचित माना है। सबतं (९८) ने भी बोधायन की बात कही है। यही बात पराशर (४।१४-१५) में भी पायी जाती है।

१९ ब्राह्मणशत्रिपदिशां भार्याः शूरेण संगताः । अग्रजाता विमुष्यन्ति प्रायश्चित्तेन मेतराः ॥ घतव्यं तु परित्याज्याः शिष्यानां गुरुणा च वा । पतिपत्नी च विशेषेण जुगितोपगता च वा ॥ बसिष्ठ (२।१।२ एव १०) ।

जाय और वह पुन व्यभिचार मे भलग्न न होतो उसे पुन पत्नी के सारे अधिकार मिल जाने चाहिए।” मनु (११। १७७) ने अति दुष्टा एव व्यभिचारिणी नारी का एक प्रकोष्ठ मे बन्द कर देने को कहा है और व्यभिचारी पुत्रो द्वारा किये जाने वाले प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।” इस विषय मे और देखिए अत्रि (५।१-५), पराशर (४।२० एव ११।८७) तथा बृहद्दयम (४।३६)।

उपर्युक्त विवेचनो के उपरान्त हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं—(१) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी को छोड़ने का सम्पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। (२) व्यभिचार साधारणत एक उपपातक है और पत्नी द्वारा उपयुक्त प्रायश्चित्त करने पर क्षम्य हो सकता है। (३) व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त कर लिये जाने पर पत्नी के सारे अधिकार पुन मिल जाते हैं (वसिष्ठ २१।१२, याज्ञवल्क्य १।७२ पर मिताक्षरा एवं अपराकं, पृ० ९८)। (४) जब तक प्रायश्चित्त न पूरा हो जाय, व्यभिचारिणी को अल्प भोजन मिलना चाहिए और अधिकार-व्युत्त होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।७०, शान्तिपर्व १६५।६३)। (५) शूद्र से व्यभिचार कर लेने पर यदि पत्नी को बन्धा हो जाय, यदि वह भ्रूण-हत्या की अपराधिनी हो, पति को मार डालने की चेष्टा करने वाली हो, या किसी महापातक की अपराधिनी हो, तो वह धार्मिक कृत्यो तथा समोग के सारे अधिकारो से वंचित हो जायगी, एक कोठरी या घर के निकट ही किसी क्षोषदा मे बन्द रहैगी, जहाँ उसे अल्प भोजन तथा निकृष्ट वस्त्र मिलेगा, भले ही उसने प्रायश्चित्त कर लिया हो (देखिए वसिष्ठ २१।१०, मनु ११।१७७, याज्ञवल्क्य ३।२९७-९८ तथा उस पर मिताक्षरा)। (६) जो पत्नी याज्ञवल्क्य (१।७२, ३।२९७-२९८), वसिष्ठ (२१।१० या २८।७) मे वर्णित दुष्कर्माँ को न करने वाली हो, उसे अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान दिया जायगा, चाहे वह प्रायश्चित्त करे या न करे (याज्ञवल्क्य ३।२९८ पर मिताक्षरा)। (७) उन पत्नियो को, जो व्यभिचार तथा याज्ञवल्क्य (१।७२ तथा ३।२९७-२९८) द्वारा वर्णित दुष्कर्माँ को करने वाली हो किन्तु प्रायश्चित्त करने के लिए सन्नद्ध न होती हो, अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान भी नहीं दिये जाने चाहिए (याज्ञवल्क्य ३।२९८ पर मिताक्षरा)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१३।१६-१८) ने पति-पत्नी को धार्मिक कृत्यो मे समान माना है, क्योंकि मनु के मत से पति और पत्नी एक ही हैं (मनु ९।४५)। किन्तु प्राचीन ऋषियो ने ब्यावहारिक एव कानूनी बातो मे यह समानता नहीं मानी। एक-दूसरे की सम्मति पर पति एव पत्नी के अधिकारो एव स्वत्वो तथा एक-दूसरे के ऋणो पर पति एवं पत्नी के उत्तरदायित्व पर हम विस्तार के साथ आगे पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति के ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारणत कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जब तक कि वह ऋण कुटुम्ब के उप-भोग के लिए न लिया गया हो (याज्ञवल्क्य २।४६)। इसी प्रकार स्त्रीधन पर पति का कोई अधिकार नहीं था, जब तक कि अकाल न पड़े या कोई धार्मिक कृत्य करना आवश्यक न हो जाय, या कोई रोग न हो जाय या स्वयं पति बन्दी न हो जाय (याज्ञवल्क्य २।१४७)।

नारद (स्त्रीपुंस, ८९) के मत वे पति या पत्नी को यह आज्ञा नहीं है कि से एक-दूसरे के विरुद्ध राजा

२०. व्यभिचारे स्त्रिया मौषड्यमथ शयनमेव च। कदम वा कुयासश्च वमं धावत्करोश्चनम् ॥ नारद (स्त्रीपुंस, ९१)। व्यभिचारेण दुष्टां तां पत्नीमा वसानःसुतोः। दूतत्रिधाकरणं धिक्कृतं च वसेत्पतिः। पुनस्ता-मातं वसनातो प्रुवंद्वं व्यवहारयेत् ॥ व्यास (२।४९-५०)।

२१. व्यभिचारी की जाति के अनुसार ही प्रायश्चित्त हल्का वा भारी होता है। मनु (११।६०) के अनुसार व्यभिचार एक उपपातक है, और इसके लिए साधारण प्रायश्चित्त है गोपत्र या चाग्नायण (मनु ११।११८)

या सम्बन्धिया के समक्ष आवेदन-पत्र के रूप में कोई अनियोग उपस्थित नर सके। दामवत्स्य (२।२९८) की व्याख्या मिताक्षरा का कथन है कि यद्यपि पति एवं पत्नी वादी एवं प्रतिवादी के रूप में एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते, तथापि यदि राजा के बानों में पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध में विवेक गये अपराध की ध्वनि पहुँच जाय तो उसका वर्तव्य है कि वह पति या पत्नी में जो भी दोषी या अपराधी हो, उसे उचित रूप से दण्डित करे, नहीं तो वह पाप का भागी माना जायगा। कुछ अपराधों में बिना अनियोग आये राजा अपनी ओर से सन्तुष्ट हो सकता है, और ऐसे अपराध १० हैं, यथा स्त्री-हत्या, वर्णसंकर, व्यभिचार, पति के अतिरिक्त वित्तों अन्य व्यक्ति द्वारा विधवा का गर्भाधान, भ्रूण हत्या आदि। यदि पति अपनी सती स्त्री (पत्नी) का परित्याग करता या तो उसे अपनी सम्पत्ति का १/३ भाग स्त्री को दे देना पड़ता था (याज्ञवल्क्य १।७६, नारद, स्त्रीपुत्र, ९५)।

स्त्रियों की दशा

अब हम प्राचीन भारत की सामान्य स्त्रियों एवं पतियों की दशा एवं उनसे परित्र के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी मानी गयी है (सप्तपथब्राह्मण ५।२।१।१०, ८।७।२।३, तैत्तिरीय संहिता ६।१।८।५, ऐतरेयब्राह्मण १।२।५, बृहस्पति, अपराध-द्वारा उद्धृत, पृ० ७४०)। वैदिक काल में स्त्रियाँ न ऋग्वेद की ऋचाएँ बनायीं वेद गद्य तथा पतियों के साथ धार्मिक कृत्य विधे। इस प्रकार हम देखते हैं कि तब परचाल्यालीन युग से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी। विन्तु वैदिक काल में भी कुछ लोगों ने स्त्रियों के विरोध में स्वर ऊँचा किया उनकी अवमानना की तथा उनके साथ भ्रूणा का करताव किया। वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के बहुते-से वचन स्त्रियों की प्रशंसा में पाये जाते हैं (श्रीधायनधर्मसूत्र २।२।१३-१४, मनु ३।५५-६२, याज्ञवल्क्य १।७१, ७४, ७८, ८२, वसिष्ठधर्मसूत्र २।८।१-९, अत्रि १।४०-१।४१ एवं १।९३-१।९८, आदिपर्व ७।४।१४०-१।५२, शान्तिपर्व १।४।६ एवं १।७-१।७, अनुशासनपर्व ४६, मार्कण्डेयपुराण २।१।६९-७६)। बामसूत्र (३।२) ने स्त्रियों को पुण्यों के समान माना है (युष्मत्समर्गां हि धीयति)। दो-एक अपराधों को छोड़कर स्त्रियों को किसी भी दशा में भारना वर्जित था। गौतम (२।३।१४) एवं मनु (८।३।७१) ने व्यवस्था की है कि यदि स्त्री अपने से नीच जाति के पुरुष से अर्ध रूप से सम्भोग करे तो उसे वृत्तों द्वारा नृचवाकर मार डालना चाहिए। आगे चलकर इस दण्ड को भी और सरल कर दिया गया और केवल परित्याग का दण्ड दिया जाने लगा (वसिष्ठ २।१।१० एवं याज्ञवल्क्य १।७०)। कुछ स्मृतिवादी ने बड़ी उदारता प्रदर्शित की है, यथा अत्रि एवं देवल, जिनके मत से यदि कोई स्त्री पर-जाति के पुरुष से सम्भोग कर ले और उसे गर्भ रह जाय तो वह जातिभ्रूत नहीं होती, केवल बच्चा जनने या मासिक धर्म के प्रकट होने तक अपवित्र रहती है। पवित्र हो जाने पर उससे पुनः सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और उत्पन्न बच्चा किसी अन्य को पालने के लिए दे दिया जाता है (अत्रि १।९५-१।९६, देवल ५०-५१)।^१ यदि किसी नारी के साथ कोई बलात्कार कर दे तो वह त्याग्य नहीं समझी जाती, वह केवल आगामी मासिक धर्म के प्रकट होने तक अपवित्र रहती है (अत्रि १।७०-१।९८)। देवल ने म्लेच्छों द्वारा अपहृत एवं उनके द्वारा अष्ट की गयी तथा गर्भवती हुई नारियों की पुत्रि की बात

२२ असाध्यास्तु धी गर्भं स्त्रीणां योने निविशते। अमुद्वा सा भवेत्प्रादी वाद्युर्गर्भं न मुञ्चति ॥ विमुक्ते तु ततः शल्ये रजस्रवापि प्रदूष्यते। तथा सा मुष्यते नारी विभक्त बर्णवत् यथा ॥ अत्रि १।९५-१।९६; देवल ५०-५१। अत्रि ने पुत्र कहा है—यसाम्प्रादी प्रभुवता वा घोरभुक्ता तथापि वा। न त्याग्या वृथिता नारी न बामोप्राया विधीयते ॥ ऋतुराज उपार्गीत पुण्यकालेन मुष्यति ॥ १।७०-१।९८।

चलायी है। शान्तिपूर्व (२६७।३८) के अनुसार यदि स्त्री कुमार्ग में जाय तो दोष उसके पति वा है न कि पत्नी वा। वरुणप्रधास (चातुर्मास्यो में एक यज्ञ) में यज्ञ करने वाले की पत्नी को, यदि उसका कोई प्रेमी होता था तो उसे यह बात अगीकार करनी पड़ती थी, और इस प्रकार सच कह देने पर भी उसे यज्ञ में भाग लेने दिया जाता था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।६।५, शतपथब्राह्मण २।५।२।२०, वात्स्यायनश्रौतसूत्र ५।५।६-१०)।

अब हम कुछ ऐसी उक्तियों का भी अवलोकन करें, जो स्त्रियों के विरोध में पड़ती हैं। मैत्रायणीसंहिता में स्त्री को 'अनृत' अर्थात् झूठ वा अवतार कहा गया है (१।१०।११)। ऋग्वेद (८।३३।१७) के एक कथन में "नारी का मन दुर्दमनीय" कहा गया है। ऋग्वेद (१०।९५।१५) एवं शतपथब्राह्मण (१।१।५।१।९) में घोषित किया है—“स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं (अर्थात् कठोर एवं धोखेबाज या घृत)।” ऋग्वेद (५।३०।९) के अनुसार स्त्रियाँ दास की सेना एवं अस्त्र-शास्त्र हैं। तैत्तिरीयसंहिता (६।५।८।२) का कथन है—“अतः स्त्रियाँ विना शक्ति की हैं, उन्हें दाय नहीं मिलता, वे दृष्ट से भी बढ़कर दुर्बल ढग से बोलती हैं। यह उक्ति (जो वास्तव में स्त्रियों को सोम रस की अधिकारिणी नहीं मानती) बोधायनधर्मसूत्र (२।२।५३) एवं मनु (१।१८) द्वारा इनअर्थ में प्रयुक्त की गयी है कि स्त्रियों को बसोपत या दाय में भाग नहीं मिलता और न उन्हें वैदिक मन्त्रों का अधिकार ही है। शतपथब्राह्मण के अनुसार स्त्री, ब्रह्म, कुत्ता एवं कौआ में असत्य, पाप एवं अधकार विराजमान रहता है (१।४।१।३१)। इसी ब्राह्मण ने पुनः लिखा है—“पत्नियाँ घृत या वज्र से हत होने पर तथा विना पुरुष के होने पर न तो अपने पर राज्य करती हैं और न दाय (सम्पत्तिभाग) पर।” शतपथब्राह्मण ने पुनः लिखा है—“बह इस प्रकार स्त्रियों को आश्रित बनाता है, अतः स्त्रियाँ पुरुष पर अवश्यमेव आश्रित रहती हैं” (१।३।२।२।४)।

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी स्त्रियाँ बहुधा नीची दृष्टि से देखी जाती थी। उन्हें सम्पत्ति में कोई भाग नहीं मिलता था तथा वे आश्रित थीं। स्त्रियों के चरित्र के विषय में जो उक्तियाँ हैं वे वैसी ही हैं जैसा कि प्रत्येक काल में बक्र भाव एवं कुटिल विचार वाले लोगों ने कहा है—“हे नारी, तुम दुर्बलता की सान हो।” धर्मशास्त्र-साहित्य में स्त्रियों की दशा बुरी ही होती चली गयी, केवल सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में अपवाद पाया गया। गौतम (१।८।१), वसिष्ठधर्मसूत्र (५।१ एवं ३), मनु (५।१।४६-१४८ एवं ९।२-३), बोधायनधर्मसूत्र (२।२।५०-५२), नारद (दायभाग, ३१) आदि ने घोषित किया है कि स्त्रियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं, सभी मामलों में आश्रित एवं परतन्त्र हैं, बचपन में, विवाहोपरान्त एवं बूढ़ापे में वे क्रम से पिता, पति एवं पुत्र द्वारा रक्षित होती हैं। मनु (९।२-३) ने हानि एवं विपत्ति से स्त्री रक्षा करने की बात कही है। मनु (५।१।४६-१४८) का कथन है कि सभी घरेलू बातों में तथा सभी अवस्थाओं में स्त्री का जीवन किसी पुरुष पर आश्रित है। नारद (दायभाग, २८-३०) का कथन है—“जब विधवा पुत्रहीन होती है, उसके पति के सम्बन्धी उसके भरण-पोषण, देख-रेक, सम्पत्ति-रक्षा करने वाले हैं, जब कोई सम्बन्धी एवं पति वा सपिण्ड रक्षक न हो तो पिता का कुल रक्षक होता है। विधाता ने स्त्री को आश्रित बनाया है, अच्छे कुल की

२३. स्त्रियों हिं दास आधुमानि धके कि मा करसयला अत्य सेनाः। ऋग्वेद ५।३।१।९; तस्मात्स्त्रियो निरि-
न्द्रिया अदायावीरपि पापालुंस उपस्तितरं वरन्ति। तं० सं० ६।५।८।२।

निरिन्द्रिया अदायादश्च स्त्रियो मता इति धृतिः। बोधायनधर्मसूत्र (२।२।५३); नास्ति स्त्रीणां त्रिया
मन्त्रैरिति धर्मो ध्यवस्थितिः। निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः। मनु (१।१८)।

वश्यो वा आग्न्यमेतेन धं देवा ध्येणाग्न्येनाप्लमेव पत्नीनिराभ्युर्वस्ता हता निरप्या नात्वनदश्च नैशत न बापत्य
घ नैशत। शतपथ ४।४।२।१३।

चारियों भी स्वतन्त्र होने पर गर्त में गिर जाती हैं।" स्त्री का प्रमुख कर्तव्य है पति-सेवा, अन्य कार्य (व्रत, उपवास, नियम आदि) वह बिना पति की आज्ञा से नहीं कर सकती (हेमाद्रि, व्रतखण्ड १, पृ० ३६२)।

महामारत, मनुस्मृति, अन्य स्मृतियों एवं पुराणों में स्त्रियों पर घोर नैतिक लाठन लगाये गये हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। अनुशासनपर्व (१९१६) के अनुसार, "सूत्रकार का निष्कर्ष है कि स्त्रियाँ अनृत (शूठी) हैं", "स्त्रियों से बड़बुर कोई अन्य दुष्ट नहीं है, ये एक साप ही उस्तुरा की धार (शुरधार) है, विष हैं, सर्प और अग्नि हैं, (अनुशासनपर्व २८।१२ एवं २९), "संकडो-हज्जरो में कहीं एक स्त्री पतिव्रता मिलेगी" (अनुशासनपर्व १९।९३); "स्त्रियाँ वास्तव में दुर्दमनीय हैं, वे अपने पति के बन्धनों में इसीलिए रहती हैं कि उन्हें कोई अन्य पूछता नहीं (प्यार नहीं करता) और क्योंकि वे नौकरों-वाकरो से डरती हैं" (अनुशासनपर्व ३८।१६)। और देखिए अनुशासनपर्व (३८।२४-२५ एवं ३९।६-७) "स्त्रियों में राक्षसों, शम्बर, नमुचि तथा अन्य लोगों की भूतता पायी जाती है।" रामायण में भी महामारत की भाँति स्त्रियों का रोना रोया है और उनकी भरपूर निन्दा की है— "वे धर्मभ्रष्ट हैं, चवत्त हैं, क्रूर हैं, और हैं विरक्ति उत्पन्न करने वाली" (अरण्यकाण्ड, ४५।२९-३०)। एक स्थान पर मनु महाराज (१।१४-१५) बहुत अनदार हो गये हैं— "वे कामी हैं, चंचल हैं, प्रेमहीन हैं, पति-द्रोही हैं, पर-रुष्य प्रेमी हैं, चाहे वह पर-पुरुष सुन्दर हो या असुन्दर उन्हें तो बस पुरुष चाहिए।"

"पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट करता स्त्रियों का स्वभाव-सा है, अतः विज्ञ लोग नवयुवतियों से सावधानी से बातचीत करते हैं, क्योंकि नवयुवतियाँ सभी को, चाहे वे विज्ञ हो या अविज्ञ, पथभ्रष्ट कर सकती हैं" (मनु २।२१३-२१४, अनुशासनपर्व ४८।३७-३८)। बृहत्पराशर के अनुसार स्त्रियों की काम-शक्ति पुरुषों की काम-शक्ति की आठ-गुनी होती है। आधुनिक काल में कुछ बृद्ध लोग स्त्रियों के दोषों की गणना करते हैं—अनृत (शूठ बोलना), साहस (विवेकशून्य कार्य), माया (भूतता), मूखत्व, अति लोभ, अजीब (अपवित्रता), निर्दयता—ये स्त्रियों के स्वभाविक दोष हैं।"

२४. अस्वतन्त्रा धर्म स्त्री। गौतम १८।१; अत्यतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रयाता। वसिष्ठ ५।१; अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैर्वै विधानिनाम्। विषयेषु च सज्जन्यः संप्राप्या अतमनो वदते ॥ पिता रक्षति वीमारे भर्ता रक्षति योवने। रक्षन्ति स्थाविरौ पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ मनु ९।२-३। अन्तिम बात वसिष्ठ (५।३), वीरपायनपर्मसूत्र (२।२।५२), मारुद (वायभाग, ३१) एवं अनुशासनपर्व (२०।२१) में भी पायी जाती है।

भूते भर्तयुत्रायाः प्रतिपत्नः प्रभुः स्त्रियाः। विनियोगात्स्मरत्सासु भरणे स च ईश्वरः ॥ परिसीणे पतिकुले निर्मनुष्ये निराधये। तत्सपिष्वेषु धासत्सु पितृपत्नः प्रभुः स्त्रियाः ॥ स्वातन्त्र्यादिप्रणयन्ति कुले जाता अपि स्त्रियः। अस्वातन्त्र्यमतस्तासां प्रजापतिरवल्पयत् ॥ मारुद (वायभाग प्रकरण, २८-३०)। मेधातिथि एवं कुल्लूक ने मनु (५।१४७) की टीका में आया श्लोक "तत्सपिष्वेषु... स्त्रियाः" उद्धृत किया है और दूसरा आया जोड़ दिया है— "पश्यात्प्राप्ताने तु राजा भर्ता स्त्रिया मतः" जिसके अनुसार राजा को स्त्रियों का पति एवं पिता के कुछ में किसी पुरुष के न रहने पर अन्तिम रक्षक मान लिया गया है।

मासि स्त्रीणां पुष्यपत्नो न धातं काप्युपोषितम्। भूँक्षुष्ययंवेता सोकाविष्टान् वज्जित हि ॥ मार्कण्डेय १।६।११।

२५. (१) प्रजापतिमत्तं ह्येतन्न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति। (अनुशासनपर्व २०।१४); अनृता स्त्रिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्थिति। अनृता. सिरमय इत्येव येवेत्यपि हि पठ्यते ॥ (अनुशासन पर्व १९।६-७); न स्त्रीभ्यः विनिदय्यैः पापीयस्तरमसि वै।... शुरधारा विषं सर्पों वल्लित्येकतः स्त्रियः। (अनुशासनपर्व ३८।१२ एवं २९)।

प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे लेखक हो गये हैं जिन्होंने स्त्रियो के विरोध में कही गयी अनर्गल निरर्थक तथा आधारहीन उक्तियो का विरोध एवं उनकी कटु आलोचनाएँ की है। वराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने बृहत्संहिता (७५) में स्त्रियो के पक्ष का ओजस्वी समर्थन किया है, तथा उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कह वाला है।^{११} वराहमिहिर के मत से स्त्रियो पर धर्म एवं अर्थ आश्रित है उन्हीं से पुरुष लोग इन्द्रिय सुख एवं सन्तान-सुख प्राप्त करते हैं, य धर की लक्ष्मी है, इनको सदैव सम्मान एवं धन देना चाहिए। इसके उपरान्त वराहमिहिर न उन लोगों की भत्सना की है जो वैराग्यमार्ग का अनुसरण कर स्त्रियो के दोषो की चर्चा करते हैं और उनके गुणा के विषय में मौन हो जाते हैं। वराहमिहिर निन्दको से पूछते हैं— सच बताओ, स्त्रियो में कौन स दोष है जो तुम लोगो में नहीं पाये जाते ? पुरुष लोग घृष्टता से स्त्रियो की भत्सना करते हैं वास्तव में वे (पुरुषो की अपेक्षा) अधिक गुणा से सम्पन्न हाती हैं। वराहमिहिर ने मनु के वचनो को अपने समयमें में उद्धृत किया है, 'अपनी माँ या अपनी पत्नी भी स्त्री ही है पुरुषा की उत्पत्ति उन्हीं से होती है, अरे कृतघ्नी एवं दुष्ट, तुम जब इस प्रकार उनकी भत्सना करते हो तो तुम्हें सुख क्याकर मिलेगा ? शास्त्रो के अनुसार दोनो पति एवं पत्नी पापी हैं यदि वे विवाह के प्रति सच्चे नहीं होते पुरुष लोग शास्त्रो की बहुत कम परवाह करते हैं (किन्तु स्त्रियाँ बहुत परवाह करती हैं), अतः स्त्रियाँ पुरुषो की अपेक्षा अति उच्च है। वराहमिहिर पुन कहत हैं—'दुष्ट लोगो की घृष्टता कितनी बड़ी है ओह ! वे पवित्र एवं निरपराध स्त्रियो पर गालियो की बौछार करते हैं, यह तो बँसा ही है जैसा कि चोरो के साथ देखा जाता है अर्थात् चोर स्वयं चोरी करते हैं और पुन शोर-मुल करते हैं 'ठहरो, ओ चोर !' अकेले में पुरुष स्त्री की चाटुकारी करते हैं किन्तु उसके मर जाने पर उनके पास इती प्रकार के मोठे शब्द नहीं होते, किन्तु स्त्रियाँ कृतज्ञता के वश में आकर अपने पति के शवा का आलिपन करके अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं।' कालिदास, बाण एवं भवभूति जैसे साहित्यकारो को छोड़कर वराहमिहिर के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक ने स्त्रियो के पक्ष में तथा उनकी प्रशंसा में इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे हैं।^{१२}

(२) अनुशासन पर्व के ३८।५-६ और मनु के ९।१४ में कोई अन्तर नहीं है। स्वभावस्त्वेव नारीणां त्रियु लोकेषु वृश्यते। विमुक्षतधर्माश्चिपलास्तीक्ष्णा भवकरा स्त्रियः ॥ अरण्यकाण्ड ४५।२९-३०।

(३) स्त्रीणामष्टगुण कागो ध्यवसायश्च पद्गुण। लज्जा क्षतुर्गुण। तासामाहारश्च तदर्थकः ॥ बृहत्पाराशर, पृ० १२१।

(४) अन्त साहस माया मूलत्वमतिलोभिता। अशीचस्य निर्दयस्य स्त्रीणा बोधा स्वभावजा ॥

२६ देय्यनाना प्रववन्ति बोधान्वरोग्यमार्गेण गुणान् विहाय ॥ ते बुज्जना मे मनसो वित्तं सद्भाववाक्यानि च तानि तेषाम् ॥ प्रव्रत सत्य कतरोग्नानां बोधस्तु यो नाश्चरितो भन्युष्ये ॥ घाष्ट्येन पुत्रि प्रमथा निरस्ता गुणाधि-कास्ता मनुनाश्च चोक्षत् ॥ जय्या वा स्याज्जनित्री वा स्यात्सभवा स्त्रीष्टतो नृणाम् ॥ हे कृताभ्यास्तयोर्निन्दां कुप्येतां वा कुत गुलम् ॥ अहो घाष्ट्यंमसाधुना जिन्वतामनया स्त्रियः ॥ मृणतामिव चौराणां तिष्ठ धीरेति जल्पताम् ॥ पुस्य-द्वचट्टलानि कामिनीनां कुशते यानि रहो न तानि पश्चात् ॥ सुहृत्तत्रतयागता गताधूनवगुह्य प्रविशति सप्तजिह्वम् ॥ बृहत्संहिता ७५।५ ६, ११, १५, १६। ७वां एवं ९वां श्लोक बोधाधनगृह्यसूत्र (२।२।६३-६४) में, १०वां मनु (३।५८) में तथा ७वां एवं ८वां वसिष्ठ (२।८।४ एवं ९) में पाये जाते हैं।

२७ कालिदास एवं भवभूति ने बड़े ही कोमल ढंग से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं मधुर सम्बन्ध की ओर संकेत किया है—'गृहिणी सचिव' सखी मिय' प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ। कृश्याविमुखेन मृत्युना हृता हर्वा यव कि न मे हतम् ॥' रघुवंश ८।६६; 'प्रियो मित्र बन्धुता वा समया सर्वे कामा दोषधिर्जीवित वा। स्त्रीणां भर्ता परांवारश्च पुस्त-

त्रिषो को सामान्यतः मर्त्याना के राज्य सुनने पडे हैं, किन्तु स्मृति-ग्रन्थो मे माता की प्रशंसा एवं सम्मान मे बहुत-कुछ कहा गया है। गौतम (२।५६) का कहना है—“आचार्य (देवगुरु) गुरुओं मे श्रेष्ठ है, किन्तु कुछ लोगों के मत से माता ही सर्वश्रेष्ठ है।” आरस्तम्बधर्मसूत्र (१।१०।२८।९) का कहना है कि पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माता की सदा सेवा करे, मने ही वह जातिव्युत्त हो चुकी हो, क्योंकि वह उसके लिए महान् बन्धो को सहन करती है। मही दास शौचायनधर्मसूत्र (२।२।४८) मे भी है, किन्तु यहाँ पुत्र को अपनी जातिव्युत्त माता से बोलना मना किया गया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।३।४७) के मत से “पतित पिता का त्याग हो सकता है, किन्तु पतित माता का नहीं, क्योंकि पुत्र के लिए यह कभी भी पतित नहीं है।” मनु (२।१।४५) के अनुसार आचार्य दस उपाध्यायों से महत्ता मे जागे है, रिता सौ आचार्यों से आगे है, माता एक सहस्र पिताओं से बड़कर है (वसिष्ठधर्मसूत्र १।३।४८)। शस्तिवित ने एक बहुत ही उपकारी सम्मति दी है—“पुत्र को पिता एवं माता के युद्ध मे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि वह चाहे तो माता के पक्ष मे बोल सकता है, क्योंकि माता ने उसे गर्भ मे धारण किया एवं उसका पालन-पोषण किया, पुत्र, जब तक वह जीवित है, अपनी माता के ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, केवल सौत्रानणि यज्ञ करने से ही उक्तण हो सकता है।” वाङ्-वल्क्य (१।३५) के अनुसार अपने गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय से माता बड़कर है। अनुशासनपर्व (१०५।१४-१६) का कहना है कि माता महत्ता मे दस पिताओं से, यहाँ तक कि सारी पृथिवी से बड़कर है, माता से बड़कर कोई गुरु नहीं है। शान्तिपर्व (२६७) मे भी माता की प्रशंसा की गयी है। अग्नि (१।५१) के मत से माता ने बड़कर कोई अन्य गुरु नहीं है। पाण्डवों ने अपनी माता कुन्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था। आदिपर्व (३।७।८) मे आया है—“सभी प्रकार के पापों से छुटकारा हो सकता है किन्तु माता के शाप से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता।”

त्रिषो के दाय्याधिकारो एवं वधोपेत के विषय मे विस्तार के साथ आगे बढेये। यहाँ पर संक्षेप मे ही लिखा जा रहा है। आरस्तम्ब, मनु एवं नारद ने पुत्रहीन वृत्त की विषया को उत्तराधिकारी नहीं माना है, किन्तु गौतम (२।८।१९) ने उसे सपिण्डो एवं सगोत्रो के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना है। प्राचीन काल मे विधवा को दाय्याधिकार

मित्यग्नोन्वं दत्तापोर्जातस्तु ॥ मासूनीमाधव ६। और वैदिए उत्तररामचरित (१) का प्रसिद्ध श्लोक ‘अर्द्धतं सुप्तद्रुत्तयोरनुगुणं... आदि।

२८ आचार्यः श्रेष्ठो गुरुणा मातेत्येके। गौतम २।५६; माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्त्तव्यात्पते तत्पुत्रं सुगुणा नित्या पतितायामपि। आप० प० १।१०।२८।९; पतितामपि तु श्रातरं किन्नुपादानमिभोवदानः। शौ० प० २।२।४८; पतिताः पिता परित्याग्यो माता तु पुत्रे न पतति। वसिष्ठ १।३।४७।

२९. (१) न मातापित्रोरन्तरं गच्छेत्पुत्रः। कामं मातुरेवानुब्रूयात्सा हि धारिणी वीधपि च। न पुत्रं प्रति मृष्येतान्यत्र शौत्रमणियागाम्ब्रवीदपुत्रागमात्। दशसलिलित (संस्कारप्रकाश ५० ४७९); और वैदिए विवाहदत्तात्कर (५० ३५७), स्मृतिव्यक्ति (क्रिस् १, प० ३५)।

(२) नास्ति मानुसमा छाया नास्ति मानुसमा गतिः। नास्ति मानुससं ज्ञानं नास्ति मानुसमा प्रिया ॥ शान्ति-पर्व (२६७-३१); माता गुणरात्र भूमे। वनपर्व ३१३।६०; नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातुः परो गुरुः। नास्ति शान्तात्परं मित्रमिह लोके परत्र च ॥ अग्नि १।५१; नास्ति सत्यात्परो धर्मो नास्ति मातृसमो गुरुः। शान्ति० ३४३।१८।

(३) सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विघ्नते। न तु मात्राभिन्नाप्तानां शोशः बन्धन विघ्नते ॥ आदिपर्व ३७।४।

नहीं था, इस विषय में हमें शानुन्तल (६) से प्रकाश मिलता है, जहाँ मन्त्री ने राजा को लिखा है कि मरणशील वणिक् की सम्पत्ति विधवा को न मिलकर राजा को मिलेगी। किन्तु याज्ञवल्क्य (२।१३५), विष्णु एव कात्यायन ने कहा है कि पुत्रहीन पुरुष की विधवा प्रथम उत्तराधिकारी है। इससे स्पष्ट है कि मध्य काल में प्रारम्भिक सूत्रकाल की अपेक्षा विधवा ने अधिकार अधिक सुरक्षित थे। किन्तु अन्य बातों में स्त्रियों की दशा में अवनति होती गयी, वे शूद्र के समान समझी जाने लगीं। यास्क के समय में उत्तर भारत में विधवा को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने दक्षिण के देशों की विधवा के ही उत्तराधिकार की चर्चा की है—“दक्षिणी देशों में पुत्रहीन पुरुष की विधवा समा में जाती है, चौकी दर मड़ी होनी है, सम्मान लोग उस पर अन्न बनाते हैं और वह पति की सम्पत्ति पाती है।”

अध्याय १२

विधवाधर्म, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा

विधवाधर्म

ऋग्वेद (४।१८।१२, १०।१८।७, १०।४०।२ एव ८) में 'विधवा' शब्द कई बार आया है, किन्तु इनमें अन्तिम अर्थात् ऋग्वेद १०।४०।२ को छोड़कर अन्य अरा विधवा की दशा पर कोई विशेष प्रकाश नहीं मिलता। ऋग्वेद (१।८।७।३) में आया है कि मरुतो की अति शीघ्र गतियों से पृथिवी पतिहीन स्त्री की भाँति काँपती है। इससे प्रकट होता है कि विधवाएँ या तो दुःख के मारे या बलात्कार के डर से काँपती थीं।

बोधायनधर्मसूत्र (२।२।६६-६८) के मत से विधवा को साल भर तक मधु, मांस, मदिरा एवं नमक छोड़ देना चाहिए तथा भूमि पर शयन करना चाहिए, किन्तु मौद्गल्य के मत से केवल छः मास (तक ही ऐसा करना चाहिए)। इससे उपरान्त यदि वह पुत्रहीन हो और गुरुजन आदेश दें तो वह अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है। यही बात वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।५५-५६) में भी पायी जाती है। मनु (५।१५७-१६०) की बतानी हुई व्यवस्था अपि-वास में सभी स्मृतियों में पायी जाती है, 'पति के मर जाने पर स्त्री, यदि वह चाहे तो, केवल पुत्रों, पत्नों एवं मूत्रों को ही खाने अपने शरीर को मला दे (दुर्बल बना दे), किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मृत्यु-पर्यन्त उसे सयम रखना चाहिए, व्रत रखने चाहिए, सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए और पतिव्रता में सदाचर्य एवं गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा करनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त यदि साध्वी नारी अविवाह में नियम के अनुसार चले अर्थात् अपने सतीत्व की रक्षा में लगी रहे, तो वह पुत्रहीन रहने पर भी स्वर्गारोहण करती है, जैसा कि प्राचीन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों (यथा सनक) ने किया था।" कात्यायन ने अनुसार "पुत्रहीन विधवा यदि अपने पति के विष्टर (विस्तर या सेज) को बिना अपवित्र नियम गुरुजनों के साथ रहती हुई अपने को समर्पित रखती है तो उसे मृत्यु-पर्यन्त पति की सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। उसने उपरान्त उसके पति के उत्तराधिकारी लोग सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं। धार्मिक व्रतो, उपवासों एवं दायमा में सलग्न, ब्रह्मचर्य के नियमों से पूर्ण, इन्द्रियों को समर्पित करती एवं दान करती हुई विधवा पुत्रहीन होने पर भी स्वर्ग को जाती है।" पराशर (४।३१) ने भी मनु (५।१६०) के समान ही कहा है। बृहस्पति का कथन है—“पत्नी पति की अपाँगिनी घोषित हो चुकी है, वह पति के पापों एवं पुण्यों की भागी होती है, एक सद्गुणी पत्नी, चाहे वह पति की चिता पर भस्म हो जाती है या जीवित रह जाती

१. प्रियामग्नेयु विसृये रेजते भूमिर्वाग्मिषु यद्य मुञ्जते दुग्ने। ऋग्वेद (१।८।७।३)।

२. अपुत्रा शयनं भर्तुःपालयन्ती पुरी स्थिता। भुञ्जीतामरणात्साल्ना श्यावाया ऋध्वंमान्पुनुः॥ व्रतोपयासविरता ब्रह्मधर्मो ध्यवस्थिता। दमदानरता नित्यमपुत्राणि दिवं द्रमेत् ॥ कात्यायन (वीरमित्रोदय पृ० ६२६-६२७ में उद्धृत)। प्रथम श्लोक शयनार्थ, स्मृतिचन्द्रिका, एवं अन्य ग्रन्थों में उद्धृत है।

है अपने पति के आध्यात्मिक लाभ को अवश्य प्राप्त करती है, 'बृद्धहारीत (११।२०५ २१०) न उसकी आमरण दिनचर्या दी है— उसे बाल सँवारना छोड़ देना चाहिए पान खाना गद्य पुष्प आभूषण एव रगीन परिधान का प्रयोग छोड़ देना चाहिए पीतल-कंसि के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए दो बार भोजन करना अजन लगाना आदि त्याग देना चाहिए उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए उसे इन्द्रियो एव क्रोध को दबाना चाहिए धोखा घड़ी से दूर रहना चाहिए प्रमाद एव निन्दा से मुक्त होना चाहिए पवित्र एव सदाचरण वाली होना चाहिए सदा हरि की पूजा करनी चाहिए रात्रि में पृथिवी पर कुम्ह की चटाई पर शयन करना चाहिए मनोयोग एव सत्संगति में लगा रहना चाहिए। बाण ने हृषचरित (६ अंतिम वाक्यांश) में लिखा है कि विषवाएँ अपनी आँखों में अञ्जन नहीं लगाती थी और न मुख पर पीला त्रेप ही करता थी वे अपने बालों को यों ही बाध लेती थी। प्रचेता ने सन्या सियो एव विषवाओं को पान खाना तेल बगरह लगाकर स्नान करना एव घातु के पात्रों में भोजन करना मना किया है।' आदिपर्व (१६०।१२) में आया है— 'जिस प्रकार पृथिवी पर पड़ हुए मास के टुकड़े पर पक्षीगण टूट पड़ते हैं उसी प्रकार पतिहीन स्त्री पर पुरुष टूट पड़ते हैं। शान्तिपर्व (१४।२) में आया है— बहुत पुत्रों के रहते हुए भी सभी विषवाएँ दुःख में हैं।' स्कन्दपुराण (काशीखण्ड ४।१५।७५ एव ३ ब्रह्मरारण्य भाग ५०।५५) में विषवाधर्म के विषय में लम्बा विवेचन है जिसका अधिकांश मदनपारिजात (पृ० २०२ २०३) निगमसिन्धु घमसिन्धु एव अन्य निबन्धा में उद्धृत है। कुछ बातें यहाँ अवलोकनीय हैं— 'अमगलो में विषवा सबसे अमगल है विषवा-दशन से सिद्धि नहीं प्राप्त होनी (हाथ में लिया हुआ काय सिद्ध नहीं होता) विषवा माता को छोड़ सभी विषवाएँ अमगलसूचक हैं विषवा की आशीर्वादोन्ति को विज्ञ जन ग्रहण नहीं करते, मानो वह तपविष हो। स्कन्द पुराण के काशीखण्ड (अध्याय ४) में निम्न उक्तियाँ आयी हैं— विषवा के कबरीबध (सिर के केशों को सँवार कर बाँधने) से पति बन्धन में पड़ता है अतः विषवा को अपना सिर मुण्डित रखना चाहिए। उसे दिन में केवल एक बार खाना चाहिए या उसे मास भर उपवास करना चाहिए या चात्रायण व्रत करना चाहिए। जो स्त्री पर्यंक पर शयन करती है वह अपने पति को नरक में डालती है। विषवा को अपना शरीर सुगन्धित लेप से नहीं स्वच्छ करना चाहिए और न उसे सुगन्धित पदार्थों का सेवन करना चाहिए उसे प्रति दिन तिल जल एव कुच घे अपने पति पति के पिता एव पति के पितामह के नाम एव गोत्र से तपण करना चाहिए उसे मरते समय भी बेलपाडी में नहीं बैठना चाहिए उसे बचुकी (चोली) नहीं पहननी चाहिए उसे रगीन पारधान नहीं धारण करने चाहिए तथा वैशाख कार्तिक एव माघ मास में विशेष व्रत करने चाहिए। निर्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि ब्राह्म का भोजन अथ गोत्र वाली विषवा द्वारा नहीं बनाना चाहिए।

हिन्दू विषवा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी और उसका भाग्य तो किसी भी स्थिति में स्पृहणीय नहीं माना

३ शरीरार्थं स्मृता जाया पुष्यापुष्यफले समा। अवाहदा जीवती च साध्वी भर्तुहिताय सा ॥ इहस्पति (अपराक पृ० १११ में उद्धृत)।

४ ताम्बूलाभ्यञ्जनं चैव कात्स्यपात्रे च भोजनम्। मतिश्च ब्रह्मचारी च विषवा च विषजयेत् ॥ प्रचेता (स्मृतिचिन्ता १, पृ० २२२ तथा दृष्टितत्त्व, पृ० ३२५ में उद्धृत), मिलाइए "ताम्बूलोऽमर्तुः कश्चीना यतोऽता ब्रह्म-चारिणाम्। एकं मासतुल्यं स्थापित्स्त्रिंशं मु सुरासमम् ॥ (स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम, पृ० १६१ में उद्धृत)।

५ उत्सृष्टभारिण्य भूमौ प्राययन्ति धया खता। प्राययन्ति जना सर्वे पतिहीना तथा स्त्रियम् ॥ आश्रिपर्व १६०।१२, सर्वापि विषवा नारी बहुपुत्राणि शोचते ॥ शान्तिपर्व १४।२।

जा सकता। यह अमंगल सूचक भी और किसी भी उत्सव में, यथा विवाह में, किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकती थी। उसे न केवल पूर्ण रूप से साध्वी रहना पड़ता था, चाहे वह बचाना से ही विधवा क्या न हो, प्रत्युत उसे सन्यासी की भाँति रहना पड़ता था, व्रत भोजन और कम वस्त्र धारण करना पड़ना था। उसके सम्पत्ति-अधिकार न-कुछ थे। यदि उसका पति पुत्रहीन मर गया तो उसे भौतिक रूप से उत्तराधिकार नहीं मिलता था। कालान्तर में उत्तराधिकार के विषय में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु तब भी उसे केवल सम्पत्ति की आय मात्र मिलती थी, जिसे वह घर की वैधानिक आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक लाभ के लिए ही हस्तान्तरित कर सकती थी (अन्य कार्यों में नहीं)। हिन्दू समुक्त परिवार में विधवा की केवल भरण-पोषण का अधिकार है (बंगाल में कुछ अधिक अधिकार है) जिसे वह व्यभिचारिणी हा जाने पर खो देती है। यदि वह पुनः नैतिक जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे जीवन चर्चा का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति की पृथक् रूप से सम्पत्ति हो गयी हो और उसे एक पुत्र या कई पुत्र हो तो उसकी विधवा को केवल भरण-पोषण का ही अधिकार मिलता है। यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक रही है किन्तु अब विधवा की अवस्था में सुधार हो गया है।

विधवा का मुण्डन हो जाना करता था (देखिए स्कन्दपुराण का जयंता उदरण)। मदनपारिजात में भी यही बात पायी जाती है अतः १४वीं शताब्दी में यह कर्म प्रचलित था। यह प्रथा कब से चली कहना कठिन है। सम्भवतः यह परचात्कालीन है। इस विषय में हम दो सिद्धान्त देखा सकते हैं—(१) पति की मृत्यु पर विधवा का मुण्डन उसी प्रकार होता था जिस प्रकार पुत्री का, तथा (२) विधवा को आमरण मुण्डन कराना पड़ता था, यद्यपि यह बात पिताहीन पुत्रों के साथ नहीं लागू होती। मुण्डन क पक्षपाती तीन बौद्ध उचितता का हवालाल देत है। यथा ऋग्वेद (१०।४०।२), आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।४।९) एवं अथर्ववेद (१।४।२।६०)। ऋग्वेद (१०।४०।२) केवल विधवा की ओर संकेत करता है या नियोग की बात करता है किन्तु उससे बचन में मुण्डन की ओर कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। आज के कुछ बट्टर पण्डित लोग निरुक्त (३।१५) के "विधवायाद् वा इति चर्मसिरा" में "चर्मसिरा" को मुण्डित विधवा का चातक मानते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है, वास्तव में 'चर्मसिरा' महोरथ, निरुक्त के टीकाकारों के मत में, निरुक्त के लेखक यास्क के पूर्व कोई आचार्य थे। आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।५।९) में 'विदेसी' शब्द का अर्थ 'मुण्डित विधवा' नहीं है, जैसा कि लोगो ने समझ रखा है, इसका साधारणतः अर्थ है "जिसने हुए बन्धो वाली स्त्री।" अथर्ववेद की उक्ति में भी 'विदेसी' शब्द विवाह के समय प्रयुक्त हुआ है। एक दूसरे स्थान पर (अथर्ववेद १।९।१५) सायण ने 'विकेसी का अर्थ 'विकीर्णकेसी' अर्थात् "जिसने हुए बालों वाली तासे" रखाया है। स्पष्ट है कि वेद में विधवा का मुण्डित होने की ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। बौधायन-पितृमेघसूत्र में अतिरिक्त-विधवा के चर्चन में मृतात्म्या के निरुक्त सम्बन्धिया के मुण्डन की चर्चा है किन्तु पत्नी के मुण्डन का कोई उल्लेख नहीं है (देखिए बौधायनपितृमेघसूत्र १।५।३, १।५।१३, १।१२।७ एवं २।३।१७)।

मनु एक याज्ञवल्क्य विधवाधर्म की चर्चा में विधवा के मुण्डन की चर्चा नहीं करते। किसी अन्य स्मृति में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने विधवा को केवल-भ्रूणार से दूर रखने की बात कही है (बृहदारण्यक १।२०६), अतः स्पष्ट है कि विधवाएँ ब्रह्म खाली थीं। व्रत-से कम शक्तिवा की विधवाएँ कभी भी मुण्डन सिर नहीं होती थीं, जैसा कि स्कन्दपुराण की विधवाओं के चित्रण से व्यक्त होता है। महाभारत में वे "अर्वाग्जिज्ञा" अर्थात् जिससे बेना काली नहीं गयी हैं (स्त्रीधर्म १।६।१८, १।७।२५, २।१६, २।४७, भागवतसिंह २।५।१६, मोक्षल-पर्व ७।१७)। बाण ने इतिहास में विधवा के केवल-भ्रूणार का उल्लेख किया है (दश्या—दश्याय विधवादेवी वर-मनुष्मता। हर्षचरित ५)। कर्त्तव्य के गम्य महेश्वरपात्री वेदोद्य प्रजापति ने शत्रुओं की निराशाएँ अपने बालों वाली कही गयी है (एतिसिद्धा उद्विष्टा, जिब १. पृ० २५९, श्लोक १६)।

वट्टर पण्डितों ने व्यासस्मृति (२।५३) पर भी अपना मन आश्रित रखा है, “(पति के मर जाने पर) ब्राह्मणी को पति का शव गोद में लेकर अभिन्-प्रवेश करना चाहिए, यदि वह जीवित रहती (सती नहीं होती) है तो उसे त्यक्तकेश होकर तप से अपने शरीर को सुखा डालना चाहिए।” यहाँ “त्यक्तकेशा” शब्द के तीन अर्थ सम्भव हैं— (१) वह जिसने केश शृगार छोड़ दिया हो, या (२) वह जिसके केश कुछ स्मृतियों के मतानुसार केवल दो अंगुली लम्बाई में काटे गये हो, जैसा कि गोवध आदि के प्रायश्चित्त में किया जाता है, या (३) वह जिसका सिर मुण्डित हो चुका हो। जो भी हो अन्य स्मृतियाँ ने विद्यवा के केशमुण्डन की चर्चा नहीं की है।

मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (३।३२५) की व्याख्या में मनु के एक कथन की चर्चा की है—“विद्वानो, राजाओ, स्त्रियों के विषय में सिर मुण्डन की बात नहीं उठती, केवल मनुष्यातक करने या गोहत्या करने या ब्रह्मघाती द्वारा समोग किये जाने पर ही सिर-मुण्डन की बात उठती है।” मिताक्षरा ने विद्यवा के लिए वही भी सिर-मुण्डन आवश्यक धर्म नहीं माना है।

निर्णयसिन्धु (सन् १९१२ ई० में प्रणीत) के लेखक एव बालमट्टी (१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में प्रणीत) ने विद्यवा के मुण्डन की चर्चा की है और इन लोगों ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।६) एव मिताक्षरा (३।१७) की व्याख्या अपने ढंग से करके विद्यवा के मुण्डित रहने की बात कही है। किन्तु इनकी व्याख्या में बहुत खीचातानी है जो वास्तविकता को प्रकट करने में असमर्थ है।

उपर्युक्त विवेचन से हम निम्न निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। विद्यवा के मुण्डन के विषय में कोई स्पष्ट वैदिक प्रमाण नहीं मिलता। गृह्य तथा धर्मसूत्र इसकी ओर संकेत नहीं करते, और न मनु एव याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ ही ऐसा करती हैं। यदि दो-एक स्मृति-ग्रन्थों के श्लोक, जिनके अर्थ के विषय में कुछ सन्देह है, विद्यवा के मुण्डन की चर्चा करते हैं तो बृह-हारीत के समान अन्य स्मृतियाँ इसका विरोध करती हैं। कुछ स्मृतियों ने केवल एक बार, पति की मृत्यु के उपरान्त, मुण्डन करने की बात चलाई है, कहीं भी किसी स्मृति ने आमरण मुण्डन कराने की चर्चा नहीं की है। मिताक्षरा एव अपराकं इस विषय में मौन हैं। लगता है, मुण्डन की प्रथा १०वीं या ११वीं शताब्दी से उदित हुई। कालान्तर में विद्यवाएँ यतियों के समान मानी जाने लगीं, और यति लोग अपना सिर मुटाया करते थे, अतः विद्यवाएँ भी वैसा करने लगीं। उन्हें इस प्रकार अमुन्दर बनाकर साध्वी रखा जाने लगा। हो सनता है, बौद्ध एव जैन साधुनियों के उदाहरणों ने भी इस क्रूर प्रथा की ओर संकेत किया हो। हमें यह बात चुल्लवर्ग से ज्ञात होती है कि चौदह साधुनियाँ (मिक्षुणियाँ) गिर के केश कटा डालती थीं और मरणी के रग (पिच्छल) के परिधान धारण करती थीं। महाराष्ट्र में कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण विद्यवाएँ लाल रग का वस्त्र धारण करती थीं (अभी आज भी कुछ पुरानी वृद्धियाँ मित ही जाती हैं)। यह प्रथा बहुत प्राचीन नहीं है। मदनपारिजात (१४वीं शताब्दी) को छोड़कर कोई अन्य निबन्ध स्कन्दपुराण के कथन उद्धृत नहीं करता। यह प्रथा अब समाप्त पर है।

रामानुजाचार्य के अनुयायी श्रीवैष्णवों के तेंगल मम्प्रदाय में शताब्दियों से विद्यवा का सिर-मुण्डन मना है, यद्यपि यह सम्प्रदाय अन्य बातों में बड़ा वट्टर है। शूद्रकमलाकर के कथनानुसार गोंड देश की विद्यवाएँ शिखा रखती हैं। बहुत प्राचीन काल से यह धारणा रही है कि स्त्रियों को किसी दशा में भी मारना नहीं चाहिए। शतपथ-ब्राह्मण (१।१।३।२) का कहना है—“लोग स्त्रियों की हत्या नहीं करते, बल्कि उनसे सारी वस्तुएँ छीन लेते हैं।”

६. बेसिए संश्लेष बुक्स आण बि ईस्ट (S B E.) जिल्द २० (विनय), पृष्ठ ३२१। जैन साधुनियाँ अपने केश कटा डालती थीं या उन्हें नोच डालती थीं, बेसिए उत्तराध्ययन २२।३० (S B E., जिल्द ४५, पृ० ११६)।

विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३।२६८) ने लिखा है कि नीच जाति के साथ (गौतम २३।१४, मनु ८।३७१) व्यभिचार करने पर स्त्री को केवल राजा ही प्राण-दण्ड दे सकता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजा को हलका प्रायश्चित्त भी करना पड़ जाता था। मनु (१।१९०) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, मले ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मनु (१।२३२) ने स्पष्ट लिखा है—“स्त्रियो, बच्चो एव ब्राह्मणो की हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-दण्ड मिलना चाहिए।” महाभारत ने भी इस साहसपूर्ण नियम की ओर संकेत किया है। आदिपर्व (१५८।३१) कहता है—“धर्मश लोभ घोषित करते हैं कि स्त्रियो की हत्या नहीं करनी चाहिए।” नृसंहार (४।४३) में व्यवस्था है—“स्त्रियो, मायो, ब्राह्मणो तथा उसकी ओर जिसने जीविका या आश्रय दिया है, आयुष नहीं चलाया चाहिए।” शान्तिपर्व (१३५।१४) में ऐसा निर्देश आया है कि चोर भी स्त्रियो की हत्या न करें (और देखिए आदिपर्व १५५।२, २१७।४, वनपर्व २०६।४६)।^१ रामायण (बालकाण्ड) में भी यही बात नापी जाती है जब कि राम को ताडवा नामक राक्षसी के मारने के लिए प्रेरित किया गया था।

याज्ञवल्क्य (२।२८६) ने नीच जाति के साथ व्यभिचार करने पर स्त्री के लिए कान काट लेने का दण्ड बतलाया है। बृद्धहारीत (७।१९२) ने पति एवं भ्रूण की हत्या करने पर स्त्री की नाक, कान एवं अघर वाट लेने की व्यवस्था दी है। देखिए याज्ञवल्क्य २।२७८-२७९, जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री को प्राण-दण्ड तक दे देने की व्यवस्था दी गयी है।

यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि स्त्रियाँ क्रमशः उपनयन, वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ सत्कार-सम्पादन के सारे अधिकारों से वञ्चित होती चली गयी, और इस प्रकार वे पूर्णतः पुरुषों पर आश्रित हो गयी। उनका दशा, इस प्रकार, शूद्र की दशा के समान हो गयी।^२ सभी द्विजों को पवित्र होने के लिए तीन बार आचमन करना आवश्यक है। किन्तु नारी एवं शूद्र को केवल एक बार (मनु ५।१३९, याज्ञवल्क्य १।२१)। द्विजातियों वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करती थी, किन्तु स्त्रियाँ एवं शूद्र बिना मन्त्रों के, अर्थात् मोन रूप से। शूद्र एवं स्त्रियाँ आम-आद (बिना पत्रे भोजन के साथ) करती थी।^३ स्त्रियो एवं शूद्रों की हत्या पर समान दण्ड मिलता था (बौधायनधर्मसूत्र २।१।११-१२, पराशर ६।१६)। माधारणत स्त्रियाँ, बच्चे एवं जीर्ण पुरुष साक्ष्य नहीं दे सकते थे (याज्ञवल्क्य २।७०, नारद, ऋषादान १७८, १९०, १९२), किन्तु मनु (८।६७-७०), याज्ञवल्क्य (२।७२) एवं नारद (ऋषादान १५५) ने स्त्रियो के झगड़ों में स्त्रियो को साक्ष्य देने को कह दिया है। अन्य साक्षियों के अभाव में स्त्रियाँ चोरी, व्यभिचार एवं अन्य दमित-सम्बन्धी अपराधों में साक्ष्य दे सकती थी। भेट, दान, भूमि एवं घर की बिक्री एवं ग्रन्थ में स्त्रियो द्वारा लिखे गये कागद-पत्र साधारणतः अस्वीकृत माने जाते थे, ऐसी लिखापत्री बलात्कार या धोखे से भी

७. अथवा स्त्रिय इत्याहर्षंशा धर्मनिन्दये। आदिपर्व १५८।३१; स्त्रीषु गोषु न शास्त्राणि पातयेद् ब्राह्मणेषु च। पत्यु धामानि भूञ्जीत यत्र च स्वात्प्रतिधयः। नृसंहार ४।१।३३।

८. “स्त्रीशूद्राश्च सधर्माणः” इति वाचयान्। ध्यवहारममूल, पृ० ११२; द्विजस्त्रीणांमपि धीतशानाम्भ्योऽपि-कारिताः। बदन्ति केचिद्विद्वान्तः स्त्रीणां शूद्रसमानताम्॥ सूतसंहिता (शूद्रकर्मशास्त्र, पृ० २३१ में उद्धृत)।

९. ब्रह्मचारिणिसां चैव मन्त्रवत्स्नाननिमित्ते। सृणोमेव हि शूद्रस्य स्त्रीणां च कुतन्दनः॥ विष्णु (स्मृति-चन्द्रिका, १, पृ० १८१ में उद्धृत)।

स्त्री शूद्रः श्वपचरचैव जगतधर्माणि धाप्यथ। आमथाश्च तथा भुर्याद्विधिना पावणैः तु॥ प्रवेत्ता (स्मृतिचन्द्रिका, धातुप्रकरण, पृ० ४९१-९२ में उद्धृत)।

गयी लिखापट्टी के समान मानी जाती थी (देखिए नारद, ऋणादान २६, याज्ञवल्क्य २।३१)। उन दिनों स्त्रियाँ पत्नी लिखी कम थी, अतः ऐसे व्यवधान वरदान ही थे। नारायण के त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ में बृहन्नारदीय पुराण की एक उक्ति आयी है, जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो, तथा शूद्र विष्णु एवं शिव की मूर्ति-स्थापना नहीं कर सकते थे (शूद्रकमलाकर पृ० ३२)।

यदि कुछ बातों में स्त्रियाँ भारी असमर्थताओं एवं अयोग्यताओं के बशीर्भूत मानी जाती थी, तो कुछ विषयों में वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थीं। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्यागी ही जा सकती थीं; मार्ग में उन्हें पहले आगे निकल जाने (अग्रगमन) का अधिकार प्राप्त था। पतित की बन्धा पतित नहीं मानी जाती थी, किन्तु पतित का पुनः पतित माना जाता था (वसिष्ठ-धर्मसूत्र १३।५१-५३, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१३।४, याज्ञवल्क्य ३।२६१)। एक ही प्रकार की दृष्टि के लिए पुरुष की अपेक्षा नारी को आधा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णुधर्मसूत्र ५।४।३३, देवल ३०, आदि)। चाहे स्त्रियों की जो अवस्था हो, उन्हें पति की अवस्था के अनुसार आदर मिलता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१।१।१८—पतिव्ययस स्त्रिय)। वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ (प्रतिलोम जाति यों की स्त्रियों को छोड़कर) भी कर-मुक्त थी (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१०।२६।१०-११)। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।९।२३) ने उन स्त्रियों को जो युवा या अमी जच्चः थी, बिना कर वाली (अबर) माना है। "तीन मास की गर्भवती; वन में रहने वाले साधु लोग, सन्यासी, ब्राह्मण एवं ब्रह्मचारी घाट के कर में मुक्त थे (मनु ८।४०७ एवं विष्णु ५।१३२)। गौतम (५।२३), याज्ञवल्क्य (१।१०५) आदि के अनुसार बच्चों, पुत्रियों एवं बहिनों, जिनका विवाह हो गया हो, किन्तु अभी अपने माता पिता तथा भाइयों के साथ हो, गर्भवती स्त्रियों, अविवाहित पुत्रियों, अतिथियों एवं नौकरों को घर के मालिक एवं मालिकिन से पहले खिलाना चाहिए। मनु (४।११४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६।७।३९) तो कुछ और आगे बढ़ जाते हैं—"कुल की नवविवाहित लड़कियों, अविवाहित पुत्रियों, गर्भवती नारियों को अतिथियों से भी पहले खिलाना चाहिए।" उस अभियोग का विचार, जिसमें कोई स्त्री फँसी हो, या जिसकी सुनवाई रात्रि में, या गाँव के बाहर, या घर के भीतर, या धनुजों के समझ हुई हो, पुनः होना चाहिए (नारद, १।४३)। सामान्यतः स्त्रियों का अभियोग दिव्य (जल, अग्नि आदि द्वारा बठिन परीक्षा) से नहीं सिद्ध किया जाता था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी हो, किन्तु यदि दिव्य अनिवाय-सा हो जाय तो तुला दिव्य की ही व्यवस्था थी (याज्ञवल्क्य २।९८ एवं मिताक्षरा टीका)। स्त्रीधन के उत्तराधिकार में पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा प्रमुखता दी गयी थी। प्रतिकूल अधिकार-प्राप्ति में स्त्री का स्त्रीधन नहीं फँस सकता था (याज्ञवल्क्य २।२५, नारद, ऋणादान, ८२-८३)। आचार के विषय में मन्त्रणा अवगण ली जाती थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।२९।१५) ने ऐसा मत प्रकाशित किया है कि सूत्रों में जो नियम न पाये जायें उन्हें कुछ आचार्यों के कथनानुसार स्त्रियों एवं सभी वर्णों के पुरुषों से जान लेना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र, आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१।४।८), मनु (२।२२३) एवं बह्मनास स्मार्त (३।२१) के अनुसार विवाह में शिष्टानार की जानकारी स्त्रियों से प्राप्त करनी चाहिए।

१०. बाल-शूद्र-स्त्रीगामर्षप्रायश्चित्तम्। अथराकं द्वारा ध्वनन। अकरः ध्योत्रियः। सर्ववर्णानां च स्त्रियः। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२६।१०-११); अकरः ध्योत्रियो राजपुमाननापप्रजितबालपुत्रतदनप्रजाताः। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।९।२३)।

परदा की प्रथा

क्या आधुनिक काल में पायी जाने वाली परदा-प्रथा जो मुसलमानों एवं भारत के कुछ भागों में विद्यमान है, प्राचीन काल से चली आयी है? ऋग्वेद (१०।८५।३३) में लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा है—“यह कन्या मंगलमय है, एकर होओ और इसे देतो, इसे आशीष देकर ही तुम लोग अपने पर जा सकते हो।” आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।८।७) के अनुसार दुल्हिन को अपने पर ले आते समय दूल्ह को चाहिए कि वह प्रत्येक निवेश स्थान (रुकने के स्थान) पर दर्शकों को ऋग्वेद (१०।८५।३३) के उपर्युक्त मन्त्र के साथ दिखाये। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों दुल्हिनो या वधुओ द्वारा अवगुण्डन (परदा या घूंघट) नहीं धारण किया जाता था, प्रत्युत वे सबके सामने निरवगुण्डा आती थी। ऋग्वेद के विवाहसूक्त (१०।८५।४६) में एक स्वस्तिकचन है कि वधु अपने दनुर, सास, ननद, देवर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह केवल हृदय की अनिलापा मात्र है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और थी। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में आया है कि वधु अपने दनुर से लज्जा करती है और अपने को छिपाकर चली जाती है। इससे प्रकट होता है कि गुरुजनों के समक्ष नवयुवतियों पर कुछ प्रतिबन्ध था। किन्तु गृह्य एवं धर्म-सूत्रों में इधर-उधर जनसमुदाय में घूमती हुई स्त्रियों के परदे के विषय में कोई सकेत नहीं प्राप्त होता। पाणिनि (३।२।२६) ने ‘अयुर्वपस्या’ (जो सूर्य को नो नहीं देखती) को जो स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, व्युत्पत्ति की है। इससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि स्त्रियाँ राजप्रसादा की सीमा के बाहर जनसाधारण के समक्ष नहीं आती थी। रामायण (अयोध्याकाण्ड ३३।८) में आया है कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस सीता को देर रहे हैं, जिसे पहले आज्ञासंगामी जीव भी न देख सके थे। वही आगे (युद्ध १।१६।२८) फिर आया है—“विपत्ति के समय, युद्धों में, स्वयंवर में, यत में एक विवाह में स्त्री का बाहर जनता में आना कौड़ी अपराध नहीं है।” रामायण (६९।९) में द्रौपदी बहती है—“हमने सुना है, प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियों को जनसाधारण की समा या समूह में नहीं ले जाते थे, बिर नाउ से चली आयी हुई प्राचीन प्रथा को कौरवों ने तोड़ दिया है।” द्रौपदी का दर्शन राजाओं ने स्वयंवर के समय किया था, उसने उपरान्त युधिष्ठिर द्वारा जुए में हार जाने पर ही लोगों ने उसे देला।” इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि उच्च कुल की नारियाँ कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बाहर नहीं निकलती थी, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे परदा (अवगुण्डन) करती थी। शाल्यपर्व (२९।७४) में आया है कि कौरवों की पूर्ण हार के उपरान्त उनकी स्त्रियों को, जिन्हें सूर्य भी नहीं देख सकता था, राजधानी में आये हुए लोग देख रहे थे। और देखिए इस विषय में सनापर्व (९।७।४-७), शाल्यपर्व (१९।६३), स्त्रीपर्व (९।९-१०), आश्वलायनसूत्रपर्व (१५।१३)। हर्षचरित (४) में आया है कि राजकुमारी राज्यश्री, जिसे उसका भावी पति प्रह्वर्मा विवाह के पूर्व देखने आया था, अपने मुग पर मुन्दर लाल रंग का पारंपान डाले थी। एक अन्य स्थान पर स्याण्डीश्वर (धानेश्वर) का वर्णन करते समय बाण बहता है कि नारियाँ अवगुण्डन डाले हुए थी। बादम्बरी में भी बाण ने पत्रलेखा को लाल रंग के अवगुण्डन के साथ चित्रित

११. (१) या न शक्या पुरा ऋषं मूर्तेराकासांरंवि। तामाद्य सीतां पश्यन्ति राजमांगता क्त्वाः॥ अयोध्या-काण्ड ३३।८; ध्यसनेषु न हृद्येषु न युठेषु स्वयंवरे। न व्रतो नो विवाहे वा दर्शनं कृष्यते स्त्रियः॥ पुरुकाण्ड ११६।२८।

(२) धर्म्या स्त्रिय समां पूर्वं न गप्यन्तीति न धृतम्। स नष्टः कौरवेषु पूर्वं धर्मं सनातन ॥ सत्यार्प ६९।९।

किया है। शाकुन्तल (५।१३) में दुष्यन्त की राजसभा में स्वीकी जाती हुई शाकुन्तला को अवगुण्डन डाले चित्रित किया गया है। इससे प्रकट होता है कि उच्च कुल की नारियाँ बिना अवगुण्डन के बाहर नहीं जाती थी, किन्तु साधारण स्त्रियों के साथ ऐसी बात नहीं थी। उत्तरी एवं पूर्वी भारत में परदा की प्रथा जो सर्वसाधारण में पायी जाती है उसका आरम्भ मुसलमानों के आगमन से हुआ। इस विषय में इण्डियन एण्डिकवेरी (सन् १९३३, पृ० १५) पठनीय है, जहाँ वाचस्पति की सांख्यतत्त्वकौमुदी (श्री ५।१।५) की एक उद्धृत उक्ति से प्रकट होता है कि उच्च कुल की नारियाँ परदा करके ही बाहर निकलती थीं। और भी देखिए पाठक-स्मृतिप्रणय (पृष्ठ ७२), जहाँ परदा-प्रथा के प्रचलन के विषय में बौद्ध ग्रन्थों से निर्देश दिये गये हैं।

अध्याय १३ नियोग

नियोग का अर्थ है—किसी नियुक्त पुरुष के सम्मोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए पत्नी या विधवा की नियुक्ति। इस प्रथा के उद्गम एवं उपयोग के विषय में विविध मत-मतान्तर हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रथा के समर्पक धर्मशास्त्र-ग्रन्थों की उंक्तिषो की जाँच करेंगे। गौतम (१८।४-१४) ने इसकी चर्चा की है, "पतिविहीन नारी यदि पुत्र की अभिलाषा रखे तो अपने देवर द्वारा प्राप्त कर सकती है। किन्तु उसे गृहजनों से आज्ञा ले लेनी चाहिए और सम्मोग केवल श्रातुकाल में (प्रथम चार दिनों को छोड़कर) ही करना चाहिए। वह सपिण्ड, सगोत्र, सप्रवर या अपनी जाति वाले से ही (जब देवर न हो तो) पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुछ लोगों के मत से यह प्रथा केवल देवर से ही समुक्त है। वह दो से अधिक पुत्र (इस प्रथा द्वारा) नहीं प्राप्त कर सकती।" गौतम (१८।११) का कहना है कि जोवित पति द्वारा प्रायित स्त्री जब (नियोग से) पुत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी (पुरुष) का पुत्र होता है। गौतम (२८।३२) ऐसे पुत्र को क्षेत्रज्ञ और उसकी माता को क्षेत्र की सज्ञा देते हैं। इसी प्रकार उस स्त्री या विधवा का पति क्षेत्री या क्षेत्रिक (जिसकी वह पत्नी या विधवा होती है) तथा पुत्रोत्पत्ति के लिए नियुक्त पुरुष बीजो (जो बीज बोता है) या नियोगी (वसिष्ठ १७।६४, अर्थात् जो नियुक्त हो) बहलाता है।

वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।५६-६५) ने लिखा है—विधवा का पति या भाई (या मृत पति का भाई) गुरुओं की (जिन्होंने पढ़ाया हो या मृतात्मा के लिए यज्ञ करवाया हो) तथा सम्बन्धियों को एकत्र करे और उसे (विधवा को) मृत के लिए पुत्रोत्पत्ति के लिए नियोजित करे। उन्मादिनी विधवा, अपने को न सम्भाल सकने वाली (बुढ़ा के भार), रोगी या बूढ़ी विधवा को इस कार्य के लिए नहीं नियोजित करना चाहिए। गुवावस्था के ऊपर १६ वर्ष तक ही नियोग होना चाहिए। बीमार पुरुष को नहीं नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त व्यक्ति को पति की भाँति प्रशंसित वाले मण्डल मूहर्त में विधवा के पास जाना चाहिए और उसके साथ न तो रतिक्रीडा करनी चाहिए, न अस्वीकृत मापण करना

१. अपतिरपत्यलिप्सुर्बेवरात्। गुरुप्रसूता नर्तुमतीयात्। पिण्डगोत्रयिसम्बन्धेभ्यो द्योनिमाप्रादा। नविष-
रद्विदेके। नातिद्वितीयम् ॥ गौतम (१८।४-८)। हरदत्त ने 'नातिद्वितीयम्' को दूसरे दण से समझाया है; 'प्रथम-
मपत्यमतीत्य द्वितीय न जनयेदिति', अर्थात् एक से अधिक पुत्र नहीं उत्पन्न करना चाहिए।

२. वेत्सिएमनु (१।३२, ३३ एवं ५३) जहाँ क्षेत्र, क्षेत्रिक, बीजो आदि का अर्थ दिया हुआ है। गौतम (१८।११)
एवं मापस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१२।६) ने 'क्षेत्र' का प्रयोग पत्नी के लिए किया है। गौतम (४।३) में 'बीजो' का
आया है। मनु (१।६०-६१) ने ध्यत किया है कि कुछ लोगों के मत से नियोग द्वारा केवल एक और कुछ लोगों के
मत से दो पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं।

३. प्रजापत्य मूहर्त को ही ब्राह्ममूहर्त कहा जाता है, अर्थात् रात्रि का अन्तिम प्रहर (सूर्योदय के पूर्व एवं षष्ठी
का ३/४ भाग, अर्थात् सूर्योदय के ४५ मिनट पूर्व)। वेत्सिए वसिष्ठ (१२।४७) एवं मनु (४।१२)।

चाहिए और न दुर्भवाहार करना चाहिए। धन-सम्पत्ति (रिक्च) की प्राप्ति की अमिलाया से नियोग नहीं करना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१७) के अनसार क्षेत्रज्ञ पुत्र वही है, जो निश्चित आत्मा के साथ विधवा से या नपुंसक या क्षय पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय। मनु (९।५९-६१) का कथन है कि पुत्रहीन विधवा अपने देवर या पति के सपिण्ड से पुत्र उत्पन्न कर सकती है। नियुक्त पुरुष को अंग्रेजों ने ही विधवा के पास जाना चाहिए, उसके शरीर पर धृत का लेप होना चाहिए और उसे एक ही (दो नहीं) पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों ने मत से दो पुत्र उत्पन्न करने चाहिए। यही बात बौधायनधर्मसूत्र (२।२।६८-७०), याज्ञवल्क्य (१।६८-६९) एवं नारद (स्त्रीपुत्र, ८०-८३) में भी पायी जाती है। कौटिल्य (१।१७) ने लिखा है कि बूढ़े एवं न अच्छे किये जाने वाले रोग से पीड़ित राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी को नियुक्त कर किसी मातृबन्धु या अपने ही समान गुण वाले सामन्त द्वारा पुत्र उत्पन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने पुन कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण बिना सन्निकट उत्तराधिकारी के मर जाय, तो किसी सगोत्र या मातृबन्धु को नियोजित कर क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, वह पुत्र रिक्च प्राप्त करेगा (कौटिल्य ३।६)।

नियोग के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक थी—(१) जीवित या मृत पति पुत्रहीन होना चाहिए, (२) कुल के गृहजनों द्वारा ही निर्णीत पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना चाहिए, (३) नियोजित पुरुष को पति का भाई (देवर), सपिण्ड या पति का सगोत्र (धौतम् के अनुसार सप्रवर या अपनी जाति का) होना चाहिए, (४) नियोजित पुरुष एवं नियोजित विधवा में कामुकता का पूर्ण अभाव एवं कर्तव्य-ज्ञान का मार रहना चाहिए, (५) नियोजित (नियुक्त) पुरुष के शरीर पर धृत या तेल का लेप लगा रहना चाहिए, उसे न तो धोना चाहिए, न चुम्बन करना चाहिए और न स्त्री के साथ किसी प्रकार की रतिक्रीडा में संयुक्त होना चाहिए, (६) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र उत्पन्न होने तक (अन्य मतों से दो पुत्र उत्पन्न होने तक) रहता है; (७) नियुक्त विधवा को अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए, उसे बूढ़ी या बन्ध्या (बाँझ), अतीतप्रजनन-शक्ति, बीमार, इच्छाहीन या गर्भवती नहीं होना चाहिए, एवं (८) एक पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त दोनों को एक-दूसरे से अर्थात् नियुक्त पुरुष को देवशूर-सा एवं नियुक्त विधवा या स्त्री को वधू-सा व्यवहार करना चाहिए (मनु ९।६२)। स्मृतियों में यह स्पष्ट आया है कि बिना गृहजनों द्वारा नियुक्ति के एक अन्य उत्पन्न दशाओं के न रहन (यथा, यदि पति को पुत्र हो) पर यदि देवर अपनी मानी से सम्मान करे तो वह ब्राह्मण का अपराधी (अग्राह्यागामी) कहा जायगा (देविए मनु ९।७८, ६३, १४३ १४४ एवं नारद-स्त्रीपुत्र, ८५-८६)। नरद के सम्मेलन से उत्पन्न पुत्र जरज (कुलदोषप्र) कहा जायगा तथा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होगा (नारद-स्त्रीपुत्र, ८४-८५) और वह उत्पन्न करनेवाले (जनक) का पुत्र कहा जायगा (वर्तमानधर्मसूत्र १।७।६३)। नारद के मत से यदि कोई विधवा या पुरुष नियोग के नियमों के प्रतिशूल जात्रा नो ग्राह्य द्वारा उन पति को दण्ड मिलना चाहिए, नहीं तो गदगदी उत्पन्न हो जायगी। इन सब निन्दनियों से स्पष्ट है कि धर्मसूत्रकारों में भी नियोग उनका सरल नहीं था और यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी।

जहाँ गौतम ऐसे धर्मसूत्रकारों के नियोग को बंध ठहराया है, वहीं कतिपय अन्य धर्मसूत्रकारों ने, जो काल में गौतम के अनुरोध की ओर से धृष्टकर्म मानकर वर्जित कर दिया था। आपगतम्बधर्मसूत्र (२।१।०२।७।५-७), बौधायनधर्मसूत्र (१।२।३८) आदि में नियोग की मर्त्सना की है। मनु (९।६४-६८) ने नियोग का वर्णन करने के उपरान्त इसकी दुर्गि तरह से मर्त्सना की है। मनु ने इसे नियमबिरोध एवं अनैतिक ठहराया है। उन्होंने राजा केन को इसका प्रथम प्रचालक माना है और उसे वर्ण-संकरता का जनक मानकर निन्दा की है। उन्होंने लिखा है कि यद्यपि एक विश्व लोग नियोग की निन्दा करते हैं किन्तु कुछ लोग अज्ञानवश इसे अपनाते हैं। मनु (९।६९-७०) ने नियोग का अर्थ यह कहकर समझाया है कि नियोग के विषय में नियम केवल उसी कन्या के लिए है, जो वधुरूप में प्रतिधृत हो

पुकी भी किन्तु माथी पति मर गया, ऐसी स्थिति में मृत पति के माई को उस कन्या से विवाह करके केवल श्रुतकाल में एक बार सम्भोग तब तक करना पड़ता था जब तक कि एक पुत्र उत्पन्न न हो जाय; और वह पुत्र मृत व्यक्ति का पुत्र माना जाता था। यद्यपि मनु ने नियोग की प्राचीन प्रथा की निन्दा की है, किन्तु उत्तराधिकार एवं रिषय के विभाजन में क्षेत्रज पुत्र के लिए व्यवस्था रखी है (१।१२०-१२१, १४५)। नृहस्पति ने लिखा है—“मनु ने प्रथम नियोग का वर्णन करके इसे निषिद्ध किया है, इसके स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में लोगों में तपोबल एवं ज्ञान था, अतः वे नियमों का पालन तय्य कर सकते थे, किन्तु द्वापर एवं कलियुगों में लोगों में शक्ति एवं बल का हास हो गया है, अतः वे नियोग के नियमों के पालन में असमर्थ हैं।” पुत्रों के अनेक प्रकारों के विषय में हम ‘व्यवहार’ नामक अध्याय में पढ़ेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (१।५।३) की एक बात गौतम एवं वसिष्ठ में नहीं पायी जाती; “क्षेत्रज वह पुत्र है जो नियुक्त पत्नी या विधवा तथा पति के सपिण्ड या ब्राह्मण से उत्पन्न होता है।” महाभारत में नियोग के कतिपय उदाहरण प्राप्त होते हैं। आदिपर्व (१५ एवं १०३) में आया है कि सत्यवती ने भीष्म को उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य (जो मृत हो चुका था) के लिए उसकी रानियों से पुत्र उत्पन्न करने को उद्येक्षित किया, किन्तु भीष्म ने अगीकार नहीं किया। अन्त-तोगत्वा सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को नियुक्त किया और इसके फलस्वरूप वृतराष्ट्र एवं पाण्डु उत्पन्न हुए। स्वयं पाण्डु ने अपनी रानी कुन्ती को विरही तपोमुक्त ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न कराने को कहा। पाण्डु ने कुन्ती से नियोग की कई एक मायाएँ ब्रवी है (आदिपर्व १२०-१२३) और निष्कर्ष निकाला है कि अधिक-से-अधिक तीन पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं, किन्तु यदि चौथे या पाँचवें पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो स्त्री स्वैरिणी (विलासी) या बन्धकी (बेध्या) कही जायगी। आदिपर्व (१४ एवं १०४) में आया है कि परशुराम ने जब क्षत्रियों का नाश आरम्भ किया तो सहस्रो क्षत्रिण्यो ब्राह्मणों के पास पुत्रोत्पत्ति के लिए पहुँचने लगी। अन्य उदाहरणों एवं नियोग-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए आदिपर्व (१०४ एवं १७७), अनुशासनपर्व (४।५।२-५३) एवं शान्तिपर्व (७२।१२)।

स्मृतियों में नियोग सम्बन्धी नियमों के विषय में बहुत-से मत-मतान्तर हैं, अतः विवरण, मेधातिथि जैसे टीकाकारों ने अपने मत-प्रकाशन में यथार्थ सूट रखी है। विवरण में याज्ञवल्क्य (१।६९) की ध्याख्या करते हुए इस विषय में कई मत प्रकाशित किये हैं—(१) आज के युग में नियोग निरूढ है और स्मृति-विरुद्ध (मनु १।६४ एवं ६८), (२) यह उपर्युक्त वर्णित मनु का ही मत है, (३) यह विकल्प से किया जाता है (नियोग बजित एवं आत्रापित दोनों हैं); (४) नियोग के विषय में स्मृतियों की उक्तिमां शूद्रों के लिए (मनु ने १।६४ में ‘द्विजाति’ शब्द प्रयुक्त किया है) है (यह उक्ति सम्भवतः स्वयं विवरण की है); यह राजाओं के लिए आत्रापित था जब कि उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र नहीं होता था। विवरण ने अपनी उक्तियाँ सूट मनु एवं धामु की भाषा पर आधारित की हैं। विवरण ने यह भी कहा है कि विचित्रवीर्य की रानियों से व्यास द्वारा उत्पन्न पुत्रों की बात शीघरी के पाँच पतियों के विवाह की मति निरापार है।

नियोग से उत्पन्न पुत्र किसका है? इस विषय में भी मतभेद नहीं है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।६) ने स्पष्टतः इस प्रकार के विभाग मतों की ओर संकेत किया है; (१) प्रथम मत के अनुसार पुत्र जनक का होता था, किन्तु इस

४. उक्तो नियोगो मनुना निषिद्धः स्वयमेव तु। युष्कमावशास्त्रयोर्धर्मस्येवैविविधानतः ॥ तपोज्ञानसमायुक्ताः
 कृतप्रेतायुषो वराः। द्वापरे च कालो तृणं शक्तिर्हामिबिनिमित्तः ॥ अनेकधा कृताः पुत्राः शक्तिभिश्च पुरातनैः। न
 शक्यन्तेऽपुना कर्तुं शक्तिर्हामिरेवतनैः ॥ नृहस्पति (याज्ञवल्क्य १।६८-६९ की टीका में अपराधों द्वारा तथा मनु १।६८ की टीका में कुल्लूक द्वारा उद्धृत)।

मत से नियोग की उपयोगिता ही निरर्थक सिद्ध हो जाती है। निरुक्त (३।१-३) ने इस मत का समर्थन किया है और ऋग्वेद (७।४।७-८) को उदाहरण माना है। गौतम (१।८।९) एव मनु (९।१।८१) ने भी यही बात मानी है। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१३।५) का कहना है कि एक ब्राह्मण-ग्रन्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है। (२) द्वितीय मत यह था कि यदि विधवा के गुरुजनों एव नियुक्त पुरुष में यह तप पाया हो कि पुत्र पति का होगा तो पुत्र पति का ही माना जायगा (देखिए गौतम १।८।१०-११, बसिष्ठ १।७-८ एवं आदिपर्व १०।४।९)। (३) तृतीय मत यह था कि पुत्र दोनों का अर्थात् जनक एव विधवा के स्वामी का होता है। यह मत नारद (स्त्रीपुत्र, ५८), माण्डवल्क्य (२।१।२७), मनु (९।५३) एव गौतम (१।८।१३) का है।

नियोग की प्रथा कलियुग में वर्जित मानी गयी है (बृहस्पति)। बहुत-से ग्रन्थकारों ने इसे कलियुग में निषिद्ध कर्मों में गिना है (देखिए शाश्वल्क्य २।१।१७ की व्याख्या में मिताक्षरा एव ब्रह्मपुराण, अपराकं द्वारा उद्धृत, पृ० ९७)।

पति के भाई से विधवा का विवाह तथा उससे पुत्रोत्पत्ति एक अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमार्क की पुस्तक 'हिस्ट्री आव ह्यूमन मैरेज, १९२१, जिल्ड ३, पृ० २०६-२२०)। ऋग्वेद (१०।४०।२) में हम पढ़ते हैं— "तुम्हें, हे आश्विनी, यज्ञ करनेवाला अपने घर में बैसे ही पुकार रहा है, जिस प्रकार विधवा अपने देवर को पुकारती है या युवती अपने प्रेमी का आह्वान करती है।" किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह उक्ति विधवा तथा उसके देवर के विवाह की ओर या नियोग की ओर संकेत करती है। निरुक्त (३।१।५) की कुछ प्रतियों में ऋग्वेद की इस ऋचा में 'देवर' का अर्थ "द्वितीय वर" लगाया गया है। मेधातिथि (मनु ९।६६) ने इसकी व्याख्या नियोग के अर्थ में की है। सूत्रों एव स्मृतियों के अनुसार नियोग एव विवाह में अन्तर है। बहुत से प्राचीन समाजों में स्त्रियों सम्पत्ति के समान वसीयत के रूप में प्राप्त होती थीं। प्राचीन काल में बड़े भाई की मृत्यु पर छोटा भाई उसकी सम्पत्ति एव विधवा पर अधिकार कर लेता था। किन्तु ऋग्वेद का काल इस प्रथा के बहुत ऊपर उठ चुका था। मैक्लेनान के अनुसार नियोग की प्रथा के मूल में बहु-मत्तकता पायी जाती है। किन्तु वेस्टरमार्क ने इस मत का खण्डन किया है, जो ठीक ही है। जब सूत्रों में नियोग की प्रथा मान्य थी, तब बहु-मत्तकता या तो विस्मृत हो चुकी थी या वर्जित थी। जाँजी का यह कथन कि गौण पुत्रों के मूल में आर्थिक कारण थे, निराधार है। नियोग की प्रथा प्राचीन थी और उसके कई कारण थे, किन्तु वे सभी अज्ञात एव रहस्यात्मक हैं, केवल एक ही सत्यता स्पष्ट है—वैदिक काल से ही पुत्रोत्पत्ति पर बहुत ध्यान दिया गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।१-६) ने यह मत माना है और वैदिक उक्तियों के आधार पर पितृभ्रम से मुक्त होने के लिए पुत्रोत्पत्ति की एव स्वर्गिक लोकों की प्राप्ति की महत्ता प्रकट की है। किसी भी ऋषि ने इसके पीछे आर्थिक कारण नहीं रखा है। यदि आर्थिक कारणों से गौण पुत्र प्राप्त किमै जायें तो एक व्यक्ति बहुत-से पुत्र प्राप्त कर लेगा। किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। जिसे औरस पुत्र होता था वह क्षेत्रज्ञ अथवा दत्तक पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता था। अतः स्पष्ट है कि नियोग के पीछे आर्थिक कारण नहीं थे। विन्तरनित्या (जे० आर० ए० एम्०, १८९७, पृ० ७५८) ने नियोग के कारणों में दरिद्रता, विधवा या अमाव एव समुक्त परिवार माना है। किन्तु इसके विषय में कि ऐतिहासिक काल में भारत में विधवा का अभाव था, कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। हाँ, युद्धों के कारण पुरुषों का अभाव अवश्य रहा होगा। और न अन्य कारण, यथा दास्यतया तथा समुक्त परिवार, ही विरलेपण से उद्धार पाते हैं। यही कहना उत्तम जँवता है कि नियोग अति अतीत प्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र था जो क्रमशः विलीन होता हुआ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भारत में सदा के लिए वर्जित हो गया।

विधवा-विवाह, विवाहविच्छेद (तलाक)

विधवा का पुनर्विवाह

'पुनर्भू' शब्द उस विधवा के लिए प्रयुक्त होता है, जिसने पुनर्विवाह किया हो। नारद (स्त्रीपुत्र, ४५) के अनुसार सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्वा) हो चुकी रहती हैं, उनमें पुनर्भू के तीन प्रकार होते हैं और स्वैरिणी के चार प्रकार होते हैं। तीन पुनर्भू हैं—(१) वह, जिसका विवाह में पाणि-ग्रहण हो चुका हो किन्तु समागम न हुआ हो, इसके विषय में विवाह एव चार पुनर्भू होता है, (२) वह स्त्री, जो पहले अपने पति के साथ रहकर उसे छोड़ दे और अन्य भर्ता कर ले किन्तु पुनर्भू अपने मौलिक पति के यहाँ चली आये, (३) वह स्त्री, जो अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धिया द्वारा, देवर के घर रहने पर, किसी सपिण्ड को या उसी जाति वाले किसी को दे दी जाय (यह नियम है, जिसमें कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया जाता है)। चार स्वैरिणी ये हैं—(१) वह स्त्री, जो पुनर्भू या पुनर्भूत होने पर अपने पति की जीवित्तावस्था में प्रेमवशा किसी अन्य पुरुष के यहाँ चली आये, (२) वह स्त्री, जो अपने मृत पति के भाद्रयो तथा अन्य लोगों को न चाहकर किसी अन्य के प्रेम में फँस जाय; (३) वह स्त्री, जो विदेश से आकर या क्रीत होकर मूल-प्यास से व्याकुल होकर किसी व्यक्ति की शरण में आकर कह दे 'मैं पुनर्भू हूँ', (४) वह स्त्री, जो किसी अजनबी को देसाचार के कारण अपने गुरुजनों द्वारा मुपुर्दे कर दी जाय, किन्तु स्वैरिणी हो जाने का अपराध करे (जब कि उनसे द्वारा या उस (स्त्री) के द्वारा नियोग के विषय में स्मृतियों के नियम न पालित हो)। नारद के अनुसार उपर्युक्त दोनों प्रकारों में सभी क्रमानुसार निरूप्य कहे जाते हैं। याज्ञवल्क्य (१।६७) इतने बड़े विस्तार में नहीं पड़ते, वे पुनर्भू को दो भागों में बाँटते हैं, (१) वह, जिसका पति से अभी समागम न आ हो, तथा (२) वह, जो समागम कर चुकी हो, इन दोनों का विवाह पुनर्भू होता है (पुनर्भू वह है, जो पुनर्भूत हो)। याज्ञवल्क्य ने स्वैरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के प्रेम में फँसकर उसी के साथ रहती है। द्वितीय पति या द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुत्र को "पौनर्भव" (जन्म से पति या पुत्र, यथा पौनर्भव-भति या पौनर्भव-पुत्र) की रक्षा दी जाती है (देखिए सस्वारप्रवारा, पृ० ७४०-७४१)। कश्यप के अनुसार पुनर्भू के सात प्रकार हैं—(१) वह स्त्री, जो विवाह के लिए प्रतिभूत हो चुकी हो, (२) वह, जो मन से दी जा चुकी हो, (३) वह, जिसकी कलाई में वर द्वारा कनक बाँध दिया गया हो, (४) वह, जिसका जल के साथ (पिता द्वारा) दान हो चुका हो, (५) वह, जिसका वर द्वारा पाणिग्रहण हो चुका हो, (६) वह, जिसने अग्नि-प्रदक्षिणा कर ली हो तथा (७) जिसे विवाहोपरान्त बध्ना हो चुका हो। इनमें प्रथम पाँच प्रकारों से हमें यह समझना चाहिए कि वर या तो मर गया या उसने आगे की वैवाहिक क्रिया नहीं की और लौट गया। इन सबक्यों को भी, इनका

१. वाचा वसा मनोवसा कृतकौमुदमंगला। उरधस्पर्शिता या च या च पाणिगृहीतिका। अग्नि परिष्कता या च पुनर्भूः प्रसवा च या। शर्येताः कश्यपेनोक्ता बह्वन्ति कुसमन्वित् ॥ कश्यप (स्मृतिचन्द्रिका, १, ७५ में उद्धृत)।

पुनर्विवाह हो जाने पर, पुनर्भू कहा जाता है, यद्यपि इनका प्रथम विवाह विवाह नहीं था, क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं सम्पादित हुई थी। छठे प्रकार में अग्नि-प्रदक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की गन्ध मिलती है। बौधायन द्वारा उपस्थापित प्रकारों में थोड़ी-सी विभिन्नता है। प्रथम दो कश्यप के प्रकार-जैसे हैं, अन्य प्रकार हैं—(३) वह, जो (४) वर के साथ अग्नि के चतुर्दिक् पूज गयी है, (५) वह, जिसने सप्तपदी समाप्त कर ली है, (६) वह, जिसने सम्भोग कर लिया हो (चाहे विवाहोपरान्त या बिना विवाह के ही), (६) वह, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह, जिसे बच्चा उत्पन्न हो गया हो। वेद में प्रयुक्त 'पुनर्भू' का अर्थ करते समय उपर्युक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। शत-पथब्राह्मण (५।१।५।९) में मुकुन्दा की कथा स्पष्ट है—वह केवल च्यवन ऋषि दे दी गयी थी, अभी उसका औपचारिक ढंग से विवाह नहीं हुआ था, किन्तु उसने अपने को च्यवन की पत्नी मान लिया था। मनु (१।६९-७०) ने नियोग के नियमों को केवल उस कन्या तक सीमित माना है जो केवल वाग्दत्ता मात्र थी, किन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र (२७।७२) ने वाग्दत्ता एवं उदकस्पर्शिता (जो मन से जल-स्पर्श करके दी जा चुकी हो) को वेदमन्त्रोच्चारण के पूर्व अभी कुमारी ही माना है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२७।७४) ने बौधायन के चौथे प्रकार की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (१।६७) जब असता के बारे में लिखते हैं तो कश्यप के सभी छ प्रकारों की ओर संकेत करते हैं या बौधायन के प्रथम चार प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं, किन्तु जब वे क्षता की बात करते हैं तो कश्यप के सातवें एवं बौधायन के अन्तिम तीन प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१९-२०) ने पौनर्मव को उस स्त्री का पुत्र कहा है, जो अपनी पुत्रावस्था के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है और पुनः पति के घर आकर रहने लगती है, या जो अपने नपुंसक, जातिच्युत या पागल पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है। बौधायनधर्मसूत्र (२।२।३१) ने पौनर्मव पुत्र को उस स्त्री का पुत्र माना है, जो अपने नपुंसक या जातिच्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती है। नारद (स्त्रीपुस, ९७), पराशर (५।३०) एवं अग्निपुराण (१५।५।५-६) में एक ही श्लोक आया है, यथा "नष्टे ऋते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पती। पञ्चस्वापत्सु नारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥" नारद (स्त्रीपुस प्रकरण ९७)। इसका अर्थ है—“पति विपत्तिमो न स्त्रियो के लिए द्वितीय पति आज्ञापित है, जब पति नष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ सुनाई न पड़े), मर जाय, सन्यासी हो जाय, नपुंसक हो या पतित हो।” इस श्लोक को लेकर बहुत बाद विवाद चलता रहा है। पराशरमाधवीय (२, भाग १, पृ० ५३) ने सबसे सरल मत यह दिया है कि यह बात या स्थिति किसी अन्य युग के समाज की है, इसका कालियुग में कोई उपयोग नहीं है। अन्य लोगों ने, यथा मेघातिथि (मनु ५।१५७) ने लिखा है कि 'पति' शब्द का अर्थ केवल 'पालक' है। मेघातिथि (मनु ३।१० एवं ५।१६३) नियोग के विरोधी नहीं हैं, किन्तु वे विधवा के पुनर्विवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसार (लगभग ११५० ई० से १२०० ई० तक) ने कई मत प्रकाशित किये हैं, यथा—(१) कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्व ही मर मर जाय तो कन्या का विवाह पुनः हो जाना चाहिए, (२) अन्यो का कहना है कि समागम (सम्भोग हो जाने के) के पूर्व यदि पति मर जाय तो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, (३) कुछ लोगों के मत से यदि विवाहोपरान्त कन्या के रजस्वला होने के पूर्व पति मर जाय तो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनुसार गर्भ छहटने के पूर्व पुनर्विवाह आज्ञापित है।

२ वाग्दत्ता मनोवत्ता आग्नि परिगता सप्तम पत्र गीता भुक्ता गृहीतगर्भा प्रवृत्ता चेति सप्तविधा पुनर्भूवन्ति। अतस्तां गृहीत्वा न प्रजा धर्मं च विवेत् ॥ बौधायन (स्मृतिषास्त्रिका १, पृ० ७५ तथा संस्कारप्रकाश, पृ० ७३५ में उद्धृत)।

भाष्यस्तम्भधर्मसूत्र (२।६।१३।३-४) ने पुनर्विवाह की मर्स्या की है—“यदि कोई पुरुष उस स्त्री से, जिसका कोई पति रह चुका हो, या जिसका विवाह-संस्कार न हुआ हो, या जो दूसरे वर्ण की हो, सम्मोग करता है तो पाप का भागी होता है, और उसका पुत्र भी पाप का भागी कहा जायगा।” ह्यदत्त ने मनु (३।१७४) की व्याख्या में लिखा है कि दूसरे की पत्नी से, जिसका पति जीवित हो, उत्पन्न किया हुआ पुत्र ‘कुम्भ’ तथा उससे, जिसका पति मर गया हो, उत्पन्न किया हुआ पुत्र ‘गोलक’ कहा जाता है। मनु (४।१६२) ने विधवा के पुनर्विवाह का विरोध किया है—“सवाधारी नारियो के लिए दूसरे पति की धोषणा कही नहीं हुई है”, यही बात विभिन्न ढंगों से उन्होंने कई बार कही है।^१ ब्रह्मपुराण ने कस्मिन्मृग में विधवा-विवाह निषिद्ध माना है। संस्कारप्रकाश ने ब्राह्मण्यन का मत प्रकाशित किया है कि उन्होंने सगोत्र में विवाहित विधवा के पुनर्विवाह की बात चलायी है, किन्तु अब यह मत कस्मिन्मृग में अमान्य है। यही बात सभी निबन्धों में पायी जाती है। मनु (९।१७६) ने उस कन्या के पुनर्विवाह के संस्कार की बात उठायी है, जिसका अभी समागम न हुआ हो, या जो अपनी युवावस्था का पति छोड़कर अन्य के साथ रहकर पुनः धन्ये वास्तविक पति के यहाँ आ गयी हो। यहाँ मनु ने अपने समय की रुचिगत परम्परा की ओर संकेत मान किया है, वास्तव में जैसा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, वे विधवा के पुनर्विवाह के घोर विरोधी थे। स्पष्ट है, मनु ने पुनर्विवाह में मन्त्रों के प्रयोग का विरोध नहीं किया है, प्रत्युत मन्त्रों से अनिधिकृत पुनर्विवाह की अपमं ही मन्त्रा है। महाभारत में आया है कि दीर्घतना ने पुनर्विवाह एव नियोग बर्जित कर दिया है (आदिपर्व १०।४।३४-३७)। मनु (९।१७२-१७३) ने स्वयं शर्मवती कन्या के संस्कार की बात चलायी है। बौधायनधर्मसूत्र (४।१।१८), यस्मिन्मृगधर्मसूत्र (१।७।७४), याज्ञवल्क्य (१।१६७) ने पुनर्विवाह के संस्कार (पौनर्भव संस्कार) की बात कही है। मनु (३।१५५) एव याज्ञवल्क्य (१।२२२) ने आद्य में न बुलाये जाने वाले ब्राह्मणों में पानर्भव (पुनर्भू के पुत्र) को भी किया है। अपराकं (५० ९७) द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में यह आया है कि बालविधवा, या जो बलवत्तया दी गयी हो, या किसी के द्वारा अपहृत हो चुकी हो, उसके विवाह का नया संस्कार हा सकता है।^२

बहुत-सी स्मृतियों ने उस पत्नी के लिए, जिसका पति बहुत वर्षों के लिए बाहर गया हुआ हो, कुछ नियम बनाये हैं। नारद (स्त्रीपुत्र, ९८-१०१) ने ये आदेश दिये हैं—“यदि पति विदेश गया हो तो ब्राह्मण पत्नी को आठ वर्षों तक ओहना चाहिए, किन्तु केवल पार ही वर्षों तक ओहना चाहिए जब कि उसे बच्चा न उत्पन्न हुआ हो, उसके उपरान्त (८ या ४ वर्षों के उपरान्त) वह दूसरा विवाह कर सकती है (नारद ने दानिय और वैश्य पत्नियों के लिए कम वर्ष निर्धारित किये हैं); यदि पति जीवित है तो दूने वर्षों तक ओहना चाहिए; प्रजापति का मत यह है कि यदि पति का कोई पता न हो तो दूसरा पति करने में कोई पाप नहीं है।” मनु (९।७६) का कहना है—“यदि पुरुष धार्मिक कर्तव्य को लेकर विदेश गया हो तो पत्नी को आठ वर्षों तक, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के लिए गया हो तो छ-वर्षों तक, यदि प्रेम के बंध होकर (दूसरी स्त्री के पंर में) गया हो तो तीन वर्षों तक ओहना चाहिए।” मनु ने यह नहीं बताया कि उपर्युक्त

३. न द्वितीयश्च साध्वीनां वचिद् भर्तृपतिव्यते। मनु ५।१६२; न विवाहविधायुक्त विधवावेधन पुनः। मनु ९।६५; लक्ष्मण्य प्रदीपिते। मनु ९।४७; पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। मनु ८।२२६। बेसिए आश्वलायनसूत्रसूत्र १।७।१३; आप्तमन्त्रपाठ १।५।७—‘अप्यमण मु देव कन्या अग्निमयसत’ आदि, जहाँ वेदात् ‘कन्या’, ‘मन्त्र’ आदि आदि है।

४. यदि नः ॥तविधवा मत्साध्यतापया वचिन्त् ॥ तदा भूमस्तु संस्कार्या गृहीता येन केनचित् ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं ५० ९७ में उद्धृत)।

अवधियों के उपरान्त पत्नी को क्या करना चाहिए। वसिष्ठ (१७।७५-७६) ने बताया है कि यदि पति बाहर चला गया हो तो पाँच वर्षों तक ऋट देखकर उसे पति के पास चला जाना चाहिए। यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोई पता-ठिकाना न मात हो तब उस बेचारी पत्नी को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में वसिष्ठ मौन हैं। विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।६९) ने लिखा है कि विदेश गये हुए पति को नियमानुसार नियत ममय तक जोहकर नियोग को नहीं अपनाते हुए उसे पति के पास चला जाना चाहिए। कौटिल्य (३।४) ने मनोहर नियम दिये हैं—“विदेश गये हुए, या सन्मासी, या मरे हुए पति को पत्नी को सात ऋतुमास तक जोहकर, तथा यदि उसे एक बच्चा हो, तो साल भर तक जोहकर अपने पति के सगे भाई से विवाह कर लेना चाहिए। यदि वई भाई हो तो उसे अपने पति की सन्निकट अवस्था वाले भाई से, जो सदाचारी हो, उसका भरण-पोषण कर सके या वह जो मरने छोटा हो या अविवाहित हो, उससे विवाह करना चाहिए। यदि कोई भाई न हो तो वह अपने पति के मण्डिष्ठ के षे झठी जति के किसी से भी विवाह कर सकती है।” दमयन्ती की गाथा यह स्पष्ट करती है कि जब पति का वर्षों पता न चले तो पत्नी पुनर्विवाह सम्पादित कर सकती है (वनपर्व ७०।२४)।

एक प्रश्न उठता है—जब विधवा पुनर्विवाह करे तो उसका गोत्र क्या होगा? (उसके पिता का अथवा प्रथम पति का?) इस विषय में प्राचीन स्मृतियों एवं टीकाओं में कोई सन्त नही मिलता। विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।६३) ‘कन्याप्रद’ की व्याख्या में लिखते हैं कि कुछ लोगों के मत से पिता वन्या वा, यदि वह अथतयोनि ने हो तब भी, दान करता है। इससे स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनर्विवाह में पिता का गोत्र ही देखा जाता है। यही मत विद्यासागर का, जिसका डा० बनर्जी ने अनुसरण किया है, भी है।

विधवा के पुनर्विवाह के विषय में अथर्ववेद की कुछ उक्तियाँ भी विचाराणीय हैं। अथर्ववेद (५।१७।८-९) में आया है—“यदि कोई स्त्री पहले दस अब्राह्मण पति कर, किन्तु जन्त में यदि वह ब्राह्मण से विवाह करे तो वह उसका वास्तविक पति है। केवल ब्राह्मण ही (वास्तविक) पति है, न कि क्षत्रिय या वैश्य, यह बात मूर्ख पच मानवों (पच वर्गों या पच प्रकार के मनुष्य गणों में) में घोषित करता चलता है।” इसका तात्पर्य यह है कि यदि स्त्री को प्रथम क्षत्रिय या वैश्य पति हो, तो यदि वह उसकी मृत्यु के उपरान्त किसी ब्राह्मण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति वहाँ जायगा। अथर्ववेद (९।५।२७-२८) में पुन आया है—“यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के उपरान्त दूसरे से विवाहित होती है, यदि वे (दोनों) एक बकरी और मात की पाँच धारियाँ देते हैं तो वे दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे। दूसरा पति अपनी पुनर्विवाहित पत्नी के माव बरी लोक प्राप्त करता है, यदि वह पाँच मात की धारियाँ वे साथ एक बकरी देता है, तथा दक्षिणा ज्योति (शुलु वा दीपप्रकाश) प्रदान करता है।” यहाँ पर भी पुनर्मुं शब्द प्रयुक्त हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मनोदत्ता कन्या के ही पुनर्विवाह की चर्चा हो। चाहे जो हो, यह स्पष्ट लक्षित होता है कि इस प्रकार का विवाह तब तक अच्छा नहीं मित्त जाता था जब तक कि कन्या वा पाप या लोकापवाद यज्ञ

५. डा० बनर्जी, ‘मैरेज एण्ड स्त्रीयन’ (५वाँ संस्करण, पृ० ३०९)।

६. कन्याप्रद इति वचनादसताया एव नैधमिकं दानम्। पिता स्वकन्यामपि दद्यादिति केचित्। विदपहप (याज्ञवल्क्य १।६३)।

७. उत यत्पतयो दश स्त्रियाः पूर्वं अब्राह्मणाः। ब्रह्मा चेद्वस्तमपह्रीतस एव पतिरेकया ॥ ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः। तत्पूर्वः प्रब्रुवन्ति पञ्चबन्धो मानवेभ्यः ॥ अथर्ववेद ५।१७।८-९। ‘उत’ शब्द का अर्थ निरुक्त ने ‘अपि’ लगाया है, विशेषतः अब यह पाठ या श्लोक के आरम्भ में आता है।

से दूर न कर दिया जाय। अन्य उक्तियों की पर्चा आगे होगी। इतना स्पष्ट है कि अर्थावेद के मत में विधवा का पुनर्विवाह निषिद्ध एव वजित नहीं माना जाता था। संतरीय संहिता (३।२।४।४) में 'द्विपिष्य' (विधवापुत्र) शब्द आया है। गृह्यसूत्र विधवा-पुनर्विवाह के विषय में मौन है। लगता है, तब तक वह विवाह वजित सा हो चुका था, केवल यत्र-तत्र ऐसी धटनाएँ पट जाया करती थीं। ब्राह्मणों एव उनके समान अन्य जातियों में सम्मान के विचार से विधवा-विवाह शाताब्दियों से वजित रहा है। प्राचीनतम ऐतिहासिक उदाहरणों में रामगुप्त की रानी ध्रुवदेवी का (पति की मृत्यु के उपरान्त) अपने देवर चन्द्रगुप्त से विवाह अति प्रसिद्ध रहा है। सूत्रों एव अन्य नीची जातियों में विधवा-पुनर्विवाह सदा से परम्परागत एव नियमानुमोदित रहा है, यद्यपि उनमें भी कुमारी कन्या के विवाह से यह विवाह अपेक्षा-कृत अनुत्तम माना जाता रहा है। कुछ जातियों के ऐसे विवाह पचायत से सय होते हैं।

ऋग्वेद एव अथर्ववेद की कुछ उक्तियों से कई विवाद पड़े हो गये हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नियोग, विधवा-पुनर्विवाह या विधवा-अग्निप्रवेश में किस की ओर उनका सकते है। ऋग्वेद की अन्वयेष्टि त्रिया-साम्यन्धी ये दो उक्तियाँ हैं (ऋग्वेद १०।१८।७-८) — 'ये स्त्रियाँ, जो विधवा नहीं है, जिनके अच्छे पति हैं, अजन के रूप में प्रयुक्त भूत के साथ बँठ जायें, वे पत्नियाँ, जो अभुविहीन हैं, रोगविहीन हैं, अच्छे परिधान धारण किये हुए हैं, यहाँ सम्मुख (सबसे पहले) बँठ जायें। हे स्त्री, तुम जीवित लोच की ओर उठो, तुम इस मृत (पति) के पास लेट जाओ, आओ, तुम्हारा पत्नीत्व उस पति से जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ः और तुम्हें प्यार किया, सफल हो गया।" यह विचित्र वास्त है कि सायण ने उपर्युक्त उक्ति की अन्तिम ओषं (अर्पाली) में मृत पति के यादों द्वारा उसकी पत्नी को विवाह के लिए निगमन देना समसा है। किन्तु सायण का यह अर्थ लीचातानी मान है और इससे 'हस्तप्राप्त्य', 'पत्यु' एव 'बभूष' के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता।

विवाहविच्छेद (तलाक)

वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी उक्तियाँ हैं, जिन्हें हम विधवा-पुनर्विवाह के अर्थ में ले सकते हैं। 'पुनर्भू' शब्द से पर्याप्त प्रकाश मिलता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या तलाक के विषय में वहाँ कुछ भी प्राप्य नहीं है और परंपरागत लीन वैदिक साहित्य में भी हमें कुछ विशेष प्रकाश नहीं मिल पाता। धर्मशास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि होम एव सप्तापदी के उपरान्त विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता। मनु (९।१०१) ने लिखा है— "पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आगरण शकती जाय, यही पति एव पत्नी का परम धर्म है।" मनु ने एव स्थान (९।४६) पर अंतर कहा है— "न तो विनय से और न भाग जाने से पत्नी का पति से छुटकारा हो सकता है, हम समझते हैं यह नियम पुरातन काल में सृष्टिवर्ता ने बनाया है।" धर्मशास्त्रकारों का कथन है कि विवाह एक सत्कार है, पत्नीत्व की स्थिति का उद्भव उरी सत्कार से होता है, यदि पति या पत्नी पतित हो जाय, तो सत्कार की परिस्माप्ति नहीं हो जाती, यदि पत्नी ध्यमिपारणी हो जाय तो भी वह पत्नी है, और प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त उसे विवाह का सत्कार पुन नहीं करना पड़ता (विश्वरूप, याज्ञवल्क्य ३।२५३-२५४ पर)। हमने देख लिया है कि पुरुष एक पत्नी के रहते दूसरा या कई विवाह कर सकता है, और कुछ स्थितियों में अपनी स्त्री को छोड़ सकता है। किन्तु यह विवाह-विच्छेद या तलाक नहीं है, यहाँ अब भी विवाह का बन्धन अपने स्थान पर दृढ़ ही है। हमने यह देख लिया है कि नारद, पराशर एव अन्य धर्मशास्त्रकारों की अनुमति से एक स्त्री कुछ स्थितियों में, यथा पति के मृत हो जाने, गुम हो जाने आदि से, पुनर्विवाह कर सकती थी, किन्तु निबन्धों एव टीकाकारों ने इसे पूर्व युग की बात कहकर टाल दिया है। अतः विवाह-विच्छेद की बात धर्मशास्त्रों में एक हिन्दू समाज में लगभग दो सहस्र वर्षों से अनसूती-सी रही है, परंपरा के अनुसार यह बात नीची जातियों में प्रचलित रही है। यदि पति उसे उसकी भुटिया के कारण छोड़ दे तो भी पत्नी मरण-भोक्त्र की अधिवारी मानी जाती

रही है। अतः इस प्रकार का त्याग विवाह-विच्छेद का द्योतक नहीं रहा है। पश्चात्कालीन स्मृतियों एवं निबन्धों में नारद को छोड़कर कोई यह बात सोच ही नहीं सकता था कि पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। नारद ने अवश्य कहा है कि नपुंसक, सन्यासी एवं जातिच्युत पति को पत्नी छोड़ सकती है। याज्ञवल्क्य (१।७७) की टीका में मिताक्षरा का कहना है कि जब पति पतित (जातिच्युत) हो पत्नी उसके नियन्त्रण के बाहर रहती है, किन्तु उसे तब तक जोहते रहना चाहिए जब तक कि वह प्रायश्चित्त द्वारा पुनः पवित्र न हो जाय एवं जाति में न ले लिया जाय, और इसके उपरान्त वह पुनः उसके नियन्त्रण में चली जाती है। बड़े से बड़ा पाप प्रायश्चित्त से कट जाता है अतः पत्नी अपने पति को सदा बे लिए नहीं छोड़ सकती (मनु १०।८९, ९२, १०१, १०५-१९६)। केवल त्याग या वर्षों तक बाहर रहने या व्यभिचार से हिन्दू विवाह की इतिथी नहीं हो जाती।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३।३) में कुछ ऐसे मनोरंजक नियम हैं जो विवाह विच्छेद पर कुछ प्रकाश डालते हैं—
 “यदि पति नहीं चाहता तो पत्नी को छुटकारा नहीं मिल सकता, इसी प्रकार यदि पत्नी नहीं चाहती तो पति को छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता, किन्तु यदि दोनों में पारस्परिक विद्वेष है तो छुटकारा सम्भव है। यदि पति पत्नी से डरकर उससे पृथक् होना चाहता है तो उसे (पत्नी को) विवाह के समय जो कुछ प्राप्त हुआ था उसे दे देने से पति को छुटकारा मिल सकता है। यदि पत्नी पति से डरकर उससे पृथक् होना चाहती है तो पति पत्नी के विवाह के समय जो कुछ प्राप्त हुआ था, उसे नहीं लौटायेगा। अगीकृत रूप में (धर्म्य) विवाह का विच्छेद नहीं होता।” कौटिल्य (३।२) ने लिखा है कि विवाह के ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्य एवं दैव नामक चार प्रकार धर्म्य हैं, क्योंकि ये पिता के प्रमाण द्वारा स्वीकृत अथवा किये जाते हैं। अतः इन चार प्रकार के विवाहों का विच्छेद, कौटिल्य के मत से, सम्भव नहीं है। किन्तु यदि विवाह गान्धर्व, आसुर एवं राक्षस प्रकार के रहे हैं, तो विद्वेष उत्पन्न हो जाने पर एक-दूसरे की सम्मति से उनमें विच्छेद हो सकता है। किन्तु कौटिल्य के कथन से इतना स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्नी) विच्छेद नहीं चाहता तो दूसरे को छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता, किन्तु यदि शरीर पर किसी प्रकार का डर या खतरा उत्पन्न हो जाय तो अपवाद रूप से दोनों पक्षों का छुटकारा सम्भव है।

अध्याय १५

सती-प्रथा

आजकल भारत में सती होना अपराध है, किन्तु लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व (सन् १८२९ के पूर्व) इस देश में विधवाओं का सती हो जाना एक धर्म था। विधवाओं का सती, अर्थात् पति की चिता पर जलकर मरना ही मात्र केवल ब्राह्मण धर्म में ही नहीं पाया गया है, प्रत्युत यह प्रथा मानव-समाज की प्राचीनतम धार्मिक धारणाओं एवं अन्ध-विश्वासपूर्ण कृत्यों में समाविष्ट रही है। सती होने की प्रथा प्राचीन यूनानियों, जर्मनों, स्लावों एवं अन्य जातियों में भी पायी गयी है (देखिए डाई फ्री, पृ० ५६, ८२-८३ एवं दब्लर का ग्रन्थ 'प्रीहिस्टारिक एण्ठीक्वीरिज आव दि आर्यन् पीपुल', अपेजी अनुवाद, १८९०, पृ० ३९१ एवं वेस्टरमार्क की पुस्तक 'आरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट ऑफ मॉरल आइडियाज', १९०६, जिल्द १, पृ० ४७२-४७६)। किन्तु इसका प्रचलन बहुधा राजपरानों एवं मद्र लोगों में ही रहा है।

वैदिक साहित्य में सती होने के विषय में न तो कोई निर्देश मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। मूल-सूत्रों में भी इसके विषय में कोई विधि नहीं प्रस्तुत की है। लगता है कि ईसा की कुछ शताब्दियों पहले यह प्रथा ब्राह्मण-वादी भारत में प्रचलित हुई। यह प्रथा यही उत्पन्न हुई, या किसी अन्धभारतीय जाति से ली गयी, इस विषय में प्रमाण-युक्त उक्ति देना कठिन है। विष्णुधर्मसूत्र को छोड़कर किसी अन्य धर्मसूत्र में भी सती होने के विषय में कोई निर्देश नहीं किया है। मनुस्मृति इससे विषय में सर्वथा मौन है। स्ट्यूजे (१५।१।३० एवं ६२) ने आया है कि "अलेक्जेंडर ने साय यूनानियों ने पंजाब के बठानियों (बठो) में सती प्रथा देखी थी, उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि यह प्रथा इस डर से उभरी कि पत्नियाँ अपने पतियों को छाड़ देंगी या विध दे देंगी" (हेमिल्टन एवं फेल्टोनर का अनुवाद, जिल्द ३)। विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४) ने लिखा है—“अपने पति की मृत्यु पर विधवा ब्रह्मचर्य रखती थी या उसकी चिता पर बैठ जाती थी (अर्थात् जल जाती थी)।” महाभारत में, यद्यपि यह रस्तरजित युद्धों की गाथाओं में मरा पड़ा है, सती होने के बहुत कम उदाहरण दिये हैं, “पाण्डु की प्यारी रानी माद्री ने पति के शव के साथ अपने को जला दिया।”^१ विराटपर्व में कौचक के साथ जल जाने के लिए संरक्षी को आज्ञा दी गयी है (२३।८)। प्राचीन काल में मृत राजा के साथ दास या दासी को गाढ़ देने की प्रथा थी, भौसलपर्व (७।१८) में आया है कि वसुदेव की चार पत्नियाँ, देवकी, मद्रा, रोहिणी एवं मदिरा ने अपने को पति के साथ जला डाला, और (७।७३-७४) कृष्ण की रुक्मिणी, याग्यारी, रोष्या, हैमवती एवं जाम्बवती ने अपने को उनके (श्री कृष्ण के) नरीर के साथ जला दिया तथा सत्यमामा एवं अन्य स्त्रियों ने तप के लिए वन का मार्ग लिया। विष्णुपुराण (५।३८।२) ने लिखा है कि कृष्ण की मृत्यु पर उनकी आठ स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश कर

१. मूले भर्तृरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा। विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४); याज्ञवल्क्य के १।८६ की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत।

२. भाद्रपदं १५।६५—सत्रेण चिताग्निष्य माद्री समवाहरोहः। भाद्रपदं १२५-२९—राज्ञः शरीरेण सह समाधीव कलेवरम्; राघव्य सुमतिच्छत्रमेतदार्थं प्रियं कुरु॥

लिया। शान्तिपर्व (१४८) में आया है कि एक कपोती अपने पति (कपोत) की मृत्यु पर अग्नि में प्रवेश कर गयी। स्त्रीपर्व (२६) में मृत कौरवों की अन्त्येष्टि-क्रिया का वर्णन हुआ है, जिसमें कौरवों के रथों, परिधानों, आयुधों के जला देने की बात आयी है, किन्तु उनकी पत्नियों के सती होने की बात पर महाभारत मौन ही है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि सती-प्रथा विशेषतः राजपरानो एव बड़े-बड़े वीरों तक ही सीमित रही है, और वह भी बहुत कम। अपराकों ने पंडीतसि, अगिरा, व्याघ्रपाद आदि की उक्तियाँ उद्धृत करके बताया है कि इन धर्मशास्त्रकारों ने ब्राह्मण विधवाओं के लिए सती होना वजित माना है। निबन्धकारों ने इस निषेध को दूसरे ढंग से समझाया है—“ब्राह्मणों की पत्नियाँ अपने को केवल पतियों की चिता पर ही मरम कर सकती हैं, यदि पति कहीं दूर विदेश में मर गया हो और वही जला दिया गया हो, तो उसकी पत्नी मृत्यु के समाचार से अपने को जला नहीं सकती।” उसाना में आया है कि ब्राह्मण विधवा अपने को पति से अलग नहीं जला सकती। सम्भवतः इसी उक्ति को निबन्धकारों ने अपने मतों के प्रमाण में रखा है। व्यासस्मृति (२।५३) में आया है—“पति के शव का आलिंगन करके ब्राह्मणी को अग्नि-प्रवेश करना चाहिए, यदि वह पति के उपरान्त जीवित रहती है तो उसे अपना केश-शृङ्गार नहीं करना चाहिए और तप से शरीर को गला देना चाहिए।” रामायण (उत्तरकाण्ड १७।१५) में एक ब्राह्मणी के सती हो जाने की ओर संकेत है—ब्रह्मर्षि की पत्नी एव वेदवती की माता ने रावण द्वारा छेड़े जाने पर अपने को जला डाला। महाभारत (स्त्रीपर्व २३।३४) में द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी विकीर्णकेशी के रूप में रोती हुई युद्धभूमि में आती है किन्तु अपने को जला डालने की कोई चर्चा नहीं करती है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणियों का विधवा रूप में जल जाना क्षत्रिय विधवाओं के जल जाने की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्भ हुआ है।

पति की मृत्यु पर विधवा के जल जाने को सहमरण या सहगमन या अन्वारोहण (जब विधवा मृत पति की चिता पर चढ़कर शव के साथ जल जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुमरण तब होता है जब पति और कहीं मर जाता है तथा जला दिया जाता है, और उसकी मरम के साथ या पादुका के साथ या बिना किसी चिह्न के उसकी विधवा जलकर मर जाती है (देखिए अपराक, पृ० १११ तथा मदनपारिजात, पृ० १९८)। वालिदास के कुमारसम्भव (४।३४) में काम-देव के मरम हो जाने पर उसकी पत्नी अग्नि-प्रवेश करना चाहती है, किन्तु स्वर्गिक स्वर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। गाथाशप्तशती (७।३२) में अनुमरण करने वाली एक नारी का उल्लेख हुआ है। कामधूत (६।३।५३) ने भी अनुमरण की चर्चा की है। बराहमिहिर ने उन विधवाओं के साहस की प्रशंसा की है जो पति के मरने पर अग्नि-प्रवेश कर जाती हैं (बृहत्संहिता ७।५।१६)। बाण के हर्षचरित (उच्छ्वास ५) में हर्ष के पिता प्रमाकरवर्धन को मरता देखकर माता यशोमती के अग्नि प्रवेश का उल्लेख है किन्तु यह सती होने का उदाहरण नहीं कहा जायगा, क्योंकि यशोमती ने पति के मरण के पूर्व ही अपने को जला दिया। बाण ने हर्षचरित (५) में अनुमरण का भी आलंकारिक रूप से उल्लेख किया है। बाण की नादम्बरी ने अनुमरण की बड़े-बड़े शब्दों में निन्दा की है। मागवतपुराण (१।१३।५७) ने घृतराष्ट्र के शव के साथ गान्धारी के मरम होने की बात लिखी है। राजतरंगिणी में कई स्थानों (६।१०७, १९५, ७।१०३, ४७८) पर सती होने के उदाहरण मिलते हैं।

बहुत-से अमिलेखों में सती होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे प्राचीन गुप्त सवत् १९१ (५१० ई०) का है (गुप्त इक्ष्वाकुस, फ्लीट, पृ० ९१)। देखिए इरेन या एरण प्रस्तवः स्तम्भ-अमिलेख, जिसमें गोपराज की पत्नी या पति के साथ सती हो जाना उल्लेख है, इण्डियन एण्टीक्वैरी, जिरद ९, पृ० १६४ में नेपाल अमिलेख (७०५ ई०), जिसमें धर्मदेव की विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन-भार संभालने को कहती है और अपने को सती कर देना चाहती है, बेलतुह अमिलेख (९७९ सवत् सवत्), जिसमें देवन्व नामक शूद्र स्त्री अपने पति की मृत्यु पर माता-पिता के मना करने पर भी मरम हो जाती है और उसके माता-पिता उसकी स्मृति में स्तम्भ खड़ा करते हैं; एपिग्राफिया

इन्डिका, जिल्द १४, पृ० २६५, २६७, जहाँ पर सिन्धु महामण्डलेखर राचमल्ल ने अपने सरदार बैचिराज की दो विषयाओं के, जो कि सती हो गयीं, कहने पर शक सवत् ११०३ में एक मन्दिर बनवाया। इसी प्रकार कई एक अमि-केस प्राप्त होते हैं, जिन्हें स्थानामात्र के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। सन् १७७२ ई० में पेशवा माधवराव की पत्नी रमा बाई सती हो गयी थी। चिंतोड तथा अन्य स्थानों पर राजपुत्रियों, रानियों आदि द्वारा खेले गये जोहर की कहानियाँ अभी बहुत ताजी हैं। मुसलमानों के क्रूर हाथों में पड़ने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपूतों की रानियाँ, पुत्रियाँ तथा अन्य राजपूत कुमारियाँ अपने को अग्नि में शोक देती थीं।

पुरुष भी सहमरण या अनुमरण करते थे। देखिए इण्डियन एम्पिक्वेरी, जिल्द ३५ पृ० १२९, जहाँ इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण उद्धृत किये गये हैं। बहुत-से पुरुष अपनी स्वामि-भक्ति तथा अन्य कारणों से मरम हो जाया करते थे। इन सतियों एवं पुरुषों की स्मृति में प्रस्तर-स्तम्भ खड़े किये जाते थे, जिन्हें मास्तिस्कल (महासती के लिए प्रस्तर-स्तम्भ या यशस्तम्भ) या विरक्कल (बीर एवं मरत लोगों के लिए यशस्तम्भ) कहा जाता था। हर्षचरित में बाण ने लिखा है कि प्रमाकरवर्धन की मृत्यु पर कितने ही मित्रों, मत्रियों, दासों एवं स्नेहपात्रों ने अपने-बो मार डाला। राजतरंगिणी (७।४८१) में आया है कि अनल्ल की रानी जब सती हो गयी तो उसका घटाई डोनेवाला, कुछ अन्य पुरुष तथा तीन दासियाँ उसकी अनुगामी हो गयीं। एक उदाहरण माता का भी मिलता है जो अपने पुत्र के साथ सती हो गयी (राजतरंगिणी ७।१३८०)। प्रयाग जैसे स्थानों पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए आत्महत्या तक हो जाया करती थी।

ऐतिहासिक कालों में जो सती-प्रथा प्रचलित थी, उसके पीछे कोई पौरोहितिक या धार्मिक दबाव नहीं था, और न अनिच्छुक नारियाँ ऐसा करती थी। यह प्रथा कालान्तर में बढ़ती गयी, पर यह कहना कि पुरुषों ने इसके बड़ने में सहायता की, अनुचित है। एक रोचक मनोमात्र के कारण ही सती प्रथा का विकास हुआ। प्रथमतः यह राजकुलों एवं मद्र लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्राचीन काल में विजित राजाओं एवं शूरों की पत्नियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती थी। जीते हुए लोग विजित लोगों की पत्नियों से ही बदला चुकाते थे और उन्हें बन्दी बनाकर ले जाते थे और उनके साथ दासियों जैसा व्यवहार करते थे। मनु (७।१९६) ने सैनिकों को युद्ध में प्राप्त वस्तुओं के साथ स्त्रियों को भी पकड़ लेने की आज्ञा दी है। प्रमाकरवर्धन की स्त्री यशोमती अपने पुत्र हर्ष से धर्षण करती है कि विजित राजाओं की पत्नियाँ उसको दखा मला करती हैं (हर्षचरित ५)। स्त्रियों से यह प्रथा ब्राह्मणों में भी पहुँच गयी, यद्यपि जैसा कि हमने ऊपर देखा लिया है, स्मृतिकारों ने ब्राह्मणियों के लिए सती होना उचित नहीं माना है। एक बार जब यह प्रथा जड़ पकड़ गयी तो निरव्यक्तारों एवं टीकाकारों ने इसको बल दे दिया और सतियों के लिए मन्विष्य में मिलने वाले पुरस्कारों (पुण्य) की चर्चा चला दी।

सतियों के लिए निर्म्मितप्रतिफल (पुण्यप्राप्ति) की चर्चा की गयी है—सत्-तिष्ठित एव अगिरा के अनु-सार ओ नारी पति की मृत्यु का अनुसरण करती है, वह मनुष्य के शरीर पर पाये जानेवाले रोमों की सख्या से तुल्य वर्षों तक स्वर्ग में बिराजती है, अर्थात् ३। करोड़ वर्ष। जिस प्रकार सैपरा साँप को उसके बिल से खींच लेता है, उन्नी प्रकार सती होनेवाली स्त्री अपने पति को (बाहेर जहाँ भी वह हो) खींच लेती है और उसके साथ कल्याण पाती है। सती होने वाली स्त्री अरुणवती के समान ही स्वर्ग में यश पाती है। हारीत के मत में जो स्त्री सती होती है, वह तीन बुल्लों को,

३. तिक्क कौट्योऽर्षकौटी च यानि सोमानि मानुषे। तावत्काल वसेत्स्वर्ग भर्तारं दानुगच्छति॥ प्यालप्रही यथा सर्वं बलापुङ्खरते बिनात्। तदपुङ्खत्त सा नारी सह तेनेव भोवते॥ तत्र सा भर्तुं परमा ह्युभयानामस्तोरगर्णं। कीदृते पतिना सार्धं यार्श्विन्नापचुर्दंश॥ ब्रह्मणो वा इत्यणो वा मित्रणो वा भवेत्यतिः। पुनात्यविधवा नारी तमादाय मृत

अर्थात् माता, पिता एवं पति के कुलो को पवित्र कर देती है। मिताक्षरा ने सती प्रथा अर्थात् अवरोहण को ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक की स्त्रियों के लिए समान रूप से श्रेयस्कर माना है, किन्तु उस स्त्री को, जो गर्भवती है या छोटे बच्चों वाली है, सती होने से रोक दिया है (याज्ञवल्क्य १।८६)।^१

कुछ प्राचीन टीकाकारों ने सती होने का विरोध किया है। मेघातिथि (मनु ५।१५७) ने इस प्रथा की तुलना श्येनयाग (जिसके द्वारा लोग अपने शत्रु पर काला जादू करके उसे मारते थे) से की है। मेघातिथि का कहना है कि यद्यपि अगिरा ने अनुमति दी है, किन्तु यह आरमहत्या है और स्त्रियों के लिए वर्जित है। यद्यपि वेद कहता है, "श्येनेनाभिचरन् यजेत", किन्तु इसे अर्थात् श्येनयाग को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते अर्थात् उसे धर्म नहीं मानते बल्कि अधर्म कहते हैं (जैमिनि १।१।२ पर शबरर), उसी प्रकार यद्यपि अगिरा ने (सती प्रथा का) अनुमोदन किया, तथापि यह अधर्म है। अवरोहण इस वेदोक्ति के विरुद्ध है—“जब तक आयु न बीत जाय किसी को यह लोक छोड़ना नहीं चाहिए।” मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।८६) ने मेघातिथि का तर्क न मानकर कहा है—“श्येनयाग वास्तव में अनुचित है अतः अधर्म है, वह इसलिए कि उसका उद्देश्य है दूसरे को कष्ट में डालना, किन्तु अनुगमन वैसा नहीं है, यहाँ प्रतिश्रुत फल है स्वर्ग-प्राप्ति जो उचित कहा जाता है और जो श्रुतिसम्मत है यथा—‘सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए वायु को बकरी देनी चाहिए।’ इसी प्रकार अनुगमन के बारे में स्मृति श्रुति के विरुद्ध नहीं है, यहाँ उसका अर्थ है—“किसी को स्वर्गिक आनन्द के लिए अपने जीवन का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गिक आनन्द ब्रह्मज्ञान की तुलना में कुछ नहीं है। क्योंकि स्त्री अनुगमन द्वारा स्वर्ग की इच्छा करती है, अतः वह श्रुतिवाक्य के विरोध में नहीं जाती है।” अपरार्क (पृ० १११), मदनपारिजात (पृ० १९९), पराशरमाधवीय (भाग १, पृ० ५५-५६) ने मिताक्षरा का तर्क स्वीकार किया है। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि अन्वारोहण, जिसे विष्णुधर्मसूत्र (२५।१५) एवं अगिरा ने माना है, ब्रह्मचर्य से निकृष्ट है, क्योंकि अन्वारोहण के फल ब्रह्मचर्य के फल से हलके पड़ जाते हैं (व्यवहार, पृ० २५४)। इसके विरुद्ध अगिरा का मत है—“पति के मर जाने पर चित्ता पर अस्म हो जाने से बढ़कर स्त्रियों के लिए कोई अन्य धर्म नहीं है।” शुद्धितत्व के अनुसार ऐसी धारणा केवल सहमरण की महत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है।^१

हमने ऊपर देख लिया कि ब्राह्मणियों को केवल अन्वारोहण की अनुमति थी, अनुगमन की नहीं। सहमरण के विषय में और भी नियन्त्रण है—“वे पत्नियाँ, जिनके बच्चे छोटे-छोटे हों, जो गर्भवती हों, जो अभी युवा न हुई हों और

तु या ॥ मृते भर्तारं या नारी समारोहेद्भुताशनम् । मारुधतीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते ॥ यावज्जान्नी मृते पत्यो स्त्री नात्मान प्रदाहयेत् । तावन्न मुच्यते सा हि स्त्रीशरीरात्कथयन्न ॥ याज्ञवल्क्य (१।८६) पर मिताक्षरा, अपरार्क, पृ० ११०, शुद्धितत्व, पृ० २३४। प्रथम के दो श्लोक ‘तत्र कोट्यो. .आदि’ पराशर (४।३२ एव ३३), ब्रह्मपुराण एव गौतमीमाहात्म्य (१०।७६ एव ७४) में भी पाये जाते हैं।

४ अथ च सर्वासां स्त्रीणामगभिणीनामबालापत्यानामाषण्डाल साधारणो धर्मः । भर्तारं यानुगच्छतीत्य-विशेषोपादानात् । मिताक्षरा (याज्ञ० १।८६); देखिए मदनपारिजात, पृ० १८६ एव स्मृतिप्रस्तावना (संस्कार, पृ० १६२)।

५ यत्तु विष्णुना धर्मान्तरमुक्त मृते भर्तारं ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा .. तदेतद्धर्मान्तरमपि ब्रह्मधर्मधर्माञ्ज-धन्यम् । निकृष्टफलत्वात् । स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २५४)।

सर्वासांमेव नारोणामग्निप्रयत्नानाद्देते । नान्यो धर्मो हि विज्ञेयो मृते भर्तारं कर्हिचित् ॥ अगिरा (अपरार्क द्वारा पृ० १०९ मे, पराशरमाधवीय द्वारा २।१, पृ० ५८ मे उद्धृत)।

जो रजस्वला हो, वे पति की चिता पर नहीं चढ़ती" (बृहदारख्य पुराण)। गृहस्पति ने भी ऐसा ही कहा है। उस पत्नी को, जो पति की मृत्यु के समय रजस्वला रहती थी, स्नान करने के चौथे दिन जल जाने की अनुमति थी।

आपस्तम्ब (पद्य) ने उस नारी के लिए, जो पति की चिता पर जल जाने की प्रतिज्ञा करके लौट आती है, प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। राजतरंगिणी (६:१९६) ने एक ऐसी रानी का चित्रण किया है।

गुह्यतत्त्व ने सती होने की विधि पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। विधवा नारी स्नान करके दो द्रव्य वस्त्र धारण करती है, अपने हाथों में कुश लेती है पूर्व या उत्तर की ओर मुख करती है, आचमन करती है, जब ब्राह्मण कहता है "ओम् तसत्", वह नारायण की स्मरण करती है तथा मास, पक्ष एवं तिथि का ज्ञान करती है, तब सकल्प करती है। इसने उपरान्त वह आठों दिग्पालों का आवाहन करती है सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि का भी आवाहन करती है कि वे लग्न चिता पर जल जाने की क्रिया के साक्षी बनें। तब वह अग्नि के चारों ओर तीन बार जाती है (तीन बार अग्नि प्रदक्षिणा करती है), तब ब्राह्मण वैदिक मन्त्र का पाठ (ऋग्वेद १०:१८:७) तथा एक पुराण के मन्त्र (ये अच्छी और परम पवित्र गारियाँ, जो पतिपरायण हैं, अपने पति के शवों के साथ अग्नि में प्रवेश करें) का पाठ करता है, तब स्त्री "नमो नमः" बतकर जलती हुई गिता पर चढ़ जाती है। कालावर भट्ट द्वारा प्रणीत निर्णयसिन्धु (कमलाकर भट्ट की माता भी सती हो गयी थी, और इन्होंने अपनी माता की स्मृति में बड़े मर्मस्पर्शी धचन कहे हैं) में उपर्युक्त विधि कुछ भिन्न-सी है और उसका धर्मसिन्धु ने भी अनुसरण किया है।

यात्रियों एवं अन्य लोगों के लेखों से पता चलता है कि सती प्रथा बन्द होने से पूर्व की शताब्दिया में देश के अन्य भागों की अपेक्षा बंगाल की विधवाएँ अधिक सख्या में जला करती थी। यदि यह बात थी तो इसके लिए उपयुक्त कारण भी विद्यमान थे। बंगाल को छोड़कर अन्य प्रान्तों के समुक्त परिवारों में विधवा को भ्रमण-मोषण के अतिरिक्त सम्पत्ति में कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं थे। बंगाल में, जहाँ पर 'दायभाग' का प्रचलन था, पुत्रहीन विधवा को समुक्त परिवार की सम्पत्ति में वही अधिकार था जो उसके पति का होता था। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की मृत्यु पर पत्नी की पतिमन्त्र को पर्याप्त मानना में उत्तेजित कर देते थे, जिससे कि वह पति की चिता में भरम हो जाय। यह है मानव की सम्पत्ति-मोह-भावना की पराकाष्ठा! विधवा का इस प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के लेखक जीमूतबाहन ने ही मही घोषित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने जितेन्द्रिय का अनुसरण किया है। क्रमशः सती प्रथा की भावना भारतीय समाज-मन से धीनतर होती चली गयी और जब लार्ड विलियम बेंटिन्ग ने सन् १८२९ ई० में इसे अवैध घोषित कर दिया तो जनता ने इसे स्वीकार ही कर लिया, कुछ स्वार्थी जनो ने ही गलत धार्मिकता का मोह प्रदर्शित कर प्रिवी कौंसिल में इस कानून के विरोध में आवेदन-पत्र दिया था। इतने पीछे कोई गम्भीर धार्मिक भावना नहीं थी कि लोग इसे आवश्यक समझते।

अध्याय १६

वेश्या

इस ग्रन्थ में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाह आदि सस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है, तो सक्षेप में वेश्या के जीवन पर भी प्रकाश डालना परभावश्यक है। वेश्या-वृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्रायः संसार के सभी भागों में प्रचलित रही है।

ऋग्वेद से प्रकट है कि उस काल में कुछ ऐसी भी नारियाँ थीं, जो सभी की थीं, और वे भी वेश्या या गणिका। ऋग्वेद (१।१६।७।४) में मरुत्-गण (अन्ध के देवता) विद्युत् के साथ उसी प्रकार सयुक्त माने गये हैं, जिस प्रकार युवती वेश्या से पुरुष लोग सयुक्त होते हैं।^१ ऋग्वेद (२।२९।१) के एक सकेत से अभिव्यक्त होता है कि उस समय भी ऐसी नारियाँ थीं जो गुप्त रूप से बच्चा जनकर उसे मार्ग के एक ओर रख देती थीं। ऋग्वेद (१।६६।४, १।११७।१८, १।१३४।३ आदि) में कई स्थानों पर जार (गुप्त प्रेमी) का उल्लेख हुआ है। गीतम (२।२।२७) के अनुसार ब्राह्मणी वेश्या को मारने पर प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ८ मुट्ठी अन्न दान कर देना ही पर्याप्त है। मनु (४।२०९) ने वेश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है (और देखिए ४।२।१९)। मनु (८।२५९) ने घृते वेश्याओं को दण्डित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में वेश्या-वृत्ति एक स्थिर सत्त्वा के रूप में प्रचलित पायी जाती है। आदिपर्व (१।१५।३९) में आया है कि गान्धारी के गर्भवती रहने के कारण धृतराष्ट्र की सेवा में एक वेश्या रहती थी।^२ उद्योगपर्व (३०।३८) में आया है कि मुचिष्ठिर ने कौरवों की वेश्याओं को शुभ-सन्देश भेजे थे। जब श्री कृष्ण कौरवों की समा में शान्ति-स्थापना का सन्देश लेकर आये थे तो वेश्याएँ भी उनके स्वागतार्थ आयी थी (उद्योगपर्व ८६।१५)।^३ जब पाण्डवों की सेना ने युद्ध के लिए कूच किया तो गाडियाँ, हारें एवं वेश्याएँ उसके साथ चली (उद्योगपर्व १५।१।५८)। और देखिए वनपर्व (२३।१।३७), कर्णपर्व (९।४।२६)।

याज्ञवल्क्य (२।२९०) ने रखैलो को दो भागों में बाँटा है—(१) अवशुद्धा (जो घर में रहती है और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति समीप नहीं कर सकता) तथा (२) भुजिष्या (जो घर में नहीं रहती, किन्तु एक व्यक्ति को रखैल के रूप में और कही रहती है)। यदि इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति समीप करे तो उसे ५० पण का दण्ड देना पड़ता था।^४ नारद (स्त्रीपुत्र, ७८-७९) का कथन है—“अब्राह्मणी स्वैरिणी, वेश्या, दासी, निष्कासिनी यदि अपनी जाति से निम्नजाति की हो तो समीप की अनुमति है, किन्तु उच्च जाति की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार वर्जित है। यदि ये स्त्रियाँ किसी की रखैल हो तो उनसे समीप करने पर वही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इन स्त्रियों

१. परा शुभ्रा अयासो यस्या साधारण्येव भदतो मिमिक्षुः। ऋग्वेद (१।१६।७।४)।

२. गान्धार्या बिलम्बमानायामुदरेण विवर्धता। धृतराष्ट्र महाराज वेश्या पर्यन्तरिकल॥ आदिपर्व (१।१५।३९)।

३. अवशुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तर्प्य च। गम्यात्वपि पुमान्दाप्य पञ्चाशत्पणिकं बधम्॥ याज्ञवल्क्य (२।२९०)।

के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे दूसरे की हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१।२९०) की व्याख्या में लिखा है कि नैसर्गिक अप्सराओं से उत्पन्न पञ्चबुद्धा नामक विशिष्ट जाति है, यदि वे किसी की रखल नहीं है तो यदि वे अपनी जाति या उच्च जाति के पुरुषों में समोग करती है तो पाप की भागी या राजा से दण्डित नहीं होती, यदि वे अवरद्धा नहीं हैं तो उनके पास जानेवाला व्यक्ति भी दण्डित नहीं होता। बिल्कुल उनके पास जानेवालों को पाप लगता है, क्योंकि स्मृतियों ६ अनुसार उन्हें पत्नीपरायण होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।८१)। जो लोग वेदयागमन करते थे उन्हें प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना पड़ता था (अत्रि २७१)। नारद (वैतनस्यानपाकर्म, १८) ने लिखा है कि यदि मूल्य पा लेने पर वेदना समोग नहीं करती थी तो उस पर शुल्क का दूना दण्ड लगता था। और इसी प्रकार यदि समोग कर लेने पर व्यक्ति शुल्क नहीं देता था तो उस पर शुल्क का दूना दण्ड लगता था। यही व्यवस्था याज्ञवल्क्य (२।२९२) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४५) में भी पायी जाती है। मत्स्यपुराण ने वेदयागमन पर लिखा है (अध्याय ७०)। कामसूत्र (१।३।२०) ने शणिका को बहू वेद्या कहा है जो ६४ कलाओं में पारगत हो। अपराज (याज्ञवल्क्य २।१९८) ने नारद एवं मत्स्यपुराण में वेद्या के विषय में लिखते समय बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं।

समाज ने रखल (अवरद्धा स्त्री या वेद्या) को स्वीकृति दी थी अर्थात् उसे अंगीकार किया था। अतः स्मृतियों में उसके भरण-पोषण की व्यवस्था भी की। व्यक्ति के जीते-ओ रखल को उससे विरुद्ध कोई अभिप्राय करने का अधिकार नहीं था। नारद (दायभाग, ५२) एवं कात्यायन के मत से यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के पास चली जाती थी, तो राजा को मृत व्यक्ति की रखलो, दासों एवं उसके श्राद्ध के लिए उस सम्पत्ति से प्रबन्ध करना पड़ता था। मिताक्षरा ने यहाँ पर प्रयुक्त रखल को अवरद्धा 'रखल' के रूप में माना है न कि भुजिष्या के रूप में, या तो मृत ब्राह्मण की रखलो को सम्पत्ति से भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त था।

रखलो श्री अनौरस सन्तानों के दायाधिकारों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

आह्निक एवं आचार

धर्मशास्त्र में आह्निक एवं आचार पर पर्याप्त महत्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है। हमने ब्रह्मचारियों के आह्निक (प्रति दिन के कर्म) के विषय में पढ़ लिया है और वानप्रस्थो एवं यतियों के विषय में आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम मुख्यतः स्नातको (मावी गृहस्थों) एवं गृहस्थों के कर्तव्यों अथवा धर्मों के विषय में पढ़ेंगे।

सर्वप्रथम हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेंगे। गौतम एवं बौधायन ने गृहस्थाश्रम को ही प्रमुक्तता दी है। धर्मशास्त्र ग्रन्थों ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है। गौतम (३।३) के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों का आधार है, क्योंकि अन्य तीन आश्रम (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास) सन्तान नहीं उत्पन्न करते।^१ मनु (३।७७-७८) ने भी यही बात और सुन्दर ढंग से कही है। एक स्थान पर मनु (६।८९-९०) ने यों कहा है—'जिस प्रकार बशी या छोटी नदियाँ अन्न में समुद्र से मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों के लोग गृहस्थ से ही आश्रय पाते हैं, वेद एवं स्मृतियों के मतों से अन्य तीन आश्रमों का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोच्च आश्रम गृह्य जाता है।'^२ यही मनोभाव विष्णुधर्मसूत्र (५९।२७-२९), वसिष्ठ (७।१७ तथा ८।१४-१६), बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१), उद्योग-पर्व (४०।२५), शान्तिपर्व (२९६।३९) आदि में भी विभिन्न ढंगों से व्यक्त हुए हैं। शान्तिपर्व (२७०।६-७) में श्रुतियाँ हैं—'जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आश्रित होते हैं उसी प्रकार अन्य आश्रम गृहस्थों के आश्रय पर स्थित हैं।'^३ इसी अध्याय (२७०।१०-११) में कपिल ने उन लोगों की मूर्खता की है जो यह कहते हैं कि गृहस्थ को मोक्ष सम्भव नहीं है। शान्तिपर्व (१२।१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पलड़े पर गृहस्थाश्रम रहेगा, दूसरे पर अन्य तीनों आश्रम एक साथ (देखिए शान्तिपर्व ११।१५, २३।२-५, वनपर्व २)। रामायण (अयोध्याकाण्ड १०६।२२) में भी यही बात बही है।

ब्राह्मण गृहस्थ कई मतों के अनुसार कई श्रेणियों में बँटे हुए हैं। बौधायनधर्मसूत्र (३।१।१), देवल (याज्ञवल्क्य की १।१२८ की व्याख्या में उद्धृत) तथा अन्य ग्रन्थों ने गृहस्थ को दो श्रेणियों में बाँटा है, यथा (१) शालीन एवं (२) धायार, जिनमें दूसरा पहले से अपेक्षाकृत अच्छा है।^४ शालीन शाला (गृह) में रहता है, उसके पास नौकर-चाकर, पशु

१. तेषां गृहस्थो योनिप्रजननवाक्षितरोयाम्। गौतम (३।३)।

२. नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाश्रायी पतिताप्रवर्जो। ऋत्वी ए गच्छन्विधिवक्त गृह्णन्न ब्राह्मण-इष्यते ब्रह्मलोकात्।। वसिष्ठ (८।१७)।

३. यथा धातरमाश्रित्य सर्वे शीवन्ति जन्तवः। एवं गार्हस्थ्यमाश्रित्य दर्शनं धृतराश्रमा॥ शान्तिपर्व २७०।६-६ (= वसिष्ठ ८।१६, जहाँ अन्तिम पाठ है—सर्वे शीवन्ति भिक्षुका)।

४. अयं शालीन-यायावर-वृत्रवर-धर्मकर्त्तवित्वां नवभिक्षुंतिभिर्यतमानानाम्। शालाध्ययच्छालीनत्वम्। ब्रह्मण्यं धरया यातीति यायावरत्वम्। अनुक्रमेण धरणावृत्रवरत्वम्। मी० ध० सू० (३।१।१, ३-५)। श्रीधरदाय ने

आदि होते हैं, वह ग्यार रूप में निती ग्राम में रहता है, उसके पास अन्न एवं सम्पत्ति होती है, वह सांसारिक जीवन व्यतीत करता है। यायावर अत्युत्तम जोविना वाला होता है, वह खेत से ले जाते समय जो अन्न पृथिवी पर गिर जाता है उसे ही चुनता है और सम्पत्ति नहीं जोड़ता है, वह पुरोहिती करके जीविका नहीं चलाता है, वह न तो अध्यापन-काम करके और न दान लेकर जीविका चलाता है। मनु ने ब्राह्मण गृहस्थों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है, यथा— वह जिसने पास पर्याप्त अन्न है, जो एक घडा अन्न रखता है, जो अधिक-से-अधिक तीन दिनों के लिए इकट्ठा कर पाता है, जो आनेवाले बल भी चिन्ता नहीं करता। देसिए, पृथी भात पान्तिपर्व (२४४।१-४) एवं लघुविष्णु (२।१७) म। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१२८) ने 'शास्त्री' को चार श्रेणियों में बाँटा है—(१) जो पौराहित्य करके, वेदाध्यापन करने, दान लेकर, कृषि, व्यवसाय एवं पशु-पालन करके अपना भरण-पोषण करता है, (२) जो उपर्युक्त छ वृत्तियों में केवल प्रथम तीन, अर्थात् पौराहित्य करने, वेदाध्ययन करने, दान लेकर अपना काम चलाता है, (३) जो केवल पौराहित्य कर्म तथा अध्यापन करने जीविका चलाता है तथा (४) जो केवल अध्यापन-काम करके जीविका चलाता है। मिताक्षरा की व्याख्यानसार मनु (४।९) ने भी चार श्रेणियाँ बतायी है। आपस्तम्बश्रौतसूत्र (५।३।२२) ने शास्त्रीन एवं यायावर का भेद बताया है। बौधायनगृह्यसूत्र (३।५।४) ने यायावर की ओर संकेत किया है। 'यायावर' शब्द तैत्तिरीय संहिता (५।२।१।७) में भी आया है, किन्तु वहाँ उसका अर्थ कुछ दूसरा है।

बौधायनगृह्यसूत्र (८।५) में गृहस्थ चार भागों में बाँटे गये हैं—(१) शार्ता वृत्ति वाला, जो कृषि, पशुपालन व्यवसाय आदि करता है, (२) शास्त्रीन; जो नियमों का पालन (याज्ञवल्क्य ३।३।३) करता है, पाठयज्ञ करता है, श्रौत अग्नि जलाता है, प्रति अर्घ्य मास पर दश एवं पूर्णमास पक्ष करता है, चातुर्मास्य करता है, प्रत्येक छ मास में पशु-यज्ञ करता है तथा प्रत्येक वर्ष में सोमयज्ञ करता है, (३) यायावर, जो छ कर्मों में लगा रहता है, यथा—हवि एवं सोम यज्ञ करना, यज्ञ में पौराहित्य करना, वेद के अध्ययन-अध्यापन में लगे रहना, दान देना एवं लेना, श्रौत एवं स्मार्त अग्नि की निरन्तर सेवा करना तथा आगत अतिथियों को भोजन देना, (४) पौराचारिक (जिसके नियमों का पालन अति कठिन है), जो नियम-क्ती है, यज्ञ करता है किन्तु दूसरों के यज्ञ में पुरोहिती (पौराहित्य) नहीं करता, वेदाध्ययन करता है, किन्तु वेदाध्यापन नहीं करता दान देता है लेता नहीं, भेतों में गिरे हुए अन्ना से अपना भरण-पोषण करता है, नारायण में लीन रहता है, प्रात एवं साय अग्निहोत्र करता है, मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ में ऐंसे व्रतादि करता है जो तलवार की धार जैसे तीक्ष्ण हैं तथा वन की ओषधि-वनस्पतियों से अग्नि की सेवा करता है। ये चारों प्रकार बृहत्पराशर (२९०) में भी पाये जाते हैं।

बहुत-सी स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में गृहस्थधर्म विस्तार के साथ वर्णित है (देसिए गौतम ५ एवं ९, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१ २।४।९ बर्गिष्ठधर्मसूत्र ८।१-१७ एवं १।१।१-४८, मनु ४, याज्ञवल्क्य १।९९-१२७, विष्णु-धर्मसूत्र ६०-७०, दश २, व्यास ३, मार्कण्डेयपुराण २९-३० एवं ३४, नृसिंहपुराण ५८।७५-१०६, कूर्मपुराण उत्तरार्ध, अध्याय १५-१६, लघु-शारिरी ८, ९, १८३, शोणपर्व ८२, वनपर्व २।५३-६३, आश्वमेधिक ४५।१६-२५, अनुशासन पर्व ९७। निबन्धों में इन विषय में स्मृतिचन्द्रिका (१, ८८-२३२), स्मृत्यर्षसार (५० १८-४८), मदनपारिजात

'शास्त्रीन' की व्युत्पत्ति 'शास्त्र' (धर) से की है और 'यायावर' की 'या' (जाना) एव धर (धेय्यत्व) से। पाणिनि (५।२।२०) जैसा कि महाभाष्य ने अर्थ दिया है) के अनुसार 'शास्त्रीन', 'अपृच्छ' (जो पृच्छता न करे) के अर्थ में 'शास्त्र' से निकला हुआ है। सम्भवतः पाणिनि के समय तक गृहस्थ 'शास्त्रीन' एवं 'यायावर' भागों में नहीं बाँटा था। बौधायन ने गृहस्थ की तीसरी कोटि भी ही चक्रधर, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता।

(२०४-३४५), गृहस्थरत्नाकर, रघुनन्दन का आह्निकतत्त्व, वीरमित्रोदय (आह्निकप्रकाश), स्मृतिमुक्ताफल (आह्निककाण्ड) अधिक प्रसिद्ध हैं। स्थान-संकोच से हम यहाँ गृहस्थधर्मों का वर्णन विस्तार से नहीं करेंगे, केवल अति महत्वपूर्ण बातें ही उल्लिखित की जाएँगी। उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व (१४१।२५-२६) में आया है—
 “अहिंसा, सत्यवचन, सभी जीवों पर दया, शम, यथाशक्ति दान—गृहस्थ का मह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर-स्त्री से अससर्ग, अपनी स्त्री एवं घरोहर की रक्षा, न दी हुई वस्तु को ग्रहण मात्र से दूर रहना, मधु एवं मांस से दूर रहना—ये पाँच धर्म हैं, जिनकी कोई शाखाएँ हैं और उनसे सुख की उत्पत्ति होती है।” यह बात दश (२।६६-६७) में भी पायी जाती है। किन्तु इन साधारण धर्मों की चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है (देखिए इस भाग का अध्याय १)।

दिवस-विभाजन

बहुत प्राचीन काल से दिन को कई भागों में बाँटा गया है। कमी-कमी “अह” शब्द ‘रात्रि’ से पृथक् माना गया है और कमी-कमी यह सूर्योदय से सूर्योदय (दिन एवं रात्रि) तक का छोटक माना गया है। ऋग्वेद (६।१।१) में “कृष्णम् अह” अर्थात् रात्रि एवं “अर्जुनम् अह” अर्थात् दिन का प्रयोग हुआ है। दिन को कमी-कमी दो भागों में बाँटा जाता है, यथा पूर्वाह्न (दोपहर के पूर्व) एवं अपराह्न (दोपहर के उपरान्त)। देखिए इस विषय में ऋग्वेद (१।२४।११) एवं मनु (३।२७८)। दिन को तीन भागों में भी बाँटा गया है, यथा प्रातः, मध्याह्न (दोपहर) एवं सायः, जो सोमरस के तीन तर्पणों का चोतक है—प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन एवं सायः सवन (ऋग्वेद ३।५३।८, ३।२८।१, ४ एवं ५, ३।३२।१, ३।५२।५-६)। १२ घण्टे के दिन को पाँच भागों में बाँटा गया है, यथा—प्रातः या उदय, सगव, माध्यन्दिन या मध्याह्न (दोपहर), अपराह्न एवं सायः या अस्तगमन या सायः। इनमें प्रत्येक का काल तीन मुहूर्तों का होता है। कुछ स्मृतियों एवं पुराणों में इन पाँच विभागों का वर्णन तथा व्याख्या की है, यथा प्रजापति-स्मृति १५६-१५७, मत्स्यपुराण २२।८२-८४, १२४।८८-९०, वायुपुराण ५०।१७०-१७४। अपराह्न (५० ४६५) में भी याज्ञवल्क्य (१।२२६) की व्याख्या में श्रुति के वाक्य एवं व्यास की उक्तियाँ उद्धृत की हैं। २४ घण्टे के “अह” (दिन) को ३० मुहूर्तों में विभाजित किया गया है (देखिए शतपथब्राह्मण १।२।३।५, जहाँ वर्ष को १०८०० मुहूर्तों में बाँटा गया है, अर्थात् ३६० × ३० = १०८००)। तैत्तिरीयसंहिता ने दिन के १५ मुहूर्तों के नाम दिये हैं, यथा चित्र, केतु आदि। मदनपारिजात (५० ४९६) ने व्यास को उद्धृत कर दिन के पन्द्रह भागों के नाम दिये हैं।

स्मृतियों ने सामान्यतः दिन को आठ भागों में बाँटा है। दश ने दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग में दिये जाने वाले वर्तव्यों का वर्णन किया है (२।४-५)। कात्यायन ने दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रथम को छोट आगे के तीन भागों में राजा ने लिए न्याय करने की बात कही है। कीटिल्य ने रात एवं दिन को ८-८ भागों में बाँटा है और उनमें राजा के धर्म का वर्णन किया है। वसिष्ठ (१।१।३६), लघु हारीत (१९), लघु शातातप (१०८) आदि

५. अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पनम्। शमो दान यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ पर-शारेव्यसंतगो न्नासत्सं शिरक्षणम्। अवस्तादानविरमो मधुमांसस्य वर्जनम्। एष पचविधो धर्मो ब्रह्मशास्त्र-सुखोदयः॥ अनुशासनपर्व १४१।२५-२६।

६. अहश्च कृष्णमहर्जुनं च विवर्तते रजसो वेद्यमि॥ वंदवानरो जयमानो न राजावातिरज्ज्वेतिपापिन-स्तमासि॥ ऋ० ६।१।१। निवृत्त (२।२१) ने इसकी व्याख्या की है—अहश्च कृष्ण रात्रिं शुक्लं च अहर्जुनम् आदि।

का कठनाई—“दिन के बाठवें भाग में सूर्य मन्द हो जाता है, उस बाल को कुत्तप कहा जाता है।” बाण ने मादम्बरी में दिन के आठे भागों के प्रथम भाग में सूर्य के प्रकाश को बढ़ते हुए एवं स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे भाग में भोजन करने को देरी में भोजन करना माना गया है (वनपर्व १७६।१६, १८०।१६, २९३।९ एवं आश्वमेधिक पर्व ८०।२९-२७)।

आतिथ के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं—सन्ध्या से उठना, शौच (शारीरिक शुद्धता), दन्तधावन (दाँत स्वच्छ करना), स्नान, सन्ध्या, तर्पण, पपमहायज्ञ (शुद्धयज्ञ एवं अतिथि-सत्कार के साथ), अग्नि-सेवा, भोजन, घन-प्राप्ति, पड़ना-मढ़ाना, साय की सन्ध्या, दान, सोने जाना, निर्धारित समय पर यज्ञ करना। पराशरस्मृति (१।३९) ने दिन के कर्तव्यों को इस प्रकार कहा है—सन्ध्या-प्रायश्च, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि-सत्कार एवं वंश्वदेव—ये ही प्रमुख पद कर्म हैं।” मनु (४।१५२, अनुशामनपर्व १०४।२३) ने भी प्रमुख कर्मों का वर्णन किया है—“मल-मूत्र-स्वाग (नैत्र), दन्तधावन, प्रसाधन (तेल-फूलेल), स्नान, अन्न लगाना एवं देवपूजन।”

ऐसा कि सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६) में आया है, दिन की गणना सूर्योदय से की जाती थी, किन्तु व्यावहारिक रूप में सूर्योदय के कुछ पूर्व या कुछ पश्चात् ही दिन का आरम्भ माना जाता रहा है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण के अनुसार सूर्योदय के पूर्व चार नाडियों (घटिकाओं) में लेकर सूर्यास्त के उपरान्त चार नाडियों तक दिन का बाल रहता है, अर्थात् जब कोई सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेता है तो वह स्नान सूर्योदय के उपरान्त वाले दिन का ही कहा जाता है। मनु (४।९२), याज्ञवल्क्य (१।११५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए, परमं एवं अर्थ के विषय में, जिसे वह उस दिन प्राप्त करना चाहता है, उसे सोचना चाहिए, उसे दिन के शारीरिक कर्मों के विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैदिक नियमों के वास्तविक अर्थ के विषय में। तुल्य तथा अन्य लोगों के मत से मनु (४।९२) द्वारा प्रयुक्त शब्द “मुहूर्त” सामान्यतः समय का ही बोधक है, न कि दो घटिकाओं की अवधि का, और ब्राह्मण शब्द इसलिए प्रयुक्त है कि यह वही समय है जब कि किसी की बुद्धि एवं कविता बनाने की शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में रहती है। पराशरमाधवीय (१।१, पृ० २२०) के अनुसार सूर्योदय के पूर्व प्रथम प्रहर में दो मुहूर्त होते हैं, जिनमें प्रथम को ब्राह्मण और दूसरे को रौद्र कहते हैं। पितामह (स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ८२ में उद्धृत) के मत से रात्रि का अन्तिम प्रहर “ब्राह्मण मुहूर्त” कहलाता है। बहुत प्राचीन बाल से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना, सामान्यतः सबने लिए किन्तु विशेषतः विद्यार्थियों के लिए उत्तम माना जाता रहा है। गौतम (२३।२१) ने लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी सूर्योदय के उपरान्त उठे तो उसे प्रायश्चित्त रूप में बिना खाये-पीये दिन भर सड़े रहकर गायत्री मन्त्र वा जप करना चाहिए, इसी प्रकार यदि वह सूर्यास्त तक सोता रहे तो उसे रात्रि भर जगकर गायत्री जप करना चाहिए। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।१३-१४ एवं मनु (२।२२०-२२१) में भी पायी जाती है, और इनमें सूर्यागत के समय सो जाने वाले को अभिनिद्रुक्त या अभिनिद्रुक्त कहा गया है। गोभिलस्मृति (पृ० में, १।१३९) के अनुसार सोकर उठने पर आँधों को लेनी चाहिए। श्रुतिविधान में ऐसा आया है कि सोकर उठने के उपरान्त जल से आँधों को लेनी

७. सन्ध्या स्नान कपो होमो देवतातिथिपूजनम्। आतिथ्यं वंश्वदेवं च पदं कर्माणि विने विने॥ पराशर १।३९।

८. भैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्। पूर्वाह्णं एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्॥ मनु ४।१५२। मित्र देवता मुदा के देवता हैं, अतः पंदा का तात्पर्य है मूत्रपुरीषोत्सर्ग।

९. उदयायुदयं भानोर्भूमितावनवातः। सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६)।

चाहिए, किन्तु उसके पूर्व ऋग्वेद (१०।७३।११) का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्धपाद का अर्थ है "अन्धकार से दूर करो, हमारी आँखें मर दो, और हम में उन्हें छोड़ दो जो शिकन्जो में फँसे हो।"

प्रातः काल उठना

कूर्मपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ८८) ने लिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर भगवान् का स्मरण करना चाहिए। आह्लिकप्रकाश (पृ० १६) ने वामनपुराण (१४।२३-२७) के पाँच श्लोको को उद्धृत कर बताया है कि इन्हें प्रति दिन प्रातःकाल उठकर पढ़ना चाहिए। "आज भी बहुत-से बूढ़े लोग इन श्लोकों को प्रातःकाल जागकर बोला करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसावित्री नामक चारों श्लोकों का पाठ प्रातःकाल करता है वह सम्पूर्ण महामारत सुनने का फल प्राप्त करता है और ब्रह्म की प्राप्ति करता है।" आह्लिकतत्त्व (पृ० ३२७) ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसे सोकर उठने के उपरान्त पढ़ा जाता है और उसमें कर्कोटक नाग, दमयन्ती, राजा नल एवं श्रुतुपर्ण के नाम कलि के प्रभावों से मुक्त होने के लिए लिये गये हैं (महामारत, धनपर्व ७९।१०)। स्मृतिमुक्ताफल ने ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जिसमें नल, युधिष्ठिर, सीता एवं कृष्ण पुण्यश्लोक कहे गये हैं, अर्थात् जिनके यश का गान करना पवित्र कार्य है। आचाररत्न (पृ० १०) ने कुछ चिरञ्जीवियों के नाम लेने को कहा है, यथा अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान् विभीषण, कृप, परशुराम एवं मार्कण्डेय, और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी गिनाये हैं, यथा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एवं मत्स्योदरी। आज भी प्राचीन परम्परा के अम्मासी, विशेषतः बूढ़े लोग, इनका नाम प्रातःकाल उठने पर लेते हैं।

कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि वेदज्ञ ब्राह्मण, सौभाग्यवती स्त्री, गाय, वेदी (जहाँ अग्नि जलायी गयी हो) दिखलाई पड़ें तो व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विषया, अछूत, नगा, नकटा दिखलाई पड़ जायें तो कलि (विपत्ति या झगडा-टटा) के द्योतक हैं (गोमिलस्मृति २।१६३ एवं १६५)। पराशर (१२।४७) के मत से वैदिक यज्ञ करनेवाले, कृष्णपिगल-वर्ण गाय, सत्र करनेवाले, राजा, सन्यासी तथा समुद्र को देखने से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सदैव देखना चाहिए।

मल-मूत्र त्याग

प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-मूत्र त्यागने का कृत्य है। अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों में इसके विषय में पर्याप्त लम्बा-चौड़ा वर्णन है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, किन्तु प्राचीन ग्रन्थों में धर्म, व्यवहार-नियम, नैतिक-नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे से मिले हुए पाये जाते हैं, अतः इनका धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट होना आश्चर्य का विषय नहीं है। अथर्ववेद (१३।१।५६) में भी आया है—“मैं तुम्हारी जड़ को, जो तुम गाय को पैर से मारते हो, सूर्य की ओर मूत्र-त्याग करते हो, काट देता हूँ। तुम इसके आगे छाया न

१०. ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च। पुषश्च क्रुक्ः शनिरानुशेखः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥ वामनपुराण (१४।२३)।

११. देखिए नित्याचारपद्धति, पृ० १५-१६, आह्लिकप्रकाश, पृ० २१। ये श्लोक, यथा—ब्रह्माशरत्, स्वर्ग-रोहणिक पर्व ५।६०-६३, भारतसावित्री कहे जाते हैं। उनके प्रथम पाद हैं "मातापितृसहस्राणि, हर्षस्थानसहस्राणि, ऊर्ध्वबाहुविरौन्धेय, न जातु कामत भयास सोभात्।"

दोगे।" अथर्ववेद के अनुसार सडे होकर मूत्रत्याग निन्द्याजनक माना जाता है (७।१०२ या १०७।१); "मै सडा होकर मूत्र न त्यागूया, देवता मेरा अमंगल न करें।" गौतम (९।१३, १५, ३७-३८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।११।३०, १५-३० एवं १।११।३१।३-३), वसिष्ठधर्मसूत्र (९।१०-१९ एवं १२।११-१३), मनु (४, ४५-५२, ५६, १५१), याज्ञवल्क्य (१।१६-१७, १३४, १५४), विष्णुधर्मसूत्र (६०।१-२६), षड् (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१३४ द्वारा उद्धृत), धामपुराण (७८।५९-६४ एवं ७९।२५-३१) एवं धामनपुराण (१४।३०-३२) के बचनो को हम इस प्रकार सक्षिप्त कर सकते हैं—

देह की स्वच्छता एवं शुद्धि के नियम

मार्ग, राक्ष, गोबर, जोते एवं बोये हुए खेतों, वृक्ष की छाया, नदी या जल, घास या सुन्दर स्थलो, वेदी के लिए बनी इंटो, पर्वतशिखरो, मिरे-पडे देव-स्थलो या गोशालाओ, चींटियो के स्थलो, कन्नो या छिद्रो, अन्न फटकारो के स्थलो, बालुकामय तटो मे मल-मूत्र त्याग नही करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, चन्द्र, ब्राह्मण, जल, किसी देवमूर्ति, गाय, बाघु की ओर मुस करके भी मलमूत्र-त्याग नही करना चाहिए। खुली भूमि पर भी ये कृत्य नही किये जाने चाहिए, हाँ, सूखी टहनियो, पत्तियो एवं घासो वाली भूमि पर ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। दिन मे या गोधूमि के समय सिर ढँककर उत्तरदिगामुस तथा रात्रि मे दक्षिणदिगामुस मलमूत्र-त्याग करना चाहिए, किन्तु जब अथ हो या कोई आपत्ति हो तो किसी भी दिशा मे ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। सडे होकर या चलते हुए मूत्र-त्याग नही करना चाहिए (मनु ४।४७) और न बोलना ही चाहिए।" बत्ती से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जाकर ही मलमूत्र त्याग करना चाहिए। मनु (५।१२६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१७) के अनुसार मलमूत्र-त्याग के उपरान्त अणो को पानी से एवं मिट्टी के भागो से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या मन्दगी दूर हो जाय। मनु (५।१३६ एवं १३७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६०।२५-२६) के अनुसार मिट्टी का एक माग लिंग (मूत्रेन्द्रिय) पर, तीन माग मलस्थान पर, दस बायें हाथ मे, सात दौनो हाथो मे तथा तीन दौनो पैरो मे लगाने चाहिए। शीघ्र की इतनी सोमा गृहस्थो के लिए है, किन्तु ब्रह्मचारियो, धानप्रस्थो एवं सन्यासियो को दूने, तियुने, चीयुने, जितने की आवश्यकता हो उतने मिट्टी के मागो से स्वच्छता करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१७) ने लिखा है कि इतने भागो की व्यवस्था केवल इसलिए है कि प्रयुक्त अथ ठीक से स्वच्छ हो जायें, यो तो उतनी ही मिट्टी प्रयोग मे लानी चाहिए जितनी से स्वच्छता प्राप्त हो जाय। यही बात गौतम (१।४५-४६), वसिष्ठधर्मसूत्र (३।४८), मनु (५।१३४) एवं देवल मे पायी जाती है। मरु लोग मिट्टी के माग की, जैसा कि स्मृतियो मे वर्णित है, चिन्ता नही करते, वे उतनी ही मिट्टी प्रयोग मे पावे

१२. यदथ गां पद्मा स्फुरति प्रत्यङ्, सूर्ये च मेहति। तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छर्षां करवोऽपरम् ॥ अथर्ववेद १३।१।५६; मेवयाम्पुष्पेतिष्ठन्त्या मा हिसिपुरीश्वराः ॥ अथर्ववेद ७।१०२ (१०७) । १।

१३. न गोमय-कृष्टोत्त-शाद्वल-क्षिति-शमशान-वल्मीक-वर्त्म-क्षल-गोष्ठ-त्रिल-पर्वत-मुल्लिषु मेहेत भूताषा-रत्वात् ॥ षड् (मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य १।१३४ की व्याख्या मे उद्धृत)।

१४. उष्णरो मंयुने चंभ प्रलाये वन्तपावने। स्नाने भोजनकाले च षट्सु मौन समाचरेत् ॥ हारीत (आह्निक-प्रकला, पृ० २६ में उद्धृत)। यही लघु-हारीत का ४०वाँ श्लोक है। अत्रि (३२३) ने लिखा है— "पुरीचे मंयुने होमे प्रलाये वन्तपावने। स्नानभोजनकालेषु सवा मौन समाचरेत् ॥

हैं, जिससे पवित्रता या शौच प्राप्त हो जाय।" स्मृत्यर्थसार (पृ० १९) ने दश (५।१२) का अनुसरण करते हुए लिखा है कि रात्रि में दिन के लिए व्यवस्थित शौच का आधा, रोगी के लिए एक-चौथाई तथा यात्री के लिए केवल अष्टमाश होना चाहिए, तथा स्त्रियो, शूद्रो, बच्चो (जिनका उपनयन अभी न हुआ हो) के लिए मिट्टी के भाग की निर्धारित सख्या न्दी है। स्वच्छ करने में प्रस्तर, वस्त्र-खण्ड एवं पेड की नयो टहनियाँ प्रयोग में नही लानी चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३०।३०, गौतम ९।१५), और न नदी या झील के भीतर की, मंदिर की, वल्मीक (चोटियो के टीले) की, चूहो के छिपने के स्थलो की, गोबर-स्थल को तथा काम में लाने से अवशिष्ट मिट्टी प्रबोय में लानी चाहिए (बसिष्ठधर्मसूत्र ६।१७), और न कब्र या मार्ग वाली या कीडा से मरी, या कोयले, हड्डियो या बालू वाली मिट्टी ही प्रयोग में लानी चाहिए।

इस विषय में और देखिए दश (५।७), जो मिट्टी की मात्रा के विषय में व्यवस्था देते हैं। प्रथम बार उतनी मिट्टी जितनी आघे हाथ में आ सके, दूसरी बार उसका आधा भाग और इसी प्रकार कम करते जाना चाहिए। मिट्टी का अथ आमलक फल के आकार का होना चाहिए (कूर्मपुराण, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १८२ में उद्धृत)। जूता पहनकर मल-मूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३०।१८), उस समय यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए या निवीत रूप में पीठ पर चढा लेना चाहिए। घासबल्य (१।१६) के मत से यज्ञोपवीत को केवल दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए। वनपर्व (५९।२) में आया है कि अब नल ने मूत्र-त्याग के उपरान्त अपना पैर नही घोषा तो कलि (दुर्गुण एवं झगडा आदि का देवता) उनमें प्रविष्ट हो गया।

शौच के प्रकार

प्रात समय शरीर-स्वच्छता तो सामान्य शौच का केवल एक अंग है। गौतम (८।२४) के मत से शौच एक आत्मगुण है। ऋग्वेद (७।५६।१२ आदि) ने शुचित्व पर बल दिया है। हारीत के अनुसार "शौच धर्म की ओर प्रथम मार्ग है। यहाँ ब्रह्म (वेद) का निवास-स्थान है, श्री (लक्ष्मी) भी यही रहती है, इससे मन स्वच्छ होता है, देवता इससे प्रसन्न रहते हैं, इसके द्वारा आत्म-बोध होता है और इससे बुद्धि का जागरण होता है।" बौधायनधर्मसूत्र (३।१।२६), हारीत, दश (५।३) एवं व्याघ्रपाद (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्धृत) के अनुसार शौच के दो प्रकार हैं, यथा बाह्य (बाहरी) एवं आन्तर या आभ्यन्तर, जिनमें प्रथम पानी एवं गीली या मृदुमुरी मिट्टी से तथा दूसरा अपने मनोभावों की पवित्रता से प्राप्त होता है। हारीत ने बाह्य शौच को तीन भागों में विभाजित किया है, (१) कुल (कुल में जन्म एवं मरण के समय उत्पन्न अशौच से पवित्र होना), अर्ध (सभी प्रकार के पात्रों एवं पदार्थों को स्वच्छ रखना) एवं शरीर (अपने शरीर को शुद्ध रखना)। उन्होंने आभ्यन्तर को पाँच भागों में बाँटा है, (१) मानस, (२) घ्राण्य (न देखने योग्य पदार्थों को न देखना), (३) घ्राण्य (न सूँघने योग्य वस्तुओं को न सूँघना),

१५. यावत्सार्धित मयेत तावच्छौचे विधीयते। प्रमाण शौचसख्यायां न शिष्टैरुपविश्यते॥ बबल (गृहस्थ-रत्नाकर, पृ० १४७ में एव स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्धृत)।

१६. तत्र हारीतः। शौचं नाम धर्माविषयो ब्रह्मायतन त्रियोधिवस्तो मनसः प्रसादनं देवानां प्रियं शरीरे क्षेत्र-वसानं बुद्धिप्रबोधनम्। गृहस्थरत्नाकर, पृ० ५२२।

शौचं च त्रिविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा। मृजलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तपान्तरम्॥ दश ५।३ एवं व्याघ्रपादः।

(४) वाय्व (वाणी का), (५) स्वाद्य (जिह्वा का) । गौतम (८।२४) की व्याख्या में हरदत्त ने शीघ्र के चार प्रकार बताये हैं—(१) इष्य (किसी द्वारा प्रयुक्त पात्र एवं पदार्थ का), (२) मानस, (३) वाय्व एवं (४) शारीर । बृह-
 गौतम ने पाँच प्रकार के शीघ्र बताये हैं—(१) मानस, (२) कर्म का, (३) कुल का, (४) शरीर का एवं (५) वाणी का । मनु (५।१३५), विष्णुधर्मसूत्र (२।१८१) एवं अत्रि (३।१) के अनुसार वाह्य प्रकार के ऋतु होते हैं—(१) बसों, (२) वीर्य, (३) रक्त, (४) मज्जा, (५) मूत्र, (६) विच्छा, (७) नासामल, (८) घृत, (९) स्रवण (वफ), (१०) आँसू, (११) नेत्रमल एवं (१२) पसीना । इनमें प्रथम छ पाणी एवं मिट्टी से विन्तु अन्तिम छ केवल पानी से स्वच्छ हो जाते हैं ।

आचमन

शीघ्र श्रुत्य समाप्त करने के उपरान्त मुख को १२ बुल्लो (गण्डूषो) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, पृ० २२०) । इसके उपरान्त आचमन करना चाहिए । उपनयन के अध्याय में आचमन के विषय में बहुत-
 कुछ कहा जा चुका है । शिक्षा बाँधकर एवं पीछे से परिधान को मोड़कर आचमन करना चाहिए, पानी को करतल में इतनी मात्रा में ढालना चाहिए कि माप (उदं) का बीज डूब सके, अंगूठे एवं वानी अँगुली को छोड़कर अन्य तीनों अँगुलियों को मिलाकर ब्राह्म तीर्थ (हथेली के ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए । 'तीर्थ' शब्द का अर्थ है दाहिने हाथ का वह भाग जिसके द्वारा धार्मिक श्रुत्या में जल ग्रहण किया जाता एवं गिराया जाता है, शरीर के ऐसे भागों को देवताओं के नाम से सम्बोधित किया जाता है ।^{१०} बहुत-सी स्मृतियों में चार तीर्थों के नाम आये हैं । यथा प्राज्ञापत्य या काय, पित्र्य, ब्राह्म एवं दंब (मनु २।५९, विष्णुधर्मसूत्र ६।२।४, याज्ञवल्क्य १।१९ आदि) । विन्तु षाटपायनवरूप, बृह दश (२।१८) आदि में पाँच नाम आये हैं, यथा दंब (जब ब्राह्मण अपने दाहिने हाथ के अगले भाग का पूर्वोन्मुख करता है), पित्र्य (दाहिने हाथ का दाहिना भाग), ब्राह्म (अँगुलियों के सामने का भाग अर्थात् हथेली वाला भाग), प्राज्ञापत्य (बायीं अँगुली के पास वाला भाग) एवं पारमेष्ठ्य (दाहिने करतल का मध्य-
 भाग) । पारस्करगृह्यसूत्र में पारमेष्ठ्य को आग्नेय कहा गया है । शतस्मृति (१०।१-२) ने काय एवं प्राज्ञापत्य में अन्तर बताया है, ब्राह्म का नाम छोड़ दिया है और उसके स्थान पर प्राज्ञापत्य रखा है । वैतानस (१।५) ने छ तीर्थों के नाम दिये हैं, जिनमें प्रथम चार अयो-के-स्यो हैं, पाँचवाँ आग्नेय (हथेली का मध्य भाग) एवं छठा आर्ष (सभी अँगुलियों की जड़ें एवं पोर) है । कुछ लोगों के मत से दंब तीर्थ अँगुलियों की पोरों पर है तथा सौम्य एवं आग्नेय हथेली के मध्य में है । हागीत के मत से दंब तीर्थ का उपयोग भोजन, देव-भजन, यज्ञ देव या भोजन में होता है, काय तीर्थ का उपयोग लाजा-स्राव, आह्निक होम में तथा पित्र्य तीर्थ का उपयोग पितरों के कृत्यों में होता है । वसिष्ठ-स्यारं में, दही एवं नवाभ्र खाने में सौम्य तीर्थ का उपयोग होता है (स्मृत्यर्थसार, पृ० २०) । जब जल की दुर्लभता हो और आचमन करना आवश्यक हो तो दाहिना कान छू लेना पर्याप्त माना जाता है (स्मृत्यर्थसार, पृ० २१) । आच-
 मन के विषय में निबन्धों ने बड़ा विस्तार किया है । जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं । इस विषय में देखिए स्मृतिवन्दिना (१, पृ० ९५-१०४), स्मृतिमुक्ताफल, आह्निकप्रवाश (पृ० २२१-२४०), आह्निक-तत्त्व (पृ० ३३३-३४४), गृह्यसूत्रानुसार (पृ० १५०-१७२) आदि । आपस्तम्बस्मृति (पृष्ठ में) के मत से आचमन की

१७. तीर्थमिति ॥ इक्षिणहस्तेऽवतारप्रदेशनामपेयम् । लोकेऽप्यवकाशवतारे तीर्थमन्व प्रतिष्ठा । तानि च विज्ञेयकार्यापिचर्यात् 'स्तुत्यर्थं' देवताभिरास्यायन्ते । चिद्वह्य (याज्ञवल्क्य १।१९) ।

विधि चार प्रकार की है—पौराणिक (जिसमें प्रत्येक आचमन में केशव, नारायण, माधव आदि के नाम लिये जाते हैं), स्मार्त (जैसा कि मनु २।६० आदि स्मृतियों में कहा गया है), आगम (जैसा कि षोडश एव वृष्ण सम्प्रदायों की पवित्र पुस्तकों में सिखाया गया है) एव श्रौत (जैसा कि वैदिक यज्ञों के लिए श्रौतसूत्रों में कहा गया है)। आधुनिक काल में पौराणिक विधि ही बहुधा ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग में लायी जाती है।

दन्तधावन

दन्तधावन का स्थान शौच एव आचमन के उपरान्त एव स्नान के पूर्व है (देखिए याज्ञवल्क्य १।९८ एव दश २।६)। बहुत प्राचीन काल से ही दन्तधावन की व्यवस्था भारत में रही है। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।७) में आया है कि रजस्वला स्त्रियों को दन्तधावन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पन्न पुत्र के दांत काले हो जायेंगे। दन्तधावन एक स्वतंत्र कृत्य है, यह स्नान तथा प्रातः काल की सन्ध्या का कोई अंग नहीं है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।८।५) में लिखा है कि जो गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके लौट आया है उसे बाद में भी यदि गुरु का सम्पर्क हो जाय तो दन्तधावन, शरीर-मर्दन, केशविन्यास नहीं करना चाहिए और न वेदाध्ययन के समय यह सब कृत्य ही करना चाहिए (१।३।१।१०-१२)। गौतम (२।१९) एव वसिष्ठधर्मसूत्र (७।१५) के अनुसार ब्रह्मचारी को बहुत देर तक दन्तधावन करने का आनन्द नहीं लेना चाहिए।

गोमिलस्मृति (जिसे छन्दोग-परिशिष्ट भी कहा जाता है) में आया है कि जब व्यक्ति जल से या घर पर मुह धोता है तो मन्त्रोच्चारण नहीं करता है, किन्तु जब वह दातुन (लकड़ी का टण्डल) प्रयोग में लाता है तो यह मन्त्र कहता है—“हे वृक्ष, मुझे आयु, बल, यश, ज्योति, सम्मान, पशु, धन, ब्रह्म (वेद), स्मृति एव बुद्धि दो।” पारस्कर-गृह्यसूत्र (२।६) एव आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१२।६) में समावर्तन के समय उदुम्बर (गूलर) की लकड़ी की दातुन करने की व्यवस्था है।

दातुन की लम्बाई, वृक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग में लायी जा सकती है या निषिद्ध है), दिन एव अवसर (जिस दिन या अवसर पर दन्तधावन नहीं किया जाता) के विषय में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। दो-एक नियम यहाँ उल्लिखित हो रहे हैं। ऐसे वृक्ष की टहनियाँ जिसके तने में कण्टक हों और टहनियाँ तोड़ने पर जिससे दूध ऐसा रस निकले, प्रयोग में लानी चाहिए तथा वट, असन, अर्क, खदिर, करञ्ज, बदर, सर्ज, निम्ब, अरिमेद, अपामार्ग, मालवी, ककुभ, बिल्व, आम, पुश्पाग, शिरीष की टहनियाँ प्रयोग में लानी चाहिए।^{१८} ये टहनियाँ स्वाद में कषाय, तिक्त एव कटु होनी चाहिए, न कि मीठी या छट्टी। दन्तधावन में निम्नलिखित वृक्ष प्रयोग में नहीं लाये जाते—पलाश, श्लेष्मातक, अरिष्ट, विनीतक, धव, बन्धूक, निर्गुण्डी, शिष्ट, तिल्व, तिल्लुक, इन्दु, गुग्गुलु, धमी, पीलु, पिप्पल, कोविदार आदि (विष्णुधर्मसूत्र ६।१।१५)। टहनियाँ शुष्क या अशुष्क दोनों हो सकती हैं, किन्तु पेड़ पर की सूखी नहीं

१८. घटासनाकंखदिरश्चञ्जबरत्तर्जनिम्बार्जिमेदापामार्गमाल्तीरुक्नुमबिल्वानामप्यतमम्। काषाय तिक्तं कटुकं च। विष्णुधर्मसूत्र (६।१।१४-१५)। आम्रपालाशबिल्वानामपामार्गशिरीषयो। सादिरस्य करञ्जस्य कदम्बस्य तमव च। अर्कस्य करवीरस्य कुटजस्य विशेषतः। वाप्यतः प्रातःकृत्वाय भक्षयेद्दन्तधावनम्॥ अथवेद की माष्टकी शिक्षा (४।१-२)। सर्वे कण्टकिनः पुष्पा क्षीरिणश्च यशस्विनः। नारदः। आम्रपुत्रागबिल्वानामपामार्गशिरीषयोः। भक्षयेत् प्रातरुपाय वाप्यतो दन्तधावनम्॥ अगिरा। ये समी उदरस्य स्मृतिष्वित्रिका (१, १० १०५-१०६) में पाये जाते हैं। “सर्वे कण्टकिनः—यशस्विनः” नृसिंहपुराण (५।८।४९) का है।

(विष्णुधर्मसूत्र ६१।८ एव नृसिंहपुराण ५८।४६)। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दन्तधावन करना चाहिए, न कि पश्चिम या दक्षिण (विष्णुधर्मसूत्र ६१।१२-१३)। विष्णुधर्मसूत्र (६१।१६-१७) के मत से टहनी बारह अंगुल लम्बी एव कानी अंगुली की पोर जितनी मोटी होनी चाहिए। उसे धोकर प्रयोग में लाना चाहिए तथा प्रयोग के उपरान्त गन्धे स्थान में नहीं फेंकना चाहिए। लम्बाई के विषय में कई मत हैं। नृसिंहपुराण (५८।४९, ५०) के मत से आठ अंगुल या एक बित्ता (प्रादेश), गणं (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०५ म उद्धृत) के मत से चारों वर्णों तथा त्रिव्यो के लिए क्रम से १०, ९, ८, ७ या ४ अंगुल लम्बी टहनी होनी चाहिए। इंट के टुकड़ों, मिट्टी या प्रस्तरों या खाली अँगुलियों से (अंगूठा एव अनामिका के सिवा) मुंह नहीं धोना चाहिए (लघु शातातप ८, ७३, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०६)।

लघु हारीत एव नृसिंहपुराण (५८।५०-५२) के मत से प्रतिपदा, पर्व की तिथियों (जिस दिन चन्द्र दिखाई पड़े, पूर्णमासी, अमावस, अष्टमी, चतुर्विंशती तथा उस दिन जब सूर्य नयी राशि में जाय, देतिए विष्णुपुराण ३।११।११८), पक्षी, नवमी या जिस दिन शत्रुन न मिले, दन्तधावन का स्वाम होना चाहिए तथा केवल १२ कुल्हों (गण्डूषों) से मुंह धो लेना चाहिए। पैठीनसि (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०६) के मत से पास, पत्तियों, जल एव अनामिका को छोड़कर किसी भी अँगुली से दन्तधावन हो सकता है। दन्तविहीन लोग गण्डूषों (कुल्हों से या मुल में पानी भरकर) से मुल स्वच्छ कर सकते हैं। जिस दिन व्रजित न हो, उस दिन जिह्वा को भी इसी प्रकार खडकर स्वच्छ करना चाहिए। श्राद्ध के दिन, यज्ञ के दिन, नियम पालते समय, पति के विदेश रहने पर, अजीर्ण होने पर, विवाह के दिन, उपवास या व्रत में (स्मृत्यर्थसार, पृ० २५) दन्तधावन नहीं होना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६१।१६) में न केवल प्रातःकाल, प्रत्युन प्रत्येक भोजन के उपरान्त दन्तधावन की बात बनी है, ऐसा केवल (देवल के अनुसार) दाँतों के बीच के अद्रोश को निकालने के लिए किया जाता है।

स्नान

दन्तधावन के उपरान्त स्नान किया जाता है। आचमन, स्नान, जप होम एव अन्य कृत्यों में बुझा को दाहिने हाथ में रखना होता है, अतः बुझा के विषय में यहाँ कुछ लिख देना अनिवार्य है।

बुझा का उपयोग—धर्मसूत्र के अनुसार बिना दर्भ एव यमोपवीत के जो वृत्त्य किया जाता है, उसमें इह-लोक एव परलोक में कोई फल नहीं मिलता (कृत्पररत्नावर, पृ० ४८ में उद्धृत)। शातातप के अनुसार "जप, होम, वान, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) या पितृतर्पण के समय दाहिने हाथ में सोना, चाँदी एव बुझा रखने चाहिए" (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०८)। आचमन आदि करते समय दाहिने हाथ या दोनों हाथों में दर्भ का पवित्र (अंगूठी के समान बुझा का गोल छल्ला) रखना चाहिए, जो अनामिका अँगुली में पहना जाता है, या उस समय दाहिने हाथ में केवल बुझा रखना चाहिए। बुझा-धारण कई प्रकार से होता है।" माद्रपद (अमान्त थावण) मास की अमावस को बुझा धारण करने चाहिए, क्योंकि उस दिन एकादश किये गये बुझा कभी बासी (पुराने) नहीं पड़ते और पुनः प्रयोग में लाने

११. शातातप । जपे होमे तथा वाने त्याप्याये पितृतर्पणे । अग्न्य तु कर बुभित्सुपर्वर्जते बुझे ॥ स्मृत-चन्द्रिका १, पृ० १०८; देतिए स्मृत्यर्थसार । अत्र चत्वारः यज्ञाः । हस्तत्रये धर्मधारण हस्तत्रये पवित्रधारण दक्षिणे पवित्रं वामे बुझा दक्षिण एवोभयनिमित्त । आचाररत्नावर, पृ० २४ । देतिए गोभिलस्मृति १।२८ (अपरार्ण द्वारा पृ० ४३ एव ४८० में उद्धृत) ।

जा सकते हैं। चारो वर्णों का पवित्र ४ दर्भों या क्रम से ३, २ या १ दर्भ का होना चाहिए या सबके लिए दो दर्भों का पवित्र होना चाहिए। जिसमें आगे कोई अकुर नहीं फूटते वह दर्भ कहा जाता है, जिसमें पुनः अकुर निकलते हैं वह कुश कहलाता है, किन्तु जब के साथ दर्भ को कुतप तथा जिसके ऊपरी पोर काट डाले गये हैं वह तुषण कहलाता है। तिल के भेत में उगने वाले तथा जिनमें सात अकुर हो ऐसे कुश बड़े मंगलमय समझे जाते हैं।

यज्ञो में प्रयुक्त होनेवाले दर्भों का रंग हरा एवं पाकयज्ञो में प्रयुक्त होनेवालो का रंग पीला होना चाहिए, पितरो के श्राद्ध वाले दर्भ समूल होने चाहिए तथा वैश्वदेव के लिए विभिन्न रंग वाले होने चाहिए। पिण्डदान, पितृ-तर्पण या मलमूत्र-त्याग के समय प्रयुक्त दर्भ पेंक देने चाहिए (स्मृत्यर्थसार, पृ० ३७)। यदि दर्भ (कुश) न मिले तो कास वा दूर्वा का प्रयोग हो सकता है।

स्नान—इसका वर्णन कई प्रकार से हो सकता है। यह या तो मुख्य (जल के साथ) या गौण (बिना जल के) होता है, और पुनः ये दोनों प्रकार कई भागो में बँटते हैं। दश (२।४८) के मत से स्नान नित्य (आवश्यक—प्रति दिन वाला), नैमित्तिक (किन्हीं विशेष अवसरों पर किया जाने वाला) एवं काम्य (किसी फल-प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला) होता है। सभी वर्णों को प्रति दिन जल में या जल से पूरे शरीर के साथ (सधिर) स्नान करना चाहिए (बोधायनधर्मसूत्र २।४।४, मनु २।१७६ एवं ४।८।८२) तथा द्विजातियों को वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। इसे ही नित्य स्नान कहते हैं। बिना नित्य स्नान के होम, जप एवं अन्य कृत्य नहीं सम्पादित हो सकते (शत ८।२ एवं दश २।९)। शरीर गन्दा होता है, क्योंकि इससे दिन और रात गन्दगी निकला करती है, अतः प्रति प्रातः स्नान करने इसे स्वच्छ करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान द्वारा दुश्चर्य एवं अदुश्चर्य फल प्राप्त किये जाते हैं।

याज्ञवल्क्य (१।९५ एवं १००), लघु-आश्वलायन (१।१६, ७५), दश (२।९ एवं ४३) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थों को दो बार, प्रथम प्रातः और दूसरा मध्याह्न में, स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए एक बार तथा वानप्रस्थों के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है (मनु ६।६)। किन्तु मनु (६।२८) एवं याज्ञवल्क्य (३।४८) के अनुसार वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए प्रातः, मध्याह्न एवं साय (तीन बार) स्नान करने की व्यवस्था है। स्मृत्यर्थसार (पृ० २७) के अनुसार आजकल बहुधा मध्याह्न के पूर्व स्नान होता है, यति लोग प्रातः स्नान करते हैं, और प्रातः ही व्रत करने वाले, ब्रह्मचारी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, वेदपाठी छात्र तथा तप में लगे हुए लोग स्नान करते हैं। दन्तधावन के उपरान्त सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए (विष्णुधर्मसूत्र ६।४।८)। गोमिलस्मृति (२।२४) के अनुसार स्नान के समय मन्त्रपाठ करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होम के समय (पूर्व दिशा में एक विंशति बार सूर्य के उठ जाने तक) पाठ तो होता ही है (देखिए मनु २।१५)। मध्याह्न स्नान दिन के चौथे भाग में (दिन आठ भागों में विभाजित करने) करना चाहिए तथा साय में मुरमुरी मिट्टी, गोबर, पुष्प, अक्षत धावल, कुश, तिल एवं चन्दन होना चाहिए (दश २।४३ एवं लघु-ब्यास २।९)। रोगी व्यक्ति को मध्याह्न स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा स्नान (वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए) सूर्यास्त के पूर्व (सूर्यास्त के उपरान्त या रात्रि में नहीं) कर लेना चाहिए। रात्रि-स्नान वर्जित है, किन्तु प्रहण, विवाह, जन्म-मरण या किसी धर्म के समय यह वर्जित नहीं है। मनु (४।१२९ तथा कुल्लूक की इस पर व्याख्या) एवं पराशर (१।२।२७) के अनुसार रात्रि की गणना विशेषतः दो प्रहर के उपरान्त होती है।

नित्य स्नान शीतल जल से होना चाहिए। साधारणतः गर्म जल वर्जित है। शत (८।९-१०) एवं दश (२।६४) के अनुसार गर्म जल या दूसरे के लिए रखे हुए जल से स्नान करने पर अदुश्चर्य आध्यात्मिक सुन्दर फल नहीं प्राप्त होता। नैमित्तिक एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक दशा में शीतल जल से होते ही हैं, केवल नित्य स्नान में ही बन्धी कभी अपवाद पाया जा सकता है (गर्म, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२३ में उद्धृत)।

मनु (४।२०३), विष्णुधर्मसूत्र (६।१-२ एवं १५-१६) यानबन्धन (१।१५९), दश (२।४३), श्वात-स्मृति (३।७-८), दश (८।२) तथा अन्य लोगो का कथन है कि प्रति दिन स्वाभाविक जल में अर्थात् नदियों, बार्णियों (मन्दिरों से सम्बद्ध), झीलों, गहरे कुण्डों एवं पर्वत-प्रपातों में स्नान करना चाहिए। किन्ती दूसरे के जल (कूप या कुण्ड आदि) में स्नान नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्यत्र जल न हो तो कुण्ड के जल में से ३ या ५ मूट्टी मिट्टी निकालकर या कूप में से ३ या ५ पडा जल निकालकर स्नान करना चाहिए। इस विषय में बात यह है कि एगान करने से कुण्ड या कूप वाला व्यक्ति स्नान करते-वाले के पुण्य का भागी हो जायगा (बौधायनधर्मसूत्र २।३।७), या स्नान करनेवाला उसके पाप का भागी हो जायगा (मनु ४।२०१-२०२)। यदि उपर्युक्त दग का स्वाभाविक जल न प्राप्त हो सके तो अपने घर के आँगन में कूपजल से इस प्रकार स्नान करना चाहिए कि बत्न भीग जायें। मनु (४।२०३) में प्रयुक्त नदी एवं गर्त का अर्थ यो है—नदी वह है जो कम-से-कम ८००० घनप की लम्बाई की हो, इससे छोटे अन्य नदी-नाले गर्त कहे जाते हैं। श्रावण एवं माघों में नदियां रजस्वला होती हैं (गन्दे जल वाली होती हैं) अतः उनमें स्नान बजित है, केवल उन्ही नदियों में इन महीनों में स्नान करना चाहिए जो समुद्र में मिलती हैं। किन्तु उपाश्रम, उत्सर्ग, मरण, ग्रहण के समय इन नदियों में भी स्नान करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६।१।७) के अनुसार क्रम से निम्नीकृत जल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है; पात्र में रखा हुआ जल, कुण्ड-जल, प्रपात-जल, नदी का जल, मद्र लोगों द्वारा प्राचीन समय से प्रयुक्त जल एवं गंगा नदी का जल।

विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में स्नान-विधि विभिन्न ढंगों से वर्णित है। गोमिलस्मृति (१।१३७) के मत से प्रातः एवं मध्याह्न-स्नान की विधि समान है। श्रौत यज्ञ करनेवालों के लिए प्रातःकाल का स्नान सशिव होना है। विष्णुधर्मसूत्र (६।१।८-२२) के अनुसार शरीर से धूल झाड़कर तथा जल में एवं भुरमुरी मिट्टी से गन्दगी स्वच्छ करके जल में उतरना चाहिए, तब ऋग्वेद की तीन ऋचाओं (१०।९।१-३) के साथ जल का अभिमन्त्रण (आह्वान) करना चाहिए ("आपोहिष्ठा"), इसी प्रकार चार मन्त्र ("हिरण्यवर्णा", तैत्तिरीय संहिता ५।६।१।१-२ एवं "इत्थमा प्रवृत्त", ऋग्वेद १।२३।२२ या १०।९।८) बहने चाहिए। पानी में सड़े होकर तीन बार 'अधमर्षण' सूक्त (ऋग्वेद १०।१०।१-३, ऋत व सत्यम् आदि) या "तद् विष्णो धरम पदम्" (ऋग्वेद १।२।२०) या दुपदा पापनी (वाजसनेयी संहिता २०।२०) या "मुञ्जते मन" के साथ अनुवाक (ऋग्वेद ५।८।१।१-५) या पुण्यसूक्त (ऋग्वेद १०।९।१-१६) पढ़ना चाहिए। स्नान करने के उपरान्त भीमे कण्डों के साथ जल में ही देवताओं एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यदि बत्न परिवर्तन कर लिया हो तो पानी से बाहर आने पर भी तर्पण ही सक्त है। आज-कल भी बहुत-से ब्राह्मण पानी में सड़े होकर पुरुषसूक्त का पाठ करते हैं। और दैतिए शरास्मृति (९), मदनपारिजात (५० २७०-२७१), गृह्यसूत्राकर (५० २०६-२०८) एवं पराशरस्मार्तवीथी (१।१, ५० २७४-२७५) आदि, जहाँ शशास्मृति (अध्याय ९) उद्धृत है। कात्यायन के स्नानसूत्र (गृह्यसूत्राकर, ५० २०८-२११ में उद्धृत) में भी स्नान-विधि सविस्तर वर्णित है, जिसे यहाँ स्थानाभाव में नहीं दिया जा रहा है।

अपराकं द्वारा उद्धृत योगियाश्रवत्य में आया है कि यदि कोई विस्तार के साथ स्नान न करना चाहे तो सक्षेप में इतना ही करना चाहिए—जल का अभिमन्त्रण, लाचमन, तब मूर्जेन (कुत्त से शरीर पर जल छिड़वना), इसके उपरान्त स्नान तथा अधमर्षण (ऋग्वेद १०।१०।१-३)। गृह्यसूत्राकर (५० २१५-२१७) पशुपुराण एवं नृसिंहपुराण की विधि उद्धृत करके कहता है कि पशुपुराण की विधि सभी वर्णों के लिए मान्य है, तभी वैदिक शाखाओं के लिए समान है, केवल गृहों के लिए वैदिक मन्त्रपाठ बजित है। स्मृत्यनुसार (५० २८) में भी स्नान का एक सविस्तृत बर्णन उपस्थित किया है।

स्नान करते समय कुछ नियमों का पालन परमावश्यक है। गौतम (१।६०) के अनुसार बस्त्रहीन होकर

स्नान नहीं करना चाहिए, और न सारे कपड़ों के साथ ही, केवल नीचे का वस्त्र पर्याप्त है। मनु (४।२९) के अनुसार खाने के उपरान्त स्नान नहीं करना चाहिए। जल के भीतर मूत्र त्याग करना एवं शरीर रगड़ना नहीं चाहिए, यह कृत्य किनारे पर आकर करना चाहिए। जल को पैरो से न पीटना चाहिए और न एक ओर से हलकोरा देकर सारे जल को हिला देना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, पृ० १९१-१९२, वसिष्ठ ६।३६-३७)।

आधुनिक काल के साबुन की माँति प्राचीन काल में मिट्टी का प्रयोग होता था। आजकल देहातो में नारियॉ अपने सिर को चिकनी मिट्टी से या वेसन से धोती हैं। मिट्टी पवित्र स्थान से ली जाती थी न कि वल्मीक, चूहों के बिल या जल के भीतर वाली, न मार्ग, पैद की जड़, मन्दिर के पास की। किसी व्यक्ति के प्रयोग के उपरान्त अवशेष मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु हारीत (७०-७१) के मत से आठ अंगुल नीचे की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, या वहाँ की जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं।

ब्रह्मचारियों को आनन्द लेकर तथा क्रीडा-कौतुक के साथ स्नान नहीं करना चाहिए, केवल लकड़ी की माँति पानी में डूबकर नहाना चाहिए।

महामारत, दस एवं अग्य लोगो के मत से स्नान द्वारा दस गुणो की प्राप्ति होती है, भया बल, रूप, स्वर एवं वर्ण की शुद्धि, शरीर का मधुर एवं गन्धयुक्त स्पर्श, विशुद्धता, श्री सौकुमार्य एवं सुन्दर स्त्री।^{१०}

नैमित्तिक स्नान

शक्तस्मृति (८।१-११), अग्निपुराण तथा अथ लोगो के मत से जल-स्नान छ श्रेणियो में बाँटा गया है— नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाग, मलापकर्षण (या अम्याग-स्नान) एवं त्रिया-स्नान। नित्य स्नान (प्रति दिन का स्नान) ऊपर वर्णित है, नीचे हम अन्य स्नानो पर थोडा-थोडा लिख रहे हैं। किन्ही विशिष्ट अवसरो पर या कुछ विशिष्ट व्यक्तियो या पदार्थो से स्पर्श हो जाने पर जो स्नान किया जाता है, (भले ही इसके पूर्व नित्य स्नान हो चुका हो) उसे नैमित्तिक स्नान कहते हैं। यथा पुत्रोत्पत्ति पर, यज्ञ के अन्त में, किसी सम्बन्धी के मर जाने पर, ब्रह्मण के समय आदि (पराशर १।२।२६ एवं देवल)। इसी प्रकार किसी जाति ज्युत व्यक्ति को (जिसने कोई भयकर अपराध किया हो), चाण्डाल को, सूतिका को, रजरबला को, शव को, शव छूनेवाले या शव ले जानेवाले को छू लेने पर वस्त्रसहित स्नान करने को नैमित्तिक स्नान कहते हैं (गौतम १।४।२८-२९, वसिष्ठ ४।३८, मनु ५।८५ एवं १०३, याज्ञवल्क्य ३।३०, लघु-आश्वलायन २०।२४)। मनु (५।१४४), शक्तस्मृति (८।३), मार्कण्डेयपुराण (३।४।३२-३३), ब्रह्म-पुराण (१।१।७९), पराशर (७।२८) के अनुसार उलटी करने पर, कई (दस या अधिक) बार मल-त्याग करने पर, केश बनवा लेने पर, दुस्वप्न देखने पर, सम्मोग कर लेने पर, बन्नगाह या श्मशान में जाने पर, चिता के धूम से शरीर घिर जाने पर, यज्ञ का स्तम्भ (धूप) छू लेने पर (जिसमें बाँधकर पशु को बलि देते हैं), मानव-अस्थि छू जाने पर अपने को पवित्र करने के लिए स्नान करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१५।१६) ने लिखा है कि कुत्ता के काट लेने पर या छू लेने पर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार बौद्धो, पानुपतो, जैनी, लोकायतो, नास्तिको, धुणित कार्य करनेवाले द्विजातियो एवं शूद्रो ना स्पर्श होने पर वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३।३०) भी टीका

२०. गुणा दस स्नानशील भजन्ते बल रूप स्वरवर्णप्रशुद्धि। स्वर्णदध गन्धश्च विशुद्धता च श्री सौकुमार्य प्रवराश्च मार्ये ॥ उद्योगपर्व ३७।३३। दस (२।१३) ने भी ऐसा ही कहा है (स्मृत्यपसंसाद, पृ० २५)।

मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११७-११९) एक अन्य निबन्धों के मत से कुछ पक्षिया (यथा बौआ) तथा कुछ पशुओं (यथा—भुरगो या घामीण मूअरो) को छू लेने पर स्नान करना चाहिए।^१

काम्य स्नान तथा अन्य प्रकार

किसी तीर्थ को जात समय या पुष्य नक्षत्र म चन्द्रोदय पर जो स्नान होता है, माघ एव वैशाख मासों में पुष्य के लिए प्रातःकाल जो स्नान होता है, तथा इसी प्रकार के जो स्नान किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किये जाते हैं उन्हें काम्य स्नान की उता मिली है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२२-१२३)।

कूप-मन्दिर, बाटिका तथा अन्य जन-कल्याण के निर्माण-कार्य के समय जो स्नान हाता है, उसे श्रियाग स्नान की उता मिली है। जब शरीर में तेल एव आँवला लगाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्नान होता है, तो उसे मलापकर्षक या अम्यग-स्नान कहा जाता है। सूखे आँवलों के प्रयोग के विषय में मार्कण्डेय-पुराण (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२२), वामनपुराण (१४।४९) आदि में चर्चा हुई है। सप्तमी, नवमी एव पर्व की तिथियों में आमलव-प्रयोग निषिद्ध माना गया है। जब कोई किसी तीर्थ-स्थान पर यात्रा के फल-प्राप्त्यर्थ स्नान करता है तो उसे क्रिया-स्नान कहते हैं।

बीमार व्यक्ति गर्म जल से स्नान कर सकता है। यदि वह उसे सह न सके तो उसका शरीर (स्नान को छोड़कर) पोछ देना चाहिए। इस स्नान को क्षापिल-स्नान कहते हैं। जब रोगी के लिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है और वह इस योग्य नहीं है कि स्नान कराया जा सके तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे धूकर स्नान करना चाहिए, और जब यह त्रिया दस बार सम्पादित हो जाती है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समझा जाता है (यम, अपराणं पृ० १३५, अर्हिस-प्रकाश, पृ० १९७)। जब रजस्वला स्त्री चौथे दिन ज्वर से पीडित हो जाय, तो किसी अन्य स्त्री को दस या बारह बार उसे बार-बार स्पर्श करके वस्त्रयुक्त स्नान करना चाहिए। अन्त में रजस्वला की धोती बदल दी जानी चाहिए। इस प्रकार वह पवित्र हो जाती है (उदाना, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२१ में उद्धृत)।

२१. (१) पुत्रजन्मनि यजे च तथा चात्ययकर्मणि। राहोश्च दन्ते स्नानं प्रसात्त नान्यदा निदि ॥ पराशर १।२।२६।

(२) पतितवग्ङ्गालभूतिश्रीवश्यासावस्पृष्टितत्स्पृष्टपुपस्पशंते सच्लोदकौपस्पशंताच्छुधेत्। शयानुगमने च। गौतम १।४।२८-२९; सपिण्डमरणे चैव पुत्रजन्मनि चै तथा। स्नानं वैमस्तिकं शस्तं प्रवदन्ति महर्षयः ॥ सध्वास्वलायन २।२४।

(३) दुःस्वप्ने संयुने यान्ते विरिषते क्षुरकर्मणि। चित्तिस्पृशमज्ञानास्वर्नां स्पृशं स्नानमाचरेत् ॥ पराशर (याज्ञवल्क्य ३।३० पर मिताक्षरा द्वारा उद्धृत); क्षुरकर्मणि यान्ते च स्त्रीसभोगे च पुत्रक। रनापीत चेत्स्वप्नः कट-भूमिमुपेत्य च ॥ मार्कण्डेयपुराण ३।४।८२-८३, देविए बौधायनयर्मसूत्र १।५।५२।

(४) शौवाण्यानुपतान् स्पृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान्। विश्वंस्थान् द्विजान् सूदान्तवासा जलमाविरोत् ॥ ब्रह्माण्डपुराण (याज्ञवल्क्य ३।३० की टीका मिताक्षरा); स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११८) ने पट्टि-दान्त की उद्धृत किया है—बौद्धान् पानुपताञ्जनान् लोकायतिककायिकान्। विश्वं स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविरोत् ॥

गौण स्नान

जल द्वारा स्नान को बाह्य स्नान कहा जाता है (ऋग्वेद ७।४।१।३ के अनुसार वरुण पानी के देवता हैं)। अन्य गौण स्नान छ हैं—मन्त्र-स्नान, भौम स्नान, आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मानस स्नान। इस प्रकार बाह्य को लेकर सात गौण स्नान कहे जाते हैं। ये स्नान रोगियों के लिए, समयामाव या उस समय के लिए हैं, जब कि साधारण मुख्य स्नान करने में कोई कठिनाई या गड़बड़ी हो। दक्ष (२।१५-१६) एवं पराशर (१।२।९-११) ने भौम एवं मानस प्रकारों को छोड़कर सभी गौण स्नानों की चर्चा की है, और मन्त्र-स्नान के स्थान पर ब्राह्म-स्नान रखा है। वैलानस गृह्यसूत्र (१।२ एवं ५) ने मन्त्र एवं घुबनुज्ञा को समानार्थक माना है। गर्ग एवं बृहद गति ने भौम एवं मानस को छोड़ दिया है और सारस्वत-स्नान जोड़ दिया है। सारस्वत-स्नान में कोई विद्वान् व्यक्ति आशीर्वचन भी कहता है, यथा—‘तुम गंगा तथा अन्य पवित्र जलो से युक्त सोने के घडो से स्नान करो’ (आह्निकप्रकाश, पृ० १९६-१९७)। मन्त्र-स्नान में ‘आपो हि प्ला’ (ऋग्वेद १०।९।१ ३) नामक मन्त्र के साथ जल का छिड़काव होता है, भौम (या पार्थिव) में मुरमुरी मिट्टी शरीर में पोत दी जाती है, आग्नेय में पवित्र विभूतिया (यज्ञ या होम की राखी) से शरीर स्वच्छ किया जाता है, वायव्य में गौ वे खुरा से उठती हुई धूल स स्नान करना होता है। दिव्य में मूर्त की किरणों के रहते (घूप में) वर्षा में स्नान करना होता है तथा मानस में मगवान् विष्णु का स्मरण मात्र पर्याप्त होता है।

तर्पण

देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का जल देना स्नान का एक अंग है। तर्पण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग माना जाता है। अरु में सिर तक डूबकी ले लेने के उपरान्त जल में लड़े रूप में ही तर्पण किया जाता है (देखिए मनु २।१७६, विष्णु-धर्मसूत्र ६।४।२३-२४, पराशर १।२।१२-१३)। अजलि से धारा की ओर जल दिया जाता है। वस्त्र-परिवर्तन करके तट पर भी तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के विषय में कई एक मत हैं। कुछ लोगों के मत में स्नान के उपरान्त तुरन्त ही तर्पण करना चाहिए, यह सन्ध्या-पूजन के पूर्व होना चाहिए, और पुन उसी दिन इसे ब्रह्मयज्ञ के अंग के रूप में करना चाहिए। किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से दिन में केवल एक बार सन्ध्या-प्रार्थना के उपरान्त इसे करना चाहिए (आह्निक-प्रकाश, पृ० १९१)। अपनी-अपनी शाखा (वैदिक सम्प्रदाय) के अनुसार ही तर्पण रिया जाता है। ब्रह्मयज्ञ के वर्णन में हम पुन तर्पण के विषय में कुछ लिखेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (६।४।९-१३) के अनुसार स्नान के उपरान्त पानी को हटाने के लिए सिर नहीं झटकना चाहिए, हाथ से भी पानी को नहीं पोछना चाहिए और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त वस्त्र प्रयोग में लाना चाहिए, अपने सिर को तोलिया से ढक देना चाहिए और धुले हुए एक मूर्त दो वस्त्र धारण कर लेने चाहिए।

वस्त्र-धारण

ब्रह्मचारी के वस्त्र-धारण के विषय में पहले ही चर्चा हो चुकी है (भाग २, अध्याय ७)। यहाँ गृहस्थों के परिधान के विषय में सक्षिप्त चर्चा की जा रही है। वैदिक माहिर्य में कतार्ई-नुनाई की चर्चा आलकारिक रूप में हुई है (ऋग्वेद १।१।५।४, २।३।६, ५।२।९।५, १०।१०६।१)। ऋग्वेद (६।१।२-३) में ‘तन्तु’ एवं ‘ओतु’ के नाम आये हैं। परिधान में पहनने के लिए वासय् या वस्त्र शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तैत्तिरीय मंहिता (६।१।१।३) में आया है कि वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षा लेते समय व्यक्ति का क्षीम (सन का बना हुआ) वस्त्र धारण करना पड़ता था। ऋग्वेद संहिता (५।१।१) के उल्लेख से पता चलता है कि कुछ कृत्या में क्षीम वस्त्र शुल्क रूप में दिया जाता था। अथर्ववेद में

बाहरी वस्त्र को बास एव भीतरी को नीबि कहा गया है (८।२।१६)। ऋग्वेद (१।१६२।१६) में 'अधिवास' शब्द भी आया है जो सम्भवतः आवरण या घूँसट का द्योतक है। तैत्तिरीय संहिता (२।४।१।२) में काले मृग के चर्म का वर्णन हुआ है। शतपथब्राह्मण (५।२।१।८) में कुशा-वास का नाम आया है। 'कीरा' शब्द का अर्थ 'बुस घास का बना हुआ' या बीरोय अर्थात् 'जम का बना हुआ' हो सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (२।३।६) में लाल रंग में रंगे हुए वस्त्र के साथ श्वेत रंग के ऊनी वस्त्र की चर्चा हुई है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वस्त्र ऊनी या सन का बना होता था, रेशमी (कीरोय) वस्त्र पूरु अवसरों पर धारण किया जाता था, मृगचर्म भी वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था तथा वस्त्र लाल रंग में रंगे भी जाते थे। सूती वस्त्र होते थे कि नहीं, इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूत्रों एवं मनुस्मृति में सूती कपड़ों की स्पष्ट चर्चा मिलती है, इससे प्रकट होता है कि इसके बर्द पतान्दियों पूर्व सूती कपड़ों का भाविष्कार हो चुका था (विष्णुधर्मसूत्र ७।१।५ एवं ६।३।२४) तथा मनु ८।३।२६ एवं १२।६४)। यूनानी एरियन के उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय वस्त्र रुई का बना होता था।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२२-२३) में अनुसारगृहस्य को ऊपरी तथा नीचे के अंगों के लिए दो वस्त्र तथा यदि धरिद्र हो तो एक जनेऊ धारण करना पड़ता था। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१४) में अनुसार स्नातक को (जो छात्र-जीवन समाप्त करने छोड़ता है) ऊपर और नीचे वाला वस्त्र तथा एक जोड़ा जनेऊ (दो यज्ञोपवीत) धारण करने पड़ते थे। बौधायनधर्मसूत्र (१।३।२) में भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि स्नातक को पगड़ी पहननी चाहिए, मृगचर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए तथा जूते और छाता प्रयोग में लाने चाहिए। अपरार्क (पृ० १३३-१३४) में व्याघ्र एव योगयाज्ञवल्क्य को उद्धृत करते उपर्युक्त बातें दृष्टायामि हैं तथा योगयाज्ञवल्क्य की यह बात भी लिखी है कि यदि दूसरा स्वच्छ किया हुआ वस्त्र न मिल सके तो ऊन या बम्बल या सन का बना हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (१।६।५-६, १०-११) में यज्ञ एवं पूजा के समय नवीन या स्वच्छ वस्त्र धारण की बात कही है। यज्ञ करनेवाले, उसकी स्त्री तथा पुरोहितों को स्वच्छ एवं हवा में सुखाये हुए वस्त्र धारण करने चाहिए, किन्तु अभिचार (शत्रुओं की हानि) करने के लिए जो यज्ञ किये जाते हैं, उनमें पुरोहितों को लाल रंग में रंगे हुए वस्त्र एवं पगड़ी धारण करनी चाहिए। वैदिक यज्ञों में सन के बने हुए वस्त्र, उनमें अभाव में सूती या ऊनी कपड़ों धारण किए जाने चाहिए। जैमिनि (१०।४।१३) की व्याख्या में पावर ने धृति-उक्तिर्वा उद्धृत की है और कहा है कि यज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी को आदर्श यज्ञ में नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए तथा महायज्ञ में नवीन वस्त्र के अनिर्वृत ताप्यं (रेशमी वस्त्र) तथा कुशा घास का बना हुआ वस्त्र (पत्नी के लिए) धारण करना चाहिए।" वेदाध्ययन, देवालय, बूप, तालाब आदि के निर्माण के समय, दान देते समय, भोजन करते समय या आचमन करते समय उत्तरीय धारण करना चाहिए। यही बात विष्णुपुराण (३।१२।२०) में भी कही है।" इस विषय में अन्य सत्र देखिए।

२२ महायज्ञ में श्रूयते ताप्यं पञ्चमान परिवृत्ते दशमय पत्नी इति। अस्ति तु प्रभृती अहतं वास परिवृत्ते इति। शयन (जैमिनि १०।४।१३)। ताप्यं किस प्रकार परिवृत्त किया जाता है, इसके लिए देखिए बौधायनधर्मसूत्र (१।६।१३)। 'अहत' शब्द के दो अर्थ हैं; (१) बरधे पर से सीधे आया हुआ नवीन वस्त्र (बिवाह या इसके समान मंगलमय श्रुतियों में), (२) यह वस्त्र जो धोकर स्वच्छ कर दिया गया है, किन्तु महौनों से प्रयुक्त नहीं हुआ है और वास्तव में बिल्कुल नवीन है और उसकी कीर आदि दुष्ट है। देखिए स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११३)।

२३. होमदेवावर्चनाद्यासु त्रियासु पठन्ते तथा। नैव वस्त्रं श्रद्धतं द्विजो नाचमने जपे ॥ विष्णुपुराण ३।१२।२० (हिमात्रि द्वारा पतलच्छ, पृ० ३५ में उद्धृत)।

यथा गौतम (१।४५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।३०।१०-१३), बौधायनधर्मसूत्र (२।८।२४), मार्कण्डेयपुराण (३।४।४२-४३)। गौतम, आपस्तम्बधर्मसूत्र, मनु (४।३४४३५), याज्ञवल्क्य (१।१३१) तथा अन्य लोगों के मत से स्नातक एव गृहस्थ को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और वे वस्त्र रगीन, मढ़ेंगे या कटे फटे, गन्दे या दूसरे द्वारा प्रयुक्त नहीं होने चाहिए।^{११} लाल (वापाय) कपडा धारण करके अप, होम, दान, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे देवता का समीप नहीं पहुँच सकते।^{१२} नील के रंग में रंगा हुआ वस्त्र भी वर्जित है यदि ऐसा कोई करता था तो उसे उपवास करना पड़ता था और पञ्चगव्य पीना पड़ता था। गौतम (१।५७), मनु (४।६६), विष्णुधर्मसूत्र (७।१।४७), मार्कण्डेयपुराण (३।४।४२-४३) के अनुसार दूसरे के द्वारा प्रयोग में लाये गये जूते, कपड़े, यज्ञोपवीत, आमूषण, माला घडा अपन प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, किन्तु यदि ये मिल न सकें तो जूते, माला एव वस्त्र धोकर काम में लाये जा सकते हैं।^{१३} स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११३) में उद्धृत गर्ग के मत से ब्राह्मण, शत्रिय एव वैश्य को क्रम से श्वेत, लाल के साथ चमकौले तथा पीले एव सूद को काले तथा गन्दे वस्त्र धारण करने चाहिए। महाभारत के अनुसार देवपूजन के समय के वस्त्र मार्ग में चलते समय या सोते समय के वस्त्रों से भिन्न होने चाहिए। पराशरभाष्यीय द्वारा उद्धृत प्रजापति के अनुसार तपण के समय रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए, या वह जिसका रंग नारंगी हो, किन्तु मड़-कौले रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए।^{१४} सम्भवतः इसी कारण कालान्तर में भोजन एव देवपूजन के समय, भारत के कुछ प्रान्तों में रेशमी वस्त्र के धारण का नियम-सा हो गया है। मनु (४।१८) एव विष्णुधर्मसूत्र (७।१।५-६) के मत से अपनी अवस्था, व्यवसाय, धन, विद्या, कुल एव देश का अनुसार वस्त्र धारण करने चाहिए। वानस्पत्य एव सन्यासिया के वस्त्र धारण के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। नीचे वे वस्त्र के धारण की विधियों के विषय में स्मृतियों में नियम पाये जाते हैं। निचत्रा वस्त्र तीन स्थानों पर बँधा हुआ (त्रि-बन्ध) या छोटा हुआ होना चाहिए, यथा—नाभि के पास, बायी ओर और पीछे की ओर। वह ब्राह्मण सूद है जो पीछे की लाँग या पिछुआ को पीछे की ओर नहीं बाँधता या एक छोर को पीछे पूछ की भाँति लटका देता या गलत ढंग से गन्त स्थान पर बाँधता है, या इसके धूमे हुए भाग को उसने बटि के चारों ओर बाँध लिया है, या शरीर के ऊपरी भाग को नीचे वे वस्त्र से ढक लिया है (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, पृ० ३५१-३५३ एव स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ११३-११४)।

२४. सति विभये न जीर्णमलवद्रासा स्यात् न रक्तमुल्बणमन्यपुत वासो विभूयात्। गो० १।४-५; सर्वान् शगान् वाससि बर्जयेत्। कृष्ण च स्वाभाविकम्। अनुर्भासि वासो वसोतं। अप्रतिकृष्ण च शक्तिविषये। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।३०।१०-१३)।

२५. काषायवासा घान्कुप्यते जपहोमप्रतिग्रहान्। न तद्देवगम भवति हव्यकष्येषु यद्वि॥ बौधायनधर्म-सूत्र २।८।२४ (अपराकं, पृ० ४६१ में उद्धृत)।

२६. उपानद्रव्रमाल्यायि धृतमर्ग्यं धारयेत्। उपवीतमलकार करक चैव बर्जयेत्॥ मार्कण्डेयपुराण ३।४।४२-४३।

२७. अन्यदेव भवेद्भास शयनीयेत्यदेव तु। अन्यद्रव्यासु देवानामर्चायाभ्यदेव तु॥ अनुशासन पर्व १०।४।४६ (अपराकं द्वारा पृ० १७३ में तप, गृहस्पतरत्नाकर द्वारा पृ० ५०१ में उद्धृत)। माष्यवीये प्रजापति। क्षीम वास प्रजासन्ति तपणे सदश तथा। काषाय धातुरस्त वा मोल्बर्णं तत् कर्त्तव्यम्॥ आचाररत्न, पृ० ३३।

तिलक या चिह्न-अंकन

स्नानोपरान्त आचमन करके (दश २।२०) अपनी जाति एवं सम्प्रदाय के अनुसार मस्तक पर चिह्न बनाना चाहिए, जिसे तिलक, ऊर्ध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र आदि कहा जाता है। इस विषय में आर्तिप्रकार (पृ० २४८-२५२), स्मृति-मुक्ताफल (आर्ति, पृ० २१२-२१०) में विस्तार से माप नियम दिये गये हैं। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि ऊर्ध्व-पुण्ड्र (मस्तक पर एक या अधिक छठी रेखाओं) के लिए पर्वत-सागर, नदी-तट (गंगा, सिन्धु आदि पवित्र नदियों के तट), विष्णु के पवित्र स्थल, बलमीन एवं तुलसी की जड़ से मिट्टी लेनी चाहिए।^१ अंगूठा, मध्यमा एवं अनामिका २७ ही प्रयोग तिलक देते समय होना चाहिए नरक का रूपों मिट्टी से नहीं होना चाहिए। चिह्न के स्वरूप निम्न प्रकार के होने चाहिए, बीच की जवाला, बाँध की पत्ती कमल की पत्ती, मछली, कछुआ, दास के समान, चिह्न का आकार दो से स्वर दस अंगुल तक ही सकता है। ये चिह्न मस्तक, छाती, गले एवं गले के नीचे के गड्ढे, घेठ, घाम एवं दक्षिण भागों, बाहुआ, बानों, पीठ, गर्दन के पीछे होने चाहिए और इन वारही स्थानों पर चिह्न लगाते समय विष्णु के बारह नामों (वेदाय, नारायण आदि) का उच्चारण होना चाहिए। त्रिपुण्ड्र चिह्न (तीन देवी रेखाएँ) शरम से सदा तिलक चन्दन से किया जाता है।^२ ब्रह्माण्डपुराण में अनुसार स्नान करने के उपरान्त मुरमुरी मिट्टी से ऊर्ध्वपुण्ड्र इस प्रकार बनाया जाता है कि वह हरि के चरण के समान लगन लगे, इसी प्रकार होम के उपरान्त त्रिपुण्ड्र तथा देवपूजा के उपरान्त चन्दन से तिलक लगाया जाता है।^३ स्मृतिमुक्ताफल (आर्ति, पृ० २१२) में बामुदेवोपनिषद् का मत प्रचारित किया है कि गोपीचन्दन या उसके अभाव में तुलसी की जड़ की मिट्टी से मस्तक तथा अन्य स्थानों पर ऊर्ध्वपुण्ड्र चिह्न बनाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल द्वारा उद्धृत (आर्ति, पृ० २१२) विष्णु के मत से यदि बिना ऊर्ध्वपुण्ड्र के मज, दान, जप, होम, वेदाध्ययन, पितृ-सर्पण किया जाय तो निष्फल होता है। वृद्ध-हारीतस्मृति (२।५८-७२) में ऊर्ध्वपुण्ड्र के विषय में बड़े विस्तार से माप दिया है। स्मृतिमुक्ताफल (आर्ति, पृ० २१६) में लिखा है कि पाशुपत एवं अन्य शैव सम्प्रदाय के लोगों ने ऊर्ध्वपुण्ड्र की निन्दा की है और त्रिपुण्ड्र की प्रशंसा की है, इसी प्रकार पाश्चर्याय के मपन। से त्रिपुण्ड्र की निन्दा तथा दास, वन, गदा एवं विष्णु के अन्त आद्य-चिह्नों की प्रशंसा झलकती है। माध्य सम्प्रदाय में वैष्णव भक्त लोग अपने शरीर पर विष्णु के जायघों, यथा—दास, चक्र आदि की गतम धातु (तत्त्व मुद्रा) द्वारा अंकित करते हैं (आरम्भिक काल में ईसाई लोग भी काल काल से मस्तक पर 'नास' का चिह्न बनाते थे)। वृद्ध-हारीत (२।४४-४५), पृथ्वीचन्द्रोदय आदि ग्रन्थों में इस प्रकार के चिह्नान (शरम लोहे से शरीर पर दास आदि के चिह्न दायन) की प्रशंसा की है और उसे गद्ग के लिए ही योग्य माना है। विन्तु वायुपुराण एवं त्रिपुण्ड्रपुराणों में ऐसे चिह्नान का समर्थन किया है (स्मृत्युक्तार द्वारा उद्धृत)। नात्तानिन्द्रोपनिषद् में त्रिपुण्ड्र लगाने की विधि का वर्णन है। इसी प्रकार स्मृतिमुक्ताफल (आर्ति, पृ० ३०१), आपारमयूर आदि में भी अपने-आपे में विभिन्न मत प्रदर्शित किये हैं। स्मृतिमुक्ताफल

२८. पर्यंतसे नदीतीरे मम क्षेत्रे विद्योपतः। त्रिपुण्ड्रीरे च बल्लोके तुलसीमूलमाश्रिते ॥ मूढ एतास्तु सप्रणया पञ्चदेव्यर्चिताः ॥ ब्रह्माण्डपुराण (स्मृतिचरित्र १, पृ० ११५); और देविए नित्याचारप्रदीप, पृ० ४२-४३।

२९. ऊर्ध्वपुण्ड्र मुदा कुर्यान्त्रिपुण्ड्र भगवता सदा। तिलकं च द्विजः कुर्याच्चन्दनेन यदुच्छया ॥ आर्तिप्रकार, पृ० २५० एवं मन्तपरिचय, पृ० २७९ द्वारा उद्धृत। त्रिपुण्ड्र की परिभाषा यों की गयी है—ध्रुवोपमं सनारम्य प्राय-दन्तो भवेद् ध्रुवो। मध्यमानामिकापुण्ड्रयोर्मध्ये तु प्रतिलोमतः। अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्ड्राख्याभिधीयते ॥

३०. द्वारव युग्मव गोपीचन्दन वैश्रदोद्भवम्। तान्तरालं प्रयुज्यते पुण्ड्रं हरिपरारुहितम् ॥ व्याडकाले विद्यो-पेयं कर्त्तव्यं शोभता च धारयेत्। वृद्ध-हारीत ८।६७-६८।

(आह्निक, पृ० ३१०) ने उन लोगो की भर्त्सना की है जो वैष्णवों एवं शैवों के चिह्नों का भेद एवं झगडा खडा करते हैं।

स्नान के उपरान्त सन्ध्या (याशवल्य १।१८) की जाती है। इसका वर्णन हमने उपनयन के अध्याय (७) में कर दिया है।

होम

सन्ध्या-वन्दन के उपरान्त होम किया जाता है (दश २।२८ एवं याज्वल्क्य १।१८-१९)। यदि ब्राह्मण प्रातः स्नान करने लम्बी सन्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहीं प्राप्त हो सकता। एक मत से सूर्योदय के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (अनुदिते जुहोति), और दूसरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उदिते जुहोति)। किन्तु दूसरे मत से भी सूर्य के एक बित्ता ऊपर चढ़ने के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (गोमिलस्मृति १।१२३)। सायबाल का होम तब होना चाहिए जब तारे निकल आये हो और पश्चिम क्षितिज में अरुणामा समाप्त हो गयी हो (गामिलस्मृति १।१२४)। आश्वलायनश्रौतसूत्र (२।२) एवं आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१।५) के अनुसार होम सगव (दिन की अवधि के पाँच भागों के द्वितीय भाग) के उपरान्त होना चाहिए। इसी से कुछ लोगों ने प्रातः सन्ध्या के उपरान्त होम की बात चलायी है (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६३ में उद्धृत भरद्वाज, नित्याचारपद्धति पृ० ३१४ एवं सत्वारप्रकाश, पृ० ८९०)। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि मनुष्य पर तीन ऋण होते हैं, देवऋण ऋषिऋण एवं पितृऋण, जिनमें प्रथम वी हम होम द्वारा चुकाने का प्रयत्न करते हैं और इसी लिए जीवन भर अग्निहोत्र यज्ञ करने की व्यवस्था है। जिस अग्नि में होम होता है, वह श्रोत या स्मार्त हो सकती है। श्रौत अग्नि के लिए कुछ नियम थे। केवल वही व्यक्ति, जिसके केश पचे न हों, जो पुत्रवान् है या उस अवस्था का है जब कि वह पुत्रवान् हो सकता है, श्रौत अग्नि प्रज्वलित कर सकता था। श्रौत अग्नि उत्पन्न करने के विषय में दो मत हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।१।५-४८) का मत से "ब्राह्मण के लिए तीन श्रौत अग्नियाँ प्रज्वलित करना अनिवार्य था और उनमें दर्शन-पूर्णमाम (अमावस्या एवं पूर्णमासी के यज्ञ), आश्रयण इष्टि, घातुगाम्य, पशु एवं सोमयज्ञ क्रिये जाते थे क्योंकि ऐसा करने का नियम था और इसे ऋण चुकाना मानते थे।" जैमिनि (५।४।१६) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि पवित्र अग्नि की स्थापना का कोई विशिष्ट निश्चित दिन नहीं है, किसी भी दिन पवित्र अग्निलापा उत्पन्न होने पर अग्नि स्थापित की जा सकती है। त्रिवाण्ड-मण्डन (१।६-७) ने दो मत प्रस्तावित किये हैं—एक मत से आधान (श्रौत अग्नि का प्रज्वलित करना) नित्य (अनिवार्य) है, किन्तु दूसरे मत में यह केवल काम्य (किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया) है। जो व्यक्ति पवित्र अग्नि

३१. सन्ध्याकर्मवस्तुने तु स्वयं होमो विधीयते। दश २।२८, प्रातुत्करणमनीना प्रातर्भासा च दर्शनात्। हस्तादूर्ध्वं रविर्धावद् गिरिं हित्वा न गच्छति। तावद्दोमविधिं पुण्यो नाप्योऽग्न्युदितेहोमिनाम्॥ गोमिलस्मृति १।१२२-१२३। होमकाल के विषय में मनु (२।१५) ने कई मत दिये हैं। और देखिए स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६१; बौधायन-गृह्य स० परिशिष्ट १।७२। स्मृत्ययंसार पृ० ३५—प्रातर्होमिं सगवान्त कालस्त्वनुदिते तथा। साध्यमस्तमिते होमकालस्तु नव नाडिका ॥

३२. मनु (४।२६) के मत से वर्षाकाल के उपरान्त नवीन अन्न के आगमन पर 'आश्रयणेष्टि' की जाती थी, पशु-यज्ञ उत्तरायण एवं दक्षिणायन के आरम्भ में किया जाता था (अर्थात् दो बार) और सोमयज्ञ वर्ष के आरम्भ में केवल एक बार किया जाता था। देखिए याज्वल्क्य (१।१२५-१२६)।

प्रज्वलित करता था, वह उसम प्रति दिन आहुतियाँ डालता था। बहुत प्राचीन काल में भी बहुत ही कम लोग श्रौत अग्नि प्रज्वलित रखते थे। गृह्यसूत्रा एव धर्मसूत्रा में ऐसे स्पष्ट गुरत मिलते हैं जिसके आधार पर हम यह मानते हैं कि कुछ लोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे और कुछ लोग नहीं (आश्वयन्तगृह्यसूत्र १।१।४)। वदाध्ययन करना, नमस्कार करना एव अग्नि में समिधा डालना भी वास्तविक यज्ञ माना जाता था। इसम स्पष्ट है कि श्रौत अग्नि सबके लिए अनिवार्य नहीं थी। किन्तु प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की बड़ी महत्ता थी (छादोप्योपनिषद् ५।२४।५)।

तीन पवित्र अग्नियाँ (मेता) थी आहवनीय, गार्हपत्य एव दक्षिणाग्नि। आहवनीय अग्निस्थान वर्गारार, गार्हपत्य का वृत्ताकार (क्यानि पृथिवी गोल है) एव दक्षिणाग्नि स्थान पात्र में गोलाय के बराबर होता था। ब्राह्मणा एव श्रौतसूत्रों में अग्न्याधान (अग्नि प्रज्वलित करने) कतिपय यज्ञा एव उच्च विस्तार के विषय में लम्बा विवेचन किया गया है। हम स्थान-संकोच के कारण इन बातों का विवेचन यहाँ नहीं उपस्थित करे। इस भाग के अन्त में श्रौत यज्ञा के विषय में थोड़ा विवेचन उपस्थित कर दिया जायगा। ऋग्वेद दो मन्त्र यज्ञों में पशु-यज्ञ एव सोम-यज्ञ बहुत कम हुए हैं वे बड़ा कुछ राजाशा सामन्ता एव पवित्र यज्ञ में ही ऐसा किया है। मध्य काल में कुछ ब्राह्मण उग्र अभावस्था एव पूणमासी के यज्ञ, आषाढ इष्टि एव चातुमास्य का यज्ञ थे। किन्तु आधुनिक यज्ञों में एत भी यज्ञ नहीं होने दिए। सहस्रों ब्राह्मणों में एव अग्निहोत्रीय यज्ञों में भी बंदिन ही है।

जो व्यक्ति पवित्र अग्नि प्रज्वलित करता था वह प्रातः एव सायं नित्य श्रौताग्नि में अग्निहोत्र अर्थात् पूत की आहुतियाँ डालता था। प्रत्येक गृहस्थ को प्रातः एव सायं होम करना पड़ता था (मनु ५।२५, याज्ञवल्क्य १।९० आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।२२ एव १।४।१४।१)। जो लोग श्रौत अग्नि नहीं जलाते थे, किन्तु होम करते थे, उनकी अग्नि को औपासन, आवसथ्य, औपसद, वैवाहिक, स्थाय या गृह्य या गालाग्नि कहा जाता था। कुछ लोगों के मत से गृह्याग्नि वैवाहिक अग्नि है और यह विवाह का दिन ही प्रज्वलित की जाती है। हमने पहले ही देखा है कि जब घर विवाहोपरान्त अपने धाम को लौटता था तो विवाहाग्नि भी उमने आगे-आगे ले जायी जाती थी। जिस पात्र में वैवाहिक अग्नि ले जायी जाती थी उसे उल्ला कहते थे (देखिए आपस्तम्बगृह्यसूत्र ५।१४-१५)। आश्वयन्तगृह्यसूत्र (१।१।१-२) के मत में पाणिग्रहण के उपरान्त उसे या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री या पिप्य को गृह्याग्नि की पूजा करनी पड़ती है। इसकी पूजा (होम) लगातार होनी चाहिए। होमकता है कि जिसकी कारण वैवाहिक अग्नि बूझ जाय, यथा पत्नी के मर जाने या असावधानी के कारण, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का लौकिक अग्नि या पचन अग्नि (मोजन यज्ञाने वाली अग्नि) में प्रति दिन होम करना चाहिए। इस प्रकार अब तब हमने पाँच प्रकार की अग्नियों के नाम पड़े यथा—तीन श्रौत अग्नि (आहवनीय, गार्हपत्य एव दक्षिणाग्नि), औपासन या गृह्याग्नि तथा लौकिक। एव भय अग्नि भी होती है, जिसे सम्य (और यह है छठी अग्नि) कहते हैं। मनु (३।१८५) की व्याख्या में मेघानिधि ने लिखा है कि सम्य अग्नि वह है जो किसी पक्षिक के प्रकोष्ठ में सीत हटाने एव उज्यता होने के लिए प्रज्वलित की जाती है। शतपथब्राह्मण के अनुवादक ने लिखा है कि सम्याग्नि क्षत्रिया द्वारा प्रज्वलित की जाती थी। कात्यायनश्रौतसूत्र (५।१।२०) के अनुसार सम्य अग्नि में गार्हपत्य की प्रति मन्त्र से उल्लस की जाती थी। आपस्तम्बश्रौतसूत्र (५।४।७) ने लिखा है कि आहवनीय अग्नि के पूर्व सम्य अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। स्मृत्यमंसार (पृ० १४) ने लिखा है कि गृहस्थ को १, ५, ४, ३, २ या १ अग्नि जलानी चाहिए बिना अग्नि के उसे नहीं रहना चाहिए। जब कोई प्रेता (आहवनीय, गार्हपत्य एव दक्षिणाग्नि), औपासन, सम्य एव लौकिक (साधारण अग्नि) रखता है, उसे छ अग्नियों वाला (षडग्नि) कहा जाता है जिसके पास प्रेता, औपासन एव सम्य अग्नियाँ रहती हैं, वह षड्वाग्नि कहलाता है इसी व्यक्ति को 'पक्षिपावन' ब्राह्मण (जो मोजन के समय पक्षि में बैठनेवाला को अपनी उपस्थिति से पवित्र करता है) कहा जाता है (देखिए गौतम १।५।२९, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१७।२२, कतिप्यधर्मसूत्र ३।१९, मनु ३।१८५, याज्ञ

वलय १।२२१)। जो श्रेता एव औपासन अग्नि रखता है उसे चतुरग्नि कहा जाता है। जो केवल श्रेता रखता है उसे श्रयग्नि कहा जाता है। जो केवल औपासन एव लौकिक अग्नि रखता है उसे द्व्यग्नि कहा जाता है और जो केवल लौकिक अग्नि रखता है उसे एकाग्नि कहा जाता है।^{११} किसी व्यक्ति की शाखा के गृह्यसूत्र में वर्णित कृत्य औपासनाग्नि में किये जाते थे, किन्तु स्मृतियों में वर्णित कृत्य लौकिक अग्नि में सम्पादित होते थे। किन्तु यदि किसी के पास लौकिक अग्नि को छोड़कर कोई अन्य अग्नि न हो तो उसी अग्नि में सभी प्रकार के कृत्य किये जा सकते हैं। अग्नि-पूजा पर इतना जो ध्यान दिया गया है वह सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन है। अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं वे सूर्य तक पहुँचती हैं, सूर्य हमें वर्षा देता है जिससे अन्न मिलता है और हम सबका पेट पलता है। यही है अग्नि-पूजा के पीछे वास्तविक रहस्य (मनु ३।७६, शान्तिपर्व २६४।११, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १५५ एव पराशरमाधवीय १।१, पृ० १३०)।

गृह्याग्नि रखने के काल के बारे में अन्य मत भी हैं। गौतम (५।६), याज्ञवल्क्य (१।९७), पारस्करगृह्यसूत्र (१।२) एव अन्य लोगो ने मत से जब कोई कुटुम्ब से पृथक् हो, तब भी गृह्याग्नि रखी जा सकती है। शाखायन-गृह्यसूत्र (१।१२-५) ने सब मिलाकर चार विवलय रखे हैं जिनमें दो के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। शेष दो ये हैं—शिष्य गुरुकुल से चलते समय जिस अग्नि में अन्तिम समिधा डालता है, उसमें से अग्नि लेकर घर आ सकता है, पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर छोटा भाई अग्नि प्रज्वलित कर सकता है (यदि अग्रे भी समुक्त परिवार चल रहा हो और सम्पत्ति का बँटवारा न हुआ हो)। बौधायनगृह्यसूत्र (२।६।१७) के मत से यही गृह्याग्नि है जिसके द्वारा उपनयन सस्कार हुआ है उपनयन से समावर्तन तक होम केवल समिधा तथा व्याहृतियों के उच्चारण से हो ता है, समावर्तन से विवाह तक व्याहृतियाँ एव घृत से होता है तथा विवाह से आगे पके हुए चावल या जौ की आहुतियों से होता है।

जिन देवताओं के लिए प्रातः एव सायं अग्निहोत्र किया जाता है, वे हैं अग्नि एव प्रजापति। कुछ लोगो के मत से प्रातः काल सूर्य अग्नि का स्थान ग्रहण करता है (देखिए, बौधायनगृह्यसूत्र २।७।२१, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र १।२।१९, भारद्वाजगृह्यसूत्र ३।३ एव आपस्तम्बगृह्यसूत्र ७।२१)।

प्रातः एव सायं पके हुए भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु उन्हीं अन्नो की हवि बनायी जाती है जो अग्नि को दिये जाने योग्य हो (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।१)। पका हुआ चावल या जौ ही बहुधा दिया जाता है (आपस्तम्बगृह्यसूत्र ७।१९)। गोमिलस्मृति (१।१३१, ३।११४) के अनुसार हविष्यो म प्रमुख हैं यव (जौ), फिर चावल, किन्तु माष, कोद्व एव गौर की कमी भी हवि नहीं बनानी चाहिए, चाहे और कुछ हो या न हो। यव आर चावल के अभाव में दही, दूध या इनके अभाव में यवागू (माँड) या जल देना चाहिए। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।९।६) की टीका में नारायण ने एक श्लोक उद्धृत करके अग्नि में छोड़ने के लिए दस प्रकार के हविष्यो के नाम लिये हैं, यवा दूध, दही, यवागू, घृत, पका चावल, छाँटा हुआ (भूसी निकाला हुआ) चावल, मोम, मास, तिल या तेल एव जल (इस विषय में और देखिए मनु ३।२५७ एव आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१५।१२-१४)। कुछ यज्ञो में मास की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु प्रातः एव सायं वे होम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।९।६)। एक सामान्य नियम यह है कि यदि किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नहीं दिया गया हो तो घृत की ही आहुति दी जानी चाहिए, और यदि किसी

३३. गृह्यसूत्रो षडग्निः स्यात्पञ्चाग्निश्चतुरग्निः। स्याः द्विधमिदं षडग्निर्नाग्निहीनः कथंचन॥
स्मृत्यर्थसाध, पृ० १४।

देवता का नाम न लिया गया हो तो प्रजापति को ही देवता समझना चाहिए। एक और नियम यह है कि तत्त्व पदार्थ को सुव से तथा गुण हवि को राहिनै हाप से देना चाहिए।^१

गोमिल्लगृह्यसूत्र (१।१।१५-१९) ने कहा है—“यदि गृह्याग्नि बृहज्जाय तो त्रिमी वंश्य के घर से या मर्जनपात्र (भाड) से या उसके घर में जो यज्ञ करता है (चाहे वह द्वाभ्यग्न, हा या क्षत्रिय या वैश्य हो) उसे खाना चाहिए या धर्मण से (यह पवित्रता होती है) विन्दु सम्पत्ति नहीं लाती) उत्पन्न करना चाहिए। जैसी वामना हो वैसा ही करना चाहिए।” यही बात शांखायनगृह्यसूत्र (१।१।८), पारस्करगृह्यसूत्र (१।२), आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५।१६-१७) ने भी पायी जाती है। यदि गृह्याग्नि बृहज्जाय तो पति एवं पत्नी को उम दिन प्रायश्चित्त रूप में उपवास करना चाहिए (आपस्तम्बगृह्यसूत्र ५।१९)।

जिस अग्नि में आहुतियाँ छोड़ी जायें, उसमें सूयी लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उसे अच्छे प्रकार से घूमहीन हो जलते रहना चाहिए और लाल-लाल होकर उसे ज्वाला पकते रहना चाहिए (छान्दोग्योपनिषद् ५।२।१ एवं मुण्डकोपनिषद् १।२।२)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१५।१८-२१), मनु (४।५३) एवं अन्य लोग के मत से अपवित्र व्यक्ति को इस अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए, मुह में फलबत्त इमे जलाना भी नहीं चाहिए, अपनी छाट के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, इसमें पैर भी नहीं मेत्रने चाहिए और न साने समय अपने पैरों की ओर रखना चाहिए। गोमिल्ल-स्मृति (१।१।३५-३६) का कहना है कि इस हाप से, मूष से या दर्वों (बच्छु) में नहीं जलाना चाहिए, बल्कि पसा से जलाना चाहिए। कुछ लोग अग्नि को मुह से जलाते हैं, क्योंकि यह मुह में ही उत्पन्न की गयी थी (मनु ४।५३)। लौकिक अग्नि की भाँति इस अग्नि को मुह में नहीं जलाना चाहिए (केवल श्रौत अग्नि मुह से जलायी जा सकती है)।^२

निरव का होम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे द्वारा कराने से उतना फल नहीं प्राप्त होता, विन्दु यदि इसे पुराहित, पुत्र, गृह, भाई, भावजा, दामाद करे तो इसे अपने द्वारा किया हुआ समझना चाहिए (दश २।२८-२९, अथर्वश्रौ, पू० १२५ द्वारा उद्धृत)। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।९।१) ने पत्नी, अविवाहित पुत्री या शिष्य को गृह्याग्नि के होम में सम्मिलित होने की आज्ञा दी है। यही बात शांखायनगृह्यसूत्र में भी पायी जाती है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ३४) ने यह जोड़ा है कि पत्नी एवं पुत्री पर्युषण को छोड़कर होम के सारे कार्य कर सकती है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (६।१।१५-१६) एवं मनु (९।२६-२७) के मत से पत्नी, अविवाहित पुत्री, विवाहित युवा पुत्री, वन पटा जिज्ञा, मूर्त व्यक्ति, रोगी तथा जिसका उपनयन न हुआ हो वह गृह्य के स्थान पर अग्निहोत्र नहीं कर सकती, यदि वे ऐसा करें तो वे तथा गृह्य नरक में पड़ेंगे, अतः जो दूसरे के लिए अग्निहोत्र करना चाहे उसे श्रौत यज्ञों में दक्ष एवं वेदज्ञ होना चाहिए। ये प्रतिबन्ध केवल श्रौत यज्ञों के लिए हैं विन्दु नित्य होम के लिए पत्नी तथा वे लोग, जिन्हें आश्वलायनगृह्यसूत्र ने छूट दी है, समर्थ हैं, जब कि यज्ञ करनेवाला बीमार हो या बाहर गया हो। हरदत्त (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।९।१-२) ने लिखा है कि पति या पत्नी को गृह्याग्नि के समीप रहना चाहिए। लघु-आश्वलायन (१।६९) के मत से गृह्याग्नि रखनेवाले को बिना अपनी पत्नी के प्राम की सीमा नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जहाँ स्त्री रहती है वही होम होना

३४. इव श्रुवेण होतव्यं पाणिना कठिनं हृषिकः। स्मृत्यर्थसार, पू० ३५। श्रौतव्यं सक्तव्यं पुण्यं बाण्डं मूलं कर्म तुणम्। एतद्दरतेन होतव्यं नापत् विचिद्वचोदनात्॥ शौचायनगृह्यसूत्र १।३।८।

३५. पुराणसूक्त (श्रुवेद १०।९०।१३) का कहना है—“मुलादिद्विज्जानिदक्ष प्राणोद्वापुज्जायत।” गृह्यसूत्र-परिभाषा (१।७०) में आया है कि जलाना मुख से होना चाहिए; “मूलेनोपपमेर्वांन मुखदेवोऽप्यजायत”, न कि बर-पण्ड, हाप या मूष से। बेलिए इस विषय में कई विधियों की हरदत्त ने (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१५।२०)।

है। ब्राह्मण किसी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी पत्नी की अध्यक्षता में गृह्याग्नि छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा सकता है, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। जब पति-पत्नी बाहर गये हो तो पुरोहित को गृहस्थ के स्थान पर होम नहीं करना चाहिए। ऋषिक उनके अभाव में ऐसा होम निष्फल एवं निरर्थक होता है (गोमिलस्मृति ३।१)। जब गृहस्थ की अपनी जाति वाली कई पत्नियाँ हो तथा अन्य जाति वाली पत्नियाँ भी हो तो धार्मिक कृत्य किसके साथ हो, इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है (विष्णुधर्मसूत्र २६।१-४७, देखिए अध्याय ९)। पत्नी की मृत्यु पर श्रौत अग्निगोत्र नष्ट करना चाहिए, प्रत्युत व्यक्ति को जीवन भर धार्मिकता के रूप में अग्निहोत्र करते जाना चाहिए। गोमिलस्मृति (३।९) में तो यहाँ तक कह डाला है कि इसके लिए दूसरी सवर्ण या असवर्ण नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए। राम ने सीता-मरिच्योग के उपरान्त मोने की सीता-प्रतिमा के साथ यज्ञादि किये थे। किन्तु सत्यापाद द्वारा अपने श्रौत सूत्र में वर्णित नियम के अनुसार अपरार्ण ने उपयुक्त छूट की मत्संका की है। सत्यापाद का नियम है—“यजमान, पत्नी, पुत्र, सम्पत्, स्थान एवं बाल अग्नि देवता तथा धार्मिक कृत्य एवं घघनों का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३।१)।” सत्यापाद का तर्क यह है कि घृत् की ओर निहारने, चावल को बिना भूसी का करने आदि में वास्तविक पत्नी का कार्य पत्नी के अभाव में उमकी प्रतिमा कुश-प्रतिमा आदि नहीं कर सकती। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका के कथन से प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियों में सत्यापाद की बात दूसरे अर्थ में ली है—“सत्यापाद ने पत्नी के प्रतिनिधि को किसी मानव के रूप में अवश्य स्वीकार नहीं किया है, किन्तु उन्होंने सोने या कुश की प्रतिमा का विरोध नहीं किया है।” बृहहारीत (१।२।४) ने लिखा है कि यदि पत्नी मर जाय तो अग्निहोत्र तथा पचयज्ञ पत्नी की कुश प्रतिमा के साथ किये जा सकते हैं। यदि पत्नी मर जाय, वह स्वयं बाहर चला जाय या पतित हो जाय तो उसका पुत्र अग्निहोत्र कर सकता है (अत्रि १०८)। ऐतरेयब्राह्मण (३।२।८) के अनुसार विधुर वा अपलीव को भी अग्निहोत्र करना चाहिए क्योंकि वेद यज्ञ करने की आज्ञा देता है।

याज्ञवल्क्य (३।२३४, २३९) तथा विष्णुधर्मसूत्र (३७।२८ एवं ५४।१४) के मत से यदि समर्थ व्यक्ति वैदिक, श्रौत एवं स्मार्त अग्नि प्रज्वलित न करे (यज्ञ न करे) तो वह उपपातक का भागी होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१) के अनुसार जो वेद का अध्ययन या अध्यापन नहीं करता या जो पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित नहीं रखता वह सूद्र के समान होता है। यही बात गार्ग्य ने कही है—“यदि विवाहोपरान्त द्विज समर्थ रहने पर भी बिना अग्नि के एक क्षण भी रहता है, तो वह श्राश्य एवं पतित हो जाता है। मुण्डकोपनिषद् (१।२।३) ने घोषित किया है कि जो दश-पूर्वमास एवं अन्य यज्ञ तथा वंशवदेव नहीं करता उमके सातो लोक नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में और देखिए तैत्तिरीय संहिता (१।५।२।१) एवं वाठकसूत्र (१।२)।

जप

याज्ञवल्क्य (१।१९९) आदि ने जप (गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप) को सन्ध्या-भुजन वा एक मास माना है। इस ओर अध्याय ७ में भवेत् किया जा चुका है। याज्ञवल्क्य (१।१९९) ने प्रातः होम के उपरान्त सूर्य के लिए सम्बोधित मन्त्रों के जप की तथा (१।१०१) मध्याह्न स्नान के उपरान्त दायनिर्ग उक्तियों (यथा उपनिषदों की वाणी—गौतम १।१।२२ एवं वसिष्ठधर्मसूत्र २।२।९) के जप की बात कही है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।८।१०-१५) ने विशेषतः ऋग्वेद की ऋचाया के मौन पाठ में पवित्र होने की बात कही है। कुछ विशिष्ट मन्त्र ये हैं—अथमर्षण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३), पावमानी (ऋग्वेद ९), सतसद्विज (तैत्तिरीय संहिता ४।५।१-११), त्रिलुपणं (तैत्तिरीया-रण्यक, १०।४८-५०) आदि। मनु (२।८७), वसिष्ठ (२६।११), शंभुस्मृति (१।२।२८), विष्णुधर्मसूत्र (५।५।२१) का कहना है कि यदि ब्राह्मण और कुछ न करे किन्तु जप अवश्य करे तो वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है।

गोमिलस्मृति (२।१७) के मत से वेद का मन्त्रोच्चारण आरम्भ से जितना हो सके चुपचाप करना चाहिए। तर्पण के पूर्व या प्रायः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में जप होना चाहिए और इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (गोमिलस्मृति २।२८-२९)। विष्णुधर्मसूत्र (६।४।३६-३९) के मत से जप में वैदिक मन्त्र, विशेषतः गायत्री एवं पुरुषसूक्त कहे जाते हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम मन्त्र हैं।

जप तीन प्रकार का होता है, वाचिक (स्पष्ट उच्चारित), उपांगु (अस्पष्ट अर्थात् न सुनाई देने योग्य) एवं मानस (मन में कहना), जिनमें अन्तिम सर्वोत्तम, द्रुंहरा मध्यम तथा प्रथम तृतीय श्रेणी का माना जाता है (देखिए मनु २।८५, वसिष्ठ २६।९, धारा १२।२९)। जप से पाप कट जाता है (गीतम १९।११)। जप कुरा के आसन पर बैठकर किया जाता है। घर, नदी के तट, गोराला, अग्नि-प्रकोष्ठ, तीर्थ, देव-प्रतिमा के सामने जप करना चाहिए, इनमें एक के बाद दूसरा उत्तम माना जाता है और क्रम से आगे बढ़ने पर देव-प्रतिमा के समक्ष वा जप सर्वोत्तम माना जाता है। जप करते समय बोलना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी तथा पवित्र अग्नि प्रबलित करने वाले गृहस्थ वी गायत्री मन्त्र १०८ बार कहना चाहिए, किन्तु ब्रह्मचर्य तथा यति को १००० बार से अधिक कहना चाहिए (मनु २।१०)।

मध्य काल में जब वेदाध्ययन अवनति के मार्ग पर था और पुराणों को अधिक महत्ता दी जाने लगी थी तो निबन्धों ने घोषित किया कि जो सम्पूर्ण वेद जानते हों, उन्हें प्रतिदिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाठ करना चाहिए, जिन्होंने वेद का अल्प अंश पढ़ा हो, उन्हें पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।९०) का जप करना चाहिए और जो ब्राह्मण केवल गायत्री जानता है उसे पुराणों की उक्तियों का जप करना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, पृ० २४९)। बृहदारण्य (६।३.३, ४, ६६३, २१३) के मत से ६ अक्षरी (ओ नमो विष्णवे), या ८ अक्षरी (ओ नमो वामुदेवाय), या १२ अक्षरी (ओ नमो भगवते वामुदेवाय) का जप १००८ बार या १०८ बार करना चाहिए। मन्त्र की सत्या गिनना बई रूप से प्रचलित है, अँगुलियों द्वारा (अँगूठे को छोड़कर), पृथिवी या मीत पर रखाएँ लीचकर या माला की मणियों गिन कर। बिना सत्या जाने जप करना निष्फल माना जाता है। शसस्मृति (१२) के अनुसार माला की मणियाँ सीने की, रत्ना की, मोतियों की, रक्तिक की, रत्नास की, पचास (कमल के बीज) की या पुत्रजीवक की होनी चाहिए। सत्या का गिनना कुरामूल की गाँठों से या चायों हाथ की अँगुलियों को झुकाकर भी सम्भव है। माला में १०८ (सर्वोत्तम) या ५४ (मध्यम) या २७ (कम-से-कम) मणियाँ हो सकती हैं। बालिदास (रघुवरा १।१६६) ने लिखा है कि परशुराम के दाहिने कान पर अक्षयीज की माला थी। बाण (वादम्बरी) ने हद्राक्ष की चर्चा की है। माला-सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए त्मृतिवन्दिका १, पृ० १५२-१५३, परासाराधपवीप १।१, पृ० ३०८-३११, मदनपारिजात, पृ० ८०, आह्वितप्रवास, पृ० ३२६-३२८।

मगलमय एवं अमंगल पदार्थों या व्यक्तियों

होम एवं जप के उपरान्त कुछ काल तक मगलमय पदार्थों को देखना या उन पर ध्यान देना चाहिए; वीर के पदार्थ हैं—गुरजनो का दर्शन, दर्पण या धृत में मृत्-दर्शन, केश-संबारना, आँसू में अजन लगाना या दूर्वा-स्पर्श (गृहस्थ-रत्नाकर, पृ० १८३ तथा मनु ४।१५२)। नारद (प्रवीणक, ५।४।५५) के मत से आठ प्रकार के मगलमय पदार्थ हैं—ब्राह्मण, गाय, अग्नि, सोना, घृत, सूर्य, जल एवं राजा। इन्हें देखने पर झुक्ना चाहिए या इनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आयु बढ़ती है। इस विषय में और देखिए कामनपुराण (१।४।३५-३७), मत्स्यपुराण (२।४३), विष्णुधर्मसूत्र (२।३।५८), आदिपर्व (२।१।४३), ब्रह्मपर्व (१।२।१।४), शान्तिपर्व (४०।७), अनुशासनपर्व (१।२६।१८ एवं १३।१८)। विष्णुधर्मसूत्र (६।३।२६) के मत से ब्राह्मण, वैश्या, जलपूर्ण घटा, दर्पण, चक्रा, छाता, प्रासाद, पक्षा, चँदर, आदि पदार्थों को देखना यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। यदि प्रस्थान करते समय सराबी, पागल, लँगटे,

ऐसे व्यक्ति को जो वमन एवं कई बार मल-त्याग कर चुका हो, पूर्ण मुण्डित सिर वाले, गन्धे वस्त्र वाले, जटिल साधु, बौने, सन्ध्यासी या नारंगी वस्त्र धारण करने वाले को देख ले तो घर में लौट आकर पुनः प्रस्थान करना चाहिए।

शौच, दन्तधावन, स्नान, सन्ध्या, होम एवं जप के कृत्य दिन के आठ भागों के प्रथम भाग में सम्पादित हो जाते हैं। दिन के दूसरे भाग में ब्राह्मण गृहस्थ को वेद-पाठ दोहराना, समिधा, पुष्प, कुश आदि एकत्र करना पड़ता था (दश २।३३, ३५, याज्ञवल्क्य १।९९)। इस विषय में उपनयन के अध्याय में चर्चा हो चुकी है। दिन के तीसरे भाग में गृहस्थ को बेंसा कार्य करना पड़ता था जिसके द्वारा वह अपने आश्रितों की जीविका चला सके (दश २।३५)। इस विषय में ब्राह्मणों के जीवन पर प्रकाश बहुत पहले डाला जा चुका है (अध्याय ३)। गौतम (१।६३), याज्ञवल्क्य (१।१००), मनु (४।३३), विष्णु (६।३१) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थ को राजा या धनिक के पास अपनी, अपने कुल की जीविका के लिए जाना चाहिए। जो जितने ही बड़े कुल का था जितने ही अधिक लोगों का प्रतिपालन कर सके वही उत्तम है तथा जीवित है, जो केवल अपना ही पेट पालता है, वह जीता हुआ मरा-सा है (दश २।४०)।

दिन के चतुर्थ भाग (मध्याह्न के पूर्व) में तर्पण के साथ मध्याह्न-स्नान किया जाता था और मध्याह्न सन्ध्या, देवपूजा आदि की व्यवस्था थी (दश २।४३ एवं याज्ञवल्क्य १।१००)। किन्तु कुछ लोग केवल एक ही बार स्नान करते हैं, अतः उपर्युक्त सन्ध्या आदि केवल उनके लिए है जो मध्याह्न स्नान करते हैं। मध्याह्न के पूर्व के स्नान के साथ देव, ऋषि एवं पितृ-तर्पण, देवपूजा एवं पचयज्ञ किये जाते हैं। अब हम इन्हीं का सविस्तर वर्णन उपस्थित करेंगे।

तर्पण

मनु (२।१७६) के मत से प्रति दिन देवों, ऋषियों एवं पितरों को तर्पण करना चाहिए, अर्थात् जल देकर उन्हें परिचुष्ट करना चाहिए। यह तर्पण देवताओं के लिए दाहिने हाथ के उस भाग से जिसे देवतीय कहते हैं, देना चाहिए तथा पितरों को उसी प्रकार पितृतीय से। जो व्यक्ति जिस वैदिक शाखा का रहता है वह उसी के गृहमूत्र के अनुसार तर्पण करता है। विभिन्न गृहमूत्रों में विभिन्न दार्तेँ लिखी हुई हैं। यहाँ हम आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४।१-५) के वर्णन का उल्लेख करेंगे। देवतर्पण में निम्नोक्त देवताओं के नाम आते हैं और 'तृप्यतु', 'तृप्येताम्' या 'तृप्यन्तु' का उच्चारण एक देवता, दो देवताओं तथा दो से अधिक देवताओं के लिए किया जाता है और प्रत्येक को जल दिया जाता है (प्रजापतिस्तृप्यतु, ब्रह्मा तृप्यतु चावापृषिय्यौ तृप्येताम् आदि)। देवता ३१ हैं, यथा प्रजापति, ब्रह्मा, वेद, देव, ऋषि, सभी छन्द, ओकार, बषट्कार, व्याहृतियाँ, गायत्री, यज्ञ, स्वर्ग और पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिन एवं रात्रि, साह्य, सिद्ध, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, श्वेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्धर्व एवं अप्सराएँ, साँप, पक्षी, गायें, साध्य, विप्र, यश, रक्षस्, मृत (श्राणी)। आधुनिक काल में श्वेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्धर्व एवं अप्सराओं को एक सामासिक पद में रखा जाता है और उन्हें एक ही देवता माना जाता है, तथा मृतों के उपरान्त 'एवमन्तानि तृप्यन्तु' नामक एक अन्य देवगण जोड़ दिया जाता है। हरदत्त (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।३।२) में कुछ लोगों के मत से 'एवमन्तानि' को एक पुष्पक मन्त्र घोषित किया है किन्तु अपने मत के अनुसार 'एवमन्तानि' को पीछे वाले देवता के अर्थ में प्रयुक्त किया है और देवताओं की गणना 'रक्षासि' तक समाप्त कर दी है। हरदत्त ने यह भी लिखा है कि इन देवताओं का तर्पण प्राजापत्य तीर्थ से किया जाता है।

तर्पण करने योग्य ऋषियों को दो भागों या दलों में बाँटा गया है। प्रथम दल के १२ ऋषि हैं, जिनके तर्पण में यज्ञोपवीत निवीत दण्ड से धारण किया जाता है। वे बारह ऋषि हैं—सौ ऋष्याओं के ऋषि, मय्यम ऋषि (ऋग्वेद के दूसरे मण्डल से नवें मण्डल तक के ऋषि), गुरुसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अग्नि, भारद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ, पादमाणी मन्त्र

वे, छोटे मन्त्रों के ऋषि, बड़े मन्त्रों के ऋषि। इनके तर्पण का सूत्र है—सातचिनस्तूप्यन्तु, मध्यजास्तूप्यन्तु, गुप्तमदस्तूप्यन्तु आदि। गुप्तमद, विरवामिन, वामदेव, अग्नि, भरद्वाज, वसिष्ठ क्रम से दूरतरे से लेकर सातवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋष्व गोत्र के प्रगायो का सम्बन्ध आठवें मण्डल के आरम्भिक मन्त्रों से है तथा आठवें मण्डल का दशम भाग अन्य ऋष्व गोत्र वालों का माना जाता है। नवें मण्डल की ऋचाएँ "पावमानी" बही जाती हैं। "दातचिन" का सवेत प्रथम मण्डल के ऋषियों से है। इसी प्रकार "धृदसूक्ता" (छोटे मन्त्रों के ऋषि) एवं "महासूक्ता" (बड़े मन्त्रों के ऋषि) दसवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋषियों को दाहिने हाथ के देवतीर्थ से तर्पण किया जाता है। दूरतरे दल के ऋषियों का तर्पण यज्ञोपवीत को प्राचीनावीत ढग से (दाहिने बगै से वाम भाग में लटकता हुआ) करके किया जाता है। दूसरे दल में दो उपदल हैं। प्रथम उपदल में 'तूप्यन्तु' एवं 'तूप्यतु' त्रियाएँ आयी हैं और ऋषि है—"मुमन्तु-जमिनि-वैशम्पायन-पैल-मुन-माय्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्यास्तूप्यन्तु", "जातन्ति-बाह्वि-गार्ग्य-गौतम-शानत्य-बाभ्रव्य-माण्डव्य-भाण्डूवेगास्तूप्यन्तु", "गार्गी—वाचनवती तूप्यतु, बडवा—प्रातिपेयी तूप्यतु, सुलमा—मैत्रेयी तूप्यतु।" इन ऋषियों में चार वे हैं जो महाभारत में व्यास के शिष्य रूप में उल्लिखित हैं (समापर्व ४।११, शान्तिपर्व ३२।१२६-२७)। उपर्युक्त पाँच वाक्यों में तीन नारियों भी ऋषिरूप में वर्णित हैं, यथा—गार्गी, बडवा एवं सुलमा। दूरतरे उपदल में १७ ऋषि हैं और १८वें ऋषि के रूप में सभी आचार्य आ जाते हैं, यथा—बहोड कौपीतक, महा-कौपीतक पंथ, महापंथ, मुयश, शाक्यायन, ऐतरेय, महैतरेय, शाकन, बाण्डल, मुजातववन, आदवाहि, महौदवाहि, सोजामि, शोन्नन, आश्वलायन, और १८वें हैं "ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तूप्यन्तु।" ये सभी ऋषि ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मणों आरण्यकों एवं अन्य सन्वन्धित ग्रन्थों (शोन्नन द्वारा प्रणीत प्रतिशास्त्र, सूत्र आदि) से सम्बन्धित हैं। आश्वलायन ने स्वयं अपना नाम ऋषियों में रखा है। शोन्नन ऋषि आश्वलायन के आचार्य थे।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४।५) ने पितृतर्पण के विषय में अति सूक्ष्म ढग से लिखा है—"प्रत्येन पीडो के पितरो को पुषद्-मुषद् जल देकर वह अपने पर लौटता है और जो कुछ वह देता है वह ब्रह्मयज्ञ का गुल हो जाता है" (तर्पण तो ब्रह्मयज्ञ का ही एक अंग है)। आयुजिन काल में निम्नांकित ढग अपनाया जाता है—प्रत्येन को (माता, मामामही एवं प्रमातामही के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर) तीन बार पितृ-तीर्थ से जल दिया जाता है और बैसा करते समय पितरो का सम्बन्ध, नाम एव गोत्र बोला जाता है (यथा पिता के लिए—"अहमत्पितरम् अमुक-दामागम् अमुनगोत्र वमुरुष स्वया नमस्तर्पयामि")। क्रम से इन पितरो को जल दिया जाता है—पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना (नाना के साथ मातामह से संयुक्त सपत्नीवम्), परताना, परताना के पिता (उनकी पत्नियों के साथ), अपनी पत्नी, अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि कई मर चुके हों) एवं उनकी पत्नियों (यदि मर चुकी हों), पुत्री (शामाद के साथ, यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हो), चाचा (मृत चाची के साथ), मामा (मृत मामी के साथ), बहिन (मृत बहनोई के साथ), स्वपुत्र (मृत सास एवं मृत माता के साथ), गुरु (गायत्री एवं वेद के आचार्य के रूप में पितातुल्य) एवं शिष्य। स्त्री पितरो के नामों के साथ 'दा' जुड़ा रहता है। पितामहो एवं पितामहियों को 'रद्रूपा' तथा प्रपितामह। एवं प्रपितामहियों को 'आदित्यरूपा' कहा जाता है। माता के तीन पितरो को उनकी पत्नियों के साथ क्रम में 'वमुरुपा', 'रद्रूपा' एवं 'आदित्यरूपा' कहते हैं। उपर्युक्त पितरो के अतिरिक्त अन्य पुराणों एवं नारियों को 'वमुरुपा' कहा जाता है।

३६. शान्तिपर्व (३५।११-१२) से पता चलता है कि मुमन्तु, जमिनि, वैशम्पायन एवं पैल; ये लोग गुरु (व्यास-भुत्र एवं व्यास के शिष्य) के साथ थे।

बहुत-से गृह्यसूत्रों में बहुत-से मतभेद पाये जाये हैं। केवल षोडश-से विभेद उपस्थित किये जा रहे हैं। प्रत्येक सूत्र में तर्पण के देवता विभिन्न हैं। बहुत-से सूत्रों में 'स्वघा नम' आता ही नहीं। कुछ सूत्रों के मत से सम्बन्धियों के गोत्रों के नाम प्रतिदिन के तर्पण में नहीं लिये जाने चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२।५) में तर्पण के विषय का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक देवता, ऋषि एवं पितृगणा के पूर्व 'ओम्' शब्द आता है। इसने बहुत-से अन्य देवताओं के भी नाम गिनाये हैं और एक ही देवता के कई नाम दिये हैं (यथा—विनायक, वक्रतुण्ड, हस्तिमुख, एकदन्त, यम, यमराज, धर्म, धर्मराज, काल, नील, वैवस्वत आदि)। इसने ऋषियों की श्रेणी में बहुत से सूत्रकारों को भी रख दिया है, यथा ऋष्य, बौधायन, आपस्तम्ब, सत्यापाठ तथा याज्ञवल्क्य एवं व्यास। हिरण्यकेशि-गृह्यसूत्र (२।१९-२०), बौधायनगृह्यसूत्र (३।९) एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र (३।९-११) में देवताओं एवं विशेषतः ऋषियों के बहुत से नाम आये हैं।

यदि किसी व्यक्ति को लम्बा तर्पण करने का समय न हो तो धर्मसिन्धु एवं अन्य निबन्धों में एक सूक्ष्म विधि बतलायी है, "व्याक्त दो श्लोक कहकर तीन बार जल प्रदान करे।" इन श्लोकों में देवों, ऋषियों एवं पितरों, मानवों तथा ब्रह्मा से लेकर तृण तक के तर्पण की बात है।

पारस्करगृह्यसूत्र में सलग्न-वात्स्यायन के स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) में तर्पण का वर्णन है। बौधायन के समान यह भी प्रत्येक देवता के साथ 'आम्' लगाने की बात कहता है और इसमें तृप्यताम् या तृप्यन्ताम् (बहुवचन) क्रिया का उल्लेख है। इसमें देवता केवल २८ हैं और आश्वलायन की सूची से कुछ भिन्न हैं। ऋषियों में केवल सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढु एवं पञ्चशिक्ष (कपिल, आसुरि एवं पञ्चशिक्ष को साध्यकारिका ने माध्य-दर्शन के प्रवर्तक माना है और वे गुरु एवं शिष्य की परम्परा में आते हैं) के नाम आये हैं। ऋषितर्पण के उपरान्त गृह्यसूत्रों में जल में तिल मिलाकर एक यज्ञोपवीत को दायें कंधे के ऊपर से बायें हाथ के नीचे लटकाने का बन्धाह्व अनल (अग्नि), सोम, यम, अर्धमा, अग्निप्लातो, सोमगो एवं बर्हिपरो को जल देना चाहिए। पानी में तिल मिलाकर उपर्युक्त लोगों को तीन-तीन अञ्जलि जल दिया जाता है। ऐसा तर्पण पिता के रहते भी किया जाना चाहिए। किन्तु तर्पण का दोषाह (पितृतर्पण) केवल अपितृक को ही करना चाहिए। गोमिलस्मृति (२।१८-२०) एवं मत्स्यपुराण (१०२।४-२१) में बहुत कुछ स्नानसूत्रों की ही भाँति व्यवस्था दी है। आश्वलायन तथा अन्य लोगों के मत से तर्पण दायें हाथ से होता है, किन्तु कात्यायन एवं कुछ अन्य लोगों के मतानुसार दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १९१) में मतभेद उपस्थित होने पर गृह्यसूत्रों के नियम जानने के लिए प्रेरित किया है। वाष्पार्जिनि के अनुसार श्राद्ध एवं विवाह में केवल दाहिने हाथ का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण में दोनों हाथों का। देवताओं को एक-एक अञ्जलि जल, दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों को तथा तीन-तीन अञ्जलि प्रत्येक पितरों को देना चाहिए। भोगे हुए वस्त्रों के साथ जल में खड़े होकर तर्पण धारा में ही किया जाता है, किन्तु शुष्क वस्त्र धारण कर लेने पर सोने चाँदी, तंबू या चाँसे के पात्र से जल गिराना चाहिए, किन्तु मिट्टी के पात्र में तर्पण का जल कभी न गिराना चाहिए। यदि उपर्युक्त पात्र न हो तो कुछ पर जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १९२)। इस विषय में कई मत हैं (देविए गृह्यस्वरत्नाकर, पृ० २६३-२६४)। आजकल आर्हिक तर्पण बहुत कम किया जाता है, केवल षोडश से कट्टर ब्राह्मण, व्याकरणज्ञ तथा शास्त्रज्ञ प्रति दिन तर्पण करते हुए देते जाते हैं। सामान्यतः आजकल श्राद्ध मास में एक दिन ब्रह्मयज्ञ के एक अंश के रूप में अधिकार ब्राह्मण तर्पण करते हैं।

मास के वृष्णपक्ष की चतुर्दशी को यदि मंगलवार आता हो तो यम की विशिष्ट तर्पण किया जाता है (स्मृति-चन्द्रिका १, पृ० १९७-१९८, मदनपारिजात, पृ० २९६, पराशरनाथवीथ, १।१, पृ० ३६१)। दश (२।५२-५५) के मत में उपर्युक्त दिन को यम-तर्पण यमुना में होता था और बहुत-से नामों से यम का आवाहन किया जाता था

(देखिए मत्स्यपुराण २१३।२-८)। तैत्तिरीय संहिता (६।५) में यम के सम्मान में प्रति मास बलि देने की बात पायी जाती है। माघ मस के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म के सम्मान में भी तर्पण होता था (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १९८)।

गौमिलस्मृति (२।२२-३३) ने लिखा है कि सत्तार में सभी प्रकार के जीव (त्यावर एव चर) ब्राह्मण से जल की अपेक्षा रखते हैं, अतः उसके द्वारा इनको तर्पण किया जाना चाहिए, यदि वह तर्पण नहीं करता है तो महान् पाप का भागी है, यदि वह तर्पण करता है तो इस प्रकार वह सत्तार की रक्षा करता है।

कुछ लोगों के मत से तर्पण प्रातः स्नान के उपरान्त किया जाना चाहिए, कुछ लोगों ने लिखा है कि इसे प्रति दिन दो बार करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों ने केवल एक बार करने की व्यवस्था दी है। आदवलायनगृह्यसूत्र ने स्वाध्याय (या ब्रह्मयज्ञ) के तुरत उपरान्त ही तर्पण का समय रखा है, जिससे पता चलता है कि तर्पण स्वाध्याय का मानो एक अंग था। गौमिलस्मृति (२।२९) का कहना है कि ब्रह्मयज्ञ (जिसमें वैदिक मन्त्रों का जप किया जाता है) तर्पण के पूर्व या प्रातः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में किया जाना चाहिए, और विशेष कारण को छोड़कर किसी अन्य समय में इसका सम्पादन वर्जित है।

जाह्निकप्रकाश (पृ० ३३६-३७७) ने कात्यायन, शश, बोधायन, विष्णुपुराण, शोच-याज्ञवल्क्य, आदवलायन एव गौमिलगृह्य के अनुसार तर्पण का सारांश उपस्थित किया है।

अध्याय १८

पञ्च महायज्ञ

वैदिक काल से ही पञ्च महायज्ञों के सम्पादन की व्यवस्था पायी जाती है। शतपथब्राह्मण (११।५।६।१) का कथन है—“केवल पांच ही महायज्ञ हैं, वे महान् सत्र हैं और वे हैं भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ।” तैत्तिरीयारण्यक (१।१।१०) में आया है—“बास्तव मे, ये पञ्च महायज्ञ अजस्र रूप से बढ़ते जा रहे हैं और ये हैं देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ।” जब अग्नि में आहुति दी जाती है, मले ही वह मात्र समिधा हो, तो यह देवयज्ञ है, जब पितरों को स्वधा (या श्राद्ध) दी जाती है, चाहे वह जल ही क्यों न हो, तो वह पितृयज्ञ है, जब जीवों को बलि (मोजन का घ्रास या पिण्ड) दी जाती है तो वह भूतयज्ञ कहलाता है, जब ब्राह्मणों (या अतिथियों) को मोजन दिया जाता है तो उसे मनुष्ययज्ञ कहते हैं और जब स्वाध्याय किया जाता है, चाहे एक ही ऋचा हो या यजुर्वेद वा सामवेद का एक ही सूक्त हो, तो वह ब्रह्मयज्ञ कहलाता है।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१।१-४) ने भी पञ्च महायज्ञों की चर्चा करके तैत्तिरीयारण्यक की भाँति ही उनकी परिभाषा दी है और कहा है कि उन्हे प्रति दिन करना चाहिए।^१ आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१।२) की व्याख्या में तारायण एवं पराशरनाथकीय (१।१, पृ० ११) ने लिखा है कि पञ्च महायज्ञों का आधार तैत्तिरीयारण्यक में ही पाया जाता है। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१२।१३-१५ एवं १।४।१३।१) ने भी कही है।^१ गौतम (५।८ एवं ८।१७), बौधायनधर्मसूत्र (२।६।१-८), गोमिलस्मृति (२।१६) तथा अन्य स्मृतियों में भी पञ्च महायज्ञों का वर्णन किया है। गौतम (८।७) ने तो इन महायज्ञों को सत्कारों के अन्तर्गत गिना है।

पञ्च महायज्ञों की महत्ता

पञ्च महायज्ञों एवं श्रौत यज्ञों में दो प्रकार के अन्तर हैं। पञ्च महायज्ञों में गृहस्थ को किसी व्यावसायिक पुरोहित की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु श्रौत यज्ञों में पुरोहित मुख्य हैं और गृहस्थ का स्थान केवल गौण रूप में रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि पञ्च महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों एवं

१. पञ्चैव महायज्ञाः। तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति। शतपथ ब्राह्मण ११।५।६।७। याज्ञवल्क्य (१।१०।१) की टीका में विश्वरूप ने भी इसे उद्धृत किया है।

२. अथातः पञ्च यज्ञाः। देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति। आश्व० गृ० ३।१।१-२; पञ्चयज्ञानां हि तैत्तिरीयारण्यक मूल पञ्च वा एते महायज्ञा इत्यादि।

३. अथ ब्राह्मणोक्ता विधयः। तेषां महायज्ञा महासत्राणि च सस्तुतिः। अहरहर्भूतबलिर्मनुष्येभ्यो यथाशक्ति दानम्। देवेभ्यः स्वाहाकार आ काष्ठात् पितृभ्यः स्वभाकार ओदपात्रादृषिभ्यः स्वाध्याय इति। आप० ध० सू० (१।४।१२।३ एवं १।४।१३।१)।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें असस्य जीव रहते हैं) अपने बर्तव्यों का पालन। किन्तु श्रौत यज्ञों में त्रिया की प्रमुख प्रेरणा है स्वर्ग, सम्पत्ति, पुत्र आदि की कामना। अतः पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में श्रौत यज्ञों की अपेक्षा अथर्व नैतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदापायता देखने में आती है।

पञ्च महायज्ञों के मूल में क्या है? इनके पीछे कौन से स्थायी भाव हैं? ब्राह्मण एवं श्रौतसूत्रों में वर्णित पवित्र श्रौत यज्ञों का सम्पादन मनुष्य के लिए सम्भव नहीं था। किन्तु स्वर्ग के मूल अग्नि में एक सन्धिया टालकर सभी कोई देवा के प्रति अपने सम्मान की भावना का अभिव्यक्त कर सकते थे। इसी प्रकार दो-एक श्लोका का जप करने कोई भी प्राचीन ऋषिया, साहित्य एवं सस्कृति के प्रति अपनी वृत्तज्ञता प्रकट कर सकता था, और इसी प्रकार एक अञ्जलि या एक पात्र-जठ व तर्पण में कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था और पितरों का संतुष्ट कर सकता था। सारे विश्व के प्राणी एक ही सृष्टि-बीज के धातव ह, अतः सबमें आदान-प्रदान तथा 'जिओ एवं जीने का वा प्रमुख सिद्धान्त काम्य रूप में उपस्थित रहना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित भक्ति, वृत्तज्ञता, सम्मान, प्रिय स्मृति, उदारता, महिष्णुता की भावनाओं ने प्राचीन आर्यों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित किया। इतना ही नहीं इसीलिए गौतम ऐसे गृहकारा तथा मनु (२।२।८) ऐसे व्यवहार-निर्माताओं (वानून बनाने वालों) ने पञ्च महायज्ञों का समारा में परिष्कृत किया, जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले स्वार्थों से बहुत ऊपर उठकर अपने आत्मा का उच्च चरित्र और अपने शरीर को पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों के योग्य बनायें।" बालान्तर में प्रति दिन के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी आ जुटे। मनु (३।६८-७१), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१-२०), रास (५।१।२), ऋगीत, मत्स्यपुराण (५।१।१५-१६) तथा अन्य आगे के मत से प्रत्येक गृहस्थ अग्निपुण्ड्र, चर्वरी, मादू, मूत्र, जलपत्र तथा अन्य परेलू सामग्रियों (यथा चूर्मलेण) से प्रति दिन प्राणियों को अहृत करता एवं मारता है, अतः इन्हीं पापों के छुटकारा पाने के लिए प्राचीन ऋषिया ने पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की। ये पाँच अनिष्ट यज्ञ हैं ब्रह्मयज्ञ (वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन), पितृयज्ञ (पितरों का तर्पण), देवयज्ञ (अग्नि में आहुतियाँ देना), भूतयज्ञ (जीवों का अन्न दान देना) एवं मनुष्ययज्ञ (अतिथि-मत्कार)। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पञ्च महायज्ञ करता है वह उपर्युक्त वर्णित पाँचों म्थानों से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाता है। मनु (३।७३-७४) का कहना है कि प्राचीन ऋषिया ने पञ्च महायज्ञों का अर्थ नामों से उल्लेख किया है, यथा अहृत, हृत, प्रहृत, ब्राह्म्य-हृत एवं प्राणित जो क्रम से जप (या ब्रह्मयज्ञ), होम (देवयज्ञ), भूयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं पितृतर्पण (पितृयज्ञ) हैं। अथर्ववेद (६।७।१२) में उपर्युक्त पाँचों में चारों का वर्णन मिलता है। हृत एवं प्रहृत तो बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में होम (देवयज्ञ) एवं बलि (भूतयज्ञ) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु गृह्यसूत्रों में इनके अर्थ विभिन्न रूप से लगाये गये हैं, यथा साखायनगृह्यसूत्र (१।५) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (१।४) के अनुसार चार पाक्यज्ञ हैं—हृत, अहृत, प्रहृत एवं प्राणित, जो साखायनगृह्यसूत्र (१।१।०।७) के मत से क्रमशः अग्निहोत्र (या देवयज्ञ), बलि (भूतयज्ञ), पितृयज्ञ एवं ब्राह्म्य-हृत (या मनुष्ययज्ञ) हैं।

हारीतधर्मसूत्र ने बड़े ही मनोरम ढंग से एक उक्ति बही है—“अब हम सूनाओं (धातव त्थलो) की ध्यास्या करेंगे। ये सूना सूनाओं के लिए नहीं जानी हैं कि चल एवं अचल प्राणियों की हत्या करती हैं। प्रथम सूना वह है जो अचानक जल में प्रवेश, जल में डुबकी लेने, जल में टिकोरें देना, विभिन्न दिशाओं में कपड़े देना, वस्त्र से बिना छाने हुए जल ग्रहण करने एवं गाड़ियों के चलाने आदि की नियायों से उत्पन्न होती है, दूसरी यह है जो अन्वकार में इधर-उधर चलने, मार्गों की

छोड़कर चलने, धीघ्रता से हिल जाने या कीड़े-मकोड़ों पर चढ़ जाने आदि से उत्पन्न होती है, तीसरी वह है जो पीटने या काटने (कुल्हाड़ी से वृक्ष काटने आदि), चूर्ण करने, चौरने (लकड़ी आदि) आदि से उत्पन्न होती है; चौथी वह है जो अनाज कूटने, रगड़ने या पीसने से उत्पन्न होती है, और पाँचवीं वह है जो घर्षण (लकड़ी से) करने, गमं बरने (जल आदि), भूनने, छीलने या पकाने से उत्पन्न होती है। ये पाँचो सूना, जो हमें नरक में ले जाती हैं, लोगो द्वारा प्रतिदिन सम्पादित होती हैं। ब्रह्मचारी प्रथम तीन सूनाओं से छुटकारा पाते हैं अग्नि-होम, गुरु-सेवा एव वेदाध्ययन से, गृहस्थ लोग एव वानप्रस्थ लोग इन पाँचो सूनाओं से छुटकारा पाँच यज्ञ बरके पाते हैं, यति लोग प्रथम दो सूनाओं से छुटकारा पवित्र ज्ञान एव मनोयोग से प्राप्त करते हैं, किन्तु बिना पकाये गये बीजो को दाँतो तले दवाने से जो सूना होती है वह उपर्युक्त किसी भी साधन से दूर नहीं होती।”

यद्यपि आपस्तम्बधर्मसूत्र एव अन्य ग्रन्थो में पाँचो यज्ञो का क्रम है —मृतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ एवं स्वाध्याय, किन्तु उनके सम्पादन के कालो के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्मयज्ञ (जप आदि), देवयज्ञ, मृतयज्ञ, पितृयज्ञ एव मनुष्ययज्ञ। हम इसी क्रम से पाँचो का विवेचन करेंगे। ब्रह्मयज्ञ एव पितृयज्ञ के काल एव स्वरूप के विषय में कई मत हैं। हम उन मतों का विवेचन यही उपस्थित कर दे रहे हैं। गोभिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सन्ध्या-पूजा के समय के जप को ही ब्रह्मयज्ञ मान लेना चाहिए, अतः ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पूर्व प्रातः-होम के पूर्व या वैश्वदेव के उपरान्त करना चाहिए। आश्वलायन गृह्यसूत्र (३।२।१) की व्याख्या में नारायण ने कहा है कि ब्रह्मयज्ञ वैश्वदेव के पूर्व या उपरान्त किया जा सकता है। कात्यायन के स्नानसूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ तर्पण के पूर्व होता है। आश्वलायन-गृह्यसूत्र में, जैसा कि हमने ऊपर तर्पण के विवेचन में देख लिया है, तर्पण को ब्रह्मयज्ञ का अंग मान लिया है। मनु (३।८२, विष्णुधर्मसूत्र ६।७।२३-२५) के मत से भोज्य या जल या दूध या कन्द-मूल-फलों से आर्क्षिक श्राद्ध सम्पादित करके पितरो को परितुष्ट करना चाहिए। मनु (३।७० एव २८३) ने पुनः कहा है कि (स्नान के उपरान्त किया हुआ) तर्पण पितृयज्ञ का अंग है। अतः गोभिल (२।२८) के मत से पितृयज्ञ में श्राद्ध, तर्पण एव बलि पायी जाती हैं, इनमें से एक के प्रयोग से पितृयज्ञ पूर्ण हो जाता है और तीनों के सम्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। बलिहरण में (जिसका वर्णन आगे किया जायगा) बलि का शेषाश पितरो को दिया जाता है (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।११ एव मनु ३।९१)।

ब्रह्मयज्ञ

ब्रह्मयज्ञ के विषय में सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन वर्णन शतपथब्राह्मण (१।१।५।३-८) में मिलता है। इस ब्राह्मण में बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रतिदिन का वेदाध्ययन (या स्वाध्याय) है। इस ब्राह्मण में ब्रह्मयज्ञ के कुछ आवश्यक उपकरणों के नाम दिये हैं, यथा जुहु चमस, उपमृत, ध्रुवा, स्रुव, अवमृष (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्नान)। (इन पात्रों की व्याख्या श्रौत यज्ञो के अध्ययन में होगी।) वाणी, मन, आँख, मानसिक शक्ति, सत्य एव निष्कर्ष (जो ब्रह्मयज्ञ में उपस्थित रहते हैं) स्वर्ग के प्रतिनिधि-से हैं। शतपथब्राह्मण में लिखा है कि जो दिन-प्रति-दिन स्वाध्याय करता (वैदिक पाठ पढ़ता) है उसे उस लोक से तिगुना फल होता है, जो दान देने या पुरोहित को धन-धान्य से पूर्ण सारा सत्कार देने से प्राप्त होता है। देवों को जो दूध, घी, सोम आदि दिये जाते हैं उनकी ओर श्रद्धाओं, यज्ञुओं, सामों एव अथर्वगिरसों की तुल्यता बढ़ी गयी है। यह भी आया है कि देवता लोग प्रसन्न होकर ब्रह्मयज्ञ करने वाले को सुरसा, सम्पत्ति, आम, बीज, उसका सम्पूर्ण सत्त्व तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदार्थ देते हैं, और उसके पितरों को घी एव मधु की धारा से सन्तुष्ट करते हैं।

शतपथब्राह्मण (१।१।५।६।८) ने वेदों के अतिरिक्त ब्रह्मयज्ञ में अन्य ग्रन्थों के अध्ययन की बात चलाई है, यथा—अनुशासन (वेदांग), विद्या (सर्प एव देवजन विद्या—छान्दोग्योपनिषद् ७।१।१), वाक्वाक्य (ब्रह्मोद्य नामक

धार्मिक वाद-विवाद—वाजसनेयी संहिता २३।९-१२ एव ४५-६२), इतिहास-पुराण, गाथाएँ, नारायणसी (नामकी की प्रशंसा में कही गयी कविताएँ)। इनके पठने से भी देव लोग प्रसन्न होकर उपयुक्त करदान देते हैं। तैत्तिरीयारण्यक (२।१०-१३) में ब्रह्मयज्ञ के विषय का बड़ा विस्तार है। इसमें आया है कि अथर्वगिरस का पाठ मनु की आहुतियाँ हैं, तथा ब्राह्मण ग्रन्थों, इतिहासों, पुराणों, कल्पों (श्रौत कृत्य-सम्बन्धी ग्रन्थों), गाथाओं एव नारायणसिया का पाठ मास की आहुतियों के बराबर है। ब्रह्मयज्ञ से प्रसन्न होकर देव लोग जो पुरस्कार देते हैं वे हैं क्षीरं आयु, दीप्ति, धमक (तेज), सम्पत्ति, यश, आध्यात्मिक उच्चता एव भोजन। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) ने ब्रह्मयज्ञ करने के स्थल के विषय में यों लिखा है—“ब्रह्मयज्ञ करने वाले को इतनी दूर पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व में चला जाना चाहिए कि गाँव के घरों के छाजन न दिखाई पड़ें, जब सूर्योदय होने लगे तो उसे यज्ञोपवीत (उपवीत डब से) अपने दाहिने हाथ के नीचे डाल लेना चाहिए, एक पूत स्थल पर बैठ जाना चाहिए, अपने दोनों हाथों को स्वच्छ करना चाहिए, तीन बार आचमन करना चाहिए, हाथ को जल से दो बार धो लेना चाहिए, अपने अघरो पर जल छिड़कना चाहिए, सिर, आँसों को, नाक-छिद्रों को, धानो को, हृदय को धुना चाहिए, दर्भ की एक बड़ी चटाई बिछाकर उस पर पूर्वामुख हो पचासन (बायाँ पैर नीचे तथा दाहिना पैर बायाँ जोड़ पर) से बैठ जाना चाहिए और तब वेद का पाठ करना चाहिए, (ऐसा कहा गया है कि) धर्म शक्ति-शक्ति के जलो एव जड़ी-बूटियों की मधुरता अपने में समेटे रहता है, अतः वह (दर्भों पर आसन ग्रहण करने के कारण) वेद को मायुर्ग से मर देता है। अपने बायाँ हाथ को दाहिने पैर पर रखकर, करतल को दाहिने करतल से बनकर और दो हाथों के बीच में दर्भ (पवित्र) को रखकर 'ओम्' कहना चाहिए जो 'यजु' है, और है तीनो वेदों का प्रतिनिधि, जो वाणी है, और है सर्वोत्तम शब्द, यह बात ऋग्वेद में (१।१६४।३९ को उद्धृत करके) कही गयी है। तब वह भू, भुव, स्व का उच्चारण करता है और इस प्रकार (स्वाहृतियों का पाठ करके) वह तीनो वेदों का प्रयोग करता है। यह वाणी का सत्य (सत्त या सार) है, वह इसके द्वारा वाणी का सत्य अपनाता है। तब वह तीन बार गायत्री पढ़ता है, जो सविता की सम्बोधित, है, पूषण-मुचुक पादों के साथ, इसके उपरान्त इसका आधा और पुनः पूरा बिना रुके कहता जाता है। सूर्य यश का सत्ता है, वह स्वयं यश को प्राप्त करता है, तब वह (दूसरे दिन) आगे का वेद-पाठ करता है।” तैत्तिरीयारण्यक (२।१२) का कहना है कि यदि ध्यमित बाहर न जा सके तो उसे गाँव में ही दिन या रात्रि में ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए, यदि वह बैठ न सके तो खड़े होकर या सेंटकर ब्रह्मयज्ञ कर सानता है, कर्षीनि मुख्य विषय है वेद-पाठ (काल एव स्थान गौण है)। तैत्तिरीयारण्यक (२।१३) कहता है कि उसे ब्रह्मयज्ञ का मन्त्र “नमो ब्रह्मणे नमो स्वान्ये नमः पृथिव्ये नमः ओषधीभ्यः। नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते कर्षीणि।” नामक मन्त्र को तीन बार बहुर करना चाहिए। इसके उपरान्त आचमन करने पर आ जाना चाहिए; और तब वह जो कुछ देता है वह ब्रह्मयज्ञ का तुल्य हो जाता है।”

उपयुक्त ब्रह्मयज्ञ विधि आप्तकलापनगृह्यसूत्र (३।२।२, ३।३।४) में ज्यों-की-त्यों पायी जाती है। लगता है, अन्य ग्रन्थों ने तैत्तिरीयारण्यक की ही इस विषय में आदर्श माना है। दो-एक स्थानों पर कुछ विभेद दिखाई पड़ते हैं। आप्तकलापनगृह्यसूत्र (३।३।४) ने ध्यानमग्नता के लिए सितजि की ओर देखते रहने, या अर्धे बन्द कर रखने आदि की व्यवस्था दी है। इस सूत्र ने ब्रह्मयज्ञ का सूक्ष्म रूप यों बताया है—“ओ मूमुंक् इक्, तीन बार गायत्री मन्त्र, क्रम-से-क्रम एव ऋग्वेद मन्त्र और 'नमो ब्रह्मणे . . .' वाला मन्त्र तीन बार बहना चाहिए।” आर्हिकप्रनास (पृ० ३२९) का कहना है कि जो वेद का केवल एक अंश जानता है, उसे पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।१०) एव अन्य ऋचाओं का पाठ ब्रह्मयज्ञ मंत्र बनाता चाहिए, और जो केवल गायत्री जानता है, उसे 'ओम्' का अथ ब्रह्मयज्ञ के रूप में प्रति दिन करना चाहिए। आप्तकलापनगृह्यसूत्र (३।३।१) ने स्वाध्याय के लिए निम्न ग्रन्थों के नाम लिये हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व-

वेद, ब्राह्मण, कल्प, शाखा, नाराशशी, इतिहास एव पुराण। किन्तु मनोयोगपूर्वक जितना स्वाध्याय किया जा सके उतना ही करना चाहिए।

शाखायनगृह्यसूत्र (१।४) ने ब्रह्मयज्ञ के लिए ऋग्वेद के बहुत-से सूक्तों एव मन्त्रों के पाठ की बात कही है। अन्य गृह्यसूत्रों में अपने वेद एव शाखा के अनुसार ब्रह्मयज्ञ के लिए विभिन्न मन्त्रों के पाठ या स्वाध्याय की बात कही गयी है। याज्ञवल्क्यस्मृति (१।१०१) में लिखा है कि समय एव योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ में अथर्ववेद सहित अन्य वेदों के साथ इतिहास एव दार्शनिक ग्रन्थ भी पठे जा सकते हैं।

आधुनिक काल में अत्यन्त कट्टर वैदिकों एव शास्त्रियों को छोड़कर ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन कोई नहीं करता। आजकल वर्ष में केवल एक बार श्रावण मास में निर्धारित एक सूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद के छान्न के लिए वह सूत्र यों है—“ओ भूर्भुव स्व एव गायत्री के पाठ के उपरान्त वह ऋग्वेद के १।१।१-९ मन्त्रों का पाठ करता है, तब ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण के पाँचों विभागों के प्रथम वाक्यों कृष्ण एव शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम वाक्यों, सामवेद, अथर्ववेद के प्रथम वाक्यों, एव छ वेदांगों (आश्वलायनश्रौतसूत्र, निखत्त, छन्द, निषण्ड, ज्योतिष, शिक्षा) के प्रथम वाक्यों, पाणिनि व्याकरण के प्रथम सूत्र, याज्ञवल्क्यस्मृति (१।१) के प्रथम श्लोकार्थ, महामारत (१।१।१) के प्रथम श्लोकार्थ, न्याय, पूर्व मीमांसा एव उत्तर मीमांसा के प्रथम सूत्र, तब कल्याणप्रद सूत्र, यथा 'तच्छयोरारवृणीमहे चतुस्पदे', और अन्त में 'नमो ब्रह्मणे' नामक मन्त्र का पाठ करता है।" इस ब्रह्मयज्ञ के उपरान्त देवों, ऋषियों एव पितरों का तर्पण आरम्भ होता है।

धर्मसिन्धु (३, प्रवार्ध, पृ० २९९) के मत में ब्रह्मयज्ञ एक बार प्रातः होम या मध्याह्न-सन्ध्या या वैश्वदेव के उपरान्त करना चाहिए, किन्तु आश्वलायनसूत्रपाठी को मध्याह्न-सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए। आचमन एव प्राणायाम के उपरान्त यह सकल्प करना चाहिए—“श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं ब्रह्मयज्ञ करिष्ये तदगतया देवर्ष्याचार्य-तर्पण करिष्ये।” यदि पिता न हो तो सकल्प में इतना जोड़ देना चाहिए—“पितृतर्पणं च करिष्ये।” इसके उपरान्त धर्मसिन्धु उन लोगों के लिए ब्रह्मयज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी वेद जानते हैं या एक ही वेद जानते हैं या केवल एक अंश जानते हैं या उनके पास समय नहीं है। धर्मसिन्धु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी 'विद्युदसि विद्या मे पाप्मानमृतात् सत्यमुपैमि' आरम्भ में तथा 'वृष्टिरसि वृश्च मे पाप्मानमृतात् सत्यमुपागाम्' अन्त में कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैठकर ब्रह्मयज्ञ न करे सके तो वह लेटे हुए भी इसे सम्पादित कर सकता है।

धर्मसिन्धु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियों एव वाजसनेयी संहिता के अनुसार तर्पण ब्रह्मयज्ञ का कोई अंग नहीं है, अतः तर्पण का सम्पादन ब्रह्मयज्ञ के पूर्व या इसके कुछ समय उपरान्त हो सकता है।

अध्याय १९

देवयज्ञ

देवयज्ञ का सम्पादन अग्नि में समिधा डालने से होता है (तिथिरीयारण्यक २।१०)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।३।१), बौधायनधर्मसूत्र (२।६।४) एवं गौतम (५।८-९) ने अनुसार देवता का नाम लेकर 'स्वाहा' शब्द के उच्चारण के साथ अग्नि में हवि या कम-से-कम एक समिधा डालना देवयज्ञ है। मनु (३।७०) ने होम को देवयज्ञ कहा है। विभिन्न गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए होम या देवयज्ञ किया जाता है। आश्व-मेधयज्ञसूत्र (१।२।२) के मत से देवयज्ञ के देवता ये हैं—“अग्निहोम के देव (सूर्य या अग्नि एवं प्रजापति), सोम वनस्पति, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, द्यौ एवं धृतिवी, घन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वे देव, ब्रह्मा।” गौतम के अनुसार देवता हैं “अग्नि, घन्वन्तरि, विश्वे देव, प्रजापति एवं अग्नि स्वियङ्कृत्।” मानवगृह्यसूत्र (२।१२।२) में विभिन्न नाम मिलते हैं। परचात्कालीन स्मृतियों में होम (या देवयज्ञ) एवं देवपूजा में अन्तर बताया है। याज्ञवल्क्य (१।१००) तर्पण तथा देव-पूजा को चर्चा करने के उपरान्त पञ्चयज्ञों में होम को सम्मिलित करते देखे जाते हैं। मनु (२।१७६) ने भी यही अन्तर दर्शाया है। मध्य काल के ग्रन्थकारों ने वैश्वदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्तु अन्य लोगों ने देवों के होम को वैश्वदेव में मिला माना है (देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।१ पर हरदत्त)। स्मृतिमुक्तावलि (आहित, पृ० ३८३) में उद्धत मरीचि एवं हारीत के अनुसार प्रातः-होम के उपरान्त मा मध्याह्न में ब्रह्मयज्ञ एवं तर्पण के उपरान्त देवपूजा की जाती है। मध्य एवं आधुनिक काल में होम-सम्बन्धी प्राचीन विचार निम्न भूमि में चला गया और उत्तमा स्थान देवपूजा (घर में ही रखी स्मृतियों के पूजन) की विलुप्त विधि में ले लिया है। यहाँ पर मूर्ति-पूजा के विषय में थोड़ा सा लिखा जा रहा है।

मूर्ति-पूजा का उद्गम

प्राचीन वैदिक काल में मूर्ति-पूजा होती थी कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में तेषामनुसार अग्नि, सूर्य, वरुण एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था, किन्तु वह परोक्ष रूप में होता था और ये देव या तो एक ही देवी या दिव्य व्यक्ति की शक्तियाँ या अनिष्कृतियाँ थे, या प्राकृतिक दृश्य या आकस्मिक वस्तु थे, या सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न शक्तियाँ थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर देव लोगो मूर्तिक (शारीरिक) उपाधियों से युक्त भी माने गये हैं। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद (८।१।७।३) में इन्द्र को 'तुविषीव' (शक्तिशाली या मोटी गरदन वाला), 'कपोर' (बड़े उदर वाला) एवं 'सुबाहु' (सुन्दर बाहुओं वाला) कहा गया है। ऋग्वेद (८।१।७।५) में इन्द्र के अर्धों एवं पादों का वर्णन है और उसे अपनी जिह्वा से मधु पीने को कहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रंगीन बालों एवं दाढ़ी

१. अहरहः स्वाहा कुयवाकाष्ठात्पेतं देवयज्ञं सम्पादोति। बौ० प० २।६।४; देवपितृमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च दक्षिणम्। आनावनिर्घन्वन्तरि, विश्वेदेव्याः प्रजापतिः स्वियङ्कृदिति होमः। गौतम (५।८-९)। मन्त्र होते हैं—“सोमय वनापतये स्वाहा, अग्नीषोमाम्यां स्वाहा... आवि"; जब स्वाहा कहा जाता है तो आहुति अग्नि में डाली जाती है।

वाला (ऋ० १०१७।८), हरे रंग की ठुड्डी वाला (ऋ० १०।१०५।७) कहा गया है। रुद्र को 'ऋदूदर' (जिसका पेट कोमल हो), बभ्रु (भूरे रंग का) एवं 'सुशिप्र' (सुन्दर ठुड्डी या नाक वाला) कहा गया है (ऋ० २।२३।५)। वाजसनेयी संहिता में रुद्र को गहरे आसमानी (नील) रंग वाले गले का एवं लाल रंग का (१६।७) तथा चर्म (कृत्ति) पहनने वाला कहा गया है (१६।५१)। ऋग्वेद (१।१५५।६) ने विष्णु को बृहत् शरीर एवं युवा रूप में युद्ध में जाते देखा है। ऋग्वेद (३।५३।६) में इन्द्र को सोमरस पीकर घर जाने को कहा गया है, क्योंकि उसकी स्त्री सुन्दर एवं आकर्षक है और उसका घर रमणीक है। ऋग्वेद (१०।२६।७) में पूषा को दाढ़ी हिलाते हुए कहा गया है। ऋग्वेद (४।५३।२) में मविता को द्रापि (कवच) पहनने वाला कहा गया है, और इसी प्रकार ऋग्वेद (१।२५।१३) में वरुण को सोने की द्रापि वाला कहा है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह सब वर्णन कवित्वमय एवं आलंकारिक मात्र है। किन्तु ऋग्वेद के दो उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर देते हैं। ऋग्वेद (४।२४।१०) में आद्य है—“भरे इस इन्द्र को दस गायों के बदले कौन खरीदेगा और जब यह (इन्द्र) शत्रुओं को मार डालेगा तब इसे लौटा देगा ?” ऋग्वेद (८।१।५) में पुन आया है—“हे इन्द्र, मैं तुम्हें बड़े दामों पर भी नहीं दूंगा, चाहे एक सौ, एक सहस्र, या एक अपुत (१० सहस्र) क्यों न मिले।” इन दोनों उदाहरणों से अर्थ निकाला जा सकता है कि इनमें इन्द्र की प्रतिमा की ओर संकेत है। किन्तु यह जंचनेवाली बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि इन उदाहरणों में इन्द्र के प्रति उसके भक्तों की अटूट श्रद्धा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम ब्राह्मण-ग्रन्थों में वर्णित यज्ञों एवं यज्ञ की सामग्रियों का अवलोकन करें तो यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों ने देवताओं को परोक्ष रूप में ही पूजा है, हाँ, कवित्वमय ढंग से उन्हें गायों, पैंरों एवं अन्य अगो से रूपायित माना है। यत्र-तत्र कुछ ऐसे वर्णन अवश्य मिलते हैं जिनसे मूर्ति-पूजा का निर्देश मिल जाता है, यथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।१७) में आया है—“होता याजक उन तीन देवियों की पूजा करे जो सुवर्णमयी हैं, सुन्दर हैं और पृथ्वी हैं।” लगता है, तीनों देवियों की सोने की मूर्तियाँ थीं। इतना कहा जा सकता है कि उच्चस्तरीय आर्यों के धार्मिक कृत्यों में घर या मन्दिर में मूर्तिपूजा का कोई स्थान नहीं था। किन्तु वैदिक भारत के निम्नस्तरीय लोगों के धार्मिक आचार-व्यवहारों के विषय में हम कोई साहित्यिक निर्देश नहीं प्राप्त होता। ऋग्वेद (७।२।१।५) में वसिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं—“हमारे धार्मिक आचार-व्यवहार (ऋत) पर शिश्नदेवों का प्रभाव न पड़े।” इसी प्रकार ऋग्वेद (१०।९९।३) की प्रार्थना है—“इन्द्र शिश्नदेवों को मार-पीटकर अपने स्वरूप एवं शक्ति से जीत ले।” ‘शिश्नदेव’ शब्द के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। कुछ लोग शिश्नदेवों को लिंग-पूजा करनेवाले मानते हैं (देखिए वेदिक इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ३८२)। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह शब्द गौण एवं रूपक की भाँति प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य है “वे लोग, जो मंथन-तृप्ति में सलग्न रहते हैं और किसी अन्य कार्य को महत्ता नहीं देते।” यास्क ने ऋग्वेद (७।२।१।५) को उद्धृत कर समझाया है कि शिश्नदेव लोग वे हैं जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करते। अधिकांश विद्वान् लोग इसी दूसरे मत को स्वीकार करते हैं।

२. क इम दशभिर्मिन्द्र श्रोणाति धेनुभिः। यदा वृत्राणि जयन्वर्ष्यन् मे पुनर्बन्तु ॥ ऋग्वेद (४।२४।१०);
महे धन त्वामग्निवः पशु शुक्याय देवाम् । न सहस्राय नायुताय वसिष्ठो न शताय शतामय ॥ ऋग्वेद (८।१।५)।

३. होता यशत्येशस्यतीः। तिलो देवीर्हि रष्ययोः। भारतीर्बृहतीर्नर्ः। तं प्रा० (२।६।१७)। ये तीनों देवियाँ हैं भारती, इन्द्रा एवं सरस्यती।

४. मा शिश्नदेवा अपि गुरुतं नः ॥ ऋ० ७।२।५; ऋग्वेद-ऋग्वेदोऽभि वर्षसा मूत् ॥ ऋ० १०।९९।३;
'मा शिश्नदेवाः यज्ञस्य, शिश्नोः शिश्नोः, नरि इ हो नः यत्र वा पतं वा ।' निरुक्त (४।१९)।

मोहेजोदडो (देखिए सर जॉन मार्शल, जिल्द १, पृ० ५८-६३) में लिंग-यूजा के चिह्न मिले हैं। इनके अतिरिक्त लिंग-मूर्तियाँ ईसापूर्व पहली शताब्दी के आगे की नहीं प्राप्त हो सकती हैं। किन्तु ईसा से कई शताब्दियों पूर्व भारत में मर्नि-यूजा का विस्तार हो चुका था। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२०।१।३) की टीका में लिखित हरदत्त के मत से ईशान, उनकी पत्नी एव पुत्र जयन्त (विजेता स्वन्द) की मूर्तियों की पूजा होती थी। मानवगृह्य (२।१५।६) ने लिखा है कि यदि (काष्ठ, प्रस्तर या घातु की) मूर्ति जल जाय, उसका अंग भंग हो जाय, या वह गिर जाती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, वह हँसती है या स्थानान्तरित हो जाती है, तो मूर्ति वाले गृहस्थ को वैदिक मन्त्रों के साथ जनि में दस आहुतियाँ देनी चाहिए। बौधायनगृह्यसूत्र (२।२।१३) ने उपनिष्यमण (प्रथम बार बच्चे को घर से बाहर ले जाने) के समय पिता द्वारा मर्नि-यूजा की बात नहीं है। लौगाक्षिगृह्य (१।८।३) ने देवनायतन (देवालय या मन्दिर) की बात कही है। इसी प्रकार गौतम (१।१३-१४ एवं १।६६), शाखायनगृह्यसूत्र (४।१२।१५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।३०।२८) में देवतायतन की चर्चा हुई है। मनु (२।१७६) ने लिखा है कि ब्रह्मचारी को मूर्ति-यूजा करनी चाहिए, लोगों को यात्रा में जब मूर्तियाँ मिलें, तो प्रदक्षिणा करनी चाहिए (४।३९), मूर्ति की छाया को लौपना नहीं चाहिए (४।१३०)। मनु ने यह भी लिखा है कि साक्षियों को देवमूर्तियों एवं ब्राह्मणों के समक्ष शपथ लेनी चाहिए (८।८७)। और देखिए मनु (३।११७ एवं १।२८५)। विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४, ६३।२७) ने देवतार्चाओ (देवमूर्तियों) की तथा सगवान् यामुदेव की मूर्ति का उल्लेख किया है। धर्मिष्ठ (१।१।३१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६९।७, ३०।१५, ७०।१३, ९।१।१०) में 'देवतायतन' एवं 'देवायतन' शब्द आये हैं। किन्तु इन ग्रन्थों की तिथियाँ अभी निर्दिष्ट नहीं की जा सकी हैं। किन्तु इतना तो ठीक ही है कि मानव बौधायन एवं शाखायन नामक गृह्यसूत्र तथा गौतम एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्र ईसा पूर्व ५वीं या ४वीं शताब्दियों के बाद के नहीं हो सकते। पाणिनि ने भी देवमूर्ति की चर्चा की है (५।३।९९) और उनकी तिथि ई० पू० ३०० क उपरान्त नहीं रखी जा सकती। पतञ्जलि (महाभाष्य जिल्द २, पृ० २२२, ३१४, ४२९) ने भी मूर्तियाँ का उल्लेख किया है। महामारत (आदिपर्व ७०।४९, अनुशासनपर्व १०।२० २१, आश्वमेधिव ७०।१६, मीपम० १।१।११ आदि में देवायतनों का उल्लेख हुआ है। कलिंग के राजा खारवेल (ई० पू० दूसरी शताब्दी का उत्तरार्ध) ने नन्दराज द्वारा ले जायी गयी जिन मूर्ति की स्थापना की थी, और उसे 'सर्वदेवायतन सप्ताह-वारक' (सभी मन्दिरों की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार करनेवाले) की उपाधि मिली थी। कौटिल्य न अर्पणारण (२।४) में (जिसकी तिथि ई० पू० ३०० से ईसा बाद २५० तक विभिन्न विद्वानों द्वारा रखी गयी है) आया है कि राजधानियों के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त की तथा शिव, वैश्रवण, लक्ष्मी एवं मन्दिरा के मन्दिरों की स्थापना होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट होता है कि पाणिनि के बहुत पहले से ही मूर्ति-

५. मघर्षा बह्येद्वा तस्येद्वा प्रपतेद्वा प्रभवेद्वा प्रघलेद्वा... एतामिर्मुहुयात्.. इति वशाहुतयः। मानवगृह्य (२।१।५।६)।

६. जीविकार्ये धारण्ये। पाणिनि ५।३।१९; 'अपण्य इत्युच्यते। तत्रैव न तिष्यति शिव स्वन्द विद्याल इति। लि कारणम्। सौर्षोहृत्प्यापिभार्गा प्रकल्पिता। भवेत्तामु न स्यात्। पास्येता संप्रति पूजार्थात्तामु भविष्यति।' महाभाष्य, जिल्द २, पृ० ४२९; शीर्षोर्नासिक्वर्षा तुगर्नासिक्वर्षा। महाभाष्य, जिल्द २, पृ० २२२ (पाणिनि ४।१।५४ पर); 'क्षामुदेवाभुंताम्यां वृत्तु। पाणिनि ४।३।९८; 'अप्यवा नैवा क्षविथास्यर। सत्तया तत्रभवत्।' महाभाष्य, जिल्द २, पृ० ३१४, देखिए एचिप्रंफिया इष्टिका, जिल्द २०, पृ० ८० एवं डा० आर० जी० भच्छारकर कृत "वेणवित्त्य एष संविष्य" (१९३३), पृ० ३।४।

पूजा से उत्पन्न जीविका वाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा चौथी या पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में देवालय उपस्थित थे।

भारत में मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन साय-साय हुआ या वैदिक आयों ने इस विषय में किसी अन्य जाति या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किया? इस विषय में बहुधा वाद-विवाद होता रहा है। तीन मत अधिक प्रसिद्ध हैं—(१) मूर्ति-पूजा शूद्रों एवं द्रविड़ों से ग्रहण की गयी और ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गयी। (२) मूर्तिधो का निर्माण बौद्धों की अनुकृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वामाविक विकास का प्रतिफल है। दूसरा मत सत्य से बहुत दूर है, क्योंकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक बुद्ध-प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आरम्भ में बुद्ध केवल प्रतीकों द्वारा व्यक्त किये जाते थे। बुद्ध का काल है ई० पू० ५६३-४८३, जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है। हमने पहले ही देख लिया है कि मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन ई० पू० चौथी या पाँचवीं शताब्दी में हो चुका था। प्रथम मत का समर्थन डा० फर्कुहर (जे० आर० ए० एस्०, १९२८, पृ० १५-२३) एवं डा० कार्पोटियर (इण्डियन ऐप्टीकवेरी, १९२७, पृ० ८९ एवं १२०) ने किया है। किन्तु इन लोगों का तर्क उचित नहीं जँचता। ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व ४०० के लगभग शूद्रों से मूर्ति-पूजा ग्रहण की, इस विषय में कोई स्पष्ट तर्क नहीं प्राप्त होता। जैसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है, शूद्र लोग लगभग एक सहस्र वर्ष ई० पूर्व में भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे। सूत्रकाल में ब्राह्मण लोग शूद्रों का पकाया हुआ अन्न ग्रहण कर सकते थे और शूद्र नारियों में विवाह भी कर लेते थे। अतः यदि मूर्ति-पूजा शूद्रों की देन थी तो इसे ईसा पूर्व ४०० की अपेक्षा एक सहस्र वर्ष पूर्व से प्रचलित रहना चाहिए था। देवलोक ब्राह्मण (यह ब्राह्मण जो मूर्ति-पूजा का व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) को श्राद्ध के समय नहीं बुलाया जाता था, और उसे समाज में अपेक्षाकृत नीचा स्थान प्राप्त था (मनु ३।१५२)। मूर्ति-पूजा की सस्था मनु के समय में श्रौत एवं गृह्यजनों की अपेक्षा बहुत पुरानी नहीं थी। लगता है, मूर्तिपूजकों ने क्रमशः ब्राह्मण-वर्तव्य (यथा वेदाध्ययन) छोड़ दिया था, अतः ऐसे ब्राह्मण हेय दृष्टि से देखे जाते थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में भी साधारण गृह्य यज्ञ श्रौत कृत्यों के स्तर पर लाये जा रहे थे, क्योंकि श्रौत कृत्य अब उतने अधिक नहीं किये जाते थे, अर्थात् उनका प्रचलन क्रमशः कम होता जा रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण (२।८) में आया है कि जब कोई किसी देवता को कुछ (हवि) देना चाहता था, तो 'वपट्' कहने के पूर्व उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था।* इससे पूजक स्वभावतः अपने देवता को मानवीय स्वरूप एवं उपाधियाँ या गुण देने की प्रेरणा ग्रहण करेगा। निरुक्त ने वैदिक मन्त्रों में निर्देशित देवताऽऽकृतियों के प्रदन पर कुछ लिखा है (७।६-७)। इसने तीन मत प्रकाशित किये हैं—(१) देवता लोग पुरुषविध (पुरुष आकार वाले) हैं, (२) वे अपुरुषविध हैं तथा (३) वे उभयविध हैं, अर्थात् वे हैं तो अपुरुषविध किन्तु किसी कार्यवश या उद्देश्य से कई प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैं।* इस अन्तिम मत में अवतारों का सिद्धान्त पाया जाता है। जब कई कारणों से वैदिक यज्ञ क्रमशः कम मनाये जाने लगे (अहिंसा के सिद्धान्त, विभिन्न उपासनाओं एवं उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म के दार्शनिक मत आदि के कारण), तब क्रमशः मूर्ति-पूजा की प्रचलना दी जाने लगी। आरम्भ में मूर्ति-पूजा का इतना विस्तार नहीं था, जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में पाया जाने लगा।

७. यस्य देवतायै हविर्गृहीत स्यात्तां ध्यायेद्बध्दकरिष्यन्। ऐ० ब्रा० २।८ (वेदान्तसूत्र, पृ० १।३।३ में शंकराचार्य द्वारा उद्धृत)।

८. अथाकारचिन्तनं देवतानाम्। पुरुषविधाः स्मृतित्येकम्।...अपुरुषविधाः स्मृतित्यपरम्।...अपि वा उभयविधाः स्युः, अपि वा अपुरुषविधानामेव सतामेते कर्मात्मानः स्युः। निरुक्त ७।६-७।

मूर्ति-पूजा-सम्बन्धी विषय

मूर्ति-पूजा सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। मूर्ति-पूजा से सम्बन्ध रखनेवाले विषय ये हैं—वे पदार्थ जिनसे मूर्तियाँ बनती हैं, वे प्रमुख देवता जिनकी मूर्तियों की पूजा होती थी या होती है, मूर्ति-निर्माण में शरीररक्षकों के आनुपातिक काम, मूर्तियाँ एवं देवालया की स्थापना एवं मूर्ति-विषयक कृत्य।

बराहमिहिर की बृहत्संहिता (अध्याय ५८, जहाँ ८ या ४ या २ बाहुओं वाली राम एवं दिग्गु की मूर्तियों के विषय में तथा बलदेव, एवानरा ब्रह्मा, स्वन्द, शिव, गिरिजा—शिव की अर्धांगिनी के रूप में, बुद्ध, जिन, सूर्य, मातृजा, यम, वरुण एवं कुबेर की मूर्तियों के विषय में उल्लेख है) में, मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) में, अग्निपुराण (अध्याय ४४।५३) में, विष्णुधर्मोत्तर (३।४४) तथा अन्य पुराणों में, मानसार, हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि (वत-खण्ड, जिल्द २, १, पृ० ७६-२२२) एवं कतिपय आगम ग्रन्थों में, १५वीं शताब्दी के सूत्रधार मण्डन कृत देवतामूर्ति-प्रकरण में तथा अन्य पुस्तकों में प्रतिमासभ्रमण के विषय में विस्तृत नियम दिये गये हैं। स्थानामात्र के कारण हम विस्तार में नहीं जायेंगे। आयुर्विद वाङ् में बहुत-सी अध्ययन-सामग्री, ग्रन्थ एवं लेख प्रकाशित हुए हैं।

मध्यकाल के निबन्धों में स्मृतिचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल, पूजाप्रनारा आदि ग्रन्थ देवपूजा तथा उसके विभिन्न स्वरूपों पर विस्तार के साथ प्रकाश डालते हैं। पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठों में मुद्रित हुआ है। हम नीचे कुछ विषयों पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे।

मूर्तिपूजा का अधिकारी, स्थल आदि

पार्ष्णिनि के वार्तिक ('उपाद् देवपूजा०', १।३।२५ पर) में 'देवपूजा' शब्द आया है। निबन्धों में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि दाग (यज्ञ) एवं पूजा समानार्थक हैं, क्योंकि दोनों में देवता के लिए द्रव्य-समर्पण की बात पायी जाती है।

अब प्रश्न उठता है, देवपूजा करने का अधिकारी कौन है? नृसिंहपुराण एवं बृहद् हारीत (६।६ एवं २५६) के मत से नृसिंह के रूप में विष्णु की पूजा सभी वर्णों के स्त्री-पुरुष, यहाँ तक कि अदृष्ट लोग भी कर सकते हैं। व्यवहार-मूल (पृ० १३३) में उद्धृत शाल्व के मत में सकुण परिवार के सभी सदस्य अलग अलग रूप से सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत्र (यदि उन्होंने शीव एवं गृह्य अग्निर्पा प्रचलित की हो) कर सकते हैं, किन्तु देवपूजा एवं वैश्वदेव पूरे परिवार के इकट्ठे होंगे। देवपूजा का समय मध्याह्न के तर्पण के उपरान्त एवं वैश्वदेव के पूर्व है; किन्तु कुछ लोग इसे वैश्वदेव के उपरान्त भी करते हैं। दध (२।३०-३१) के अनुसार सभी देवकार्य दिन के पूर्वार्ध भाग के भीतर ही हो जाने चाहिए।

हिन्दू धर्म में एक विविध बात है अयिक्कर-भेद (बुद्धि, सवेग एवं आध्यात्मिक बल के आधार पर अधिपतारो, वतस्यो, उत्सावो एवं पूजा में अन्तर)। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के अनुशासन एवं अन्नपान-विधि या पश्यापध्व नियम के बोध्य नहीं माने जा सकते। मूर्ति-पूजा भी सभी व्यक्तियों के लिए अत्यावश्यक नहीं थी। प्राचीन ग्रन्थकारों ने यह कमी नहीं सोचा कि वे मूर्ति की पूजा मौखिक वस्तु की पूजा के रूप में करते हैं। उन्हें यह पूरा विश्वास था कि मूर्ति के रूप में वे परमात्मा का प्पाद करते हैं।

नारद, मागवतपुराण (१।१२।७।९) एवं बृहद् हारीत (६।१२८-१२९) के मत से हरि की पूजा जग, अग्नि, हृदय, सूर्य, वेदी, शास्त्रों एवं मूर्तियों में होती है। शास्त्र का कहना है—'साधारण लोगों के देव जल में हैं, शानियों के स्वर्ग में, अज्ञानियों एवं अल्प बुद्धि वालों के वाट एवं मिट्टी (अर्थात् मूर्ति) में तथा योगियों के देव उनके सत्व (या

हृदय) में रहते हैं। ईश्वर की पूजा अग्नि में आहुतियाँ में होती है जत्र म पुष्प अर्पण करत स हृदय में ध्यान से एव सूप के मण्डल में जप करने से होती है।

प्रतिमा निर्माण के उपकरण एव प्रतिमा आकार

रत्न सुवर्ण रजत ताम्र पित्तल लोह काष्ठ या मिट्टी से प्रतिमाएँ बन सकती हैं जिनमें बहुमूल्य रत्ना से निर्मित सर्वश्रेष्ठ एव मिट्टी से निर्मित घटिया मानी जाती है। भागवतपुराण (११।२।७।१२) के अनुसार मूर्तियाँ आठ प्रकार की होती हैं प्रस्तर काष्ठ लोह चन्दन (या साण्डा किसी लक्ष्य वाली) चित्र बाहुवा की बहुमूल्य रत्नों की तथा मानसिक। मत्स्यपुराण (२।५।८।२०-२१) ने उपयुक्त सूची में सीसे एव कागसे की यनी मूर्तियाँ भी जोड़ दी हैं (देखिए बृहद् हारीत ८।१।२०)। विष्णु पूजा के लिए प्रस्तर मूर्तियाँ म शालग्राम प्रस्तर (गण्डकी नदी के उद्गम पर शालग्राम नामक ग्राम में पाये जानवाले वाले प्रस्तर-खण्ड) एव द्वारका के प्रस्तर (गोमतीचक्र जिन पर चक्र बने हो) बड़े महत्त्व के माने जाते हैं। बृहद् हारीत (८।१।८३-१८९) ने शालग्राम-पूजा की बड़ी महत्ता भाषी है। उनके मत से शालग्राम की पूजा केवल द्विज ही कर सकते हैं गृह नहीं। किन्तु कई पुराणों के मत से (पूजाप्रकाश पृ० २०-२१ में उद्धृत) नारियाँ एव शूद्र भी बिना स्वयं किये शालग्राम की पूजा कर सकते हैं। श्रद्धियाँ द्वारा अतीत में स्थापित लिंगों की पूजा भी स्त्रियाँ एव गृह नहीं कर सकतीं। शालग्राम-पूजा पर्वान्त प्राचीन है क्योंकि वेदात्तमूत्र भाष्य (१।२।७) में शंकराचार्य ने हरि के प्रतीक के रूप में इसकी चर्चा की है। पूजा में पाँच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग में आते रहे हैं—(१) शिव-पूजा में नमदा का बाणलिंग (२) विष्णु पूजा में शालग्राम (३) दुर्गा पूजा में धातु मय प्रस्तर (४) सूर्य-पूजा में स्फटिक प्रस्तर एव गणेश-पूजा में लाठ प्रस्तर। राजतरंगिणी (२।१२।१ एव ७।१।८५) ने कश्मीर में नमदा से प्राप्त शिव के बाणलिंगों की स्थापना की चर्चा की है।

घर में पूजन की मूर्तियों के विषय में मत्स्यपुराण (२।५।८।२२) ने कहा है कि उनका आकार अँगुल में लेकर १२ अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए किन्तु मंदिर में स्थापित होनेवाली मूर्तियों का आकार १६ अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए या उचित ऊँचाई के लिए निम्न नियम काम में लाना चाहिए—मंदिर के द्वार की ऊँचाई को आठ भागों में बाँटिए पुन सात भागों को एक तिहाई एव दो तिहाई भागों में बाँटिए मूर्ति का आधार सात भागों की एक तिहाई तथा मूर्ति दो तिहाई (अर्थात् द्वार के ७/८ का २/३) होनी चाहिए (मत्स्यपुराण २।५।८।२३-२५)।

९ (क) साकारा विकृतिर्मेवा तस्य सर्वे जगत्सूतम् । पूजाध्यानादिकं कार्यं साकारस्यैव शक्यते ॥ विष्णु धर्मोत्तर ३।४।३, नारदोपि । अस्वप्नो हृदये सूर्ये स्पर्शिले प्रतिमानु च । घटस्थानेषु हरे सत्यगचन मुनिभिः स्मृतम् ॥ पूजाप्रकाश (पृ० १०) एव स्मृतिचन्द्रिका (आह्निक पृ० ३८४) में उद्धृत, श्रद्धियान ३।२९।२ में भी यही बात पायी जाती है। हृदये प्रतिमायां या जले सवितमण्डले । वह्नी च स्पर्शिले वापि चिन्तयेद्विष्णुमध्ययम् ॥ बृहद् हारीत ६।१।२८-१२९, अर्चना स्पर्शिलेजनीं वा सूर्यं बाप्सु हृदि द्विजे । इष्येण भक्तिवस्तुतैर्ज्ञे स्वगुरु माममापया ॥ भागवत १।१।२।७।९, देखिए बृहद् हारीत ८।९।१-९२।

(ख) अप्सु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम् । काष्ठलोष्ठयु मूर्त्वाणा युक्तस्यात्मनि देवता ॥ शातताप (आह्निकप्रकाश पृ० ३८२ में उद्धृत), अग्नी क्रियावता देवो दिवि देवो मनीषिणाम् । प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥ पूजाप्रकाश (पृ० ८) में उद्धृत (नृसिंहपुराण ६।२।५ एव श्रद्धियान ३।२९।३), हृदिधानो जले पुण्यैर्वाग्निनां हृदये हरिम् । अर्चन्ति सूरयो नित्यं जवेन रविमण्डले ॥ स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ३८४)।

मूर्तिपूजा के देव, पञ्चायतन पूजा एवं दशावतार

जिन देवों की मूर्तियों की पूजा होती है, उनमें मुख्य है विष्णु (बहुत-से नामों एवं अवतारों के साथ), शिव (अपने बहुत से स्वरूपों के साथ), दुर्गा, गणेश एवं सूर्य। इन देवों की पूजा (पञ्चायतन पूजा) की प्रतिदिन का श्रेय भी शबराचार्य को है। आजकल भी इन पाँचों देवों की पूजा होती है, किन्तु उनके स्थान-धर्म में निम्न प्रकार की विशेषता पायी जाती है—

पूर्व

विष्णुपञ्चायतन		शिवपञ्चायतन		सूर्यपञ्चायतन		देवीपञ्चायतन		गणेशपञ्चायतन	
शबर २	गणेश ३	विष्णु २	सूर्य ३	शबर २	गणेश ३	विष्णु २	शबर ३	विष्णु २	शबर ३
	विष्णु १	शबर १		सूर्य १		देवी १		गणेश १	
देवी ५	सूर्य ४	देवी ५	गणेश ४	देवी ५	विष्णु ४	सूर्य ५	गणेश ४	देवी ५	सूर्य ४

परिचय

मुख्य एवं आपुनित्व काल के धार्मिकों ने विष्णु को जगत् एवं इसकी सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार रूप में कई बार इस सत्कार में देखा है। अब हम विशेष में अवतारों के सिद्धान्त के विषय में चर्चा करेंगे। विष्णु के बहुत प्रतिदिन दस अवतार माने गये हैं—मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं बलि। प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में अवतार की धारणा के विषय में धुंधला-सा संकेत मिल जाता है। ऋग्वेद (८।१।१३) में इन्द्र को ऋषि ऋषयुक्त्वा वा पौत्र माना गया है, जिसका तात्पर्य हुआ कि इन्द्र इन पृथिवी पर मनुष्य रूप में उतर थे। ऋग्वेद (४।२।११) में ऋषि वामदेव ने कहा है—“मैं मनु था, मैं सूर्य भी था।” इस उक्ति की ओर बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१०) में भी संकेत मिलता है और इसे आत्मा के आवागमन के सिद्धान्त के समर्थन में बहुधा उद्धृत किया जाता है। चाहे जो हो, इतना तो बहना ठीक ही जँचता है कि वैदिक ऋषि ने सूर्य को इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हुए बलिपत किया था। शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१-६) में मनु की कथा आयी है; जब अत्यपिच बाढ़ में मनु की नौका डूब-सी रही थी तो उन्होंने (मनु ने) उसे एक सींग वाली मछली के सींग में बांध दिया था और उस मछली ने मनु की रक्षा की थी। इस गाथा से मत्स्यावतार की धुंधली छलन मिल जाती है।”

शतपथ ब्राह्मण (७।५।१।५) के कथन से सम्भवतः कूर्मावतार की छलन भी मिलती है। वहाँ ऐसा आया है कि प्रजापति ने कूर्म का रूप धारण करते प्राणियों की सृष्टि की। “कूर्म” एवं ‘वसव’ शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः

१०. स औप उचिते नावभाषेते तं स मत्स्य उपन्यापुष्पुवे तस्य शृंगे नावः पादा प्रतिमुसोच तेनेतमुत्तर गिरि-
मतिवुद्राव। शतपथ ब्राह्मण १।८।१।५। और बेलिए जे० आर० ए० ए०, १८९५, पृ० १६५-१८९ में प्रो० मॅन्डोनेल का लेख जितमें अवतारों से सम्बन्ध रखने वाली जनमूर्तियों की ४ कथा प्रस्तुत की गयी है।

सभी प्राणी कश्यप के बंदाज या उसस सम्बन्धित माने जायेंगे।" इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (१४।१।२।११) में बराह अवतार की कथा झलकती है—“एमूप नामक बराह ने पृथिवी को ऊपर उठाया, वह उसका (पृथिवी का) स्वामी प्रजापति था।” ऋग्वेद (१।६।१।७) में आया है कि विष्णु ने बराह को फाड़ दिया। वह इन्द्र द्वारा प्रेरित होकर पूजक के पास एक सौ भैंसों, खीर एवं एमूप नामक बराह लाता है (ऋ० ८।७७।१०)। तैत्तिरीय आरण्यक (१।२।३) ने इस किंवदन्ती की ओर संकेत किया है। काठकमहिता (८।२) में प्रजापति को बराह बनकर पानी में डुबकी लेते कहा गया है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ७।१।५।१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३)। मूर्तिहावतार की कथा की झलक हमें इन्द्र एवं नमुचि की गाथा में मिल जाती है। हिरण्यवशिषु का विष्णु द्वारा सत्यानाश बहुत कुछ उन्हीं परिस्थितियों में हुआ जिनमें इन्द्र ने नमुचि का नाश किया; इन्द्र ने नमुचि में कहा था—“तुम्हें दिन या रात में नहीं माहंगा, सूखे या गीले, हथेली या मुकड़े से, या छड़ी या घनुप आदि से नहीं माहंगा” (शतपथब्राह्मण १२।७।३।१-४)। हमें शतपथब्राह्मण द्वारा उद्धृत ऋग्वेद (८।१।४।१३) से पता चलता है कि इन्द्र ने नमुचि का सिर पानी के फेन से काट डाला था। ‘मिलप-दिकारम्’ नामक प्राचीन तमिल ग्रन्थ में नरसिंहावतार की ओर संकेत है। वामनावतार की कथा की ओर संकेत (वामन ने तीन पद भूमि की याचना की थी) ऋग्वेद में प्राप्त होता है जहाँ विष्णु के प्रमुख पराक्रम हैं तीन पद रखना एवं पृथिवी को स्थिर कर देना।^१ देखिए वामनावतार के लिए शतपथब्राह्मण (१।२।५।१)। छान्दोग्योपनिषद् (३।१।७।६) में आया है कि ऋषि घोर आगिरम ने देवकी के पुत्र कृष्ण को बाईं उपदेश दिया। इसने महाभारत एवं पुराणों के कृष्ण की आख्यायिकाओं पर कुछ प्रभाव डाला होगा।

पतञ्जलि ने वामुदेव को बचल सत्रिय नहीं प्रत्युत परमात्मा का अवतार माना है (महामाध्य, जिल्द २, पृ० ३१४)। पतञ्जलि ने बभ्रु, उग्रसेन (अन्धक जाति के सदस्य), विदवक्सेन (ब्रुष्णि), बलदेव, सत्यभामा एवं अक्रूर का उल्लेख किया है (देखिए क्रम से महामाध्य जिल्द २, पृ० ३६ एवं ११९, जिल्द २, पृ० २५७, जिल्द १, पृ० १११, जिल्द २, पृ० २९५)। इसत स्पष्ट होगा है कि कृष्ण एवं उनके साथ के लोगों की कथाएँ (जा महाभारत एवं हरिवंश में पायी जाती हैं) पतञ्जलि एवं बृहत् समीमा तक पाणिनि को ज्ञात थी। हेलियोडोरस के वेसनगर स्तम्भ-लेख (एपि-ग्रैफिया इण्डिया, जिल्द १०, अनुसूची पृ० ६३, न० ६६९) से पता चलता है कि यूनानी भी विष्णु के भक्त हो जाया करते थे। एरण प्रन्तर-लेख (गुप्त दम्त्रि-शास, पृ० १५८, न० ३६) में बराहावतार का उल्लेख हुआ है। भागवत पुराण (२।४।१८) ने लिखा है कि जब किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आमीर, सुद्र, यवन, तश एवं अन्य

११. स यत्कूर्मो नाम । एतद्वं रूपं कृत्वां प्रजापतिः । प्रजा असृजत यदसृजताकरोतदकरोतस्मात्कूर्मं । कश्यपो बं कूर्मस्तस्मादाहुः सर्वा प्रजाः काश्यप इति । शतपथ ब्राह्मण ७।५।१।५।

१२. इयती ह वा इयमप्रे पृथिव्यास प्रदेशमात्री तामेभूय इति बराह उज्जयान सोऽप्या पतिं प्रजापतिः । शतपथ ब्राह्मण १४।१।२।११; उद्धृतासि बराहेण कृष्णेन शतब्राह्मणम् । भूमिधेनुर्धरो लोकाधिपतिः । तैत्तिरीयारण्यक १०।१। ऋग्वेद में बराह का अर्थ ‘बराह के समान बाँदल-राक्षस’ या ‘बराह’ हो सकता है। देखिए निरुक्त ५।४।

१३ इदं विष्णुविक्रमे त्रेया निदधे पद्मम् । समुद्रमसा वागुरे ॥ श्रीनि पदः । विचित्रमे विष्णुर्गोपा अवाभ्यः । ऋग्वेद १।२।१।७-१८; और देखिए ऋग्वेद १।१५।१-४, १।१५।५।४, ५।४।१।३ आदि; न ते विष्णो जायमानो न जातो वेव महिम्नः परमन्तमाप । उदस्तन्ना नाकमुच्य मूर्त्त बाधयं प्राचीं ककुभ पृथिव्याः ॥... ध्वस्तन्ना रोदतो विष्णवेते बाधयं पृथिवीमभितो मयूतः ॥ ऋग्वेद ७।९।१।२-३।

पापी गण भक्त रूप म विष्णु की शरण में आते है तो पवित्र हो जाते है। इन बातों स स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतार (दास से कम या अधिक) ईसा के कई दाताब्दियों पहले से प्रसिद्धि पा चुके थे।

महाभारत एवं रामायण में ऐसा आया है कि दुष्टों को दण्ड देने, सज्जनों की रक्षा करने एवं धर्म के संस्थापन के लिए भगवान् इस पृथिवी पर आते हैं।^{१४} शान्तिपर्व (३३९।१०३-१०४) में भी दस अवतारों के नाम आये हैं, किन्तु यहाँ बुद्ध के स्थान पर नया नाम 'हस' आया है एवं कृष्ण को सात्वत कहा गया है। पुराणों में से भी कुछ बुद्ध को अवतार रूप में नहीं घोषित करते। मार्कण्डेयपुराण (४७।७) में मत्स्य, कूर्म एवं वराह को अवतार माना है और ४।५३-५४ में वराह से आरम्भ कर नृसिंह, धामन एवं माधुर (कृष्ण) के नाम लिये हैं। मत्स्यपुराण (४७।३९-४५) में १२ अवतार बताये हैं जिनमें कुछ सर्वथा भिन्न हैं, इसने यह भी लिखा है कि भृगु ने विष्णु को सात बार मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री को मार डाला था। किन्तु मत्स्यपुराण (२८५।६-७) में उल्लिखित अवतारों में बुद्ध का भी नाम है। इस पुराण (४७।२४०) में बुद्ध को नवौं अवतार माना है। नृसिंह पुराण (अध्याय ३६), अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं वराहपुराण (४।२) में प्रसिद्ध दशावतारों के नाम लिये हैं। वृद्धहारीतस्मृति (१०।१४५-१४६) में दशावतारों में बुद्ध के स्थान पर ह्यग्रीव आया है, और यह कहा गया है कि बुद्ध की पूजा नहीं होनी चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड, १०९।३४) में बुद्ध को चोर एवं नास्तिक कहा गया है।^{१५} किन्तु यह उचित शोषक भी हो सकती है। मागवतपुराण में अवतारों की तीन सूचियाँ हैं—(१) १।३ में २२ अवतार हैं, जिनमें बुद्ध, कल्कि, व्यास, बलराम एवं कृष्ण पृथक्-पृथक् आये हैं, (२) २।७० में प्रसिद्ध अवतारों के साथ कपिल, दत्तात्रेय एवं अन्य नाम हैं तथा (३) ६।८ में बुद्ध और ६।१७ में बुद्ध एवं कल्कि दोनों उल्लिखित हैं। इत्यरत्नाकर (पृ० १५९-१६०) में ब्रह्मपुराण की उद्धृत कर बताया है कि ब्रह्मारा शुक सप्तमी को व्रत करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन विष्णु ने बुद्ध रूप में शाक्यधर्म चलाया, ब्रह्मारा की सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में बुद्धप्रतिमा को शाक्य-वचन के साथ स्नान करना चाहिए और शाक्य सायुज्य को वस्त्र दान करना चाहिए। इसी प्रथम में बुद्ध-द्वन्द्वी की चर्चा है जब कि सोने की बुद्धप्रतिमा को स्नान कराकर ब्राह्मण को दान कर देने का उल्लेख है। सातवीं दाताब्दी में एक अभिलेख में भी बुद्ध का नाम दशावतारा में वर्णित है।^{१६} इन विवेचनों से स्पष्ट होता है कि अवताररूप में बुद्ध की पूजा लगभग सातवीं दाताब्दी स होने लगी थी। उस समय तक भी कुछ लोग उन्हें अवतार मानने को उद्यत नहीं थे, यथा कुमारिल मठ (लगभग ६५० से ७५० ई०)। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (६०।१९) में लिखा है—“जो लोग देवताओं के

१४. विष्णु के अवतारों के विषय में विस्तार से अध्यायन के लिए देखिए हाफ्किंस की 'एपिक मॉयोलॉजी', १९१५, पृ० २०९-२१९ एवं इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, जिल्द ११, पृ० १२१; पढ़िए 'असतां निग्रहार्थाय धर्म-संरक्षणाय च। अवतीर्णो मनुष्याणांभजायत यदुत्सवे॥ वनपर्व २७२।७१; बह्वीं रासरमाणो धं मोनीर्वर्तमानं सत्तम। धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च॥ आश्वमेधिक पर्व ५४।१३; भावद्गीता ४।७-८; वनपर्व २७२।६१-७०, २७६।८ आदि; अयोध्याकाण्ड १।७, उत्तरकाण्ड ८।२७; हस्त कूर्मवचमत्स्यवचमप्राहुर्भावाद् द्विजोत्तम। वराहो नारासिंहश्च धामनो राम ष्य च॥ रामो बभारपिदन्वं सात्वत कल्किरेव च॥ शान्तिपर्व ३३९।१०३-१०४।

१५. यथा हि धीर स तथा हि बुद्धस्तयागत नास्तिकमत्र विद्धि। अयोध्याकाण्ड १०९।३४।

१६. मत्स्य कूर्मों वराहश्च नरासिंहोऽय धामनः। रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की च ते वराः॥ वराहपुराण ४।२; देखिए डा० आर० जी० मञ्जारकर द्वारा 'वैष्णवविजम एण्ड गैबिजम', पृ० ४१।४२। और देखिए अभिलेख के लिए आर्याभारतिका सर्वे आव इण्डिया (मेम्बार्स सत्या २६)।

मन्दिरों में पुजारी होना चाहते हैं, यथा विष्णु के मागवत, सूर्य-मन्दिरों में मग (शाकद्वीपीय ब्राह्मण), शिव-मन्दिरों में विष्णु लगाये द्विज, देवी के मन्दिरों में मातृमण्डल जानने वाले, ब्रह्मा के मन्दिर में ब्राह्मण, शान्तिप्रिय एवं उदारहृदय बुद्ध के मन्दिरों में बौद्ध, जिनके मन्दिरों में नन्द साधु तथा इसी प्रकार के अन्य लोग, इनको अपने सम्प्रदाय में व्यवस्थित विधि के अनुसार देवपूजा करनी चाहिए।' क्षेमन्द्र (१०६६ ई० के लगभग) ने अपने दशावतार-चरित में एव जयदेव (लगभग ११८०-१२०० ई०) ने अपने गीतगोविन्द में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। अतः लगभग १०वीं शताब्दी में बुद्ध सारे भारतवर्ष में विष्णु के अवतार रूप में विख्यात हो चुके थे।

भारतवर्ष में बौद्धधर्म का लुप्त हो जाना एक अति विचित्र घटना है। यद्यपि बुद्ध ने वेद एवं ब्राह्मणों के आधिपत्य को न माना, न तो व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व में ही विश्वास किया, किन्तु उन्होंने 'कर्म' एवं पुनर्जन्म तथा विरचित एवं इच्छारहित होने पर सस्कारों से छुटकारा पाने के सिद्धान्तों में विश्वास किया। जब बौद्धों ने बुद्ध का पूजन आरम्भ कर दिया, जब पशुबलि एक प्रकार से समाप्त हो गयी, जब सार्वभौम दयाशीलता, उदार भावना एवं आरम-निग्रह की भावना सभी को स्वीकृत हो गयी और वैदिक धर्मावलम्बियों ने बौद्ध धर्म के व्यापक सिद्धान्त मान लिये, तब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये। तब उनके अन्य-धर्मत्व की आवश्यकता न प्रतीत हुई। किन्तु भिक्षु-भिक्षुणियों के नैतिक पतन से बौद्ध धर्म की अवनति की गति अति तीव्र हो गयी और अन्त में मुसलमानों के आक्रमणों ने लगभग १२०० ई० में बौद्धधर्म को सदा के लिए भारत से विदा कर दिया।

ऐसा की कई शताब्दियों पूर्व से राम एवं कृष्ण को अवतारों के रूप में पूजा जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश (११।२२) एवं मेघदूत में वामन को राम के समान ही अवतार माना है। इसी प्रकार काम्बरी में वराह एवं नरसिंह के अवतारों का उल्लेख है। त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश-शिव को एक देव के रूप में मानने) की धारणा अति

१७. विष्णोर्भागवतान्मगांच सवितुः शम्भोः सभस्मद्विजान्, मातृणामपि मातृमण्डलविदो विप्रान् विदुर्ब्रह्मण । शाश्वान्सर्वहितस्य शाश्वतमनसो नानाञ्जिनानां विदुर्यं य देवमुपाभिताः स्वविधिना तंस्तस्य कार्या क्रिया ॥ बृहत्संहिता ६०।११ । देलिए विलसन का विष्णुपुराण (जिल्द ५, पृ० ३८२), जहाँ भविष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यायों का) विस्तरेण किया गया है। अभिशप्त होने पर साम्ब ने शिव का मन्दिर बनवाया और शाकद्वीप से मर्गों के १८ कुटुम्ब बुला लिये, जिनके साथ यादवों के एक वर्ग भोजों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और तब मग लोग भोजक कहलाये। माग के हर्षचरित (४) में भोजक ज्योतिषाचार्य तारक का उल्लेख हुआ है, जिसने हर्ष के जन्म पर उसकी महत्ता का वर्णन किया है और टीकाकार के अनुसार 'भोजक' का अर्थ है 'मग'। देलिए शौरांग की पुस्तक 'हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स' (जिल्द १, पृ० १०२-१०३) जिसमें उन्होंने शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को मागय ब्राह्मण कहा है; न कि 'मग'। "मग और सूर्य-पूजक" के विषय में देलिए ३१० आर० जी० भण्डारकर कृत "वैष्णवविष्णु एण्ड शैविष्णु", पृ० १५१।१५५। देलिए मग ब्राह्मणों के लिए बेबर का लेख 'मगव्यक्ति आब कृष्णदास' (एचिचिकिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० ३३०), मग कवि गंगाधर का गोविन्दपुर प्रस्तर-लेख (१०५९ शकाब्द—११३७-३८ ई०), जिसमें ऐसा उल्लेख है कि मग लोग सूर्य के शरीर से उद्भूत हुए हैं, कृष्ण के पुत्र साम्ब द्वारा शाकद्वीप से लाये गये हैं और प्रथम मग भारद्वाज था। और देलिए एचिचिकिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २७९—प्रतिहार कब्रक का घटियालक शिलालेख, जो मातृरवि नामक मग द्वारा लिखित है (सन् ९१८-८६१-८६२ ई०)। देलिए भविष्यपुराण (अध्याय १३९-४०), जहाँ दाढ़ी बढ़ाने वाले भोजक कहे गये हैं, आदि। भोष्पपथं (अध्याय ११) में शाकद्वीप का उल्लेख किया है और ३६६ श्लोक में मर्गों (मर्गों) के देश की बात चलायी है।

प्राचीन रही है। महाभारत में आया है कि प्रजापति ब्रह्मा रूप में सृष्टि करता है, महान् पुरुष के रूप में रखा करता है तथा मद्र रूप में नाश करता है (वनपर्व)। ब्रह्मा के मन्दिर अब बहुराही वन पाये जाते हैं, अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है अजमेर के पास गुप्तर का मन्दिर। नावित्री के माप में ब्रह्मा की पूजा अबतति को प्राप्त हुई बही गयी है (पद्मपुराण, सृष्टिराष्ट, १७)।

शिव-पूजा सम्भवतः प्राचीनतम पूजा है। सर जॉन मार्शल के ग्रन्थ माहेन्जोदड़ो (जिल्द १, पृ० ५२-५३ एवं चित्र १२ सरया १७) में पता चलता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के समय सम्भवतः शिव-पूजा प्रचलित थी, क्योंकि एक चित्र में एक योगी के पशुद्वार हाथी, व्याघ्र, गंडा एवं भैंस पशु हैं (शिव यो पशुपति भी कहा जाता है)। कालिदास के बहुत पहले स शिव की पूजा अर्घं पुरुष एवं अर्घं नारी के रूप में प्रचलित थी (मालविकाग्निमित्र का प्रथम पद्य एवं कुमारसम्भव ७।२८)। शिव की बहुधा पशुपद (पद्मपूर—पमानन) भी कहा जाता है और इनके पांच स्वरूप हैं जिन में मद्योजान वामदेव, जपोर, तलपुरण एवं ईशान (देखिए तैत्तिरीय आरण्यक १०।४३-४७ एवं विष्णुधर्मोत्तर ३। ४८।१)। कान्तर म शिवो एवं वैष्णवो में एतद्द्वारे के विरुद्ध पर्याप्त कहा-गुनी हुई, किन्तु महाभारत एवं पुराणों के कालों में इनमें कोई धर्मनस्य नहीं था प्रत्युत बड़ा सौहार्द एवं सहिष्णुता थी। देखिए वनपर्व ३९।७६ एवं १८९।५-६, शान्तिपर्व ३४३।१२२, मत्स्यपुराण ५२।२३। अनुगासनपर्व (१४९।१४-१२०) में विष्णु के १००० नाम तथा अनुगागा (१७) एवं शान्तिपर्व (२८५।७४) में शिव के भी १००० नाम दिये गये हैं।

गणेश के विषय में हमने पहले भी पढ़ लिया है (अध्याय ७)। जँनों में भी गणेश की पूजा की है (देखिए आचारदिनकर, मवत् १४६८, जर्नल आय इण्डियन हिस्ट्री, जिल्द १८, १९३९, पृ० १५८, जिनमें गणेश की विभिन्न आकृतियों एवं एव आकृति में १८ बाहुओं का वर्णन है)। आचारदिनकर के अनुसार गणेश की प्रतिमाओं के २, ४, ६, ९, १८ या १०८ हाथ हो सकते हैं। अग्निपुराण (अध्याय ७१), मुद्गलपुराण एवं गणेशपुराण में गणेश-पूजा का वर्णन है, किन्तु इन पुराणों की तिथियाँ अनिश्चित हैं। बराहपुराण (अध्याय २३) में गणेश के जन्म के विषय में एक विचित्र कथा लिखी है। यमपत्यपर्वशीर्ष ने गणेश को ब्रह्म माना है।

पहो की प्रतिमाओं का पूजन अपेक्षाकृत प्राचीन है। याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२९६-२९८) में लिखा है कि नौ ग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु एवं केतु) की पूजा के लिए उनकी मूर्तियाँ जन्म से ताम्र, रक्तिक, लाल चन्दन, सोना (वृष एवं बृहस्पति के लिए), रजत, लोहा, सीता एवं काँसे की बनी होनी चाहिए।

विद्या की देवी सरस्वती के बारे में दण्डी (६०० ई० के पदचातु नहीं) ने लिखा है कि वे सर्व-सुखदा हैं। दत्तात्रेय की पूजा बहुधा दक्षिण में होती है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से ही दत्तात्रेय की पूजा अवश्य आरम्भ हो गयी थी। जाबालोपनिषद् में वे परमहंस बने गये हैं और उनके नाम पर एक उपनिषद् भी है। वनपर्व (११५), अनुगासन (१५३) एवं शान्तिपर्व (४९।३६) का कहना है कि उन्होंने कातवीर्य को बरदान दिये। मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १६-१९) ने उनके जन्म के बारे में लिखा है और उन्हें योगी माना है तथा कहा है कि उनके भक्तगण उन्हें दाराव एवं मास देते थे। मायवतपुराण (९।२।२३), मत्स्यपुराण (४७।२४२-२४६) तथा अन्य पुराणों ने भी इनके बारे में लिखा है। माप ने सिंगुपालवप में इन्हें अवतार माना है।

देवपूजा की विधि, षोडश उपचार

विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ६५) में (वासुदेव या विष्णु की) देवपूजा का सबसे आरम्भिक स्वरूप पाया जाता है: "अच्छी तरह न्यान करके, हाथ-पैर धोकर तथा आचमन करके यज्ञ-स्थल पर मूर्ति में रामक्ष अनादि एवं अनन्त वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। मन में भक्त "प्राणवन्त अस्मिन् लोग तुम्हें प्राण दें" (मंत्रायणी संहिता २।३।४) कहकर

'युञ्जते मन' नामक अनुवाक (ऋग्वेद ५।८१) के माय विष्णु को आमन्त्रित कर घुटने, हाथ एवं सिर टेककर विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऋग्वेद के तीन मन्त्रा (१०।१।१-३) का बह्वर अर्घ्य (हाथ धोने के लिए सम्मान सहित जल देने) की धोपणा करनी चाहिए। इसके उपरान्त चार मन्त्रों के साथ (तेत्तिरीय संहिता ५।६।१।१-२) पाद्य (पूर धोने के लिए जल) देना चाहिए (अथर्ववेद १।६।४), और फिर आचमनीय कराना चाहिए। तब स्नान के लिए जल देना चाहिए। इसके उपरान्त "रथो, कुल्हाडियो, बैलो की शक्ति" मंत्र के साथ लेप एवं आभूषण देने चाहिए, ऋग्वेद (३।८।४) के साथ वस्त्र देना चाहिए, तब पुष्प, धूप, दीप, मधुपर्क देना चाहिए, तब भोग्य पदार्थ, चामर, दण्ड, छत्र, रथ, आसन देते समय गायत्री मन्त्र कहना चाहिए। प्रत्येक कार्य के माय वैदिक मन्त्र बहने का विधान है।" यहाँ सब विस्तार से नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार पूजा के उपरान्त पुरुषसूक्त का पाठ करना चाहिए। तब कल्याणार्थों को घृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। बोधायनगृह्यपरिषेपसूत्र (२।१४) में विष्णु-पूजा का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार इस परिषेपसूत्र (२।१७) में महादेव (शिव) की पूजा का भी विधान पाया जाता है। विष्णु एवं शिव की पूजा-विधि में कोई विशेष अन्तर नहीं है, हाँ शिव-पूजा में शिव का नई नाम, यथा—महादेव, भव, श्रद्ध एवं "दम्भक आये हैं, कही-नही कुछ मन्त्रों में भी अन्तर है। जब स्थापित मूर्ति की पूजा होती है तो आवाहन और विसर्जन की विधि नहीं की जाती।

पूजाप्रकाश (पृ० ९७-१४९) एवं अन्य निबन्धों में शौनक, गृह्यपरिशिष्ट, ऋग्विधान, विष्णुपमोत्तरपुराण, भागवतपुराण, नरसिंहपुराण के अनुसार देवपूजा की विधि दी हुई है, जिसे हम स्वानामाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। उपर्युक्त विवेचन से व्यक्त हुआ होगा कि देवपूजा में नई उपचार पाये जाते हैं, जो सामान्यतः १६ बहे जाते हैं, यथा—आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, अन्तलेपन या गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य (या उपहार), नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्दासन। विभिन्न ग्रन्थों में कुछ अन्तर भी है। कुछ ग्रन्थों में यज्ञोपवीत के उपरान्त भूषण, प्रदक्षिणा या नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल (या मुखवास) भी देने की व्यवस्था है (बृहहारीत ६।३।३-३२ एवं पूजाप्रकाश, पृ० ९८)। अतः इस प्रकार उपचार १८ हो गये। "कुछ ने 'आवाहन' छोड़कर 'आसन' के उपरान्त 'स्वागत', 'आचमनीय' के उपरान्त 'मधुपर्क' जोड़ दिया है। इसी प्रकार कुछ लोगों में 'स्तोत्र' (स्तुति) एवं 'प्रणाम' को उपचार से पृथक् माना है, और कुछ लोगों ने इन दोनों को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अंग माना है (पूजाप्रकाश, पृ० ९८)। यदि किसी के पास वस्त्र एवं अलंकार न हो तो वह १६ में १० उपचार ही कर सकता है (केवल पाद्य से नैवेद्य तक), यदि य दस भी न हो सकें तो केवल पाद्य (पञ्चोपचार-पूजा) अर्थात् गन्ध से नैवेद्य तक करे। किन्तु यदि पास में कुछ भी न हो तो पुण्य से ही सोलहो उपचार सम्पादित हो सकते हैं। जब मूर्ति अचल रहती है तो आवाहन एवं विसर्जन की बात नहीं उठती और उपचार केवल १४ ही रह जाते हैं, किन्तु यदि मोल्ह पूरे करने हो तो उनके स्थान पर मन्त्र के साथ पुण्यों का व्यवहार हो सकता है।" जो लोग पुरुषसूक्त बह सकें, उन्हें प्रत्येक उपचार

१८ सोलह उपचारों के लिए देखिए नरसिंहपुराण ६२।९-१३ (अपराह, पृ० १४०-१४१ में उद्धृत); ऋग्विधान (३।३।६।१०); स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १९९); पराशरमाध्वेय १।१, पृ० ३६७; नित्याचारपद्धति (विद्याकर लिखित, पृ० ५३६-३७); सत्काररत्नमाला (पृ० २७); आचाररत्न (पृ० ७१)।

१९. देखिए, नित्याचारपद्धति, पृ० ५४९। जयवर्मा द्वितीय (सं० १३१७—१२५०-५१ ई०) के भाष्यता लेख में पञ्चोपचार पूजा का उल्लेख है (एविग्रंथिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० ११७, ११९)। प्रतिष्ठित-प्रतिमायामावाहनविसर्जनयोरभावेन चतुर्दशोपचारं पूजा। अथवावाहनविसर्जनयो स्थाने मन्त्रपुण्याञ्जलिदानम्। नूतनप्रतिमायां तु षोडशोपचारं पूजा। सत्काररत्नमाला, पृ० २७।

के साथ उसका एक एक मन्त्र कहना चाहिए। स्त्रियो एव द्यूडो को केवल "सिवाय नम" या "विष्णवे नम" कहना चाहिए। बृहदारथी (११।८१) के मत से स्त्रियो को बाल-कृष्ण तथा विषवाओ की हरि की पूजा (१०।२०८) करनी चाहिए। स्नान, वस्त्र, यशोपवीत एव नैवेद्य में प्रत्येक के उपरान्त आचमन होना चाहिए (नरसिंहपुराण ६२।१५)। कुछ उपचारों के नाम आश्वलायनगृह्यसूत्र (५।७।१० एव ५।८।१) में भी श्राद्ध के समय आमन्त्रित श्राद्धणो की पूजा में प्रयुक्त हुए हैं, यथा—स्नान, अर्घ्य, गन्ध, मातृ (पुष्प), धूप, दीप एव आच्छादन (वस्त्र)।

देवपूजा एव पितृ-वृत्त्य के लिए जल उसी दिन का लाया हुआ होना चाहिए (विष्णुधर्मसूत्र ६६।१)। पूजा करनेवाले को बाँस या प्रस्तर, यज्ञ के काम में न आनेवाले बाण्ड, साली पृथिवी, पास से बने या हरी पास से निर्मित आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे कम्बल, रेशम के वस्त्र या मृगचर्म पर बैठना चाहिए (पूजाप्रवाश, पृ० ९५)। अर्घ्य में निम्नलिखित आठ या जितनी सम्भव हो सकें, सामग्रियाँ डालनी चाहिए—दही, घान, कुश के ऊपरी भाग, दूध, दूर्वा, मधु, यव एव सफेद सरसो (मत्स्यपुराण २६।७।२, पूजाप्रवाश, पृ० ३४ में उद्धृत)। यह भी कहा गया है कि विष्णु को अर्घ्य देने के लिए दास में जल के साथ चन्दन, पुष्प एव अक्षत होने चाहिए। आचमन के जल में इलायची, लवंग, उशीर (सम) तथा जितना सम्भव हो उतना कबकोल मिला देना चाहिए। मूर्ति के स्नान के लिए पञ्चामृत (दूध, दही, घृत, मधु एव शक्कर) होना चाहिए। इनमें सबका प्रयोग क्रम से होना चाहिए और शक्कर अन्त में पडनी चाहिए, जिससे कि घृत आदि से उत्पन्न भस्म अक्षत समाप्त हो जाय। इसके उपरान्त पवित्र जल से स्नान होता है। पञ्चामृत स्नान में पांच मन्त्र कहे जाते हैं, यथा ऋग्वेद १।१।१६, ५।३।१६, २।३।११, १।१०।६, १।८।५।६। किन्तु चित्र एव मिट्टी की मूर्ति को स्नान नहीं कराया जाता। यदि स्नान के लिए अन्य पदार्थ न हों तो विष्णु को उनकी त्रिय गुणती की पत्तियाँ जल में डालकर स्नान करा देना चाहिए। मूर्ति के स्नान वाला जल बड़ा पवित्र माना जाता है, पूजा करने वाला, कुटुम्ब के लोग, मित्र-गण उसका आचमन करते हैं और उस जल को तीर्थ बहा जाता है। लोग इसे अपने गिर पर भी छिड़कते हैं। अनुलेप या गन्ध के विषय में बहुत से नियम बने हैं। अनुलेप का निर्माण चन्दन, देवदारु, कम्पूरी, कर्पूर, कुकुम एव जातिफल (या जातीफल) से होता है। आमूषण के लिए सच्चा सोना या बहुमूल्य रत्न होने चाहिए, नक्की नहीं (विष्णुधर्मसूत्र ६६।२, ६६।४)। मुष्णो के विषय में बड़े रम्बे नियम बने हैं। पूजा-प्रवाश (पृ० ४२।४९) में विष्णुपूजा में तुलसी की बड़ी महिमा गायी है। इसकी पत्तियाँ पुष्प के अभाव में प्रयुक्त होती हैं। पुष्प-सम्बन्धी नियमों को हम म्यानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं। पूजा के दिन जो पुष्प चढ़ाये जाते हैं, उन्हें दूसरे दिन पूजा के समय उठा लिया जाता है और उन्हें निर्मल्य कहा जाता है, उनका बड़ा महत्त्व माना जाता है और उन्हें सिर पर चढ़ाया जाता है। शिव-पूजा में क्रम से ये पुष्प अच्छे कहे जाते हैं, यथा—अर्क, कर्वीर, बिल्वपत्र, द्रोण, अपामार्ग-पत्र, कुश-मुष्ण, यमीपत्र, नील कमलदल, घत्तूर पुष्प, यामी-मुष्ण, नील कमल। नील कमल को सर्व-श्रेष्ठ माना गया है। पुष्पाभावे फल, फलभावे पत्र, या केवल अक्षत या केवल जल प्रयोग में लाया चाहिए। दीप में घृत होना चाहिए किन्तु पतानावे सरसो का तेल दिया जा सकता है। मूर्ति के समक्ष कर्पूर जलाना चाहिए। एक प्रथा है आरात्रिक (आरती) की (मूर्ति के चतुर्दिक् दीप घुमाने की क्रिया)। आरती का कृत्य एक घाल में दीप या कर्पूर के टुकड़े जलाकर मूर्ति के चतुर्दिक् तथा गिर पर घुमाकर सम्पादित होता है। नैवेद्य में वज्रित भोजन नहीं होना चाहिए और न कवीर या भंस का दूध होना चाहिए (यद्यपि हमारे लिए इसका उपयोग वज्रित नहीं है); इसी प्रकार पाँच तस्रो वाले पद्मओ, मछली तथा मूत्रर का मांस भी वज्रित है। सामान्य नियम है—"जो भोजन व्यक्त करता है वही देवताओ को भी देना चाहिए (अथोप्यानाण्ड १०।३।२०)। नैवेद्य सोने, चाँदी, बरतै, ताम्र या मिट्टी के पात्र, पलाश-पत्र या कमल-दल में देना चाहिए। ब्रह्मपुराण (अपराक, पृ० १५३।१५४ एव पूजाप्रवाश, पृ० ८२ में उद्धृत) के मत से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, देवी, मातृवा, भूत, प्रेत, पिशाच को दिया गया नैवेद्य ब्राह्मणों, सात्वतों (भागवतों), भस्म लगानेवालों, भगों,

शाक्तो, स्त्रियो एव ददित् क्री देना चाहिए। स्वयं पूजा करनेवाला भी नैवेद्य ले सकता है। नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल दिया जाता है। प्राचीन गुरु एव धर्मसूत्रो मे ताम्बूल एव मुखवास का कही भी उल्लेख नहीं हुआ है। सम्भवत ईसा के कुछ शताब्दियो पहले या आरम्भ मे ताम्बूल सर्वप्रथम दक्षिण भारत मे प्रयुक्त हुआ और फिर क्रमश उत्तर भारत मे भी प्रचलित हो गया। स्मृतियो मे सर्वत (५५), लघु-हारीत, लघु-आश्वलायन (१११६०-१६१ एव २३।१०५), औशनस ने भोजन के उपरान्त ताम्बूल-चर्वण का उल्लेख किया है। कार्लिदास (रघुवम ६।६४) ने ताम्बूल पीघो को ताम्बूल-लताओ से घिरा हुआ लिखा है। कामसूत्र (१।४।१६) ने लिखा है कि व्यक्ति को प्रात मुख धोकर, आदर्श (दर्पण) मे मुख देखकर और ताम्बूल खाकर अपने श्वास को सुगन्धित करते हुए प्रतिदिन के कार्यों मे लग जाना चाहिए (अन्य ताम्बूल-सम्बन्धी सकेतो के लिए देखिए कामसूत्र ३।४।४०, ४।१।३६, ५।२।२१ एव २४, ६।१।२९, ६।२।८)।^१ बराहमिहिर की बृहत्संहिता (७७।२५-३७) मे ताम्बूल एव इसके अन्य उपकरणो के गुणो का बखान है। कादम्बरी (३५) मे राजप्रासाद की तुलना ताम्बूलिक (तमोली) के घर से की गयी है जिसमे लवली, लवग, इलायची, कक्कोल स गृहीत रहते हैं। पराशरमाधवीय (१।१, पृ० ४३४) ने बसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि किस प्रकार ताम्बूल की दोनो नोको को काटकर खाया जाता है। चतुर्वर्षचिन्तामणि (जिन्द २, भाग १, पृ० २४२) के ब्रतखण्ड मे हेमाद्रि ने रत्नक्रोय का उद्धरण देकर समझाया है कि ताम्बूल का अर्थ है ताम्बूल का पत्र एव चूना तथा मुखवास या तात्पर्य है इलायची, कर्पूर, कक्कोल, चोम्र एव मातुलुग के टुकडो का एक साथ प्रयोग। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४९) मे ताम्बूल के नौ उपकरणो का वर्णन है, यथा—सुपारी, ताम्बूल पत्र, चूना, कर्पूर, इलायची, लवग, बक्कोल, चोम्र, मातुलुग फल।^१ आधुनिक काल मे बादाम के टुकडे, जातीफल एव उसकी छाल, कुकुम, खदिरसार लिया जाता है, किन्तु मातुलुग छोड दिया जाता है। इस प्रकार ताम्बूल के १३ उपकरण हैं। आजकल ताम्बूल के १३ गुण (या तो १३ उपकरणो के कारण या अन्य गुणो के कारण) विख्यात हैं।^१

कुछ लोगो के मत से प्रवक्षिणा (दाहिनी ओर से मूर्ति के चतुर्दिक् जाना) एव नमस्कार केवल एक उपचार कहे जाते हैं। नमस्कार या तो अष्टांग (आठ अंगो के साथ) होता है या पञ्चांग (पाँच अंगो के साथ) होता है। अष्टांग मे व्यक्ति पृथिवी पर इस प्रकार पड जाता है कि ह्येयलियाँ, पैर, घुटने, छाती, मस्तक पृथिवी को स्पर्श करते हैं मन वाणी एव आँखें मूर्ति की ओर लगी रहती हैं तथा पञ्चांग मे हायो, पैरो एव सिर के बल पृथिवी पर पड जाना होता है।

आजकल सूर्य के लिए १२ नमस्कार या १२ के बर्द गुने नमस्कार प्रचलित हैं। सूर्य को १२ नामा से नमस्कार होता है, जो ये हैं—मित्र, रवि, सूर्य, मानु, सग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, हविता, अर्क एव नाम्कर। पूजाप्रकाश (पृ० १६६-१८८) ने ३२ अपराध गिताये हैं, जिनसे पूजा के समय दूर रहना चाहिए। बराह-पुराण (१३०।५) ने भी इन ३२ अपराधो की चर्चा की है।

२० स प्रातरुष्याय कृतनियतकृत्यो गृहीतवन्तथावन... बुद्ध्वादर्शं मुखं गृहीतमुखवासताम्बूल कार्याप्यनु-
तिष्ठेत्। कामसूत्र १।४।१६।

२१ कमुकादिव्रय गन्धकर्पूरमेलकां तथा। लवगं चैव कक्कोल नारिकेलं सुपस्वकम्। मातुलुगं तथा पञ्च
ताम्बूलान्गान्धुनि यैः। इति नवांगताम्बूल प्रदानतया वृष्टात्। नित्याचारपद्धति, पृ० ५४९।

२२ ताम्बूल कटु तिक्तमुष्णमधुर क्षार कषयापान्धितं वातघ्नं कफनाशनं कृमिहरं सुगन्धिविभक्तकम्। धवत्र-
स्पाभरणं विशुद्धिकरणं कामाग्निनसरोपनं ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणा स्वर्गोपि ते बुलंभा ॥ सुभाषित।

शिव-पूजा

श्री आर० जी० मण्डारकर ने अपनी पुस्तक "वैष्णविक्रम एण्ड शैविज्म" में दर्शाया है कि ऋग्वेद में रुद्र एवं महावृषभदेवता हैं, तैत्तिरीयसंहिता (४।५।१-११) में (रुद्र नामक) ११ अनुवाक है, जिनमें रुद्र के विषय में एक उखल खुति है। कतिपय शैव सम्प्रदाय एवं सिद्धांत भी कालान्तर में उठ खड़े हुए। शिव के चार नामों को लेकर पार्ष्वनि (४।१।४९) ने भवानी, शार्वंगी, वदानी एवं मुदानी नामक चार शब्द बनाये हैं। गुरुसूत्रों में वर्णित 'शूलगव' नामक यज्ञ में रुद्र को महान् देवता मानकर पूजा गया है। आश्वलायनगुरुसूत्र (४।१।१६) में रुद्र के १२ नाम गिनाये हैं और कहा है कि इस सप्ताह के सभी नाम, सभी सेनाएँ एवं सभी महान् वस्तुएँ रुद्र की हैं। पतञ्जलि ने शिव-भागवत (शिव के भक्त) का उल्लेख किया है (जिल्द २, पृ० ३८६-३८८)। शारदाश्यामं के मत से वेदान्तसूत्र की एक उक्ति (२।२।३७) शैवों के पाशुपत सम्प्रदाय के विरोध में लिखी गयी है। शान्तिपर्व (२८।१।२१-२२४) में पाशुपत लोग वर्णाश्रमधर्म के विरोधी कहे गये हैं। कर्मपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय १६) में शैव सम्प्रदायों के शास्त्रों का उल्लेख किया है और निम्नोक्त सम्प्रदायों को सप्ताह की भ्रान्त मार्ग में ले जानेवाले माना है, यथा—वापास, नावुल (साकुल ?), शाम, भँरव, पाशुपत। शिव के असुर भक्त बाण ने विभिन्न स्थानों पर १४ करोड़ लोगों की स्थापना की थी। इन लोगों को बाण-लिंग बहते हैं (नित्याचारपद्धति, पृ० ५५६) और नर्मदा, गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में पाये जानेवाले श्वेत प्रस्तर बाण-लिंग ही बहते जाते हैं। प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंग ये हैं—मान्धाता में ओकार, उज्जयिणी में महाकाल, नासिक के पास श्याम्बर, एलोरा में धूम्रेश्वर, अहमदनगर से पूर्व नागनाथ, सहाय्रि पर्वत में श्रीमा नदी के उद्गम-स्थल पर भीमाशंकर, गढ़वाल में केदारनाथ, बनारस (शाराणसी) में विश्वेश्वर, सौराष्ट्र में शोमनाथ, धरती के दास पंचनाथ, धीरौल पर मल्लिकार्जुन तथा दक्षिण में रामेश्वर। इनमें बहुत-से मन्दिर मध्य एवं पश्चिम भारत में पास-पास पाये जाते हैं।

पूजाप्रकार (पृ० १९४) ने हार्गीत को उद्धृत कर बताया है कि महेश्वर की पूजा पाँच अक्षरों से (नमः शिवाय) या छद्मनायत्री" से या 'ओम्' से या 'ईदानः सर्वविद्यानाम्' (तैत्तिरीयारण्यक १०।४७) नामक मन्त्र से या छद्म-मन्त्र (तैत्तिरीय संहिता ४।५।१-११) से या 'गम्बक यजामहे' (ऋग्वेद ७।५९।१२) नामक मन्त्र से हो सकती है। शिव के मन्त्र को रुद्राक्ष की माला पहनना आवश्यक है, जो हाथ पर, बाहु पर, गले में या सिर पर धारण की जा सकती है। शिवालय का गाय के दूध, दही, घृत, मधु, ईस के रस, पचमव्य, कर्पूर एवं अगुरु-मिश्रित जल आदि से अभिषेक किया जाता है। बहुत प्राचीन काल से मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिव के लिए पवित्र मानी जाती रही है।

दुर्गा-पूजा

बहुत प्राचीन काल से दुर्गा-पूजा की परम्पराएँ पृथक् रही हैं। दुर्गा कई नामों एवं स्वरूपों से पूजित होती रही है। तैत्तिरीयारण्यक (१०।१८) में शिव अम्बिका या उमा ने पति बहने गये हैं। कैनोपनिषद् में उमा हैमवती का रुद्र को ब्रह्मज्ञान देना वर्णित है (३।२५)। दुर्गा के विभिन्न नाम ये हैं—उमा, पार्वती, देवी, अम्बिका, गौरी, चण्डी (या चण्डिका), बाली, कुमारी, ललिता आदि। महाभारत (विराटपर्व ६ एवं भीष्मपर्व २३) में दुर्गा को विष्णु-दासिनी, रक्त एवं मन्दिरा पीनेवाली कहा गया है। वनपर्व में आया है कि उमा ने शिव के विराट बनने पर (अर्जुन

की परीक्षा के लिए) किराती का वेश धारण किया था (३९।४)। कुमारसम्भव (१।२६ एव ५।२८) में कालिदास ने पार्वती, उमा एवं अपर्णा की चर्चा करके अन्तिम दो की ध्युत्पत्ति की है। गाङ्गवल्क्य (१।२९०) ने अम्बिका को विनायक की माता कहा है। मार्कण्डेयपुराण (अध्याय ८१-९३) के देवीमाहात्म्य का उत्तर भारत में प्रभूत महत्व है। एपिग्रैफिया इण्डिका (त्रिलि ९, पृ० १८९) से पता चलता है कि सन् ६२५ ई० के लगभग दुर्गा का आवाहन एक महती देवी के रूप में होता था। बाण ने कादम्बरी में पण्डिका के मन्दिर, रक्त-दान, त्रिगूल एवं महिषासुर के वध का वर्णन किया है। कृत्यरत्नाकर (पृ० ३५१) ने देवीपुराण का उद्धरण देकर व्यक्त किया है कि मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी (विशेषत आश्विन मास की) देवी के लिए पवित्र है और उस दिन बकरे या भैंसे की बलि होनी चाहिए। बगाल के कालीमन्दिर एवं दुर्गा के अन्य मन्दिरों में रक्त-रजित कृत्य अब भी सम्पादित होता है। "बगाल में आश्विन मास की दुर्गा-पूजा एक विशिष्ट पर्व होता है। रघुनन्दन ने दुर्गर्चन-मद्धति में आश्विन मास की दुर्गा-पूजा का विशद वर्णन किया है। दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में भी होती है। शाक्त पूजा का सारे भारत में प्रभाव रहा है। इस पर हम आगे लिखेंगे।

ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से ही तान्त्रिक साहित्य ने देव-पूजा के कृत्यों पर प्रभाव डाला है और बहुत पहले से पूजा करनेवालों के मन में पूजा-सम्बन्धी मुद्राओं, न्यासों एवं अन्य रहस्यपूर्ण आसनो ने धर कर रखा है। मागवतपुराण (१।१।२७।७) के मत से देव-पूजा के तीन प्रकार हैं, वैदिकी, तान्त्रिकी एवं मिथ्या, जिनमें प्रथम एवं तृतीय उच्च वर्णों के लिए तथा द्वितीय शूद्रों के लिए है।

२४. स्वर्नासवधिरंभंस्तैर्वैकी तुष्यति वै भूशाम्। महिषीछागमेवाणां धिरेण तथा नृप॥ एवं नानाम्लेच्छगर्णं पूज्यते सर्ववस्तुभिः। अगवगकलिर्गश्च किनरंभंभरैः शक्रः॥ कृत्यरत्नाकर (पृ० ३५७) में उद्धृत मविष्यपुराण।

अध्याय २० वैश्वदेव

वैश्वदेव का अर्थ है देवताओं को पक्वान्न देना। दस (२।५६) का कहना है कि दिन के पाँचवें भाग में गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, यहाँ तक कि कौड़ो-मकोड़ो को भोजन देना चाहिए। शांतातप (मनु ५।७ की व्याख्या में मेधातिथि द्वारा एव अपराकं पू० १४२ द्वारा उद्धृत) के मत से वैश्वदेव बलि, यदि मुरझित हो तो गृह्याग्नि में, नहीं तो लौकिक अग्नि (साधारण अग्नि) में देनी चाहिए। यदि अग्नि न हो तो इसे जल में या पृथिवी पर छोड़ देना चाहिए। यही बात लघु-व्यास (२।५२) में भी पायी जाती है।

कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों, यथा स्मृत्यर्पणसार, पराशरमाधवीय (१।१, पू० ३८९) आदि के अनुसार वैश्वदेव का तात्पर्य है प्रति दिन के लिए तीन यज्ञ, अर्थात् देवयज्ञ, भूतयज्ञ एव पितृयज्ञ। इसे वैश्वदेव इसलिए कहा गया है कि इस कृत्य में सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, या इस कृत्य में सभी देवताओं के लिए भोजन पकाया जाता है।^१ शाखायनगृह्यसूत्र (२।१४) में वैश्वदेव की चर्चा की है, किन्तु गोमिल्यु० (१।४।१-१५), छादिरगु० (१।५।२२-३५) में केवल बलिहरण का उल्लेख किया है। सम्भवतः आश्वलायनगृह्यु० में भी सांकेतिक दश में इसकी चर्चा की है। पाणिनि (६।२।३९) ने धान्य-वैश्वदेव का सामासिक प्रयोग किया है। ब्रह्मनस (६।१७) ने स्पष्ट लिखा है कि देवयज्ञ देवताओं का बड़ यज्ञ है जिसमें सभी देवताओं को पक्वान्न दिया जाता है।^२ शौतम (५।९) के अनुसार वैश्वदेव में देवता है अग्नि, घन्वन्तरि, विश्वेदेव, प्रजापति एव त्रिवृष्टृत् (अग्नि)। मनु (३।८४-८६) के अनुसार देवता है अग्नि, सोम, अग्नीषोम, विश्वेदेव, घन्वन्तरि, कुह, अनुमति, प्रजापति, धावापृषिदी, (पनि) त्रिवृष्टृत्। शाखायनगु० (२।१४।४) ने १० देवों के नाम दिये हैं, किन्तु उपरी सूची तथा मनु की सूची में कुछ अन्तर है। पारस्करगु० (२।९) के अनुसार वैश्वदेव-देवता ये हैं—ब्रह्मा, प्रजापति, गृह्या, कश्यप, अनुमति। विष्णुसंहिता (६७।१।३) के मत से वैश्वदेव के देवता हैं वामुदेव सत्रर्षण, अग्निरुड, पुरय, मय अच्युत, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इन्द्र, इन्द्राग्नि, विश्वे देव, प्रजापति, अनुमति, घन्वन्तरि, वास्तोष्पति, (अग्नि) त्रिवृष्टृत्। इनो प्रकार अन्य गृह्यसूत्रों में अपनी-अपनी सूचियाँ उपस्थित की हैं। इसी विभिन्नता के कारण मदनपाणिजात (पृ० ३१७) ने लिखा है कि वैश्वदेव-देवता दो प्रकार के हैं—(१) एव तो वे जो सबके लिए एव-ने है और जिनके नाम मनुस्मृति आदि में हैं, और (२) दूसरे वे जो अपने-अपने गृह्यसूत्रों में पाये जाते हैं। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, ३० २१२) में भी बही है।^३

१. एते वैश्वयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा वैश्वदेव उच्यन्ते। स्मृत्यर्पणसार, पू० ४७; त एते देवयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा-सत्रयोपि वैश्वदेवशब्देनोच्यन्ते। यत्र विश्वे देवा इज्यन्ते तद्वैश्वदेविकं कर्म। देवयज्ञो च एतन्नाम मुख्यम्। पितृयज्ञो छान्दिन्यायेन। पराशरमाधवीय (१।१, पू० ३८९)।

२. पक्वेषामेन वैश्वदेवेन देवेभ्यो होमो देवयज्ञः। ब्रह्मनसस्मार्त (६।१७)।

३. वैश्वदेव प्रकुर्यात् स्वशाखाविहितं यथा। *२ त (स्मृतिचन्द्रिका, पू० २१२ में उद्धृत)।

सभी प्राचीन स्मृतियों में ऐसा विधान है कि वैश्वदेव प्रातः एव साय दोनो बार करना चाहिए, किन्तु कालान्तर में प्रातः की ही परम्परा रह गयी और सकल्प में दोनों कालों को एक में बाँध दिया गया। ऋग्वेद (५। ४। ५। ५। ५।) के मन्त्र 'जुष्टो दमूना' एव 'एह्यने' (ऋ० १। ७६। १२) अग्नि के आवाहन के लिए प्रयुक्त हैं और इसी प्रकार अग्नि के कुछ अन्य लक्षण भी अग्नि ध्यान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। अपने स्नान के लिए जो भोजन बनाया जाता है, उसका घाटा मागपृथक् पात्र में रख दिया जाता है और उस पर घृत छोट दिया जाता है, तब उसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसके उपरान्त बायें हाथ को अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक आँवले के बराबर भोजन को (तीन भाग में से एक को) उठाकर तथा अँगूठे से दबाकर उममें से थोड़ा-थोड़ा अन्न का माग दाहिने हाथ से ही गूर्यं, प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्नी-योम, इन्द्राग्नि, षावापृथिवी घन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वे-देवो एव ब्रह्मा को दिया जाता है। तब अग्नि में से 'मान नस्तोके' (ऋ० १। ११४। ८) मन्त्र के साथ मंत्र लेकर मस्तक, गण्डे, नाभि, दाहिने एव बायें कंधो एव सिर पर लगाया जाता है। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की जाती है जिससे कि बृद्धि, स्मृति, यश आदि की प्राप्ति हो।

कुछ मध्यकालिक निबन्धों में वाद विवाद खडा हो गया है (यथा मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १। १०३), क्या वैश्वदेव पुरुषार्थं मात्र (कुछ कल्याणकारी काम के लिए पुरुष का कर्तव्य) है या पुरपार्थं के साथ-साथ पक्वात्र देने का एक सस्कार भी है? दूसरे पक्ष में भोजन प्रधान और वैश्वदेव गौण हो जायगा, किन्तु पहले रूप में (जब कि वैश्वदेव केवल पुरुषार्थं है) भोजन गौण तथा वैश्वदेव प्रधान हो जायगा। आश्वलायनगुं (१। २। १) के आधार पर कुछ लोगों के मत से वैश्वदेव पक्वात्र का सस्कार है और आश्वलायनगुं (३। १। १ एव ४) के आधार पर यह पुरुषार्थं है। मिताक्षरा ने मनु (२। २। ८) के आधार पर वैश्वदेव को पुरुषार्थं माना है। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २१२) एव पराशरमामनीय (१। १, पृ० ३९०) में भी पायी जाती है। किन्तु स्मृत्यर्थसार (पृ० ४६) एव लघु आश्वलायन (१। १। ६) के अनुसार वैश्वदेव गृहस्थो एव पक्वात्र दोनो का सस्कार है।

वैश्वदेव का कृत्य श्राद्ध के पूर्व हो या उपरान्त तथा श्राद्ध के लिए भोजन पृथक् देने या साथ? इस प्रश्न के उत्तर में मतभेद नहीं है। अपराकं (पृ० ४६२) ने इस विषय में तीन मत दिये हैं—(१) वैश्वदेव भोजन तैयार होने के तुरन्त बाद ही होना चाहिए, या (२) बलिहरण के उपरान्त होना चाहिए, या (३) श्राद्ध समाप्त हो जाने पर इसे करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ३२०), बृहत्पराशर (पृ० १। ५६) आदि के मत से वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व अवश्य हो जाना चाहिए (देखिए इस विषय में स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४०६-४०७), किन्तु अनुशासनपत्र (९। ७। १६-१८) के अनुसार श्राद्ध के दिन पहले पितृतर्पण होता है तब बलिहरण और अन्त में वैश्वदेव। मदनपारिजात (पृ० ३१८) के मत से वैश्वदेव का भोजन श्राद्ध भोजन से पृथक् बनना चाहिए। संयुक्त परिवार में पिता या ज्येष्ठ भाई वैश्वदेव करता है। किसी असमर्थता के कारण पिता एव ज्येष्ठ भ्राता द्वारा आजापित होने पर पुत्र या छोटा भाई भी इसे सम्पादित कर सकता है (लघु आश्वलायन १। १। ७-१। ९)।

पक्वात्र पर घृत, दही या दूध छिड़वना चाहिए किन्तु तेल एव नमक नहीं। आपस्तम्बधर्मभूष (२। ६। १। १२-

४. आधुनिक सकल्प यह है—ममोपासुरितक्षयद्वारा धीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं मात्माप्रसाकारपञ्चयुना-जनिशोषपरिहरणार्थं प्रातर्वैश्वदेवं साय वैश्वदेव च सह मन्त्रेण करिष्ये।

५. गृहस्थो वैश्वदेवाख्य कर्मं प्राटभते विवा। अन्नस्य चात्मनश्चैव सुस्तंस्कारार्थं निष्यते॥ स्मृत्यर्थसार, पृ० ४६; शुद्धयर्थं चात्मनोऽन्नस्य वैश्वदेवं समाचरेत्। लघुआश्वलायन (१। १। ६)।

१५) के मत से शार एव लवण वा होम नहीं होता और न घटिया अन्नो (यथा कुलत्प आदि) वा ही वैश्वदेव होता है, किन्तु यदि दरिद्रता के कारण अच्छे अन्न न मिल सकें तो जो कुछ पक्का हो उमी को गृह्याग्नि या साधारण अग्नि को उत्तर दिशा में ले जाकर उसके मध्य पर डाल देना चाहिए। स्मृत्यर्पण (पृ० ४७) ने भी चना, मसूर आदि को वैश्वदेव-वर्जित माना है।^१ मले ही उस दिन स्वयं भोजन, किसी कारण से, न करे, किन्तु वैश्वदेव तो होना ही चाहिए। (अपराज, पृ० १४५)। भोजन न रहने पर फल, कन्दमूल या केवल जल दिया जा सकता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१ एव ४) के मत से वैश्वदेव का अन्न आपों (द्विजलोभो) द्वारा स्नान करने के उपरान्त पकाया जाना चाहिए, किन्तु आपों की अध्यक्षता में धूम भी पक्का सकता है। मध्यमाल के निबन्धों के मत से धूम द्वारा भोजन बनाने की बात प्राचीन युग की है। अर्थात् यह युगान्तर का विषय है, बलिभूग में वर्जित है (स्मृतिमुक्तावलि, आह्निक, पृ० ३९१)। यदि किसी दिन वैश्वदेव का भोजन किसी कारण से न बनाया जा सके तो गृहस्थ को एक रात और दिन तक उपवास करना चाहिए (गोमिलस्मृति ३।१२०)। जो व्यक्ति बिना वैश्वदेव के स्वयं खा लेता है, वह नरक में जाता है (स्मृतिचन्द्रिका, १. पृ० २१३)। हाँ, आपत्ति या कोई परेशानी या क्लेश आ जाने पर बान दूसरी है।

धूम इन पंच महायज्ञों को बिना वैश्वदेव या पौराणिक मन्त्रों के कर सकता है, किन्तु 'नम' शब्द का उच्चारण कर सकता है। यह बिना पक्का हुआ भोजन वैश्वदेव के लिए प्रयोग में ला सकता है (देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति १।१२१, मिताक्षरा एव आह्निकप्रकाश, पृ० ४०१)।

बलिहरण या भूतयज्ञ

बलिहरण के विषय में भी प्राचीन गृह्यसूत्रों, मध्यकालिक निबन्धों एवं आधुनिक व्यवहारों में मतभेद नहीं है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।२।३-११) ने इसके विषय में विस्तार किया है। निम्न देवताओं को बलि (या वैश्वदेव करते समय पक्का या एक अन्न) दी जाती है—देवयज्ञे वाले देवताओं, जलो, जड़ी-बूटियों, वृक्षों, घर, घरेलू देवताओं (कुम्भदेवताओं), जहाँ पर घर बना रहता है उस स्थल के देवताओं, इन्द्र तथा उसके अनुचरों, यम तथा उसके अनुचरों, वरुण तथा वरुण के अनुचरों, सोम तथा उसने अनुचरों (बर्हि दशाओं में), ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के अनुचरों (मध्य में), विश्वदेवों, दिन में चलने वाले सभी प्राणियों एवं उत्तर में राक्षसों को बलि दी जाती है। "पितरों को स्वयं" शब्दों के साथ घेनाना दक्षिण में छोड़ दिया जाता है। बलिहरण करते समय जनेऊ को दाहिने बंधे पर रखना चाहिए। जब बलिहरण रात्रि में हो तो "दिन में चलने वाले सभी प्राणियों" के स्थान पर "रात्रि में चलने वाले सभी प्राणियों" बोलकर बलि देनी चाहिए।

इस विषय को लेकर गोमिलगृह्यसूत्र (१।४।५-१५), पारस्करगृह्यसूत्र (२।९) एवं अन्य गृह्यसूत्रों तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१५ एवं २।२।४।९) एव गोतम (५।१०-१५) में पर्याप्त मतभेद है, जिसे हम स्थाना-भाव से यहाँ छोड़ रहे हैं।

भूतयज्ञ में बलि अग्नि में न डेकर पृथिवी पर रीं जाती है; पहले मू-स्पर्श हाथ से स्वच्छ कर दिया जाता है, वहाँ जल छिड़का लिया जाता है, तब बलि रंगकर उस पर जल छोड़ा जाता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।३।१५)।

१. क्रौड्यं खणकं मावं मसूरं च कुलत्पकम्। शारं च स्वयं सर्वं वैश्वदेवे विवर्जयेत् ॥ स्मृत्यर्पण (पृ० ४७)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।५-६) के मत से कुत्तो एव चाण्डालो को वैश्वदेव वा पशुवात्र देना चाहिए। मनु (३।८७-९३) के मत से वैश्वदेव के उपरान्त सभी दिशाओं में इन्द्र, यम, वरुण, सोम तथा उनके अनुचरो को, द्वार पर महतो को, जलो को, वृक्षो को, घर के सिखर की लक्ष्मी (श्री) को, घर की नींव की मद्रकाली को, घर के मध्य में ब्रह्मा एवं वास्तोष्पति को, विश्वेदेवो को (आकाश में फँककर), दिन में चलने वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन में किया जाता है) और रात्रि में चलने वाले प्राणियों को बलि दी जाती है। घर के प्रथम खण्ड में सबकी भलाई के लिए बलि देनी चाहिए, दक्षिण में बलि का शेषाश पितरो को देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा धीरे से (जिससे धूल भोजन में न मिल सके) कुत्तो, चाण्डालो, जातिच्युतो, कोढ़ जैसे रोग से पीड़ितो, कौओ, कीडो मकोडो को बलि दे। याज्ञवल्क्य (१।१०३) ने गृहस्थों से कहा है कि वे कुत्तो, चाण्डालो एव कौओ को बलि पृथिवी पर ही दें। इस विषय में देखिए शाखायनगृह्यसूत्र (२।१४), वनपर्व (२।५९) एव अपराकं (पृ० १४५)। मनु (३।१२१) ने कहा है कि स्त्रियाँ विना मन्त्रोच्चारण के सायकाल की बलि दे सकती हैं। किन्तु वे देवताओं का ध्यान कर सकती हैं।

पितृयज्ञ

यह शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है, किन्तु इसका अर्थ अनिश्चित है। पितृयज्ञ तीन प्रकार से सम्पादित होता है, (१) तर्पण द्वारा (मनु ३।७० एव २८३), (२) बलिहरण द्वारा, जिसमें बलि का शेषाश पितरो को दिया जाता है (मनु ३।९१ एव आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।११) एव (३) प्रति दिन श्राद्ध द्वारा, जिसमें कम से कम एक ब्राह्मण को खिलाया जाता है (मनु ३।८२-८३)। प्रति दिन के श्राद्ध में पिण्डदान नहीं होता है और न पार्वण श्राद्ध की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। श्राद्ध के विषय में आगे लिखा जायगा। तर्पण एवं बलिहरण के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है।

७. सर्वान् शंखदेवे भागिनः कुर्वन्ताः श्वचण्डालेभ्यः। नानहृद्भ्यो बघादित्येके। आप० घ० (२।४।१।५-६)।

८. वैश्वेभ्यश्च हताश्वनाच्छेषाद् भूतबलिं हरेत्। अत्र भूमौ श्वघ्राण्डालवापसेभ्यश्च निसिपेत्॥ याज्ञवल्क्य (१।१०३)।

अध्याय २१ नृपज्ञ या मनुष्ययज्ञ

नृपज्ञ या मनुष्ययज्ञ का तात्पर्य है अतिथि का सत्कार या सम्मान। यही अर्थ मनु को मान्य है (मनु ३।७०)। ऋग्वेद व प्राचीनतम सूक्तों में अग्नि को यज्ञ करने वाले के घर का अतिथि कहा गया है (ऋग्वेद १।७३।१, ५।१।८-९, ५।४।५, ७।८२।४)। ऋग्वेद (४।४।१०) में आया है—“तुम उसके रक्षण एवं मित्र बनो, जो तुम्हें विपिवत् अतिथ्य देता है।” ‘आतिथ्य’ शब्द के लिए देविए ऋग्वेद (४।३३।७) एवं तैत्तिरीयसंहिता (१।२।१०।१)। अथर्ववेद (९।६) में अतिथि-सत्कार की प्रशंसा गायी गयी है। तैत्तिरीयसंहिता (५।२।२।४) में लिखा है—“जब अतिथि का पदार्पण होता है, तो उसे आतिथ्य (जिसमें घी का आधिक्य रहता है) दिया जाता है।” उसमें पुनः आया है—“जो रथ या पाद्री में आता है वह बहुत सम्माननीय अतिथि है।” इस संहिता में एक स्थान (९।२।१।२) पर आया है कि राजा के साथ जो आते हैं, उनका आतिथ्य होता है। और देविए साक्षात्पनब्राह्मण (२।९), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।-१।३), ऐतरेय ब्राह्मण (२।५।५), शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।२) आदि। शतपथ ब्राह्मण (३।४।१।२) में लिखा है कि “राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बँल या बकरा पकाया गया।” ऐतरेय ब्राह्मण (३।४) में भी राजा या किसी अन्य सामर्थ्यवान् के आतिथ्य में बँल या बाँस (बन्ध्या) गाय की बलि की बात कही है। याज्ञवल्क्य (१।१०९) ने लिखा है कि वेदों के आतिथ्य के लिए एक बड़ा बँल या बकरा रखा रहता था। ऐतरेय ब्राह्मण (१।१।१) में आया है—“जो अच्छा है और प्रसिद्धि या पुण्य है, वह (घातविक) अतिथि है, अपोम्य व्यक्ति का लोग आतिथ्य नहीं करते।” समावर्तन के समय गृह शिष्य से कहता है—“अतिथिदेवो नव (अतिथि-सत्कार करो), तैत्तिरीयोपनिषद् (१।१।१।२)। इसी उपनिषद् (३।१०।१) में आतिथ्य की भी चर्चा हुई है। कठोपनिषद् (१।७।९) में ब्राह्मण अतिथि को अग्नि (वैश्वानर) कहा गया है। निरुक्त (४।५) ने ऋग्वेद (५।४।५) (जुष्टो दमुना अतिथिर्दुरोण) की व्याख्या में ‘अतिथि’ की व्युत्पत्ति की है। मनु (३।१०२), पराशर (१।४२) एवं मार्कण्डेयपुराण (२९।२-९) ने भी अतिथि की व्युत्पत्ति की है। मनु एवं अन्य लोगों के मत से ‘अतिथि’ उसे कहा जाता है जो पूरे दिन (तिथि) नहीं रुकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रुकता है (एक-रात्रिं हि निवतान् ब्राह्मणो ह्यतिथिः स्मृतः। अनित्यारथ्य स्थितियैरमासतरमादतिथिरुच्यते ॥ मनु ३।१०२)।

१. प्रियो विनामतिथिर्मानुषीणाप्। ऋ० ५।१।९, “अग्नि सभी मानव प्राणियों का अतिथि एवं प्रिय है।” तस्य भासा भवति तस्य सत्ता मस्त आतिथ्यमानुषानुजोयत्। ऋ० ४।४।१०।

२. अत्र यद्यपि गृहगतभोजनियनुष्यर्षं गोवप्यः कर्तव्य इति ध्यतते तपसि कतिपुगे मायं धर्मः किन्तु युगान्तरे। ब्राह्मिकप्रकाश, पृ० ४५१।

३. वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्। तस्येतां शान्तिं कुर्वन्ति हर संवत्सतोवकम् ॥ कठोपनिषद् १।७; भाष० प० २।३।६।३। वसिष्ठ (१।१।१३) ने प्रथम भाग उद्धृत किया है।

बलिहरण के उपरान्त अतिथि-सत्कार किया जाता है। बौधायनगृह्यसूत्र (२।१।१-२), वसिष्ठ (१।१।६), विष्णुपुराण (३।२।५५) की आज्ञा है कि बलिहरण के उपरान्त गृहस्थ को अपने घर के आगे अतिथि के स्वागत के लिए उतनी देर तक घाट देखनी चाहिए जितनी देर में गाय दुह ली जाती है (या अपने मन से पर्याप्त देर तक जोहना चाहिए)। मार्कण्डेयपुराण (२।१।२४-२५) के अनुसार एक मुहूर्त के आठवें भाग तक जोहना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका ४१, पृ० २१७ में उद्धृत)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६।३ से २।४।१।६ तक) ने अतिथि-सत्कार पर विशद रूप से लिखा है। गौतम (५।३।६), मनु (३।१०२-१०३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०७ एव १।११) ने लिखा है कि वही व्यक्ति अतिथि है जो दूसरे ग्राम का है, एक ही रात्रि रहने के लिए सख्याकाल में पहुँचता है, वह जो खाने के लिए पहले से ही आमन्त्रित है अतिथि नहीं कहलाता, वह जो अपने ग्राम का है, मित्र है या सहपाठी है अतिथि नहीं कहलाता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथि-सत्कार करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार-क्रम वर्णों के अनुसार होना चाहिए और ब्राह्मणों में क्षत्रिय को या उसे जिसने कम-से-कम एक वेद पढ़ लिया है अपेक्षाकृत पहले सम्मान देना चाहिए। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।६) के अनुसार योग्यतम व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। गौतम (५।३।९-४२), मनु (३।१।१०-१।१२) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ब्राह्मणों के अतिथि नहीं हो सकते, यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के यहाँ अतिथि रूप से चला आता है (यात्री के रूप में, पास में जब भोजन-सामग्री न हो तथा भोजन के समय आ गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के उपरान्त होता है तथा वैद्यों एवं शूद्रों को भोजन घर के नौकरों के साथ दिया जाना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।५) का कहना है कि वैश्वदेव के उपरान्त जो भी आये उसे भोजन देना चाहिए, यहाँ तक कि चाण्डालो को भी। हरदत्त का कहना है कि यदि योग्य व्यक्ति को आतिथ्य नहीं दिया जाता तो पाप लगता है, किन्तु अयोग्य को भोजन न देने से पाप नहीं लगता है परन्तु दे देने से पुण्य प्राप्त होता है। पराशर (१।४०) एवं शातातप (स्मृतिचन्द्रिका १० पृ० २१७ में उद्धृत) ने लिखा है कि जब वह व्यक्ति, जिसे गृहस्थ घृणा की दृष्टि से देखता है या वह जो मूर्ख है, भोजन के समय उपस्थित हो तो गृहस्थ को भोजन देना चाहिए। शान्तिपर्व (१।४।६।५) ने लिखा है कि जिस प्रकार पेड़ काटने वाले को मी छाय़ा देता है, उसी प्रकार यदि शत्रु भी आ जाय तो उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। किन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६।१९), मनु (४।२।१३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१।६२) इसके विरोधी हैं और कहते हैं कि अतिथि आतिथ्यकर्ता का विद्वेषी है, तो उसे भोजन नहीं कराना चाहिए, और न ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करना चाहिए जो दोष मढ़ता है या उस पर किसी अपराध की शका करता है। बृद्ध गौतम (पृ० ५३५-५३६) ने चाण्डाल तक को भोजन देने की व्यवस्था दी है। बृद्ध हारीत (८।२।३९-२४०) ने अपनी मानवता इस प्रकार प्रदर्शित की है—यदि यात्री शूद्र हो या प्रतिलोम जाति का (यथा चाण्डाल) हो, जब वह घका-माँदा, मूर्खान्यासा घर आ जाय तो गृहस्थ को उसे भोजन देना चाहिए; किन्तु यदि नास्तिक, धर्मविद्वेषी या पतित (पापों के कारण जातिच्युत) हो और उसी घकी एवं भूखी स्थिति में आये तो उसे पका भोजन न देकर अन्न देना चाहिए। मिलाइए मनु (४।३०)। बौधायनगृह्यसूत्र (२।१।२।१) में चाण्डाल समेत सभी प्रकार के यानियों के अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की गयी है।

४. अथ वैश्वदेव इत्यातिथिमाकाशेदागोबोहकालम्। अर्धं बोद्धव्यं दद्यात्। विनाशयेत् पशो वा एष पञ्चमो यदतिथिः। बौधायनगृह्यसूत्र २।१।१-३ एवं अष्टाजगृह्य० ३।१४; वसिष्ठ मनु ३।१४ भी। मुहूर्तस्याष्टमं भ्रातृ-मुदीक्यो ह्यतिथिर्भवेत्॥ मार्कण्डेयपुराण २।१।२५।

५. ब्राह्मणस्यानतिथिरब्राह्मणः... भोजनं तु क्षत्रियस्योर्ध्वं ब्राह्मणेभ्यः। अन्यान् भूयः सहानुसार्यार्थम्। गौतम ५।३।९-४२।

अतिथि-सत्कार के नियम ये हैं—आगे बटखर स्वागत करना, पैर धोने के लिए जल देना, आसन देना, दीपक जला कर रख देना, भोजन एवं ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत ध्यान देना, सोने के लिए खटिया-बिछावन देना और जाते समय कुछ दूर तक पहुँचा देना (देतिए गीतम ५।२९-३४ एवं ३७, आप० घ० २।३।६।७-१५, मनु ३।९९ १०७ एवं ४।२९, दश ३।५-८)। वनपर्व (२००।२२-२५) एवं अनुशासनपर्व ने अतिथ्य की महत्ता गायी है। अनुशासनपर्व (७।६) में आया है—“अतिथ्यवर्ता को अपनी आंग, मन, मीठी बोली व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन (जाते समय साथ-साथ कुछ दूर तक जाना) देन चाहिए, इस यज्ञ (अतिथ्य) में यही पात्र प्रवर की दक्षिणा है।”^१ आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।१६-२१) का कहना है कि यदि वेद न जानन वाक्य ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य घर में जाय तो उस आसन जल एवं भोजन देना चाहिए किन्तु उठार आवश्यक नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि सूत्र अतिथि वनवर ब्राह्मण के घर आये तो ब्राह्मण को उससे काम लेकर उसे भोजन देना चाहिए, किन्तु यदि उसके पास कुछ न हो तो उसे अपना दाम भेजार राजकुल से सामग्री मँगानी चाहिए। हरदत्त ने एक रोचक टिप्पणी की है कि राजा को चाहिए कि सूत्रों व अतिथि सत्कार के लिए ग्राम-ग्राम में कुछ धन या अन्न रखन की व्यवस्था करे।^२ गीतम (५।३३) मनु (३।१०१), वनपर्व (२।५४), उद्योगपर्व (३६।३४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।१३-१४), याज्ञवल्क्य (१।१०७), बौधायनगृह्यसूत्र (२।९।२१-२३) का कहना है कि यदि गृहस्थ के पास और कुछ सामग्री न हो तो उसे जल, निवास, धारा एवं मीठी बोली से ही सम्मान करना चाहिए। गीतम (५।३७-३८) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य जाति के अतिथियों का क्रम से ‘बुचाल’, ‘अनामय’ एवं ‘आरोप्य’ शब्दों से स्वागत करना चाहिए। सूत्रों से भी आरोप्य कहना चाहिए (मनु २।१२७)।

अतिथि-सत्कार के पीछे एकमात्र प्रेरक शक्ति सार्वभौम दया भावना थी। किन्तु इस कर्तव्य की भावना को महत्ता देने के लिए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक भी जोड़ दिये हैं। शारायनगृह्यसूत्र (२।१।७।१) का कहना है—
 खेत में गिरा हुआ अन्न इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले एवं अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ के घर में यदि ब्राह्मण बिना अतिथ्य-सत्कार पाये रह जाता है तो वह उस गृहस्थ के सारे पुण्यों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् हर केता है।^३ यही बात मनु (३।१००) भी कहते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६।६) के मत से अतिथि-सत्कार द्वारा स्वर्ग एवं विपत्ति-मुक्ति प्राप्त होती है। देतिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।७।१६), विष्णुधर्मसूत्र (१।७।३३), शक्तिपर्व (१।९।१।२), विष्णुपुराण (३।९।१५), मार्कण्डेयपुराण (२।९।३१), ब्रह्मपुराण (१।१।३६)। ब्रह्मपुराण का कथन है—यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने पाप गृहस्थ को देकर उसने पुण्यों को लेकर जाता है।^४ वायुपुराण (७।१।७४) एवं बृहत्संहिता का कहना है कि योगी एवं सिद्ध लोग मनुष्यों के कल्याण के लिए विभिन्न स्वरूप धारण कर घूमा करते हैं, अतः दोनों हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यदि कोई

६ चक्षुर्दंष्ट्राग्निनो दद्याद् वाच दद्यान्न सूनृताम् । अनुज्ज्वेत्पामीत स दद्य पञ्चदशित्वा ॥ अनुशासन ७।६ ।

७ ब्राह्मणायानधीयानायानमुदबभमत्रमिति देय न प्रयुत्तिष्येत । राजाऽर्चयौ ष । भूभ्रमस्यागत र्मणिं निमुञ्चयान् । अथार्चं दद्यात् । राता वा राजकुलावाहृत्यातिथिवचसूत्र पूजयेत् ॥ आप० घ० २।२।१।१६-२१; अत-
 एवं श्रायते शूद्राणामतिथीनां पूजार्थं बौद्धादिषु राजा धामे धामे स्थापयित्वात् । हरदत्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।४।२१) ।

८ तस्य पूजायां शक्ति स्वरुद्वय । आप० घ० २।३।६।६; देतिए विष्णुधर्मसूत्र १।७।३२ । अतिथिवंस्य भग्नानो गृहात्प्रतिनियतंते । स दत्त्वा दुष्कृत तस्मै पुष्यमादाय गच्छति ॥ मार्कण्डेय २।९।६; सिद्धा हि विप्रहृषेण चरन्ति

बहुत-से अतिथियों का सत्कार करने में असमर्थ हो तो उसे क्रम से श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का, या प्रथम आनेवाले का, या श्रेष्ठिय (वेदज्ञ) का सत्कार करना चाहिए (बोधायनधर्मसूत्र २।३।१५-१८)।

परशर (१।४६-४७) का कहना है कि ब्रह्मचारी तथा यति को सत्कार में प्रमुखता मिलती है। इन्हे बिना भोजन दिये खा लेने पर चान्द्रायण प्रायश्चित्त करने पर ही छुटकारा मिलता है। यदि कोई यति घर आये तो उसे जल, भोजन और पुनः जल देना चाहिए। ऐसा करने से भोजन मेरु पर्वत के समान तथा जल समुद्र के समान हो जाता है। यति के अतिथि सत्कार का महात्म्य अपने ढंग का होता है। यदि गृहस्थ वे घर यति एक दिन भी ठहर जाय तो उसने सारे पाप बट जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि यति का ठहरना स्वयं विष्णु का ठहरना है (लघु-विष्णु २।१२-१४, बस ७।४२-४४ एव बृहदार्णित ८।८९)।^१

यदि कुछ अतिथियों के खा लेने पर अन्य अतिथि आ जायें तो पुनः भोजन बनवाना चाहिए, किन्तु इस बार बेश्चदेव एव बलिहरण आवश्यक नहीं है (मनु ३।१०५ एव १०८)। अतिथि से पूर्व खा लेने पर घर की सम्पत्ति, मन्तान, पशु एव पुण्य नष्ट हो जाते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।३।७।३)। मनु (३।११४, विष्णुधर्मसूत्र ६।७।३९) के मत से नवविवाहित पुत्रियों एव बहिनो, अविवाहित बन्ध्याओं, रोमियों एव गर्भवती नारियों को अतिथियों से पूर्व खिला देना चाहिए, किन्तु गौतम (५।२३) ने उन्हें अतिथि के खिलाने के समय ही खिलाने को कहा है। मनु (३।११३, ११६-११८), विष्णुधर्मसूत्र (६।७।३८-४३), याज्ञवल्क्य (१।१०५, १०८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।१०), बोधायनधर्मसूत्र (२।३।१९) के मत से गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्रों, सम्बन्धियों एव गौकरो को खिलाकर ही स्वयं स्वार्थ, उन्हें अतिथियों आदि को खिलाने के लिए गौकरो के भोजन में बटौती नहीं करनी चाहिए। जो अन्य लोगों की परवाह न करने स्वयं खाता है, वह केवल अपने पापों को निगलता है, किन्तु जो देवताओं, प्राणियों, पितरों एव अतिथियों को खिलाकर खाता है, वही वास्तविक रूप से खाता है। मनु (३।२८५, वनपर्व २।६०) ने लिखा है कि ब्राह्मणों एव अतिथियों के खा लेने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे विघ्न तथा यज्ञ करने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे अमृत कहते हैं, और इन्हे ही खाना चाहिए। बोधायनधर्मसूत्र (२।३।६८ एव २१-२२) का कहना है—सभी लोग भोजन पर निर्भर रहते हैं, वेद के अनुसार भोजन जीवन (प्राण) है, अतः भोजन देना चाहिए, क्योंकि वह सर्वोत्तम हवि है, बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिये भोजन नहीं करना चाहिए।^२

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।२-४) का कहना है कि अतिथि के लौटते समय आतिथ्यकर्ता को अतिथि की सवारी (गाड़ी) तक जाना चाहिए, यदि सवारी न हो तो वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ अतिथि लौटने को कह दे, किन्तु

पृथिवीभिमाम्। तस्मादतिथिमायान्तमभिगच्छेत् कृताञ्जलिः॥ वायुपुराण ७।१।७४; योगिनो विविधैर्वैश्वंभ्रमन्ति धरणीतले। नराणामुपकाराय ते ज्ञानातस्वल्पिणः। तस्मादभ्यर्चयेत्प्राप्त आद्यकालेऽतिथि द्विजः॥ बृहत्पराशर (५० ९९)।

१. अतिथस्य गृहे भुङ्क्ते तस्य भुङ्क्ते हरिः स्वयम्। बृहदार्णित ८।८९; संक्षिप्तं च गृहस्थेन पापमाप्नोति। निर्वहृत्स्येव तत्सर्वमेकरात्रोपिती यतिः॥ बस ७।४३।

१०. अन्नं श्रितानि भूतानि अन्नं प्राणमिति धृतः। तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः॥ न त्वेव कदाविदवत्त्वा भुञ्जीत। अथाप्यत्राप्रणीतो ह्यलोकाबुदाहरन्ति। यो मामदत्त्वा पितृदेवताभ्यो भूयतिथीनां च सुदृग्जनस्य। सपन्नमश्नन्विषमस्ति मोहात्तमद्बुद्ध्यहं तस्य च मरुपुरस्मि॥ बौ० प० सू० २।३।६८, २१-२२। 'अन्नं प्राणः।' ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।१ एव 'अन्नं प्राणमन्नम्पानमाहुः।' (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।८)।

यदि अतिथि लौटने को न कहे तो गाँव की सीमा तक जाना चाहिए। वसिष्ठधर्मसूत्र (११।१५) एवं याज्ञवल्क्य ने सीमा तक जाने की व्यवस्था दी है। अपराकं के अनुसार सीमा आतिथ्यकर्ता के घर-द्वार या उमके छेत या गाँव तक परिणत हो सकती है। दण्ड-लिखित के अनुसार वहाँ तक साथ-साथ जाना चाहिए जहाँ जन-उपवन या जन-समागृह (आराम या सभा) हो, प्रया (धर्मार्थ पानी पिलाने का स्थान) हो, या तालाब, मन्दिर, कोई पवित्र वृक्ष (पीपल या बरगद) या नदी हो। वहाँ अतिथि की प्रदक्षिणा करके बहना चाहिए कि हम पुनः मिलेंगे।”

११. समेद्य न्यायतो निवर्तते। आरामसभाप्रपातः। गणदेवगृहमहाद्विभनरीनामन्यतरस्मिन् प्रदक्षिणं कुर्याद्
 धातुसुख्यं पुनर्दक्षिणायेति। दण्डलिखित (गृहस्यरत्नाकर पृ० २९२)।

अध्याय २२ भोजन

धर्मशास्त्रकारों ने भोजन-सम्बन्धी नियमों एवं प्रतिबन्धों के विषय में जो विवेचन उपस्थित किया है, उससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने नियम-निर्माण के विषय में विवाह-संस्कार के उपरान्त इसी को सर्वाधिक प्रमुखता दी है। भोजन करने के सिलसिले में दक्ष (२।५६ एवं ६८) ने लिखा है कि दिन के पाँचवें भाग में गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवों, पितरों, मनुष्यों एवं कीट-पतंगों को खिलाकर ही शेष का उपभोग करना चाहिए।^१ दिन के पाँचवें भाग में भोजन करने का तात्पर्य है दोपहर (मध्याह्न) के उपरान्त लगभग १॥ घण्टे के भीतर ही गृहस्थ को भोजन कर लेना चाहिए। यहाँ भोजन सम्बन्धी विवेचन में निम्न बातों पर प्रकाश डाला जायगा— (१) कितनी बार भोजन करना चाहिए, (२) भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी आज्ञा एवं प्रतिबन्ध, (३) भोजन दूषित कैसे हो जाना है, (४) मास-भोजन एवं मद्य-पान, (५) किसका भोजन करना चाहिए तथा (६) भोजन के पूर्व भोजन करते समय एवं भोजन के उपरान्त के कृत्य एवं शिष्टाचार।

आहारशुद्धि पर प्राचीन काल से ही बल दिया गया है। छान्दोग्योपनिषद् (७।२६।२) ने लिखा है कि आहार-शुद्धि से सत्त्वशुद्धि, सत्त्वशुद्धि से सुन्दर एवं अटल स्मृति प्राप्त होती है एवं अटल स्मृति (वास्तविक सत्त्वज्ञान) से सारे बन्धन (जिनसे आत्मा इस संसार में बँधा रहता है) कट जाते हैं।^१

भोजन करना

वैदिक साहित्य में पायी जाने वाली विधियों एवं नियमों का उद्घाटन हम सक्षेप में करेंगे। ऋग्वेद (६।३०।३) से पता चलता है कि बैठकर भोजन किया जाता था ('जिस प्रकार लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, उसी प्रकार पर्वत नीचे घूम गया।')। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४।९) एवं शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।६) के अनुसार भोजन दो बार किया जाता था। प्राचीन ग्रन्थों में भी भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१) के अनुसार वृक्ष का लाल द्रवरस या काटने पर वृक्ष से जो स्राव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह रस या वर्ण ब्रह्महत्या के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार बच्चा देने पर गाय का दूध दस दिनों तक नहीं पीना चाहिए (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।१, ३।१।३)। वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति का भोजन वषाहोम के समाप्त होने के पूर्व नहीं करना चाहिए (ऐतरेय ब्राह्मण ६।९)। ऋग्वेद (१।१८७।१-७) ने भोजन की स्तुति की है। छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित उपस्थित चात्रायण की कथा बताती है कि आपत्ति काल में भोजन न मिलने पर कुछ भी खाया जा सकता है,

१. पञ्चमे च तथा भोगे सविभागो यथाहृतः। देवपितृमनुष्याणां कीदृशानां चोपदिश्यते॥ सविभागं ततः कृत्वा गृहस्थं शेषभुग्भवेत्। दक्ष २।५६ एवं ६८। प्रथम पद्य का उद्धरण अपराकं (५० १४३) ने भी दिया है।

२. आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिं सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिं स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्षः। छान्दोग्य० ७।२६।२।

यहां तक कि जूठा भोजन भी खाया जा सकता है। ऐतरेयारण्यक (५।३।३) एवं तैत्तिरीयब्राह्मण (१।२।३) ने भी कुछ प्रतिबन्धों की ओर संकेत किया है। मास भोजन एवं मध्य-यान के बारे में आगे लिया जायगा।

मनु (५।४) ने ब्राह्मणों की मृत्यु के चार कारण बताये हैं—(१) वेदाभ्ययन का अभाव, (२) सम्पूर्ण वर्तव्यो एवं कार्यों का त्याग, (३) प्रमाद एवं (४) भोजन सम्बन्धी दोष। गृहस्परत्लावर (पृ० ३४७) के मत से दूतरे का भोजन करना उसका पाप लेना है। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयों के बारे में विस्तार के साथ नियम एवं प्रतिबन्ध निमित्त हुए हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।१।१), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१८), विष्णुधर्मसूत्र (४।८।४०), मनु (२।५) के अनुसार खाते समय पूर्वामिमुख होना चाहिए तथा विष्णुधर्मसूत्र (६।८।४१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।८।१।१।२) के अनुसार दक्षिणामिमुख होकर भी (विन्दु माता के जीवित रहने) खाया जा सकता है। मनु (२।५२ अनुशासनपर्व १०।४।५७) के मत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की ओर मुख करके खाने से क्रम से दीर्घायु, यश, धन एवं सत्य की प्राप्ति होती है। किन्तु धामनपुराण एवं विष्णुपुराण ने दक्षिण एवं पश्चिम ओर मुख करने को मना किया है (गृहस्परत्लावर, पृ० ३१२ में उद्धृत)। भोजन एवान्त में लोगों की दृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका ने देवल, उग्रना एवं पशुपुराण को उद्धृत कर लिखा है—एवान्त में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे धन प्राप्ति होती है, सबके सामने खाने में घनाभाव होता है। जिस प्रकार बहुत लोगो के समझ (जो खा न रहे हो) नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार बहुत से लोगो को एक व्यक्ति के समझ (जो खा न रहा हो, वैफल्य तृष्णा लु होकर देख रहा हो) नहीं खाना चाहिए। अपने पुषो, छोटे भाइयों, मृत्या आदि के साथ खाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण, गृहस्परत्लावर पृ० ३११ में उद्धृत)। विन्दु कुछ ग्रन्थकारों ने कुछ साधियों के विरोध की बात बही है, यथा—“एवान्त में खाना चाहिए, अपने साथ सम्बन्धी के साथ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी के गुप्त पाप को कौन जानता है ?” बृहस्पति ने लिखा है कि एक पक्ति में खाने से एक का पाप दूसरे को लग जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२८ में उद्धृत)। उत्तर भारत में भोजन-सम्बन्धी बहुत-से प्रतिबन्ध हैं। बहावत भी है—“तीन प्राणी तेरह चूल्हे” या “थाठ बर्नोजिया नौ चूल्हे” आदि। जहां भोजन किया जाता है, वहाँ स्थल गोबर से लिपा रहना चाहिए। नाव या लकड़ी से बने उच्च स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फलों पर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१७-६-८)। हाथी, घोड़ा, ऊँट, गायी, बघ्न, मन्दिर, बिस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए, हथेली में केकर भी नहीं खाना चाहिए (गृहस्परत्लावर, पृ० ३२५ में उद्धृत ब्रह्मपुराण)। भोजन करते के पूर्व हाथ-पैर धो लेना चाहिए। यही बात मनु (४।७६), अनुशासनपर्व (१०।४।६१-६२) एवं अत्रि में भी पायी जाती है। व्यास ने भोजन के समय दोनों हाथ, दोनों पैर एवं मुख (पाँच अंगों) के धोने की बात बही है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२१)। सभी धर्मशास्त्रों ने भोजन करते समय मौन रहने की बात बही है (बौधायनधर्मसूत्र २।७।२, लघु-हारीत ४० आदि)। बृह मनु (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० २२३ में उद्धृत) के अनुसार अन्न खाते समय महामौन रहना चाहिए एवं उससे उपरान्त नहीं रुक हो गये कारणों पर नियन्त्रण करना चाहिए।

गौतम (१।५९), बौधायनधर्मसूत्र (२।७।३६), मनु (२।५६), सवर्त (१।२) आदि के मतानुसार गृहस्थ को केवल दो बार खाना चाहिए, उसे सन्धि-काल में नहीं खाना चाहिए। गोभिलस्मृति (२।०३) ने और जोड़ दिया है—रात्रि के ४।। पद्यो (१।। प्रहर) के उपरान्त तक भोजन किया जा सकता है। न तो प्रातः बहुत पहले न अर्ध-रात्रि में और न सन्धि-काल में भोजन करना चाहिए (मनु ४।५५ एवं ६२ एवं विष्णुधर्मसूत्र ६।८।४८)। हाँ, दोनों भोजनों के मध्य में बन्द-मूल, फल आदि खाये जा सकते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१।१।०)। भोजन-सात्र (पाली, पत्तल आदि) के नीचे जल से या पवित्र भस्म से रखाएँ शोच देनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (गृहस्परत्लावर, पृ० ३११ उद्धृत) के मत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से त्रिभुज, वृत्त एवं अर्धचन्द्र का मण्डला या रेखा

होनी चाहिए। शख, लघु-शातातप (१३३), अग्नि के मत से सूदो को पात्र के नीचे छिड़क देना पर्याप्त है। मण्डल बनाने से आदित्य, वसु, रद्र ब्रह्मा नया अन्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं, नहीं तो राक्षस-पिशाच आ घमकते हैं। भोजन करनेवाले का चार पैर वाले पीठे पर, ऊन के आसन पर या बकरी के चर्म पर बैठकर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१९।१)। उपलो (गोबर से बनी चिपरियो, या ठीकरो या गोहरो) पर बैठकर या मिट्टी के आसन पर, अश्वत्थ या पलाश या अर्क के पत्तों पर या लकड़ी के दो तत्वों को जोड़कर बने आसन पर, अधजले या लोहे की काटियों से जुड़े हुए तस्ता वाले पीठे पर बैठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्यर्थसार पृ० ६९)। पृथ्वी पर लिचे मण्डल पर ही भोजन-पात्र रहना चाहिए। भोजन-पात्र सोने, चाँदी, ताम्र, कमलदल या पलाश-दल का हो सकता है (देखिए, व्यास ३।६७-६८, पैठीनसि)। ताम्र के स्थान पर कसि का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तम्बधर्म-सूत्र (२।८।१९।३) के मत से मध्यस्थित सोने वाले ताम्रपात्र में खाना चाहिए। लोहे एवं मिट्टी के पात्र में नहीं खाना चाहिए (हारीत, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२२ में उद्धृत)। विन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।९-१२) ने विकल्प से इन पात्रों के प्रयोग की बात कही है, यथा—जिसमें भोजन न पका हो या जो भोजन पका लेने के उपरान्त अग्नि में गर्म कर लिया गया हो, उस मिट्टी के पात्र को हम भोजन-पात्र के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार मत्स्य से माँजकर लोहे के पात्र को भोजन के लिए शुद्ध किया जा सकता है। उस लकड़ी के पात्र को, जो भीतर से मली भाँति खरादा गया हो, हम भोजन-पात्र के रूप में काम में ला सकते हैं। मनु (४।६५) ने टूटे पात्र में खाने को मना किया है, विन्तु पैठीनसि के मत से सोने, चाँदी, ताम्र, शख या प्रस्तर के टूटे हुए पात्रों में भोजन किया जा सकता है। कुछ स्मृतियों ने कमल-दल एवं पलाश-पत्र को भोजन-पात्र के रूप में वर्जित माना है, विन्तु आह्निकप्रकाश (पृ० ४६७) का कहना है कि यह प्रतिबन्ध केवल पृथिवी पर उगे हुए (जल या तालाब में नहीं) कमल-दल या छोटे छोटे पलाश के पत्रों के लिए ही है। पैठीनसि के अनुसार धनेच्छुक लोगों को वट, अर्क, अश्वत्थ, कुम्भी, तिम्लुक, कोविदार एवं वरज की पत्तियों से निर्मित पात्रों अथवा पत्तों पर भोजन नहीं करना चाहिए। वृद्ध हारीत (८।२५०-२५६) ने लिखा है कि भोजन-पात्र सोने, रजत, ताम्र या विषी मी शास्त्रानुमोदित वृक्ष-पत्र से निर्मित हो सकता है, विन्तु गृहस्थों के लिए कमल-दल एवं पलाश के पत्र वर्जित हैं, इन्हे केवल यति, वानप्रस्थ एवं श्राद्ध करनेवाले लोग ही प्रयोग में ला सकते हैं।

भोजन करने के पूर्व आचमन दो बार पहले ही कर लेना चाहिए और भोजनोपरान्त भी यही क्रम होना चाहिए। इस प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्दोग्योपनिषद् ५।२।२ एवं बृहदारण्यकोपनिषद् ६।१।१४, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१६।९, मनु २।५२, ५।१३८ आदि)। भोजन करने के लिए बैठते समय जनेऊ (यज्ञोपवीत) को उपवीत ढग से पहन लेना चाहिए और उपवस्त्र धारण (बिना सिर ढँके) करना चाहिए (मनु ४।४५, ३।२३८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।४।२२-२३ एवं २।८।१९।१२)। घी, तेल, पक्वान्न, सभी प्रकार के व्यञ्जन, नमक (ये वस्तुएँ खाली हाथों से नहीं दी जाती) आदि को दबीं (चम्मच आदि) से देना चाहिए, किन्तु अन्य वस्तुएँ, यथा जल, न पकायी गयी वस्तुएँ आदि यों ही दी जानी चाहिए, अर्थात् इनके लिए दबीं का प्रयोग आवश्यक नहीं है। भोजन के समय गृहस्थ को सोना, जवाहरात (अँगूठी आदि) धारण कर लेना चाहिए। जब भोजन आ जाय तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और उसमें दोष न खोजना चाहिए (गौतम ९।५९, वसिष्ठ-धर्मसूत्र ३।६९, मनु २।५४-५५)। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।६९-७१) का कहना है कि 'रोचते इति' (अर्थात् मुझे यह प्रिय

है) वा उच्चारण प्राप्त एव साय के भोजन के समय करना चाहिए, थाठ के भोजन को 'स्वदितमिति' (अर्थात् सायने में यह स्वादिष्ट था) तथा जाम्बुद्वीप कृत्यो (विवाह आदि) के भोजन को 'सम्प्रमिति' (अर्थात् यह पूर्ण था) कहना चाहिए। भोजन को देखकर दोनों हाथ जोड़ने चाहिए और मुक्कर प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए "यही हमें सदैव मिला करे", भगवान् विष्णु ने कहा है कि जो ऐसा करता है, वह मुझे सम्मानित करता है (ब्रह्मपुराण गृहस्थखलाकर, पृ० ३१४)। भोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के चतुर्द्विजल छिड़क कर कहना चाहिए—"मै तुम्हें, जो ऋत के साथ सत्य है, जल छिड़कता हूँ" (प्रातः), "मै तुम्हें, जो सत्य के साथ ऋत है, जल छिड़कता हूँ" (साय)। कुछ लोगों के मत से तब भोजन-पात्र के दाहिने पृथिवी पर थोड़ा भोजन पश्चिम से पूर्व धर्मराज (यम), चित्रगुप्त एव प्रेत के लिए रख दिया जाता है (भविष्यपुराण, स्मृतिचन्द्रिका, पृ० २२४ में उद्धृत एव आह्निकप्रकाश, पृ० ४६५)। अन्य लोगों के मत से भूपति, भूदानपति एव भूतानपति को बलि दी जाती है। किन्तु आजकल ये बलियाँ चित्र, चित्रगुप्त, यम एव यमदूत (कुल लोगों ने पाँचवाँ भी जोड़ दिया है, यथा—सर्वेभ्यो भूतेभ्य स्वाहा) को दी जाती है। इससे उपरान्त "अमृतोपस्तरणमसि" (तुम अमृत के उपस्तरण हो) के साथ आचमन करना चाहिए और भोजनोपरान्त 'अमृतापिधानमसि' (तुम अमृत के अपिधान हो) से आचमन करना चाहिए। यह सब बहुत प्राचीन काल से चला आया है। याज्ञवल्क्य (१।१०६) ने इस प्रकार के आचमन को "आपोशन" (जल ग्रहण करना) कहा है। इससे उपरान्त पाँच कोर भोजन पर धृत छिड़क कर प्राणों के पाँचों प्रकारों को समर्पित किया जाता है और प्रत्येक बार पहले 'ओम्' और बाद में 'स्वाहा' कहा जाता है। छान्दोग्योपनिषद् (५।११-२३) में इन पाँचों प्रकारों को क्रम से प्राण, व्यान, अपान, समान एव उदान कहा गया है। इनसे प्राणाहुतियाँ कहा जाता है। मध्यकाल के निबन्धों में प्राणाहुतियों के अतिरिक्त छठी बलि ब्रह्मा को देने की व्यवस्था है, जो आज भी प्रचलित है। प्राणाहुतियों के समय पूर्ण भोजन पारण किया जाता है, यहाँ तक कि 'हूँ' का उच्चारण तक नहीं किया जाता। बौधायनधर्मसूत्र (२।७।६) के अनुसार पूरे भोजन-काल तक भोजन रहना चाहिए और यदि किसी प्रकार बोलना ही पड़े तो "ओ भूमि स्व-ओम्" कहकर तब पुनः भोजन आरम्भ करना चाहिए। किन्तु कुछ लोग प्राणाहुतियों के उपरान्त भोजन लेने या धर्म के लिए बोलना मना नहीं करते (स्मृतिचन्द्रिका, आह्निक, पृ० ४२३)—"गृहस्थों के लिए भोजन के समय भोजन पारण आवश्यक नहीं है, जिनके साथ भोजन किया जा रहा हो उनके प्रति औत्सुक्य आदि प्रकट करने के लिए बोलना या उनसे बातचीत भी करनी चाहिए।" प्राणाहुतियाँ कितनी अँगुलियों से दी जायें, इसमें मतभेद रहा है। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२६) में उद्धृत हारीत के अनुसार मार्जन, बलि, पूजा एव भोजन अँगुलियों के पोरो से करना चाहिए। श्राद्ध-भोजन करते समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए और बायें हाथ के अँगूठे तथा उसके पास की दो अँगुलियों से भोजन-पात्र दबा रखना चाहिए, किन्तु यदि बहुत भीड़ हो और किसी समय धूल आदि उड़ जाय तो पाँच कोर खा लेने के उपरान्त भोजन-पात्र ऊपर उठाया जा सकता है। पाँचों अँगुलियों से कोर मूल में डालना चाहिए। व्यञ्जनों के घुनाय में विष्णुपुराण (३।२।८३-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहस्थखलाकर, पृ० २२४ में उद्धृत) ने नियम बतलाये हैं—सर्वप्रथम मीठा एव तरल पदार्थ खाना चाहिए, तब ममबीन एव सट्टा पदार्थ, तब कटु एव ताड़ण व्यञ्जन और अन्त में दूध, जिससे उपरान्त दही वा सेवन नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को घृतमिश्रित भोजन करना चाहिए। भोजन अर्थात् रोटी, कन्द-मूल, फल या मांस दाँत से काटकर नहीं खाना चाहिए (बौधायनधर्मसूत्र

४. ऋत तथा सत्येन परिविञ्चामीति सायं परिविञ्चति। सायं त्यजेन परिविञ्चामीति प्रतः। तंतिरीय ब्राह्मण (२।१।११)।

२।७।१०)। छाते समय आसन वा परिवर्तन नही होना चाहिए और न पैरो में जूते, चप्पल आदि होने चाहिए। उस समय चमड़े का स्पर्श वर्जित है।

मनु (४।४।३), विष्णुधर्मसूत्र (६।८।४६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।३१) के मत से पत्नी के साथ बैठकर नही खाना चाहिए। यात्रा में ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ एक ही घाली में खा सकता है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२७)। स्मृत्यर्थसार (पृ० ६९) एवं मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१३१) के मत से विवाह के समय पति-पत्नी का एक ही घाली में साथ-साथ खाना मना नहीं है।

भोजन की मात्रा के विषय में कई नियम बने हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।१३), वसिष्ठधर्मसूत्र (६।२०-२१) एवं बौधायनधर्मसूत्र (२।७।३१-३२) के अनुसार सन्यासी को ८ कौर, वानप्रस्थ को १६, गृहस्थ को ३० एवं ब्रह्मचारी (वेदपाठी) को जितने चाहे उतने कौर खाने चाहिए। गृहस्थ को पर्याप्त भोजन करना चाहिए, जिससे कि वह अपना काम ठीक से कर सके (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।९।१२)। इसी प्रकार शबर (जैमिनि ५।१।२०) ने लिखा है कि आहिताग्नि गृहस्थ दिन में कई बार खा सकता है।^१

भोजन के समय शिष्टाचार, पक्तिपावन एवं पक्तिद्रूपक ब्राह्मण

पक्ति में प्रथम स्थान तमी ग्रहण करना चाहिए जब कि उसके लिए विशेष रूप से आग्रह किया जाय। किन्तु प्रथम आसन पर बैठ जाने पर सबसे पहले भोजन नहीं आरम्भ करना चाहिए, प्रत्युत सबके भोजन आरम्भ करने के बाद में (शत्रु, अपराकं द्वारा पृ० १५० में उद्धृत)। यदि एक ही पक्ति में कई ब्राह्मण बैठे हों और कोई व्यक्ति सबसे पहले आचमन कर ले या अपना अवशिष्ट भोजन शिष्य को दे दे या उठ पड़े तो अन्य लोगों को भी भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है, उसे ब्रह्महा (ब्राह्मण को मारने वाला) या ब्रह्मकण्ठक कहा जाता है। ये नियम स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२७), गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३१) एवं स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ४२७) में उद्धृत हैं। इस प्रकार के अवशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए कई विधियाँ बाम ले लामी गमी हैं। एक पक्ति की शृंखला तब टूट जाती है जब कि खाने वालों के बीच में अग्नि हो, राख हो, स्तम्भ हो, मार्ग हो, द्वार हो या पृथिवी में ढाल पड़ जाय। इसी प्रकार का व्यवधान डालकर विभिन्न जाति के लोगों को बैठाया जा सकता है। जन्म, चरित्र एवं विद्या के कारण अयोग्य व्यक्तियों की पक्ति में नहीं बैठना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१७।२)।

हमने बहुत पहले देख लिया है कि कतिपय उद्योग-धंधे वाले ब्राह्मण धाढ में निमग्न करने योग्य नहीं होते (अध्याय २)। गौतम (१।५।२८-२९), बौधायनधर्मसूत्र (२।८।२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२१-२२), वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१९), विष्णु (८।३।२।२१), मनु (३।१।८४-८६), शांख (१।४।१-८), अनुशासनपर्व (९०।३४), वायु (अध्याय ७९ एवं ८३) तथा अन्य पुराणों में ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ हैं जो पक्तिपावन एवं पक्तिद्रूपक कहे जाते हैं। जो अपनी उपस्थिति से पक्ति में बैठने वालों को पवित्र करते हैं, उन्हें पक्तिपावन कहा जाता है, और जो पक्ति दूषित करते हैं उन्हें पक्तिद्रूपक कहा जाता है। पक्तिपावन उन्हें कहा जाता है जो वेद के छ' अंगों को जानते हैं, जो ज्येष्ठ साम पढ़े रहते हैं, जिन्होंने नाचिक्वेत अग्नि में होम किया है, जो तीन मधुपद जानते हैं, जो

५. मया देवदत्तः प्रातरपुत्रं भक्षयति मप्यन्वित्रं विविष्यमभ्रमश्नाति अपरान्दुं मोरकान्मक्षयतीति। एकस्मिन्नहृषीति गाम्यते। शबर (जैमिनि ५।१।२०)।

निष्पुर्ण पडे रहते हैं, जो पचानि रहते हैं, जो वेदाध्ययन में उपरान्त समावर्तन-नान किये रहते हैं अर्थात् जो स्नातक होते हैं, जो अपने वेद के ब्राह्मण एवं मन्त्र जानते हैं, जो धर्मशास्त्रज्ञ होते हैं और होते हैं ब्राह्म विवाह वाली सन्वृत माता की सन्तान। आपस्तम्बधर्मसूत्र एक लक्षण और जोड़ता है—“जो चारो मेघ (अवमेघ, सर्वमेघ, पुरुषमेघ एवं पितृमेघ) सम्पादित कर चुके हैं।” मनु ने वेदम, वेदव्याख्याता, ब्रह्मचारी, दाता (सहस्र गौओं का दान करनेवाले) एवं सौ वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को भी पक्वितपावन कहा है। धार ने योगियो, उनको जो सोने और मिट्टी के टुकड़े को बराबर समझते हैं, और ध्यान में मग्न रहने वाले यतियो को पक्वितपावन कहा है। अनुशासनपर्व (१०।३४) ने ब्राह्म्य, व्याकरण एवं पुराण पढ़नेवाले को भी पक्वितपावन कहा है। कोडी, लत्याट, ध्यमिचारा, आयुध-जीवी के पुत्र (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१७।२१), ब्राह्मणों के लिए अयोग्य कार्य करने वाले, भूत, कम या अधिक अग वाले, जिसने वेद, पवित्र अग्नियो, माता-पिता, गुरुओं का त्याग कर दिया हो तथा वे लोग जो दूर्ग के भोजन पर जीते हो, पक्वितदूषक बन्हे जाते हैं (देसिए श्ल १।४।२-४ एवं अपराकं, पृ० ४५३-४५५)।

एक पक्वित में बैठे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का विभेद करने से ब्रह्महत्या का दोष लगता है (व्यासस्मृति ४।६३)। खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छू ले तो भोजन करना छोड़ देना चाहिए या भोजनोपरान्त गायत्री का १०८ बार जप कर लेना चाहिए। आजकल ऐसा हो जाने पर जल से आँसों का स्पर्श कर लिया जाता है। यदि भोजन करनेवाला परोसने वाले को छू ले तो परोसने वाले को चाहिए कि वह भोजन को पृथिवी पर रखकर आचमन करे, और उस पर जल छिड़कने के उपरान्त उसे पुनः परोसे। बायें हाथ से खाना एवं पीना बजित है। खाना खाते समय गिलास से या पानी पीने के पात्र से पानी पीना चाहिए, दोनों हाथों को मिलाकर पानी नहीं पीना चाहिए (पाञ्चवल्क्य १।१३८)। किन्तु जब खाना न साया जा रहा हो तो दाहिने हाथ से जल ग्रहण किया जा सकता है। भोजनोपरान्त 'आपोत्तन' ('अमृतापिधानमसि' का उच्चारण) करना चाहिए और थोड़ा जल ग्रहण करना चाहिए, सब हाथ धोना, दो बार आचमन करना, दाँतों के बीच के भोजन-बन्धों को हटाने के लिए हलके डम से दाँतों को धोना तथा अन्त में नैऋतमूल ग्रहण करना चाहिए। आरवलायन ने भोजनोपरान्त मुँस धोने के लिए १६ कुत्ते (गण्डूय) करने की बात चलायी है। यति, ब्रह्मचारी तथा विधवा को पान नहीं खाना चाहिए।

मोज्याप्र में से सभी कुछ नहीं खा डालना चाहिए, प्रत्युत भोजन-यात्र में दही, मधु, घृत, दूध एवं सक्तु (मत्त) में अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनों का कुछ अंश छोड़ देना चाहिए। जो बच रहता है वह पत्नी या नौकर को दे दिया जाता है (पराशरमधुवीम १।१, पृ० ४२२)। कित्ती को दूसरे का जूठा न तो खाना चाहिए और न देना चाहिए। हाँ, बच्चा अपने माता-पिता या भुव का जूठा खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, पृ० ४३१)। अपने आधित दूध में अतिरिक्त किसी अन्य दूध को अपना जूठा नहीं देना चाहिए (मनु ४।८०, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।११।३।१।२५-२६)। जब तक भोजन-यात्र हटा नहीं लिया जाता, स्पल को गोबर से लीप नहीं दिया जाता और जब तक स्वयं खानेवाला दूर नहीं हट जाता तब तक वह आचमन कर लेने पर भी अपवित्र ही बन्ना जाता है। देसिए आपस्तम्ब-धर्मसूत्र (२।२।४।२४) भी। ब्राह्मण का भोजन-यात्र ब्राह्मण ही उठा सकता है (कोई अन्य नहीं), धाट्ट करने वाला पुत्र या विध्य धाट्ट के भोजन-यात्र को उठा सकता है, किन्तु वह 'जिसका उपनयन न हुआ हो, पत्नी तथा कोई अन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता (लघु-आरवलायन १।१६५-१६६)।

ग्रहण या किसी विषय स्थिति में भोजन-रथाय

सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों के समय भोजन न करने का विषय में बहुत-से निमग्न बने हैं। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ०

२२८-२३९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ६९), मत्स्यपुराण (९७), अपराकं (पृ० १५१, ४२७-४३०) आदि ने नियम लिखे हैं। ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित है। बच्चों, बूढ़ा एवं रोगियों को छोड़कर अन्य लोगों को सूर्य-ग्रहण एवं चन्द्र-ग्रहण लयने के क्रम से १२ घटा (४ प्रहर) एवं ९ घटा (३ प्रहर) पूर्व से ही खाना बन्द कर देना चाहिए। इस नियम का पालन अभी हाल तक होता रहा है। ग्रहण आरम्भ हो जाने पर स्नान करना, दान देना, तपण करना एवं श्राद्ध करना आवश्यक माना जाता है। ग्रहणोपरान्त स्नान करके भोजन किया जा सकता है। यदि ग्रहण के साथ सूर्यास्त ही जाय तो दूसरे दिन सूर्य को देखकर तथा स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण-युक्त चन्द्र उदित हो तो दूसरे दिन भ्रम भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम पर्याप्त प्राचीन हैं (विष्णुधर्मसूत्र ६८।१-३)। ऋग्वेद (५।४०।५-९) में भी सूर्य-ग्रहण वर्णित है, किन्तु वहाँ यह असुर द्वारा लाया गया कल्पित किया गया है। असुर स्वर्गानु ने सूर्य पर अन्धकार डाल दिया, ऐसा काठकसंहिता (११।५) एवं तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।२) में बताया है। शाखायनब्राह्मण (२।४।३) एवं तण्ड्य ब्राह्मण (४।५।२, ४।६।१३) भी ग्रहण की चर्चा करते हैं। अथर्ववेद (१९।९।१०) में सूर्य और राहु एक साथ ला खड़े कर दिये गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् (८।१३।१) में आया है—“ब्रह्मलोक में जाते समय सचेत आत्मा शरीर को उसी प्रकार हिलाकर छोड़ देता है जिस प्रकार घोड़ा अपने बालों को छिटका देता है या राहु के मुख से चन्द्र छुटकारा पाता है।”

विष्णुधर्मसूत्र (६८।४-५) ने व्यवस्था दी है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय या राजा पर क्लेश पड़े या उसकी मृत्यु हो जाय तो भोजन नहीं करना चाहिए।

विहित और निषिद्ध

क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए, इस विषय में विस्तृत नियम बने हैं। यीतो सभी स्मृतिमो ने भोजन के विधि-निषेध के विषय में व्यवस्थाएँ दी हैं, किन्तु गौतम (१७), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१६।१७—१।६।१९), अश्विष्यधर्मसूत्र (१४), मनु (६।२०७-२२३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१६७-१८१) ने विस्तार के साथ चर्चा की है। शान्तिपर्व (अध्याय ३६ एवं ७३), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, अध्याय १७), पद्म (आदिखण्ड, अध्याय ५६) तथा अन्य पुराणों में भी नियम बतलाये हैं। निबन्धों में स्मृति-चन्द्रिका (२, पृ० ४१८-४२९), गृह्यसूत्रलाकर (पृ० ३३४-३९५), मदनपारिजात (पृ० ३३७-३४३), स्मृति-मुक्ताफल (आह्निक, पृ० ४३३-४५१), आह्निकप्रनाश (पृ० ४८८-५५०) ने ब्राह्म-अप्राह्म के विषय में विशद वर्णन उपस्थित किया है। हम क्रम से इन नियमों की चर्चा करेंगे।

अपराकं (पृ० २४१) ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर वर्जित भोजन का उल्लेख किया है, यथा जातिदुष्ट या स्वभावदुष्ट (स्वभाव से ही वर्जित), जैसे लहसुन, प्याज आदि, क्रियादुष्ट (कुछ क्रियाओं के कारण वर्जित), यथा खाली हाथ से परोसा हुआ, या पतित (जातिच्युत), चाण्डाली, कुत्तो आदि द्वारा देल लिया गया भोजन या पक्ति में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचमन करके सबसे पहले उठ जाने के कारण अपवित्र भोजन, कालदुष्ट (समय बीत जाने पर या अनुचित या अनुपयुक्त समय का भोजन), वया बासी भोजन, ग्रहण में पकाया हुआ, बच्चा देने के उपरान्त पशु का दस दिनों के भीतर का दूध, समगंतुष्ट (निद्रुष्ट ससर्ग या ससर्ग से भ्रष्ट हुआ भोजन), यथा कुत्ते, मछ, लहसुन, बाल, कीट आदिके सम्पर्क में आया हुआ भोजन, सहस्रेक्ष (घृणा या अरुचि उत्पन्न करने वाला भोजन), यथा मूत्र आदि। इन पाँचों प्रकारों के माय रसदुष्ट (जिसका स्वाद समाप्त हो गया हो), यथा दूसरे दिन पापम या क्षीर एवं परिग्रहदुष्ट (जो पतित, व्यभिचारी आदि का हो) जोड़े जा सकते हैं। अपराकं ने लिखा है कि वर्जित भोजन, जिसके खाने से उपपातक लगता है, छ प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है, यथा—स्वभाव, काल, सम्पर्क

(सप्तमं), क्रिया, भाव एव परिग्रहः। ईश के रस से मदिरा बनती है, यदि यह जानकर उसका पात्र किया जाय तो यह भावदुष्ट कहालायगा। किन्तु गौतम (१७।१२) के मत से भावदुष्ट भोजन उसे कहते हैं जो अनादर के साथ दिया जाय, या जिसे खाने वाला धूना करे या जिससे वह ऊब उठे।^१

पाँस भक्षण—आगे कुछ कहने से पूर्व मांस-भक्षण पर कुछ टिप्पण देना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद में देवताओं के लिए बेल का मांस पकाने की ओर कई संकेत किये गये हैं, उदाहरणार्थ, इन्द्र कहता है—“वे मेरे लिए १५+२० बेल पकाते हैं” (ऋग्वेद १०।८६।१४, और मिलाइए ऋग्वेद १०।२७।२)। ऋग्वेद (१०।९१।१४) में आया है कि अग्नि के लिए घोड़ी, बँलो, साँडो, बाँस गायों एव भेड़ों की बलि दी गयी। देखिए ऋग्वेद (८।४३।११, १०।७९।१६)। किन्तु उसी में गौ की ‘अध्या’ (ऋग्वेद १।१६४।२७ एव ४०, ४।१।६, ५।८३।८, ८।६५।२१, १०।८७।१६ आदि) भी बहा गया है, जिसका अर्थ निष्कृत (१०।४३) में यों लगाया है—“अध्या अहन्तव्या भवति अध्या इति वा”, अर्थात् “वह जो मारे जाने योग्य नहीं है।” कमी-जमी यह शब्द (अध्या) ‘धेनु’ के विरोध में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋग्वेद ४।१।६, ८।६९।२), अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऋग्वेद के काल में दूध देनेवाली गायें काटे जाने योग्य नहीं मानी जाती थीं। हम इसी तर्क के आधार पर गायों के प्रति प्रसादात्मक सूक्तों का भी अर्थ लगा सकते हैं, यथा—ऋग्वेद (६।२८।१-८ एव ८।१०।१।१५ एव १६)। ऋग्वेद (८।१०।१।१५-१६) में गाय को रदों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहिन एव अमृत का केन्द्र माना गया है और ऋषि ने अन्त में कहा है—“गायत्री हत्या न करो, यह निर्दोष है और स्वयं अदिति है।” ऋग्वेद (८।१०।१।१६) में गाय को देवी भी बहा गया है। इससे प्रबल होता है कि गाय क्रमशः देवत्व को प्राप्त होती जा रही थी। दूध के विषय में गाय की अत्यधिक महत्ता, कृषि में बँलो का उपयोगिता तथा परिवार में आदान प्रदान एव विविध सम्बन्धी अर्थनीतिक उपयोगिता एव महत्ता के कारण गाय को देवत्व प्राप्त हो गया। अथर्ववेद (१२।४) में भी गाय की पूतता (पवित्रता) मान ली गयी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों से पता चलता है कि तब तक गाय की बलि दी जाती थी (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।८, शतपथ ब्राह्मण ३।१।२।२१)। ऐतरेय ब्राह्मण (६।८) के मत से घोडा, बँल, बकरा, भेड़ बलि के पशु हैं, किन्तु निम्बुरण, गोरमूग, गधय, ऊँट एव शरन (आठ पैरों वाला चलात्मक जन्तु) नामक पशुओं की न तो बलि हो सकती है और न वे खाने जा सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण (१।२।३।९) में भी यही बात पायी जाती है। शतपथ ब्राह्मण (१।१।७।१३) में घोषित किया है कि मांस सर्वत्रेष्ट भोजन है। आगे चलकर गाय इतनी पवित्र हो गयी कि बहुत-से दोषों के निवारणार्थ उससे दूध, दही, घृत, मूत्र एव गोबर से ‘पचनगव्य’ बनने लगा। पचनगव्य के विषय में जो नियम बने हैं, उनकी जानना ही के लिए देखिए राजवल्क्य (३।३।४), बौधायनगृह्यसूत्र (२।२०), पराशर (१।१।२८-३४), देवत्र (६२-६५), छुपु मातातप (१५८-१६२), मत्स्यपुराण (२६७।५-६)। पराशर एव अग्नि में पचनगव्य निर्माण की विधियाँ हैं, जिन्हें स्थानाभाव के कारण हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। पचनगव्य को ब्रह्मघृत्त भी कहा जाता है। गाय के सभी अंग (मुख के अतिरिक्त) पवित्र माने गये हैं। मनु (५।१२८) ने गाय द्वारा सूँघे या चाटे गये पदार्थों के पवित्रकरण की बात चलायी

६ भविष्यत्पुराणम्। जातिदुष्ट त्रियादुष्ट कालापयविदूषितम्। संसर्गाश्रमदुष्ट च संहृत्तेस्तं स्वभाषत ॥
अपराकं पृ० २४१। मिलाइए शुद्धहारीत १।१।२२-१२३—भावदुष्टं त्रियादुष्टं कालदुष्टं तपेव च। संसर्गदुष्टं च तथा वज्रयेदशकर्मणि॥ अत्रत्य च निश्चिततप स्वभाव-काल-संपर्क-क्रिया-भाव-परिग्रहं योज्यं भवति। अपराकं पृ० ११५७। इनमें से कुछ शब्द वक्तव्यमसूत्र (१४।२८) में भी पाये जाते हैं—“असं पर्वणितं भावदुष्टं संहृत्तेस्तं पुनः सिद्धभाषमातं पर्वणं च।”

है, क्योंकि उमका मुख अपवित्र माना गया है। मनु (११।७९) ने गाय की प्रशंसा की है—जो ब्राह्मणों एवं गायों की रक्षा में अपने प्राण दे देता है वह ब्रह्महत्या-जैस जघन्य पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (१६।१८) ने घोषित किया है कि ब्राह्मणों, गायों, त्रिव्या एवं बच्चों की रक्षा में प्राण देने वाले अद्वन्द्व (वाह्य) भी स्वर्ग को चले गये। रुद्रदाम् (एपिप्रीकिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ४४) के शिलालेख में “गौ-ब्राह्मण हित” (गायों एवं ब्राह्मणों का कल्याण) शब्द प्रयुक्त हुआ है (ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी)। और देखिए रामायण (बालकाण्ड २६।५, अरण्यकाण्ड २३।२८) एवं मत्स्यपुराण (१०४।१६)। कपिला गाय अत्यधिक भगलकारी मानी गयी है और इसका दूध अग्निहोत्र एवं ब्राह्मणों के लिए उत्तम माना गया है, किन्तु यदि उसे शत्रु गिये तो वह नरक का भागी होता है (बृहद्गोतम, पृ० ५६८)।

कालान्तर में मांस भक्षण के प्रति न केवल अनिच्छा प्रत्युत घृणा का भाव भी रखा जाने लगा। शतपथब्राह्मण में यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मांसभक्षी आगे के जन्म में उन्हीं पशुओं द्वारा खाया जायगा, अर्थात् उदाहरणार्थ, जो इस जन्म में गाय का मांस खायेगा तो आगे के जन्म में उसे इस जन्म वाली खायी गयी गाय खायेगी। छान्दोग्योपनिषद् (३।१७) में तप, दया, (दान) सरलता (ऋजुता), अहिंसा एवं सत्य को प्रतीकार्थक यज्ञ की दक्षिणा माना है। इसी उपनिषद् (८।१।५।१) ने पुन कहा है कि ब्रह्मज्ञानी समस्त जीवों के प्रति अहिंसा प्रकट करते हैं। जो बहुत-से लोगों ने आगे चलकर मांस-भक्षण छोड़ दिया उसमें कई कारण थे, (१) आध्यात्मिक धारणा—एक ही ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, (२) सभी जीव एक है, (३) छोटे-छोटे बोट भी उसी दैवी शक्ति के अभिव्यजन-मात्र हैं, क्योंकि (४) वे लोग जो अपनी वासनाओं एवं कठोर वृत्तियों तथा तृष्णाओं पर नियन्त्रण नहीं रखते और सार्वभौम दया एवं सहानुभूति नहीं प्रकट करते, दार्शनिक सत्यों का दर्शन नहीं कर सकते। एक अन्य कारण भी कहा जा सकता है—मांस भक्षण से असुद्धि प्राप्त होती है (इस विचार से भी अहिंसा के प्रति झुकाव बढ़ा)। ज्यो-ज्यो आर्य भारत के मध्य, पूर्व एवं दक्षिण में फैलते गये, जल-वायु एवं अत्यधिक साग-सब्जियों (शाक-भाजियों) एवं अन्नो के कारण मांस भक्षण में कमी पायी जाने लगी। सचमुच, यह एक आश्चर्य है कि भारतवर्ष में आज मांस-भक्षण उत्तम नहीं कहा जाता, जब कि हमारे पूर्वज ऋषि आदि मांस-भोजी थे। यह एक विलक्षण ऐतिहासिक तथ्य है और ससार के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन धर्मसूत्रों ने भोजन एवं यज्ञ के लिए जीव-हत्या की व्यवस्था की थी। आश्चर्य तो यह है कि उस समय कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त प्रचलित थे तब भी जीवहत्या की व्यवस्था की गयी थी। वेदान्तसूत्र (३।१।२५) में भी यज्ञ के लिए पशु-ह्नन अपवित्र नहीं माना गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२) ने आवागमन के सिद्धान्त का विवेचन किया है। किन्तु साथ-ही-साथ इसने उस व्यक्ति के लिए, जो बुद्धिमान् पुत्र का इच्छुक है, बेल या सांड या किसी अन्य पशु के मांस को घावल एवं घृत में पकाने का निर्देश किया है (६।४।१८)। गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार कतिपय अवसरों पर न केवल अन्य पशुओं की प्रत्युत गाय की भी बलि दी जाती थी, यथा (१) श्राद्ध में (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१६।२५), (२) सम्मानित अतिथि के लिए मधुपर्क में (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।२।४।२२-२६, वसिष्ठधर्मसूत्र ४।८), (३) अष्टका श्राद्ध में (हिरण्यवेत्सिगृह्यसूत्र २।१५।१६, वीषायनगृह्यसूत्र २।२।५, बेलानम ४।३) एवं (४) शूलाव यज्ञ में एक बेल (आश्वलायनगृह्यसूत्र ४।१।१०)।

धर्मसूत्रों में कतिपय पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों के मांस भक्षण के विषय में नियम दिये गये हैं। गोतम (३।७।२।७।३।१), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।७।३।५), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३।९-४०), याज्ञवल्क्य (१।१।७।७), विष्णु-धर्मसूत्र (५।१।६), शार (अपराकं, पृ० ११६७ में उद्धृत), रामायण (किष्किन्धाकाण्ड १७।३९), मार्कण्डेयपुराण (३।५।२-४) ने साही, खरगोश, श्वाविव् (सूअर), गोघ्रा या गोह (एक प्रकार की छिपवली), गैडा, पछुआ को

छोड़कर अन्य पाँच नामून वाले (पञ्चनख) पशुओं को खाने से मना किया है। गौतम ने जबड़ों में दाँत वाले पशुओं, बाल वाले तथा बिना बाल वाले (यथा सर्पे) पशुओं, ग्रामीण मूँगों, ग्रामीण सूअरों, गायों एवं बंलों को खाने से मना किया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।५।१५) ने एक खुर वाले पशुओं, ऊँटों, गवयों (घुड़रोजों), ग्रामीण सूअरों, दारमों एवं गायों के मांस को वर्जित किया है, किन्तु बंलों के मांस की वाजसनेयक के अनुसार पवित्र माना है। इसी धर्मसूत्र (२।२।५।१५) ने उपावर्ग से उत्सर्जन तक के मासों में वेदाध्यापक का मांस खाने से मना किया है, जिससे प्रकट होता है कि अन्य मासों में ब्राह्मण आचार्य लोग मांस-नशण करते थे। बासी भोजन एवं बिना पका मांस खाने वाले छान्न को अनध्याय नहीं करना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।१।१४)। इस धर्मसूत्र (२।३।७।४) ने लिखा है कि अतिथि को मांस देने से द्वादशाह यज्ञ करने का फल मिलता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।३४) ने लिखा है कि श्राद्ध या देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रायश्चा करने पर यति नहीं खाता है तो वह असह्य वर्षों तक नरक में रहता है। किन्तु क्रमशः लोगों के मनोभावों में परिवर्तन हुआ। मेगस्थनीज (पृ० ९९) एवं स्ट्रबो (१६।१।५९) ने लिखा है कि दार्शनिकों की प्रथम जाति, जो दो उपविभागों में विभाजित है, यथा— ब्रह्मनेस (ब्राह्मण) एवं सर्मनेस (श्रमण), पशु-मांस नहीं खाती और न मँपुन करती है (सम्भवतः ब्रह्मचारी के रूप में), किन्तु ३७ वर्षों तक इस प्रकार रहकर यह जाति उन पशुओं का, जो इषि के लिए बेकार होते हैं, मांस खाती है। सम्राट असोक भी पहले मांसभोजी था, किन्तु क्रमशः उसने अपने राजकीय भोजनालय में पशु-मांस बनना बन्द करा दिया।

प्राचीन ऋषियों ने देवयज्ञ, मधुपर्क एवं श्राद्ध में मांस-बाल की व्यवस्था दा है अतः मनु एवं वसिष्ठ ने इस विषय में दो बातें कही हैं। मनु (५।२७-४४) ने केवल मधुपर्क, यज्ञ, देवहृत्य एवं श्राद्ध में पशु-ह्वन की आज्ञा दी है। मनु (५।२७ एवं ३२) ने लिखा है कि जब प्राण सकट में हों (अकाल या रोग के कारण) तो मांस-नशण से पाप नहीं लगता। यही बात याज्ञवल्क्य (१।१७९) ने भी कही है। मनु ने आगे चलकर लिखा है कि पशु-ह्वन से व्यक्त मारे गये पशु के रोमों की सहाय्य वाले जन्मों तक स्वयं मारा जाता है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।६०)। मनु (५।४० एवं ४४-विष्णुधर्मसूत्र २।६३, ६७) ने लिखा है कि पीछे, पशु, वृक्ष (जिनसे यज्ञ के लिए स्तम्भ आदि बनते हैं), छोटे जीव, पक्षी आदि, जो यज्ञ करने के सिलसिले में आहूत होते हैं, अच्छी योनियों में पुनः जन्म लेते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा नहीं कहलाती क्योंकि वेद से ही धर्म का प्रकाश निकला है। यही बात दूसरे ऋषि से वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३९-४०, ६।५-६) ने भी कही है। आगे चलकर मनु (५।४६-५५) ने यज्ञों में भी पशुबलि को वर्जित कर दिया (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।६९-७८)। मनु (५।५३) ने अन्त में अपना निष्कर्ष दिया है—मांसनशण, मधुपान एवं मँपुन में दोष नहीं है, क्योंकि वे स्वामात्रिक प्रवृत्तियाँ हैं। कुछ अवसरों एवं कुछ लोगों के लिए ये शास्त्रानुमोदित हैं, किन्तु इनसे दूर रहने पर (उन अवसरों पर भी जिनके लिए शास्त्रों की आज्ञा मिल चुकी है) महाफल की प्राप्ति होती है। मनु,

७. मधुपर्कं च यज्ञे च पिबुर्देवतकर्मणि। अश्वेय पशवो हिंसा नान्यथेत्यद्वीन्मनुः॥ मनु ५।४१। यही बात वसिष्ठ (४।६), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।६४) एवं शांतायनगृह्यसूत्र (२।१।६।१) में भी पायी जाती है।

८. न मांसनशणे दोषो न मद्ये न च मँपुने। प्रवृत्तिरेया भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥ मनु ५।५६। सत्त्ववार्तिक (पृ० १९१) ने इसे उद्धृत किया है। बृहस्पति ने इसका वास्तविक अर्थ बताया है—सोत्रादध्या तपा मद्यं भृती भक्ष्यमदाहृतम्। ऋतौ च मँपुनं धर्म्यं पुत्रोत्पत्तिर्निमित्ततः॥ स्वर्गं प्राप्नोति मंत्रं तु प्रत्यवायेन मुच्यते॥ मनु (५।५०) की व्याख्या में सर्वत्र नारायण द्वारा उद्धृत।

विष्णु एव वसिष्ठ की उपर्युक्त उक्तिमें से प्रकट होता है कि उनके समय में वे दो प्रकार के व्यक्ति थे; एक वे जो मांस-भक्षण को वैदिक मानते थे, किन्तु वेद के कथनानुसार यज्ञादि अवसरों पर ही पशु-बलि करते थे, और दूसरे लोग वे थे जो बिना नियन्त्रण के मांस-भक्षण करते थे। मनु यह जानते थे कि श्राद्ध आदि ऐसे अवसरों पर मांस-भक्षण होता था और उन्होंने स्वयं लिखा है कि श्राद्ध के समय विभिन्न प्रकार के मांस के साथ माँति-माँति के व्यञ्जन बनने चाहिए (३।२२७)। याज्ञवल्क्य (१।२५८-२६०) ने लिखा है कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को माँति-माँति के पशुओं का मांस देने से पितरों को बहुत दिनों तक सन्तोष मिलता है।

क्रमशः मांस-भक्षण कम होता गया। वैष्णव धर्म के विकास से भी पशु-बलि में कमी होती गयी। भागवत-पुराण (७।१५।७-८) में मांस-भक्षण वर्जित माना गया है। मध्य एव वर्तमान काल में उत्तरी एव पूर्वी भारत को (जहाँ के कुछ ब्राह्मण मछली को वर्जित नहीं मानते, यथा मैथिल ब्राह्मण आदि) छोड़कर अन्यत्र ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं। वैश्य लोग भी विशेषतः जो वैष्णव हैं, मांस नहीं खाते हैं। बहुत-से शूद्र भी मांस से दूर रहते हैं। किन्तु प्राचीन काल से ही क्षत्रिय लोग मांसभोजी रहे हैं। महाभारत में क्षत्रियों एव ब्राह्मणों के मांस-भक्षण की चर्चाएँ बहुत हुई हैं, यथा वनपर्व (५०।४) में आया है कि पाण्डवों ने विपरहित तीरों से हिरण मारे और उनका मांस ब्राह्मणों को देने के उपरान्त स्वयं खाया, युधिष्ठिर ने (समापर्व ४।१-२) मयसभा के उद्घाटन के अवसर पर दस सहस्र ब्राह्मणों को वन्य सूकर एव हिरणों के मांस भी खाने को दिये। इसी प्रकार देखिए वनपर्व (२०।८।११-१२), अनुशामनपर्व (१।१६।३, १६-१९)। किन्तु महाभारत ने भी मनु के मनोभाव प्रकट किये हैं और कहा है कि मांस-भक्षण से दूर रहना चाहिए (अनुशासन १।१५)। मनु (५।५१) ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति पशु को मारने की सम्मति देता है, जो पशु-हृत्न करता है, जो अंग-अंग पृथक् करता है, जो मांस बेचता या खरीदता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है—इनमें सभी मारने के अपराधी होते हैं। यम ने कहा है कि मांसभोजी सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि यदि वह न होता तो कोई भी पशु हृत्न न करता (आह्निकप्रकाश, पृ० ५३३)।

किन पक्षियों को खाया जाय और किन्हें न खाया जाय, इस विषय में गौतम (१।७।२९ एव ३४-३५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।३२-३४), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।४८), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।२९-३१), मनु (५।१।१-१४), याज्ञवल्क्य (१।१७२-१७५) आदि में लम्बी सूचियाँ हैं। कच्चा मांस खाने वाले पक्षी (गिद्ध, चील आदि), चातक, तोता, हंस, ग्रामीण पक्षी (कबूतर आदि), बक, गोहृद्डर या बिल खोद-खोदकर अपना भोजन ढूँढ़ने वाले पक्षी वर्जित माने गये हैं, किन्तु जंगली भूँगा एव तीतर वर्जित नहीं हैं। शबर ने जैमिनि (५।३।२६-२८) की टीका में लिखा है कि अग्निचित् को (जिसने यज्ञ के लिए वेदी बना ली हो) पक्षी तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाय।

मछली के भक्षण के विषय में कोई मतैक्य नहीं है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।३६-३७) के मत से भेत (भगर या पडियाल ?) वर्जित है। सर्प की माँति सिर वाली, मकर, शव खानेवाली तथा विचित्र आकृति वाली मछलियाँ नहीं खानी चाहिए। मनु (५।१४-१५) ने सभी प्रकार की मछलियों के भक्षण को निरूद्ध मांस-भक्षण माना है किन्तु देवकृत्यों तथा श्राद्ध में पाठीन, रोहित, राजीव, सिंह की मुखाकृति वाली एव बल्लक वाली मछलियों की छूट दी गयी है (५।१६)। देखिए वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।४१-४२), गौतम (१।७।३६) एव याज्ञवल्क्य (१।१७७-१७८)।

दुग्ध-प्रयोग—दूध के विषय में स्मृतियों में बहुत-से नियम बनाये हैं। गौतम (१।७।२२-२६), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।२२-२४), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३४-३५), बौधायनधर्मसूत्र (१।५।१५६-१५८), मनु (५।८-९),

विष्णुधर्मसूत्र (५१३८-४१), याज्ञवल्क्य (११७०) के अनुसार जो सन्धिनो^१ गाय हो, जिसका बछड़ा मर गया हो, जिसे जुड़वा बछड़े उत्पन्न हो गये हो, बछड़ा देने पर अमी जिसको दस दिन पूरे न हुए हो, जिसके स्तन से अपने-आप दूध निकलता हो, उसका दूध नहीं पीना चाहिए। बछड़ा देने के दस दिन तक बकरी एवं भैंस का दूध भी नहीं पीना चाहिए। भेड़ो, ऊँटनियो तथा एक खुर वाले पशुओं का दूध सर्वथा वर्जित माना गया है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य (११७०) के अनुसार वर्जित दूध का दही भी वर्जित है, किन्तु विद्वद्रूप के मयनानुसार वर्जित दूध का दही तथा उसके अन्य पदार्थ वर्जित नहीं हैं। अपवित्र भोजन करने वाली गाय का दूध भी वर्जित माना गया है (विष्णुधर्मसूत्र ५१४१ एवं अत्रि ३०१)। वायुपुराण में भैंस का दूध भी वर्जित माना गया है।^२ नौघायनधर्मसूत्र (१५१५९-१६०) ने गाय के दूध को छोड़कर अन्य वर्जित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा वर्जित गाय का दूध पीने पर तीन दिनों के उपवास की व्यवस्था दी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (पद्य) में ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगो के लिए कपिला गाय का दूध वर्जित माना गया है, किन्तु मविष्यपुराण में देव-कृत्यों से बच रहे कपिला गाय के दूध को ही ब्राह्मणों के प्रयोग के लिए उचित ठहराया गया है। बह्यपुराण के अनुसार रात्रि में यात्रा करते समय भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मधुपर्क में दूध डाला जा सकता है। दिन में मुने अन्न, रात्रि में दही एवं जौ तथा सभी कालों में कोविदार एवं कपित्थ (वृक्ष या फल) के प्रयोग से दुर्भाग्य का आगमन होता है।

शाक-भाजियों, तरकारी का प्रयोग—अति प्राचीन काल से कुछ शाक-भाजियाँ वर्जित ठहरायी गयी हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१५११७१२५-२७) के मत से वे सभी शाक, जिनसे मटिदा निकाली जाती है, कलञ्ज (लाल लहसुन), पलाण्डु (प्याज), पाररिक (काला लहसुन) तथा वे शाक-भाजियाँ जिन्हें भद्र लोग नहीं खाते, खाने के प्रयोग में नहीं लायी जानी चाहिए। इसी प्रकार 'मयाशु' (कवक, कुकुरमुत्ता) भी नहीं खाना चाहिए। गौतम (१७३२-३३) ने पेठो की कोमल पत्तियो, म्याकु, लघुन (लहसुन), दूधो की राल तथा दूधो पर धत कर देने पर छाल से जो लाल साव निकलता है, इन सब को वर्जित माना है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१४३३) ने लघुन, पलाण्डु, गूञ्जन (शिसामूल या शलजम), श्लेष्मातक, वृक्ष-श्राव एवं छाल से निकले लाल झाग को वर्जित माना है। मनु (५१५-६) ने लघुन, पलाण्डु, गूञ्जन, कवक (कुकुरमुत्ता), अपवित्र मिट्टी से उपजी हुई सभी प्रकार की शाक-भाजियो, लाल वृक्ष-श्राव एवं लाल वृक्ष-झाग तथा चोलू फलों को वर्जित माना है। याज्ञवल्क्य (११७१) ने शिशु जोड़ दिया है और वर्जित पदार्थों के प्रयोग पर श्राद्धायण व्रत की व्यवस्था दी है। प्राचीन काल में प्रयुक्त शाक-भाजियो, के आधुनिक पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृह्यसूत्रकार (पृ० ३५६) में उद्धृत स्मृतिमञ्जरी के अनुसार पलाण्डु के दस प्रकार हैं, जिनमें गूञ्जन (शलजम) भी एक है।^३ इसी प्रकार अपराक (पृ० २५९), गृह्यसूत्रकार

९. 'सन्धिनो' के तीन अर्थ बताये गये हैं—(१) गम गाय अर्थात् जो गर्भवती होना चाहती है, (२) वह गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है, अर्थात् जिसका बछड़ा मर गया हो और दूसरे बछड़े से अभिसंपादित हो चुकी हो।

१०. अत्रा गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयन्ति याः। दुर्गं हृष्ये च बन्धे च गोमयं न विक्षेपयेत् ॥ अत्रि ३०१।
आविकं मार्गमीष्टं च सर्वभेकनाकं च यत्। माह्विं चामरं चं व पयो बर्ग्यं विज्ञानता ॥ वायुपुराण ७८१७।

११. रत्नो बीर्यपत्रश्च पिच्छगन्धो महौषधम्। हिरण्यश्च पलाण्डुश्च नवतरुः पारारिका। गूञ्जनं धवनेष्टं च पलाण्डोर्वा जातयः ॥ इति स्मृतिमञ्जरीकारलिखितवैद्यश्लोकात्। गृह्यसूत्रकार, पृ० ३५६ एवं आह्निक-प्रकटा (पृ० ५१४)।

(पृ० ३५४-३५६) आदि ने भी वर्जित शाक-सन्जियो की सूची उपस्थित की है। सुमन्तु के एक सूत्र (याज्ञवल्क्य ३।२९० की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) के अनुसार दवा के रूप में लहशुन का प्रयोग वर्जित नहीं है। गौतम (१७।३२) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि यह नहीं ज्ञात है कि हिंगु (हींग) किसी पेठ का स्राव है या काट दिये जाने पर निकला हुआ भाग है, किन्तु सभी मद्र व्यक्तित्व इसे प्रयोग में लाते हैं, और कपूर का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि न तो यह लाल है, न स्याव है और न है काटे हुए पेठ की छाल का भाग या रस। स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ४१३) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हींग को वर्जित माना है किन्तु आदिपुराण ने नहीं, अतः अपनी रचि के अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३५४) ने लिखा है कि गोल बलावु (लोकी) वर्जित है। वर्जित शाक-माजियो के नामों के लिए देखिए बृद्ध-हारीत (७।११३-११९) एवं स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ४३४-४३५)।

वर्जित अन्न—आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।८।१८।२) ने श्राद्ध में माष जैसे काले अन्न वर्जित माने हैं। महामाष्य (जित्द १, पृ० १२७) ने विशिष्ट अवसरों पर माष को वर्जित अन्न माना है और लिखा है कि जब यह घोषित है कि माष नहीं खाना चाहिए, तो उसे अन्य अन्नो के साथ मिलाकर भी नहीं खाना चाहिए। राजमाष, स्थूल मूद्ग, मगूर आदि को वर्जित माना गया है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३५९)। आह्निकप्रकाश (पृ० ३९४) में उद्धृत शकलिलिखित में आया है कि कोद्रव, चणक (चना), माष, मगूर, कुलत्थ एवं उदालक को छोड़कर सभी अन्न देवयज्ञ में प्रयुक्त हो सकते हैं। बृद्ध-हारीत (७।११०-१११) ने भी वर्जित अन्नो की सूची दी है।

वर्जित पशव पदार्थ—गौतम (१७।१४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१७-१९), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।२८-२९ एवं ३७-३८), मनु (५।१०, २४-२५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६७) के अनुसार बासी पशुवात्र (बनाकर बहुत देर से रखा हुआ भोजन) या जो अन्य पदार्थों से मिश्रित कर रखा दिया गया हो, या वह भोजन जो रात और दिन अर्थात् लगभग २४ घण्टे का हो चुका हो, नहीं खाना चाहिए। दही, मक्खन, तरकारियों, रोटियों, मुने अन्नो, हलुवा, पापडो, तेल या घी में पकाये हुए अन्न, दूध तथा मधु में मिश्रित पदार्थों को छोड़कर दोबारा पकाये हुए पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। वह बासी भोजन जिसमें घी या दही मिला हो या जो देवों का प्रसाद हो खा लेना चाहिए। मनु (५।२५), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३७-३८), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६९) के मत से गेहूँ एवं जौ के बासी भोग्य पदार्थ तथा दूध के बासी पदार्थ, बिना घी के मिश्रण के भी द्विजातियों द्वारा प्रयोग में लाये जा सकते हैं, किन्तु ये पदार्थ जब खट्टे हो जायें तो खाने के योग्य नहीं होते।

वर्जित या स्याज्य भोजन—उपरिलिखित वर्जित मास, दुग्ध एवं शाक-माजियाँ जातिवृत्त या स्वभाववृत्त भोजन के अन्तर्गत आती हैं। समय बीत जाने से उत्पन्न बासी या खट्टे भोजन कालवृत्त कहे जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१६।१९-२० एवं २४-२९), मनु (४।२०७-२०९, २१२, २१७) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भोग्य पदार्थ यदि पलाङ्ग जैसे वर्जित पदार्थों से मिश्रित हो जायें, या अपवित्र द्रव्य के सम्पर्क में आ जायें, या जिसमें बाल या कीट पड़ जायें, या जिसमें चूहे की बीट, अग या पूँछ पड़ी मिल जाय, या जो रजस्वला नारी से छू जाय, या जिसमें कौए ही भोजन लग जाय, या जिसे सूअर छू ले या गाय सूँघ ले या जो ऐसे घर से आया हो जहाँ कोई मर गया हो या बच्चा उत्पन्न हुआ हो अर्थात् जहाँ सूतन लगा हो, तो उसे वर्जित मानना चाहिए। यदि खाते समय सूअर, अपपात्र, चाण्डाल, कुत्ता, कौआ, मुर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए। मनु (३।२३९-२४०) ने उपर्युक्त सूची में नपुंसक व्यक्ति भी जोड़ दिया है और कहा है कि इन्हे देववृत्त, श्राद्ध या दान-कर्म के सिलसिले में या खाते समय नहीं देवना चाहिए। कात्यायन ने तो यहाँ तक बह डाला है कि यदि ब्राह्मण खाते समय चाण्डाल, पतित, रजस्वला नारी का स्पर्श मुन ले तो उसे भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि उसने

स्वर्ग मुने के उपरान्त एक कौर भी खा लिया है तो उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए। मृत्यु-शोक वाले घर के भोजन को निमित्तदुष्ट (जिसी अवसर या संयोग के कारण वर्जित) कहा जाता है। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं या लहसुन आदि के सम्पर्क में आगत भोजन सप्तपंडुष्ट वा उदाहरण है। कुत्ता आदि से देखा गया भोजन क्रियादुष्ट (कुछ विशिष्ट कारणों से दूषित, कहा जाता है। स्मृतिवारा न व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। बोधायन-धर्मसूत्र (२।७।७) एवं वैलानस (१।१५) का बचन है कि यदि विपुल भोजन-राशि में बाल, नाखून के टुकड़े, चर्म, कीट, मूत्रों की लेंडियाँ दिखाई पड़ जायें, तो वहाँ से थोड़ा भोजन निवाल लेना चाहिए, उस पर पवित्र भस्म (ममूत) छिड़ककर, पानी छिड़ककर तथा ब्राह्मणों द्वारा उस पवित्र धापिन करवाकर खाना चाहिए। पराशर (६।७।१-७४) ने भी यही बात दूसरे ढंग से कही है और पवित्रीकरण के लिए सोन की झाला का स्पर्श, अग्नि-स्पर्श (जलते कुन से) तथा ब्राह्मण द्वारा पड़े गये मन्त्र की विधि बतायी है।

केवल अपने लिए पकाये हुए भोजन को (जिसका कुछ भी अन्न देवा या अतिथि के लिए नहीं हो) वर्जित माना गया है (गीतम १।७।१९ एवं मनु ४।२।१३)। ऐसे भोजन को सत्कारदुष्ट (पवित्र क्रियावा या कृत्यों के अभाव के कारण दूषित या त्याज्य) कहा गया है (स्मृत्यंसार, पृ० ९८)। परिच्छेददुष्ट भोजन (भोजन मले ही अच्छा हो किन्तु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लाये जाने अथवा उपस्थित विद्ये जाने के कारण जो त्याज्य माना जाता है) के विषय में बहुत से नियम बने हैं। इस सम्बन्ध में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।६।१८-१९-३३ एवं १।६।१९।१), गीतम (१।५।१८ एवं १।७।१७-१८), वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।२-११), मनु (४।२।०५-२२०), याज्ञवल्क्य (१।१९०-१९५), व्यास (३।५।०-५४), ब्रह्मपुराण तथा अन्य ग्रन्थों में निम्नलिखित व्यक्तियों की चर्चा हुई है—पवित्र अग्नि (शिव एवं गुरु अग्नि) को न रखने वाला, बज्र (जो अपने माता पिता, बच्चों एवं पत्नी को लोभ के कारण मूले रखता है), वन्दो, घोर, नपुमक, पहलवान (या अभिनय करने जीविवा चलाने वाला), वैण (बाँस का बाग करने वाला या निरवहण के अनुसार नट), गायन, अभिनय, अभिशास्त्र (महापातक का अपराधी), दलात् बाही (अर्थात् जबरदस्ती हृष्य जाने वाला या दूसरे की सम्पत्ति पर बलात् अधिकार करने वाला), वेदया, सप या गण (दुष्ट ब्राह्मण या दुष्ट लोग का दल), वैदिन यज्ञ करने के लिए दीक्षित (जिसने अभी यज्ञ समाप्त न किया हो, अर्थात् जिसने अभी सोम नहीं मंगाया है और अग्नि तथा सोम को पशु-बलि नहीं दी है), वैद्य (जो औषध से जीविवा चलाता है), चौर-फाड़ करने वाला (जराह), व्याघ्र आसिद्य (या मारुती बचन वाला), न अच्छे होनेवाले रोग में पीडित, भ्रू, व्यभिचारिणी, मत्त (मदिरा के नशे में या घन-सम्पत्ति या विद्या के मद में चर), वैरी, उग्र (श्रीघी स्वभाव वाला या उग्र जाति का व्यक्ति), पतित (जातिच्युत), ब्राह्म, कपटी, जडा गानेवाला, विषया, अपुत्र, स्वर्णधार, स्त्रैण (स्त्री के बस में रहने वाला), ग्राम-पुरोहित, अन्य शास्त्र बचन वाला, लाहार, निपाद, दर्जी, श्ववृत्ति (बुत्ते का व्यवसाय करने वाला या सेवक), राजा, राजपुत्रोहित, धारी (या गगरज), कृतघ्न, पशु मारकर जीविवा चराने वाला, मदिरा घनान एवं बेचने वाला, जो अपनी पत्नी के जार (प्रेमा) के घर में ठहरता है, सोम लाने वाले, शृगल्लोर, मूत्र, तंली, माट, दायाद (जब तक उसे सम्मान न हो जाय), पुत्रहीन, बिना पेट पड़े यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाली स्त्री, बड़ई, ज्यातिथी (ज्यातिप से जीविवा चलाने वाला), पशु बजाने वाला (राजा का जगान के लिए पशु बजाने वाला), ग्रामघट (ग्राम का अधिपति), परिवर्ति, परिविवादान, भूद्र नारी का पति, (पुत्रविवाहित) विधवा का पति, पुत्रर्तु का पुत्र, गण्ड का काम करने वाला, भुम्भवार, मुत्तवर, मन्थास आश्रम के नियमों का पालन न करने वाला मन्थासी, पागड, जो धर्म (धर्म) में अपने श्रेणी के घर पर बैठ गया है। मनु (६।२।२०) में उपर्युक्त व्यक्तियों का भोजन दिना जाने हुए घर लेने पर भी तीन दिना के ग्रन की व्यवस्था तथा जानकारी में इनका भोजन ता लेने पर कृच्छ्र की व्यवस्था दी है। बोधायनधर्मसूत्र (२।३।१०) न ० वेद

(१५८) के जप की व्यवस्था दी है, और यही व्यवस्था मनु (११२५३) एव विष्णुधर्मसूत्र (५६१६) ने भी दी है।

विहित भोजन एवं भोग्यान्न—गौतम एव आपस्तम्ब के काल में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के यहाँ खा सकते थे, किन्तु कालान्तर में यह छूट नियन्त्रित हो गयी और केवल उन्हीं शूद्रों के यहाँ ब्राह्मण खा सकते थे जो ब्राह्मण की कृपि सामे में करते हो, कुटुम्ब या परिवार के मित्र हो, अपने चरवाहे हो, अपने नाई (नापित) या दास हो। इस विषय में देखिए गौतम (१७१६), मनु (४१२५३), विष्णुधर्मसूत्र (५७११६), याज्ञवल्क्य (१११६६), अगिरा (१२०-१२१), ध्यास (३१५५) एव पराशर (१११२१)। मनु एव याज्ञवल्क्य ने घोषित किया है कि ऐसा शूद्र जो यह बहे कि वह ब्राह्मण वा आश्रित होने जा रहा है, उसके जीवन के कार्य-कलाप इस प्रकार के रहे हैं, और वह ब्राह्मण की सेवा करेगा, तो वह भोग्यान्न (जिसका भोजन खाया जा सकता है) कहलाता है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १११६६ पर एक सूत्र उद्धृत कर) तथा देवल ने कुम्भकार को भी भोग्यान्न घोषित किया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१४४), मनु (४१२११ एव २२३) एव याज्ञवल्क्य (१११६०) ने शूद्रों के भोजन की वर्जितता के विषय में सामान्य नियम दिये हैं। अगिरा (१२१) ने लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के अतिरिक्त अन्य शूद्रों के यहाँ भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। अत्रि (१७२-१७३) ने घोषी, अग्निनेता, बाँस का काम करने वाले के यहाँ भोजन करने वालों के लिए चान्द्रायण व्रत तथा अन्यजो के यहाँ भोजन करने या रहने वालों के लिए पराक प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। इस विषय में और देखिए वसिष्ठधर्मसूत्र (६१२६-२९), अगिरा (६९-७०), आपस्तम्ब (पद्य ८१९-१०) आदि। अगिरा (७५) एव आपस्तम्ब (पद्य, ८१८१९) ने लिखा है कि यदि अग्निहोत्री शूद्र के यहाँ खाता है तो उसकी पाँच वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, दग्ध आत्मा, वैदिक भान एव तीन पवित्र अग्नियाँ। मनु (५१८५) की टीका में मेघातिथि ने स्पष्ट लिखा है कि नृपिण्ड (नाई) स्वयं और भोग्यान्न है (उसका भोजन खाया जा सकता है)। इससे स्पष्ट होता है कि नवीं शताब्दी के कुछ शूद्रों के यहाँ भोजन करना भारत के सभी भागों में वर्जित नहीं था। अगिरा (७७-७८), आपस्तम्ब (पद्य, ८११-१३) एव यम (गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३३४ में उद्धृत) ने घोषित किया है कि ब्राह्मण ब्राह्मणों के यहाँ सभी समयों में, क्षत्रिय के यहाँ केवल (पूर्णमासी आदि) पर्व के समय, वैश्यों के यहाँ केवल यश के लिए दीक्षित होते समय भोजन कर सकता है, किन्तु शूद्रों के यहाँ कमी भी नहीं खा सकता; चारों वर्णों का भोजन क्रम से अमृत, दूध, भोजन एव रक्त है। यदि कोई अन्य जीविका न हो तो मनु (४१२२३) के अनुसार ब्राह्मण शूद्र के यहाँ एक रात्रि के लिए बिना पकाया हुआ भोजन ले सकता है। क्षत्रियों एव वैश्यों के यहाँ भोजन करना बच वर्जित हुआ, यह कहना कठिन है। गौतम (१७११) ने लिखा है कि ईधन, जल, मूसा (घास), कन्दमूल, फल, मधु, रसाद, बिना मांसे जो मिले, शय्या, आसन, आश्रय, गाड़ी, दूध, दही, मुना अन्न, शकरी (छोटी मछली), प्रियंगु (ज्वार), माला, हिरण का मांस, शाक आदि जब अचानक दिये जायँ तो अस्वीकार नहीं करने चाहिए। यही बात वसिष्ठधर्मसूत्र (१४१२२) एव मनु (४५५०) में भी पायी जाती है। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३७) द्वारा उद्धृत अगिरा के मत से शूद्र के घर से गाय का दूध, जो का आटा, तेल, तेल में बने खाद्य, आटे की बनी रोटियाँ तथा दूध में बनी सभी प्रकार की वस्तुएँ ग्रहण की जा सकती हैं। बृहत्पराशर (६) के अनुसार बिना पका मांस, घृत, मधु तथा फलों से बनाले हुए तेल यदि म्लेच्छ के बरतनों में रखे हुए हो तो ज्यों ही वे उससे निकाल लिये जाते हैं पवित्र समझे जाते हैं। इसी प्रकार आमांरा (अहीरो) के पात्रों में रखा हुआ दूध एव दही पवित्र है और वे पात्र भी इन वस्तुओं के कारण पवित्र हैं। लघु-शातातप (१२८) के अनुसार श्वेत या सलिलहान का अन्न, कुएँ से खींचा हुआ जल, गोशाला का दूध आदि उनसे भी ग्रहण किये जा सकते हैं जिनका भोजन वर्जित समझा जाता है। परचात्कालीन ग्रन्थकारों (यथा हरदत्त) ने मनु (४१२५३) द्वारा वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के यहाँ केवल आपत्काल में भोजन करने को लिखा है।

कुछ विषय पदार्थ विविष्ट वाता वा ही नहीं माने जा सकते, यथा—ब्रह्मचारी को मधु मांस एवं शार-
लवण खाना वर्जित है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।४। मानवगृह्यण १।१।१२) किन्तु आपस्तम्ब म वह इन्हे
खा सकता है (मेघातिथि, मनु ५।२७)। इसी प्रकार वानप्रस्थ एवं गति लाग बहुत-सी वस्तुएँ नहीं खा सकते ये
(इसका उल्लेख आगे किया जायगा)। क्षत्रियों को मोम पीना वर्जित था।

भोजन बनाने एवं परोसने वाले—पाचका (भोजन बनाने वाला) एवं परोसने वाले के विषय में भी बहुत-से
नियम बने हुए हैं। प्राचीन काल में ब्राह्मण सभी वर्गों के यहाँ भोजन कर सकता था, यहाँ तक कि पाँच प्रकार के
धूम्रों के यहाँ भी, अतः पाचका एवं परोसने वाला के विषय में उन दिना कोई कठिनाई नहीं थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र
(२।२।३।१-६) के अनुसार वैश्वदेव के लिए आर्य लोग (तीन वर्गों के लोग) स्नान से पवित्र होकर भोजन बना
सकते हैं, पर वे भोजन की ओर मुँह करने बोल, खाँस एवं धूक नहीं सकते, यदि वे बाल, शरीरांग एवं अपना परिधान
छू ले तो उन्हें जल-स्नान करना चाहिए। आर्यों की अप्यक्षता में शूद्र लोग भोजन बना सकते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र
का कहना है कि शूद्र पाचक को प्रति दिन या आठवें दिन या पूर्ण के दिनों में अपने बैरा, दाढ़ी एवं नाखून कटा लेने
चाहिए और सारे वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। लघु-आश्वलायन (१।१७६) के मत से पत्नी, बपू, पुत्र, शिष्य
वडी अवस्था के सम्बन्धी, आचार्य भोजन बना सकते हैं। नारायण (अपरकं, पृ० ५००) के मत से द्विजातियों को
अपनी जाति वाली पत्नी भोजन परोस सकती है।

आदर्श तो यह था कि कोई बृहस्पति किसी के यहाँ मयासम्भव भोजन न करे, किन्तु दोगाहित व्यक्ति द्वारा निम-
न्त्रित होने पर भोजन करना ही चाहिए (गीतम १७।८, मनु ३।१०४, याज्ञवल्क्य १।१।१२)। मनु (३।१०४) के मत
से जो व्यक्ति सदा दूसरों के अन्न पर ही जीवित रहना चाहता है वह मृत्यु के उपरान्त भोजन देनेवाले के यहाँ पनु-
रूप में जन्म पाता है।

मद्यपान—ऋग्वेद में सोम एवं सुरा में अन्तर बताया है। सोम मदमत्त करने वाला पेय पदार्थ था और इतका
प्रयोग केवल देवगण एवं पुरोहित लोग कर सकते थे, किन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोई भी कर सकता था, और वह
बहुधा देवताओं को समर्पित नहीं होती थी। ऋग्वेद (७।८।१।६) में वर्णित ऋषि ने वरण से प्रार्थनाकरे रावों में
कहा है कि मनुष्य स्वयं अपनी वृत्ति या शक्ति से पाप नहीं करता, प्रत्युत माग्य, सुरा, त्र्येण, जुआ एवं असावधानी
के कारण वह ऐसा करता है। सोम एवं सुरा के विषय में अन्य सन्त देवताएँ ऋग्वेद (८।२।१२, १।१।६।७, १।१९।१।१०,
१०।१०।७।९, १०।१३।४ एवं ५)। अथर्ववेद (४।३।४।६) में ऐसा आया है कि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग में घृत एवं मधु
की सीलें एवं जल की शक्ति बहती हुई सुरा मिलती हैं। ऋग्वेद (१०।१३।४) में साम-मिश्रित सुरा को सुराम
कहते हैं और इसका प्रयोग इन्द्र ने अमुर नमुनि के मुँह में किया था। अथर्ववेद में सुरा का वर्णन कई स्थानों पर हुआ
है, यथा १।४।१।३५-३६, १।५।१।२-३। बाजमनेयो संहिता (१।९।७) में भी सुरा एवं सोम का अन्तर स्पष्ट किया गया
है। ऐतरेय संहिता (२।५।१) तथा शतपथब्राह्मण (१।६।३ एवं ९।१।४) के त्वष्टा के पुत्र विस्वरूप की गाथा
आयी है। विस्वरूप के तीन मिर थे, एक से वह सोम पीता था, दूसरे से सुरा तथा तीसरे से भोजन करता था। इन्द्र
ने विस्वरूप के मिर काट डाले, इस पर त्वष्टा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सोमपत्र किया जिसमें इन्द्र को आमन्त्रित
नहीं किया। इन्द्र ने बिना निमन्त्रित हुए सारा सोम पी लिया। इतना पी लेने से इन्द्र को महान् कष्ट हुआ, अतः
देवताओं ने सौत्रामणी नामक इष्टि द्वारा उसे अच्छा किया। सौत्रामणी यज्ञ उस पुरोहित के लिए भी किया जाता था
जो अधिक सोम पी जाता था। इससे मदमत्त व्यक्ति वमन या विरेचन करता था (देखिए वात्स्यायनश्रौतसूत्र १।१।
१।४)। शतपथ ब्राह्मण (१।२।७।३।५) एवं वात्स्यायनश्रौतसूत्र (१।१।२०-२७) में सुरा बनाने की विधि बताया
गयी है। जैमिनि (३।५।१।४-१।५) में सौत्रामणी यज्ञ के विषय में बर्णन है। इस यज्ञ में कोई ब्राह्मण बुलाया जाता

था और उसे सुरा का तलछट पीना पड़ता था। शतपथ ब्राह्मण (५।५।४।२८) ने सोम को 'सत्य, समृद्धि एवं प्रकाश' तथा सुरा को 'असत्य, क्लेश एव अन्धकार' कहा है। इसी ब्राह्मण (५।५।४।२१) ने सोम एव सुरा के मिश्रण के मयानक रूप का वर्णन किया है। काठकसंहिता (१२।१२) में मनोरञ्जक वर्णन आया है, "अतः प्रोढ, सुबक, यधुरं और दशशुर सुरा पीते हैं, साध-साध प्रलाप करते हैं, मूर्खता (विचारहीनता) सचमुच अपराध है, अतः ब्राह्मण यह सौचकर कि यदि मैं पीऊँगा तो अपराध कहेगा, सुरा नहीं पीता, अतः यह क्षत्रिय के लिए है, ब्राह्मण से कहना चाहिए—यदि क्षत्रिय सुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी।" इस कथन से स्पष्ट है कि काठकसंहिता के काल में सामान्यतः ब्राह्मण लोग सुरा पीना छोड़ चुके थे। सौत्रामणी यज्ञ में सुरा का तलछट पीने के लिए भी ब्राह्मण का मिलना कठिन हो गया था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।८।१६)। ऐतरेय ब्राह्मण (३।७।४) में अग्निषेक के समय पुरोहित द्वारा राजा के हाथ में सुरापान का रखा जाना वर्णित है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) में सुरापान करने वाले को पाँच पापियों में परिगणित किया गया है। इसी उपनिषद् (५।११।५) में केकय के राजा अश्वपति ने कहा है कि उसके राज्य में मद्यपन नहीं पाये जाते।

कुछ गृहसूत्रों में एक विचित्र बात पायी जाती है—अन्वष्टका के दिन जब पुरुष पितरो को पिण्ड दिया जाता है तो माता, पितामही (दादी) एव प्रपितामही को पिण्डदान के साथ सुरा भी दी जाती है। उदाहरणार्थ, आप्त-लायनगृहसूत्र (२।५।५) में आया है—“पितरो की पत्नियों को सुरा दी जाती है और पके हुए चावल का अवशेष भी।” यही बात पारस्करगृहसूत्र (३।३) में भी पायी जाती है। काठकगृहसूत्र (६।५।७-८) में आया है कि अन्वष्टका में नारी पितरो के पिण्डों पर चमस से सुरा छिड़की जानी चाहिए और वे पिण्ड नोकरों या निपादों द्वारा खाये जाने चाहिए, या उन्हें पानी या अग्नि में फेंक देना चाहिए या ब्राह्मणों को खाने के लिए दे देना चाहिए। इस विचित्र बात का कारण बताना कठिन है। यदि अनुमान द्वारा कारण बताया जा सके तो कहा जा सकता है कि (१) उन दिनों नारियाँ सुरापान किया करती थीं (सम्भवतः लुक-छिपकर), या (२) गृहसूत्रों के काल में अन्त-जर्तीय विवाह चलते थे और घरमें क्षत्रिय एक वंश्य पत्नियों सुरापान किया करती थीं। मनु (१।१।९५) ने ब्राह्मणों के लिए सुरापान वर्जित माना है, किन्तु कुल्लूक का कथन है कि कुछ टीकाकारों के मत से यह प्रतिबन्ध नारियों पर लागू नहीं होता था। गृहसूत्रों की दृष्टि में उपर्युक्त छूट के लिए जो भी कारण रहे हो, किन्तु यह बात काठक-संहिता एव ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए ही नहीं प्रत्युत एकमत से धर्मसूत्रों एव स्मृतियों के लिए पूर्णरूपेण अमान्य रही है।

गौतम (२।२५), आप्तस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।७।२१), मनु (१।१।९४) ने एक स्वर से ब्राह्मणों के लिए सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को वर्जित जाना है। सुरा या मद्य का पान एक महापातक कहा गया है (आप्तस्तम्बधर्मसूत्र १।७।२।१८, वसिष्ठधर्मसूत्र १।२०, विष्णुधर्मसूत्र १।५।१, मनु १।१।५४, याज्ञवल्क्य ३।२२७)। यह सब होते हुए भी वीधायनधर्मसूत्र (१।२।४) ने लिखा है कि उत्तर के ब्राह्मणों के व्यवहार में लाम्यी जाने वाली विचित्र पाँच वस्तुओं में सीधु (आसव) भी है। इस धर्मसूत्र ने उन सभी विलक्षण पाँचों वस्तुओं की वर्णना की है। मनु (१।१।९३-९४) भी ये बातें निबन्धों एव टीकाकारों ने उद्धृत की हैं—“सुरा मोजन वा मल है, और पाप ही मल कहते हैं, अतः ब्राह्मणों, राजान्यों (क्षत्रियों) एव वंश्यों को चाहिए कि वे सुरा का पान न करें। सुरा तीन प्रकार की होती है—गूढ वाली, आटे वाली तथा मधूक (महुआ) के फूलों वाली (गौडी, पंटी एव माध्वी), इनमें किसी को भी ब्राह्मण न पिये।”^१ महामारत (उद्योगपर्व ५।५।५) में वामुदैव एव अर्जुन मदिरा पीकर मत्त हुए

कहे गये हैं। यह मदिरा मधु से बनी थी। तन्त्रवातिक (पृ० २०९-२१०) ने लिखा है कि क्षत्रियो को यह वजित नहीं थी अतः वासुदेव एक अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते पापी नहीं हुए। मनु (११।१३-१४) एवं गोतम (२।२५) ने ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की मुरा वजित मानी है, विन्तु क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए केवल पौष्टी वजित है। दूधो के लिए मद्यपान वजित नहीं था, यद्यपि बृद्ध-हारीत (१।२७७-२७८) ने लिखा है कि कुछ लोगों के मत से सत्-दूधो को मुरापान नहीं करना चाहिए। मनु की बात करते हुए बृद्ध हारीत ने कहा है कि झूठ बोलने, मांस मद्यपन करने, मद्यपान करने, चोरी करने या दूसरे की पत्नी चुराने से दूध मी पतित हो जाता है। प्रत्येक वर्ष के ब्रह्मचारी को मुरापान से दूर रहना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।२।२३, मनु २।१।७७ एवं याज्ञवल्क्य १।३३)। याज्ञवल्क्य (१।३३) की टीका में विद्वत्स्वरूप ने बरत शाखा की बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब स्वतंत्रवैतु को किलास नामक धर्मरोग हो गया तो अश्विनो ने उससे मधु (साहद या आसव) एवं मांस औषध के रूप में खाने को कहा। जब स्वतंत्रवैतु ने यह कहा कि वह ब्रह्मचारी के रूप में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता, तो अश्विनो ने कहा कि मनुष्य को रोग एवं मृत्यु से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीकर ही तो वह पुण्यकारी कार्य कर सकता है। अपराकं (पृ० ६३) ने ब्रह्मपुराण का हवाला देते हुए लिखा है कि कलिमुग्ध भ नरमेघ, अरघमेघ, मद्यपान तीनों उच्च वर्षों के लिए वजित हैं और ब्राह्मणो के लिए तो सभी युगो में। विन्तु यह उक्ति ऐतिहासिक तथ्यो एवं परम्पराओं के विरोध में पड़ती है। महाभारत (आदिपर्व ७६।७७) ने शुक, उनकी पुत्री देवयानी एवं लिप्य वृच की गाथा कही है और लिखा है कि शुक ने सबसे पहले ब्राह्मणो के लिए मुरापान वजित माना और व्यवस्था दी कि उसने उपरान्त मुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या का अपराधी माना जायगा। भोशल्लपर्व (१।२९-३०) में आया है कि बलराम ने उस दिन से जब कि यादवो के सर्वनाश के लिए मूसल उत्पन्न किया गया, मुरापान वजित छुट दिया और आज्ञा दी कि इस अनुपासन का फलन न करने से लोग धूली पर चढ़ा दिये जायेंगे। शान्तिपर्व (१।१०।२९) ने लिखा है कि जन्म काल से ही जो मधु, मांस एवं मदिरा के सेवन से दूर रहता है वह चंडिनादयो पर विजय प्राप्त करता है। शान्तिपर्व (३।४।२०) ने यह भी लिखा है कि यदि कोई मय या अन्नान से मुरापान करता है तो उसे पुनः उपनयन करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२।२।८३-८५) के अनुसार ब्राह्मणो के लिए वजित मद्य १० प्रकार की हैं—मापूक (महुआ वाली), ऐक्षव (ईस वाली), टाक (टक या भणित्य फल वाली), बौल (बोल या बदर या उम्राव नामक बेर वाली), साभूर (खजूर वाली), पानस (कटहर वाली), अगूरी, माध्वी (मधु वाली), मंरेय (एक पोप के फूलो वाली) एवं नारिकेलज (नारिकेल वाली)। विन्तु ये दसो क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए वजित नहीं है। मुरा नामक मदिरा चावल के आटे से बनती थी।

मनु (१।८०) एवं याज्ञवल्क्य (१।७३) के मतानुसार मद्यपान करने वाली पत्नी (चाहे वह घूट ही क्या न हो और ब्राह्मण को ही क्या न म्याही गयी हो) त्याग्य है। मिताक्षरा ने उपयुक्त यामिबल्क्य के बचन की टीका में पराशर (१०।२६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली स्त्री के पति का अर्थ सतीर बडे मारी पाप का भागी होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२।१।१) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण-पत्नी मुरापान

च माध्वी च वितेया त्रिविधा मुरा। ययंवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमः॥ मनु (१।१।३-१४)। सर्वस नारायण ने माध्वी की व्याख्या तीन प्रकार से की है—माध्वी ब्राह्मणसकृतेति केचित्। मधुकुण्डलेण मधुना वा कृता माध्वी।

१३. पतयमं शरीरस्य यस्य भार्वा मुरा पिबेत्। पतितार्थशरीरस्य निष्कृतिर्न विधीयते॥ वसिष्ठ २।१।५
एव पराशर १०।२६।

करती है तो वह अपने मति के लोक (मृत्यूपरान्त) को नहीं प्राप्त कर सकती, वह इसी लोक में जोक एव सीपी-बोंघा बनकर जल में धूमती रहती है। याज्ञवल्क्य (३।२५६) ने कहा है कि सुरापान करने वाली पत्नी अपने आगे के जन्मों में इस ससार में कुनिया, चील या सूअर होती है।

याज्ञवल्क्य (१।१४०) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि मद्य या सुरा बेचने वाले को चाहिए कि वह अपनी दूकान के आगे एक झडा गाड दे कि लोग उसे जान सकें, उसकी दूकान ग्राम के मध्य में होनी चाहिए, उसे चाहिए कि वह अन्त्यजों को, आपत्काल को छोडकर अन्य समयों में, सुरा न बेचे।

मेगस्थनीज (पृ० ६९) एव स्ट्रैबो (१५।१।५३) ने लिखा है कि यज्ञों के कालों को छोडकर भारतीय कभी भी सुरापान नहीं करते (चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व)। गौतम (२३।१), मनु (१।१।९०-९१) एव याज्ञवल्क्य (३।२५३) ने लिखा है कि यदि कोई जान-बूझकर और बहुधा सुरा (=पंटी) पीता है तो वह मुख में खौलती हुई सुरा या जल या घृत या गाय का मूत्र या दूध डलवाकर मर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है। अज्ञान में सुरा पी लेने पर कुछ प्रायश्चित्त से ही पवित्र हुआ जा सकता है (वसिष्ठधर्मसूत्र २०।१९, मनु १।१।४६, याज्ञवल्क्य ३।२५५)। अपराकां (पृ० १०७०) ने कुमार की स्मृति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पांच वर्ष की अवस्था वाले बच्चे के लिए सुरापान करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु उसके ऊपर एव उपनयन के पूर्व सुरापान करने पर उसके माता-पिता, अन्य सम्बन्धी एव मित्र को तीन कृच्छ्रों का प्रायश्चित्त करना पडता है।

मनु (७।४७-५२) ने राजाओं के अवगुणों में दस को आनन्द—काम से उत्पन्न तथा आठ को क्रोध से उत्पन्न माना है और इन अवगुणों में आनन्द के लिए सुरापान, जुआ, नारियो एव मृगया को निकृष्ट माना है, किन्तु सुरापान को तो सबसे निकृष्ट दोष गिना है। यही बात कौटिल्य (८।३) में भी पायी जाती है। गौतम (१२।३८) एव याज्ञवल्क्य (२।४७) ने घोषित किया है कि यद्यपि सन्तातो को पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहिए और ऐसा करना उनका पावन कार्य है, किन्तु पितरों द्वारा सुरापान के लिए किये गये ऋण को अदा करना उनका कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण के वर्जित पेशों (व्यवसायों) में सुरा-व्यापार भी है (मनु १०।८९ एव याज्ञवल्क्य ३।२७)।

भोजन के उपरान्त के कृत्य

अब हम पुनः भोजन के विषय की चर्चा में लग जायें। दिन के भोजन (मय्याह्नकाल के भोजन) के उपरान्त नान्मूल या मूखवास लाया जाता था। प्राचीन काल में भी लोग धूर्जा-धक्कड (धूमपान) करते थे, जो सुगन्धित जड़ी-बूटियों से (आजकल के तम्बाकू से नहीं) निर्मित पदार्थों से होता था। कादम्बरी में षाण ने लिखा है कि राजा शूद्रक दिन के भोजन के उपरान्त सुगन्धित बूटियों का धूमपान करके ताम्बूल का चर्वण करता था। धरकसहिता (मूत्रस्थान, अध्याय ५) में आया है कि आठ अंगुल लड़े एव अँगूठे-जैसे मोटे, खोलले पदार्थ में चन्दन, जातीफल, इलायची तथा अन्य बूटियाँ एव मसाले भरकर सुखा दिया जाता था और अन्त में खोलले पदार्थ से निकालकर सूजी हुई वस्तु का धूमपान होता था। इस विषय का विस्तार देखिए, इण्डियन ऐन्टीक्वेरी (जिल्द ४०, पृ० ३७-४०)।

विष्णुपुराण (३।१।१।९४) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। दश (२।६८-६९) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त चुपचाप आराम करना चाहिए, जिससे कि भोजन पच जाय। इतिहास एव पुराणों का ध्वण दिन के छठे एव सातवें भाग तक करके आठवें भाग में गृहस्थ को धर-गृहस्थी बन या सासारिक कार्य देवना चाहिए और इस प्रकार सन्ध्या आने पर सन्ध्या-चन्दन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१।१३-११४) के मत से सन्ध्या होने तक का समय शिष्ट लोगों एव प्रिय सबधियों की सगति में बिताना चाहिए। इसके उपरान्त सन्ध्या-चन्दन करके, तीनों पवित्र (वैदिक) अग्नियों में आहुतियाँ देकर या गृह्य अग्नि में हवन करके

गृहस्थ को चाहिए कि वह अतिथि को (यदि वह आया हो तो) खिलाये और फिर बच्चों एक नौकरो से फिरकर स्वयं भोजन करे, किन्तु अधिक न खाय और फिर सो जाय। दश (२।७।७।७।१) का कहना है कि सन्ध्या होने के उपरान्त (गृहस्थ को) होम करना चाहिए, तब खाना चाहिए, घर-गृहस्थी के अन्य कार्य करने चाहिए, इसके उपरान्त वेद का कुछ अंश दुहराना चाहिए और दो प्रहरों (६ घंटों) तक सोना चाहिए, गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले के पढ़े हुए वेद को प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में अवश्य दुहराये।

निद्रा

गीतम (२।१३ एवं १।१०), मनु (४।५७, १७५-१७६), याज्ञवल्क्य (१।१३६), विष्णुपुराण (३।११।१०७-१०९) आदि तथा निबन्धों में सोने के विषय में (यथा तिर कहीं रहे, शय्या कैसी रहे, कहीं सोया जाय, कौन सा वेदांग पढ़ा जाय आदि) बहुत-से नियम बतलाये हैं। हम यहाँ विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७०) का वर्णन उपस्थित करते हैं—“मीमे पँर नहीं सोना चाहिए, तिर उत्तर या पश्चिम या शरीर के अन्य अंगों से मीचे न रहे, नग्न नहीं सोना चाहिए, छत की धरन की लम्बाई के मीचे नहीं सोना चाहिए, खुले स्थान में नहीं सोना चाहिए, पलाश वृक्ष की बनी छाट पर नहीं सोना चाहिए और न पच प्रकार की लकड़ियों (उदुम्बर-गूलर, बट, अश्वत्थ-नीपल, फल एवं जम्बू) से बनी छाट पर ही सोना चाहिए, हाथी द्वारा तोड़े गये पेड़ की लकड़ी एवं बिजली से जली हुई लकड़ी के पर्यंक पर भी नहीं सोना चाहिए, टूटी छाट पर भी नहीं सोना चाहिए, जली छाट तथा घट्टे से सीचे गये पेड़ की छाट पर भी नहीं सोना चाहिए। स्मरान या कन्नगाह में, जिस घर में कोई न रहता हो उसमें, मंदिर में, दुष्ट लोगों की सगति में, नारियों के मध्य में, अनाज पर, गौशाला में बड़े लोगों (बुजुर्गों) की छाट पर, अग्नि पर, मूर्ति पर, भोजनोपरान्त बिना मूँह एवं हाथ धोये, दिन में, सायबाल, राख पर, गन्दे स्थान पर, मीमे स्थान पर और पर्वत पर नहीं सोना चाहिए। अन्य विस्तृत वर्णन के लिए दैसिए स्मृत्यंसार (पृ० ७०), गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३९७-३९९), स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक, पृ० ४५३-४५८), आह्निकप्रकाश (पृ० ५५६-५५८) आदि। दो-एक बातें निम्नोक्त हैं। स्मृत्यंसार के अनुसार सोनेके पूर्व अपने प्रिय देवता को माया नवाना चाहिए और सोते समय पास में बाँस का डण्डा रखना चाहिए। स्मृतिरत्न ने लिखा है कि आँस के रोगी, बोड़ी तथा उनके साथ जो यक्ष्मा, दमा, खाँसी या ज्वर से आत्रान्त हो या उन्हें मृगी आती हो उनके साथ एक ही विस्तार पर नहीं सोना चाहिए। रत्नावली (स्मृतिमुक्ताफल, आह्निक, पृ० ४५७ में उद्धृत) के अनुसार शय्या के पास में जलपूर्ण घडा होना चाहिए, वैदिक मन्त्र बोलने चाहिए, जिससे कि विष से रक्षा हो, रात्रि-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, पनघोर सोनेवाले पाँच महापुण्यों, यथा—अग्ररि, माघव, मुचवुन्द, वपिल एवं आस्तौव के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करने के तब सोना चाहिए। वृद्ध-शरीर (८।३०९-३२०) ने लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, विधवा को छाट पर न सोकर पृथिवी पर मृगचर्म, बम्बल या कुस विछावर सोना चाहिए।

श्री-प्रसंग—रात्रि में सोने के विषय में चर्चा करते समय स्मृतियों एवं निबन्धों में पति-पत्नी के सम्बन्ध में प्रभूत चर्चा कर रही है। सम्भोग में उचित बालों के विषय में हमने कुछ नियमों की चर्चा पहले भी कर दी है (अध्याय ६, गर्भधान)। गीतम (५।१-२ एवं १।२८-२९) और आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।१६-२३) का कहना है कि गृहस्थ को उचित दिनों में, या वज्रित दिनों को छोड़कर कभी भी, या जब पत्नी की इच्छा हो, उसके पास जाना चाहिए; दिन में या जब पत्नी बीमार हो, सम्भोग नहीं करना चाहिए, जब पत्नी श्रुतमती हो तब उसके दूर रहना चाहिए, यहाँ तक कि आश्लिग्न भी नहीं करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।१९), बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।२४) एवं याज्ञवल्क्य (१।८१) ने इन्द्र द्वारा रित्रियों को दिये गये एवं वरदान की कथा लिखी है जो तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१)

मे वर्णित है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार डाला तो सभी लोगों ने उसे 'ब्रह्महा' (ब्राह्मण की हत्या करने वाला) कहना आरम्भ कर दिया। इन्द्र अपने पाप (ब्रह्महत्या के पाप) को बौटने के लिए मायीशरो को सम्पूर्ण विश्व में खोजने लगा। उसके पाप का एक तिहाई भाग पृथिवी ने लिया। उसे वरदान मिला कि यदि उसमें कहीं गड़वा हो जाय तो वह वर्ष के भीतर मर जायगा, एक तिहाई वृक्षों ने लिया। उन्हें वरदान मिला कि जब वे काट, तोड़ या छांट लिये जायें तो पुन अकुरित हो उठेंगे। उनमें से जो साव निकलता है वह ब्रह्महत्या का ही भाग है, अतः साव या धाग नहीं खाना चाहिए। एक-तिहाई भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया और उन्हें वरदान मिला कि वे मासिक धर्म के प्रथम सोल्ह दिनों में ही गर्भ धारण करेंगी, और बच्चा उत्पन्न होने तक वे सभोग कर सकती हैं, स्त्रियों में ब्रह्महत्या प्रति मास रजोधर्म के रूप में प्रकट होती है। विष्णुधर्मसूत्र (६९) ने सभी नियम एक साथ दिये हैं, जिनमें कुछ ये हैं—श्राद्ध में निमग्नित होने, श्राद्ध भोजन करने, श्राद्ध भोजन खिलाने या सोम-यज्ञ के आरम्भिक कृत्य कर चुकने पर मैयुन नहीं करना चाहिए, मदिर, श्मशान, लाली मकान, वृक्ष की जड़ (आड) एवं दिन या सायंकाल में सभोग नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं, अपने से बड़ी अवस्था वाली नारी, गर्भवती या अधिक या कम अर्धों वाली नारी के साथ भी सभोग नहीं करना चाहिए (देखिए विष्णुपुराण ३।१।१।१०-१२३)। उपर्युक्त नियमों में बहुत से प्रजनन विषयक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, इनमें कुछ तो धार्मिक एवं अल्पविश्वासपूर्ण हैं। गौतम (१।२६), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।२१-२३ एवं २।१।२।१), मनु (४।४ एवं ५।१।४) के कथनानुसार सभोग के उपरान्त पति-पत्नी को स्नान करना चाहिए या कम-से-कम हाथ मुँह धोकर तथा आभयन करके शरीर पर जल छिड़ककर पृथक्-पृथक् बिस्तारों पर सोना चाहिए। अन्य लेखकों ने विभिन्न नियम एवं मत उद्धृत किये हैं।

रजस्वला-धर्म

तैत्तिरीयसंहिता के काल से ही रजस्वला नारी, उसके पति तथा अन्य लोगों के धर्मों के विषय में नियम आदि की चर्चा होती आयी है। तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) में आया है—“रजस्वला नारी (जो गन्दी रहती है) से न तो बोलना चाहिए, न उम्बने पास बैठना चाहिए और न उसका दिया हुआ कुछ खाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्महत्या के रंग से युक्त है (देखिए इन्द्र की ऊपर वाली कथा), लोगों का कहना है कि रजस्वला नारी का भोजन अम्यञ्जन (सभोग-मल) है अतः उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।०।१) में आया है कि यदि यज्ञ करने के पूर्व पत्नी ऋतुमती (रजस्वला) हो जाय तो आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। किन्तु यदि याज्ञिक अपनी रजस्वला पत्नी को बही अलग या दूसरे घर में रखकर यज्ञ करता है तो पूर्ण फल मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता ने इस संबंध में १३ नियम दिये हैं और ब्रह्म है कि उनमें उल्लंघन से बुरे फलों की प्राप्ति होती है। वे नियम ये हैं— (रजस्वला के साथ) मैयुन नहीं होना चाहिए, स्नानोपरांत वन में मैयुन नहीं होना चाहिए, स्नानोपरांत भी पत्नी के मूत्र के विरुद्ध मैयुन नहीं होना चाहिए, रजस्वला को प्रथम तीन दिनों तक स्नान नहीं करना चाहिए, तेल भी उन दिनों नहीं लगाना चाहिए, कधी नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं लगाना चाहिए, दन्तधावन नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं नादना चाहिए, न तो रस्सी बटना चाहिए और न सूत कातना चाहिए, पलाशपत्र के पत्र (मौण=दोना) में पानी नहीं पीना चाहिए और न अग्नि में पके (मिट्टी के) बरतत में ही जल ग्रहण करना चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन से क्रम से निम्नलिखित फल मिलते हैं, उसका उत्पन्न पुत्र भयानक अपराध के सन्देह में पकड़ा जाता है, चार, लज्जालु जल में डूबकर मर जानेवाला, चर्मरोगी, खल्वाट शोषडी वाला, दुर्बल, टेढ़ी आँस वाला काले दाँत का श, असुन्दर नाखूनो वाला, नपुंसक, आत्महत्यारा, पागल या बीना हो जाता है। तैत्तिरीयसंहिता ने लिखा है कि नियमों का पालन तीन रात्रियों तक होता है, उस समय रजस्वला अत्रि से पानी पीती है या ऐसे पात्र में जो अग्नि में

पकाया हुआ नहीं हो। बृहदारण्योक्तनिबद्ध (५।४।२३) में आया है कि विवाहाहत नारी को रजस्वला होने पर कसि के पात्र में जल न ग्रहण करना चाहिए, उसे अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए, झूट नारी या पुत्र्य उसे न छूए, तीन रात्रियों के उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए और तब उसे चावल साफ करने का काम या धान भूटने का काम करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों (यथा—आपस्तम्बगृह्यसूत्र ८।१२, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र १।२४।७, भारद्वाजगृह्यसूत्र १।२०, शौचायनगृह्यसूत्र १।७।२२-२६, शौचायनधर्मसूत्र १।५।१३९) ने तीतिरीयसंहिता में नियमों का हवाला दिया है। वसिष्ठ-धर्मसूत्र (५।७-९) में इन्द्र एव उसके बरदान की गाथा का उल्लेख किया है और रजस्वला के धर्मों की चर्चा की है। इसमें बहुत-से नियम उपर्युक्त नियमों से समान ही हैं, कुछ विशिष्ट ये हैं—रजस्वला को पृथिवी पर सोना चाहिए, उसके लिए दिन में सोना, मांस खाना, ग्रहों की ओर देखना और हँसना बजित है। लघु-हारीत (३८) के अनुसार रजस्वला को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए। वृद्ध-हारीत (११।२।१०-११) ने भी यही लिखा है और जोड़ा है कि विषया रजस्वला को तीन दिन व्रत तथा मुहागिनी रजस्वला को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। रजस्वला नारियाँ भी एक-दूसरी को स्पर्श नहीं कर सकती थीं। विष्णुधर्मसूत्र (२।२।७३-७४) के मत से यदि रजस्वला नारी अपने से निम्न जाति की रजस्वला नारी को छू ले तो उसे तब तक उपवास करना चाहिए जब तक चौथे दिन का स्नान न हो जाय, यदि वह अपनी ही जाति वाली या अपने से उच्च वर्ण की रजस्वला नारी को छू लेती है तो उसे स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। अन्य नियमों के लिए देखिए अगिरा (४८, यहाँ पचमण्य की व्यवस्था है), अत्रि (२७९-२८३), आपस्तम्ब (पद्य, ७।२०-२२), बृहद्-यजु (३।६४-६८) एव पराशर (७।११-१५)। यदि रजस्वला को चाण्डाल या कोई अत्यज या कुत्ता या बौआ छू ले तो उसे चौथे दिन स्नानोपरान्त ही भोजन करना चाहिए (अगिरा ४७, अत्रि २७७-२७९ एव आपस्तम्ब ७।५-८)। यदि ज्वररक्त अवस्था में नारी रजस्वला हो जाय तो उसे पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे स्पर्श बरके दूसरी नारी वस्त्रसहित स्नान करे और यह कृत्य (स्नान) प्रत्येक बार आचमन करने दस बार करना चाहिए। ऐसा करने में उपरान्त बौमार नारी या वस्त्र बदल दिया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि दिया जाता है, तब नही पवित्रता प्राप्त होती है (मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य ३।२० की टीका में उद्धृत जगना, और देखिए अगिरा २२-२३)। यही कृत्य यदि योगी पुत्र्य रजस्वला को छू ले तो उसने लिए किया जाता है। इस विषय में एक स्वरुप पुराण शास्त्र से दस बार स्नान करता है (अगिरा २१, पराशर ७।१९-२, मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य ३।२० की टीका में उद्धृत)। यदि रजस्वला मर जाय तो उसका पच पचमण्य से नहलाया जाना चाहिए तथा उसे अन्य वस्त्र से ढककर ही जलाना चाहिए। विन्दु अगिरा (४२) ने लिखा है कि तीन दिनों के बाद ही शव को नहलाकर जलाना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।२०) ने लिखा है कि यदि मास में ठीक समय में ऋतुमती होनेवाली नारी १७ दिनों के भीतर ही ऋतुमती (रजस्वला) हो जाय तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती, विन्दु १८वें दिन पर वह एक दिन में, १९वें दिन पर दो दिनों में तथा उसके बाद के दिनों पर तीन दिनों में ही पवित्रता प्राप्त करती है (देखिए अगिरा ४३, आपस्तम्ब, पद्य ७।२, पराशर ७।१६-१७)।

राजा के धर्म

अब तक हमने सामारण मनुष्यों (विशेषतः ब्राह्मणों) के आर्हिक धर्मों की चर्चा की है। राजा के आर्हिक धर्मों (धर्मों) के विषय में मनु (७।१।४५-४५७, १।५।१-१५४, २।१९-२२६), याज्ञवल्क्य (१।३।२७-३३३) एव शौटिल्य (१।१।९) ने प्रमूत चर्चा की है। शौटिल्य ने रात और दिन दोनों को पृथक्-पृथक् आठ भागों में बाँटा है और लिखा है कि दिन के प्रथम भाग में राजा को अपनी सुरक्षा के लिए उपचार आदि करना चाहिए एव आय-व्यय

का म्यौरा देखना चाहिए, दूसरे भाग में नगर एवं ग्राम के लोगों ने शय्यो का निपटारा करना चाहिए, तीसरे भाग में स्नान, वेदाध्ययन या वेदपाठ एवं भोजन करना चाहिए, चौथे भाग में सोने के रूप में कर लेना तथा अश्वघो का नियुक्ति करनी चाहिए, पाँचवें भाग में मन्त्रि-परिषद् से वार्ता या लिखा-पढ़ी करना तथा गुप्तचरो द्वारा प्राप्त समाचार सुनना चाहिए, छठे भाग में उसे क्रीडा-कौतुक आदि से लगना तथा राजकीय कार्यों पर विचार-विमर्श करना चाहिए, सातवें में उसे हाथियो, घोडो, रथो एवं सैनिको का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा आठवें भाग में राजा को अपने प्रधान सेनापति के साथ आक्रमण करने की योजनाओ पर विचार विमर्श करना चाहिए। दिवसावसान पर राजा को सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए। रात्रि के प्रथम भाग में उसे गुप्त दूतों से भेट करनी चाहिए, दूसरे भाग में वह स्नान कर सकता है, पाठ दुहरा सकता है एवं भोजन कर सकता है, तीसरे भाग में उसे दुन्दुभि एवं नगाडो की धुन मे पर्यंक पर पड जाना चाहिए और चौथे एवं पाँचवें भाग तक सोना चाहिए। छठे भाग में उसे वाद्ययन्त्रो की धुन के साथ जग जाना चाहिए, सातवें में लिखित अनुशासनों का ध्यान करना चाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित करने की विधि पर सुविचारणा करनी चाहिए, आठवें भाग में उसे निर्णय करना चाहिए एवं गुप्त दूतों को बाहर भेजना चाहिए, तथा आठवें भाग में उसे यज्ञ कराने वाले आचार्यों एवं पुरोहितो के साथ आशीर्वचन ग्रहण करना चाहिए तथा अपने मंत्र, प्रधान पाचक एवं ज्योतिषी को देखना चाहिए। इसके उपरान्त बछडे सहित गाय एवं बैल की प्रदक्षिणा कर उसे राज्यसभा मे जाना चाहिए। राजा अपनी योग्यता के अनुसार रात एवं दिन को (अपने मन के अनुसार) विमार्शित कर सकता है। अन्य स्मृतिकारो के मतों मे यज्ञ-तन्त्र कुछ अंतर पाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।३२७-३३३) ने कौटिल्य की तालिका को संक्षिप्त रूप मे मान लिया है। मनुस्मृति मे श्री कौटिल्य द्वारा उपस्थित समय-तालिका एवं राजवर्तव्य का म्यौरा पाया जाता है, और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण बात नहीं जोड़ी गयी है। दशकुमारचरित (उच्छ्वास ८) के लेखक ने कौटिल्य की तालिका ज्यो-नी-न्यो मान ली है। उसमे वर्णित विदूषक विहारमद्र द्वारा कौटिल्य के प्रति उपस्थापित हास्य अवलोकनीय है।

अन्य वर्णों के धर्म

स्मृतियो मे वैश्यो एवं शूद्रो के लिए कोई विशिष्ट आह्निक कर्तव्य नहीं रखे गये हैं। ब्राह्मणो के लिए रखे गये नियमो के अनुसार उन्हें अपने को अभियोजित करना पडता था। वैश्य भी द्विजातियों में आते हैं, वे केवल पुरोहित्य वेदाध्यापन एवं दान-ग्रहण के कार्यों को छोडकर अन्य सभी ब्राह्मण-धर्मों मे अनुसार चल सकते थे। शूद्रो के विशेषा-चिचारो एवं उनकी अयोग्यताओ या सीमाओ के विषय मे देखिए इस भाग का तीसरा अध्याय।

अध्याय २३

उपाकर्म या उपाकरण एवं उत्सर्जन या उत्सर्ग

उपाकर्म या उपाकरण का तात्पर्य है 'उद्घाटन करना या प्रारम्भ करना' (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१४२) तथा उत्सर्जन या उत्सर्ग (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।५।१३) का अर्थ है 'वर्ष में कुछ बाल के लिए वेदाध्ययन से विराम। किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।११२) ने 'उत्सर्जन' के स्थान पर 'समापन' का प्रयोग किया है। अति प्राचीन काल में ये दोनों कृत्य विभिन्न मासों एवं विभिन्न तिथियों में सम्पादित होते थे, किन्तु वेदाध्ययन के ह्रास के कारण मध्यकाल में एक ही दिन सम्पादित होने लगे। बहुतेरे सूत्रों में उपाकर्म को अध्यायोपाकरण (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।५।१) या अध्यायोपाकर्म (पारस्करगृह्यसूत्र २।१०, वसिष्ठधर्मसूत्र १३।१) कहा गया है। अतः यहाँ पर 'अध्याय' का अर्थ है 'वेदाध्ययन' या केवल 'वेद', क्योंकि इसमें वेद का अध्ययन (विशिष्ट रूप में) होता है। अतः वह कृत्य जो वर्ष में वेदाध्ययन के आरम्भ-काल में होता है, उपाकर्म कहलाता है। गौतम (१६।१) में उपाकर्म के कृत्य को 'वापिन' सम्भवतः इसीलिए कहा गया है कि यह या तो वर्षा (वर्षाकाल) में आरम्भ होता था या यह वर्ष में एक बार होता था। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।१९) ने भी इस कृत्य को वापिन कहा है।

उपाकर्म

काल एवं तिथि—सूत्रों में उपाकर्म का काल कई ढंगों से व्यक्त किया गया है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।२-३) का कहना है—“जब ओषधियाँ (वनस्पतियाँ) उपज जाती हैं, श्रावण मास के श्रवण एवं चन्द्र के मित्र में (अर्थात् पूर्णमासी को) या हस्त नक्षत्र में श्रावण की पंचमी को (उपाकर्म होता है)।” पारस्करगु० (२।१०) के अनुसार ओषधियाँ के निकल आने पर श्रावण की पूर्णमासी को या श्रावण की पंचमी को हस्त नक्षत्र में उपाकर्म होना चाहिए। गौतम (१६।१) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१३।१) के अनुसार उपाकर्म श्रावण या भाद्रपद की पूर्णमासी को सम्पादित होना चाहिए। छान्दोग्यगु० (३।२।१४-१५) एवं गौतम (३।३।१ एवं १३) के अनुसार यह भाद्रपद की

१. 'अध्ययनसम्प्राप्तत्सोपाकरणं प्रारम्भो वेदं धर्मणा तदध्यायोपाकरणम्'—नारायण (आश्वलायन-गृह्यसूत्र ३।५।१); 'अधीयन्ते इत्यध्यायाः वेदास्तेषामुपाकर्मं उरुक्रमेणोपधीर्ना प्रादुर्भवि'—मिताक्षरा (याज्ञ० १।१४२)।
२. ओषधीर्ना प्रादुर्भवति श्रवणेन श्रावणस्य। पञ्चम्यां हस्तेन वा। आश्व० गु० ३।५।१-२, ओषधीर्ना प्रादुर्भवति श्रवणेन श्रावण्यां पूर्णमास्यां श्रावणस्य पञ्चम्यां हस्तेन वा। पारस्करगु० २।१०; प्रौष्ठपदीं हस्ते वाभ्यामा-नृपाहुयं। श्रावणोमित्येके। छान्दोग्यगु० ३।२।१४-१५; प्रौष्ठपदीं हस्तेनोपाकरणम्।...श्रवणामेक उपाहृत्यंतया सावित्रात्साल कालेन्ये। शोभिलगु० ३।३।१ एवं १३; अथातः स्वाध्यायोपाकर्मं धारण्यां पीनमास्यां प्रौष्ठपदां वा। वसिष्ठ १३।१; हुतानुकृतिस्वाकर्मं। श्रावण्यां पूर्णमास्यां क्रियेतापि वा आपाद्दाम्। शौ० गु० ३।१।१-२; श्रावण-पदां ओषधीषु जातासु हस्तेन पूर्णमास्यां स्वाध्यायोपाकर्मं। हिरण्यवेदिगु० २।१८।२।

पूर्णांमासी वा वषट्ठी को वा कुछ लोगों के मत से श्रावण की पूर्णमासी को किबा जाना चाहिए। बौधायनगु० (३।१२) के मत से उपाकर्म श्रावण या आषाढ की पूर्णमासी को सम्पादित करना चाहिए। मनु (४।९५) में उपाकर्म के लिए श्रावण या भाद्रपद की पूर्णमासी ठीक समझी है। इसी प्रकार विभिन्न मत हैं। इसी से मिताक्षरा ने अपने-अपने गृह्यसूत्र के अनुसार चलने को कहा है। सत्कारप्रकाश (पृ० ४९७-४९८), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ३२-३३), निर्णय-सिन्धु (११४-१२०) में विभिन्न तथियों का निराकरण किया है। श्रावण मास ही वेदाध्ययन के लिए क्यों चुना गया, इसका कारण बताना कठिन है। हो सकता है, वर्षा हो जाने से यह समय अपेक्षाकृत ठण्डा रहता है, ब्राह्मण लोग बहुधा इन दिनों घर पर ही रहते हैं और प्रकृति में हरियाली के कारण सौन्दर्य निरर उठता है। श्रावण मास की पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समझा जाता है ('सोम' दूसरे अर्थ में ब्राह्मणों का राजा कहा जाता है)। पूर्णमासी के अतिरिक्त हस्त नक्षत्र की शुक्ल पंचमी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण श्रावण की पूर्णमासी को श्रावणी भी कहते हैं अतः वेदाध्ययन के वार्षिक सत्र-प्रारम्भ के लिए श्रवण नक्षत्र को विशिष्ट महत्ता दी जाने लगी। वास्तव में श्रवण नक्षत्र का उपाकर्म से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। क्योंकि बहुत स मूत्रा ने उसका उल्लेख तक नहीं किया है। गोमिल एव खादिर न श्रावण की श्रावणी (पूर्णमासी) को न मानकर भाद्रपद एव हस्त नक्षत्र को उपाकर्म के लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता हैं सविता, वेदाध्ययन मायत्री मन्त्र से आरम्भ होता है, अतः वेदाध्ययन के लिए उपाकर्म का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से हो सकता है।

उपाकर्म प्रातः काल किया जाता है। यह ब्रह्मचारियों, गृहस्थों एव वानप्रस्थों द्वारा सम्पादित होता है। अध्यापकः षे शिष्यो (चाहे वे ब्रह्मचारी हो या न हो) के साथ करते हैं और अपनी गृह्याग्नि में ही होम करते हैं (पारस्करगु० २।११)। पारस्करगु० के टीकाकार बर्क के कथनानुसार यदि अध्यापक या गुरु के पास शिष्य न हा तो उसे गृह्याग्नि में उपाकर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हरिहर का कहना है कि साधारण लौकिक अग्नि में वेदाधी छात्र के साथ उपाकर्म करना प्रामाणिक नहीं है, यह केवल व्यवहार मात्र है।

विधि—आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।४-१२) में उपाकर्म की विधि यो वर्णित है—दो आज्यभागो (पूत के कुछ अंश) की आहुतियाँ देने के उपरान्त निम्नलिखित देवताओं को आज्य देना चाहिए, यथा सावित्री, ब्रह्मा, ध्रुवा, मेधा, प्रज्ञा, धारणा (स्मृति), सदसत्पति, अनुमति, छन्द एव ऋषि। इसके उपरान्त जो के आटे (सक्नु) में दही मिलाकर आहुतियाँ ऋग्वेद के मन्त्रों के साथ दी जाती हैं, वे मन्त्र हैं—१।१।१, १।१९।१।१९, २।४।३।३, ३।६।३।६, ४।५।८।११, ५।८।७।९, ६।७।५।१९, ७।१०।४।२५, ८।१०।३।१४, ९।११।४।४, १०।११।१।४। वेदाध्ययन प्रारम्भ करते समय, जब अन्य शिष्य गुरु के साथ हो सके हैं (उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं) तब उसे देवताओं के लिए हवन करना चाहिए, तदनन्तर स्वप्कृत अग्नि को आहुति देनी चाहिए और सक्नु (जो वा आटा) के साथ मिथित दही खाकर मार्जन करना चाहिए। अग्नि के पश्चिम ऐसे दर्मासन पर बैठकर जिसकी नोकें पूर्व की ओर हो, कुश-पत्रों को जलपात्र में रख देना चाहिए, इसके उपरान्त आचार्य महोदय ब्रह्माञ्जलि के रूप में हाथों को जोड़कर शिष्यों के साथ निम्न पाठ करते हैं—ओम् वे साथ तथा केवल तीनों व्याहृतिर्मा, सावित्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६।२।१०) का तीन बार पाठ तथा ऋग्वेद का प्रारम्भिक अंश (केवल एक मन्त्र या एक अनुवाक)।

अन्य गृह्यसूत्रों में मन्त्रों, देवताओं एव आहुति के पदार्थों के विषय में बहुत-से मत हैं। हम यहाँ स्पष्टानुभव के कारण मतमतान्तर में नहीं पड़ेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि विस्तार के लिए वे पारस्करगृह्यसूत्र (२।१०) का अध्ययन करें।

आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१-२) में बहुत संक्षेप में उपाकर्म का वर्णन किया है। उमका कहना है कि वेदाध्ययन प्रारम्भ एव समाप्त करने के कृत्यों के समय काण्ड (तैत्तिरीयसंहिता के भाग) के ऋषि ही देवता होते हैं, उन्हीं को

प्रमुखता दी जाती है और अंतर स्थान पर सदसस्पति की पूजा होती है। मुदरानाचार्य ने इस गृह्यसूत्र के दानो ब्रह्मों की लबी व्याख्या की है जो संधेय में यो है—सम्पूर्ण वेद (ऋषि मजुर्वेद) के अभ्यसन का प्रारम्भ (उपासना) श्रावण की पूर्णमासी को होता है, ऋषियों का तर्पण होता है, जिन्हें आद्य की नौ आहुतियाँ दी जाती हैं और नवी आहुति 'सदसस्पतिम्' (ऋग्वेद १।१८।६—आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ १।१।८) के साथ दी जाती है। किन्तु जब किसी काण्ड का प्रारम्भ होता है तो दूसरा उपासना होता है और इसके लिए भी होम किया जाता है।

धर्मशास्त्रगुरुओं ने वर्णित सीधी उपासना विधि में बहुत-से निरपेक्ष विस्तार जुड़ते थले गये। आधुनिक काल में बड़े विस्तार के साथ उपासना सम्पादित होता है। स्थानान्तरण के कारण हम यहाँ कोई विस्तार नहीं दे पा रहे हैं।

उपासना के उपरान्त गृह्यसूत्रों ने अनध्याय (छुट्टी) की व्यवस्था दी है, किन्तु अनध्याय की अवधि में विषय में मतभेद नहीं है। पारस्करगृह्यसूत्र (२।१०) ने तीन दिन-रात के लिए अनध्याय सूचित किया है और कहा है उस अवधि में बाल बनवाना एवं नाखून बटवाना वर्जित है। कुछ लोगों ने मत से उत्सर्जन तक अपर्णात्मक मन्त्र ५॥ महीने तक के लिए बाल एवं नाखून बटवाना वर्जित माना गया है। शाखायनगृह्यसूत्र (४।५।१७) एवं मनु (४।१।१९) ने उपासना एवं उत्सर्जन के उपरान्त तीन दिनों की छुट्टी (अनध्याय) की बात कही है। अन्य मतों के लिए देखिए गोमिलगृह्यसूत्र (३।३।९ एवं ११), मारुताग्रगृह्यसूत्र (३।८)।

उत्सर्जन

काल एवं तिथि—उत्सर्जन के काल के विषय में भी विभिन्न मत हैं। बौधायनगु० (१।५।१६३) ने षोडश मास की पूर्णमासी तिथि को उपयुक्त माना है। आश्वलायनगु० (३।५।१४) ने वेदाध्ययन के लिए उपासना से उत्सर्जन तक ६ मास की अवधि ठहरायी है, अतः यदि उपासना श्रावण (श्रावण की पूर्णिमा) को सम्पादित हुआ तो मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन होगा। पारस्करगु० (२।११) के मत से ५॥ या ६ मास तक वेदाध्ययन करने में गुरु एवं शिष्यों को उत्सर्जन (उत्सर्ग अर्थात् वेदाध्ययन की आवश्यक समाप्ति) करना चाहिए। इसी प्रकार गोमिलगु० (३।३।१४), ऋग्वेदगु० (३।२।२४), शाखायनगु० (४।६।११) ने क्रम से तीस (पौष) की पूर्णमासी, वही अर्थात् पौष की पूर्णिमा, मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने अपने मत दिए हैं, जिनमें बाल ५॥, ५ या ५॥, ६ या ६॥ महीनों तक बतलाया गया है। फलतः पौष या मास मास ही उत्सर्जन के लिए उपयुक्त माना गया है।

विधि—आश्वलायनगु० (३।५।१३) ने उपासना से उत्सर्जन तक की विधि का वर्णन किया है। उत्सर्जन के क्षण के स्थान पर पत्ते हुए चावल की आहुतियाँ दी जाती हैं, उसके उपरान्त स्थान तथा देवताओं, आचार्यों, ऋषिओं, पितरों (जैसा कि ब्रह्मण्य में होता है) को तर्पण किया जाता है। नारायण के मत से उपासना के समाप्त उत्सर्जन के क्षण के सत्तु में दही मिश्रित करने खाना तथा मार्जन नहीं होता है। पारस्करगु० (२।१२) ने उत्सर्जन की विधि इस प्रकार दी है—उन्हें (आचार्य एवं शिष्यों को) जल के बिनारे (नदी, तालाब आदि पर) जाना चाहिए, देवताओं, ऋग्वेदों, वेदों, ऋषियों, प्राचीन आचार्यों, गन्धर्वों, अन्य गुरुओं, विद्या के साथ वर्ष, पितरों, आचार्यों तथा उनके मृत सम्बन्धियों का तर्पण करना चाहिए। इससे उपरान्त सावित्री का धीप्रता से चार बार पाठ करने कहना चाहिए—'हमने वेदाध्ययन बन्द कर दिया। उत्सर्जन में भी उपासना की भाँति अनध्याय होता है और तदनन्तर वेदपाठ अर्थात् पठे हुए वेदमन्त्रों का दुह्यना होता है। इस विषय में अन्य मत देखिए गोमिल (३।३।१५), मनु (४।१।७) एवं शारङ्गस्वयं (१।१४४)।

कई महीनों तक वेदाध्ययन छोड़ देना सम्भवत अर्च्छा नहीं माना जाता था, अतः मनु (४।१८), वसिष्ठ-धर्मसूत्र तथा आश्विनस (पृ० ५१५) ने उत्सर्जन के उपरान्त उपाकर्म तक महीनों के शुक्ल पक्षों में वेदाध्ययन तथा कृष्ण पक्षों में या जैसी इच्छा हो, वेदांगों का अध्ययन करने की व्यवस्था दी है। क्रमशः पौष एवं माघ के उत्सर्जन कृत्य की परम्परा समाप्त हो गयी। मानवगृह्य (१।५१) की टीका में अप्पावक ने अपने समय की मत्संता की है जब कि उत्सर्जन कृत्य बन्द सा हो गया था। स्मृत्यर्थसार (पृ० ११) ने लिखा है कि उपाकर्म के पश्चात् एक वर्ष तक वेदाध्ययन करने के उपरान्त उपाकर्म के दिन उत्सर्जन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। आजकल उत्सर्जन उसी दिन सम्पादित होता है जिस दिन उपाकर्म होता है। ये दोनों श्रावणी (श्रावण की पूर्णिमा) को या श्रवण नक्षत्र में या श्रावण शुक्ल पञ्चमी को सम्पादित होते हैं, अतः इन्हे श्रावणी भी कहते हैं।

अप्रधान गृह्य तथा अन्य कृत्य

गन्धमूत्रा न वप को कुछ निश्चित विधियाँ व कुछ अन्य कृत्या का वर्णन किया है। अब इनकी बहूत-सी विधियाँ गणपन्ना नवीं ह विन्तु कुछ व अत्राप विह्व अब भी पाये जाते हैं। गौतम (८।१९) ने अपने चालीस सप्ताराम सात पात्राज-संस्था का भी वर्णन की है। इन सात पात्रयज्ञा में अष्टा पार्वण एव श्राद्ध का वर्णन हम श्राद्ध नामक अध्याय में आगे वर्णन। सात हविष्यज्ञा एव सात सौमसरयाजा का वर्णन श्रौत-सम्बन्धी टिप्पणी में किया जायगा। कुछ कृत्या का वर्णन नीचे किया जा रहा है।

पार्वण स्थालीपाक

गौतम द्वारा वर्णित सात पात्रयज्ञ-संस्थाओं में एक है पार्वण स्थालीपाक। जब कोई विवाह करके पत्नी को घर लाता है तो उस नव विवाहिता से दूध-ने माग्य पदार्थ पात्राज उन्हे देवताओं को अग्नि-होम द्वारा अर्पित करता है। पत्नी चावल बूटती है और उससे स्थालीपाक बनाती है। वह भोजन पत्राज उस पर आज्य छिड़कती है और अग्नि से उठाकर ले जाती है। तब पति उसे वैदिह दर्श-पूर्वमाग के देवताओं को चढ़ाता है और फिर सिष्यकृत अग्नि को देता है। बचे हुए भोजन को वह एक विद्वान् ब्राह्मण को देता है और उसे एक बेल दक्षिणा में देता है। उस समय ग गृहस्थ सती पूर्णिमा एव अमावस्या में दिया में ऐसा ही पत्रा भोजन अग्नि को चढ़ाता है। जो व्यक्ति तीन वैदिह अर्घियाँ नहीं पतिष्ठित करता, उसका स्थालीपाक श्वय अग्नि के लिए (आगोय) होता है। जो तीनो वैदिह अर्घियाँ स्थापित करता है उसका पूर्णिमा वाला स्थालीपाक अग्नीषोमीय एव अमावस्या वाला ऐन्द्र या महेंद्र या ऐत्राग्न कहलाता है (सावित्र्युत्सु २।२।१-३, आश्वलायनगृह्यसूत्र १।३।८ १२)। पति एव पत्नी पूर्णिमा एव अमावस्या के दिन उपवास करते हैं या केवल एक बार प्रातः काल खाते हैं। संशय में यह पार्वण स्थालीपाक है। यह विवाहोपरान्त प्रथम पूर्णिमा का शास्त्रम होत्र-पति-पत्नी के जीवन भर चलता रहता है। बेल को दक्षिणा केवल प्रथम बार ही होती है जीवन भर नहीं। विस्तार के लिए देखिए आश्वलायनसू० (१।१०), आपस्तम्बसू० (७।१-१९), सत्वातकीसुत्र (पृ० ८२२) एव सत्वातप्रश्नान (पृ० ९०४ ६)।

चैत्री

यह कृत्य चैत्र मास की पूर्णिमा को होता है। गौतम (८।१९) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि आपस्तम्ब-सू० (१९।१३) के अनुयायियों के लिए चैत्री कृत्स्न्य (ईशानबलि) के समान है। वैश्वानस (४।८) ने इसका वर्णन किया है—चैत्र की पूर्णिमा को घर स्पृष्ट एव अलकृत किया जाता है, पति-पत्नी नये वस्त्र, पुण्य आदि से अलकृत हात है अग्नि में जब दा आघार' द दिया जाने है तदा देवों के लिए पात्र में चावल पत्रा किया जाता है तो 'श्रीयो हेमन्त'

१. लगभग एक घर के घृत का अग्नि में डारना 'आघार' का सूत्रक होता है। यह आघार प्रजापति के लिए उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में तथा इन्द्र के लिए दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व में होता है।

(तैत्तिरीयसंहिता ५।७।२।४), 'ऊन मे पूर्वताम्', 'श्रिये जात' (ऋग्वेद ९।९।४।४), 'विष्णवम्' (तैत्तिरीयसंहिता १।२।१३।३) नामक मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं, तब पके हुए चावल को घी में मिश्रित कर मधु,^१ माघव, शुक्र, शुक्ति, नम, नमस्य, इष, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य को, ऋतुओ, ओषधियो, ओषधिपतियो, थी, श्रीपति तथा विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं, अग्नि के पश्चिम श्री की एक पूर्वाम्मुख श्रीपति को पूजा करके हवि अर्पित की जाती है। इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साथ पका हुआ चैत्र्य भोजन ब्राह्मणों को देकर सपिण्ड लोगों की सगति में स्वयं खा लिया जाता है।

सीतायज्ञ

इम यज्ञ का तात्पर्य है "जोने हुए श्वेत का यज्ञ।" गोमिलगृह्य० (४।४।२७) में इस यज्ञ का सक्षिप्त विवरण प्राप्त होता है। यह यज्ञ स्मार्त या औपासन अग्नि वाले व्यक्ति द्वारा श्वेत जोतने के समय किया जाता है। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का भोजन बनाकर इन देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं—इन्द्र, महर्द्गाथ, पर्जन्य, अश्वि एव भय। सीता, आशा, अरदा एव अनया को घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। पारस्करगृ० (२।१७) में यह यज्ञ विस्तार से वर्णित है, जिसे हम स्थानामाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं। पारस्करगृह्य० (२।१३) ने हल को निकालने एव जोतने के प्रयोग में लाने के समय नई प्रकार के वृत्तों का वर्णन किया है। (उत्तर प्रदेश में भी वही वही 'समहुत' के समय कुछ ऐसी ही पूजा आज भी की जाती है।)

श्रावणी या श्रवणाकर्म एव सर्पबलि

गृह्यसूत्रों में आश्वलायन (२।१।१-१५), पारस्कर (२।१४), गोमिल (३।७।१-२३), शाखायन (४।१५), भारद्वाज (२।१), आपस्तम्ब आदि ने इन दोनों कृत्यों का वर्णन किया है। ये कृत्य श्रावण की पूर्णमासी को सम्पादित होते हैं। आश्वलायनगृ० ने इनका वर्णन निम्न रूप से किया है—“एक नये घटे में मुने हुए जो रसकर उसे एक नये शिष्य (सिकहर—घडा आदि रखने के लिए पतली छडियों से बने ढांचे) पर बलि देने के लिए एव चम्मच के साथ रस दिया जाता है। जो के मुने हुए अन्न का आधा भाग घृत में मिला दिया जाता है। सूर्यास्त के समय स्थालीपाक भोजन बनाया जाता है और मूत्पात्र पर एक रोटी पकायी जाती है तथा चार मन्त्रों (ऋग्वेद १।१८९।१-४) के साथ भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं। रोटी घृत में पूर्णरूपेण ढुबो दी जाती है या उसका ऊपरी भाग दिखाई पडता रहना चाहिए। रोटी का मन्त्र के साथ (ऋग्वेद १।१८९-५) हवन कर सारा घृत (जिसमें रोटी ढुबोयी गयी थी) उड़ल दिया जाता है। इसके उपरान्त मुना हुआ जो अजलि में लेकर अग्नि में डाला जाता है। जिस मुने जो में घृत नहीं मिश्रित रहता यह अन्य लोगों (पुत्र आदि) को दे दिया जाता है। घटे में से जो का अन्न चम्मच में भरकर घर के बाहर पूर्वाम्मुख एक पवित्र स्थल पर पानी गिराया जाता है और सर्पों को वह मुना अन्न दिया जाता है ('सर्पदेवजनेभ्य स्वाहा' कहा जाता है) और उनकी सब प्रकार स अभ्यर्चना कर पूजा की जाती है और बलि दी जाती है। इस प्रकार सर्प-पूजा का एक लम्बा विधान है, जिसका विस्तार स्थानामाव के कारण छोड़ा जा रहा है। पारस्करगृ० (२।१४) ने सर्प-बलि का लम्बा विस्तार दिया है। पति की अनुपस्थिति में पत्नी सर्पबलि कर सती है।

२. मधु से ठोकर तपस्य तक प्राचीन काल के महोत्सवों के नाम हैं (तैत्तिरीय संहिता १।४।१।४।१) एवं वाज-सनेयो संहिता ७।३०।

सर्प-दश के मय से ही सर्प-पूजा की परम्परा बली है। सर्प-पूजा बहुत प्राचीन है (तैत्तिरीयसंहिता ४।२।८।३)। इस विषय में अथर्ववेद (८।७।२३ एवं १।१।१६ एवं २४) में दिये गये सर्पों के नाम प्रसिद्ध हैं, यथा तसक, घृत-राष्ट्र एवं ऐरावत। वर्षा के दिनों में सर्पों का विशेष मय होता है, क्योंकि वे बिलों में जल प्रवेश हो जाने के कारण तथा घृहे, मेढक आदि आहार के लिए बस्ती में आ जाते हैं। इसी से लोग श्रावण मास में सर्पयज्ञ, सर्पपूजा या नागपूजा करते थे। फिर लगतातर चार महिनो, अर्थात् मार्गशीर्ष की पूर्णमासी तक प्रति दिन सर्पों को बलि दी जाती थी। मार्गशीर्ष की पूर्णमा को ही प्रत्यक्षश्रावण (पुनः उतरना, अर्थात् पलंग से उतरकर पृथिवी पर सोना) भी होता था। महाभारत में नागों की घर्षा बहुधा हुई है (आदिपर्व ३५ एवं १२३।७१, उद्योगपर्व १०३, ९-१६, अनुशासनपर्व १५०।४१), जहाँ वानुकि, अनन्त आदि सात सर्पों के नाम आये हैं। अनुशासनपर्व (१४।५५) में शिव को अपने शरीर पर यमोपवीत की भाँति नाग रखने वाला कहा गया है। पुराणों में भी नागों के विषय में बहानियाँ हैं। नागपूजा दक्षिण भारत में खूब होती है। आजकल नागपूजा धावणी (श्रावण की पूर्णमासी) को न होकर श्रावण शुक्ल पञ्चमी को होती है। इस तिथि को आजकल नागपञ्चमी कहा जाता है। प्रतो के उल्लेख में हम नागपञ्चमी के विषय में थोड़ा विवरण देंगे। भारत में जितने देवदार के सर्प पाये जाते हैं उतने कहीं भी नहीं देखने में आते और अन्य देशों की अपेक्षा भारत में सर्प-दश से प्रति वर्ष सहस्रो व्यक्ति मर जाते हैं।

नागबलि

कुछ मध्यकालिक निबन्धों तथा सत्कारकोस्तुम (पृ० १२२) में नागबलि नामक कृत्य का वर्णन मिलता है। यह कृत्य तिनीवाली (वह दिन जब चन्द्र दिसार्द्ध पडता है, विन्तु दूसरे दिन अमावस्या पड जाती है) के दिन या पूर्णिमा के दिन या पञ्चमी या नवमी को (जब चन्द्र आरलेया नक्षत्र में रहता है, इस नक्षत्र के देवता हैं सर्प) सम्पादित हाता है। यह कृत्य या तो सर्पों को मार देने पर पाप-मोचन के लिए किया जाता है, या सन्तान उत्पन्न होने के लिए (सर्प मार देने के कारण सर्प-कोप शान्त्यर्थ) किया जाता है। चाबल, गेहूँ या सरसों के आटे की एक सर्पाहुति बनायी जाती है, तब उमका सोलहो उपचारों के साथ पूजन होता है और पायस (चाबल-रूप या खीर) की बलि दी जाती है। घृत की एक आहुति 'ओम्' एवं तीन ध्याहृतियाँ बहकर सर्पाहुति के मुँह में दी जाती हैं और आज्य का क्षयास उसने शरीर पर छिड़क दिया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (४।२।८।३) एवं कुछ पुराणों में मंत्र पढ़े जाते हैं और सर्पाहुति आग्न में जला दी जाती है। इसने उपरान्त पति अपनी पत्नी के साथ तीन दिनों या एक दिन का अशौच मनाता है। तब ८ ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया जाता है। वे जली हुई सर्पाहुति के स्थान पर बलिात रूप से खड़े होते हैं, तब वे सोलहो उपचारों से पूजे जाते हैं, भोजन एवं दक्षिणा दी जाती है। इसने उपरान्त जलपूर्ण घड़े (बल्ला) में सोने की सर्पाहुति रखी जाती है और वह आहुति या एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है।

इन्द्रयज्ञ

श्रोष्ठपद (भाद्रपद) की पूर्णमासी के दिन इन्द्रयज्ञ होता था। इसका वर्णन हमें पारस्करव्यू० (२।१५) में प्राप्त होता है। इन्द्रयज्ञ मक्षेप में इस प्रकार है—इन्द्र के लिए पायस एवं रोटियों पचावर अग्नि के चतुर्दिक् चार राटियों रखकर और दा आग्नेयभाग देकर इन्द्र को पायस दिया जाता है, आग्नेय-आहुतियाँ इन्द्र, द्वाप्राणी, अज एकपाद, अहिर्बुध्न्य एवं श्रोष्ठपद्राधा को दी जाती हैं, इन्द्र को पायस दिया जाता है, इन्द्र को देने के उपरान्त मर्त्यों का यज्ञ दी जाती है (क्योंकि मर्त्य अमृत को खाते हैं—शतपथब्राह्मण ४।५।२।१६), मर्त्यों को बलि अश्वत्थ के पत्ता पर दी जाती है (क्योंकि मरुत अश्वत्थ वृक्ष पर रहते हैं—शतपथब्राह्मण ४।३।३।६)। वाजसनेयी संहिता (१।७।८०-

८५) एव शतपथब्राह्मण (१।३।१।२६) और पुन वाजसनेयी संहिता (१७।८६) के मन्त्रों का पाठ होता है और अन्त म ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है।

बौध्दिकसूत्र (१४०) ने राजाओं के लिए इन्द्र के सम्मान में एक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। यह उत्सव भाद्रपद या आश्विन के शुक्लपक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसमें श्रवण नक्षत्र में एक झडा खडा किया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।१४७) ने इन्द्र का झडा फहराने एव उतारने के दिन को अनध्याय (छुट्टी) घोषित किया है। अपराक ने गर्ग को उद्धृत कर बताया है कि राजा द्वारा पताभा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को फहराया जाती है (जब कि चन्द्र उत्तराषाढ, श्रवण या धनिष्ठा में रहता है) तथा भाद्रपद की पूर्णमासी या मरणी को उतारी जाती है। वृत्तरत्नाकर (पृ० २९२-९३) में आया है कि इस उत्सव के दिनों में ईख के टुकड़ों के बने इन्द्र, शची (इन्द्राणी या इन्द्र की स्त्री) एव जयन्त (इन्द्र के पुत्र) की मूर्तियाँ (आकृतियों) की पूजा होती है, पताकाएँ शनिवार या मंगल या जन्म-मरण के अशौच के दिन या मूकम्प के दिन नहीं खड़ी की जाती हैं। आदिपर्व (६३।१-२९) से पता चलता है कि इस उत्सव (इन्द्रमह) का प्रारम्भ उपरिचर वसुने किया था। वहाँ ऐसा आया है कि इन्द्र ने राजा को वानप्रस्थ ग्रहण करने से रोका और चेदि राज्य पर राजा रूप में बने रहने को विवश किया। इन्द्र ने राजा को एक बाँस का झण्डा प्रीति-उपहार के रूप में दिया। राजा ने वृत्तज्ञता प्रकाशित करने के लिए उस झण्डे को पृथिवी में गाड दिया। तब से प्रति वर्ष राजा तथा अन्य साधारण लोग बाँस के झण्डे पृथिवी में गाडने लगे और दूसरे दिन उसमें सुगन्धित द्रव्य एव आमूषण आदि बाँधकर मालाएँ लटकाने लगे। यह सम्भव है कि चैत्र मास के प्रथम दिन दक्षिण भारत एव अन्य स्थानों में बाँस गाडने की जो प्रथा है, वह सम्भवत इन्द्र के सम्मान में ध्वजा खड़ी करने की परम्परा की ही चोतक हो। ब्रह्मसंहिता (अध्यय ४३) ने इन्द्रमह उत्सव मनाने की विधि का वर्णन लगभग ६० श्लोको में किया है। हम स्थानामाव से उस विधि का वर्णन नहीं कर रहे हैं।

आश्वयुजी

गौतम (८।१९) ने अपने ४० सस्कारों के अन्तर्गत सात पाकयज्ञों में आश्वयुजी की भी परिगणना की है। आश्वलायनगृ० (२।२।१-३) ने इस कृत्य का वर्णन यों किया है—आश्वयुज अर्थात् आश्विन की पूर्णिमा को आश्वयुजी कृत्य किया जाता है। घर को अलकृत करके, स्नानोपरान्त स्वच्छ ध्वेत वस्त्र धारण कर पका हुआ भोजन “पशुपतये शिवाय शकराय पृषातकाय स्वाहा” मन्त्र के साथ पशुपति को देना चाहिए। चावल एव घृत मिलाकर उसे अञ्जलि से “ऊन मे पूर्णता पूर्ण मे मोपसदत् पृषातकाय स्वाहेति” मन्त्र के साथ देना चाहिए।

शाखायनगृह्य (४।१६) का कहना है कि इस कृत्य में घृत की आहुतियाँ अश्विनी, अश्वयुक् नक्षत्र के दोनों तारों, आश्विन की पूर्णिमा, शरद् एव पशुपति को दी जानी चाहिए, आज्य का दान ऋग्वेद के मन्त्र “आ गावो अगमन्” के साथ होना चाहिए। उस दिन रात्रि में बछड़े अपनी माताओं का दूध पीने के लिए छोड दिये जाते हैं। पारस्करगृ० (२।१६) ने इस कृत्य को “पृषातकाः” कहा है, गोमिलगृह्य० (३।८।१) ने ‘पृषातक’ नाम दिया है। और देविएर खादिरगृ० (३।३।१-५) एव वैश्वानस (४।९)।

आग्रयण

बहुतसे गृह्यसूत्रों में आश्वयुजी के उपरान्त आग्रयण कृत्य का वर्णन हुआ है। गोमिलसमृति (पद्य, ३।१०३) एव मनु (४।२७) ने इसे क्रम से नवयज्ञ एव नवसप्तैष्टि कहा है। यह वह कृत्य है जिसमें “तव फल (उपज) सर्वप्रथम

देवों को दिये जाते हैं" या जिसमें "नव अन्न सर्वप्रथम दिया या खाया जाता है।" आश्वलायनश्रौतसूत्र (२।९) के अनुसार आप्रयण इष्टि केवल आहिताग्निषो (जिन्होंने तीनों वैदिक अग्नि स्थापित की हो) द्वारा ही की जाती चाहिए। नारायण ने टीका में लिखा है कि आहिताग्नि को धीतसूत्र के अनुसार नव अन्न का यज्ञ करना चाहिए, यदि कठिनाई हो तो यह कृत्य आश्वलायनगृह्य० (२।२।४) के अनुसार त्रेता अग्नियों में भी किया जा सकता है तथा जिन्होंने तीन अग्नियाँ न जलायी हो तो वे बाला (अर्थात् औपासन) अग्नि में भी इसे कर सकते हैं। चावल, जो एव इनामान नामक अन्नो का उपयोग बिना आप्रयण किये नहीं हो सकता था। किन्तु अन्य अना एव राक्षों के प्रयोग के विषय में ऐसी बात नहीं थी। श्रौत आप्रयण के देवता तीन हैं यथा इन्द्राग्नी (या अग्नीन्द्रो), विश्वे देव एव द्यावापृथिवी, किन्तु गृह्य आप्रयण में त्रिवष्टकृत अग्नि भी जोड़ दिया गया है। आश्वलायनगृह्य० (२।२।४-५) में इस कृत्य का वर्णन है, जिसे हम यहाँ रणामानाव से नहीं दे रहे हैं। इस कृत्य का वर्णन आपस्तम्बगृह्य० (१।९।६-७), शाखायनगृह्य० (३।८), पारस्करगृह्य० (३।१), गोमिलगृह्य० (३।८।९-२४), छादिरगृह्य० (३।३।६-१५), वैशानस (४।२), भानवगृह्य० (२।३।९-१४) आदि में भी पाया जाता है। वैशानस ने देवताओं के साथ पितरों को भी जोड़ दिया है। भानवगृह्य० ने यस्तन में किसी पर्व के दिन जो अन्न का तपा करम् का चारु का इस कृत्य के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वैशानस ने बिना आप्रयण कृत्य किये नवाग्र प्रयोग करने पर पादशुद्धि प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है (६।१९)।

आग्रहायणी

यह कृत्य गौतम (८।१९) द्वारा वर्णित बालीस सन्कारो में परिष्कृत है, और सात पाकपत्रों में एक पाक-यज्ञ है। मार्गशीर्ष (अग्रहन) की पूर्णमासी को आग्रहायणी कहा जाता है, अतः उस दिन जो कृत्य सम्पादित हो उसे भी वही नामा मिली है। इसमें प्रत्यक्षरोहण कृत्य द्वारा पर्यन्त एव खाटो पर सोना छोड़ दिया जाता है। शाखायनगृह्य० (४।१।५।२२) के मत से श्रावणी (श्रावण मास की पूर्णमासी) से लोग पृथिवी पर सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि सपें-दश का डर रहता है। कुछ लोग आप्रहायणी एव प्रत्यक्षरोहण को दो विशिष्ट कृत्य मानते हैं, जिनमें प्रथम मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को तथा दूसरा हेमन्त की प्रथम रात्रि को मनाया जाता है (देखिए आपस्तम्बगृह्य १।९।३-५ एव ८-१२)। इस कृत्य के बाल एव विधि के विषय में कई मत हैं, जिनमें पचडे में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। पारस्करगृह्य० (३।२) एव गोमिलगृह्य० (३।९।१-२३) में इसके विषय का विस्तार दिया हुआ है। आजकल यह कृत्य बिल्कुल नहीं किया जाता, अतः बहुत ही संक्षेप में यहाँ इसका वर्णन किया जा रहा है। परन्तु पुनः (अर्थात् 'आश्वयुजी' के उपरान्त) स्पष्ट किया जाता है (कीर्षा-श्रोता जाता है, चिबनी मिट्टी तथा गोबर में स्वच्छ करने की प्रथा रही है)। पर्वों को समतल कर दिया जाता है। सायबाल पायस की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसमें त्रिवष्टकृत अग्नि की आहुति नहीं दी जाती। अग्नि के पश्चिम में पाग बिछा दी जाती है जिस पर गृहस्थ अपने घर बालों के साथ निर को पूर्व दिशा में उत्तर-मिमुख हो श्रुत्येद (१।२।२।१५) के मन्त्र के साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार मन्त्रों के उच्चारण के साथ सबको उठना पड़ता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अगुत्तर निवाय (पालि-ग्रन्थ) में भी 'पञ्चोरोहनिवाग' नामक खण्ड में ब्राह्मणों द्वारा सम्पादित प्रत्यक्षरोहण कृत्य का वर्णन है। इस कृत्य का वर्णन अन्य गृह्यसूत्रों में भी पाया

३. आपस्तम्बगृह्य० (१।९।६) की टीका में सुदर्शन लिखते हैं—येन कर्मणा अथ नवद्वय देवाग्रप्रयतीति शरत्कर्म कृत्यं आप्रयण प्रथमायन नवाग्रप्रदानप्रतिभवंतीति। शरदत्त ने इसकी व्याख्या में कहा है—एतस्य प्रदानार्थः।

जाता है, यथा सादिर (३।३।१-२६), गोविल (३।९), मानव (२।७।१-५), भारद्वाज (२।२), आपस्तम्ब (२।१७।१)। बोधायन (२।१०) ने प्रत्यवरुहण नामक कृत्य का वर्णन किया है जो सभी ऋतुओं के आरम्भ में तथा अधिक मास (मलमास) में किया जाता था, किन्तु यह कृत्य दूसरा ही है, आपहायणी नहीं।

शूलगव या ईशानवलि

आरम्भिक रूप में यह कृत्य शिव को बैल का मास देने से सम्बन्धित था। इसके काल के विषय में मतभेद है। आश्वलायनगृह्य० (४।१।२) के अनुसार यह शरद् या वसन्त में आर्द्रा नक्षत्र में किया जाता था। किन्तु बोधायनगृ० (२।७।१-२) के मत से यह मार्गशीर्ष की पूर्णमा या आर्द्रा नक्षत्र में सम्पादित होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य मत भी हैं। इस कृत्य के नाम के विषय में कई व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। नारायण ने कहा है कि यहाँ 'शूल' का अर्थ है वह जो मोकीला दण्ड रखे, अर्थात् शिव, जिनको 'शूली' कहा जाता है और इस यज्ञ में बैल यज्ञपशु के रूप में शूली रत्न को दिया जाता है। हरदत्त का कहना है कि इसमें बैल पर (शिव के) दण्ड का चिह्न अंकित होता है।

इस कृत्य का वर्णन इन गृह्यसूत्रों में पाया जाता है—आश्वलायन (४।९), बोधायन (२।७), हिरण्यकेशि (२।८-९), भारद्वाज (२।८-१०), पारस्कर (३।८)। लगता है कि गृह्यसूत्रों के कालों में भी बहुत लोग इस कृत्य को नहीं पसन्द करते थे, क्योंकि बोधायन (२।७।२६-२७) में आया है कि बैल न मिलने पर बकरा या भेडा दिया जा सकता है या ईशान के लिए केवल स्थालीपाक पर्याप्त है। काठक (५।२।१) के टीकाकार देवपाल का कहना है कि केवल बकरा चढाया जाता है, क्योंकि लोग वृषभ-बलि के पक्ष में नहीं हैं। यह कृत्य अब नहीं किया जाता, अतः बहुत संक्षेप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। मानवगृह्य० (२।५।१-६) का कहना है—रत्न के अनुरजन के लिए शरद् में शूलगव कृत्य किया जाता है। रात्रि में ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर बैलों के बीच में एक यूप गाड़ दिया जाता है। स्थिष्टकृत अग्नि के होम के पूर्व (अर्थात् पके हुए चावल के साधारण होम के उपरान्त) पत्तियों को आठ दोनियों (द्रोणों) में रक्त भरकर दिक्पालों को दिया जाता है और आठ दोने अनुवाक मन्त्रों के साथ मध्यवर्ती दिशाओं को दिये जाते हैं। चिना पक्का हुआ उपहार ग्राम में नहीं लाया जाता। पशु के अवशेष चिह्न (चर्मसहित) पृथिवी में गाड़ देने चाहिए।

वास्तु-प्रतिष्ठा

इस कृत्य का अर्थ है नवीन गृह का निर्माण एवं उसमें प्रवेश। नये मकान के निर्माण के विषय में गृह्यसूत्रों (आश्वलायन २।७-९, साजायन ३।२-४, पारस्कर ३।४, आपस्तम्ब १।७।१-१३, सादिर ४।२।६-२२ आदि) में पर्याप्त वर्णन है। आश्वलायन (२।७) के मतानुसार सर्वप्रथम स्थल की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्थल क्षाररहित होना चाहिए, उसमें ओषधियाँ (वनरपत्तियाँ), कुश, वीरण तृण, घाम जमी रहनी चाहिए। उसमें से कँटीले पीपे तथा ऐसी जड़ें, जिनसे दूध निकलता हो, निवाल बाहर करनी चाहिए और अपामार्ग, तिल्वक आदि पीपे भी निकाल देने चाहिए। उस स्थल पर चारों ओर से पानी आकर दाहिनी ओर बहता हुआ पूर्व दिशा में निकल जाना चाहिए। ऐसे

४. अथ यदि गां न समते मेघमजं बालभते। ईशानाय स्थालीपाक वा अथपति तत्मादेतत्सर्वं करोति यद् गवा कार्कम्॥ शौ० गृ० २।७।२६-२७। अथवा नहोमान्तत्व थ छागपक्ष एव। गो पुनस्तरसर्ग एव लोकरविरोपात्। देवपाल (काठकगृ० ५।२।१)।

स्थल में घूम गुण होते हैं। उस स्थल पर वही गज मर छोड़कर देख लेना चाहिए और पुनः नयाला हुई मिट्टी ही मर देनी चाहिए। यदि मरते समय कुछ मिट्टी बच जाय तो स्थल को सर्वोत्तम समझना चाहिए, यदि गड्ढा मरने के लिए मिट्टी पूरी हो जाय तो उसे मध्यम तथा यदि गड्ढा मरने के लिए मिट्टी कम पड़ जाय तो उसे निवृष्ट स्थल समझकर छोड़ देना चाहिए। स्थल-गहवान की दूसरी विधि भी है। गड्ढे में पानी भरकर रात भर छोड़ देना चाहिए, यदि प्रातः काल तब पानी पाया जाय तो स्थल सर्वोत्तम, यदि भीगा रहे तो मध्यम तथा सूखा रहे तो निवृष्ट समझकर छोड़ देना चाहिए। द्विजातियों को क्रम से श्वेत, लाल एवं पीत स्थल तोजना चाहिए। स्थल वर्गाकार या चतुर्भुजाकार होना चाहिए और स्वामी को चाहिए कि वह उस पर जोत की एक सहस्र हराइयाँ कर दे। शमी या उदुम्बर की टहनियों से तीन बार प्रदक्षिणा करके दाहिने-हाथ से उस पर जल छिड़कना चाहिए और शान्तातीय स्तोत्र (ऋग्वेद ७।३५।१-१५) का पाठ करना चाहिए। यह बिना चके तीन बार करना चाहिए तथा 'आपो हि प्ठा' (ऋग्वेद १०।१।१-३) का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार की एक बहुत विस्तृत विधि है।

मत्स्यपुराण (अध्याय २५२-२५७) में वास्तुशास्त्र पर एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है। उसमें अनुसार (२५६।१०-११) वास्तुयज्ञ पाँच बार किया जाना चाहिए, नीव रखते समय, प्रथम स्तम्भ गाढ़ते समय, प्रथम द्वार के साथ चौखट खड़ी करते समय, गृह प्रवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (जब कोई उपद्रव आदि उठ सके हो तब)। इसमें उपरान्त मत्स्यपुराण में अन्य विधियों का विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं।

आजकल गृह प्रवेश का उत्सव बड़े टाठ-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पूछकर एक शुभ दिन निश्चित किया जाता है। गृह प्रवेश की विधि बड़ी लम्बी पौड़ी होती है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। एक मण्डल बनाया जाता है जिसमें ८१ वर्ग बनाये जाते हैं और उसमें आगमन के लिए ६२ देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसमें उपरान्त समिधा, तिल एवं आज्य की २८ आहुतियों के साथ ९ गृहों का होम किया जाता है। घर को पूर्व दिशा से आरम्भ कर तीन बार सूत्र से घेर दिया जाता है और उसमें साथ रसोष्ण (ऋग्वेद ४।४।१-१५, या १०।८७।१-२५) तथा पवमान (ऋग्वेद १।१।१-१०) नामक सूक्तों का पाठ होता है। इसी प्रकार अन्य बातें विधिवत् की जाती हैं और बाजे-गाजे में साथ स्वामी अपनी पत्नी, बच्चों ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर तथा अन्य शुभ सामग्रियाँ लेकर गृह में प्रवेश करता है। इसके उपरान्त पुण्याहवाचन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके उपरान्त गृह-स्वामी अपने मित्रों के साथ भोजन करता है।

अध्याय २५

दान

मनु (१।८६) के कथनानुसार कृत (सत्ययुग), त्रेता द्वापर एव कलियुगो मे धार्मिक जीवन के प्रमुख रूप क्रम से तप, आध्यात्मिक ज्ञान, यज्ञ एव दान हैं।^१ मनु (३।७८) ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है और कहा है कि अन्य आश्रमा से यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी के द्वारा अन्य आश्रमो के लोगो का परिपालन होता है। मनु ने चारो आश्रमो के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार द्योतित किये हैं—“यतिमो वा धर्मं है शम वनोक्तो (वानप्रस्थो) का साधारण भोजन वा त्याग, गृहस्थो का दान एव ब्रह्मचारिया का धर्मं है शुश्रूषा (या आज्ञापालन)।” दस (१।१२-१३) ने भी चारो आश्रमो के विशेष लक्षणो का वर्णन किया है। हनु इस अध्याय मे ‘दान’ का विवेचन करेगे।

वैदिक काल में दान की महत्ता

ऋग्वेद ने विविध प्रकार के दानो एव दाताओं की प्रशस्ति गायी है (१।१२५, १।१२६-१।५, ५।६१, ६।४७। २२-२५, ७।१८।२२-२५, ८।५।३७-२९, ८।६।४६-४८, ८।४६।२१-२४ ८।६८।१४-१९)। दानो मे गो-दान की महत्ता विशेष रूप से प्रचलित है। दानो मे गायो, रयो, अश्वो, ऊँटो, नारियो (दासियो), भोजन आदि वा विशिष्ट उल्लेख हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१-२) मे आया है कि जानश्रुति योत्रायण मे स्थान-स्थान पर ऐसी भोजन-शालाएँ बनवा रखी थी, जहाँ पर सभी दिग्गाओ से लोग आकर भोजन प्राप्त कर सकते थे, ऐसी थी उनकी सदाशयता एव मानव के प्रति श्रद्धा। ऋग्वेद मे तीन स्थानो पर (१०।१०७।२, ७) आया है—“जो (गायो वा दासिणा का) दान करता है वह स्वर्ग मे उच्च स्थान पर जाता है, जो अश्व-दान करता है वह सूर्य-लोक में निवास करता है जो स्वर्ग का दानी है वह देवता होता है, जो परिधान का दान करता है वह दीर्घ जीवन का लाभ करता है ।”

त्रयश अश्व ने दान की महत्ता मे अन्तर पड़ता चला गया। पहले उसका स्थान गाय के बाद था, किन्तु कालांतर मे अश्व के दान की महिमा घट गयी। तैत्तिरीय संहिता (२।३।१२।१) का कहना है—“जो अश्व-दान लेता है उसे वरुण पकडता है, अर्थात् वह जलोदर वा शोष से ग्रस्त हो जाता है ।” काठकसंहिता (१।२।६) मे भी आया है कि अश्व वा दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जबड़ों मे दो दन्त-पक्षियाँ होती हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।२।५) मे सोने, परिधान, गाय, अश्व, मनुष्य, पर्यक एव अन्य कई प्रकार की वस्तुओ के दान करने की ओर सकेत मिलता है, और इन पदार्थों के देवता हैं अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि। तैत्तिरीय संहिता (२।२।६।३) के मत से जो व्यक्ति दो दन्तपक्षियो वाले जीव, यथा अश्व वा मनुष्य को, दान रूप मे ग्रहण करता है उसे वैश्वानर को १२ कपालो मे स्थालीपाक देना चाहिए। मनु (१०।८९) के मत से अश्व तथा अन्य ढबना फटे

१ तप पर श्रुत्युगे त्रेतायां ज्ञानमुष्यः। द्वापरे यज्ञमेधादुर्दानमेक कलौ युगे॥ मनु १।८६=शान्तिपर्व २३।२।२८=पराशर १।२३=वायुपुराण ८।६५-६६। श्रौतानां तु शमो धर्मस्तत्रनाहरो वनोक्तसाम्। शानमेव गृहवाजां शुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम्॥ मनु (श्रेयांसि, दान, पृ० ६ में उद्धृत)।

सुर वाले वस्तुओं का व्यापार बजित है, किन्तु गरीबनाथ के पेटेहोवा शिलालेख से पता चलता है कि ब्राह्मण लोग भी अश्व के त्रय विक्रय का व्यापार करते थे और इस व्यापार से उत्पन्न लाभ को मन्दिरो के प्रबन्ध में व्यय किया जाता था (एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द १, पृ० १८६)। गौतम (१९१६) ने अपराधों के प्रायश्चित्त के लिए अश्व-दान की चर्चा की है। दान के विषय में और देखिए साक्षात्पन्न ब्राह्मण (२५।१४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३०।९)।

शतपथब्राह्मण (२।२।१०।६) का कहना है—“देव दो प्रजाट के होते हैं, स्वर्ग के देव एवं मानव देव, अर्थात् वेदज्ञ ब्राह्मण, इन्हीं दोनों में यज्ञ का विभाजन होता है, अर्थात् आहुतियाँ देवों को मिलती हैं तथा दक्षिणा मानव देवों (वेदज्ञ ब्राह्मणों) को।” तैत्तिरीयसंहिता (६।१।६।३) का कहना है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दान कर देता है तो वह भी तपस्या ही है। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।३) के अनुसार तीन विशिष्ट गुण हैं दान, दान एवं दान। ऐतरेय ब्राह्मण (३९।६-७) ने भी सोने, पृथिवी एवं वस्तु के दान की चर्चा की है। छान्दोग्योपनिषद् (५।२।४-५) में आया है कि ज्ञानभूति ने सवर्ग विद्या के अध्ययन हेतु रैवत को एक सहस्र गौएँ, एक सोने की सिकड़ी, एक रथ जिसमें एचर जूते थे अपनी कन्या (पत्नी के रूप में) एवं कुछ ग्राम दान में दिये थे। रैवत को प्रदत्त गाँव कालान्तर में महावर्ष देश में रैवतपर्ण ग्राम के नाम से विख्यात हुए।

दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। महाभारत के सभी पर्वों में दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते हैं तथा अनुरासन पर्व में विशेष रूप से दान के विभिन्न स्वरूपों पर प्रवृत्ति डाला गया है। पुराणों में विशेषतः अग्नि (अध्याय २०८-२१५ एवं २१७), मत्स्य (अध्याय ८२-९१ एवं २७४-२८९) एवं बराह (अध्याय ९९-१११) दान के विषय में बतियाय चर्चा करते हैं। कुछ निबन्धों ने दान पर पृथक् प्रवृत्ति उपस्थित किये हैं। इस विषय में हेमाद्रि का दानसङ्घ (चतुर्वर्गचिन्तामणि), गोविन्दानन्द की दानक्रियाकोमुदी, नीलकण्ठ का दानमयूख, विद्यापति की दानव्याख्यावलि, वल्लालसेन का दानसागर एवं मित्र मिथ का दानप्रवृत्ति अधिक प्रसिद्ध हैं। नीचे हम इनका संक्षिप्त आचार्य दे रहे हैं।

‘दान’ का अर्थ

‘दान’ का अर्थ प्राचीन काल में ही स्पष्ट कर दिया गया था। माण, होम एवं दान में अन्तर है। माण में देवता के लिए र्थदेव मन्त्रों के साथ कुछ वस्तुओं का त्याग होता है होम में अपनी विगी वस्तु की आहुति किसी देवता के लिए अग्नि में दी जाती है दान में किसी दूरगरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है। दान देने की स्वीकृति मानसिक या कायिक या शारीरिक रूप से हो सकती है (देखिए जैमिनि ४।२।२८, ७।१।५ एवं ९।५।३२ पर शबर, तथा याज्ञवल्क्य २।२७ पर मिताक्षरा)। मिताक्षरा का कहना है कि शारीरिक (कायिक) स्वीकृति एवं हाथ में ले लेने या छू लेने से हो जाती है।^१ दानक्रियाकोमुदी (पृ० ७) में उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर, बृहत्परारार (अध्याय ८, पृ० २४२) आदि में दान लेने की विधियाँ का विवाद वर्णन पाया जाता है। धर्मशास्त्र में ‘प्रतिग्रह’ शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। मनु (५।५)

२ एष च यज्ञि यद्व्यय देवतामुद्दिश्य मन्त्रेण त्यज्यते। जैमिनि ७।१।५ की व्याख्या में शबर। स्वरत्ननिवृत्ति परस्वरत्नपादन च दानम्। परस्वरत्नपादन च परो यदि स्वोक्तरीति तदा सम्पद्यते माण्यया। स्वीकारश्च त्रिविधः। मानसो याधिकः कायिकश्चेति।...यायिक पुनरुपादानाभिमतान्तादिरहोत्तरेकविधः। तत्र च नियमः स्मर्यते। दद्यात्कृप्याजिन पृष्ठे मां पुच्छे परिण करे। केतरेयु तर्चयास्य दासं शिरसि दापयेत्॥ इति...शंभुवादी पुनः पक्षो-पभोग्यप्रतिरेकेण कायिकशरीराराराम्भवात् स्वयेनाप्युपभोगेन भवितव्यम्। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।२७)।

की दीर्घा म मेघातिथि का बन्धन है—“ग्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है। उसी को प्रतिग्रह कहते हैं जो विशिष्ट स्वीकृति का परिचायक हो, अर्थात् जब उसे स्वीकार किया जाय तो दाता को अदृष्ट आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो और जिसे देते समय वैदिक मन्त्र पढ़ा जाय। जब कोई मिसा देता है तब वह कोई मन्त्रोच्चारण (यथा 'देवस्य त्वा') नहीं करता, अतः वह शास्त्रविहित दान नहीं है और न स्नेह से मित्र या नौकर को दिया गया पदार्थ ही प्रतिग्रह है।” इसी प्रकार जब 'विद्यादान' शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ दान शब्द मात्र आलम्ब्य है, नहीं तो गुरु को दिव्य के लिए दक्षिणा देनी पड़ जायगी, निन्तु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि वास्तव में गिण्य ही गुरु को दक्षिणा देता है। इसी प्रकार जब किसी मूर्ति को दान दिया जाता है तो वहाँ भी 'दान' शब्द का प्रयोग गौण जय में ही है, क्योंकि वास्तव म मूर्ति कोई दान ग्रहण नहीं कर सकती। देवल ने शास्त्रोक्त 'दान' की परिभाषा यों की है—“शास्त्र द्वारा उचित माने गये व्यक्ति के लिए शास्त्रानु-मोदित विधि से प्रदत्त धन को दान कहा जाता है। जब किसी उचित व्यक्ति को केवल अपना कर्तव्य समझकर कुछ दिया जाता है तो उसे धर्मदान कहा जाता है।” दानमूल (पृ० ३) ने व्याख्या की है कि देवल की परिभाषा केवल सात्त्विक दान से सम्बन्धित है न कि सामान्य दान से। यदि दाता दान भेजे किन्तु वह मार्ग में ही खो जाय और पाने वाले के यहाँ न पहुँचे तो वह दान नहीं है और न उसका देने से दान का फल ही प्राप्त हो सकता है।

दान के छ अंग

देवल ने दान के छ अंग वर्णित किये हैं, दाता, प्रतिग्रहीता, श्रद्धा, धर्मयुक्त देय (उचित ढंग से प्राप्त धन), उचित काल एवं उचित देश (स्थान)। इनमें प्रथम चार का स्पष्ट उल्लेख मनु (४।२२६-२२७) में भी है। इन छ अंगों का वर्णन हम करते।

इष्टापूर्त—आगे कुछ लिखने के पूर्व हम इष्टापूर्त शब्द का अर्थ समझ लें। यह शब्द ऋग्वेद में भी आया है (१०।१४।८)। इसका अर्थ है “यज्ञ-कर्मों तथा दान-कर्मों में उत्पन्न पुण्य।” ऋग्वेद (१०।१४।८) में हान्म में (नुरत) मरे हुए एक आत्मा के विषय में आया है—“तुम पित्रो से मिल सको, तुम यज्ञ से मिल सको तथा मिल एको स्वर्ग में अपने इष्टापूर्त से।” ‘इष्ट’ का अर्थ है ‘जो यज्ञ के लिए दिया गया है’ और ‘पूर्त’ का अर्थ है ‘जो भर गया है’। अथर्व-वेद में भी आया है—“हमारे पूर्वजा के इष्टापूर्त (शत्रुओं से) हमारी रक्षा करें. (२।१२।४)।” और देखिए अथर्ववेद (३।२९।१)। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (५।७।७।१-३), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।५७, ३।१।१४), वाजसनेयी संहिता (१।५।५४), कठोपनिषद् (१।१।८) एवं माण्डूक्योपनिषद् (१।२।१०) में भी इष्टापूर्त का प्रयोग हुआ है। कठोपनिषद् में आया है कि जो अतिथि को बिना भोजन कराये घर में टहराता है वह अपने इष्टापूर्त का, सन्तानों एवं पशुओं का नाश करता है। माण्डूक्योपनिषद् ने उन लोगों की मर्त्याना की है जो इष्टापूर्त को सर्वोच्च

३. नैव ग्रहणमात्र परिग्रहः। विशिष्ट एव स्वीकारे प्रतिपूर्वां ग्लुहतिवन्तैः। अदृष्टमुद्रुष्या बोधमानं मन्त्रपूर्वं ग्लुहतः प्रतिग्रहो भवति। न च भक्ष्ये देवस्य त्वादिमन्त्रोच्चारणमस्ति। न च भोतयादिना दानग्रहणं। न च तत्र प्रतिग्रहव्यवहारः। मेघातिथि (मनु ५।४)।

४. अर्धानामुदिते पात्रे यथावत्प्रतिपादनम्। दानार्थमत्यभिनिदिष्टं व्याख्यानं तस्य वक्ष्यते। देवल (अपराकं पृ० २८७) में, दानक्रियाकौमुदी पृ० २, हेमाद्रि, दानलक्षण, पृ० १३, दानवाक्यामलि आदि द्वारा उद्धृत। पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनवेद्य प्रयोजनम्। केवल धर्मबुद्ध्या यद्धर्मवानं तदुच्यते॥ देवल (हेमाद्रि द्वारा दान, पृ० १४) में उद्धृत।

धर्म० ५७

महत्ता देने है और उसके ऊपर किसी अन्य को मानते ही नहीं। इस उपनिषद् ने तर्क उपस्थित किया है कि इष्टापूर्त व्यक्ति को अन्तिम आनन्द नहीं दे सकता, उससे तो व्यक्ति को केवल स्वर्गानन्द मिलता है, जिसे भोगकर व्यक्ति पुनः इस ससार में या इससे भी नीचे के लोक में उतर आता है।

अपराक ने 'इष्ट' एवं 'पूर्त' के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का हवाला दिया है—“जो कुछ एक अग्नि (गृह्य अग्नि) में डाला जाता है तथा जो कुछ तीनों श्रौत अग्निषो में डाला जाता है एवं वेदी (श्रौत यज्ञों) में दान किया जाता है उसे 'इष्ट' कहते हैं, विन्दु गहरे रूपो, आयताकार रूपो, तडागो (तालाबो), देवतामतनो (मन्दिरों) का समर्पण, अन्नदान एवं आराम (अन-वाटिका) का प्रवन्ध 'पूर्त' कहलाता है।” अपराक ने नाट्य को उद्धृत कर लिखा है—“आतिष्य तथा बेश्वदेव-कर्म इष्ट हैं, किन्तु तालाबो, रूपो, मन्दिरों, आरामों का लोकहितार्थ समर्पण पूर्त है, इसी प्रकार चन्द्र एवं सूर्य के ग्रहणों के समय वा दान भी पूर्त है।” रोगियों की सेवा भी पूर्त है (हेमाद्रि, दान, पृ० २०)। मनु ने भी इष्ट एवं पूर्त करने की बात कही है। उनके अनुसार इष्ट एवं पूर्त सदैव करते जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा एवं उचित ढंग से प्राप्त धन से किये गये इष्ट एवं पूर्त अज्ञय होते हैं (मनु ४।२२६)।

सभी लोग, यहाँ तक कि नारियाँ एवं दूध भी, दान दे सकते हैं। दानधर्म की बड़ी महत्ता कही गयी है। अपराक ने एक पद्य उद्धृत किया है—“दो प्रकार के व्यक्तियों में गले में शिला बांधकर द्रुवो देना चाहिए; अदानी धनवान् एवं अतृप्तवी दृष्टि।” सभी द्विजातियों के लिए इष्ट एवं पूर्त करना धर्म माना जाता था; दूधलोग पूर्त धर्म कर सकते थे किन्तु वैदिक धर्म नहीं। देवल के अनुसार दाता को पापरोध से हीन, धार्मिक, दित्तु (धृष्टालु), दुर्गुणहीन, शुचि (पवित्र), निन्दित व्यवसाय से रहित होना चाहिए। बहुत-सी स्मृतियों में ऐसा लिखा है कि बहुत कम लोग स्वार्जित धन दान में देने देखे जाते हैं। श्यास ने लिखा है—“सो में एक दूर, सहस्रो में एक विद्वान्, शत सहस्रो में एक वक्ता मिलता है, दाता वो शायद ही मिल सकता है और नहीं भी।”

दान के पात्र—दस भाग के अध्याय ३ में योग्य एवं अयोग्य पात्रों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। दो-एक शब्द यहाँ भी बड़े जाते हैं। दक्ष (३।१७-१८) ने लिखा है—“माता-पिता, गुरु, मित्र, परित्रवान् व्यक्ति, उपकारी, दरिद्र (दीन), असहाय (अनाथ), विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, किन्तु पूर्तों, बन्दिनों (धन्यता करनेवालों), मल्लो (कुस्ती लटनेवालों), कुबैघो, जुआरियों, वञ्चकों, चाटों, चाणो एवं चोरों को दिया गया दान निष्फल होता है। मनु (४।१९३-२०० = विष्णुधर्मसूत्र ९३।७-१३) ने कपटी एवं वेद न जाननेवाले

५. महाभारतम् । एकान्धिकर्म हवनं प्रेतायां यच्च हवते । अन्तर्ब्रह्मं च यद्दानमिष्टमित्यभिधीयते ॥ बापी-कृतदशगानि देवतामतनानि च । अन्नप्रदानमारामं पूर्तमित्यभिधीयते ॥ अपराकं पृ० २९०; दूतरा पद्य अत्रि (४४) का है। अत्रि ने इष्ट को यों बड़ा है—“अग्निहोत्रं तप सत्य वेदानां चैव पातनम् । आतिष्यं बेश्वदेवदत्त इष्टमित्यभिधीयते ॥” अत्रि (४३)।

६. द्वावेवायु प्रवेष्टव्यो गले बद्ध्वा महाजिज्ञाम् । धनवन्तमहातारं वरिष्ठं चातपस्विनम् ॥ अपराकं (पृ० १९९); दानवाश्यावलि; यह उद्योगपर्व (३।१६०) का पद्य है।

७. इष्टापूर्तो द्विजातीनां धर्मः सामान्य इत्यते । अधिकारी भवेच्छूद्रो शूतं धर्मं न बंधिके ॥ अत्रि ४६, लिखित ६; इसे अपराकं (पृ० २४) ने जातुर्धर्म का माना है। अपापरोगी धर्मात्मा दित्तुर्ध्वस्तकः शुचिः । अनिष्कात्रीवर्तमानं च वद-निर्दत्ता प्रशस्यते ॥ देवल (अपराकं पृ० २८८ एवं हेमाद्रि, दान, पृ० १४) । पापरोध शत प्रकार के होते हैं—व्यस्ता आदि। शतेषु जायते दूरः सहस्रेषु च पण्डितः । वक्ता शतसहस्रेषु वक्ता भवति वा न वा ॥ व्यास ४।६०।

ब्राह्मण को दान का पात्र नहीं माना है। बृहद्गम (३।३।३८) ने भी कुपात्रों के नाम गिनाये हैं, यथा कोडी, न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित, शूद्रो वा यज्ञ करानेवाले, देवलक, वेद बेचनेवाले (पहले में शुल्क निश्चित करके वेद पढ़ाने वाले) ब्राह्मणों को न तो धाद्व में बुलाना चाहिए और न उन्हें दान देना चाहिए। बृहत्सम ने पुन लिखा है कि निकृष्ट कर्म करनेवाले, छोटी, वेद, सन्ध्या आदि कर्मों से हीन, ब्राह्मणोचित धर्मों से च्युत, दुष्ट एव व्यसनी ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार कुपात्रों एव सुपात्रों की जानकारी के लिए देखिए वनपर्व (२००।५-९), बृहत्पराशर (८, ५० २४१-२४२), गौतम (३, ५० ५०८-५०९) आदि। वैश्वदेव के उपरान्त सबको भोजन देना चाहिए। विष्णु-धर्मोत्तर ने लिखा है कि भोजन एव वस्त्र के दान में मनुष्य की आवश्यकता देखनी चाहिए न कि उसकी जाति। किसी सच्चे प्रार्थी को देखते ही जिसने गुण पर गुण की लहरे उलपन्न हो जाती हैं और जो प्रेमपूर्वक एव सम्मान के साथ देता है, वह वास्तविक श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है। आदर से देनेवाले एव आदर से लेनेवाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं और इस नियम के अपवादी नरक में जाते हैं (मनु ४।२३५)।

देय—दान के पदार्थों एव उपकरणों के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। अनुशासनपर्व (५०।७) के मत में सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ प्यारे पदार्थ तथा जिसे व्यक्ति बहुत मूयवान् समझता है उमका गुणवान् व्यक्ति को दिया जाना अथवा गुण एव पुण्य देनेवाला दान कहा जाता है। देवल के मत में वह वस्तु देय है जिसे दाता ने बिना किसी को सताये, विन्ता एव दुःख दिये स्वयं प्राप्त किया हो, वह चाहे छोटी हो या मूल्यवान् हो। देय की बढाई या छोटाई अथवा न्यूनता या अधिकता पर पुण्य नहीं निर्भर रहता, वह तो मनोभाव, दाता की समर्पता तथा उसके धनार्जन के ढंग पर निर्भर रहता है। श्रद्धा से जो कुछ सुपात्र को दिया जाय वह सफल देय है, विन्तु अश्रद्धा से या कुपात्र को दिया गया घन निष्फल होता है। अपनी समर्पता में अनुसार देना चाहिए।

देय पदार्थों में कुछ उत्तम, कुछ मध्यम एव कुछ निकृष्ट माने जाते हैं। उत्तम पदार्थ हैं—भोजन, दही, मधु, रसा, गाय, भूमि, सोना, अश्व एव हाथी। मध्यम हैं—विद्या, आश्रयगृह, घरेलू उपकरण (यथा पलंग आदि), औषधें तथा निकृष्ट हैं—जूते, हिंडोले, गाडियाँ, छत्र (छाता), बरतन, आसन, दीपक, लज्जी, फल या अन्य जीर्ण-शीर्ण वस्तुएँ (देखिए देवल, अपराध, ५० २८९-९० में उद्धृत एव हेमाद्रि, दान, ५० १६)। याज्ञवल्क्य (१।२१०-११) की तालिका भी अवलोकनीय है। ऊपर की तालिका एव याज्ञवल्क्य की तालिका में कोई भौतिक भेद नहीं है, अतः हम उसे यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। तीन प्रकार के देय सर्वोत्तम कहे गये हैं, यथा गाय, भूमि एव सरस्वती (विद्या) और इन्हें अतिदान कहा जाता है (वसिष्ठधर्मसूत्र २९।१९ एव बृहस्पति १८)। वसिष्ठधर्मसूत्र (२९।१९), मनु (४।२३३), अत्रि (३।४०) एव याज्ञवल्क्य (१।२१२) का कहना है कि विद्या सर्वश्रेष्ठ देय है, अर्थात् यह जल, भोजन, गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, सोने एव मधु से श्रेष्ठ है। किन्तु अनुशासनपर्व (६२।२) एव विष्णुधर्मोत्तर (अपराध, ५० ३६९ में उद्धृत) की दृष्टि में भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ है। विष्णुधर्मसूत्र ने अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ माना है। कुछ पदार्थों का दान महादान कहा जाता है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे।

दान-प्रकार—दान के प्रकार हैं नित्य (आजविक, देवल के मत से), नैमित्तिक एव काम्य। जो प्रतिदिन दिया

८. अत्यायापिगता इत्या सकला पृथिवीमपि। अज्ञावर्जमात्राय न कांश्चिद् भूतिमान्नुयात्॥ प्रयाय श्राफ-
मुष्टि वा अज्ञामभितसमुद्यताम्। अहते पात्रमूताय सर्वाभ्युपयमान्नुयात्॥ देवल (अपराध २९०); सहज-
शक्तिश्च शत शतशक्तिर्वाशापि च। इच्छावपश्च यः शक्त्या सर्वं तुल्यफलाः स्मृताः॥ आश्रयमेपिपर्व (१०।१६-१७);
एकां वां ब्रह्मपुंदात् ब्रह्म ब्रह्मण्य गोशती। शतं सहस्रपुंदात्सर्वं तुल्यफला हि ते॥ अग्निपुराण (२१।११)।

जाय (यथा वैश्वदेव आदि के उपरान्त भोजन) उसे निया, जो किन्हीं विभिन्न भवतारों (यथा ग्रहण) पर दिया जाय उसे नैमित्तिक तथा जो सन्तानोत्पत्ति, विजय, समृद्धि, स्वर्ग या पत्नी के लिए दिया जाय उसे काम्य कहते हैं। बाटिका, बूप आदि का समर्पण ध्रुवदान कहा जाता है (देवल)। ब्रह्मपुराण ने इन तीनों प्रकारों में एक और जोड़ दिया है, यथा विपत्त (पवित्र), जो ब्रह्मजानी को श्रद्धासहित भगवत्प्राप्ति के लिए दिया जाता है। भगवद्गीता (१७।२०-२२) ने दान को सात्त्विक, राजस एव तामस नामक श्रेणियों में बाँटा है और कहा है—“जब देश, काल एव पात्र के अनुसार अपना बर्तव्य समझ कर दान दिया जाता है और लेनेवाला अस्वीकार नहीं करता, तो ऐसे दान को सात्त्विक दान कहा जाता है। जो किसी उच्छा की पूर्ति के लिए या अनुत्साह में दिया जाय तो उसे राजस दान तथा जो दान अनुचित काल, स्थान एव पात्र को बिना श्रद्धा तथा घृणा के साप दिया जाय उसे तामस दान कहते हैं। योगी-याज्ञवल्क्य का कहना है कि गुप्त दान, बिना अहवार का ज्ञान तथा बिना अन्य लोगों को दिग्भाये जप करना अनन्त फल देने वाला होता है। देवल ने भी ऐसा ही कहा है।

बिना मांगा दान—मनु (४।२४७-२५०), याज्ञवल्क्य (१।२।४-२।१५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।६।१। १३-१४), विष्णुधर्मसूत्र (५७।११) के मत में भुसा, कच्ची तरकारियाँ, दूध, दधिया, आसन, मुना हुआ जी, जल, मूत्य-गान् रत्न, समिधा, फल, बन्द्यमूल, मधु भोजन यदि बिना मांगे मिले तो अस्वीकार नहीं करना चाहिए (किन्तु नपूखन, वेदपात्रों एव पतितों द्वारा दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए)।

अद्वेष परार्थ—कुछ वस्तुएँ दान में नहीं दी जानी चाहिए। अद्वेष परार्थों में कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अपना स्वत्व नहीं होता तब कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऋणियों ने दान के लिए बर्जित ठहराया है। जमिनि (६।७।१-३) ने इन विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हैं—(१) अपनी ही वस्तु का दान हो सकता है, (२) विद्वजित् यज्ञ में अपने सम्बन्धियों, यथा माता पिता पुत्रों एव अन्य लोगों का दान नहीं हो सकता, (३) गजा अपने सम्पूर्ण राज्य का दान नहीं कर सकता, (४) उस यज्ञ में अर्धों का दान नहीं हो सकता, क्योंकि यह उस यज्ञ में श्रुतिवर्जित है, (५) शूद्र जो बैबल नौकरी के लिए पारितोषिक की सेवा करता है दान में नहीं दिया जा सकता तथा (६) विद्वजित् यज्ञ में वही परार्थ दक्षिणास्वरूप दिया जा सकता है जिस पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार एव स्वामित्व हो। नारद (दत्तात्रेयप्रदानिक ४-५) ने आठ प्रकार के दान वर्जित माने हैं—(१) ऋण चुकाने के लिए ऋणों द्वारा ऋणदाता को देने के लिए तीसरे व्यक्ति को दिया गया धन, (२) प्रयोग में लाने के लिए उधार ली गयी सामग्री (यथा उत्सव के अवसर पर उधार लिया गया आनूषण), (३) ग्यास (द्रष्ट), (४) समुक्त या कई लोगों के माने वाली सम्पत्ति, (५) विशेष अर्थात् किसी का जमा किया हुआ धन (६) पुत्र एव पत्नी, (७) शन्ताओं के रत्न पर अपनी पूरी सम्पत्ति एव (८) दूसरे को पहले से ही दिया हुआ परार्थ। दत्त (३।१०-२०) ने उपर्युक्त सूची में दो बातें और जोड़ दी हैं (मित्र का धन एव मय से दान) तथा एक बात निराश दो है (वह परार्थ जो दूध का पत्रले से ही दे दिया गया है)। याज्ञवल्क्य (१।१७५) में भी यही धारि है। अपरान्त (५०-७७)। ब्रह्मपति एव कात्यायन के इसी प्रकार के यज्ञ उद्धृत निय हैं।

धर्मशास्त्रकारों ने दान निगम के ऊपर प्रतिक्रिया भी लगी तथा है। दान का चार्जार्थ अर्थात् देना चाहिए, किन्तु भूतात्प्राग्ना (दयानुता) अपने घर के विषय में भी हमी काश्मि (ध्याम ६।१६, १८, २४, २६, ३०-३१, धर्मसूत्र २००।३२-३३)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।।।१०-१२।), धीयादानधर्मसूत्र (२।२।१९) ने किया है कि अपन अर्थात् (जिनका भरण पोषण करना अपना विभिन्न उत्तरदायित्व है), नौकरा एव दासा की बिन्ता (परवाह) न करने अतिथियों एव अन्य को भोजन बाँट देना अनुचित है। याज्ञवल्क्य (२।१७५) ने किया है कि अपने बुढ़क का परवाह करते हुए दान देना चाहिए। ब्रह्मपति एव मनु (१।१९-२०) ने दान की मर्यादा की है जो अर्थात् बुढ़क को भरण पोषण की परवाह न करने दिया जाता है, इसे उन्होंने धर्म का गन्त अनुकरण माना है। “अपने लोग भूला

मरें और अन्य लोग घरों में दात लेकर मीज उड़ाये' यह बुद्धिभारती नहीं है। यही बात अनुशासनपर्व (३७।२-३) में भी पायी जाती है। हेमाद्रि ने शिवधर्म' को उद्धृत कर लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धन का पत्नी भागो में करके तीन भाग अपने तथा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण में लगाये और शेष दा भाग धर्म कार्य में, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है।

अस्वीकार के योग्य दान—कुछ पदार्थों को दान रूप में स्वीकार करना वर्जित माना गया है। श्रुति ने दो दन्तपवित्तियों वाले पशुओं को दान रूप में ग्रहण करना वर्जित किया है (जमिनि ६।७।४ पर शबर की व्याख्या) वसिष्ठ-धर्मसूत्र (१३।५५) ने ब्राह्मणों के लिए अस्त्र शस्त्र विपैले पदार्थ एवं उन्मत्तकारी पदार्थों का ग्रहण वर्जित ठहराया है। मनु (४।१८८) का कहना है कि अविद्वान् ब्राह्मण को सोने, भूमि, अन्न, गाय, भोजन, वस्त्र, तिल एवं घृत का दान नहीं लेना चाहिए, यदि वह लेगा तो लकड़ी की भाँति भस्म हो जायगा (अर्थात् नष्ट हो जायगा)। हेमाद्रि (दान, पृष्ठ ५७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह भेडा, अरखी, बहुमूल्य रत्नो, हाथी, तिल एवं लोहे का दान न ले, यदि ब्राह्मण मृगचर्म या तिल स्वीकार करता है तो वह पुन पुंस्य रूप से नहीं जन्मेगा, और वह जो मरे हुए की शय्या, आनूपण एवं परिधान ग्रहण करता है वह नरक में जायगा।

दान के काल—दान करने के उचित काल के विषय में बहुत-से नियम बने हुए हैं। प्रति दिन के दान-कर्म के प्रतिरिक्त अन्य विशिष्ट अवसरों के दान की व्यवस्था करते हुए धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि प्रति दिन के दान-कर्म से विशिष्ट अवसरों के दान-कर्म अधिक सफल एवं पुण्यप्रद माने जाते हैं (याज्ञवल्क्य १।२०३)। लघु शातातप (१४५-१५३) ने लिखा है कि अयनो (सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के प्रथम दिन में, षडशीति के प्रारम्भ में, सूर्य-चन्द्र ग्रहणों के समय दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इन अवसरों के दान अक्षय फल के दाता माने जाते हैं।" वनपर्व (२००।१२५) ने भी यही कहा है। अमावस्या के दिन, तिथिदशम में, विषुव के दिन (जब रात-दिन बराबर हों) एवं व्यतिपात के दिन का दान क्रम से मी गुना, महस्र गुना, लाख गुना एवं अक्षय फल देनेवाला है। सर्त (२०८-२०९) का कहना है कि अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनशय, द्वादशी, सत्रान्ति को दिया हुआ दान अक्षय फल देनेवाला होता है, इसी प्रकार उपयुक्त दिना या तिथिया के अतिरिक्त रविवार का दिन स्नान, जप हाम, ब्राह्मण भोजन, उपवास एवं दान के लिए उपयुक्त ठहराया गया है।" शातातप (१४६), विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।२४-२।७),

९ तस्मात् त्रिभाग वित्तस्य जीवनाय प्रकल्पयेत् । भागद्वय तु धर्माधर्मनित्य जोषित यत् ॥ हेमाद्रि (दान, पृ० ४४) एक दानमूल्य (पृ० ५) द्वारा उद्धृत; भागयत्, शुकाचार्य का राजा बलि के प्रति उपदेश (३७।१।१८)।

१०. अयने विषुवे चैव षडशीतिमुतेषु च । चन्द्रसूर्योपरगो च दत्तमक्षयमुच्यते ॥ वनपर्व २००।१२५; अयनादौ सदा दद्यात् इव्यमित्प गृहे वसन् । षडशीतिमुते चैव विमुक्ते चन्द्रसूर्यो ॥ लघुशातातप (अपराक, पृ० २९१ में शातातप नाम से उद्धृत) । मिथुन, कन्या धनु एवं मीन राशियों में जब सूर्य का प्रवेशहोता है तो उसे षडशीति कहते हैं; बृहत्पाराशर पृ० २४५ एवं अपराक पृ० २९२, जहाँ वसिष्ठ, अग्निपुराण (२०९।९-१०) उद्धृत हैं।

११. शतमिदुक्षये दान सहस्र तु दिनक्षये । विषुवे शतसाहस्र व्यतीपते स्वन्तत्कम् ॥ लघुशातातप (१५०), अपराक द्वारा व्यास के उद्धरण के रूप में उद्धृत। जब तीन तिथियाँ एक ही दिन पड़ जाती हैं तो इसे दिनक्षय कहा जाता है, क्योंकि बीच वाली तिथि पत्राग में दबा दी जाती है (देखिए अपराक पृ० २९२); व्यतिपात २७ योगों में, जिनका आरम्भ विष्वम्भ से होना है, एक योग है, इसकी परिभाषा यो दी गयी है—ध्रुवणादिवधनिष्ठःश्रीनागदंबत-मस्तरे । यद्यपि रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ (बृह मनु, अपराक पृ० ४२६) अर्थात् जब चन्द्र ध्रुवण, अश्विनी,

प्रजापति (२५ एव २८), अत्रि (३२७) ने दान-काल के विषय में नियम दिये हैं। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८९) में वर्ष की पूर्णिमाओं के दिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के दान करने से उत्पन्न फलों की चर्चा की है। अनुशासनपर्व (अध्याय ९४) ने कृत्तिका से आगे के २७ नक्षत्रों के दानों का उल्लेख किया है।

एक सामान्य नियम यह है कि रात्रि में दान नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु कुछ अपवाद भी हैं। अत्रि (३२७) ने लिखा है कि ग्रहणां, विद्याहो, सत्रान्तियों एव पुत्ररत्न-लाभ के अवसर पर रात्रि में दान दिये-लिये जा सकते हैं। और देखिए पराशरनामधेय ११, पृ० १९४ में उद्धृत देवल।

उपर्युक्त अवसरों एव नियमों का दिग्दर्शन शिलालेखों में भी हो जाता है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। सूर्य-ग्रहण के अवसर पर भूमि एव घासों के दान की चर्चा ताम्रपत्रों एव शिलालेखों में हुई है, यथा राष्ट्रकूट नम्वराज का तिवरखेड पत्र (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ११, पृ० २७९, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ७३, सन् ६१३ ई०), चालुक्य नीतीवर्मा द्वितीय के समय का लेख (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ३, पृ० १००, सन् ६९० ई०)। चन्द्र-ग्रहण के अवसर पर प्रदत्त दानों का उल्लेख जे० बी० ओ० आर० एस्० (जिल्द २०, पृ० १३५), एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द १, पृ० ३४१, जिल्द १९ पृ० ४१, जिल्द २०, पृ० १२५) में हुआ है। अयनों (उत्तरायण एव दक्षिणायन) के अवसर वाले दानपत्रों के लिए देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १३, पृ० १९३, सजन-पत्र (अनोपवर्ष का)। सत्रान्तियों के अवसर के दानपत्रों की चर्चा के लिए देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० १८२, जिल्द १२, पृ० १४२, जिल्द ८, पृ० १५९। इस प्रकार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रों की चर्चा के लिए देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ७, पृ० ९३, जिल्द १४, पृ० ३२४, जिल्द १४, पृ० १९८, जिल्द ७, पृ० ९८, जिल्द १०, पृ० ७५।

दान के स्थल—स्मृतियों, पुराणों एव निबन्धों में देना (स्थानं वा स्थल) के विषय में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। दानमूल (पृ० ८) में आया है कि घर में दिया गया दान दस गुना, गोशाला में सो गुना, तीर्थों में सहस्रगुना तथा सिव की मूर्ति (लिंग) के समक्ष वा दान अनन्त फल देनेवाला होता है। स्कन्दपुराण (हेमाद्रि, दान, पृ० ८३ में उद्धृत) के मत से वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर (अजमेर), गंगा एव समुद्र के तट, नैमिषारण्य, अमरकण्ठक, शी-पर्वत, महाकाल (उज्जयिनी में), गोकर्ण, वेद पर्वत तथा इन्हीं के समान अन्य स्थल पवित्र हैं, जहाँ देवता एव सिद्ध रहते हैं, सभी पर्वत, सभी नदियाँ एव समुद्र पवित्र हैं; गोशाला, सिद्ध एव ऋषि लोगों के वास-स्थल पवित्र हैं, इन स्थानों में जो कुछ दान दिया जाता है वह अनन्त फल देनेवाला होता है।^{११}

दान की दक्षिणा—जिसी भी वस्तु का दान करते समय दान देनेवाले के हाथ पर जल गिराना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१९-१०) के अनुसार सभी प्रकार के दानों में जल-प्रयोग होता है (केवल वैदिक यज्ञों को छोड़कर, जिनमें वैदिक उक्तियों के अनुसार कृत्य किये जाते हैं), सभी प्रकार के दानों में दक्षिणा देना भी अनिवार्य है। किन्तु अग्निपुराण (२।१।३१) ने सोने-चाँदी, ताम्र, धावल, अन्न के दान में तथा आह्निक धातु एवं आह्निक

धर्मिष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा में पढ़ जाता है एवं अमावस्या रविबार की पड़ती है तो इसे व्यतीपात कहते हैं। दान में भी हर्षचरित (४) में लिखा है कि हर्ष का जन्म व्यतीपात-जैसी अनुभूति धर्मियों से रहित समय में हुआ था।

१२. वाराणसी कुरुक्षेत्र प्रयागः पुष्कराणि च। वंशा समुद्रतीर्थं च वैमिषारण्यकण्ठकम्॥ शीपर्वतमहाकालं गोकर्णं वेदपर्वतम्॥ इत्याद्याः कीर्तिताः देवाः सुरसिद्धिनिर्जिताः॥ सर्वे शिलोच्चयाः पृथ्वाः सर्वा नद्यः सप्तधराः। नीलसिद्धिनिर्जितास्तथा देवाः पुण्याः प्रकीर्तिताः॥ एषु तीर्थेषु यज्ञं कल्पयानमयहम् भवेत्। स्कन्दपुराण (हेमाद्रि, दान, पृ० ८३ में उद्धृत)।

देवपूजा के समय दक्षिणा देना अनिवार्य नहीं माना है। दक्षिणा सोने के रूप में ही दी जाती थी, किन्तु सोने के दान में चाँदी की दक्षिणा दी जा सकती थी। बहुमूल्य वस्तु के दान में, यथा तुलापुरुष दान में दक्षिणा एक सौ या पचास या पचीस या दस निष्को की या दान की हुई वस्तु का एक-दसवाँ भाग या सामर्थ्य के अनुसार हो सकती है।

दान के देवता—बहुत से पदार्थों के देवता होते हैं। हेमाद्रि (दान, पृ० ९६-९७) एवं दानमयूख (पृ० ११-१२) ने विष्णुधर्मोत्तर को उद्धृत कर दान-पदार्थ के देवताओं के नाम लिखे हैं, यथा सोने के देवता है अग्नि, दास के प्रजापति, गायों के रुद्र आदि। जब किसी पदार्थ के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तो विष्णु को ही देवता मान लिया जाता है। इस प्रकार का विचार ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं श्रौतसूत्रों से लिया गया है, जहाँ रुद्र, सोम, प्रजापति आदि क्रम से गायों, परिधानों, मानवों आदि के देवता कहे गये हैं (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।५, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१।३)।

दान देने की विधि—दाता एवं प्रतिग्रहीता को स्नान करके दो पवित्र धवल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, दाता को पवित्री पहनकर आचमन करना चाहिए, पूर्वामिमुख होकर उपवीत ढग से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, स्वयं पवित्र आसन (कुशासन) पर बैठकर प्रतिग्रहीता (दान लेने वाले) को उत्तरामिमुख बैठाकर दान के पदार्थ का नाम, उसके देवता का नाम तथा दान देने का उद्देश्य उच्चारित करना चाहिए और कहना चाहिए—“मैं इस पदार्थ का दान आपको कर रहा हूँ”, तब प्रतिग्रहीता के हाथ पर जल गिराना चाहिए। जब प्रतिग्रहीता कहे “दीक्षिण”, तब दाता को देय पदार्थ पर जल छिड़कना चाहिए और उसे प्रतिग्रहीता के हाथ पर रख देना चाहिए, तब प्रतिग्रहीता “ओम्” कहकर “स्वस्ति” का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त प्रतिग्रहीता को दक्षिणा दी जाती है। अग्निपुराण (२०९। ५९-६१) ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दान की चर्चा की है—पुत्र, पौत्र, गृहैश्वर्य, पत्नी, धर्मार्थ, कीर्ति, विद्या, सौभाग्य, आरोग्य, सर्वपापोपशान्ति, स्वर्गार्थ, भुक्तिभुक्ति। समय एवं देय पदार्थों के अनुसार विधि में परिवर्तन किया जा सकता है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता, वैसे स्थिति में दान की हुई भूमि की प्रदक्षिणा या उसमें श्रवण मान पर्याप्त है।

राजा द्वारा दान—याज्ञवल्क्य (१।१३३) के मत से राजा को चाहिए कि वह प्रतिदिन वेदज (शोनिय) ब्राह्मणों को दुधारू गायें, सोना, भूमि, घर, विवाह करने के उपकरण आदि दे। यह बहुत प्राचीन परम्परा रही है। वनपर्व (१८६।१५) में आया है कि जो ब्राह्मण विवाह के लिए कन्या दान एवं भूमि दान करता है, वह इन्द्रलोक के आनन्द का उपभोग करता है। महान के दामाद उपयदात (प्रथम शताब्दी ई० सन्) के शिलालेख से पता चलता है कि वह प्रति वर्ष तीन लाख गायें एवं १६ ग्राम ब्राह्मणों एवं देवताओं को दान देता था, प्रति वर्ष एक लाख ब्राह्मणों को भोजन देता था; उसने प्रमास (सौराष्ट्र) में अपने व्यय से आठ ब्राह्मणों के विवाह कराये, उसने बार्णासा नदी के किनारे सौद्विष्य बनवायी; मरुकच्छ (आधुनिक मरौरु), दशपुर (मालवा), गोवर्धन (मासिक) एवं शूर्पारक (सोपारा) में चतुःशालाएँ, गृह एवं प्रतिथय (ठहरने के स्थान) बनवाये; नूप एवं तालात्र बनवाये, इबा, पारदा, दमणा, तापी, करवेणा, दाहानुका (ये सभी थाना एवं सूरत के बीच में हैं) नामक नदियों पर निःशुल्क नावें चलवायी, जल वितरण के लिए आश्रय-स्थल एवं सभागृह बनवाये, शूर्पारक में रामतीर्थ एवं अन्य तीन स्थानों के चरक शाखा में ब्राह्मणों की भूमा में ननगोला (आधुनिक नगौर) में, ३२००० नारियल दिये। उपबदात ने यह भी लिखा है कि उसने एक ब्राह्मण से

१३. पुत्रपौत्रगृहैश्वर्यपत्नीधर्मार्थसद्गुणः। कीर्तिविद्यामहाकाम-सौभाग्यागाय्यभुञ्जये। सर्वपापोपशान्त्यर्थं स्वर्गार्थं भुक्तिभुक्तये। एतत्तुभ्यं संप्रबदे प्रीयतां मे हरिः शिबः॥ अग्निपुराण (२०९।५९-६१)।

४००० कार्पाण देजर भूमि रररदी और उमे अपन (अर्थात् उपवदात) द्वारा निर्मित गुफा म चारो ओर से आन-वाले मिश्र-जा बा दे दिया।

विवाह के लिए ब्राह्मण को तथा उसे पूर्णरूपेण व्यवस्थित करने के लिए जो दान दिया जाता है, उगरी भी प्रभूता महत्ता गायी गयी है। दक्ष ने लिखा है—“भानुपितृविहीन ब्राह्मण के सन्तार एव विवाह आदि कराने से जो पुण्य होता है उसे कृता नहीं जा सकता, एव ब्राह्मण को व्यवस्थित करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अग्निहोम एव अग्निष्टोम यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता। (दश ३।३२-३३)। मंत्रेदिक दान ने विषय में अपराज (पृ० ३७७) ने वालिना-पुराण से लम्बी उक्ति उद्धृत की है, जिसका सन्नेप यो है—“दाता को भोगिन ११ ब्राह्मण चुनकर उनके लिए ११ मकान बनवा देने चाहिए, अपने व्यय से उनका विवाह सम्पादित करा देना चाहिए, उनके घरों को अन्न-मण्डार, पशु, नौकरानियो, शय्या, आसन, मिट्टी के भाण्डा, ताम्र आदि के बरतनों एव वस्त्रों से सुसज्जित कर देना चाहिए, ऐसा करके उसे चाहिए कि वह प्रत्येक ब्राह्मण के भरण-पोषण के लिए १०० निवर्तनों की भूमि या एका गाँव या आधा गाँव दे और उन ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बनने की प्रेरणा करे। ऐसा करने से दाता सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत, दान एव तीर्थयात्राएँ करने का पुण्य पा लेता है और स्वर्गानन्द प्राप्त करता है। यदि कोई दाता इतना न कर सके तो कम-से-कम एक श्रोत्रिय के लिए वंसा कर देने पर उतना ही पुण्य प्राप्त करता है।” शिलालेखों के अनुशीलन से पता चलता है कि बहुत-से राजाओं ने ब्राह्मणों के विवाहों में धन-व्यय किया है। आदित्यसेन के अफसाद शिलालेख (देखिए गुप्त प्रस्क्रिप्टस, स० ४२, पृ० २०३) में अग्रहारों के दानों से १०० ब्राह्मण न्यायो के विवाह कराने का वर्णन आया है। शिलालेख राजकुमार मण्डरादित्य के शिलालेख से पता चलता है कि राजा ने १६ ब्राह्मणों के विवाह कराये और उनके भरण-पोषण के लिए तीन निवर्तना का प्रबन्ध किया (देखिए जे० बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द १३, पृ० १)। ब्राह्मणों का जीवन सादा, सरल और उनके विचार उच्च थे, वे देस के पवित्र साहित्य को वसीयत के रूप में प्राप्त कर उमरी रखा वरत थे और उसे दूसरों तक पहुँचाने में, वे लोगों को निःशुल्क पढ़ाते थे। उन दिनों राज्य में आधुनिक बाल की भाँति शिक्षण-संस्थाएँ नहीं थी, अतः राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे ब्राह्मणों की ऐसी सहायता करत कि वे अपने बच्चों को सम्पूर्ण रूप से सम्पादित कर पाते। याज्ञवल्क्य (२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिखा है कि उन्हें विद्वान् एव वेदज्ञ ब्राह्मणों की सुग-सुविधा का प्रबन्ध करना चाहिए, जिससे कि वे स्वधर्म सम्पादित कर सकें। अपराज (पृ० ७९२) ने बृहस्पति की उक्तियाँ उद्धृत करके लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह अग्निहोत्री एव विद्वान् ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए निःशुल्क भूमि का दान करे और ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपना धर्मव्यय करें और धार्मिक कार्य करत हुए लोच मगल की भावना से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। ब्राह्मणों को यह भी चाहिए कि वे जनता के मन्देह दूर करें और ग्रामों, गणों एव निगमों के लिए नियम, विधान तथा परम्पराएँ स्थिर करें। कौटिल्य (२।१) ने भी ब्राह्मणों के लिए निःशुल्क भूमि के दान की बात चढ़ायी है।

भूमि-दान

बहुत प्राचीन काल से ही भूमि-दान का सर्वोच्च पुण्यकारी कृत्य माना गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२९।१६), बृहस्पति (७), विष्णुधर्मोत्तर, मत्स्यपुराण (अपराज, पृ० ३६९-३७० में उद्धृत), महाभारत (अनुशासनपर्व ६२। १९) आदि में भूदान की महत्ता गायी गयी है। अनुशासनपर्व (६२।१९) ने लिखा है—“परिष्पतिवदा व्यक्ति जो कुछ पाप कर बैठता है वह गोचर्म मात्र भूदान से मिट सकता है।” अपराज (पृष्ठ ३६८, ३७०) ने विष्णुधर्मोत्तर,

आदिवपुराण एव मत्स्यपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि भूदान से उच्च फलो की प्राप्ति होती है। वनपर्व (१३। ७८-७९) न लिखा है कि राजा शासन करते समय जा भी पाप करता है, उस यज्ञ एव दान करने, ब्राह्मणा को भूमि एव मह्यो गायें दकर नष्ट कर देता है, जिस प्रकार जन्म राहु से छुटकारा पाता है उसी प्रकार राजा भी पापमुक्त हो जाता है। अनुशासनपर्व (५९।५) में कहा है—तोने गायो एव भूमि क दान से दुष्ट व्यक्ति छटकारा पा सता है।

भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतियों ने इसके विषय में बहुत में नियम बनाय है। याज्ञवल्क्य (१।३।१८-३२०) ने लिखा है—“जब राजा भू-दान या निबन्ध दान (निश्चित दान जो प्रति वर्ष या प्रति मास या विशिष्ट अवसरों पर किया जाता है) कर तो उसे आगामी मद्र (अच्छे) राजाओं के लिए लिखित आदेश छोड़ने चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपनी मुद्रा को किसी वस्त्र-खण्ड या ताम्रपत्र के ऊपर लिखित कर दे और नीचे अपना तथा पूर्वजा का नाम अंकित कर दे और दान का परिमाण एव उन स्मृतियों की उक्तियाँ लिख दे जो दिये हुए दान के लौटा लेने पर (दाता को) मर्त्या करती हैं।” याज्ञवल्क्य के सबसे प्राचीन टीकाकार विद्वरूप ने लिखा है कि दान-ग्रन्थ पर आशा दूतक आदि राजसमचारिया एव राजसेना के ठहराव के स्थल आदि के नाम भी अंकित होने चाहिए, स्त्रियों (रानी या राजमाता) के नाम भी उल्लिखित होने चाहिए और होनी चाहिए चर्चा उन कुकुला की जो दान लौटा लेने से प्राप्त होते हैं। इसी विषय पर अपराकं (५० ५७९-५८०) ने बृहस्पति एव व्यास को उद्धृत किया है।

यदि हम अब तक के प्राप्त सहस्रों शिलालेखों या दान पत्रों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि स्मृतियों की उपर्युक्त उक्तियों का अक्षरशः पालन होता रहा है, विशेषण पाँचवी शताब्दी से याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एव व्यास आदि की उक्तियों के अनुसार ही दान-ग्रन्थ लिखे जाते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन शिलालेखों में दान फल एव दान देकर लौटा लेने के विषय में कुछ नहीं पाया जाता (देविए गुप्त इस्क्रिप्शंस सरया ८, पृ० ३६, जहाँ कबल इतना ही आया है—

अनुशासन, (६२।१९), बृहस्पति (७), भविष्यपुराण (४।१६४।१८)। याज्ञवल्क्य (१।२।१०) को टोका में मिताक्षर ने इसे मनु की उचित माना है और द्वितीय पाद की 'ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा' लिखा है। बृहस्पति ने 'गोचर्म' को १० निवर्तनों के समान तथा एक निवर्तन को ३० लट्टों के समान तथा एक लट्टे को १० हाथों के समान माना है; दशहस्तेन वण्डेन त्रिंशद्दण्डनिवर्तनम्। दश ताम्येव विस्तारो गोचर्मैतन्महाफलम्॥ बृहस्पति (८)। बृहस्पति (९) ने गोचर्म की एक अय परिभाषा की है—गोचर्म उते बहते हैं, जहाँ एक सहस्र गायें अपने बछड़ों एव साँब के साथ स्वतंत्र रूप से खड़ी रहती हैं—'सवृष गोसहस्र तु यत्र त्रिद्वयतन्त्रितम्। बालवससाम्प्रसूताना त्व गोचर्म इति स्मृतम्॥' गोचर्म की अन्य परिभाषाओं के लिए देखिए परमार (१।२।४९), विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८१), अपराकं (५० १२२५), हेमाद्रि (भ्रतलण्ड भाग १, पृ० ५२-५३)। कौटिल्य (२।२०) ने एक वण्ड को चार अरत्नियों के बराबर, दस वण्डों को एक रज्जू के बराबर तथा तीन रज्जुओं को एक निवर्तन के बराबर माना है। निवर्तन शब्द नासिक शिलालेख (सख्या ५—एपिप्रीकिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ७३) एव पल्लवों के राजा शिवस्कन्ध वर्मा (एपिप्रीकिया इण्डिका, जिल्द १, पृष्ठ ६) के शिलालेख में आया है। इस प्रकार की व्याख्या के लिए ब्रह्म्य एपिप्रीकिया इण्डिका, जिल्द ११, पृ० २८०।

१५ इत्वा भूमि निबन्ध वा इत्वा लेट्य तु कारयेत्। आगामिभद्रनुपतिपरिज्ञानाय पारियेव ॥ १६ वा तामपट्टे वा स्वमद्रोपरिचिह्नितम्। अभिलेख्यात्मनो वश्यानात्मान च महोपति ॥ प्रतिग्रहपरीमाण दानच्छेदोपवर्णनम्। स्वहस्तकालसम्पन्न शासन कारयेत्स्वयम्॥ याज्ञवल्क्य (१।३।१८-३२०)।

'जो भी कोई इस दातव्य को सम्पन्न करेगा वह पंच महापापों का नागी होगा', इसी प्रकार सख्या ५ (पृ० ३२) में आया है—'जो इस दातव्य को सम्पन्न करेगा वह ब्रह्महत्या एवं गोहत्या एवं पंच महापापों का अपराधी होगा।'

आरम्भिक अभिलेखों में दान-महत्ता एवं दान लौटा लेने के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं देखने में आती, किन्तु पत्रपात्कालीन अभिलेखों में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। कुछ उक्तियाँ तो सामान्य रूप से सारे भारत में उद्भूत की जाती रही हैं—'सगर तथा अन्य राजाओं ने पृथिवी का दान किया था, जो भी राजा पृथिवीपति होता है वह भूमि-दान का पुण्य कमाता है। भूमिदाता स्वर्ग में ६०,००० वर्षों तक आनन्द ग्रहण करता है, और जो दान लौटा लेता है वह उतने ही वर्षों तक नरक में बास करता है।' इन विधानों के रहते हुए भी कुछ राजाओं ने दान में देी गयी सम्पत्ति लौटा ली है, यथा इन्द्रराज तृतीय के अभिलेख (८३६ शकब्द) से पता चलता है कि राजा ने ४०० ग्राम दानपात्रों को लौटाये, जो कि उसके पूर्व के राजाओं ने जप्त कर लिये थे (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १४)। चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम (६६० ई०) के तलमत्रि ता म्रपत्र से पता चलता है कि राजा ने मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को पुनः तीन राज्यों में हूत दान लौटा दिये (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १००)। राजतरंगिणी (१६६-१७०) से पता चलता है कि अश्वत्थि-धर्मा के पुत्र दाशरवर्मा ने अपने ऐश-आराम (व्यसनो) से खाली हुए बौद्धों को मन्दिरों की सम्पत्ति छीनकर पूरा किया। पराशर (१२५१) ने लिखा है कि दान में पूर्वदत्त सम्पत्ति को छीन लेने से एक सौ बाजपेय यज्ञ करने या लाखों गाँव देने पर भी प्रायश्चित्त नहीं होता। परिव्राजक महाराज सधोम के कोह पत्रों से एक विचित्र उक्ति का पता चलता है—'जो व्यक्ति मेरे इस दान को तोड़ेगा उसे मैं दूसरे जन्म में रहकर भी भयंकर शापानि में जला दूँगा.' (देखिए, गुप्त इतिहास, सख्या २३, पृ० १०७)। बहुत से शिलालेखों में वणित दानों में ऐसा उल्लेख है कि "इस पूर्व-दान से रहित भूमि-सख्य या स्वयं म सब कुछ दिना जा रहा है", यथा "पूर्वप्रत-देव-ब्रह्म-दाप-रहितः"। परमदि-देव (चन्देलों के राजा) के एक दान में (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २२ पृ० १२९) बुद्ध (बुद्ध-मन्दिर) को दिये गये पाँच हली (भूमि-भाग) को छोड़कर अन्य भू-भाग देने की चर्चा है। इससे स्पष्ट है कि वेदानुयायी राजा भी बुद्धमन्दिर को दिये गये दान का सम्मान करता था (देवश्रीमुद्ध-सत्व-पंच-हल बहिष्कृत्य)। बहुत-से ऐसे उदाहरण मिले हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि राजाओं ने प्रतिग्रहीता की भूमि खरीदकर पुनः उत वही दान में दे दी (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० ३४५)। राजा लोग दान दी हुई भूमि से किसी प्रकार का कर नहीं लेते थे (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ९५, बही, जिल्द ६, पृ० ८७, गुप्त इतिहास, सख्या ५५, पृ० २३५)।

भूमि या ग्राम के दान-पत्रों में आठ भोगों का वर्णन आया है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ६, पृ० ९७)। विरुपाक्ष के श्रीशैल-पत्रों में भोगों के नाम आये हैं, यथा निधि, निक्षेप (भूमि पर जो कुछ दिया गया हो), वारि (जल), अश्वा (घरूत, सारें), अश्विनी (वास्तविक विशेषाधिकार), आगामी (भविष्य में होनेवाला लाभ), सिद्ध (जो मू-सख्य कृषि के काम में ले लिया है) एवं साध्य (बजर भूमि, जो कमी खेती के काम में आ सकती है)। इन दानों के अर्थ के लिए देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १३, पृ० ३४ एवं इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द १९, पृ०, २४४। मराठा के बाल में भूमि-सख्य एवं ग्राम के दानों में 'जलतस्तृणवाप्टमायापनिधिनिक्षेप' (जल, तृण, पात, लकड़ी, पत्थर, बोग एवं जमा) लिखा रहता था।

भूमि पर स्वामित्व किसका?—इस प्रश्न के विषय में बहुत प्राचीन काल से वाद विवाद होता आया है। जैमिनि (६।७।३) ने लिखा है कि बिद्वर्जित् यज्ञ में (जिसमें याज्ञिन अर्थात् यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व दान कर देता है) सम्राट् भी सम्पूर्ण पृथिवी का दान नहीं कर सकता, क्योंकि पृथिवी सब की है (सम्राट् तथा जननी जो जोतते हैं और प्रयोग में लाते हैं)। दाशर ने जैमिनि की इस उक्ति की व्याख्या की है और अन्त में कहा है कि पृथिवी पर सम्राट्

एव अन्य लोगों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारमयूख (पृ० ९१) ने भी उपर्युक्त बात दुहरायी है। उपर्युक्त मत के अनुसार पृथिवी के मूखण्डों पर अधिकार उनका है जो जीते हैं, बोले हैं, राजा को केवल कर एकत्र करने का अधिकार है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को दान रूप में देने का पूर्ण अधिकार है। इससे स्पष्ट है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, वह केवल कर लेने का अधिकारी है।

एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमि का स्वामी है प्रजाजन केवल भोगी या अधिकारी मात्र हैं। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।३।१८) ने लिखा है कि याज्ञवल्क्य के शब्दों से निवेदन मिलता है कि मूख-दान करने या निबन्ध देने का अधिकार केवल राजा को है न कि किसी जनपद के शासक को।" मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।१।१४) ने एक स्मृति की उक्ति उद्धृत की है—“छ परिस्थितियों में भूमि जाती है अर्थात् दी जाती है—अपने आप, धाम, श्रातियों (जाति भाई लोगों), सामन्तों, दायादों की अनुमति तथा सकल्प-जल से।” यहाँ राजा की अनुमति की चर्चा नहीं है। किन्तु कभी कभी राजा की आज्ञा की भी आवश्यकता समझी गयी है (देखिए गुप्त इस्क्रिप्शंस, संख्या ३१, पृ० १३५)।

दान-सम्बन्धी ताम्रपत्रों की बड़ी महत्ता थी और कभी-कभी लोग कपटलेख का सहारा लेकर मूख-सम्पत्ति पर अधिकार जताते थे। हर्षवर्धन के घुन ताम्रपत्र (एपिग्रैफिया इंडिका, जिल्द ७, पृ० १५५) में वापरभ्य नामक ब्राह्मण के (सोमकुण्ड के ग्राम के विषय में) कूट लेख का प्रमाण दिया हुआ है। मनु (१।२।३२) ने कपटाचरण से राजकीय आज्ञाओं की प्राप्ति पर मनु-दण्ड की व्यवस्था दी है (देखिए फ्लीट का “स्मूरिएस इण्डियन रेकार्ड्स” नामक लेख, इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ३०, पृ० २०१)।

मनु तथा अन्य स्मृतिकारों के कथनानुसार यह पता चलता है कि कर्षित भूमि (खेती के काम में लायी जमीन भूमि) पर कृषकों का स्वामित्व था और राजा को उसकी रक्षा करने के हेतु कर दिया जाता था। मनु (७।१।३०-१३२) में आया है—“राजा को पशुओं एवं सोने का १/५० भाग, अनाज का १/६, १/८ या १/१२ भाग तथा बूँसों, मांस, मधु, घृत, गधों, जड़ी-बूटियों (ओषधियों), तरल पदार्थों (मदिरा आदि, पुष्यों), जड़-मूलों, फलों आदि का १/६ भाग लेना चाहिए। मनु (१०।१।१८) ने अप्रत्याशित अवसरों पर भूमि की उपज पर १/४ भाग तक कर लगा देने की व्यवस्था दी है। मनु (१।४।४) ने लिखा है कि भूमि उसी की है, जो घास, फूस, झाड़ आदि को दूर कर उसे खेती के योग्य बनाता है। मनु (८।३।९) ने लिखा है कि भूमि में गड़े घन या खान में पाये गये घन का भागी राजा इसलिए होता है कि वह पृथ्वी का शासक और रक्षक है। इस उक्ति से स्पष्ट है कि मनु राजा को भूमि का स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो गड़े हुए घन तथा खानों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूर्ण अधिकार बताते और केवल थोड़ा भाग पा लेने का अधिकारी न बताते। मनु (८।२।४३) ने समय पर खेती न करने वाले कृषकों पर दण्ड की व्यवस्था की है। इस दण्ड का अर्थ केवल इतना ही है कि खेती न करने से राजा का भाग मारा जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जोतने-बोने तथा समय से खेती करने से राजा को कर के रूप में अपना भाग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है कि मनु कृषकों को अर्थात् खेती करने वालों को ही भूमि का स्वामी मानते थे, वे राजा को केवल कर या भाग लेने का अधिकारी मानते थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुछ अच्छे राजा कृषकों से भूमि खरीदकर प्रतिप्रहीता ब्राह्मणों या धार्मिक स्थानों को

१६. अनेक भूपतेरेव भूमिदाने निबन्धदाने बाधिकारो न भोगपतेरिति वसितम्। मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।३।१८। बहूत-से दानपत्र राष्ट्रपतियों, विषयपतियों, भोगपतियों आदि को सम्बोधित हैं। देखिए गुप्त इस्क्रिप्शंस, संख्या २४, पृ० ११०, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ११, पृ० ८२ एवं जिल्द १२, पृ० ३४ में ‘भोग’ शब्द (जो राज्य में दिले या जनपद का द्योतक है) की व्याख्या देखिए; यही अर्थ ‘भूमि’ शब्द का भी है।

दान करते थे। हाँ वह भूमि जो बंयित नहीं थी, वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७।११५, ११९) के मत से राजा को एक ग्राम के लिए एक मुखिया तथा दस, बीस, सौ एवं एक सहस्र ग्रामों के लिए अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सीमा के अपराधों तथा अन्य बातों की सूचना देनी चाहिए। मुखिया को भोजन, इंधन आदि के लिए अर्थात् अपनी जीविका के लिए गांव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उतना पासवता था, जितना कि राजा गांव में प्रति दिन पाने का अधिकारी था), तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दान में मिलती थी (बैसी ही भूमि जो बंयित नहीं होती थी)। बौद्धिक (२।१) का कहना है कि खेती के योग्य बनायी गयी भूमि कृषकों को दी जानी चाहिए क्योंकि वे जीवन भर वर देंगे, किन्तु जो सेत नहीं जोतते उनकी भूमि अप्त वर दूसरे को दे दी जानी चाहिए, किन्तु अध्याप्तो, आय-व्यय का ब्यौरा रखनेवालों तथा अन्य लोगों को दी गयी भूमि न तो उनके द्वारा बेची जा सकती और न बंधव रखी जा सकती है। स्थानाभाव के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम आगे नहीं ले जा सकते। भूमि पर लगी मालगुजारी विराया है या कर है? इस प्रश्न का उत्तर बई ढग से दिया जाता है। बेंडेन पावेल् ने अपनी पुस्तक "लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इण्डिया" (पृ० २४०, २८०) में लिखा है कि भूमि का लगान विराया नहीं कर है।

अप्रहार—अति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम या भूमिखण्ड अप्रहार के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। महाभारत में इनकी चर्चा बहुत बार हुई है (वनपर्व ६८।४, आश्रमवासिपर्व २।२, १०।४१, १३।११, १४।१४, २५।५)। और देखाइए इस विषय में एषिर्षिकिया इण्डिया जिल्द, १५० ८८, मधुवन ताम्रपत्र (बही, जिल्द १५० ७३ एवं जिल्द ७ पृ० १५८)।

महादान

कुछ वस्तुओं के दान महादान बड़े जाते थे। अग्निपुराण (२०९।२३-२४) के अनुसार दस महादान ये हैं— सोने अथवा, तिल, हाथियों, दासियों, रथों, भूमि, घर, दुलहिन एवं कपिला गाय का दान। पुराणों में सामान्यतः महादानों की संख्या १६ है जो निम्नोक्त हैं—तुलापुरष (मनुष्य के बराबर मोना या चाँदी सोलकर ब्राह्मणों में बाँट देना), हिरण्यगर्भ, ब्रह्माण्ड बल्पवृक्ष, मोसहय, वामधेनु (या हिरण्य-वामधेनु), हिरण्यारव, हिरण्यावरथ (या नेत्रल अक्षरथ), हेमहस्तिरथ (या नेत्रल हस्तिरथ), पचलागल, धरादान (या हेमधरादान), विश्वचक्र, बल्पलता (या महाकल्प), सप्तमागर, रत्नधेनु, महाभूतपट। लिगपुराण (उत्तरार्ध, अध्याय २८) में इन नामों में कुछ विभिन्नता है। इनमें से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आश्रमवासिपर्व ३।३१, १३।१५) में 'महादानानि' शब्द आया है। हाथी-गुम्फा अभिलेख (एषिर्षिकिया इण्डिया, जिल्द २०, पृ० ७९) में 'बल्पवृक्ष' दान का नाम आया है। बाग ने भी महादानों तथा घोमहय नामक महादान की चर्चा की है (हर्षचरित ३)। उपबदात में जिन वस्तुओं का दान किया था, उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एषिर्षिकिया इण्डिया, जिल्द ७ पृष्ठ ५७ एवं जिल्द ८ पृ० ७८)। अभिलेखों में तुलामुख्य का उल्लेख बई बार हुआ है (देखाइए एषिर्षिकिया इण्डिया, जिल्द ७ पृ० २६; १०, पृ० ११२; ९, पृ० २४, ११; पृ० २०; १४, पृ० १९७, ७, पृ० १७)। बगाल के राजा लक्ष्मणसेन ने, हेमाक्षरथ नामक महादान करते समय एक ग्राम दान में दिया था (एषिर्षिकिया इण्डिया, जिल्द १२ पृ० १०)। अमोषवर्ष के मञ्जन पत्रों में हिरण्यगर्भ नामक महादान की चर्चा हुई है (एषिर्षिकिया इण्डिया, जिल्द १८, पृ० २३५, २३८)। इसी प्रकार पंच-लागल धत का भी उल्लेख हुआ है (जै० बी० बी० आर० एम्० जिल्द १३ पृ० १)।

महादान-विधि—मत्स्यपुराण (अध्याय २७६-२८९) में लगभग ४०० श्लोकां महादानों की विधि की चर्चा की है, इनमें से तथा मत्स्यपुराण में बहुत में पद्य के रूप में अपराव (पृ० २१३-२४६) ने उद्धृत किये हैं। हेमाद्रि (शा-)

मण्ड, पृ० १६५-३४५) ने बहुत दिग्गद वर्णन उपस्थित किया है और अग्नि, गरुड तथा अन्य पुराणा एव तन्त्र तथा आ० म ग्रन्थो से उद्धरण दिये हैं। दानमयूय ने ८६ से १५१ पृ० तक १६ महादाना के विषय में लिखा है। मत्स्यपुराण (२७४। ११-१२) में लिखा है कि वायुदेव, अम्बरीष भार्गव, जार्तवीर्य-अजुन, राम, प्रह्लाद, पृथु एव भरत ने महादान किये थे। इससे उपरान्त इस पुराण में 'मण्डा' के निर्माण के विषय में नियम दिये हैं, मण्डप कई प्रकार के होते हैं, अर्थात् उनकी आकृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उनके आकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं, यथा—१६ अर-त्तियो धाले (१ अरत्ति - दाना के ०१ अणु की) या १२ या १० हाथ वाले जिनमें चार द्वार और एक वेदी का होना आवश्यक है। वेदी ३२। में लंबी ३ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादन सँभालने के लिए एक तनोवा चाहिए, ९ या ५ कुण्ड होने चाहिए। दो ३। मण्डप-मण्डप के प्रत्येक द्वार पर होने चाहिए "तुला दो पलड़े वाली होनी चाहिए, जिसकी डाँडी अश्वत्थ, चित्त, पत्तासा आदि की लकड़ी की होनी चाहिए और उसमें माने के आमूषण जड़े होने चाहिए। अन्य विस्तार स्थानाभाव के कारण नती दिये जा रहे हैं। चार दिशाओं में चार वेदों ब्राह्मण बैठने चाहिए, यथा पूर्व में ऋग्वेदी, दक्षिण में यजुर्वेदी, पश्चिम में सामवेदी एव उत्तर में अथर्ववेदी। इसके उपरान्त गणेश, ब्रह्म, लक्ष्मण, शिव, ब्रह्मा, आदित्य, मत्तो, ब्रह्मा, विष्णु शिव, सूर्य आदिपितृओं का चार चार आहुति होम किया जाता है, तथा इनमें सम्बन्धित वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं।

मुला-पुण्य—होम के उपरान्त गुरु पुण्य एवं गन्ध के साथ सांख्यिक भन्तों का उच्चारण करने लोकापालो का आवाहन करते हैं, यथा—इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, उष्ण, वायु, मोम, ईशान, अनन्त एव ब्रह्मा। इसके उपरान्त दाता मोने के आमूषण, कर्णामूषण, मोने की गिराईयाँ बगल, अर्घ्योत्सव परित्याग पुरोहितों को तथा इनके दूते (जो प्रत्येक ऋत्विक् को दिया जाय उसका दूता) पदार्थ गुरु को देने के लिए प्रस्तुत करता है। तब ब्राह्मण शान्ति-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों का पाठ करते हैं। इसके उपरान्त दाता पुनः गान करते स्वतः स्वतः धारण करते, ज्येष्ठ पुण्यो की माला गन्त कर तथा हाथों में पुण्य लेकर तुला का (वस्त्रित विष्णु या) आवाहन करता है और तुला की परित्रया करके एक पलड़े पर चढ़ाता है, दूसरे पलड़े पर ब्राह्मण श्राव मोला ग्य देते हैं। उसमें उपरान्त पृथिवी का आवाहन होता है और दाता तुला का छाड़कर दूत जाता है। फिर वह मोने का गुरु आधा भाग गुरु का तथा दूसरा भाग ब्राह्मणों को, उनके हाथों पर गन्त गिराते हुए देता है। दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजों का श्राव-दान भी कर सकता है। जो यह कृत्य करता है वह अनन्त काल तक विष्णुशोक में निवृत्त करता है। यही विधि रजत या कर्पूर तुलादान में भी अपनायी जाती है (अरण्यं पृ० ३२०, हेमाद्रि-दानमण्ड, पृ० २१४)। राजा लाग कर्मी-कर्मो स्वर्ण का तुलादान अर्थात् तुलापुण्य महादान तो करते ही थे, कर्मो-कर्मो मन्त्रियो ने भी ऐसा किया है, जैसा कि मिथिला के राजाओं के मन्त्री चण्डेश्वर ने अपनी पुस्तक विवादादलाकार में अभिमान के माथ वर्णन किया है।

१७. नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा प्रणीत कुण्डलक नामक ग्रन्थ में १५ पद्यों में कुण्डो के विषय में उल्लेख किया है। कुण्ड इस प्रकार के होते हैं—बुलाकार, बमलाकार, चन्द्राकार, योनिवत्, त्रिभुजाकार, पंच भुजाकार, षड्भुजाकार, सप्तभुजाकार एव अष्टभुजाकार। उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में खोचा हुआ कर्ण एक, दो, चार, छ. या आठ हाथों का हो सकता है, जो १००० से १०,००० आहुतियों या १०,००० से लेकर एक लाख या एक लाख आहुतियों से एव करोड़ आहुतियों वाला (८ हाथ लम्बा कर्ण) हो सकता है। कर्णों की इतनी बड़ी लम्बाई का कारण यही है कि आहुतियाँ कुण्ड के धारण न गिरें। विभिन्न प्रकार के कुण्ड विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए निर्धारित हैं। विस्तार के लिए पढ़िए हेमाद्रि (दानमण्ड, पृ० १२५-१३४)।

हिरण्यगर्भ—इस विषय में देविए मत्स्यपुराण (२७५) एवं लिंगपुराण (२।२९)। मण्डप, काल, स्थल, पदार्थ (ताम्रियाँ), पुण्याहवाचन, लीनपालो का आवाहन आदि इस महादान तथा अन्य महादानों में वैसा ही है जैसा कि बुलापुर्य में होता है। दाता एा सोने का कुण्ड (पाल या परात या बरतन), जो ७२ अंगुल ऊँचा एवं ४८ अंगुल चौड़ा होता है, छाता है। यह कुण्ड मुरजाकार (मृदगाकार) होता है या मुनहले कमल (आठ दल वाले) के भीतरी भाग में आकार का होता है। यह स्वर्णम पात्र, जो हिरण्यगर्भ कहलाता है, तिल की राशि पर रखा जाता है। इसमें उपरान्त पौराणिक मन्त्रों के साथ सोने के पात्र को सम्बोधित किया जाता है और उसे हिरण्यगर्भ (सप्टा) के समान माना जाता है।^{१८} तब दाता उस हिरण्यगर्भ के अन्दर उत्तराभिमुख बैठ जाता है और मर्मस्य दिन्नु की मूर्ति पाँच पक्षात्तो के बाल तब बँटा रहता है, उस समय उसने हाथों में ब्रह्मा एवं धर्मराज की स्वर्णवृत्तियाँ रहती हैं। तब गुरु स्वर्णपात्र (हिरण्यगर्भ) के ऊपर गर्भाधान, पुसवा एवं सीमन्तोन्नयन के मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त गुरु धात्र-यन्त्रों या मंगलगानों के साथ हिरण्यपात्र से दाता को बाहर निकल आने को कहता है। इसने उपरान्त दोष बारहों सस्वार प्रतीवात्मन दग से सम्पादित किये जाते हैं। दाता हिरण्यगर्भ के लिए मन्त्रपाठ करता है और कहता है—“पहले मैं मरणशील के रूप में माँ से उत्पन्न हुआ था, किन्तु अब आप से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर धारण करूँगा।” इसने उपरान्त दाता सोने के आसन पर बैठकर देवस्य त्वा' नामक मन्त्र के साथ स्नान करता है और हिरण्यगर्भ को गुरु एवं अन्य ऋत्विजों में बाँटता है।

ब्रह्माण्ड—देविए मत्स्यपुराण (२७६)। इस दान में दो ऐसे स्वर्ण-पात्र निमित्त होते हैं, जो गोलार्ध के दो भागों के समान होते हैं, जिनमें एक लो (स्वर्ण) तथा दूसरा पृथिवी माना जाता है। ये दोनों अर्ध पात्र दाता की सामर्थ्य के अनुसार बीस से लेकर एवं सहस्र पलों के वजन के हो सकते हैं और उनकी सम्मूर्द्ध-घोड़ाई १२ से १०० अंगुल तक हो सकती है। इन दोनों अर्धों पर आठ दिग्गजों, वेदों, छ अंगों, अष्ट लोकपालों, ब्रह्मा (मध्य में), शिव, विष्णु, सूर्य (ऊपर), उमा, लक्ष्मी, यमुना, आदित्यो, (भीतर) भरतो की आकृतियाँ (सोने की) होनी चाहिए, दोनों को रेशमी वस्त्र से सपेटकर तिल की राशि पर रख देना चाहिए और उनके चतुर्दिक् १८ प्रकार के अन्न सजा देने चाहिए। इसके उपरान्त आठ। दिशाओं में, पूर्व दिशा से आरम्भ कर अनन्तरायन (सर्प पर मोये हुए विष्णु), प्रद्युम्न, प्रकृति, सवयंभु, चारो वेदा, अनिरुद्ध, अग्नि, वायुदेव की स्वर्णिम आकृतियाँ क्रम से सजा देनी चाहिए। वस्त्रों से ढके हुए दस घट परत में रख देने चाहिए। स्वर्णजटित सींगों वाली दम मायों, दूध बुलने के लिए वस्त्रों से ढके हुए कास्य-भात्रों के साथ दान में दी जानी चाहिए। घण्टी, छाताओं, आसनो, दर्पणों की भेट भी दी जानी चाहिए। इसने उपरान्त सोने के पात्र (जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पौराणिक मन्त्रों के साथ सम्बोधन होता है और सोना गुरु एवं ऋत्विजों या पुरोहितों में (दो भाग गुरु को तथा शेषमा आठ ऋत्विजों को) बाँट दिया जाता है।

कल्पपादप या बल्पवृक्ष—(मत्स्य २७७, लिंग २।३३)। मूर्ति-मूर्ति के पलों, आमूषणों एवं परिधानों से सुसज्जित बल्पवृक्ष का निर्माण किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की मात्रा तीन पलों से लेकर एक सहस्र तक हो सकती है। आधे सोने से बल्पपादप बनाया जाता है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य की आकृतियाँ रख दी जाती हैं। पाँच शाखाएँ भी रहती हैं। इनमें अतिरिक्त बचे हुए आधे सोने की चार टहनियाँ, जो क्रम से सन्तान, मन्दार, पारिजातन एवं हरिचन्दन की होती हैं बनायी जाती हैं, जिन्हें क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में रख दिया

१८ ऋथेय का १०।१२।१-१० वाला अन्न हिरण्यगर्भ के लिए है और उत्तका आरम्भ 'हिरण्यगर्भः समवर्तताये भूतस्य वातः पतिरेक आसीत्' से होता है।

जाता है। कल्पपादप (कल्पवृक्ष) के नीचे कामदेव एवं उसकी चार स्त्रियों की सोने की आकृतियाँ रख दी जाती हैं। जलपूर्ण आठ कलश वस्त्र से ढककर दीपको, चामरों एवं छातो के साथ रख दिये जाते हैं। इनके साथ १८ धान्य रहते हैं। सप्ताहकी समुद्र से पार कराने के लिए कल्पवृक्ष की स्तुतियाँ की जाती हैं। इसके उपरान्त कल्पवृक्ष गुरु को तथा अन्य चार टहनियाँ चार पुरोहितों को दे दी जाती हैं। सन्तानहीन पुरुष एवं स्त्री को यह महादान करना चाहिए (अपराकं, पृ० ३२६)।

शोसहस्र—(मत्स्य २७८ एवं लिंग २।३८)। दाता को तीन या एक दिन केवल दूध पर रहना चाहिए और तब लोकपालो के आवाहन, षष्ठाहवाचन, होम आदि कृत्यों का सम्पादन होना चाहिए। इसके उपरान्त एक सुवर्ण-मय बँल के शरीर पर सुगन्धित पदार्थ का लेप करके उसे बेदी पर खड़ा करना चाहिए और एक सहस्र गायों में से १० गायों को चुन लेना चाहिए। इन गायों पर बस्त्र उढाया रहना चाहिए इनके सींगों के ऊपर सुनहरा पानी चढ़ा देना या सोने का पत्र लगा देना चाहिए, खुरों पर चाँदी चढ़ा देनी चाहिए और तब उन्हें मण्डप में लाकर सम्मानित करना चाहिए। इन दस गायों के मध्य में नन्दिकेश्वर (शिव के बैल) को खड़ा कर देना चाहिए। नन्दिकेश्वर के गले में सोने की घण्टियाँ, ऊपर रेशमी वस्त्र, गन्ध, पुष्प होने चाहिए तथा उसके सींगों पर सोना चढ़ा रहना चाहिए। इसके उपरान्त दाता को सर्वोपधियों से पूरित जल में स्नान करके हाथों में पुष्प लेकर मन्त्रों के साथ गायों का आह्वान करना चाहिए और उनकी महत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। इसी प्रकार दाता को चाहिए कि वह नन्दिकेश्वर बैल (नन्दी) को धर्म कहकर पुकारे। इसके उपरान्त दाता दो गायों के साथ नन्दी की स्वर्गाकृति गुरु को तथा आठ पुरोहितों में प्रत्येक को एक-एक गाय देता है। शेष गायों दो, ५ या १० की संख्या में, अन्य ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता है। दाता को पुनः एक दिन दूध पर ही रह जाना पड़ता है तथा पूर्ण सन्तोष रखना पड़ता है। इस महादान के करने से दाता शिवलोक की प्राप्ति करता है तथा अपने पितरों, नाना एवं अन्य मातृपितरों की रक्षा करता है।

कामधेनु—(मत्स्य २७९, लिंग २।३५)। बहुत अच्छी सोने की दो आकृतियाँ बनायी जाती हैं, एक गाय की और दूसरी बछड़े की। सोने की तोल १००० या ५०० या २५० पल्लों की या सामर्थ्य के अनुसार केवल तीन पल्लों की हो सकती है। बेदी पर एक काले मृग का चर्म बिछा देना चाहिए जिस पर सोने की गाय आठ मगल घटों, फलों, १८ प्रकार के अनाजों, चामरों, ताम्रपात्रों, दीपों, छाता, दो रेशमी वस्त्रों, घटियों गले के आमूषणों आदि के साथ रख दी जाती है। दाता पौराणिक मन्त्रों के साथ गाय का आह्वान करता है और तब गुरु की गाय एवं बछड़े का दान करता है।

हिरण्यश्व—(मत्स्य २८०)। बेदी पर मृगचर्म बिछाकर उस पर तिल रख देने चाहिए। कामधेनु के बराबर तोल वाले सोने का एक घोड़ा बनाना चाहिए। दाता घोड़े का भगवान् के रूप में आह्वान करता है और वह आकृति

१९ श्यामारुपाग्र्यवमुवगतिलाणुमायगोधूमकोद्भवकुल्यसतीनिशम्बं ।

अष्टादश षण्कलायमयोष्टराजमाधमियमुसहितं च मसुरमादृ ॥ (अपराकं पृ० ३२३) ।

मत्स्यपुराण (२७६।७) ने भी १८ अन्न बताये हैं।

२०. पञ्चैते देवतत्तरो मन्वार पारिजातकः । सत्तान् कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम् ॥ अर्पान् कल्पवृक्ष (अभिरुक्षा को पूरित करनेवाले) पाँच हैं—मन्वार, पारिजातक, सन्तान, कल्पवृक्ष एवं हरिचन्दन।

२१ सर्वोपधियाँ इस हैं—“कुष्ठं मांसी हरिरे द्वे मुरा शैलेयश्च वनम् । वषाधम्यरुमुक्तं च सर्वोपधियो वसा स्मृता ॥ छन्दोगपरिशिष्ट (दानमयूस पृ० १७ में उद्धृत) ।

गुरु को दान में दे देता है। हेमाद्रि ने षोडश की आशुति के चारों पैरों एष मुख पर चांदी की चदर लगाने की बात कही है (दानसूत्र, पृ० २७८)।

हिरण्यवस्त्रम्—(मत्स्य २८१)। सात या चार षोडश, चार पहियो एव ध्वजा बाला एव सोने का रथ बनवाना चाहिए। ध्वजा पर नीले रंग का बल्ला रहना चाहिए। चार मंगल-घट होने हैं। इसका दान चामरो, छाता, रेशमी परिधानो एव सामर्थ्य के अनुसार गायों के साथ किया जाता है।

हेमहस्तिरथम्—(मत्स्य २८२)। चार पहियो एव मध्य में आठ लोखपालो, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, नारायण, लक्ष्मी एव पुष्टि की आकृतियों के साथ एक सोने का रथ (छोटा अर्थात् मिलाने के आकार का) बनवाना चाहिए। ध्वजा पर गरुड एव स्तम्भ पर गणेश की आकृति होनी चाहिए। रथ में चार हाथी होने चाहिए। आह्वान के उपरान्त रथ का दान कर दिया जाता है।

पञ्चलक्षणरथम्—(मत्स्य २८३)। पुष्ट पशुओं की लम्बी के पाँच हल बनवाने चाहिए। इसी प्रकार पाँच फल सोने के होने चाहिए। दस बैलों को सजाना चाहिए, उनमें सींगों पर सोना, पूँज में मोती, खुरो में चाँदी लगायी चाहिए। उपर्युक्त वस्तुओं का दान सामर्थ्य के अनुसार एक सैंबट के बराबर भूमि, भेट या धान या १०० या ५० निवर्तनों के साथ होना चाहिए। एव सफलीक ब्राह्मण को सोने की तिन्त्रडियों, अँगूठियों, रेशमी 'वस्त्रों' एव बगनों का दान करना चाहिए।

धरादान या हैमधरादानम्—(मत्स्य २८४)। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ५ पलों से लेकर १००० पल सोने की पृथिवी का निर्माण कराना चाहिए। पृथिवी की आशुति जम्बूद्वीप-जैसी होनी चाहिए, जिसमें किनारे पर अनेक पर्वत, मध्य में मेरु पर्वत और बीचों-बीच आकृतियाँ एव सातों समुद्र बने रहने चाहिए। इसका गुन-आवाहन किया जाता है। आशुति का १/२ या १/४ गुरु को तथा शेष पुरोहितों को बाँट दिया जाता है।

विश्ववक्त्रम्—(मत्स्य २८५)। एक सोन के चक्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमें १६ तीलियाँ एव ८ मण्डल (परिधि) हो और उसकी तोह अपनी सामर्थ्य के अनुसार २० पलों से लेकर १००० पलों तक होनी चाहिए। प्रथम मध्यभाग पर बाँगी की मुद्रा में विष्णु की आशुति होनी चाहिए, जिसमें पास चक्र एव चक्र तथा आठ देवियों की आकृतियाँ रहनी चाहिए। दूसरे मण्डल पर अग्नि, भृगु, वसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप तथा दशावतारों की आशुतियाँ खुदी रहनी चाहिए। तीसरे पर गौरी एव माता-देवियों, चौथे पर १२ आदित्यों तथा चार वेदों, पाँचवें पर पाँच भूतों (क्षिति, जल, पावन, गगन एव समीर) एव ११ रत्नों, छठे पर आठ लोखपालों एव दिशाओं, आठ हस्तियों, सातवें पर आठ अस्त्र-शस्त्रों" एव आठ मंगलमय वस्तुओं तथा आठवें पर सीमा के देवताओं की आशुतियाँ बनी रहती हैं। दाता चक्र का आवाहन करके दान कर देता है।

महाशरपलताम्—(मत्स्य २८६)। विभिन्न पुष्पों एव पत्तों की आशुतियों के साथ सोने की दस पल्पलताएँ बनानी चाहिए, जिन पर विद्याधरों की जोड़ियों, लोखपालों में मिलत हुए देवताओं एव ब्राह्मों, अनन्तरात्रित, आग्नेयी, शारणी तथा अन्य शक्तियों की आशुतियाँ होनी चाहिए तथा सबसे ऊपर एक बितान की आशुति भी होनी चाहिए।

२२. आठ प्रकार के अस्त्र-शास्त्र ये हैं—सङ्ग शूलगदाशक्ति कुन्ता कुशाघ्नूनि च। स्वधितिसिद्धि शस्त्राणि तेषु चापं प्रशास्त्रम्॥ मयद्वपुराण (हेमाद्रि, दानसूत्र, पृ० ३३३)। आठ प्रकार के भगवत्पदार्थ ये हैं—दशिणावर्तशंखचक्र रोचना ध्वज तथा। मुक्तापलं हिरण्य च टत्र चामरमेव च। आदर्शसिद्धि वित्तं मंगल्यं मंगलाघटम्॥ पराशर (हेमाद्रि, वही)।

वेदी पर लिचे हुए एक वृत्त के मध्य मे दो कल्पलताएँ तथा वेदी की आठो दिशाओं मे अन्य आठ कल्पलताएँ रख दी जानी चाहिए। दस गायें एव मगल घट भी होने चाहिए। दो कल्पलताएँ गुरु तथा अन्य आठ कल्पलताएँ पुरोहितो को दान मे दे दी जानी चाहिए।

सप्तसागरक—(मत्स्य २८७)। सामर्थ्य के अनुसार ७ पलो से लेकर १००० पलो तक के सोने से १०^१/_{१०} अंगुल (प्रादेश) या २१ अंगुल कर्ण वाले सात पात्र (कुण्ड) बनाये जाने चाहिए, जिनमें क्रम से नमक, दूध, घृत, इक्षुरस, दही, चीनी एव पवित्र जल रखा जाना चाहिए। इन कुण्डो मे ब्रह्मा, विष्णु शिव, सूर्य, इन्द्र, लक्ष्मी एव पार्वती की आकृतियाँ हूबो देनी चाहिए और उनमे समी रत्न डाले जाने चाहिए तथा उनके चतुर्दिक् समी धान्य सजा देने चाहिए। वरुण का होम करके सातो समुद्रो का (कुण्डो के प्रतीक के रूप मे) आवाहन करना चाहिए और इसके उपरान्त उनका दान करना चाहिए।

रत्नधेनु—बहुमूल्य रत्नो से एक गाय की सुन्दर आकृति बनायी जाती है। उस आकृति के मुख में ८१ पद्मराग-दल रखे जाते हैं, नाक की पीर के ऊपर १०० पुष्पराग-दल, मस्तक पर स्वर्णिम तिलक, आँसो मे १०० मोती, मोँहो पर १०० सीपियाँ रखी जाती हैं, कान के स्थान पर सीपियो के दो टुकडे रहते हैं। सींग सोने के होते हैं। शिर १०० हीरक मणियो का होता है। गरदन (श्रीवा) पर १०० हीरक मणियाँ होती हैं। पीठ पर १०० नील मणियाँ, दोनो पाशवों मे १०० वैदूर्य मणियाँ, पेट पर स्फटिक पत्थर, कमर पर १०० सौमन्यिक पत्थर होते हैं। खुर सोने के एव पूँछ मोतियो की होती है। इसी तरह शरीर के अन्यान्य भाग विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत किये जाते हैं। जीम धक्कर की, मूत्र घृत का, गोबर गुड का होता है। गाय का बछडा गाय की सामर्थियो के आधे भाग का बना होता है। गाय एव बछडे का दान हो जाता है।

महाभूतघट—(मत्स्य २८९)। १०^१/_{१०} अंगुल से लेकर १०० अंगुल तक के कर्ण पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नो पर एक सोने का घट रखा जाता है। इसे दूध एव घी से मरा जाता है और इस पर ब्रह्मा, विष्णु एव शिव की आकृतियाँ रची जाती हैं। कूर्म द्वारा उठायी गयी पृथिवी, भकर (वाहन) के साथ वरुण, भेडे (वाहन) के साथ अग्नि, मृग (वाहन) के साथ वायु, चूहे (वाहन) के साथ गणेश की आकृतियाँ घट मे रखी जाती हैं। इनके अतिरिक्त जपमाला के साथ ऋग्वेद, कमल के साथ यजुर्वेद, बाँसुरी के साथ सामवेद एव झुकु-सुबो (करछुलो) के साथ अथर्ववेद एव जपमाला तथा जलपूर्ण कलश के साथ पुराणो (पाँचवें वेद) की आकृतियाँ भी घट मे रखी जाती हैं। इसके उपरान्त सोने का घडा दान मे दे दिया जाता है।

गोदान

गोदान-महिमा—अधिकांश स्मृतियो ने गाय के दान की बडी प्रशंसा की है। मनु (४।२३१) के अनुसार गोदान करनेवाला सूर्यलोक मे जाता है। याज्ञवल्क्य (१।२०४-२०५) एव अग्निपुराण (२।१०।३०) के अनुसार देव गाय के सींग तथा खुर क्रम से सोने एव चाँदी से जटित होने चाहिए। गाय के गले मे घण्टी, उसको दुहने के लिए पात्र एव उसके ऊपर वस्त्रावरण होना चाहिए। गाय सीधी होनी चाहिए (मरक्ही=मारने वाली, लात, सींग चलाने वाली न हो)। दान के साथ दक्षिणा होनी चाहिए। जो इस प्रकार की गाय का दान करता है वह उतने ही वर्षों तक स्वर्ग मे रहता है जितने कि गाय के शरीर पर बाल होते हैं (देखिए सर्बतं, ७१, ७४-७५)। अनुशासनपर्व (५।१। २६-३४) मे गोदान की महिमा का वर्णन है। अनुशासनपर्व (८३।१७-१) ने लिखा है कि गाय यज्ञ का मूलमूत

साधन है, क्योंकि यह मनुष्य का रूप से प्रतिपालन करती है एवं इसकी सन्तानों (बंत्सों) से कृषि का कार्य होता है, अतः इसकी प्रशंसा का गान होना चाहिए। अपराकं (पृ० २९५-२९७) ने पुराणों द्वारा की गयी प्रशंसा उद्धृत की है। गायो मे कपिला गाय के दान की प्रभूत महत्ता गायी गयी है, इस गाय का दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है (अनुशासन-७३।४२ एवं ७७।८)। याज्ञवल्क्य (१।२०५) ने लिखा है कि कपिला गाय का दाता अपने साथ अपनी सात पीढियों को तार देता है (पाप से रक्षा करता है)। एक कपिला गाय अन्य १० साधारण गायों के समान है (अपराकं, पृ० २९७, सबतं का उद्धरण)।

गोदान की विधि—बराहपुराण (१।११) ने गोदान का वर्णन किया है जिते हम यहाँ सखेप मे देते हैं। कपिला गाय को बछड़े के साथ पूर्वामुमुख करके दाता (स्नान करके तथा शिला बाँधकर) उसकी पूजा करता है। वह उसकी पूँछ के पास बैठता है और प्रतिग्रहीता उत्तरोभिमुख बैठता है। दाता अपने हाथ में घृतपूर्ण पात्र लेता है जिसमें सोने का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। गाय की पूँछ को मखन में डुबोकर प्रतिग्रहीता के दाहिने हाथ में पकड़ा दिया जाता है, किन्तु गाय की पूँछ का बाल वाला भाग पूर्व दिशा में ही रखा जाता है। प्रतिग्रहीता के हाथ में जल, तिल एवं कुस रख दिये जाते हैं। दाता अपने हाथ में जलपात्र लेकर पौराणिक मन्त्रों के साथ जल छिड़कता है, दक्षिणा देता है और जब गाय प्रतिग्रहीता के साथ चलने लगती है तो वह कुछ कदम आगे अनुसरण करके गाय की स्तुति करता है। अग्निपुराण ने मर्यादासत्र मनुष्य के लिए काली गाय का दान श्रेय कर माना है, क्योंकि उससे यमलोक की नदी वीतरणी को पार करने में सुगमता होती है। इसी से गाय को भी 'वीतरणी' कहा गया है।

उभयतोमुखी-गोदान—याज्ञवल्क्य (१।२०९-२०७), अग्निपुराण (२।०।३३), विष्णुधर्मसूत्र (८।८।१-४), ब्रह्मसंहिता (२००।६९-७१), अग्नि (३।३३), बराहपुराण (१।१२) आदि ने उभयतोमुखी गाय (जो पुरान्त ही बछड़ा देने वाली हो) के दान की विधिप्रणाली प्रकट की है और कहा है कि दाता स्वर्ग में जतने ही वर्ष रहता है जितने कि गाय एवं बछड़े के शरीर पर रोम होते हैं। ज्यवन को उद्धृत कर अपराकं (पृ० २९९-३०१) ने इस प्रकार के दान की विधि बताया है। जब गाय के पेट से बछड़े का सिर बाहर प्रकट हो तो दाता को प्रतिग्रहीता से कहना चाहिए; मेरे बल्याण के लिए, न कि केवल दान की इच्छा से, इस गाय को स्वीकार करो और ऋग्वेद (४।१।१६) का पाठ करो। इसके उपरान्त दाता गाय को पकड़कर 'ब इदं मस्मा अदात्' के सूक्त (अथर्ववेद ३।२।१७, आश्वलायनश्रौतसूत्र ५।१३, आपस्तम्बश्रौतसूत्र १।५।१।२) पढ़कर बछड़े को नीचे उतारता है और उच्च स्वर से 'गमो नु' (ऋग्वेद ४।२।७।१) का पाठ करता है। इसके उपरान्त अग्नि प्रज्वलित करने दाता देधो, पितरो, नदियो, पर्वतो, पीषो, नमुदो, सपों एवं ओषधियों को सम्बोधित मन्त्रों (ऋग्वेद १।१।३।१।१, १।०।१।६।२, १।०।७।५।५, १।७।५।४, ३।८।१।१, ७।४।१।१, ६।७।५।१।४, १।९।०।६) का पाठ करता है। फिर वह पृथिवी को मन्त्रपाठ (ऋग्वेद १।१।१।२।१, १।२।२।१।३, १।१।८।५।७, १।१।६।५।४।१) से प्रसन्न करता है। सब दाता को घृत की ८४ आहुतियाँ देनी चाहिए, ब्राह्मणों को मोजन देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, यथा "स्वस्ति नो" (ऋग्वेद ५।५।१।१७)। इस प्रकार के गोदान के साथ सोने, चाँदी, शेत, अनाज, वस्त्र, नमक, चन्दन आदि का दान करना चाहिए। इससे वर्जित मोजन करने, ब्राह्मण-

वीर सर्वपापहरं शिवम्।...स्वाहाकारब्रह्मदेवारी गोषु नित्यं प्रतिष्ठिता। गावो यज्ञस्य मेभ्यो च तथा यज्ञस्य ता शुभम्॥ गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गस्य पूजिताः॥ अनुशासन ५।१।२६ एवं ३१; अनुशासन ७।१।३३—ब्रह्मा भेनुं सुधतां कात्यदीहां कत्याकब्रह्मासामपलायिनीं च। यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तामब्रह्मर्ष्यदनुते स्वर्गलोचम्॥ यह याज्ञवल्क्य (१।२०५) के शब्द हैं।

हत्या करने, अग्निचार करने (अगम्यागमन, यथा मातृगमन, स्वसृगमन आदि व्रजित गमन) से उत्पन्न पापों से छुटकारा हो जाता है।

धेनुदान

धेनु-संख्या—गोदान की अनुकृति में कुछ अन्य पदार्थों का दान किया जाता है। उन पदार्थों को धेनु कहा जाता है। मत्स्यपुराण (८२।१७-२२) ने दस धेनुओं के नाम लिये हैं, यथा—गुड, घृत, तिल, जल, क्षीर, मधु, घर्करा, दधि, रस (अन्य तरल पदार्थ) एवं गोधेनु (स्वयं गाय)। इस पुराण ने गुडधेनु का वर्णन करते हुए लिखा है कि तरल धेनुओं को घड़ों में रखना चाहिए तथा अन्य धेनुओं को राशि के रूप में रखना चाहिए। सबके दान की विधि एक-सी है। कुछ लोगों ने अन्य धेनुओं के नाम भी लिये हैं, यथा—सुवर्णधेनु, नवमीतधेनु (मस्त्रन की गाय) एवं शलधेनु। अग्निपुराण (२।०।११-१२) ने भी दस धेनुओं के नाम लिये हैं। अनुशासनपर्व (७।१।३९-४१) में घृत, तिल एवं जल नामक धेनुओं का वर्णन है। वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) ने १२ धेनुओं का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसकी सूची में मत्स्यपुराण के घृत एवं गोधेनु नहीं हैं तथा नवनीत, लवण, कार्पास (कपास-रई) एवं धान्य (अनाज) नाम नये जोड़े गये हैं।

विधि—चार हाथ लम्बा काला मृगचर्म शोबर से लिपी भूमि पर बिछा दिया जाता है। जिस स्थल पर मृगचर्म बिछा रहता है उस पर कुश, जिनकी नोकें पूर्वामुमुख होती हैं, बिछे रहते हैं। यह रूप गाय का प्रतीक माना जाता है। उसी की भाँति बिछा हुआ एक छोटा सा मृगचर्म बछड़े का प्रतीक माना जाता है। यदि यह गुडधेनु है, तो यह २ या ४ भारों की तथा बछड़ा इसके चौपाई भाग का बना होता है। गाय के विभिन्न भागों के प्रतीक के रूप में बहुत-से पदार्थ, यथा—शाख, ईस के टुकड़े, मोती, चमर, सीपी आदि रखे जाते हैं और धूम-दीप से पूजा करके पौराणिक मन्त्रों से गौ का आह्वान किया जाता है। इसके उपरान्त वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। हेमाद्रि (दानलघु, पृ० ४०१), दानमयूख (पृ० १७२-१८४) ने अन्य विस्तार भी दिये हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं।

व्रजित गोदान

गोदान की महत्ता के फलस्वरूप दाता लोग कभी-कभी बूढ़ी एवं दुर्बल गायें भी दान में दे देते थे। कठोपनिषद् (१।१।३) ने इस प्रकार के व्यवहार की मत्तन्ता की है—“जो लोग बेबल जल पीनेवाली एवं घास खानेवाली, किन्तु न लौ दूध देनेवाली या न बिजाने वाली गाय का दान करते हैं, वे अनन्द (आनन्द न देनेवाले) लोक में पहुँचते हैं।” यही बात अनुशासनपर्व (७।७।५-६) में पायी जाती है। अनुशासनपर्व में एक स्थल (६६।५३) पर यह भी आया है कि ब्राह्मण को कृश, बिना बछड़े की, बाँस, रोगी, अग्न (जिसका कोई अंग भग हो गया हो) एवं धकी हुई गाय नहीं

२४. ५ कृष्णल=१ माघ, १६ माघ=१ सुवर्ण, ४ सुवर्ण=१ पल, १०० पल=१ तुला, २० तुला=१ भार।
 देखिए अपरार्क (पृ० ३०३) एवं अग्निपुराण (२।०।१७-१८)।

भविष्यपुराण को उद्धृत कर हेमाद्रि (अतललघु, पृ० ६७) एवं पराशरभाष्यीय (२।१, पृ० १४१) में अनाज की तोल के बटखरों की सूची में भी है—२ पल=प्रसूति, २ प्रसूति=कुडब, ४ कुडब=प्रस्थ, ४ प्रस्थ=आडक, ४ आडक=द्रोण, १६ द्रोण=लारी। किन्तु देश-देश में विभिन्न बटखरे चलते थे।

देनी चाहिए। हेमाद्रि (दान, पृ० ४४८-४४९) ने इसे उद्धृत किया है और लिखा है कि इस प्रकार के गौरान से नरक मिलता है।

पर्वत-दान

विभिन्न नाम—मत्स्यपुराण (अध्याय ८३।९२) ने इस प्रकार के पर्वतदानों या मेरुदानों का वर्णन किया है जो ये हैं—“धान्य (अनाज), लवण, गुड़, हेम (सोना) तिल कार्पास (कपास), घृत, रत्न, रजत (चाँदी) एवं शर्करा।” अग्निपुराण (२१०।६-१०) में भी यही सूची पायी जाती है। हेमाद्रि (दान, पृ० ३४६-३९६) ने बालोत्तर नामक एक शैव ग्रन्थ को उद्धृत कर १२ दानों की चर्चा की है। इन्हें पर्वत, रत्न या अचल दान इसलिए कहा जाता है कि देय पदार्थ पहाड़ों की भाँति रखकर दान में दिये जाते हैं।

विधि—सभी प्रकार के पर्वत-दानों की विधि एक-सी है। एक उत्तर-पूर्व या पूर्व की ओर शुद्ध हुआ वर्णिकार उन्नत स्थान बनाया जाता है जिस पर गोबर से तीपनर बुझा बिम्ब दिये जाते हैं। इसके मध्य में एक राशि पर्वतानार तथा अन्य राशियाँ पहाड़ियों की भाँति बना दी जाती हैं। अनाज के पर्वत के निर्माण में १००० या ५०० या ३०० द्रोण की तोल की अन्न-राशि जानी चाहिए। इन राशि के मध्य भाग में सोने के तीन वृक्ष होने चाहिए और चारों दिशाओं में क्रम से मोतियों के, गोमेद एवं पुष्पराग के, मरकत एवं नीलमणियों के तथा वैदूर्य के कमलवत् पीचे होने चाहिए। मत्स्यपुराण ने ८१ देवनाओं की स्वर्ण एवं रजत आकृतियों की भी चर्चा की है। होम के लिए एक गुरु और चार पुरोहिता का चुनाव होता है और प्रत्येक देवता को १३-१३ आहुतियाँ दी जाती हैं। लवण के दान में १ से ६९ द्रोणों, सोने के दान में १ से १००० पल्लो, तिल के दान में ३ से १० द्रोणों, कपास के दान में ५ से २० भारो, घी के दान में २ कुम्भों से २० कुम्भों, रत्नों के दान में २०० मोतियों से १००० मोतियों तक का प्रयोग किया जाता है तथा बहुमूल्य रत्न। बाली पहाड़ियों में मोतियों के १/४ भाग का, कपास में २० पल्लो से १०,००० पल्लो का, शर्करा में १/२ भार में ८-भारों का प्रयोग होता है।

पशुओं, वस्त्रों, मृगजर्म तथा प्रया आदि का दान

रमूतियों, पुराणों एवं निबन्धों में हाथियों, घोड़ों, भँसों, बत्खों, मृगजर्मों, छातों, जूनों आदि के दान की चर्चा की है जिसे हम स्थानाभाव के कारण यहाँ छोड़ रहे हैं। विष्णु-दत्तों से दो या तीन दानों का वर्णन महत्त्वपूर्ण है। अथर्ववेद ने मन्त्रिष्योन्नर से एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है, जिसमें ब्रह्म भाग में यादियों को जन्म पिदाने के लिए एक मण्डन निर्माण की चर्चा हुई है। नगर के मध्य में या भरमुमि में या किसी मन्दिर के पास एक मण्डप का निर्माण होगा था। एक ब्राह्मण की पत्नी पिदाने के लिए शुभ पर नियुक्त किया जाता था। यह मण्डप ४ या ३ महीनों तक पण्डित का। उसे उत्तर भारत में गौमरा (प्याऊ) भी कहते हैं।

पुस्तक-दान

रामायण, महाभारत, पारंगान्त्रा एवं पुराणों की हस्तलिखित प्रतियाँ का भी दान दूना करता था। अपराज (पृ० ३८९-४०३) एक हमाद्रि (दान, पृ० ५२६-५६०) में शिवपुराण, मत्स्य तथा अन्य पुराणों का उद्धृत कर इस प्रकार के दानों की महत्ता बतानी है। मन्त्रिष्यपुराण ने इसका है कि जो ध्यतिन विष्णु, शिव या सूर्य के मन्दिरों में लोगों के प्रयोग के लिए पुस्तकें का प्रदत्त करते हैं वे गौदान, भूमिदान एवं स्वर्णदान का फल पाते हैं। कुछ सिद्धांतों में

में भी ऐसा वर्णन आया है (एन्सिक्लोपिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० ३४०)। अग्निपुराण (२१११६१) ने सिद्धान्त नामक ग्रन्थों के पठन की व्यवस्था करने वाले दाताओं के दानों की प्रशंसा गायी है।

ग्रहशान्ति के लिए दान

मध्य एश आधुनिक शालों में ग्रहों की शान्ति के लिए भी दान करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार के मनोमाय सूत्राल में भी पाये जाते थे। गौतम (१११५) ने राजा को ज्योतिषियों द्वारा बनाये गये कृत्य करने के लिए उत्साहित किया है। ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आचार्यों ने कुछ विशिष्ट कृत्यों की व्यवस्था की है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१२।१६) ने लिखा है कि पुराहित को चाहिए कि वह राजा को मृत्यु की दिशा से (जब युद्ध रात्रि में हो रहा हो या) उस दिशा से जहाँ युद्ध रहता है, युद्ध करने को कहे। याज्ञवल्क्य (१।२९५-३०८) ने भी ग्रहशान्ति पर लिखा है। उन्होंने चन्द्र है कि समृद्धि के लिए, आपत्तियाँ दूर करने के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, दीर्घायु एवं स्वास्थ्य तथा शत्रु-नाश के लिए ग्रह-यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने नौ ग्रहों, यथा—सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि, राहु एवं केतु, और उनकी आकृतियों बनाने के लिए पदार्थ बताये हैं, यथा—ताम्र, स्फटिक, लाल चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिए), चादी, लोहा, सीसा एवं कास्य। ये आकृतियाँ पदार्थों के रंगों से भी कपड़े पर बनायी जाती हैं या बों ही पृथिवी पर वृत्ताकार एवं रगयुक्त बनायी जाती हैं। इन्हें पुष्प, वस्त्र चढाये जाते हैं जिनके रंग ग्रहों के रंग के होते हैं। सुगन्धित पदार्थ, घूप, गुग्गुलु आदि चढाये जाते हैं और मन्त्रों (ऋग्वेद १।३५।२, वाजसनेयी संहिता ९।८०, ऋग्वेद ८।४४।१६, वाजसनेयी संहिता १५।५४, ऋग्वेद २।२३।१५, वाजसनेयी संहिता १९।७९, ऋग्वेद १०।९।८, वाजसनेयी संहिता १३।२०, ऋग्वेद १।६।३) के साथ अग्नि में पके भोजन को आहुतियाँ दी जाती हैं। नौ ग्रहों के लिए क्रम से निम्नलिखित वृक्षों की समिधा होनी चाहिए—अर्क, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश। घृत, मधु, दही एवं दूध में त्रिपदी प्रत्येक की १०८ या २८ समिधाएँ अग्नि में डाली जानी चाहिए। ग्रहयज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है वह निम्न प्रकार का होता है—गुड मिश्रित चावल, दूध में पकाया गया चावल, हृदिष्य भोजन (जिस पर सन्धासी जीते हैं), साठी चावल जो दूध में पकाया गया हो, दही-भात, घृत मिश्रित चावल, पिसे हुए तिल में मिश्रित चावल, चावलमिश्रित दाल, कई रंगों वाले श्वावक। दक्षिणा के रूप में निम्न वस्तुएँ हैं—तुषार गाय, शक, बद्धी बँठ, तोना, बन्ध, श्वेत अश्व, पाली गाय, लोहे का अस्त्र, एवं बरुही। याज्ञवल्क्य (१।३०८) ने लिखा है कि राजाओं का उत्सर्पित्व एवं सत्कार का अन्वित्व एक नाश ग्रहा पर आन्वित ह अतः ग्रहों को जिनकी पूजा हो सके, की जानी चाहिए। आजकल धर्म-विन्धु के नियमों के अनुसार ग्रहशान्ति की जाती है। मन्थाररत्नमाला (पृ० १२३-१६४) में ग्रहमख (ग्रहशान्ति के लिए एक कृत्य) का विषय वर्णन किया गया है। ग्रहमख या तो नित्य (विषुव के दिन, अयन के दिन या जन्म-नक्षत्र के दिन) या नैमित्तिक (उपनयन-जैसे जवमरों पर सम्पादित) या काम्य (विपत्ति आदि दूर करने के लिए या किसी अन्य अभिलाषा या कामना से किया जाने वाला) होता है।

आरोग्यशाला-स्थापना

अपराक (पृ० ३६५-३६६) ने याज्ञवल्क्य (१।२०९) की टीका में मन्दिपुराण से आरोग्यशाला (अस्पताल) की स्थापना के विषय में एक लम्बा विवरण उद्धृत किया है। इस प्रकार की आरोग्यशाला में औषधों निःशुल्क दी जाती हैं। "धर्म, अर्थ, धाम एवं मोक्ष नामक चारों पुस्त्यायँ स्वास्थ्य पर निर्भर हैं, अतः स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो प्रबन्ध करता है वह सभी प्रकार की वस्तुओं का दानी कहा जाता है।" इससे लिए एक अच्छे बँध की नियुक्ति

करनी चाहिए। हेमाद्रि (दान, पृ० ८९३-९५) ने भी इसे तथा स्कन्दपुराण को उद्धृत कर आरोग्यशाला की स्थापना के महत्व पर प्रवाश डाला है।

असत्प्रतिग्रह

रूतियों ने अनुसार व्रजित दान ग्रहण करने पर पाप लगता है, जो दत्त वस्तु के परित्याग, वैदिक मन्त्रों के (यागश्री के समान) जप एव तपो (प्रायश्चित्तों) से दूर किया जा सकता है (देखिए मनु ११।१९३, विष्णुधर्मसूत्र ५४।२८)। इग पाप का कारण है असत्प्रतिग्रह, जो जाति या दाता की क्रिया (दाता चाण्डाल या पतित हो सकता है) आदि से उत्पन्न होता है। यह किसी विशिष्ट बाल और देश में (यथा कुरुक्षेत्र में या ग्रहण के समय) देने से या किसी देय पदार्थ (मद्य या भेद या मृतक की शय्या या उर्मयतोमुखी भाय) के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मनु (११।१९४), विष्णुधर्मसूत्र (५४।२४) एव याज्ञवल्क्य (३।२८९) ने असत्प्रतिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए गौशाला में एक मास रहने, केवल दूध पर रहने, पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य पालन करने एव प्रति दिन ३००० बार यागश्री मन्त्र के जप की व्यवस्था दी है। उपर्युक्त दोनों दशाओं में दाता को कोई पाप नहीं लगता। केवल दान लेने वाला (दान-प्रतिग्रहीता) ही पाप का मागी होता है। दानक्रियाकीमुदी (पृ० ८४-८५) ने कतिपय पुराणों से उद्धरण देकर लिखा है कि गमा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार हाथियों, घोड़ों, रथों, मृत लोगों की शय्या एव आसन, बाले मृग के चर्म एव उर्मयतोमुखी भाय वा दान नहीं लेना चाहिए। दानचन्द्रिका ने पद्मपुराण का उद्धरण देकर समझाया है कि आपत्काल में ब्राह्मण गमा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान ले सकता है। विन्तु उसे दान का दशमांश दान कर देना चाहिए, ऐसा करने से पाप नहीं लगता।

प्रतिश्रुत दान की देयता

याज्ञवल्क्य (२।१७६) ने लिखा है कि प्रतिश्रुत दान दिया जाना चाहिए और प्रदत्त दान वापस नहीं लेना चाहिए। नारद (दत्तप्रदानिक, ८) ने घोषित किया है कि पण्यमूल्य (सामान के क्रय में दिया गया मूल्य), वेतन (नौकर आदि को), आनन्द के लिए दिया गया धन (मगीत, नृत्य आदि में), स्नेह-दान, धरु-दान, कन्या के क्रय में दिया गया धन एव धार्मिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों से दिया गया दान वापस नहीं लिया जाता। विन्तु यदि दान अभी द्रियान न गया हो, केवल अभी बचन दिया हो तो उसे पूरा नहीं माना जाना चाहिए और उसका अन्यथाकरण ही संभवता है। गौतम (५।१२) ने लिखा है कि यदि दान लेने वाला व्यक्ति बुपात्र हो, अधार्मिक या वैश्यागामी हो तो उसे प्रतिश्रुत दान नहीं देना चाहिए। यही बात मनु (८।२१२), में भी पायी जाती है। दात्यायन ने लिखा है कि ब्राह्मण को प्रतिश्रुत धन न देने से व्यक्ति उस ब्राह्मण का इस लोक एव परलोक में ऋणी हो जाता है (अपराध ५० ७८३)।

अप्रामाणिक दान

गौतम (५।२२) ने लिखा है कि भावायेन में आकर, यथा क्रोध या अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, भयभीत होकर, अज्ञानवस्था में, लोभ के कारण, अल्पावस्था (१६ वर्ष के नीचे) के कारण, अत्यधिक बुझापे में, मूर्खतावश, मत्ता-वस्था में या पागलपन के कारण प्रतिश्रुत किया गया दान नहीं दिया जा सकता। नारद ने १६ प्रकार के अप्रामाणिक दानों की सूची की है—उपर्यवत वर्णित (गौतम ५।२३, जिनमें प्रसन्नता एव लोभ-जनित दानों को छोड़ दिया गया है) शान, धूम में, परिहास में, विना पहचान अथवा को बचन रूप में दिया गया दान, छल से प्रतिश्रुत हो जाने में, अर्थात्

होने में, प्रतिलाम की दशा में, कुपान एव पत्नी को वचन रूप में दिये गये दान अप्रामाणिक माने जाते हैं।^{११} कात्यायन (अपराकं पृ० ७८१ में उद्धृत) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि यदि कोई प्राणमय के कारण अपनी सम्पत्ति दे देने के लिए प्रतिश्रुत हो गया हो तो वह अपने वचन से पलट सकता है। और देखिए बृहस्पति (अपराकं, पृ० ७८२)। मनु (८।१६५) के मत से छल द्वारा सम्पादित बिक्री, इजारा (बन्धक), दान या वे सारे कारबार जितमे कपटाचरण पाया जाय, राजा द्वारा रद्द कर दिये जाने चाहिए। किन्तु कात्यायन ने एक अपवाद दिया है; स्वस्थता या अस्वस्थता की दशा में धार्मिक उपयोग के लिए पिता द्वारा प्रतिश्रुत दान पिता के मर जाने पर पुत्र द्वारा दिया जाना चाहिए (अपराकं पृ० ७८२)।

२५. कुडहृष्टभीतातंलुग्धबालस्पविरमूढमत्तोन्मत्तबाह्याप्यनूताग्नपातकानि। गौतम ५।२। अस्तं तु भयक्रोयशोकवेगसमन्वितैः। तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छलयोगतः॥ बालभूडास्वतन्त्रातंमत्तोन्मत्तापवर्जितैः। कर्ता भमायं कर्मैति प्रतिलामेच्छया च यत्॥ अपाने पात्रनिस्त्युक्ते कार्ये वा धर्मसंमिते। यद्वत् स्याद्विज्ञानादवस्त-मिति तत्सम्भूतम्॥ नारद (दत्ताप्रदानिक, ९-१०)।

अध्याय २६ प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग

३१त अध्याय में हमने दान के विषय में विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसके उपरान्त हम स्वभावतः प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग की चर्चा पर आ जाते हैं। जनकल्याण के लिए मन्दिरों का निर्माण, उनमें देवों की प्रतिमाओं की स्थापना एवं कूप, तालाब, बाटिका आदि का समर्पण प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग के नाम से पुकारे जाते हैं। हमने बहुत पहले पढ़ लिया है कि मन्दिरों, कूपों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं का निर्माण पूतं धर्म के अन्तर्गत आता है और शूद्र लोग यह कार्य कर सकते थे। याज्ञवल्क्य (२।१।१४) की टीका मिताक्षरा के मत से स्थियाँ (विधवा भी) पूतं कार्यों के लिए धन व्यय कर सकती थी (यद्यपि वे वैदिक यज्ञ आदि नहीं कर सकती थी)। बहुत प्राचीन काल से सार्वजनिक काम एवं उपयोग के लिए दातव्य कार्य एवं वस्तुओं से सम्बन्धित नियम बने हुए हैं। शबर ने स्मृतियों के प्रतिष्ठा विषयक नियमों को श्रुति पर आधारित माना है (जैमिनि १।३।२)। ऋग्वेद (१०।१०७।१०) में पुष्करिणी (तालाब) का उल्लेख हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (९।१।१-२) के मत से जो व्यक्ति जन-हित के लिए कूप खुदवाता है, उसके आगे पाप उसमें पानी निकालने के समय ही नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति तालाब खुदवाता है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है और वरण-लोक में निवास करता है। धाण ने कादम्बरी में लिखा है कि स्मृतियों के अनुसार लोगों को जन-समाह्वान, आश्रय, कूप, प्रपाएँ (पौसरे), बाटिकाएँ, मन्दिर, बाँध, जल-यन्त्र (पट्टयन्त्र) आदि बनवाने चाहिए। कुछ ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि यज्ञों से केवल स्वर्ग मिलता है, किन्तु पूतं, अर्थात् मन्दिरों, तालाबों एवं बाटिकाओं के निर्माण से ससार से मुक्ति हो जाती है।^१ इससे स्पष्ट है कि जन-कल्याण के लिए किये गये कार्य, यज्ञादि कृत्यों से, जिनमें केवल ब्राह्मणों को लाभ होता था, बर्द्ध गुने अच्छे माने जाते थे।

कूप या तालाब की प्रतिष्ठा-विधि—शांतायनगृह्यसूत्र (५।२) ने कूप या तालाब खुदाने एवं उनकी प्रतिष्ठा के विषय में विधि लिखी है, यथा सुबल पक्ष में या किसी मंगलमय तिथि के दिन दूध में जो बा पर (उबाला हुआ मोहन) पकाकर दाता को 'त्व मो अग्ने' (ऋग्वेद ४।१।४-५) तथा 'अब ते हेड' (ऋग्वेद १।२।४।१४), 'दम मे वरुण' (ऋग्वेद १।२।५।१९), 'उदुत्तम वरण' (ऋग्वेद १।२।४।१५), 'दद्या धियम्' (ऋग्वेद ८।४।२।३) नामक मन्त्रों के साथ यज्ञ करना चाहिए। मध्य में दूध की आहुतियाँ दी जाती हैं और मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०।८।१।३७, १।२।२।१७ एवं ७।८।९।५) होता है। इस यज्ञ की दक्षिणा है एन जोश धोनी तथा एव गाय। इसके उपरान्त ब्रह्म-भोज होता है।

कूप एवं जलाशय के प्रदान तथा प्रतिष्ठा के विषय में अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में पर्याप्त विस्तार पाया जाता है (आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट ४।९, पारस्करगृह्यपरिशिष्ट, महत्स्यपुराण ५८, अग्निपुराण ६५)। किन्तु हम इस विस्तार में नहीं पड़ेंगे। जमरा, पुराणों में वर्णित विधि को ही सप्रति महत्त्व दिया जाने लगा है (अपराकां पृ० १५)।

१. इन्द्रापूर्तौ स्मृती धर्मो भूतो ही साष्टसम्पत्तौ। प्रतिष्ठाधं तयोः पूर्तन्निष्ठं यज्ञाविलक्षणम् ॥ भुरिप-
मुनिप्रदं पूर्तन्निष्ठं भोगार्थसाधनम् ॥ बालिकपुराण (हरियरमाहार, पृ० १० में उद्धृत)।

अपरार्क (पृ० ४०९-४१४), हेमाद्रि (दान, पृ० ९९७-१०२९), दानक्रियाकौमुदी (पृ० १६०-१८१), जला-
दायोत्सर्गतत्व (रघुनन्दन कृत), नीलकण्ठ कृत प्रतिष्ठासूत्र एव उत्सर्गसूत्र, राजघर्मकौस्तुभ (पृ० १७१-२२३)
आदि ग्रन्थो ने कृषो, जलाशयो, पुष्करिणियो आदि की प्रतिष्ठा के विषय मे विवाद विधि दी है। यह विधि गृहपरि-
शिष्टो, पुराणो (मत्स्य ५८ आदि), तन्त्रो, पाञ्चरात्र तथा अन्य ग्रन्थो पर आधारित है। हम इस विधि का वर्णन यहाँ
नही दे सकेंगे। विस्तारपूर्ण विधि के मूल मे जो बात है वह केवल जलाशय के जल की पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योंकि
पूजा-याठ तथा धार्मिक क्रिया-कलाप से वस्तु की पवित्रता प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पर्य है अन्व-
स्थित कृत्यो के साथ जनता को समर्पण। प्रतिष्ठा की विधि मे चार मुख्य स्तर हैं—(१) सकल्प, (२) होम,
(३) उत्सर्ग (इसका उद्घोष कि वस्तु दे दी गयी है) तथा (४) दक्षिणा एव ब्राह्मण-भोजन। मन्दिर के लिए उचित
शब्द है प्रतिष्ठा न कि उत्सर्ग।

दान एवं उत्सर्ग मे भेद—दान एव उत्सर्ग के पारिभाषिक अर्थ मे कुछ अन्तर है। दान मे स्वामी अपना स्वामित्व
किसी अन्य को दे देता है और उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, अर्थात् न तो वह उसका प्रयोग कर सकता
और न उस पर किसी प्रवार वा नियन्त्रण ही रख सकता है। किन्तु जब उत्सर्ग किया जाता है तो वस्तु
जनता की हो जाती है और दाता जनता के सदस्य के रूप मे उसका उपयोग कर सकता है। यह धारणा अधिकांश
लेखको की है, किन्तु कुछ लेखक उत्सर्ग की हुई वस्तु का दाता द्वारा प्रयोग अनुचित ठहराते हैं।

जलाशयो के प्रकार

जन-कल्याण के लिए खुदाये हुए जलाशयो के चार प्रकार होते हैं—कूप, वापी, पुष्करिणी एव तडाग। कुछ
ग्रन्थो ने लिखा है कि चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार होने से कूप का व्यास ५ हाथ से ५० हाथ तक हो सकता है, और इसमे
साधारणतः पानी तक पहुँचने के लिए सीढियाँ नही होती। वापी वह कूप होता है जिसमे चारो ओर से या तीन, दो या
एक ओर से सीढियाँ हों और जिसका मुख ५० से १०० हाथ तक हो। पुष्करिणी १०० से २०० हाथ व्यास की होती
है। तडाग २०० से ३०० हाथ लम्बा होता है। मत्स्यपुराण (१५४।५।१२) के अनुसार वापी १० वृषो के बराबर
एव ह्रद (गहरा जलाशय) १० वापियो के बराबर होता है; एक पुत्र १० ह्रदो के बराबर तथा एक वृक्ष १० पुत्रो
के बराबर होता है। रघुनन्दन द्वारा उद्धृत वसिष्ठसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४०० हाथ लम्बी और तडाग इसका
पाँच गुना बड़ा होता है।

वृक्ष-महत्ता एव वृक्षारोपण आदि

वृक्षमहत्ता—नारत मे वृक्षो की महत्ता सभी कालो मे गायी गयी है। वे यज्ञ मे दूषो (जिनमे बलि का पशु
बाँधा जाता है) के लिए, इक्ष्म (ईधन या समिधाओ) के लिए, खुब, जुहू आदि यज्ञपात्रो एव करछुल्लो आदि के लिए
उपयोगी होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३) ने सात प्रकार के पवित्र वृक्ष बताये हैं। तैत्तिरीय संहिता (३।४।८।४) के
मत से इक्ष्म (समिधाएँ) न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्य एव प्लक्ष नामक वृक्षो की होती हैं, क्योंकि उनमे गन्धवो एव

२. सदा जलं पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्कृतम्। कुशाग्रोणापि राजेन्द्र न स्प्रष्टव्यमसंस्कृतम् ॥ वापीरूपतडागादी
ध्वजलं स्यादसंस्कृतम्। अपेयं तद् भवेत्सर्वं पीत्वा चाग्नाप्यं चरेत् ॥ मत्स्यपुराण (निर्णयसिन्धु, ३ पुर्वार्ध,
पृ० ३३४ में उद्धृत)। प्रतिष्ठापन सविधिकोरत्तर्जनमित्यर्थः। दानक्रियाकौमुदी, पृ० १६६।

धूम्रराजा का निवास है। इसके अतिरिक्त वृक्ष अपने हरित पत्राको म पक्षियों को शीतल एव उष्ण नीद देते हैं, बहुते-से वृक्षा की हरी पत्तियाँ (यथा आम आदि वृक्षा की) शत्रुजल भी शुभावसरो पर मण्डपा या द्वारो पर तोरण रूप म बाँधी जाती है। हेमाद्रि ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि अश्वत्थ उदुम्बर, प्लाश आम (आम) एव न्यग्रोध की टहनियाँ एव पत्तियाँ पञ्चभंग नहीं जाती हैं और सभी कत्या म मंगलमय मानी जाती है। बोधाचल-धर्मसूत्र (२।३।२५) म अथा है नि पलाश परम पवित्र है अत उसरु माग म आसन राडामु, दन्तधावन आदि नहीं बनन चाहिए। वृक्ष धूप से बचाते है तथा दवा एव पितरा का चढाने के लिए पुण्य फल देन है। गिर जाने पर उनकी लकड़ियों से घर बनाते हैं उनसे नाना प्रकार के सामान बनाये जाते है तथा उन्हें जलाकर भोजन बनाया जाता है एव शीतल रक्षा की जाती है। अपन सातवें स्तम्भामिलेव म अशोक ने आठ कोस की दूरी पर वृष निर्माण एव वट वृक्ष लगाये की चर्चा की है (दक्षिण चार्वांग इतिस्थानम् दण्डिवेरम् जित् १, पृ० १३४-१३५)। महाभाष्य (जित् १, पृ० १४) ने एव अति प्राचीन पद्य का अर्थ उद्धृत किया है जिमका तात्पर्य है कि जो आम का पानी पीता है और उसकी सेवा करता है उसके पितृगण उससे प्रसन्न रहते हैं। मनु (४।२९) एव याज्ञवल्क्य (१।१३३) ने स्नातको के लिए मार्ग के प्रसिद्ध वृक्षा (यथा अश्वत्थ) की परिचर्या करना आवश्यक माना है। बाण ने तादम्बरी म पुत्र की इच्छा करनेवाली स्त्री द्वारा वृक्षा की पूजा की चर्चा की है।

वृक्षों के प्रकार एव उनकी सेवा—महाभारत (अनुशासनपर्व ५८।२३-३२) न पेड़-पौधों के जीवन की प्रभूत प्रशंसा की है और उन्हें ६ भागों म बाँटा है यथा—वृक्ष (पेड़) लता (जा वृक्षा के सहारे लटकी रहती हैं), खली (जो पृथिवी पर फैलती हैं) पुत्र (शाडियाँ) त्वक्सार (ऐसे वृक्ष जिनका ऊपरी भाग प्रबल या मजबूत रहता है जिन्नु जो नीचे से फोले रहते हैं, जैसे बांस आदि) एव घास। महाभारत म वही यह भी आया है कि जो वृक्ष लगाते है व उनसे रक्षा पाते हैं, अत उनकी सेवा पुत्रा म समान करनी चाहिए। यही बात दूसरे ढंग म विष्णुधर्मसूत्र (१।१।८) म भी पायी जाती है। हेमाद्रि (दान, पृ० १०३०-३१) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि निम्न प्रकार अश्वत्थ, अशाक अम्लिका (दमली), दाडिम (अनार) आदि पेड़-पौधे लगान से क्रम स सम्पत्ति, पात्राचन, दीर्घायु, स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। वृद्ध-गौतम ने अश्वत्थ को समता श्री कृष्ण से की है। महाभारत न चैप्य (महाधिस्तूप या विश्रामस्थर) वाले अश्वत्थ वृक्ष को पत्तियाँ तथा ताडना बजित माना है (शांतिपर्व ६९।४२)। शांतिपर्व (१८।१-१७)

३ वृक्ष की उपयोगिता से प्रभावित हो कवि ने उसकी आलंकारिक प्रशंसा में निम्न उद्गार कहा है—

एक पंर से मूक अन्ध है, रात-बिबस सब बही लडा है।

झाडा और प्रवातो में श्रुति, से हिसलप्य मुहु फूल पडा है।

४ आश्राय स्थिता पितरश्च प्रीणिता। महाभाष्य, जित् १, पृ० १४। वृक्षों से जो लाभ होते हैं, उनके विषय में वेदिए अनुशासनपर्व (५८।२८-३०) एव विष्णुधर्मसूत्र (१।१।५-८)। अ.पुनिक भागत में स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रति वर्ष वन-महोत्सव मनाया जाता है और स्थान-स्थान पर वृक्षा रोपण हो रहा है। पहलके के वृक्षों के हट जाने से जल का अभाव होता जा रहा है, अनावृष्टि से वहीं-वहीं हाहाकार हो रहा है। भारत-सरकार अब वृक्षों के महत्त्व को समझ रही है। हमारे ऋषियों ने वृक्षों को महत्ता पर जो कुछ लिखा है वह सार्थक था, क्योंकि आजकल के भ्रमण-शास्त्रियों तथा भूगोल विद्या विचारकों ने वृक्ष-महत्ता को दंज्ञानिश्चता स्पष्ट कर दी है। (१०)

५ वृक्ष म पुत्रवत् वृक्षात्तरपन्ति परत्र च। तस्मात्तडागे सदवृक्षा रोष्या धेयाधिपता सदा। पुत्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मत स्मृता। अनुशासन ५८।३०-३१; वृक्षारोपणपुर्वता परलोके पुत्रा भवन्ति। विष्णुधर्मसूत्र ९।१४।

ने पेह-पीधो मे जीवन माना है और कहा है कि वे भी सुख-सुख (हर्ष-क्लेश) का अनुभव करते हैं और काट लिये जाने पर अकुलित होते हैं। उस्तगंमयूख (पृ० १६) मे उद्धृत मविष्यपुराण के मत से जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक पिचुमर्द (नीम) या एक न्यग्रोध या दस इमली या तीन कपित्थ, बिल्व तथा आमलक या पाँच आम के पेड़ लगाता है वह नरक मे नहीं जाता। मत्स्यपुराण (२७०।२८-२९) के अनुसार मन्दिर के मण्डप के पूर्व फलदायक वृक्ष लगाये जाने चाहिए, दक्षिण मे दूध की तरह रस वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए, पश्चिम भाग मे कमलो मे पूर्ण जलाशय रहना चाहिए तथा उत्तर मे पुष्प-वाटिका तथा सरल एव ताल के वृक्ष होने चाहिए। वसिष्ठधर्मसूत्र (१९।११-१२) मे यज्ञ मे काम आने वाले वृक्षो तथा खेती की भूमि वाले वृक्षो के अतिरिक्त अन्य फूल-फल देने वाले वृक्षो को काटने से मना किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।५।५९) ने फल देने वाले, पुष्प देने वाले वृक्षो को तोड़ने तथा लता, गुल्म या घास काटने वाले लोगों के लिए राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की व्यवस्था दी है।

वाटिका-दानविधि—हेमाद्रि (दान, पृ० १०२९-१०५५) ने वृक्षारोपण, वाटिका-समर्पण तथा वृक्ष-दान से उत्पन्न पुण्य के विषय मे सविस्तर लिखा है। शाखायनगृहपरिशिष्ट (४।१०), मत्स्यपुराण (५९), अग्निपुराण (७०) तथा अन्य ग्रन्थो मे वाटिका के समर्पण की विधि बताया गयी है। यह विधि कूपो एव तटार्गो के समर्पण की विधि पर आधारित है, केवल मन्त्रो मे विनिम्नना है। सक्षेप मे शाखायनगृह (५।२) द्वारा उपस्थित विधि यों है—वाटिका मे पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर, स्थालीपाक (भोजन) तैयार करके दाता को “विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्निभ्यो स्वाहा, विश्वकर्मणे स्वाहा” तथा ऋग्वेद (३।८।६) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिए। इसके उपरान्त वह वाटिका में ‘वनस्पते शतबलशो विरोह’ (ऋग्वेद ३।८।११) नामक मन्त्र पढ़ता है। इस यज्ञ की दक्षिणा सोना होती है।

देव-प्रतिष्ठा

देवपूजा के प्रकार—यद्यपि धर्मसूत्रो मे मन्दिरो एव प्रतिभाओ का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु देवता-प्रतिष्ठापन की विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गृह्य या धर्मसूत्र मे नहीं पायी जाती। पुराणो एव कुछ निबन्धो मे देव-प्रतिष्ठा पर सविस्तर लिखा गया है (मत्स्यपुराण २६४, अग्निपुराण ६० एव ६६ आदि)। विष्णु, शिव आदि की प्रतिभाओ के प्रतिष्ठापन पर अलग-अलग अध्याय लिखे गये हैं। यहाँ सबका विस्तार देना कठिन है। देवता-पूजा दो रूपो मे हो सकती है, (१) बिना किसी प्रतीक के तथा (२) प्रतीक के साथ। प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एव हवन से सम्पादित होती है और दूसरे प्रकार की मूर्ति-पूजा के रूप मे। मूर्तिपूजक भी यह जानते हैं कि देवता केवल चित्, अद्वितीय, बिना अवयवो का एव बिना शरीर का होता है, विभिन्न मूर्तियो के रूप में रहने वाले देवता की स्थिति कल्पना मात्र है।*

मूर्ति रूप में देव-पूजा के प्रकार—मूर्ति के रूप मे देव-पूजा भी दो प्रकार की होती है, (१) अपने घर मे की जाने वाली तथा (२) जन-मन्दिर मे। द्वितीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (कुछ ग्रन्थो द्वारा), क्योंकि इसके द्वारा

६. अश्वत्थमेकं पिचुमर्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश चित्रिणोक्तम्।

कपित्थबिल्वामलकत्रयं च पञ्चाश्रवापी नरकं न पश्येत्॥

मविष्यपुराण (उत्तमगंमयूख पृ० १६ एव राजधर्मकौस्तुभ, पृ० १९३ मे उद्धृत)।

७. चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। उपासकानां कार्पासं ब्रह्मणो ह्यकल्पना। (रघुनन्दन के देवप्रतिष्ठातत्त्व, पृ० ५० में उद्धृत)।

उत्पत्ती का मताना तथा उपाचार के विविध ढंगों को पूर्णता के साथ अपनाता गरण एव सम्भव होता है। हमने देवपूजा के अन्त्याय म धर्मास्तनगन मूर्ति-पूजा के विषय म लिखा है। हम गरी मन्दिर की देव पूजा का वर्णन उपस्थित करेंगे।

मन्दिरों में मूर्ति-स्थापना के प्रकार—मन्दिरों में मूर्ति-स्थापना के दो प्रकार हैं, (१) घल्लार्वा (जिसमें मूर्ति उठायी जा सकती है और अन्यत्र भी रखी जा सकती है) तथा (२) स्थिरार्वा (जहाँ मूर्ति स्थिर रूप से फलक पर जमी रहती है और इधर-उधर हटायी नहीं जा सकती)। इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के विवरण में कुछ अन्तर है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२६६) में विनाद वर्णन किया गया है, जिसे हम यहाँ स्थानात्मक के कारण नहीं दे रहे हैं। जिज्ञासु पाठकों का चाहिए कि वे मत्स्यपुराण का अध्ययन कर लें। मत्स्य नाल के निबन्धों (यथा देवप्रतिष्ठातस्व धादि) में कुछ तान्त्रिक ग्रन्थों का उद्धरण से विस्तार दत्त गया है।

मत्स्यपुराण, अग्निपुराण, नृसिंहपुराण निर्णयनिग्ध तथा अन्य ग्रन्थों में धामुदेव, शिवलिंग एव अन्य देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के विषय में विनाद वर्णन पाया जाता है। इन ग्रन्थों में तान्त्रिक प्रयोगों के अनुसार मानव्यायाम, तन्त्रन्यास एव यन्त्रन्यास नामक कई न्यासों की धर्मा हुई हैं।

वेदान्तसम्भानसूत्र (४।१०।११) में विष्णुमूर्ति की स्थापना के विषय में वर्णन मिलता है। किन्तु मूर्ति-स्थापना का यह विवरण किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर में स्थापित मूर्ति के विषय में ही है। इस विवरण को हम उद्धृत नहीं कर रहे हैं।

देवदासी

बहुत प्राचीन काल से ही मन्दिरों में मलग्न नर्तकियों की व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था का उद्गम रोम की वेस्टल धर्मिन्स नामक संस्था के समान ही है। राजतरंगिणी (४।२६९) में दो मन्दिर-नर्तकियों की चर्चा हुई है (देव-गुहाभित्ते नर्तक्यो), जो पूषिकी में श्वे एव मन्दिर के स्थल पर नाचती-गाती थीं। चाण्डी (मानदेश जिला) के सिलालेख (१०६९-१०७० ई०) में मोविन्दराज के दान-वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने नाचने-गाने वाली विलासिनियों का प्रबन्ध किया था (एपिथ्रैफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० २२७)। चाहमान राजा जोङ्गलदेव के सिलालेख (१०१०-११ ई०) से ज्ञान होता है कि उन्होंने एक उत्सव में सभी मन्दिरों की नर्तकियों को मुन्दर के पुत्र वस्त्राभरणों से सुसज्जित हाथ आने का आदेश दिया था और जो नहीं आ पायी थीं, उनके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया था (एपिथ्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २६-२७)। इस विषय में और देखिए, एपिथ्रैफिया इण्डिका जिल्द १३, पृ० ५८। उपर्युक्त प्रथा को देवदासी की प्रथा कहते हैं। रत्नागिरि जिले (दक्षिण भारत) में इस प्रथा को भावियों की प्रथा कहा जाता था। जब यह प्रथा मत्स्यपुराण उद्गम दी गयी है। पहले मन्दिरों की स्थापना तथा मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ न्याया का भी दान होता था, जो देवदासी कहलाती थी। देवदासियों को पवित्र ढंग में रहने हुए देव-पूजा के समय या समय-समय पर नृत्य गान करना पड़ता था। किन्तु कालान्तर में यह प्रथा व्यभिचार की गृहित करने लगी और मन्दिरों में मत्स्य देवदासियों के स्थापना के समान समझी जाने लगी। भाग्यत्रय अथवा प्रथा समाप्त हो गयी है। देवदासी का मानसिक विवाह मूर्ति से होता था।

८. (मन्दिरों की मूर्तियों में नाचालिग्न ग्रन्थों का विवाह कर दिया जाता था।) 'देवदासी' का अर्थ है 'देव की दासी' और 'भावित्' शब्द 'भाविते' शब्द से निकला है और इसका अर्थ है 'भाव रखने वाली नारी'; 'भाव' का अर्थ 'देव का प्रेम' (रतिर्देवादि-विषया... भाव इति प्रोक्त, भाष्यप्रकाश ४।३५) है।

पुनः प्रतिष्ठा

देवप्रतिष्ठातत्त्व एव निर्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि निम्नोक्त दस दशाओ मे देवता मूर्ति मे निवास करना छोड देते हैं, जब मूर्ति खण्डित हो जाय, चकनाचूर हो जाय, जला दी जाय, फलक (आधार)से हटा दी जाय, उसका अपमान हो जाय, उसकी पूजा बन्द हो गयी हो, गदहा-जैसे पशुओ से छू ली गयी हो, अपवित्र स्थान पर गिर जाय, दूसरे देवताओ के मन्त्रो से पूजित हो गयी हो, पतितो या जातिच्युतों से छू ली गयी हो, जब मूर्ति का स्पर्श ब्राह्मण-रक्त से, शव से या पतित से हो जाय तो उसकी पुन प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जब मूर्ति के टुकडे हो जायें या चकनाचूर हो जाय तो उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जब मूर्ति तोड दी जाय या चुरा ली जाय तो उपवास करना चाहिए। यदि धातुओ की मूर्तियाँ चोरो या चाण्डालो द्वारा छू ली जायें तो उन्हें अन्य पात्रो की भाँति पवित्र कर फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब उचित रूप से स्थापित हो जाने के उपरान्त मूर्ति की पूजा मूल से एक रात्रि या एक मास या दोमासों तक न हो या उसे कोई शूद्र या रजम्बला नारी छू ले, तो उसका जल-अधिवास (जल मे रखना) होना चाहिए, उसे घट-जल से नहलाकर, पचगव्य से घोना चाहिए, इसके उपरान्त घडों के स्वच्छ जल से पुरुष-सूक्त पढ़कर नहलाना चाहिए (ऋग्वेद १०।१०)। पुरुषसूक्त का पाठ ८००० बार या ८०० बार या २८ बार होना चाहिए। इसके उपरान्त चन्दन एव पुष्प से पूजा कर, नैवेद्य (गुड के साथ चावल पकाकर) देना चाहिए। यह पुन स्थापन की विधि है।

जीर्णोद्धार

पुन प्रतिष्ठा के साथ यह विषय सम्बन्धित है। अग्निपुराण (अध्याय ६७ एव १०३) मे वर्णित बातों के आधार पर निर्णयसिन्धु (३, पूर्वाध, पृ० ३५३) एव धर्मसिन्धु (३, पूर्वाध, पृ० ३३५) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। मन्दिर की मूर्ति के जल जाने, उखड जाने या स्थानान्तरित किये जाने पर जीर्णोद्धार किया जाता है। अग्निपुराण (१०३।४) ने लिखा है कि यदि कोई लिंग या मूर्ति तीव्र धारा मे बह जाय तो उसका शास्त्र के नियमों के अनुसार पुन स्थापन होना चाहिए। अग्निपुराण (१०३।२१) के मन से अमुरों (बाणासुर आदि) या मुनियो या देवताओ या तन्त्रविद्याविशारदों द्वारा स्थापित लिंग को, चाहे वह पुराना हो गया हो या टूट गया हो, दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए, चाहे मली भाँति पूजा आदि सम्पादित कर दी गयी हो। अग्निपुराण (६७।३-६) ने लिखा है कि जीर्णोद्धार काष्ठ-प्रतिमा जला डाली जानी चाहिए, वैसी ही प्रस्तर-मूर्ति जल मे प्रवाहित कर देनी चाहिए, धातु एव रत्नो (मोती आदि) की बनी जीर्णोद्धार मूर्ति गहरे जल या समुद्र मे डाल दी जानी चाहिए। यह कार्य बडे ठाठ-बाट तथा बाजे-गाजे के साथ तथा मूर्ति को वस्त्र से लपेट कर करना चाहिए और उसी दिन उसी वस्तु से निर्मित तथा उसी की बडी दूसरी मूर्ति विधिवत् पूजा के उपरान्त स्थापित कर देनी चाहिए। जब प्रतिदिन की पूजा बन्द हो जाय, या जब मूर्ति को धूँड आदि छू लें तो पुन प्रतिष्ठापन के उपरान्त ही पविनीकरण हो सकता है।

निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु तथा अन्य ग्रन्थो मे जीर्णोद्धार-विधि विषय रूप से वर्णित है। बुद्ध-हारीत (१।४०१-४१५) ने भी इस पर लिखा है। विवादरत्नाकर द्वारा उद्धृत शकलिलित मे आया है कि जब प्रतिमा, वाटिका, कूप, पुल, ध्वजा, बाँध, जलाशय को कोई तोड-फोड दे तो उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए तथा अग्ररागी को ८०-

१. नादेयेन प्रवाहेण तदपाक्रियते यदि । ततोऽन्यत्रापि संस्थाप्य विधिवृत्तेन कर्मणा ॥ अमुरं मुनिभिर्गोत्रं स्वतन्त्रविद्भिः प्रतिष्ठितम् ॥ जीर्णं वाच्ययवा भग्नं विचिन्तयि न क्षालयेत् ॥ अग्निपुराण, १०३।४ एवं २१।

दण्ड मिलना चाहिए।" पूजा बन्द हो जाने पर कुछ लेखकों ने पुनःप्रतिष्ठा की बात चलायी है, किन्तु कुछ अन्य लोगों ने केवल 'श्री-श्री' की व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातत्त्व, पृ० ५१२ एव धर्मशास्त्र ३, पूर्वार्ध, पृ० ३३४)। मुसलमानों द्वारा तोड़ी गयी एक प्रतिष्ठा के पुनःस्थापन का वर्णन एपिग्रेफिया इण्डिका (क्रिस्त्व २०, अनुमनजिका, पृ० ५६, सस्या ३८१) में वर्णित एक शिलालेख (११७८-७९ ई०) में पाया जाता है।

मठ-प्रतिष्ठा

मठों का अर्थ—मठ प्रतिष्ठा का तात्पर्य है मुनिवास, आश्रम, विहार या मठ भी या अध्यापनोत्साह छात्रों के लिए महाविद्यालय की स्थापना। मठ-स्थापना बहुत प्राचीन प्रथा नहीं है। बौधायनधर्मसूत्र (३।१।१६) ने अग्निहोत्री ब्राह्मण के विषय में लिखा है—“अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरान्त वह (गृहस्थ) ग्राम की सीमा पर उठकर जाता है, वहाँ वह एक कुटी धारिणसाला (मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है।” यहाँ 'मठ' शब्द का कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है। अमरकोश में मठ की परिभाषा यों दी हुई है—“वह स्थान जहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं।” मन्दिर या मठ के निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की धार्मिक प्रेरणा या मनोभाव है, किन्तु उनके उद्देश्य पृथक्-पृथक् हैं। मन्दिर का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता है, किन्तु इसमें धार्मिक शिक्षा, महानास्त, रामायण एवं पुराणों का पाठ तथा सगीतमय कीर्तन आदि भी भी व्यवस्था होती थी, किन्तु ये बातें शीघ्र मात्र थीं। मठों की बर्ने निराली थीं, यहाँ ऐसे शिष्यों या अन्य साधारण जनो की शिक्षा का प्रबन्ध था, जिनके गुरु किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों या किसी दर्शन के सिद्धान्तों या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या-शाखाओं की शिक्षा दिया करते थे। बहुत से मठों में देवस्थल या मन्दिर आदि भी साथ-साथ स्थापित रहते थे, किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना मठों का प्रमुख वर्तमान नहीं था। सम्भवतः वैदिक धर्मविद्वान्द्वयो के मठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुवृत्ति पर ही हुई। आठ शक-राचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी, श्रुपेरी, पुरी (गोवर्धन मठ), द्वारका (धारवा मठ) एवं बदरी (ज्योतिर्मठ)। अद्वैतगुरु शक-राचार्य ने अपने वेदान्त-सिद्धान्त के प्रसङ्ग के लिए ही उपयुक्त मठों की स्थापना की थी। भारतवर्ष में विविध प्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामानुज एवं माध्व जैसे आचार्यों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये। आज तो सम्भवतः सभी प्रकार के धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के मठ पाये जाते हैं। मौलिक रूप में शक-राचार्य जैसे सन्यासियों द्वारा स्थापित मठों में कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों ने सन्यासियों के लिए सम्पत्ति को वर्जित ठहराया है। सन्यासी लोग केवल वस्त्र, परिधान, भोजन या ताडपत्र पर लिखित या वागद पर लिखित धार्मिक पुस्तकें तथा अन्ना गायारण वस्तुओं के अतिरिक्त अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। सन्यासी लोगों को एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना भी वर्जित था। अतः लोग सन्यासियों के आने पर उनके आश्रम के लिए अपने कसबे या ग्राम में कुटियाँ बनवा देते थे, जिन्हें मठ कहा जाता था, जिसका सर्वोपेक्ष्य रूप में अर्थ है 'वह स्थान जहाँ सन्यासी रहते हैं।' किन्तु इसका विस्तीर्ण रूप में अर्थ है वह स्थान या सस्या जहाँ आचार्य या गुरु की अध्यक्षता में बहुत-से शिष्य धार्मिक सिद्धान्तों, आचार्यों तथा सत्सम्बन्धी विवेचनों का अध्ययन करते हैं या शिक्षा-दीक्षा पाते हैं। किन्तु कालान्तर में बड़े-बड़े आचार्यों के अनुयायियों एवं शिष्यों के अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा एवं लगन से मठों को चल एवं अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त हो गयीं।

१०. प्रतिभारामहर्षसंश्रमन्वजसेतुनिपानभंगेषु सत्समुत्पापने प्रतिस्कारोऽप्यशतं च। विवाहत्लाकार (पृ० ३६४)।

११. बेशिए विहारों एवं उनकी बसा के विषय में कुल्लवण (६१२ एवं १५)।

महन्त की नियुक्ति—मठ के मुख्य सन्यासी 'जे स्वामी, मठपति, मठाधिपति या महन्त कहा जाता है। महन्त की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परम्पराओं के अनुसार होती है, नियुक्ति मुख्यतया तीन रूपों में होती है, (१) मठ का अधिपति (महन्त) अपने शिष्यों में किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी बना लेता है, (२) विद्यार्थी लोग अपने में से किसी एक को अपने गुरु का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तथा (३) शासन करनेवाला या मठ का सस्थापक या उसके उत्तराधिकारी लोग महन्त की गद्दी खाली होने पर किसी की नियुक्ति कर देते हैं।

मन्दिर एवं मठ

मन्दिर एवं मठ धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मन्दिरों में इतिहासों, पुराणों आदि का पाठ हुआ करता था। राजा ने लिखा है कि उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर में महामारत का नियमित पाठ हुआ करता था। राजतरंगिणी (५।२९) में आया है कि कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा ने रामट उपाध्याय की नियुक्ति मन्दिर में व्याकरण के व्याख्याता के पद (अध्यापक पद) पर की (९०० ई० के लगभग)। अग्निपुराण (२।१।५७) के मत से जो व्यक्ति शिव, विष्णु या सूर्य के मन्दिर में प्रणय वा वाचन करता है वह सब प्रकार की विद्या के दान का पुण्य पाता है।^१ कुछ मठों में न केवल आध्यात्मिक विद्या का दान किया जाता था, प्रत्युत वहाँ धर्म-निरपेक्ष अर्थात् लौकिक विद्या-दान करने की व्यवस्था थी। (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृष्ठ ३३८ तथा एपिग्रैफिया बर्नाटिका, जिल्द ६, सख्या ११)।

दानचन्द्रिका द्वारा उपस्थापित स्कन्दपुराण के उद्धरण से पता चलता है कि मठ में चौकियों एवं आसनो की व्यवस्था रहती थी, मठ तृणों से आच्छादित होता था और उसमें उन्नत स्थान (वेदिकाएँ) आदि बने रहते थे। ऐसे मठ ब्राह्मणों या सन्यासियों को मंगलमय मूर्तों में दान किये जाते थे। इस प्रकार के दान से इच्छाओं की पूर्ति होती थी और निष्काम दान देने पर मोक्ष प्राप्त होता था।^२

'मठ' शब्द का प्रयोग कभी-कभी 'धर्मशाला' (जहाँ दूर-दूर से आकर यात्री कुछ दिनों के लिए ठहर जाते हैं) के अर्थ में भी हुआ है। राजतरंगिणी (६।३००) में आया है कि रानी दिहा ने मध्यदेश, लाट एवं सौराष्ट्र से आनेवाले लोगों के ठहरने के लिए मठ का निर्माण कराया (९७२ ई० के लगभग)।

मठों एवं मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबन्ध

सारे भारतवर्ष में मन्दिरों एवं मठों के स्थल पाये जाते हैं और उनमें बहुतेको के पास पर्याप्त सम्पत्ति है। इन धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का प्रबन्ध तथा उनसे सम्बन्धित न्याय कार्य किस प्रकार होता था तथा उनमें कुप्रबन्धों पर किस प्रकार के प्रतिबन्ध थे, इस विषय में हमें विस्तार के साथ विवरण कहीं नहीं प्राप्त होता। वास्तव में बात यह थी कि प्राचीन काल के धर्माधिकारी, देवस्थलाधिकारी, पुरोहित आदि इतने उज्ज्वल चरित्र वाले थे कि उनके प्रबन्ध में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता था और धर्मशास्त्रकारों ने उनके पूत जीवन एवं धर्माचरण के ऊपर किसी विशिष्ट कानून-

१२. शिवालयें विष्णुगृहे सूर्यस्य भवने तथा । सर्वदानप्रदः स स्यात्पुस्तकं वाचयेत्तु यः ॥ अग्निपुराण २।१।५७।

१३. कृत्वा मठं प्रयत्नेन शयनासनसंयुतम् । तृणैराच्छादितं धैव वेदिकाभिः सुशोभितम् ॥ पुष्यकाले द्विजेभ्यो वा धर्तृभ्यो वा निवेदेयत् । सर्वान् कामानवाप्नोति निष्कामो भोक्षामानुयात् ॥ स्कन्दपुराण (दानचन्द्रिका, पृ० १५२ में उद्धृत)।

व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं समझी। मनु (१।१२६) ने लिखा है कि 'जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मण-सम्पत्ति छीनता है वह दूरसे लोब में गुड़ों का उच्छिष्ट भोजन करता है। जैमिनि (१।१।१९) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि यदि यह कहा जाय कि ग्राम या खेत देवता का है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवता उस ग्राम या खेत का प्रयोग करता है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि देवता के पुत्री आदि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है और वह सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन के अनुसार काम में लाता है। अतः अन्य दानों तथा मूर्तियों के लिए दिये गये दानों में अन्तर है। मेघातिथि (मनु १।१।२६ एव २।१८९) ने लिखा है कि मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ वास्तविक अर्थ में स्वामी-भ्रम नहीं पा सकती, केवल गौण अर्थ में ही उन्हें सम्पत्ति के स्वामी का पद मिल सकता है, क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार सम्पत्ति का उपयोग नहीं कर सकती और न उनकी रक्षा ही कर सकती है। सम्पत्ति का स्वामित्व तो उसी को प्राप्त होता है जो उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रयोग में ला सके और उसकी रक्षा कर सके।"

आधुनिक काल के भारतीय न्यायालयों ने मूर्तियों की सम्पत्ति का स्वामी मान लिया है, किन्तु वास्तव में स्वामित्व एव प्रबन्ध मन्नेजर या ट्रस्टी को प्राप्त है। मठ, इसी स्थिति में एक मूर्ति है। मूर्ति या मठ के अधिकारों की रक्षा एव प्रतिपादन धर्म से मन्दिर के मन्नेजर (प्रबन्धक) या ट्रस्टी तथा महन्त के हाथ में है। मनु एव अन्य स्मृतिवालों ने लिखा है कि मन्दिरों की सम्पत्ति न किसी प्रकार के अवरोध उपस्थित करनेवाले तथा उसका नाम करनेवाले व्यक्तियों को दण्डित करना राजा का कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य (२।२२८) ने मन्दिरों के पास के या पवित्र स्थलों के या दमशान घाटों के वृक्षों या निर्मित उन्नत स्थलों पर जमे हुए पेड़ों की टहनियों या पेड़ों को काटने पर ४०, ८० या १८० पण दण्ड की व्यवस्था दी है। याज्ञवल्क्य (२।२४० एव २।२५) ने राजा द्वारा दिये गये दानपत्रों में अपनी ओर से कुछ जोड़ देने या घटा देने पर कठिन-से-कठिन दण्ड की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।१८६) ने मत से तडागों, मन्दिरों एव गाँवों के चरागाहों की रक्षा के लिए बने नियमों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मनु (१।२८०) ने लिखा है कि जो राज्य के भण्डार-गृह में संध लगाता है या शस्त्रागार या मन्दिर में चोरी करने की इच्छा से प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए, जो मूर्तियों को तोड़ता है उसे जीर्णोद्धार न्य पूरा व्यय तथा ५०० पण जुर्माने में देने चाहिए। कौटिल्य (३।९) ने भी मन्दिरों पर अनधिकार घेष्टा करनेवाले को दण्डित करने की व्यवस्था दी है। कौटिल्य (५।२) ने 'देवताध्यय' नामक राज्यकर्मचारी की नियुक्ति की बात कही है, जो आवश्यकता पड़ने पर मन्दिरों की सम्पत्ति दुर्गों में लाकर रख सकता था और प्रयोग में ला सकता था (और सम्भवतः विपत्ति टल जाने पर उसे लौटा देता था)। नारद (३), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहारा, पृ० २७), बाल्यायन तथा अन्य लेखकों की कृतियों से पता चलता है कि राजा लोभ मन्दिरों, तडागों, वृक्षों आदि की सम्पत्तियों पर नियरानी रखते थे और उन पर किसी प्रकार की विपत्ति आने पर उनकी रक्षा करते थे।

प्राचीन काल में (लगभग ई० पू० तीसरी या दूसरी शताब्दी से ही) धार्मिक सत्त्वों की भी एक समिति होती थी, जिसे गोष्ठी कहा जाता था, और उसने सदस्यों को गोष्ठीक कहा जाता था। कुछ सिलालेखों में मन्दिरों के अधीक्षकों

१४. देवधामो देवभ्रमरिणित उपचारमात्रम् । यो धवभ्रमरं विनियोजतुमर्हति ततस्य स्वम् । न च धामं क्षेत्रं वा यथाभिप्रायं विनियुञ्चते देवता । . . देवपरिचारकाणां तु ततो भूतिर्भवति देवतामुद्दिश्य मत्परतम् । शबर (जैमिनि १।१।१९) । नहि देवतानां स्वस्वामिनान्बोधितं मूल्यार्थासंभवाद् गौण एवार्थो प्राहाः । मेघातिथि (मनु २।१८९) ; देवान्मुद्दिश्य पागानिधियाथं यद्धनमृतसृष्टं तद्देवार्थं मृग्याय स्वस्वामिसम्बन्धस्य देवतामसम्भवात् । न हि देवता इच्छ्या यनं नियुञ्जतः । न च परिपालनव्यापाररतासां दुश्पते । स्व लोके च तादृशमुच्यते । मेघातिथि (मनु १।२६) ।

को स्थापनपति कहा गया है (धीरगम् दान-पत्र, देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० १३८)। महाशिवगुप्त (८वीं या ९वीं शताब्दी) के सिरपुर प्रसार-शिलालेख में पता चलता है कि मन्दिरों की सम्पत्ति के लेन-देन में राजा की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। अपराकं. (पृ० ७५६) द्वारा उद्धृत पैरीनासि के कथन से ज्ञात होता है कि राजा को मन्दिरों एवं सत्साजों की सम्पत्ति लेना वजित था। किन्तु मन्दिरों की सम्पत्ति से सम्बन्धित झगड़ों में राजा हस्तक्षेप करते थे और आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने पुराने राजाओं का हवाला देकर मन्दिरों एवं मठों की सम्पत्तियों पर प्रबन्ध-सम्बन्धी दौब आदि मढ़कर हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया, और बहुत-से कानून बनाये। धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में देवता को दी गयी सम्पत्ति को बेबोत्तर कहा जाता है।

मनु (१।२।१९) ने अविभाज्य पदाथों में धोगक्षेम को परिगणित किया है। 'धोगक्षेम' के कई अर्थ कहे गये हैं, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।११८-११९) ने इसे 'इष्ट' एवं 'पूर्त' के अर्थ में गिना है।^१ अतः मिताक्षरा ने ऐसा घोषित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा बाप-दादों की सम्पत्ति से बनवाये गये तडाग, आराम (वाटिका) एवं मन्दिर आदि का दान अविभाज्य है, अर्थात् ये दान उस दानीय के पुत्रों एवं पौत्रों में बाँटे नहीं जा सकते। यही नियम आज तक रहा है। मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक उपयोगों के लिए दी गयी सम्पत्ति भी साधारणतः अविच्छेद्य है। किन्तु स्वयं मन्दिरों तथा संस्थाओं के लाभ के लिए सम्पत्ति का हेर-फेर हो सकता है।

क्या उत्सर्ग की हुई वस्तु पर उत्सर्गकर्ता का कोई अधिकार पाया जाता है? धीरमित्रोदय (व्यवहार) ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। जिस प्रकार अग्नि में आहुति डालने वाले का आहुति पर कोई अधिकार नहीं रहता, किन्तु वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे नष्ट किये जाते हुए नहीं देख सकता, प्रत्युत वह उसे अग्नि में मस्म हो जाते देखना चाहता है, उसी प्रकार उत्सर्गकर्ता अपनी उत्सर्ग की वस्तु पर कोई स्वामित्व नहीं रखता, किन्तु वह उस पर किसी तीसरे व्यक्ति का स्वामित्व नहीं देख सकता। उत्सर्गकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह उत्सर्ग की हुई वस्तु का जन-कल्याण के लिए सदुपयोग होने दे। इस कथन से स्पष्ट है कि दानी का इतना अधिकार है कि वह अपनी उत्सर्ग की हुई वस्तु को नष्ट होने से बचाता रहे।

क्या प्रबन्धकर्ता या ट्रस्टी प्राचीन मूर्ति को हटा सकता है? क्या वह नयी मूर्ति की स्थापना कर सकता है? इस विषय में धर्मशास्त्र मूक है। आज के कानून के अनुसार यदि पुजारी लोग न चाहें तो मन्दिर का मनेजर या ट्रस्टी मूर्ति का स्थानान्तरण नहीं कर सकता।

१५. धोगक्षेम क्षेमं च धोगक्षेमम्। धोगक्षेमैर्मात्म्यलाभकारणं ध्योतस्मात्तस्मिन्साध्यमितं कर्म लभ्यते। क्षेमक्षयेन लभ्यपरिरक्षणैरुभूतं धर्तृर्बुद्धिं दानतडागारामनिर्माणादि पूर्तं कर्म लभ्यते। तनुभयं पंतुकर्मपि पितृद्वय-विरोधाजितमप्यभिभार्यम्। यथाह लोपाक्षिः। क्षेमं पूर्तं धीपमित्यगित्याहुस्तत्त्वदर्शिनः। अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च॥ इति मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।११८-११९)।

अध्याय २७

वानप्रस्थ

वानप्रस्थ एवं वैश्वानस—'वानप्रस्थ' के लिए प्राचीन काल में सम्भवतः 'वैश्वानस' शब्द प्रयुक्त होता था। ऋग्-अनुक्रमणी में १०० वैश्वानस ऋग्वेद १।६६ के ऋषि कहे गये हैं, और ऋग्वेद १०।१९ के ऋषि हैं वसु वैश्वानस। तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) में 'वैश्वानस' शब्द का सम्बन्ध प्रजापति के नवो से स्थापित किया है। लगता है, अति प्राचीन काल में 'वैश्वानसशास्त्र' नामक कोई ग्रन्थ था, जिसमें वन के मुनियों के विषय में नियम लिखे हुए थे। गौतम (३।२) ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए 'वैश्वानस' शब्द का प्रयोग किया है। ब्रीहयनघर्मसूत्र (३।६।१९) में उसी को वानप्रस्थ माना है जो वैश्वानस-शास्त्र से अनुमोदित विषयो का पालन करता है। बृह-गौतम (अध्याय ८, पृ० ५६४) ने सम्भवतः वैष्णवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं, वैश्वानस एवं वाग्भरात्रिण्ड जिनमें प्रथम सम्प्रदाय में विष्णु को पुरुष, अच्युत एवं अनिरुद्ध उपाधिसे पुकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय में विष्णु को वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध नामक चार मूर्तियों या ब्यूहों वाला माना है। पराशरभाष्यवीथ (भाग २, पृ० १३९) ने तसिष्ठधर्मसूत्र (१।११) को उद्धृत करके (श्रामणवेनाग्निपापाय) लिखा है कि 'श्रामणक' वह वैश्वानस-सूत्र है जिसने तपस्वियों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। वालिदास ने शाकुन्तल में कथ्य ऋषि की पर्णकुटी में रहती हुई शाकुन्तला के जीवन को वैश्वानस-व्रत कहा है (१।२७)। मनु (६।२१) ने वानप्रस्थ को वैश्वानस के मत के अनुसार चलने को कहा है और मेधातिथि ने वैश्वानस को ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मुनियों या यतियों (वानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन ही। महानारद (शान्तिपर्व २०।६ एवं २६।६) के अनुसार वैश्वानसों का विचार यह है—'घन के पीछे पडने की अपेक्षा घन एकत्र करने की इच्छा न रखना ही अच्छा है।' दत्-राचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३।४।२०) में तीसरे आश्रम को वैश्वानस कहा है और छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) में प्रयुक्त 'तपस्' शब्द की ओर संकेत किया है।

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।४५) के अनुसार वानप्रस्थ शब्द घनप्रस्थ ही है, जिसका तात्पर्य है 'वह जो वन में सर्वोत्तम ढंग से (जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए) रहता है। किन्तु क्षीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे ढंग से की है।'

वानप्रस्थ का काल

वानप्रस्थ होने का समय दो प्रकार से होता है। जाबालोपनिषद् (४) के मत से कोई व्यक्ति छात्र-जीवन के

१. ये मत्स्यस्ते वैश्वानसाः। ये वासास्ते बालहित्वाः। तं० भा० १।२३।

२. वानप्रस्थो वैश्वानसशास्त्रतमुदाध्यातुः। श्रौ० ध० सू० २।६।१९।

३. घने प्रवर्षेण नियमेन च तिष्ठति चरतीति वनप्रस्थः, घनप्रस्थ एव वानप्रस्थः। संज्ञायां बंध्यम्। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।४५)। क्षीरस्वामी ने दूसरे ढंग से कहा है—'प्रतिष्ठन्ते अस्मिन् प्रस्थः, घनप्रस्थे भवो वानप्रस्थः वैश्वानसाह्यः'।

उपरान्त या गृहस्थ रूप में कुछ वर्ष व्यतीत कर लेने के उपरान्त वानप्रस्थ हो सकता है। मनु (६।२) के अनुसार 'जब गृहस्थ अपने शरीर पर झुरियाँ देखे, उसके बाल पक जायें, और जब उसके पुत्रों के पुत्र हो जायें तो उसे वन की राह लेनी चाहिए। इस विषय में टीकाकारों के विभिन्न मत हैं। कोई तीनो दशाजों (झुरियाँ, केश पक जाना, पौत्र उत्पन्न हो जाना) को, कोई इनमें किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५० वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने को वानप्रस्थ बन जाने का उपयुक्त समय समझता है। कुल्लूक (मनु ३।५०) ने एक स्मृति का उद्धरण देकर ५० वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ के लिए उपयुक्त ठहराया है।

वानप्रस्थ के नियम

गीतम (३।२५-३४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।९।२।१८ एव २।९।२।३।२), बौधायनधर्मसूत्र (३।३), वसिष्ठधर्मसूत्र (९), मनु (६।१-३२), याज्ञवल्क्य (३।४५-५५), विष्णुधर्मसूत्र (९५), वैखानस (१०।५), शल-स्मृति (६।१-७), शान्तिपर्व (२४५।१-१४), अनुशासनपर्व (१४२), आश्वमेधिकपर्व (४६।९-१६), लघु-विष्णु (३), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २७) आदि ने वानप्रस्थ के कतिपय नियमों का ब्यौरा दिया है। हम नीचे प्रमुख बातें दे रहे हैं।

(१) वन में अपनी पत्नी के साथ या उसे पुत्रों के आश्रय में छोड़कर जाना हो सकता है (मनु ६।३ एव याज्ञ० ३।४५)। यदि स्त्री चाहे तो साथ जा सकती है। मेवातिभि ने टिप्पणी की है कि यदि पत्नी युवती हो तो वह पुत्रों के साथ रह सकती है, किन्तु बूढ़ी हो तो वह पति का अनुसरण कर सकती है।

(२) वानप्रस्थ अपने साथ तीनों वैदिक अग्निर्वा, गृह्याग्नि तथा यज्ञ में काम आने वाले पात्र, यथा—सूरु, घुष आदि ले लेता है। साधारणतः यज्ञों में पत्नी का सहयोग आवश्यक माना जाता है, किन्तु जब वह अपने पुत्रों के साथ रह सकती है, तो यज्ञों में उसके सहयोग की बात नहीं भी उठायी जा सकती। वन में पहुँच जाने पर व्यक्ति को ब्रह्मवैश्या-श्रृणिमा के दिन श्रौत यज्ञ करने चाहिए, यथा—आश्रयण इष्टि, चातुर्मास्य, तुरायण एव दशायण (मनु ६।४, ९-१० एव याज्ञवल्क्य ३।४५)। यज्ञ के लिए भोजन वन में उत्पन्न होने वाले नीवार नामक अन्न से बनाना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार वानप्रस्थ को श्रौत एव गृह्य अग्नियों का त्याग कर श्रामणक (अर्थात् वैखानस-सूत्र) के अनुसार सन्न है।

४. यदि व्यक्ति ने अर्धाधान वंश का अनुसरण किया है तो उसके पास श्रौत एवं गृह्य अग्नियाँ पृथक्-पृथक् होती हैं। किन्तु यदि उसने सर्वाधान वंश स्वीकार किया है तो उसके पास केवल श्रौत अग्नियाँ होती हैं, और वह केवल उन्हीं को साथ लेकर चलता है। जब कोई तीनों श्रौत अग्नियाँ जलाता है, तो वह अपनी स्मार्त अग्नि का साथ भी साथ रख सकता है, इसी को अर्धाधान वंश कहा जाता है। जब कोई स्मार्त अग्नि पृथक् रूप से नहीं रखता, तो उसे सर्वाधान वंश कहा जाता है (बेसिए आपस्तम्बश्रौतसूत्र ५-४।१२-१५ एवं ५।७।८ एव निर्णयसिन्धु ३, पूर्वार्ध, पृ० ३७०)। यदि व्यक्ति के पास श्रौत अग्नियाँ नहीं होतीं तो वह केवल गृह्याग्नि लेकर चलता है। जिसकी पत्नी मर गयी हो वह भी वानप्रस्थ ग्रहण कर सकता है (नित्याश्रय, याज्ञ० ३।४५)। दशायण नामक यज्ञ ब्रह्मपूज्यमास यज्ञ का परिष्कार नामक मात्र है (आप० श्रौ० ३।१७।४ एवं ११, आश्वलायनश्रौत० २।१७।७ तथा कार्त्तव्ययजु० १।२।११ कीटीका)। तुरायण तो आश्व० श्रौ० (२।१४।४-६) के अनुसार इष्टय्यन तथा आपस्तम्ब० (२।३।४।१) के अनुसार सन्न है।

के नियमों के अनुसार नवीन अग्नि प्रज्वलित करने के यथावृत्तियाँ देनी चाहिए।^१ इस विषय में और देखिए गौतम (३।३६), आप० घ० सू० (२।१।२।१२०) एवं बसिष्ठधर्म० (१।१०)। अन्त में वानप्रस्थ को अपने शरीर में ही पवित्र अग्नि को स्थापित कर बाह्य रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए (वैश्वानस सूत्र)। देखिए मनु (६।२५) एवं याज्ञवल्क्य (३।४५)।

(३) मनु (६।५) एवं गौतम (३।२६ एवं २८) के मत से वानप्रस्थ को अपने गाँव वाला भोजन तथा गृहस्त्री के सामान (पाय, अश्व, शयनासन आदि) का त्याग कर देना चाहिए, और फूल, फल, कन्द-मूल पर तथा वन में या पानी में उगने वाली वनस्पतियों या पत्तियों के योग्य नींबार, श्यामाक (साँबा) आदि अनाजों पर निर्भर रहना चाहिए। चिन्तु उसे मधु, मांस, पृथिवी पर उगने वाले कुकुरमुत्ता, भूस्तुण, सिपुक तथा श्लेष्मातक फल का सेवन नहीं करना चाहिए (मनु ६।१४)। गौतम ने कुछ नहीं मिलने पर भातभोजी पशुओं द्वारा मारे गये पशुओं के मांस के सेवन की व्यवस्था दी है। याज्ञवल्क्य (३।५४-५५) एवं मनु (६।२७-२८) ने अन्य पत्तियों के यहाँ भिक्षा माँगने या गाँवों में जाकर आठ मास भोजन माँगने की छूट दी है। मनु (६।१२) ने मत से यह अपने द्वारा बनाया हुआ नमक खा सकता है।

(४) उसे प्रति दिन पंच मन्नायत करने चाहिए, अर्थात् देवों, 'ह्योपयो, पितृयों, मानवों (अतिथियों) एवं भूतों (प्राणियों) की पूजा कर उन्हें पत्तियों के योग्य भोजन देना चाहिए या फलों, कन्दमूलों एवं वनस्पतियों से सत्कार करना चाहिए, इन्हीं की भिक्षा देनी चाहिए।

(५) उसे तीन बार स्नान करना चाहिए; प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल (मनु ६।२२ एवं २४, याज्ञ० ३।४८, बसिष्ठ० १।९)। मनु (६।६) ने दो बार (प्रातः एवं सायं) के स्नान की भी व्यवस्था दी है।

(६) उसे मृगवर्म, वृष की छाल या कुस से शरीर ढँकना चाहिए, और गिर के बाल एवं नख बढ़ने देने चाहिए (मनु ६।६, गौतम ३।३४, बसिष्ठ० १।११)।

(७) उसे वेदाध्ययन में श्रद्धा रखनी चाहिए और वेद का मोन गाठ करना चाहिए (आप० घ० २।१।२।२।९, मनु ६।८ एवं याज्ञवल्क्य ३।४८)।

(८) उसे सयमी, आत्म-निग्रही, हितैषी, सचेत तथा नदय (उदार) होना चाहिए। कुल्लूक ने यह मत कि वानप्रस्थ को, सायं में पत्नी के रहने पर, नियमित बालों में तैय्युत करना चाहिए, भ्राम्य है, क्योंकि मनु (६।२६), याज्ञ० (३।४५) एवं बसिष्ठ (१।५) ने इसे वर्जित माना है।

(९) उसे हल से जोते हुए भेत के अन्न का, चाहे वह कृषण द्वारा छोड़ ही क्यों न दिया गया हो, प्रयोग नहीं करना चाहिए, और न गाँवों में उत्पन्न फलों एवं कन्द-मूलों का ही प्रयोग करना चाहिए (मनु ६।१६ एवं याज्ञवल्क्य ३।४६)।

(१०) वह वन में उत्पन्न अन्न को पका सकता है या जो स्वयं पक जाय (यथा फल) उसे खा सकता है या अन्न को पत्थरों से कुचलकर खा सकता है, अपने दाँतों से धवाकर खा सकता है। वह अपने भोजन तथा धार्मिक कृत्यों में पी का प्रयोग नहीं कर सकता; वह केवल वन में उत्पन्न होने वाले तेल का ही प्रयोग कर सकता है (मनु ६।१७ एवं याज्ञ० ३।४९)।

५. वैश्वानिधि (मनु ६।९) के अनुसार 'आमनक' अग्नि उसी के द्वारा प्रज्वलित की जाती थी जिसकी पत्नी मर जाती थी अथवा जो छान-ओवन के सुरत बाद ही वानप्रस्थ ही जाता था।

(११) वह रात या दिन में केवल एक बार स्ना सकता है, या एक दिन या दो या तीन दिनों के अन्तर पर स्ना सकता है (विष्णुधर्म० १५।५-६ तथा मनु ६।१९)। वह चान्द्रायण व्रत (मनु १।१२।१६) भी कर सकता है या केवल वन में उत्पन्न फलों, कन्दमूलों, फूलों (मनु ६।२०-२१ एव याज्ञ० ३।५०) को स्ना सकता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पक्ष के उपरान्त स्ना सकता है। क्रमशः उसे इस प्रकार केवल जल या वायु पर ही निर्भर रहना चाहिए (आपस्तम्ब-धर्म० २।१।२३।२, मनु ६।३१, विष्णुधर्म० १५।७-१२)।

(१२) उसे भोजन-सामग्री एक दिन के लिए या एक मास या केवल एक वर्ष के लिए एकत्र करनी चाहिए और प्रति वर्ष एकत्र की हुई सामग्री आश्विन मास में वितरित कर देनी चाहिए (मनु ६।१५, याज्ञ० ३।४७, आप० घ० २।१।२२।२५)।

(१३) उसे पचाग्नि (चारों दिशाओं में चार अग्नि एव ऊपर सूर्य) के बीच बैठकर, वर्षा में बाहर खड़े होकर, जाड़े में भीषे वस्त्र धारण कर (मनु ६।२३, ३४, याज्ञ० ३।५२ एव विष्णुधर्म० १५।२।४) कठिन तपस्या करनी चाहिए और अपने शरीर को मांति-मांति के कष्ट देकर अपने को सब कुछ सह सकने का अभ्यासी बना लेना चाहिए।

(१४) उसे क्रमशः किसी घर में रहना बन्द कर पेठ के नीचे निवास करना चाहिए और केवल फलों एव कन्द-मूलों पर निर्वाह करना चाहिए (मनु ६।२५, वसिष्ठ०, १।११, याज्ञ० ३।५४, आपस्तम्बधर्म० २।१।२१।२०)।

(१५) रात्रि में उसे खाली पृथिवी पर शयन करना चाहिए। जागरण की दशा में बैठकर या चलते हुए या योपाभ्यास करते हुए समय बिताना चाहिए। उसे आनन्द लेने वाली वस्तु के सेवन से दूर रहना चाहिए (मनु ६।२२ एव २६ तथा याज्ञवल्क्य ३।५१)।

(१६) उसे अपने शरीर की पवित्रता, ज्ञान-वर्धन एव अन्त में मोक्ष-पद-प्राप्ति के लिए उपनिषदों का पाठ करना चाहिए (मनु ६।२९-३०)।

(१७) यदि दानप्रस्थ किसी बसाध्य रोग से पीड़ित है, अपने कर्तव्य नहीं कर पाता और अपनी मृत्यु को पास में आयी हुई समझता है, तो उसे उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके महाप्रस्थान कर देना चाहिए और केवल जल एव वायु पर रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा मित्र कि पुत्र न उठ सके (मनु ६।३१, याज्ञवल्क्य ३।५५)। मिताक्षरा एव अपराकं (पृ० १४५) ने याज्ञवल्क्य (३।५५) की व्याख्या में किसी स्मृति का उद्धरण दिया है कि दानप्रस्थ को किसी लम्बी यात्रा में लग जाना चाहिए या जल या अग्नि में अपने को छोड़ देना चाहिए या अपने को ऊँचाई से नीचे डकेल देना चाहिए।^१

दानप्रस्थों के प्रकार

बीषायनधर्मसूत्र (३।३) ने दानप्रस्थों के प्रकार यों बताये हैं—पचमानक (जो पका हुआ भोजन या फल खाते हैं) एव अपचमानक (जो अपना भोजन पकाते नहीं), ये दोनों पुनः पाँच भागों में विभाजित हैं। पाँच पचमानक ये हैं—सर्दारव्यक, बैतुविक, वे जो केवल फलों, कन्दमूलों आदि पर निर्भर रहते हैं, जो केवल फलों पर रहते हैं तथा वे जो केवल शाक-पत्र खाते हैं। इन पाँचों में सर्दारव्यक लोग दो प्रकार के होते हैं—इन्द्रार्बसिक्त (जो रुता, पुल्म आदि छारकर पकाते हैं, उनसे अग्निहोत्र करते हैं और उन्हें मतिधि को समर्पित कर स्वयं खाते हैं) एव रेतौबसिक्त (जो

१. दानप्रस्थो दुराप्यानं क्वत्कानामुपशेषान् मृगुपपतनं दानुतिष्ठेत्। इति स्मरणात्। मिताक्षरा (याज्ञ-वल्क्य, ३।५५)।

व्याघ्रो, भेडियो एव बाज द्वारा मारे गये जन्तुओ का मांस खाते हैं पकाकर अग्नि को चढाते हैं और स्वय खाते हैं) । अपघ्नानक के पाँच प्रकार ये हैं—उन्मज्जक (जो भोजन रखने के लिए लोहे या पत्थर का साधन नहीं रखते), प्रमुस्त-दित्त (जो बिना पात्र लिये केवल हाथ में ही लेकर खाते हैं), मुखेनादायिन (जो बिना हाथ के प्रयोग के पशुओ की मांसि केवल मुख से ही खाते हैं), तोषाहार (जो केवल जल पीते हैं) तथा वामुभ्र (जो पूर्ण रूप से उपवास करते हैं) । बौधायन के अनुसार ये ही वैखानस की दस दीक्षा है। मनु (६।२९) ने भी वन की दीक्षाओ के लिए कुछ नियमों की व्यवस्था बतलायी है।

बृहत्पराशर (अध्याय ११, पृ० २९०) ने वानप्रस्थों के चार प्रकार बताये हैं, वैखानस, उदुम्बर, बालसित्य एव वनेवासी। वैखानस (८।७) के मत में वानप्रस्थ या तो सपत्नीक या अपत्नीक होते हैं, जिनमें सपत्नीक पुन चार प्रकार के हैं, औदुम्बर, वैरिच्छ, बालसित्य एव फेनष। रामायण (अरण्यकाण्ड, अध्याय १९।२-६) ने वानप्रस्थों को बालसित्य, अरमकुट्ट आदि नामों से पुकारा है।

वानप्रस्थ के अधिकारी

शूद्रों को छोड़कर अन्य तीन वर्णों में कोई भी वानप्रस्थ हो सकता है। शान्तिपर्व (२१।१५) में आया है कि क्षत्रिय को राज्यकार्य पुत्र पर सौंपकर वन में चली जाना चाहिए और वन में उत्पन्न श्राप पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा धावण (धामणक) शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। आश्वमेधिक पर्व (३५।४३) में स्पष्ट शब्दों में लिखित है कि वानप्रस्थ आश्रम तीनों द्विजातियों के लिए है। महाभारत ने बहुत-से वानप्रस्थ राजाओं की बर्षों की है। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुत्र को राजा बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया (आदिपर्व ८६।१) और वन में कठिन तप करके उपवास से शरीर त्याग दिया (आदिपर्व ८६।१२-१७ एव ७५।५८)। आश्वमेधिकपर्व (अध्याय १९) में आया है कि पूतराष्ट्र ने अपनी स्त्री गान्धारी के साथ वानप्रस्थ ग्रहण करके वृक्ष की छालो एव मृगपर्ण को बस्त्र रूप में धारण किया। पराशरस्मार्थवीथी (१।२, पृ० १३९) ने मनु (६।२), यम तथा अन्य लेखकों का उल्लेख करके तीनों उच्च वर्णों को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है। स्त्रियाँ भी वानप्रस्थ हो सकती थीं। मौदारपर्व (७।७४) में आया है कि श्री कृष्ण के स्वर्ग-गमन के उपरान्त उनकी सत्यवामा आदि पत्नियाँ वन में चली गयीं और कठिन तपस्या में लीन हो गयीं। पादिपर्व (१२।८।१२-१३) ने लिखा है कि पाण्डु की मृत्यु के उपरान्त सत्यवती अपनी दो पुत्रवधुओ के साथ तप करने की वन में चली गयीं और वहीं मर गयीं। और देखिए शान्तिपर्व (१४।७।१०, महाप्रस्थान के लिए) एवं आयमवाशिपर्व (३।७।२७-२८)। वैखानस (८।१) एव वामनपुराण (१।१।११७-११८) के अनुसार ब्राह्मण चार आयमों, क्षत्रिय तीन (अन्यास को छोड़कर), वैश्य दो (ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ) एवं शूद्र केवल एक (गृहस्थ) आश्रम का अधिकारी होता है। शम्भूक नामक शूद्र की माया प्रसिद्ध ही है।

आत्म-हृत्या का प्रश्न एव वानप्रस्थ का प्राण-रयाग

वानप्रस्थ का महाप्रस्थान एवं उच्च सिद्धर आदि से गिरकर श्राण त्याग करना कहीं तक सगत है, इस पर धर्मशास्त्र के ज्ञेयों के विभिन्न मत हैं। धर्मशास्त्रकारों ने सामान्यतः आत्महृत्या की मत्सना की है तथा आत्महृत्या

७. पुत्रसंक्रामितवीरव बने बन्धेन कर्तव्यम्। विधिना धावणेनैव कुर्वत्कर्माभ्यतन्त्रितः॥ शान्तिपर्व २१।१५।
धावण शब्द उन्मज्जकः अमण वा धामणक का ही एक शब्द है।

करने के प्रयत्न को महापाप माना है। पराशर (४।१-२) ने लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष घमण्ड या क्रोध या श्लेघ या भय के कारण आत्महत्या करता है वह ६० सहस्र वर्ष तक नरक वास करता है। मनु ने लिखा है कि जो अपने को मार डालता है उसकी आत्मा की शान्ति के लिए तर्पण नहीं करना चाहिए (५।८९)। आदिपर्व (१७९।२०) ने घोषित किया है कि आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोको में नहीं जा सकता। वसिष्ठधर्मसूत्र (२३।१४-१६) ने कहा है—जो आत्महत्या करता है वह अमिश्रण हो जाता है और उसके सपिण्ड लोग उसका धाड़ नहीं करते; जो व्यक्ति अपने को अग्नि, जल, मूत्खण्ड (डोला), पत्थर, हथियार, विष या रस्सी से मार डालता है वह आत्महन्ता कहलाता है। जो द्विज स्नेहवश आत्महन्ता की अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तकृच्छ्र के साथ चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। आत्महत्या करने का प्रण करने पर श्री प्रायश्चित्त आवश्यक है (वसिष्ठधर्मसूत्र २३।१८)। यम (२०।२१) ने लिखा है कि जो रस्सी से लटककर मर जाना चाहता है, वह यदि मर जाय तो उसके शव को अपवित्र वस्तुओं से लिप्त कर देना चाहिए, यदि यह बच जाता है तो उसको २०० पण का दण्ड देना चाहिए, उसके मित्रों एवं पुत्रों में प्रत्येक को एक-एक पण का दण्ड मिलना चाहिए और शास्त्र में कहे हुए प्रायश्चित्त एवं व्रत आदि करने चाहिए।

उपर्युक्त सामान्य धारणा के रहते हुए भी स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों में अपवाद कहे गये हैं। मनु (१।१।७३) एवं याज्ञवल्क्य (३।२४८) ने आया है कि ब्रह्महत्या करनेवाला व्यक्ति मुद्द में पतुर्धारियों से अपनी हत्या करा सकता है या वह अपने को अग्नि में झोक सकता है। इसी प्रकार मद्य पीने वाला सौलती हुई मदिरा, जल, घी, गाय का दूध या गाय का मूत्र पीकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है (मनु १।१।९०-९१, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २।३।१, वसिष्ठधर्म० २०।२२)। इसी प्रकार ब्यभिचारी, घोर आदि के लिए वसिष्ठधर्म० (१।३।१४), गौतम (२।३।१), आपस्तम्ब (१।१।२५।१-३ एवं ६) ने मर जाने की व्यवस्था दी है। शास्यपर्व (३।९।३३-३४) ने लिखा है—“जो सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथुक नामक स्थल पर वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोड़ देता है वह पुनः मृत्यु का श्लेघ नहीं पाता।” अनुशासनपर्व (२।५।६२-६४) में आया है कि जो वेदान्त के अनुसार अपने जीवन को अग्निक समझकर पवित्र हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग देता है वह ब्रह्मलोक पहुँच जाता है (देखिए वनपर्व ८५।८३, प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में)। भस्मपुराण (१।८।३४-३५) में आया है कि जो अमरकण्टक की घोंटी पर अग्नि, विष, जल, उपवास से या गिरकर मर जाता है वह पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आता।

उपर्युक्त धारणाओं के साकार उदाहरण चिलालेखों में भी पाये जाते हैं। यशकण्ठदेव के रवैठ दानपत्र से पता चलता है कि कलचुरि राजा गागेय ने अपनी एक सौ रानियों में साध प्रयाग में मुक्ति प्राप्त की (सन् १०७३ ई०) (देखिए इस विषय में एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १२, पृ० २०५)। चन्देल कुल के राजा धर्मदेव ने १०० वर्ष की अवस्था में रुद्र का ध्यान करते-करते प्रयाग में अपना शरीर छोड़ दिया (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १४०)। चालुक्य-राज सोमेश्वर ने योग साधन करने के उपरान्त तुंगभद्रा में अपने को डुबो दिया (सन् १०६८ ई०, एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द २, सन्वैत १३६)। रघुवधु (८।९४) में आया है कि राजा रघु ने बुद्धावस्था में रोग से पीड़ित होने पर रंगा और सरभू के सपन पर उपवास करके अपने को डुबोकर मार डाला और सुरल ही स्वर्ग का वासी हो गया।

८. अतिमानावतिकोवात्स्नेहाद्वा यदि वा भयात्। उद्बन्धीयस्त्रो गुमान्वा गतिरेवा विधीयते। पूयशो-
चित्तसम्भूतं अन्वे तमसि मज्जति। दण्डि चर्यसंहारानि नरकं प्रतिपद्यते॥ पराशर (४।१।२।)

९. आरभामं घातयेद्यस्तु रण्वाविमिष्यन्मः। मृतोऽग्नेध्वेन लेपय्यो भीवतो द्विशतं वमः॥ बध्मात्तस्तुत्र-
मित्राणि प्रत्येकं पणिकं दमम्। प्रायश्चित्तं कृतः कुर्युर्मपासात्प्रभोवितम्॥ वम (२०।११)।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि धर्मशास्त्रकारों ने आत्म-हत्या के मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य आत्म-हत्याओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं माना है। प्रत-उपवासों से एव पवित्र स्थलों पर मर जाने को धर्मशास्त्रीय दृष्टि मिली थी, और इस प्रकार की आत्म-हत्या को मुक्ति ऐसे परमोच्च लक्ष्य का साधन भी मान लिया गया था। स्मृतियों ने वानप्रस्थों के लिए भी आत्म-हत्या को दूरे से दे दी थी। वे महाप्रस्थान करके मृत्यु का आलिंगन कर सकते थे, वे कुछ परिस्थितियों में अग्नि-प्रवेश, जल-प्रवेश, उपवास करके तथा पर्वत-शिखर से गिरकर मर सकते थे। वानप्रस्थों के दार्ष्टिक्य कुछ अन्य लोग भी, जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, इन विधियों से आत्म-हत्या कर सकते थे। गौतम (१४। ११) ने लिखा है कि जो लोग इच्छापूर्वक उपवास करके, हृषियार से अपने को काटकर, अग्नि से, विष से, जल प्रवेश से, रस्सी से लटककर या पर्वत-शिखर से गिरकर मर जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं है। चिन्तु अत्रि (२।८-२।१९) ने कुछ अपवाद दिये हैं—'यदि वह जो बहुत बड़ा हो (७० वर्ष के ऊपर), जो (अत्यन्तिक दीर्घत्व के कारण) निवृत्तानुकूल शरीर को पवित्र न रख सके, जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, वह पर्वतशिखर से गिरकर, अग्नि या जल में प्रवेश कर या उपवास कर अपने प्राणों की हत्या कर दे तो उसके लिए तीन दिनों का अशौच करना चाहिए और उसका आद्य भी कर देना चाहिए।' अपराकं (५०।५३६) ने ब्रह्मगर्भ, विवस्वान् एव गान्धर्व की उक्ति-यो का उद्धरण दिया है—'यदि कोई गृहस्थ असाध्य रोग या महाव्याधि से पीड़ित हो, या जो अति बूढ़ हो, जो किसी भी इन्द्रिय से उत्पन्न आनन्द का अमिलायी न हो और जिसने अपने कर्तव्य का लिये हो, वह महाप्रस्थान, अग्नि या जल में प्रवेश करके या पर्वत-शिखर से गिरकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता है, जमकी मृत्यु तबो से भी बड़कर है, शास्त्रानुमोदित कर्तव्यों के पालन में अक्षत होने पर जीने की इच्छा रखना ध्येय है।' अपराकं (५०।८७) एव पराशरमाधवीय (१।२, ५०।२२८) ने आदि पुराण से बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं जो यह बताते हैं कि उपवास करके, या अग्नि-प्रवेश या गम्भीर जल में प्रवेश करके या ऊँचाई से गिरकर या हिमालय में महाप्रस्थान करके या प्रयाग में षट् की डाल से कूदकर प्राण देने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, बल्कि कल्याणप्रद लोकों की प्राप्ति होती है। रामायण (अरण्यकाण्ड, अध्याय ९) में वर्णित शरमग ने अग्नि-प्रवेश से आत्म-हत्या की। मूञ्चकटिक नाटक में राजा शूद्रक को अग्नि में प्रवेश करने मरते हुए व्यक्त किया गया है। गुप्तामिलेस (संख्या ४२) से पता चलता है कि सम्राट् कुमारगुप्त ने उपलो की अग्नि में प्रवेश कर आत्म-हत्या पर ली थी।

जनों में बहुत से नियम उपर्युक्त नियमों से मिलते-जुलते हैं। रामान्तमद्र (लगभग द्वितीय शताब्दी, ईसा के उपरान्त) के ग्रन्थ रत्नकरणश्रावकाचार में सल्लेखना के विषय में लिखा है। आपत्तियों, अकालों, अति यद्वावस्था एव

१०. बृह् शौचस्मृतिलुप्तः प्रत्याश्रयात्तत्रिपुत्रकृष्यः। आत्मानं घातयेद्यस्तु भुगबन्धनशान्ताम्भिः ॥ तस्य प्रित्वात्प्रमशोचं दित्तये त्वस्तिषसञ्चयम्। तृतीये सूदकं हृत्या घतुयं श्वाङ्गमाचरेत् ॥ अत्रि २।८-२।१९ (मनु ५।८९ की ध्यास्या में मेपातिति द्वारा, यज्ञवल्क्य ३।६ की टीका में मिताशर द्वारा उद्धृत), यह अपराकं ५०।९०२ में अगिरा का तथा पराशरमाधवीय १।२, ५०।२२८ में शातातप का उद्धरण माना गया है।

११. तथा च ब्रह्मगर्भः। यो जीवितुं न शक्नोति महात्याग्यपीडितः। शोभ्युक्कमहायात्रं कुर्वन्नामुत्र कुप्यति ॥ विवस्वान्। सर्वेन्द्रियविरहतस्य बृद्धस्य कृतकर्मणः। ध्यापितस्येच्छया। तीर्थे गच्छं तपसोधिकम् ॥ तथा गान्धर्वि गृहस्थ-मधिकृत्याह। महाप्रस्थानगमनं ज्वलनाम्बुप्रवेशानम्। भृगुप्रपतनं चैव वृषा देवेषु भोजितुम् ॥ अपराकं द्वारा उद्धृत (५०।५३६)।

असाध्य रोगो मे शरीर-त्याग को सल्लेखना करते हैं।^{११} कालन्दी (सिरोही) के अमिलेख से पता चलता है कि सवत् १३८९ मे एक जैन समाज के सभी लोगो ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिपैक्रिया इण्डिका, जिल्द २२, अनुक्रमणिका पृ० ८९, सख्या ६९१)।

मेगस्थनीस के विवरण से पता चलता है कि ई० पू० चौथी शताब्दी मे भी धार्मिक आत्महत्या प्रचलित थी। ट्रीबो ने लिखा है कि भारतीय राजदूतो के साथ अगस्तस सीजर के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था, जिसने कैलानोस (एक यूनानी) से समान अपन को अग्नि मे झोक दिया था। कैलानोस ने अलेक्जेंडर (सिकन्दर) के समक्ष ऐसा ही किया था (देसिए मैक्डिज, पृ० १०६ एव स्ट्रैबो १५।१।४)।

पुराणो के समय मे महाप्रस्थान, अग्नि प्रवेश एव भृगुप्रपतन से आत्महत्या करना वजित मान लिया गया और उसे कलिवर्ज्य मे परिगणित कर दिया गया है।^{१२}

वानप्रस्थ एव सन्यास

वानप्रस्थो के लिए बने बहुत-से नियम एव कर्तव्य ज्यो-के-स्यो सन्यासियों के लिए भी व्यवस्थित पाये जाते हैं। मनु (६।२५-२९) ने जो नियम वानप्रस्थो के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही पट्टिप्राजको के लिए भी हैं (मनु ६।३८, ४३ एव ४४)। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।९।२।१० एव २०) मे भी पायी जाती है। वानप्रस्थ ही अन्त मे सन्यासी हो जाता है। दोनो को ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निग्रह, भोजननियम आदि का पालन करना पडता था और उपनिषदो को मनोयोग से पढना पडता था तथा ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना पडता था। दोनो आश्रमो मे कुछ अन्तर भी थे। वानप्रस्थ आरम्भ मे अपनी स्त्री भी साथ मे रख सकता था, किन्तु सन्यासी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती। वानप्रस्थ को आरम्भ मे अग्नि प्रज्वलित रखनी पडती थी, आह्निक एवं अन्य यज्ञ करने पडते थे, किन्तु सन्यासी अग्नि का त्याग कर देते थे। वानप्रस्थ को तप करने पडते थे, आहारादि के अभाव वा क्लेश सहना पडता था, अपने को तपाना पडता था। किन्तु सन्यासी को मुख्यतः अपनी इन्द्रियो पर सयम रखना पडता था एव परमतत्त्व का ध्यान करना पडता था, जैसा कि स्वामीशंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य (३।४।२०) मे लिखा है। वानप्रस्थ एव सन्यास मे बहुत साम्य था अतः कालान्तर मे लोग गृहस्थायाम मे उपरान्त तीथे सन्यास मे प्रविष्ट हो जाते थे। इसी से गोविन्दस्वामी ने बौधायनधर्मसूत्र (३।३।१४-१७) को व्याख्या मे लिखा है—“वानप्रस्थसन्यासभेदः विमर्यमाचार्यकृत इत्यसावेव प्रष्टव्य”, अर्थात् आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होने वानप्रस्थ एव सन्यास को पृथक्-पृथक् क्यों लिखा है। दोनो में इतना साम्य है कि उन्हे पृथक् नहीं रखना चाहिए। इसी से कालान्तर मे कोई वानप्रस्थ होता ही नहीं था और इसे कलियुग मे वजित भी मान लिया गया (बृहन्नारदीय, पूर्वार्ध २४।१४, स्मृत्यर्थसार, पृ० २ श्लोक १७)।

१२. उपसर्गो दुर्भिक्षे जरसि कजागा च निष्पत्तीकारे। धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥ रत्नकरषड-
धायकाचार (अध्याय ५)।

१३. महाप्रस्थानगमन गोमेपदं च तथा मलः। एतान् धर्मान् कलियुगे वर्तमानाहुर्मनीषिणः ॥ बृहन्नारदीय,
पूर्वार्ध, अध्याय २४।१६; स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० १२।

अध्याय २८

संन्यास

छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) में ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ एव वानप्रस्थ नामक तीन आश्रमो बी और शकते मिलता है। सम्प्रत इत उपनिषद् ने संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण नहीं किया है, बृहदारण्यकोपनिषद् जैसी प्राचीन उपनिषदों में सांसारिक मोहकता के त्याग, मिथा-भृति एवं परब्रह्म-ध्यान पर बल अवश्य दिया गया है, किन्तु इस प्रकार की धारणाओं के साथ संन्यास नामक किसी आश्रम की चर्चा नहीं हुई है। जाबालोपनिषद् (४) ने संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण करने को रुच्यपीन छोड़ दिया है और कहा है कि इसका ग्रहण प्रथम दो आश्रमों में किसी के उपरान्त हो सकता है।

बृहदारण्यकोपनिषद् (२।४।१) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने परिवाजक होने के समय अपनी स्त्री मैत्रेयी से सम्पत्ति को उस (मैत्रेयी) में और वात्यायनी (मैत्रेयी की सौत) में बांट देने की चर्चा की। इससे प्रवृत्त होता है कि उन दिनों परिवाजकों को घर-द्वार, भली एवं सारी सम्पत्ति का परित्याग कर देना पड़ता था। इसी उपनिषद् (३।५।१) में आया है कि आत्मविद् व्यक्ति सन्तान, सांसारिक सम्पत्ति, मोह-आदि छोड़ देते हैं और भित्तारी का जीवन व्यतीत करते हैं, अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्पूर्ण पाण्डित्य-प्राप्ति के उपरान्त बालक-सा बना रहे (अर्थात् उसे अपने पाण्डित्य की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए), ज्ञान एवं बाल्य (बच्चों जैसे व्यवहार) के ऊपर उठकर उसे मुनि की स्थिति में आना चाहिए तथा मुनि (मौन रूप में रहने) या अमुनि के रूप से ऊपर उठकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिसने ब्रह्म की अनुभूति कर ली हो) बन जाना चाहिए। इस प्रकार के अन्य शब्दों एवं मनोभावों के अध्ययन के लिए देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२२)। जाबालोपनिषद् (५) ने लिखा है कि परिव्राट् लोग विवर्ण-वास (श्वेत वस्त्र नहीं) धे, मुण्डित सिर, बिना सम्पत्ति वाले, पवित्र, अदोही, मिथा भृति करने वाले थे तथा ब्रह्म-न्यास रहते थे। परम-हस, ब्रह्म, नारद-परिवाजक एवं संन्यास उपनिषदों में संन्यास के विषय में बहुत से नियम हैं। हिन्दु इन उपनिषदों की ऐतिहासिकता एवं सचाई पर सन्देह है, अतः हम धर्मसूत्रों एवं प्राचीन स्मृतियों के नियमों की ही चर्चा करेंगे।

संन्यास-धर्म

वधिधर्म अथवा संन्यास-धर्म के विषय में हम निम्नलिखित ग्रन्थों का विवेचन उपस्थित करेंगे, यथा—गौतम (३।१०-२४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।१७-२०), बौधायनधर्मसूत्र (२।६।२।१-२७ एवं २।१०) वसिष्ठ-

१. मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उच्यतेऽथवा अरेऽहमस्मान् स्यात्तावन्ति हन्त तज्जया कार्त्तव्याभ्यास्तं कर-
यागोति। बृह० उ० २।४।१; एतं चै तस्मात्मानं विशित्वा ब्राह्मणः पुर्यवभाषायाश्च वित्तवभाषायाश्च लोकवभाषायाश्च
ध्यायवायाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। . . तस्माद् ब्राह्मणः पाण्डित्यमिषिष्ठं ब्राह्मणे तिष्ठारोत्। बाल्यं च पाण्डित्यं च निविष्टाय
मुनिरपीनं च मीनं च निविष्टाय ब्राह्मणः। बृह० उ० ३।५।१। और देखिए वेदान्तसूत्र ३।४।४७-४९ एवं ५०, जहाँ
सन्तिस अंश पर विवेचन उपस्थित किया गया है।

धर्मसूत्र (१०), मनु (६।३३-८६), याज्ञवल्क्य (३।५६-६६), वैश्वानस (१।९), विष्णुधर्मसूत्र (९६), शान्तिपर्व (अध्याय २४६ एव २७९), आदिपर्व (११।१७-२१), आश्वमेधिकपर्व (४६।१८-४६), शशांगृति (७, श्लोकबद्ध), दश (७।२८-३८), कूर्मपुराण (उत्तारार्ध, अध्याय २८), अग्निपुराण (१६१) आदि। हम संन्यास के कर्तव्यों एव लक्षणों की चर्चा निम्न रूप से करेंगे।

(१) संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है, अपनी सारी सम्पत्ति पुरोहितों, दरिद्रों एव असहायों में बाँट देनी होती है (मनु ६।३८, याज्ञ० ३।५६, विष्णुध० ९६।१, शश ७।१)। जो लोग तीन वैदिक अग्निर्वा रखते हैं उन्हें प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल गृह्य अग्नि होती है वे अग्नि के लिए इष्टि करते हैं (यतिधर्मसंग्रह, पृ० १३)। जावागोपनिषद् (४) ने केवल अग्नि की इष्टि की बात कही है और प्राजापत्येष्टि का खण्डन किया है। नृसिंहपुराण (६०।२-४) के अनुसार संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व आठ श्राद्ध करने चाहिए। नृसिंहपुराण (५८।३६) में प्रत्येक वैदिक शाक्तानुयायी को संन्यासी होने की छूट दी है, यदि वह वाणी, कामसवेग, भूल जिह्वा का समय भी। आठ प्रकार के श्राद्ध ये हैं—वंश (बसुओं, रुद्रों एव आदित्यों को), आर्ष (भरीचि आदि दश ऋषियों को) बिष्य (हिरण्यगर्भ एव वैराज को), मानुष (सनक, सनन्दन एव अन्य पाँच को), भौतिक (पचमृतो, पृथिवी आदि ऋषी), पैतृक (कव्यवाद् अग्नि, सोम, अयंमाओ—अग्निष्वात् आदि पितरों को), मातृश्राद्ध (गौरी-मया आदि इस माताओं को) तथा आत्मश्राद्ध (परमात्मा को)। इस विषय में देखिए यतिधर्मसंग्रह (पृ० ८९) एव स्मृतिचन्द्रिका (पृ० १७७)। मनु (६।३५-३७) ने सतर्कता से लिखा है कि वेदाध्ययन, सन्तानोत्पत्ति एव यज्ञों के उपगन्त (देव-हृण, ऋषि-ऋण एव पितृ-ऋण चुकाने के उपरान्त) ही मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए। बौधायन-ध० (२।१०।३-६) एव वैश्वानस (१।६) ने लिखा है कि वह गृह्य, जिसे सन्तान न हो, जिसकी पत्नी मर गयी हो या जिसके लड़के ठीक से धर्म-मार्ग में लग गये हो या जो ७० वर्ष से अधिक अवस्था का हो चुका हो, संन्यासी हो सकता है। कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि जो व्यक्ति बिना बच्चों एव पत्नी का प्रबन्ध नियो संन्यासी हो जाता है उसे साहस-दण्ड मिलता है। मनु (६।३८) के मत से संन्यासी होनेवाला अपनी अग्निर्वा को अपने में समाहित कर घर-स्थाग करता है।

(२) घर, पत्नी, पुत्रों एव सम्पत्ति का त्याग करके संन्यासी वो गाँव के बाहर रहना चाहिए, उसे बेघर का होना चाहिए, जब सूर्यास्त हो जाय तो पेड़ों के नीचे या परित्यक्त घर में रहना चाहिए, और सुदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहना चाहिए। वह केवल वर्षा के मौसम में एक स्थान पर ठहर सकता है (मनु ६।४१, ४३-४४, वसिष्ठधर्म० १०।१२-१५, शश ७।६)। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५८) द्वारा उद्धृत शश के वचन से पता चलता है कि संन्यासी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर केवल दो मास तक रुक सकता है। कण्व का कहना है कि यह एक रात्रि गाँव में, या पाँच दिन कसबे में (वर्षा ऋतु को छोड़कर) रह सकता है। आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर चार या दो महीनों तक वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुका जा सकता है। संन्यासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है।

(३) संन्यासी को सदा अकेले धूमन चाहिए, नहीं तो मोह एव बिछोह से वह पीड़ित हो सकता है। दश (७।३४-३८) ने इस बात पर जो बल दिया है—“वास्तविक संन्यासी अकेला रहता है, जब दो एक साथ टिकते हैं तो दोनों एक जोड़ा हो जाते हैं, जब तीन साथ टिकते हैं तो वे ग्राम के समान हो जाते हैं, जब अधिक (अर्थात् तीन से अधिक) एक साथ टिकते हैं तो वे नगर के समान हो जाते हैं। तपस्वी को जोड़ा, ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वैसा करने पर वह धर्मच्युत हो जायगा। क्योंकि दो के साथ रहने से राजवार्ता (लोकवार्ता) होने लगती है, एक-दूसरे की मिला के विषय में चर्चा होने लगती है और अत्यधिक साभिध्य से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभावों की उत्पत्ति हो जाती है। कुतपस्वी लोग बहुत-से कार्यों में सलग्न हो जाते हैं, यथा धन-सम्पत्ति या भावर प्राप्ति के लिए व्याख्यान देकर शिष्यों को एकत्र करता आदि। तपस्वियों के लिए केवल चार प्रकार की त्रियाएँ हैं—(१) ध्यान,

(२) दौष, (३) भिक्षा एव (४) एकान्तगीहस्ता (सदा अकेले रहना) । नारद के अनुसार यतिपों के लिए छः प्रकार के वार्यं राजदण्डवत् अनिवार्य माने गये हैं—मिशाटन, जप, ध्यान, स्नान, दौष, देवार्चन ।

(५) सन्यासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए और सदा ध्यान एव आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भक्ति रखनी चाहिए एव इन्द्रिय-गुह्य, आनन्दप्रद वस्तुओं से दूर रहना चाहिए (मनु ६।४१ एव ४९, गौतम ३।११) ।

(६) सन्यासी को बिना जीवों को घट्ट दिये भूमना-फिरना चाहिए, उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना चाहिए, यदि कोई उससे त्रौप प्रगट करे तो त्रौपावेश में नहीं आना चाहिए । यदि उसका कोई बुरा करे तो भी उसे क्लेशप्रद शब्दों का उच्चारण करना चाहिए और उसे कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए (मनु ६।४०, ४७-४८, याज्ञ० ३।६१, गौतम ३।२३) ।

(७) उसे श्रौतान्वियां, गृह्याग्नि एव लौकिक अग्नि (भोजन बनाने के लिए) नहीं जलानी चाहिए और केवल भिक्षा से प्राप्त भोजन करना चाहिए (मनु ६।३८ एव ४३, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।९।२।११० एवं आदिपर्व ९।१।२) ।

(८) उसे ग्राम में मिशाटन के लिए केवल एक बार जाना चाहिए, वर्षा को छोड़कर रात्रि के समय ग्राम में नहीं रहना चाहिए, किन्तु यदि रुकना ही पड़े तो एक रात्रि से अधिक नहीं रुकना चाहिए (गौतम ३।१३ एवं २०, मनु ६।४३ एव ५५) ।

(९) उसे बिना किसी पूर्व योजना या चुनाव के सात घरों से भिक्षा माँगनी चाहिए (वसिष्ठधर्म० १०।७, बस ७।३, आदिपर्व १।९।१२-५ या १० घर) । बौधायनधर्मसूत्र (२।१०।५७-५८) के मत से धालीन एवं मायावर प्रकार के ब्राह्मण गृहस्थों के यहाँ ही भिक्षा के लिए जाना चाहिए और उतने ही समय तक रुकना चाहिए जितने में एक गाय दुह ली जाती है । बौधायनधर्म० (२।१०।६९) ने अन्य लोगों के मतों को उद्धृत कर बताया है कि सन्यासी किसी भी वर्ण के यहाँ भिक्षा माँग सकता है, किन्तु भोजन केवल द्विजातियों के यहाँ कर सकता है । वसिष्ठधर्मसूत्र (१०।२४) के मत से वह केवल ब्राह्मण के यहाँ ही भिक्षा माँग सकता है । वायुपुराण (१।१८।१७) के अनुसार सन्यासी को केवल एक व्यक्ति के यहाँ ही नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों के यहाँ से माँगकर खाना चाहिए । उसे भोस या मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, आम श्राद्ध (बिना पके भोजन का श्राद्ध) नहीं ग्रहण करना चाहिए और न ऊपर से नमक का प्रयोग करना चाहिए (नमक के साथ पकायी हुई साग-मात्री छा लेनी चाहिए) । उषाना के मतानुसार भिक्षा से प्राप्त भोजन पाँच प्रकार का होता है—(१) मायुकर (किन्ही तीन, पाँच या सात घरों से प्राप्त भिक्षा, जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के पुष्पों से मधु एकत्र करती है), (२) प्राशप्रणीत (जब दायन स्थान से उठने के पूर्व ही मक्खी द्वारा भोजन के लिए प्रार्थना की जाती है), (३) अपाघित (भिक्षाटन करने के लिए उठने के पूर्व ही जब कोई भोजन के लिए निमन्त्रित कर दे), (४) तत्कालिक (सन्यासी के पहुँचते ही जब कोई ब्राह्मण भोजन करने की सूचना दे दे) तथा (५) उपपन्न (मक्खी दिव्यों या अन्य लोगों के द्वारा मठ में लाया गया पका भोजन) । उषाना की यह उक्ति स्मृतिमुक्तावलि (५० २००) एव धर्मधर्मसंग्रह (५० ७४-७५) में उद्धृत है । वसिष्ठधर्मसूत्र (१०।३१) के मत से

२. एको भिक्षुर्व्योक्तस्तु द्वौ भिक्षु भिक्षुं स्मृतम् । धनो धामः समाख्यात ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥ नगरं हि न कर्त्तव्यं धामो वा भिक्षुर्न तथा । एतत्प्रयं प्रकुर्वाकः स्वधर्माच्छ्रयते यतिः ॥ राजवार्ता तत्तस्तेषां भिक्षावार्ता पर-
स्परम् । स्नेहवर्ज्यमात्सर्यं संनिवर्त्तान् संशयः ॥ साम्प्रजानिमित्तं तु ध्याव्याप्तं शिष्यसंग्रहः । एते धान्ये च कृत्कः प्रपञ्चः कुतपत्किनाम् ॥ ध्यानं दौर्घं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तगीहस्ता । भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चधर्मं भोजयन्ते ॥ बस ७।१४-३८ (मयराकं ५० ९५२ में तथा भिक्षाभरा, याज्ञ० ३।५८ में उद्धृत) ।

ब्राह्मण संन्यासी को शूद्र के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, और अपराणं (पृ० ९६३) की व्याख्या के अनुसार ब्राह्मण-
 हृत्स्य के घर के अनाथ में दायिय या वैद्य के यहाँ भोजन करना चाहिए। आगे चलकर हर निम्नी व घर में मिठाढन
 करना कलिदवर्ग्य मान लिया गया (यतेस्तु सर्ववर्णेषु न मिधाचरण ढली)। देखिए, स्मृतिमुक्ताफल (पृ० २०१)।
 पराशर एव श्रुतु ने बड़े एव हण संन्यासी के लिए छूट दी है, वह एक दिन या कई दिना तक एक ही व्यक्ति के यहाँ
 भोजन कर सकता है या अपने पुत्रों, मित्रों, आचार्य भाडया या पत्नी के यहाँ खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०१,
 यतिधर्मसंग्रह, पृ० ७५)। पराशर (१।५१) एव सूत्रमहिता (ज्ञान-योग खण्ड, ४।१५-१६) के मत में घर में भोजन
 करने का प्रथम अधिकार है संन्यासी एव ब्रह्मचारी का, यदि कोई व्यक्ति बिना उन्हे मिथा दिये स-नेना है तो उसे
 चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। संन्यासी को भोजन देने के पूर्व उसक शय पर जल छोडा जाता है और भोजन देने के
 उपरान्त पुन जल छोडा जाना है (हरदत्त हाग गोतम ५।१६ की व्याख्या में उद्धृत पराशर १।५३, आपस्तम्बधर्म-
 सूत्र २।२।४।१० एव याज्ञवल्क्य १।१०७)।

(९) संन्यासी को सघना समय मिक्षा माँगनी चाहिए जब कि रसोदघर से धूम का निकलना बन्द हो चुका हो,
 अग्नि बुझ चुकी हो, बरतन आदि अग्न रख दिय गये ह। (मनु ६।५६, याज्ञ० ३।५९, वसिष्ठ १०।८ एव शल ७।२)।
 उसे मास एव मधु नहीं ग्रहण करना चाहिए (वसिष्ठ १०।२४)। मनु (६।५०-५१) के मत से संन्यासी को न तो
 मविष्यवाणी करके, शकुना, मकुन बताकर, ज्योतिष का प्रयोग करके, विद्या, ज्ञान आदि के सिद्धान्तों का उद्घाटन
 करके और न विवेचन आदि करके मिक्षा माँगने का प्रयत्न करना चाहिए उसे ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ
 पहले से ही यति लोग ब्राह्मण पक्षी एव पुत्ते, मिथारी या अन्य लोग आ गये हों।

(१०) संन्यासी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल उतना ही पाना चाहिए जिससे वह अपने
 शरीर एव आत्मा को एक साथ रख सके, उसे अधिक पाने पर न तो सन्तोष या प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और न
 कम मिलने पर निराशा (मनु ६।५७ एव ५९, वसिष्ठ १०।२१-२२ एव २५ याज्ञ० ३।५९)। कहा भी गया है,
 संन्यासी (यति) को ८ प्रास, वानप्रस्थ को १६ प्रास, गृहस्थ को ३२ प्रास तथा ब्रह्मचारी को जितना चाहे उतना
 खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।९।१३ एव ब्रीह्यायनधर्मसूत्र २।१०।६८)।

(११) संन्यासी को अपने पास कुछ भी एवत्र नहीं करना चाहिए, उसके पास केवल जीर्ण-शीर्ण परिधान,
 जलपात्र एव मिक्षा-यात्र होना चाहिए (मनु ४।४३-४४, गोतम ३।१०, वसिष्ठ १०।६)। केवल (मिताक्षरा द्वारा
 उद्धृत, याज्ञ० ३।५८) के मत से उसके पास केवल जल-यात्र, पवित्र (जल छानने के लिए बरत), पादुका, आसन एव
 कन्या (अति जाटे से बचने के लिए बचरी) होनी चाहिए। महाभारत (वेदान्तकल्पतरु-परिभाषा पृ० ६३९ में उद्धृत)
 में आया है कि वापाय धारण, मोण्ड्यु, कमण्डलु, जलपात्र एव त्रिविष्टम्ब से भोजन की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु
 मोक्ष की प्राप्ति नहीं। महामाय्य ने (जिल्द १, पृ० ३६५, पाणिनि २।१।१ की व्याख्या में) घोषित किया है कि
 त्रिविष्टम्बक (त्रिदण्ड) से ही विसी को परिव्राजक समझा जा सकता है। वायुपुराण (१।८) ने उन सामग्रियों के
 नाम दिये हैं, जिन्हें संन्यासी अपने पास रख सकता है (अपराणं, पृ० ९४९-९५० में उद्धृत)।

३. कापायधारणं मोण्ड्यं त्रिविष्टम्ब कमण्डलु। लिङ्गान्यन्नाख्यंमेतानि न मोक्षायैति मे मतिः॥ वेदान्तसूत्र
 ३।४।१८ की व्याख्या में वेदान्तकल्पतरुपरिमल (पृ० ६३९) द्वारा उद्धृत महाभारत का एक अंश, जिसमें जनक
 एवं सुलभा की घातघात का वर्णन है। 'त्रिविष्टम्बक च द्वात्वा परिव्राजक इति।' महामाय्य, जिल्द १, पृ० ३६५
 (पाणिनि २।१।१)।

(१२) सन्यासी को केवल अपना गुप्तांग ढकने के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य लोगों द्वारा छोड़ा हुआ जीर्ण-शीर्ण किन्तु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए (गौतम ३।१७-१८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२।१।१-१२)। कुछ लोगों के मत से उते नगा रहना चाहिए। वसिष्ठ (१।०।९-११) के मत से उते अपने शरीर को वस्त्र के टुकड़ों से अर्थात् शारी (गानिका) से ढकना चाहिए या मृगचर्म या गायों के लिए काटों गयी पात से। बौधायनधर्मसूत्र (२।६।२४) के अनुसार उसका वस्त्र कापाय होना चाहिए (अपराकं, पृ० ९९२ में उद्धृत)।

(१३) सन्यासी का मिश्रापात्र तथा जलपात्र मिट्टी, लकड़ी, तुम्बी या बिना छिद्र वाले बाँस का होना चाहिए, किसी भी दशा में उसे घातु का पात्र प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उसे अपना जल-पात्र या भोजन-पात्र जल से या गांध के बालों से पर्यण करके स्वच्छ रखना चाहिए (मनु ६।५३-५४, याज्ञ० ३।६० एवं लघु-विष्णु ४।२९-३०)।

(१४) उते अपने नख, बाल एवं दाढ़ी कटा लेनी चाहिए (मनु ६।५२, वसिष्ठधर्मसूत्र १।०।६)। किन्तु गौतम ने विकल्प भी दिया है (३।२१), अर्थात् वह चाहे तो मुण्डित रहे या केवल जटा रखे।

(१५) उसे स्मण्डिल (साली चवतरे) पर सोना चाहिए, यदि रोग हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिए। न तो उसे मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न जीने पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। उसे धर्मपूर्वक मृत्यु की बात उसी प्रकार जोहनी चाहिए जिस प्रकार नोकर नोकरी के समय की बात देखता रहता है (मनु ६।४३ एवं ४६)।

(१६) केवल वैदिक मन्त्री के जप को छोड़कर उसे साधारणतः मौन-व्रत रखना चाहिए (मनु ६।४३, गौतम ३।१६, बौधायनधर्म० २।१।७।७, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२।१।१०)।

(१७) यासवत्यम् (३।५।८) के अनुसार उसे त्रिवण्डो (तीन छड्डियों वाला) होना चाहिए, किन्तु मनु (६।५२) ने उसे दण्डो (एक छड़ी लेकर चलनेवाला) ही कहा है। 'दण्ड' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, (१) बाँस का दण्ड या (२) नियन्त्रण। बौधायनधर्म० (२।१।५३) का कहना है कि सन्यासी एकदण्डो या त्रिदण्डो हो सकता है; उसे प्राथियों को वाणी, त्रियाओं एवं विचारां से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए (बौ० २।६।२५)। मनु (१।२।१०) एवं दस (७।३०) के मत से जो व्यक्ति वाणी, मन एवं शरीर पर समय या नियन्त्रण रखता है, वही त्रिदण्डो है। दस का कहना है कि देव लोग भी, जो सत्त्वगुण वाले होते हैं, इन्द्रिय-मुक्त हो सकते हैं, तो मनुष्यों का क्या कहना है? अतः जिसने आनन्द का स्वाद लेना छोड़ दिया है वही दण्ड धारण कर सकता है, अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे मोह-विलास के वशीभूत हो सकते हैं। केवल बाँस के दण्डों के धारण से कोई सन्यासी त्रिदण्डो नहीं हो जाता, वही त्रिदण्डो है जो अपने में आध्यात्मिक दण्ड रखता है। बहूत-से लोग केवल त्रिदण्ड धारण करके अपनी जीविका चलाते हैं (७।२७-३१)। वाणी के दण्डन या नियन्त्रण का मात्पर्य है मौन-धारण, कर्म-नियन्त्रण है किसी जीव को हानि न पहुँचाना तथा मानसिक नियन्त्रण है प्राणायाम एवं अन्य योगिक अभ्यास आदि करना। दस के अनुसार त्रिदण्ड यतियों का विनियोग मात्र निरुद्ध है, मेलछत्र, मृगचर्म एवं दण्ड वैदिक छात्रों का तथा लम्बे-लम्बे नख एवं दाढ़ी का प्रत्यक्ष का लक्षण है। लघु-विष्णु (४।१२) के मत से सन्यासी एकदण्डो या त्रिवण्डो हो सकता है।

(१८) उसे यज्ञो, देवो एवं दार्शनिक विचारों से सम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एवं उच्चारण करना चाहिए (यथा—'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म'—तैत्तिरीयोपनिषद् २।१)। देखिए मनु (६।८३)।

(१९) उसे मली माँति आगे भूमि-निरीक्षण करके चलना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए (जिससे पीटी आदि जीव पेट के भीतर न चले जायें), सत्य से पवित्र हुए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा वही करना चाहिए जिसे बटने के लिए अन्तःकरण कहे (मनु ६।४६, याज्ञ० ७।७, विष्णुधर्मसूत्र ९६।१४-१७)।

(२०) वैराग्य (इच्छाहीनता) की उत्पत्ति एवं अपनी इन्द्रियों के निग्रह के लिए उसे यह सोचना चाहिए कि यह शरीर रोगपूर्ण होगा ही, एक-न एक दिन यह बूढ़ा होगा ही, यह माँति-माँति के अपवित्र पदार्थों से भरता हुआ है।

उसे इस संसार की क्षणमंगुरता पर ध्यान देना चाहिए, उसे गर्माधान से लेकर मृत्यु तक की अनगिनत परेशानियों तथा जन्म-मरण के अजस्र प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए (मनु ६।७६-७७, याज्ञ० ३।६३-६४, विष्णुधर्मसूत्र १६।२५-४२)।

(२१) सत्यता, अप्रवञ्चना, क्रोधहीनता, विनीतता, पवित्रता, मले एवं बुरे का भेद, मन की स्थिरता, मन-नियन्त्रण, इन्द्रिय-निग्रह, आत्मज्ञान आदि सभी वर्णों के धर्म हैं। सन्यासी को तो इन्हें प्राप्त करना ही है, क्योंकि केवल वेश-भूषा, कमण्डलु आदि से कुछ होता-जाता नहीं—इन्हें तो वञ्चक भी धारण कर सकता है (मनु ६।३६, ९२-९४, याज्ञ० ३।६५-६६, वसिष्ठ १।०।३०, बौधायन० २।१।०।५५-५६, शान्तिपर्व १।१।१३-१४, वायुपुराण, जिल्द १, ८।१७६-१७८)।

(२२) सन्यासी को प्राणायाम एवं अन्य योगार्थों द्वारा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, जिससे कि वह क्रमशः ब्रह्म को समझ ले और अन्त में मोक्ष पद प्राप्त कर ले (मनु ६।७०-७५, ८१ एवं याज्ञ० ३।६२, ६४)।

सन्यासियों के प्रकार

बहुतसे सन्यास भ संन्यासिया वं प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। अनुशासन-पर्व (१४।१।८९) ने चार प्रकार बताये हैं; कुटीचर, वृद्धचर, हस एव परमहंस, जिनमें प्रत्येक आगे बाला पिछले से श्रेष्ठ कहा जाता है। वैखानस (८।९), लघु-विष्णु (४।१४-२३), सूतसंहिता (मानयोगखण्ड, अध्याय ६), मिश्रकोपनिषद्, प्रजापति (अपराव, पृ० ९५२ में उद्धृत) ने इन चारों प्रकारों की परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें बहुत मतभेद है। कुटीचक सन्यासी अपने गृह में ही सन्यास धारण कर रहता है, शिक्षा, जनेऊ, त्रिदण्ड, कमण्डलु धारण करता है तथा अपने पुत्रों या कुटुम्बियों से मित्रा माँगकर खाता है। यह अपने पुत्रों द्वारा निर्मित कुटिया में ही रहता है। कुटीचक लोग गौतम, मरदान्त, याज्ञ-पल्क्य एव हारीत नामक ऋषियों के आश्रमों में भी ठहरते थे, वे प्रति दिन केवल ८ भ्रास भोजन करते थे, योग-मार्ग जानते थे और मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में लगे रहते थे। बृहर्षकों के पास त्रिदण्ड, कमण्डलु, काषाय वस्त्र रहते हैं, वे ऋषितुल्य मात ब्राह्मणों के यहाँ से मित्रा माँगते हैं, किन्तु भ्रास, नद्यक एव वासी भोजन नहीं लेते। हंस लोग ग्राम में एक रात्रि, नगर में पाँच रात्रियों से अधिक मित्रा माँगने के लिए नहीं ठहरते, वे गोमूत्र या गोबर पीते-खाते हैं या एक भ्रास का उपवास करते हैं या सदैव चान्द्रायण व्रत करते रहते हैं। स्मृतिमुक्ताकल (वर्णाश्रम, पृ० १८४) में उद्धृत पितामह ने मत से हंस सन्यासी एकदण्डी होते हैं और केवल मित्राटन के लिए ही ग्राम में प्रवेश करते हैं, नहीं तो ईव सोह (गुफा) में, नदी-तट पर या पेड़ के नीचे रहते हैं।

परमहंस सदैव पेड़ के नीचे ही खाली मकान या श्मशान में निवास करते हैं। या तो वे नंगे रहते हैं या बन्ध धारण करते हैं। वे धर्माश्रम, सत्यासत्य, पवित्रापवित्र के द्वन्द्वों या द्वैतों के परे रहते हैं। वे सबको एक-समान मानते हैं, सबको आत्मा के सामन समझते हैं और सभी वर्णों के यहाँ मित्रा माँगते हैं। पराशरभाष्यीय (१।२, पृ० १७२-१७६) के मत से परमहंसों को एक दण्ड धारण करना चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के दो प्रकार हैं; विद्वत्परमहंस (जिसने ब्रह्मानुभूति कर ली हो) तथा विविदिषु (जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहते हैं)। पराशर-भाष्यीय ने विद्वत् की व्याख्या के लिए बृहदारण्यकोपनिषद् पर तथा विविदिषु के लिए जाबालोपनिषद् पर जोर दिया है। याज्ञवल्क्य विद्वत्सन्यास के उदाहरण हैं, जिससे जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है (जीवन्मुक्ति से इसी जीवन में अपाद् इसी धरती के साथ मोक्ष प्राप्त होता है)। विविदिषा-सन्यास से मृत्युपरान्त मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे विवेक-मुक्ति भी कहा जाता है। देखिए जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ४)।

जाबालोपनिषद् (६) में परमहंसों का विशद वर्णन पाया जाता है। कुछ ऐसे ऋषि हैं, यथा—सर्वतक, आरणि, श्वेतकेतु दुर्वासा, ऋन्, निदाघ, जडभरत, दत्तात्रेय, रैवतक, जो अपने लिए कोई विशिष्ट चिह्न नहीं रखते। वे यद्यपि पागल नहीं हैं, किन्तु पागलों-जैसा व्यवहार करते हैं, केवल देह एवं आत्मा को साथ रखने के लिए वे लोभ मित्रा के लिए बाहर जाते हैं, मित्रा की प्राप्ति या अप्राप्ति से अप्रभावित रहते हैं, उनके पास घर नहीं होता, वे सदा भ्रमा करते हैं और मन्दिर में या पास वे शृणु पर या वल्मीक पर या पेड़ के नीचे या नदी-तट पर या शुष्क में रहते हैं, वे किसी भी धरतु से मोह नहीं रखते, वे केवल परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। सूत्रसंहिता (२।६।३-१०) के अनुसार केवल हंस एवं परमहंस ही शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर सकते हैं।

सन्यासोपनिषद् (१३) में दो अन्य प्रकार पाये जाते हैं, यथा—तुरीयातीत एवं अवधूत। तुरीयातीत (जो चौथे स्तर अर्थात् परमहंस से ऊपर हो) गाय के समान कल खाता है (हाथों का प्रयोग नहीं करता), यदि वह पका भोजन ले तो केवल तीन घण्टों से ही लेता है, वह वस्त्र नहीं धारण करता, उसका शरीर यो ही जीता रहता है (किन्तु वह उसके विषय में बिल्कुल सचेत नहीं होता), वह अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करता है मानो वह मर चुका है। अवधूत किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं मानता। वह किसी भी वर्ण के यहाँ भोजन कर सकता है, किन्तु पतितों एवं पापियों का भोजन नहीं ग्रहण करता। वह अनगर के समान खाता है (अर्थात् कमी भूषा ही पढा रहता या कमी बिना किसी प्रयत्न के मुल खोलत हुए खूब खा लेता है)। वह सदा परब्रह्म के वास्तविक ध्यान में निमग्न रहता है।

सन्यास तथा वर्ण

यथा सन्यासतीना वर्णो व लोण धारण कर सकते हैं या केवल ब्राह्मण? इस प्रश्न के उत्तर में गहरा मतभेद रहा है। श्रुतिया (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।४।२२, ३।५।१, मुण्डकोपनिषद् १।२।१२ आदि) में ता केवल ब्राह्मणों को ही सन्यास के योग्य माना है। यही बात मनु (६।३।८) में भी पायी जाती है। लघु विष्णु (५।१।३) में आया है कि सन्यास ब्राह्मणों के लिए है, अथ द्विजातियों के लिए कवल तीन ही आश्रम हैं। किन्तु अन्य लेखकों ने श्रुतियों में प्रयुक्त 'ब्राह्मण' शब्द को 'उपलक्षण' अर्थात् उदाहरण के रूप में माना है और सूत्रधार जगदानन्द ने स्पष्ट कहा है—'वेदाध्ययन के उपरान्त तीना वर्ण चारों आश्रमों में प्रवेश कर सकते हैं।' जाबालोपनिषद् (५) में आया है—'चाहे ध्यस्त में घत न किये ही, उसन समाधर्तन (वेदाध्ययन के उपरान्त कृत्यमय स्नान) चाहे न किया हो, चाहे उसकी वैदिक अग्नियों अमी न बुझी हो, यदि वह इस मूर्तिष ससार से उन्नत हुआ हो तो वह परिव्राजक सन्यासी ही सकता है।' स्पष्ट है, इस उक्ति से ब्रह्मचारी भी सन्यासी हो सकता है, क्षत्रिय एवं वैश्य भी सन्यासी ही सकता है। गाजबल्य (३।३।२) का कहना है कि द्विजातियों के विषय में मन-सुद्धि का एक साधन है सन्यास। कूर्मपुराण (उत्तराध्याय २८।२) में भी 'समी द्विजो वे लिए सन्यासी होता लिखा है।

४. तत्र परमहंस नाम सर्वतकः आरणिश्च श्वेतकेतुर्दुर्वासाः ऋन्निदाघः जडभरतः दत्तात्रेयः रैवतकः प्रभृतयोऽप्यन्तरा-
सिगा अम्यवहतायाः अनुत्सः उन्मसवदाधरन्त... प्राणयोरान्तरां यमोक्तकामे विमुक्तो प्रंजनावरन्...
साभ्राताभयो तमो भूत्वा द्वापारदग्गुहृत्तुत्तवत्मीरबृहमूनरपण्डितेः तेष्वनिकेत्याद्यप्रयत्नो निर्मम-
दुषलप्यानपराधयो ... अन्तुभवर्मासूलनपर सजातेः देव्याय कर्मिण स परमहंसो नाम। जाबालोपनिषद् (६)।

५. गुणव्यती या वाः ना हाः रको वाः प्रानातयो पतःसामिको वा यदद्वेय विरजेटदद्वेय प्रधनेत्। जावा-
लोपनिषद् (५३)।

बहुत-से लेखकों ने उपर्युक्त दोनों मतों का समर्थन किया है। महान् विचारक शाकराचार्य ने बृहदारण्यक-उपनिषद् (३।५।१ एव ४।५।१५) के माध्यमे केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। किन्तु शाकराचार्य के शिष्य सुरेश्वर ने शाकरमाध्य के वार्तिक में अपने गुरु के मत का सङ्गठन किया है। मेघातिथि (मनु ६।१७), मिताक्षरा, मदनपारिजात (पृ० ३६५-३७३), स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० १७६) ने केवल ब्राह्मणों को संन्यासाश्रम के योग्य ठहराया है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ६५) ने दूसरे मत का समर्थन किया है। महाभारत (आदिपर्व ११९) के अनुसार क्षत्रिय भी संन्यासी हो सकते हैं। शान्तिपर्व (६३।१६-२१) ने राजाओं को जीवन के अन्तिम क्षणों में संन्यासी हो जाने की लिखा है। कालिदास ने रघुवश (८।१४ एव १६) में रघु के संन्यास का कवित्वमय वर्णन उपस्थित किया है और संन्यासी वृद्ध राजा तथा नये अभिषिक्त राजा की तुलना बड़े मनोरञ्जक ढंग से की है।

संन्यास एव शूद्र

स्मृतियों एवं मध्य काल के ग्रन्थों के अनुसार शूद्र संन्यास नहीं धारण कर सकता। शान्तिपर्व (६३।११-१४) में स्पष्ट लिखा है कि शूद्र मिश्र नहीं हो सकता। इसमें एक स्थान (१८।३२) पर ऐसा आया है कि कुछ लोग (सम्भवतः शूद्र भी) बाह्य रूप से संन्यासी बनकर मिश्रा तथा दान ग्रहण करते हैं। वे सिर मुँडाकर, कापाय वस्त्र धारण कर इधर उधर घूमा करते हैं और बञ्चकता प्रदर्शित करते हैं। किन्तु प्राचीन स्मृतियों में अवलोकन से पता चलता है कि शूद्र लोग भी संन्यासी बन सकते थे। विष्णुधर्मसूत्र (५।११५) एव याज्ञवल्क्य (२।२४१) में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग शूद्र संन्यासी को देवों एवं पितृगणों के पूजन-कृत्यों के समय भोजन देते हैं, उन पर १०० पण का दण्ड लगना चाहिए। आश्रमवासिकपर्व (२६।३३) में आया है कि विदुर संन्यासी के रूप में गुड़े गये। इस पर टीकाकार नीलकण्ठ ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है शूद्र भी संन्यासी बन सकते थे।

संन्यास एव नारियाँ

प्राचीन ब्राह्मणवादी बालों में सभी-कभी नारियाँ भी संन्यास धारण कर लेती थीं। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५८) ने व्रीषायन के एक सूत्र (स्त्रीणा चर्के) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि कुछ आचार्यों के मत में नारियाँ भी संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो सकती थीं। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (२, पृ० १००) में शाकर नामक परिव्राजिका का उल्लेख किया है। स्मृतिचन्द्रिका ने यम (व्यवहार, पृ० २५४) को उद्धृत किया है—“नारियों के लिए न तो वेदों में और न धर्मशास्त्रों में संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है, उनका उचित धर्म है अपनी जाति के पुरुषों से सन्तानोत्पत्ति करना।” अत्रि (१३६-१३७) ने लिखा है कि नारियों एवं शूद्रों के लिए छ' कार्य वर्जित हैं, जिनके करने से पाप लगता है—जप, तप, प्रव्रज्या (संन्यास-जीवन), तीर्थयात्रा, मन्त्रसाधन, देवताराधन। कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में पण्डिता कौशिकी को संन्यासी के वेश में दर्शाया है (१।१४)। उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि हिन्दू धर्म में सामान्यतः नारियों के लिए अगृही होकर संन्यासियों-जैसा इधर-उधर घूमना अच्छा नहीं माना जाता रहा है।

संन्यास तथा शूद्र एवं नारी की योग्यता

शूद्रों एवं नारियों के संन्यासी बनने का प्रश्न उलझा हुआ-सा है। 'संन्यास' शब्द से दो भावनाएँ प्रकट होती हैं, (१) किसी उद्देश्य की प्राप्ति की अभिकांक्षा से उत्पन्न सभी प्रकार के कार्यों (काम्य कर्म) का परित्याग, एवं (२) किसी विशिष्ट जीवन-उप (आश्रम) का अनुसरण, जिसके बाह्य लक्षण हैं दण्ड, कायाय आदि का धारण करना,

और जिसने प्रवेश करने के पूर्व प्रिय मन्त्र का उच्चारण करना पड़ता है। जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ३) के अनुसार मोक्ष (अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है, जैसा कि कैवल्योपनिषद् (२) में आया है—“न तो कर्मों से, न सन्तानोत्पत्ति से और न धन से ही बल्कि त्याग से कुछ लोगो ने मोक्ष प्राप्त किया।” ऐसे त्याग के लिए द्वादो एव नारियो, दोनो को छूट है, नारियो के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का माना जाता है, जिसने ऋषि याज्ञवल्क्य से स्पष्ट शब्दों में कहा था—“जो मुझे अमर नहीं बनायेगा मैं उसे लेकर क्या कहूँगी ?” (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।५।३-४)। भगवद्गीता (१८।२) में भी आया है कि सन्यास (किसी उद्देश की प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। जीवन्मुक्तिविवेक में यह भी आया है कि सन्यासी की माता एवं पत्नी के सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होनी पर वे पुत्र स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेती (प्रत्युत वे पुण्य रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः नारिणी एव शूद्र भी कर्मों का त्याग कर सकते हैं, भले ही वे सन्यासियों की विलास्य वेश-मूषाएँ एव अन्य बाह्य उपकरण धारण न कर सकें। वेदान्तसूत्र (१।३।३४) के एक भाष्यकार धीवर के मत से सन्यास केवल तीन वर्णों के लिए है, किन्तु न्यास (भौतिक आनन्दों एवं वासाओं का त्याग) तो शूद्रों, नारियो एव वर्णसंकरों (मिश्रित जाति वालों) द्वारा किया जा सकता है।

सन्यास तथा अग्ने, लूले-लेंगडे, नपुंसक आदि

कुछ लोगो के मत से सन्यास केवल अग्नो, लूले-लेंगडी तथा नपुंसकों के लिए है, क्योंकि ये लोग वैदिक ऋषियों के सम्पादन के अर्थाधिकारी हैं। वेदान्तसूत्र (३।४।२०) के भाष्य में स्वामी शारदाचार्य ने तथा सुरेश्वर ने शारदाचार्य ने बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इस मत का सङ्गठन किया है। मनु (६।३६) की ध्यास्या में मेधातिथि ने भी उपयुक्त मत का सङ्गठन करते हुए लिखा है कि अग्ने, लूले-लेंगडे, नपुंसक आदि सन्यास के अयोग्य हैं, क्योंकि सन्यास के नियमों का पालन उनसे नहीं हो सकता। अग्नो एव लूले-लेंगडा का एक ही रात्रि तक ठहरना तथा नपुंसको का बिना उपनयन हुए सन्यास धारण करना मुक्तिसंगत नहीं जैवता (नपुंसको का उपनयन-संस्कार नहीं होता)। यही बात भित्ताशरा (याज्ञवल्क्य ३।५६) में भी पायी जाती है। स्मृतिकुक्ताफल (पृ० १७३) एव यतिधर्मसंग्रह (पृ० ५-६) ने उद्धरण दिया है—“सन्यासधर्म से च्युत का पुत्र, अमुन्दर नयो एव काले दाता वाला व्यक्ति, दाय रोग से दुर्बल, लूला या लेंगडा व्यक्ति सन्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार वे लोग जो अपराधी, पापी, श्राप्य होते हैं, सत्य, शौच, यज्ञ, व्रत, तप, दया, दान, वेदाध्ययन, होम आदि के त्यागी होने हैं, उन्हें सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है।”

सन्यास एवं नियमभ्रष्टता

यतिधो के मुख्य नियमों में एव नियम का पत्नी एव गृह का त्याग तथा मंत्रों के विषय में कर्मों न सोचना या पुनः गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखना। अत्रि (८।१६ एव १८) ने घोषित किया है—“मैं उम्र व्यक्ति के लिए किसी प्रायश्चित्त की कल्पना तक नहीं कर सकता जो सन्यासी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या च्युत हो जाता है, वह नु तो द्विज है और न शूद्र है, उसकी सन्तति पाण्डाल हो जाती है और विद्वर बह जाती है।” शारदाचार्य ने वेदान्तसूत्र के भाष्य (३।४।४२) में अत्रि के उपयुक्त पचन को उद्धृत करके कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात केवल कामुक्ता के प्रलोभन से बचने पर बल देने के लिए कही गयी है, वास्तव में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई मिक्षु मंत्रों पर बैठता है तो उमगा प्रायश्चित्त है। ददा (७।३३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के मत्सक पर कुत्ते के पैर की मुहर लगाकर देस निजाला कर दे, जो सन्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (ब्रह्म-धर्म) रहने या ‘लेंगोटा कर्मकर बांधने’ आदि नियमों का पालन नहीं करता। जो सन्यासी के धर्म से च्युत हो जाता है, वह जीवन भर राजा का दास रहता है। अत्रि के मत से सन्यासी को उस स्थान पर, जहाँ उसके माता, पिता, माई,

बहिन, पत्नी, पुत्र, बन्धु, सम्बन्धी, सजातीय, मित्र, पुत्री या पुत्रो के पुत्र आदि रहते हैं, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०६)।

संन्यासी तथा मठ एवं उनके झगड़े

आरम्भ में उपर्युक्त नियमों का पालन मरुपूर होता था। स्वामी शंकराचार्य जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे, किन्तु उन्होंने अपने सिद्धान्तों एवं दर्शनों के प्रचार के लिए चार मठ स्थापित किये (शृंगेरी, पुरी, द्वारका एवं बदरी)। थूदा-लुर्धो एवं भक्तों ने इन मठों को बहुत दानादि दिये। मठों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें सम्पत्ति भी एकत्र होने लगी, जिस पर स्वामित्व प्रमुख धर्माध्यक्षों या महन्तों का रहने लगा। केवल अद्वैती संन्यासियों में दस शाखाएँ हो गयीं, यथा—तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी।^१ इन्हें स्वामी शंकराचार्य के चार शिष्यों के उत्तराधिकारी शिष्यों के नाम से पुकारा जाता है, यथा—पद्मपाद के शिष्य थे तीर्थ एवं आश्रम, नरनामज के थे वन एवं अरण्य, नोटक के थे गिरि, पर्वत एवं सागर तथा सुरेश्वर के थे सरस्वती, भारती एवं पुरी। शृंगेरी, काञ्ची, शुम्भकोणम्, कुडलिंग, सकेस्वर, शिवगंगा नामक मठों के अधिकार-क्षेत्र, धार्मिक प्रमुखता आदि विषयों में बहुत मत-भेद एवं झगड़े होते रहे हैं। अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति एवं पुष्टता के लिए बहुत से मठों ने गुरुओं एवं शिष्यों की श्लाघालियों में हेर-फेर कर डाला है और बहुत सी मनगढन्त बातें जोड़ ली हैं। इस प्रकार विभिन्न मठों द्वारा उपस्थापित सूचियों के नामों में साम्य नहीं पाया जाता। एक सूची के अनुसार सुरेश्वर ७०० या ८०० वर्ष तक जीते रहे। स्वामी शंकराचार्य के समाधि रामानुजाचार्य एवं मध्वाचार्य के भी बहुत-से शिष्या ने मठ स्थापित किये। बल्लभाचार्य तथा उनके शिष्यों ने संन्यास नहीं ग्रहण किया। उनमें मत से संन्यास कल्पियुग में बर्जित है, चौथे आश्रम में केवल प्रवेश होने से संन्यास नहीं प्राप्त हो जाता, बल्कि उद्वेग जैसे भक्त के व्यवहार से परित्याग का सार सामने आता है (भागवत, ३।४)। बहुत-से मठों में अपार सम्पत्ति है जो शान-शोकन (सोने का मूर्तियों के निर्माण एवं अन्य खर्चीले कार्यों) में खर्च होती है। बहुत कम ही मठाधीश पढ़े-लिखे हैं, यहाँ तक कि बहुतांश को संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं होता, बहुधा वे आपुनिक विचारों एवं आवश्यकताओं के प्रति निरपेक्ष होने हैं और सुधार-सम्बन्धी कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। केवल इने-गिने मठों के कुछ महन्त जीवन भर ब्रह्मचर्य रख सके हैं। महन्तों में अधिकांश गृहस्थ होने के उपरान्त संन्यासी हुए थे। इसके अतिरिक्त गद्दी प्राप्त करने के लिए भयकर होड़ एवं झगड़े चलते हैं। बहुत-से मठों के महन्तों की मृत्यु पाग आ जाने पर कुछ लोग किसी इच्छुक गृहस्थ को पकड़कर बाबा (महन्त) का बेल्ला बना देते हैं, जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त स्वयं मठाधीश हो जाता है। स्वभावतः ऐसा महन्त अपने घर का मोह नहीं छोड़ता और क्रमशः मठ भी सम्पत्ति पर या बाल-बन्धुओं को भेजता रहता है। जब तक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं होना तब तक मठों का सुधार नहीं हो सकता। वास्तव में महन्त के बहुत-से शिष्य होने चाहिए, महन्त की मृत्यु-शय्या पर चुनाव नहीं होना चाहिए,

६. योगपट्टं च दातव्यं वेदान्ताभ्यासतः परम्। ततो नाम प्रवर्तव्यं गुहणा सवसम्मतम् ॥ तीर्थीममवना-
रथगिरिपर्वतसागरा। सरस्वती भारती च पुरी नाम ध्येदेशः ॥ श्रीपादसततया धारय (धार्य ?) नाम तथा यथा-
तथम् ॥ अष्टारम्भ स्वया कार्यं श्रीशास्त्राभ्यासविक्रमः सदा। योगपट्टेयं दातव्यं शिष्ये सम्पत्त्वं परीक्षिते ॥ स्मृतिमुक्ताफल
(वर्षाधम, पृ० १८२ तथा धर्माधर्मसंग्रह, पृ० १०३) में उद्धृत। और देखिए विलसन कृत 'Religious Sects
of the Hindus' in works, Vol 1 (1861), p 202 एवं डॉ० फर्ग्युसन कृत 'Outlines of the Religious
Literature of India (1920) p. 174 जिसमें दत्तनामियों के बारे में लिखा हुआ है।

कुछ विशिष्ट ध्यस्तियों की एक प्रतिनिधि-सभा के स्वर का मान होना चाहिए। सन्यासियों के मठों के भविष्य अथवा महन्त कभी-कभी सम्पत्ति, मान-सम्मान एवं अधिकार-क्षेत्र का मामला लेकर कचहरी तक पहुँचते हैं। उदाहरणार्थ हम निम्न मामलों की जाँच कर सकते हैं। भुवनेरी मठ के शकराचार्य महन्त ने दावा किया कि केवल उन्हें ही पालकी पर चढ़कर मार्ग पर चलने का अधिकार है, लिगायतो के स्वामी ऐसा नहीं कर सकते (देखिए, ३, मूर की इण्डियन अपील्स, पृ० १९८)। टारवा के शारदा मठ के शकराचार्य ने मामला देश किया कि प्रतिवादी को शकराचार्य की उपाधि एवं मान-सम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और न उसे अहमदाबाद की जनता की दान-दक्षिणा और न गुजरात के अन्य स्थानों के दानादि प्राप्त करने का अधिकार है, वह न तो शकराचार्य है और न शारदा मठ के शकराचार्य की पदवी का वास्तविक अधिकारी है (देखिए, मधुसूदन पर्वत बनाम श्री माधव तीर्थ, ३३, बम्बई, २७८)। विशाखर बनाम विद्यानारायण (५१, बम्बई ४४२, प्रिवी काँसिल) के मामले में प्रिवी काँसिल को चार ध्यस्तियों के झगड़े को तय करना पड़ा था जिसमें चादी एवं प्रतिवादी दोनों अपने को सकेन्दर एवं मखीर मठ के शकराचार्य कहते थे, और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी भी पहले से नियुक्त कर लिये थे। इस प्रकार इस मामले में चार ध्यस्तियों का स्वार्थ निहित था। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि महान् सन्यासी एवं दार्शनिक विद्वान् शकराचार्य के आदर्शों की पूजा आधुनिक समय में किस प्रकार हो रही है। आश्चर्य है, उन महान् विचारक एवं परम मेधावी दार्शनिक तथा अद्वितीय ब्रह्मचारी सन्यासी के नामधारी आज के सन्यासी मठों की गद्दी पर बैठकर उनका नाम बेच रहे हैं। उन्हें जीवन्मुक्तिविवेक एवं उसके द्वारा उद्भूत मेधातिथि के दान स्मरण रखने चाहिए, "यदि निवासस्थान के रूप में कोई सन्यासी कोई मठ प्राप्त करता है तो उसका मन मठ की उन्नति एवं हानि से चलायमान हो उठेगा, अतः किसी सन्यासी को मठ की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए उसे अपने प्रयोग के लिए सोने एवं चाँदी के पात्र एवं बरतन भी नहीं रखने चाहिए और न अपनी सेवा सम्मान, दस प्रसार एवं धन-लाभ के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए, उसे केवल लोगों की अवोधता या अज्ञान दूर करने के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए।"

उत्तरकालीन सन्यासी

वेदान्ती सन्यासियों के विषय में डा० जे० एन० फर्कूह (जे० आर० ए० एम०, १९२५, पृ० ४७९-४८६) ने एक बहुत ही विद्वत्पूर्ण लेख लिखा है। उसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार जस्त्रो एवं घस्त्रो से सुसज्जित मुसलमान फकीरों ने हिन्दू सन्यासियों को बन्ध दिया तथा बहुतों को तलवार के घाट उतार दिया, जिस प्रकार मधुसूदन सारस्वती ने सम्राट् अब्दुर के पास जाकर उससे प्रार्थना की, जिस प्रकार पूर्वी सहायता न पाने पर मधुसूदन सारस्वती ने दत्तानिवास में सात नामों के सन्यासियों के रूप में शत्रुओं एवं बंदियों को दीक्षित कर उन्हें जस्त्र-घस्त्र से सुसज्जित किया, जिस प्रकार इन सन्यासियों ने मुसलमान फकीरों से तथा अपने में युद्ध किया, जिस प्रकार अथाहण नारियल गिण्टि एवं पुदी के रूप में दीक्षित हुईं और जिस प्रकार उत्तर भारत में आज केवल तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती नामक सन्यासियों ही एवान्तिक रूप में बचे हुए हैं। उपर्युक्त सभी रीति से दीक्षित सन्यासियों की परम्परा ने आगे चलकर भयंकर परिणाम उपस्थित

७ यदि नियतवासाय कश्चि मठ सपादपेक्षवानो तस्मिन्ममाथे सति तवोयहानिवृद्धोदिसस विसिष्येत। . . यथा मठो न परिषहोतध्यस्तथा सौवर्णराजतादीनां भिक्षाद्यमनादिपात्राणामेवमपि न गृह्णीयात्। . . मेधातिथिरपि। आस्त पात्रलोचनघातयम- निष्यसग्रहः। दिवास्वयो ब्यासापो यतेबन्धकराणि षट्॥. . . दुधुयातामपूजार्थं यशोयं वा परिषहः। निष्याणां न तु काल्प्यास मेय- निष्यसग्रहः॥ जीवन्मुक्तिविवेक, पृ० १५८-९।

किये। सन्यासियों एव फकीरों ने बंगाल प्रान्त को छोप-सा लिया। ब्रिटिश शासन के आरम्भिक दिनों में (१८वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में) 'उनके आक्रमणा एव उपद्रवों ने बंगाल को परेशान एव तबाह कर रखा था। इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार सन्यासियों का अहिंसा नामक गबल सूत्र कालान्तर में बदल गया।

सन्यासी एव उनके दाय-सम्बन्धी अधिकार

प्राचीन एव आधुनिक हिन्दू यानूना के अनुसार सन्यासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एव वसीयत से विच्छेद हो जाता है (वसिष्ठधर्मसूत्र १७।५२)। किन्तु यह परिणाम केवल गेऊआ धारण मात्र से ही नहीं होता प्रत्युत उसके लिए (सन्यास-धारण के लिए) आवश्यक कृत्य सम्पादित करने पड़ते हैं। इसी प्रकार सन्यासी की सम्पत्ति (यथा—बस्त्र, गडाम, पुस्तकें आदि) उससे घर वाली को नहीं, प्रत्युत उसने शिष्य या शिष्यों को प्राप्त होती है (देखिए याज्ञवल्क्य २।१३७ एव ३मी पर मिताक्षरा)। यदि कोई शूद्र सन्यासी हो जाय तो ये नियम उस पर नहीं लागू होते थे।

आदर्श-व्युत् सन्यासी एव घरवारी गोसाईं

सन्यास के आदेश पर भयनर कुठाराघात पडा उस दूट से जिसमे सन्यासी लोगो को स्त्री या रखैल रखने की आज्ञा मित्र गयी। गतिधर्मसग्रह (पृ० १०८) में उद्धृत वायुपुराण के कथन से पता चलता है कि जो व्यक्ति सन्यासी होने पर उपरांत मंथन करता है वह ६०,००० वर्षों तक नाबदान का कीडा बना रहता है और उसके उपरान्त चूहे, गिद्ध, कुत्ते, बन्दर, भूआर, पेड़, पुष्प, फल, प्रेत की योनियों को पार करता हुआ चाण्डाल के रूप में जन्म लेता है। राजतरंगिणी (३।१२) का कहना है कि भेषवाहन की रानी द्वारा निर्मित मठ के एक भाग में नियमों के अनुसार चलने वाले सन्यासी रहते थे और दूसरे भाग में वैसे अनियमित सन्यासी रहते थे, जिनके साथ उनकी पत्नियाँ, धन-सम्पत्ति एव पशु आदि थे (अर्थात् दूसरे भाग में गृहस्थ सन्यासी रहते थे)। ऐसे सन्यासियों को, जो गृहस्थ रूप में रहते हैं, घरवारी गोसाईं कहते हैं। बम्बई प्रान्त में उन्हें घरवारी गोसावी कहा जाता है।

सन्यास एव नृपति-परिव्राजक

कुछ गुप्त अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त सम्राटों के सामन्तों में कुछ ऐसे राजा थे जिनकी उपाधि थी नृपति-परिव्राजक, अर्थात् राजकीय सन्यासी। डा० फ्लीट (गुप्तामिलेख, पृ० १५, पादाट्पणी १) ने इस उपाधि को 'राजवि' नामक उपाधि के समवध रखा है। किन्तु यह बात जँचती नहीं। नृपति-परिव्राजकों का गोत्र था भर-द्वाज और उनमें सरथापक कपिल ने अवतार माने जाते थे (पृ० ११५)। हो सकता है कि कुल के स्थापक महोदय राज्य करने में उपरान्त बुढ़ीती में परिव्राजक हो गये हों और उनके वंशज लोग भी उसी परम्परा में राज्य करने के उपरान्त सन्यासी होते गये हों। इसी से सम्भवतः उन्हें नृपति-परिव्राजक कहा जाता था। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७६) में उद्धृत व्यास एव यातिधर्मसग्रह के मत से कालयुग में सन्यास बजित है, किन्तु उनके मत से यह भी प्रकट होता है कि जब तक वर्णाश्रमधर्म की परम्परा चलती रहेगी, सन्यास की परम्परा कलियुग में भी मान्य रहेगी। अपने प्रात्यता-

८. देखिए राय साहब याद्विनीमोहन घोष द्वारा लिखित (१९३०) ग्रन्थ Sannyasi and Fakir raiders in Bengal

९. व्यासः। अग्न्याधेयं गवालम्भं संन्यासं परमं तूकम्। देवरेण सुतोत्पत्ति कसौ पञ्च दिवसंयत् ॥ इति।

श्रायश्चित्तनिर्णय में नागेश ने व्यासवृत्त सन्यासपद्धति के अनुसार एक विलक्षण उक्ति यह दी है कि जब कल्पियुग के ४४०० वर्ष बीत जायें (१२९९ ई० के उपरान्त) तो समझदार ब्राह्मण को सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। सभता है, तब तब मुसलिम आक्रमण ने सन्यासियों पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये थे, और तभी धर्मशास्त्रकारों ने सन्यासियों को नियमविरुद्ध चलते देखकर तथा उन पर बट्टर मुसलमानों के आक्रमण होने देखकर उपयुक्त उद्धारण प्रचारित किया। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, अन्तिम) ने भी ध्यास की उपयुक्त उक्ति दोहरायी है और कहा है कि सन्यास-सम्बन्धी वर्जना केवल त्रिदण्डी सन्यासियों के लिए है।

सन्यास की विधि

सन्यास-विधि का वर्णन बोधायनधर्मसूत्र (२।१०।११-३०), बोधायनगृह्योपसूत्र (४।१६), वैश्वानस (१।६-८) में हुआ है। सम्भवतः बोधो० धर्म० का वर्णन सबसे प्राचीन है। स्वानाभाव के कारण हम यहाँ विधि का विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी विधि की जाती है, उसका तात्पर्य है भौतिक सम्बन्धों का त्याग, सांसारिक एवं पृथिवी-सम्बन्धी धन के प्रति पूजा, अहिंसामय जीवन, ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्वानुभूति करना। सिर, दाढ़ी तथा शरीर के सभी अंगों में बाल बनवाकर, तीन दंडों को एक में जोड़कर, एक बस्त्र-सण्ड (जल छानने के लिए), एक कमण्डलु एवं एक मिश्रा-पात्र लेकर व्यक्ति जप-ध्यान वृत्तियों में लग्न होता है।

मध्य काल के ग्रन्थों में, विशेषतः स्मृत्युपसंसार (पृ० ९६-९७), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७७-१८२), यतिधर्म-संग्रह (पृ० १०-२२), निर्णयसिन्धु (३, उत्तरार्ध, पृ० ६२८-६३२), धर्मसिन्धु ने सन्यास-विधि पर विचार रूप से प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों ने सन्यास-सम्बन्धी 'ब्रह्मानन्दी' नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो अभी तक अप्राप्य है।

आतुर-सन्यास

जाबालोपनिषद् (५) ने उन लोगों के सन्यास का भी वर्णन किया है, जो रोगी हैं या मरणासन्न हैं। ऐसे लोगों के लिए विस्तृत विधि या कृत्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शब्दों द्वारा उद्घोष एवं मनःसकल्प ही पर्याप्त है। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७४ एवं १८२) में उद्धृत अगिरा एवं दुमन्तु का वचन है—“जब व्यक्ति मृत्यु से जीर्ण-शीर्ण हो गया हो, शत्रुओं से बहुत घबरा रहा हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो वह केवल 'प्रेम' मन्त्र का उच्चारण करके सन्यासी हो सकता है”, अर्थात् उसके लिए विस्तारपूर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, केवल सकल्प, प्रेम (यथा “मैंने सब कुछ त्याग दिया है”) जो व्याहृतियों के साथ कहा जाता है) एवं अहिंसा के लिए प्रण कर लेना ही यथेष्ट है, अन्य हृत्पत्र परिस्थितियों के अनुसार बिये या नहीं भी बिये जा सकते हैं। आजकल ऐसे सन्यास (आतुर सन्यास) में धार्मिक व्यक्ति बहूपा प्रवृत्त होते हैं और संकल्प, शौर (सिर आदि का मुण्डन), सावित्रीप्रवेश एवं प्रबोद्धार नामक हृत्पत्र ही पर्याप्त मान लिये जाते हैं।

सन्यास तथा शिल्पा एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ)

क्या सन्यासी को अपनी शिल्पा एवं जनेऊ का त्याग कर देना चाहिए? इस विषय में प्राचीन काल से ही मत-

सत्यापवाचमाह स एव । धावद्वर्णविभागोऽस्ति धावद्वेषः प्रवर्तते । तावन्ध्यासोऽग्निहोत्रं च वर्तव्यं तु कलौ युगे ॥ इति ।
स्मृतिमुक्ताफल, पृ० १७६ (वर्णाभ्य), यतिधर्मसंग्रह, पृ० २-३ ।

भेद रहा है। जाबालोपनिषद् (५) के उल्लेख वे अनुसार जब अग्नि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि सन्यासी हो जाने पर जब व्यक्ति अपने जनेऊ का त्याग कर देता है तो वह ब्राह्मण कैसे बहला सकता है, तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि सन्यासी की आत्मा ही उसका जनेऊ (यज्ञोपवीत) है। जाबालोपनिषद् (६) में यह भी आया है कि परमहंस को जल में अपने तीनों दण्डों कमण्डलु, शिष्य, मिश्रापात्र, जल छाननेवाले वस्त्र-सण्ड, शिखा एवं यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए और आत्मा की खोज में लगा रहना चाहिए। यही बात आरुणिकोपनिषद् (२) में भी पायी जाती है। शंकराचार्य बृहदारण्यकोपनिषद् (३।५।१) के माध्यम दोनो पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत देते हैं कि यज्ञोपवीत एवं शिखा का परित्याग हो जाना चाहिए। यही बात विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३।६६) ने भी कही है। किन्तु मुद्द-हारीत (८।५७) का बहना है—“यदि सन्यासी ब्रह्मकर्म अर्थात् शिखा एवं जनेऊ का परित्याग कर देता है तो वह जीते-जी चाण्डाल ही जाता है और मृत्यु के पश्चात् कुत्ते का जन्म पाता है।” जीवनमुक्तिविवेक (पृ० ६) एवं पराशरभाष्यवीथी (१।२, पृ० १६४) ने इस उक्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में शंकराचार्य की बात दोहरायी है। यही बात मिताक्षर (याज्ञ० ३।५८) में भी पायी जाती है। आजकल वे सन्यासी शिखा एवं जनेऊ नहीं धारण करते।

सन्यास एवं कुछ विशिष्ट नियम

सन्यासियों के आह्विक कृत्यों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैं (यतिधर्मसंग्रह, पृ० ९५)। उनको शौच, वन्तघावन, स्नान आदि गृहस्थों की भाँति ही करना चाहिए। मनु (५।१३७ वसिष्ठधर्मसूत्र ४।१९, विष्णु-धर्मसूत्र ६०।२६, श्वश्रु १६।२३-२४) का बहना है कि ब्रह्मचरियों एवं सन्यासियों को गृहस्थों के समान ही क्रम से तीन एवं चार बार शौच-धर्म (शरीर-शुद्धि) करना चाहिए। भोजन केवल एक बार और वह भी केवल ८ घास खाना चाहिए। सन्यासियों को गुरुपोत्तम (चार स्वरूपों के साथ वासुदेव), व्यास (सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन एवं पैल नामक चार शिष्यों के साथ), माध्यकार शंकर (चारों शिष्यों अर्थात् पद्मपाद, हस्तामलक, शेटक एवं सुरेवर के साथ) आदि की पूजा करनी चाहिए। आदर-सम्मान के आदान-प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह देवों एवं अपने से बड़े सन्यासियों को, जो नियमानुकूल अपने मार्ग पर चलते हों, नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को, चाहे वह आचारवान् एवं विचारवान् ही क्यों न हो, नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उसे कोई नमस्कार करे तो उसे केवल 'नारायण' कहना चाहिए, न कि आशीर्वाद देना चाहिए। जब सन्यासी भर जाय (यहाँ तक कि वह भी जिसने मृत्यु-शाय्या पर ही सन्यास ग्रहण किया हो) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी में गाड़ देना चाहिए। यति की मृत्यु पर रोदन आदि नहीं करना चाहिए और न श्राद्ध ही करना चाहिए, केवल ११वें दिन पार्वण कर देना चाहिए (अपराक पृ० ५३८)। यदि सन्यासी अपने पुत्र की मृत्यु या किसी सम्बन्धी की मृत्यु का समाचार सुने तो वह अपवित्र नहीं होता, और न उसे स्नान ही करना चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अवश्य करता है, किन्तु विलाप नहीं करता।

परिषद्, शिष्ट और धर्मनिर्णय

धर्मशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार राजा न केवल पौर एवं जनपद के शासन का मुख्याधिकारी है, प्रत्युत वह न्याय का प्रमुख स्रोत है। राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक सत्याओं का सयमनकर्ता एवं रक्षक है। वह जनता को धर्म में नियोजित करता है एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उल्लंघनों पर दण्ड देता है। सक्षेप में, वह धर्म का रक्षक है (गीतम १।१९-११, विष्णुधर्मसूत्र ३।२-३, गारुड, प्रश्नोपनिषद् ५।७, याज्ञवल्क्य १।३३७ एवं ३।५९, अग्नि ८७-२०, मनु ७।१३)। किन्तु राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक बातें स्वतः नहीं तय करता था, प्रत्युत वह पुरोहित एवं मन्त्रियों की सम्मति एवं विद्वान् लोगों की समाधि अर्थात् परिषद् की राय से ही करता था। जब कभी कोई धार्मिक या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी या पवित्र

के निष्कासण आदि के मामले उठ सके होते थे तो परिषद् की सम्मति ली जाती थी। अतः धर्मशास्त्रों (धर्मसूत्रों, स्मृतियों, निबन्धों आदि) में परिषद् के निर्माण के विषय में नियम आदि बतलाये गये हैं।

तैत्तिरीयोपनिषद् (१।११) में विद्याध्ययन के उपरान्त गुरु शिष्य से कहता है—“यदि तुम्हें किसी कृत्य या आचार के विषय में किसी प्रकार की आशंका हो तो तुम्हें बैसा ही करना चाहिए जैसा कि तुम्हारे यहाँ के विचारवान्, कर्तव्यपालन में परायण, सद्य एव धार्मिक ब्राह्मण लोग करते हैं... तुम्हें भी बैसा ही होना चाहिए .।”^१ श्रुत्वेद (१०।३४।६) में प्रयुक्त ‘समा’ एवं ‘समिति’ (१०।१७।६) नामक शब्दों का सम्यक् तात्पर्य अभी विवादग्रस्त है। वही-वही तो समा शब्द द्यूत-स्थल का भी द्योतक समझा गया है। किन्तु उपनिषदों में ‘समिति’ एवं ‘परिषद्’ जैसे शब्दों ने एक निश्चित अर्थ पकड़ लिया है, ‘अर्थात् किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान् लोगों की समा।’ छान्दोग्योपनिषद् (५।३।१) में आया है कि जब श्वेतकेतु आरण्ये पञ्चालो की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहण जैवति ने तत्त्व-ज्ञान एवं गूढार्थ सम्बन्धी पाँच प्रश्न किये। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२।१) ने इसी घटना के वर्णन में ‘परिषद्’ शब्द का प्रयोग किया है।^२ इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के काल में विद्वान् लोगों की समाएँ होती थी, जहाँ कठिन प्रश्नों पर विवेचन होता था। गौतम (२।८।४६) ने भी तैत्तिरीयोपनिषद् (१।११) की भाँति सदेह-त्यक्त प्रश्नों के लिए विद्वान् लोगों से पूछ लेने की बात बलामी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१।३४) का कहना है कि उसके द्वारा निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य छुट्टियाँ परिषदों द्वारा तय की जाती हैं।^३ बोधायनधर्मसूत्र (२।१।४४-४५) ने परिषद् एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि इसा से लगभग पाँच शताब्दी पूर्व परिषदों को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वे सभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ थी, यथा अध्ययनाध्यापन में अवन्यास-निर्णय, गूढ प्रश्नों का विवेचन, प्रायश्चित्त-नाम्बन्धी व्यवस्था आदि। वसिष्ठधर्म (१।१६) ने घोषित किया है कि धर्मशास्त्र एवं तीनों वेदों के ज्ञाता लोग जो कुछ कहते हैं, वह धर्म है। यही बात आपस्तम्बधर्म (१।१।१।२) में दूसरे ढंग से कही है—“धर्मविद् लोगों द्वारा स्थापित परम्पराएँ अन्य लोगों के लिए प्रमाण होती हैं।” जब स्मृतियाँ यह कहती हैं कि “धेद, स्मृति एवं शिष्टाचार धर्म के तीन उपकरण हैं” (वसिष्ठधर्म १।४-५), तो इसका तात्पर्य यह है कि शिष्टों को समय-समय पर धार्मिक आचरण के स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में तर्कों की महत्ता शायी गयी है (मनु १।२।१०६, गौतम १।१।२३-२४)। मनु (१।२।१०८) का कहना है—“जब इस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय न पाया जाय तो शिष्ट ब्राह्मण लोग जो निर्णय दें उसे ही उचित नियम मानना चाहिए।” याज्ञवल्क्य (३।३००) ने लिखा है कि दोषी या अपराधी को विद्वान् ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष एवं अपराध बहू देने चाहिए और परिषद् द्वारा जो दण्ड आदि करने को कहे जायें उनका सम्यक् पालन करना चाहिए। शारदाचार्य ने बृहदारण्यको-

१०. अथ दधि ते कर्मविचिकिरसा वा श्रुतविचिकिरसा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः संमतिनः । मुक्ताः आयुक्ताः । प्रसूता धर्मजायाः स्युः । यथा ते तत्र कर्त्तव्यं तथा तत्र वर्तव्यं । अप्याभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः... तेषु वर्तव्याः । तं० उप० १।११ ।

११. श्वेतकेतुर्होतव्येयः पञ्चालानां समितिमेवाय तं ह प्रवाहणो जैबलिववाच । छा० उप० ५।३।१ ; श्वेतकेतुर्होतव्येयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम । बृह० उप० ६।२।१ ।

१२. अनायाते बयावर्तः शिष्टैरुहविष्मिरलुम्भैः प्रजातं कार्यम् । गौतम २।८।४६ ; धनोक्तमन्यवतः परिषत्सु । धाप० धर्म० १।३।१।३४ ।

परिवद् के भाष्य में लिखा है—“अत धर्म के सूक्ष्म निर्णय में किसी परिवद् का होना आवश्यक है तथा विशेष रूप से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है, जैसा कि नियम भी है—एक परिवद् में कम-से-कम दस या तीन या एक विशिष्ट व्यक्ति का होना परमावश्यक है।” शांकराचार्य की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उनसे लगभग १५०० वर्ष पहले परिवद् की परम्पराएँ विद्यमान थी, जो धर्म एवं आचार-सम्बन्धी निर्णय दिया करती थी।

परिवद् में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? इस विषय में गौतम (२८।४६-४७) के अनुसार परिवद् में कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा—चार वेदज्ञ, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, एक सन्यासी तथा तीन धर्मशास्त्रज्ञ। वसिष्ठधर्म० (३।२०), बोधायन० (१।१।८), पराशर (८।२७) एवं अगिरा ने घोषित किया है कि परिवद् में दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा—चार वेदज्ञ, एक मीमांसक, एक षड्-वेदांगज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमें एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ एवं एक सन्यासी हो। मनु (१।१।११) के मत से दस पार्षद ये हैं—तीन वेदज्ञ (एक-एक वेद को जाननेवाले, अथर्ववेद को छोड़कर), एक तर्कशास्त्री, एक मीमांसक, एक निवृत्तज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ तथा एक सन्यासी। पराशरभाष्यीय (२।१, पृ० २१८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एक परिवद् में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, वेदांगज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार की परिवद् पवित्र एवं यज्ञ के समान मानी जाती है (और देखिए अपराकं, पृ० २३)। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।७), याज्ञवल्क्य (१।९), मनु (१।२।११२), पराशर (८।११) के अनुसार परिवद् में कम-से-कम ४ या ३ व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री एवं धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें तो सशय उपस्थित होने पर विशिष्ट गुणों से सम्बन्धित एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, शिष्ट, वेद का गम्भीर अध्येता होना चाहिए (गौतम २८।४८, मनु १।२।१३ एवं अग्नि १।४३)। याज्ञवल्क्य (१।७), पराशर (८।१३), अगिरा का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि वह सर्वोत्तम सन्यासी हो एवं आरामवित्त हो, परिवद् का रूप ले सकता है और सशय उपस्थित होने पर यथोचित नियम का उद्घोष कर सकता है।^१ यद्यपि समय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा सशय में निर्णय देने की बात कही गयी है, किन्तु साय ही धर्मशास्त्रकारों ने यह भी घोषित किया है कि जहाँ तक सम्भव हो एक व्यक्ति ही परिवद् न माना जाय, बोधायनधर्मसूत्र (१।१३) का कहना है—“धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है, इसमें बहुत से द्वार हैं (अर्थात् धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसरों पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है), अतः बहुत होने पर भी सशय की स्थिति में सर्वथा अकेले ही धर्मचार के विषय में उद्घोष नहीं करना चाहिए।” धर्म की बातें मूर्ख लोगों के मत से नहीं तय की जानी चाहिए, चाहे वे सहस्रों की सख्या

१३. अतएव धर्मसूक्ष्मनिर्णये परिवद्-स्वापार इत्यते । मुख्यविशेषज्ञापेक्ष्यते दशावरा परिवत् त्रयो वंकी वेति । शांकरभाष्य (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।३।२) ।

१४. मुनीनाभारमधिष्ठानां द्विजानां घञ्जपानिनाम् । वेदज्ञेद्यु स्नातानामेकोपि परिवद् भवेत् ॥ पराशर ८।१३; शतीर्जा सत्यतपसां शान्विजानन्वेतसाम् । शिरोब्रह्मे स्नातानामेकोपि परिवद् भवेत् ॥ (अपराकं पृ० २३ एवं पराशरभाष्यीय २।१, पृ० २१७ द्वारा उद्धृत अगिरा) । मुष्टकोपनिषद् (३।२।१०) में आया है कि जिन्होंने शिरोव्रत कर लिया है, वे ब्रह्मविद्या पढ़ने के योग्य माने जाते हैं ।

१५. अहोद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा बुरगुणा गतिः । तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन ब्रह्मज्ञेनापि सशये ॥ श्री० घ० सू० १।१।१३। मत्स्यपुराण १।४३।२७ (वायुपुराण ५७।११२) ।

मे ही क्यों न उपस्थित हुए हो। मनु (१२।११४-१५, बौधायनधर्मसूत्र ३।५-६, पराशर ८।६ एव १५) का कहना है—“अप्रती, वेदविहीन एव केवल जातिबल से ही जीविका चलाने वाले सहस्रो ब्राह्मण परिषद् का रूप नहीं धारण कर सकते। यदि ऐसे व्यक्ति धर्म का उद्घोष (पाप के लिए प्रायश्चित्त का निर्णय) करते हैं तो वह पाप सैकड़ों गुना बढ़कर उन्हीं के (उद्घोष करने वालों के) पास चला जाता है।”

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३००) ने लिखा है कि परिषद् के सदस्यों की सख्या उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में छोटे-छोटे पापों के लिए योद्धे-से विद्वानों द्वारा प्रायश्चित्त-निर्णय पर्याप्त है, किन्तु भयानक अपराधों के प्रायश्चित्त-निर्णय में परिषद् के सदस्यों की सख्या लम्बी होनी चाहिए। देवल (याज्ञवल्क्य ३।३०० की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने लिखा है कि जब पाप गम्भीर न हो तो ब्राह्मण लोग बिना राजा को बताये प्रायश्चित्त का निर्णय दे सकते हैं और पापी को उराने अधिकार वापस कर सकते हैं, किन्तु गम्भीर पापों में राजा तथा ब्राह्मण लोग सावधानीपूर्वक जाँच करके प्रायश्चित्त का निर्णय देते हैं। पराशर (८।२८-२९) ने आज्ञा दी है—“ब्राह्मणों को राजा की आज्ञा से पापों के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, उन्हें अपने से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था नहीं देनी चाहिए, और न राजा को ही बिना ब्राह्मणों की सहमति के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, नहीं तो पाप बढ़कर सो गुना हो जाता है।” जब व्यक्ति परिषद् के पास आये, अपनी बूटियाँ कहे और छुटकारे का उपाय माँगे तो यदि परिषद् प्रायश्चित्त की व्यवस्था जानकर भी उसे सन्तुष्ट न करे तो उसके सदस्यों को अपराधों का पाप लग जाता है। पराशर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञान के उपरान्त पापी को परिषद् के लोगों में पास जानकर उनके सामने वृषिकी पर दण्डवत् गिर जाना चाहिए और अपने पाप की प्रायश्चित्त-व्यवस्था की माँग करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३००) ने कहा है कि पापी को एक गाय या एक बैल या ऐसा ही कुछ देकर परिषद् के समक्ष अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए।^{१६}

सन्घासी एव परिषद्

मध्यकाल में स्मृतियों द्वारा निर्धारित परिषद्-सम्बन्धी नियमों का पालन राजाओं एवं विद्वान् ब्राह्मणों द्वारा अवस्था किया जाता था। कुछ वर्षों के उपरान्त, विशेषतः दक्षिण में शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों ने परिषद् के गुल्तर भार को अपने दुर्बल कंधों पर ले लिया। यह विचित्र परम्परा अब चल उठी, इसका निर्णय करना कठिन है। सन् १२०० ई० के उपरान्त उत्तर भारत का अधिकांश लगभग ५०० वर्षों तक तथा दक्षिण भारत का अत्यास लगभग ३०० वर्षों तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। स्वर्गीय श्री विश्वनाथ के० राजवाडे (जिन्होंने मराठा इतिहास, मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य पर अपने अनुसंधानों से अमूल्य प्रकाश डाला है) एवं उनके मित्रों ने बहुत से लेख्य-माण प्रकाशित किये हैं, जिनसे पता चलता है कि मराठा-आधिपत्य के समय राजा या राज्यमन्त्री द्वारा धार्मिक मामलों में पैठन, नासिक एवं कराड के विद्वान् ब्राह्मणों की सम्मति ली जाती थी, कभी-कभी सदेवर एवं करवीर

१६. स्वयं तु ब्राह्मणा ब्रूयत्स्वदोषेषु निष्कृतिम् । राजा च ब्राह्मणाश्चैव मत्सु च परीक्षितम् ॥ देवल (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० ३।३०० की व्याख्या में उद्धृत) ; राजा चानुसते स्थित्वा प्रत्यश्चित्तं विनिश्चित् । स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या स्वल्पनिष्कृतिः ॥ ब्राह्मणपरितार्तात्प्रम्य राजा कर्तुं यदिच्छति । तस्याप दातया भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ पराशर ८।२८-२९; आर्तार्ता मार्गनाथानां प्रत्यश्चित्तानि ये द्विजाः । जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां तु तैः ॥ ब्रं गिरा (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० ३।३०० में उद्धृत) ; यथाह पराशरः । पापं दिव्योपदेशोपरी दत्त्वा पंचु तथा भूयम् । इति । एतच्चोपपातकविषयम् । मत्पातकादिष्वधिकं स्वल्पनीयम् । मिताक्षरा (याज्ञ० ३।३००) ।

की गद्दियों के शकराचार्य से भी राय ली जाती थी। विन्तु अंग्रेजी शासन काल में शकराचार्यों ने धार्मिक मामलों में सम्मति देने, जातिच्युत करने या जाति में सम्मिलित कर लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था।

गौतम (२/१४६) ने लिखा है कि परिषद् में शिष्ट लोगों को रहना चाहिए। कतिपय स्मृतियों में शिष्ट की परिभाषा विभिन्न ढंग से की है। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।५-६) के मत से "शिष्ट वे हैं, जो मत्तर एव अहकार से दूर हों, जिनके पास उतना अन्न हो जो एक कुम्भी में अट सके, जो लोभ, कपट, धर्म, मोह, श्रेय आदि से रहित हों। शिष्ट वे हैं, जो नियमानुकूल इतिहास एव पुराणों के साथ वेदाध्ययन कर चुके हों और जो वेद में उचित संकेत पा सकें तथा जो अन्य लोगों को वेद की बातें मानने के लिए प्रेरित कर सकें।" शिष्टों के विषय में और दक्षिण वसिष्ठ-धर्मसूत्र (१।६), मत्स्यपुराण (१४५।३४-३६) एव वायुपुराण (जिल्द १, ५९।३३-३५)।

शिवाजी की मन्त्रि-परिषद् में एक मन्त्री (पंडितराव) भी था, जो धार्मिक मामलों तथा अन्य बातों में शिष्ट लोगों की सम्मतियों का आदर करता था। पंडितराव धर्म या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी सशयपूर्ण मामलों में बाई, नासिक, कराड आदि स्थानों के ब्राह्मणों की सम्मति लिया करते थे। पंडितराव इस प्रकार बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये ब्राह्मणों को जाति में सम्मिलित करते थे।

कमी-कमी सकेन्दर मठ के महन्त भूमि एव भ्रामो से सम्बन्धित मामलों में भी फैसला देते थे। राजाराम नामक राजा ने श्रीकराचार्य नामक व्यक्ति को एक ग्राम का दान दिया था, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और उसके पाँच सम्बन्धियों ने उस ग्राम पर अपने अधिकार भी अताने आरम्भ कर दिये। यह मामला करवीर के शकराचार्य के समक्ष उपस्थित किया गया, जिन्होंने विज्ञानेश्वर, व्यवहारमयूख एव दानकमलाकर के प्रमाणों के आधार पर यह तय किया कि यद्यपि ग्राम के दान का लेख्य-प्रमाण पाँच व्यक्तियों के नाम से हुआ है किन्तु वास्तविक अधिकारी श्रीकराचार्य ही हैं। इसी प्रकार करवीर मठ के महन्त की एक आज्ञा का पता चला है, जिससे यह व्यक्त होता है कि उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ अन्य ब्राह्मणों को भोजन कर लेने को कहा है। बात यह भी कि उस ब्राह्मण की स्त्री का एक गोसावी से अनुचित सम्बन्ध था। जब ब्राह्मण ने उचित प्रायश्चित्त कर लिया तो महन्त ने उस प्रकार भी आज्ञा निराली। इसी प्रकार बहुत-से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चलता है कि मध्यकाल में शिष्टों, विद्वान् ब्राह्मणों एव महन्तों को बहुत-से ऐसे अधिकार प्राप्त थे, जिनके द्वारा वे धार्मिक आदि मामलों में निर्णय दे सकते थे।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सैकड़ों वर्षों तक विद्वान् ब्राह्मण लोग धार्मिक मामलों एव आचार-सम्बन्धी पापों एवं उनके प्रायश्चित्तों के विषय में निर्णय दिया करते थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पूर्व तक यही दशा थी और विद्वान् ब्राह्मणों, शिष्टों एव आचारवान् धर्मशास्त्रियों से सम्बन्धित परिषदें कठिन एव सशयारमक मामलों में निर्णय दिया करती थी। कुछ दिनों से और वह भी कमी-कमी मठों के महन्त लोग संन्यासी होने के नाते निर्णय देने लग गये। बहुधा शकराचार्य पदधारी व्यक्ति जो धर्मशास्त्र का 'क' अक्षर भी नहीं जानते थे, कुछ स्वार्थी जनों के फेर में पढ़कर अपनी मुहर लगा दिया करते थे। ज्ञास्तव में धार्मिक तथा सशयारमक विषयों का निर्णय विद्वान् लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए।

१७ शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भोद्यान्या अलोलुपा बन्धुवर्षलामनोहृकोपविबर्जिताः। धर्मोपाधिगतो येषां वेदः सपरिवृहणः। शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यसहेतवः॥ बी० घ० सू० १।१।५-६। और देखिए मनु (१।२।१०९) एव वसिष्ठ (६।४३), शिष्टः पुनरकामास्ताः। वसिष्ठ १।६। मिलाइए महाभाष्य, जिल्द ३, पृ० १७४ "एतस्मिन्प्रायःनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भोद्यान्या अलोलुपा अनुह्यमानकारणाः किंचिदन्तरण कस्याश्चिद् विद्यायाः पारणास्तत्रभवन्तः शिष्टाः।"

अध्याय २९

श्रौत (वैदिक) यज्ञ

उपोद्घात

वैदिक साहित्य को मली भाँति समझने, उस साहित्य के निर्माण-काल, विरास एव उसके विभिन्न भागों के स्तरों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत एक निश्चित मान्यता स्थापित करने, धारों वर्णों एवं जाति-व्यवस्था पर उस साहित्य के प्रभाव की जानकारी, ब्राह्मणों के कतिपय उपजातियों में विभाजित हो जाने के कारणों के ज्ञान तथा विभिन्न गोनो एवं प्रबरो के यथातथ्य विवेचन के लिए वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन परमावश्यक है। बहुत-से आरम्भिक यूरोपीय लेखकों ने बिना वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन किये, वेदों का अर्थ केवल व्याकरण, तुलनात्मक भाषाशास्त्र आदि के आधार पर किया, जो आगे चलकर बहुत अशो में भ्रमात्मक सिद्ध हुआ। यूरोपीय विद्वान् वेदों को अति प्राचीन कहने में सकोच करते थे, अतः अधिकांश यूरोपीय भारत-उत्खान्वेषकों ने वैदिक मन्त्रों को ईसापूर्व १५०० वर्षों से पूर्व रचे हुए नहीं माना। इस विषय में सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य एवं भारतीयता के विवेचक एव प्रसिद्ध विद्वान् मैक्स-मुलर से ही मुटि हो गयी और आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ने उन्हीं की बातें दुहरायीं। हम यहाँ वैदिक साहित्य के विभिन्न अंगों के काल विभाजन के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह विषय इस ग्रन्थ की अध्ययन-परिधि के बाहर है। इसमें सन्देह नहीं रह गया है कि वैदिक मन्त्र ई० पू० १५०० के बहुत पहले, अनेक शताब्दियों पूर्व निर्मित हुए थे। वैदिक वाङ्मय में अधिकांश (कुछ सीमा तक ऋग्वेद को छोड़कर) सहिताएँ यज्ञों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी स्वरूपों के आधार पर गठित हैं। विभिन्न यज्ञों के लिए विभिन्न पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी, और ये विभिन्न पुरोहित अपने पास विभिन्न मन्त्रों के साथ रहते थे।

वैदिक यज्ञों के सम्पूर्ण ज्ञान के लिए कतिपय वैदिक सहिताओं, ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों का सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। अंग्रेजी में इस सम्बन्ध की पुस्तकें ये हैं—हाग द्वारा ऐतरेय ब्राह्मण का टिप्पणी सहित अनुवाद, प्रो० इग्नेरिंग द्वारा शतपथ ब्राह्मण का टिप्पणी सहित अनुवाद, प्रो० कीथ लिखित "वेद एवं उपनिषदों का धर्म एवं दर्शन" (रिलिजिएन एण्ड फिलॉसॉफी आव दि वेद एण्ड उपनिषदस) नामक पुस्तक, कृष्ण यजुर्वेद एव ऋग्वेद-ब्राह्मण का अनुवाद, श्री कुन्ते हृत "विसिसिड्-मुहस आव आर्यन् सिविलिजेशन इन इण्डिया" (१८८०), विशेषतः पृ० १६७-२३२। इनके अतिरिक्त सर्वश्री वेबर एव हिल्डेब्रांट ने जर्मन भाषा में वैदिक यज्ञों के विषय में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सर्वश्री वेल्लर एव हेनरी ने अग्निष्टोम पर (१९०६) एक बहुत ही विराद, विद्वत्सापूर्ण एव व्यवस्थित ग्रन्थ का प्रथम फ्रांसीसी भाषा में किया है। इसी प्रकार जर्मन भाषा में प्रो० इमाण्टे हृत 'ल अग्निहोत्र' (१९३९) नामक पुस्तक तथा हिल्डेब्रांट हृत कुछ पुस्तकें अति प्रसिद्ध हैं। इस अध्याय में मौलिक ग्रन्थों के आधार पर ही विवेचन उपस्थित किया जायगा, किन्तु यहाँ-यहाँ आपुनिक लेखकों ने ग्रन्थों की ओर भी संकेत किया जायगा।

जैमिनि ने 'पूर्वमीमांसासूत्र' में भीमांसा-सम्बन्धी सिद्धान्तों के विषय में सहस्रो उक्तियाँ सङ्गृहीत की हैं और कतिपय यज्ञों के विस्तार के विषय में अपने निश्चित निष्कर्ष दिये हैं। इस अध्याय में जैमिनि के निष्कर्षों की विशेष चर्चा की जायगी।

वैदिक अग्निष्टोम एव पारसियों के होम में बहुत-कुछ समता है। पारसियों की प्राचीन धार्मिक पुस्तकों एव वैदिक साहित्य में प्रयुक्त पञ्च-सम्बन्धी शब्दों में जो सादृश्य दिखाई पड़ता है, उससे प्रकट होता है कि पञ्च-सम्बन्धी परम्पराएँ बहुत-प्राचीन हैं, यथा—अयर्वन्, आहुति, उक्थ, बहिसू, मन्त्र, यज्ञ, सोम, सवन, स्टोम, होतृ आदि शब्द प्राचीन पारसी-साहित्य में पाये जाते हैं। यद्यपि वैदिक यज्ञ आजकल बहुत कम किये जाते हैं (दश-पूर्वमास एव चातुर्मास्य को छोड़कर), किन्तु वे ईसा से कई शताब्दियों पूर्व बहुत प्रचलित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना एव प्रसार के कई शताब्दियों उपरान्त भी ये यज्ञ यथावत् चलते रहे हैं, जैसा कि शिलालेखों में दणित राजाजो द्वारा किये गये यज्ञों से पता चलता है। हरिवंश (३।२।३९-४०), मालविकाग्निमित्र (अंक ५, जिसमें राजसूय का वर्णन है), अयोध्या के शुगामिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ५४) में सेनापति पुष्पमित्र द्वारा अश्वमेध (या राजसूय) यज्ञ का वर्णन मिलता है। हाथीगुम्फा अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९) में राजा सारवेल द्वारा किये गये राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जैसा कि कुमारगुप्त के बिलसद अभिलेख से पता चलता है (गुप्त इस्क्रिप्शस, पृष्ठ ४३)। पर्दा दानपत्र में त्रैकूटक राजा दहसेन को अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० ५३)। पीकिर दानपत्र में पल्लव राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले तथा एक अन्य दानपत्र में अग्निष्टोम, वाजपेय एव अश्वमेध नामक यज्ञ करने वाले कहे गये हैं (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० २)। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय (गुप्त इस्क्रिप्शस, सख्या ५५, पृ० २३६) के छम्भक दानपत्र में प्रवरसेन प्रथम बहुत-से श्रौत यज्ञ करने वाला घोषित किया गया है।

अग्नि-यूजा मूल रूप में व्यक्तिगत एव जातीय या वर्गीय रही होगी। आह्निक अग्निहोत्र व्यक्तिगत कृत्य था, किन्तु दश-पूर्वमास के समान सरल इष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी। सोमयज्ञ में १६ पुरोहितों एव अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी और इस प्रकार के यज्ञा में बहुत-से लागू बातें तथा उनका स्वरूप कुछ सामाजिक था। आरम्भिक काल में अग्निहोत्री लोग कम ही रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपेक्षाकृत निर्धन होते हैं और अग्निहोत्री होने से उन्हें घर पर ही रहना पड़ता तथा जीविका कमाने में शकब्दी होती थी। मध्यम वय प्राप्त हो जाने पर ही ब्राह्मणों ने लिए अग्न्याधान की व्यवस्था की (जैमिनि १।३।३ की व्याख्या में शबर)। आह्निक अग्निहोत्र के लिए सैंकड़ों कड़ों (गाय के गोबर से बने उपलो) एव समिधाओं के अतिरिक्त कम-से कम दो गायों की परम आवश्यकता होती थी। अग्निहोत्र की व्यवस्था के लिए तथा दश-पूर्वमास (जिसमें चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है) एव चातुर्मास्य (जिसमें पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है) करने के लिए धनवान् होना आवश्यक है। सोमयज्ञ तो केवल राजाजो, सामन्तों, धनी व्यक्तियों के या जो अधिक धन एकत्र कर सके उसी के बूते की बात थी। राजाजो ने दानपत्रों में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण इस दान से बलि, चरु देगा तथा अग्निहोत्र नरेगा (यथा बुद्धराज ससंघ्नी दानपत्र, सन् ६०९-१० ई०, दामोदरपुर दानपत्र, सन् ४४७-४८ ई०)।^१ मुसलमानों के समय में बादशाहों से ऐसे दान नहीं प्राप्त हो सकते थे, अतः वैदिक यज्ञों की परम्पराएँ समाप्त-सी हो गयीं। हाल के लगभग सौ वर्षों के भीतर वैदिक यज्ञ बहुत ही कम किये गये हैं। ऋग्वेद (१०।१०।१६) ने यज्ञों को प्रथम धर्मो अर्थात् कर्तव्यों में गिना है और धर्मशास्त्र जैसे विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ में उनकी चर्चा होनी चाहिए। अतः सशेष में, हम यहाँ वैदिक यज्ञों का वर्णन करेंगे।

१. देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ६, पृ० २९१, 'बलिचरुचरुवेदवाग्निहोत्राविक्रियोत्सर्पणधर्मं' (ससंघ्नी दानपत्र); वही, जिल्द १५, पृ० ११३ 'अग्निहोत्रोपयोगाय' (पृ० १३०), 'पञ्चमहायज्ञप्रवर्तनाय' (पृ० १३३), 'बलिचरुचरुप्रवर्तनगव्यधूपपुष्यमधुपर्कवीपाद्युपयोगाय' (पृ० १४३)—दामोदरपुर दानपत्र।

प्राचीन काल में विद्ये जाने वाले यज्ञों का वर्णन श्रौतसूत्रों में विरल रूप में पाया जाता है। श्रौतसूत्र तो वैदिक यज्ञ करने वाली के लिए मानों व्यावहारिक चर्चाएँ या पद्धतियाँ मात्र हैं और उनमें प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों के उद्धरण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। हम यहाँ केवल कुछ ही वैदिक यज्ञों का वर्णन उपस्थित करेंगे और बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है केवल उनके रूप का परिदर्शन मात्र कर देना। हम यहाँ आश्वलायन, आपस्तम्ब, शतव्यायन, बोधायन एवं सत्यापाठ के श्रौतसूत्रों के आधार पर ही अपना विवेचन उपस्थित करेंगे, कहीं-कहीं सहिताश्रौत एवं ब्राह्मणों की ओर भी संकेत किया जाता रहेगा। स्थानाभाव के कारण हम सूत्रों के परस्पर विभेदों, पद्धतियों के अन्तरो एव आपुनिक व्यवहारों की चर्चा करने में सकोच करेंगे। चारणगी से नागेश्वर धारत्री ने 'श्रौतपदार्थ-निर्वचन' नामक एक सग्रह प्रकाशित किया है, जो कई अर्थों में बड़ा उपयोगी है, किन्तु अभाष्यवरा सग्रहकर्ता ने जो उद्धरण दिये हैं उनका स्थूल-संवेत नहीं दिया, अर्थात् यह नहीं लिखा कि ये उद्धरण किस श्रौतसूत्र में कहीं पर हैं। पूना के भीमासा-विद्यालय ने वैदिक यज्ञों के काम आनेवाले पात्रों के नामों की सूची बनायी है और पात्रों एवं वेदियों के चित्र एवं मान-चित्र उपस्थित किये हैं। इस अध्याय में चातुर्मास्यों, पशुबन्ध, ज्योतिष्योम का वर्णन एवं दश-पूर्णमास का विवेचन भी विस्तार से किया जायगा तथा अन्य यज्ञ सक्षिप्त रूप से वर्णित होंगे।

ऋग्वेद में श्रौत यज्ञ

जिन दिनों ऋग्वेद के मन्त्रों का प्रणयन एवं सग्रह हो रहा था, उन्हीं दिनों यज्ञों के प्रमुख प्रवार (लक्षण) भी प्रकट होते जा रहे थे। तीन अग्नियाँ प्रकट हो चुकी थी। ऋग्वेद (२।३६।४) में अग्नि को तीन स्थानों पर बैठने को कहा गया है। 'ऋग्वेद (१।१५।४ एवं ५।२।२) में यह भी आया है—मनुष्य तीन स्थानों पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ऋग्वेद (१।१५।१२) में 'गार्हपत्य' नामक अग्नि का नाम भी आ गया है।' ऋग्वेद में तीन सवनों (प्रातः, मध्याह्न एवं सायं में सोम का रस निचालने) का वर्णन आया है, यथा—ऋग्वेद ३।२।८।१ में प्रातःसवन, ३।२।८।४ में मध्याह्निक सवन, ३।२।८।५ में तृतीय सवन। ऋग्वेद के ३।५।२।५-६ एवं ४।१।२।१ में आया है कि सभी दिनों में यज्ञ द्वारा अग्नि को तीन बार भोजन मिलता है। और भी देखाएँ ऋग्वेद (४।३।३।१)। सोमयज्ञ में कार्य करने के लिए १६ पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। मन्त्रवत् इनमें सभी विविध नाम ऋग्वेद

२. श्रौत यज्ञों में 'आहवनीय', 'गार्हपत्य' एवं 'दाक्षिणाग्नि' नामक तीन अग्नियाँ प्रज्वलित की जाती हैं।

३. सोलह पुरोहित या ऋत्विक् वे हैं—'होता मंत्रावरणोऽच्छावाको प्रास्तुदध्ययुः प्रतिप्रस्थाता मेष्टीश्रेता ब्रह्म ब्राह्मणव्यस्यानीन्द्र पोतोदगाता प्रस्तोता प्रतिहता सुबहृष्य इति।' शतव्यायनश्रौतसूत्र ४।१।६, आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र १।०।१।९। इनमें होता, अध्वर्यु, ब्रह्मण एव उद्गाता चार प्रमुख पुरोहित हैं और उपर्युक्त सूची में इन चारों में 'प्रत्येक' के आगे के तीन पुरोहित उसके सहायक होते हैं। इस प्रकार कुल १२ पुरोहित सहायक हुए। चारों प्रमुख ऋत्विकों के कार्य ऋग्वेद (१।०।७।१।१) में वर्णित हैं। ऋग्वेद (२।४।३।१) में हमें सामो (सामवेद के मन्त्रों) के गायक की चर्चा मिलती है। अग्निहोत्र में केवल अध्वर्यु की आवश्यकता पड़ती है। आन्वयेय, दश-पूर्णमास एवं अन्य इष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है, यथा—अध्वर्यु, आग्नीध्र, होता एवं ब्रह्म। चातुर्मास्यों में पाँच पुरोहितों की, यथा दश-पूर्णमास के चार पुरोहित तथा प्रतिप्रस्थाता। पशुबन्धयज्ञ में मंत्रावरण नामक एक छठा पुरोहित भी रहता है। सोम यज्ञों में सभी १६ पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। शतवेय नामक चातुर्मास्य में आग्नीध्र को 'ब्रह्मपुत्र' (बेसिए आश्व० बी० २।१।८।१२) नाम से सम्बोधित किया जाता है। पुरोहितों की आवश्यक संख्या के विषय में बेसिए संसिरीय ब्राह्मण (२।३।६) एवं बीया० बी० (२।३)। कुछ लोगों ने एक सत्रहवाँ पुरोहित

में प्राप्त हो जाने हैं, यथा ऋग्वेद (१।१६२।५) में होता, अध्वर्यु, अग्निमिन्ध (अग्नीत् या आग्नीध्र), प्रावपाम, (भावस्तुत्), शस्ता (प्रशास्ता या मैत्रावरुण), सुविप्र (ब्रह्मा ?), ऋग्वेद (२।१।२) में होता, नेप्ता, अग्नीत्, प्रशास्ता (मैत्रावरुण), अध्वर्यु, ब्रह्मा, ऋग्वेद (२।३६) में होता, पोता (२), आग्नीध्र (४), ब्राह्मण (ब्राह्मणाच्छती), एव प्रशास्ता (६)। इग्वेद (२।४३।२) में उद्गाता का नाम आया है। ऋग्वेद (३।१०।४, १।१०।७, १०।३।५।१०, १०।६।१।१) में सात होताओं की चर्चा हुई है, और ऋग्वेद (२।५।२) में पोता को आठवीं पुरोहित कहा गया है। ऋग्वेद में 'पुरोहित' शब्द अनेक बार आया है (१।१।१, १।४।४।१० एव १।२, ३।२।८, १।६।६।२०, १०।९।८।७)। ऋग्वेद ने अतिरात्र (७।१०।३।७), त्रिवद्रुक (२।२।२।१, ८।१३।१।८, ८।९।२।२।१, १०।१।४।१।६) के नाम लिये हैं। ऋग्वेद (१।१ ६।२।६) में मूष (जिसमें बलि का पशु बाँधा जाता था) एव उसके शीर्षभाग चपाल का वर्णन आया है। ऋग्वेद का ३।८ वाला अक्ष मूष की प्रशंसा से मरा पडा है। जिस व्यक्ति ने यज्ञ के पशुको मारा (शमिता) उसका वर्णन यज्वेद (१।६।२।१० एव ५।४।३।४) में हुआ है। धर्म (प्रवर्ष्य कृत्य के लिए उबले हुए दूध के पात्र या सम्भवतः माध्यन्दिन सवन में दधिधर्म) का उल्लेख ऋग्वेद (३।५।३।१४, ५।३।०।१।५, ५।४।३।७) में हुआ है। ऐसा विश्वास था कि यज्ञ में बलि किया हुआ पशु स्वर्ग में चला जाता है (ऋग्वेद १।१६।२।२।१, १।१६।३।१।३)। दो अरणिशा के धर्षण से यज्ञानि उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद ३।२।९।१।३, ५।१।३, ६।४।८।५)। दर्वी (ऋग्वेद ५।६।९), लुक (ऋ० ४।१।२।१, ६।२।५), जुहू (ऋ० १०।२।१।३) का उल्लेख हुआ है। दोनों की प्रशंसा में भी ऋग्वेद में मन्त्र आये हैं (ऋ० १।१२।६।३, ८।५।३।७)। ऋग्वेद (३।५।३।३) में होता (वाहाव) का आह्वान तथा अध्वर्यु (प्रतिगर) द्वारा स्वीकृति का उत्तर स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऋग्वेद (१०।११।४।५) में सोम के बारहों प्रहों (पानो या कलशो) का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१।२।८।१-२) में चौबी सतह वाले पत्पर (बाषा) का, जिस पर सोम के डण्डल कूटे जाते थे, वर्णन है, इसी प्रकार लल का, जिसमें सोम का चूर्ण बनाया जाता था, तथा अधि-षयण का, जिस पर सोम का रस निकाला जाता था। सोम पीने के उपयोग में आने वाले घमस (चम्मच) नामक पात्र का भी उल्लेख हुआ है (ऋ० १।२।०।६, १।११।०।३, १।१६।१।१ एव ८।३।२।७)। सोमयज्ञ के अन्त में किये जाने वाले अवभृथ स्नान की चर्चा ऋग्वेद (८।९।३।२।३) में हुई है। ऋग्वेद के दस आग्नी मन्त्रों से पता चलता है कि श्रौत सूत्रों में वर्णित पशु-यज्ञ के बहुत से लक्षण उस समय प्रचलित हो गये थे।

श्रौतकृत्यों के कुछ सामान्य नियम—आगे कुछ लिखने के पूर्व श्रौत कृत्यों के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी करा देना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में आश्वलायनश्रौतसूत्र (१।१।८-२२) पठनीय है। जब तक कहा न जाय, याज्ञिक को सदैव उत्तरामिमुख रहना चाहिए, पत्नी मारकर (ध्यत्यस्तापद अर्थात् एव पर को दूसरे के साथ मोडकर) बैठना चाहिए, और यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ के उपयोग में आने वाली सामग्री, यथा कुश आदि) को पूर्व-मिमुख करने रखना चाहिए। जब तक निवीत या प्राचीनावीत ढग से पहनने को न कहा जाय तब तक यज्ञोपवीत को उपवीत ढग से पहने रहना चाहिए। जब तक किसी अन्य शरीररग का नाम न लिया जाय दाहिने ओपों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए (यथा हाथ, पैर, अंगुली)। जब 'ददाति' शब्द कहा जाय तो इसे यजमान (याज्ञिक) के लिए ही प्रयुक्त समझना चाहिए। कात्यायनश्रौतसूत्र (१।१।०।१२) के मतानुसार 'वाचयति' शब्द का संकेत है यजमान की

भी जोड़ दिया है, यथा सवस्य। ऋ० (२।३) में तो उसे तीन सहायक पुरोहित भी वे दिये हैं, किन्तु शतपथ ब्राह्मण (१०।४।२।१।९) में सत्रहवें पुरोहित की नियुक्ति को वर्जित माना है। यज्ञ में ऋत्विकों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी होते हैं, यथा शमित, चमसाध्वर्यु। आय० श्रौ० (१।३-६) में त्रिकद्रुक को ज्योति, गोः एवं आयु कहा गया है।

और जब कि वह दान देता है या मन्त्रोच्चारण करता है, यही बात अन्वारम्भण या वरदान के चुनाव या व्रत (सत्यता आदि) करने में या ऊँचाई लेने (याज्ञिक की ही ऊँचाई माप-दण्ड का कार्य करती है) के सिलसिले में समझनी चाहिए। जब बिना कर्ता का नाम लिये किसी वृत्त का वर्णन होता है तो वहाँ अध्वर्यु को ही कर्ता समझना चाहिए, प्रायश्चित्तों के विषय में 'जुहोति' एवं 'यजति' शब्दों का सम्बन्ध है ब्रह्मा पुरोहित (ऋत्विक्) से। जब केवल एक ही 'पाद' का उल्लेख किया जाय, तो इसका तात्पर्य है सम्पूर्ण मन्त्र या उच्चारण करना। जब किसी कृत्य में केवल आरम्भिक शब्द व्यक्त किये गये हों तो उससे यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण सूक्त का उच्चारण करना है। जहाँ एक पाद से कुछ अधिक कहा गया हो वहाँ यह समझना चाहिए कि आगे के अन्य दो मन्त्र (कुल मिलाकर तीन मन्त्र) भी पढ़े जाने हैं। जप, आमन्त्रण, अनिमन्त्रण, आप्यायन, उपस्थान के मन्त्र और वे मन्त्र जो किये जाने वाले कृत्य की ओर सनेत करें, उपाशु ढग (मन्द स्वर) से कहे जाने चाहिए। सामान्य नियम (प्रसंग) से विशिष्ट नियम (अपवाद या विशेष विधि) अधिक शक्तिशाली समझा जाता है।

कुछ अन्य सामान्य सिद्धान्त—याग (यज्ञ) में द्रव्य, देवता एवं त्याग तीन वस्तु मुख्य हैं, अतः याग का तात्पर्य है देवता के लिए द्रव्य का त्याग। होम का अर्थ है किसी देवता के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति। यज्ञतिर्था (यज्ञ-सम्बन्धी कृत्य), जिनके लिए कोई फल नहीं मिलता, याग के प्रमुख अंग हैं। मन्त्रों की श्रेणियाँ चार हैं, ऋक्, यजु, साम एवं निगद, जिनमें ऋक् तो मात्रिक है, यजु के लिए मागाबद्ध या छन्दबद्ध होना आवश्यक नहीं है, किन्तु वे पूर्ण वाक्य के रूप में अवश्य होते हैं (कात्या० १।३।२), साम का गायन होता है, निगद को मंत्र कहते हैं, अर्थात् ऐसे शब्द जो किसी को कोई कार्य करने के लिए सम्बोधित किये जाते हैं, यथा 'प्रोक्षणीरासादय', 'सुव सम्भृद्भि' (कात्यायन० २।६।३४)। निगद, वास्तव में यजु ही होते हैं, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि निगदों का उच्चारण जोर से किन्तु यजु का धीरे से होता है। जैमिनि (२।१।३८-४५) ने साधारण यजु एवं निगद के अन्तर को समझाया है और ऋक्, साम एवं यजु के भेदों को भी प्रकट किया है (२।१।३५-३७)। ऋग्वेद एवं सामवेद के पद जोर से, किन्तु यजु के मन्द स्वर से (कुछ पदों को छोड़कर, यथा—'आभृत' अर्थात्—'आधावय' के समान अन्य, 'प्रत्याभृत' अर्थात्—उत्तर—'अन्तु श्रौपट', 'प्रवर-मन्त्र' अर्थात्—'अग्निदेवो होता' आदि, सवाद अर्थात् प्राग्गार्ग्ये एवं आजार्ग्ये—'यया मी पानी छिडवू ? मी, छिडको', सम्प्रैप अर्थात्—कुछ करने के लिए बुलाना, यथा 'प्रोक्षणीरासादय') कहे जाते हैं। उच्च स्वर तीन प्रकार के होते हैं—अति उच्च, मध्यम उच्च एवं क्षम उच्च। सामिधेयी पद मध्यम स्वर से उच्चारित होते हैं। ग्योनिष्ठोम एव प्रातः मचन म अग्न्याधान से लेकर आन्यभाग तक मन्द स्वर में किन्तु दश-पूर्णांश से वृत्तों में आन्यभाग से लेकर स्वित्पटवृत्त तक मभी मन्त्र मन्द स्वर में उच्चारित होते हैं। स्वित्पटवृत्त के उपरान्त दश-पूर्णांश तथा तृतीय सवन के मभ मन्त्र उच्च स्वर में कहे जाते हैं। ऊपर वह स्थल है जहाँ वेदी की घूल घटोरवर (बुहारवर) रखी जाती है, आहवनीय से उत्तर के पक्ष में रखा गया जल प्रणीता पहलाता है। याज्ञिक स्थल, जहाँ अग्नि प्रज्वलित रखी जाती है, बिहार कहा जाता है। इष्टिय। में बिहार से आना-जाना प्रणीता एव उत्तर के बीच से होता है (अर्थात् उत्तर से पूर्व एवं प्रणीता से पश्चिम), किन्तु अन्य स्थितियों में उत्तर एवं चात्वाल के बीच से होता है (आश्व० १।१।४-६ एवं कात्यायन० १।३।४२-४३)। बिहार की ओर जाने में इस मार्ग को या पथ को तीर्थ कहा जाता है। चात्वाल वह गद्दा है जो सोम एव यजु-यगो में आवरण माना जाता है। बहुत-से पाशों एवं वस्त्रों की आवश्यकता होती है, जिनमें सुव सदिर नामक बाण्ड से बनाया जाता है। सुव एवं अरली (हाथ भर) लम्बा होता है और उसका मुँह गोलान्तर एव अगूठे के बराबर होता है। सुक् (आहुति देने वाली सुची दर्वी या चमत्त=चम्मच) एक हाथ लम्बा होता है और उगता मुँह इनेनी की भाँति होता है, किन्तु निराम हग की चौच से गमान होता है। सुक् तीन प्रकार का होता है—जुहू (दर्वी) जो पलाश का बना होता है, उपभृत जो पीपल से बना होता है तथा ध्रुवा जो विषवत बाण्ड से बना

होता है। अन्य याज्ञिक पात्र (विककत के बने होते हैं। किन्तु वे पात्र, जिनका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता वरुण वृक्ष से बने होते हैं। 'स्य' नामक तलवार खदिर की बनी होती है। मुख्य-मुख्य यज्ञपात्र या यज्ञायुध नीचे पाद-टिप्पणी में दिये गये हैं।

सभी प्रकार के स्स्कार (यथा अविश्रयण, पर्यग्निकरण, किसी यज्ञपात्र का गर्म करना आदि) गार्हपत्य अग्नि (जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ बहाना न जाय) में किये जाते हैं, किन्तु हवि का पकाना या तो गार्हपत्य अग्नि में या आहवनीय में अपनी शाखा या सूत्र के अनुसार होता है। जब किसी विशिष्ट वस्तु का नाम न लिया गया हो तो होम घृत से किया जाता है। इसी प्रकार जब कोई दूसरी बात न कही जाय सभी प्रकार के होम आहवनीय में किये जाते हैं, और जूहू का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है (कात्या० १।८।४४-४५)। जो कृत्य ऋग्वेद के मन्त्रों से किये जाते हैं उनमें होता रहता है, इसी प्रकार यजुर्वेद के मन्त्रों के साथ अध्वर्यु, सामवेद के मन्त्रों के साथ उद्गाना तथा ब्रह्मा सभी वेदों के मन्त्रों के साथ रहता है (ऐतरेय ब्राह्मण २५।८)। पुरोहित का कार्य केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं (जैमिनि १२।४।४२-४७)। याज्ञिक की पत्नी गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके बैठती है (कात्या० २।७।१)। किसी इष्टि या कृत्य के आरम्भ में पाँच प्रकार के भू-स्स्कार आहवनीय के खर (मृत्तिकासचय या बेदी) तथा दक्षिणाग्नि पर किये जाते हैं और वे ये हैं—(१) परिसमूहन (गैले हाथ से बुहारना) जो पूर्व से उत्तर तक तीन बार किया जाता है, (२) योमय-उपलेपन (योवर से तीन बार लीपना), (३) स्फ्य (लकड़ी की तलवार) से दक्षिण से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तीन रेखाएँ खीचना, (४) अगूठे एव अनामिका अगुली से रेखाओं की मिट्टी हटना तथा (५) तीन बार अभ्युक्षण करना (जल छिड़कना)।

अग्न्याधेय (अग्न्याधान)

गीतम (८।२०-२१) ने सात हविर्यज्ञ एव सात सोमसत्याजो के नाम गिनाये हैं। अग्न्याधेय सात हविर्यज्ञों में प्रथम हविर्यज्ञ है। यह एक इष्टि है। 'इष्टि' शब्द का अर्थ है ऐसा यज्ञ जो यजमान (याज्ञिक) एव उसकी पत्नी द्वारा

४. तैत्तिरीय संहिता (१।६।८।२-३) के मत से दस यज्ञायुध ये हैं—“द्यो वं दश यज्ञायुधानि वेद मुखतोत्य यज्ञः कल्पते स्पन्दक कपालानि चाग्निहोत्रहृषणो ष शुर्षं च कृष्णाग्नि च शम्पा चोल्लूल च मुसल च द्युष्वोपला चंतानि च दश यज्ञायुधानि।” इस विषय में शतपथब्राह्मण (१।१।१२२) एवं कात्या० (२।३।८) भी इष्टव्य हैं। इन मुख्य दस यज्ञपात्रों के अतिरिक्त अन्य हैं—जूहू, उपभृत, लुक, श्रुवा, प्राशित्रहरण, इडापात्र, मेसण, पिष्टोद्भिनी, प्रणीतप्रणयन, आज्यस्थाली, वेद, वाहपात्रो, योवर, वेदपरिवासन, धुष्टि, इष्मप्रव्रचन, अग्वाहार्यस्थाली, मदन्ती, फलेकरणपात्र, अन्तर्याकत (देखिए कात्या० १।३।३६ पर भाष्य, जिसमें इन उपकरणों के आकार, नाम एव जिनसे वे बनते थे उन वस्तुओं के नाम आदि विषे हुए हैं)। पवित्र अग्निघों को प्रज्वलित करने वाला जब मर जाता है तो वह वैदिक अग्निघों एवं सारे यज्ञपात्रों (यज्ञायुधों) के साथ जला दिया जाता है (आहिताग्निप्रनिर्ब्रह्मन्ति प्रशश-त्रंश—शाबर, जैमिनि १।३।३४)। इसी को पात्रो का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पात्र व्यक्तिके शव के विभिन्न अंगों पर (यथा जूहू वाहिने हाथ में, उपभृत बायें हाथ में, श्रुवा घड में आदि) रते जाते हैं और उन्हें शव के साथ भस्म कर दिया जाता है। इस प्रकार यज्ञपात्रों की अन्तिम प्रतिपत्ति वा 'पति' होती है।

५. अग्न्याधेय के पूर्ण विवेचन के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।२-१०, १।२।१; शतपथ ब्राह्मण २।१ एवं २; आश्व० २।१।९; आप० ५।१-२२; कत्या० ४।७-१०; शौपा० २।६-२१।

चार पुरोहितों की सहायता में सम्पादित होता है। 'इष्टि' का नमूना आगे चलकर दश-पूर्णांश के साथ उपस्थित किया जायगा। अग्न्याधेय में दो दिन लग जाते हैं। प्रथम दिन (जिसे उपवसप कहा जाता है) आरम्भिक कृत्यों में निवृत्त जाता है और दूसरा दिन प्रभुत कृत्यों के सम्पादन में बीत जाता है। इसका सम्पादन दो बार दिया जाता है, (१) यह निम्नोक्त सातों नक्षत्रों में किसी को उपयुक्त मानकर दिया जा सकता है, यथा—कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तरा भाद्रपदा। आपस्तम्ब ने अन्य नक्षत्रों के भी नाम दिये हैं, यथा—हस्त, चित्रा आदि, तथा कुछ ऐसे नक्षत्रों के भी नाम हैं जिनमें विशिष्ट फलों की अभिरक्षा लेकर यजमान इस इष्टि का सम्पादन कर सकता है (५।३।३-१४)। शतपथब्राह्मण (२।१।२।१७) एवं आप० (५।३।१३) के मत से क्षत्रिय को चित्रा नक्षत्र में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। (२) द्वितीय बार अग्न्याधेय ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा उपन्युक्तों (जो द्विजाति नहीं हैं, किन्तु वैदिक यज्ञ कर सकते हैं, आश्व० २।१। इन्हें बड़ईगिरी करने वाला बंद्य भी कहा जाता है) द्वारा त्रय से वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा या पतञ्जल में किसी पर्व के दिन दिया जा सकता है। विन्तु ऋतुओं के चुनाव में उपर्युक्त वर्णित नक्षत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सम्पादन-काल के लिए देखिए आप० (५।३।१७-२०), जैमिनि (२।३-४), तै० ब्रा० (१।१।२), शतपथ० (३।१।२।१९ एव १।१।१।१७)। कठिनाई उपस्थित होने पर अग्न्याधेय किसी भी ऋतु में सम्पादित हो सकता है। यदि किसी ने सोमयज्ञ करने की ठान ली है तो उसे ऋतु या नक्षत्र की बाँ जोहने की आवश्यकता नहीं है। अग्न्याधेय करने वाले को न तो बहुत छोटा और न बहुत बड़ा होना चाहिए।

अग्न्याधेय का तात्पर्य है गार्हपत्य एवं अन्य अग्नि्यों को स्थापित करने के लिए प्रज्वलित अगारों को विशिष्ट मन्त्रों के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना। अरणिग्यो (लम्बी के दो कुम्भों) के लाने से लेकर पूर्णाहुति तक के बहुत-से कृत्य अग्न्याधेय में सम्मिलित हैं। पूर्णाहुति के उपरान्त कृत्य करने वाला व्यक्ति आहिताग्नि की काटि (जिसने वैदिक अग्नियाँ प्रज्वलित कर ली हैं) में आ जाता है। अग्न्याधेय सभी यज्ञ-सम्बन्धी कृत्यों के लिए सम्पादित होता है, न कि केवल दश-पूर्णांशोष्टि करने के लिए दिया जाता है (जैमिनि ३।६।१४-१५, १।३।२)। 'यो अश्वत्थः शमीगर्भः' नामक मन्त्र के साथ जमी बूटा की छाया में उगने वाले अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष की दो अरणिग्यों को यजमान अध्वर्यु के द्वारा घर लाता है (आश्व० २।१।१७)। इसके उपरान्त अरणिग्यों के छांटने एवं उनकी लम्बाई आदि की विधियाँ बतायी गयी हैं, जिन्हें हम स्थानान्तरण के कारण छोड़ रहे हैं। अध्वर्यु वेदी पर सात भौमिक एवं सात वायु-सम्बन्धी उपकरण लाता है या प्रत्येक की पाँच बस्तुएँ या आठ भौमिक उपकरण एकत्र करता है। आठ भौमिक पदार्थ ये हैं—बालू, क्षार मिट्टी, चूहे के बिल की मिट्टी, बरसीक की मिट्टी, न सूखने वाले जलाशय के तल की मिट्टी, सूजर से सोयी गयी मिट्टी, ककड़ एवं सोना (आप० ५।१।४)। सात वायु-सम्बन्धी पदार्थ ये हैं—अश्वत्थ, उदुम्बर, पर्ण (पत्तार), शमी, विषकत, विद्युत्, अण्ड या सुदार से भारे हुए कृष के दूधड़े एवं पाज की एक पत्ती। वीगा० (२।१२) ने इन पदार्थों को दूसरे ङ्ग से वर्णित किया है। यजमान देवयजन (पूजा) के लिए एक उच्च स्थल का निर्माण करता है जो पूर्व की ओर ढालू होता है, उस पर जल छिद्रकता है और मन्त्रोच्चारण आदि करता है। उत्तर या पूर्व की ओर प्रभुत बसि की नोक झुकाकर वेदी के ऊपर एक छाजन (मण्डप) पर दिया जाता है। छाजन के मध्य के एक ओर गार्हपत्य अग्नि का आयतन (स्थल) रहता है, गार्हपत्य अग्नि के पूर्व आहवनीय अग्नि रहती है जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए क्रम से गार्हपत्य अग्नि स आठ, गार्ह एव बारह प्रक्रमों (एक प्रक्रम दो या तीन पदों के बराबर होता है) की दूरी पर रहती है, या सभी के लिए २४ पदों की दूरी होनी चाहिए। दक्षिणाग्नि गार्हपत्य के निवृत्त दक्षिण-पश्चिम दिशा में गार्हपत्य एवं आहवनीय की दूरी की तिहाई दूरी पर हाती है। बड़े-बड़े यज्ञों में आहवनीय एवं गार्हपत्य नामक अग्निग्यों के लिए पुष्य-पुष्य मण्डप बने होते हैं किन्तु दश-पूर्णांश ऐसे साधारण यज्ञों में तीनों प्रकार की

अग्निर्वा एक ही मण्डप के भीतर प्रतिष्ठित की जाती हैं। इन तीन अग्नियों में केवल वैदिक क्रियाएँ या कृत्य ही सम्पादित हो सकते हैं, उनमें साधारण भोजन नहीं पकाया जा सकता और न अन्य लौकिक उपयोग में आने वाले कार्य ही किये जा सकते हैं (जैमिनि १२।२।१-७)। गार्हपत्य अग्नि को प्राजहित अग्नि भी कहा जाता है (जैमिनि १२।१।-१३) तथा दक्षिणाग्नि को अन्वाहार्यपचन, क्योंकि इसी पर चावल पकाकर अमावस्या के दिन 'पिण्ड पितृयज्ञ' किया जाता है।

यजमान सिर मुँढाकर एव नख कटाकर स्नान करता है। उसकी पत्नी भी मुँढन के सिवा वही करती है। पति-पत्नी दो-दो रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जो अग्न्याधेय यज्ञ के उपरान्त अध्वर्यु को दे दिये जाते हैं। यजमान को अग्न्याधेय करने का सबल्प करना चाहिए और अपने पुरोहितों का चुनाव (ऋत्विग्-वरण) उचित मन्त्रों के उच्चारण के साथ उनके हाथों को स्पर्श करके करना चाहिए तथा उन्हें मधुपर्क देना चाहिए (आप० १०।१।१३-१५)। दोषहर के उपरान्त (अपरारह्णु में) जब सूर्य वृक्षों के ऊपर चला जाय तो अध्वर्यु को चाहिए कि वह औपासन (गृह्याग्नि) का एक अंश ले आवे और ब्राह्मोदनिक (जो ब्राह्मोदन के लिए तैयार किया जाता है) नामक अग्नि गार्हपत्य अग्नि वाले स्थल के पश्चिम की ओर प्रज्वलित करे या घष्यं से ही अग्नि उत्पन्न करे। इसके उपरान्त उसे स्थण्डिल (बालू आदि की बेदी) बनाना चाहिए और उस पर पश्चिम से पूर्व तीन रेखाएँ तथा दक्षिण से उत्तर तीन रेखाएँ खींच देनी चाहिए। स्थण्डिल पर जल छिड़कने के उपरान्त औपासन अग्नि से जलते हुए कोयले लाकर खींची हुई रेखाओं पर रख देने चाहिए। यदि वह सम्पूर्ण औपासन अग्नि उठा लेता है तो उसे चाहिए कि उदुम्बर की दो पत्तियों में एक पर जो की रोटी तथा दूसरी पर चावल की रोटी लेकर उन्हें ब्राह्मोदनिक अग्नि के स्थल पर रख दे (जो की रोटी को पश्चिम तथा चावल वाली को पूर्व की ओर) और तब उन पर अग्नि रखे। अध्वर्यु रात्रि में ब्राह्मोदनिक अग्नि के पश्चिम बैल की लाल खाल पर, जिसका मुख पूर्व की ओर रहता है और बाल वाला भाग ऊपर रहता है, या बाँस के बरतन में चावल की चार थालियाँ रखता है। यह कार्य मन्त्रों के साथ या मौन रूप से ही किया जाता है। वह चार बरतनों में पानी के साथ चावल या जो पकाता है। पकें भोजन (ब्राह्मोदन) से दवाँ (करछुल) द्वारा कुछ निकालकर अग्नि को देता है और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋ० ५।१५।१, तै० ब्रा० १।२।१)। उसे "यह ब्रह्मा के लिए है, मेरे लिए नहीं" कहना चाहिए। चार थालियाँ में पना भोजन रखकर तथा उस पर पर्याप्त मात्रा में धी डालकर उन्हें (थालियों को) ऋषियों के बराबर चार पुरोहितों को देना है। दोष भोजन (ब्राह्मोदन) बरतनों से निकालकर तथा उस पर शेष धी गिराकर तथा उसमें चित्रिय अश्वत्थ की एक बित्ता वाली गीली तीन समिधाओं को पत्तियों सहित डुबाकर अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसा करते समय ब्राह्मणों के लिए तीन गायत्रियाँ (अग्नि को सम्बोधित कर), ऋषियों के लिए तीन त्रिष्टुप् तथा वैश्यों के लिए तीन जगतिमाँ कही जाती हैं (आप० ५।६।३)।

जिस समय अग्नि में समिधा डाली जाती है, यजमान द्वारा अध्वर्यु को तीन बछड़े तथा उतने ही बछड़े ब्राह्मोदन खाने वाले अन्य सभी ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। अग्न्याधान की तिथि के पूर्व एक वर्ष तक बछड़ों के दान एव समिधा-आहुति के साथ इस प्रकार ब्राह्मोदन सम्पादित किया जाता है। अग्न्याधेय के दिन से १२, ३, २ या १ दिन पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को, जो तीन पवित्र अग्निर्वा स्थापित करना चाहता है, इस प्रकार की समिधाओं की आहुति देनी पडती है। यजमान कुछ व्रत करता है, यथा—मास-न्याग, ब्रह्मचर्य, पर की अग्नि किसी को न देना, केवल दूध या मात पर तीन दिनों तक रहना, सत्य बोलना, पृथ्वी पर सोना आदि। यदि किसी कारणवश यजमान वर्ष (या १२ दिन आदि) में ब्राह्मोदन के उपरान्त अग्न्याधेय नहीं करता है तो उसे पुन ब्राह्मोदन पकाना पडता है तथा समिधाएँ बालनी पडती हैं, तब कहीं वह अग्न्याधान सम्पादित कर पाना है। अग्न्याधान-दिन के पूर्व की रात्रि में अध्वर्यु तथा अन्य पुरोहित भी कुछ व्रत करते हैं, यथा—मास-न्याग तथा सभोग से दूर रहना। उस रात्रि काले घन्बों वाली एक बनरी गार्हपत्य अग्नि के लिए

बने स्थल के उत्तर बाँध रखी जाती है। उस रात्रि में यजमान मौन रहता है और अन्य लोग उसे बांसुरी-वीणा आदि बजाकर जगाये रखते हैं (विकल्प मी है, वह मौन तथा जगा नहीं भी रह सकता है)। यजमान रात्रि भर जागकर ब्राह्मी-दैनिक अग्नि में लकड़ियाँ डाला करता है। यदि वह रात्रि भर जागना न चाहे तो एक बार ही बहुत-सी लकड़ियाँ डाल देता है। प्रातःकाल अर्घ्य अग्नि में दो अरण्याँ गर्म करता है और मन्त्रोच्चारण करता है (तै० ब्रा० १।२।१)। इसके उपरान्त ब्राह्मीदैनिक अग्नि बुझा दी जाती है और दोनों अरणियों का आवाहन किया जाता है। अर्घ्य उन्हे यजमान को दे देता है। यह सब मन्त्रोच्चारण के साथ होता है। इसके उपरान्त अर्घ्य गार्हपत्य अग्नि के लिए स्थल की व्यवस्था करता है और उस पर जल छिड़कता है। यही क्रिया वह दक्षिणाग्नि (दक्षिण-पश्चिम दिशा में), आहवनीय, सम्भ्य एवं आवसस्य नामक अग्निओं के स्थलों (आयतनों) के लिए करता है। सम्भारो (सामग्रियों) के साथ आनीत बालू के आधे भाग का एक भाग गार्हपत्य तथा दूसरा भाग दक्षिणाग्नि के स्थलों पर बिखेर दिया जाता है। शेष बालू को तीन भागों में बाँट आहवनीय, सम्भ्य तथा आवसस्य नामक अग्निओं के स्थलों में बिखेर दिया जाता है। यदि सम्भ्य एवं आवसस्य अग्निओं को जलाना न हो तो बालू को आहवनीयाग्नि के स्थल पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य सामग्रियों (सम्भारों) अग्निओं के स्थलों पर रख दी जाती हैं। इन कृत्यों के साथ यथोचित मन्त्रों का उच्चारण भी होता रहता है। विभिन्न स्थलों पर घूने के प्रस्तरखण्डों 'एव हेलो को रखकर वह अपने शत्रु का स्मरण करता है। ब्राह्मीदैनिक अग्नि की राख को हटाकर वह वहाँ दोनों अरणियों को रखकर धर्म से अग्नि उत्पन्न करता है। जब सूर्य पूर्व में निकलने को रहता है, उसने पूर्व ही वह ऊपर की ओर की नीचे रख देता है और 'दश-होतु' नामक सूक्त पढ़ता है। धर्म से अग्नि प्रज्वलित करते समय एक श्वेत या लाल घोड़ा (जिसकी आँगों से पानी न गिरता हो, जिसके घूटने काले हो या जिसके अण्डकोष पूर्णरूपेण विकसित हो) उपस्थित रहना चाहिए। उस समय 'शक्ति-साहित्य' का गान होता है। जब धूम निवृत्तता है तो गापिन कौत्सिक साम गाया जाता है और 'अरण्योर्विहितो' (ऋ० ३।२९।२) का उच्चारण किया जाता है।

अग्नि प्रज्वलित होते ही अर्घ्य 'उपावरोह जातवेद' (तै० ब्रा० २।५।८) नामक मन्त्र का उच्चारण कर अग्नि का आवाहन करता है। इसने उपरान्त अर्घ्य यजमान से 'वतुहोतु' (तै० आ० ३।१-५) नामक मन्त्र पढ़वाता है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त यजमान अर्घ्य को गाय की दक्षिणा देता है। यजमान अग्नि के ऊपर साँस लेता है और 'प्रजापतिस्त्वा' कहता है (तै० स० ४।२।९।१)। अर्घ्य अपने जुड़े हाथों की नीचे झुकाकर अग्नि के ऊपर रखता है और लकड़ियों से उसे और प्रज्वलित करता है (तै० स० ४।३।६।२)। उस समय 'रघन्तार' एवं 'यज्ञायज्ञिप' नामक सामों का गान होता रहता है और अर्घ्य सम्भारों पर गार्हपत्य अग्नि प्रतिष्ठापित करता है। यजमान के गोत्र एवं प्रवर के अनुसार मन्त्रपाठ किया जाता है। 'धर्मशिरस' के मन्त्रों का भी पाठ किया जाता है।

आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा पूर्व दिशा में सूर्य के आधे बिम्ब के निकलने निकलते कर दी जाती है। अर्घ्य गार्हपत्य पर वैसी लकड़ियाँ जलाता है जिन्हें वह आगे ले जाता है। उन्हें वह बालू से मरे बरतन में ही रखकर ले जाता है और यजमान में 'अमितनु' सूक्त का पाठ कराता है। इसके उपरान्त अग्नि को आहवनीय के स्थल पर रखवाता है।

इसने पश्चात् आग्नीध्र पुरोहित गृह्याग्नि लाता है या धर्म से उत्पन्न करता है और घूटनों को उठाकर बँटता है तथा दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा करता है। उस समय यज्ञायज्ञिप साम का गायन होता रहता है। अनेक सूक्तों के पाठ के उपरान्त दक्षिणाग्नि सम्भारों पर रख दी जाती है (आष० ५।१३।८)।

दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा के लिए अग्नि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के गृह से ली जाती है, किन्तु यदि यजमान समृद्धि का इच्छुक है तो जिसने घर से वह अग्नि ली जाती है उसे समृद्धिवाली होना चाहिए। अग्नि लाने के उपरान्त यजमान उस घर में फिर कभी भोजन नहीं कर सकता। बोधायन (२।१७) के अनुसार अग्नि गार्हपत्य

अग्नि से और आश्वलायन के अनुसार वैश्य के घर से या किसी घनिक के घर से लायी जा सकती है या घर्षण से उत्पन्न की जा सकती है। गार्हपत्याग्नि की वेदी वृत्ताकार, आहवनीयाग्नि की वर्णाकार तथा दक्षिणाग्नि की अर्धवृत्ताकार होती है।

उपर्युक्त तीनों पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन पाया जाता है जिसे स्थानामात्र के कारण यहाँ छोड़ा जा रहा है।

सम्भ एव आश्वलायन नामक अग्नियों की प्रतिष्ठा गृह्याग्नि से या घर्षण से उत्पन्न अग्नि से की जाती है। इनकी स्थापना गोत्र के अनुसार कृत्य करके आहवनीयाग्नि से अग्नि लेकर भी की जाती है। अध्वर्यु इनमें प्रत्येक अग्नि पर अश्वत्थ की तीन समिधाएँ रखता है और ऋग्वेद के तीन मन्त्रों (१।६६।१९, २० एव २१) का उच्चारण करता है, इसी प्रकार वह शमी की तीन समिधाएँ घृत के साथ सयुक्त कर अन्य तीन मन्त्रों (ऋ० ४।५८।१०३) के साथ उन अग्नियों पर रखता है। यदि ये दोनों अग्नियाँ नहीं प्रज्वलित की जाती तो समिधा आहवनीयाग्नि पर ही रख दी जाती है।

इसके उपरान्त अध्वर्यु पूर्णाहुति देता है, यजमान दान करता है, मन्त्रोच्चारण करता है और पाँचों (या केवल तीन) अग्नियों की पूजा करता है। यदि यजमान क्षत्रिय है तो वहीं जुआ खेला जाता है। चारों पुरोहितों को वस्त्र, एक माय एव एक बैल, एक नये रथ का दान किया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा को एक बकरी, एक पूर्णपात्र एव एक घोड़ा, अध्वर्यु को एक बैल तथा होता को एक घेनु का दान किया जाता है। यजमान की शक्ति के अनुरूप दान की संख्या एव मात्रा में अधिकता हो सकती है।

कत्यायन० (४।१०।१६) के मत से वैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त यजमान १२ रात्रियों या ६ रात्रियों या ३ रात्रियों तक ब्रह्मचर्य से रहता है और अग्नियों के पास पृथिवी पर ही शयन करता है तथा अग्नियों में दूध का होम करता है। बोधायन० (२।५०) ने तो १२ दिनों तक के लिए कुछ व्रतों की भी व्यवस्था दी है।

पुनराधेय—वर्ष के भीतर ही यदि व्यक्ति वैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त किसी मयकर रोप (यथा जलोदर) से पीड़ित हो जाता है, या दण्डित हो जाता है, या उसका पुत्र मर जाता है, या उसके निकट-सम्बन्धी कष्ट पाने लगते हैं या शत्रुओं द्वारा बन्दी बना लिये जाते हैं, या वह स्वयं लूला-लंगडा हो जाता है, या वह समृद्धि का इच्छुक होता है या मश-कीर्ति कमाना चाहता है, तो पुनः अग्नियाँ प्रज्वलित करता है। अग्नि प्रज्वलित करने की विधि अग्न्याधेय की मूर्ति ही है, केवल कुछ अन्तर है, तथा अग्नियों को कुश घास दी जाती है न कि लकड़ी या ईपन, दोनों ही आज्यमात्र केवल अग्नि के लिए होते हैं न कि यज्ञ की मूर्ति अग्नि एव सोम दोनों के लिए। पुनराधेय वर्षा ऋतु एव दोषहर में किया जाता है। अन्य अन्तरो को स्थानामात्र के कारण यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है (देखिए तै० स० १।५।१-४, तै० ब्रा० १।३।१, शतपथ ब्राह्मण २।२।३, आश्व० २।८।४-१४, आप० ५।२६-२९, कत्या० ४।११, बोधा० ३।१-३)। जैमिनि (६।४।२६-२७) के मत से पुनराधेय एक प्रकार का प्रायश्चित्त भी है जो गार्हपत्याग्नि एव आहवनीयाग्नि के वृक्ष जाने या समाप्त हो जाने के प्रायश्चित्त स्वरूप किया जाता है। किन्तु जैमिनि (१०।३। ३०-३३) के मत से जब किसी विसिष्ट इच्छा से उत्पन्न पुनराधेय किया जाता है तो अग्न्याधेय की दक्षिणा न देकर दूसरे प्रकार की दक्षिणा दी जाती है।

अग्निहोत्र

गौतम (८।२०) द्वारा निर्दिष्ट सात हविर्ग्रहों में अग्निहोत्र का स्थान दूसरा है। अग्न्याधेय के सायकाल से ही गृहस्थ को अग्निहोत्र करना पड़ता है। अग्निहोत्र प्रातः एव साय दो बार जीवनपर्यन्त या सत्यासी होने तक या जैसा कि

घातपथ ब्राह्मण ने लिखा है, मृत्यु तक करना पड़ता है। सत्यापाठ (३।१) के मत से प्रत्येक द्विज के लिए तीनों वैदिक अग्नियों की स्थापना के उपरान्त अग्निहोत्र एवं दशपूर्णमास नामक यज्ञ करना अनिवार्य है, यहाँ तक कि रथकारो तथा नियादो की भी ऐसा करना चाहिए, किन्तु इस अन्तिम नाम पर अन्य सूत्रकारो ने अपनी सहमति नहीं दी है। जैमिनि (६।३।१-७ एवं ८-१०) के मत से अग्निहोत्र अनिवार्य है, अतः वे लोग भी जो सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसे सम्पादित नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, किन्तु उन लोगों को जो किसी द्रव्य की पूति के लिए इसे करना चाहते हैं, इसे सम्पूर्णता के साथ सम्पादित करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों में मन्त्रों एवं विस्तार के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ लोगों के मत से गृहस्थ को सभी वैदिक अग्नियों प्रज्वलित रखनी चाहिए (कात्या० ४।१३।५), कुछ लोगों के अनुसार केवल गार्हपत्याग्नि को ही सतत रखना चाहिए (आप० ६।२।१२), किन्तु कुछ लोगों के मत से यदि अग्न्याघेय के समय दक्षिणाग्नि अरणि-मग्नय से उत्पन्न कर स्थापित की गयी हो तो उसे सदा के लिए रखना चाहिए। गृहस्थ अर्घ्य्यु द्वारा गार्हपत्याग्नि से आहवनीयाग्नि मंगता है और अर्घ्य्यु यह कार्य प्रातः एवं साय करता है। किन्तु यदि यजमान यह कार्य प्रति दिन करता है तो उसे अर्घ्य्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्व० (२।२।१) के मत से प्रति दिन वे अग्निहोत्र में दक्षिणाग्नि कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, यथा बैस्य के घर से या किरिती पत्निक के घर से या घर्षण से, या स्वयं सतत रूप में प्रज्वलित रखी जा सकती है। अन्य विस्तार के लिए देखिए आश्व० (२।२।३ एवं ६), आप० (६।१।७), बौधा० (३।४)।

गृहस्थ को प्रज्वलित गार्हपत्याग्नि से एक बरतन में जलते हुए अगार लेकर आहवनीयाग्नि के पास मन्त्रोच्चारण (देव त्वा देवेभ्यः श्रिया उद्धरामि) के साथ जाना चाहिए और पूर्व की ओर जाते समय अन्य मन्त्रों वा उच्चारण करना चाहिए, यथा "मुझे पाप से उपर उठाइए... जो भी पाप मैंने जान-अनजान में किये हो, उनसे बचाइए।" दिन के पापों के लिए सामकाल में तथा रात्रि के पापों के लिए प्रातःकाल में प्रार्थना की जाती है। प्रातः एवं साय सूर्याभिमुख होकर अग्निहोत्र किया जाता है। कात्या० (४।१।३) के अनुसार प्रातःकाल वा अग्निहोत्र सूर्योदय के तथा सायकाल वा सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, किन्तु आदकलापन के मत से अग्निहोत्र उदयास्त के उपरान्त ही करना चाहिए। इस विषय में प्राचीन काल से ही दो मत बले आ रहे हैं, कुछ लोगों ने सूर्योदय के पूर्व और कुछ लोगों ने सूर्योदय के उपरान्त अग्निहोत्र करने की व्यवस्था दी है। ऐतरेय ब्राह्मण (२।४।४।६) एवं शौपीतवि ब्राह्मण (२।१) भी इस विषय में अदलोबनीय है। आप० (६।४।७-९) ने इस विषय में चार मतों का उद्घाटन किया है, अग्निहोत्र प्रातः एवं साय अर्थात् रात्रि एवं दिन के सप्तिकाल में करना चाहिए, या तब जब प्रथम तारा आकाश में दिखाई पड़े, या रात्रि के प्रथम या द्वितीय प्रहर में, या प्रातः जब सूर्य के मण्डल का एक अंश दिखाई पड़े या जब सूर्य ऊपर आ चुका हो। गृहस्थ को सन्ध्या-पूजा के उपरान्त ही अग्निहोत्र करना चाहिए। गृह्याग्नि में होम अग्निहोत्र के पूर्व होना चाहिए कि उसके

६. सं० ब्रा० (२।१।२) में अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति की गयी है। यह वह कृत्य है जिसमें आग्न के लिए होम किया जाता है। स्थापना का बहना है—अग्नये होत्रं होमोऽस्मिन्वर्धमिति बहुव्रीहिव्युत्पत्त्याग्निहोत्रमिति वर्धनात्। अग्नये होत्रमिति तल्लुप्यव्युत्पत्त्या हविर्नाम। वेसिए जीमनि (१।४।४), जिसमें आया है—“अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गनामः”, यहाँ 'अग्निहोत्र' एक कृत्य का नाम है। घातपथ ब्राह्मण (१।२।४।१) में आया है—“दीर्घसत्रं ह वा एत उपयन्ति योऽग्निहोत्रं जुह्वत्येतदं जरामयं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वाव ह्येवास्मान्मुष्यते मृत्युना वा।” सत्यापाठ (३।१) का बहना है—“आधानादग्निहोत्रं दशपूर्णमासी च नियतो। नियावरथकारयोराधानादग्निहोत्रं दशपूर्णमासी च नियम्येते।”

उपरान्त ? इस विषय में मतभेद है। कुछ लोगों के मत से अग्निहोत्र के पूर्व गृह्याग्नि में होम होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक अग्निहोत्र के उपरान्त ही गृह्याग्नि में होम होना चाहिए।^१ सन्ध्यावन्दन के उपरान्त गृहस्य या तो गार्हपत्याग्नि एव दक्षिणाग्नि के बीच में आहवनीयाग्नि की ओर जाता है या इन दोनों अग्निओं के स्थलों के दक्षिण ओर के मार्ग से आहवनीयाग्नि की प्रदक्षिणा कर दक्षिण में अपने स्थान पर बैठ जाता है और उसकी पत्नी भी अपने स्थान पर बैठ जाती है (कात्या० ४।१३।१२ एव ४।१५।२, आप० ६।५।३ तथा कात्या० ४।१३।१३ एव आप० ६।५।२-२)। गृहस्य 'वितुदक्षि विद्या मे पाप्मानमृतात्सत्यमुपैमि मयि श्रद्धा' (आप० ६।५।३) नामक मन्त्र के साथ आचमन करता है, उसकी पत्नी भी आचमन करती है।^२ इसके उपरान्त पति एव पत्नी अग्निहोत्र होने तक मौन साधे रहते हैं। बिना पत्नी वाले गृहस्य भी दोनों समय अग्निहोत्र सम्पादित कर सकते हैं (ऐतरेयब्रा० ३२।८)। तीनों अग्निओं (गार्हपत्य, आहवनीय एव दक्षिण) के लिए परिसमूहन (गिले हाथ से उत्तर पूर्व से उत्तर तक चोखने) का कार्य अध्वर्यु ही करता है। अध्वर्यु ही आहवनीयाग्नि के चारों ओर दम विछाता है अर्थात् परिस्तरण करता है। पूर्व एव पश्चिम वाले कुशों की शोक दक्षिण की ओर तथा उत्तर एव दक्षिण वालों की पूर्ण की ओर होती है। परिस्तरण-कृत्य पूर्व से प्रारम्भ कर क्रम से दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर की ओर किया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यु अन्य दोनों वैदिक अग्निओं (गार्हपत्य एव दक्षिणाग्नि) की चारों दिशाओं में दम विछा देता है। दाहिने हाथ में जल लेकर वह आहवनीयाग्नि के चतुर्दिक् (उत्तरपूर्व से आरम्भ कर पुनः उत्तर दिशा में समाप्त कर) छिड़कता है। इसके उपरान्त वह पश्चिम की ओर से अजस्र धारा गिराता आहवनीयाग्नि से गार्हपत्याग्नि तक चला जाता है। इसके उपरान्त पर्युक्षण-कृत्य किया जाता है जो गार्हपत्य से आरम्भ कर बायी ओर से दाहिनी ओर बढ़कर दक्षिणाग्नि तक जल छिड़कने के रूप में अभिव्यक्त होता है। या सर्वप्रथम गार्हपत्याग्नि के चारों ओर जल छिड़का जा सकता है और तब दक्षिणाग्नि के चारों ओर। इसके उपरान्त गार्हपत्य से पूर्व की ओर आहवनीय के चतुर्दिक् जल की धारा गिरायी जाती है (आश्व० २।२।१५)। मन्त्रोच्चारण के विषय में देसिए आश्व० (२।२।११-१३), कात्या० (४।१३।१६-१८) एव आप० (६।५।४)।

जो व्यक्ति केवल पवित्र कर्तव्य समझकर अग्निहोत्र करता है उसे गाय के दूध से होम करना चाहिए, किन्तु जो व्यक्ति कई ग्राम या अधिक भोजन या शक्ति या यश चाहता है, उसे चाहिए कि वह यवाग, मात, दही या घृत से होम करे (आश्व० २।३।१-२)। इसके उपरान्त गाय दुहने वाले व्यक्ति को आशा दी जाती है। गाय यज्ञ-स्थल की दक्षिण दिशा में खड़ी रखनी चाहिए और उसका बच्चा बछड़ा होना चाहिए। गाय दुहते समय बछड़े को गाय के दक्षिण में रखना चाहिए। पहले बछड़ा दूध पी ले तब उसे हटाकर दुहना चाहिए। गाय को दुहने वाला धूम नहीं होना चाहिए

७. संध्यावन्दनानन्तर पूर्वमग्निहोत्रहोमस्ततः स्मार्तैः स्मार्तैः। तदुक्तम्—होम वंशानिके कृत्वा स्मार्तैः कुर्यात् विचक्षणः। स्मृतीनां वेदमूलत्वात्स्मार्तैः केचित्पुरा विदुः ॥ इति। कात्या० ४।१३।१२ का भाष्य; चब्रोवय मे उद्धृत भस्माज। देसिए आचाररत्न (पृ० ५२)।

८. कात्या० (४।१३) के भाष्य में आया है—उपवेशनव्यतिरिक्त पत्नी किमपि न करोतीति सप्रदाय। तच्च सायुत्तरम्। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों की यज्ञ-कृत्य-सम्बन्धी सारी महत्ता क्रमशः विलीन होती चली गयी और वे अब यज्ञादि कर्मों में पतियों की बगल में बँठी सारे कृत्यों को मौन रूप से देखती रहती हैं। अब तो केवल यज्ञमात्र एव पुरोहित मात्र धावाल रहते हैं, स्त्रियाँ मूक बनी गठरी-सी बँठी रहती हैं। जैमिनि (६।१।१७-२१) ने लिखा है कि यज्ञ-सम्पादन में पति एव स्त्री को एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए, किन्तु पुनः इसी धृत्त में आया है (६।१।२४) कि पत्नी यज्ञ के सारे कार्य नहीं कर सकती, वह केवल उतना ही बोलेगी जिसके लिए पदार्थ में छूट है।

(वात्या० ४।१।४१), किन्तु आप० (१।३।११-१४) ने ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा है। बोपा० (३।४) के मत से गाय दुहने वाला बाह्य ही होना चाहिए। गाय दुहने के विषय में भी बहुत-से नियम बने हैं (शतपथ ब्रा० ३।७, तै० ब्रा० २।१।८)। सूर्यास्त होते ही दुहना चाहिए (आप० ६।४।५)। किसी आर्य द्वारा निर्मित मिट्टी के बरतन में ही दूध दुहा जाता चाहिए। पात्र चक्र पर नहीं बना रहना चाहिए। उसका मुँह बड़ा तथा घेरा घृताकार या डालू नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा सडा (वात्या० ४।१।४१, आप० ६।३।७)। इसको अग्निहोत्रस्थाली कहा जाता है (आप० ६।३।१५)। अध्वर्युं गार्हपत्याग्नि से जलती हुई अग्नि लेकर (दूध उबालने के लिए) उसके उत्तर अलग स्थल पर रखता है। सब वह गाय के पास जाकर दूधपात्र को उठाकर आहवनीयाग्नि के पूर्व रखकर गार्हपत्याग्नि के पश्चिम में बैठता है और पात्र को गर्म करता है। वह अतिरिक्त दम लेकर उसे जलाकर दूध के ऊपर प्रकाश करता है। तब वह सुब से जल की कुछ बूँदें झौलते हुए दूध में छिटकता है (आश्व० २।३।३ एव ५)। इसके उपरान्त वह पुनः प्रयुक्त दम को जलाकर गर्म दूध के ऊपर प्रकाश करता है। यह तीन बार किया जाता है। दूध को खोला देना चाहिए कि केवल गर्म कर देना चाहिए, इस विषय में मतभेद नहीं है। इसके उपरान्त तीन मन्त्रों के साथ दूध का पात्र घीरे-से उतार लिया जाता है और जलती अग्नि के उत्तर रख दिया जाता है। तब जलती हुई बची अग्नि गार्हपत्याग्नि में डाल दी जाती है। इसके उपरान्त सुब एव सूक्त को हाथ से झाड़-झोड़कर गार्हपत्याग्नि पर गर्म कर लिया जाता है। यही क्रिया पुनः की जाती है और यजमान से पूछा जाता है—“ब्या मी सुब से दूध निकाल सकता हूँ ?” यजमान कहता है—“हां, निकालिए,” तब अध्वर्युं दाहिने हाथ में सुब ले तथा बायें हाथ में अग्निहोत्र-हवणी लेकर उसमें दूध के पात्र से दूध निकालता है। यह इत्य बार बार किया जाता है और सुब दूध के पात्र में ही छोड़ दिया जाता है। आपस्तम्ब (६।७।७-८) एव आश्व० (२।३।१३-१४) ने मतानुसार अध्वर्युं गृहस्थ का अग्निमत जानते हुए सुब से भरपूर दूध निकालता है, क्योंकि ऐसा करने से गृहस्थ को सबसे योग्य पुत्र लाभ की बात होती है, जितना ही कम दूध सुब में होता जायगा उसी अनुपात में अन्य पुत्रों के लाभ की बात मानी जायगी। इसके उपरान्त अध्वर्युं एक हाथ लम्बा पलाश-दण्ड सुबदण्ड के ऊपर रखकर गार्हपत्याग्नि की ज्वाला के पास रखता है और सुब को अपनी नाक के बराबर ऊँचा रखकर आहवनीय तक ले जाता है, गार्हपत्य एव आहवनीय की दूरी के बीच में वह सुब को अपनी नाभि तक लाता है, और पुनः मुख की ऊँचाई तक उठाकर आहवनीय के पास पहुँचता है और उसके पश्चिम सुब तथा पलाश-दण्ड की समिधा की दम पर रखता है। वह स्वयं पूर्वाग्निमुस हो आहवनीय की उत्तर-पूर्व दिशा में बैठता है। उसके घुटने मुड़े रहते हैं, बायें हाथ में सुब एव दाहिने में समिधा लेकर वह आहवनीयाग्नि में ‘रजती स्वाग्निर्ज्योतिषम्’ (आश्व० २।३।१५) मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह ‘विद्युदग्नि विद्या मे पाप्मानम्’ (आप० ६।१।३, आश्व० २।७।१६) मन्त्र के साथ आचमन करता है। जब डाली हुई समिधा जलने लगती है तो वह ‘ओ भूर्भुवः स्वरात्, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा’ नामक मन्त्र के साथ समिधा पर दूध की आहुति छोड़ता है। मन्त्रों के प्रयोग के विषय में कई मत हैं। इस विषय में देखिए वाजसनेयी संहिता (३।१), आप० (६।१०।३), तै० ब्रा० (२।१।२)। इसके उपरान्त वह सुब को कुश पर रख देता है और गार्हपत्याग्नि की ओर इस विचार के साथ देखता है—“मुधे पशु दीजिए।” पुनः वह सुब उठाता है और पहले से दूनी मात्रा में दूध की दूसरी आहुति देता है। इस बार मीन सापक प्रजापति का ध्यान करने आहुति दी जाती है। यह दूसरी आहुति प्रथम आहुति के पूर्व या उत्तर में इस प्रकार दी जाती है कि दौनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने पाये। इसके उपरांत, सुब में दूसरी आहुति वाले दूध में अधिक दूध लिया जाता है। तब वह सुब को दो बार (आप० ६।१।३ के अनुसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-ज्वाला उत्तर ओर घूम उठे और ऐसा करके सुब की कूर्च पर रख देता है। इसके उपरान्त वह सुब के मुख की नीचे कर हाथ से रगड़कर स्वच्छ कर देता है और पुनः कूर्च (उत्तर वाले पुत्रों की ओर) की उत्तर दिशा में अपने हाथ पर लगे दूध की बूँदें पीछरकर स्वच्छ कर लेता है और “देवताओं को

प्रणाम" (कात्या० ४।१४।३०) या "तुम्हें पशु प्राप्ति के लिए" नामक शब्दों का उच्चारण करता है। आप० (६।१५।१०) ने प्रातः एव सायंकाल के समय सुब को स्वच्छ करन की एक अलग विधि दी है और तै० स० (१।१।१।११) के मन्त्र के उच्चारण की बात कही है। इसके उपरान्त हुयेली को ऊपर तथा जनेऊ को प्राचीनावीत ढग से धारण करते वह अपनी अँगुलियों को मौन रूप से "स्वधा पितृभ्यः पितृन् जिन्व" (आप० ६।११।४) या "स्वधा पितृभ्यः" (कात्या० ४।१४।२१ एव आश्व० २।३।२१) नामक मन्त्र के साथ दक्षिण दिशा में कुशो की नोक पर रखता है। तब वह पूर्व-भिमुख हो उपवीत ढग से जनेऊ रखकर आचमन करता है। इसके उपरान्त वह गार्हपत्याग्नि के पास जाता है और एक समिधा खड़े-खड़े उठाता है। पुनः पूर्वभिमुख हो गार्हपत्याग्नि की उत्तर-पश्चिम दिशा में बैठ जाता है और घुटने मुका बर गार्हपत्याग्नि में समिधा डालता है, फिर सुब में दूध लेकर "ता अस्य सूददोहसा" (ऋ० ८।६९।३) या कोई अन्य यथा "इह पुष्टिम् पुष्टिपतिः पुष्टिपतये स्वाहा" नामक मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह कात्या० (४।१४।२४) एव आश्व० (२।३।२७-२९) के अनुसार किसी भी विधि से दूसरी आहुति मौन रूप में या मन्त्रोच्चारण (ऋ० ९।६६।१९-२१) के साथ देता है। तब वह "अग्नादायाध्रपतये स्वाहा" शब्दों के साथ दक्षिणाग्नि में सुब द्वारा दुग्धाहुति देता है और दूसरी आहुति मौन रूप से देता है। इसके उपरान्त वह जल स्पर्श करता है, उत्तरभिमुख होता है और अपनी एक अँगुली (कात्या० ४।१४।२६ के मत से अनामिका) से सुब में बचे हुए माग को निकालकर बिना स्वर उत्पन्न किये तथा बिना दाँत के स्पर्श से चाट जाता है। वह फिर आचमन करके पुनः चाटकर आचमन करता है। इसके उपरान्त सूक् में बचे हुए दूध आदि को हुयेली में या किसी पात्र में लेकर जीम से चाटता है। आप० (६।११।५ एव ६।१२।२) एव बौधाय० (३।६) में शेष को चाटने की विधि में कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन्हें यहाँ स्थानाभाव से छोड़ा जा रहा है। इसके उपरान्त वह अपना हाथ धोता है, दो बार आचमन करता है, आहवनीयाग्नि के पास जाता है और बैठ जाता है, सूक् को जल से भरता है और सुब से जल को आहवनीयाग्नि के उत्तर 'दिवी जिन्व' शब्दों के साथ छिड़कता है। प्राचीनावीत ढग से जनेऊ धारण करते वह यहाँ दृश्य पुनः करता है, किन्तु इस बार आहवनीयाग्नि के दक्षिण पितरा को "पितृन् जिन्व" नामक शब्दों के साथ जलधारा देता है। तब वह यही क्रिया "सप्तर्षीन् जिन्व" कहकर उत्तरपूर्व में ऊपर को जल से करता है। चौथी बार वह सूक् को भरता है, आहवनीयाग्नि के पश्चिम में रखे (कूर्च स्थान के) धर्म को हटाता है, वहाँ तीन बार पूर्व से उत्तर की ओर जल देता है। इसके उपरान्त वह सुब एव सूक् को एक साथ ही आहवनीयाग्नि में गर्म करता है और उन्हें अन्तर्वेदी पर रख देता है या उन्हें किसी परिचारक को दे देता है। तब वह पर्युक्षण वाले क्रम के अनुसार (आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि या गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय के क्रम से) प्रत्येक अग्नि में समिधा डालता है। इसके उपरान्त गृहस्य अग्नि की पूजा वात्सप्र स्तुतियों के साथ करता है या वाज० (३।३७) के अनुसार "भूर्भुव स्व"-आदि के उच्चारण के साथ सशेष में पूजा करता है और एक क्षण आहवनीय के पास बैठकर मोनाराधना करता है। तब वह गार्हपत्य के पास बैठता है या लेट जाता है। इसके उपरान्त वह सभी अग्नियों के लिए पर्युक्षण करता है। तब गृहस्य अपना मौन तोड़कर आचमन करता है और बाहर निकल जाने पर दक्षिणाग्नि का ध्यान करता है। अन्त में पत्नी भी मौन रूप में आचमन करती है।

कात्या० (४।१२।१-२) के मत से सायंकाल वात्सप्र मन्त्रों (वाज० स० ३।२-३६ एव शत० ब्रा० २।३।४।९-४१) के साथ आहुतिमां देने के उपरान्त उपस्थान करना (अग्नियों की स्तुति करना) इच्छा पर आधारित है, गृहस्य चाहे तो नहीं भी कर सकता है या केवल एक मन्त्र या उच्चारण मात्र (वाज० स० ३।३७ एव शतपथ ब्रा० २।४।१।१-२) कर सकता है। आप० (६।१६।४ एव ६) ने तो उपस्थान के लिए छः मन्त्रों तथा अन्य मन्त्रों के गायन की बात बलायी है, जिसकी व्याख्या स्थानाभाव से यहाँ नहीं की जा रही है। कुछ लोग उपस्थान को केवल सायंकाल के लिए

ही उचित मानते हैं और कुछ लोग प्रातः एव साय दोनो समयो के लिए (देखिए आप० ६।११।४-९ से लेकर ६।२३ तक)।

क्षत्रियो के विषय मे अग्निहोत्र के लिए आप० (६।१५।१०-१३) ने कुछ मगोरम नियम दिये हैं। आपस्तम्ब का कहना है कि क्षत्रिय को आहवनीयाग्नि सदैव रखनी चाहिए चाहे वह आर्हिक अग्निहोत्र बरे या न करे। जब साधारण रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपने घर से ब्राह्मण के लिए भोजन भेजे, जिससे कि उसे अग्निहोत्र करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, और अर्धयु को चाहिए कि वह क्षत्रिय (राजपुत्र) से अम्युपस्थान (अग्निस्तुति के मन्त्रों) का पाठ कराये। जिस राजपुत्र ने योगवत्त कर लिया हो और जो सत्व बोलता हो, वह आर्हिक अग्निहोत्र कर सकता है। आश्व० (२।१।३-५) के मतानुसार क्षत्रिय एव वैश्य अभावस्था एव पूणिमा के दिन अग्निहोत्र कर सकते हैं तथा अन्य दिनों मे उन्हें किसी कर्तव्यपरामर्श ब्राह्मण के यहाँ पत्रा हुआ भोजन भेजना चाहिए। किन्तु यह क्षत्रिय या वैश्य, जो विचार एव धाम् (वचन) से सत्यवादी है और सोमयज्ञ कर चुका है, आर्हिक (प्रति दिन वाला) अग्निहोत्र कर सकता है। लगता है, इन नियमों द्वारा क्षत्रियो एव वैश्यो को अन्य कार्य करने के लिए अधिक समय एव अवसर प्रदान किये गये थे। आप० (६।१५।१४-१६), आश्व० (३।४।२-४) तथा अन्य लोगों के मत से गृहस्थ को स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो कम-से-कम पर्व के दिनों मे तो उसे अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। उसके लिए पुरोहित, शिष्य या गुण भी अग्निहोत्र कर सकता है।

प्रातः एव सायकाल के अग्निहोत्र की विधियाँ सामान्यत एवन्सी हैं, केवल विस्तार मे कुछ भेद है, यथा आश्व० (२।४।२५) मे प्रातः का पर्युक्षण-मन्त्र कुछ और है और साय वा कुछ और (आश्व० २।२।११)। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं (आश्व० २।४।२५ एव २।२।१६)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्या० (४।१५)।

एव रात्रि के लिए या लम्बी अवधि के लिए जब गृहस्थ बाहर जाता है, तो उसे अग्निहोत्र के विषय मे क्या करना चाहिए? इसने विषय मे सूक्तों मे बहुत से नियम पाये जाते हैं। देखिए दशपथ ब्रा० (२।४।१।३-१४), आश्व० (२।५), आप० (६।२४-२७), कात्या० (४।१।२।३-१४)। आश्व० के मत से महत्वपूर्ण नियम ये हैं—वह अग्नि को उदीप्त कर देता है (ग्वाला मे परिणत कर देता है), आचमन करता है और आहवनीय, गार्हपत्य तथा दक्षिणाग्नि के पास जाकर उनकी पूजा 'सस्य पशून् मे पाहि', 'नयं श्रजा मे पाहि' एव 'अयवं पितु मे पाहि' नामक मन्त्रों (वाजसनेयी स० ३।३७) के साथ करता है। इसके उपरान्त दक्षिणाग्नि के पास राडे होकर उसे अन्य दोनों अग्नियों की ओर 'इमान् मे मित्रावरणो गृहान् गोपायत पुनरायनात्' (काठक स० ६।३, मंत्रायणी संहिता १।५।१४—कुछ अन्तरो के साथ) नामक मन्त्र के साथ देखना चाहिए। वह पुनः आहवनीय के पास जाकर उसकी पूजा करता है (तै० स० १।५।१०।१ नामक मन्त्र के साथ)। इसने उपरान्त उसे बिना पीछे देखे यात्रा मे लग जाना चाहिए और 'मा प्रणम' नामक स्तुति का पाठ करना चाहिए। जब वह ऐसे स्थल पर पहुँच जाता है, जहाँ से उतने घर की छत्र नहीं दिखाई पडती, तब वह अपना मोन तोड़ता है। जब अपने घर से गन्तव्य स्थान के मार्ग की ओर पहुँचे तो उसे 'सदा मुग्' (ऋ० ३।५।४।२१) का पाठ करना चाहिए। जब वह यात्रा से घर लौट आये, उसे 'अपि पन्नाम्' (ऋ० ६।५।१।१६) का पाठ करना चाहिए। इसने उपरान्त उसे मोन माचना चाहिए, अपने हाथ मे समिधाएँ लेनी चाहिए और यह सुनने पर कि उसने पुनः मा शिष्य ने अग्नियाँ उदीप्त कर दी है, उसे आहवनीय की ओर आश्व० (२।५।९) के दो मन्त्रों के साथ देरना चाहिए। इसने उपरान्त समिधाएँ डालकर उसे 'मम नाम तव च' (तै० स० १।५।१०।१) नामक मन्त्र से आहवनीय की पूजा करनी चाहिए। तब उसे वाज० स० (३।२८-३०) के ए-एव मन्त्र के साथ आहवनीय, गार्हपत्य एव दक्षिणाग्नि मे समिधाएँ डालनी चाहिए।

उपर्युक्त नियम तभी लागू होते हैं कि जब गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाता है। जब तक वह बाहर रहता है उसे अग्निहोत्र एवं दर्शपूर्णमास के समय भानसिक जप से अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए और सभी प्रकार के प्रयोगों का पालन करना चाहिए (यथा, जहाँ तक सम्भव हो फल-फूल, कन्द-मूल पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए)। देखिए आप० (४।१६।१८) एवं कात्या० (४।१२।१६) तथा इसका भाष्य। घर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी पर अग्निषो का भार सौंप देना चाहिए तथा आवश्यक कृत्यों के सम्पादन के लिए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता है तो उसे अग्निषो साथ में ही रख लेनी चाहिए। यदि वह सपत्नीक यात्रा करे किन्तु अग्निषो साथ न रखे तो घर पर पुरोहित का रखना निरर्थक है, क्योंकि पति-पत्नी की अनुपस्थिति में अग्निहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता, लौटकर आने पर गृहस्थ को अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान) करनी ही पड़ेगी।

अध्याय ३०

दर्श-पूर्णमास

समी इष्टियो (ऐसे यज्ञ जिनमें पशु-बलि दी जाती है) की प्रकृति पर दर्श-पूर्णमास नामक यज्ञ के वर्णन एवं व्याख्या से प्रकाश पड़ जाता है। इसी से समी श्रौत सूत्र सर्वप्रथम दर्शपूर्णमास का वर्णन विस्तार से करते हैं, यो तो क्रम के अनुसार अग्न्याधान का स्थान सर्वप्रथम है। आश्व० (२।१।१) का कहना है कि समी प्रवार की इष्टियो पर षोणमास इष्टि के विवेचन से प्रकाश पड़ जाता है। आप० (३।१४।११-१३) के अनुसार तीनों अग्नियो (गाहंपत्य, आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठापक को दर्शपूर्णमास वा सम्पादन जीवन मर (या जब तक सत्यासी न हो जाय) या ३० वर्षों तक या जब तक बहुत जीर्ण (कृत्य करने में पूर्णरूपेण अयोग्य) न हो जाय, करते जाना चाहिए।

'अमावस्या' शब्द का अर्थ है 'बहु दिन जब (सूर्य एवं चन्द्र) साथ रहें।' यह वह तिथि है, जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात् न्यूनतम दूरी पर) रहते हैं। 'पूर्णमासी' वह तिथि है, जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक-दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। 'पूर्णमास' का तात्पर्य है 'बहु क्षण जब कि चन्द्र पूर्ण (पूरा या भरपूर) रहता है।' 'दर्श' का तात्पर्य यही है जो 'अमावस्या' का है। दर्श का अर्थ है 'बहु दिन जब चन्द्र को केवल सूर्य ही देरा सक्तता है और अन्य कोई नहीं।' 'दर्श' एवं 'पूर्णमास' के गौण अर्थ हैं 'वे कृत्य जो क्रम से अमावस्या एवं पूर्णमासी के दिन सम्पादित होते हैं।' 'इष्टि' वा तात्पर्य उस यज्ञ से है जिसमें यज्ञमान चार पुरोहितों को नियुक्त करता है। नीचे हम सत्यापाठ एवं आश्वलायन के श्रौतसूत्रों पर आधारित दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी विवेचन उपस्थित करेंगे।

अग्न्याघेय कर धुवनेवाला आगे की प्रथम पूर्णमासी को दर्श-पूर्णमास का सम्पादन पर सक्तता है। पूर्णमासी के दिन भी इष्टि दो दिन हो सक्तता है, किन्तु सारे कृत्य सक्षिप्त कर एक ही दिन में सम्पादित हो सक्ते हैं। यदि दो दिनों तक कृत्य विधे जायें, तो वे प्रथम दिन (पूर्णमासी के दिन) तथा प्रतिपदा (पूर्णमासी के आगे के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन) तक समाप्त हो जाते हैं, प्रथम दिन को उपवस्य दिन तथा दूसरे दिन को यज्ञनीय दिन कहा जाता है। पूर्णमास कृत्य के सिलसिले में उपवस्य के दिन अग्न्यन्वाधान (अग्नि में ईंधन डालना) एवं परिवस्तरण कृत्य किये जाते हैं और षोण कृत्य यज्ञनीय दिन में सम्पादित होते हैं। यदि प्रारम्भिक पूर्णमास इष्टि या दर्श इष्टि हो तो यज्ञमान को अन्वारम्भणीया इष्टि सम्पादन करनी पड़ती है, जिसे नीचे पाद-टिप्पणी में पढ़िए।

१. 'यावज्जीव' दर्शपूर्णमासाम्या यजेत—अग्नि (१०।८।३६) की ह्याहमा से शम्बर द्वारा उद्युत। और वेष्टिए षा० षा० (११।१।१३), जहाँ ३० वर्षों की घर्षा है। 'ताम्यां यावज्जीव यजेत। त्रिदातं वा वर्षाणि। जीर्णो वा विरमेत्।' आप० (३।१४।११-१३)।

२. सर्वप्रथम तौ सं० (३।५।१।१) के मन्त्रों के साथ सरस्वती की दो आहुतियाँ दी जाती हैं और तब अन्वारम्भणीया का सम्पादन होता है। इसमें अग्नि ध्वं (त्रिष्णु को ११ बपलों) (घट-दाघसों, मिट्टी के बसोरों या मिश्र पात्रों) में पकायी गयी रोटी दी जाती है। सरस्वती को षड (एक साथ षावल, जौ, बूय आदि उबालकर बनायी

पूर्णमासी के दिन प्रातःकाल यजमान अपनी स्त्री के साथ आह्निक अग्निहोत्र करने के उपरान्त गार्हपत्य के पश्चिम दमों पर बैठकर, अपने हाथ में कुश लेकर तथा प्राणायाम करके 'श्रीपरमेश्वरप्रोत्यर्थं पूर्णमासेष्ट्या यक्षे' (अमावस्या के दिन वह 'पूर्णमासेष्ट्या' के स्थान पर 'दशोष्ट्या' कहता है) नामक सकल्प करता है। इसके उपरान्त वह अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता एव आम्नीध्र नामक चार पुरोहितों से कहता है—“मैं आपको अपना अध्वर्यु, अपना ब्रह्मा, अपना होता एव अपना आम्नीध्र चुनता हूँ।” अध्वर्यु गार्हपत्य से अग्नि लेकर आहवनीय एव दक्षिणाग्नि के पास जाता है और एक समिधा की नोक को पूर्वामिमुख करके आहवनीय पर रखता और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋग्वेद १०। १२८।१, तै० सं० ४।७।१४।१)। अध्वर्यु एव यजमान तीन पत्रों का (शतपथ ब्रा० १।२ में वर्णित तै० ब्रा० ३।७।५ के पद्य) जप करते हैं। जब वह आहवनीय एव गार्हपत्य के मध्य में रहता है तो खड़े-खड़े 'अन्तराग्नि मनीषया' (तै० ब्रा० ३।७।४) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह मन्त्र के साथ (ऋ० १०।१२८।२, तै० सं० ४।७।१४।१) गार्हपत्य में समिधा डालता है। अध्वर्यु एव यजमान 'इह प्रजा' एव 'इह पशव' (तै० ब्रा० ३।७।४, शं० ब्रा० १।२) का उच्चारण करते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्यु दक्षिणाग्नि में 'मयि देवा' (ऋ० १०।१२८।३४, तै० सं० ४।३।१४।१) के साथ समिधा रखता है। तब दोनों 'अय पितृणाम्' (तै० ब्रा० ३।७।४) का पाठ करते हैं। जो सम्य एव आवगम्य अग्नियाँ प्रज्वलित रखते हैं, वे उनमें मन्त्रों के साथ (तै० ब्रा० ३।७।४) समिधाएँ डालते हैं।

उस यजमान को, जिसने सोमयज्ञ पहले ही कर लिया हो, शाखाहरण नामक कृत्य करना पड़ता है। उसे साम्राज्य (ताजे दूध में छट्टा दूध या पिछली रात्रि के दूध का दही मिलाने से बना हुआ पदार्थ) देना पड़ता है। तै० सं० (२।५।४।१) के मत से केवल सोमयाजी ही साम्राज्य दैत है। इन्द्र या महेन्द्र को, भी साम्राज्य दिया गया था (शतपथ ब्रा० १।६।४।२ एव कात्या० ४।२।१०)। तै० सं० (२।५।४।४) के मत से केवल गतश्री महेन्द्र को साम्राज्य दे सकता है, किन्तु शत० ब्रा० (१।४) के अनुसार सोमयाग के उपरान्त एक या दो बर्षों तक इन्द्र एव महेन्द्र को साम्राज्य दिया जाना चाहिए। पूर्णमासी की दृष्टि में अग्नि एव अग्नीषोम को पुरोडाश (रोटी) दिया जाता है और इसमें दो पुरोडाशों के साथ मीन रूप से प्रजापति को आज्य दिया जाता है। दशों की दृष्टि में पुरोडाश के देवता हैं अग्नि एव इन्द्राग्नी तथा साम्राज्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आश्व० १।३।१२-१२)।

शाखाहरण—यज्ञ कृत्य केवल उसी से सम्बन्धित है जिसने केवल दशोष्टि और सोमयज्ञ कर लिया हो। अध्वर्यु पलाश या गमी वृक्ष की ऐसी डाल से नयी शाखा लाता है जो कहीं से सूखी न हो और जिसमें अधिक सख्या में पत्तियाँ

हुईं वस्तु), सरस्वाम् को १२ घट-शकलों पर पकायी गयी रोटी तथा अग्नि भगिन् को ८ घट-शकलों पर पकायी गयी रोटी दी जाती है। जमिनि (१।१।३४-३५) के मतानुसार अन्वारम्भणीया प्रति बार नहीं की जाती, केवल एक बार इसका सम्पादन पर्याप्त है। अन्य विस्तारों के लिए देखिए तै० सं० (३।५।१), आश्व० (२।८), आप० (५।२।३।४-९), बौषा० (२।२१)।

३. साम्राज्यतः मन्त्रोच्चारण 'ओम्' से आरम्भ किया जाता है। किन्तु ध्यौत कृत्यों में यह कोई नियम नहीं है और इसी से ध्यौत कृत्यों में इसका उल्लेख भी कहीं नहीं हुआ है। यजमान एवं अध्वर्यु दोनों में से कोई भी समिधा डाल सकता है (कात्या० २।१।२)।

४. गतश्री लोग तीनों अग्नियों को सवा रखते हैं (कात्या० ४।१।३।५ एवं आप० ६।२।१२)। वे लोग पूर्ण रूपेण पत्रे-लिखे एवं पण्डित ब्राह्मण, विजयी क्षत्रिय एवं धाम के सबसे बड़े वैश्य होते हैं—“गतश्रीमिस्तु सर्वेऽग्नयः सवा पार्यन्ते। त्रयो ह वै गतश्रियः शुश्रुवान् ब्राह्मण क्षत्रियो विजयी राजा वैश्यो प्रामर्षीरिति” (कात्या० ४।१।३)।

हों। शाखा मुख की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा से ली जाती है (जमिनि ५।२।७)। वह उसे 'इये त्वा' (तै० स० १।१।११) शब्दों के साथ काटता है, जल-स्पर्श करता है और 'ऊर्जे त्वा' (तै० स० १।१।११) के साथ शाखा को सीधी करता है या स्वच्छ करता है। इसके उपरान्त वह उस शाखा को 'द्वय प्रानी' (तै० ब्रा० ३।५।७) के साथ यज्ञ-स्थल पर लाता है। इस शाखा द्वारा वह छ बछड़ों को उनकी माताओं (गायों) से पुष्य करता है (तै० स० १।१।११)। अध्वर्यु यजमान की गायों को तै० स० के मन्त्र (१।१।११) के साथ चलने को छोड़ देता है, जब ये चल देती हैं तो उन्हें पुकारता है (ऋ० ६।२।७, तै० ब्रा० २।८।८)। तब वह यजमान के घर लौट आता है और शाखा को परिचित स्थल पर (जिससे वह मुलायमी न जा सके) या यज्ञ-स्थल पर या अग्निपि के पास काठ के बने घेरे (कठघरे) में रख देता है। जमिनि (३।६।२८-२९) का कहना है कि शाखाहरण प्रातः एव साय दोनो समयो मे गाय के दुहे जाने से सम्बन्धित है।

यजमान आहवनीय के पश्चिम से जाकर उसके दक्षिण में हो जाता है और आचमन करता है। तब वह सागर का घ्यान करता है और अग्नि, वायु, आदित्य एवं वसुधैव कुटुम्बक इत्यादि की पूजा करता है (तै० स० १।५।१०।३, एव तै० ब्रा० ३।७।४)।

बर्हिं राहरण—इस कृत्य का तात्पर्य है प्रयोग में लाने के लिए पवित्र कुशों की मूलियाँ लाना। इस कृत्य के कई स्तर हैं जिनमें प्रत्येक के अपने विविध मन्त्र हैं। सभी मन्त्र छोटे-छोटे गद्यत्मक सूत्र हैं जो तै० स० में पाये जाते हैं (१।१।२)। उन्हें हम स्थानाभाव के कारण नहीं दे रहे हैं। कतिपय स्तर निम्न हैं—अध्वर्यु हंसियाँ या घोड़े या बिल की छाती की एक हड्डी लेता है जो गार्हपत्य के उत्तर रखी रहती है और मन्त्रोच्चारण करता है। साथ साथ वह गार्हपत्य की स्तुति करता है। हंसिया (हड्डी नहीं) गार्हपत्य में गम कर ली जाती है, तब वह विहार (यज्ञ-स्थल) के उत्तर या पूर्व कुछ दूर जाता है और कुश-स्थल का चुनाव करता है, एवं 'दमं-गुच्छ के स्थल को छोड़कर आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थलों पर चिह्न बना देता है। "इसे पशुओं के लिए छोड़ रहा हूँ" और "इसे देवों के लिए काट रहा हूँ" कहकर वह अपने बायें हाथ की अंगुलियों में कुश को दबाकर मन्त्रों के साथ हंसिया से काट लेता है। इन प्रथम मुट्ठी भर कुशों को प्रस्तर कहा जाता है। इसके उपरान्त वह विषम संख्या में कई मुट्ठियों में कुश काट लेता है (३।५।७, ९, ११)। प्रत्येक मुट्ठी के साथ पूर्ववत् कृत्य किये जाते हैं और अध्वर्यु कहता है—"हे बर्हि देवता, तुम सैकड़ों शाखाओं में होकर उगो।" वह अपने हृदय-स्थल को छूबर बहता है—"हम भी सहस्रों शाखाओं में बढ़ें।" वह जलस्पर्श करके एव शुक्ल (रस्सी) में मुट्ठी भर दमं बायें से दाहिने रखता है और उन पर अन्य ३ या ५ कुश-मूलियों को रखता है और रस्सी (शुक्ल) से बाँध देता है। मूलियों की नोकें उत्तर या पूर्व पृथ्वी पर रखी जाती हैं। इस प्रकार एक बड़ा गट्ठर बना लिया जाता है और उसने ऊपर प्रस्तर रखा जाता है। सारा गट्ठर पुनः बसवर बाँध दिया जाता है। अध्वर्यु ऋषी मार्ग से गट्ठर यज्ञ-स्थल में लाकर वेदी पर कुश के ऊपर (शुली पृथिवी पर नहीं) मध्य परिधि वाले स्थल के पास ही उसे रख देता है। वह बर्हि को दम प्रकार रखकर मन्त्रोच्चारण करता है और गार्हपत्य के पास एक घटाई या उसी के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अध्वर्यु मौन रूप से बर्हि के साथ अन्य दमों को, जिन्हें परिभोजनीय कहा जाता है, लाता है। यह इसी प्रकार शुष्क कुश (उलपराजि) भी लाता है।

दग्माहरण—इस कृत्य का तात्पर्य है दग्म लाना। पत्न्या या खादिर को २१ समियाओं की आवश्यकता पड़ती

५. परिभोजनीय दमों से दुरोहितों, यजमान एवं यजमानपत्नी के लिए आसन बनाये जाते हैं। वेष्टिए ऐतरेय ब्राह्मण का हाँग-कृत अनुवाद, पृ० ७९, जिसमें बर्हि, परिभोजनीय एवं वेद पर टिप्पणियाँ की हुई हैं।

है, जिनमें १५ सामिघेनी मन्त्रों के उच्चारण के साथ अग्नि म डालने के लिए होती है, ३ परिधियाँ होती हैं, २ का प्रयोग दो आघारों के लिए तथा अन्तिम अर्थात् २१वीं समिधा अनुयाज के लिए होती है। दम से बनी रस्सी को पृथिवी पर बिछा दिया जाता है जिस पर मन्त्र के साथ (आप० १।६।१, शत० ब्रा० १।२, पृ० ८९) इध्मों का ढेर रख दिया जाता है। इध्म का गट्ठर बर्हि के गट्ठर के पाम ही रख दिया जाता है। इध्म काटते समय लकड़ी के जो भाग बच रहते हैं उन्हें इध्मप्रवदचन कहा जाता है। दम व एक गुच्छ से वेद का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक ब्रह्मके के धुटने के बराबर होता है। वेद से मन्त्र व साथ वेदी का स्थल स्वच्छ किया जाता है। यजमान की रस्सी को यह वेद दे दिया जाता है। वेद बनाने से दम क जो भाग बच रहने हैं उन्हें वेद-परिवासन कहा जाता है। इसके उपरान्त इध्मप्रवदचन एक वेद-परिवासन को एक साथ रख दिया जाता है। इसके उपरान्त वह एक टहनी लेता है, उसकी पतियाँ (कुछ को छोड़कर) काट देता है और नावदीर एक चाण्डुवाल बना लेता है, जिम उपवेप की सजा दी गयी है। उपवेप का मन्त्र पढ़ा जाता है (आप० १।६।७)। पूर्णमासी व यज्ञ म उपवेप का निर्माण मौन रूप से किया जाता है। तब वह उपवेप पर तीन दमगुच्छ रखता है और उनका मन्त्र के साथ आह्वान करता है। दम के इस रूप को पवित्र कहा जाता है (सै० ब्रा० ३।७।४, आप० १।६।१० शत० ब्रा० १।३, पृ० ९२)।

इसके उपरान्त अपराह्ण म पिण्ड गित्यूज क्रिया जाता है। यह वृत्त्य दर्शष्टि म ही होता है न कि पूर्णमासेष्टि म। हुम पिण्डगित्यूज वा वणन आगे करेग।

सायबोह—यदि यजमान ने वमी सामयज्ञ कर लिया है ता उसे सायबोह का सम्पादन करना पड़ता है। माय अग्निहात्र सम्पादन व उपरान्त गृहस्थ ग्राहपत्य क उत्तर दक्ष फेला देता है, साम्राज्य पात्रा को (जो सायबोह मे भी प्रयुक्त होते हैं) दो-दो करके घाता है आर उन्हें दम पर अधोमुख करके रख देता है। इसक उपरान्त वह समान अकृति एक वर्ष वाले दो दमों के दो पवित्र लेता है, जो एक बित्ता लम्बे होते हैं और जिनकी नोक कटी हुई नहीं होती, और जो तने से चाकू या हँसिया द्वारा काटे गये हैं न कि नखा से, और जिनको काटत समय मन्त्रोच्चारण किया गया है (सै०

६ परिधि का तात्पर्य है लकड़ी की वह छड़ी जो यज्ञाकार हो, 'अग्ने परितो घीयन्ते तानि वाणिण परिधय' (शत० ब्रा० १।२ का भाष्य०, पृ० ८८)। ऐसी लकड़ियाँ (समिधाएँ) पलाश, काशमय, खदिर, उदुम्बर आदि यज्ञिय (यज्ञ के काम मे आने वाले) वृक्षों की होती हैं। वे गौली या सूखी हो सस्ती हैं, किन्तु छिलके के साथ ही प्रयुक्त होती है। मध्य वाली सबसे मोटी, दक्षिण वाली सबसे लम्बी तथा उत्तर वाली सबसे पतली एक छोटी होनी चाहिए (आप० १।५।७-१० एक कात्या० २।८।१)। परिधियाँ तीन बित्तों की या एक बड़ा लम्बी होती हैं, समिधाएँ दो बित्तों की (प्रादेश, अर्थात् अंगूठ से लेकर तर्जनी तक की) होती हैं।

७ साम्राज्य या सायबोह पात्रों की तालिका यो है—अग्निहोत्रहवणीमुल्लामुपवेप शाखापवित्रमभिधानीं निदाने बोहनमयसपात्र दाक्षपात्र या विधानार्यम्। सत्यायन १।३, पृ० ९२। ये पात्र आठ हैं। इनके लिए देखिए आप० (१।११।५)। अग्निहोत्रहवणी एक उपवेश में प्रथम यह पात्र है जिसके द्वारा अग्निहोत्र किया जाता है और यह विककत काष्ठ का बना होता है। 'अङ्गात्प्रेषणार्थं काष्ठमुपवेप इति समाश्रयायते', अर्थात् उपवेप वह है जिसके द्वारा अगार हटायें या बढायें जाते हैं। उखाँतो आपरतम्य की कुम्भी ही है, यह मिट्टी का एक बड़ा पात्र होता है। अभिधानी वह रस्सी है, जिससे गाय वा बछड़ा बाँधा जाता है। दोनों निदान वे रस्सियाँ हैं जिनसे गाय के पीछे के पैर (सुर एक जाँघ के पास) बाँधे जाते हैं। बोहन वह पात्र है जिससे गाय डुही जाती है। बोहन को ढँकने के लिए काष्ठ या घातु का ढक्कन होता है। शाखापवित्र उस शाखा से निर्मित होता है जिससे उपवेप बना होता है।

ब्रा० ३।७।४)। अध्वर्युं उन्हे नीचे से ऊपर की ओर जल से घोड़ देता है। जैमिनि (३।८।३२) का कहना है कि दो पवित्र और विपृतियाँ बटे हुए बहिर्बो से नहीं बनायी जाती हैं, प्रत्युत परिमोजनीय नामक कुशो से बनायी जाती हैं। अध्वर्युं उच्च स्वर से उद्घोष करता है—“गाय, रस्मियो एव समी पात्रो को पवित्र करो।” तब वह अग्निहोत्रहवणी के भीतर दोपवित्र रख देता है, उसमें जल छोड़ता है, पवित्रों को पूर्व दिशा में रखकर जल का पवित्र करता है, इसी प्रकार पवित्रों को पुनः उनके स्थान पर लाता है और उनके ऊपरी छोरों को तीन बार उत्तर की ओर उठाकर तँ० स० (१।१।५।१) का मन्त्र पढ़ता है। तब वह जल का आह्वान करता है (तँ० स० १।१।५।१, वाज० १।१२-१३), पात्रों के मुख का ऊपर करता है, उन पर तीन बार जल छिड़कता है और कहता है—“आप देव-भूजा के लिए इस दिव्य कृत्य को पवित्र करें” (तँ० स० १।१।३।१)। वह दोनों पवित्रों को सुपरिनिवृत्त स्थान पर रख देता है। वह ‘एता आचरति’ (तँ० ब्रा० ३।७।४) नामक मन्त्र के साथ बरागाह से आनेवाली गायों की बाट जोड़ता है। अध्वर्युं मन्त्र के साथ (तँ० स० १।१।७।१) उपवेश द्वारा गार्हपत्य से अगार लेकर उत्तर की ओर से जाता है। उसा को उन अगारों पर रख देता है और उसके चारों ओर कोयले सुलगा देता है और कहता है—“आप लोग भ्रूगुओ एव अगिराओ के तप की भाँति गर्म हो जायें” (तँ० स० १।१।७।२)। तब वह दूध दुहने वाले को आज्ञा देता है—“जब बछड़ा गाय के पास चला जाय तो मुझसे रहना।” वह मन्त्र के साथ उसा में पूर्व की ओर मोड़ करके शाखापवित्र को रखता है और उसका स्पर्श करके मीन हा जाता है तथा शाखापवित्र को पकड़े रहता है, दूध दुहने वाला अभिषानी (रस्सी) को ‘अदित्ये रस्नासि’ (तँ० स० १।१।२।२) के साथ एव दो निदानों (रस्मियो) को चुपचाप उड़ता है और ‘तुम पूजा हो’ कहकर बछड़े को गाय से भिन्ना करता है। अध्वर्युं कहता है—“बछड़े को पिताती हुई गाय और विहार (गर्भ-स्थल) के बीच से कोई न आव-जाये।” सभी लोग आज्ञा का पालन करते हैं। अध्वर्युं एव मन्त्र के साथ गाय का आह्वान करता है और दुहने वाला गाय के पास बँध जाता है। दुहने वाला भी मन्त्र पढ़ता है। गाय दुहने जाते समय गृहमन्त्र पाठ करता है और जब पात्र में दूध धारा गिरने लगती है और वह सुनने लगता है तो दूसरे मन्त्र का पाठ करता है। दुहने वाला अध्वर्युं के पास आता है और अध्वर्युं उससे पूछता है—“तुमने किसे दुहा ? घोषणा करो यह इन्द्र के लिए है, यह शक्ति है।” दुहने वाला गाय का नाम (यथा गगा) बताता हुआ कहता है—“दसभ देवो एव मानवो के लिए दूध पाया जाता है।” अध्वर्युं कहता है—“यह (गाय) सबका जीवन है।” तब वह उसा (या कुम्भी) में पवित्र रसता है और उसमें पवित्र के द्वारा मन्त्र-ध्वारण के साथ दूध डालता है। इसी प्रकार अध्वर्युं दो अन्य गायें दुहाता है। यहाँ गायों के नामों में अन्तर होगा (यथा यमुना आदि) और दूसरी एव तीसरी गायें क्रम से ‘विश्वव्याना’ एव ‘विश्ववर्मा’ कहो जायेंगी न कि ‘विश्वाम्’। जब तीन गायें दुह ली जाती हैं तो वह उद्घोष करता है—“इन्द्र के लिए अधिरा दूध दुहो, देवों, बछड़ों, मानवों के लिए आहुति बड़े, दुहने के लिए पुनः तैयार हो जाओ।” यदि अन्य गायें भी हो (साधारणतः छ होती हैं) तो उन्हें भी इसी प्रकार दुहना चाहिए किन्तु अध्वर्युं बोलना रहता है और कुम्भी नहीं छूता है। उस रात्रि घर के लोगों को दूध नहीं मिलना, क्योंकि सारा-का-सारा दूध माघ्राय के लिए रखा लिया जाता है। जब पूरी गायें दुह ली जाती हैं और वह स्थल जहाँ दूध की कुछ बूँदें टपन गयी रहती हैं, स्वच्छ कर लिया जाता है, तब मन्त्र के साथ अध्वर्युं उस पात्र का आह्वान करता है जिममें कि साराय बनाया जाता है। दूध के पात्र का

८. ४७३ के द्वारा गाय दुही जाती है न कि स्तन पर हस्तविषया से, “परसेन च बोहार्थं प्रसवः सायम्” (शत० ब्रा० १।३, पृ० ९६ पर भाष्य)। यही बात तँ० ब्रा० (२।१।८) में भी है। आप० (१।२।१।५) ने मत्त से इस बात में गाय की दुहने वाला शूद्र भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।

भीतरी माग जल द्वारा धो दिया जाता है, और वह जल साश्राग्य वाले पात्र में छोड़ दिया जाता है। अध्वर्यु दूध गर्म करता है और उसमें घृत छोड़ता है (अभिघारण)। अंगारों से वह गर्म पात्र इस प्रकार खींचता है कि पृथिवी पर एक रेखा बन जाती है और उसे पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर माग में मन्त्र के साथ रख देता है। जब पात्र ठण्डा हो जाता है तो उसमें यह दही डाल देता है जिससे कि दूध जम जाय और कहता है—“मैं सोम (दही) मिलाता हूँ, जिससे कि इन्द्र के लिए दही बन जाय” (तै० सं० १।१।३)। अग्निहोत्र हो जाने के उपरान्त पात्र में या सूक् में जो द्रव्य बचा रहता है, वह इसमें मिला दिया जाता है। इसके उपरान्त ढक्कन वाले पात्र में जल छोड़कर उसे गर्म दूध के ऊपर रख दिया जाता है। यदि ढक्कन मिट्टी से बना पात्र हो तो उस पर घास या टहनियाँ रख दी जाती हैं। तब अध्वर्यु शाखापवित्र को मन्त्र के साथ (यदि वह पलाश का हो) या मौन रूप से (यदि शमी का हो) उठाता है और सुरक्षित स्थल पर रखता है। अध्वर्यु साश्राग्य को गार्हपत्य के माग में एक शिख्य (छीकें) पर रख देता है और कहता है—“हे विष्णु, इस आहुति की रक्षा करो।”

प्रमुख दिन में अध्वर्यु दूसरी शाखा से या दर्शों से गावों के बछड़ों को प्रातर्दोह के लिए अलग करता है। प्रातर्दोह में मी सायदोह की विधि लागू होती है। दो-एक मन्त्रों में कुछ अन्तर पाया जाता है। प्रातर्दोह वाले दूध में जमाने के लिए आमन (दही आदि) नहीं मिलाया जाता। स्थानाभाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे हैं।

सायदोह के उपरान्त अध्वर्यु आग्नीध्र या किरी अन्य पुरोहित या अपने को आदेश देता है—“अग्निपों के चतुर्दिक्, पहले आहवनीय, तब गार्हपत्य और अन्त में दक्षिणाग्नि के चतुर्दिक् कुश फैला दो”, या क्रम यों हो सकता है कि पहले गार्हपत्य, तब दक्षिणाग्नि और अन्त में आहवनीय। दक्षिण और उत्तर दिशाओं में फैलाने में दर्शों की नोक पूर्व की ओर रहती है। कुशों को फैलाने समय यजमान मन्त्र पढ़ता है।

उपर्युक्त कृत्योपरान्त वह अमावस्या को उपवसथ के रूप में ग्रहण करता है। अमावस्या के दिन वह अग्न्यन्वाधान (अग्निपों में ईंधन की आहुतियाँ देना) करता है, शाखा से बछड़ों को (गावों से) अलग करता है, सायदोह (सायकाल में गाय दुहाना) करता है, बर्हि एव ईंधन लाता है, वेद और वेदी बनाता है और घत करता है। किन्तु बछड़ों को पृथक् धरने का कृत्य एव सायदोह सम्पादन वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने सोमयज्ञ कर लिया हो। यदि पूर्णमास-दृष्टि दो दिनों में सम्पादित की जाने वाली हो तो पूर्णमासी के दिन केवल अग्न्यन्वाधान एव अग्निपों के चतुर्दिक् कुश बिछाने के कृत्य सम्पादित होते हैं, दूसरे दिन बर्हि, इष्म (ईंधन) लाये जाते हैं तथा वेद-निर्माण एव अन्य कृत्य किये जाते हैं। किन्तु यदि इष्टि एक ही दिन में की जाती है तो वेद-निर्माण के उपरान्त कुश बिछाये जाते हैं।

मुख्य दिन (पूर्णमास के सिलसिले में वृष्णपक्ष के प्रथम दिन) में यजमान सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र करता है और सूर्योदय के उपरान्त पूर्णमास-दृष्टि आरम्भ करता है (दर्श-दृष्टि के सिलसिले में सूर्योदय के पूर्व ही कृत्य आरम्भ हो

९. बही मिलाने के विषय में कई मत हैं। उपवसथ के एक दिन पूर्व, (अर्थात् १४वें दिन) एक, दो या तीन गावें बुह ली जाती हैं, उनका दूध उपवसथ दिन के सायं वाले गर्म दूध में मिला दिया जाता है। दूसरी विधि यह है—गायें १२वें दिन बुह ली जाती हैं, उस दूध को १३वें दिन के दूध में मिला दिया जाता है और इस प्रकार दो दिन से प्राप्त बही को १४वें दिन के दूध में मिला दिया जाता है। इस प्रकार दूध बुहना और मिलाना १२वें, १३वें एव १४वें दिन तक या १३वें या १४वें दिन तक चला करता है। वेत्सिए आप० (१।१३।१२) २४ घण्टा ३० (१।१३, पृ० ९९)। जब दूध न मिले तो बाबल या पलाश की छाल के टुकड़े या प्राग्य या जगती बबर कल या प्लूकी पीप (सोम का प्रतिनिधि) डाल दिया जाता है, जिससे कि दूध सट्टा हो जाय।

जाता है)। वह मन्त्र (तै० स० १।१।४।१) के साथ अपने दोनों हाथ धोता है। गार्हपत्याग्नि से आहवनीयाग्नि तक कुशो की नोकों को पूर्वाभिमुख करके तै० स० के मन्त्र (३।२।४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा में बिछाता है। वह इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में मीन रूप से कुश बिछा देता है। आहवनीय के दक्षिण कुशासन बनाये जाते हैं, जिन पर ब्रह्मा एवं यजमान बैठते हैं (ब्रह्मा यजमान के पूर्व में बैठता है)। यजमान का आसन वेदी के पूर्व-दक्षिण कोने में होता है। गार्हपत्याग्नि के उत्तर कुशों को (नोकों को पूर्व या उत्तर में करके) बिछा दिया जाता है, जिन पर जल से पोकर तथा मुसों को नीचे झुकाकर (स्वयं एवं कपाल आदि) पशिय पात्रों को जोड़े में रख दिया जाता है। इस कृत्य को पात्रासादन कहते हैं। 'पात्रासादन' का तात्पर्य है पात्रों को पास में रखना।

ब्रह्मचरण—अपने आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर यजमान 'ब्रह्मा' नामक पुरोहित को चुनता है, जो तै० ब्रा० के मन्त्र (३।७।६) के साथ पूर्वाभिमुख उत्तर के पास बैठता है। ब्रह्मा एक लम्बा मन्त्र-पाठ करता है (आप० ३।१८।४, तै० ब्रा० ३।७।६)। इसके उपरान्त वह उच्च स्वर से कर्ता है—“हे गृहस्पति, यज्ञ की रक्षा कीजिए” और आहवनीय के पश्चिम से वेदी को पार करता दक्षिण की ओर जाता हुआ वह अपने आसन के दक्षिण में उत्तराभिमुख हो खड़ा हो जाता है और अपने आसन के कुशों से एक कुश उठाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा (निर्धृति, दुर्भाग्य की दिशा) में फेंकता है और कहता है—“अरे दैपिपथ्य (निषाहित विषवा के पुत्र), इस स्थल से उठ और भुक्तसे अधिव्य मासमन्न के यहाँ विराजमान हो” (तै० स० २।२।४।४), तब बलस्पर्श करके पूर्वाभिमुख हो वह मन्त्र के साथ बैठ जाता है और फिर मन्त्र के साथ आहवनीय के सम्मुख हो जाता है (आप० ३।१८।४, यात्या० २।१।२४)। ब्रह्मा पुरोहित को वैदिक धास्त्रों में पारंगत होना चाहिए (ब्रह्मिष्ठ, आप० ३।१८।१) और होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ वेदन एवं श्रोत्रिय। ब्रह्मा मन्त्रोच्चारण के समय मीन रहता है और सभी क्रियाओं एवं कृत्यों के अपीक्षक रूप में विद्यमान रहता है। अध्वर्यु उसी से आज्ञा लेकर कृत्य करता है। दर्शन-पूर्णमास में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। यजमान भी आहवनीय के पश्चिम से दक्षिण जाता हुआ, पूर्वाभिमुख हो अपने आसन पर कुश डालकर उस पर विराजमान हो जाता है। अध्वर्यु दो समान मोटे दर्भों को, जिनकी नोक बड़ी न हो, लेकर एक चित्त वा आकार देता है और बिना नख वा प्रयोग नित्ये उनकी जड़ें पाट देता है।

गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम (या उत्तर) बैठकर अध्वर्यु चमस (चम्मच) धारण करता है, जिसमें 'दक्ष के लिए तुमको' (आप० १।१७।१) के साथ जल भरा जाता है, वह उसे तीन बार जल से धोता है—एक बार मन्त्र से और दो बार मीन रूप से। मन्त्र यह है—“तू पशियों से बना है, तुझे देवों के लिए स्पृच्छ दिया जाता है, तू देवों के लिए चमस, तू देवों के लिए पवित्र हो जा” (आप० १।१६।३)। अध्वर्यु चमस में दो पवित्र रखता है और उसमें जल भरता है और मन्त्रोच्चारण करता है (आप० १।१६।३)। उसी समय बह्मपशियों ६२ ध्यान करता है। तब वह एक पात्र भरता है, निम्न उसको मुज को कुछ खाली रखता है और उत्पवन की विधि से जल को पवित्र करता है।^{१०} इसके उपरान्त वह देवों का आह्वान करता है (वैत्तिरीय संहिता १।१।५।१)। अध्वर्यु को ब्रह्मा पुरोहित से आदेश लेना पड़ता है, “ब्रह्मन्, क्या मैं जल को आगे ले चलाँ और आदेशित करूँ कि 'हे याज्ञिक, मीन हो जाओ?' तब ब्रह्मा पुरोहित मन्त्र का उच्चारण करता है और अध्वर्यु को आदेश देता है। अध्वर्यु आदेशित हो मन्त्र पढ़ता है और जल लेकर आगे बढ़ता है। जल के

१०. आपस्तम्ब (१।११।५) के अनुसार उत्पवन विधि यह है—उत्पवनमुदगप्राप्त्या पवित्रास्यामूर्ध्वपवनं दोषनमपाम्। याज्ञिका हस्तद्वयेन गृहीतोत्पुनन्ति तन्मूलमन्वेष्टव्यम्।

जाते समय यज्ञ करनेवाला मन्त्रोच्चारण करता है।" इसके उपरान्त अध्वर्यु आहवनीय अग्नि के उत्तर दक्ष घास पर जलपूर्ण पात्र रखता है और मन्त्रोच्चारण करता है।" और कुशो से पात्र को ढक देता है। इन कृत्यों को प्रणीताप्रणयन की समाप्ति मानी है। आहवनीय अग्नि के निकट जल रखते समय याज्ञिक आगे का मन्त्र पढ़ता है और सम्पूर्ण यज्ञ-भूमि पर दृष्टिपात करता है। आहवनीय अग्नि एवं प्रणीता-जल के मध्य से कोई आ-जा नहीं सकता (कारत्यायन २।३।४)। प्रणीता जल का मुख्य उपयोग है पीसे हुए अन्नो (आटे) को पुरोडाश के लिए सिक्त करना, अर्थात् उससे आटा साना जाता है, जिससे पुरोडाश बनाया जाता है, जो अन्त में वेदी में डाला जाता है (जैमिनि ४।२।१४-१५)।

इसके उपरान्त निर्वाप कृत्य किया जाता है। निर्वाप का तात्पर्य है एक मुट्ठी अन्न निवालया या अन्य यज्ञिय (यज्ञ-सम्बन्धी) सामानों का एक भाग निवालना।" अध्वर्यु अपने हाथ में अग्निहोत्रहवणी ग्रहण करता है, उसे दायें हाथ में रखकर दायें हाथ में शूर्प (सूप) ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह दर्वी (अग्निहोत्रहवणी) को गार्हपत्य अग्नि पर गर्म करता है और कहता है—“राक्षस भ्रम हो गये, शत्रु भ्रम हो गये।” तब वह जल का स्पर्श करता है।" इसके उपरान्त अध्वर्यु याज्ञिक से पूछता है—“हे याज्ञिक, क्या मैं यज्ञिय मामग्री निकालूँ?” याज्ञिक में आज्ञा प्राप्त कर वह कहता है—“मैं बाहर जा रहा हूँ।” ऐसा कहकर अध्वर्यु आहवनीय या गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम में खड़े शकट या लकड़ी की पेटी के पास जाता है, जिसमें चटाइयों से ढका चावल या जौ रखा रहता है। वहाँ वह भौंति-भौंति के कृत्य करता है, जिन्हें हम स्थानान्नाव के कारण यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कृत्यों के उपरान्त अध्वर्यु अन्न निवालता है। इस प्रकार अध्वर्यु ने लगे रहते समय या निर्वाप करते समय याज्ञिक मन्त्र पढ़ता है—“मैं यहाँ अग्नि, होता, यज्ञा-मिमुख देवों को बुलाता हूँ, प्रसन्नवदन देव यहाँ आयें और मेरी आहुतियाँ ग्रहण करें।” अध्वर्यु केवल चार मुट्ठी अन्न ग्रहण करता है और पुन उस पर अर्थात् चार मुट्ठियों वाले अन्न पर कुछ और अन्न डाल देता है। यदि गाधी न हो तो अन्न मिट्टी के घटे या पात्र में रखा जा सकता है, जैसा कि आधुनिक काल में होता भी है। यही कृत्य अन्य देवों के लिए बनाये जाने वाले पुरोडाशों के लिए भी किया जाता है। अन्न को स्वच्छ करने, उसे पीसने आदि के विषय में एक लम्बी विधि दी गयी है जिसे हम यहाँ स्थानसकोच से नहीं दे पा रहे हैं। अन्न के आटे से पुरोडाश निर्मित किया जाता है और उसे विधिपूर्वक पकाया जाता है।

आहवनीय के पश्चिम वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी की लम्बाई याज्ञिक की लम्बाई के बराबर या उपयोग के अनुसार होती है और उसकी गोलकार आकृति टेढ़ी-मेढ़ी होती है। अध्वर्यु एवं यजमान (याज्ञिक) वेदी के स्थान के निरीक्षण, सफाई, निर्माण, सजावट आदि में कृत्यों में विभिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करते हैं, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है।

११. मन्त्र यह है—भूश्च कश्च याक् चर्क् च गाश्च वट् च लं च धृश्च नृश्च पूर्वकाशरा पूर्वशमा विराजो या इवं विश्वं भुवनं ध्यानामुस्ता नो देवीस्तरसा संविवाता स्वस्ति यथा नयत प्रजापतीः (आप० ४।४।४)।

१२. वही।

१३. 'देवतार्थत्वेन पृषवकरण निर्वापः' (आप० १।१७।१० की टीका)।

१४. जब राक्षसों के लिए त्रिती मन्त्र का उच्चारण किया जाता है तो अन्य कृत्य करने के पूर्व जल का स्पर्श कर लिया जाता है, देखिए—“रोद्र राजसमासुरमाभिघरणिर्गं मन्त्रमुभत्वा पिभ्यम्यत्मानं घालम्योपस्पृशेत्। कारत्यायन १।१०।१४।

इसके उपरान्त जुहू, उपमृत एव ध्रुवा नामक तीन दवियों तथा खुन का आहुतन किया जाता है, उन्हें स्वच्छ किया जाता है और तल्लाम्बन्धी विभिन्न प्रकार के वृत्त्य मन्त्रों के उच्चारण के साथ सम्पादित होते हैं।

पत्नीसमग्रहण—यह कृत्य यजमान की पत्नी को मेखला पहनाने से सम्बन्धित है। आग्नीध्र महोदय वेद की टहनी, आग्यस्थाली, योत्रत्र" तथा दो दर्मांकुर ग्रहण करते हैं। गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम यजमान की पत्नी पत्रों के वक्र पर बैठी रहती है, अर्थात् उसके घुटने उठे रहते हैं या खड़ी रहती है और उसे आग्नीध्र या अध्वर्युं मेखला पहनाता है। यह मेखला मूँज (योत्रत्र) की होती है। आजकल पत्नी मेखला स्वयं धारण कर लेती है। आग्नीध्र या अध्वर्युं मेखला को वस्त्र के ऊपर से नहीं, प्रत्युत नीतर से पहनाता है (आपस्तम्ब २।५।५) वे विकल्प भी पाया जाता है, अर्थात् मेखला वस्त्र के ऊपर भी धारण की जा सकती है। पत्नी खड़ी होकर गार्हपत्य अग्नि की स्तुति करती है और कहती है— 'हे अग्नि, तू गृह का स्वामी है, मुझे अपने निकट बुला ले।' इसी प्रकार गार्हपत्य ने पश्चिम वर देवताओं की पत्नियों की स्तुति करती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में पुनः स्तुति करती है तथा अपने सप्रवापन एव सन्ततियो ने लिए अग्नि से बरदान माँगती है। आग्नीध्र वस्त्र से ढके हुए घृतपूर्ण घडे का मुख खोलता है और कृत्य के लिए जितना चाहिए उससे कुछ अधिक घृत निकालता है और उसे दक्षिण-अग्नि पर गर्म करता है। इसके उपरान्त बट पापी के समूह से आग्यस्थाली (जिसमें घृत रखा जाता है) निकालता है और उसमें दो पवित्रों को रखकर पर्याप्त मात्रा में घृत भर देता है। इस कृत्य को घृत-निर्वाप भी कहा जाता है। आग्नीध्र उस घृत को विभिन्न विधियों से गार्हपत्य ने जलते अंगारों पर गर्म करता है। इसी प्रकार उस घृत को पुनीत बनाने के लिए अनेक विधियाँ हैं, जिन्हे स्थानाभाव से यहाँ वर्णित नहीं किया जा रहा है।

बर्हिवास्तवण—इस कृत्य का तात्पर्य है वेदी पर कुत्ता बिछाना। अध्वर्युं बर्हि के गट्ठर की पाँठ खोलकर प्रस्तव-गुच्छ को सीपता है और उस पर दो पवित्र रखता है तथा उसे ब्रह्मा को दे देता है और ब्रह्मा उसे यजमान को देता है। उसके उपरान्त अध्वर्युं वेदी पर दर्म बिछाता है और उस पर बर्हि बाँधने वाली रस्सी रख देता है। बर्हि रखते समय यजमान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन आवश्यक नहीं है।

इसके उपरान्त अध्वर्युं होता के लिए आसन बनाता है और वह आहवनीय के उत्तर-पूर्व में बैठता है। होना के बँडने का डग भी निराला होता है। वह अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करते आसन ग्रहण करता है और अपने को पवित्र करता है। यजमान 'दमा-होतुं' मन्त्रों का उच्चारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३।१)।

इसके उपरान्त सामिधेनी मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। दर्मा-मूर्धमास में पन्द्रह सामिधेनी मन्त्र कहे जाते हैं जिनका आरम्भ ऋग्वेद की ३।२७।१ सत्यं ऋचा मे है, अर्थात् इस ऋचा के "प्र धो वाजा" में प्रदेव को तथा अन्तिम् (आ जुहोत, ऋग्वेद ५।२।८।६) को तीन बार कहा जाता है। एक ही स्वर से सब पदों को उच्चारित किया जाता है, अर्थात् यहाँ उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित नामक स्वरोच्चारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उच्चारण की इस विधि को एकश्रुति सजा दी गयी है। प्रत्येक पद के अन्त में 'ओम्' कहा जाता है। होता के 'ओम्' कहे पर अध्वर्युं आहवनीय में एक समिधा डाल देता है। उस स्थिति में यजमान 'अन्य इदम मम' का उच्चारण करता है। ऐसा वह प्रत्येक समिधा प्रक्षेपण के साथ करता है। इस प्रकार ग्यारह समिधा डाली जाती है। एव को छोड़कर, जो अनुयायों

१५. आग्यस्थाली यह पात्र है जिसमें दो पवित्रों को रखकर घृत रखा जाता है। योत्रत्र मूँज की तीन शाखाओं वाली रस्सी है जिससे यजमान की पत्नी की कटि में मेखला (करपनी) बाँधी जाती है। पत्नी मेखला पहन लेने के उपरान्त ही यज्ञ में सम्मिलित हो सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।३।३)।

के लिए रहती है, अन्य शेष को अन्तिम पद्य कहे जाने में पूर्व अग्नि में छोड़ दिया जाता है। आश्वलायन (१।२।८-२२) ने इन सामिघ्नियों के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है।

इसके उपरान्त होना प्रवर ऋषियों का आवाहन करता है। इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है, जिससे वह अन्य देवों को बुला दे, यथा अग्नि, सोम, अग्नि, प्रजापति, अग्नीषोम, घृत पीनेवाले देवों को।

इस प्रकार देवताओं का आवाहन कचे होता घृत्नों के बल बैठ जाता है (अब तक के सारे कृत्य वह खड़ा होकर करता है), वेदी से कुछ उत्तर की ओर हटा देता है और वेदी का एक बित्ता स्थल नाप लेता है तथा स्तुति करता है (आश्वलायन १।३।२२)। यजमान भी स्तुति करता है (वाठक संहिता ४।१४)। यजमान अन्य विधियों के साथ आहवनीय में घृत डालता है। इस कृत्य को आधार की सजा मिली है। आधार की विधि भी लम्बी-चौड़ी है, जिसे स्थानामाव से यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार होतुवरण एव प्रयाजों की क्रियाएँ हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका विशेष महत्व कृत्यों से है और उन्हें करके ही समझाया जा सकता है। आज्यभाग का कृत्य भी विस्तारमय से छोड़ दिया जा रहा है।

उपर्युक्त कृत्यों के उपरान्त प्रमुख यज्ञ का आरम्भ होता है। अध्वर्यु होता से स्तुति करने को कहता है और वह ऋग्वेद ८।१६ से आरम्भ करता है। अध्वर्यु पुरोडाश का अश अग्नि में डालता है। इसकी विधि भी विस्तार से भरी है, जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। इस प्रकार अग्नि, प्रजापति या विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं। दूसरा पुरोडाश अग्नि एव सोम को दिया जाता है। अन्य बातें विस्तारमय से छोड़ दी जा रही हैं।

प्रमुख आहुतियों के उपरान्त स्विष्टकृत् अग्नि की पूजा की जाती है और उसे घृत, हवि आदि की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसी प्रकार इडापात्र^१ से पुरोडाश के दक्षिणी अश का एक माप काट लिया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यु क्रम से पुरोडाश के पूर्वी अर्ध-भाग के एव अश को काट लेता है। इसी प्रकार पुरोडाश के दक्षिणी एव पूर्वी माप के बीच से कुछ अश काटा जाता है। इसी क्रम से अन्त में उत्तरी भाग का अश भी ले लिया जाता है। अध्वर्यु इस प्रकार इन अशों पर आज्य छिड़ककर वेदी में पूर्व में रख देता है। इसके उपरान्त कई एक कृत्य किये जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे।

आश्वलायन (१।७।७) में इडोपह्वानम् (इडा के आह्वान) का विस्तार के साथ वर्णन है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एव आह्वान से इडा देवता यजमान के पक्ष में हो जाता है।

इडा के आह्वान के उपरान्त अध्वर्यु आहवनीयाग्नि के पूर्व से प्रदक्षिणा करता हुआ प्राशिन ब्रह्मा को देता है। आश्वलायन (१।१३।२) ने ब्रह्मा के कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। होता अवान्तरडा खाता है और ब्रह्मा प्राशिन खाता है, दोनों मन्त्रोच्चारण करते हैं (आश्वलायन १।७।८ एव आपस्तम्ब ३।२।१०-११ एव तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।५)। इसी प्रकार सभी पुरोहित अर्थात् अध्वर्यु, आग्नीध्र, ब्रह्मा, होता एव यजमान इडा खाते हैं तथा मन्त्र पढ़ते हैं। जब तक वे मूर्जन कर नहीं लेते, मौन धारण करते हैं।

दक्षिणाग्नि पर पर्याप्त मात्रा में चावल पकाया जाता है। इसे अन्वाहार्य की सजा दी गयी है। यजमान चारों पुरोहितों को अन्वाहार्य खाने के लिए प्रार्थना करता है। इसके उपरान्त यजमान 'सप्तहोतु०' का जप करता है। सप्त-

१६ 'इडा' एक देवता का नाम है, किन्तु गीण रूप से एक कृत्य तथा यज्ञिय सामग्रियों से भी इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इडा-पात्र अश्वत्थ (पीपल) की लकड़ी से निर्मित होता है। यह पात्र चार अंगुल चौड़ा तथा यजमान के पाँव के बराबर लम्बा होता है, इसकी एकड़न (मूठ) चार अंगुल लम्बी होती है।

होतु-शर्मा में अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, आग्नीध्र, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आदि आते हैं। प्रत्येक यज्ञ में यजमान त्याग का मन्त्र पढ़ता है। अनुयाज तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम में 'देवान् यज' तथा अन्य दो में केवल 'यज' कहा जाता है।^{१०}

इसके उपरान्त कई अन्य कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है। होता पत्नी की मेखला (योषत्र) खोल देता है और मन्त्र पढ़ता है (ऋग्वेद १०।८।५।२४)। पत्नी योषत्र को अलग कर देती है और अध्वर्यु उससे मन्त्रोच्चारण कराता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।१०।२)। अन्य अन्तिम कृत्य स्थानाभाव से यहाँ लिखे नहीं जा रहे हैं।

दशोष्टि की विधि में पूर्णमासेष्टि की अपेक्षा अधिक मत-मतान्तर पाये जाते हैं। दश-पूर्णमास के कई परिष्कृत रूप हैं, यथा दाशायण यज्ञ, वैश्वप, साकम्प्रस्थीय आदि, जिन्हे हम स्थानसूत्रोक्त के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। जैमिनि (२।३।५-११) के कथनानुसार दाशायण, साकम्प्रस्थीय एवं सक्रम यज्ञ दश-पूर्णमास के ही परिष्कृत रूप हैं।

पिण्डपितृयज्ञ

इस कृत्य में पके हुए चावल के पिण्ड पितरों को दिये जाते हैं, अतः इसे पिण्डपितृयज्ञ की संज्ञा दी गयी है।^{११} जैमिनि (५।४।१९-२१) के अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एवं स्वतन्त्र कृत्य है न कि दश यज्ञ के अन्तर्गत अथवा उरगता अथ। किन्तु कतिपय लेखकों के अनुसार यह दश नामक यज्ञ का एक अंग है (कात्यायन ४।१)। इस यज्ञ के विस्तार के लिए ये ग्रन्थ अवलोकनीय हैं, यथा—दाशपथ ब्राह्मण २।४।२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।३।१०, २।६।१६, आश्वलायन २।६-७, आपस्तम्ब १।७-१०, कात्यायन ४।१।१-३०, शत० २।७, शोषायन ३।१०-११। यह कृत्य उष दिना किया जाता है जब कि चन्द्र का दर्शन नहीं होता, अर्थात् अमावस्या के तीसरे भाग में, जब सूर्य की किरणें वृक्षों के ऊपरी भाग पर रहती हैं। स्थानाभाव से इस यज्ञ का वर्णन नहीं किया जा रहा है।

इस यज्ञ को यह गृहस्थ भी कर सकता है जिसने तीन वैदिक अग्निर्पा नहीं स्थापित की हैं। ऐसा गृहस्थ अमावस्या के दिन गृह अग्नि में आहुतिर्पा देता है (देसिए आश्वलायनश्रौतसूत्र २।७।१८, सत्कारकौस्तुभ, सत्कारप्रकाश आदि)। गौतम (५।५) का कहना है कि प्रत्येक गृहस्थ को कम-से-कम अन्न-तर्पण अवश्य करना चाहिए, उसे यथा-शक्ति भोजन आदि भी आहुतिर्पा देनी चाहिए। मनु ने भी दैनिक पितृतर्पण की बात चलायी है (२।१७६)।

१७. देसिए आश्वलायन (१।८।७), तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।५।९), तैत्तिरीय संहिता (१।६।७।१) एवं आपस्तम्ब (४।१२)।

१८. अमावास्यायां यद्ब्रह्मचर्यमस न परमन्ति तदहं पिण्डपितृयज्ञमुच्यते (आप० १।७।१-२)। श्रद्धात्तमे व्याख्या की है—“पिण्डः पितृणां यज्ञः”; सत्यापाड की टीका में महादेव ने कहा है—“पिण्डं पिण्डवत्तत्रेण सहितं पितृभ्यो देवेभ्यो यज्ञो होमः स पिण्डपितृयज्ञः” (२।७, पृ० २४५)।

चातुर्मास्य (ऋतु-सम्बन्धी यज्ञ)

आश्वलायन (२।१४।१) के मतानुसार इष्टययन के अन्तर्गत चातुर्मास्य, तुरायण, दासायण तथा अन्य इष्टियाँ आ जाती हैं। चातुर्मास्य तीन हैं, यथा—वैश्वदेव, वरुणप्रघास एव साकमेघ; किन्तु कुछ लेखकों ने शुनासीरीय नामक एक चौथा चातुर्मास्य भी सम्मिलित कर लिया है। इनमें प्रत्येक चातुर्मास्य को पर्व (अथ या सधि) कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक प्रति चौथे मास के अन्त में किया जाता है अतः इन्हें चातुर्मास्य सजा मिली है। ये क्रम से फाल्गुन या चैत्र, आषाढ़ तथा कार्तिक की पूर्णमासी को या पूर्णमासी के पाँचवें दिन या साकमेघ के दो या तीन दिन पूर्व किये जाते हैं। इनसे तीन ऋतुओं, यथा वसन्त, वर्षा एव हेमन्त के आगमन का निर्देश मिलता है। शुनासीरीय के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। यह साकमेघ के उपरान्त या इसके दो, तीन या चार दिनों या एक या चार मासों के उपरान्त सम्पादित किया जा सकता है (देखिए कात्यायन ५।१।१-२ और इसकी टीका)। यदि वैश्वदेव पर्व चैत्र की पूर्णमासी को सम्पादित हो तो वरुणप्रघास एव साकमेघ क्रम से श्रावण एव मार्गशीर्ष की पूर्णिमाओं के अवसर पर होते हैं।

वैश्वदेव

आश्वलायन के मत से फाल्गुन की पूर्णिमा के एक दिन पूर्व चातुर्मास्य के निमित्त वैश्वानर (अग्नि) एष पर्जन्य के लिए एक इष्टि करनी चाहिए। कात्यायन (५।१।२) ने यहाँ विकल्प किया है कि उस दिन व्यक्ति यह इष्टि करे या अन्वारम्भणीया इष्टि करे। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल वैश्वदेव किया जाता है और तब पूर्णमास इष्टि की जाती है। कात्यायन (५।१) की टीका के मत से वैश्वदेव-इष्टि पूर्णिमा के एक दिन उपरान्त प्रातःकाल की जाती है और तभी फाल्गुन की पूर्णमास-इष्टि की विधि उचित मानी जाती है। चातुर्मास्य के सभी पर्वों में यजमान के लिए कुछ व्रत या कृत्य करना आवश्यक होता है, यथा सिर-मुण्डन या दाढ़ी बनवाना, पृथिवी पर सोना, मधु-सेवन न करना, मास, नमक, मियून, घाटीरालवर्ण आदि से दूर रहना आदि। मूँछ एव दाढ़ी बनवाने के विषय में विकल्प भी पाया जाता है, यथा— या तो व्यक्ति प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों अवसरों पर ऐसा कर सकता है। सभी चातुर्मास्यों में पाँच कृत्य आवश्यक माने गये हैं, यथा अग्नि के लिए आठ घट-शबलो (कपालों) का एक पुरोडाश (रोटी), सोम के लिए पकाया हुआ चावल अर्थात् मात, सविता (उषास) के लिए बारह या आठ कपालों वाला एक पुरोडाश, सरस्वती के लिए षट् तथा पूषा के लिए चावल के आटे का चह। चातुर्मास्यों के सम्पादन से यजमान को स्वर्ग मिलता है। ये यज्ञ जीवन भर या केवल एक वर्ष के लिए किये जा सकते हैं।

वैश्वानर एव पर्जन्य की आरम्भिक इष्टि में वैश्वानर के लिए बारह कपालों वाली रोटी तथा पर्जन्य के लिए

१. देखिए तैत्तिरीय संहिता १।८।२-७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४।९-१० एवं १।५।५-६, शतपथ ब्राह्मण २।५।१-३ एवं ९।५।२, आपस्तम्ब ८, कात्यायन ५, आश्वलायन २।१५-२०, बौधायन ५।

पद बनाया जाता है। दोनों के लिए अनुवाक्या पद भी होते हैं (आश्वलायन २।१५।२ एव ऋग्वेद ७।१०२।१)। याग्या पद भी गाये जाते हैं (ऋग्वेद १।१८।२ एव ५।८३।४)। वैश्वदेव पर्व में ही (सभी चातुर्मास्यो में पाँच आहुतियाँ सामान्य रूप से दी जाती हैं) तीन अन्य आहुतियाँ हैं, यथा—मरुत स्वतवो या मरुतो के लिए एक पुरोडाश (सात कपालो बाला), सनी देवो (विश्वे देवो) के लिए एक पयस्या (या आमिसा) तथा धानामृषिषी के लिए एक कपाल वाली रोटी।^१

कात्यायन (५।१।२।२-२४) के मत से वैश्वदेव पर्व ऐसे स्थल पर करना चाहिए जो पूर्व की ओर मुका हुआ हो। यजमान और पत्नी नया यज्ञ धारण करते हैं जिसे वे दोनों पुनः वरुणप्रधास पर्व में धारण करते हैं। शतपथ ब्राह्मण (२।५।१) के आधार पर कात्यायन (५।१।२।५-२६) का मत है कि बहि (बह पवित्र दर्म जिसे यज्ञ-स्थल पर विद्याया जाता है) तीन गड्ढियों में अलग-अलग धास की रस्सी से बांधा जाता है। ये तीनों गड्ढियाँ पुनः एक बड़ी रस्सी से बाँधी जाती हैं। उनके बीच में (अन्तिम रस्सी के भीतर) फूलते हुए कुश का एक गट्टर रख दिया जाता है, जो प्रस्तर के रूप में प्रयुक्त होता है। यज्ञ-स्थल पर यज्ञपात्रों को रखकर अरणियों से अग्नि उत्पन्न की जाती है। अर्घ्वर्यु के बहने पर होता अरणियों को रगड़ते समय वैदिक मन्त्रों (ऋग्वेद १।२४।३, १।२२।१३, ६।१६।१३-१५) का उच्चारण तब तक करता है जब तक वह अर्घ्वर्यु से दूसरा आदेश (सम्प्रय) नहीं पा लेता। यदि अग्नि तत्काल न उत्पन्न हो तो होता मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०।११८) करता जाता है, और मह क्रिया (अरणियों से रगड़ने एव मन्त्रोच्चारण की क्रिया) अग्नि प्रज्वलित होने तक होती रहती है। जब अर्घ्वर्यु कहता है—“अग्नि उत्पन्न हो गयी” तो होता ऋग्वेद (६।१६।१५) का मन्त्र उच्चारित करता है। इसके उपरान्त होता अन्य मन्त्र पढ़ता है, यथा ऋग्वेद १।७४।३ एव ६।१६।४० का अर्थ माग तथा ६।१६।४१-४२, १।१२।६, ८।४३।१४, 'तमजंयन्त सुक्रतुम्' एव ऋग्वेद १०।१०।१६ का परिधानीया पद्य (अन्तिम मन्त्र)। वैश्वदेव पर्व में नौ प्रयाज एव नौ अनुयाज होते हैं, किन्तु दशपूर्णमास में केवल पाँच प्रयाज तथा तीन अनुयाज होते हैं। सविता की आहुतियों के लिए ऋग्वेद के ५।८२।७ एव ६।७।१६ मन्त्र अनुवाक्या एव याग्या है। अनुयाजो या सूक्तवाक या क्षयुवाक के उपरान्त वाजिन नामक देवों के लिए वाजिन की आहुति दी जाती है। वाजिन का धारास एक पात्र में उसी प्रकार लाया जाता है जैसा वि इवा का (अर्थात् वह अर्घ्वर्यु द्वारा होता के जुड़े हाथों में रखा जाता है, होता उसे बायें हाथ में रखकर दायें हाथ में अर्घ्वर्यु द्वारा छिड़का हुआ घृत धारण करता है और तब वाजिन के दो अंग रखे जाते हैं और पुनः उन पर कुछ घृत छिड़का जाता है) रखा जाता है। इसके उपरान्त पात्र मुख या नाक तक ऊपर उठाया जाता है। होता अन्य पुरोहितों से वाजिन खाने को कहता है। होता, अर्घ्वर्यु, ब्रह्मा एव आग्नीध्र केवल शृंषकर वाजिन को अपनाते हैं। किन्तु यजमान वाजिन को वास्तविक रूप में खाता है। कात्यायन (५।२।१ एव १२) के मत से अर्घ्वर्यु समिष्ट-यजु नामक तीन आहुतियाँ वात, यम एव यज्ञपति के लिए देता है। शतपथ ब्राह्मण (२।५।१।२।१) इस रूप में दान के लिए ऋतु से प्रथम उत्पन्न बछड़े का निर्देश करता है। कात्यायन का कहना है कि तीनों चातुर्मास्यो की समाप्ति पर यजमान अपने केश बनवा सकता है, किन्तु गुनासीरीय नामक चातुर्मास्य में ऐसा नहीं करना चाहिए (२।५।१।२।१)।

- वरुणप्रधास

‘वरुणप्रधास’ शब्द पुल्लिङ्ग है और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण (२।५।२।१) ने इसकी

२. प्राक्कास के रूप को गर्म करके उसमें सड़ा रूप डालने से बही बनता है, उसका कषा भाग आमिसा तथा सरल पवार्थ वाजिन कहलाता है।

एक काल्पनिक व्युत्पत्ति की है, यव (जौ) अन्न वरुण के लिए हैं और ये इस कृत्य में खाये (घस=खाना) जाते हैं, अतः इसका यह नाम है। वैश्वदेव के चार मास उपरान्त वर्षा ऋतु में आषाढ़ या श्रावण की पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। यजमान को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में पीछे उगे रहते हैं। आहवनीय अग्नि के पूर्व तथा दक्षिण की ओर दो वेदियाँ बनायी जाती हैं। उत्तर वाली वेदी अध्वर्यु तथा दक्षिण वाली उसके सहायक प्रतिप्रस्थाता (आप० ८।५।५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का अनुसरण करता है। केवल जल ले जाना, पत्नी-सप्रह्न (पत्नी को मेलला पहनाना), अग्नि-प्रज्वलन तथा अन्य कार्य जो कात्यायन (५।४।३३) में वर्णित हैं, उन्हें अध्वर्यु करता है। सभी प्रकार के आदेश केवल एक बार कहे जाते हैं और यह सब केवल अध्वर्यु ही करता है। किन्तु जैमिनि (१२।१।१८) के मत से, आज्य लेने के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के मन्त्र दोनों के द्वारा अलग-अलग कहे जाते हैं। दोनों वेदियाँ दो, तीन या चार अगुल की दूरी पर रहती हैं। उत्तर केवल एक होता है। प्रतिप्रस्थाता दोनों वेदियों के बीच में विचरण करता है। एक दिन पूर्व अर्थात् पिछले दिन वह करम्म से पूर्ण घडे तैयार रखता है। करम्म का अर्थ है मूने हुए जौ, जिनके छिलके साफ किये हुए होते हैं और जो पीसकर दही में मिश्रित कर दिये जाते हैं (कात्या० ५।३।२)। आपस्तम्ब (८।६।३) के मत से पत्नी ही करम्मपात्र बनाती है। ये पात्र सन्तानों की संख्या से एक अधिक होते हैं (पुत्र, कुमारी पुत्रियाँ, पौत्र एवं कुमारी पौत्रियों से एक अधिक)। कात्यायन (५।३।३-५) एवं आपस्तम्ब (८।५।४१) के अनुसार इस कोटि में वषुर्णे भी सम्मिलित की जाती हैं। कम-से-कम तीन सन्तानें अवश्य सम्मिलित की जाती हैं। करम्मपात्रों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले मूने हुए जौ तथा पीसे हुए जौ के शेषांश से भेड एवं भेडी की आकृति बनायी जाती है। भेड (नर) का निर्माण अध्वर्यु तथा भेडी (मेयी) का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आकृतियों को ऊन (एडका अर्थात् जगली बकरी को छोड़कर किसी भी पशु के ऊन) से या उसके अभाव में कुश से ढक दिया जाता है। सभी चातुर्मास्यों में जो पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं, उनके अतिरिक्त वरुणप्रधासो में चार अन्य देवों को, अर्थात् इन्द्र एवं अग्नि, मरुतो, वरुण एवं क अर्थात् प्रजापति को आहुतियाँ दी जाती हैं (आश्वलायन २।१७।१४)। मरुतो एवं वरुण को पयस्या या आमिशा तथा क (प्रजापति) को एक रोटी दी जाती है। सारी आहुतियाँ जौ की होती हैं। अनुवाक्या एवं याज्या ऋग्वेद के ७।९।१८, ६।६।१, १।८।६।१, ५।५।८।५, १।२।५।१९, १।२।४।११, ४।३।१।१ एवं १०।१२।१।१ मन्त्रों के रूप में होती हैं (आश्व० २।१७।२५)। आहवनीय अग्नि के ठीक पूर्व में लगभग तीन प्रक्रम की दूरी पर उत्तरवेदी निर्मित की जाती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चार अरत्नियों के बराबर लम्बी होती है। इसकी चौड़ाई लगभग तीन अरत्नियों के बराबर होती है। वेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानामाव से प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। प्रातःकाल अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थाता वेदियों की ओर गार्हपत्य से अग्नि ले जाते हैं। जैमिनि (७।३।२३-२५) के मत से अग्नि ले जाना केवल वरुणप्रधासो एवं साकमेधो में ही किया जाता है। आगे का विस्तार स्थानामाव से छोड़ दिया जा रहा है।

इस कृत्य का अन्त किसी नदी में जाकर पुरोहितों, यजमान एवं पत्नी के स्नान से होता है। किसी अन्य स्थान में भी स्नान किया जा सकता है। स्नानोपरान्त यजमान तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहित को देकर नवीन वस्त्र धारण करते हैं और घर लौटकर यजमान आहवनीय में एक समिधा डाल देता है।

साकमेध

चातुर्मास्यों के तृतीय वर्ष का बोधायन, आपस्तम्ब एवं कात्यायन ने बड़ा विस्तार किया है। नीचे हम केवल प्रमुख बातें दे रहे हैं। 'साकमेध' शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, क्योंकि इसमें बहुत-से कृत्यों एवं आहुतियों की

योजना पायी जाती है। 'साकमेध' का अर्थ है 'एक ही साथ या मानो एक ही समय प्रज्वलित करना (सत्रम्, एष)।' इसका यह नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुति आठ कपालों वाली रोटी (पुरोडाश = परोडा = रोट = रोटी) की होती है, जो सूर्योदय के साथ अग्नि अनीकवान् को दी जाती है। वरुणप्रपासो के चार मास उपरान्त कार्तिक या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को यह कृत्य किया जाता है। इसमें कुल दो दिन लग जाते हैं। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व तीन सवनों (प्रातः, मध्याह्न एव साय) में तीन इष्टियाँ तीन देवों, यथा—अनीकवान् अग्नि, सन्तपन मरुतो एव गृहमेधी मरुतो के लिए की जाती है। प्रातः आठ कपालों वाला पुरोडाश अग्नि अनीकवान् को, मध्याह्न काल में चरु (पचाये हुए चावल अर्थात् भात की आहुति) सन्तपनो को तथा साय यजमान की सभी गायों के दूध में पका हुआ चरु गृहमेधी मरुतो को दिया जाता है (आप० ८।१।८)। अन्तिम चरु के पिपय में आपस्तम्ब (८।१०।८ एव ८।१।८-१०) तथा कात्यायन (५।६।२९-३०) ने लिखा है कि यदि दूध में अधिक चावल पकाया गया हो तो पुरोहित, पुत्र एव पौत्र उसका भरपेट भोजन कर उस राति एव ही थोड़ी में सो जाते हैं और दरिद्रता एव मृत्यु की चर्चा नहीं करते। दूसरे दिन प्रातःकाल पानी में पके हुए चावलों से अग्निहोत्र किया जाता है। साकमेध के प्रमुख दिन यजमान पिछले दिन गृहमेधी मरुतो के लिए पकाये गये भात की पाली की सतह से एक दबी (करछुल) भात निहालकर अग्निहोत्र के पूर्व या उपरान्त होम करता है। होम के समय मन्त्रपाठ भी होता है (वाजसनेयी संहिता ३।४९, तैत्तिरीय संहिता १।८।४।१)। इसके उपरान्त अर्घ्ययुग्म यजमान से एक बँल लाने को कहता है और उसे गर्जन करने को उद्देहित करता है। बँल के निगाद करने पर दर्वी का भात मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ३।५०, तैत्तिरीय संहिता १।८।४।१) के साथ अग्नि में डाला जाता है। यदि बँल न बोल सके तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आश्वलायन (२।१।८।१-१२) के मत से बँल के न बोलने पर घन-गर्जन पर या आग्नीध्र (एव पुरोहित) के गर्जन करने पर (आग्नीध्र को बहामुत्र अर्थात् ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है) होम कर दिया जाता है। बँल को घन रूप में अर्घ्ययुग्म ग्रहण करता है। इसके उपरान्त सात कपालों पर पका हुआ एव पुरोडाश पीड़ी मरुतो के लिए तथा एव चरु अदिति के लिए आहुति के रूप में दिया जाता है। इस कृत्य के उपरान्त महाहवि की बारी आती है, जिसमें आठ देवा को आठ आहुतियाँ दी जाती हैं, जिनमें पाँच आहुतियाँ तो सभी पातुमस्त्यो वाली होती हैं, छठी १२ कपालों वाले पुरोडाश की इन्द्र एव अग्नि के लिए, सातवीं महेंद्र (आश्व० २।१।८।१ के मत से इन्द्र या वृत्रहा इन्द्र या महेंद्र) के लिए चरु के रूप में तथा आठवीं आहुति एव कपाल वाले पुरोडाश के रूप में विश्ववर्मा के लिए होती है। आपस्तम्ब के मत से आठवीं आहुति सह, सहस्य, तप एव तपस्य नामक चारों मासों (मार्गशीर्ष, पौष, माघ एव फाल्गुन) के नामों को उच्चारित कर दी जाती है। महाहवि की दक्षिणा है एक बँल (आप० के मत से एक गाय)।

महाहवि के उपरान्त पितृयज्ञ की बारी आती है, जिसे महापितृयज्ञ कहा जाता है। दक्षिणाग्नि के दक्षिण चार कोण वाली (चार दिशाओं में फँली मुजाओ वाली) वेदी का निर्माण होता है। इस वेदी की लम्बाई एव चौड़ाई यजमान की लम्बाई के बराबर होती है (आप० ८।१।३।२)। यजमान दक्षिणाग्नि से अग्नि लाकर इस नयी वेदी के मध्य में रखता है जहाँ आहवनीयाग्नि में दी जाने वाली आहुतियाँ डाली जाती हैं। महापितृयज्ञ में पत्नी कुछ नहीं भरती। छ कपालों वाली रोटी इस यज्ञ में सोमवान् पितरो या पितृमान् सोम को, पाना (भूने हुए जौ) बहिषद् पितरो को तथा मन्त्र

३. अथ पौर्णमास्या उपवसत्येक्षणयेऽनीकवते पुरोडाशानष्टाकपालं निर्वपति साकं सूर्योद्यते। शौ० ५।९; आप० ८।१।२ एव तै० सं० १।८।४।६।

४. यह गाय जिसका बछड़ा न हो किन्तु बूतरी गाय के बछड़े से दूध दे, उसे 'निवाग्या' गाय कहा जाता

अग्निष्वात्त पितरो को दिया जाता है। आश्वलायन (२।११।२१) ने यम देवता को भी सम्मिलित कर लिया है। इस कृत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिये जा रहे हैं।

साकमेध की अन्तिम क्रिया त्रैयम्बक होम है (देखिए तै० स० १।८।६, शतपथ ब्राह्मण २।६।२।१-१७, आश्व० २।१९।३।४०, आप० ८।१।७-१९, वौषा० ५।१६-१७ वात्या० ५।१०)। यह होम ऋद के लिए किया जाता है। विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है।

शुनासीरीय

घातुर्मास्यो की अन्य पाँच आहुतियों के अतिरिक्त इस इष्टि में विशिष्ट आहुतियाँ हैं—चारहू कपालो वाली रोटी (वायु एव आदित्य के लिए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनासीर के लिए), धारोष्ण दूध (वायु के लिए), एक कपाल वाली रोटी (सूर्य के लिए)। इस कृत्य में न तो उत्तरवेदी होती है और न धर्मण से उत्पन्न अग्नि। पाँच प्रयात्र तीन अनुयाज एव एक समिष्टयजु होते हैं। आपस्तम्ब (८।२०।६) के मत से नौ प्रयाज एव अनुयाज होते हैं। दक्षिणा के रूप में छ बैलों या दो बैलों के साथ हल होता है। कार्त्वायन (५।११।१२-१४) के मत से एक सफेद बैल, तीर्त्तरीय सहिता (१।८।७) के मत से १२ बैलों के साथ एक हल तथा आपस्तम्ब (८।२०।९-१०) के मत से १२ या ६ बैलों के साथ एक हल होता है।

ऋग्वेद (४।५।७।५ एव ८) में 'शुनासीरो' का उल्लेख है। ऋग्वेद (४।५।७।४ एव ८) में 'शुन' शब्द कई बार आया है। इसका अर्थ सन्देहास्पद है। मात्क के निरुक्त (९।४०) के अनुसार 'शुन' एव 'सीर' का अर्थ है—कम से वायु एव आदित्य। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (२।६।३।२) में 'शुन' का अर्थ है 'समुद्धि' एव 'सीर' का अर्थ है 'सार' और इस इष्टि को यह समा इसलिए मिली है कि इससे यजमान को समुद्धि एव सार की प्राप्ति होती है।

आग्रयण

इस कृत्य के विस्तार के लिए देखिए शतपथ ब्राह्मण (२।४।३), आपस्तम्ब (६।२९।२), आश्वलायन (२।९), कार्त्वायन (४।६), वौषायन (३।१२)। यह वह इष्टि है जिसे सम्पादित किये बिना नवीन चावल, जौ, सावा (श्यामाक) एव अय नवीन अन्नो का प्रयोग आहिताग्नि नहीं कर सकता था। यह कृत्य पूर्णिमा या अमावस्या के दिन किया जाता था। चावल के अनुसार इस कृत्य का काल शरद ऋतु था। जो वसन्त में पकते हैं, अतः इनका आग्रयण कृत्य वसन्तु ऋतु में किया जाता था। आश्वलायन ने विवल्प दिया है कि एक बार शरद में आग्रयण कर लेने पर यव के लिए इसका सम्पादन पुन नहीं भी किया जा सकता है। श्यामाक (सावा) की इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है और सोम को चरु दिया जाता है। 'आग्रयण' दो शब्दों से बना है, 'अग्र' एव 'अयन'। 'अग्र' का अर्थ है प्रथम फल एवं

है। इस गाय का दूध आर्घ्य भूने हुए जो बले पात्र में रखा जाता है। उसे दो-एक बार ईल के डण्डल से हिला दिया जाता है। ईल के डण्डल में एक रस्सी बँधी रहती है जिसे पकड़कर दूध हिलाया जाता है। हिलाने वाला ईल को हाथ से नहीं पकड़ता। यह हिलाना या भयना दाहिने से बायें होता है। इस प्रकार के मन्थन से प्राप्त वस्तु को मन्थ कहा जाता है।

५. यवा सर्पस्य तृप्तः स्वाववाग्रयणेन यजेत। . . . अपि वा क्रिया यजेत्। आश्व० २।९।२ - य ५।

'अयन' का अर्थ है खाना। आपस्तम्ब (६।२९।६) के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्वलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिपेनी) होते हैं। इस कृत्य के देव हैं इन्द्र एव अग्नि (आप० ६।२९।१० एव आश्व० २।९।१६ के मत से ऐन्द्राग्न या आग्नेन्द्र) तथा आहुतियाँ हैं बारह कपालों वाली रोटी, वैश्वदेवों के लिए दूध या जल में पकाया हुआ चरु, एक कपाल वाली रोटी (चावापुषिबी के लिए) तथा सोम के लिए चरु (यदि सार्वों के अन्न के विषय में कृत्य हो रहा हो तो)। आययण के सम्बन्ध की अन्य बातें विस्तार मय से छोड़ दी जा रही हैं। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं। कात्यायन (४।६।१८) के मत से रेसमी वस्त्र, मधुपर्क (मधु, दही एव पी) या वर्षा ऋतु में यजमान द्वारा पहना गया पस्त्र दिया जा सकता है। आपस्तम्ब (६।३०।७) के मत से माघ की पूर्णिमा के पूर्व उत्पन्न हुए बछड़ों में प्रथम बछड़ा, और इष्टि वाला वस्त्र (सार्वों अन्न के साथ) दिया जा सकता है। जैमिनि (१०।१।३४-३८, १२।२।३४-३७) के मत से रेसमी वस्त्र, बछड़ा तथा दक्षिणाग्नि पर पकाया हुआ चावल दिया जा सकता है। आययण कृत्य श्रौत यज्ञ का ही एक रूप है जो तीनों वैदिक अग्निषों को प्रज्वलित करनेवालों के लिए मान्य है।

काम्येष्टि

श्रौतसूत्रों में बहुत-सी ऐसी इष्टियों के सम्पादन के नियम पाये जाते हैं जो विशिष्ट घटनाओं, अवसरों या वाञ्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। आश्वलायन (२।१०-१४), आपस्तम्ब (१९।१८-२७) तथा अन्य श्रौतसूत्रों में बहुत-सी इष्टियों के नाम लिये हैं, यथा आयुष्काम्येष्टि (लम्बी आयु की अभिलाषा रखने वाले के लिए), स्वस्वयनी (सुरसापूर्ण यात्रा के लिए), पुत्रकाम्येष्टि (उसके लिए जो पुत्र या दत्तक की अभिलाषा करता है, आश्वलायन २।१०।८-९), लोकेष्टि, महावैराजी (आश्वलायन २।११।१-४) या मित्रविन्वा (कात्यायन ५।१२, उसके लिए ओ सम्पत्ति, राज्य, मित्रों एवं लम्बी आयु की अभिलाषा रखता है। इसमें १० देवों की पूजा की जाती है), संस्रानी (समस्तों के लिए), कारीरीष्टि (उसके लिए जो वर्षा चाहता है, आश्व० २।१३।१-१३, आप० १९।२५।१६), सुरायण (आश्व० २।१४।४-६), बाभायण (आश्व० २।१४।७-१०)। इन इष्टियों का वर्णन स्थानाभाव से यहाँ नहीं किया जा रहा है।

६. अथ अयनं भक्षणं येन कर्मणा तदापयणम्। प्रथमद्वितीययोर्ह्यस्यवीर्यत्वव्यत्ययः। आश्वलायन (२।९।१) की टीका।

७. कार्तिकापुराण (व्यवहारमण्डल, पृ० ११४) के मत से पाँच वर्ष वाले या उससे बड़े पुत्र को गोद लेने वाला पुत्रेष्टि करता है। कारीरीष्टि में यजमान काले अक्षय्य वाले काले वस्त्र को धारण करता है (संस्कारिय संहिता, २।४।७-१०)। मित्रविन्वा के लिए हेतिए शतपथब्राह्मण १।१।४।३। बाभायण के लिए हेतिए शतपथ ब्राह्मण (२।४।४, १।१।२।१।३) जिसके अनुसार यह इष्टि केवल १५ वर्षों तक की जाती है, क्योंकि इसमें प्रति मास दो अनावस्याओं एवं दो पूर्णिमाओं को आहुतियाँ दी जाती हैं।

पशुबन्ध या निरूढ-पशुबन्ध^१

पशुबन्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ है और सोमयज्ञो में इसका सम्पादन उनका एक अमिश्र अंग माना जाता है। स्वतन्त्र पशुयज्ञ को निरूढ-पशुबन्ध (अर्थात् निवाले हुए पशु की आहुति) कहा जाता है तथा अन्य गौण पशुयज्ञों की सौमिक (आश्व० ३।८।३-४) सज्ञा है। जैसा कि जैमिनि (८।१।१३) का उद्घोष है, निरूढ-पशु सोमयाग में प्रयुक्त पशुबलि (अग्नीषोमीय पशु) का परिमार्जन मात्र है, किन्तु कतिपय सूत्रों के निरूढपशु नामक परिच्छेद में दोनों की विधि का पूर्ण विवेचन हुआ है (देखिए, वार्यायन ६।१०।३२ एव कात्यायन ६।१।३१ की टीका)। सबनीय-पशु एव अनुबन्ध-पशु के अतिरिक्त सभी पशुयज्ञों का आदर्श रूप (प्रकृति) वास्तव में निरूढ पशुबन्ध ही है। आहिताग्नि को जीवन भर प्रति छ मास उपरान्त या प्रति वर्ष स्वतन्त्र रूप से पशुयज्ञ करना पड़ता था।^२ प्रति वर्ष किये जाने पर वर्षा ऋतु (श्रावण या माद्रपद) की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या प्रति छ मास पर किये जाने पर दक्षिणायन एव उत्तरायण के आरम्भ में यह किया जाता था। तब यह किसी भी दिन सम्पादित हो सकता था और उसके लिए अमावस्या या पूर्णिमा का दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आश्वलायन (३।१।२-६) के मत से पशुबन्ध के पूर्व या उपरान्त विकल्प से कोई इष्टि की जा सकती थी और वह या तो अग्नि या अग्नि-विष्णु अथवा अग्नि और अग्नि-विष्णु के लिए होती थी। इस यज्ञ में एक छोटा पुरोहित होता था मैत्रावरुण (या प्रशास्ता)। हम पहले ही देख चुके हैं कि चातुर्मास्यो में पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। अग्निष्टोम ऐसे यज्ञ में यजमान को उदुम्बर की छड़ी दी जाती है। पशुबन्ध में पुरोहितों के चुनाव के उपरान्त जब मैत्रावरुण यज्ञमूर्ति में प्रवेश करता है तो अम्बयुं (कुछ शाखाओं के अनुसार यजमान) उसे यजमान के मुख तक लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है और मैत्रावरुण मन्त्र के साथ उसे ग्रहण करता है। इसके उपरान्त कुछ अन्य कृत्य होते हैं जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। अघ्वयुं आहवनीय में घृत छोड़ता है। इस क्रिया को मूपाहुति कहते हैं। इसके उपरान्त अघ्वयुं वनस्थली में किसी बड़ई (तसा) के साथ जाता है। यज्ञ-स्तम्भ या मूप का निर्माण पलाश, खदिर, बिल्व या रोहितक नामक वृक्ष के काष्ठ से होता है।^३ किन्तु सोमयज्ञ में यथास्तम्भ खदिर का ही मूप निर्मित होता है। वृक्ष हटा होना चाहिए, उसका ऊपरी भाग शुष्क नहीं होना चाहिए। वह सीधा खड़ा हो तथा उसकी टहनियाँ ऊपर की ओर उठी हो; इतना ही नहीं, टहनियों का झुकाव

१. देखिए शतपथब्राह्मण ३।६।४, ११।७।१; सैत्तिरीय संहिता १।३।५-११, ६।३।४; कात्यायन ६; आपस्तम्ब ७; आश्वलायन ३।१-८ एवं शौषायन ४।

२. मनु (४।२६) ने भी अयनों के आरम्भ में पशुयज्ञ की व्यवस्था कही है। आपस्तम्ब (७।८।२-३) एवं शौषायन (४।१) ने पशुबन्ध में प्रयुक्त सामग्रियों एवं यज्ञपात्रों का वर्णन किया है।

३. मूप के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए शतपथब्राह्मण (३।६।४ से लेकर ३।७।१ तक) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (६।१।३)।

दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अश्वर्युं, ब्रह्मा, यजमान एव बड़ई चुनाव के उपरान्त वृक्ष को मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ५।४२, तैत्तिरीयसंहिता १।३।५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मन्त्रो आदि के साथ अश्वर्युं बुल्हाडी लगाता है। बड़ई उस वृक्ष को इस प्रकार काटता है कि पृथ्वी में बचा हुआ भाग रथ के चक्को को न टोका सके। कटे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व में गिरना चाहिए। वृक्ष गिर जाने के उपरान्त मन्त्रोच्चारण होता है।

इस प्रकार कटे हुए यूप की लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित विद्ये गये हैं (आपस्तम्ब ७।२।११-१७; कात्यायन ६।१।२४-२६)। कुछ लोगों के मत से यूप एक अरत्नि से ३३ अरत्नियो तक हो सकता है। किन्तु कात्यायन ने साधारणतः तीन या चार अरत्नियो की लम्बाई की ओर सबैत विन्या है। शनपय ब्राह्मण (९।७।४।१) ने भी यही कहा है। कात्यायन (६।१।३१) ने सोमयज्ञ के यूप की लम्बाई पाँच से पन्द्रह अरत्नियो तक उचित ठहराया है। उन्होंने इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेध के यूप को २१ अरत्नि लम्बा माना है। आपस्तम्ब के मत से यूप यजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होना चाहिए। यूप की मोटाई के विषय में कोई मत नहीं है। यूप के उस भाग को जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर अनगढ़ रहता है, किन्तु यूप का अन्य भाग ठीक से छिला रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तब इस प्रकार छोला जाता है कि उसमें आठ कोण बन जायें, जिनमें एक कोण अन्य कोणों से बड़ा होता है और अग्नि की ओर मुखा रहता है। यूप निर्माण के उपरान्त वृक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से बल्हाडी से अगुली के पीर तक लम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोना और बीच में ऊजल की मूर्ति होता है। इस भाग को चण्डाल कहा जाता है जो यूप पर पगड़ी की मूर्ति रखा जाता है (कात्यायन ६।१।३)।

निरुद्ध-यद्युष्य में दो दिन लग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित हो सकता है। प्रथम दिन में, जिसे उपवसथ कहा जाता है, आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूप लाना आदिविद्या जाता है।

इस यज्ञ में केवल एक वेदी बनायी जाती है जो वरुणप्रथाम वाली की मूर्ति आहवनीय अग्नि के पूर्व में होती है, न कि दर्शपूर्णमास वाली की मूर्ति पश्चिम में। वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन यहाँ अनपेक्षित है। इस वेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची वेदी) का निर्माण होता है। वेदी की पूर्व दिशा में उत्तरी कोण में लेकर दाम्या (३२ अंगुल) वर्ग परिमाण का एक गड्ढा खोदा जाता है जिसे चात्वाल कहा जाता है और यह तीन वित्ता (वितस्ति) या ३६ अंगुल गहरा होता है। इसी प्रकार दक्षिण कृत्यो एव मन्त्रो से युक्त मूर्ति-मूर्ति की साम-त्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें मयास्थान रखा जाता है, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा रहा है। यूप गाड़ने की भी विधि वर्णित है। एक नहीं कई यूप गाड़े जाते हैं म्यारह यूपों की परम्परा पायी जाती है। यूप के लिए प्रोक्षण (जल छिड़कना), अजन, उद्युष्य (ऊपर उठाना), परिव्याण या पत्विष्यण (मेसला या चारपनी से घेरने की क्रिया) आदि के कृत्य विद्ये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, न कि प्रति पशु की बलि के उपरान्त। मेसला यूप का अंग है न कि पशु का, न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेसला की आवश्यकता होती है।

बलि का पशु सुगणित जल से नहलाया जाता है और चात्वाल एव उत्तर के बीच में रखा जाता है। उसका मुस पश्चिम में यूप के पूर्व होता है। पशु नर (छाग=बकरा) होना है, उसका अंग-मग नहीं होना चाहिए, अर्थात् उसमें सींग न टूटे हो, काना न हो, कनकटा या घनफटा न हो, दाँत न टूटे हो और न पुच्छ-बिहीन हो, न तो लंगडा हो और न सात सुरो (प्रत्येक पैर में दो सुर होने हैं, इस प्रकार चार पैरों के आठ सुर) वाला हो। यदि उपयुक्त दोषों में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को आज्य की आहुति

दी जाती है (आपस्तम्ब ७।१२।३)। इससे उपरान्त पशुपाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एव मन्त्रों के साथ पशु को छूकर देवों के लिए उसे समर्पित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य कृत्यों के उपरान्त पशु को जल पिलाया जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जाता है।

पशु की बलि इन्द्र-अग्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुबन्धन में जीवन भर उस देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (कात्यायन ६।३।२९-३०)। इस यज्ञ से सम्बन्धित अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

अध्वर्यु शमिता (पशु मारनेवाले) को अस्त्र देता है। यह क्रिया मन्त्र आदि के साथ की जाती है। जब पशु काट दिया जाता है तो उसकी अर्ति आदि एक विशिष्ट गड्ढे में दबा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस पकाया जाता है उसे शामित्र कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काटते समय उसके मुख से स्वर न निकले। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र एव यजमान अपना मुख काटे जाते हुए पशु से दूसरी ओर हटा लेते हैं। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पर्य यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, नाभि, लिंग, गुदा, पैरों को मन्त्र के साथ स्वच्छ कर देती है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः),^१ यजमान और उसकी पत्नी मार्जन द्वारा अपने को शुद्ध करते हैं।

इससे उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और आवश्यक पान्नों को आहवनीय के पूर्व में रख दिया जाता है। अध्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिह्वा आदि को पृथक् करता है। आपस्तम्ब (७।२।१५ एव ७) के अनुसार यह कार्य शमिता करता है। इस मत से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल मकी भाँति लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पशु यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बन्द हो गये, अतः निबन्ध-कारों ने उन पर अपनी विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं। आपस्तम्ब (७।२।१६) के मत से पशु के काटे हुए अंग ये हैं—हृदय, जिह्वा, छाती, कलेजा, घृक्, बायें पैर का अग्र भाग, दो पुट्टे, दाहिनी जघा, मध्य की अँतडियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जूह से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्र भाग, बायी जघा, पतली अँतडियाँ स्विष्टकृत् को दी जाती हैं। दाहिना फेफड़ा, प्लीहा, पुरीतत्, अध्युष्नी, वनिष्ठ (बड़ी अँतडियाँ), मेदा, जायनी (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) उखा (एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हृदय को एक अरलि लम्बी लकड़ी में खोसकर पृथक् रूप से मूना जाता है। शमिता ही पकाने का कार्य करता है। जैमिनि (१२।१।१२) के मत से मांस पकाने का कार्य शालामुखीय अग्नि पर, न कि शामित्र अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु पके हुए मांस को घी में लपेटकर इन्द्र एव अग्नि, स्विष्टकृत् एव अग्नि स्विष्टकृत् को आहुतियों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्वर्यु पूरे मांस का बहुत-सा भाग अग्नि में डाल देता है। शेष भाग का कुछ अंश ब्रह्मा को तथा अन्य ऋग्य अग्य पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता द्वारा अलग से पकाये गये हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्यु यूप तथा आहवनीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता है तथा अन्य कृत्य करता है।

सम्पूर्ण पशु को यज्ञिय वस्तु कहा जाता है। जिस प्रकार धान (चावली) को चरु का पदार्थ माना जाता है उसी प्रकार पूरे पशु को यज्ञिय वस्तु की सत्ता मिलती है। हृदय एव अन्य अंगों को हवि के रूप में ही दिया जाता है।

पुरोहितों को भी विभिन्न अंगों के भाग दिये जाते हैं। पशुबन्ध का कृत्य भी बहुत लम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ अनपेक्षित है।

काम्या पशवः—जिस प्रकार बहुत-सी काम्येष्टियाँ होती हैं उसी प्रकार सम्पत्ति, ग्रामो, यश आदि के लक्षार्थ विभिन्न पशु बलि दिये जाते हैं, यथा समृद्धि के लिए श्वेत पशु वायु को, ग्राम के लिए कोई पशु वायु निमुत्वानु को, वाक्पटुता के लिए भेड सरस्वती को (तै० स० २।१।२।६)। काम्य पशुओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।८।१-९), आपस्तम्ब (१९।१६।१७) एवं आश्वलायन (३।७ एवं ३।८।१)। इन सभी प्रकार के यज्ञों में निरुद्ध-पशुबन्ध की ही विधि लागू होती है।

अध्याय ३३

अग्निष्टोम^१

कमी कमी सुविधा के लिए यज्ञ तीन विभागों में विभाजित कर दिये जाते हैं, यथा—इष्टि, पशु एव सोम । गौतम (८।२१) एव लाट्यायन श्रौ० (५।४।३४) के अनुसार सोमयज्ञ के सात प्रकार हैं—अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, धाजपेय, अतिरात्र एव अप्तोर्यामि । अग्निष्टोम को सोमयज्ञों का आदर्श रूप मान लिया गया है । अग्निष्टोम एकाह्रि या एकाह अर्थात् एक दिन वाला यज्ञ है और यह ज्योतिष्टोम का ऐसा अन्तर्हित भाग है कि दोनों को वमी-वमी एव ही माना जाता है । सोमयज्ञ कई प्रकार के हैं, यथा एकाह (एक दिन वाला), अहीन (एक दिन से लेकर बारह दिनों तक चलने वाला) तथा सत्र (ओ बारह दिनों से अधिक दिनों तक चलता है) । द्वादशाह नामक यज्ञ सत्र एव अहीन है (जैमिनि १०।६।६०-६१ एव तन्त्रवातिक २।२।२) । ज्योतिष्टोम में बहुधा पाँच दिन लग जाते हैं इससे मुख्य कृत्य ये हैं—पहले दिन पुरोहितों का वरण, मधुपर्क, दीक्षाणीयेष्टि एव दीक्षा, दूसरे दिन—प्रायणीया इष्टि (आरम्भ वाली इष्टि), सोम का ऋय, आतिथेयेष्टि (सोम को आतिथ्य देने वाली इष्टि), प्रवर्ष्य एव उपसद् (प्रातः एव सायं का अभिवादन), तीसरे दिन—प्रवर्ष्य एव दो वार उपसद्, चौथे दिन—प्रवर्ष्य एव उपसद्, अग्निप्रणयन, अग्नीषोमप्रणयन, हविर्धान प्रणयन एव पशुयज्ञ, तथा पाँचवें दिन अर्थात् सुत्य या सवनीय के दिन—सोम को वेरना (रस निकालना), प्रातः काल पूजा में चढ़ाना एव पीना तथा दोपहर एव सायं देवार्पण एव पीना, उदयनीया (अन्तिम इष्टि) एव अवमृथ (अन्तिम शुद्ध करने वाला स्नान) । प्रमुख श्रौत सूत्रों के आचार पर हम नीचे बहुत ही संक्षेप में अग्निष्टोम का वर्णन उपस्थित करेगे ।

जैमिनि (६।२।३१) के मतानुसार तीनों वर्णों के लिए ज्योतिष्टोम करना अनिवार्य है । इसका 'अग्निष्टोम' नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें अग्नि की स्तुति की जाती है और अन्तिम स्तोत्र अग्नि को ही सम्बोधित है (ऐतरेय ब्राह्मण १।४।५, आपस्तम्ब १०।२।३) । यह प्रति वर्ष वसन्त में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किया जाता है (आपस्तम्ब १०।२।२।५ एव ६, कात्यायन ७।१।४ एव सत्यापाठ ७।१) । जैमिनि (६।३।३७) में आया है कि दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य एव पशु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सोमयज्ञ किया जाना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य लोगों का मत है कि दर्शपूर्णमास के पूर्व भी यह किया जा सकता है, परन्तु अग्न्याधान के उपरान्त ही ऐसा करना उचित है (आश्व० ४।१।१-२ एव सत्यापाठ ७।१, पृ० ५५६) ।

इस यज्ञ का अमिलायी सर्वप्रथम सोमप्रवाक (सोम यज्ञ कराने वाले के निमन्त्रणकर्ता) को वेदत्रय ब्राह्मणा को (जो न तो अग्नि बृद्ध हो और न कम अवस्था के हो और न हो विद्वलाग) बुलाने के लिए भेजता है (ताण्ड्य

१. देखिए तैत्तिरीय संहिता १।२-४, ३।१-३, ६।१-६ एव ७।१, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१, १।४।१ एव ५-६, १।५।४, २।२।८, शतपथब्राह्मण ३-४; ऐतरेयब्राह्मण १-१५, आपस्तम्ब १०-२३ एव १।४।८-१२, कात्यायन ७-११; बौधायन ६-१०, आश्वलायन ४-६, सत्यापाठ ७-९, लाट्यायन श्रौतसूत्र १-२ ।

ब्राह्मण १।१।१, द्राह्मामण श्रौतसूत्र १।१ तथा आपस्तम्ब १०।१।१)। यह प्रमुख चार या सभी सोलहों (या 'शश्व' को सम्मिलित कर १७) ऋत्विजों की मुद्राता है।

पुरोहितों को मधुपर्क दिया जाता है। यजमान अपने देश के राजा के पाम यज्ञभूमि (देवयजन) की याचना के लिए जाता है। यह एक आडम्बर मात्र है, यहाँ तक कि राजा भी ऐसी याचना होता तथा अन्य पुरोहितों से करता है। अपनी भूमि रहने पर भी यजमान को ऐसी याचना करनी पड़ती है।

देवयजन (यज्ञ-भूमि) के पश्चिम भाग में घास गात हटाकर एक मण्डप (निमित्त—चार कोणों वाला मण्डप) खड़ा किया जाता है। मण्डप के विषय में कात्यायन (७।१।१९-२५), आपस्तम्ब (१०।५।१-५) एवं बोधायन (६।१) ने विस्तार से वर्णन किया है। मण्डप के दक्षिण में प्रत-भोजन बनाने व लिए एक शाला तथा पश्चिम में पत्नी (यजमान की पत्नी) के लिए दूसरी शाला बना दी जाती है।

यजमान अपने घर में ही गार्हपत्य एवं आहवनीय अग्नियों को अरणियों में रख लेता है और पुरोहितों, अरुणियों तथा पत्नी के साथ मण्डप में पूर्ण द्वार से प्रवेश करता है। अन्य सामग्रियों (सम्भार) भी मण्डप में लायी जाती है। मण्डप में एक बेदी बनाकर उसमें घर्षण से उत्पन्न अग्नि रखी जाती है। इसके उपरान्त कई वृत्त किये जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। मण्डप के बाहर उत्तर में यजमान एवं विशिष्ट शाला में नार्द से सिर, बाँख, मुख के केश तथा नख बटा लेता है। इसके उपरान्त उदुम्बर की टहनी से दन्तधावन कर कुण्ड के जल से स्नान करता है तथा आचमन आदि करता है। इसी प्रकार यजमान की पत्नी भी प्रतिप्रस्थाता द्वारा आदेशित हो नख बटाती है तथा स्नान आदि करती है किन्तु उसने इन वृत्तों में मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता, जैसा कि यजमान के वृत्तों में पाया जाता है। उसने बेधा नहीं काटे जाते, किन्तु कुछ लेखकों ने केश कटाने की भी व्यवस्था दी है। यजमान अर्घ्य्यु द्वारा दिये गये रेदामी वस्त्र धारण करता है। अपराह्ण में वह प्राग्धरा में बैठकर भी एवं दही से मिश्रित चावल या मनचाहा भोजन करता है। पत्नी भी यही करती है। इसके उपरान्त वह दर्भ की दो फुनगियों से अपने शरीर पर नखनीत लगाता है। यह वृत्त बहु बेद्रे से आरम्भ कर तीन बार करता है। इसके उपरान्त दर्भ से अपनी दामी आँग में दो बार और बायीं आँख में एक बार अञ्जन लगाता है या तीन बार दोनों आँसों में लगाता है। अर्घ्य्यु प्राग्धरा में बाहर यजमान की शुद्धि (पवन) करता है। यही बात प्रतिप्रस्थाता उसकी पत्नी के साथ करता है, किन्तु मन्त्रोच्चारण के साथ नहीं। यजमान मण्डप में पूर्व द्वार से तथा उसकी पत्नी पश्चिम द्वार से प्रवेश करती है। दोनों अपने-अपने आसन पर बैठ जाते हैं। इसके उपरान्त शीक्षणीय इष्टि की जाती है, जिसके फलस्वरूप यजमान शीक्षित समझा जाता है और यज्ञ करने के योग्य माना जाता है (जैमिनि ५।३।२९-३१)। स्थानामाव के कारण दीक्षणीय इष्टि का वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। दीक्षा का वृत्त अपराह्ण में ही किया जाता है। जब तक तारे नहीं दिखाई देते, यजमान मौन धारण चिये रहता है। पूरे यज्ञ तक यजमान एवं उसकी पत्नी को दूध पर ही रहना होता है। ऐसा करना ऋतवर्ष (अनिवार्य नियम) माना जाता है न कि पुरुषार्थ मात्र (जैमिनि ४।३।८-९)। यह दूध दो गायों के स्तनों से दुहा जाता है और दो पानों में पुष्क-पुष्क गर्भ किया जाता है, यजमान के लिए गार्ह-

२. सोलह पुरोहितों सभी विवरण देखिए अध्याय २९, टि० ३ में।

३. मण्डप को ब्राह्मण या प्राचीनयज्ञ कहा जाता है। कुछ लोगों के मत से यह पश्चिम से पूर्व १६ प्रकन लम्बा तथा दक्षिण से उत्तर १२ प्रकन चौड़ा होता है। इसमें ४ या ५ (एक द्वार उत्तर-पूर्व में होता है) द्वार तथा चारों बिनाओं में छोटे-छोटे प्रवेश-स्थल होते हैं (देखिए आपस्तम्ब १०।५।५)।

पत्याग्नि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्षिणाग्नि पर। यजमान एव उसकी पत्नी वा बहुत म अतिवार्य नियम वा पालन करना पड़ता है (आप० १०।१६, कात्या० ४।११।३४, वी० ६।६)।

दोसा ने दिन या दिनों के उपरान्त प्रथम कृत्य है प्रायणीय (आरम्भ वाणी) जप्ट। इस इष्टि में वा (चावल) दूध म पराकर अर्धित का दिया जाता है तथा अंग्र वा चार अहुतिना अथ चार दवनाश्र वा दा जाती है। ये चार देवता हैं पत्न्या स्वग्नि अग्नि, सोम एव सविता जो क्रम से पूव, दक्षिण, पश्चिम एव उत्तर दिशा के माने जाते हैं।

इसके उपरान्त सोम वा क्रय विना जाता है। कुत्स गोत्र वाले ब्राह्मण वा किसी शूद्र से सोम प्राप्त किया जाता है। आप० (१०।२०।१२) न निमी मी ब्राह्मण से खरीदने की बात कही है। जैमिनि (३।७।३१) ने सोम के विक्रय के लिए पुरोहितों के अनिश्चित किसी को भी उचित विक्रेता मान लिया है। क्रय के समय सोम को ब्राह्मण एव सूत्र ग्रन्थों में राजा बहा गया है। सोम वेचनवाले से सोम में लगा घाम-फूस स्वच्छ कर देने को कह दिया जाता है। सोम को स्वच्छ करते समय अश्वर्यु, उम्भे महायक, यजमान तथा यजमान के पुत्र आदि उभे देख नहीं सकते और न रवय स्वच्छ ही कर सकते हैं (मत्स्यापाठ ७।१, पू० ६०९)। बेल की लाल खाल के दक्षिणी भाग पर सोम रख दिया जाता है। सोमविक्रेता खाल के उत्तरी भाग पर बैठ जाना है। एक जलपात्र सोम के समझ रख दिया जाता है। इससे उपरान्त हिरण्यवती आहुति दी जाती है, जिमका वर्णन यज्ञ अनपेक्षित है। यज्ञ-भूमि के पूर्व द्वार के दक्षिण एक गाय खड़ी रहती है जिसे सोमकृपणी कहा जाता है, यह एक, दो या तीन वर्ष की होती है। इसका रम यथासम्भव सोम के समान ही होता है। इसी गाय को देकर सोम वा क्रय होता है, अतः गाय को सोमकृपणी कहते हैं (सोमः कृपयते यथा यथा सा सोमकृपणी)। गाय को पिगल होना चाहिए, उसकी आँखें पीत रंग से मिश्रित भूरी होनी चाहिए, वह अमी नियायी न हो, न तो वह विकलांग हो और न ही बेंधी हुई। उसका कान या पैर पकड़कर कोई खड़ा न हो, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार इस सोमकृपणी गाय के साथ अन्य कृत्य किये जाते हैं। इसके उपरान्त अश्वर्यु यजमान के नीकर द्वारा सोम को ढकने के लिए नपडा मँगवाता है। चार पहियों वाली गाड़ी में सोम चटाइयो में डरना रखा रहता है। सोम के अशु या डफूल किस प्रकार चुने जाते हैं, हाथ में लिये जाते हैं, वस्त्र से ढके जाते हैं, आदि के विषय में बहुत-म नियम हैं (आप० १०।२४।७-१४, कात्या० ७।७।१२-२१)। यजमान सोम का धर्मिवादन करता है और अर्धित की पूजा करता है (आप० १०।२५।१)। इसके उपरान्त अश्वर्यु बंधा हुआ सोम सोम विक्रेता को दे देता है और दोना में क्रय विक्रय सम्बन्धी एक नाटक चलता है। सोम-विक्रेता को स्वर्ण भी दिया जाता है। शतपथब्राह्मण (३।३।३), आपस्तम्ब (१०।२५।१-१६), कात्यायन (७।८।१-२०) एव सत्यापाठ (७।२, पू० ६३६-६४३) में मेन-वेन में मन्वन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन पाया जाता है। सोमकृपणी को गौशाला में भेज दिया जाता है और उसके बदले अन्य गाय दी जाती है। आपस्तम्ब (१०।२७।८) एव सत्यापाठ (७।२, पू० ६४४) में लिखा है कि सोम-विक्रेता को डेलो एव छडियों से मारने का नाटक किया जाता है, इसके उपरान्त सुब्रह्मण्या कृत्य किया जाता है जिसे उद्गायना पुरोहित का सहायक सुब्रह्मण्या नामक पुरोहित करता है। सोम को गाड़ी में विनिष्ट कृत्यों के साथ लाया जाता है। सोम को राजा की उपाधि से सम्बोधित किया जाता है। उसके स्वागत

४. कुछ सूत्रों (आप० १०।१४।८, १०।१५।४, आप० ४।२।१३-१५) के आधार पर बीसा-कार्य १२ दिनों या एक मास या एक वर्ष तक चलता है और इस प्रकार यजमान बुबला हो जाता है। ऐसी स्थिति में यजमान यज्ञ के लिए अन्य सामान, धन आदि अपने सतीहारा (सहायकों) द्वारा एकत्र करता है।

में आतिथ्येष्टि की जाती है। आसनादि की व्यवस्था की जाती है और गाड़ी से सोम को उतारकर उसके लिए बने विधिष्ट आसन पर मृगमर्म बिछाकर उसे विधिबन्त रखा जाता है। आतिथ्येष्टि के प्रमुख देवता हैं विष्णु और उनके लिए नौ कपालो वाली रोटी बनती है। अग्नि की उत्पत्ति धर्मण से की जाती है। अन्य विनियों के विस्तार के लिए देखिए आपस्तम्ब (१०।३) एवं कात्यायन (८।१)। इडा खा लेने के उपरान्त तानूनन्व गर्भ किया जाता है। इष्ट कृत्य में यजमान एवं सभी पुरोहित तानूनात् (तीव्र वेग से चलने वाली वायु) का नाम लेकर प्रण करते हैं कि वे एका-दूसरे का अमंगल नहीं करेंगे। इस कृत्य में उपरान्त यजमान को अवान्तर-दीक्षा दी जाती है जिसमें यजमान मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ५।६) के साथ आहवनीयाग्नि में समिधा डालता है, उसकी पत्नी सोम रूप से गार्हपत्यग्नि में समिधा डालती है। मदन्ती नामक पात्र में गर्भ जल को यजमान तथा सभी पुरोहित स्पर्श करते हैं।

अवान्तर-दीक्षा के उपरान्त प्रवर्ष्य तथा उसके उपरान्त उपसद् (उपसद् प्रवर्ष्य के पूर्व भी हो सकता है—आप० १।१।२।५, तत्याषाड ७ ५, पू० ९६२) नामक कृत्य किये जाते हैं। ये दोनों प्रातः एवं अपराह्न दो बार होते हैं। यह नम तीन दिनों तक (दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिन तक) चलता रहता है, किन्तु यह तभी होता है जब सोम का रम पाँचवें दिन निकाला जाय। यदि तोम का रस सातवें दिन या और आगे चलकर निकाला जाय तो प्रवर्ष्य एवं उपसदो की सख्या बढ़ा दी जाती है (आप० १।५।१२।५)। आतिथ्या में प्रमुक्त बहि, प्रस्तर एवं परिधि की विधि उपसदो एवं अग्नीषोमीय पशु के कृत्यो में भी की जाती है। अब हम संधेप में प्रवर्ष्य, उपसद्, अग्नीषोमीय पशु आदि का वर्णन उपस्थित करते हैं।

प्रवर्ष्य—बहुत-से सूत्रों (यथा—आप० १।५।५-१२, कात्या० २६, वोषा० १।६) में प्रवर्ष्य का वर्णन पृथक् रूप से पाया जाता है। इस कृत्य में यजमान को मानो एक नवीन देवी शरीर प्राप्त होता है (ऐतरेय ब्राह्मण ४।५)। यह एक स्वतन्त्र या अपूर्व कृत्य माना गया है न कि किसी कृत्य का परिष्कारित रूप। आप० (१।३।४।३-५) में मतानुसार यह कृत्य प्रत्येक अग्निष्टोम में आवश्यक नहीं माना जाता। वाजसनेयी संहिता (२९।५) में जो 'धर्म' कहा गया है वह सूर्य का द्योतक है और सम्राट् नाम से यज्ञ का अधिष्ठाता माना गया है। इसी प्रकार गर्भ दूष देवी जीवन एवं प्रकाश का द्योतक माना जाता है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ४।१ दशम ब्राह्मण १।४।१-४, तैत्तिरीयारण्यक ४।१-४२, ५।१-१२)। मिट्टी का एक पात्र बनाया जाता है जिसकी महावीर सजा है। इसमें एक छिद्र होता है जिसके द्वारा तरल पदार्थ गिराया जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महावीर पात्र होते हैं। पिनवन नामक अन्य दो दुग्धपात्र होते हैं और रोहिण नामक दो प्यालियाँ होती हैं जिनमें रोटियाँ पकायी जाती हैं। महावीर, पिनवन एवं रोहिण गार्हपत्याग्नि में प्रवर्ष्यित पाठ के शोभर की अग्नि में तपाये जाते हैं (कुछ लोगों ने मतसे ये पात्र दक्षिणाग्नि में तपाये जाते हैं)। रोहिण में दो पुरोडाश पकाकर प्रातः एवं सायं दिन तथा रात्रि के लिए आहुति रूप में दिये जाते हैं। महावीर पात्र को मिट्टी से बने उच्च स्थल पर रखकर उसमें धतुर्दिक् अग्नि जलाकर उसमें भी छोटा जाता है। प्रमुख महावीर पात्र को प्रथम पात्र माना जाता है। अन्य दो महावीर पात्रों को वस्त्र से ढककर सोम वाले स्थान से उतार दिया में बड़ी आसन्दी पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के उबलते हुए भी में गाय तथा बकरे वाली बपटो का दूध मिठाकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से मिथित गर्भ दूष को धर्म कहा जाता है जो अग्नि, वायु, इन्द्र, सविता, बृहस्पति एवं यम को आहुति रूप में दिया जाता है। यजमान (पुरोहित लोग केवल गध सेते हैं) शेष दूष को उपसग्नी से री जाता है। यह सब करते समय होता मन्त्रों का पाठ करता है और प्रस्तोता साम-गान करता जाता है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण कृत्य को प्रवर्ष्य कहा जाता है।

उपसद्—यह एक इष्टि है। बहुत-सी क्रियाएँ (यथा—अग्न्यन्वाधान), जो दर्शपूर्णमास में की जाती हैं, इस इष्टि में नहीं की जाती। इसमें घृत की आहुतियाँ अग्नि, विष्णु एवं सोम को अहू से दी जाती हैं। आतिथ्या नामक

इष्टि के उपरान्त किये जाने वाले सब कृत्य, यथा सोम को बढाना, निह्वक, सुब्रह्मण्या स्तोत्र का पाठ प्रत्येक उपसद् मे प्रात एव अपराह्ण तीन दिन या अधिक दिनों तक किये जाते हैं। उपसद् मे वाजपयामो, प्रयाजो, अनुयाजो की क्रियाएँ नहीं की जाती और न स्थित्युत्तग्नि (आश्वयामन ८।८।८) को आहुति ही दी जाती है। प्रातकाल ऋग्वेद के तीन मन्त्रो (७।१५।१-३) का पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्हें सामिधेनी कहा जाता है। इसी प्रकार सायकाल ऋग्वेद (२।६।१-३) के मन्त्रो को पढा जाता है। एक एक मन्त्र तीन बार पढा जाता है और इस प्रकार तीन मन्त्रो के नौ उच्चारणो को सामिधेनी कहा जाता है। उपसद् की आहुति सुब से दी जाती है। उपसद् के मन्त्रो से पता चलता है कि वे लोह, चाँदी एव सोने के दुर्भो के घेरों की ओर सकेत करते हैं। ये मन्त्र यहाँ क्यो प्रयुक्त हुए हैं, कुछ कहना कठिन है। शतपथ ब्राह्मण (३।४।४।३-४) मे नगरो पर घेरा डालने की चर्चा हुई है।

महावेदि—प्रवर्ध एव उपसद् कृत्यो के उपरान्त दूसरे दिन सोमपाग के लिए महावेदि (महावेदी) का निर्माण किया जाता है (वात्स्यायन ८।३।६, शतपथ ७।४, आप० १।१।१।१)। आहवनीयानि के सम्मुख पूर्व ओर ६ प्रक्रम की दूरी पर एक खूँटी (सुष्टु) गाड़ी जाती है (बोधा० ६।२२), या कात्यायन (८।३।७) के मत से साधारण अग्निशाला के पूर्वी द्वार से पूर्व की ओर ३ प्रक्रम की दूरी पर अन्तपत्य या शालामुखीय (बोपायन के मत से) नामक खूँटी गाड़ी जाती है। इस खूँटी से ३६ प्रक्रम पूर्व एक दूसरी खूँटी गाड़ी जाती है जिसे यूपावदीय (धूप वाले गड्डे से सम्बन्धित) कहा जाता है। इन दो खूँटियो को जोडने वाले सूत्र को पूष्या कहा जाता है। अन्तपत्य नामक खूँटी के उत्तरी एव दक्षिणी भाग मे १५ प्रक्रमो की दूरी पर अन्य खूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। यूपावदीय नामक खूँटी के दक्षिणी एव उत्तरी सिरे से १२ प्रक्रमो की दूरी पर दो खूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। इस प्रकार महावेदी का पश्चिमी भाग, जिसे श्रोणी कहा जाता है, ३० प्रक्रमो का, पूर्वी भाग, जिसे अस (कथा) कहा जाता है, २४ प्रक्रमो का तथा महावेदी की लम्बाई ३६ प्रक्रमो की हो जाती है। महावेदी (महावेदि) के चारो ओर एक रस्सी बाँध दी जाती है। दर्शपूर्णमास मे किये जानेवाले सभी संस्कार सोमपाग की महावेदी पर किये जाते हैं (सत्यापाठ ७।४, पृ० ६८५)। महावेदी के पूर्वी भाग मे एक उत्तर वेदी का निर्माण होता है, जो चतुर्मुंजाकार होती है। इसी प्रकार अन्य स्थल भी बताये जाते हैं जिनका विवरण यहाँ आवश्यक नहीं है।

दूसरे दिन प्रात काल प्रात एव साय वाले प्रवर्धो एवं उपसदो के कृत्य सम्पादित कर दिये जाते हैं। प्रवर्ध के उद्घासन के उपरान्त आहवनीयानि से उत्तरवेदी तक लायी जाने वाली अग्नि का कृत्य किया जाता है, जिसे अग्नि-प्रणयन कहा जाता है। वेदी को मार्ग पर रखी गयी अग्नि सोमपाग की आहवनीयानि कही जाती है और मौलिक आहवनीयानि गार्हपत्यानि का रूप धारण कर लेती है (आप० १।१।५।९-१०)। कुछ, समिधा एव वेदी पर जल छिटक दिया जाता है और सम्पूर्ण वेदी पर कुछ बिछा दिये जाते हैं। कुछ के अकुर पूर्वाग्निमुख रखे जाते हैं। अग्निशाला से जल द्वारा स्वच्छ हो हुई दो गाडियाँ लाकर महावेदी पर रख दी जाती हैं, इन गाडियो को हविर्धान नाम दिया गया है, क्योंकि सोम (जो सोमपाग मे हवि के रूप मे रिया जाता है) इन पर रखा रहता है। दक्षिण दिशा वाली गाडी अध्वर्यु

५. आपस्तम्ब (५।४।३) की टीका के अनुसार एक प्रक्रम दो या तीन पदों के बराबर तथा एक पद १५ अंगुलों (बोपायन) या १२ अंगुलो (कात्यायन) के बराबर होता है। किन्तु कात्यायन (८।३।१४) की टीका के अनुसार एक पद दो प्रक्रमों के बराबर होता है। प्रक्रमों के अतिरिक्त घजमान के पदों से भी नाप लिया जा सकता है। नैतिकीय संहिता (६।२।४।५) में भी महावेदी का नाप दिया हुआ है—“त्रिंशत्पदानि पञ्चात्तरदधो भवति षड्विंशत् प्राची चतुर्विंशति पुरस्तात्तरदधी”।

एक उत्तर वाली प्रतिप्रस्थाता ने अधिनार में रहनी है। ये गाड़ियाँ घास या बाँग के छिलको से बनी चटाइयों से ढक दी जाती हैं। इनके उपरान्त छः सम्भो वाला एक मण्डप (हविर्धान-मण्डप) बनाया जाता है। गाड़ी के धुरों पर यजमान की पत्नी एवं प्रतिप्रस्थाता द्वारा कई कृत्य किये जाते हैं। इस विषय में अन्य मस्तर, यथा गाड़ियों को ढकना आदि, यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं (आप० ११।७-८, कात्या० ८।५)। हविर्धान के भीतर कोई कुछ सामी नहीं सकता।

उपर—अध्वर्यु दक्षिण दिशा में रुकी हुई गाड़ी में सामने एक हाथ गहरे चार गड्ढे खोदता है जिन पर कुछ विद्या दिये जाते हैं, उन पर दो अधिवषण-फलक (लकड़ी के ताम्बे) विज्ञानर अधिवषण-चर्म (बैल का लाल चर्म) रख दिया जाता है। इस चर्म पर चार प्रस्तर-खण्डों में सोम या रस निकाला जाता है। प्रस्तर-खण्डों में उत्पन्न घोंप को चारों गड्ढे अधिपत्र गुंजिन कर देते हैं इसी में इनको उपरव बना जाता है (वात्स्यायन ८।५।१८ की टीका)।

उपरवों के पूर्व में या अधिवषण-चर्म या उपस्तम्भन (रस्सी से बँधे दो पीपे बाँसों या ढाँचा, जिस पर गाड़ी का अधभाग या जुआ रख दिया जाता है) के पूर्व में चार कोनों वाला मिट्टी का एक डूह बना दिया जाता है जिस पर सोम के पात्र रसे जाते हैं। इसके उपरान्त पुरोहितों के लिए मूषक-मूषक आसनो का निर्माण होता है। इन आसनो के निर्माण के साथ कई मन्त्रार किये जाते हैं जिन्हें स्थानानाम में यहाँ छोड़ दिया जा रहा है।

उपरवों के ऊपर कोमल कुसा रख दिये जाते हैं और उनके ऊपर उदुम्बर, पन्नाश या काश्मर्य नामक पेट के तख्तों में बने दो फलन रख दिये जाते हैं, इन्हें ही अधिवषण-फलक बना जाता है। अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम के लिए एक पशु की नलि दी जाती है। यह ावधि निहड-यगुबन्ध विधि के समान ही है। परिस्तरण, यज्ञिय पाशो का रखना, प्रोक्षण आदि कृत्य किये जाते हैं। प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी को उसके न्यून (पत्नीशाळा) से लाता है। इसी प्रकार यजमान के अन्य सम्बन्धी बुलाये जाते हैं। यजमान अध्वर्यु का, पत्नी यजमान (पति) का, पुत्र एवं भाई लोग पत्नी का स्पर्श करते हैं। ये सभी नवीन परिधान पहने रहते हैं और अध्वर्यु आज्य की प्रचरणो अर्थात् वेमाजिन आहुतियाँ सोम को देता है (कात्या० ८।७।१ आप० ११।१६।१५)। इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम का प्रणयन (आगे लाना) होता है। आहुतियों पर अग्नि प्रज्वलित कर उत्तरवेदी पर लायी जाती है। मीनि-मीति के पात्र महावेदी पर (यगुबन्ध के निमित्त) लाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन सोम-रस निकालने समय काम में लाये जाने वाले पात्र यथास्थान पर मजा दिये जाते हैं। अग्नि आग्नीध्र के धिष्ण्य के पास रस दी जाती है। सोम के इच्छल हविर्धान-मण्डप में लाये जाते हैं और दक्षिण की गाड़ी में फाले हरिण के चर्म पर रस दिये जाते हैं। इनके उपरान्त यजमान अपनी मध्यम दीक्षा का न्याग करता है, अर्थात् वह अपनी मेखला

६. 'उप उपरिष्ट्याड् शाल्यां रवः शब्दे वेद्यु ते।' देखिए कात्यायन (८।५।२८, ८।५।२५) एवं आपस्तम्ब (११।१।११, ११।१।१६)।

७. कात्यायन (८।५।२५) की टीका के अनुसार ये फलक वरग लकड़ी के होते हैं। इनका नाम अधिवषण-फलक है, 'अधि उपरि धमिष्यते सोमो यद्योस्ते अधिवषणे फलके।' कात्यायन (८।५।२६) की टीका के अनुसार अधिवषण-चर्म बैल का चर्म होता है (ऋग्वेद, १।१।५।९—'अंशु दुहन्तो अभ्यासते गवि')। आपस्तम्ब (११।१।१५) के मत से प्रस्तर-खण्ड चार होते हैं, किन्तु कात्यायन (८।५।२८) ने पाँच सख्या की है। आपस्तम्ब (११।१।१५) ने पाँचवें प्रस्तर-खण्ड को उपर कहा है। यह वर्णान्त चौड़ा प्रस्तर होता है और इसी पर सोम के इच्छल कूटे जाते हैं, इसके चारों ओर प्राया नामक चार खण्ड रसे रहते हैं, जो एक-एक बिस्सा लम्बे होते हैं और इस प्रकार बने होते हैं कि सोम के इच्छल ठीक से कूटे जा सकें।

धीली कर देता है। मुट्ठियाँ खोल देता है। मौन तोड़ता है। उपवास का भोजन छोड़ता है और अपना दण्ड मंत्रावरण नामक पुरोहित को दे देता है (आप० ११।१८।६)। सोमरस निकाले जान के दिन वह सोमरस पीता है और शेष यज्ञिय भोजन खाता है। इसके उपरान्त वह अपने नाम से पुकारा जाता है और उसके घर में बना भोजन अन्य लोग भी खाते हैं (कात्या० ८।७।२२)। तब अग्नि एवं सोम के लिए पशु-बलि दी जाती है। जमिनि (६।१।१२) के अनुसार बलि का पशु छाग (बकरा) होता है। निरुद्ध-पशुवध एव अग्नीषोमीय पशु की वक्ति में घोड़ा-सा अन्तर होता है। सोमरस निकालने के लिए जिस जल की आवश्यकता होती है उसे वसतीबरी कहा जाता है। इसे विधिपूर्वक किसी नदी में उतारा जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। रात भर यज्ञशांति में ही पुरोहित आदि निवास करते हैं।

पांचवें दिन (अन्तिम दिन) का मुत्या (जिस दिन सोमरस निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय होने के बहुत पहले ही सभी पुरोहित जगा दिये जाते हैं जिसमें वे सूर्योदय के पहले ही उपासु प्रस्तर-खण्ड से सोमरस निकाल डालें। इसके उपरान्त सवनाथ (सोमरस निकाल जाने के दिन बलि दिये जाने वाले) पशु की बलि की व्यवस्था की जाती है।

प्रातरनुवाक—सूर्योदय के पूर्व जब कि पक्षी भी जागे नहीं होते अर्धयुग होता तो प्रातरनुवाक (प्रातःकाल की स्तुति) कहने में शिष्ट आज्ञा देता है। यह स्तुति अग्नि उपा एवं अश्विनो के लिए कही जाती है क्योंकि ये देव प्रातःकाल जाग जाते हैं। इसी प्रकार अर्धयुग ब्रह्मा से माता धारण करने प्रतिप्रस्थाता को सवनाथ पुराडांग के लिए निवाय (सामग्रियों) निवालय तथा सुब्रह्मण्य का सुब्रह्मण्य स्थान पठन के लिए आज्ञा देता है। इसी प्रकार अर्धयुग होता से कहता है कि वट (अर्धयुग) उसकी स्तुति को मन-ही-मन कहगा। होता हविर्धान गाडिया के जुआक बीच में बैठ कर प्रातरनुवाक का तीन भाग म कहता है। इन तीनों भागों को ऋतु कहा जाता है जिनमें प्रथम अग्नि के लिए, द्वितीय उपा व त्रिण एव तृतीय अश्विनो के लिए होता है। प्रत्येक भाग में हाता कम संख्य में एक-एक मंत्र गायत्री अनुष्टुप वृहती उज्जिक त्रिष्टुप जगती एव पक्ति नामक सात छन्दा म कहा है। आश्वलायन ने लगभग २५० मंत्र उपा ऋतु म ५०७ आदिम ऋतु म कहने को लिखा है—इस प्रकार ऋग्वेद का ऋषय पांचवाँ भाग पठ डालना पड़ता है। यह प्रातरनुवाक मद्र गति म कहा जाता है (आश्व० ४।१२।६)।

प्रातरनुवाक होते समय आम्नाघ्र (कात्या० ९।१।१५ के मत से) या प्रतिप्रस्थाता (आप० १२।१।४ के मत से) निर्वाप (आहुतिपात्र की सामग्रियाँ) निकालता है। ये सामग्रियाँ हैं—ग्यारह कपालों वाली एक राटी (इद्र के त्रिण) इद्र व दो हरिया (पिपल बाडो) व लिए धाना (मूत्र हुए जो) पूषा के लिए करम्म (दही म मित्र जो वा सत्) सरस्वती व लिए दही तथा मित्र एव वरुण के त्रिण वषस्या। इसके उपरान्त बहुत से कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन स्थानानुवाक में नहीं किया जा सकता। समय-समय पर सोमरस भी निकाला जाता है और देवा का चढ़ाया जाता है। अन्य कृत्यों के उपरान्त महामिषय कृत्य किया जाता है।

महामिषय—यह एक महान् कृत्य माना जाता है। इसका सम्बन्ध है सोमरस निकालने के प्रमुख कर्म से। सोमरस निकालने में दो प्रकार के जल का प्रयोग होता है। एक को वसतीबरी कहा जाता है जो पूर्व राति में हा लाया जाता है, और दूसरा है एकपना जो उसी दिन लाया जाता है। प्रातःकाल सोम के ढठलो के अधिकतम भाग से रस निकाला जाता है तथा कुछ कम भाग में मध्याह्न काल में। अर्धयुग उपर नामक पत्थर उठाकर उस अधिवषय चम पर रखता है और उस पर कुछ सोम-डण्डल रखकर निष्प्राप्य जल छिड़कता है। अथ पुरोहित दाहिन हाथा में पत्थर लेकर ढण्डलो को कूटते हैं। इस कृत्य को धर्षाण अर्थात् पहला दौर कहते हैं। दूसरे दौर में कूटते समय श्वर उपर बिखरे ढण्डला को कूटा जाता है। इसी प्रकार कूटने या तीसरे दौर में चरता है। इसके उपरान्त अर्धयुग कूट हुए

डण्डों को सम्मरणी नामक पात्र में एकत्र कर आघवनीय नामक पात्र में रखता है। आपवनीय पात्र में पहले से जल रहता है। सोम के डण्डल उसमें स्वच्छ किये जाते हैं और फिर निचोड़कर और बाहर निकालकर अधिषवण-चर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कई हृत्य किये जाते हैं और पात्र-पर-पात्र भरे जाते हैं। प्रथम पात्र को अन्तर्यामि कहा जाता है। द्रोणकलश में रखे सोम को शुक्र कहा जाता है (कात्या० १।५।१५)। उषानु प्याला सूर्योदय के पूर्व दिया जाता है किन्तु अन्तर्यामि प्याला अर्धसूर्य द्वारा सूर्योदय होते समय दिया जाता है (आप० १२।१३।१२)। सोमरस के भरे पात्र या प्याले में हैं—ऐन्द्रवायव्य, मंत्रावरुण, सूक्, मन्थी, आप्रयण, उवप्य, ध्रुव। ये पात्र ध्रुव नामक उच्च स्थल पर रखे जाते हैं। इन पात्रों में सोमरस धारा रूप में ढाला जाता है, अतः इन्हे धाराग्रह कहा जाता है। इससे उपरान्त बहिय्यवमान स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जो कई हृत्यों के साथ सम्पादित होता है। जहाँ यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसे आस्तत्व कहा जाता है (आश्व० ५।३।१६)। बहिय्यवमान स्तोत्र एक दिन से अधिक समय तक चलता रहता है। यजमान एवं चार पुरोहित (किन्तु अर्धसूर्य नहीं) गायक का कार्य करते हैं, अर्थात् स्तोत्र का पाठ करते हैं (उपगाता, आप० १२।१७।११-१२)। सोमरस जब पहली धारा निकाला जाता है तो प्रथम स्तोत्र कहा जाता है जिसे पवमान की सजा मिली है (आप० १२।१७।८-८), किन्तु प्रातःकालीन सवनस्तोत्र को बहिय्यवमान कहा जाता है। दूसरी एवं तीसरी धारा रस निकालते समय क्रम से राष्यन्विन पवमान एवं आर्भं या तृतीय पवमान कहा जाता है। अन्य स्तोत्रों को पुर्वं कहा जाता है (कात्या० १।१४।५ की टीका)।

बहिय्यवमान स्तोत्र पढ़े जाते समय उभ्रेता पुरोहित आघवनीय पात्र से सोमरस को पूतमूत्र पात्र में ढालता है। स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अर्धसूर्य आग्नीध्र पुरोहित से घिण्णो पर अग्नि प्रज्वलित करने को कहता है और वेदी पर कुश रखने तथा पुरोडासों (रोटियों) को अलङ्कृत करने की आज्ञा देता है। इसी प्रकार अर्धसूर्य प्रतिप्रस्थाता को सवनीय पशु लाने की आज्ञा देता है।

सवनीय पशु की आहुति—अग्निष्टोम में सोमरस निकालने के दिन अग्नि के लिए बकरे की बलि दी जाती है। उवप्य यज्ञ में इन्द्र एवं अग्नि के लिए एक दूसरे बकरे की बलि होती है। षोडशी यज्ञ में एक तीसरा पशु (कात्या० १।८।४) के मत से मेघ तथा आप० १२।१८।१३ के मत से बकरा) काटा जाता है। अतिरात्र में सरस्वती के लिए बकरा काटा जाता है। इन चार पशुओं को स्तोत्रायन (कात्या० ८।७।१) एवं ऋतुपशु (आश्व० ५।३।४) कहा जाता है। इन पशुओं की बलि निरूद्ध-पशुबन्ध के समान ही की जाती है। सभी पुरोहित एवं यजमान सदो में प्रवेश करते हैं और औदुम्बरी स्तम्भ के पूर्व एवं अपने कतिपय आसनों (घिण्णपात्रों) के पश्चिम भाग में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने-अपने सोमरस-पात्रों एवं तीनों द्रोणियों अर्थात् आघवनीय, पूतमूत्र एवं द्रोणकलश तथा घृत-पात्रों की ओर मन्त्रों के साथ दृष्टि फेरते हैं। यजमान मन्त्रों (आप० १२।१५।५) के साथ इन सभी पात्रों का सम्मान करता है। इसके उपरान्त प्रतिप्रस्थाता पाँचों सवनीय आहुतियाँ—यथा इन्द्र के लिए स्यारह कपालों पर बनी रोटी, इन्द्र के दोनों हरि नामक घोड़ों के लिए धाना (मुना हुआ जौ), पूषा के लिए करम्म (दही से मिश्रित जौ का सत्तु); सरस्वती के लिए दही एवं मित्र तथा वरुण के लिए पयस्था लाता है। अर्धसूर्य इन आहुतियों को सजाकर एक पात्र में रखता है। इन आहुतियों को देने के उपरान्त सोमाहुतियाँ द्विदेवय प्रहो को, अर्थात् इन्द्र एवं वायु, मित्र एवं वरुण तथा दोनो अश्विनो को (दो-दो देवों को साथ-साथ) दी जाती हैं। इसके उपरान्त षमसोत्रयन हृत्य होता है।

षमसोत्रयन—उत्तरवेदी के पश्चिम में उभ्रेता नामक पुरोहित षमसाध्वर्युओं के लिए नौ प्यालियाँ सोमरस से भरता है। सर्वप्रथम द्रोणकलश से सोमरस लिया जाता है (इसे उपस्तरण कहा जाता है), तब पूतमूत्र से और अन्त में पुनः द्रोणरन्ध्रा से सोमरस लिया जाता है (इसे अमिषारण कहा जाता है)। ये नौ पात्र क्रम से होना, ब्रह्मा, उद्-

माता, यजमान, मंत्रावहन, ब्राह्मणाच्छसी, पोता, नेष्टा एव आग्नीध्र के लिए मरे जाते हैं (उभेता तथा अच्छावाक के लिए सोमरस नहीं मरा जाता)।^१ इसके उपरान्त शुक्रामन्यि प्रचार कृत्य होता है।

शुक्रामन्यि-प्रचार—अध्वर्यु शुक्र नामक सोमपात्र ग्रहण करता है। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता मन्थी पात्र तथा उत्तरवेदी पर रते गये चमसो (चम्मसो) को चमसाध्वर्यु लोग ग्रहण करते हैं। चमसाध्वर्यु लोग यजमान द्वारा चुने गये ऋत्विक् नहीं हैं, वे पुरोहितो (ऋत्विको) द्वारा चुने गये सहायक पुरोहित होते हैं (देखिए जैमिनि ३।७।२७)। जैमिनि (३।७।२६।२७) के मत से चमसाध्वर्यु कुल मिलाकर दस होते हैं। कौन पुरोहित सबसे पहले सोमरस पान करता है, अध्वर्यु या ब्रह्मा ? इस विषय में मतभेद है। विभिन्न पुरोहितों के पीने की विधि बड़ी जटिल है और स्थानामाव से इसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है।

ऋतुग्रह—अग्निष्टोम कृत्य में विभिन्न ऋतु-पात्रों में ही सोमरस मरा जाता है। इन पात्रों में द्रोणकलश से रस मरा जाता है। अध्वर्यु और उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता १२ मासो (मघु, माघव आदि, देखिए तैत्तिरीय संहिता १।४।१४ या वाजसनेयीसंहिता ७।३०) या मलमास को लेकर १३ मासों (जब कि १३वाँ मास पढ जाय) को भी सोमरस देता है। मलमास को सप्तमं (सं० सं० १।४।१४।१) एव अहसस्पति (वाज० सं० ७।३०) कहा जाता है। दो-दो मासो की छः ऋतुओ को भी सोमरस प्रदान किया जाता है। दो मासो में प्रथम को अध्वर्यु तथा दूसरे को प्रतिप्रस्थाता रस देता है।

क्षत्रिय एव सोमरस—ऐतरेय ब्राह्मण (३।५।२-४) के मत से क्षत्रिय यजमान सोमरस का पान नहीं कर सकता। इसके मत से यदि क्षत्रिय चाहे तो वह बरगद की कोमल टहनियों के रस, बरगद के या अन्य पवित्र पेयों या उदुम्बर (गूलर) के फलों को दही में मिश्रित कर खा सकता है। किन्तु सस्कृत बाह्मय में कभी-कभी राजाओं को 'सोमपा' कहा गया है। कुछ सूत्रों (सत्यायाब ८।७, पू० ८८२, आप० १२।२।५) ने भी यही बात कही है। जैमिनि (३।५।४७-५१) ने लिखा है कि इन वस्तुओ का तरल रूप जब प्याले में रख दिया जाता है तो उसे फल-चमस कहा जाता है और यह आहवनीय के अगारो पर ढाल दिया जाता है, यह पिया नहीं जाता (देखिए जैमिनि ३।६।३६)।

शस्त्र एव स्तोत्र—अग्निष्टोम कृत्य में शस्त्रो के वाचन के छ या सात प्रकार हैं, यथा (१) मौन रूप से जप, (२) आहाव एव प्रतिगर, (३) तूष्णीवास, (४) निविद् या पुरोष्वां (५) सूक्त, (६) 'उक्थवाचि' शब्दो का जप (आश्व० ५।१०।२२-२४) एव (७) याज्या (आश्व० ५।१०।२१)। आश्वलायन श्रौतसूत्र के अतिरिक्त अन्य शस्त्रो में 'तूष्णीवास' का उल्लेख नहीं हुआ है।

अग्निष्टोम में १२ स्तोत्र एव १२ शस्त्र पाये जाते हैं। 'शस्त्र' एव 'स्तोत्र' शब्दो का अर्थ है 'स्तुति या प्रशंसा', किन्तु 'स्तोत्र' वह स्तुति है जो स्वर के साथ गायी जाती है और शस्त्र वह स्तुति है जिसका वाचन मात्र होता है (शबर, जैमिनि ७।२।१७)। शस्त्र का वाचन स्तोत्र के उपरान्त होता है। अग्निष्टोम में आज्य-शस्त्र प्रथम शस्त्र है और आग्नि-मास्त अन्तिम। प्रातःकाल के सवन (सोम को कुचलकर रस निकालने की क्रिया) में पाँच स्तोत्र गाये जाते हैं, यथा—बहिष्पवमान तथा अन्य चार आज्यस्तोत्र, नष्याह्नकालीन सवन में अय पाँच, यथा माध्यान्दिन पवमान तथा अन्य

८. जैसा कि पहले (अध्याय २९, टिप्पणी ३ में) लिखा जा चुका है, प्रमूख पुरोहित चार हैं; होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एव उद्गाता, इन चारों के तीन-तीन सहायक पुरोहित होते हैं, (१) होता के सहायक हैं मंत्रावहन, अच्छावाक एव घावस्तुत, (२) अध्वर्यु के प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा एव उभेता, (३) ब्रह्मा के ब्राह्मणाच्छसी, आग्नीध्र एव पोता तथा (४) उद्गाता के प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एव सव्रह्मण्य (आश्व० श्रौतसूत्र ४।१।६ एव आप० श्रौ० १०।१।१)।

चार पृष्ठस्तोत्र, तथा सायकालीन सवन में बेल दो स्तोत्र, यथा आभवं पवमान तथा अग्निष्टोम साम। इस प्रकार कुल १२ स्तोत्र हुए। इसी प्रकार १२ घासत्र ये हैं—प्रातःकाल में आज्यशस्त्र (होता द्वारा), प्रौढशस्त्र (होता द्वारा) एवं तीन आज्यशस्त्र (मंत्रावरण, ब्राह्मणाञ्जली एवं अञ्जायाक द्वारा—ये तीनों होत्रक कहे जाते हैं), मध्याह्नकालीन सवन में मरुत्ववीय शस्त्र (होता द्वारा), निष्पेवत्य शस्त्र (होता द्वारा) एवं होता के सहायको (मंत्रावरण, अञ्जायाक एवं धावस्तुत्) द्वारा अन्य तीन शस्त्र, तथा सामकालीन सवन में होता द्वारा कहे जाने वाले दो शस्त्र, यथा—वैश्वदेव शस्त्र एवं आग्निमालत शस्त्र। त्रिवृत्स्तोम में बहुहिष्यवमान का, पचदशस्तोम में चार आज्यस्तोत्र एवं माध्यन्दिन पवमान का, सप्तदशस्तोम में चार पृष्ठस्तोत्र एवं आभवं पवमान का तथा एकादशस्तोम में यज्ञायज्ञीय का गायन होता है। 'स्तोम' का अर्थ है कई छन्दों का समूह। पचदशस्तोम आदि अन्य शब्दों का आशय यह है कि छन्द (अधिकतर तीन) १५-१७-२१ आदि सख्याओं तक बढ़ा दिये जाते हैं। यह बढ़ाना कई विधियों (विष्टुतियों) से होता है जो बार बार दुहराने के आधार पर बनी होती हैं। इन विधियों के विस्तार का वर्णन गृह्य अनावश्यक है।

दक्षिणा—अग्निष्टोम कृत्य में दक्षिणा देने का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। यजमान एवं उसके परिवार के ओढ़ने के परिधान में जो स्वर्णस्रग्ध्र बँधा रहता है वह दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को दिया जाता है। पुरोहितों को अन्य प्रकार की भेंटें भी दी जाती हैं। आपस्तम्ब (१३।५।१-१३।७।१५) ने सोलह पुरोहितों की दक्षिणा का वर्णन विस्तार से किया है। दक्षिणा के रूप में ७, २१, ६०, १००, ११२ या १००० गायें हो सकती हैं या ज्येष्ठ पुत्र के भाग को छोड़कर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है। अब एक सहस्र पशु या सारी सम्पत्ति दी जाती है तो उसने साय एक खन्नर भी दिया जाता है (आप० १३।५।१-३)। बकरियाँ, भैंसें, घोड़े, दास, हाथी, परिधान, रथ, गदहे तथा मौतिसौति के अन्न दिये जा सकते हैं। यजमान दक्षिणा के रूप में अपनी बन्ध्या भी दे सकता है (देव विवाह)। सारे पशु चार भागों में बाँटे जाते हैं। एक चौथाई भाग अध्वर्यु तथा उसने सहायको को इस प्रकार दिया जाना है कि प्रतिप्रसाता, नेष्टा एवं उभ्रता को अध्वर्यु के भाग का क्रम में आधा, तिहाई एवं चौथाई भाग मिले। सर्वप्रथम आग्नीध्र को दक्षिणा दी जाती है। उसे एक स्वर्णस्रग्ध्र, पूर्ण पात्र तथा सभी रगों के मूत से बना एक तबिया दिया जाता है। प्रतिहृता नामक पुरोहित को सबसे अन्त में दक्षिणा मिलती है (आप० १३।६।२ एवं ब्राह्मण० १०।२।३९) अध्वर्यु एवं उसने सहायको को दक्षिणा हविर्दान-स्थल में दी जाती है, किन्तु अन्य पुरोहितों को सदा के भीतर। अग्नि गीर्ष के एक ब्राह्मण को (जो ऋत्विक् नहीं होता) सबसे पहले या आग्नीध्र के उपरान्त एक स्वर्णस्रग्ध्र दिया जाता है। आग्नीध्र के उपरान्त क्रम से ब्रह्मा, उद्गाता एवं होता की बारी आती है। इन पुरोहितों तथा ऋत्विकों के अतिरिक्त चमसाध्वर्युओं, सदस्यी तथा सदा में बैठे हुए दर्शकों को भी गणाशक्ति दान दिया जाता है। इन दर्शकों की प्रसर्पक सभा है। किन्तु कर्ष्य एवं कर्ष्य गीर्ष वाले तथा उन लोगों को जो मांगते हैं, दक्षिणा का भाग नहीं मिलता (आप० १३।७।१-५, कात्या० १०।२।३५)। साधारणतः ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता, किन्तु यदि वह वेदम हो तो उसे दिया जा सकता है, किन्तु वेदमानसूत्र्य ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता।

सोम क्या था ?

यूरोपीय विद्वानों ने सोमयाग से सम्बन्धित थड़ी-थड़ी भनोरम बलगाएँ बना ली हैं। किन्तु उनमें कोई तथ्य नहीं है। सोम-यज्ञ के आरम्भ में विषय में भारतीय पारमिक् पुस्तकें मूक हैं। ऋग्वेद में प्रणयन के पूर्व से सोम के सम्बन्ध की परम्पराएँ बनी आ रही थी। ऋग्वेद में सोम पीधे का चन्द्र से सम्बन्ध बताया गया है (ऋग्वेद १०।८५।१ एवं २)। ऋग्वेद (५।५।१५ १०।८५।१९ ८।१।३२, १०।१२।३७ एवं १०।६।८।१०) में चन्द्र का बहुधा 'माम्' या 'चन्द्रमम्' कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान (८।२।८।८) पर एक उपमा आयी है—'यो अयु चन्द्रमा इव सोमश्चयुयु ददुते'

अर्थात् "सोम (सोम के) पानो में वैसा ही दीखता है जैसा कि जल में चन्द्रमा ।" अथर्ववेद में आया है—“सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुरचन्द्रमा इति” (१।१।६।७) अर्थात् “बहु देवता जिसे लोग चन्द्रमा कहते हैं, सोम है।” कई स्थानों पर सोम को इन्दु कहा गया है (ऋ० ९।८६।२४, २६, ३७, ८।४८।२, ४, ५, १२, १३) । कहा जाता है कि सोम मूजवान् (पर्वत) (ऋ० १०।३४।१) पर उगता था, और आर्जन्तीय देश में सुपोमा नदी पर पाया जाता था (ऋ० ८।१६४।१) । स्पष्ट है, ऋग्वेद में भी सोम के विषय में दन्तनयाएँ मात्र प्रचलित थीं । ऋग्वेद (९।८६।२४) में आया है कि सुपर्ण (गरुड पक्षी ?) इसे स्वर्ग से यहाँ ले आया । इसी प्रकार ऋग्वेद (१।९३।६) में गुन आया है कि इसे कोई द्येन (बाज पक्षी) ले आया । ब्राह्मणों के काल में यह बहुत कठिनता से प्राप्त होता था । शतपथब्राह्मण (४।५।२०) ने सोम के स्थान पर कई अन्य पौधों के नाम गिनाये हैं जिनमें फाल्गुन पौधा, दूब एवं हरे कुस प्रसिद्ध हैं । ताण्ड्यब्राह्मण (९।३।३) का कहना है कि यदि सोम न मिले तो पूतीक से रस निकाला जा सकता है । पूतीक के विषय में भाष्यबलायन (६।८।५-६) ने भी लिखा है । किन्तु पूतीक के बारे में कुछ नहीं ज्ञात है । दक्षिण में जब कभी सोमयाग किया जाता है तो सोम के स्थान पर 'राशेर' (मराठी) नामक पौधा काम में आता है।

अध्याय ३४

अन्य सोमयज्ञ

सूत्रों ने सोमयज्ञों के सात प्रकारों के विषय में लिखा है, जो ये हैं—अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एव अप्तोर्याम (कात्या० १०।१।२७, आश्व० ६।१।११, छाद्व्यायन० ५।४।२४)। प्रथम के विषय में हमने पूर्व अध्याय में पत्र लिया है। अन्य सोमयज्ञों के विषय में हम बहुत ही संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सभी सूत्र सोमयज्ञों की संख्या एक सी नहीं बताते। आप० (१।४।१।१) एव सत्यायाड (१।७, पृ० ९५८) ने स्पष्ट लिखा है कि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र एव अप्तोर्याम केवल अग्निष्टोम के विविध परिष्कृत रूप हैं। ब्राह्मणों में अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी एव अतिरात्र ज्योतिष्टोम के विविध रूपों में ही वर्णित हैं (शतपथ० ४।६।३।३, तैत्ति० १।३।२ एव ४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वाजपेय को भी ऐसा ही मान लिया है।

उक्थ्य या उक्थ

इस सोमयज्ञ में अग्निष्टोम के स्तोत्रों एव शस्त्रों के अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र (उक्थस्तोत्र) एव शस्त्र (उक्थ-शस्त्र) पाये जाते हैं और इस प्रकार सायकालीन सोमरस निकालते समय गाये जाने वाले (स्तोत्र) एव बहे जाने वाले (शस्त्र) छन्द कुल मिलाकर १५ होते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३, आश्व० ६।१।१-३)। आपस्तम्ब (१।४।१।२) का कथन है कि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र एव अप्तोर्याम क्रम से उन्हीं लोगों द्वारा सम्पादित होते हैं जो पशु, शक्ति, सन्तति एव सभी वस्तुओं के अभिकांक्षी होते हैं। उक्थ्य में अग्निष्टोम के समान बलि दिये जाने वाले पशुओं के अतिरिक्त बकरी कर्ी भी बलि दी जाती है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३, आश्वलायन० ६।१।१-३, आपस्तम्ब १।४।१, शतपथ० १।७, पृ० ९५८-९५९)।

षोडशी

इस यज्ञ में उक्थ्य के १५ स्तोत्रों एव शस्त्रों के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एव शस्त्र का गायन एव पाठ होता है, जिसे तृतीय सवन (सायकाल में मोमरस निशालने) में षोडशी के नाम से पुकारा जाता है। आपस्तम्ब (१।४।२।४-५) के मत से प्रातःकाल या अन्य कालों में रम रखने के लिए एक अधिक पात्र भी रस दिया जाता है। यह पात्र श्चदिर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है और इतना आकार धतुष्मोण होता है। इस यज्ञ में इन्द्र के लिए एक गेडा भी दिया जाता है। इसकी दक्षिणा लोह-पिगल घोडा या मादा राक्षर होती है (देखिए ऐतरेय १।६।१-४, आश्व० ६।२-३, आप० १।४।२।३, सत्या० १।७, पृ० ९५९-९६२)।

अत्यग्निष्टोम

इस यज्ञ में षोडशी स्तोत्र, षोडशी पात्र एव इन्द्र के लिए एक अन्य पशु जोड़ दिया जाता है, अन्य बातें अग्निष्टोम के समान ही पायी जाती हैं।

अतिरात्र

इस यज्ञ का नाम ऋग्वेद (७।१०३।७) में भी आया है। यह एक दिन और रात्रि में समाप्त होता है अतः इसका नाम अतिरात्र है। आपस्तम्ब (१०।२।४) का कहना है कि कुछ लोगों के मत से यह अग्निष्टोम के पूर्व सम्पादित होता है। अतिरात्र में २९ स्तोत्र एवं २९ शस्त्र होते हैं। इसमें अतिरिक्त स्तोत्र एक शस्त्र रात्रि के समय तीन स्तोत्रों एवं शस्त्रों के चार आवर्तों में, जिन्हें पर्याय कहा जाता है, कहे जाते हैं। आश्वलायन (६।४।१०) ने इन १२ शस्त्रों की और संकेत किया है। इसमें आश्विन नामक शस्त्र गाये जाते हैं, किन्तु इसके पूर्व रात्रि में छ आहुतियाँ दी जाती हैं। आश्विन-शस्त्रों की विधि प्रातरनुवाक के अनुसार होती है और सूर्योदय तक कम-से-कम एक सहस्र मन्त्र बहू दिये जाते हैं। सर्गिस्तोत्र का पाठ सन्ध्या काल में होता है। इसका स्वर रथन्तर होता है। यदि सूर्य का उदय न हो तो होता ऋग्वेद (१।१।२) का पाठ करता रहता है। किन्तु सूर्य उदय हो जाय तो वह सीरी ऋचाएँ (ऋ० १०।१।५८, १।५।१-५, १।१।५, १०।३।७) कहता है। सोमरस निकालने के दिन सरस्वती को एक भेद (कुछ लोगों के मत से भेद्य) चढायी जाती है (शतपथ ब्राह्मण ९।७, पृ० ९६३)। रात्रि में प्रमुख चमस इन्द्र अपिघर्वर को दिये जाते हैं। दो कपालों पर बनी एक रोटी (पुरोडाश) तथा एक प्याली मद्.सोमरस अश्विनी की प्रतिप्रस्थाता द्वारा दिया जाता है। इस यज्ञ के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (१।४।३ एवं १६।५-७), आश्वलायन (६।४-५), सत्यापाठ (९।७, पृष्ठ ६६२-६६५), आपस्तम्ब (१।४।३।८—१।४।४।१)।

अप्तोर्याम

यह यज्ञ अतिरात्र के सदृश है, और प्रनीत होता है, यह उसी का विस्तार मात्र है। इसमें चार अतिरिक्त स्तोत्र (अर्थात् कुल मिलाकर ३३ स्तोत्र) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता एवं उसके सहायकों द्वारा पढे जाते हैं। अग्नि, इन्द्र, विश्वे-देव एवं विष्णु (आप० १।४।४।१२-१६, सत्यापाठ ९।७, पृ० ९६६-९६७, शाखायन १।५।१।४-१८ एवं सत्यापाठ १०।४, पृ० ११११) के लिए क्रम से एक-एक अर्थात् कुल मिलाकर चार चमस (सोमरस की आहुति देने वाले एक प्रकार के पात्र) होते हैं। आश्वलायन (९।१।१।१) के मत से यह यज्ञ उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है जिनके पशु जीवन नहीं रहते या जो अच्छी जाति के पशु के अभिकाशी होते हैं। अप्तोर्याम की दक्षिणा सहस्रों गौएँ होती है। होता को रजतजडित तथा गदहियों से स्त्रीचा जाने वाला रथ मिलता है। बहुधा यह यज्ञ अन्य यज्ञों के साथ किया जाता है। ताण्ड्य ब्राह्मण (२०।३।४-५) का कहना है कि इसका नाम अप्तोर्याम इसलिए पडा है कि इसके द्वारा अभिकाशित वस्तु प्राप्त ('आप्' घातु से बना हुआ शब्द) होती है।

वाजपेय'

'वाज-पेय' का शाब्दिक अर्थ है 'मोजन एवं पेय' या 'शक्ति का पीना' या 'मोजन का पीना' या 'दोह का पीना'। यह भी एक प्रकार का सोमयज्ञ है, अर्थात् इसमें भी सोमरस का पान होता है, अतः इस यज्ञ के सम्पादन से मोजन (अन्न), शक्ति आदि की प्राप्ति होती है। इसमें षोडशी की विधि पायी जाती है और यह ष्योतिष्टोम का ही एक रूप है, किन्तु इसकी अपनी पृथक् विशेषताएँ भी हैं। इस यज्ञ में '१७' की संख्या को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्तोत्रों एवं

१. वाजपेय के कई अर्थ कहे गये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।४२) का कहना है—“वाजाप्यो वा एकः। वाजं ह्येतैन देवा एषान्। सोमो च वाजपेयः... अन्नं च वाजपेयः।” शाखायनश्रौत० (१।५।१।४-६) का कहना है—“पानं च पेयाः। अन्नं वाजः। पानं च पूर्वमचान्नुम्। तथोक्तमयोरुत्तर्यं।”

शस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है, दक्षिणा में १७ बन्तुएँ दी जाती हैं, यूप (जिसमें बांधकर पशु की बलि होती है) १७ अरलिनया का लम्बा होता है, यूप में जो परिधान बाँधा जाता है वह भी १७ टुकड़ों वाला होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद् तथा एक दिन सोम से रस निकालना) चलता रहता है (देसिए आप० १८।१।५, ताण्ड्य० १८।७।५, आप० १८।१।१२, आश्व० १।१।२-३ आदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरती जाती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी रसा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। वेदी की उत्तरी श्रेणी पर १७ ढोलकें रखी जाती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं (आप० १८।४।४ एव ३, कात्यायन १।४।३।४)। यह जटिल कृत्य उसके द्वारा किया जाता था जो आधिपत्य (आश्व० १।१।१) या समृद्धि (आप० १८।१।१) या स्वाराज्य (इन्द्र की स्थिति या निर्विरोध राज्य) का अभिलाषी होता था। यह शरद् ऋतु में सम्पादित होता था। इसका सम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था, वैश्य नहीं (तै० ब्रा० १।३।२ ऋत्यायन ८।१।१।१ कात्या० १।४।१।१ एव आप० १८।१।१)। इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एव यजमान की पत्नी सोने की सिक्कियाँ धारण करते हैं। पुरोहितों की सिक्कियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इन्द्र एव इन्द्राग्नी के लिए जो पशु दिये जाते हैं, उनके अतिरिक्त मरुतो के लिए एण ठाँठ (बघ्या) गाय, सरस्वती के लिए एण भेड तथा प्रजापति के लिए शृगबिहीन, एक रंग वाली या काली, तष्य एव पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप० १८।२।१२-१३, कात्या० १।४।१।१-१३)। प्रतिप्रस्थाता हविर्धान के दक्षिणी धुरे के पश्चिम पार्श्व में एण उच्च स्थल (सर) का निर्माण करता है, जिस पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निर्मित आसव (परिस्त्रुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) गायी के धुरे के पूर्व तथा आसवपात्र पश्चिम पक्ष दूसरे में पुष्य-पुष्य रस दिये जाते हैं। कात्यायन (१।४।१।७ एव २६) के मत से नेष्टा नामक पुरोहित ही सर एण आसवपात्रों का निर्माण करता है। आसवपात्रों के मध्य में एक सोने के पात्र में मधु रसा जाता है। जब मध्याह्नकालीन सोमरस निकाला जाता है उस समय रथों की दौड़ करायी जाती है (आप० १८।३।३ एव १२-१४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।२) ने उम दौड़ की ओर संकेत किया है जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस घण्टे में उम दौड़ को वाजपेय यज्ञ में सम्पन्नित माना है। आह्वयनीय अग्नि के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रथे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या पूर्व में रहते हैं। यजमान के रथ में तीन घोड़े मन्त्रों के साथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तीसरे घोड़े के साथ बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों को बृहस्पति के लिए निर्मित षण् मूषाया जाता है। अन्य १६ रथों में वेदी के बाहर चार चार घोड़े बिना मन्त्रों के जोत दिये जाते हैं (कात्या० १।४।३।१)। धावाल एण उत्तर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत में राजपुत्र) एण तीर छोड़ता है, और जहाँ वह तीर गिरता है वहाँ से वह एण दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती है। जहाँ सत्रहवाँ तीर गिरता है वहाँ उदुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता है और उसी स्तम्भ तक रथ-दौड़ का कृत्य किया जाना है (आप० १८।३।१२ एव कात्या० १।४।३।१-११ एव १६-१७)। जब रथों की दौड़ आरम्भ होती है ब्रह्मा १७ अरों वाला एण पहिया रथ की धुरी में लगाकर उस पर चढ़ता है और कहता है—'नविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाज (शक्ति, भोजन या दौड़) जीत लूँ' (आप० १८।४।८, कात्या० १।४।३।३, वाजसनेयी महिता १।१०)। जब पहिया बायें से दाहिने तीन बार घुमाया जाता है तो ब्रह्मा 'वाजिनाम' (आप० १८।४।११, आश्व० १।१।८, ऋत्यायन ५।१।२।४) का पाठ करता है। यजमान उस रथ पर बैठता है जिस पर मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है।

२. ब्रह्मा इस यज्ञ का पाल करता है—'आविर्मया आ वाज वाजिनो अग्निदेवस्य सवितु सवे। स्वर्गा अर्चन्तो

अध्वर्युं या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हें वाजस्तुत कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए घेप १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलही रथों की पक्ति के किसी एक रथ में एक शत्रिय या वैश्य बैठ जाता है। इस प्रकार रथ-दोड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ ढोलकें बज उठती हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चावल (नीवार) के चक्र को सभी घोड़े मूँच लेते हैं। सबसे आगे यजमान का रथ होता है। अध्वर्युं यजमान में विजय-मन्त्र अर्थात् 'अग्निदेवाक्षरेण' (वाज० स० ८।३१-३४, तैत्ति० स० १।१।११) बहलाता है। रथ्य तत्र पहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फिर घूमकर दक्षिणामुख हो जाता है। सभी रथ पुनः यजमन्थल पर लौट आते हैं और सभी घोड़ों को पुनः नीवार (जगली चावल) का चक्र सुंघाया जाता है। दमक उपगन्त दुन्दुभि विमोचनीय होम होता है, अर्थात् ढोलक (दुन्दुभि) बजते समय होम किया जाता है। एक-एक वेर (वृष्णात् नामक एक प्रकार की तोत के बराबर स्वर्ण-खण्ड) रथ में बैठनेवाले सभी लोगों को दिया जाता है जिग ने पुनः लौटा देते हैं। इन वेरों को ब्रह्मा ग्रहण करता है। स्वर्ण-पात्र में रखा हुआ मधु पात्र में महित ब्रह्मा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वर्युं होतृ-चमस ग्रहण करता है। द्वाि प्रकार चममाध्वर्युं लोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरान्त अन्य कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

वाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात् वह अध्ययन कर सकता है या दान कर सकता है, किन्तु अध्यापन एवं दान-ग्रहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अभिवादन करने के लिए स्वयं सडा नहीं हाना और न ऐसे लोगो के साथ स्वाट पर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यज्ञ नहीं किया है।

अध्वर्युं यजमान वाले रथ का तथा पूष में बँधे हुए १७ परिधानों को ले लेता है। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं (श्रुति आ० १।८।३।४-५, आश्व० १।१।१४-१७, कात्या० १।४।२।२९-३३ एवं लाट्या० ८।१।१।६-२२)। आश्वगायन का कहना है कि दक्षिणा का रूप में १७०० गाय १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने योग्य १७ पदा, १७ बैल, १७ गाडियाँ, सुनहर परिधानों-झालरों में गजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहितों में बाँट दी जाती हैं।

वाजपेय यज्ञ में बहुते-प्रतीकात्मक तत्त्व पाये जाते हैं। आश्वलायन (१।१।१९) का कहना है कि वाजपेय के सम्पादन के उपरान्त राजा का चाहिए कि वह राजपूय यज्ञ करे और ब्राह्मण को चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृहस्पतिसव करे।

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ 'एवाह' यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियों द्वारा एक ही दिन में तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एवं साय) पिया जाता है। आश्वलायन (१।५-११), बौधायन (१।८।१-१०), कात्यायन

जयसः' यह उन मन्त्रों में एक है जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस मन्त्र का गान नहीं कर सकता तो यह इसे तीन बार पढ़ता है (आश्व० १।१।३)

३. जैमिनि (४।३।२९-३१) के मत से बृहस्पतिसव वाजपेय का ही एक अंग है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१), आपस्तम्ब (२२।७।५) तथा आश्वलायन (१।५।३) के अनुसार बृहस्पतिसव एक प्रकार का एकाह सोमयज्ञ है जो 'आधिपत्य' के अभिलाषी द्वारा किया जाता है। आश्वलायन (१।५।३) ने ब्रह्मवर्चस (आध्यात्मिक महत्ता) के अभिलाषी के लिए इसे करने को कहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१) ने राज-पुरोहित पर की प्राप्ति के लिए इसे करने को कहा है।

(२२) आदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञो का वर्णन किया है, यथा बृहस्पतिसव, गोसव, स्येन, उद्मिन्, विद्वजिन्, ब्राह्म्यस्तोम आदि, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जायगा।

अहीन यज्ञ वे हैं जिनमें सोमरस का निकालना दो से बारह दिनों तक होता रहता है, जिनका अन्त अतिरात्र के साथ होता है तथा जो दीक्षा एव उपसद् दिनों को मिलाकर एक मास तक होते हैं। इनका आरम्भ पूर्णमासी को होता है। इनमें कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो दो दिनों, तीन दिनों (यथा गर्ग्विरात्र), चार दिनों, पाँच दिनों (यथा पञ्चरात्र, जिनमें पञ्चशास्त्रीय भी एक यज्ञ है), छः दिनों तक तथा इसी प्रकार कई दिनों तक चलते रहते हैं। इन्हीं अहीन यज्ञों में अश्वमेध एव द्वादशाह यज्ञ भी हैं, जिनका सक्षिप्त वर्णन यहाँ उपस्थित किया जायगा।

द्वादशाह एवं रात्र

यह यज्ञ अहीन एव सत्र (आश्व० १०।५।२) दोनों है। इसके कई रूप हैं, जिनमें भरत-द्वादशाह (आश्व० १०।५।८, आप० २।१।४।५) अति प्रसिद्ध है। बारह दिनों में प्रायणीय (आरम्भिक कृत्य—अतिपूत्र) पूष्य, षडह (छः दिनों तक), छन्दोगस नामक उष्य (तीन दिनों तक), अल्यग्निष्टोम (दसवें दिन) एव उदयनीय (अन्तिम कृत्य जो अतिरात्र होता है) आदि कृत्य किये जाते हैं। अहीन एव सत्र में विशिष्ट अन्तर ये हैं—(१) सत्र केवल ब्राह्मणों द्वारा तथा द्वादशाह तीनों उच्च वर्णों द्वारा सम्पादित होता है। (२) सत्र लम्बी अवधि (एक वर्ष या इससे भी अधिक) तक चलता रहता है, किन्तु द्वादशाह की अवधि केवल बारह दिनों तक है। (३) सत्र में यजमान एव पुरोहितों में कोई अन्तर नहीं होता, सभी यजमान होते हैं, किन्तु द्वादशाह में ऐसी बात नहीं होती। (४) सत्र में दक्षिणा नहीं होती, क्योंकि सभी यजमान होते हैं। बाल्यायन (१२।१।४) का कहना है कि वैदिक उचितियों में जहाँ 'उपयन्ति' एव 'आसते'

४. एकाह यज्ञों में विद्वजित् यज्ञ महत्वपूर्ण है। इसमें यजमान एक सहस्र गाय या अपने ज्येष्ठ पुत्र के भाग को छोड़कर (भूमि तथा आसामों अर्थात् अपने देवों में काम करने वाले धमिक गूड़ों को छोड़कर) अपनी सम्पूर्ण संपत्ति दान में दे देता है (जैमिनि ४।३।१०-१६, ६।७।१-२०, ७।३।६-११, १०।६।१३)। इस यज्ञ के उपरान्त यजमान जुद्धभर देव के नीचे तीन दिनों तक रहकर केवल फल एव रुन्द-मूल पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक वह निषादों की बस्ती में रहकर घावल, द्यामाक (साँवा) एव हरिण के मांस पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक वह बंदवों (जनो) तथा अन्य तीन दिनों तक क्षत्रियों के साथ रहता है। इसके उपरान्त वह वर्ष भर जो कुछ दिग्ग आय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता किन्तु भिक्षा नहीं माँग सकता (फाल्गु० २२।१।९-३३ एवं साट्टय-यन० ८।२।१-३३)। गोसव तो एक अति विचित्र यज्ञ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।६) ने सन्धि में इसका वर्णन किया है। स्वाराज्य का इच्छुक इसे करता है। आप० (२२।१२।१०-२० एव २२।१३।१-३) ने लिखा है कि इस यज्ञ के उपरान्त सारु भर यजमान को पशुघ्न अर्थात् पशु की भाँति आवरण करना पड़ता है, उसे पशु के समान जल पीना, घास चरना, कुट्टम्य-व्यवहार आदि करना पड़ता है—'तेनेष्ट्या सवस्तर पशुघ्नो भवति। उपायहा-योदक पिबेत्पुनानि घाच्छिन्वात्। उप मातरमिमादुप स्वसारमुप सपोशाम्' (आप० २२।१३।१-३)। एक अन्य मनोरंजक एकाह यज्ञ है सर्वस्वार, जो उस व्यक्त द्वारा किया जाता है जो घन करते-करते स्वयं की प्राप्ति के लिए मर जाना चाहता है। सायबाल सोमरस निबालते समय जब आर्भेव पद्यमान स्तोत्र का पाठ होता रहता है, यजमान पुरोहितों से घन की समाप्ति की बात कहकर अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इस यज्ञ को गुन-पर्वोत्थोम कहा जाता है (सायबाल ब्राह्मण १।७।१२।५, जैमिनि १०।२।५७-६१)।

आये हैं, वे सत्र के घोटक हैं, किन्तु जहाँ 'यजेत' या 'याजयेत' शब्द आते हैं उन्हें अहीन समझा जाना चाहिये। अहीन में केवल अन्तिम दिन अतिरात्र होना है, किन्तु सत्र में आरम्भिक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिरात्र होते हैं (कात्या० १२।१।६)।

राजसूय

यह यज्ञ पूर्णतया सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत एक ऐसा जटिल यज्ञ है, जिसमें बहुत-सी पुष्क-पुष्क इष्टियाँ सम्पादित होती हैं और जो एक लम्बी अवधि तक चलता रहता है (दो वर्षों से अधिक अवधि तक)। किन्तु हम यहाँ केवल मुख्य-मुख्य बातों का ही उल्लेख करेंगे।

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय द्वारा ही सम्पादित होता है। कुछ लोगों के मत से यह उसी व्यक्ति द्वारा सम्पादित होता है, जिसने वाजपेय यज्ञ न किया हो (कात्या० १५।१।२), किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत में यह वाजपेय यज्ञ के उपरान्त ही किया जाता है (आश्वलायन १।१।१९)। शतपथ ब्राह्मण (१।३।४।८) में आया है कि राजसूय करने से व्यक्ति राजा होता है, वाजपेय करने से सम्राट् होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त सम्राट् की स्थिति उत्पन्न होती है।

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन यजमान पवित्र नामक सोमयज्ञ के लिए बीसा लेता है, जो अग्निष्टोम की विधि के समान ही है (लाट्या० १।१।२, आश्व० १।३।२, कात्या० १५।१।६)। बीसा के दिनों की सख्या षे विषय में मतभेद है (लाट्या० १।१।८, कात्या० १५।१।४)। राजसूय के प्रमुख कृत्यों में अभिषेचनीय नामक कृत्य 'पवित्र' यज्ञ सम्पादन के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है (लाट्या० १।१।४)।

पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाँच दिनों तक एक-एक करके पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं। पाचानु की पूर्णिमा को अनुमति के लिए एक इष्टि की जाती है (एक पुरोडाश दिया जाता है)। देखिए कात्या० (१५।१।१) एवं आप० (१।८।८।१०)। इसके उपरान्त बड़े कृत्य किये जाते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को चातुर्मास्या (अर्थात् तत्रप्रथम वैश्वदेव और तत्र चार मास उपरान्त वरुणप्रथम आदि) का आरम्भ होता है। यह एक वर्ष तक चलता रहता है। चातुर्मास्यो वाले पर्वों के बीच पूर्णिमा एवं अमावस्या के मासिक यज्ञ होते रहते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दुना-सीरीय पर्व के साथ चातुर्मास्या की परिसमाप्ति होती है। इसके उपरान्त कई कृत्यों का आरम्भ होता है, यथा पञ्च-वातीय (आप० १।८।१।१०-१३, कात्या० १५।१।१०-२१) अपाग्राह-होम (आप० १।८।१।१५-२०, कात्या० १५।२।१)। इसके उपरान्त बारह आहुतियाँ दी जाती हैं जिन्हें 'रत्निना हवीषि' कहा जाता है और जो एक-एक करने बारह दिनों तक चलती रहती हैं। ये आहुतियाँ 'रत्नो' के घरो में अर्थात् यजमान, उसकी रानियों एवं राजकीय कर्मचारियों के घरो में दी जाती हैं (कात्या० १५।३ एवं आप० १।८।१०)। कात्यायन के अनुसार ये बारह ग्ल हैं— यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारानी, सूत (सारथि या माट ?), ग्रामणी (गाँव का मुखिया), वरा (बचुकी),

५ राजा राजसूयेन यजेत। लाट्यायनधोत० (१।१।१)। सत्याषाढ (१।३।३) ने 'यजेत' के पूर्व 'स्वर्ग-कामो' जोड़ दिया है (और देखिए आप० १।८।८।१, कात्या० १५।१।१)। शबर (अभिनि १।१।२।१२) ने 'राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' उद्धरण दिया है। 'तयो एवंतद्यजमानो यज्ञसूयेन यजते सर्वेषां राभ्याना श्रेष्ठ्य स्वाराज्य-माधिपत्यं पर्येति' (शाल्लायन १।५।१।३।१)। शबर ने 'राजसूय' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है—'राजा तत्र सूयते तस्मान् राजसूयः। रामो वा यज्ञो राजसूयः' (अभिनि ४।४।१ की टीका में)। सोम को 'राजा' कहा जाता है।

संप्रहीता (योगपाल या सारथि ?), अक्षावाप (घृत वा अभीक्ष्व), गोविकर्ता (शिकारी), दूत या पालागल एव परि-
युक्ती (निरादृत गर्नी)। इसी प्रकार क्रम से देवता ये हैं—इन्द्र, अग्नि अनीकवान्, बृहस्पति, अदिति, वरुण, मरुत,
सविता, अरिबन्दी, रद्र (अक्षावाप एव गोविकर्ता के लिए), अग्नि, निर्वृति (इसके लिए नरों से निकाले हुए काले
घावल का चरु दिया जाता है)। दक्षिणा की मात्रा भी पृषक्-पृषक् होती है। इससे उपरान्त कई अन्य आहुतियाँ
दी जाती हैं।

तदनन्तर अग्निपंचनीय कृत्य होता है, जो राजसूय यज्ञ का केन्द्रिय कृत्य है। यह पाँच दिनों तक चलता रहता
है (एक दिन दीक्षा, तीन दिन उपसद् तथा एक दिन सोमरस निकालने के लिए, जिसे मुख्य दिन कहा जाता है)।
अग्निपंचनीय (अग्निपंचन कृत्य) पाँच मास के प्रथम दिन किया जाता है। यह कृत्य यज्ञस्थल के दक्षिणी भाग में
तथा दशपेय कृत्य उत्तरी भाग में किया जाता है। दोनों कृत्यों का होता भुगु गोत्रज रसा जाता है (साण्ड्य ब्राह्मण
१८।१।२ वाक्यां० १५।४।१ एव शाक्तां० १५।१३।२)। दोना कृत्यों के लिए सोम लाया जाता है। सविता, अग्नि
गृह्यति सोम वनस्पति बृहस्पति, इन्द्र, रुद्र मित्र एव वरुण नामक आठ देवों को देवसू-हृषि की आठ आहुतियाँ दी
जाती हैं जो चरु के रूप में होती हैं। चरु की इन आहुतियों के उपरान्त पुरोहित १७ पात्रों (उदुम्बर वाष्ठ के पात्रों)
में १७ प्रकार का जल लाता है, यथा—मरुतयती नदी का जल, बहती नदी का जल, किसी व्यक्ति या पशु के प्रवेश
से उत्पन्न हलचल युक्त जल, बहती नदी के उलटे बहाव का जल, समुद्र जल, समुद्र की लहरों का जल, ध्रुवर से उत्पन्न
जल, खुले आकाश के चर्मरार एव सुस्थिर जलानय का जल, पृथिवी पर गिरने से पूर्व सूर्यप्रकाश में गिरता हुआ
वर्षा-जल, झील का जल, बृषजल, सुपार-जल आदि (वाक्यां० १५।४।२१-४२, आप० १८।१३।२-१८)। ये सभी
प्रकार के जल उदुम्बर के पात्रों में मंत्रावरण नामक पुरोहित के आसन के पास रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त
अनेक कृत्य होते हैं जिनका वर्णन यहाँ म्यानाभाव से नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के जलों में यजमान
का अग्निपंचन किया जाता है। होता घुनरोप की कथा कहता है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३)। यह कथा
दूत बीटा के उपरान्त बड़ी जाती है। अग्निपंचनीय कृत्य के उपरान्त दो प्रकार के होम किये जाते हैं, जिन्हें
'नाभ-व्यतिपज्जोय' कहा जाता है। इन होमों में पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का पिता कहा जाता है और तब
वास्तविक सम्बन्ध घोषित किया जाता है (आप० १८।१६।१४-१५, वाक्यां० १५।६।११)। इससे उपरान्त
गौओं की खूट का प्रतीक उपस्थित किया जाता है। यजमान (यहाँ राजा) अपने सगे-सम्बन्धियों की सो या अधिक
गायों को लूट लेने का भाव प्रकट करता है। यह यह किया चार घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर करता है। गायों को
वह पुन लौटा देता है। इससे उपरान्त रथविमोचनीय नामक चार आहुतियाँ दी जाती हैं। यजमान दान देने का
कृत्य करता है। यजमान (राजा) घृत (जुभा) खेल्ता है, जिसमें उसे जिता दिया जाता है।

अग्निपंचनीय कृत्य के दस दिन उपरान्त दशपेय कृत्य किया जाता है। दशपेय कृत्य में दस चमसों एव दस
ब्राह्मणों का संयोग होता है। ये दस ब्राह्मण ऋत्विक् ही होते हैं और दस चमसों में क्रम से एक-एक चमस सोमरस
पाए करते हैं। ये ब्राह्मण दस चमसों के अतिरिक्त ९० चमसों (अनुप्रसर्पकों) का भी पान करते हैं, जो क्रम से उनके
दस दस पूर्वगुरुपा (पूर्वजा) के घोषण होते हैं।

राजसूय यज्ञ के कई भागों एव अंगों के कृत्यों में भी दान-दक्षिणा देने का विधान है, किन्तु अग्निपंचनीय
एव दशपेय कृत्यों में विशिष्ट दक्षिणाएँ दी जाती हैं। अग्निपंचनीय कृत्य में ३२,००० गायें चार प्रमुख गुरा-
हिन। का १६,००० प्रथम सहायकों को, ८,००० आंगे के चार सहायकों को तथा ४,००० अन्तिम चार सहायकों को
दी जाती हैं। इन प्रकार होता अभ्यर्षु, ब्रह्मा एव उद्गाता में प्रत्येक को ३२,००० गायें, मंत्रावरण (होता के प्रथम
सहायक), प्रतिप्रस्थाता (अभ्यर्षु के प्रथम सहायक), ब्राह्मणाण्ठाती (ब्रह्मा के प्रथम सहायक) एव प्रस्तोता (उद्-

गाता ने प्रथम सहायक) में प्रत्येक को १६,००० गायें तथा आगे के चार (अच्छावाक, नेप्टा, आम्नीध्र एवं प्रतिहर्ता) में प्रत्येक को ८,००० एवं अन्तिम चार (प्रावस्तुतु, उन्नैता, पोता एवं सुब्रह्मण्य) में प्रत्येक को ४००० गायें दी जाती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २,४०,००० गायें दी जाती हैं। दशपेय कृत्य के उपरान्त १००० गायें दी जाती हैं और १६ पुरोहितां को विशिष्ट दक्षिणा दी जाती है (आश्व० १।४।७-२०, आप० १।८।३।१६-७, कात्या० १।५।८।२३-२७, लाट्या० १।२।१५) यथा—सोने की एक सिक्की, एक घोटा, बछड़े के साथ एक दुधारू गाय, एक बकरी, सोने के दो कर्णफूल, चाँदी के दो कर्णफूल, पाँच वर्षे वाली बारह गामिन गायें, एक बन्ध्या गाय, सोने का एक गोलाकार आभूषण (रवम), एक बेल, रुई का एक परिधान, सन (शण) का एक मोटा बन्ध, जो से मरी एवं एक बेल युक्त गाड़ी, एवं सांड, एक बछिया एवं तीन वर्षीय बेल क्रम से उद्गाता एवं उसके तीन सहायको (प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य), अध्वर्यु, प्रतिप्रस्याता, ब्रह्मा, मैत्रावरुण, होता, ब्राह्मणाच्छमी, पोता, नेप्टा, अच्छावाक, आम्नीध्र, उन्नैता एवं प्रावस्तुतु को दिये जाते हैं।

दशपेय कृत्य में अवभृथ स्नान के उपरान्त साल भर तक राजा को कुछ व्रत (देवव्रत, लाट्या० १।२।१७) करने पड़ते हैं, यथा—वह नित्य स्नान के लिए जल में डुबकी नहीं लगा सकता, केवल शरीर को रगड़ कर स्नान करे, वह सदैव दाँतो को स्वच्छ रखे, नाखून कटाये, बाल नहीं कटाये, केवल दाढ़ी एवं मूँछ स्वच्छ रखे, यज्ञ-भूमि में बाघ के चमड़े पर शयन करे, प्रति दिन समिधा डाले, उसकी प्रजा (ब्राह्मणों को छोड़कर) साल भर तक केश नहीं कटाये, इसी प्रकार उसके घोडों के बाल भी साल भर तक नहीं काटे जायें। साल भर तक गजा बिना पद-प्राण ने पृथिवी पर नहीं चले।

कुछ अन्य छोटे मोटे कृत्य भी होते हैं, यथा पचबलि एवं बारह प्रयुज नामक आहुतियाँ, जो त्रम से चारों दिशाओं एवं बीच में तथा मासों के बीच में या प्रति दो दिनों के उपरान्त दी जाती हैं (कात्या० १।५।१।१-३, १।५।१।११-१४, आप० १।८।२।५-७)।

दशपेय कृत्य के एक वर्ष उपरान्त केशवपनीथ नामक कृत्य होता है, जिसकी विधि अतिरात्र यज्ञ के समान होती है (आश्व० १।३।२४) और जिसमें साल भर के बाल काट डाले जाते हैं। इसके उपरान्त ब्युष्टि, द्विरात्र (द्विरात्र का सम्पादन समृद्धि के लिए होता है) नामक दो कृत्य किये जाते हैं। ब्युष्टि-श्रयमत एक प्रकार का अग्नि टोम ही था और द्विरात्र एवं प्रकार का अतिरात्र। केशवपनीथ, ब्युष्टि एवं द्विरात्र के सम्पादन-कालों के विषय में मत मतान्तर है। ब्युष्टि द्विरात्र के एक मास उपरान्त क्षत्र-भृति नामक कृत्य किया जाता है। इस कृत्य का सम्बन्ध शक्ति की सुरिषति से है। यह अग्निष्टोम की विधि के अनुसार किया जाता है। शाखायनश्रौतसूत्र (१।५।१६।१-११) में आया है कि इस कृत्य के न करने से कुराओं को प्रत्येक युद्ध में हार खानी पड़ी। एक अन्य कृत्य था श्रयतवी, जो उदबमानीया के स्थान पर किया जाता था (शतपथ ब्राह्मण ५।५।६-९), जिसमें चावल एवं जौ की मिश्रित रोटी का आहुति दी जाती थी। इस प्रकार राजसूय का अन्त होता था किन्तु इसकी समाप्ति के एक मास उपरान्त सौत्रमणी नामक इष्टि की जाती थी। सौत्रमणी का वर्णन आगे के अध्याय में किया जायगा।

राजसूय यज्ञ की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय संहिता (१।८।१-१७), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४।९-१०), शत० (५।२।३-५), ऐत० (७।१३ एवं ८), ताण्ड्य० (१।८।८-११), आप० (१।८।८-२२), कात्या० (१।५।१-९), आश्व० (१।३-४), लाट्या० (१।१-३), शाखा० (१।५।१२), बौधा० (१२)।

अध्याय ३५

सौत्रामणी, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ

सौत्रामणी^१

यह यज्ञ हविर्गोत्रों के सात प्रकारों में एक है (गौतम ८।२०, लाट्या० ५।४।२३)। यह सोमयज्ञ नहीं है, यह एक इष्टि एवं पशु-यज्ञ का मिश्रण है (शत० १२।७।२।१०)। इसमें मुरा की आहुति दी जाती है। आजकल मुरा के स्थान पर दूध दिया जाता है। इसके दो रूप हैं, (१) कौक्लिणी एवं (२) चरष-सौत्रामणी (या साधारण सौत्रामणी)। कौक्लिणी ऋत्य का सम्पादन स्वतन्त्र रूप से होता है, किन्तु सामान्य सौत्रामणी ऋत्य राजसूय यज्ञ के एक मास उपरान्त तथा अग्निचयन के अन्त में किया जाता है। लाट्यायन (५।४।२१) के मत से वेबल कौक्लिणी में साम-मन्त्रों का वाचन होता है, अन्य प्रकारों में नहीं। वात्स्यायन (१९।५।१) के मत में ब्रह्मा पुरोहित बृहती प्वनि में इन्द्र के लिए साम का गायन करता है। आपस्तम्ब (१९।१।२) का कहना है कि सामान्य सौत्रामणी की विधि निरूढ-मनुष्य के मथान होती है और यहाँ यज्ञ कौक्लिणी के विषय में भी लागू होती है। वर्णप्रघास के समान ही इसमें दो अग्निर्वा होती है, किन्तु दक्षिण अग्नि वेदी पर नहीं रखी जाती (वात्स्या० १९।२।१ एवं ५।४।१०)। शतपथ ब्राह्मण (१२।७।३।७) आदि के मत से दो वेदियाँ होती हैं जिनके पीछे दो उच्च स्थलों का निर्माण होता है, जिनमें एक पर दूध की प्यालियाँ तथा दूसरे पर मुरा की प्यालियाँ रखी जाती हैं। इस ऋत्य में चार दिन नग जाते हैं, प्रथम तीन दिनों तक भौति-भौति के पशुओं से मुरा बनायी जाती है और अन्तिम दिनों में दूध तथा मुरा से तीन-तीन प्यालियाँ अश्विनी, सरस्वती एवं इन्द्र को समर्पित की जाती हैं तथा इन्हीं तीन देवों के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती है, गया अश्विनी, के लिए भूरे रंग का बकरा, सरस्वती के लिए भेड़ (मेष) तथा मुत्रामा इन्द्र के लिए एक बैल (शात्यायन० १५।१।५।१४, आश्वलायन० ३।९।२)। शतपथब्राह्मण (५।५।४ एवं १२।७।२), वात्स्या० (१५।९।२८-३० एवं १९।१-२) आदि में मुरा-निर्माण के विषय में विषद वर्णन मिलता है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव में नहीं दे रहे हैं।

सौत्रामणी में तीनों पशु बकरे भी हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में गृहस्पति को भी एक पशु दिया जाता है (आप० १९।२।१-२)। यह ऋत्य राजसूय के अन्त में, या उनके लिए जो चयन ऋत्य का सम्पादन करते हैं, या उनके लिए जो अत्यधिक सोम पीने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, जिनके शरीर के छिद्रों से (मुख से नहीं) सोमरस निवृत्त रहूँ हो, किया जाता है। स्वतन्त्र सौत्रामणी अर्थात् कौक्लिणी उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है, जो सम्पत्ति के इच्छु हैं या जिनका राज्य छिन गया है या जो पशु घन चाहते हैं (वात्स्या० १९।१।२-४)। इस ऋत्य के प्रारम्भ एवं अन्त में अदिति को चर दिया जाता है।

१. 'सौत्रामणी' शब्द की उत्पत्ति 'सुत्रामन्' (एक अच्छा रत्नक) शब्द से हुई है, जो इन्द्र की एक उपाधि है (आश्वेद १०।१३।१६-७)। शतपथब्राह्मण (५।५।४।१२) में इसका अर्थ यों लगाया है—“यह जो (अश्विनी द्वारा) भली प्रकार बचा लिया गया है।”

अश्वमेध

अश्वमेध की गणना प्राचीनतम यज्ञों में होती है। ऋग्वेद की १११६२ एव १६३ सव्यक ऋचाओं से विदित होता है कि इन्की रचना के पूर्व से ही अश्वमेध का प्रचलन था। यह विश्वास किया जाता था कि अश्वमेध का अश्व स्वर्ग चला जाता है। अश्व के आगे-आगे एक बकरा ले जाया जाता था (ऋग्वेद ११६२।२-३ एव ११६३।१२)। अश्व को आमूषणों से अलङ्कृत किया जाता था। इस पर स्वर्ष (ऋग्वेद ११६२।९) का लेप किया जाता था। यह अग्नि के चारों ओर तीन बार ले जाया जाता था, या इसके चारों ओर तीन बार अग्नि घुमायी जाती थी (ऋ० ११६२।४)। अश्व के शव को आवृत करने के लिए एक स्वर्ण-खण्ड के साथ एक परिधान की व्यवस्था होती थी (ऋ० ११६२।१६)। उसा नामक पान म अश्व का मांस पनाया जाता था (ऋ० ११६२।१३) और उसे अग्नि को समर्पित किया जाता था (ऋ० ११६२।१९)। ऋग्वेद (११६२।१८) में ३४ पसलियों का उल्लेख हुआ है। बकरी की पसलियों की संख्या २६ बतायी गयी है। लगता है, अश्व के मांस की आहुतियों के समय आगू, याज्या एव वषट्कार का वाचन होता था (ऋ० ११६२।१५)। अश्व को आदित्य, व्रित एव यम के समान कहा गया है (ऋ० ११६३।३)।

सप्तम ब्राह्मण (१३।१-५) एव तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८-९) में अश्वमेध का वर्णन हुआ है, जिसमें बहुत-से ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ सम्पादित किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।९) ने अश्वमेध को राज्य या राष्ट्र कहा है और इस प्रकार उल्लेख किया है—जब अबल व्यक्ति अश्वमेध करता है तो वह फँक दिया जाता है (अर्थात् हटा दिया जाता है)। यदि शत्रु अश्व को पकड़ ले तो यज्ञ नष्ट हो जाता है।^१ सूत्र-ग्रन्थों में ब्राह्मण-ग्रन्थों की परम्पराएँ पायी जाती हैं। सूत्रों में अश्वमेध को सोमरस निचोड़ने के तीन दिनों का अहीन गाना गया है (आश्व० १०।८।१, कात्या० २०।१।१ की टीका, शाखा० १६।१।२)। सार्वभौम या अभिषिक्त राजा (जो अभी सार्वभौम नहीं हुआ है) अश्वमेध यज्ञ कर सक्ता था (आप० २०।१।१, लाट्यायन ९।१०।१७)। आश्वलायन (१६।६।१) का कहना है (जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ने राजसूय में महाभिषेक के विषय में उल्लेख किया है) कि सभी पदार्थों के इच्छुता, सभी विजयों के (अपनी इन्द्रियों पर विजय के लिए भी) अभिलाषियों तथा अतुल समृद्धि के वांछियों द्वारा अश्वमेध किया जा सक्ता है।^२ फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आठवें या नवें दिन या ज्येष्ठ मास के इन्ही दिनों या कुछ लोगों के मत से आपाढ मास के दिनों में (कात्या० २०।१।२-३, लाट्यायन ९।९।६७) अश्वमेध का प्रारम्भ किया जाता है। आप० (२०।१।४) के मत से चंद्र की पूर्णिमा को इसका आरम्भ होना चाहिए। इसके प्रारम्भ के लिए चार पात्रों में से चार अर्जाएँ एव चार मुट्ठी चावल लेकर पकाया जाता है जिसे बह्मौवन कहा जाता है। पी से मिश्रित कर यह चावल चार प्रमुख पुरोहितों (होना, अध्वर्यु ब्रह्मा एव उद्गाता) को दिया जाता है। इन पुरोहितों में प्रत्येक को एक-एक सहस्र गोएँ

२ राष्ट्र वा अश्वमेधः।...परा वा एव सिद्ध्यते योऽबलोऽश्वमेधेन यजेत। यदभिप्रा अश्व विन्देत् ह्येतास्य यज्ञः। तं० ब्रा० ३।८।९। ऐतरेय ब्राह्मण ने अश्वमेध का उल्लेख किया है, किन्तु इसमें राजसूय के महाभिषेक (एन्द्र) का उल्लेख हुआ है।

३ सर्वान् कामानाप्यन् सर्वान् विजितीविजिगीषमाणः सर्वा भ्युष्टीभ्यश्चाप्यश्वमेधेन यजेत। आश्व० १०।६।१, स य इच्छेदेव वित् क्षत्रियमय सर्वा जितो जयेताय सर्वा त्लोकान्विन्देताय सर्वेषां राजां अष्ट्यमतिष्ठां परमतां गच्छेत साम्राज्य भोज्य स्वाराज्य पारमेष्ठ्य राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमय समस्तपर्यायी स्वारासार्वभौम सार्वभौम अन्तादा परार्थत् पृथिव्यं समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तमेतेन्द्रेण महाभिषेकण क्षत्रिय शापदित्वाभिधिऋतेत्। ऐ० ब्रा० ३९।१। "साम्राज्यम्" से लेकर "एकराडिति" तक सारे शब्द आधुनिक काल तक के ब्राह्मणों को परिचित हैं।

दी जाती हैं और साथ ही एक सौ गुजा नर का एक स्वर्ण-सङ्घ भी मेट किया जाता है (कार्या० २०।१।४-६, लाट्या० १।१।८)। अग्नि मूर्धन्वान् एव पूषा के लिए दो इष्टियाँ की जाती हैं (आप० १०।६।२-५, कार्या० २०।१।२५)। यजमान केश, नस बटाता है, दाँत स्वच्छ करता है, स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करता है, निम्न (सोने का आम्रघण) धारण करता है और मोन रहता है। इन कृत्यों के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।१) एव आप० (२०।४।१-१४)। यजमान की चारो रानियाँ अलकृत हो तथा निष्क धारण करके उसके पास आती हैं। महिषी राजकुमारियों के साथ, दूसरी रानी (बाबासा, जिसे राजा सबसे अधिक चाहता है) क्षत्रियों की कन्याओं के साथ, तीसरी रानी (परिवृक्षती, त्यागी हुई) सूतो एव ग्राम-मुखियों की लड़कियों के साथ तथा चौथी रानी (पालागली, नीच जाति वाली) क्षत्रो (चँवर हुआनेवालो) एव सप्रहीताओं की कन्याओं के साथ आती हैं। यजमान अग्नि-स्थल में प्रवेश कर गार्हपत्याग्नि के पश्चिम उत्तरान्निमुख बैठ जाता है।

अश्व के रंग एव अन्य गुणों के विषय में बहुत-से नियम बनाये गये हैं (शतपथब्राह्मण १३।४।२।४, कार्या० २०।१।२०-३५, लाट्या० १।१।४)। अश्व श्वेत रंग का होना चाहिए और उस पर काले रंग के वृत्ताकार चिह्न हो तो अश्वत्थम है तथा उसे बहुत तेज चलने वाला होना चाहिए। यदि श्वेत रंग वाला अश्व न हो तो उसका अग्र भाग काला हो तथा पूंठ भाग श्वेत, या उसके केश गहरे नीले रंग के हो तो अच्छा है।

चारों प्रमुख पुरोहित अश्व पर पवित्र जल छिड़कते हैं। ये पुरोहित क्रम से चारो दिशाओं में खड़े रहते हैं और उनके साथ एक सौ राजकुमार, एक सौ उग्र (जो राजा नहीं होते), सूत, ग्राम-मुखिया, क्षत्र एव सप्रहीता होते हैं (आप० २०।४, सत्यापाठ १४।१।३१)। चार आँखों वाला एक कुत्ता (दो प्राकृतिक आँखों और दोनो आँखों के पास दो नखें वाला) आयोज्य जाति के एक व्यक्ति द्वारा या सिध्दक वाण्ट से बने मूसल से किसी विध्यासक्त व्यक्ति द्वारा मारा जाता है। अश्व पानी में ले जाया जाता है जहाँ उसके पेट के नीचे बुत्तों का घाव रस्सी से बाँधकर तैराया जाता है (आप० २०।३।६-१३, कार्या० २२।१।३८, सत्या० १४।१।३०-३४)। इसके उपरान्त अश्व अग्नि के पास लाया जाता है और जब तब उसके शरीर में जल की बूँद टपकती रहती है तब तक अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं (कार्या० २०।२।३-५)। अश्व को मूज की या दर्भ की १२ या १३ अरलिन लम्बी मेखला पहनायी जाती है। मन्त्रों के साथ अश्व पर जल छिड़का जाता है। यजमान मन्त्रों के साथ अश्व के दाहिने बान में उसकी कतिपय उपार्घ्याँ या सजाएँ बहता है (आप० २०।५।१-९)। इसमें उपरान्त अश्व स्वतन्त्र रूप से देश-विदेश में घूमने को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ चार सौ रक्षक होते हैं (वाजमनेयी संहिता २२।१९, तैत्तिरीय संहिता ७।१।२।१)। रक्षकों में एक सौ ऐसे राजकुमार रहते हैं जो राजा के साथ सम्मानपूर्वक बैठ सकते हैं। इन राजकुमारों के पास अस्त्र-शस्त्र होते हैं। अन्य रक्षकों के पास भी उनकी योग्यता के अनुसार आयुध होते हैं (तै० ब्रा ३।८।९, आप० २०।५।१०-१४, कार्या० २२।२।११)। अश्व साल भर तक इस प्रकार अपने-आप चलता रहता है, विन्दु पीछे नहीं लौटने पाता। वह न तो जल में प्रवेश करने पाता और न पौधियों से मिलने पाता है (कार्या० २२।२।१२-१३)। अश्व के रक्षक लोग ब्राह्मणों से भोजन माँगकर खाते हैं और रात्रि में रथकारों के घरों में सोते हैं (आप० २०।५।१५-१८, २०।२।१५-१६)। अब तब अश्व इस प्रकार बाहर रहता है, यजमान (यहाँ पर राजा) प्रति दिन प्रातः, मध्याह्न एव साय सविता के लिए ती-रे इष्टियाँ करता रहता है। सविता को प्रातः, मध्याह्न एव साय त्रम से सत्यप्रसव, प्रसविता एव आसविता बहकर पूजित किया जाता है (आश्व० १०।६।८, लाट्या० १।१।१०, कार्या० २०।२।६)। जब प्रयाज नामक आहुतियाँ दी जाती हैं, पुरोहितों के अतिरिक्त कोई अन्य ब्राह्मण वीणा पर राजा के विषय में स्वरचित तीन प्रशस्तियुक्त गायार्ण गाता है (आप० २०।६।५, कार्या० २०।२।७)। सविता की इष्टि के सम्पादन के उपरान्त ये प्रशस्तियाँ प्रति दिन तीन बार गायी जाती हैं (शत० ब्रा० १३।५।२।८-१४, तै० ब्रा० ३।१।१४)। इसी प्रकार एक वीणावादक क्षत्रिय यजमान (राजा) के सप्तानो एव विजयो

के विषय में प्रशस्ति-गान करता है। पूरे साल भर तक प्रति दिन सविता की इष्टि के उपरान्त होता आहवनीयानि के दक्षिण में स्वर्णासन पर बैठकर पुत्रो एव मन्त्रियो से युक्त अभिषिक्त राजा को पारिप्लव नामक उपाख्यान सुनाता है। इसी प्रकार अन्य पुरोहित भी राजा एव उसके पूर्वजों के कार्यों एव कीर्तियों की स्तुति करते हैं (आप० २०।६।१७)। जब तक अश्वमेध समाप्त नहीं हो जाता तब तक अश्वयुद्ध राजा बना रहता है, और राजा कहता है—“हे ब्राह्मणो एव मामन्तो, यह अश्वयुद्ध आपका राजा है, जो सम्मान आप मुझे देते हैं उसे आप इसे दें ” (आप० २०।३।१-२)। आश्वलायन (१०।७।१-१०), शतपथब्राह्मण (१३।४।३) एव शाखायन (१६।२) में पारिप्लव के विषय में विस्तार-पूर्वक लिखा है। पारिप्लव में मूर्ति मूर्ति की गाथाएँ गायी जाती हैं। दस दिनों तक पूयक् रूप से प्रति दिन विभिन्न गाथाएँ बही जाती हैं और यह क्रम दस-दस दिनों के चक्र में पूरे साल भर तक चलता जाता है। दस दिनों के कृत्य निम्न प्रकार से किये जाते हैं।

प्रथम दिन होता कहता है—“मनु विवस्वान् के पुत्र थे, मानव उनकी प्रजा हैं”, तदनन्तर होता यश-कश मे बैठे गृहस्थो की ओर सकेत कर कहता है—“(मनु की प्रजा के रूप में मानव लोग) यहाँ बैठे हैं।” इससे पश्चात् वह ऋष्वेद की कोई ऋचा पढ़ता है और कहता है—“आज वेद ऋचाओं का वेद है।” दूसरे दिन वह कहता है—“यम विवस्वान् का पुत्र है पितृ-गण उसकी प्रजा हैं।” ऐसा कहकर वह वहाँ पर एकत्र हुए बड़े बूढ़ों की ओर सकेत करता है और यजुर्वेद के एक अनुवाक का वाचन करता है। तीसरे दिन वरुण एव गन्धर्व लोगों का सुन्दर व्यक्तियों की ओर सकेत करने वर्णन होता है, और अथर्ववेद की कुछ ऐसी ऋचाओं का वाचन होता है जिनका सम्बन्ध रोमा एव उनकी ओपधियों से होता है। चौथे दिन आश्वान का वर्णन सोम, विष्णु के पुत्र एव अप्सराओं से (सुन्दर नारियाँ की ओर सकेत करके) सम्बन्धित होता है और आगिरस वेद की इन्द्रजाल-सम्बन्धी कुछ ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं। पाँचवें दिन अबुंद ऋद्रवेय एव सर्पों से (उन आगन्तुकों की ओर सकेत करके जो सर्व-विद्या या विष विद्या से परिचित होते हैं) सम्बन्धित आख्यान कहा जाता है। छठे दिन कुवेर वैश्वर्ष तथा उसकी प्रजा राक्षसों का (दुष्ट प्रकृति वालों की ओर सकेत करके) वर्णन होता है और पिशाच-वेद (?) का पाठ किया जाता है। सातवें दिन वा आश्वान असित धाम्बन, उसकी प्रजा (असुर लोग) तथा असुर-विद्या से सम्बन्धित होता है। आठवें दिन मत्स्य सामद, उसकी प्रजा (जल के जीव), मत्स्य देश के पुजिष्ठो (मछुओं) तथा पुराण-वेद के कुछ पुराण-अंशों का वर्णन किया जाता है। नवें दिन वा आश्वान विपश्चित् के पुत्र तार्य, उसकी प्रजा (पक्षी-गण) तथा इतिहास-वेद से सम्बन्धित होता है। दसवें दिन धर्म इन्द्र, उसकी प्रजा (देवता लोगों तथा दक्षिण न ग्रहण करने वाले श्रोत्रिय लोगों) तथा सामवेद की कुछ ऋचाओं (साम-गानों) से सम्बन्धित आख्यान होता है। साल भर तक प्रत्येक दिन सायंकाल घृति नामक चार आहुतियाँ आहवनीय अग्नि में डाली जाती हैं (काल्या० २०।३।४)। प्रथम दिन वाजसनेयी संहिता (२।१।७८) के पाठ के साथ प्रक्रम

४. आश्वलायन (१०।७।१-२) में पारिप्लव के वाचन के विषय में यह लिखा है—“प्रथमेहनि मनुर्वेदस्व-तस्तस्य मनुष्या विशस्त इम आसत इति गृहमेधिन उपसमानौता स्युस्तानुपविशत्पुषो वेदः सोऽग्रमिति सूक्त निगवेत् । द्वितीयेहनि धर्मो बंधस्वतस्य पितरो विशस्त इम आसत इति स्वविरा उपसमानौता स्युस्तानुपविशति धनुर्वेदो वेद संयमित्यनुवाक निगवेत् ।” वेदान्तसूत्र (३।४।२३-२४) में निष्कर्ष आया है कि वे आख्यान जो उपनिषद् में पाये जाते हैं (यथा—कौषीतकी उपनिषद् (३।१) में पाये जाने वाले इन्द्र एव प्रतरं के आख्यान, छन्दोपोप-निषद् (४।१।१) का आनभृति नामक आख्यान तथा बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।१) के धाम्बल्य एव उनकी पत्नियों के आख्यान) पारिप्लव में सम्मिलित नहीं किये जाते।

नामक ४० होम दक्षिणाग्नि में किये जाते हैं (शातपथ ब्रा० १३।४।३।५ तै० सं० ७।१।१९)। इस प्रकार सविता की इष्टियाँ, गायन, पारिप्लव-श्रवण एवं घृति की आहुतियाँ साल भर चला करती हैं। साल भर तक यजमान राजसूय के समान ही कुछ विविष्ट व्रत करता रहता है (साध्या० १।१।१४)। अध्वर्यु, गानेवालो एवं होता को प्रचुर दक्षिणा मिलती है।

यदि अश्वमेध की परिसमाप्ति के पूर्व अश्व मर जाय या किसी रोग से ग्रस्त हो जाय तो विनुदि के कई नियम बतलाये गये हैं (आप० २२।७।१-२०, कात्या० २०।३।१३-२१)। यदि वाजु द्वारा अश्व वा हरण हो जाय तो अश्वमेध नष्ट हो जाता था। वर्ष के अन्त में अश्व अश्वशाला में स्थाया जाता था और तब यजमान दीक्षित किया जाता था। इस विषय में १२ दीक्षाओं १२ उपसदो एवं ३ मुत्या दिनों (ऐसे दिन जिनम सोमरस निकाला जाता था) की व्यवस्था की गयी है। देखिए शातपथब्राह्मण (१३।४।४।१), आश्वलायन (१०।८।१) एवं लाट्यायन (१।१।१७)। दीक्षा के उपरान्त यजमान की स्तुति देवताओं की अर्ति होती है तथा सोमरस निकालने के दिना में, उदयनीया इष्टि, अनुबन्ध्या एवं उदवसानीया के समय बहु प्रजापति के सदृश समझा जाता है (आप० २०।७।१४-१६)। कुल मिलाकर २१ २१ अरतिनों को लम्बाई वाले २१ मूष लड़े किये जाते हैं। मध्य वाला मूष राजजुदाल (श्लेष्मातक) की लकड़ी का होता है जिसके दोनों पारसों में देवदारु के दो मूष होते हैं, जिनके पारसों में बिल्व, खदिर एवं पलाश के मूष सहे किये जाते हैं (तै० ब्रा० ३।८।९, शातपथ० १३।४।४।५, आप० २०।१।६-८ एवं कात्या० २०।४।१६-२०)। इन मूषा में बहुत-से पशु बंधे जाते हैं और उनकी बलि दी जाती है। यहीं तक कि सूकर ऐसे बनेले पशु तथा पक्षी भी बाँटे जाते हैं (आप० २०।१।४।२)। बहुत-से पक्षी अग्नि की प्रदक्षिणा करारकर छोड़े भी दिये जाते हैं। सोमरस निकालने के तीन दिनों में दूसरा दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत-से कृत्य होते हैं। यज्ञ वा अश्व अन्य तीन अश्वों के साथ एक रथ में जोता जाता है जिस पर अध्वर्यु एवं यजमान चढ़कर किसी तालाब, झील या जलाशय को जाते हैं और अश्व को पानी में प्रवेश कराते हैं (कात्या० २०।५।११-१४)। यज्ञ स्थल में लोट आने पर पटरानी, राजा की अत्यन्त प्रिय रानी अर्थात् वाखाता तथा त्यागी हुई रानी (परिवृक्ता) कम से अश्व के अप्रमाण, मध्यमाण एवं पृष्ठमाण पर घृत लगाती है। वे "मू भुक् एवं स्व" नामक शब्दों के साथ अश्व के सिर, अयाल एवं पूछ पर १०१ स्वर्ण-मुटिकाएँ (गालियाँ) बाँधती हैं। इसके उपरान्त कतिपय अय कृत्य किये जाते हैं। ऋग्वेद की १।१६३ (आश्व० १०।८।५) नामक ऋचा के साथ अश्व की स्तुति की जाती है। घास पर एक वस्त्र-वण्ड बिछा दिया जाता है जिस पर एक अन्य चदर रखकर तथा एक स्वर्ण-खण्ड डालकर अश्व का हनुव किया जाता है। इसने उपरान्त रानियाँ दाहिने से बायं जाती हुई अश्व की तीन बार परिक्रमा करती हैं (वाजसनेयी संहिता २३।१९), रानियाँ अपने वस्त्रा से मृत अश्व की हवा करती हैं और दाहिनी ओर अपने बेश बाँधती हैं तथा बायी ओर खोलती हैं। इस कृत्य के साथ वे दाहिने हाथ से अपनी बायीं जीप पर आघात करती हैं (आप० २२।१७।१३ आश्व० १०।८।८)। पटरानी (बड़ी रानी) मृत अश्व के पारसों में लोट जाती है और अध्वर्यु दोनों को नीचे पक्षी चादर से ढक देता है। पटरानी इस प्रकार मृत अश्व से सम्मिलन करती है (आप० २२।१८।३४, कात्या० २०।६।१५-१६)। इसने उपरान्त आश्वलायन (१०।८।१०-१३) के मत से बड़ी वा बाहर होता पटरानी को अश्लील भाषा में गालियाँ देता है, जिसका उत्तर पटरानी अपनी एक ही दाम्नी राजकुमारियाँ वा माय देती है। इसी प्रकार बह्या नामक पुरोहित एवं वाखाता (प्रियतमा रानी) भी करते हैं अर्थात् उनम मी अश्लील भाषा में गालियाँ वा दोर चलाता है। वास्यायन (२०।६।१८) के अनुसार शाग प्रमुख पुरोहिता एवं शत्रो (घेवर हुनाने वालिया) म भी बड़ी अश्लील व्यवहार होता है और वे सभी रानियाँ एवं उनकी मशयुवनी दामियाँ स गन्दी गन्दी बाँधें करत हैं (वाजसनेयी संहिता २३।२२-३१, शातपथ० १३।२।९ एवं साध्या० १।१०।३६) इसने उपरान्त दासी राजकुमारियाँ पटरानी की मृत अश्व से डूर करती हैं। अश्व को पटरानी, वाखाता

एष परिव्रुक्ती रानियां क्रम से सोने, चाँदी एवं लोहे (समवत, यहाँ यह ताम्र का ही अर्थ रखा है) की सूइयों से काटती हैं और उसके मास को निवाङ्ग वाहर करती हैं। इसके उपरान्त यज्ञ-सम्बन्धी बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर पुरोहिता एवं यजमान के बीच चलने हैं, जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। विभिन्न देवताओं के नाम पर मास की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके उपरान्त बहुत से कृत्य किये जाते हैं जिन्हें स्वानामाव से हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

इस यज्ञ में बहुत-से दान दिये जाते हैं। सोमरस निवालने के प्रथम एवं अन्तिम दिन में एक सहस्र गोएँ तथा दूसरे दिन राज्य के किसी एक जनपद में रहने वाले सभी अब्राह्मण निवामिया की सम्पत्ति दान दे दी जाती है। विजित देश के पूर्वी भाग की सम्पत्ति होता को तथा इसी प्रकार विजित देश के उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग की सम्पत्ति क्रम से उद्गाता, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा तथा उनके सहायकों को दे दी जाती है। यदि इस प्रकार का सम्पत्ति न दी जा सके तो चार प्रमुख पुरोहितों को ४८,००० गोएँ और प्रधान पुरोहिता के तीन-तीन सहायकों को २६,०००, १२,००० तथा ६,००० गोएँ दी जाती हैं।

प्राचीन वाल्य म भी अश्वमेध बहुत कम होता था। तैत्तिरीय संहिता (५।५।१२।३) एवं शतपथ ब्राह्मण (१।३।३।६) ने लिखा है कि अश्वमेध एक प्रकार का उत्सव (जिसका अब प्रचलन नहीं) यज्ञ था। अथर्ववेद (९।७।७-८) ने भी राजमूय, वाजपेय, अश्वमेध, सत्रा तथा कुछ अन्य यज्ञों को उत्सव यज्ञ की सजा दी है। अश्वमेध में आरम्भ के विषय में कुछ कहना कठिन है। इसकी बहुत-सी बातें विचित्रताओं से भरी हैं, यथा मृत अश्व के पादों में रानी का सोना, गाली-गलोज करना आदि। बहुत-से लेखकों ने अपने तर्क दिये हैं, किन्तु उनमें सर्वोत्तम का अभाव है।

महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में अश्वमेध का वर्णन कुछ विस्तार से हुआ है। यह स्वामाविक है कि उसमें केवल अति प्रसिद्ध तथ्य तथा कुछ धार्मिक कृत्यों पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। महाभारत (७।१।१६) में व्यास ने युधिष्ठिर से कहा है कि अश्वमेध में व्यक्ति के सारे पाप पुल जाते हैं। चैत्र की पूर्णिमा को दमकी वीक्षा युधिष्ठिर को दी गयी थी (७।२।४)। सभ्य, कूर्च आदि पात्र सोने के थे या उन पर सोने की कलाई हुई थी (७।२।९-१०)। उन दिनों के सत्रमें बड़े घोड़ा अर्जुन पर साल भर तक चक्कर मारनेवाले अश्व की रक्षा का भार सौंपा गया था, और उसे युद्ध में बचते रहने की कहा गया था (७।२।२३-२४)। घोड़े का रग कृष्णसार (काले-काले घन्बों का) था (७।३।८)। अर्जुन के साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य तथा बहुत-से विद्वान् ब्राह्मण थे जिन्हें शान्ति करने के कृत्य करने पड़ते थे (७।३।१८)। अर्जुन के साथ चलने वाले सैनिकों की संख्या नहीं दी हुई है। अश्व सम्पूर्ण भारत में पूर्व में दक्षिण तथा पश्चिम से उत्तर तक बढ़ता रहा। अपने शत्रुओं से अनेक युद्ध करता हुआ अर्जुन अपने पुत्र, मणिपुर के राजा भद्रवाहन के हाथों मारा गया, किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागकुमारी उलूपी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८०)। मार्ग में अर्जुन ने अनेक शत्रुओं को हराया किन्तु उन्हें मारा नहीं, प्रत्युत उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। अश्वमेध का जो यह वर्णन मिलता है वह उत्तर वहे गये वर्णन से सामान्यतः मिलता है। प्रवर्यं तथा सोमरस निवालने का उल्लेख हुआ है। यूप। म ६ बिल्व के, ६ पदिर के, २ देवदारु के थे तथा एक श्लेष्मातक का था (८।८।२७-२८)। बहुत-सी बातों में अन्तर भी पाया जाता है। वेदी का आकार गरड-जैसा था (८।८।३२), इटें गोने की थी तथा ३०० पशुओं की शलि दी गयी थी। अग्नि-वेदी पर बिल के सिर तथा जल-जन्तु के आकार बने थे। मृत अश्व की बगल में

५. देखिए तैत्तिरीय संहिता में प्री० कौय की भूमिका, 'रिसीजन एण्ड फिलासफी आय दी वेद', भाग २, पृ० ३५५-३४७ तथा 'संश्लेषक आब दी ईस्ट', जिल्ड ४४, पृ० २८-३३। इन ग्रन्थों में पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त पढ़े जा सकते हैं।

द्वोपदी सोयी यी (८९।२-३)। अश्व की वषा आहुति के रूप में दी गयी थी, किन्तु आपस्तम्ब (२०।१८।११) ने स्पष्ट लिखा है कि अश्वमेध में वषा का निषेध है। बहुत-से लोगों को भोजन, सुप्त आदि दिये जाने का प्रबन्ध था। दन्द्रिदो एव आश्रयहीनों को भोजन दिया गया था (८८।२३, ८९। ३९-४३)। ब्राह्मणों को कुरोडो निष्क दिये गये थे। व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान में मिली थी, जिसे उन्होंने अपने तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण देने के बदले में लौटा दिया। पुनोत्पत्ति की लाजसा से दशरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। रामायण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है (बाल-काण्ड, १३।१४)।

ऐतिहासिक कृतियों में भी अश्वमेध का उल्लेख हुआ है। नन्दिबर्म पल्लवमल्ल के सेनापति उदयचन्द्र ने निपाद-राज पृथिवीन्द्राद्र को हराया, जिसने उसके अश्वमेध के अश्व की स्थान-स्वान पर जाते समय रक्षा की थी (इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ८, पृ० २७३)। यह घटना नवीं शताब्दी की है। बालुक्यराज पुलहेती ने भी अश्वमेध किया था (एपिग्राफिया कर्नाटिका, जिल्द १०, कोलर सख्या ६३)। आन्द्र के राजा ने राजसूय, दो अश्वमेध, सर्गत्रिराज, गवा-भयन एव अगिरसामयन सम्पादित किये थे (आर्क्यालाजिकल सर्वे भाव वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द ५, पृ० ६०-६१, नाना घाट अभिलेख)।^१ १८वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आमेर (जयपुर) के राजा जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था (पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द २, पृ० १६६-८० तथा कृष्ण-कवि का ईश्वरविनास काव्य, इकन कालेज कलेक्शन, हस्तलिपि सख्या २७३, सन् १८८४-८६)।

सत्र

यज्ञ-सम्बन्धी दीर्घ कालों की अवधि वाले कृत्य को सत्र कहा जाता है, जिसकी सीमा १२ दिनों से लेकर एक वर्ष या इससे अधिक होती है। सत्रों की प्रकृति द्वादशाह की होती है (आश्व० ९।१।७)। सत्रों को सुविधानुसार रात्रिसत्रों तथा सांख्यिक सत्रों (एक वर्ष या अधिक समय तक चलने वाले) में विभाजित किया जा सकता है। आश्वलायन (९।१।८—११।६।१६) एव कात्यायन (२४।१-२) ने तपोदशरान आदि से लेकर शतराज तक के बहुत-से रात्रिसत्रों का उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों में सत्रों के प्रमुख सिद्धान्तों तथा द्वादशाह से उनके उद्गम का वर्णन मिलता है। यदि एक ही दिन और जोड़ा जाय तो यह महासत्र हो जाता है, और यह एक दिन का जोड़ना उदयनीय नामक अन्तिम दिन के पूर्व ही होता है। यदि दो या अधिक दिन जोड़े जायें तो ऐसा दशरान के पूर्व ही किया जाता है (ऐसा करना प्रायणीय दिन के उपरान्त ही अच्छा माना जाता है और तब द्वादशाह का यह मन्थ बचा हो जाता है)। बहुत दिनों तक चलने वाले रात्रिसत्रों के विषय में बड़ह जोड़े जाते हैं (कात्या० २४।१।५-७, आश्व० ९।१।८-१४)। एक ही सत्र में अधिक से अधिक एक ही बार दशरान दोहराया जा सकता है (कात्या० २४।३।३४)। स्थानान्तरण से हम रात्रिसत्रों का वर्णन नहीं करते। सांख्यिक सत्रों का आधार है गवामयन (गायों का पप अर्थात् सूर्य की विरणों या दिन)। इस विषय में देखिए आश्वलायन (९।७।१), जैमिनि (८।१।८) की टीका तथा कात्यायन (२४।४।२)। सूत्र-ग्रन्थों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले कतिपय सत्रों का उल्लेख हुआ है, यथा—आदित्यानामयन (आश्व० १२।१।१), अगिरसामयन, कुष्पयानामयन (आश्व० १२।४।१), सर्वाणामयन, त्रैवाधिक (तीन वर्षों वाला), द्वादश-

१, अश्वमेध के विषय में देखिए संस्मृतिय संहिता (४।६।६-९, ४।७।१५, ५।१-९, ७।१-५); संस्मृतिय ब्राह्मण (३।८-९); शतपथ ब्राह्मण (१३।१-५); आप० (२०।१-२३); सत्याषाढ (१५); आश्व० (१०।६-१०); कात्या० (२०); साय० (९।९-११); शौषा० (१५)।

वार्षिक, षट्त्रिंशद्द्वार्षिक, शतसंवत्सर (आश्व० १२।५।१८) एवं सहस्रसंवत्सर, सारस्वत (पवित्र नदी सरस्वती के तट पर किया जाने वाला)। यहाँ पर केवल गवामयन के विषय में कुछ लिखा जायगा।

‘गवाम् अयन’ सांवत्सरिक सत्र है जो १२ मासों (३० दिनों वाले) तक चलता रहता है। इसके निम्नलिखित अंग हैं (ताण्ड्य० २४।२०।१, आश्व० १।१।२-६ एवं ७।२-१२, शतपथ० १४।५।१८-४० एवं आप० २१।१५) —

(क) प्रायणीय अतिरात्र (आरम्भिक दिन)

चतुर्विंश दिन, उक्थ्य

पाँच मास, जिनमें प्रत्येक में चार अमिप्लव षडह तथा एक पूष्य षडह पाये जाते हैं (प्रत्येक मास ३० दिनों का माना जाता है)।

तीन अमिप्लव एवं एक पूष्य अमिजित् दिन (अग्निष्टोम) } २८ दिन

तीन स्वरसाम दिन

ये सभी दिन मिलकर ३० दिन वाले ६ मास होते हैं।

(ख) विषुवत् या मध्य दिन (एकविंशत्तोम), जब कि अतिप्राह्ण सोम-पात्र पूर्ण तथा किसी अपराधी को दिया जाता है।

(ग) तीन स्वरसाम दिन (जब स्वर नामक शामो का गायन होता है, ताण्ड्य ४।५) } २८ दिन

विश्वजित् दिन (अग्निष्टोम)

एक पूष्य तथा तीन अमिप्लव षडह

आरम्भ में एक पूष्य तथा चार अमिप्लव षडह वाले, चार मास

तीन अमिप्लव षडह

एक गोष्टोम (अग्निष्टोम)

एक आयुष्टोम (उक्थ्य)

एक दशरात्र (दस दिन)

महाव्रत दिन (अग्निष्टोम)

उदयनीय (अतिरात्र)

ये सभी दिन (ग के अन्तर्गत) ६ मास होते हैं।

इस गवाम् अयन का सम्पादन कई प्रकार के कर्णों, यथा—मन्त्रति, सम्पत्ति, उन्व स्थिति, स्वर्ग के लिए किया जाता है (आप० २१।१५।१, सत्यापाठ १६।५।१४)। जिस दिन दीक्षा ली जाती है, उसके विषय में कई मत हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१९।४) के अनुसार इसका सम्पादन माघ या फाल्गुन में होना चाहिए। कुछ लोगों के मत से (सत्यापाठ १६।५।१६-१७, आप० २१।१५।५-६) माघ या चैत्र की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व दीक्षा लेनी चाहिए। अन्य दिनों के लिए देखिए लाट्यायन (१०।५।१६-१७), कात्यायन (१३।१।२-१०) आदि। जैमिनि (६।५।३०-३७) एवं कात्यायन (१३।१।८) के मत से माघ की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व (अर्थात् एकादशी को) दीक्षा लेनी चाहिए।

गवामयन में सत्र के रूप में द्वादशह की विधि अपनायी जाती है (आप० २१।१५।२-३ एवं जैमिनि ८।१।१७)। कुछ लोगों के मत से इसमें १२ की अपेक्षा १७ दीक्षाएँ ली जाती हैं। सत्रों के विषय में कुछ सामान्य नियम ये हैं—ये कई यजमानों द्वारा सम्पादित हो सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही इनके अधिकारी माने जाते हैं (जैमिनि ६।६।१६-२३, कात्या० १।६।१४)। इनके लिए अलग से ऋत्विक् या पुरोहित नहीं होते, प्रत्युत यजमान ही पुरोहित होते हैं।

(जैमिनि ६।४५।५० एव ५१-५९, सत्यापाठ १६।१।२१) । जैमिनि (६।२।१) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि जो लोग एक साथ मिलकर सत्र सम्पादन करते हैं उनकी सत्या वम-मे-वम १७ तथा अधिक-से-अधिक २४ होती है और सभी को समान आप्यात्मिक फल प्राप्त होता है (जैमिनि ६।२।१-२) । इसी से सत्रों में न तो वरण (पुरोहिती का भूनाव) होता है और न दान-दक्षिणा का प्रश्न उठता है (जैमिनि १०।२।३४-३८) । सनीहारी (दक्षिणा एकत्र करने वालों) को दान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । यज्ञपात्रों का निर्माण समान-प्रयोग के लिए होता है, सबने पात्र अलग-अलग होते हैं । यदि कोई सत्र-सम्पादन के बीच ही मर जाय तो उसको उसके यज्ञपात्रों के साथ ही जला दिया जाता है (जैमिनि ६।६।३३-३५) । सत्र में प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था होती है । दिवगत व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति भी सत्र कर सकते हैं, किन्तु फट-प्राप्ति दिवगत को ही होती है । वे ही लोग सत्र कर सकते हैं जिन्होंने तीनों वैदिक अग्निघों प्रवर्णित कर रखी हों वे वर सारस्वत सत्र में ही कुछ छूट इस विषय में दी गयी है । जैमिनि (६।६।१-११) के मत में एक ही प्रकार की साध्याविधि व अनुसार चलने वाले लोग साथ-साथ सत्र कर सकते हैं, अन्यथा प्रयाजों एक आग्नी वचनों (छन्दो या पदा) व विषय में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । बहुधा एक ही गोत्र वाले एक साथ सत्र कर सकते हैं । यदि सत्र करने की प्रवृत्ति लेकर अथवा आरम्भ कर लेने में उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र करना छोड़ देता है तो उसे प्रायश्चित्त रूप में विद्वज्जित् वृत्य (जैमिनि ६।४।३२ एव ६।५।२५-२७) करना पड़ता है । यद्यपि सत्र में सभी यजमान होते हैं, किन्तु उनमें किसी एक को गृहपति बन जाना पड़ता है । दीक्षा लेते समय एक विधिवत विधि का पालन करना पड़ता है (वाय्यापन १२।२।१५, सत्यापाठ १६।१।३६, आपस्तम्ब २।१।२।१६-२।१।३।१), अर्घ्यपूर्व सर्वप्रथम गृहपति तथा ब्रह्मा होता एक उद्गाता को दीक्षा देता है, प्रतिप्रस्थाता अर्घ्यपूर्व, मंत्रावधान, ब्राह्मणाच्छमी एक प्रस्तोता को दीक्षित करता है, नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अन्धकार आन्धीघ्न एव प्रतिहर्ता को दीक्षित करता है, उन्नता नेष्टा, प्रायश्चर्य एव सुषुप्त्य को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता का जोई अन्य ब्राह्मण (जो स्वयं दीक्षित हो चुका हो) वा वेद वा वाई छात्र या स्नातक उन्नता को दीक्षित करता है । उपर्युक्त लोगों की पत्नियों भी साथ ही दीक्षित होती हैं (सत्या० १२।२।१६) । प्रतिदिन सत्र में सम्मिलित लोग सोम की मीन रूप से रक्षा करते हैं तथा अन्य लोग वेद-पाठ करते हैं या समिया करते हैं (सतपथ ब्राह्मण ४।६।१।७, वात्या० १२।४।१ एव ३) । दमत्रे दिन ब्रह्मोद्योग होता है या प्रजापति को मयुर्मरियया, तर्तया (निड) एव चोर उत्पन्न करने में कारण गालियों दी जाती है (भाष० २।१।२।१-३, सत्या० १६।४।३३-३५, वात्या० १२।४।२१-२३) ।

सत्र करते समय यजमान को कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं (आश्व० १२।८, शाक्यायन श्रौतसूत्र ७।३-९) । दीक्षणीया इष्टि करने में उपरान्त पितरों के लिए रिय जाने वाले वृत्र (विण्डवित्-वन शदि) तथा देवताओं वाले वृत्य (सपः अग्निहोत्र) सत्र की समाप्ति तक बन्द रखे जाते हैं । सत्र करने वाले वा यज्ञ-सम्पादित सत्र सम्मोह करना मना रहता है । ये दीक्षक नहीं पत्र करने । वे न सो दांत दिखाकर हंस स्वयं और न नारियों में बानें पत्र साते हैं । वे अनाथों में बोल नहीं सकते । जो म डुबकी सेना, अत्यन्त भाषण करना, शोध करना, पत्रपत्र चढ़ना, नाय या रथ पर चढ़ना मना कर दिया जाता है । सत्री (सत्र करने वाले) को गाना, नाचना एव बाघ वन्द्य गजाना मना है । दीक्षा के समय वे केवल दूध का पान कर सकते हैं । सोमरस निरालने के दिन वे हवि के अवशेष प्राग, बन्द्य-मूल पत्र या व्रत वाले भोग्य पदार्थों का ही शोचन कर सकते हैं ।

सत्र-रूप का अत्यन्त मनोहारी दिन महाव्रत का माना जाता है और यह महाव्रत समाप्ति के एक दिन पूर्व रिया जाता है । इस दिन अतिरिक्त विचित्र वृत्त होते हैं । यह व्रत प्रजापति के लिए रिया जाता है, क्योंकि प्रजापति को 'महान्' कहा जाता है । 'महाव्रत' का तात्पर्य है 'अन्न' (साण्ड्य ४।१०-२, सतपथ० ४।६।४।२) । इस दिन आयुषों के माप-माप महाव्रतीय सोम पात्र से साम की आहुति दी जाती है । प्रजापति के लिए पशु-बलि दी जाती है ।

महाव्रत वाला माम-भाठ किया जाता है। सत्र में लगे हुए लोगों को गालियाँ दी जाती हैं। एक वेश्या एवं एक ब्रह्मचारी में भी गाली-गलोज होता है। आर्य एवं शूद्र में भी युद्ध का नाटक होता है जिसमें आर्य जीत जाता है (ताण्ड्य ५।५। १४-१७, सत्या० १६।७।२८-३२)।

जो लोग सत्र में सम्मिलित नहीं होते उनमें सम्भोग होता है। यह कर्म एक घिरे हुए स्थल में होता है। यह कृत्य प्रजापति के कार्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह सृष्टि का विधाता है। महाव्रत प्रजापति के लिए ही सम्पादित होता है अतः यह कृत्य विशेष रूप से उससे ही सम्बन्धित है। वेदी के दक्षिण कोण के पूर्व की ओर एक रथ रखा रहता है जिस पर चढ़कर एक सामन्त या क्षत्रिय धनुष-बाण से युक्त होकर वेदी की तीन बार प्रदक्षिणा करता है और एक चर्म पर बाण फेंकता है। इस कृत्य के समय ढोलकें बजती रहती हैं। पुरोहित गाते हैं, यजमानों की पत्नियों किन्नरियों का वध प्रदर्शित करती हैं। आठ दस दासियाँ सिर पर जलपूर्ण घड़े लेकर नाचती-गाती हैं और गायाएँ कहती हैं जिनमें गो की मद्दिमा की प्रधानता रहती है। लयता है, महाव्रत प्राचीन काल का कोई लौकिक कृत्य है जो यज्ञ की यकान मिटाने के लिए सम्पादित होता था। ऐतरेय आरण्यक (१ एव ५) ने महाव्रत को एक विशिष्ट रूप दिया है और उपयुक्त बातों का उल्लेख किया है।*

उदयनीय दिन में मंत्रावरण, विश्वे देवों एवं बृहस्पति (कारत्यायन १३।४।४) को तीन अनुबन्ध्या गायें आहुतियों के रूप में दी जाती हैं।

यद्यपि सूत्रों ने सौ-सौ या सहस्र वर्षों तक के सत्रों का वर्णन किया है, किन्तु प्राचीन काल के लेखकों ने भी उल्लेख किया है कि ऐसे सत्र, वास्तव में, सम्पादित होते नहीं थे, कम-से-कम ऐतिहासिक कालों में उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पतञ्जलि ने महामाष्य में लिखा है कि उनके समय के आस-पास सौ या सहस्र वर्षों तक चलने वाले सत्रों का सम्पादन नहीं होता था और याज्ञिकों ने सत्रों के विषय में जो नियम बनाये हैं वे सभी प्राचीन ऋषियों की परम्परा के द्योतक मात्र हैं (महामाष्य, भाग १ पृ० ९)।

अन्य मन्त्रों में सारस्वत सत्र अत्यन्त व्यापक एवं करणीय माने गये हैं, क्योंकि उनके सम्पादन के सिलसिले में सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों के पानन स्थलों पर यजमानों को जाना पड़ता था। इस विषय में देखिए, आश्वलायन (१२।६), आट्यायन (१०।१५) एवं कारत्यायन (६।१४)।

अग्निचयन

अग्नि-वेदिना का निर्माण अत्यन्त गूढ़ एवं जटिल है। श्रौत यज्ञों में यह कृत्य सबसे कठिन है। शतपथ ब्राह्मण में लगभग एक तिहाई भाग (१४ भागों में ५ भाग) चयन से ही सम्बन्धित है। आरण्य में चयन एक स्वतन्त्र कृत्य था, किन्तु आगे चलकर यह सोम-यज्ञों के अन्तर्गत आ गया। इस कृत्य की जड़ में कुछ विशिष्ट जगत्सृष्टि विषयक सिद्धान्त पाये जाते हैं। ऋग्वेद (१०।१२१) में भी हिरण्यगर्भ या प्रजापति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के विधाता के रूप में व्यक्त किया गया है, उत्पत्ति, नाश एवं पुनरुत्पत्ति का नियम शास्वत माना गया है, अजस्र-नित्यता सदा से चलती आयी है और चलती जायेगी, ऐसा विश्वास बहुत प्राचीन काल से धरल आया है (घाता यथापूर्वमकल्पयत्, ऋग्वेद

७ शब्दान्पर्यय कारवन्ति। एतस्मिन्नहनि प्रभूतमन्नं ब्रह्मात्। राजपुत्रेण चर्म व्याघ्रपत्न्याऽन्वितं भूमिबुधुनि पत्न्यश्च काण्डवीणा भूतानां च मंथुन ब्रह्मचारिपुश्चल्योः सप्रवादीनेकेन सान्ना निष्केवत्याय स्तुपते राजव-स्तोत्रियेण प्रतिपद्यते। ऐ० आ० (५।१।५)।

१ ११०१३) । पुरुष ने स्वयं यज्ञिय सामयियो (हवि) का रूप धारण कर लिया। वर्ष एव ऋतुओं ने पुनर्निर्माण का रूप धारण कर लिया—विभिन्न भागों में विभाजित पुरुष के पुनरभियोजन एव पुनर्निर्माण के पीछे वर्ष एव विभिन्न ऋतु हैं। इसीलिए मनुष्य को, जो इस प्रकार की अजस्र गतियों का शिशु मात्र है, इस विश्व के पुनर्निर्माण के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। वह अपना यह कर्तव्य, अग्नि को प्रजापति के रूप में या उसे परमप्रथम तथा जीवनाधार एव सभी क्रियाओं के मूल के रूप में मानकर, अग्नि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है। इस प्रकार अग्नि में यज्ञ-ऋतुओं की आहुतियाँ देकर वह पुनर्मृष्टि एव पुनर्निर्माण की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनुष्य विधाता की मृष्टि की अनुवर्ति (नरऽ) इँटों में बने बड़े-बड़े ढाँचों से बर सकता है। शतपथ ब्राह्मण (६।२।२।२१) ने इन भावनाओं की आरंभ प्रतीति किया है। शतपथ ब्राह्मण का दसवाँ पाण्ड अग्निचयन के रहस्य से सम्बन्धित है। वेदिका के निर्माण में जो शृंग होते हैं अथवा जिस प्रकार वेदिका-निर्माण होता है उसमें सृष्टि की पुनर्सृष्टि एव पुनर्निर्माण की ही गतियाँ प्रतीक रूप में द्योतित हैं। नीचे हम कात्यायन, सत्याषाढ एवं आपस्तम्ब के वर्णन के आधार पर संक्षेप में अग्नि चयन का वर्णन उपस्थित करेंगे।

अग्नि-वेदिका का पाँच स्तरो में निर्माण सोमयाग का एक अंग है। किन्तु प्रत्येक सोमयाग में चयन आवश्यक नहीं माना जाता। महाजन नामक सोमयाग में ऐसा किया जाता है। हमने ऊपर देख लिया है कि मत्स्यत गवाक्ष-अयन की समाप्ति के एक दिन पूर्व सम्पादित होता है। जब कोई व्यक्ति अग्नि-वेदिका बनाना चाहता, तो वह सर्व-प्रथम पालुन की पूर्णमा इष्टि के उपरान्त या भाष की अभावस्था के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य, अरव, बैल, भेड़ एवं बकरे) की बलि देता था। मनुष्य की बलि किसी छिपे स्थान में होनी थी। पशुओं के सिर वेदिका में चुन दिये जाते थे और उनके पङ्क उम जल में फेंक दिये जाते थे जिससे मिट्टी सानकर इँटें बनायी जाती थी। कात्यायन (१६। १।३०) ने लिखा है कि हम विवन्ध से पशुओं के स्थान पर उनके सिर के आकार के स्वर्णम या मिट्टी के सिर बना कर प्रयोग में ला सकते हैं। आधुनिक काल में अब नयी अग्नि चयन होता है तो इन पाँच जीवों की स्वर्णम आहुतियाँ ही प्रयोग में लायी जाती हैं। इसके उपरान्त पालुन के कृष्ण पक्ष में आठवें दिन एक अरव, एक गधहा तथा एक बकरा आहवनीय अग्नि के दक्षिण ले जाये जाते हैं (अरव सबसे आगे रहता है)। इन पशुओं के मुख पूर्व की ओर होत है। जहाँ वे मिट्टी ली जाती है वहाँ तक अरव ले जाया जाता है। आहवनीय अग्नि के पूर्व में एक वर्गाकार गड्ढा गीदा जाता है जिसमें मिट्टी का एक इतना यड़ा घोधा रख दिया जाता है कि उससे गड्ढा पुनः भर जाता है और उम स्थल का ऊपरी भाग पृथिवी के बराबर ज्यों-ना-त्यों हो जाता है। इसके उपरान्त मिट्टी के घोधे एवं आहवनीय ने मध्य की भूमि में चौटियों के दूह में मिट्टी लाकर झट्टी कर ली जाती है। आहवनीय अग्नि के उत्तर में तिनो यज्ञिय वृक्ष का एक बिसा लम्बा कुदाल रख दिया जाता है। इस कुदाल से गड्ढे में रखी मिट्टी (गीली मिट्टी व घोधे) के ऊपर चौटियाँ के दूह वाली मिट्टी रख दी जाती है। अरव के पैर द्वारा उस गड्ढे की मिट्टी दबा दी जाती है। पुरोहित कुदाल से उस मिट्टी पर तीन रेखाएँ धीरे देता है और उसके उत्तर में एक कृष्ण-मृगचर्म बिछा कर उम पर एक कमल-पत्र रख देता है, जिस पर गड्ढे वाली मिट्टी निकाल कर रख दी जाती है। मृगचर्म के किनारे

८. ऐसा लगता है कि मनुष्य, वास्तव में, मारा नहीं जाता था, प्रत्युत छोड़ दिया जाता था। बलि बाला मनुष्य वंश या क्षत्रिय होता था (कात्यायन १६।१।१७)। शीघायन (१।०।९) के मत से मृद्ध में मारे गये मनुष्य तथा अरव के सिर लाये जाते थे—“शुक्रामे हतयोऽरवस्य च यंयस्य च शिरसो। दोष्यन्त ऋषयश्च यन्ते। कुर्वि च वस्त आहवन्ति। एतत्सर्पेशिरः।” बसिए कात्यायन (१६।१।३२)।

भूज की रस्ती से बांध दिये जाते हैं। पुरोहित मिट्टी के घोघे के साथ मृगचर्म उठा लेता है और उसे पूर्व की ओर करके पशुओं के ऊपर रखता है। इस बार पशु उल्टी रीति से आते हैं, अर्थात् पहले बकरा आता है और अन्त में भ्रश्व। आपस्तम्ब (१६।३।१०) के मत से मिट्टी की खेप गददे पर रखकर एक निविर्न में लायी जाती है। चारों ओर से घिरे विविर्न में आहवनीय के उत्तर मिट्टी रख दी जाती है। इसके उपरान्त पुरोहित उस मिट्टी में बकर के बाल मिलाता है और उसे ऐसे जल से सानता है जिसमें पलाश की छाल उबाली गयी हो। उस सनी हुई मिट्टी में वह बाल, लोहे का जग एव छोटे-छोटे प्रस्तरखण्ड मिला देता है। इस मिट्टी से यजमान की पत्नी या पहली पत्नी (यदि कई पत्नियाँ हों तो) प्रथम ईंट का निर्माण करती है जिसकी अषाढा संज्ञा है। इस ईंट का आकार चतुर्भुज होता है और यह यजमान के पाँव के बराबर होती है। ईंट पर तीन रेखाएँ खींची जाती हैं। यजमान सनी हुई मिट्टी से एक उखा (अग्नि-भाग) बनाता है। वह विश्वज्योति नामक तीन अन्य ईंटें बनाता है जिन पर तीन ऐसी रेखाएँ बना दी जाती हैं जो प्रथम, द्वितीय एव तृतीय ईंटों की घटक हो जाती हैं। सनी मिट्टी का खेप भाग, जिसे उपशय कहा जाता है, पूषक् रख दिया जाता है। उखा को घोड़े की लीद से बने सात उपलो के घूम से घुमायित किया जाता है। ये उपले दक्षिण अग्नि में जलाये जाते हैं। एक वर्गाकार गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें लकड़ियाँ जलायी जाती हैं और उसमें उखा एव ईंटें पकने के लिए डाल दी जाती हैं। पुरोहित दिन में उन चारों ईंटों एव उखा को निकालता है और उन पर बकरी का दूध छिड़कता है। इसके उपरान्त अन्य ईंटें बनायी जाती हैं जो यजमान के पाँव के बराबर होती हैं और जिन्हे इतना पकाया जाता है कि वे लाल हो उठती हैं।

फाल्गुन की अमावस्या को इस कृत्य के लिए दीक्षा ली जाती है। दीक्षणीय इष्टि तथा अन्य साधारण कृत्य सम्पादित किये जाते हैं। यजमान या अध्वर्यु उखा को आहवनीय अग्नि पर रखता है और उस पर १३ समियाएँ सजाता है। यजमान २१ कुण्डलों या मणियों वाला (नाभि तक पहुँचने वाला) सोने का आभूषण धारण करता है। इसके उपरान्त आहवनीय से उखा उठाकर उमने पूर्व में एक शिखर पर रख दी जाती है जिसमें अग्नि डाल दी जाती है। उखा में रखी हुई यह अग्नि साल भर या कुछ कम अवधि (आप० १६।१।१ के अनुसार १२, ६ या ३ दिनों) तक रखी रहती है। एक दिन के अन्तर पर यजमान उस अग्नि का सम्मान वात्सप्र मन्त्रों (वाजसनयी सहिता १२।१८ २८, अ० १०।४।१-११) से करता है और विष्णुक्रम करता है। वह राख हटाकर नयी समियाएँ उखा में रखता रहता है।

इसके उपरान्त वेदिका-निर्माण होता है। वेदिका के पाँच स्तर होते हैं, जिनमें प्रथम, तृतीय एव पञ्चम का ढग द्वितीय एवं चतुर्थ से मिला होता है। वेदिका का स्वरूप द्रोण (दोने) के समान या रथ-चक्र, द्येन (वाज पत्नी), कक, सुपर्ण (गरुड) के समान होता है (तै० सं० ५।४।११, कात्या० १६।५।९)। कई आकार की ईंटें व्यवहार में लायी जाती हैं, यथा त्रिकोणाकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोण+आयताकार। उन्हें विचित्र ढग से सजाया जाता है। वेदिका की ईंटों की सजावट में ज्यामिति एव राजगीरी का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्रों के साथ ईंटें रखी जाती हैं। ईंटों के कई नाम होते हैं। यजुष्मती नामक ईंटें पक्षी के आकार के काम में आती हैं। कुछ ईंटों के नाम ऋषियों के नाम पर होते हैं, यथा बालखिल्य। लगता है, ये ईंटें सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा काम में लायी जाती थी। जमिनि (५।३।१७-२०) ने चित्रिणी एवं लोकाभूषण नामक ईंटों के स्थानों का वर्णन किया है।

अन्तिम दीक्षा के दिन वेदिका के स्थल की नाभ-जोख की जाती है। यजमान की लम्बाई से दूनी रस्ती से नाभ आदि लिया जाता है। यजमान की लम्बाई का पश्चिमी भाग अरति कहलाता है और दसवाँ भाग पद। प्रत्येक पद बारह अंगुली का माना जाता है और तीन पद का एक प्रक्रम होता है (कारत्या० १६।८।२१)। वेदिका-स्थल को विशिष्ट ढग से जोता जाता है (आप० १६।१।११-१३, कात्या० १७।३।६-७, सत्याषाठ ९।५।२१)। प्रथम

उपसद् के उपरान्त इंदो की सजावट आरम्भ की जाती है। वेदिका-स्थल पर सर्वप्रथम जहाँ अग्नि अपना पैर रखा चुका रहता है (आप० १६।२२।३), एक कमल-पत्र रखा जाता है जिस पर यजमान द्वारा धारण किया हुआ आम्रपत्र रखा जाता है। मन्त्रों का उच्चारण होता है (वाज० संहिता १३।३, तैत्तिरीय संहिता ४।२।८।२)। इस आम्रपत्र के दक्षिण एक सोने की मनुष्याकृति रखी जाती है, जिसकी प्रार्थना (उपस्थान) की जाती है। इसके उपरान्त कई प्रकार की विधियों से नाना प्रकार की इंटें, यथा द्वियजु, ऋतुष्य, अवका, अपाढा, स्वयमातृणा रखी जाती हैं। घृत, मधु, दधि से लेपित एक कटुवा बाँधकर रख दिया जाता है।^१ इसके उपरान्त अनेक कृत्य होते हैं, जिनका विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है। जैसा कि आरम्भ में ही लिखा जा चुका है, पाँचों जीवों के सिर भी यथास्थान रखे जाते हैं। सत्यापाढ (११।५।२२) के मत से वेदिका के प्रत्येक स्तर में २०० इंटें (कुल मिलाकर २०० × ५ = १००० इंटें) लगती हैं। शतपथ ब्राह्मण एवं कारवायन (१७।७।२१-२३) के मत से पाँचों स्तरों में कुल मिलाकर १०,८०० इंटें लगती हैं। निर्माण की अवधि के विषय में भी कई मत हैं। कुछ लोगों के मत से चार स्तरों में ८ मास तथा पाँचवें में चार मास लगते हैं। किन्तु सत्यापाढ (१२।१।१) एवं आपस्तम्ब (१७।१-१-११, १७।२।८, १७।३।१) ने ऋषी स्तरों के लिए पाँच दिनों की अवधि घोषित की है।

सभी स्तरों के निर्मित हो जाने पर वेदिका पर आहुवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसके उपरान्त वर्माकार या वृत्ताकार आठ घिंघ्यो का निर्माण होता है। एक छोटा, गोल तथा विभिन्न रंगों वाला प्रस्तर (अदमा) आग्नीध्र के आसन के दक्षिण में रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। रुद्र के लिए शतरुद्रिय होम किया जाता है। अर्क नामक पौधे के पत्तों से ४२५ आहुतियाँ रुद्र तथा उसके अन्य भयानक स्वरूपों को दी जाती हैं। मन्त्रों का उच्चारण होता रहता है (वाजसनेयी संहिता १६।१-६६, तैत्ति० स० ४।५।१-१०)। इससे उपरान्त वेदिका को जल से ठण्डा किया जाता है। बहुत-सी आहुतियाँ दी जाती हैं, जिनका विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है।

सोमयाग की विधि भी की जाती है। जो अग्नि-चयन का कृत्य करते हैं उन्हे व्रत भी करने पड़ते हैं। वे किसी के सामने झुकते नहीं, बर्षा में बाहर नहीं निकलते, पक्षियों का मांस नहीं खाते, घृष्ट नारी से संभोग नहीं करते, आदि-आदि। जब कोई दूसरी बार अग्नि-चयन कर लेता है, वह अपनी ही जाति वाली पत्नी से सहवास कर सकता है। तीसरी बार अग्नि-चयन कर लेने पर अपनी स्त्री से भी संभोग करना मना है (आप० १७।२।४।१-५, ब्राह्म० १।८।६।२५-३१, सत्या० १२।७।१५-१७)। जैमिनि (२।३।२१-३३) के मत से अग्नि-चयन अग्नि का मस्थार है न कि कोई स्वतन्त्र यज्ञ।

यदि कोई व्यक्ति अग्नि-चयन कर लेने पर कोई लाभ नहीं उठा पाता तो वह पुनश्चित्त कर सकता है। आप-स्तम्ब (१।८।२।४।१) के मत से पुनश्चित्त का सम्पादन सम्पत्ति, वेद-ज्ञान या सन्तान के लिए किया जाता है।

अग्नि चयन के सम्पादन के समय जो ऋतियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत-से सरल एवं जटिल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की गयी है, जिनका वर्णन अगले भाग में होगा। इस भाग में वर्णित यज्ञों के दार्शनिक स्वरूप पर प्रकाश आगे डाला जायगा। आगे हम यह भी देखेंगे कि ये यज्ञ कालान्तर में समाप्त-से बचो हो गये और इनके स्थान पर अन्य धार्मिक कृत्य क्यों किये जाने लगे।

९. कटुवा प्रजापति के कार्य की अनुकृति का प्रतीक है। कटुवे का रूप धारण करके ही प्रजापति ने इस सत्कार का निर्माण किया था। सम्भवतः इसी क्रिया के आधार पर भवन, गुल आदि के निर्माण में पशु-यज्ञ आदि की परम्परा खली है।

धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-१

[अनुक्रमणिका]

(पृष्ठ १ से ५७६ तक)

अ	
अगिरा ४१	अपरादित्य ७६
अक्रुषु ११०	अप्तोपामि ५५७
अग्निचयन ५७३	अप्रामाणिक दान ४७०
अग्निपुराण ५०	अद्भुत २०२
अग्निप्रणवन ५४६	अभिपिबत १२५
अग्निष्टोम यज्ञ ५४५, ५५६	अमगल पदार्थ ३७८
अग्निहोत्र ५१७	अम्बष्ठ १२५
अग्न्याधान ५१३	अम्बष्ठा १२२
अग्न्याघेय ५१३	अदस्कार १२६
अग्रहार ४६०	अक-विवाह ३१०
अतिरात्र ५५७	अर्घ्यशास्त्र २६, ३४७
अथर्ववेद ३, ४, ३३, ४५, ३४५	अल्पसवर्त ६५
अथर्वागिरसी स्मृति ४५	अवरीट १२६
अक्षय पदार्थ ४५२	अविर १२६
अनघ्माघ २५८	अग्र ११०
अनन्तदेव ६४	अश्वघोष ४६
अनवलोभन १८८	अश्वत्थ-विवाह ३१०
अनिष्ट ८१	अश्वमेध ५
अनुशासन पर्व १६	असत्प्रतिग्रह ४७०
अनौरस पुत्र ६	असहाय १३, ६५
अन्तावसायी १२५	असहाय-भाग्य ५६
अन्त्य १२५	अस्पृश्यता १६७
अन्त्यज १२५	अस्वीकार्य दान ४५३
अन्त्येष्टि १७६	अति ३५, ३६, ४५, १६६
अर्घ्य १२५	अतिस्मृत ३५
अन्नप्राशन १०६, २०२	अति-सहिता ३५
अन्वारोहण ३४६	आ
अपनास ११०	आगिरस २७
अपराध १३, २०, ३५, ५०, ५५, ५७, ५६, ६२, ७६	आयासिक १४०, ४४३, ५

आषहायणी ४४४
 आषमन ३६२
 आषाढ ३५५
 आसुर-सन्धात ५०२
 आदेशोच्युत सन्धाती ५०१
 आदित्यदर्शन १७६, २०१
 आनन्दाश्रम-संग्रह २०, २१
 आग्नेयिक १४०
 आचीतिकी १२, २८
 आपस्तम्ब ८, ६
 आपस्तम्बकल्प १२, ३४४
 आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र ३६०
 आपस्तम्ब धर्मसूत्र १२, १६, १७४, १७५, ४१४, ४४५
 आपीत १२६
 आपस्त ३६
 आपीय ३२
 आपीर १२६
 आपोगत १२६
 आर० शामशास्त्री (श्री०) १४, २८
 आरोग्यशाला ४६६
 आर्षावर्त १०६
 आश्विन्य १२७
 आश्वतथ १४०
 आश्रम २६४, २६७
 आश्वद्युजी ४४३
 आश्वलायन श्रौत० ६, २१, ७०, ८२
 आश्विक १२७
 आसुर विवाह ६
 आहिण्डिक १२७
 आहिबुण्डिक १४१
 आह्वित आचार ३५५
 आतेय १४
 आतंत्र्य धर्मशास्त्र ३५
 इ

इण्डिका ३०
 इतिहास १२
 इच्छाहरण ५२६

इन्द्र ३३, ४२०
 इन्द्र-यज्ञ ४४२
 ई
 ईशानबलि ४४५
 उ
 उक्त्य या उक्त्य ५५६
 उग्र १२७
 उज्ज्वला वृत्ति २०
 उज्ज्वला ध्याख्या २०
 उत्तम्य १३
 उत्तम्यपुत्र ४५
 उत्थान १७६
 उत्तरग १७६, ४७२-७३
 उत्तरार्जन १७६
 उदीच्य २०
 उद्भव ३३
 उद्भवक १२७
 उद्वाह २६८
 उपकृष्ट १२७
 उपनयन १७६, २०८-२३१
 उपनिषद् १२
 उपनिष्क्रमण १७६
 उपयम २५८
 उपरव ५५०
 उपवेद १२
 उपकार्म १७६, ४३६
 उपोद्घात ५०८
 उपयतीमुखी-गोदान ४६६
 उगता २७, ३६
 ऋ
 ऋग्वेद ३, ५, ७, ४२, १०२, १०६, १११
 १४३, २६५, ३५३, ४२०, ५१०
 ऋषा ८
 ऋजु मितालसरा ७२
 ऋतुसंग्रह ५५३
 ऋतुसंगमन १७८
 ऋष्यशृंग ६०

ए	अश्वप ३७
एभ्यसं (डा०) ३४	वास्यकार १२८
एस० वी० विश्वनाथन २६	काकवच १२८
ऐ	काण्व १६, ३६
ऐश्येष्ट लॉ १०६	काण्वायन १४
ऐतरेय ब्राह्मण ४, ७, २५, ११५	कात्य ८
ओ	कात्यायन १८, २७, ३२, ५८, ७४, ७५
ओङ् १२७	कादम्बरी २६, ३०
औ	कामधेनु ७५, ४६३
औपजघनि ८	कामन्दक २८, २६
औरध्र १४१	कामसूत्र ३३
औरस पुत्र ६	काम्बोज १२८
औशनस ३२	काम्य स्नान ३६८
औशनसी राजनीति ३६	काम्या पशव ५४४
क	काम्यष्टि ५४०
कटकार १२७	कायस्थ १२८
कटघातक १४१	कारावर १२८
कठोपनिषद् ११	कारोरीष्टि ५४०
कण्व १६, ३६	काण्य १२८
कण्व ब्रीघायन १४	काभीनाय उपाध्याय ६६
कफेला २५	काश्यप ८, ३५
कमलाकर भट्ट ६२	काष्ठाभिनि ६०
कम्बोज ३३	किञ्जल्क ३२
करण १२७	किरात १२६
करणी १२३	किर्त्त (वियना, १८८६ ई०) २०
कर्णवेद्य १७६, २०१	कीथ २६
कर्मकार १२७	कुकुन्द १२६
कर्मप्रदीप ५६	कुकुर ३३
कर्मविपाक ११	कुक्कुट १२६
कर्मानुष्ठानपद्धति ७५	कुटल ३०
कर्मार १२८	कुणिक १६
कलियुग २५३	कुत्स १६
कल्पतरु ७६, ७७	कुन्तलक १४१
कल्पपादप ४६८	कुमारिल ६, २५
कल्पवृक्ष ४६३	कुम्भकार १२६
कल्पसूत्र ६	कुम्भ-विवाह ३१०
कल्याण भट्ट ५५	कुम्भ-पाताल ३३

५ • धर्मशास्त्र का इतिहास

कुरुविन्द १४१
 कुलाल १२६
 कुलिक १२६
 कुल्लुक भट्ट १३, ४२, ७०, ८३
 कुशीलव १२६
 कृत १२६
 कृषि १५०
 कृष्ण मज्जिम १४, १६
 केगाव भट्ट ५५
 केगान्त १७६, २६१
 कैलेण्ड (खॉ०) १४, ३८
 कैवर्त १२६
 कैलिक १३०
 कैटिल्य २८, ६६, २४७
 कैणपदन्त ३०, ३२
 काण्डिन्य १४, २३१
 कौत्स १६
 क
 कनक १३०
 कश १३०
 कस १३०
 क
 कणपति-भूजन् १८१
 कण्डपुराण ५०
 कर्मरक्षण १७८
 कर्माधान १७८
 काधवं विवाह ६
 कार्गो सहिवा ३७
 कार्ग्य ३७
 कार्ग्य-धर्मसूत्र ३७
 कृणाध्व २६
 कृहव १३०
 कृत्यसूत्र ६, २१, ७०, ८२
 कीन १३०
 कीदान १७६, २६१, ४६५
 कीप १३०
 कीमित ५६

गोमित-गृह्यसूत्र ११
 गोविन्दचन्द्र ७७
 गोविन्दराज ६२, ७६
 गोविन्दस्वामी १५
 गोविन्दानन्द ६०
 गोसहस्र ४६३
 गोत्र २८५
 गोत्र स्नान ३६६
 गौतम ८, १५६, १५७, ६६
 गौतम-धर्मसूत्र १०
 गौतमसूत्र १०
 ग्रहशाति ४६६
 ग
 नरवारी गोसाई ५०१
 घोटकमुख ३२, ३३
 घोराधारिक ३५६
 घोलिक १४१
 घोपाल (खॉ०) २६
 घ
 घक्री १३०
 घण्डेनर ७४, ७७, ८४
 चतुर्वर्गचिन्तामणि ८२
 चतुर्विंशतिमत ६०
 चरक २४, ३४
 चरक-शाखा ३१
 चरण-भ्यूह १०, १६, २०
 चर्मकार १३०
 चाक्रिक १३०
 चाणक्य २६
 चातुर्मास्य ५३५
 चात वेदवत २५१
 चारापण ३३
 चारायणीय २३
 चीन ३३, १३१
 चुचु १३१
 चुचुक १३१
 चुडाकरण १७६

चुडाकर्म २०३
चैत्री ४४०
चैत-निर्णयक १३१
चौत २०३
छ
छान्दोग्योपनिषद् ४, ११, १०२
ज
जगन्नाथ तर्कपदानन ६६
जनमेजय ३३
जप ३७७
जलाशय ४७३
जातकर्म १७६, १६६
जाति ११६
जातिप्रवेश २५५
जातुकर्ष्य ३८
जात्यपकर्ष १२१
जात्युत्कर्ष १२१
जामसवाल (डॉ०) २६
जाली (डॉ०) २१, २३, २४, २६, ३४, ३८, ५० ५५
जामोपजीवी १३१
जितेन्द्रिय ७१
जीमूतवाहन ५६, ७१, ७२, ७७
जीवानन्द २३, २७, ३५, ६१
जैमिनि ४
जैमिनिसूत्रभाष्य १६
ज्योति पराशर ५५
ज्योतिर्नारद ५६
ज्योतिर्वसिष्ठ २३
झ
झल्ल १३२
ञ
टी० गणपति शास्त्री, प० ३४
टोडरानन्द ७७, ६१
ट
टोम १३२
टोम्ब १३१

त
तनुवाय १३२
तन्त्रवातिक ४, ६, १३
तन्त्राख्यायिका २६
तर्पण १६, ३६६
तक्ष १३२
तक्षक १३२
ताण्ड्य महाबाह्मण ३६
ताम्बूलिक १३२
ताम्रोपजीवी १३३
तिलक ३७२
तीव्रदेव २२
तुन्नवाय १३२
तुरगयण ५४०
तुलापुरुष ४६१
तैत्तिरीय ब्राह्मण ११७
तैत्तिरीय संहिता ६७, ११४
तैत्तिरीयारण्यक ७, १६
तैत्तिरीयोपनिषद् १०३
तैलिक १३२
थ
थिसन ३३
थ
थण्डी २६
थकमीमासा १३, ७६
थन्तघावन ३६३
थरद १३२
थर्णपूर्णमास ५२४
थशकर्मदीपक ७५
थशकर्मपद्धति ७५
थशकुमारचरित २६
थशावतार ३६४
थस ६०
थशस्मृति ६१
थसिणा ५५४
थान ४४७, ४५०, ४५३-४५५
थानरत्नाकर ६१

६ • धर्मशास्त्र का इतिहास

दानसागर ८१
 दायभाग ६८, ७८, ५०१
 दास्य १३२
 दासप्रथा १७२
 दिवस ३५७
 दिवाकीर्त्य १३२
 दीक्षणीय इष्टि ५४६
 दुर्गापूजा ४०२
 दुर्भर १४१
 दुषद्वती १०७
 देय ४५१
 देवण्य भट्ट ८२
 देवदासी ४७६
 देवपूजा ३६८, ४७५
 देवप्रतिष्ठा ४७५
 देवयज्ञ ३८८
 देवत ३८
 देवस्वामी ७०
 दीप्मन्त १३२
 द्विविध १३२
 द्राष्ट्यापण श्रौतसूत ११
 द्रोणाचार्य ३३
 द्वादशाह ५६०
 घ
 घरादान ४६४
 घर्म-उपादान ५
 घर्मनिर्णय ५०३
 घर्मशास्त्र १२
 घर्मसूत ६, ६
 घाटेश्वर ६४
 घाटेश्वर भोजदेव ७०
 घियावण १३२
 घीवर १३२
 घेनुदान ४६७
 इषवी १३
 ङ
 नबिकेता ११

नट १३२
 नन्दपण्डित २५, ५५, ७४, ६२
 नगचन्द्रिका २४, २८, ३४
 नरेंद्रनाथ ला २६
 नागबलि ४४२
 नागोत्रिभट्ट ६५
 नादीथाद १८७
 नापित १३३
 नामकरण १७६, १६५
 नारद ८, ५०, ५७, ६१
 नारदस्मृति ४६, ५५, ५६
 नारायण ७३
 निच्छिन्नि १३३
 नित्याचारप्रदीप ३७
 नियोग १६, १३८
 निरक्त ७, ४२, १७४, १७५
 निरूत पशुबन्ध ५४१
 निर्णयन १७६, २०१
 निर्वाप ५३१
 निषाद ३६, १३३
 निषादी १२०
 निष्क्रमण १७६, २०१
 नीलकण्ठ भट्ट ६३
 नृयज्ञ ४०८
 नृसिंहप्रसाद ८६
 नैमित्तिक स्नान ३६७
 नैष्टिक ब्रह्मचारी २५२
 ण
 पणित-दूयक ४१७
 पणित-पावन ४१७
 पच महायज्ञ ३८३
 पञ्चलोगसह ४६४
 पचायतन ३६४
 पतित-सावित्री २५२
 पत्नी-स्नानहन ५३२
 परदा प्रथा ३३६

परमदेव २४
 पराशर २६, ३२, ४१, ५८
 पराशरमाघवीथ ४७
 पराशरस्मृति ५४, ६२
 परिणय २६८
 परिणयन २६८
 परिवेदन ३१०
 परिपद ५०२
 पर्वत-दान ४६८
 पल्लव २०
 पशुदान ४६८
 पशुबन्ध ५४१
 पल्लव १३३
 पाणिग्रहण २६८
 पाणिनि १२, १६, २०
 पाण्डुसोपाक १३३
 पारद १३३
 पारशव ३६, १३३
 पारस्कर-गृह्यसूत्र ५३
 पाराशर ३२
 पारिजात ७६
 पार्वण-स्थालीपाक ४४०
 पिगल १३२
 पिण्डपितृयज्ञ ५३४
 पितामह ६१
 पितृयज्ञ ४०७
 पिशुन २०, ५६
 पिशुनपुत्र ३२
 पी० बनर्जी (डा०) २
 पुंसवन १७८, १८७
 पुण्ड्र १३३, १३४
 पुण्याहवाचन १८६
 पुन उपनयन २५८
 पुनराधेय ५१७
 पुराण १२, ४८
 पुरुवसूक्त ११६
 पुस्तक्य ६१

पुलस्त्यस्मृति ६१
 पुलिन्द १३३
 पुल्कस १३३
 पुष्कर १२४
 पुष्करसादि १६
 पुष्पघ १३४
 पुत्रकाम्येष्टि ५४०
 पूर्वमीमांसासूत्र ४
 पैठीनसि ३८
 पौष्टुक १३३, ३४
 पौलकस १३४
 पौष्टिक १४१
 प्रकाश ७५
 प्रचेता ६१
 प्रजापति २७, ६२
 प्रतापछन्ददेव ६०
 प्रतिपदपचिका ३४
 प्रतिष्ठा ४७२, ४७३
 प्रतिमानिर्माण ३६३
 प्रतिश्रुत दान ४७०
 प्रदीप ८०
 प्रण ७
 प्रपादान ४६८
 प्रमिताक्षरा ७२
 प्रवर्ग्य ५४८
 प्राचेतस २७
 श्रातरनुवाक ५४१
 प्राचेतस मनु ४३
 प्लव १४१
 फ
 फुहरर (डा०) २१
 घ
 गन्दी १३४
 गन्धूल १४१
 गर्नल (डा०) १४
 गवँर १३४
 गहिरास्तरण ५३२

बहिराहरण ५२६
 बलिहरण ४०६
 बल्लालसेन ६४, ८१
 बहुपत्नीकता ३१२
 बहुभर्तृकता ३१४
 भाग २६
 बाबा पाध्ये ६६
 बालक ७१
 बालकृष्ण ६५
 बालम्भट्ट ७३, ६५
 बालरूप ७१
 बाह्यस्वयं ३२
 बाहुदन्तिपुत्र ३२
 बाह्य १३५
 बुद्ध ५
 बुद्ध १३४
 बृहतर ८, १६, १७, २७, ३२, ६६
 बृहत्कथा २६
 बृहत्काल्यायन ५६
 बृहत्साराशर ५५
 बृहत्संज्ञेता ६२
 बृहत्सवर्त ६५
 बृहद्गीतम १३
 बृहद्द्याज्ञवल्क्य ५३
 बृहदारण्यक २०
 बृहदारण्यकोपनिषद् १७३
 बृहदारण्य ५६
 बृहन्मनु ४७
 बृहत्सति ८, ३६, ५६
 बंवर २७
 बीघायन ८, ६
 बीघायन धर्मसूत्र ८, १२३, ४१७
 ब्रह्म ११०
 ब्रह्मवष्टक ४८७
 ब्रह्मयज्ञ ३८५
 ब्रह्मविदेश १०७
 ब्रह्मवचरण ५३०

ब्रह्मसूत्रभाष्य १६
 ब्रह्ममहा ४८७
 ब्रह्मा ४३
 ब्रह्मवर्त १०७
 ब्राह्मण १५०, १५३, १५४, १५५, ४६२
 ब्राह्मण-वृत्ति १४४
 ब्राह्म विवाह ६
 म
 मगवद्गीता ४, १०२
 मट १३४
 मट्टस्वामी ३४
 मट्टोजिदीक्षित २२, ५५
 मण्डाकर (डॉ०) ५६
 मरदान ३०, ३६
 मरघयस १०७
 मत्तयज्ञ ६६
 भवदेव मट्ट ७४
 भविष्यपुराण १३
 भस्माकुर १४१
 भारतवर्ष १०७
 भारद्वाज ३०, ३६
 भारुचि २५, ६८
 भास्करि १४
 भाष्य ६५
 भिस्ल १३४
 भियक् १३४
 भिसा १५४
 भीष्म ३३
 भृतयज्ञ ४०६
 भृष १३४
 भूमि-दान ४५६
 भूर्जवष्टक १३४
 भूस्वामित्व, ४५८
 भुज्जवष्ट १३४
 भोज १३४
 भोजन ४१३, ४१५, ४१७, ४१८, ४२८, ४३१
 भोजनवच्य ७०

म

मंगल पदार्थ ३७८

मंगलभ्यवित ३७८

मगध १३५

मनुमदार (डॉ०) २६

मठ ४६६

मठप्रतिष्ठा ४७८

मणिकार १३५

मत्स्यपुराण ४८

मत्स्यबन्धक १३५

मदनपारिजात ८६

मदनपाल ८६

मदनरत्न ८७

मद्गु १३५

मद्यपान ४२८

मद्रक ३३

मद्युपर्क ३०८

शु ४३, ५३, ५६, १२०, १२१, १२२, १७३, १७४, १७५

मनुष्यमत्त ४०८

मनुस्मृति ४, ६, १३, ४२

मन्दिर ४७६

मन्यु १४१

मन्वर्यमुक्तावली ८३

मरीचि ६२

मलत्याग ३५६

मल्ल १३५

मल्लक ३३

महन्त ४७६

महाकल्पलता ४६४

महादान ४६०

महादेव दीक्षित २०

महाभारत १६, ४३, ४८

महाभिवष ५५१

महामत घट ४६५

महायज्ञ १७६

महारणव २०

महावैदि ५४६

महावैराजी ५४०

मांस भक्षण ४२०

माणविक १३५

मातंग १३५

मातृका-पूजन १८७

मातृदत्त-भाष्य २०

माधव १३

माधव यज्ञवा २४, २८

माधवाचार्य ६७, ८५

मानवधर्मसूत्र २७

मानवश्राद्धकल्प २५

मानव ३२

मार्कण्डेय ४२, ४३

मार्कण्डेयपुराण १०७, १७०

मार्गव १३५

मालाकार १३५

माहिष्य १३५

माहिष्या १२३

मिताक्षरा १३, ३४, ३६, ४८, ५०, ५६, ६१, ७२

मिसरू मिथ ८८

मित मिथ ६४

मितविन्दा ५४०

मुञ्ज ७०

मुद्राराक्षस २६, ३०

मुनि २६५

मूर्तिपूजा ३८८, ३६२, ३६४, ४७५, ४७६

मूर्धावसिक्त १२२

मुञ्जवटिकम् २६

मृतप १३५

मुद्गवाचः १२०

मंगलचनीज १४३

मेद १३५

मेघातिथि ४, १२, १५, ५६, ५८, ६६

मेन १०६

मेरिठिय १०६

मैत्रसमूलर २७

मैत्र १३६

सैत्रायणीय परिशिष्ट २५

सैत्रेयक १३६

सोहन-जो-दडो ३६०

सोद्गत्य ८

स्लेच्छ ३३, १४१

घ

यम २७, ६२

यायावर ३५६

यवन १३६

यास्व ७, ८, १३

याज्ञवल्क्य ७, २५, ३२, ५५, ५८, ६१, ६८

याज्ञवल्क्यस्मृति ४, ५, ४६

यूरोप एण्ड एशिया १०६

योग-याज्ञवल्क्य ५३

योगशौच ७२

र

रमावतारी १३६

रघुनन्दन ६०

रजव १३६

रञ्जव १३६

रस्तधेनु ४६५

रथनार १३६

रागिम ताम्रपत्र २२

राजसूय ५६१

राजन् ११३

राजा ११३, ४३४

राणायनीय शाखा ११

रामन १३६

रामायण ४८

रिनथ ५, ६

रिवयाधिवार ७

रुद्रधर ८८

रौद्रिक १४१

स

सदमी देवी ६५

सदमीधर २७

सदमीधर का बल्पता ७७

सादुपायन शीतसूत ११

सिञ्चितवि ३३

सुग्धक १३६

सेखक १३६

सोनेष्टि ५४०

सोहवार १३७

सौगाधि ६३

ष

वन्दी १३७

वरुण-प्रघास ५३६

वल्क १३७

वर्जित गोदान ४६७

वर्जित अन्न ४२५

वर्जित पत्रपदार्थ ४२५

वर्ष १०६, ११६

वर्षसंवर जाति ११६, १२०

वर्षवर्धन १७६, २०२

वसन्तीराज धारसेन ४६

वसन्तीवरी ५५१

वसिष्ठ १३

वसिष्ठ-धर्मसूत्र ६, १३, २१

वस्त्रदान ४६८

वाचस्पति २३, ७६

वाचस्पति मिश्र ८६

वाजपेय ५५७

वाजसनेषी संहिता ३

वाटघान १३७

वाटिशदान ४७५

वातव्याधि ३०, ३२

वाधूल ३४

वानप्रस्थ ४८२-८३-८५-८७

वामनपुत्र मस्वरी १३

वामनपुराण १७४, ४१४

वारेन हेस्टिंग्स ६६

वातावृत्ति ३५६

वास्तु-प्रतिष्ठा ४४५

विटरनिराम २६, ३०, ५६

विक्रय १५०
 विजन आव इण्डिया १०६
 विजन्मा १३७
 विचारम्भ १०७, २०६
 विद्वन्मोदिनी व्याख्या २१
 विघ्नवा ३३०, ३४३
 विनयकुमार सरकार २६
 विनिमय १५०
 विराट ४३
 विलियम जाम्स ६६, ६७
 विवादचिन्तामणि ७५
 विवादरत्नाकर ८१
 विवाह ११८, २६६, ३०१, ३०७-८-३१-४६
 विशालाक्ष ३२
 विश्वरूप ७, २०, २५, ५०, ५५, १००
 विश्वामित्र ६३
 विश्वेश्वर भट्ट ८६
 विष्णु १६
 विष्णुमुद्र २६
 विष्णुधर्मसूत्र २३, १६६, १७०, १७१, ३५०, ४१५
 विष्णुपुराण १०८, ४१४
 विष्णुवलि १७८, १६०
 विहित भोजन ४१६
 विज्ञानेश्वर ८१
 वी० एन० माण्डलिक ५७
 वीरमित्रोदय ७५, ७७, ६४
 वृजिक ३३
 वृद्ध काव्यायन ५६
 वृद्ध गीतम् १३, २७
 वृद्ध पराशर २५
 वृद्ध प्रचेता ६२
 वृद्ध मनु ४७
 वृद्ध याज्ञवल्क्य ५३
 वृद्ध वसिष्ठ २३
 वृद्ध व्यास ६४
 वृष्टि ३३
 वृक्ष-महता ४७३

वृक्षारोपण ४७३
 वेणु १३७
 वेणुक १३७
 वेद ४, ५
 वेदांग १२
 वेदाङ्ग-सूत्रभाष्य १३
 वेदाध्ययन १४१, २३१, २५०
 वेदाध्यापन १४३
 वेत्तव १७३
 वेश्या ३५३
 वैद्यानस ३५
 वैद्यानस गृह्यसूत्र ३५६
 वैद्यानस धर्मप्रश्न ३४
 वैजयन्ती टीका २३
 वैज १३७
 वैदेहक १३७
 वैशिक कलागान ३३
 वैशेषिक सूत्रकार ४
 वैश्य १११
 वैश्वदेव १८, ४०४, ५३५
 व्यभिचार ३२२
 व्यवहारतिलक ७५
 व्यवहारशिरोमणि ७३
 व्याघ्र. १३७
 व्यास ६३
 व्यास पाराशर्य ५४
 व्रत १७६
 व्रातय १३७
 व्रातयस्ताम २५४
 वा
 वाकराचार्य १३, २५, ६७
 वाख २७, ३४, ५०, ५८
 वाक १३७
 वातपय ब्राह्मण ८, ५०, ४२१
 वावर ७, १६, २५, १३७
 वावावती २०
 वास्त ५५३

शाखाया गृह्यसूत्र २
 शाखायन धीतसूत्र ६
 शाकल्य १८१
 शाखाह्येण ५२५
 शास्तातप ४०
 शास्तातपस्मृति ६०
 शास्तावय १४१
 शास्त्रिक १३७
 शास्त्रीन ३५६
 शिवपूजा ४०२
 शुद्ध ३३
 शुद्धमधिप्रचार ५५२
 शुक्ल यजुर्वेद ५०
 शुद्ध भाजक १४१
 शुद्धि २५५
 शुनासीरीय ५३६
 शुद्ध १०२, १८७, १६२
 शुलक ४४५
 शुलपाणि ८१, ८७
 श्रुतिक १३८
 शरिण १०६
 शंघ १३८
 शंसूप १३८
 शोच ३६१
 शोण्डिक १३८
 शोणक २६
 शिमट २८
 श्रवणा कर्म ४४१
 धातुमयूख ३६
 धावनी ४४१
 धीकर ६८
 धीदत्त उपाध्याय ८४
 धीधर ८०
 धीमूल २८
 धीत कृत्य-नियम ५११
 धीत यज्ञ ५०८
 ध्यपच १३८

श्रवणाक १३८
 श्वेतकेतु २०
 शनाव ८
 श
 पाडशी ५५६
 पाडश उपचार ३६८
 श
 सन्यास ४६०-६६-६७-६८, ५०१-३, ५०१-३
 सन्यासी ४६५, ४६६, ५०१, ५०६
 सवल ६४, ६५
 सस्वार १७६-७७-८०-८१, २६१
 महारकीस्तुम ५६
 सज्जानी ५४०
 सती प्रथा ३४८
 सत्यापाठ हिरण्यवशी ६५
 मन्तसागरक ४६५
 समावर्तन १७६, २६१
 सरस्वतीविलास ३७, ४०, ७४, ८८
 सर्पबलि ४४१
 सवनीय वस्तु-आहुति ५५२
 सहस्रमन ३४६
 सहस्ररण ३४६
 सत्र ५७०
 साकमध ५३७
 सारवत १३८
 सामवेद १०, ११, ७५
 सामान्य धर्म १०२
 सामवेदोह ५२७
 सामन १५
 सिद्धनी सो १०६
 सीतायज्ञ ४४१
 सीमन्तोपवन १७८
 सुधन्वाचार्य १३८
 सुमन्तु ४०
 सुमन्तु धर्मसूत्र ४०
 सुराष्ट्र ३३
 सुरोवर ६७

सुवर्ण १३८
 सुभृत २३, ३४
 सुचक्र १३८
 सूचिक १३६
 सूषी १३६
 सूत १३६
 सूनिक १३६
 सैरिन्ध १३६
 सापाक १३८
 सोम ५५४
 सोमह्रयणी ५५७
 सोमप्रवाक ५५५
 सोमयज्ञ ५५६
 सोमरस ५५३
 सोप्यन्तीवर्म १७८, १६१
 सोचिक १३६
 सोधन्वन १३६
 सोनिक १३६
 सोवणिक १३८
 सोत्रामणि ५६४
 स्टाइन ३०
 स्तोत्र ५५३
 स्नान ३६४
 स्मृतिकीस्तुभ ६४
 स्मृतिचन्द्रिका १३, १७, २३, ८२
 स्मृतिम्बरी ७६
 स्मृतियाँ ७, ४०, ३४०
 स्मृतिसंग्रह ६४
 स्मृत्यर्थसार ८०
 स्वच्छता ३६०
 स्वस्त्यमनी ५४०

स्वायम्भुव मनु ३४३
 स्वी-धर्म ३१८, ३२४, ३२७
 ह
 हरदत्त ११, १२, १७, २०, ८२
 हरिनाथ ८५
 हरिहर ८१
 हलामुघ ७४
 हारलता ३७, ७६
 हारिद्रुमत गीतम ११
 हारोत ५, १६, ६५
 हारीत धर्मसूत्र २५
 हिन्दू पालिटी २६
 हिरण्यकेशी ६, १४, २०
 हिरण्यकेशी धर्मसूत्र २०
 हिरण्यगर्भ ४६२
 हिरण्याश्व ४६३
 हिरण्याश्वरय ४६४
 हिल्लेब्राष्ट ३०
 हेमकार १३८
 हेमघरादान ४६४
 हेमहस्तिरय ४६४
 हेमादि १३, ४१, ४३, ५०, ५५
 होम १६१, ३७३

स

क्षत्ता १३०
 क्षत्रिय १३३, २५३, ५५३
 क्षत्रज पुत्र ६
 क्षमेन्द्र २६

त्र

त्रिकाण्डमण्डन ६६